षोडश माला, खंड 2, अंक 8

बुधवार, 16 जुलाई, 2014
25 आषाढ़, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 91
Dated 10 April 2018

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. श्रीधरन
महासचिव
लोक सभा

पी.वी. एल.एन. मूर्ति
संयुक्त सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

कीर्ति यादव
सम्पादक

हंसराज
सहायक संपादक

© 2014 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2014/1936 (शक)

अंक 8, बुधवार, 16 जुलाई, 2014/25 आषाढ़, 1936 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 126	1-53
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 127 से 140	53-134
अतारांकित प्रश्न संख्या 775 से 984	135-1048
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1049-1053
राज्य सभा से संदेश	1053
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा	
डॉ. जितेन्द्र सिंह	1054-1056
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	1056-1057
(दो) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण	1057
(तीन) कॅयर बोर्ड	1057-1058
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014	
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अध्यादेश, 2014 के बारे में विवरण	
श्री थावर चंद गहलोत	1058-1059
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में अन्य पिछड़े वर्गों को अनिवार्य 19 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक महादेवराव नेते	1062-1063
(दो) बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और अरवल जिलों में सड़क निर्माण कार्य पुन: शुरू करने के लिए एल.डब्ल्यू.ई. चरण-II योजना के अंतर्गत निधि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुशील कुमार सिंह	1063-1064

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(तीन)	भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड में सहभागी राज्यों से चक्रानुक्रम आधार पर सदस्यों की नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चांद नाथ	1064
(चार)	मध्य प्रदेश के जबलपुर में तारामंडल के साथ एक विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राकेश सिंह	1064-1065
(पांच)	बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री कीर्ति आज़ाद	1065
(छह)	दक्षिण गुजरात में डाक सेवाओं के कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए सूरत के डाकघरों में सभी रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	1065-1066
(सात)	राजस्थान के उदयपुर मंडल मुख्यालय में एक पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अर्जुन लाल मीणा	1066-1067
(आठ)	मध्य प्रदेश के सतना में आई.आई.टी. या आई.आई.एम. के साथ-साथ केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोले जाने और राज्य में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का उन्नयन करके उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री गणेश सिंह	1067
(नौ)	भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	योगी आदित्यनाथ	1068-1069
(दस)	गाड़ी संख्या 22481/22482 (जोधपुर-दिल्ली) को प्रतिदिन चलाए जाने और इसे उत्तराखंड में हरिद्वार तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राहुल कस्वां	1069
(ग्यारह)	केरल के हितों की रक्षा हेतु पश्चिमी घाटों के संबंध में प्रो. माधव गाडगिल और डॉ. के. कस्तूरीरंगन की रिपोर्टों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम.आई शनवास	1069-1070

विषय **कॉलम**

(बारह) केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों/परम्परागत समुदायों की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

प्रो. के.वी. थॉमस........ 1070-1072

(तेरह) सफेद, लाल और काली किस्म के सी-ककम्बर्स को पकड़ने पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री ए.अनवर राजा........ 1072-1073

(चौदह) पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में बैंकिंग और एटीएम सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुल्तान अहमद 1073

(पंद्रह) ओडिशा के बरहामपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गंजम तट पर आयोडीनयुक्त नमक की गुणवत्ता और अच्छा उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ. सिद्धांत महापात्रा........ 1073-1074

(सोलह) ओडिशा में पुरी और पारादीप के बीच चलने वाली सीधी रेलगाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल 1074-1075

(सत्रह) महाराष्ट्र के परभणी जिले में सभी पात्र किसानों को मुआवज़े का समुचित वितरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री संजय हरिभाऊ जाधव........ 1075

(अठारह) असम में विदेशियों के मुद्दे का समुचित और स्थायी समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री बदरुद्दीन अजमल........ 1075-1076

(उन्नीस) केरल के कोल्लम जिले में पारीपल्ली में ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन........ 1076

कार्य मंत्रणा समिति

दूसरा प्रतिवेदन........ 1119

सामान्य बजट, (2014-15) – सामान्य चर्चा अतिरिक्त

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2011-12

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया........ 1077-1092

श्री जयंत सिन्हा........ 1092-1107

विषय	कॉलम

डॉ. एम. तंबिदुरै 1107–1118

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय 1119–1128

श्री भर्तृहरि महताब 1128–1137

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 1137–1143

श्री एम. उदयकुमार 1143–1145

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव 1145–1149

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव 1149–1154

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी 1154–1158

श्री मोहम्मद सलीम 1158–1163

श्री गणेश सिंह 1163–1166

श्री हरिनरायन राजभर 1166–1169

श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली 1169–1173

श्री चिराग पासवान 1173–1176

श्री तारिक अनवर 1176–1180

डॉ. शशि थरूर 1180–1189

श्री अनिल शिरोले 1189–1190

डॉ. किरीट सोमैया 1190–1199

श्री देवुसिंह चौहान 1199–1200

श्री ए. अनवर राजा 1200–1205

डॉ. वीरेन्द्र कुमार 1205–1208

श्री बी.एस. येदियुरप्पा 1206–1215

श्री धर्म वीर गांधी 1215–1217

श्री भगत सिंह कोश्यारी 1217–1221

श्री आनंदराव अडसुल 1221–1224

डॉ. रविन्द्र बाबू 1224–1226

श्री ए. अरुणमणिदेवन 1226–1230

विषय	कॉलम
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1247-1248
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1248-1254
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1255-1256
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1255-1258

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. एम. तम्बिदुरै

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी. थॉमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी. श्रीधरन

लोक सभा

बुधवार, 16 जुलाई, 2014/25 आषाढ़, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या 121।

पशुओं के अंगों का अवैध व्यापार

***121. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः**
श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वन्यजीवों और उनके अंगों के अवैध व्यापार के मामलों का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले को पड़ोसी देशों के साथ उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श कर पर्यावरण और सामाजिक ढांचे संबंधी एक दस्तावेज बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना हेतु विश्व बैंक से कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई/प्राप्त हुई है; और

(ङ) वन्यजीव परिरक्षण, सुरक्षा और संरक्षण संबंधी प्रयासों में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। वन्यजीवों तथा उनके अंगों के अवैध व्यापार के कारण देश में वन्यजीवों पर दबाव है। अवैध व्यापार मांग-आधारित है और यह मांग, विशेषकर प्रमुख भारतीय प्रजातियों की, अंतरराष्ट्रीय बाजार से है। जिन भारतीय वन्यजीव प्रजातियों एवं उनके अंगों के अवैध व्यापार की सामान्यतया सूचना है, वे बाघ, गेंडा, हाथी, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चिरु, सिवेट बिल्ली, ऑटर, भालू, कस्तूरी मृग, कछुआ, सरीसृप, पेन्गोलिन, सी ककम्बर, समुद्री घोड़ा, टॉके जीको और ग्रे जंगल फाल, पैराकीट, उल्लू तथा मैना आदि जैसे पक्षी हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निकास-स्थलों पर पता लगे संकटापन्न वनस्पतियों तथा प्राणियों के अवैध व्यापार के मामलों की संख्या निम्नवत् हैः

वर्ष	उल्लंघन			कुल
	शहर	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972	आयात-निर्यात नीति	
2011-12	122	91	99	312
2012-13	82	84	56	222
2013-14	172	49	36	256

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यू.सी.सी.बी.) को, अन्य बातों के साथ-साथ विधि परिवर्तन एजेंसियों तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करने और वन्यजीव अपराध नियंत्रण हेतु सार्वभौमिक कार्रवाई को सरल बनाने

तथा भारत द्वारा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं नयाचारों के अन्तर्गत अनुसमर्थित या स्वीकृत दायित्वों को कार्यान्वित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

अपने गठन के समय से ही यह ब्यूरो पड़ोसी देशों और इंटरपोल एवं साइट्स सचिवालय जैसे अन्तरराष्ट्रीय संगठनों सहित विभिन्न विदेशी प्राधिकारियों के साथ वन्यजीवों के अवैध व्यापार संबंधी मुद्दों को उठाता रहा है। पड़ोसी देशों के साथ इस संबंध में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नवत् हैं:

(i) वन्यजीवों की तस्करी को भारत और म्यांमार के बीच सीमा सहयोग संबंधी द्विपक्षीय बैठकों की कार्यसूची में शामिल किया गया है। भारत और म्यांमार के बीच हुए सीमा सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन में वन्यजीव अपराध नियंत्रण हेतु नोडल बिन्दु अभिहीत करना और सूचना को साझा करना शामिल है।

(ii) भारत और नेपाल के बीच जैव विविधता संरक्षण संबंधी सीमा पारीय परामर्शदात्री बैठकों में सीमा पारीय अवैध वन्यजीव व्यापार पर चर्चा की जाती है।

(iii) भारत और चीन के बीच वन्यजीव प्रबंधन संबंधी द्विपक्षीय बैठकों में वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर चर्चा की जाती है।

(iv) डब्ल्यू.सी.सी.बी. के प्रतिनिधि दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क (एस.ए.डब्ल्यू.ई.एन.) और एशियन-वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क (एशियन-डब्ल्यू.ई.एन.) की बैठकों में उपस्थित होते हैं और सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ अवैध वन्यजीव व्यापार संबंधी पारस्परिक हित के मुद्दों को उठाते हैं।

(v) संबंधित पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की कार्यसूची में वन्यजीवों की तस्करी को शामिल करने के प्रयास जारी हैं।

(vi) भारत ने बाघों के अवैध शिकार की गतिविधियों को रोकने, बाघों की हड्डियों तथा उनसे बने उत्पादों की तस्करी और बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु संयुक्त उपाय करने के लिए चीन गणराज्य और बांग्लादेश के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। सीमा पार के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक संयुक्त कार्य बल गठित करने हेतु नेपाल के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। विश्व बैंक के परामर्श से बनाया गया एक पर्यावरण एवं सामाजिक ढांचा दस्तावेज एडेप्टेबल प्रोग्राम लैंडिंग के तीसरे चरण के अंतर्गत विश्व बैंक से 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आई.डी.ए. निधियन हेतु वर्ष 2011-12 में प्रस्तावित 'एशिया में वन्यजीवों के संरक्षण हेतु क्षेत्रीय सहयोग का सुदृढ़ीकरण' नामक एक परियोजना के विकास का भाग था। यह परियोजना विश्व बैंक की 'वन्यजीवों के संरक्षण हेतु क्षेत्रीय सहयोग का सुदृढ़ीकरण' नामक परियोजना का भाग थी।

(i) **अवैध सीमापारीय वन्यजीव व्यापार की समस्या के निवारण हेतु वन्यजी संरक्षण एवं सहयोग के लिए क्षमता निर्माण (20.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर) :** यह सीमापारीय वन्यजीव संरक्षण तथा प्रबंधन में क्षेत्रीय सामंजस्य और सहयोग लाने, सुदृढ़ विधायी और विनियामक ढांचे के माध्यम से वन्यजीव अपराध को रोकने, सभी एजेंसियों के कर्मचारियों हेतु प्रासंगिक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने जिनसे प्रवर्तन अभिकरणों अर्थात् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को वन्यजीव कानूनों और विनियमों के प्रवर्तन में सहायता मिले, के लिए है।

(ii) **एशिया में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना (2.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर) :** इस घटक का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण में उभरती चुनौतियों पर अनुसंधान और नवीन दृष्टिकोणों को बढ़ावा देते हुए तकनीकी विशेषज्ञता के साथ-साथ ज्ञान का सृजन करना एवं उसे बांटना है।

(iii) **परियोजना समन्वयन और संप्रेषण (5.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर) :** इस घटक के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन और मॉनीटरिंग हेतु 0.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यय होने का अनुमान है। शेष राशि परियोजना संप्रेषण पर खर्च की जानी है, जिसमें क्षेत्रीय और स्थानीय चुनौतियों

से निपटने के लिए संप्रेषण के प्रति एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

तथापि, अभी तक, विश्व बैंक के साथ ऋण संबंधी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं और कोई वार्ता नहीं की गई है। विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को गति देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत् हैं:

1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न अनुसूचियों में शामिल वन्य पशुओं के शिकार तथा वाणिज्यिक शोषण को निषिद्ध कर दिया गया है। इन प्रजातियों के प्रति किए गए अपराधों के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत दंड निर्धारित हैं।

2. अवैध शिकार तथा वन्यजीवों और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने संबंधी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

3. वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत देशभर में महत्त्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करके संरक्षित क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्वों का सृजन किया गया है।

4. वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उनके पर्यावासों में सुधार करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों नामत: 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

5. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों से क्षेत्रीय संरचना को सुदृढ़ बनाने और संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर और उनके आस-पास के क्षेत्रों में गश्त में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: माननीय अध्यक्ष महोदया, विश्व में जंगली जानवरों की खाल, हड्डियां एवं दूसरे अंगों की भारी मांग के कारण जंगली जानवरों की निर्मम हत्या हो रही है। जंगली जानवरों के अंगों का अवैध व्यापार हो रहा है, जिसके कारण जंगली जानवरों की ऐसी कई प्रजातियां नष्ट हो रही हैं।

महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में भारत में जानवरों की हत्या के कितने मामले सामने आए हैं और इनमें कौन-कौन से जानवरों की हत्या हुई है? इसकी पूरी जानकारी आंकड़ों में दी जाए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदया, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि जंगली जानवरों की जिस तरह से हत्याएं होती हैं, इल्लिगल ट्रेड होता है, *[अनुवाद]* यह वास्तव में एक गंभीर मुद्दा है। सरकार इस संकट का समाधान करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठा रही है। हमारे पास वन्य जीव अपराध नियन्त्रण बोर्ड है। मैं इस बोर्ड द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों का ब्यौरा देना चाहता हूं। परन्तु, आपने अनिवार्यत: जो पूछा है और इस सभा के पटल पर जो जानकारी रखी गई है वह यह दर्शाती है कि वर्ष 2011-12 में 312 मामले दर्ज हुए थे; वर्ष 2012-13 में 222 मामले दर्ज हुए थे तथा वर्ष 2013-14 में 256 मामले दर्ज हुए थे। हाथी दांत, गैंडे के सींग, बाघ और तेंदुए की खाल, हड्डियां, कस्तूरी, लाल सेंडर, चंदन की लकड़ी, सांप, मोनीटर लिजार्ड की खाल, पालतू जानवरों का व्यापार, सजावट के लिए पंख, मांस और सूप के लिए कछुए, शाल के लिए तिब्बती हिरन तथा समुद्री सीपी और मंगा आदि जैसी वस्तुओं का सामान्यत: कथित रूप से अवैध व्यापार होता है। शिकार और पकड़ने के कारण वर्ष 2010 में 28, 2011 में 16, 2012 में 59 और 2013 में 5 बाघों की मृत्यु हुई। इस प्रकार सरकार के प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: माननीय अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में पिछले पांच सालों में बाघों और तेंदुओं सहित कितने अन्य जानवरों की हत्या हुई है? अब तक जानवरों की हत्या करने वाले कितने शिकारियों एवं तस्करों के मामले

पकड़े गए और उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की गई है? माननीय मंत्री महोदय उसका पूरा ब्यौरा दें।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश जावड़ेकर: वन्यजीवों के शिकार और अवैध व्यापार के खिलाफ ऐसी स्थिति में सदैव कानूनी सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। आप जिन आंकड़ों की मांग कर रहे हैं—माननीय सदस्य ने एक अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि कितने मामलों में परिणाम सामने आए हैं तथा कितने लोगों को दंड दिया गया है—इस संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाने हैं। राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। आंकड़ों का संकलन होने के पश्चात् हम निश्चित रूप से उन्हें सभा पटल पर रख देंगे।

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव: मैं वन्यजीवों और अन्य संकटापन्न वनस्पति और जीव जन्तु के अवैध व्यापार के संबंध में विशेष जानकारी चाहता हूं। विभिन्न देशों के साथ अनेक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के बावजूद हमारी सीमाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वन्यजीव अपराधों पर रोक लगाना काफी कठिन है। क्या माननीय मंत्री जी शिकारियों और अन्य अनधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के वन्यजीवों के लिए समर्पित उद्यानों में प्रवेश पर रोक लगाने तथा उन्हें और मजबूत बनाने के लिए किए गए नए उपायों, यदि कोई हों, तो उनका ब्यौरा देंगे?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने क्षमता निर्माण और वन्यजीव संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए देश के विभिन्न भागों में नए वन्यजीव उद्यानों की स्थापना के लिए कोई नीतिगत ढांचा तैयार किया है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है यह एक वास्तविक समस्या है। केवल दक्षिण पूर्व एशिया में ही इस क्षेत्र में 60 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का अवैध व्यापार होने का अनुमान है। यह एक गंभीर समस्या है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघों और अन्य पशुओं के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन एन.टी.सी.ए. के माध्यम से अनुदान प्रदान करके; आवश्यकता पड़ने पर राज्यों को सतर्क करके; शिकारियों से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान करके; जाल और फंदों की जांच करने के लिए वन क्षेत्र की छानबीन हेतु राज्यों को परामर्श देकर; पर्यवेक्षणीय क्षेत्र दौरे करके; उन्नत निगरानी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके; कैमरे की सहायता से बाघ अभयारण्य स्तरीय निगरानी करके राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है। हम अन्य कई वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं। हम ब्यूरो मुख्यालय को और अधिकार दे रहे हैं। हम ब्यूरो के मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालयों और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को भी और अधिकार दे रहे हैं। हम अपनी सीमावर्ती इकाइयों को अन्यत्र स्थापित कर रहे हैं और उन्हें और सुदृढ़ बना रहे हैं। हमारे प्रस्तावित स्थल पणजी, म्यांमार सीमा पर मोरेह, दीमापुर, रक्सौल और घाटशीला हैं।

वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को भी मामले की जानकारी है। यह भी व्यावहारिक रूप से सक्रिय तरीके से सभी पड़ोसी देशों से समन्वय स्थापित कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है। मैं राजस्थान से आता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान की, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, श्री गंगानगर आदि। यहां पर हिरण, गोडावन और मोर पहले बहुतायत में पाये जाते थे। मोर की संख्या बहुत कम नहीं हुई है, लेकिन गोडावन की संख्या बिल्कुल कम हो गयी है और हिरणों की रक्षा करने के लिए वन्य जीव संस्थाएं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं, विशेष रूप से विश्नोई समाज के लोग इस काम में लगे हुए हैं। इन वन्य जीवों के कारण राजस्थान का इकोलॉजी और पर्यावरण बहुत संतुलित रहता था, लेकिन अब ये कुछ जीव लुप्त होते जा रहे हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, जो हमारे राजस्थान के इकोलॉजी बैलेंस को ठीक रखती थीं, उनकी सूची बनाकर क्या उनको संरक्षण देने का प्रयास सरकार करेगी?

श्री प्रकाश जावड़ेकरः सम्माननीय सदस्य ने बहुत अहम् और अच्छा सुझाव दिया है। सरकार पहले से ही इस विषय में पूरा अध्ययन करके खासकर सभी सीमाओं पर जिस तरह से ट्रेड के कारण प्रजातियां किसी डेंजर में आती हैं, उसके लिए विशेष स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। हम स्पीशीज रिकवरिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं और 17 स्पीशीज आइडेंटिफाइड हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। उनके लिए विशेष ब्रीडिंग सेंटर से लेकर सब काम हो रहे हैं ताकि ये प्रजातियां समाप्त न हों, नेचर का संतुलन बना रहे और इसी के साथ-साथ जो हमारा जैव-विविधता है, बाओडाइवर्सिटी है और यह सब संतुलन बना रहे, इसके लिए कारगर योजना चल रही है।

श्री अधीर रंजन चौधरीः मंत्री जी, शायद आप इनूमरेशन भी कर रहे हैं कि हमारे हिन्दुस्तान के वाइल्ड एनीमल्स के अंदर टाइगर कितने हैं, राइनो कितने हैं और एलीफेंट्स कितने हैं? ये सारे इनूमरेशन आप जरूर कर रहे हैं और हमारे हिन्दुस्तान का जो एरिया ऑफ फॉरेस्ट है, इसके ऊपर भी आपका जरूर ध्यान रहे। ये सारे पोचिंग जो होते हैं, पोचिंग के साथ इल्लीगल ट्रेड का एक बड़ा ताल्लुक है। पोचिंग, एरिया ऑफ फॉरेस्ट और इसके साथ-साथ जितने सिक्योरिटी पर्सनल्स तैनात किये गये हैं, क्या वे कमेन्सरेट हैं, इसे भी देखना चाहिए।

दूसरी बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ऐसी रिपोर्ट है कि हर हफ्ते हिन्दुस्तान में चार लिओपर्ट्ज़ की हत्या की जाती है। इसके अलावा जो लोग चिड़िया पकड़ने जाते हैं, उनके चिड़िया पकड़ने में और उनके ट्रांसपोर्टेशन में दो-तिहाई चिड़ियां मर जाती हैं। मैं इस प्रश्न से हटकर एक बड़े सैंसिटिव इश्यू की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बंगाल से आता हूं और आप जानते हैं कि बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है। बंगाल में बहुत सारे टाइगर्स को रेडियो कॉलर लगाया गया है यह मालूम करने के लिए कि वे कहां हैं, उनकी एक्चुअल पोजीशन कहां है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि रेडियो कॉलर का वजन करीब दो से तीन किलो होता है जिसके कारण टाइगर की फुर्ती पर थोड़ी पाबंदी लगती है। इससे उनको शिकार पकड़ने में, दौड़ने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह जो रेडियो कॉलर है, वह हटाना चाहिए, नहीं तो इनका जो वजन है, उसको इतना रखना चाहिए कि उनको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैं जानना चाहता हूं कि इस सारे विषय में मंत्री जी का क्या रियैक्शन है।. ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः प्लीज आप प्रश्न पूछिये।

श्री अधीर रंजन चौधरीः प्रश्न तो मैंने पूछा है।

श्री प्रकाश जावड़ेकरः माननीय सदस्य ने प्रश्न भी पूछा है और सुझाव भी दिया है।

माननीय अध्यक्षः सुझाव ज्यादा दिया है।

श्री प्रकाश जावड़ेकरः दोनों का स्वागत है। बात साफ है, जैसे सम्माननीय सदस्य ने कहा, ऐसा कोई शोध नहीं है या ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है जिससे यह साबित हो कि रेडियो सिगनलिंग देने वाली यंत्रणा बिठाने से बाघ की क्षमता पर कोई असर होता है। किसी का ऐसा मानना होगा तो वह लिख सकते हैं। अगर उनके पास कोई रिसर्च है तो वह भेजें, हम भी देखेंगे। लेकिन ऐसा आज तक नहीं है। उल्टा, उससे फायदा होता है। जैसे, महाराष्ट्र के पेंच में एक बाघ की हत्या हुई तो वह नेपाल बॉर्डर पर ट्रेड हो रहा है, वहां लोकेट हुआ। इस तरह से प्राणियों के इल्लीगल ट्रेड को रोकने में, कहां उसकी हत्या हुई और कहां उसको ले जाया जा रहा है, इसको समझने में उसका उपयोग होता है। *[अनुवाद]* विशेष बाघ संरक्षण बल ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सहायता की। जैसा कि मैंने आपको बताया है हमने यह पता लगाया है कि यह बाघों के लिए हानिकारक नहीं है। अतः सरकार सभी एहतियाती उपाय कर रही है।...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* एक बात अच्छी है कि बाघों की संख्या पर देश भर में चिन्ता हुई, प्रोजैक्ट टाइगर हुआ और उनकी संख्या बढ़ी है। अभी जो इस महीने के लेटेस्ट फिगर्स हैं, वह 15 दिन में आएंगे और आते ही हम सभागृह के पटल पर रखेंगे।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजराः मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत से जंगली जानवर जंगल से निकलकर किसानों की फसल खराब कर जाते हैं। इनमें नीलगाय है, सूअर है जिनका शिकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून में इसकी

पाबंदी है। क्या सरकार की कोई नीति है कोई नैट या वायर लगाने की जिससे जंगली जानवरों को बचाया जा सके और किसानों की फसल भी बच सके? खेतों में कांटेदार तार लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी देने पर भी विचार हो, यह मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसे सम्माननीय सदस्य ने पूछा है, आज देश में लगभग 4.8 प्रतिशत भूमि नेशनल पार्क, रिजर्व, जू और संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित है। इसीलिए ईको-सैंसिटिव जोन का प्रस्ताव आया क्योंकि यह जो मैन-एनिमल कनफ्लिक्ट होता है या नुकसान होता है, उसके लिए हर ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र के आस-पास कितना एरिया हो, यह मसला कोर्ट में भी गया था और कोर्ट में जाने के बाद यह तय हुआ कि सभी राज्य अपनी जरूरत के अनुसार उसका ईको-सैंसिटिव जोन कितना होगा, वह तय करेंगे। जैसे ही प्रस्ताव राज्यों से आ रहे हैं, हम उनको मान्यता दे रहे हैं और यह एक प्रक्रिया के तहत होता है। इसमें लोगों को और खेती को नुकसान न हो और प्राणियों की हत्या न हो, इनका संतुलन बनाने का प्रस्ताव है। मुझे लगता है कि ईको-सैंसिटिव जोन के जितने भी प्रस्ताव आए, बहुत सैंसिबल थे और जैसे राज्य सरकार ने दिया, वैसे ही उसको मान्य किया है। इससे इस प्रश्न का हल होगा।

[अनुवाद]

निजी एफ.एम. चैनलों पर समाचारों का प्रसारण

\+
***122. श्रीमती सुप्रिया सुले:**
डॉ. रामशंकर कठेरिया:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यमान मार्गनिर्देशन निजी एफ.एम. चैनलों पर समाचारों के प्रसारण की अनुमति नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी एफ.एम. चैनलों को आकाशवाणी सहित बहुविध स्रोतों से प्राप्त विषय-वस्तु पर समाचार प्रसारित करने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में नये सिरे से मार्गनिर्देश कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश के विभिन्न भागों में एफ.एम. रेडियो कवरेज को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) प्राइवेट एफ.एम. चैनलों को मौजूदा एफ.एम. रेडियो (चरण-II) नीतिगत दिशानिर्देशों के अंतर्गत समाचारों के प्रसारण की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। एफ.एम. रेडियो चरण-III के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमतिधारकों को प्रसार भारती के साथ पारस्परिक रूप से तय किए जा सकने वाले निबंधन और शर्तों पर आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को उनके मूल फॉर्मेट में प्रसारण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। एफ.एम. चरण-III नीति के अंतर्गत किसी अन्य समाचार एवं समसामयिक कार्यक्रम की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। तथापि, कुछ श्रेणियों जैसे लाइव कवरेज को छोड़कर खेलकूद की घटनाओं से संबंधित सूचना, स्थानीय स्वरूप की खेलकूद की घटनाओं के आंखों देखे हाल के सीधे प्रसारण, यातायात और मौसम संबंधी सूचना, सांस्कृतिक घटनाओं व समारोहों की कवरेज, परीक्षाओं, परिणामों, दाखिलों, कॅरिअर परामर्श, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता से संबंधित विषयों की कवरेज, स्थानीय प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाने वाली जन सुविधाओं जैसे बिजली, जल आपूर्ति, प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य अलर्ट आदि से संबंधित सार्वजनिक घोषणाओं को गैर-समाचार तथा समसामयिक विषयक प्रसारण माना जाएगा और इसलिए उनके प्रसारण की अनुमति होगी।

तथापि, समाचारों के गत्यात्मक स्वरूप के मद्देनजर इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

सरकार ने देश के विभिन्न भागों में एफ.एम. रेडियो कवरेज के विस्तार हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। मंत्रिमंडल

के दिनांक 07-07-2011 के अनुमोदन के अनुसार चरण-III की नीति के अंतर्गत एफ.एम. रेडियो के क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा पूर्ववर्ती 20% के स्तर से बढ़ाकर 26% कर दी गई है। प्रचालकों को दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन किसी शहर में एक से अधिक चैनल का स्वामित्व रखने की अनुमति प्रदान की गई है। प्राइवेट एफ.एम. प्रसारकों को देश भर में अपने नेटवर्क के भीतर चैनलों की नेटवर्किंग करने की भी अनुमति प्रदान की गई है।

देश में आकाशवाणी की एफ.एम. सेवा के लिए अवसंरचना का उन्नयन एक सतत घटना है जिसका उद्देश्य उसकी पहुंच एवं श्रोताओं की संख्या का अधिकतम विस्तार करना है।

श्रीमती सुप्रिया सुले: माननीय महोदया, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि एफ.एम. चैनलों को समाचारों का प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी गई है। वर्तमान समय में जबकि अनेक निजी चैनल मौजूद हैं टेलीफोन पर इतनी अधिक सूचना उपलब्ध है और सूचना का अधिकार है, सरकार बेसिक रेडियो चैनल पर समाचारों के प्रसारण की अनुमति नहीं दे रही है जो कि इस देश में प्रत्येक आम आदमी की पहुंच में है। निजी चैनलों द्वारा समाचार प्रसारित न करने की नीति को जारी रखने के पीछे क्या तर्क है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: ऐसा नहीं है कि यह नीति पहले दिन से ही प्रभावी थी जैसा कि आप जानते हैं कि जब एफ.एम. निजी चैनलों को अनुमति दी गई तो पहले चरण में 2000 में अनुमति दी गई थी और उस 21 चैनल आरम्भ हुए थे। परन्तु, अब दूसरे चरण में और अधिक चैनल आरम्भ हो चुके हैं। अब तीसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है। 30 मार्च 2015 तक तीसरे चरण में हमारे पास मौजूद 86 शहरों की तुलना में 227 नए शहरों में एफ.एम. चैनल होंगे। कुल मिलाकर 839 समाचार चैनल होंगे। *[हिन्दी]* इसमें न्यूज देने का प्रोविजन पहली दफा आ रहा है। न्यूज ऑल इंडिया की न्यूज है, केवल क्लिप लगाने की बात है कि रेडियो पर जो न्यूज चलती है, उसी को आप दिखा सकते हैं...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय: दिखा नहीं सकते हैं, सुना सकते हैं।

श्री प्रकाश जावडेकर: जी हां, सुना सकते हैं, थैंक्यू। वह जो आप एफ.एम. चैनल पर सुना सकते हैं, अब उसी ऑल इंडिया न्यूज की क्लिप को अपनी आवाज में पढ़ना चाहता है, तो वह एक विचार का मुद्दा है और सरकार उस पर विचार कर रही है। दूसरे भी उसमें इश्यू हैं।

[अनुवाद]

खेल आयोजन, यातायात और मौसम, सांस्कृतिक घटनाओं और उत्सवों का कवरेज, परीक्षा परिणामों से संबंधित विषयों का कवरेज, प्रवेश करियर परामर्श, रोजगार अवसरों की उपलब्धता, विद्युत, जल आपूर्ति तथा प्राकृतिक आपदाओं और नागरिक सुविधाओं से संबंधित सार्वजनिक घोषणा, स्थानीय प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी को गैर-समाचार और सम-सामयिक जानकारी प्रसारण माना जाएगा और इसलिए एफ.एम. समाचारों में उनको शामिल करने की अनुमति होगी।

माननीय अध्यक्ष: कृपया पूरक प्रश्न पूछिए।

श्रीमती सुप्रिया सुले: यदि आप इतनी अधिक आजादी दे रहे हैं, तो उसे प्रदान करने के लिए आप समाचारों की स्वतंत्रता पर रोक क्यों लगा रहे हैं? यही मेरा प्रश्न है क्योंकि यह बहुत सहायक है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। जब मुम्बई में भारी बारिश की समस्या अथवा यातायात के मुद्दे होते हैं और शहर कुछ जानकारी प्राप्त करना चाह रहा होता है, उस समय एफ.एम. रेडियो सामाजिक सरोकारों के लिए भी एक बहुत अच्छी और सकारात्मक भूमिका निभाता है। इसलिए आप उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों नहीं देते जो टेलीविजन पर ऐसे ही उपलब्ध हैं। महोदया, आपकी अनुमति से मैं सामुदायिक रेडियो के प्रश्न को भी उठाना चाहती हूं क्योंकि भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां दुर्भाग्य से सारी टेलीविजन मीडिया उपलब्ध नहीं है वहां रेडियो एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, इसे निचले स्तर तक भारत के पास नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? मुझे बस यही कहना है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावडेकर: जैसा कि मैंने पहले कहा कि

ऐसा नहीं है कि आप न्यूज नहीं दे सकते हैं। न्यूज देने की नीति तीसरे चरण में आ रही है।

[अनुवाद] इसलिए उन्हें आकाशवाणी बुलेटिनों से न्यूज लेकर प्रसारित करने की अनुमति होगी। यह एक बात है। दूसरी, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें सार्वजनिक उद्घोषणा हेतु भी अनुमति होगी। इसलिए, वस्तुतः यह एक नवीन विस्तार है, जैसे कि अन्य टेलीविजन चैनल समाचार देते हैं। इसलिए, एक मुद्दा है जिस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन पहला निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया था अतएव, दिशानिर्देशों में कोई भी परिवर्तन उसके द्वारा ही किया जाना है। मुद्दा यह है, पहले हम इसे नई चीज के साथ आजमाते हैं जहां समाचारों की अनुमति नहीं है और जहां अब समाचारों की अनुमति होगी। इसलिए जैसे-जैसे हमें अनुभव प्राप्त होगा हम आने वाले समय में हम प्रायोगिक रूप में सदैव दिशानिर्देशों को परिवर्तित कर सकते हैं क्योंकि हम 839 समाचार चैनलों पर सतत निगरानी नहीं रख सकते हैं। एक मुद्दा है कि उन पर निगरानी रखनी चाहिए अथवा नहीं लेकिन यहां अन्य मुद्दे भी हैं। इसलिए, तीसरे चरण में दी गई समाचार प्रसारण की अनुमति से मिले अनुभव के पश्चात् हम सही समय पर उचित निर्णय ले सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. रामशंकर कठेरिया: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी संख्या में, जो अनुमानित संख्या आ रही है, ग्यारह करोड़ से अधिक लोग प्राइवेट चैनलों से, एफ.एम. चैनलों से रेडियो सुनते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट चैनलों को इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में इस तरह के कुछ सुझाव दिए हैं?

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण, नशा मुक्ति, सांस्कृतिक और सामाजिक, और महापुरुषों पर आधारित कार्यक्रम इन चैनलों के माध्यम से हम सुना सकते हैं तो इसमें क्या कठिनाई आ रही है? यदि इसमें कठिनाई नहीं है तो इसमें सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: जैसा कि आपको पता है, आकाशवाणी देश का गौरव है जो सभी जनता तक सबसे प्रभावी रूप से पहुंचता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अनेक स्टेशनों की मीडियम वेब बैण्ड की आवाज ठीक तरह से, साफ नहीं पहुंचती है। इसके बारे में मंत्रालय ने विचार किया है और वे ज्यादा-से-ज्यादा एफ.एम. स्टेशनों में कैसे परिवर्तित हों, इसका एक कार्यक्रम तैयार किया है।

सम्माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि यह छोटे गांव का भी अधिकार है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि एफ. एम. चैनल, जो अभी तक तीन लाख की आबादी वाले शहर तक सीमित थे, वे अब एक लाख की आबादी वाले शहर में भी जाएंगे। इसीलिए, वह संख्या 800 से ज्यादा होगी और इतने नए आएंगे।

इसके साथ-साथ बजट में कम्युनिटी रेडियो पर भी बहुत जोर दिया है। अगर एक जनांदोलन के तहत कम्युनिटी रेडियो चलेगा तो वह भी लोगों तक पहुंचेगा। जनता को ज्यादा-से-ज्यादा अच्छी जानकारी मिले, इसी का प्रयास है और इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: अध्यक्ष महोदया, मुझे यह नोट करके बहुत प्रसन्नता हुई है कि माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि आज सुबह हमने जिस नीति पर चर्चा की है समय-समय पर उसकी समीक्षा की जाएगी। मैं राकांपा के अपने माननीय साथी की इस बात में शामिल होना चाहता हूं कि इस नीति की समीक्षा करने का समय हो चुका है।

पिछली लोक सभा में, अंतिम स्थानों पर बैठने वाले के रूप में मुझे एक मुद्दा उठाने का अवसर मिला था कि ऐसे प्रतिबंध हमारे लोकतंत्र में एक अनियमितता है जहां अलग-अलग आवाज अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है। लेकिन मंत्री को एक ऐसे परिदृश्य के संबंध में बहुत सतर्क रहना चाहिए, अध्यक्ष महोदया, जिसे हमने टी.वी. चैनलों पर उदारीकरण के बाद स्वतंत्र मीडिया के विकास के साथ देखा है, जोकि समाचारों के व्यावसायीकरण को बढ़ा रहा है, जहां समाचारों पर कुछ खास व्यावसायिक घरानों द्वारा अनिवार्य रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिन्होंने इस आधार पर राष्ट्रीय एजेंडे का निर्धारण किया है कि क्या बिकता है और इस तरह से समाचारों हेतु पूर्णतया व्यावसायिक प्रेरणा का आधिपत्य हो गया है।

मैं मंत्री से इस नीति पर विचार करने का अनुरोध करता हूं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पूरी तरह व्यावसायिक अथवा कॉर्पोरेट खबरों का रेडियो पर प्रसारण न होने देना सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेषकर छोटे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, जो अपने समुदायों में अग्रणी हैं और स्थानीय समाचार उपलब्ध करा सकते हैं, को नीति समीक्षा में प्रोत्साहित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदया, क्या मंत्री के पास इस संबंध में कोई विचार है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदया, हम आज इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। मुद्दा यह है कि सूचना लोगों का अधिकार है। उन तक सूचना पहुंचनी चाहिए ताकि वे उस पर समझबूझ कर निर्णय ले सकें। इसीलिए, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफ.एम. निजी चैनलों और अन्य निजी चैनलों का विस्तार किया जा रहा है। इन सभी माध्यमों से लोगों को सूचनाएं प्राप्त होंगी। उस संबंध में, जैसा आपने कहा, एक लोकतंत्र में हर कोई अपने विचार प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र है। यह अभिव्यक्ति की मूल स्वतंत्रता है। इसलिए, हम किसी की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर रहे हैं। लेकिन, निश्चित रूप से हम पहले आकाशवाणी को अनुमति दे रहे हैं, वे वहां से कॉपी कर सकते हैं अथवा वे स्थानीय समाचार दे सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा है। इसलिए, इस तरह की चीज की हम अनुमति दे रहे हैं। अनुभव प्राप्त करने के बाद हम और छूट के बारे में विचार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना कहना चाहता हूं कि एक हैं निजी रेडियो, एफ.एम. जो व्यावसायिक हैं, कम्युनिटी रेडियो व्यावसायिक नहीं होते हैं, क्या यह तीसरे फेज की सुविधा उनको मिलेगी या उनको भी अपने न्यूज प्रसारण का अधिकार मिलेगा? उनमें कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो सकती है और वे छोटे हिस्से में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसे जरा स्पष्ट कर दें।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: सम्माननीय सदस्य से मैं यह कहना चाहूंगा कि ये दो अलग विषय हैं, जो 30 मार्च, 2015 तक एक तो फेज दो में जो एफ.एम. प्राइवेट चैनल्स हैं, उनका माइग्रेशन फेज तीन में होगा और एक नया ऑक्शन एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में होगा। उसकी प्रक्रिया जारी है और वह समय पर होगा।

सवाल है कि कम्युनिटी रेडियो अलग है, वह एफ. एम. चैनल्स में नहीं आता है, उनका फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन में प्रसारण नहीं होता है, लेकिन उनके लिए अलग स्कीम है और उनको सरकार सहायता भी करती है, क्योंकि, वे छोटे हैं और इसलिए सरकार उसमें 50 फीसदी लागत का देती है और ये सही मात्रा में अच्छी तरह से चलें, इसीलिए इसके विस्तार की घोषणा इस बजट में की गई है।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

+
***123. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:**
श्री राजू शेट्टी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने विद्यालय और बच्चे लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या उक्त योजना के शुरू होने से विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में लिंग-वार कितनी वृद्धि होने की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार को चालू वर्ष में केरल सहित अन्य राज्यों से केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विगत तीन वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस.) के अंतर्गत लाभान्वित विद्यालयों और बच्चों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या के ब्यौरे संलग्न अनुबंध-I में दिए गए हैं। मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस.) के अंतर्गत चालू वर्ष के लिए त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 जुलाई, 2014 है।

(ख) प्रारंभिक शिक्षा में समग्र नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है और एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार यह 2011-12 के 94.75% से बढ़कर 2013-14 में 97% हो गया है। जिसमें लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है और यह 2011-12 के 96.32% से बढ़कर 2013-14 में 99.09% हो गया है और लड़कों का नामांकन 2011-12 में 93.32% था जो 2013-14 में बढ़कर 95.11% हो गया है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आंकड़े संलग्न अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा केरल सहित सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से 2014-15 की वार्षिक कार्य योजना और बजट (ए.डब्ल्यू.पी. एंड बी.) प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनका अनुमोदन कर दिया गया है। योजना के तहत वर्ष 2014-15 के लिए कुल 12114.04 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है।

(घ) मध्याह्न भोजन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। भोजन पकाने की लागत, रसोइया-सह-सहायक को मानदेय का भुगतान और रसोई-सह-भंडारगृह का निर्माण करने की लागत को केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य 90:10 के आधार पर और अन्य राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के मध्य 75:25 के आधार पर बांटा जाता है। खाद्यान्नों की लागत, रसोई उपकरणों के अधिप्रापण/प्रतिस्थापन की लागत, परिवहन लागत और मॉनीटरिंग, प्रबंधन और मूल्यांकन की लागत योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार 100% केंद्रीय सहायता के जरिए मुहैया कराई जाती है।

अनुबंध-I

विगत चार वर्ष के दौरान एम.डी.एम.एस. योजना में शामिल किए गए बच्चे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
		संस्थाएं	बच्चों की औसत संख्या	संस्थाएं	बच्चों की औसत संख्या	संस्थाएं	बच्चों की औसत संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	80943	5661609	80923	4995719	77091	5605911
2.	अरुणाचल प्रदेश	4358	268473	4238	267093	3339	259436
3.	असम	67402	4693848	66531	4645155	56327	4522806
4.	बिहार	70773	8882442	70773	13192268	69367	13459161
5.	छत्तीसगढ़	47868	3750998	47868	3405030	47879	3167719
6.	गोवा	1559	153853	1555	152364	1532	152765
7.	गुजरात	36798	4110722	34223	4361699	33728	4299803
8.	हरियाणा	15783	2108820	15596	2090263	15264	1982510
9.	हिमाचल प्रदेश	15096	661951	15061	635444	15197	571246

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू और कश्मीर	22812	769893	22878	731535	22965	1035069
11.	झारखण्ड	42041	3215976	40662	3157218	40855	2858011
12.	कर्नाटक	56083	5278797	56064	4946744	55080	5062641
13.	केरल	17387	2687079	17387	2632537	12377	2569405
14.	मध्य प्रदेश	115132	8084242	115132	7819654	116356	7712719
15.	महाराष्ट्र	121344	10868151	121096	10453018	86028	10620633
16.	मणिपुर	2966	197854	2986	184444	3298	186063
17.	मेघालय	10074	484489	10632	528259	10580	518734
18.	मिजोरम	2506	167148	2506	165792	2516	16557
19.	नागालैंड	2261	260707	2261	260962	2261	259820
20.	ओडिशा	86177	4837061	69019	5129182	63531	5129661
21.	पंजाब	22035	1810346	22035	1760112	20359	1721353
22.	राजस्थान	79845	5765230	79839	5067599	80344	5647163
23.	सिक्किम	1000	90582	879	83960	876	84591
24.	तमिलनाडु	36807	4129238	41474	4718918	42619	4810734
25.	त्रिपुरा	6531	442619	6531	432497	6545	355120
26.	उत्तराखंड	17953	807164	17748	3469867	17736	732546
27.	उत्तर प्रदेश	158107	11610848	158301	7943197	165918	10956794
28.	पश्चिम बंगाल	84522	12180117	83686	12201816	83003	12218240
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	345	31746	336	27977	338	29357
30.	चंडीगढ़	115	53940	116	46105	115	50868
31.	दादरा और नगर हवेली	368	36067	397	35644	283	35156
32.	दमन और दीव	97	15450	98	14806	99	14742

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली	3496	1233473	3547	1186555	3960	1125974
34.	लक्षद्वीप	43	9485	43	9520	42	7818
35.	पुदुचेरी	465	79472	466	52510	453	58231
	कुल	1231092	105439889	1212887	106805463	1158261	107983357

अनुबंध-II

विगत तीन वर्षों में लड़के और लड़कियों का समग्र नामांकन अनुपात

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष 2011-12 जी.ई.आर. प्रारंभिक स्तर			वर्ष 2012-13 जी.ई.आर. प्रारंभिक स्तर			वर्ष 2013-14 जी.ई.आर. प्रारंभिक स्तर		
	छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल	छात्र	छात्राएं	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	105.78	103.71	104.76	105.00	103.65	104.34	95.43	90.81	93.12
आंध्र प्रदेश	90.70	92.18	91.42	92.34	93.59	92.95	91.34	92.07	91.70
अरुणाचल प्रदेश	121.90	119.63	120.78	121.38	121.31	121.35	123.64	123.58	123.61
असम	98.40	103.67	100.97	98.63	103.85	101.19	103.32	109.37	106.28
बिहार	83.05	87.64	85.25	77.10	83.59	80.21	90.36	99.22	94.56
चंडीगढ़	105.18	106.15	105.62	107.77	108.61	108.15	92.76	98.62	95.35
छत्तीसगढ़	104.73	104.47	104.60	105.73	105.76	105.74	102.69	102.87	102.78
दादरा और नगर हवेली	104.34	101.21	102.85	100.15	96.19	98.26	93.60	85.35	89.58
दमन और दीव	91.16	89.90	90.57	91.07	88.22	89.74	86.44	90.08	88.07
दिल्ली	109.18	112.23	110.58	113.33	116.50	114.78	112.02	118.68	115.01
गोवा	108.16	105.69	106.97	115.68	111.89	113.84	105.47	105.26	105.37
गुजरात	87.39	86.53	86.99	97.58	95.93	96.81	97.05	97.39	97.21
हरियाणा	89.41	91.12	90.18	96.14	97.56	96.78	94.57	99.63	96.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	102.60	102.91	102.75	102.00	102.18	102.08	100.47	101.56	100.98
जम्मू और कश्मीर	82.99	83.08	83.04	80.47	81.15	80.79	79.41	81.23	80.27
झारखण्ड	98.11	99.55	98.29	98.85	101.62	100.20	103.44	106.93	105.13
कर्नाटक	97.09	95.41	96.27	98.24	96.22	97.26	97.58	97.41	97.49
केरल	90.16	89.78	89.97	97.85	96.77	97.32	96.72	96.38	96.55
लक्षद्वीप	110.34	112.17	111.26	105.53	110.76	108.13	89.76	84.42	87.01
मध्य प्रदेश	109.10	114.97	111.91	110.54	114.36	112.37	105.98	109.20	107.51
महाराष्ट्र	99.19	97.98	98.61	101.12	99.39	100.30	98.68	98.59	98.64
मणिपुर	116.35	120.62	118.43	126.30	131.87	129.02	134.10	139.97	136.95
मेघालय	108.42	116.48	112.39	109.26	116.86	113.00	122.88	132.05	127.39
मिजोरम	138.71	134.22	136.51	137.37	131.80	134.63	125.08	122.03	123.59
नागालैंड	104.76	109.67	107.12	108.05	112.67	110.28	110.66	116.20	113.32
ओडिशा	97.22	96.07	96.66	98.17	96.95	97.57	99.34	97.49	98.44
पुदुचेरी	111.99	109.96	111.00	111.29	109.79	110.55	90.62	96.42	93.35
पंजाब	102.19	101.56	101.91	105.89	105.15	105.56	100.35	103.39	101.69
राजस्थान	94.17	91.58	92.95	97.64	94.60	96.21	96.74	94.01	95.46
सिक्किम	73.66	74.94	74.29	134.11	135.72	134.90	129.89	129.32	129.61
तमिलनाडु	105.45	105.54	105.50	105.67	106.69	106.16	100.31	101.44	100.86
त्रिपुरा	108.20	108.70	108.45	110.16	110.22	110.19	112.87	114.27	113.56
उत्तर प्रदेश	81.70	89.26	85.25	87.72	96.13	91.67	84.01	92.99	88.18
उत्तराखंड	92.87	95.76	94.23	95.34	98.82	96.97	94.40	96.21	95.26
पश्चिम बंगाल	104.14	110.74	107.36	104.52	110.76	107.56	99.28	105.62	102.37
सभी राज्य	93.32	96.32	94.75	95.55	98.60	97.00	95.11	99.09	97.00

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: महोदया, निस्संदेह, भारत की मध्याह्न भोजन योजना विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय-भोजन योजना है। 12 लाख प्राथमिक विद्यालयों के दस करोड़ स्कूली बच्चे इस भोजन से लाभान्वित हो रहे हैं। यह भारत सरकार के अंतर्गत सर्वाधिक सफल पात्रता योजनाओं में से एक है। तथापि, देश के कुछ भागों से विषाक्त भोजन और दूषित खाना दिए जाने के कुछ मामले सामने आए हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि बच्चों को स्वच्छ और पोषक खाना दिया जाए?

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय संसद सदस्य को बताना चाहती हूं कि मैं उनके द्वारा व्यक्त की गई चिंता यथा बच्चों को दिए जा रहे खाने की निगरानी और गुणवत्ता से सहमत हूं। एम.एच.आर.डी. के अंतर्गत स्थापित किए गए निगरानी तंत्र के संदर्भ में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि हमने स्थानीय स्तर पर निगरानी हेतु प्रबंध किए हैं जिसमें दैनिक आधार पर ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं के प्रतिनिधि, ग्राम शिक्षा समितियों, पी.टी.ए., विद्यालय प्रबंध समितियों के सदस्यों के साथ-साथ मदर्स समितियों द्वारा दिए जा रहे भोजन की नियमितता और संपूर्णता, गुणत्तापूर्ण और अच्छी सामग्री की खरीद में समय सीमा, भोजन पकाने और परोसने में साफ-सफाई, विविधतापूर्ण भोजन सारणी को लागू करने, सामाजिक और लैंगिक समानता की निगरानी की जानी है।

यह भी आवश्यक है कि आम जनता के लिए सूचना की इस जानकारी को सभी संस्थानों में प्रदर्शित किया जाए जिसमें प्राप्त खाद्यान्नों की मात्रा, प्राप्ति की तिथि, उपयोग किए जा चुके खाद्यान्नों की मात्रा, अन्य खरीद और उपयोग की गई सामग्रियों, मध्याह्न भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या और उन सामुदायिक सदस्यों के रोस्टर का उल्लेख हो जो उसकी निगरानी और पर्यवेक्षण कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से, मैं सभी माननीय संसद सदस्यों को बताना चाहती हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी संसद सदस्यों को लिखकर यह अनुरोध किया है कि वे जिला स्तर की उस समिति में शामिल हों जोकि वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के लिए स्थापित की गई है। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने पत्र लिखे हैं। आपको यह मिल जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: महोदया, मैंने पत्र लिखे हैं। यदि आप चाहें तो मैं आज सभा में व्यक्तिगत रूप से सभी सदस्यों को इसकी एक प्रति दे सकती हूं। ...*(व्यवधान)*

महोदया, यदि मुझे अपनी बात जारी रखने की अनुमति है, तो मैं सभी संसद सदस्यों से ध्यान देने का अनुरोध करती हूं कि वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति तिमाही आधार पर मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी कर सकती है और इस जिला स्तरीय विशेष टीम में सभी संसद सदस्य, राज्य विधान मंडल के सदस्य और जिला परिषद् के सदस्य शामिल होंगे। जिला अधिकारी इसके सदस्य-सचिव हैं जिन पर बैठक आयोजित करने का उत्तरदायित्व होगा।...*(व्यवधान)*

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: महोदया, जब स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रश्न हो तो केरल दूसरे राज्यों के लिए एक अनुकरणीय आदर्श मॉडल बन सकता है। मध्याह्न भोजन योजना को भी राज्य में एक सर्वाधिक अनुकरणीय तरीके से लागू किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न भागों में बच्चों को मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त दूध और अंडे भी दिए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय को राज्य में रसोई-सह-भंडारगृह के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए केरल राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो विशेषकर इस मामले में माननीय मंत्री द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को विशेष रूप से बताना चाहूंगी कि हमें केरल राज्य से, मध्याह्न भोजन के संबंध में, केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और वह भी प्रस्ताव के अपूर्ण होने के कारण पहली किस्त की शेष मात्रा को जारी नहीं किया जा सका।

जहां तक इस योजना के अंतर्गत रसोई उपकरणों और रसोई घर के निर्माण का संबंध है, जैसा कि संसद सदस्य

जानते हैं, रसोई उपकरणों का शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा खरीदा जाता है। जहां तक रसोईघर के निर्माण का संबंध है, अध्यक्ष महोदया आपके माध्यम से, मैं विशिष्ट तौर पर बताना चाहूंगी कि लागत को राज्यों के साथ 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है और केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के मामले में लागत को 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। मैं आपके माध्यम से, माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि हमें केरल राज्य से रसोईघर-सह-भण्डारगृहों के संबंध में कोई भी प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

माननीय अध्यक्षः श्री राजू शेट्टी - अनुपस्थित। श्रीमती रमा देवी।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवीः अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदया ने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हल कर दिया है, लेकिन जो परिस्थिति है वह सुधरनी चाहिए। मध्याह्न भोजन से लाभान्वित बच्चों की संख्या बढ़ी है। उनको किस तरीके से साफ-सुथरे ढंग से भोजन दिया जाए और उनको कैसे अच्छा भोजन मिल सके? हमारे बिहार प्रदेश में कई हिस्सों में मध्याह्न भोजन के अंतर्गत परोसे गए भोजन में विषाक्त भोजन पाया गया, जिसके फलस्वरूप हाल-फिलहाल में ही बच्चों की मृत्यु हुई है और काफी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे बीमार पड़ गए। ठेकेदार के माध्यम से अगर भोजन की प्रक्रिया अपनायी जाती है तो वहां पर ठेकेदार की कमाई होती है और अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इससे काफी तकलीफ पहुंचती है। मैं चाहती हूं कि सरकार के स्तर पर मध्याह्न भोजन की समीक्षा करायी जाए और इसमें सुधार किया जाए। इसे खाकर बच्चे बार-बार बीमार पड़ते रहते हैं। हम मंत्री जी से यही कहना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानीः अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को, सलाह देने के लिए धन्यवाद करती हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्षः उनका केवल सुझाव है।

श्री सुल्तान अहमद।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बहुत सारे सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमदः अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मंत्री महोदया ने सवाल के जवाब में मिड-डे-मील स्कीम के बारे में बताया है। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आज हमारी मंत्री देश में एक आदर्शशाली बहू के रूप में जानी जाती हैं।

माननीय अध्यक्षः आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सुल्तान अहमदः 'सास भी कभी बहू थी', मैंने इनके तमाम सीरियल देखे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती रंजीत रंजनः जी, नहीं, इसका यहां उल्लेख नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

कुमारी सुष्मिता देवः कृपया, यहां इस पर टिप्पणी न करें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुल्तान अहमदः मिड-डे-मील का जो क्वांटम है, क्वालिटी है, वह दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। तीन रुपए और कुछ पैसे एक बच्चे के खाने पर खर्च होते हैं। यह सरकार क्या आने वाले दिनों में इसके लिए कुछ करने जा रही है?

माननीय अध्यक्षः इसे बढ़ाना चाहिए।

श्री सुल्तान अहमदः एक बच्चे को तीन रुपए कुछ पैसे में भोजन कैसे कराया जाता है? इसकी क्वालिटी बहुत खराब है।

मानीय अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिए।

श्री सुल्तान अहमदः क्या कोई परिकल्पना है कि यह क्वांटम, क्वालिटी और जो तीन रुपए कुछ पैसे खर्च होते हैं, इसमें कोई बढ़ोत्तरी हो? इससे हम आने वाले दिनों

में देश के बच्चों को अच्छा खाना देकर स्वास्थ्य दे सकते हैं।

माननीय अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिए।

श्री सुल्तान अहमदः यह मिड-डे-मील इसीलिए शुरू हुआ था कि हमारे बच्चे स्कूल में जाएं, हमारे बच्चे खाली पेट न रहें। लेकिन यह देखा गया है कि हमारे बच्चे मिड-डे-मील लेने के बाद बीमार हो जाते हैं। इसके बारे में मंत्री महोदय ने क्या निर्णय लिया है?

[अनुवाद]

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानीः अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को विशेष रूप से बताना चाहूंगी और उन्हें यह जानकर खुशी भी होगी, कि कैलोरी मूल्यों में पिछला संशोधन 1 जुलाई, 2014 को हुआ था, जिसमें 7.5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई थी।

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के संबंध में, कैलोरी मूल्य का अनुसरण किया जाता है। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगी कि प्राथमिक कक्षाओं हेतु कैलोरी मूल्य - 450 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन है और उच्च प्राथमिक के लिए 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन है और कैलोरी मूल्य के आधार पर, 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक आधार पर मूल्यों में संशोधन किया जाता है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्षः श्रीमती रंजीत रंजन। केवल प्रश्न पूछिए, बहुत लंबा मत बोलिए।

श्रीमती रंजीत रंजनः अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मध्याह्न भोजन का मकसद बच्चों का पढ़ना था, आंकड़ों में आप 90 एबव परसेंटेज दिखा रहे हैं, स्पेशियली इन बिहार, मेरा क्वैश्चन यह है कि क्या वाकई में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं? मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं, आपने बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ऑलरेडी निगरानी कमेटी है, जिसके हम लोग चेयरमैन होते हैं।

जब पोशाक बांटने की बारी आती है तो उसमें बच्चों का प्रतिशत 35-40 प्रतिशत दिखाया जाता है। मध्याह् भोजन का परसेंटेज 100 प्रतिशत होता है। आपने मॉनिटरिंग की बात कही है। हम लोगों ने खुद जाकर देखा है कि बच्चे चौथी क्लास की परीक्षा दे रहे हैं और बच्चों को 'क' लिखना नहीं आ रहा है, उन्हें प्रश्न उतारना नहीं आ रहा है। जब हम लोगों ने अपने इलाके में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं, टीचर्स ही अंगूठा छाप हैं। हमारे मध्याह्न भोजन का मकसद था कि बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएं, न कि केवल भोजन कर के घर चले जाएं। क्या आप इसके बारे में जांच करेंगे कि जब आप कुछ दे रहे होते हैं तो उसका प्रतिशत 35 होता है। ...*(व्यवधान)* जब मध्याह्न भोजन की बात होती है तो उसका परसेंटेज 100 प्रतिशत होता है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः कृपया आप भाषण नहीं दीजिए। यह प्रश्न काल है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रंजीत रंजनः मैं रसोइए के बारे में भी कहना चाहती हूं कि रसोइए को 1000 रुपए की सैलरी मिल रही है। आपने बजट में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। क्या उस रसोइए की तनख्वाह को बढ़ाने का कोई प्रावधान आपके बजट में है?

[अनुवाद]

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानीः अध्यक्ष महोदया, मैं संसद की माननीय सदस्या को विशेष रूप से बताना चाहूंगी कि सभी राज्यों की तुलना में सकल प्रवेश अनुपात के संबंध में दी गई सूचना शिक्षा की एकीकृत जिला सूचना प्रणाली से ली गई है। जहां तक रसोईये-सह-सहायकों को दिए जाने वाले मानदेय का सवाल है, मैं कहना चाहूंगी कि यद्यपि मानदेय 1,000 रुपये की दर पर निर्धारित किया गया है, राज्य इसे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्रीमती रंजीत रंजनः क्या उनके वेतनों में वृद्धि करने के लिए आपके पास कोई योजना है?

डॉ. एम. तंबिदुरैः अध्यक्ष महोदया, भारत में मध्याह्न भोजन योजना के सफल कार्यान्वयन में तमिलनाडु सरकार

अग्रणी है। हमारी पार्टी के संस्थापक और नेता, पुराची तलैवर एम.जी.आर., ने गरीब छात्रों की सहायता के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की थी और स्कूलों में प्रवेश की संख्या में वृद्धि के रूप में इसका परिणाम आया था और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में भी तीव्रतर कमी आई है।

वर्तमान स्थिति में, हमारी माननीय मुख्यमंत्री डॉ. अम्मा इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले भोजन में कई और अन्य पोषक तत्त्वों को जोड़कर इसे लागू कर रही हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस योजना हेतु 100 प्रतिशत अनुदान देने हेतु आगे आयेंगी? इसके अतिरिक्त, हमारी माननीय मुख्य मंत्री कुछ अन्य योजनाओं जैसे–नोटबुक, कपड़े और अन्य चीजों को स्कूली छात्रों को नि:शुल्क प्रदान करना, को लागू कर रही हैं। क्या केन्द्र सरकार इन योजनाओं हेतु शत-प्रतिशत सहायता प्रदान करेगी? यही मैं जानना चाहता हूं।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि उनके गृह राज्य में चल रही इन उत्तम योजनाओं की मैं सराहना करती हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि उनके प्रश्न के संबंध में जो सुझाव दिए गए हैं उन पर पूरे अध्ययन के बाद कार्यवाही करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उस पर वित्तीय निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप सभी के पास बहुत सारे प्रश्न हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इस विषय पर चर्चा मांगिए। हम चर्चा के लिए अवसर दे देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इस मुद्दे को बजट में भी उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल: महोदया, हम आधे घंटे की चर्चा के लिए सूचना देंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप इस विषय पर चर्चा मांगिए। मैं इसके लिए अनुमति दे दूंगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

शैक्षिक दौरों के दौरान सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना

+

***124. श्री बी. श्रीरामुलु:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एक शैक्षिक दौरे पर गए अनेक छात्र हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी में बह गए थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बचाव अभियानों में प्रदान की गई सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा शैक्षिक दौरों के दौरान छात्रों और उनके साथ गए शिक्षकों द्वारा अनिवार्य सुरक्षा उपायों को अपनाए जाने के संबंध में शैक्षिक संस्थाओं को कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं या जारी किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय अपनाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा, संस्थान से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार, एक शैक्षिक/औद्योगिक

दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी में 24 विद्यार्थी बह गए थे।

(ख) दुर्घटना का समाचार सुनने के तुरंत बाद मानव संसाधन विकास मंत्री ने संबद्ध तकनीकी शिक्षा मंत्री सहित हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ संपर्क किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचाव कार्य तत्काल आरंभ हो। मानव संसाधन विकास मंत्री ने तत्काल ही दुर्घटना स्थल का दौरा भी किया और न केवल ऐसी कार्रवाई इत्यादि पर होने वाले खर्च को वहन करने का प्रस्ताव किया बल्कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.), राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एन.डी.आर.एफ.), भारतीय नौसेना और भारतीय सेना आदि के गोताखोरों और बचाव दलों को तैनात करने में भी अपेक्षित सहायता प्रदान की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारों ने भी दुर्घटना स्थल पर अपने मंत्रियों/उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजा ताकि हिमाचल प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग के तहत विभिन्न राज्य/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे बचाव कार्य और खोज की कार्रवाई को मॉनीटर किया जा सके। सरकारों ने एक साथ मिलकर विद्यार्थियों के माता-पिता को दुर्घटना स्थल पर लाने में सहायता की और बचाव और खोज की कार्रवाई के दौरान आवास और भोजन की भी व्यवस्था की। विद्यार्थियों के पार्थिव शरीर प्राप्त होने के पश्चात् प्रशासन ने उन्हें उनके घरों को भिजवाने में भी सहायता की।

(ग) और (घ) सरकार ने विनियामकों अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से भी कहा है कि वे भ्रमण/अध्ययन यात्रा पर जाने वाले विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करें।

[अनुवाद]

श्री बी. श्रीरामुलु: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हैदराबाद के 24 इंजीनियरिंग के छात्रों के हिमाचल प्रदेश के व्यास नदी में बह जाने की हृदय विदारक समाचार से सरकार अवगत है? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना के पीछे कारण को जानने के लिए कोई जांच कराई है? यदि हां, तो जांच समिति द्वारा दी गई सिफारिशें या सुझाव क्या हैं? क्या सरकार ने उन सुझावों के कार्यान्वयन हेतु कोई गंभीर कदम उठाए हैं?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आपको सेकेण्ड सप्लिमेंट्री के लिए समय मिलेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय संसद सदस्य को विशेष रूप से बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी ओर से तथा भारत सरकार की ओर से इस भयंकर त्रासदी के संबंध में संवेदनाएं व्यक्त की थीं। मैं चूंकि सदस्य ने इस घटना की जांच के संबंध में स्पष्ट रूप से पूछा है, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी, कि राज्य सरकार ने मंडी के मण्डल आयुक्त के अधीन एक जांच का आदेश दिया है जिसकी रिपोर्ट के अनुसार पानी के अचानक छोड़े जाने से डूबने की घटना हुई और तथ्य यह था कि भोंपू (हूटर) की आवाज छात्र नहीं सुन पाये। इस प्रतिवेदन को राज्य सरकार ने शिमला उच्च न्यायालय को दिया था जिसने मामले पर स्वयं संज्ञान लिया। शिमला उच्च न्यायालय ने अनुग्रह राशि के रूप में प्रत्येक को 5 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया जिसे संस्थान और बिजली बोर्ड द्वारा समान रूप से वहन किया जायेगा। संस्थान ने न्यायालय को 60 लाख रुपये का भुगतान किया और बिजली बोर्ड ने भी 62 लाख रुपये चुकाये। इस घटना के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गई है और जांच चल रही है।

श्री बी. श्रीरामुलु: मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान हमारे देश में शैक्षिक दौरों के दौरान छात्रों के मारे जाने की कितनी घटनाएं दर्ज हुई हैं? क्या सरकार द्वारा छात्रों की सुरक्षा हेतु शैक्षिक संस्थानों को कोई अनिवार्य सुरक्षा उपायों को जारी किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने वाले शैक्षिक संस्थानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो विस्तृत विवरण दें।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद से यह कहना चाहती हूं कि मेरे पास वर्ष 2014 और 2013 में घटी घटनाओं का ब्यौरा है। ऐसी 4 घटनाएं हैं।

27.05.2014 को एन.आई.टी. कुरुक्षेत्र में एक घटना घटी जिसमें पास की एक नहर में नहाने गया एक छात्र लापता हो गया था। वह अभी तक लापता है।

15.02.2014 को टेनिस कोर्ट की प्रैक्टिस वाल ढह गई जहां कुछ छात्र खेल रहे थे। शारीरिक रूप से अक्षम एन. आई.टी. कालीकट के एक छात्र की मृत्यु हो गई। इस संबंध में अंतरिम राहत दी गई है।

एन.आई.टी. सूरतखल में डूबने से एक छात्र की मृत्यु हो गई।

अध्यक्ष महोदया, फरवरी 2013 में आई.आई.टी. मुम्बई का एक छात्र झील में डूब गया। छात्र द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश करने के कारण ऐसा हुआ था।

कुमारी सुष्मिता देव: मंत्री महोदया, मैं इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए आपको बधाई देती हूं। मेरा यह मानना है कि वह महिलाओं के प्रति एक असंवेदनशील टिप्पणी थी और मुझे इस बात पर गर्व है कि आप जैसी महिला मंत्रालय में है। यद्यपि प्राथमिकी के संबंध में मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इन मामलों में जवाबदेही की कमी है। अत:, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे आपराधिक न्यायालयों की कार्यवाही पर ध्यान दें। अपराधियों को दंड दिया जाए क्योंकि कई बार किसी भी माता-पिता के लिए केवल मुआवजा देना पर्याप्त नहीं होता।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य द्वारा की गई टिप्पणी के लिए उनका धन्यवाद करती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि यद्यपि, अध्ययन दौरे के समय छात्रों की सुरक्षा के संबंध में वि. अ.आ. अधिनियम अथवा अ.भा.त.शि.प. अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, तथापि, हमने ए.आई.सी.टी.ई. और यू.जी. सी. की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया था जो मंत्रालय को छात्रों की सुरक्षा के संबंध में संस्थानों द्वारा किए जाने वाली एहतियाती उपायों के संबंध में अपनी सिफारिशें भेज रही है।

श्री बी. विनोद कुमार: महोदया, जून के पहले सप्ताह में मंडी में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। सभी छात्र तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से थे। इस घटना के तुरंत बाद मैं और मेरे साथ संसद सदस्य श्री जितेन्द्र रेड्डी तुरंत मंडी गए थे और बचाव कार्य देखने के लिए वहां कुछ समय रहे थे।

महोदया, 24 छात्रों में से अभी तक 4 शव बरामद नहीं हुए हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने विनियामक अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से यात्रा के दौरान छात्रों की सुरक्षा हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कहा था।

माननीय अध्यक्ष: कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री बी. विनोद कुमार: महोदया, पर्यटन के माध्यम से कुछ राज्य अच्छा राजस्व अर्जित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सहित हिमाचल क्षेत्र के राज्य काफी धनराशि अर्जित कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री बी. विनोद कुमार: यह मुद्दा काफी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि बचाव अभियान की निगरानी करने के लिए मैं कुछ समय वहां रहा था। मैंने हमारी सामने आई कठिनाइयों को महसूस किया। मैं सेना का धन्यवाद करता हूं, सेना ने शवों को निकालने में काफी सहायता की थी। महोदया, यह मानव निर्मित आपदा है। बांध से अकस्मात् पानी छोड़ दिया गया। गैर जिम्मेदार इंजीनियरों ने अचानक पानी छोड़ दिया जिसमें छात्र बह गए। देश के विभिन्न भागों से अनेक छात्र अध्ययन दौरों हेतु पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश और अन्य हिमालयी राज्य में जाते हैं। उक्त राज्यों को कम से कम कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए। वहां सड़कें तक सुरक्षित नहीं हैं। भारत सरकार को पर्यटन के माध्यम से अच्छा राजस्व अर्जित कर रहे राज्यों को ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में निवारक कदम उठाने के निर्देश देने चाहिए।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद को यह बताना चाहती हूं कि इस दुर्घटना में मरने वाले छात्रों के अलावा आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले से कुछ बच्चों के साथ एक टूर ऑपरेटर भी वहां मौजूद था। वह भी इस दु:खद घटना का शिकार

हुआ। यदि वह मांग करते हैं तो मृतक छात्रों के शव बरामद होने का तिथिवार ब्यौरा माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि सांसदों द्वारा व्यक्त की गई चिंता में मैं भी शामिल हूं। मंत्रालय को भेजी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश यह भी है यदि सार्वजनिक स्थलों, बांधों, शहरों, विद्युत संयंत्रों, समुद्री पुलों का दौरा किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित प्राधिकारियों को एक लिखित पत्र दिया जाना चाहिए। मंत्रालय को ये सिफारिशें प्राप्त हुई हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग

\+
***125. श्री जैदेव गल्ला:**
श्री रवनीत सिंह:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पुरानी हो चुकी प्रौद्योगिकियों, संयंत्रों और मशीनरी के साथ कार्य कर रहे हैं; .

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस क्षेत्र के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अवसंरचना को बढ़ावा देने/इसके विकास और इसकी प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) जी, हां। एम.एस.एम.ई. द्वारा प्रौद्योगिकी का उन्नयन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी और वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है।

अवसंरचना के संवर्धन/विकास के लिए एम.एस.एम.ई. मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-कलस्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.ई.सी.डी.पी.) योजना सहित 51 उप-क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी.एल.सी.एस.एस.) कार्यान्वित कर रहा है जिसकी सूची संलग्न अनुबंध-I में दी गई है। इस प्रयोजन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में एम.एस.एम.ई. को दी गई वित्तीय सहायता सहित ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

एम.एस.एम.ई. से संबंधित क्षेत्रों में देश भर में प्रौद्योगिकी सहयोग और कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराने के लिए एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने 18 प्रौद्योगिकी केन्द्र (टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र) स्थापित किए हैं।

मंत्रालय ने 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्र (टी.सी.) स्थापित करके तथा नेटवर्क का विस्तार करने और उसे उन्नत बनाने के लिए विद्यमान टी.सी. को उन्नत बनाकर 'प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम' (टी.सी.एस.पी.) प्रारंभ किया है जिससे एम.एस.एम.ई. को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान की जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विनिर्माण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को बेहतर बनाना, कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता तथा एम.एस.एम.ई. के लिए तकनीकी परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था करने की सुविधा उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा, यह मंत्रालय एम.एस.एम.ई. के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (एन.एम.सी.पी.) के तहत प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम (टी.ई.क्यू.यू.पी.), डिजाईन क्लीनिक स्कीम और इंक्यूबेशन स्कीम भी कार्यान्वित कर रहा है।

अनुबंध-I

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सी.एल.सी.एस.एस.) अनुमोदित उप क्षेत्रों की सूची

1	2
1.	बायोटेक उद्योग
2.	कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
3.	कोरुगेटेड बॉक्स
4.	ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स
5.	डाई और इंटरमीडिएट्स
6.	औषधीय और सुगंधित पौधों पर आधारित उद्योग
7.	प्लास्टिक मोल्डेड/एक्स्ट्रूडेड उत्पाद और पार्ट/कंपोनेंट
8.	साइकिल/रिक्शा टायर सहित रबर प्रोसेसिंग
9.	खाद्य प्रसंस्करण (आईसक्रीम विनिर्माण सहित)
10.	पोल्ट्री हैचरी और कैटल फीड उद्योग
11.	डाइमेंशनल स्टोन इंडस्ट्री (खदान और खनन को छोड़कर)
12.	टाइल्स सहित ग्लास और सिरेमिक्स की वस्तुएं
13.	फुटवियर और वस्त्र सहित चमड़ा और चमड़े के उत्पाद
14.	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे परीक्षण, मापन और संयोजन/विनिर्माण, औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण, विश्लेषणात्मक, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता व संचार उपकरण आदि।
15.	फैन व मोटर उद्योग
16.	जनरल लाइट सर्विस (जी.एल.एस.) लैंप
17.	सूचना प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर)
18.	मिनरल फिल्ड शीथ्ड हीटिंग एलिमेंट्स

1	2
19.	ट्रांसफार्मर/इलेक्ट्रिकल स्टैंपिंग्स/लेमिनेशन/कॉयल/सोलेनॉयड कॉयल सहित चोक
20.	वायर और केबल उद्योग
21.	ऑटो पार्ट एंड कंपोनेंट
22.	साइकिल के पार्ट्स
23.	कंबशन यंत्र/उपकरण
24.	फोर्जिंग व हैंड टूल्स
25.	फाउंड्री-स्टील और कास्ट आयरन
26.	जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स
27.	गोल्ड प्लेटिंग और ज्वेलरी
28.	ताले
29.	स्टील फर्नीचर
30.	खिलौने
31.	नॉन-फेरस फाउंड्री
32.	खेल उत्पाद
33.	सौंदर्य उत्पाद
34.	तैयार वस्त्र
35.	लकड़ी के फर्नीचर
36.	मिनरल वाटर की बोतल
37.	पेंट, वार्निश, एल्काइड और एल्काइड उत्पाद
38.	कृषि औजार और पोस्ट हारवेस्ट उपकरण
39.	ग्रेफाइट और फॉस्फेट का बेनिफिशिएशन
40.	खादी व ग्रामोद्योग
41.	कॅयर और कॅयर उत्पाद
42.	स्टील री-रोलिंग और/या पैंसिल इनगोट निर्माता उद्योग

1	2
43.	जिंक सल्फेट
44.	वेल्डिंग इलेक्ट्रोड
45.	सिलाई मशीन उद्योग
46.	औद्योगिक गैस
47.	प्रिंटिंग उद्योग
48.	मशील टूल्स
49.	कॉपर स्ट्रिप उद्योग
50.	फेरिक और नॉन फेरिक एलम
51.	पेस्टिसाइड फॉरमूलेशन

अनुबंध-II

ब्यौरे और खर्च का विवरण

(क) सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.ई.-सी.डी.पी.)

सरकार ने, डायग्नोस्टिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करके, सॉफ्ट इंटरवेंशन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, हार्ड इंटरवेंशन/सामान्य सुविधा केंद्रों (सी.एफ.सी.) और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के द्वारा एम.एस.ई. के इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करने, उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धी क्षमता में सुधार के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.ई.-सी.डी.पी.) आरंभ किया है।

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (30.06.2014 तक)
खर्च (करोड़ रुपए में)	30.77	23.44	47.07	16.18

(ख) क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी.एल.सी.एस.एस.)

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी.एल.सी.एस.एस.) का उद्देश्य 15% पूंजी सब्सिडी (अधिकतम 15 लाख रुपए) प्रदान कर सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के टेक्नोलॉजी उन्नयन को सुगम बनाना है।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	बैंक/एजेंसी का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (30.06.2014 तक)	
		इकाइयां	सब्सिडी	इकाइयां	सब्सिडी	इकाइयां	सब्सिडी	इकाइयां	सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सिड्बी	1547	97.15	2534	156.10	2976	211.36	381	20.8
2.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	359	28.00	652	47.86	1085	75.94		
3.	केनरा बैंक	239	14.01	353	20.81	299	15.92		
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा	459	33.69	356	19.87	452	28.64	152	10.7
5.	पंजाब नेशनल बैंक	116	8.23	486	30.15	397	23.53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	बैंक ऑफ इंडिया	204	10.00	648	33.24	468	29.09		
7.	आन्ध्रा बैंक	111	8.63	30	2.20	44	3.92		
8.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	42	3.38	150	7.39	139	9.93		
9.	टी.आई.आई.सी.	89	3.59	287	12.14	231	10.90		
10.	नाबार्ड	82	4.95	225	14.00	188	12.23	12	4.20
	कुल	3248	211.63	5721	343.76	6279	421.46	545	35.7

श्री जैदेव गल्ला: महोदया, माननीय मंत्री जी ने एम.एस.ई.-सी.डी.जी., सी.एल.सी.एज.एस., टी.सी.एस. और टी.ई.क्यू.यू.जी. आदि जैसी हमारी योजनाओं को सूचीबद्ध किया है। परन्तु इन सबके बावजूद एम.एस.एम.ई. की चौथी अखिल भारतीय गणना के अनुसार केवल 12.3 प्रतिशत एम.एस.एम.ई. ही विदेशों से अथवा घरेलू सहयोगी कंपनियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अथवा तकनीकी जानकारी का उपयोग कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि उपरोक्त योजनाओं को या तो समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है अथवा वे केवल कागजों में ही हैं क्योंकि उनके परिणाम नहीं आ रहे हैं। अत:, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वह कार्यान्वयन में खामियों को दूर करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। दूसरे, उनका मंत्रालय पूंजीगत राजसहायता की अपफ्रंट पूंजी राजसहायता की वर्तमान अधिकतम सीमा अथवा 15 लाख रुपये इनमें से जो भी कम हो, को तकनीकी उन्नयन के लिए बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रहा है?

[हिन्दी]

श्री कलराज मिश्र: महोदया, यह बात सही है कि एम.एस.एम.ईज की 10 करोड़ रुपये की लिमिट है, इसलिए जो टेक्नोलॉजी है, मशीन हैं, यह बात सही है कि वे समय-समय पर खराब होती रहती हैं। लेकिन उसके अपग्रेडेशन के लिए लगातार एम.एस.एम.ईज मंत्रालय की तरफ कार्य होता रहता है। हमने इस दिशा में कार्य किया है। इसमें क्रेडिट, लिंक, कैपिटल, सब्सिडी स्कीम्स हैं, जिसके माध्यम से हम इस काम को करते हैं। विभिन्न नेशनल मैनुफैक्चरिंग कम्पीटिटिवनेस प्रोग्राम हैं, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी हम इन सारी चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं।

जैसे आपने बताया कि जनगणना के अंतर्गत कम प्रतिशत है, तो यह बात सही है कि हमारे यहां जिस तरह से कार्य होना चाहिए, उतना नहीं हो पाया है। उसे हम और अधिक करने का प्रयास कर रहे हैं। उस दिशा में हमने कई काम किये हैं, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है, उसके उत्तर में, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इसके मशीन अपग्रेडेशन के लिए लगातार हमारी तरफ से प्रयत्न चल रहा है, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। उसे हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी करते हैं।

[अनुवाद]

श्री जैदेव गल्ला: मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि एम.एस.एम.ई. की चौथी और अंतिम गणना के अनुसार इनमें 93.09 लाख लोग कार्यरत हैं और कृषि के बाद यह रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र का स.घ.उ. में आठ प्रतिशत से अधिक योगदान है तथा विनिर्मित उत्पादन में इसका योगदान लगभग 45 प्रतिशत तथा निर्यात में 40 प्रतिशत योगदान है। परन्तु एम.एस.एम.ई. द्वारा इसकी

परिभाषा की समीक्षा करने की मांग की जा रही है वे संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वह सूक्ष्म उद्योगों के लिए निवेश की सीमा 1.5 करोड़ रुपए, लघु उद्योगों हेतु 25 करोड़ रुपए और मध्यम उद्योगों हेतु 50 करोड़ करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री कलराज मिश्र: अध्यक्ष महोदया, मैं इस संबंध में माननीय सदस्य से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार का जो बजट आया है, उसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एम.एस. एम.ईज के डेफीनेशन को रीडिफाइन करने का प्रयत्न किया है और कैपिटल लिमिट आगे बढ़े, इसके लिए भी एक कमेटी बनायी है। उस कमेटी में एम.एस.एम.ईज., फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके द्वारा हमें समय-समय पर जो जरूरतें होंगी, उसे पूरा करेंगे। एम.एस.एम.ईज. मूलतः इम्प्लायमैंट जनरेशन के साथ-साथ इंटरप्रिन्योर्स को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे सके, इस दृष्टि से व्यवस्था की गई है। उस दिशा में हम अधिकाधिक आगे बढ़ सकें, इसके लिए भी हमने प्रयत्न किया है और साथ ही साथ हमने यह भी प्रयास किया है कि एम.एस.एम.ईज. में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थिति निर्माण कर सकें इसके लिए विभिन्न स्थानों पर नॉलेज डायवर्जन्स की स्थिति है, वहां भी जा रहे हैं और एम.एस.एम.ई. को उधर आकृष्ट करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं।

श्री रवनीत सिंह: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मेरे कुलीग ने बताया कि एम.एस.एम.ई. भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तम्भ है। जोकि आठ प्रतिशत देश के जी. डी.पी. में और 45 प्रतिशत मैन्यूफैक्चरिंग आउटपुट में और लगभग 40 प्रतिशत एक्सपोर्ट्स में है। यदि बात करें तो ये एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में देती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि दो करोड़ सत्तर लाख एम.एस.एम.ईज. के मॉडर्नाइजेशन की अर्जेंट नीड है। यदि मैं खासतौर पर अपने संसदीय क्षेत्र लुधियाना की बात करूं, जहां पर लुधियाना, मंडी और गोविन्दगढ़ में एक बड़ा कलस्टर है, ज्यादातर एम.एस.एम. ई. पुरानी हो चुकी तकनीकों का उपयोग कर रही हैं और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, इतनी बड़ी जगह भी नहीं है, जिसके ऊपर वे लोन ले सकें और इतना लोन उन्हें मिलता भी नहीं है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए जो टर्म्स हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी पर, खासतौर पर सेकेंड-हैंड मशीनरी, क्योंकि जो उसके ऊपर 40 से 60 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी है, क्या मंत्री जी उनकी सहायता के लिए सेकेंड-हैंड मशीनरी पर, ताकि वे अपनी मशीनरी को अपग्रेड कर सकें, उसके ऊपर खासतौर से इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने की कोई योजना बना रहे हैं? खासतौर से मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है। आप आने वाले दिनों में जरूर पंजाब और लुधियाना में अपना प्रोग्राम रखें और उनकी जो मुश्किलें हैं, वे हल हो सकें, मैं आपसे ऐसी आशा रखता हूं।

श्री कलराज मिश्र: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, यह बात सही है कि आउट-डेटेड मशीनरी के उपयोग के कारण हमारे इस प्रकार के उद्योग काफी मंद गति से चल रहे हैं, लेकिन उनके मशीनरी के अपग्रेडेशन के लिए हमारी तरफ से निरंतर प्रयत्न जारी है। हम उस हिसाब से जो भी तर्कसंगत फॉर्मैलिटिज पूरी कर लेते हैं, उनको हमने इन योजनाओं के माध्यम से, जिनका मैंने पूर्व में उल्लेख किया था, उसके द्वारा हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इस बजट के अंतर्गत, जो अभी आपने इम्पोर्ट ड्यूटी और बाकी सारी चीजों के बारे में बताया है, उन सारी चीजों का सरलीकरण करने का भी प्रयास किया गया है और हम भी इस दिशा में सोच रहे हैं जिससे इस पर विचार करके कर सकें।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: अध्यक्ष महोदय, खादी का स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान था। खादी के द्वारा ही देश की आजादी के बहुत-से स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए थे। सारे देश में खादी ग्रामोद्योग के जितने कारोबार हैं, सब ठप्प हैं। उनकी सम्पत्तियों का जैसे-तैसे लोग अतिक्रमण करते जा रहे हैं। उसमें जो उनकी तकनीक थी, क्या उस प्राचीन तकनीक, परम्परागत तकनीक को आधुनिक बनाकर के उसके अपग्रेडेशन, मोडिफिकेशन एंड मोडर्नाइजेशन, ये तीन प्रक्रियाओं में लाकर खादी ग्रामोद्योग को आज की प्रतिस्पर्धा के युग में खड़ा करना, उनकी परिसम्पत्तियों की रक्षा करना और जहां-जहां उत्पादन केन्द्र बंद हो गये थे, उन उत्पादन केन्द्रों को चलाकर हिन्दुस्तान के ग्रामीण क्षेत्र

की करोड़ों महिलाओं के हाथ में रोजगार देने के लिए क्या सरकार की कोई विशेष योजना है?

श्री कलराज मिश्र: यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है तथापि मैं कहना चाहूंगा कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो परम्परागत उद्योग हैं, उनके लिए खादी बोर्ड के अंतर्गत एक स्फूर्ति स्कीम चल रही है, उसके माध्यम से हम उस उद्योग को अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसके लिए मशीनों के अपग्रेडेशन करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने प्रश्न के खण्ड डी और ई का जवाब नहीं दिया है। इनमें से एक में राज्यवार और यूनियन टेरिटरीवाइज ब्यौरा मांगा गया था। एम.एस.एम.ई. के बारे में आप देखेंगे, बैंकों का जो ब्यौरा दिया गया, खासकर जो कैपिटल सब्सिडी है, उसमें राज्यवार ब्यौरा देना चाहिए क्योंकि क्षेत्रीय इम्बैलेंस हो रहा है। इसी तरह से खण्ड ई में पूछा गया था कि इसको सुधारने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने जो ब्यौरा दिया है, वह आज की स्थिति के बारे में है, लेकिन इसको सुधारने के लिए क्या कदम लिए गए हैं, उनके बारे में जवाब नहीं दिया है? क्या मंत्री जी अब कृपा करके उसका जवाब सदन को देंगे?

श्री कलराज मिश्र: महोदया, मैं पूर्व में ही जवाब दे चुका हूं कि मशीन के अपग्रेडेशन की हमारी सतत प्रक्रिया चलती रहती है और इसको सुधारने की दृष्टि से लगातार आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं और इस दिशा में मंत्रालय भी प्रयत्न कर रहा है।

[अनुवाद]

ई-कचरा प्रबन्धन

\+
***126. श्री दुष्यंत चौटाला:**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्प्यूटर, टी.वी., मोबाइल फोनों और रेफ्रिज़ेरेटरों सहित घरेलू ई-कचरे में बड़ी मात्रा में जहरीले पदार्थ होते हैं जिससे मृदा और भूमिगत जल संदूषित हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे की मात्रा कितनी है;

(ग) देश में औद्योगिक और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए क्या नीति/नियम बनाए गए हैं;

(घ) क्या ई-कचरा प्रबंधन के संबंध में बनाए गए नियमों का बड़ी संख्या में बड़ी औद्योगिक इकाइयों और सरकारी उद्यमों द्वारा उल्लंघन किए जाने का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या निगरानी तंत्र विद्यमान हैं और त्रुटिकर्ता उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में ई-कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिक यन्त्रों के निर्माण में लेड, मर्करी, कैडमियम, हैक्सावैलेन्ट क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटिड बाइफिनाइल्स और पॉलीब्रोमिनेटिड डाइफिनाइल इथर्स जैसे विषैले घटकों का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरणीय दृष्टि से स्वस्थ तरीके से शोधन किए बिना ऐसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से ई-अपशिष्ट का निपटान करने से मिट्टी तथा भू-जल के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रभावित हो सकते हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2005 में कराये गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 1,46,800 मीट्रिक टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था।

(ग) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 1 मई, 2012 से प्रभावी हैं और ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूर संचार उपकरणों तथा उपभोक्ता इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न ई-अपशिष्ट पर लागू होते हैं। ये नियम इलैक्ट्रिकल तथा इलैक्ट्रॉनिक

उपकरणों अथवा इन नियमों के अंतर्गत अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट घटकों के निर्माण, बिक्री, खरीद और प्रसंस्करण में लगे उत्पादकों, उपभोक्ताओं, संग्रहण केंद्रों, भंजकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं पर लागू होते हैं। इन नियमों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की अवधारणा को शामिल किया गया है जिसके अनुसार उपकरणों के कार्यकाल की समाप्ति पर उत्पन्न हुए ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से स्वस्थ प्रबंधन के लिए उत्पादक जिम्मेवार होंगे।

(घ) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 के नियम 14 और अनुसूची III के अनुसार प्राधिकृत किये जाने तथा पंजीकरण किये जाने संबंधी शर्तों के अनुपालन की मॉनीटरिंग का कार्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों का क्षेत्राधिकार है। मंत्रालय को औद्योगिक इकाइयों तथा सार्वजनिक उद्यमों द्वारा इन नियमों का व्यापक पैमाने पर उल्लंघन किए जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ङ) देश में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन को सरल बनाने के उद्देश्य से इस मंत्रालय द्वारा 'खतरनाक पदार्थों हेतु प्रबंधन संरचना का सृजन' नामक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा क्षमता निर्माण के कार्यकलापों के लिए और ई-अपशिष्ट के लिए एकीकृत पुनर्चक्रण सुविधा स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, ई-अपशिष्ट नियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश भी बनाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। जो जवाब सरकार द्वारा दिया गया है, उससे यह मालूम होता है कि आज भी हमारे देश में 14 लाख 68 हजार मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रतिवर्ष जेनरेट होता है, जिसके तहत लेड, मर्करी, कैडमियम, हैक्सावेलेंट, क्रोमियम, पॉलीब्रॉमिनेटेड बाईफिनाइल्स जैसी अन्य वस्तुएं निकलती हैं जिनसे लीवर, किडनी एवं न्यूरोलॉजिकल बीमारियां फैलती हैं। इस साल एसोचैम द्वारा कराए गए एक सर्वे से पता चलता है कि लगभग साढ़े चार लाख बच्चे, जो दस से 14 साल की आयु के हैं, वे आज भी ई-वेस्ट की रिसाइक्लिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। क्या सरकार वहां पर कोई व्यवस्था बनाएगी और इन लगभग साढ़े चार लाख बच्चों को रेस्क्यू कराने का काम करेगी?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अहम विषय को उठाया है। ई-वेस्ट के बारे में, चाहे वह इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, हम सारे उपकरण उपयोग करते हैं, लेकिन उसके वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति पहले किसी को ध्यान नहीं था। वर्ष 2011 में इसके रूल्स बने हैं और यह दिन-ब-दिन बढ़ रहा है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपयोजन भी बढ़ रहे हैं। इसलिए आपने जो सवाल पूछा है, जो रिसाइकिलिंग के मान्यता प्राप्त केन्द्र हैं, उन केन्द्रों में 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं हैं, लेकिन एक सच्चाई है कि ऑफिशियल रिसाइकिलिंग सेन्टर्स से बाहर, लोग जो कंप्यूटर, मोबाइल आदि कहीं देते हैं, वे सामान वहां से कहीं और जाते हैं, जो ऐसे अनअथराइज्ड केन्द्र चलते हैं और यह रैग-पिकर्स से फिर आगे जाता है, उनमें ऐसे बच्चे हो सकते हैं, तो इसके बारे में सरकार बहुत सचेत है। जो संबंधित मंत्रालय हैं, उनसे भी हम विचार कर रहे हैं क्योंकि ई-वेस्ट की डीलिंग से सबको तकलीफ होने वाली है। हमने रिसाइकिलिंग को प्रॉपर प्रोसेस से ही एलाऊ किया है, ऐसे सेन्टर्स की लिस्ट हमारे पास है, जिसे मैं सदन के पटल पर रख दूंगा, उनमें ये बच्चे काम नहीं करते हैं, लेकिन जो अनअथराइज्ड काम होता है, उसके बारे में भी सरकार ठीक कदम उठाएगी।

माननीय अध्यक्ष: शॉर्ट में प्रश्न पूछिए, समय समाप्त हो रहा है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदया, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज जगह-जगह अपने सर्विस सेन्टर्स खोलने लगी हैं। हर बड़े शहर, मेट्रो सिटीज में तो हैं ही, छोटे शहरों में भी उन्होंने सर्विस सेन्टर्स खोलने शुरू कर दिए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उन सर्विस सेन्टर्स में भी ई-वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई प्रावधान मैंडेटरी करने का काम करेगी जिससे ये जो साढ़े चार लाख छोटे बच्चे हैं, जो 10 से 14 वर्ष की आयु के हैं, उन पर इस तरह का अत्याचार न हो?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी-बड़ी कंपनियों,

पी.एस.यूज को भी बताया गया है और सारे प्रोड्यूसर्स, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं, वे रूल्स के तहत जिम्मेदार हैं और रिसाइकिलिंग की उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए वे बायबैक अरेंजमेंट करें। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इसकी निगरानी पर काफी ध्यान दिया जाएगा और इस तरह के जो ई-वेस्ट के 100 केन्द्र हैं, वे अलग हैं। इनके सिवा जो बड़े-बड़े सेंटर्स हैं, उन्हें कहा गया है कि उनकी खुद की भी फैसेलिटी होनी चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत सारे पी.एस.यूज ने जैसे भेल, एन.टी.पी.सी., ओ.एन.जी.सी. तथा अन्य ने भी इस बारे में काफी अच्छी पहल की है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भूमि उपयोग संबंधी मानदंडों में सुधार

***127. श्री बैजयंत जे. पांडा:** क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोगों/किसानों द्वारा भू-जोत अधिकारों पर प्रतिबंध सहित भूमि उपयोग संबंधी मानदंडों के बारे में किन्हीं विशिष्ट बाधाओं का सामना किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मानदंडों को सीमित किए जाने से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भू-स्वामियों के लिए संस्थानिक ऋण की उपलब्धता में रुकावटें पैदा हो रही हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भूमि उपयोग संबंधी मानदंडों में विशिष्ट सुधार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) जैसाकि भूमि संसाधन विभाग ने सूचित किया है, भूमि और उसका प्रबंधन संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के प्रावधानों के अनुसार राज्यों के अनन्य विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोगों/किसानों द्वारा भू-जोत अधिकारों पर प्रतिबंध सहित भूमि उपयोग संबंधी मानदंडों के बारे में किन्हीं विशिष्ट बाधाओं का सामना किए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भू-स्वामियों के लिए संस्थानिक ऋण की उपलब्धता में रुकावट के बारे में भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) ऊपर दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

परमाणु ईंधन की कमी

***128. श्री एन. क्रिष्टप्पा:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में परमाणु संयंत्रों के लिए ईंधन की कमी नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को प्रभावित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान यूरेनियम के आयात पर देश-वार कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति हेतु मानदंडों को सरल बनाया है/शिथिल किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में नाभिकीय संयंत्रों को यूरेनियम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

वर्तमान में, देश में 4780 मेगावाट स्थापित उत्पादन क्षमता वाले 20 नाभिकीय विद्युत रिएक्टर वाणिज्यिक रूप से उत्पादन कर रहे हैं। पृथक्करण योजना के अंतर्गत, हमारे वाणिज्यिक रूप से प्रचालनरत दस रिएक्टर वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के सुरक्षोपायों के अधीन रखे गए हैं और उनमें आयातित ईंधन काम में लाया जा सकता है। ये रिएक्टर हैं, रावतभाटा, राजस्थान में अवस्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर-यूनिट-1 से 6, काकरापार, गुजरात में काकरापार परमाणु बिजलीघर-यूनिट-1 तथा 2, और तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु बिजलीघर यूनिट-1 तथा 2। इनमें से, एक रिएक्टर, रावतभाटा, राजस्थान में अवस्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर - यूनिट-1 (100 मेगावाट), तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए विस्तारित शट-डाउन की अवस्था में है। शेष 09 रिएक्टर सामान्यतः अपनी पूर्ण क्षमता पर प्रचालन करते हैं। इसके अतिरिक्त, कुडनकुलम, तमिलनाडु में अवस्थित कुडनकुलम यूनिट-1 तथा 2 भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के सुरक्षोपायों के अधीन हैं।

दस नाभिकीय विद्युत रिएक्टर नामतः कैगा, कर्नाटक में अवस्थित कैगा विद्युत उत्पादन केन्द्र- यूनिट-1 से 4; नरोरा, उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु बिजलीघर- यूनिट-1 तथा 2; कलपाक्कम, तमिलनाडु में मद्रास परमाणु बिजलीघर- यूनिट-1 तथा 2; और तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु बिजलीघर-यूनिट-3 तथा 4 में स्वदेशी यूरेनियम को उपयोग में लाया जाना जारी है। स्वदेशी यूरेनियम की मांग और आपूर्ति में बेमेलता की वजह से, इन रिएक्टरों द्वारा उत्पादित कुल विद्युत, सामान्यतः उनकी 2840 मेगावाट की सकल स्थापित क्षमता से कम होती है। तथापि, देश में यूरेनियम के अन्वेषण के लिए किए गए व्यापक कार्य के बाद, भारतीय खानों से यूरेनियम की आपूर्ति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है और तद्नुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दस रिएक्टरों के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में यूरेनियम के आयात पर किया गया व्यय, देश-वार निम्नानुसार है :

वर्ष	जे.एस.सी. टी.वी.ई.एल. कॉरपोरेशन, रूस से प्राकृतिक यूरेनियम डाईऑक्साइड गुटिकाएं		एन.ए.सी. कजाटॉमप्रॉम, कजाखिस्तान से यूरेनियम अयस्क सांद्र	
	आयातित मात्रा (मीटरी टन)	उतराई तक लागत (करोड़ रुपए में)	आयातित मात्रा (मीटरी टन)	उतराई तक लागत (करोड़ रुपए में)
2011-12	295.0	440.83	350.0	318.24
2012-13	295.0	444.60	402.5	414.67
2013-14	295.0	537.26	460.0	375.11
2014-15	118.0	144.26	-	-

(ग) जैसा कि आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा 17 अक्तूबर, 2012 को भारत के राज्य दौरे के दौरान दिए गए संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा गया था, आस्ट्रेलिया से अन्य देशों को यूरेनियम की बिक्री करने के लिए, द्विपक्षीय असैन्य नाभिकीय सहकार करार एक पूर्वापेक्षा है। प्रस्तावित द्विपक्षीय असैन्य नाभिकीय सहकार करार के संबंध में आस्ट्रेलिया के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया गया है।

(घ) स्वदेशी स्रोतों में वृद्धि करने के लिए देश में यूरेनियम के अन्वेषण हेतु किए गए व्यापक कार्य के साथ ही, भारतीय खानों से यूरेनियम की आपूर्ति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। अब तक परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (ए.एम.डी.) द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में 1,70,329 मीटरी टन यूरेनियम के बराबर 2,11,473 मीटरी टन U_3O_8 का पता लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका के साथ 10.10.2008 को असैन्य नाभिकीय सहकार करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.), पृथक्करण योजना

के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षोपायों के अधीन वाले नाभिकीय रिएक्टरों के लिए ईंधन की आपूर्ति करने हेतु यूरेनियम अयस्क का आयात करता रहा है। इस कार्य के एक भाग के रूप में, मैसर्स अरेवा, फ्रांस (वर्ष 2008 के दौरान), मैसर्स जे.एस.सी. टी.वी.ई.एल. कॉरपोरेशन, रूस (वर्ष 2009 के दौरान), मैसर्स एन.ए.सी. कजाटॉमप्रॉम, कजाखिस्तान (वर्ष 2009 के दौरान) तथा मैसर्स एन.एम. एम.सी., उजबेकिस्तान (वर्ष 2013) के साथ संविदागत करारों पर हस्ताक्षर किए गए। यूरेनियम का आयात किए जाने के परिणामस्वरूप, पृथक्करण योजना के अंतर्गत सुरक्षोपायों वाले नाभिकीय रिएक्टर अपने इष्टतम स्तर पर प्रचालन कर रहे हैं। निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, यूरेनियम की आपूर्ति हेतु विदेशी संभरकों के साथ दीर्घावधि करारों पर हस्ताक्षर करने और एक भंडार तैयार करने की योजना बनाई गई है।

महिला साक्षरता

***129. श्रीमती पूनमबेन माडमः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्यों में महिला साक्षरता काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और लिंग-वार मौजूदा साक्षरता दर क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में महिला साक्षरता में सुधार लाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) दस राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र नामतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा दादरा और नगर हवेली में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत महिला साक्षरता दर से कम है। विभिन्न कारक यथा निर्धनता, लैंगिक और सामाजिक विषमताएं आदि देश में महिला साक्षरता में बाधक बन रहे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और लैंगिक साक्षरता दर को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) देश में महिला साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए सरकार उन सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्तूबर, 2009 से साक्षर भारत कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार प्रौढ़ महिला साक्षरता दर 50% और इससे कम थी, इसमें वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले भी शामिल हैं, चाहे उनकी साक्षरता दर कुछ भी हो। योजना का लक्ष्य वंचित समूहों पर विशेष ध्यान देते हुए 60 मिलियन महिलाओं सहित 70 मिलियन प्रौढ़ निरक्षर हैं। इसके अतिरिक्त, 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के तहत सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) कार्यान्वित कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं; जिनमें पास-पड़ोस में स्कूल खोलना, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, निःशुल्क वर्दियां, लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम, महिलाओं के प्रति संवेदनशील शिक्षण-अधिगम सामग्री आदि शामिल हैं। इसके अलावा, लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था करने के लिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े उन ब्लॉकों में जहां ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) खोले गए हैं।

मुस्लिमों सहित वंचित समूहों में महिला साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम होने के कारण मुस्लिम प्रौढ़ों में महिला साक्षरता दर बढ़ाने के लिए फरवरी, 2014 से मौलाना आजाद तालीम-ए-बालिगान नामक लक्ष्य केंद्रित कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	साक्षरता दर		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
	भारत	**72.99**	**80.89**	**64.64**
1.	आंध्र प्रदेश	67.02	74.88	59.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	65.38	72.55	57.70
3.	असम	72.19	77.85	66.27
4.	बिहार	61.80	71.20	51.50
5.	छत्तीसगढ़	70.28	80.27	60.24
6.	गोवा	88.70	92.65	84.66
7.	गुजरात	78.03	85.75	69.68
8.	हरियाणा	75.55	84.06	65.94
9.	हिमाचल प्रदेश	82.80	89.53	75.93
10.	जम्मू और कश्मीर	67.16	76.75	56.43
11.	झारखण्ड	66.41	76.84	55.42
12.	कर्नाटक	75.36	82.47	68.08
13.	केरल	94.00	96.11	92.07
14.	मध्य प्रदेश	69.32	78.73	59.24
15.	महाराष्ट्र	82.34	88.38	75.87
16.	मणिपुर	79.21	86.06	72.37
17.	मेघालय	74.43	75.95	72.89
18.	मिजोरम	91.33	93.35	89.27
19.	नागालैंड	79.55	82.75	76.11

1	2	3	4	5
20.	ओडिशा	72.87	81.59	64.01
21.	पंजाब	75.84	80.44	70.73
22.	राजस्थान	66.11	79.19	52.12
23.	सिक्किम	81.42	86.55	75.61
24.	तमिलनाडु	80.09	86.77	73.44
25.	त्रिपुरा	87.22	91.53	82.73
26.	उत्तर प्रदेश	67.68	77.28	57.18
27.	उत्तराखंड	78.82	87.40	70.01
28.	पश्चिम बंगाल	76.26	81.69	70.54
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	86.63	90.27	82.43
30.	चंडीगढ़	86.05	89.99	81.19
31.	दादरा और नगर हवेली	76.24	85.17	64.32
32.	दमन और दीव	87.10	91.54	79.55
33.	लक्षद्वीप	91.85	95.56	87.95
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	86.21	90.94	80.76
35.	पुदुचेरी	85.85	91.26	80.67

[हिन्दी]

मल-जल निकास प्रणाली का विकास

*130. **श्री पी.पी. चौधरी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में अर्द्ध-विकसित/कम विकसित और नव-विकसित शहरी क्षेत्रों में मल-जल निकास प्रणाली के विकास हेतु राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई/कितनी जारी की गई/कितनी उपयोग में लाई गई;

(ग) क्या राजस्थान ने अपने शहर जोधपुर सहित विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने शहरों में जल-मल निकासी प्रणाली के विकास हेतु धनराशि प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम.

वेंकैय्या नायडू): (क) राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से, मंत्रालय द्वारा इन स्कीमों के तहत पात्र कस्बों और शहरों की नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की सीवरेज प्रणाली सहित अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं।

(i) **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.):** सरकार ने एक सुधार केन्द्रित एजेंडा के साथ देश के सभी शहरों के लिए सीवरेज प्रणाली सहित शहरी अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) आरंभ किया था। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दो उप-घटक नामत: 65 मिशन शहरों को सेवाएं प्रदान करने के लिए शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) तथा छोटे और मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) थे जिसमें मिशन शहरों को छोड़कर देश के अन्य सभी कस्बे/शहर शामिल हैं। मिशन दिनांक 31.03.2014 को समाप्त हो चुका है।

(ii) **एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के आस-पास के 7 सेटेलाइट कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास स्कीम :** स्कीम के अंतर्गत 7 मेगा शहरों के सेटेलाइट कस्बों में अन्य कार्यकलापों के साथ सीवरेज प्रणाली के सुधार के लिए धनराशि मुहैया की जाती है।

(iii) **पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एन.ई.आर.यू.डी.पी.):** स्कीम, जिसे एशिया विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के 5 राजधानी शहरों अर्थात् अगरतला (त्रिपुरा), एजवाल (मिजोरम), गंगटोक (सिक्किम), कोहिमा (नागालैण्ड) और शिलांग (मेघालय) में सीवरेज प्रणाली और बुनियादी सेवाओं सहित शहरी अवस्थापना के सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) **सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ 10% एकमुश्त प्रावधान स्कीम:** इस स्कीम के अंतर्गत सीवरेज सहित शहरी अवस्थापना और बुनियादी सेवाओं के सुधार हेतु परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

(ख) (i) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान जे.एन.एन.यू.आर.एम. की यू.आई.जी. और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. घटकों के अंतर्गत स्वीकृत सीवरेज परियोजनाओं के उपयोग हेतु स्वीकृत और जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ii) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत सीवरेज परियोजनाओं के लिए उपयोग हेतु स्वीकृत और जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(iii) 10% एकमुश्त प्रावधान स्कीम के संबंध में, पिछले तीन वर्षों के दौरान सीवरेज परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

(iv) एन.ई.आर.यू.डी.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान एजवाल (मिजोरम) में 58.2 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक सीवरेज निपटान परियोजना स्वीकृत की गई है। वर्तमान वर्ष 2014-15 में जून, 2014 तक 3.16 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी। आज की स्थिति के अनुसार कोई परियोजना लंबित नहीं है।

(ग) और (घ) (i) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत परियोजनाएं, उनके तकनीकी मूल्यांकन और उक्त स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप होने के अध्यधीन स्वीकृत की जाती हैं। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. और यू.आई.डी.एस.

एस.एम.टी. घटकों के अंतर्गत सीवरेज क्षेत्र के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV और विवरण-V में दिया गया है। इस मिशन अवधि के दौरान यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत राजस्थान में जोधपुर के लिए 4933.60 लाख रुपए की ए.सी.ए. वचनबद्धता के साथ 6167.00 लाख रुपए की सीवरेज परियोजना स्वीकृत की गई है।

(ii) राजस्थान राज्य यू.आई.डी.एस.एस.टी. और 10% एकमुश्त प्रावधान स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। इन दो स्कीमों के अंतर्गत किसी भी राज्य से कोई नई परियोजना/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(iii) एन.ई.आर.यू.डी.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत, आज की स्थिति के अनुसार कोई परियोजना लंबित नहीं है।

विवरण-I

यू.आई.जी. के अंतर्गत सीवरेज परियोजनाओं के उपयोग हेतु स्वीकृत/जारी राज्य-वार और वर्ष-वार धनराशि

(धनराशि लाख रु. में)

(30.06.2014 की स्थिति के अनुसार डाटा)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		वचनबद्ध ए.सी.ए.	उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.*	वचनबद्ध ए.सी.ए.	उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.*	वचनबद्ध ए.सी.ए.	उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.*	वचनबद्ध ए.सी.ए.	उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	-	5,002.68	-	4,425.32	-	744.14	-	-
2.	बिहार	-	-	-	1,151.32	-	-	-	-
3.	दिल्ली	-	-	-	1,330.19	-	5,722.54	-	-
4.	गुजरात	8,945.00	9,742.61	-	4,259.97	16,078.00	3,151.38	-	-
5.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	जम्मू और कश्मीर	1,829.00	6,529.73	-	457.20	-	-	-	-
7.	झारखण्ड	-	-	-	-	24,181.00	6,045.18	-	-
8.	कर्नाटक	-	2,861.98	-	3,059.42	-	4,770.15	-	-
9.	केरल	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	मध्य प्रदेश	-	-	-	4,955.79	-	1,860.00	-	-
11.	महाराष्ट्र	3,830.00	13,565.89	2,502.00	9,875.39	8,189.00	5,062.40	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	ओडिशा	–	5,986.96	–	9,978.27	–	–	–	–
13.	पुदुचेरी	–	2,189.00	–	252.00	–	3,000.00	–	–
14.	पंजाब	–	–	–	1810.43	4464.00	3198.60	–	–
15.	राजस्थान	–	1443.65	–	1065.06	–	4483.20	–	–
16.	सिक्किम	–	322.92	–	538.20	–	–	–	–
17.	तमिलनाडु	–	16595.16	–	2130.20	5749.00	10706.53	–	–
18.	त्रिपुरा	–	1350.00	–	2250.00	–	2250.00	–	–
19.	उत्तराखंड	–	3367.47	–	4019.38	–	748.38	–	–
20.	पश्चिम बंगाल	–	2748.97	–	206.36	–	298.76	–	–
	कुल	14,604.00	1,01,154.29	2,502.00	51,800.50	58,661.00	70,039.71	–	–

*ए.सी.ए. में वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जो मिशन अवधि के दौरान, 2011, मार्च से पूर्व स्वीकृत की गई है।

विवरण-II

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत सीवरेज परियोजनाओं के लिए उपयोग हेतु स्वीकृत/जारी राज्य-वार धनराशि

(धनराशि लाख रु. में)

(30.06.2014 के अनुसार डाटा)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		वचनबद्ध ए.सी.ए.*	उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.*	वचनबद्ध ए.सी.ए.*	उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.*	वचनबद्ध ए.सी.ए.*	उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.*	वचनबद्ध ए.सी.ए.*	उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	–	1,593.40	–	–	–	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	4,289.00	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	हरियाणा	–	2,913.22	2,982.40	1,491.20	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	3,976.67	1,988.34	–	–
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	5,345.10	2,672.55	–	–
11.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	–	1,373.03	–	–	11,919.42	6,094.11	–	–
13.	केरल	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	–	–	–	128.93	11,250.02	5,712.21	–	–
15.	महाराष्ट्र	–	9,136.11	–	–	60,216.55	30,996.77	–	–
16.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	ओडिशा	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	–	–	–	8,052.11	–	2,688.00	–	–
22.	राजस्थान	–	–	–	162.93	50,946.18	25,473.09	–	–
23.	सिक्किम	–	1,085.40	–	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	–	–	5,245.18	4,093.47	27,910.42	15,168.92	–	–
25.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	उत्तराखंड	–	–	–	2,469.30	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	20,390.16	8,227.58	16,397.94	1,71,564.36	90,793.99	-	-

*ए.सी.ए. में वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जो मिशन अवधि के दौरान, 2011, मार्च से पूर्व स्वीकृत की गई हैं।

विवरण-III

यू.आई.डी.एस.एस.टी. स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत सीवरेज परियोजनाओं के लिए उपयोग हेतु स्वीकृत/जारी राज्य-वार धनराशि

(धनराशि)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत करने का वर्ष	अनुमानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि	कुल जारी धनराशि
	उत्तर प्रदेश				
1.	पिलखुआ सीवरेज स्कीम	2010-11	3687.51	2950.01	2212.50
	महाराष्ट्र				
2.	वसई-विरार उप-क्षेत्र एस.टी.पी.-2 के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम	2011-12	6622.63	5298.1	2649.04
	आन्ध्र प्रदेश				
3.	भूमिगत जल निकास स्कीम, विकाराबाद	2010-11	6474	5179	2590.00
	गुजरात				
4.	साणंद कस्बा के लिए सीवरेज प्रणाली	2010-11	5848.68	4678.94	2339.47
	तमिलनाडु				
5.	भूमिगत सीवरेज स्कीम, श्रीपेरूम्बुदुर	2011-12	5622	4497.6	1124.40
	कर्नाटक				
6.	होस्कोटे कस्बे के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम	2011-12	4072.84	2767.12	649.10

विवरण-IV

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. उप-मिशन के अंतर्गत अनुमोदित सीवरेज परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची

(धनराशि लाख रु. में)

(30.06.2014 के अनुसार डाटा)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध ए.सी.ए.	उपयोग के लिए जारी ए.सी.ए.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9	1,04,441.00	44,000.95	32,759.39
2.	बिहार	1	9,594.34	7,675.48	3,070.19
3.	दिल्ली	3	1,85,652.00	64,978.20	23,297.72
4.	गुजरात	22	1,62,003.86	73,841.58	52,799.77
5.	हरियाणा	1	10,383.00	5,191.50	4,672.37
6.	जम्मू और कश्मीर	3	28,247.03	25,422.33	12,885.31
7.	झारखंड	1	30,225.91	24,180.73	6,045.18
8.	कर्नाटक	6	54,515.99	19,080.60	15,461.59
9.	केरल	3	41,497.00	30,845.30	5,243.33
10.	मध्य प्रदेश	3	45,559.00	22,799.50	18,658.80
11.	महाराष्ट्र	21	2,77,824.38	1,19,968.68	89,881.29
12.	ओडिशा	1	49,891.35	39,913.08	25,943.50
13.	पुदुचेरी	1	20,340.00	16,272.00	9,508.80
14.	पंजाब	2	33,066.00	16,533.00	8,026.40
15.	राजस्थान	3	29,789.97	18,257.39	16,431.66
16.	सिक्किम	1	2,392.01	2,152.81	1,937.52
17.	तमिलनाडु	18	1,59,311.69	64,856.12	54,819.54

1	2	3	4	5	6
18.	त्रिपुरा	1	10,221.00	9,000.00	8,100.00
19.	उत्तर प्रदेश	12	2,45,156.99	1,16,185.34	96,790.16
20.	उत्तराखंड	5	16,514.17	12,812.96	10,777.48
21.	पश्चिम बंगाल	5	59,767.92	21,518.67	17,429.97
	कुल	122	15,76,434.61	7,55,486.21	5,14,539.97

विवरण-V

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित सीवरेज परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

(धनराशि लाख रु. में)

(30.06.2014 के अनुसार डाटा)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध ए.सी.ए.	जारी ए.सी.ए.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8	35,046.00	28,036.80	28,429.25
2.	अरुणाचल प्रदेश		-	-	-
3.	असम		-	-	-
4.	बिहार		-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	1	19,025.00	8,578.00	8,578.00
6.	गोवा		-	-	-
7.	गुजरात		-	-	-
8.	हरियाणा	6	14,615.48	11,692.38	8,828.06
9.	हिमाचल प्रदेश	2	4,970.84	3,976.67	1,988.34
10.	जम्मू और कश्मीर	1	5,939.00	5,345.10	2,672.55

1	2	3	4	5	6
11.	झारखंड		–	–	–
12.	कर्नाटक	15	22,707.37	18,165.90	11,963.16
13.	केरल		–	–	2065.87*
14.	मध्य प्रदेश	7	29,639.04	23,711.23	12,192.38
15.	महाराष्ट्र	23	1,23,799.48	99,039.58	65,206.37
16.	मणिपुर		–	–	–
17.	मेघालय		–	–	–
18.	मिजोरम		–	–	–
19.	नागालैंड		–	–	–
20.	ओडिशा	1	593.23	474.58	246.20
21.	पंजाब	7	32,630.91	26,104.73	25,897.74
22.	राजस्थान	24	1,03,472.02	82,777.62	41,833.99
23.	सिक्किम	4	2,412.00	2,170.80	2,170.80
24.	तमिलनाडु	13	49,138.93	39,311.14	22,733.36
25.	त्रिपुरा		–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	5	28,842.39	23,073.91	23,235.07
27.	उत्तराखण्ड	1	6,173.25	4,938.60	4,938.60
28.	पश्चिम बंगाल	1	1,251.59	1,001.27	500.64
29.	दिल्ली		–	–	–
30.	पुदुचेरी		–	–	–
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		–	–	–
32.	चंडीगढ़		–	–	–
33.	दादरा और नगर हवेली		–	–	–

1	2	3	4	5	6
34.	लक्षद्वीप		–	–	–
35.	दमन और दीव	1	942.37	753.90	31.00
	कुल	120	4,81,198.90	3,79,152.22	2,63,511.37

*वापिस ली गई 5 परियोजनाओं के लिए जारी ए.सी.ए. राज्य सरकार द्वारा समायोजित/वापिस किया जाना है।

[अनुवाद]

शिक्षा पर खर्च

***131. श्रीमती मौसम नूरः**
श्री डी.के. सुरेशः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोठारी आयोग (1968) ने सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिक्षा पर खर्च में और वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार नामांकन में वृद्धि और प्रति छात्र शिक्षा पर व्यय में बढ़ोतरी के संदर्भ में शिक्षा के लिए धनराशि के वर्तमान आबंटन की जांच करने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) कोठारी आयोग (1964-66) ने सिफारिश की थी कि सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यथासंशोधित 1992 में यह निर्धारित किया गया था कि शिक्षा पर निवेश में धीरे-धीरे इस प्रकार वृद्धि की जाए कि यह यथाशीघ्र राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाए।

(ख) सरकार ने शिक्षा-क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। 2009-10, 2010-11 (संशोधित अनुमान) तथा 2011-12 (बजट अनुमान) के दौरान शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में क्रमशः 3.95 प्रतिशत, 4.20 प्रतिशत और 4.17 प्रतिशत रहा।

(ग) और (घ) XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का योजनागत परिव्यय 4,53,728 करोड़ रुपये (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग हेतु 3,43,028 करोड़ रुपये और उच्चतर शिक्षा विभाग हेतु 1,10,700 करोड़ रुपये) की तुलना में XIवीं पंचवर्षीय योजना के वास्तविक व्यय 1,77,549.76 करोड़ रुपये (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग हेतु 1,37,902.94 करोड़ रुपये और उच्चतर शिक्षा हेतु 39,646.82 करोड़ रुपये) था।

[हिन्दी]

वनरोपण कार्यक्रम

***132. श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में वनरोपण/पौधारोपण हेतु कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा वनरोपण/पौधारोपण हेतु निर्धारित किए गए वार्षिक लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में वनों और पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने हेतु मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी.) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है, जो लोगों की सहभागिता से देश में अवक्रमित वन क्षेत्रों के पारि-पुनरूद्धार हेतु 100% केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। यह स्कीम, राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण (एस.एफ.डी.ए.), वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ.डी.ए.) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंध समितियों (जे.एफ.एम.सी.) के विकेन्द्रित तंत्र के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। वर्ष 2000 में इस कार्यक्रम की शुरुआत से 20.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार हेतु 3399.85 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। स्कीम की शुरुआत से एन.ए.पी. के अंतर्गत जारी निधियों और उपचार हेतु अनुमोदित क्षेत्र के राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I एवं विवरण-II में दिए गए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय हरित भारत मिशन भी कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि करना, अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना, स्थानीय समुदाय की वन पर आधारित आजीविका में संवर्धन करना और कार्बन पृथक्करण, जैव विविधता और हाइड्रोलॉजिकल सेवाओं जैसी परिप्रणाली सेवाओं में सुधार करना है। जी.आई.एम. के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी.) द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम की मद सं. 51 (क) (सार्वजनिक और वन भूमियों के अंतर्गत शामिल क्षेत्र) और 51 (ख) (रोपे गए पौधों की संख्या) के अंतर्गत देश में वन रोपण/पौध रोपण लक्ष्य वार्षिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV और विगत तीन वर्षों की उपलब्धियां संलग्न विवरण-V में दी गई हैं।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय, पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य मास मीडिया के अतिरिक्त प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया का उपयोग करते हुए जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं। इन कार्यकलापों में प्रदर्शनी, फिल्मों, नाटकों आदि के माध्यम से प्रचार, प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन परिकल्पित किए गए हैं।

देश में वनों के संरक्षण और पर्यावरण के संबंध में जनजागरूकता का प्रसार करने हेतु प्रिन्ट मीडिया, रेडियो और टी.वी. जैसी जन-संचार की प्रणालियों के माध्यम से सूचना शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) कार्यकलाप, राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड स्कीम (एन.ए.ई.बी.) में शुरू किए जाते हैं। क्षेत्र और प्रदेश की संचार विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफ.डी.ए., एन.ए.ई.बी. के क्षेत्रीय केन्द्रों और केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर अन्य संगठनों को विकेन्द्रित प्रणाली में आई.ई.सी. कार्यकलापों को करने के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है।

विवरण-I

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम : वर्ष-वार सार (जारी धनराशि)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2000-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	0.99	8.35	10.44	14.21	7.08	11.06	9.97	11.54	11.03	10.48	15.15	2.71	3.75		116.76
2.	बिहार	0.00	0.00	1.88	2.74	3.42	4.94	6.92	6.48	7.74	5.48	6.92	3.40	12.84	7.00	69.77
3.	छत्तीसगढ़	0.77	5.89	10.20	17.50	17.63	13.05	42.71	25.66	25.12	33.25	24.74	13.33	21.38	10.00	261.22
4.	गोवा	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.64
5.	गुजरात	0.85	3.87	3.20	8.77	12.05	17.52	30.93	25.75	24.44	29.43	27.00	14.30	11.68	10.50	220.29
6.	हरियाणा	9.23	10.58	7.76	7.46	4.35	9.20	12.93	20.14	20.57	24.20	12.28	6.41	17.94	5.50	168.55
7.	हिमाचल प्रदेश	2.20	0.60	6.95	10.60	9.08	11.56	7.43	6.72	3.59	3.45	3.50	3.62	2.61		71.91
8.	जम्मू और कश्मीर	1.54	5.45	7.21	3.56	5.28	5.83	8.13	8.47	9.81	3.99	6.89	3.37	8.11		77.64
9.	झारखंड	0.00	1.34	9.27	8.66	7.85	19.03	24.56	26.32	21.06	8.73	10.42	4.69	9.02		150.95
10.	कर्नाटक	0.43	15.70	15.54	21.17	23.03	23.54	31.02	15.46	11.95	8.12	12.92	6.81	9.26		194.94
11.	केरल	0.00	1.06	3.47	1.04	4.99	12.75	8.81	9.45	4.02	7.54	2.04	11.30	6.99		73.44
12.	मध्य प्रदेश	13.71	13.81	10.92	17.18	12.61	15.83	13.84	22.55	22.53	30.39	21.43	9.15	22.10		226.05
13.	महाराष्ट्र	1.85	4.87	11.91	13.12	14.69	15.93	29.92	21.87	20.53	16.17	28.51	28.87	32.33	17.50	258.08
14.	ओडिशा	0.05	13.14	5.96	11.26	12.05	14.07	19.01	21.63	8.82	11.20	7.30	3.39	5.36	9.00	142.22
15.	पंजाब	0.25	0.25	1.74	0.14	3.97	3.36	5.88	3.30	3.01	0	0.46	0.76	2.00		25.13
16.	राजस्थान	1.29	4.45	5.56	4.80	7.26	5.62	2.50	7.32	10.67	4.94	6.23	4.14	2.81		67.58
17.	तमिलनाडु	0.76	7.82	14.66	14.06	20.92	17.22	9.46	8.86	7.98	7.21	3.08	2.78	3.21		118.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.	उत्तर प्रदेश	7.04	20.01	21.34	18.16	17.04	11.88	36.77	30.80	30.20	21.33	26.33	15.27	20.15	12.00	288.20
19.	उत्तराखंड	0.40	2.34	5.81	10.54	13.10	11.52	12.39	9.24	7.00	4.47	6.61	6.25	6.01	2.50	98.18
20.	पश्चिम बंगाल	0.00	2.26	5.55	6.03	5.92	7.00	7.23	9.06	3.11	4.12	6.29	2.57	2.96		62.11
	कुल (अन्य राज्य)	41.36	121.79	160.01	191.00	202.32	230.92	320.40	290.62	253.17	234.50	228.00	143.11	200.49	74.00	2691.68
21.	अरूणाचल प्रदेश	1.40	2.76	4.49	0.76	2.89	2.93	4.85	3.25	2.37	5.52	0.00	1.66	0.00		32.87
22.	असम	0.00	0.00	5.58	7.99	5.50	13.60	8.58	9.78	14.48	6.08	7.95	1.47	2.99		83.99
23.	मणिपुर	0.00	2.40	5.08	5.43	6.30	7.78	12.37	9.51	5.93	10.37	12.74	9.46	12.12	4.00	103.48
24.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	2.45	5.18	5.44	5.94	4.69	2.21	8.79	4.31	9.10	4.50		52.60
25.	मिजोरम	0.00	8.86	15.85	11.20	10.06	13.09	16.75	13.61	17.27	12.21	13.44	8.78	11.94	7.50	160.58
26.	नागालैंड	2.08	8.51	8.94	5.60	5.37	7.22	7.75	6.64	10.67	10.11	11.69	10.88	9.82	5.50	110.78
27.	सिक्किम	2.43	3.76	4.06	3.94	6.23	7.41	11.28	6.63	8.86	11.99	11.18	5.42	3.77	3.00	89.96
28.	त्रिपुरा	0.26	3.18	3.97	4.63	4.27	4.37	5.02	0.89	3.20	10.43	13.69	3.50	11.99	4.50	73.90
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	6.17	29.47	47.97	42.00	45.80	61.83	72.55	55.00	65.00	75.49	75.00	50.26	57.13	24.50	708.17
	महायोग	47.53	151.26	207.98	233.00	248.12	292.75	392.95	345.62	318.17	309.99	303.00	193.37	257.62	98.50	3399.85

विवरण-II

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.): 2000-02 से 2014-15 तक अनुमोदित क्षेत्र (हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष														
		2000-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	2000	21090	13040	7780	2690		13859	8182	4182	2341	5453	0	1605		82222
2.	बिहार	0	0	7750	2400	2165		9016	3675	3475	0	5647	2415	3885	1786	42214
3.	छत्तीसगढ़	1950	15670	19869	2800	2225		40990	14706	8450	1177	8370	2934	5906	4699	129746
4.	गोवा	0	0	1250	0	0		0	0	0	0	0		0		1250
5.	गुजरात	1500	12415	6600	4930	5000		32545	14620	4920	1760	11150	2000	2735	5284	105459
6.	हरियाणा	9400	3405	7250	100	1050		8298	8260	5526	1100	3145	1519	3035	1900	54888
7.	हिमाचल प्रदेश	2950	1520	20434	7474	0		10028	1222	1255	1646	2566	1450	908		51453
8.	जम्मू और कश्मीर	4580	28204	15055	0	0		7735	6370	3550	0	4857	4486	2260		77097
9.	झारखंड	0	5700	25400	7500	1250		31990	14680	9980	0	4815	0	3975		105290
10.	कर्नाटक	625	42770	6450	4790	2650		32905	3765	2200	0	9523	1880	3070		110628
11.	केरल	0	6600	5890	805	2955		10518	4118	1095	666	2947	1000	1620		38214
12.	मध्य प्रदेश	20300	32650	5700	14700	3170		28707	13367	6188	13000	10219	5125	5110		158236
13.	महाराष्ट्र	4003	17925	31580	8605	3175		41538	5182	7219	0	9854	2900	6850	6652	145483
14.	ओडिशा	820	39636	6228	2313	6025		59140	7400	1745	0	7410	1975	4910	6535	144137
15.	पंजाब	650	0	3300	900	3385		7687	1640	547	0	626	0	1347		20081
16.	राजस्थान	1250	12550	6800	2500	5090		1000	9500	6800	400	3300	1250	2325		52765
17.	तमिलनाडु	2500	21400	19577	7450	1340		6230	5670	4025	0	2984	1800	2094		75070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.	उत्तर प्रदेश	7344	33615	19028	2000	1017		39104	18355	9664	5167	12435	4270	4890	8498	165387
19.	उत्तराखंड	815	4122	18186	10346	5665		18867	3510	4065	3340	5058	2350	1241	1330	78895
20.	पश्चिम बंगाल	0	9470	9286	3900	200		9984	4793	615	2815	2360	710	970		45103
	कुल (अन्य राज्य)	60687	308742	248673	92193	49052	0	410141	149015	85501	33412	112718	38064	58736	36684	1683618
21.	अरूणाचल प्रदेश	3846	11030	4600	0	1940		5705	1450	1750	3125	0	0	0		33446
22.	असम	0	0	19665	4350	2940		15660	6365	3625	0	0	0	3675		56280
23.	मणिपुर	0	11674	5600	600	500		12295	2950	1525	3599	4250	3970	2530	1835	51328
24.	मेघालय	0	0	0	7400	0		8075	1970	800	4800	3930	3000	3000		32975
25.	मिजोरम	0	26170	600	0	0		16150	4500	2700	2370	2600	2500	3000	3135	63725
26.	नागालैंड	4130	19000	2398	0	0		10640	3500	4050	2000	8000	2910	4000	2130	62758
27.	सिक्किम	1600	11783	1000	0	0		6045	3350	2225	1549	3730	650	1095	1851	34878
28.	त्रिपुरा	805	16400	0	2200	0		8350	335	1380	6271	6220	4435	4547	1796	52739
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	10381	96057	33863	14550	5380	0	82920	24420	18055	23714	28730	17465	21847	10747	388129
	कुल	71068	404799	282536	106743	54432	0	493061	173435	103556	57126	141448	55529	80583	47431	2071747

विवरण-III

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान हरित भारत मिशन (जी.आई.एम.) के अंतर्गत प्रारम्भिक कार्यकलाप हेतु राज्य-वार जारी निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जारी धनराशि 2011-12	जारी धनराशि 2012-13	जारी धनराशि 2013-14	गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	89.53		0	89.53
2.	अरूणाचल प्रदेश	0		127.2	127.2
3.	असम	130		0	130
4.	बिहार	0		224.85	224.85
5.	छत्तीसगढ़	972		0	972
6.	गुजरात	133.8		0	133.8
7.	हरियाणा	357		0	357
8.	हिमाचल प्रदेश	126.5		0	126.5
9.	जम्मू और कश्मीर	64		0	64
10.	झारखंड	147		0	147
11.	कर्नाटक	267.45		0	267.45
12.	केरल	194.6		0	194.6
13.	मध्य प्रदेश	823.5	शून्य	0	823.5
14.	महाराष्ट्र	405.77		0	405.77
15.	मणिपुर	40.5		0	40.5
16.	मेघालय	0		89.7	89.7
17.	मिजोरम	0		223.65	223.65
18.	नागालैंड	141.5		0	141.5

1	2	3	4	5	6
19.	ओडिशा	107.5	शून्य	0	107.5
20.	पंजाब	125.5		0	125.5
21.	राजस्थान	275.25		0	275.25
22.	सिक्किम	0		299.55	299.55
23.	तमिलनाडु	72.15		0	72.15
24.	त्रिपुरा	350.5		0	350.5
25.	उत्तराखंड	51		0	51
26.	उत्तर प्रदेश	119.5		0	119.5
27.	पश्चिम बंगाल	0		300.75	300.75
	कुल	4994.55	0	1265.70	6260.25

विवरण-IV

बिंदु 51क (सार्वजनिक और वन भूमि पर वनीकरण कार्यकलापों के तहत शामिल किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में) और 51ख (20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लाखों के संख्या में रोपे गए पौधों की संख्या) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वनीकरण लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	बिंदु 51क वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई वन और सार्वजनिक भूमि का क्षेत्र (हे. में)				बिंदु 51ख रोपे गए पौधों की संख्या (लाखों में)			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	312000	385400	387760	399600	2028.00	2505.10	2520.44	2597.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	6500	10800	5760	5780	42.25	70.20	37.44	37.57
3.	असम	9500	5650	1180	4060	61.75	36.73	7.67	26.39
4.	बिहार	25000	22700	21860	22800	162.50	147.55	142.09	148.20
5.	छत्तीसगढ़	78000	50400	64220	60000	507.00	327.60	417.43	417.30
6.	गोवा	500	450	225	305	3.25	2.93	1.46	4.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	137500	140500	124520	145400	893.75	913.25	809.38	945.10
8.	हरियाणा	24000	57000	64890	40000	156.00	370.50	421.79	300.00
9.	हिमाचल प्रदेश	20000	28900	25460	20000	130.00	187.85	165.49	130.00
10.	जम्मू और कश्मीर	28000	7250	9050	13300	182.00	47.13	58.83	86.45
11.	झारखंड	30000	46200	22200	22300	195.00	300.30	144.30	144.95
12.	कर्नाटक	100000	67000	79760	80300	650.00	435.50	518.44	521.95
13.	केरल	9000	3950	7530	7530	58.50	25.68	48.95	48.95
14.	मध्य प्रदेश	210000	110700	128370	133000	1365.00	719.55	834.41	864.50
15.	महाराष्ट्र	180000	122900	157780	163450	1170.00	798.85	1025.57	1062.43
16.	मणिपुर	10000	18000	11500	14380	65.00	117.00	74.75	93.47
17.	मेघालय	2500	6850	3940	4110	16.25	44.53	25.61	26.72
18.	मिजोरम	5500	6250	5420	5840	35.75	40.63	35.23	37.96
19.	नागालैंड	5000	10600	1950	3840	32.50	68.90	12.68	24.96
20.	ओडिशा	215000	173300	100000	182270	1397.50	1126.45	650.00	1184.76
21.	पंजाब	8000	6950	97000	10000	52.00	45.18	63.05	65.59
22.	राजस्थान	60000	5100	57000	74900	300.00	240.00	370.50	486.85
23.	सिक्किम	6000	7450	6160	6160	39.00	48.43	40.04	40.04
24.	तमिलनाडु	118500	50700	58770	81940	770.25	329.55	382.01	532.61
25.	त्रिपुरा	13000	27200	20450	20900	84.50	176.80	132.93	135.85
26.	उत्तराखंड	20000	23000	19920	16000	130.00	149.50	129.48	104.00
27.	उत्तर प्रदेश	90000	81700	76230	68180	585.00	531.05	495.50	443.17
28.	पश्चिम बंगाल	20000	16000	7940	8130	130.00	104.00	51.61	52.85
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1300	1375	1220	1100	8.45	8.94	7.93	7.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़	300	250	100	155	1.95	1.63	0.65	1.01
31.	दादरा और नगर हवेली	250	250	220	220	1.63	1.63	1.43	1.43
32.	दमन और दीव	30	15	10	10	0.20	0.10	0.07	0.07
33.	दिल्ली	105	1150	1220	1380	0.68	7.48	7.93	4.50
34.	लक्षद्वीप	20	20	20	25	0.13	0.13	0.13	0.16
35.	पुदुचेरी	75	35	40	70	0.49	0.23	0.26	0.46
	कुल	1745580	1541895.00	1482375.00	1617525.00	11256.27	9930.82	9635.44	10579.38

विवरण-V

बिंदु 51क [सार्वजनिक और वन भूमि पर वनीकरण कार्यकलापों के तहत शामिल किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)] और 51ख (20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लाखों के संख्या में रोपे गए पौधों की संख्या) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वनीकरण लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	बिंदु 51क वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की गई वन और सार्वजनिक भूमि का क्षेत्र (हे. में)			बिंदु 51ख रोपे गए पौधों की संख्या (लाखों में)		
		2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	407700	407252	372962	3099.0	3450.09	3050.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	10817	378	213	2.26	1.98	1.36
3.	असम	43	8642	0	44.40	28.93	0.00
4.	बिहार	22796	30330	69224	148.17	197.14	449.95
5.	छत्तीसगढ़	50412	83789	60581	400.71	643.54	577.79
6.	गोवा	465	471	154	6.83	7.07	2.60
7.	गुजरात	140513	168470	139283	2219.69	2011.53	995.82
8.	हरियाणा	64401	68026	57197	501.39	501.00	444.72
9.	हिमाचल प्रदेश	31938	28902	25595	207.60	187.87	166.37

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू और कश्मीर	10466	13988	8704	75.47	56.44	58.77
11.	झारखंड	34214	10746	3450	184.19	184.37	54.72
12.	कर्नाटक	66091	80385	82925	598.95	691.18	777.17
13.	केरल	3971	10154	3891	90.93	162.64	28.61
14.	मध्य प्रदेश	110702	119580	135199	7195.60	777.27	878.79
15.	महाराष्ट्र	122880	188968	213750	981.16	1575.16	1770.58
16.	मणिपुर	17997	14595	17916	121.18	145.76	116.55
17.	मेघालय	6840	4852	16330	45.19	39.48	1.04
18.	मिजोरम	6240	4071	5253	10.48	15.13	32.84
19.	नागालैंड	1047	5681	10140	10.13	64.17	65.63
20.	ओडिशा	196671	107287	117535	600.01	533.58	771.81
21.	पंजाब	6965	9569	13816	49.43	99.24	110.53
22.	राजस्थान	71301	57103	67722	350.95	275.85	473.13
23.	सिक्किम	6739	9019	4805	45.68	60.27	31.93
24.	तमिलनाडु	75492	74844	70235	362.70	296.90	456.53
25.	त्रिपुरा	25572	20451	16280	170.86	129.88	105.83
26.	उत्तराखंड	23505	22024	21242	241.58	187.96	212.17
27.	उत्तर प्रदेश	83233	67057	78339	663.55	524.76	599.41
28.	पश्चिम बंगाल	753	9362	3910	71.52	162.66	50.75
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1583	1116	1128	9.83	7.06	7.23
30.	चंडीगढ़	316	219	175	1.94	0.87	0.70
31.	दादरा और नगर हवेली	269	200	200	3.78	3.28	3.33
32.	दमन और दीव	14	8	0	0.20	0.25	0.39

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली	1239	1409	848	9.57	9.16	5.51
34.	लक्षद्वीप	22	22	28	0.20	0.24	0.21
35.	पुदुचेरी	82	96	41	1.57	2.04	0.45
	कुल	कुल	1629066.00	1619071.00	18526.70	13034.77	12303.93

[अनुवाद]

गंगा नदी बेसिन प्रबंधन

***133. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:**
श्री प्रताप सिम्हा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गंगा के लिए एक व्यापक नदी बेसिन प्रबंधन योजना बनाई है अथवा बनाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या यह कार्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक संघ को सौंपा गया है और उसके साथ विस्तृत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त संघ ने इस मामले के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं/सिफारिशें की गई हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ग) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) कार्यक्रम के अंतर्गत, गंगा के लिए एक वृहत नदी बेसिन प्रबंधन योजना (जी.आर.बी.एम.पी.) तैयार करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) के संघ के बीच दिनांक 6 जुलाई 2010 को एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.ए.) पर हस्ताक्षरित किया गया था। योजना का प्रथम चरण, एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 18 महीनों के अंदर पूरा किया जाना था और इस एम.ओ.ए. की अवधि, इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि थी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, नदी बेसिन में बढ़ते जल उपयोगों के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी प्रणाली की समग्रता की बहाली और इसकी पारिस्थितिकीय रूप से उपयुक्तता की स्थिति में सुधार करने के लिए व्यापक उपायों का सुझाव देना है। इस योजना में यह सुनिश्चित करते हुए कि नदी प्रणाली के मूलभूत पहलुओं अर्थात् (i) नदी का देशान्तरीय और पार्श्वीय संयोजन होना चाहिए, (ii) नदी में सतत प्रवाह (अविरल प्रवाह) हो, (iii) नदी में इसके विभिन्न कार्यकलापों हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए, (iv) नदी एक पारिस्थितिकीय सत्ता के रूप में कार्य करें और (v) नदी को अपशिष्ट भार के वाहक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए (निर्मल धारा), को सुरक्षित रखा गया है, बढ़ी हुई जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण और कृषि को समायोजित करने हेतु गंगा बेसिन में जल और ऊर्जा की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) अभी तक, एक अंतरिम रिपोर्ट और 36 विषयपरक प्रारूप रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें टिप्पणियों/अभिमतों के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों सहित विभिन्न पणधारियों को परिचालित किया गया है।

(ङ) प्रारूप रिपोर्टों में दी गई प्रमुख सिफारिशें निम्नवत् हैं:

(i) गंगा नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियों के वैज्ञानिक रूप से आकलित पर्यावरणीय प्रवाहों (ई-फ्लों) के रखरखाव सहित, विशेष रूप से बांधों और बराजों के संदर्भ में नदी की कनेक्टीविटी के सिद्धांत में को अंगीकार करना। अत: विभिन्न क्षेत्रों के लिए जल आबंटन के पुन-मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) क्रियाशील बाढ़भूमि क्षेत्र और अतिक्रमण से सुरक्षा के लिए 'नदी स्थल' की संकल्पना को अंगीकार करना।

(iii) पुन:चर्क्रित शोधित मलजल और औद्योगिक अपशिष्ट जल की लागत पर कम से कम डेढ़ गुना लागत पर ताजे जल का अधिमूल्यन करना।

(iv) श्रेणी-I और श्रेणी-II नगरों के लिए तृतीयक स्तर पर मलजल का शोधन और पुनर्प्रयोग-पुनर्चक्रण प्रक्रिया (बढ़े हुए तृतीयक अपशिष्ट जल का नदियों में और भूमि पर निपटान) को अपनाना।

(v) उद्योगों से ठोस और द्रव्य अवशेष के निपटान के कारण पर्यावरणीय क्षति की लागत इंटरलाईजिंग करने की संकल्पना की शुरुआत करना और शून्य द्रव्य निस्सारण (जे.एल.डी.) और शोधित औद्योगिक बहिस्रावों का पुनर्प्रयोग/पुनर्चक्रण पद्धति को अपनाना।

(vi) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.) से तकनीकी, वित्तीय और परामर्शी सहायता सहित सभी श्रेणी-I और श्रेणी-II नगरों के लिए मलजल एकत्रण, अपवर्तन, पम्पिंग, शोधन और पुनर्प्रयोग और नदी तट सुरक्षा हेतु शहरी नदी प्रबंधन योजना (यू.आर.एम.पी.एस.) को तैयार करना।

(vii) पृथक अथवा खंडश: रीति से पारम्परिक जल संसाधनों को प्रबंधित करने के स्थान पर जलीय संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन को अंगीकार करना।

(viii) एन.एम.सी.जी. के माध्यम से पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) पर आधारित डिजाईन-बिल्ड-फाइनेंस-ओपरेट (डी.बी.एफ.ओ.) मॉडल पर मलजल शोधन संयंत्रों (एस.टी.पी.) और बहिस्राव शोधन संयंत्रों (ई.टी.पी.ए.) की स्थापना का निरूपण।

(ix) स्थानीय समुदायों की सहभागिता से गंगा नदी के सभी पहलुओं से संबंधित एक व्यापक गंगा नदी बेसिन सूचना और संप्रेषण (जी.बी.आई.सी.) नेटवर्क सृजित करना।

(x) मौजूदा संगत जानकारी का समेकन करने और गंगा जल की प्रखर/विशिष्ट विशेषताओं पर अधिक वैज्ञानिक सूचना एकत्रित करने के लिए कारगर प्रयास करना।

गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र

***134. श्री सी.आर. पाटील:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में कतिपय औद्योगिक कलस्टरों को गंभीर रूप से प्रदूषित/अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में नई परियोजनाओं/विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार पर कोई अधिस्थगन काल लागू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार गुजरात सहित राज्य-वार कब तक यह अधिस्थगन-काल समाप्त करेगी और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान करेगी; और

(ङ) औद्योगिक विकास और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच सामंजस्य पैदा करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सी.ई.पी.आई.) मानदंड

के आधार पर वर्ष 2009 में 88 प्रमुख औद्योगिक कलस्टरों का व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन कराया था। इन 88 औद्योगिक कलस्टरों में से, 70 और इससे अधिक सी.ई. पी.आई. स्कोर वाले 43 औद्योगिक कलस्टरों की पहचान अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों (सी.पी.ए.) के रूप में की गई थी। उपर्युक्त 43 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची विवरण के रूप में संलग्न है। ऐसे छह अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र नामशः अंकलेश्वर, वापी, अहमदाबाद, वातवा, भावनगर और जूनागढ़ गुजरात राज्य में स्थित हैं।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय ने दिनांक 13.01.2010 को उपर्युक्त 43 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति देने हेतु विचार करने पर अधिस्थगन लगाया था। बाद में, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार करने हेतु बनाई गई कार्य-योजनाओं तथा की गई कार्रवाइयों संबंधी सूचना और सी.पी.सी.बी. द्वारा किए गए इन क्षेत्रों के सी.ई.पी.आई. स्कोर के पुनःमूल्यांकन के आधार पर भी, इस मंत्रालय ने समय-समय पर कुछ शर्तों के अधीन विभिन्न अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों से अधिस्थगन हटाया है। अब 43 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में से 36 क्षेत्रों में कोई अधिस्थगन नहीं है। जिन सात अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों पर अभी भी अधिस्थगन लागू है, वे हैं - अंकलेश्वर (गुजरात), चंद्रपुर (महाराष्ट्र), पाली (राजस्थान), वातवा (गुजरात), वेल्लोर (तमिलनाडु), नजफगढ़ ड्रेन बेसिन (संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली) और जोधपुर (राजस्थान)।

सी.पी.सी.बी. से कहा गया है कि वह वर्ष 2009 में मौलिक रूप से बनाए गए सूचकांक के सारे घटकों को ध्यान में रखकर, सभी 43 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में सी.ई.पी.आई. स्कोर का पुनर्मूल्यांकन कराए। सी.पी.सी.बी. से सूचना प्राप्त होने पर ही इस मामले में उचित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

(ङ) धारणीयता सरोकारों को औद्योगिक विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए और पर्यावरणीय सरोकारों के साथ इसका सामंजस्य बैठाने के लिए एक व्यापक, वैधानिक, विनियामक, संस्थागत और नीतिगत ढांचा मौजूद है। बदलती जमीनी वास्तविकताओं को अपनाने और सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों से इसका तालमेल बैठाने के लिए इस ढांचे की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

विवरण

43 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	पट्टनचेरू-बोलाराम, विशाखापट्नम
2.	छत्तीसगढ़	कोरबा
3.	दिल्ली	नजफगढ़ ड्रेन बेसिन
4.	गुजरात	अहमदाबाद, अंकलेश्वर, भावनगर, जूनागढ़, वापी, वातवा
5.	हरियाणा	फरीदाबाद, पानीपत
6.	झारखंड	धनबाद
7.	केरल	ग्रेटर कोचीन
8.	कर्नाटक	भद्रावती, मंगलौर
9.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, चंद्रापुर, डोम्बीवली, नवी-मुम्बई, तारापुर
10.	मध्य प्रदेश	इंदौर
11.	ओडिशा	अंगुलतल्चर, इब-वेली और झारसुगुदा
12.	पंजाब	लुधियाना, मंडी-गोविंदघर
13.	राजस्थान	भिवाड़ी, जोधपुर, पाली
14.	तमिलनाडु	अरकोट, कोयम्बतूर, मनाली, वैल्लोर-उत्तरी
15.	उत्तर प्रदेश	आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, मिर्जापुर, नोएडा, सिंगरौली, वाराणसी
16.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल, हल्दिया, हावड़ा

[हिन्दी]

चीन के साथ द्विपक्षीय मुद्दे

***135. श्री ए.टी. नाना पाटील:**
श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रकाशित नक्शे में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को कथित रूप से अपने राज्यक्षेत्र के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या ऐसी जानकारी मिली है कि चीन का विचार पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र के रास्ते से एक रेल संपर्क बनाने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मुद्दों को द्विपक्षीय स्तर पर और अन्य मंचों पर चीन के साथ उठाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर चीन की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या किसी भारतीय शिष्टमंडल ने हाल ही में चीन का दौरा किया था और यदि हां, तो इस दौरे के दौरान हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा चीन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चीन विवादित मानता है। पूर्वी क्षेत्र में, चीन अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगभग 90,000 वर्ग कि.मी. के भारतीय हिस्से पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। जम्मू-कश्मीर का लगभग 38,000 वर्ग कि.मी. भारतीय हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा, चीन और पाकिस्तान के बीच 2 मार्च, 1963 को हस्ताक्षरित तथाकथित चीन-पाकिस्तान 'सीमा करार' के तहत पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का 5180 वर्ग कि.मी. भारतीय हिस्सा अवैध रूप से चीन को दे दिया है। चीनी पक्ष को कई अवसरों पर, जिनमें सर्वोच्च स्तर शामिल है, स्पष्ट तौर पर यह बता दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर भारत के अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्से हैं।

(ख) सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर (पी.ओ.के.) में चीन द्वारा रेलमार्ग बिछाए जाने के बारे में छपी रिपोर्टें देखी हैं। सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर में चीन के कार्यकलापों से संबंधित अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत करा दिया है और उनसे कहा है कि वह ऐसे कार्यकलापों को रोक दे। चीन कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानता है, जिसे भारत और पाकिस्तान को ही सुलझाना होगा।

(ग) जी, हां। चीन के विदेश मंत्री वांग यि ने 8-9 जून, 2014 तक चीन के राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में भारत की यात्रा की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने उनके साथ विस्तार से चर्चा की। यह परिचर्चा व्यापक एवं सारगर्भित थी और इस दौरान विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए तथा इन पर स्पष्ट व निष्पक्ष तरीके से चर्चा की गई।

(घ) चीन के उपराष्ट्रपति के निमंत्रण पर भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी ने 26 से 30 जून, 2014 तक चीन की राजकीय यात्रा की। उप-राष्ट्रपति जी ने अपने समकक्ष, चीन के उप-राष्ट्रपति ली युयांगचाओ के साथ 30 जून, 2014 को बीजिंग में द्विपक्षीय चर्चा की और राष्ट्रपति जी जिनपिंग से मुलाकात की। उन्होंने बीजिंग में 28-29 जून, 2014 को 'पंचशील' की 60वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस यात्रा के दौरान, भारत में औद्योगिक पार्कों पर सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन, सरकारी अधिकारियों की क्षमता विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु संचार एवं सहयोग विषयक समझौता ज्ञापन और चीन द्वारा भारत को बाढ़ के समय में यारलुंग जांगबू/ब्रह्मपुत्र नदी के जल-विज्ञान से संबंधित सूचना के प्रावधान हेतु क्रियान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों उप-राष्ट्रपतियों की उपस्थिति में भारत-चीन सांस्कृतिक संपर्क विश्वकोष का भी विमोचन किया गया।

(ङ) भारत और चीन के बीच सर्वोच्च स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर, नियमित आधार पर बैठकें आयोजित होती हैं। इन बैठकों के दौरान संपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक

मुद्दों पर चर्चा होती है। दोनों पक्ष द्विपक्षीय मुद्दों को बातचीत एवं शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए एक न्यायसंगत, औचित्यपूर्ण तथा परस्पर स्वीकार्य तरीके से सुलझाने के लिए वचनबद्ध हैं।

उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना

***136. श्री जगदम्बिका पाल:**
श्री रत्न लाल कटारिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और संस्था-वार कितने महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई;

(ख) इन संस्थाओं पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार ने नए उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इन संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्धारित स्थानों, बजट प्रावधानों और अन्य विहित निबंधन एवं शर्तों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है/कितनी उपयोग में लाई गई है और उक्त संस्थाओं को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) तथा एक भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.) की स्थापना की है। इनका ब्यौरा इस प्रकार है–

अवस्थिति/राज्य	स्थापना वर्ष	व्ययित निधियां (वर्ष-वार) रुपए लाख में		
		2011-12	2012-13	2013-14
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान)	2012	–	6850.00	–
भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.), शिवपुर, पश्चिम बंगाल	2014	–	–	आगामी 5 वर्ष के लिए 59220.0 लाख रुपए

इसके अतिरिक्त, निम्न ब्यौरे के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली (पी.पी.पी.) के तहत पांच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना भी की गई–

अवस्थिति/राज्य	स्थापना वर्ष	व्ययित निधियां (वर्ष-वार) रुपए लाख में		
		2011-12	2012-13	2013-14
चित्तूर, आंध्र प्रदेश	2013	–	–	–
गुवाहाटी, असम	2013	–	–	500.00
वड़ोदरा, गुजरात	2013	–	–	280.00
कोटा, राजस्थान	2013	–	375.00	–
तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	2013	–	–	500.00

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, भारत सरकार (आंध्र प्रदेश के परवर्ती राज्य में) एक भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.), एक भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आई.आई.एस.ई.आर.), एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं एक जनजातीय विश्वविद्यालय, एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.), एक पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, एक कृषि विश्वविद्यालय, एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तथा एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थान स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएगी। (अधिनियम के अनुसार तेलंगाना राज्य में एक बागवानी विश्वविद्यालय एवं एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इन संस्थानों की अवस्थिति एवं बजटीय प्रावधानों के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजटीय भाषण, 2014-15 में छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर तथा केरल में चार नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) स्थापित करने की घोषणा की है। इनके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं पंजाब में भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव किया गया है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी किया गया है। (असम एवं झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जैसे दो उत्कृष्ट संस्थानों, राजस्थान में एक कृषि विश्वविद्यालय तथा हरियाणा में एक बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव है।) मध्य प्रदेश राज्य में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है। इन संस्थाओं की अवस्थिति एवं बजटीय प्रावधानों के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।)

राज्य कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मुख्यतः राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल उन्हीं संस्थाओं को अनुदान प्रदान करता है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया हो। तथापि, केन्द्र सरकार ने चिन्हित किए गए 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रत्येक जिले में एक मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना को अनुमोदित किया था। इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, पूंजीगत लागत को केन्द्र एवं राज्यों के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया जाएगा। विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु पूंजीगत लागत को 1:1 के अनुपात में साझा किया जाएगा। इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, चिन्हित किए गए इन जिलों में 109 मॉडल डिग्री कॉलेजों की संस्वीकृति प्रदान की गई है। इस केन्द्र प्रायोजित योजना को अब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) की नई केन्द्र प्रायोजित योजना में सम्मिलित कर दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित विश्वविद्यालय एवं कॉलेज

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कॉलेज			विश्वविद्यालय		
		2011-12	2012-13	2013-14 और 2014-15	2011-12	2012-13	2013-14 और 2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	484	331	उपलब्ध नहीं	2	0	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	उपलब्ध नहीं	0	3	उपलब्ध नहीं
3.	असम	0	64	उपलब्ध नहीं	2	2	उपलब्ध नहीं
4.	बिहार	53	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
5.	छत्तीसगढ़	40	15	उपलब्ध नहीं	3	1	उपलब्ध नहीं
6.	गोवा	6	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
7.	गुजरात	13	171	उपलब्ध नहीं	5	1	उपलब्ध नहीं
8.	हरियाण	74	16	उपलब्ध नहीं	1	3	उपलब्ध नहीं
9.	हिमाचल प्रदेश	4	1	उपलब्ध नहीं	2	3	उपलब्ध नहीं
10.	जम्मू और कश्मीर	0	48	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
11.	झारखंड	0	8	उपलब्ध नहीं	2	0	उपलब्ध नहीं
12.	कर्नाटक	292	84	उपलब्ध नहीं	3	0	उपलब्ध नहीं
13.	केरल	0	187	उपलब्ध नहीं	3	0	उपलब्ध नहीं
14.	मध्य प्रदेश	128	42	उपलब्ध नहीं	9	0	उपलब्ध नहीं
15.	महाराष्ट्र	205	26	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
16.	मणिपुर	4	5	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
17.	मेघालय	5	0	उपलब्ध नहीं	2	0	उपलब्ध नहीं
18.	मिजोरम	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
19.	नागालैंड	3	2	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
20.	ओडिशा	17	17	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
21.	पंजाब	126	26	उपलब्ध नहीं	2	2	उपलब्ध नहीं
22.	राजस्थान	341	38	उपलब्ध नहीं	9	7	उपलब्ध नहीं
23.	सिक्किम	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
24.	तमिलनाडु	143	195	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
25.	त्रिपुरा	1	7	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	उत्तर प्रदेश	581	347	उपलब्ध नहीं	3	2	उपलब्ध नहीं
27.	उत्तराखंड	53	0	उपलब्ध नहीं	1	0	उपलब्ध नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	7	46	उपलब्ध नहीं	0	1	उपलब्ध नहीं
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
30.	चंडीगढ़	2	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
31.	लक्षद्वीप	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
32.	दमन और दीव	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
33.	दिल्ली	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
34.	दादरा और नगर हवेली	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
35.	पुदुचेरी	0	0	उपलब्ध नहीं	0	0	उपलब्ध नहीं
	कुल	2583	1676	-	49	25	-

[अनुवाद]

तटीय विनियमन जोन अधिसूचना

*137. **मोहम्मद फैज़ल:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटीय विनियमन जोन नियमों को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार और परम्परागत मछुआरा समूहों ने तटीय विनियमन जोन संबंधी अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रक्रिया सहित कतिपय उपबंधों में संशोधन करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि तटीय विनियमन जोन संबंधी अधिसूचना का परम्परागत मछुआरों के जीविकोपार्जन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ङ) मंत्रालय ने तटीय विनियमन जोन, अधिसूचना, 1991 के अधिक्रमण में तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 जारी की थी। तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 का मुख्य उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में निवास कर रहे मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना; तटीय क्षेत्रों, इनके अद्वितीय पर्यावरण एवं समुद्री क्षेत्र का संरक्षण और सुरक्षा करना; तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक खतरों और वैश्विक तापन के कारण और समुद्र का स्तर बढ़ने के खतरों को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित सतत विकास को बढ़ावा देना है। इस अधिसूचना में सभी प्रकार की मूलभूत अवसंरचना की अनुमति दी गई है जिसमें स्थानीय मछुआरा समुदायों के लिए अपेक्षित मछली सुखाने के प्रांगण, नीलामी हॉल, जाल मरम्मत प्रांगण, परम्परागत नाव निर्माण प्रांगण, बर्फ के संयंत्र, बर्फ तोड़ने की इकाइयां, मछलियों को संसाधित करने की

सुविधाओं जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अधिसूचना के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान करके मछुआरों सहित परंपरागत तटीय समुदायों को सी.आर.जेड.-III क्षेत्र के नो डेवलपमेंट जोन (एन.डी.जेड.) में 100 और 200 मीटर के बीच की निर्माण/पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी गई है। नो डेवलपमेंट जोन में मछुआरा समुदायों हेतु मकानों के निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए और अधिक छूट दिए जाने तथा सी.आर.जेड. क्षेत्रों के भीतर मछली प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/आधुनिकीकरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जिन पर सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति विचार कर रही है।

मौसम संबंधी डॉप्लर राडार

***138. श्री राजीव प्रताप रूडी:** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में मौसम संबंधी डॉप्लर राडार/ ध्रुवणमिति डॉप्लर राडार प्रणाली स्थापित की गई है/स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई, कार्य कर रही और स्थापित की जाने वाली राडार प्रणालियों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और वे स्थापना के किस चरण में हैं;

(ग) क्या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग उन क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान लगा पाया है/उन्हें चिन्हित कर पाया है, जहां भारी वर्षा हो सकती है, अचानक बाढ़ आ सकती है और भू-स्खलन हो सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे स्थानों पर उपरोक्त राडार प्रणालियां स्थापित कर दी गई हैं/ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) जी हां।

(ख) अभी तक, दिल्ली-लोधी रोड और जयपुर में क्रमशः 2 ध्रुवीयमीट्रिक डॉप्लर मौसम राडार (डी.डब्ल्यू.आर.) प्रणालियों के साथ-साथ देश के अन्य भागों में 16 अध्रुवीयमीट्रिक डॉप्लर मौसम राडार प्रणालियां क्रमशः चेन्नै, श्रीहरिकोटा, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई, भुज, हैदराबाद, नागपुर, पटियाला, दिल्ली पालम, लखनऊ, पटना, मोहनबाड़ी, अगरतला तथा भोपाल में कार्य कर रही हैं। पारादीप, गोवा तथा करैकल में 3 अध्रुवीयमीट्रिक डी. डब्ल्यू.आर. की संस्थापना का कार्य अब प्रारंभ कर दिया गया है। प्रेक्षण प्रणाली नेटवर्क, जिसमें डॉप्लर मौसम राडार, वर्षा राडार, स्वचालित मौसम स्टेशन (ए.डब्ल्यू.एस.), स्वचालित वर्षा मापी (ए.आर.जी.), हिम मापी इत्यादि शामिल हैं, के और अधिक विस्तार की आवश्यकता के वैज्ञानिक आकलन के आधार पर पश्चिमी हिमालय प्रदेश में इसके विस्तार की योजना बनाई गई है।

(ग) समस्त प्रेक्षण प्रणालियों अर्थात् सतह तथा उपरितन वायु प्रेक्षणों, उपग्रह प्रेक्षणों, वायुयान प्रेक्षणों, डी.डब्ल्यू.आर. इत्यादि से सृजित किए गए डेटा को सम्पूर्ण भारत में भारी वर्षा होने के पूर्वानुमान हेतु वायुमण्डल तथा उच्च विभेदन (9 किमी. ग्रिड पैमाने) पूर्वानुमानों की सर्वाधिक प्रतिनिधित्वकारी प्रारंभिक दशा के 3-डी ढांचे को सृजित करने हेतु विभिन्न पूर्वानुमान मॉडलों द्वारा पूर्णतः उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, डॉप्लर मौसम राडार (डी.डब्ल्यू.आर.) नेटवर्क को प्रमुखतः प्रतिकूल मौसम की निगरानी करने की क्षमता में सुधार करने तथा तात्कालिक पूर्वानुमान (अति अल्प अवधि से 6 घंटे अग्रिम) सेवा (पूरे भारत में लगभग 117 स्थानों पर प्रचालित) को चलाने के लिए स्थापित किया गया है। ई.एस.एस.ओ.- आई.एम.डी. अचानक आने वाली बाढ़ तथा भू-स्खलनों के पूर्वानुमान के कार्य से जुड़ा हुआ नहीं है।

(घ) और (ङ) जी हां। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन-भारत मौसम-विज्ञान विभाग (ई.एस.एस.ओ.-आई.एम. डी.) पूरे देश को कवर करने के लिए डी.डब्ल्यू.आर. नेटवर्क के चरणबद्ध तरीके से विस्तार हेतु प्रयत्नशील है।

भ्रामक विज्ञापन

*139. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विभिन्न उत्पादों विशेषकर एल्कोहल, तम्बाकू आदि के संबंध में भ्रामक विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विद्यमान विनियमन क्या हैं;

(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जो कथित रूप से ऐसे विज्ञापनों को दिखाए जाने में संलिप्त हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा त्रुटिकर्ता कंपनियों के विरुद्ध कंपनी-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ङ) भारतीय प्रैस परिषद (पी.सी.आई.) जोकि एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, की स्थापना प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं उनमें सुधार लाने और साथ ही, प्रैस के मध्य स्वविनियमन के सिद्धांतों को अंतर्विष्ट करने के लिए भी की गई है। पी.सी.आई. ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मीडिया द्वारा अनुपालनार्थ 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड' निरूपित किए हैं। 'विज्ञापन' से संबंधित संगत मानदंड 36(ii) में यह विनिर्धारण है कि "ऐसे किसी विज्ञापन को प्रकाशित नहीं किया जाएगा जो सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, मदिरा, एल्कोहल, शराब और अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री या उपभोग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता हो।" पी.सी.आई. स्व-प्रेरणा से या शिकायतों के माध्यम से प्रिंट मीडिया की ऐसी विषय-वस्तु का संज्ञान लेता है जो 'पत्रकारिता आचरण के मानदंडों' का उल्लंघन करती हो।

जहां तक निजी सैटेलाइट टी.वी. चैनलों का संबंध है, ऐसे चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापन केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 में निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुसार विनियमित होते हैं। उक्त नियम के नियम 7(2) (viii)(क) के अनुसार, टी.वी. चैनलों पर शराब या तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन अनुज्ञेय नहीं हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान नियम 7(2) (viii)(क) के उल्लंघन में टी.वी. चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों के बारे में भारतीय प्रैस परिषद में प्राप्त शिकायतों और साथ ही उन पर मीडिया कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफ.एस.एस.) अधिनियम, 2006 की धारा 24, 52 और 53 में क्रमशः अनुचित व्यापारिक पद्धतियों के कारण विज्ञापन पर रोक एवं प्रतिबंध, खराब या गलत ब्रांड वाले आहार के लिए शास्ति और भ्रामक विज्ञापनों के लिए शास्ति का प्रावधान है। एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बने विनियमों का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का दायित्व है।

इसके अतिरिक्त, भ्रामक विज्ञापनों और उनसे उत्पन्न होने वाली अनुचित व्यापारिक पद्धतियों की निगरानी करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग में एक अंतर-मंत्रालयीय निगरानी समिति का गठन किया गया है। यह समिति इस संबंध में मध्यस्थता के लिए समुचित विधायी उपायों और सतत आधार पर संस्थागत उपायों की भी सिफारिश करेगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने भ्रामक विज्ञापनों, सुरक्षित खाद्य पदार्थों के महत्त्व, खाद्य अपमिश्रण आदि के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी किए हैं।

विवरण

भ्रामक विज्ञापन 2011-2012

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्टेटस
1	2	3	4	5
1.	श्री सुरेश चन्द ठुकराल (सू. एवं प्र. मंत्रालय के जरिये)	इकनॉमिक टाइम्स	नशे (वाइन) के विज्ञापन के प्रकाश के संबंध में	अनिष्पादन पर 7-2-2012 को समाप्त
2.	श्री सुमित कुमार रे, शक्ति नगर, भोपाल (सू. एवं प्र. मंत्रालय के जरिये)	प्रिंट मीडिया	भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	अनिष्पादन पर 7-2-2012 को समाप्त
3.	श्री रामदेव, विष्णपुर चम्पारण	प्रभात खबर	भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	अनिष्पादन पर 27-8-2012 को समाप्त
4.	श्री वी. राजू (सू. एवं प्र. मंत्रालय के जरिये)	दिनाकरण	भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	अनिष्पादन पर 2-3-2012 को समाप्त
5.	मो. जाहिद, दहलीर महिला एवं बाल कल्याण सोसायटी जाफराबाद दिल्ली-53	राजनामा राष्ट्रीय सहारा	झूठे और भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	अनिष्पादन पर 2-3-2012 को समाप्त
6.	श्री वी.के. ठक्कर, अध्यक्ष, वी. केयर राइट एंड ड्यूटी एन.जी.ओ. केवल करोडिया रोड, पी.ओ. बाजवा- 391310 (उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं लोक आवंटन के जरिये)	मीडिया	भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	अनिष्पादन पर 27-8-2012 को समाप्त

1	2	3	4	5
7.	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क निरीक्षक, झाजर	मीडिया	झूठे विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में	अनिष्पादन पर 9-10-2012 को समाप्त
8.	श्री दीपक छाबरिया, अध्यक्ष, एम्प्लॉयमेन्ट प्रोमोशन काउंसिल ऑफ इण्डियन पर्सनेल, मुंबई	असाइंमेन्ट्स अब्रोड टाइम्स	विदेशों में नौकरी के भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में	परिषद् द्वारा दिशानिर्देशों के आधार पर दिनांक 09-10-12 को समाप्त कर दिया गया।

भ्रामक विज्ञापन 2012-2013

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्टेटस
1	2	3	4	5
1.	श्री मधुउरंथकम प्रभाका राव, कुमात पल्ली, हैदराबाद-72	दी हिन्दु	मॉटिन नेचरगार्ड के संबंध में भ्रामक विज्ञापन और सम्पादकीय	दिनांक 4-6-12 को समाप्त। प्रकरण दि हिन्दु के ओम्बड्समान को प्रेषित
2-3.	कार्यालय सचिव कंज्यूमर्स इंडिया ई-7/16, वसंत विहार, नई दिल्ली	दिल्ली टाइम्स	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	अनिष्पादन के आधार पर 12-02-2013 को समाप्त
4.	श्री ए. अहमद सोनाली, पदीर हाटी, कोलकाता 66 (पश्चिम बंगाल)	तथ्य केन्द्र	भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	अनिष्पादन के आधार पर 12-02-2013 को समाप्त
5.	श्री प्रभाष कुमार झा, एक्स चीफ सिंहवाडा जिला-दरभंगा (बिहार)	टाइम्स ऑफ इंडिया	आपत्तिजनक विज्ञापन	बैठक में पारित परिषद् के प्रस्ताव के आधार पर 27-08-12 को समाप्त
6.	श्री दीपक छावड़िया,	टाइम्स ऑफ इंडिया	विदेश में नौकरी के संबंध में विज्ञापन का प्रकाशन	विदेश में नौकरियों पर

1	2	3	4	5
	अध्यक्ष इम्प्लॉयमेंट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया परसोनल, मुंबई			परिषद् द्वारा उच्चारित दिशानिर्देशों के आधार पर 29-10-12 को समाप्त
7- 12.	श्री रामानन नायर, पी.जी., कोट्टायम, केरल।	(1) द हिन्दू (2) द न्यू इण्डियन एक्सप्रेस (3) दीपिका डेली (4) मलयला मनोरमा (5) माथ्र भूमि (6) मंगलम डेली	झूठे विज्ञापन का प्रकाशन	संज्ञान न लिए जाने के कारण दिनांक 8-7-13 को समाप्त
13.	श्री अवधेश सिंह भदोरिया, अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, ग्वालियर	मीडिया	अशिष्ट, भ्रामक तथा अश्लील विज्ञापनों को बैन करने के संदर्भ में	विचाराधीन
14.	श्री गुप्तेस्वरा सदंगी, बेरहमपुर, गंजन	ओडिशा भास्कर	झूठे विज्ञापन का प्रकाशन	विचाराधीन
15.	श्री नवकिरन सिंह सोढी, अध्यक्ष - लीगल अवेयरनेस ग्रुप, पटियाला, पंजाब। (सू. एवं प्र. मंत्रालय के जरिये)	मीडिया, अखबार तथा चैनल्स	औषधि तथा जादुई उपचार के विज्ञापनों का प्रकाशन	विचाराधीन
16.	श्री इडारा गोपीचन्द, उपाध्यक्ष, मीडिया वाच इण्डिया,	ईनाडू	कृत्रिम वस्तुओं के विज्ञापनों का प्रकाशन	विचाराधीन

1	2	3	4	5
	नारासराओपेट, आंध्र प्रदेश			
17.	सुश्री हेमा सचिन सोम्मोत्रा	न्यूज 24 चैनल	चैनल द्वारा धोखाधड़ी की सामग्री का दिखाया जाना	विचाराधीन

भ्रामक विज्ञापन 2013-2014

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई/स्टेटस
1	2	3	4	5
1.	सचिव, कन्ज्यूमर्स गाइडेन्स सोसायटी, फ्लैट नं. 1, डोर नं. 58-1-26, वीरापानेनी प्लाजा, परामाता, विजयवाड़ा-520010	आंध्र ज्योति	औषधि तथा जादुई उपचार के आपत्तिजनक विज्ञापनों का प्रकाशन	विचाराधीन
2.	श्री दीपक छाबड़िया, अध्यक्ष, एम्प्लोयमेन्ट प्रोमोशन काउन्सिल ऑफ इंडियन पर्सनेल, 105, साई प्रसाद कमर्शल कॉम्प्लेक्स, खार, मुंबई-400052	एम्प्लोयमेन्ट एण्ड एन.आर.आई. टाइम्स	विदेश में नौकरी के संबंध में गैर-कानूनी विज्ञापन का प्रकाशन	अपने पुराने निर्णय तथा दिशा निर्देशों को दोहराते हुए 12-7-13 को समाप्त
3.	श्री अरविन्द कुमार, अवर सचिव, प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय, अकबर भवन, उत्प्रवास विभाग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	राष्ट्र दीपिका	अपंजीकृत भर्ती एजेंट द्वारा उत्प्रवासी अधिनियम, 1983 के उल्लंघन में विदेशों में रोजगार से संबंधित विज्ञापनों को जारी करने हेतु	विचाराधीन

1	2	3	4	5
4.	श्री दिलीपसिंह डी. घटगे, एडवोकेट, पद्मावती अपार्टमेंट, 521-ई, रेल्वे गेट नं. 1, शाहुपुरी, कोल्हापुर-416001	टाइम्स ऑफ इंडिया	ग्राफिक तुलनात्मक चार्ट में दैनिक पुधारी को निम्नतर स्थान पर दर्शाते हुए भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन	विचाराधीन
5.	श्री प्रशान्त कुमार दूबे, माल्ती कुन्ज, पुर्जागीर, मिर्जापुर, उ. प्र.	अमर उजाला	औषधि तथा जादुई उपचार के प्रत्यायुक्त विज्ञापनों का प्रकाशन	विचाराधीन
6.	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, दलदली बाजार, मन्ना चौक, छपरा, बिहार	हिन्दुस्तान	अचल संपत्ति आवासीय परियोजना से संबंधित धोखाधड़ी वाले विज्ञापन का प्रकाशन	विचाराधीन
7.	श्री कृष्ण कुमार, भारत सरकार के उप-सचिव, तथा श्री समी अहमद खान, भारत सरकार के अवर सचिव, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	1) मलयाला मनोरमा 2) मंगलम	विदेश में नौकरी के संबंध में विज्ञापन का प्रकाशन	विचाराधीन
8.	श्री शचीन्द्र प्रसाद, ई-18, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़ बाग, पटना, बिहार	विभिन्न समाचार पत्र	ज्योतिष तथा 'मित्र बनाओ' जैसे विज्ञापनों का प्रकाशन	विचाराधीन
9.	श्री ऋषि कान्त सिंह, एडवोकेट, चेम्बर नं. 3, इलाहाबाद उच्च न्यायालय	प्रिन्ट मीडिया	बाबाओं, ज्योतिषों तथा तांत्रिकों के संबंध में विज्ञापनों का प्रकाशन	विचाराधीन

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

पिछले तीन वर्षों के दौरान केबल टी.वी. नियम, 1994 के नियम 7(2) (viii)(क) के विरुद्ध विज्ञापनों का प्रसारण करने के लिए चैनलों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

क्र.सं.	विज्ञापन	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	'ब्लैंडर्स प्राइड म्यूजिक सीडी' विज्ञापन के माध्यम से मद्य उत्पादन का विज्ञापन का प्रसारण	संबंधित चैनल को दिनांक 06.04.2010 को चेतावनी जारी की गई।
2.	'ब्लैंडर्स प्राइड म्यूजिक सीडी' विज्ञापन के माध्यम से मद्य उत्पाद का विज्ञापन का प्रसारण	संबंधित चैनल को दिनांक 06.04.2010 को चेतावनी जारी की गई।
3.	'हेवर्ड'-5000 सोडा तथा 'किंगफिशर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर' के उत्पादों के विज्ञापन का प्रसारण	दिनांक 17.06.2010 को सभी टी.वी. चैनलों को उस उत्पाद के विज्ञापन के प्रसारण, जिनके ब्रांड या लोगो का प्रयोग सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, शराब, मदिरा, मद्य या अन्य नशीले पदार्थों के लिए किया जाता है, को बंद करने संबंधी सामान्य आदेश जारी किए गए।
4.	'मैक्डावेल्स सोडा' के उत्पाद का प्रसारण	दिनांक 17.06.2010 को सभी टी.वी. चैनलों को उस उत्पाद के विज्ञापन के प्रसारण, जिनके ब्रांड या लोगो का प्रयोग सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, शराब, मदिरा, मद्य या अन्य नशीले पदार्थों के लिए किया जाता है, को बंद करने संबंधी सामान्य आदेश जारी किए गए।
5.	सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, शराब, एल्कोहोल, मदिरा या अन्य मादक पदार्थों हेतु प्रयोग किए जा रहे ब्रांड और लोगो का प्रयोग करने वाले उत्पादों का विज्ञापन	दिनांक 17.06.2010 को सभी टी.वी. चैनलों को उस उत्पाद के विज्ञापन के प्रसारण, जिनके ब्रांड या लोगो का प्रयोग सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, शराब, मदिरा, मद्य या अन्य नशीले पदार्थों के लिए किया जाता है, को बंद करने संबंधी सामान्य आदेश जारी किए गए।
6.	'मैक्डावेल्स नं. 1 प्लेटिनम सोडा' - द नंबर 1 स्पिरिट ऑफ लीडरशिप का विज्ञापन	ए.एस.सी.आई. से दिनांक 22.07.2011 को अनुरोध किया गया कि इन विज्ञापनों को बंद करने के लिए मामले को विज्ञापनदाताओं के साथ उठाया जाए। ए.एस.सी.आई. ने सूचित

1	2	3
		किया है कि शिकायत को मान लिया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि दिनांक 25 जुलाई, 2011 से सभी चैनलों से उपर्युक्त विज्ञापनों को वापस ले लिया गया है।
7.	इटी नाउ चैनल पर किंगफिशर बीयर के विज्ञापन का प्रसारण	दिनांक 12.09.2012 को चैनल को चेतावनी जारी की गई।
8.	स्टार क्रिकेट चैनल पर वी.बी. बेस्ट कोल्ड बीयर के विज्ञापन का प्रसारण	दिनांक 12.09.2012 को चैनल को चेतावनी जारी की गई।
9.	एफ.टी.वी. वोदका का विज्ञापन	दिनांक 17.01.2013 को एफ.टी.वी. चैनल को चेतावनी जारी की गई।

वन निवासियों के बारे में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

***140. श्री धनंजय महाडीक:**
श्री राजीव सातव:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन निवासियों और जंगल से 3 किलोमीटर की सीमा में उसके किनारे बसे गांवों में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में नया सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया है अथवा कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी एजेंसियों की पहचान की गई है/उनका चयन किया गया है; और

(ङ) इस सर्वेक्षण को शुरू करने और पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ङ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन निवासियों और वनों से 3 किमी. की सीमा के भीतर के समीपवर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया है।

देश के वन आजीविका और भरण-पोषण के लिए वन क्षेत्रों में और उनके आस-पास रहने वाले अनेक लोगों के लिए विशेष महत्त्व रखते हैं, क्योंकि वन पारि-सेवाओं का अनुरक्षण करने के अतिरिक्त खाद्य, ईंधन, चारा, रेशे और परम्परागत औषधियां आदि जैसे मूल्यवान वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए, स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु वनों का सतत प्रबंधन किया जाना अनिवार्य है। स्थानीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति संबंधी आंकड़ों का अभाव होने के कारण वनों से संबंधित वास्तविक मांगों तथा स्थानीय लोगों के कल्याण में वनों के योगदान का अनुमान लगाने में कठिनाई होती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय कार्य योजना कोड-2014 जारी किया है, जिसमें किसी विशिष्ट वन क्षेत्र के प्रबंधन की कार्यमूलक योजना बनाने के एक भाग के रूप में, राज्य वन विभागों द्वारा वनों के समीपवर्ती गांवों में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन और संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का प्रावधान है।

दृश्य मीडिया में अश्लील चित्रण

775. श्री जोस के. मणि:
श्रीमती कमला पाटले:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दृश्य मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों में अश्लीलता बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है और उन पर मामले-वार क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे कार्यक्रमों और विज्ञापनों का विशेषकर बच्चों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए नया कानून बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ग) ऐसा कोई अध्ययन इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं लाया गया है। प्राइवेट टी.वी. चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों की कोई पूर्व-सेंसरशिप नहीं है। तथापि, टी.वी. चैनलों पर प्रसारित तथा केबल टी.वी. नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुन:प्रसारित सभी कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों के संबंध में केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। जब कभी संहिताओं का उल्लंघन मंत्रालय की जानकारी में लाया जाता है, तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में प्राइवेट टी.वी. चैनलों द्वारा अश्लील दृश्यों के प्रसारण के कारण हुए कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निजी टी.वी. चैनलों द्वारा अश्लील दृश्यों का प्रसारण करने के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई

वर्ष-2011

क्रम सं.	चैनल का नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने के कारण	की गई कार्रवाई
1	2	2	3
1.	चैनल (वी)	'फुल टॉस वेला ब्वायज' रियलिटी शो में अश्लील और असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 25.07.2011 को चेतावनी जारी की गई।
2.	बिंदास	'इमोशनल अत्याचार सीजन-2' कार्यक्रम में अभद्र दृश्यों, असभ्य और अश्लील भाषा का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 26.07.2011 को सात दिन तक क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए आदेश दिए गए।
3.	बिंदास	'दादागीरी-रिवेंज आफ द सेक्सेस' कार्यक्रम में असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 03.08.2011 को चेतावनी जारी की गई।

1	2	2	3
4.	टी.एल.सी.	'गेट आउट', 'ब्रिजेट्स सैक्सिएस्ट', बीचिस' जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में अश्लीलता का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 09.08.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया।
5.	पीपल टी.वी.	'अझाचा कझचा' कार्यक्रम में अश्लील विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 19.08.2011 को चेतावनी जारी की गई।
6.	बिंदास	'मेरी तो लग गई नौकरी' कार्यक्रम में अभद्र एवं अश्लील और असभ्य सामग्री का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 20.09.2011 को चेतावनी जारी की गई।
7.	न्यूज 9	'शीला साइज प्रोब्लम्स' कार्यक्रम का प्रसारण जो अभद्र एवं अश्लील प्रतीत हुआ। इसके दृश्य महिलाओं की छवि को खराब करते प्रतीत होते हैं।	दिनांक 23.09.2011 के आदेश के तहत चैनल को क्षमा याचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया।
8.	सहारा समय चैनल	अश्लील दृश्यों वाले न्यूज आइटम का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 21.11.2011 को क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए पत्र भेजा गया।
9.	पी-7	अश्लील दृश्यों वाले न्यूज आइटम का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 21.11.2011 को क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निदेश देते हुए पत्र भेजा गया।
10.	स्टार वर्ल्ड	विभिन्न कार्यक्रमों 'डेक्स्टर', 'द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल', 'लॉस वेगास', 'टू एंड ए हॉफ मैन' और 'हाउ आई मैट यूअर मदर' में अश्लील दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 14.12.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया।
		वर्ष-2012	
11.	एस.एस.टी.वी.	'सिजलिंग हिट्स' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जो अभद्र और अश्लील था।	चैनल को दिनांक 08.02.2012 को आदेश के तहत चैनल का प्रसारण सात दिनों के लिए बंद करने के आदेश दिए गए।
12.	एफ.एक्स चैनल	विभिन्न कार्यक्रमों हार्पर आइलैंड, क्रैश, 'मैड मैन सूत्र', 'फ्राजियर', सेविंग ग्रेस और 'स्कांउड्रेल्स' में अश्लील दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 18.04.2012 को चेतावनी जारी की गई।
13.	फॉक्स क्राइम	'स्लीपर सैल और 1000 वेज टू डाई' कार्यक्रमों में अश्लील दृश्यों का प्रसारण	चैनल को दिनांक 08.05.2012 को चेतावनी जारी की गई।

1	2	2	3
14.	चैनल (वी)	'लव नेट 2' कार्यक्रम में अभद्र, अश्लील और असभ्य विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 28.05.2012 को चेतावनी जारी की गई।
15.	सभी समाचार एवं समसामयिकी चैनल	फिल्मों के अंश दर्शाते ऐसे समाचार कार्यक्रम जिन्हें अप्रतिबंधित लोक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित नहीं किया गया था।	चैनल को दिनांक 19.09.2012 को सलाहपत्र जारी किया गया।
16.	जी ट्रैंड्स	'बिकिनी डेस्टीनेशन' कार्यक्रम में अभद्र, अश्लील और असभ्य दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 05.11.2012 को सलाहपत्र जारी किया गया।
		वर्ष-2013	
17.	एंटर 10	'ए' प्रमाणित हिंदी फीचर फिल्मों मुसाफिर, 'प्लान' और 'आशिक बनाया आपने' का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 08.01.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद करने के आदेश दिए गए।
18.	जिंग	'ए' प्रमाणित फीचर फिल्म 'हवस' का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 08.01.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद करने के आदेश दिए गए।
19.	मनोरंजन टी.वी.	'ए' प्रमाणित फीचर फिल्म 'टॉपलैस' का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 08.01.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद करने के आदेश दिए गए।
20.	एस.एस.टी.वी.	'फ्रैंड्स विद बेनेफिट्स' फिल्म के ट्रेलर का प्रसारण जिसे सी.बी.एफ.सी. द्वारा टी.वी. चैनलों पर प्रसारण के लिए प्रमाणित नहीं किया गया था।	चैनल को दिनांक 08.01.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद करने के आदेश दिए गए।
21.	एफ.टी.वी.	11.09.11 को डिजायनर्स इन हाई डेफीनेशन, 12.09.11 को शेंटेली लिंजरी पेरिस, 15.09.2011 को लिंजरी तथा फिफ्टींथ एनीवर्सरी - टॉप डिजाइनर्स' नामक कार्यक्रमों का प्रसारण जिसमें अश्लील और महिलाओं की छवि को खराब करने वाली सामग्री थी।	चैनल को दिनांक 28.03.2013 के आदेश के तहत 10 दिन तक चैनल का प्रसारण बंद करने के आदेश दिए गए।
22.	एन.डी.टी.वी. गुड टाइम्स	अप्रैल, मई, 2011 के दौरान 'लाइफ इज ए बीच' कार्यक्रमों का प्रसारण जिनमें अश्लील और महिलाओं की छवि को खराब करने वाली सामग्री थी।	चैनल को दिनांक 02.04.2013 को सलाहपत्र जारी किया गया।

1	2	2	3
23.	महुआ	'ए' प्रमाणित हिंदी फीचर फिल्मों 'औलाद' और 'एक और कुरुक्षेत्र' का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 25.04.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद करने के आदेश दिए गए।
24.	ए.एक्स.एन.	'ए' प्रमाणित हिंदी फीचर फिल्म 'डार्कनेस फाल्स' का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 25.04.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद करने के आदेश दिए गए।
25.	मूवीज ओके	स्टेंड अप क्लब कार्यक्रम का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 01.05.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद करने के आदेश दिए गए।
26.	कामेडी सेंट्रल	'स्टेंड अप क्लब' कार्यक्रम का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 17.05.2013 के आदेश के तहत एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण बंद करने के आदेश दिए गए।
27.	आई.बी.एन. 7	'एक्स शावर जेल' के विज्ञापन का प्रसारण जिसमें अश्लील और अभद्र कंटेट शामिल था।	चैनल को 29.05.2013 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें चैनल को इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन प्रसारित नहीं किए जाएंगे।
28.	एम.टी.वी.	'एक्स शावर जेल' के विज्ञापन का प्रसारण जिसमें अश्लील और अभद्र कंटेट शामिल था।	चैनल को 17.06.2013 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें चैनल को इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन प्रसारित नहीं किए जाएंगे।
29.	वी.एच.-1	'एक्स शावर जेल' के विज्ञापन का प्रसारण जिसमें अश्लील और अभद्र कंटेट शामिल था।	चैनल को 17.06.2013 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें चैनल को इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन प्रसारित नहीं किए जाएंगे।

1	2	2	3
30.	कलर्स	'एक्स शावर जेल' के विज्ञापन का प्रसारण जिसमें अश्लील और अभद्र कंटेट शामिल था।	चैनल को 17.06.2013 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें चैनल को इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन प्रसारित नहीं किए जाएंगे।
31.	एन.टी.वी.	न्यूज रिपोर्ट पर प्रसारण जिसमें रुचिकर और शालीनता पर आघात करते हुए महिलाओं के चरित्र हनन संबंधी सामग्री दिखाई गई थी।	चैनल को 18.09.2013 को आदेश जारी करते हुए तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निदेश दिया गया।
32.	जूम टी.वी.	तीसरी आंख नामक ए प्रमाणित फिल्म का प्रसारण।	चैनल को 01.10.2013 को आदेश जारी करते हुए एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण अथवा पुनः प्रसारण रोकने का निदेश दिया गया।
33.	ए.बी.एन. आंध्र ज्योति	इदे मल्लिए वेलावली नामक गीतों पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें अश्लील और महिलाओं की छवि को खराब करने वाली सामग्री थी।	चैनल को 01.10.2013 को आदेश जारी करते हुए एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण अथवा पुनः प्रसारण रोकने का निदेश दिया गया।
34.	मनोरंजन टी.वी.	एक चतुर नार नामक ए प्रमाणित फिल्म का प्रसारण।	चैनल को 17.05.2013 को आदेश जारी करते हुए सात दिनों के लिए चैनल का प्रसारण अथवा पुनः प्रसारण रोकने का निदेश दिया गया।
35.	बिग सी.बी.एस. लव	एक्सक्यूज्ड नामक कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें महिलाओं की छवि को खराब करने वाली सामग्री थी।	चैनल को 15.10.2013 को आदेश जारी करते हुए एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण अथवा पुनः प्रसारण रोकने का निदेश दिया गया।
36.	यू.टी.वी. बिंदास	'इमोशनल अत्याचार सीजन-3' कार्यक्रम में अभद्र विषय वस्तु का प्रसारण।	चैनल को 06.11.2013 को आदेश जारी करते हुए एक दिन के लिए चैनल का प्रसारण अथवा

1	2	2	3
			पुनः प्रसारण रोकने का निदेश दिया गया।
37.	मनोरंजन टी.वी.	सी.बी.एफ.सी. प्रमाणपत्रों के बिना विभिन्न फिल्मों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 26.12.2013 को चेतावनी जारी की गई।
		वर्ष-2014	
38.	डब्ल्यू.बी.	इट्स बॉय गर्ल थिंग नामक वी/यू.ए. प्रमाणित फिल्म का प्रसारण जिसमें अश्लील और महिलाओं की छवि को खराब करने वाली सामग्री थी।	चैनल को दिनांक 16.01.2014 को आदेश जारी करते हुए एक दिन के लिए ऑफ एयर करने का निदेश दिया गया।
39.	अमृता टी.वी.	द डॉन नामक ए प्रमाणित फिल्म का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 27.03.2014 को चेतावनी जारी की गई।

वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण में संयुक्त पहल

776. **श्री नागेन्द्र कुमार प्रधानः** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ट्यूनीशिया गणराज्य से युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने हाल ही में ट्यूनीशिया गणराज्य के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर ट्यूनीशिया की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) भारत-अफ्रीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी संयुक्त पहल कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिसमें ट्यूनीशिया भाग ले रहा है; और

(च) अभी तक इन कार्यक्रमों से दोनों देशों को कितना लाभ हुआ है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारत-अफ्रीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस. एण्ड टी.) पहल के अंतर्गत पास्टयुर इंस्टीट्यूट, ट्यूनीश में वर्ष 2014-15 के दौरान बायोमेडिकल विज्ञान के क्षेत्र में अफ्रीकी देशों के युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए ट्यूनीशिया में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है।

(ग) और (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर अंतर - सरकारी भारत - ट्यूनीशिया संयुक्त समिति की बैठक 24 मई, 2013 को ट्यूनीश में आयोजित की गई। दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए वर्तमान स्थिति और भावी प्रत्याशा की पुनरीक्षा की गई। दोनों देश स्वास्थ्य, विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.), नवीकरणीय ऊर्जा और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग करने और कार्यशालाओं, संयुक्त परियोजनाओं और दोनों तरफ से दौरों के माध्यम से इसे कार्यान्वित करने के लिए सहमत हैं। भारत में ट्यूनीश के राजदूत और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच आयोजित हाल ही की बैठक के दौरान सहयोग को सुदृढ़ किया गया।

(ङ) ट्यूनीशिया गणराज्य भारत - अफ्रीका एस. एण्ड टी. पहल के अंतर्गत 3 प्रमुख कार्यक्रमों में अर्थात् (I) सी. वी. रमन अध्येतावृत्तिः जिसके अंतर्गत 17 ट्यूनीशियाई वैज्ञानिकों को भारतीय अनुसंधान और विकास (आर. एंड डी.) प्रयोगशालाओं और संस्थानों में अनुसंधान करने के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान की गई। (II) प्रशिक्षण कार्यक्रमः आई. सी.टी., ऊर्जा, स्वदेशी ज्ञान प्रणाली और एस. एण्ड टी. नीति के क्षेत्रों में भारत में आयोजित 4 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 6 ट्यूनीशियाई वैज्ञानिकों/अनुसंधानकर्ताओं ने भाग लिया। (III) संस्थागत सुदृढ़ताः टीके, डायग्नोस्टिक्स और औषध विकास के क्षेत्रों में भारतीय संस्थानों के साथ समन्वय करते हुए संस्थागत सुदृढ़ता के लिए ट्यूनीशिया में पास्ट्युर इंस्टीट्यूट की पहचान की गई, में भाग ले रहा है।

(च) इस सहयोग का प्रमुख उद्देश्य अफ्रीका में अनुसंधान और विकास क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास का संवर्द्धन करना है। इसका लक्ष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहभागिता और मूल्य आधारित संबंध को प्रोत्साहित करना है जोकि दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी है।

हिमालय प्रौद्योगिकी के लिए विश्वविद्यालय

777. श्री प्रताप सिम्हाः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार उत्तराखंड में एक नया केन्द्रीय हिमालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्यालय के शाला दीप कार्यक्रम को महाविद्यालयों में दोहराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ई-लाइब्रेरी भी स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी)ः (क) और (ख) जी, हां। माननीय वित्तमंत्री के बजट भाषण के अनुसार, **उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन केन्द्र** की स्थापना करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना (एन. ई.जी.पी.) के अधीन स्कूल शिक्षा में ई-गवर्नेन्स की मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.) हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पायलट निदर्श के आधार पर आई. सी.टी. सुविधायुक्त सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एम.एम.पी. के चरण-I "शाला दर्पण" में अभिभावक संबंधित सेवाएं कार्यान्वित की जाएं।

(घ) और (ङ) जी, हां।

I. भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने नागरिकों, जिनमें स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र और शिक्षक भी शामिल हैं, को एक राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी (एन.ई.एल.) की सुविधा प्रदान की जाए। एन.ई.एल. में अधिकतर संसाधन भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त रूप से उपलब्ध होंगे। तथापि, कुछ विद्वता संसाधन छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं और संकाय के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खरीदे जाएंगे तथा केवल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। एन.ई.एल. में अधिकतर संसाधन डिवाइस-इंडिपेंडेंट होंगे और इन्हें भिन्न-भिन्न डिवाइसों जिनमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, टेबलेट, स्मार्टफोन तथा अन्य डिवाइस शामिल हैं, के प्रयोग द्वारा उपलब्ध किया जा सकेगा।

II. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 13/14 अगस्त, 2013 को एक राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संसाधन भंडार (एन.आर.ओ.ई.आर.) (www.nroer.gov.in वेबसाइट) आरंभ किया है। एन.आर.ओ.ई.आर. एक सहयोगात्मक मंच है जो सभी कक्षाओं और विभागों के लिए स्कूल प्रणाली हेतु अनेक भाषाओं में संगत और समुचित डिजिटल डिजिटाईजेबल संसाधनों को एक साथ लाने का प्रयत्न करता है। ये संसाधन परिकल्पना मानचित्रों, वीडियो, मल्टीमीडिया, अध्ययन साधनों, ऑडियो-क्लिपों, टॉकिंग बुक, फोटोग्राफ, रेखाचित्रों, तथा चार्टों, आलेखों, वाइकी पेजिज और पाठ्यपुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं। एन.आर.ओ. ई.आर. राष्ट्रीय ई-लाइब्रेरी का अंग बनने वाला है।

[हिन्दी]

ताप संयंत्रों से प्रदूषण

778. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला आधारित ताप संयंत्र झीलों, कुओं, नदियों और अपने आस-पास के अन्य जल निकायों को प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार को संयंत्र-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्रदूषण मानदंडों में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मुद्दों के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) यदि एश पोंड से होने वाले बहिस्राव के शोधन हेतु उपयुक्त व्यवस्था न की जाए तो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र अपने आस-पास की नदियों, जलाशयों इत्यादि जैसे जल निकायों को प्रदूषित कर सकते हैं। एश पोंड बहिस्राव की सीमा का अनुपालन न करने वाले ताप संयंत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है तथा जल प्रदूषण फैलाने वाले विद्युत संयंत्रों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा, उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) वायु एवं जल प्रदूषण के लिए ताप विद्युत संयंत्रों के लिए विद्यमान मानकों में संशोधन/बदलाव करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है।

(ङ) ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित होने वाले नए विद्युत संयंत्रों के लिए कड़ी बहिस्राव सीमा (150 एन.जी./एन.एम.^{3} की अधिसूचित सीमा की जगह 50 एम.जी./एन.एम.^{3} विविक्त पदार्थ) निर्धारित की गई है।

(ii) एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए फ्यूल गैस डीसल्फराईजेशन सिस्टम की संस्थापना की गई है।

(iii) पिट-हेड से 1000 किमी. की दूरी से आगे अवस्थित ताप विद्युत संयंत्रों में तत्काल प्रभाव से परिष्कृत कोयले का अनिवार्य प्रयोग, जबकि 500-749 और 750-1000 किमी. के अंदर अवस्थित संयंत्रों में परिष्कृत कोयले का प्रयोग क्रमश: जनवरी, 2016 और 2015 से शुरू किया जाएगा।

(iv) फ्लाइऐश का अनिवार्य प्रयोग ताकि विद्यमान संयंत्रों द्वारा 3 नवंबर, 2009 से 5 वर्षों के अंदर और नए संयंत्रों द्वारा संयंत्रों के शुरू होने की तारीख से 4 वर्षों के अंदर 100 प्रतिशत फ्लाइऐश के उपयोग के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

(v) प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को अपने बहिस्राव तथा उत्सर्जनों की मॉनीटरिंग करने हेतु रियल टाइम मानीटरिंग प्रणाली संस्थापित करने के निदेश दिए गए हैं।

(vi) विद्यमान संयंत्रों को ऐश पॉन्ड बहिस्रावों के पुनर्चक्रण को अपनाकर जल का संरक्षण करने के लिए कहा गया है।

(vii) ताजा जल का प्रयोग करने वाले विद्युत संयंत्रों को पहले की कूलिंग प्रणाली के स्थान पर कूलिंग टावरों (संकेन्द्रण के उच्चतर चक्र वाले) को लगाना होगा।

(viii) पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय स्वच्छतर विद्युत उत्पादन प्रौद्योगिकियों जैसे सर्कुलेटिंग फलुडाइज्ड बैड कम्बस्टन, सुपर क्रिटिकल आदि को कार्यान्वित किया जा रहा है जिनसे प्रति यूनिट पार्टिकुलेट मैटर, एस.ओ.$_2$, एन.ओ.एक्स. और सी.ओ.$_2$ उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलेगी।

विवरण-I

अनुपालन न करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों की सूची

क्र.सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	वायु/जल प्रदूषण अधिनियम का अनुपालन न किया जाना	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	कोरबा (पूर्व), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लि. (सी.एच.एस.पी.जी.सी.एल.) छत्तीसगढ़	वायु एवं जल	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं।
2.	कोरबा (पश्चिम), (सी.एच.एस.पी.जी.सी.एल.) छत्तीसगढ़	वायु एवं जल	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं।
3.	कोरबा, एन.टी.पी.सी., छत्तीसगढ़	जल	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं। इकाई ने एस.पी.सी.बी. को 4.6 करोड़ रु. की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।
4.	अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र, लैंकों पावर, कोरबा	वायु एवं जल	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं। अनुपालन की जांच करने के बाद निदेशों को रद्द किया गया है।
5.	परिछा ताप विद्युत स्टेशन, यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल., यू.पी.	वायु एवं जल	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं।
6.	ओबरा, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लि. (यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल.) यू.पी.	वायु एवं जल	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं।

1	2	3	4
7.	अन्नपाड़ा, यू.पी.वी.यू.एन.एल., यू.पी.	वायु	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं। इकाई ने एस.पी.सी.बी. को 10 लाख रु. की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।
8.	मुजफ्फरपुर ताप विद्युत स्टेशन, कांति बिजली उत्पादन निगम लि., बिहार	वायु एवं जल	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं। इकाई ने सी.पी.सी.बी. को 10 लाख रु. की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।
9.	कोलाघाट ताप विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल पावर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लि., पश्चिम बंगाल	वायु एवं जल	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं। इकाई ने सी.पी.सी.बी. को 25 लाख रु. की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।
10.	छाबड़ा ताप विद्युत स्टेशन जिला बारण, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लि.	वायु	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं।
11.	तेनुघाट ताप विद्युत स्टेशन, जिला बोकारो, झारखंड	वायु	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं। इकाई ने सी.पी.सी.बी. को 25 लाख रु. की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।
12.	चन्द्रपुरा, डी.वी.सी., झारखंड	वायु	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं। इकाई ने सी.पी.सी.बी. को 25 लाख रु. की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।
13.	काहलगांव, एन.टी.पी.सी., बिहार	जल	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए

1	2	3	4
			हैं। इकाई ने सी.पी.सी.बी. को 25 लाख रु. की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी।
14. तालचेर, एन.टी.पी.सी., ओडिशा		वायु	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु ई.पी.ए., 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं। इकाई ने सी.पी.सी.बी. को 20 लाख रु. की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।
15. पत्राटू, झारखंड एस.ई.बी., झारखंड		वायु	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु संयंत्र को निदेश देने के लिए एस.पी.सी.बी. को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का निदेश 18 (1) ख जारी किया गया है।
16. सतपुड़ा		वायु एवं जल	एम.पी.पी.सी.बी. को मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एम.पी.ई.बी. को निदेश देने हेतु कहा गया है।
17. एन्नोर, तमिलनाडु		जल	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु उपाय करने के लिए संयंत्र को निदेश देने हेतु कहा गया है।
18. सिक्का, जी.एस.ई.जी.सी.एल.		वायु	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु उपाय करने के लिए संयंत्र को निदेश देने हेतु कहा गया है।
19. कच्छ लिग्नाइट, एन.एल.सी., गुजरात		वायु	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु संयंत्र को निदेश देने के लिए एस.पी.सी.बी. को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का निदेश 18(1)ख जारी किया गया है।
20. भुसावल, महाराष्ट्र		वायु एवं जल	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों

1	2	3	4
			के अनुपालन के लिए एस.पी.सी.बी. के साथ सहमत संयुक्त कार्य योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इकाई ने एस.पी.सी.बी. को 79 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।
21.	कोराडी, महाराष्ट्र	वायु एवं जल	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु संयंत्र को निदेश देने के लिए एस.पी.सी.बी. को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का निदेश 18(1)ख जारी किया गया है।
22.	पारस थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र	वायु	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु संयंत्र को निदेश देने के लिए एस.पी.सी.बी. को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का निदेश 18(1)ख जारी किया गया है।
23.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि. थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल	वायु	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु संयंत्र को निदेश देने के लिए एस.पी.सी.बी. को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का निदेश 18(1)ख जारी किया गया है।
24.	रायलसीमा थर्मल पावर स्टेशन, आन्ध्र प्रदेश	वायु	समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु संयंत्र को निदेश देने के लिए एस.पी.सी.बी. को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का निदेश 18(1)ख जारी किया गया है।
25.	कोथगुन्डेम	वायु	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समयबद्ध तरीके से पर्यावरणीय मानदण्डों के अनुपालन हेतु उपाय करने के लिए संयंत्र को निदेश देने हेतु कहा गया है।

विवरण-II

उन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा, जिनके विरुद्ध जल प्रदूषण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं (वर्ष 2012-2014 के दौरान)

क्र.सं.	संयंत्र का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	राज्य	की गई कार्रवाई
1.	परिछा थर्मल पावर संयंत्र, यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल. झांसी	उत्तर प्रदेश	पी.टी.पी.एस. को अनुपालना हेतु ई.पी.ए. की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए गए हैं।
2.	रिहंद थर्मल पावर संयंत्र, एन.टी.पी.सी.	उत्तर प्रदेश	एन.टी.पी.सी. ने रिहंद जलाशय में होने वाले जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए एश वाटर रिसर्कूलेशन सिस्टम प्रदान किया है।
3.	वर्धा पावर कम्पनी, चन्द्रपुर	महाराष्ट्र	यह मामला कार्रवाई के लिए एम.पी.सी.बी. को भेजा गया है।
4.	भुसावल थर्मल पावर संयंत्र, दीपनगर, तालुका-भुसावल, जलगांव, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	एम.पी.सी.बी. को सी.पी.सी.बी. द्वारा किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

आई.आई.आई.टी. की स्थापना

779. श्री जोस के. मणि:
श्री सी.आर. पाटील:
श्री बी. श्रीरामुलु:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का गुजरात, कर्नाटक और केरल सहित देश के विभिन्न भागों में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति देने और इन संस्थानों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) जी, हां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2808.77 करोड़ रु. (2558.71 करोड़ रुपए अनावर्ती, 200.00 करोड़ रुपए आवर्ती तथा 50.00 करोड़ रुपए संकाय विकास के लिए) के परिव्यय से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए 07.12.2010 को एक योजना का अनुमोदन किया था। प्रत्येक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की पूंजीगत लागत 128.00 करोड़ रुपए है जिसमें 50:35:15 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में 57.5:35:7.5) के अनुपात में क्रमशः केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग जगत द्वारा अंशदान किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार बाधामुक्त 50-100 एकड़ भूमि निःशुल्क प्रदान करेगी।

गुजरात (आई.आई.आई.टी., बड़ोदरा), कर्नाटक (आई.आई.आई.टी., धारवाड़) और केरल (आई.आई.आई.टी., कोट्टायम) सहित पन्द्रह राज्यों से कुल सोलह प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किया गया है। आई.आई.आई.टी., बड़ोदरा गुजरात ने डी.ए.-आई.सी.टी., गांधीनगर के अस्थायी

कैंपस में कम्प्यूटर विज्ञान और इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार में प्रत्येक में 60 छात्रों के साथ 2013-14 से अपना शैक्षिक सत्र आरंभ कर लिया है। पी.पी.पी. पद्धति पर दूसरे आई.आई.आई.टी. की स्थापना सूरत में करने का गुजरात सरकार का प्रस्ताव है। कर्नाटक के मामले में स्थल चयन समिति (एस.एस.सी.) ने थडासिनाकोप्पा ग्राम, धारवाड़ तालुका, धारवाड़, कर्नाटक में 61.06 एकड़ भूमि अनुमोदित की है। कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे समझौता ज्ञापन तथा संगम ज्ञापन प्रेषित कर दें। केरल के मामले में समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) तथा संगम ज्ञापन (एम.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं और आई.आई.आई.टी., कोट्टयम केरल सोसाइटी पंजीकृत कर ली गई है।

(ख) संबंधित ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पद्धति में 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की परियोजना को 2011-12 से 2019-20 तक नौ वर्षों में पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने जाने का लक्ष्य है। केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पद्धति में 20 में से 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना को अनुमोदित किया है। शेष आई.आई.आई.टी. का अनुमोदन राज्य सरकारों द्वारा भूमि और उद्योग जगत से भागीदारों का पता लगा लिए जाने के बाद किया जाएगा।

विवरण

पी.पी.पी. पद्धति में 20 नये आई.आई.आई.टी. स्थापित करने संबंधी योजना की स्थिति

* मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 20 आई.आई.आई.टी. की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे।

* जिन राज्य सरकारों ने भूमि का पता लगा लिया है वे हैं: आंध्र प्रदेश (चित्तूर और काकीनाडा), असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (पुणे तथा नागपुर), मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश।

* आंध्र प्रदेश (चित्तूर), आंध्र प्रदेश (काकीनाडा), असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र (पुणे), उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर तथा त्रिपुरा के प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर लिए गए हैं।

* आई.आई.आई.टी. - चित्तूर (आंध्र प्रदेश), आई.आई.आई.टी. - कोटा (राजस्थान) तथा आई.आई.आई.टी. (असम), आई.आई.आई.टी., बड़ोदरा (गुजरात), आई.आई.आई.टी., तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), आई.आई.आई.टी., बोधजंगनगर (त्रिपुरा) और आई.आई.आई.टी., कोट्टायम (केरल), आई.आई.आई.टी. लखनऊ (उत्तर प्रदेश), आई.आई.आई.टी. ऊना (हिमाचल प्रदेश), आई.आई.आई.टी. सेनापति (मणिपुर) तथा आई.आई.आई.टी. कल्याणी (पश्चिम बंगाल) के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं।

* आई.आई.आई.टी. - चित्तूर (आंध्र प्रदेश), आई.आई.आई.टी. - कोटा (राजस्थान) तथा आई.आई.आई.टी. (असम), आई.आई.आई.टी. चिरापल्ली (तमिलनाडु), आई.आई.आई.टी. कोट्टायम, केरल, आई.आई.आई.टी. लखनऊ (उत्तर प्रदेश), आई.आई.आई.टी. ऊना (हिमाचल प्रदेश), आई.आई.आई.टी. बड़ोदरा (गुजरात), आई.आई.आई.टी. सेनापति, मणिपुर तथा आई.आई.आई.टी. कल्याणी (पश्चिम बंगाल) के संघ ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं और उन्हें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है।

* आई.आई.आई.टी. - कोटा (राजस्थान), आई.आई.आई.टी. चित्तूर (आंध्र प्रदेश), आई.आई.आई.टी. गुवाहाटी (असम) तथा बड़ोदरा (गुजरात) में अवर स्नातक पाठ्यक्रम में और तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु) में स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के साथ 5 आई.आई.आई.टी. में 2013-14 शैक्षिक सत्र आरंभ हो गया है।

* आई.आई.आई.टी. - कोटा (राजस्थान) को वित्त

वर्ष 2012-13 में 3.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान आई.आई.आई.टी. - गुवाहाटी, असम को 5.00 करोड़ रुपए, आई.आई.आई.टी. बड़ोदरा (गुजरात) को 2.8 करोड़ रुपए, आई.आई.आई.टी., तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) को 5.00 करोड़ रुपए तथा आई.आई.आई.टी. ऊना (हिमाचल प्रदेश) को 2.0375 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

* बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, ओडिशा तथा गोवा की राज्य सरकारों से विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

वन्यजीवों पर विकिरण का प्रभाव

780. श्री हंसराज गंगाराम अहीर: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मोबाइल टॉवरों द्वारा उत्सर्जित वैद्युत-चुम्बकीय विकिरण (ई.एम.आर.) के वन्य जीवों, पक्षियों आदि पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार वनों में मोबाइल टॉवरों की स्थापना संबंधी विनियमन बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या व्यापक कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अगस्त, 2010 में डॉ. असद रहमानी, निदेशक, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की अध्यक्षता में 'पक्षियों और मधुमक्खियों सहित वन्यजीवों पर संचार टॉवरों के संभावित प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक 'विशेषज्ञ समिति' का गठन किया था। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मंत्रालय द्वारा संबंधित संगठनों के परामर्श से रिपोर्ट की जांच की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे संकेत हैं कि इलैक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों का पशुओं, पक्षियों और कीटों की जैविकीय प्रणालियों पर प्रभाव पड़ता है। मंत्रालय ने पक्षियों तथा मधुमक्खियों सहित वन्यजीवों पर मोबाइल टॉवरों के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए उनके प्रयोग के संबंध में एक एडवायजरी जारी की है। इस एडवायजरी में, अन्य बातों के साथ-साथ, दूरसंचार विभाग से सिफारिश की गई है कि उच्च विकिरण के क्षेत्रों की अतिव्याप्ति को रोकने हेतु विद्यमान टॉवरों के एक किलोमीटर के दायरे में नए टॉवरों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एडवायजरी की विषय-वस्तु संलग्न विवरण में दी गई है। मंत्रालय द्वारा इस एडवायजरी को संबंधित संगठनों को सूचना तथा अपेक्षित कार्रवाई के लिए परिचालित किया गया है।

विवरण

पक्षियों और मधुमक्खियों सहित वन्यजीवों पर मोबाईल टावरों के प्रभावों को कम करने के लिए इनके प्रयोग संबंधी एडवायजरी

दिनांक 30 अगस्त 2010 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'पक्षियों और मधुमक्खियों सहित वन्यजीवों पर संचार टावरों के सम्भावित प्रभावों का अध्ययन कराने हेतु विशेषज्ञ समिति' गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

रिपोर्ट में विशेषज्ञ समिति द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक सूचना की समीक्षा से पता चलता है कि इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक रेडियेशन्स (ई.एम.आर.) जैव प्रणालियों में बाधा उत्पन्न करती है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और पणधारियों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर ई.एम.आर. आधारित सेवाओं को उपलब्ध कराने, विनियमित करने और किसी भी प्रकार से सम्बद्ध विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों की एक सूची तैयार की गई है। इन सूचीबद्ध कार्रवाइयों का मुख्य उद्देश्य ई.एम.आर. के प्रभावों से बचना और उनका उपशमन करना है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तदनुसार संबंधित विभागों, राज्य सरकारों, प्रयोक्ता एजेंसियों और जनता से निम्नलिखित कार्रवाइयां करने का अनुरोध किया जाता है:

I. पर्यावरण और वन मंत्रालयः

1. संचार टावरों से उत्पन्न होने वाले इलैक्ट्रो मेग्नेटिक विकिरणों का वन्यजीवों, विशेषकर पक्षियों और मधुमक्खियों पर अलग-अलग नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तदनुसार, विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों के साथ-साथ मानवों पर प्रभावों के बारे में सूचना संबंधित एजेंसियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ई.एम.आर. की सुरक्षित सीमा के लिए मानकों को अधिसूचित करने हेतु प्रतिमानों को विनियमित किया जा सके।

II. राज्य/स्थानीय निकायः

1. दूर संचार विभाग के अधिसूचित प्रतिमानों के संदर्भ में शहरी स्थानों/शैक्षिक/अस्पताल/औद्योगिक/आवासीय/मनोरंजन परिसरों और विशेषकर संरक्षित क्षेत्रों (पी.ए.) तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में ई.एम.आर. की नियमित रूप से ऑडिटिंग और मॉनीटरिंग की जानी चाहिए। ई.एम.आर. की दृष्टि से समस्याग्रस्त टावरों को उपयुक्त रूप से अन्यत्र लगाया/हटाया जाना चाहिए।

2. टावरों में और इनके आस-पास सैल फोन टावरों और उनसे संबंधित विकिरणों के खतरों के बारे में सुस्पष्ट संकेत और संदेश दिए जाने चाहिए। इन संकेतों के अलावा उच्च दिनचरी रैप्टर अथवा वाटरफौल गतिविधियों के क्षेत्रों में विजुअल डेटाइम मार्कर के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

3. टावरों के निर्माण की अनुमति देने से पूर्व, वन्यजीव और/अथवा पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय प्रभाव मूल्यांकन और संस्थापना स्थलों की समीक्षा आवश्यक होगी। संरक्षित क्षेत्रों और चिड़ियाघरों में तथा उनके आस-पास सैल फोन टावरों की संस्थापना से पूर्व वन विभाग से परामर्श किया जाना चाहिए।

III. राज्य पर्यावरण और वन विभागः

1. राज्य सरकारों और संबंधित विभागों द्वारा मीडिया के सभी रूपों और क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च स्तर पर नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लोगों को सैल फोन टावरों और उनसे होने वाले ई.एम.आर. के खतरों के विभिन्न प्रतिरूपों तथा मानकों के बारे में जागरूक बनाया जा सके। ऐसे नोटिस वन विभाग द्वारा सभी वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में लगाए जाने चाहिए।

IV. दूरसंचार विभागः

1. उच्च विकिरण क्षेत्रों में अतिव्याप्ति से बचने के लिए, विद्यमान टावरों के एक किलोमीटर की परिधि में नये टावरों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए निष्क्रिय अवसंरचना को साझा किया जाना अनिवार्य कर दिया जाय तो अतिरिक्त टावरों की आवश्यकता कम की जा सकती है। यदि नए टावरों को बनाया जाना आवश्यक हो तो इनका निर्माण अति सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, ताकि पक्षियों के उड़ान-पथ में कोई बाधा उत्पन्न न हो और न ही एक क्षेत्र के सभी टावरों से संयुक्त रूप से विकिरण में वृद्धि हो।

2. सैल फोन टावरों और ई.एम.आर. उत्सर्जित करने वाले अन्य टावरों की अवस्थिति तथा फ्रिक्वेंसी को पब्लिक डॉमेन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह कार्य नगर/जिला/ग्राम स्तर पर किया जा सकता है। सभी सैल फोन टावरों की अवस्थिति-वार जी.आई.एस. मैपिंग का रख-रखाव किया जाना चाहिए जिससे अन्य बातों के साथ-साथ मोबाइल टावरों में और इनके आस-पास और साथ-ही वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में/अथवा आस-पास पक्षियों एवं मधुमक्खियों की आबादी की मॉनीटरिंग करने में सहायता मिलेगी।

3. जीवन के विभिन्न स्वरूपों पर ई.एम.आर. के प्रभावों से संबंधित उपलब्ध साहित्य को ध्यान में रखते हुए ई.एम.आर. के प्रभाव की सुरक्षित सीमाओं संबंधी भारतीय मानकों में संशोधन किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। भारतीय मानकों में संशोधन किए जाने तक, नेटवर्कों के ईष्टतम कार्य-निष्पादन से समझौता किए बिना प्रभाव स्तरों को न्यूनतम करने और यथासंभव सख्त प्रतिमानों को अपनाने के लिए एक एहतियाती दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जा सकती है।

V. सभी संबंधित एजेंसियांः

1. भू-तल सुविधाओं हेतु सुरक्षा लाइटिंग को न्यूनतम किया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो, बिंदुओं को नीचे की ओर अथवा ढका हुआ रखा जाना चाहिए ताकि पक्षी उनसे न टकराएं।

2. वन्यजीवों वर ई.एम.एफ. विकिरण के प्रभाव संबंधी किए गए किसी अध्ययन को वन विभाग और दूरसंचार विभाग से साझा किए जाने की आवश्यकता है ताकि समुचित नीति बनाई जा सके।

ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान

781. **श्री सुनील कुमार सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं विकसित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान से निधियां प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

छत्तीसगढ़ संवर्ग के अधिकारी

782. **श्रीमती कमला पाटले:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कितने आई.ए.एस. अधिकारी स्वीकृत हैं;

(ख) कितने पद रिक्त हैं और उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के कितने आई.ए.एस. अधिकारी अन्य राज्यों में कार्यरत हैं;

(घ) क्या इस संबंध में न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा जारी अनुदेशों के बावजूद ये अधिकारी अपनी इच्छा के राज्यों में कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के छत्तीसगढ़ संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या (टी.ए.एस.) 178 है।

(ख) आज की तिथि में छत्तीसगढ़ संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 45 अधिकारियों की कमी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न संवर्गों में कमी एक अखिल भारतीय तथ्य है। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने गत वर्षों में सीधी भर्ती कोटा के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती में वृद्धि की है। पदोन्नति कोटा में राज्य सेवा अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्त करने हेतु चयन समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की गई है।

(ग) शून्य।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु निधियां

783. **श्री रामसिंह राठवा:**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास (आर. एंड डी.) पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का कितने प्रतिशत खर्च किया गया है;

(ख) अन्य ब्रिक्स देशों के समरूपी आंकड़े क्या हैं;

(ग) आर. एण्ड डी. में निवेश का वांछित स्तर क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषी नीति तैयार की है और वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु जी.डी.पी. का न्यूनतम दो प्रतिशत व्यय करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे किस प्रकार प्राप्त किए जाने की योजना है तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) विश्वविद्यालयों द्वारा नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने संबंधी कोई योजना, यदि कोई है, के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में भारत के अनुसंधान एवं विकास का व्यय और ब्रिक्स देशों के संगत आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति (एस.टी.आई.) 2013 के अनुसार सरकार की योजना XIIवीं योजनावधि के अंत तक अनुसंधान एवं विकास में निवेश को जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में मौजूदा 0. 88 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत तक करने की है। सरकार की इस लक्ष्य को हासिल करने की योजना है बशर्ते निजी क्षेत्र अपने आर. एंड डी. निवेश में कम से कम इतनी वृद्धि करे कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के आर. एंड डी. निवेश के समतुल्य हो सके। तदनुसार, एस.टी.आई. नीति में अनेक उपाय यथा विभिन्न नीतिगत परिवर्तन, उद्योग एवं कार्यनीतिगत क्षेत्रों सहित आर. एंड डी. में निवेश में वृद्धि, आधारभूत विज्ञान अवसंरचना का विस्तार, सार्वजनिक निजी भागीदारी के नए प्रतिमान और प्रोत्साहक अंतरराष्ट्रीय सहयोग आदि का उल्लेख किया गया है।

(च) इस समय, विश्वविद्यालयों द्वारा अभिनव अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि विश्वविद्यालयों में अभिनव अनुसंधान को संवर्द्धित एवं प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किए जा रहे महिला विश्वविद्यालयों में नवोन्मेष एवं उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान को प्रोत्साहन (पर्स), महिला विश्वविद्यालयों में नवोन्मेष एवं उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण (क्यूरी), विश्वविद्यालयों एवं उच्चतर संस्थाओं में एस. एंड टी. अवसंरचनाओं के सुधार के लिए निधि (फिस्ट), पेटेंट अधिग्रहण और सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (पेस) आदि जैसी अनेक स्कीमें पहले से ही संचालित की जा रही है।

विवरण

ब्रिक्स देशों के लिए जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में आर. एंड डी. व्यय

देश	2009	2010	2011
ब्राजील	1.17	1.16	उपलब्ध नहीं
रूसी संघ	1.25	1.16	1.12
भारत	0.87	0.87	0.88*
चीन	1.70	1.76	1.84
दक्षिण अफ्रीका	0.87	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्रोत: क. यूनेस्को आंकड़ा केन्द्र (दिनांक 11 जुलाई, 2014 को प्राप्त आंकड़े)

ख. अनुसंधान एवं विकास आंकड़ा 2011-12 डी.एस.टी. (भारत सरकार) भारत और अन्य ब्रिक्स देशों के लिए वर्ष 2011 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नोट: एन.ए. - उपलब्ध नहीं *अनुमानित

[हिन्दी]

दुमना विमानपत्तन का विस्तार

784. श्री राकेश सिंह: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जबलपुर के दुमना विमानपत्तन सहित विमानपत्तनों के विस्तार के लिए वन भूमि के प्रयोग हेतु अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के

राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा निम्नवत् है:

प्रस्ताव का नाम - विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण मध्य प्रदेश के पक्ष में जबलपुर जिले में विमानपत्तन के विकास तथा विस्तार के लिए 24.26 हेक्टेयर आरक्षित, संरक्षित और राजस्व वन भूमि का अपवर्तन।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव 18.06.2014 को प्राप्त हुआ और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा 07.07.2014 को चरण-I का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में यौन उत्पीड़न

785. श्रीमती वे॰. मरगथम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों के साथ विद्यालयों में हिंसा और यौन उत्पीड़न के संबंध में चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ग) विद्यालयों में हिंसा और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (ग) स्कूल शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के नाते, राज्य सरकारों का यह उत्तरदायित्व है कि वे स्कूलों में हिंसा और यौन उत्पीड़न रोकने के उपाय करें। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल शिक्षा बोर्ड होने के नाते अपने संबद्ध स्कूलों में हिंसा और यौन उत्पीड़न रोकने हेतु अपने संबंधन उप-नियमों में अनेक प्रावधान किए हैं। इनमें यदि किसी कार्मिक पर स्कूल के किसी विद्यार्थी के साथ क्रूरता में शामिल होने का आरोप है तो उसे निलंबित रखने हेतु स्कूल प्रबंधन समिति को सशक्त बनाना; विशाखा मामले में निर्धारित मानकों के अनुरूप लिंग भेद विशिष्ट हिंसा की व्याख्या; सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों के भाग के रूप में माध्यमिक स्तर पर कक्षा IX से किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन, पाठ्यचर्या में नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाना और लैंगिक मामलों पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, सी.बी.एस.ई. ने लैंगिक संवेदनशील शिक्षा-विज्ञान पर एक शिक्षक (एजुकेटर) मैनुअल भी प्रकाशित किया है और कक्षा XI तथा XII के लिए एक ऐच्छिक पाठ्यक्रम 'मानवाधिकार और लैंगिक अध्ययन' आरंभ किया है। इसके अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जनवरी 2013 में सभी राज्य सरकारों को भी इस बात पर बल देते हुए पत्र लिखा है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों की पुन: जांच; लैंगिक सहायक सामग्री हेतु सुधार; वार्षिक सेवा-कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सभी अध्यापकों के साथ कम से कम 2-3 दिन का लैंगिक मॉड्यूल का आयोजन; स्कूल निगरानी प्रणाली में ऐसे लैंगिक संवेदनशील पैरामीटरों की जांच सूची शामिल करें जो कक्षा-कक्ष कार्यकलापों और स्कूल की पाठ्यचर्या से अलग कार्यकलापों में लैंगिक संवेदनशीलता और उच्च प्राथमिक कक्षाओं से शारीरिक शिक्षा कक्षाओं, जिनमें बालकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण शामिल है, को प्रोत्साहित करें और लैंगिक संवेदनशील सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, सी.बी.एस.ई. ने सी.बी.एस.ई. से संबद्ध सभी स्कूलों में कार्यान्वयन हेतु बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत तैयार की गई नियमावली के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.11.2012 को जारी की गई राजपत्र अधिसूचना भी मार्च, 2013 में परिचालित की है।

गंगा कार्य-योजना

786. डॉ. एम. तंबिदुरै: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा कार्य-योजना (जी.ए.पी.) चरण-एक और चरण-दो के अंतर्गत किए गए प्रयासों के बावजूद गंगोत्री से ही गंगा नदी अत्यधिक प्रदूषित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अभी तक की गई पहलों के परिणामस्वरूप की गई प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गंगा कार्य-योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और दोनों चरणों पर अभी तक कितनी निधियां व्यय की गई हैं; और

(घ) देश की प्रमुख नदियों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ग) गंगा कार्य योजना (जी.ए.पी.) चरण-I की शुरुआत वर्ष 1985 में एक केन्द्रीय वित्त पोषित स्कीम के रूप में की गई थी और बाद में गंगा नदी की जल गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 1993 में जी.ए.पी. चरण-II शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सीवेज के अवरोधन तथा विपथन और सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना सहित विभिन्न प्रदूषण उपशमन स्कीमें चलाई गई थीं। जी.ए.पी. के दोनों चरणों के अन्तर्गत, गंगा नदी के अभिज्ञात प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण उपशमन कार्यकलाप करने के लिए कुल 575 स्कीमें मंजूर की गई हैं, जिनमें से 1098 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एम.एल.डी.) के प्रदूषण भार की शोधन क्षमता के साथ 524 स्कीमें स्थापित की गई हैं। जी.ए.पी.-I और II के अन्तर्गत क्रमशः 869 एम.एल.डी. और 229 एम.एल.डी. क्षमता की स्थापना की जा चुकी है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार जी.ए.पी. चरण-I और II के अन्तर्गत गंगा नदी के संरक्षण पर कुल 986.34 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

चूंकि गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या का समाधान जी.ए.पी. से पूरी तरह नहीं किया जा सका, अतः सरकार ने एक समग्र तथा एकीकृत नदी बेसिन दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए नदी संरक्षण कार्यनीति में परिवर्तन किए हैं। केन्द्र सरकार ने दिनांक 20.02.2009 की अधिसूचना द्वारा गंगा नदी के लिए एक अधिकार प्राप्त आयोजना, वित्त पोषण, मॉनीटरिंग और समन्वयन प्राधिकरण के रूप में 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (एन.जी.आर.बी.ए.) की स्थापना की है जिसका उद्देश्य आयोजना की इकाई के रूप में नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और गंगा नदी का संरक्षण करना है।

(घ) नदियों का संरक्षण केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सतत और सामूहिक प्रयास है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच लागत भागीदारी आधार पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) के अन्तर्गत विभिन्न नदियों के अभिज्ञात क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या का निराकरण करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरित कर रहा है। एन.आर.सी.पी. में, गंगा कार्य योजना (जी.ए.पी.)-I, जी.ए.पी.-II एवं राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) को छोड़कर, 18 राज्यों के 121 नगरों की 40 नदियों के प्रदूषित क्षेत्र शामिल हैं जिनके लिए इस समय 5334.97 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत है। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रदूषण स्कीमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अशोधित सीवेज का अवरोधन एवं विपथन/सीवरेज प्रणाली की स्थापना, सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, अल्प लागत शौचालय/सामुदायिक स्नानागार परिसरों का निर्माण, शवदाहगृहों का निर्माण और नदी तटाग्र का विकास शामिल हैं। मार्च, 2014 के अन्त तक राज्यों को 3240.30 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई हैं और जी.ए.पी.-I, जी.ए.पी.-II और एन.जी.आर.बी.ए. को छोड़कर, एन.आर.सी.पी. के अन्तर्गत 3729.49 एम.एल.डी. की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

राजीव आवास योजना

787. श्री प्रतापराव जाधवः क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की बुनियादी नागरिक सुविधाओं के लिए किए गए उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजीव आवास योजना के अंतर्गत घरों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में पता लगाए गए/चिन्हित स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में राजीव आवास योजना के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) राजीव आवास योजना (आर.ए. वाई.) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आवास एवं नागरिक सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकास, ठोस कचरा प्रबंधन, पहुंचमार्ग एवं आंतरिक मार्ग, पथ प्रकाश इत्यादि मुहैया कराने के लिए अनुमेय है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में 39 शहर राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) के अंतर्गत शामिल हैं। शहरों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

आज की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) के अधीन कोई भी परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई है।

विवरण

महाराष्ट्र में राजीव आवास योजना के अंतर्गत शामिल शहरों की सूची

1	2
1.	ग्रेटर मुंबई, यू.ए.
2.	पुणे यू.ए.
3.	नागपुर
4.	नासिक
5.	औरंगाबाद
6.	शोलापुर
7.	भिवंडी
8.	अमरावती
9.	कोल्हापुर
10.	सांगली-मिराज कुपवाड
11.	नांदेड़-वागला
12.	मालेगांव
13.	अकोला
14.	जलगांव
15.	अहमदनगर
16.	धुले
17.	चंद्रपुर
18.	लातूर
19.	अम्बरनाथ
महाराष्ट्र	
20.	भुसावल
21.	बरसई
22.	इचलकरंजी
23.	अचलपुर
24.	पनवेल
25.	बीड
26.	गोडिया
27.	सतारा
28.	जलना
29.	वर्धा
30.	यवतमाल
31.	परभानी
32.	भंडारा
33.	बुलधाना
34.	उस्मानाबाद
35.	गढ़चिरौली
36.	हिंगोली
37.	नंदुरबार
38.	रत्नागिरि
39.	वाशिम

केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति

788. श्री नलीन कुमार कटील: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वीकृत संख्या की तुलना में केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के कारण आई.ए.एस. और आई.पी.एस. संवर्ग में अत्यधिक अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) नियमों के अंतर्गत अनुमेय अवधि से अधिक अवधि तक विभिन्न राज्यों से केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर बने रहने वाले आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में इस विस्तार के संवर्गवार क्या कारण बताए गए हैं और वे किन स्थानों पर तैनात हैं; और

(घ) गैर-केंद्रीय कर्मचारी योजना पदों के संबंध में भी सामान्य प्रतिनियुक्ति अवधि से अधिक अवधि तक बने रहने वाले अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) किसी भी राज्य के 40% तक वरिष्ठ ड्यूटी पद उस राज्य के लिए आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व हेतु प्राधिकृत हैं राज्यवार स्वीकृत संख्या तथा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस प्रकार, इसमें अंतर है।

(ख) से (घ) केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अनुमेय कार्यकाल मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति (ए.सी.सी.) द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार विनियमित होता है न कि वैधानिक नियमों द्वारा। विभिन्न पदों के लिए विशिष्ट कार्यकाल हैं, दिशा-निर्देश में संवर्ग से बाहर सामान्यत: अधिकतम सात वर्षों का और यदि समूची अवधि एल.बी.एस.एन.ए.ए. और एस.वी.पी. एन.पी.ए. में बितायी गई हो तो साढ़े सात वर्षों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। सात वर्षों की अवधि के अंत में भारत सरकार के विदेश/कैप्टिव पदों पर नियुक्त अधिकारियों का कार्यकाल इस अवधि से आगे संवर्ग के बाहर सात वर्षों की सीमा को बढ़ाते हुए तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में उपलब्ध केंद्रीकृत सूचना के अनुसार तथा भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा अधिकारियों के संबंध में क्रमश: गृह मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार प्रत्येक मामले के कारणों सहित संवर्ग के बाहर अनुमत्य अधिकतम कार्यकाल से अधिक समय से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (सी.एस.एस./गैर सी.एस.एस.) पर कार्यरत अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्यवार स्वीकृत संख्या तथा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या

क्र.सं.	संवर्ग	स्वीकृत संख्या		केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व		केंद्र में अधिकारियों की संख्या	
		भाप्रसे	भापुसे	भाप्रसे	भापुसे	भाप्रसे	भापुसे
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ए.जी.एम.यू.टी.	337	160	73	64	28	30
2.	आंध्र प्रदेश	376	140	81	56	32	24

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम मेघालय	248	103	54	41	43	27
4.	बिहार	326	126	70	50	29	35
5.	छत्तीसगढ़	178	57	38	22	08	07
6.	गुजरात	260	107	56	42	19	07
7.	हरियाणा	205	75	44	30	25	09
8.	हिमाचल प्रदेश	147	49	32	19	24	21
9.	जम्मू और कश्मीर	137	80	30	32	19	15
10.	झारखण्ड	208	74	45	32	14	15
11.	कर्नाटक	299	112	65	44	22	08
12.	केरल	214	89	46	35	45	27
13.	मध्य प्रदेश	417	158	90	63	38	34
14.	महाराष्ट्र	350	164	76	65	23	15
15.	मणिपुर त्रिपुरा	207	85	45	33	33	29
16.	नागालैंड	91	39	20	15	09	09
17.	ओडिशा	226	103	49	41	35	20
18.	पंजाब	221	94	48	37	14	17
19.	राजस्थान	296	112	64	44	27	24
20.	सिक्किम	48	18	10	07	08	07
21.	तमिलनाडु	355	143	77	57	38	22
22.	उत्तर प्रदेश	592	265	128	106	74	44
23.	उत्तराखंड	120	39	26	15	13	08
24.	पश्चिम बंगाल	359	188	78	75	30	26
	कुल	6217	2579	1345	1022	650	478

विवरण-II

अखिल भारतीय सेवा के उन अधिकारियों के संबंध में ब्यौरे जो प्रत्येक मामले में कारण सहित संवर्ग से दूर अधिकतम समय सीमा से अधिक होने पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में बने हुए हैं

क्र. सं.	नाम/सेवा/संवर्ग बैच (वर्ग)	वर्तमान पदनाम/संगठन	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति	*सी.एस.एस./ नॉन-सी.एस.एस.	विस्तार के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विजय शंकर मदान, भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:81)	महानिदेशक तथा मिशन निदेशक, यू.आई.डी.ए.आई.	29.3.2007	सी.एस.एस.	कार्यात्मक आवश्यकता
2.	श्री धर्मेन्द्र शर्मा, भा.प्र.से (ए.जी.एम.यू.टी.:88)	राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज में प्रशिक्षण पर	1.03.2006	प्रशिक्षण पर	प्रशिक्षण
3.	श्री सुरेश चंद्र पांडा, भा.प्र.से (ए.एम.:81)	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय	17.07.2006	सी.एस.एस.	
4.	श्री रवि कोटी, भा.प्र.से. (ए.एम.:93)	संयुक्त सचिव, एन.ए.टी.जी. आर.आई.डी. (एम.एच.ए.)	20.03.2006	गैर-सी.एस.एस.	
5.	श्री समीर कुमार सिन्हा, भा.प्र.से. (ए.एम.:94)	संयुक्त सचिव, व्यय विभाग	6.03.2006	सी.एस.एस.	
6.	श्री अरुण झा, भा.प्र.से. (बी.एच.:81)	अपर सचिव, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग	26.08.2006	सी.एस.एस.	
7.	श्री आर. अभिषेक, भा.प्र.से. (बी.एच.:82)	अध्यक्ष, एफ.एम.सी., डी.ई.ए.	9.07.2007	सी.एस.एस.	कार्यात्मक आवश्यकता
8.	श्री रवि मित्तल, भा.प्र.से. (बी.एच.:86)	परामर्शदाता (योजना समन्वय), योजना आयोग	16.07.2007	सी.एस.एस.	
9.	सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, भा.प्र.से. (बी.एच.:89)	क्षेत्रीय उप महानिदेशक, यू.आई.डी.ए.आई.	28.03.2007	सी.एस.एस.	
10.	श्री चैतन्या प्रसाद, भा.प्र.से. (बी.एच.:90)	महानियंत्रक पेटेंट्स, डिजाईन, ट्रेड मार्क्स, मुम्बई	3.01.2007	गैर-सी.एस.एस.	
11.	श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मणियम, भा.प्र.से. (सी.जी.:87)	संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय	9.06.2003	सी.एस.एस.	

1	2	3	4	5	6
12.	श्री पंकज जोशी, भा.प्र.से. (जी.जे.89)	राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज में प्रशिक्षण पर	16.3.2007	प्रशिक्षण पर	प्रशिक्षण
13.	श्री अभिलाकस लिखि, भा.प्र.से. (एच.वाई.:91)	संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय	17.11.2006	सी.एस.एस.	अध्ययन आवश्यकता
14.	श्री आई.एस. चतुर्वेदी, भा.प्र.से. (जे.एच.:87)	ई.डी., आई.एम.एफ., वाशिंगटन के वरिष्ठ परामर्शदाता	27.09.2004	विदेश में पद	कार्यात्मक आवश्यकता
15.	श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, भा.प्र.से. (जे.के.:87)	राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज में प्रशिक्षण पर	6.10.2005	प्रशिक्षण पर	
16.	श्री धीरज गुप्ता, भा.प्र.से. (जे.के.:93)	परामर्शदाता, योजना आयोग	30.03.2006	सी.एस.एस.	
17.	श्री आलोक शील भा.प्र.से. (के.एल.:82)	सचिव, प्रधानमंत्री की परामर्शदात्री समिति, प्रधानमंत्री कार्यालय	2.07.2007	सी.एस.एस.	कार्यात्मक आवश्यकता
18.	सुश्री मनीषा वर्मा, भा.प्र.से. (एम.एच.:93)	विदेश में प्रशिक्षण पर	8.06.2007	विदेश में प्रशिक्षण	प्रशिक्षण
19.	श्री के.ए.पी. सिन्हा भा.प्र.से. (पी.बी.:92)	संयुक्त सचिव, अणु ऊर्जा विभाग	16.03.2006	सी.एस.एस.	
20.	श्री उपमा श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (एस.के.:88)	सी.वी.ओ., नागरिक उड्यन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	20.11.2006	गैर-सी.एस.एस.	
21.	श्री शशि शेखर, भा.प्र.से. (टी.एन.:81)	अपर सचिव, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	29.06.2007	सी.एस.एस.	
22.	श्री अशोक कुमार गुप्ता, भा.प्र.से. (टी.एन.:81)	अपर सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग	16.4.2007 उनकी अवधि 15.7.2014 तक है	सी.एस.एस.	कार्यात्मक आवश्यकता
23.	श्री अनिल स्वरूप, भा.प्र.से. (यू.पी.:81)	अवर सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिवालय	1.9.2006	सी.एस.एस.	
24.	श्री अमित मोहन प्रसाद, भा.प्र.से. (यू.पी.:89)	सी.वी.ओ., पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आयल इंडिया लिमिटेड	30.04.2007	गैर-सी.एस.एस.	

1	2	3	4	5	6
25.	श्री एस. सुरेश कुमार, भा.प्र.से. (डब्ल्यू.बी.:88)	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	29.08.2006	सी.एस.एस.	
26.	श्री नलिन प्रभात, भा.पु.से. (ए.पी.:92)	आई.जी., के.रि.पु.ब.	05.07.2004	गैर-सी.एस.एस.	आई.पी.एस. अवधि
27.	श्री अबहीन दिनेश मोदक, भा.पु.से. (टी.एन.:97)	डी.आई.जी., एन.आई.ए.	06.09.2006	गैर-सी.एस.एस.	नीति के प्रावधानों के अंतर्गत लोकहित में
28.	सुश्री अनुपम कुलश्रेष्ठ, भा.पु.से. (यू.पी.:95)	डी.आई.जी. के.रि.पु.ब.	07.05.2007	गैर-सी.एस.एस.	
29.	डॉ. राजेश गोपाल, आई.एफ.एस. (एम.पी.:95)	अपर महासचिव, वन तथा सदस्य सचिव, नेशनल टाईगर कन्जर्वेशन ऑथरिटी (एन.टी.सी.ए.)	31.08.2001	गैर-सी.एस.एस.	
30.	श्री के.एस. रेड्डी, आई.एफ.एस. (एम.पी.:79)	वन (केन्द्रीय) के अपर प्रधान मुख्य कन्जर्वजर, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	13.02.2014 से 31.05.2015 तक विस्तारित	गैर-सी.एस.एस.	कार्यात्मक आवश्यकता

* सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम

[हिन्दी]

आवासीय सुविधाएं

789. श्री राम टहल चौधरी:
श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केरल और झारखंड सहित देश में प्रदान किए गए आवासों का शहर, राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): आवास राज्य का विषय होने के नाते आवास की प्रगति हेतु नीति निर्माण करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/नगर पालिका प्राधिकारों का कार्य है। तथापि, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रम शुरू करके किफायती आवासीय स्टॉक के सृजन में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है। ऐसी सभी स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थी की पहचान तथा लाभार्थी को आवंटन भी उपयुक्त (राज्य/यू.एल.बी.) सरकार द्वारा किया जाता है तथा ऐसा ब्यौरा मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत निधियों का आवंटन

790. श्री नारणभाई काछाड़िया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.

एस.ए.) योजना राज्यों में निधियों के वितरण में असमानता उत्पन्न करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों में आर.एम.एस.ए. की निधियों के वितरण में भिन्नताओं का क्या कारण है;

(ग) आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 तक राज्यों में निधियों के आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत अनुदान सहायता प्राप्त विद्यालय निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आर.एम.एस.ए. हेतु उन्हें पात्रता मानदंडों में शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) देश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मानदंड सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समान हैं। भारत सरकार योजना के मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट प्रस्तावों पर विचार करके उन्हें अनुमोदित करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वास्तविक और वित्तीय प्रस्ताव उनकी स्कूली आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और कार्यान्वयन की गति के आधार पर अलग-अलग होते हैं।

(ग) आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2014 तक आवंटित राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) आर.एम.एस.ए. योजना में स्कूलों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) योजनाएं, व्यावसायिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर नि:शक्तो की समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.) एवं बालिका छात्रावास योजना (जी. एच.) सम्मिलित करने के लिए इसे संशोधित किया गया है और इस प्रकार अब आर.एम.एस.ए. का लाभ सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों को (अवसंरचना सहायता और शिक्षक एवं स्टाफ के वेतन जैसे मुख्य क्षेत्रों को छोड़कर) गुणवत्ता-कार्यों पर मिलेगा।

विवरण

राज्यवार धनराशि का आवंटन

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	31.03.2014 तक जारी राशि
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.36
2.	आंध्र प्रदेश	1208.28
3.	अरुणाचल प्रदेश	73.48
4.	असम	310.45
5.	बिहार	326.92
6.	चंडीगढ़	3.82
7.	छत्तीसगढ़	913.98
8.	दादरा और नगर हवेली	2.27
9.	दमन और दीव	3.95
10.	दिल्ली	9.11
11.	गोवा	5.21
12.	गुजरात	110.93
13.	हरियाणा	377.05
14.	हिमाचल प्रदेश	334.92
15.	जम्मू और कश्मीर	378.92
16.	झारखंड	215.61
17.	कर्नाटक	328.05
18.	केरल	77.02
19.	लक्षद्वीप	1.89
20.	मध्य प्रदेश	1521.94
21.	महाराष्ट्र	108.49
22.	मणिपुर	164.23

1	2	3
23.	मेघालय	19.25
24.	मिजोरम	175.90
25.	नागालैंड	67.05
26.	ओडिशा	707.71
27.	पुदुचेरी	13.54
28.	पंजाब	653.94
29.	राजस्थान	573.41
30.	सिक्किम	22.75
31.	तमिलनाडु	964.93
32.	त्रिपुरा	136.30
33.	उत्तर प्रदेश	607.68
34.	उत्तराखंड	285.96
35.	पश्चिम बंगाल	16.50
	कुल	10723.80

[हिन्दी]

सी.ए.एम.पी.ए.

791. श्री ओम बिरला: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और योजना के अंतर्गत निधियों के जमा और आहरण हेतु मानदंड/मानक क्या हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत जमा निधियों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उन्हें संवितरित निधियों का राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान में उक्त योजना के अंतर्गत अनुमोदन के लिए लंबित कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों द्वारा प्रस्तुत निस्तारित कार्य और निधि उपयोगिता प्रमाणपत्रों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) चूंकि काम्पा जिसे प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धन, शुद्ध वर्तमान मूल्य और इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी अन्य वसूली योग्य धन के प्रबंधन तथा वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोगों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करते समय केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अनुपालन हेतु 23 अप्रैल, 2004 को अधिसूचित किया गया था, उस समय तक कार्यशील नहीं हुआ था, अतः माननीय न्यायालय ने केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति की दिनांक 24 जनवरी, 2006 की रिपोर्ट में दिए गए इस सुझाव को स्वीकार कर लिया था कि काम्पा के कार्यशील होने तक तदर्थ काम्पा का गठन किया जाए। निधियों के संवितरण के मानदण्ड भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10 जुलाई, 2009 और 12 मार्च, 2014 के आदेशों में निध रित किये गए हैं।

(ख) लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों के खातों में जमा निधियों, और 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष तक उन पर लगे ब्याज का विवरण और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के 10 जुलाई, 2009 के आदेश द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित राज्य काम्पा को आज की तारीख के अनुसार संवितरित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य काम्पा के लिए ऊपर संदर्भित दिशा-निर्देशों के अनुसार, वार्षिक प्रचालन योजनाओं का राज्य स्तर पर गठित संचालन समितियों द्वारा अनुमोदित होना अपेक्षित है और राज्य काम्पा को निधियों का संवितरण उक्त वार्षिक प्रचालन योजनाओं के आधार पर तथा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अध्यधीन किया जाता है। राज्य सरकारों के लिए कार्य की प्रगति तथा व्यय से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 31 मार्च, 2014 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान राज्य काम्पा को जारी 178,57,17,000.00 रु. की कुल राशि में से 147,71,47,041.00 रु. का व्यय हो चुका है जो कि संवितरित निधि का 82.72% है।

विवरण-I

राज्य काम्पा को संवितरित निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	31.3.2007		31.3.2008		31.3.2009		31.3.2010
		मूल राशि	उपार्जित ब्याज	मूल राशि	उपार्जित ब्याज	मूल राशि	उपार्जित ब्याज	मूल राशि
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7,65,79,460.00	14,78,671.00	10,53,98,240.00	81,46,574.000	10,99,06,133.00	1,85,27,597.00	9,89,16,133.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	3,25,85,13,290.00	1,17,37,511.00	6,86,58,29,029.00	20,36,90,251.00	8,20,30,06,868.00	91,58,00,118.00	14,26,95,72,605.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,11,76,14,368.00		1,36,86,15,868.00	4,81,61,834.00	1,57,20,96,398.00	19,59,57,597.00	1,89,14,08,614.00
4.	असम	5,65,92,954.00	3,80,553.00	11,79,99,077.00	31,97,360.00	56,65,16,046.00	1,57,60,328.00	1,25,89,90,831.00
5.	बिहार			47,16,56,221.00		73,04,59,805.00	4,85,22,101.00	1,07,39,86,355.00
6.	चण्डीगढ़	97,62,977.00	3,74,886.00	1,76,52,067.00	14,21,565.00	1,76,52,067.00	32,77,235.00	1,58,87,067.00
7.	छत्तीसगढ़	6,40,11,98,864.00	9,86,22,313.00	9,26,80,23,515.00	61,18,53,854.00	10,99,97,25,543.00	1,64,42,24,051.00	16,55,43,87,615.00
8.	दादरा और नगर हवेली	28,29,000.00		1,18,29,000.00	1,10,960.00	1,68,29,000.00	9,60,790.00	3,33,46,504.00
9.	दमन और दीव							77,28,100.00
10.	दिल्ली			1,07,94,11,682.00		1,22,45,23,363.00	9,71,21,545.00	16,62,42,763.00
11.	गोवा	28,20,58,090.00	1,01,23,250.00	97,13,65,959.00	4,26,24,624.00	1,17,53,87,627.00	13,79,32,846.00	1,27,33,49,432.00
12.	गुजरात	64,74,00,000.00	1,44,64,512.00	1,25,69,40,443.00	8,81,34,176.00	2,07,64,72,579.00	21,90,12,789.00	3,53,12,30,505.00
13.	हरियाणा	16,95,81,610.00	8,88,617.00	46,76,15,506.00	1,45,46,102.00	1,01,19,76,639.00	6,04,47,726.00	2,17,31,33,994.00
14.	हिमाचल प्रदेश	1,22,72,99,663.00	2,31,80,511.00	1,87,58,36,819.00	14,27,16,533.00	2,58,31,66,001.00	34,52,32,918.00	4,80,02,74,544.00
15.	जम्मू और कश्मीर							
16.	झारखंड	2,30,06,01,283.00		7,56,59,97,140.00	222,66,54,565.00	8,99,28,65,963.00	96,03,62,970.00	10,98,33,94,389.00
17.	कर्नाटक	3,93,73,02,202.00	1,29,38,753.00	5,24,66,02,202.00	29,15,66.590.00	5,62,75,14,944.00	84,73,95,229.00	6,14,00,40,317.00
18.	केरल	10,98,32,090.00	36,66,518.00	16,91,00,840.00	1,51,15,771.00	17,50,55,963.00	3,45,99,128.00	16,09,56,522.00
19.	मध्य प्रदेश	5,72,000.00		3,50,80,52,991.00	66,594.00	5,10,48,14,712.00	38,08,98,219.00	6,31,98,41,511.00
20.	महाराष्ट्र	3,84,85,77,642.00	11,67,11,230.00	4,93,67,11,510.00	45,47,52,123.00	8,00,94,66,542.00	96,71,70,755.00	10,01,27,67,485.00
21.	मणिपुर	7,45,68,219.00	289,26,284.00	7,45,68,219.00	1,04,82,674.00	7,45,68,219.00	1,86,51,161.00	16,72,57,219.00
22.	मेघालय	4,73,908.00		64,25,416.00	2,60,991.00	96,75,979.00	8,93,693.00	87,08,979.00
23.	मिजोरम							10,62,46,831.00
24.	नागालैण्ड							
25.	ओडिशा	4,48,25,08,446.00	11,90,90,878.00	8,56,25,11,193.00	42,91,17,131.00	11,93,65,17,598.00	1,07,48,65,833.00	15,61,98,85,857.00
26.	पंजाब	82,40,60,248.00	2,37,95,209.00	1,36,03,60,657.00	10,68,69,629.00	1,78,80,69,874.00	25,15,45,641.00	3,18,64,97,545.00
27.	राजस्थान	1,01,51,77,410.00	78,33,593.00	2,35,02,82,995.00	10,31,99,657.00	3,00,34,83,272.00	34,55,50,826.00	5,13,89,14,172.00
28.	सिक्किम	11,60,13,174.00	32,86,533.00	45,96,18,905.00	1,51,49,786.00	72,12,38,845.00	5,60,16,810.00	1,11,75,79,378.00
29.	तमिलनाडु	2,00,21,800.00		9,55,99,653.00	13,12,548.00	19,11,92,554.00	1,08,74,798.00	20,67,65,273.00
30.	त्रिपुरा	17,61,77,519.00	43,92,208.00	22,239,84,037.00	2,25,30,176.00	32,92,66,595.00	4,65,05,878.00	69,35,39,016.00
31.	उत्तर प्रदेश	2,85,39,07,831.00	5,54,76,586.00	3,90,22,41,688.00	33,24,05,087.00	4,31,34,54,876.00	75,61,55,988.00	4,46,86,69,474.00
32.	उत्तराखंड	3,02,07,73,836.00	9,27,55,163.00	5,14,92,12,026.00	38,09,82,673.00	7,74,48,51,224.00	91,11,70,848.00	8,23,16,46,385.00
33.	पश्चिम बंगाल			27,51,50,837.00		49,83,37,006.00	3,04,83,397.00	77,16,05,290.00
34.	मध्य ए/सी							
	कुल	36,12,99,97,883.00	60,40,23,779.00	67,76,35,93,733.00	3,55,52,69,828.00	88,81,00,92,233.00	10,39,59,18,639.00	1,20,48,27,70,904.00

31.3.2010	31.3.2011		31.3.2012		31.3.2013	
उपार्जित ब्याज	मूल राशि	उपार्जित ब्याज	मूल राशि	उपार्जित ब्याज	मूल राशि	उपार्जित ब्याज
2 94 ,17 916.00	9,11 54 288.00	3 81 ,63 812.00	9 30 ,66 081.00	12,76 99 253.00	10 58 ,19 052.00	13 ,63 ,67 897.00
1 81 ,31 98 ,799.00	17 80 ,45 33 503.00	2 81 26 28 358.00	18 39 00 85 091.00	4 41 55 09 ,156.00	17 87 ,43 09 999.00	6,19,70 20,177.00
36 32 91 881.00	3 41 04 51 690.00	49 51 ,11 525.00	7 51 09 53 695.00	77 05 58 331.00	9 33 32 41 813.00	1 68 66 24 ,724.00
7,73 29 006.00	1 32 53 45 ,101.00	16 07 96 940.00	2 41 54 07 878.00	26 98 ,71 064.00	2 45 22 55 213.00	49 69 65 401.00
11 63 88 330.00	1 21 09 97 979.00	19 33 48 039.00	1 51 ,11 ,19 354.00	29 88 ,17 097.00	2 22 58 28 034.00	41 94 02 047.00
51 56 228.00	1,71 49 ,199.00	65 37 661.00	1 ,76 ,79 831.00	85 29 579.00	1 ,76 ,15 041.00	98 32 226.00
2,78 92 89 476.00	16 68 ,76 ,75 259.00	4 01 64 97 048.00	19 85 03 66 ,196.00	5 32 02 ,73 ,751.00	22 04 87 03 872.00	7 42 84 ,71 097.00
32 28 888.00	3 45 23 359.00	55 99 027.00	5 05 94 209.00	94 ,13 908.00	5 36 97 831.00	1 ,15 49 259.00
1 547.00	77 28 ,100.00	900.00	77 28.100.00	5 04 618.00	77 28 ,100.00	5 04 ,759.00
1,75 69 ,116.00	18 27 ,11 250.00	2 98 ,70 300.00	31 36 ,72 638.00	4 88 95 300.00	31 38 ,72 633.00	8 06 ,16 ,120.00
24 21 90 494.00	1 22 ,12 ,12 880.00	34 ,12 62 293.00	1 23 90 61 507.00	45 06 42 888.00	1 23 62 02 262.00	55 ,19 ,73 263.00
40,71 83 801.00	4 29 ,70 ,79 032.00	64 87 21 816.00	4 99 03 ,15 429.00	1 08 ,71 56 964.00	5 63 95 97 884.00	1 52 32 26 581.00
16 84 28 358.00	2 67 27 47 683.00	31 60 ,73 076.00	3 01 56 ,79 292.00	56 81 54 456.00	3 95 24 ,74 535.00	1 08 ,77 28 424.00
60 86 65 ,757.00	8 53 ,18 49 937.00	89 52 52 443.00	8 86 47 48 947.00	1 61 41 43 957.00	10 85 ,74 ,10 430.00	2 54 45 29 307.00
			74 05 ,11 522.00	1 45 38 077.00	1 24 55 ,77 ,739.00	3 90 88 953.00
1 80,71 69 590.00	13 81 ,13 ,76 581.00	2 55 44 ,17 014.00	16 63 01 24 836.00	3 ,73 53 06 086.00	19 00 47 ,79 685.00	5 ,14 51 48 354.00
1 39 25 ,75 494.00	6 88 ,71 24 643.00	1 89 01 ,14 965.00	7 23 43 49 510.00	2,70 39 49 845.00	6 99 35 27 299.00	2 88 08 55 822.00
5 ,17 80 054.00	22 42 36 244.00	7 80 84 423.00	22 63 53 357.00	11 88 81 462.00	26 61 30 ,721.00	18 ,17 08 ,199.00
91 26 45 275.00	8 80 97 85 920.00	1 35 41 52 941.00	10 41 40 68 644.00	2 ,12 31 56 ,192.00	14 03 37 85 665.00	3 51 85 90 580.00
1,75 07 86 272.00	12 81 36 01 931.00	2 49 85 40.027.00	13 68 38 86 ,118.00	3 62 03 02 825.00	15 47 24 ,77 018.00	4 27 ,15 41 205.00
2 57 56 606.00	29 45 21 ,172.00	3 82 97 338.00	32 47 03 272.00	6 47 ,76 253.00	94 ,19 60 ,156.00	8 57 82 800.00
18 93 649.00	84 04 36 957.00	25 25 ,753.00	90 25 56 015.00	6,70 39 021.00	1 04 00 06 450.00	18 ,16 25 ,127.00
2 09 02 81 095.00	10 68 02 215.00	67 47 566.00	10 68 02 215.00	1,73 90 383.00	66 32 65 819.00	2 30 54 ,785.00
	15 622.00		15 622.00		15 622.00	1 962.00
42 84 ,77 848.00	33 83 03 ,11 806.00	3 25 ,10 22 608.00	33 ,78 89 69 024.00	6 37 48 ,73 470.00	35 26 98 65 692.00	9 03 01 85 011.00
82 92 95 975.00	3 41 43 94 588.00	65 58 ,14 239.00	3 86 58 39 008.00	95 47 32 369.00	4 33 81 58 913.00	1 55 33 47 013.00
12,10 40 453.00	5 29 60 85 593.00	1 21 00 58 925.00	6 50 92 25 652.00	1,70 08 83 015.00	6 97 06 42 908.00	2,19 88 60 293.00
2 93 ,71 291.00	1 40 ,16 ,10 040.00	20 22 44 ,174.00	1 50 00 34 ,794.00	34 ,76 40 ,769.00	1 62 ,14 ,12 833.00	42 84 45 ,101.00
7 82 50 461.00	21 62 94 055.00	4 34 28 205.00	24 63 39 629.00	6 40 80 302.00	44 37 40 645.00	9 06 90 ,759.00
1 21 99 59 441.00	70 60 69 ,726.00	10 54 93 850.00	74 651 ,18 280.00	16 62 47 688.00	76 ,11 ,15 ,710.00	20 36 41 813.00
1 69 43 30 446.00	4 ,77 45 ,76 398.00	1 58 31 22 216.00	4 98 ,15 ,12 940.00	1 94 98 86 235.00	6 ,14 36 85 333.00	2 48 43 20 349.00
7 83 91 017.00	10 40 06 57 ,144.00	2 29 65 96 335.00	11 95 ,72 57 931.00	3 30 ,72 07 032.00	12 03 ,72 50 320.00	4 28 ,11 09 822.00
1 01 31 290.00	81 00 54 917.00	13 31 41 ,121.00	78 ,76 25 ,185.00	22 ,15 25 ,795.00	80 44 42 542.00	29 61 ,75 232.00
		1 06 48 ,784.00		2,71 59 553.00		59 96 31 010.00
19,16 34 ,72 ,759.00	162,133 ,114 809.00	27 87 43 ,11 920.00	1 82 92 03 ,71 699.00	42 56 97 46 ,151.00	2 04 ,17 50 96 298.00	59 67 22 ,15 475.00

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12	
		दिनांक	राशि (रु. में)	दिनांक	राशि (रु. में)	दिनांक	राशि (रु. में)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28.08.2009	1,09,90,000.00	01.10.2010	78,69,000.00	18.06.2012	57,79,000.00
2.	आंध्र प्रदेश	28.08.2009	89,78,32,000.00	01.10.2010	1,20,74,44,000.00	23.08.2011	1,18,57,00,000.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	06.04.2010	16,36,76,000.00	22.11.2010	17,78,82,000.00	08.09.2011/ 25.10.2011/ 09.11.2011/29.11.2011	41,19,00,000.00
4.	असम	17.08.2009/ 07.01.2010	12,37,79,000.00	01.10.2010	10,44,87,000.00		
5.	बिहार	20.11.2009	7,73,00,000.00	18.01.2011	8,66,74,000.00	25.11.2011	8,04,00,000.00
6.	चंडीगढ़	17.08.2009	17,65,000.00	01.10.2010	12,96,000.00	19.06.2013	10,00,000.00
7.	छत्तीसगढ़	17.08.2009	1,23,21,35,000.00	01.10.2010	1,34,10,66,000.00	08.09.2011	99,54,39,000.00
8.	दादरा और नगर हवेली	04.09.2009	16,82,000.00			28.10.2011	15,36,000.00
9.	दमन और दीव						
10.	दिल्ली	21.01.2010	1,84,71,000.00	18.01.2011	1,39,91,000.00	02.07.2013	1,01,00,000.00
11.	गोवा	17.08.2009	12,11,97,000.00	01.10.2010	10,24,68,000.00	17.02.2014	8,55,00,000.00
12.	गुजरात	19.08.2009	24,96,47,000.00	01.10.2010	29,15,68,000.00	08.09.2011	26,30,00,000.00
13.	हरियाणा	17.08.2009	19,11,41,000.00	01.10.2010	18,89,09,000.00	11.06.2012	16,45,00,000.00
14.	हिमाचल प्रदेश	21.08.2009	36,67,71,000.00	01.10.2010	42,16,56,000.00	23.08.2011/09.12.2011	57,12,62,400.00
15.	जम्मू और कश्मीर						
16.	झारखंड	12.03.2010	95,00,28,000.00	01.10.2010	1,03,16,22,000.00	24.11.2011	62,49,89,300.00
17.	कर्नाटक	19.08.2009	58,55,73,000.00	01.10.2010	50,91,60,000.00	30.08.2011/09.09.2011	41,57,00,000.00
18.	केरल	12.03.2010	1,75,09,000.00	26.03.2013	1,36,52,000.00	21.05.2014	1,56,97,000.00
19.	लक्षद्वीप						
20.	मध्य प्रदेश	17.08.2009	53,04,82,000.00	01.10.2010	50,96,56,000.00	09.01.2012	53,52,09,000.00
21.	महाराष्ट्र	22.02.2010	89,35,49,000.00	18.01.2011	85,48,93,000.00	16.11.2011	82,63,00,000.00
22.	मणिपुर	08.12.2009	74,56,000.00	01.10.2010	1,33,50,000.00	11.06.2012	1,91,34,000.00
23.	मेघालय	20.04.2010	9,67,000.00	20.11.2013	6,97,000.00		
24.	मिजोरम	05.03.2013	1,07,38,000.00	22.08.2013	82,14,000.00	10.03.2014	75,00,000.00
25.	नागालैंड						
26.	ओडिशा	21.08.2009	1,31,06,18,000.00	18.01.2011	1,40,17,53,000.00	23.08.2011/04.06.2012	1,76,09,10,050.00
27.	पुदुचेरी						
28.	पंजाब	08.12.2009	33,05,47,000.00	01.10.2010	26,52,15,000.00	16.09.2011/21.09.2011	22,07,83,872.00
29.	राजस्थान	07.01.2010	32,59,08,000.00	18.01.2011	42,06,98,000.00	11.11.2011	31,89,13,000.00
30.	सिक्किम	17.08.2009	8,00,92,000.00	01.10.2010/22.11.2010	10,23,34,000.00	02.09.2011/12.10.2011	9,04,00,000.00
31.	तमिलनाडु	08.12.2009	1,97,13,000.00	01.10.2010	1,70,32,000.00	12.06.2012	1,38,30,000.00
32.	तेलंगाना						
33.	त्रिपुरा	12.03.2010	3,54,18,000.00	18.01.2011	2,58,48,000.00		
34.	उत्तर प्रदेश	10.05.2010	47,09,62,000.00	16.03.2012	35,35,05,000.00	22.02.2013	30,48,00,000.00
35.	उत्तराखंड	17.08.2009	81,65,32,000.00	01.10.2010	82,74,88,000.00	23.06.2012	65,31,60,000.00
36.	पश्चिम बंगाल	08.12.2009	3,29,57,000.00	01.10.2010/22.11.2010	6,27,60,000.00	09.03.2012	4,84,36,000.00
	कुल		9,89,54,35,000.00		10,36,31,87,000.00		9,63,18,78,622.00

2012-13		2013-14		2014-15	
दिनांक	राशि (रु. में)	दिनांक	राशि (रु. में)	दिनांक	राशि (रु. में)
16.04.2014	60,49,000.00	16.04.2014	50,00,000.00		
06.10.2012	1,19,60,39,000.00	09.07.2013	92,00,00,000.00	16.04.2014	1,00,00,000.00
02.01.2013/20.02.2014	23,52,26,000.00	30.05.2014	47,50,00,000.00		
13.02.2013	15,05,92,100.00	08.03.2014	13,00,00,000.00		
02.01.2013	8,46,50,000.00	17.02.2014	10,80,19,400.00		
07.04.2014	11,32,000.00	07.04.2014	8,50,000.00		
21.08.2012	1,14,38,00,000.00	09.07.2013/22.01.2014	1,10,00,00,000.00		
03.09.2013	2,00,86,000.00	24.03.2014	1,50,00,000.00		
17.02.2014	8,05,00,000.00	17.02.2014	6,50,00,000.00		
09.11.2012	32,41,17,000.00	29.10.2013	28,00,00,000.00		
09.07.2013	16,00,00,000.00	24.03.2014	19,50,00,000.00		
02.01.2013/11.02.2013/30.03.2013	52,40,00,000.00	02.11.2013	53,50,00,000.00		
29.11.2012	23,78,35,000.00	08.08.2014	18,00,00,000.00		
02.01.2013/27.06.2013	95,96,00,000.00	20.11.2013	97,50,00,000.00		
06.10.2012	43,72,00,000.00	10.10.2013	34,50,00,000.00		
21.05.2014	1,47,00,000.00	21.05.2014	1,50,00,000.00		
27.06.2013	61,50,00,000.00	24.05.2014	89,50,00,000.00		
06.10.2012	78,21,23,000.00	17.05.2013/27.06.2013	78,00,00,000.00	16.04.2014	75,00,00,000.00
22.08.2013	1,97,29,000.00	24.03.2014	4,50,00,000.00		
10.03.2014	65,00,000.00	10.03.2014	3,00,00,000.00		
30.11.2012	2,05,82,44,000.00	01.07.2014	1,80,00,00,000.00		
27.08.2012	19,31,18,000.00	09.07.2013	21,50,00,000.00	10.07.2014	21,00,00,000.00
25.02.2013	37,42,98,000.00	20.11.2013	34,50,00,000.00		
27.11.2012	8,75,23,00	08.10.2013	9,50,00,000.00		
12.02.2013/25.03.2013	1,14,54,000.00				
				03.07.2014	35,00,00,000.00
12.02.2013	2,27,70,300.00	10.10.2013	3,50,00,000.00		
02.01.2013/10.05.2013	63,46,10,000.00	09.07.2013	81,50,00,000.00		
	10,29,33,72,400.00		10,19,88,69,400.00		2,31,00,00,000.00

[अनुवाद]

यूरेनियम भंडार

792. डॉ. ए. सम्पतः
श्री पी.के. बिजूः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा देश के विभिन्न भागों में यूरेनियम के भंडारों का पता लगाया गया है और खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त कार्यकलापों पर कितनी राशि व्यय हुई?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)ः (क) जी, नहीं। अधिदेश के अनुसार, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यू.सी.आई.एल.), देश में पता लगाए गए यूरेनियम संसाधनों का दोहन करता है। तथापि, परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (ए.एम.डी.), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) की एक संघटक इकाई है, देश के विभिन्न भागों में यूरेनियम के निक्षेपों से संबंधित सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण संबंधी गतिविधियों में जुटा हुआ है।

(ख) मई, 2014 की स्थिति के अनुसार, परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय ने विभिन्न राज्यों में 2,11,473 मीटरी टन *स्वस्थाने* यूरेनियम ऑक्साइड (U_3O_8) (1,79,329 मीटरी टन यूरेनियम के बराबर) का पता लगाया है:

राज्य	यूरेनियम के भंडार	
	यूरेनियम ऑक्साइड (U_3O_8) (टन)	यूरेनियम (U) (टन)
आंध्र प्रदेश	91,540	77,625
तेलंगाना	18,550	15,731
झारखंड	61,118	51,828
मेघालय	21,180	17,961
राजस्थान	8,393	7,117
कर्नाटक	4,682	3,970
छत्तीसगढ़	3,986	3,380
उत्तर प्रदेश	785	666
उत्तराखंड	100	85
हिमाचल प्रदेश	784	665
महाराष्ट्र	355	301
कुल	2,11,473	1,79,329

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय द्वारा यूरेनियम खनिजों के अन्वेषण के संबंध में किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यय (लाख रुपए में)
2011-12	12,970.36
2012-13	6,519.61
2013-14	8,364.17
2014-15	1,923.80
(मई 2014 तक)	

परमाणु ऊर्जा रिएक्टर

793. श्री बदरुद्दीन अजमल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के सुरक्षोपायों के अधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रिएक्टर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी रिएक्टरों में स्वदेशी यूरेनियम का ईंधन प्रयुक्त होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है जहां से इन रिएक्टरों को चलाने के लिए यूरेनियम का आयात किया जा रहा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। वर्तमान में, 22 रिएक्टरों (प्रचालनरत/कमीशनाधीन) में से 12 नाभिकीय विद्युत रिएक्टर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षोपायों के अधीन हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

यूनिट	अवस्थिति	क्षमता (मेगावाट)
टी.ए.पी.एस.-1 तथा 2	तारापुर, महाराष्ट्र	2×160
आर.ए.पी.एस.-1 तथा 2	रावतभाटा, राजस्थान	100+200
आर.ए.पी.एस.-3 तथा 4		2×220
आर.ए.पी.एस.-5 तथा 6		2×220
के.ए.पी.एस.-1 तथा 2	काकरापार, गुजरात	2×220
के.के.एन.पी.पी.-1 तथा 2*	कुडनकुलम, तमिलनाडु	2×1000

*कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना-1 को अक्तूबर, 2013 में ग्रिड के साथ जोड़ा गया था और यह विद्युत उत्पादन अनिश्चित रूप से कर रही है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना-2 कमीशनाधीन है।

(ग) जी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षोपायों के अधीन वाले रिएक्टरों में आयातित यूरेनियम को ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षोपायों के अधीन वाले रिएक्टरों के लिए यूरेनियम का आयात रूसी परिसंघ, कजाखिस्तान, फ्रांस, और उजबेकिस्तान से किया जाता है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

794. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न विद्यालयों में उच्च विद्यालय स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रम और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा योजना में कुछ अनुपयुक्त पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) जी, हां। "उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण" योजना अब "माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण" के रूप में संशोधित की गई है। इस संशोधित योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न स्कूलों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर को शामिल करते हुए कक्षा IX से XII तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रेडिंग प्रणाली

795. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के विद्यालयों में शिक्षण स्टाफ की कमी के कारण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रेडिंग प्रणाली आरंभ किए जाने के बाद से बच्चों में पढ़ने की आदत समाप्त हो रही है जिसके परिणामस्वरूप सातवीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चे हिन्दी भी ढंग से पढ़ या लिख नहीं सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान ग्रेडिंग प्रणाली के स्थान पर परीक्षा प्रणाली द्वारा बच्चों को एक कक्षा से अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडल पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) वर्ष 2001-02 में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) का प्रारंभ होने के बाद 2013-14 तक देश भर में कुल 19.84 लाख शिक्षकों के पद संस्वीकृत किए हैं जिनमें से 15.06 लाख शिक्षक-पद 31.03.2014 तक भरे जा चुके हैं।

(ग) जी, नहीं। कक्षा-III, V और VIII के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा संचालित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि हालांकि पढ़ाई का स्तर कम ही रहा है, तथापि, अधिगम परिणामों में मामूली सुधार है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) कक्षा VI से XII के लिए मॉडल स्कूल योजना के तहत मंत्रालय ने राजस्थान सहित उन ब्लॉकों में, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के अंतर्गत 2,500 स्कूलों की स्थापना करने पर विचार किया है।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्ति आयु का बढ़ाया जाना

796. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

फ्रांस के विदेश मंत्री की यात्रा

797. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी हाल ही में, फ्रांस के विदेश मंत्री भारत की दो-दिवसीय यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) क्या उक्त बातचीत के दौरान राफेल लड़ाकू-जेट सौदे, जैतापुर-ऊर्जा संयंत्र और जलवायु-परिवर्तन के विषयों पर भी चर्चा हुई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसका परिणाम क्या है और फ्रांस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री,

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) जी, हां। फ्रांस के विदेश मंत्री, श्री लयुरैंट फाबियस ने 30 जून - 1 जुलाई, 2014 तक भारत का भ्रमण किया।

(ख) और (ग) दोनों पक्षों ने आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय परियोजनाओं की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर, भारत ने आशा प्रकट की है कि एक समेकित, तुलनात्मक और समतापरक परिणाम सी.ओ.पी. 21 में होगा, जिसकी मेजबानी फ्रांस द्वारा दिसम्बर, 2015 में की जाएगी।

(घ) दोनों पक्षों ने संबंधों को पुन: सुदृढ़ करने की संस्थागत विचार-विमर्श प्रणाली के स्थापित ढांचे के दायरे के अंतर्गत संबंधों को जारी रखने की प्रतिबद्धता जाहिर की है।

[अनुवाद]

पॉलिटेक्निकों का उन्नयन और विस्तार

798. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खोले गए पॉलिटेक्निकों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार परिदृश्य पर ऐसी पॉलिटेक्निक संस्थाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम रहे हैं; और

(घ) बिहार और झारखंड सहित विशेष रूप से देश के पिछड़े क्षेत्रों में, इन पॉलिटेक्निकों का उन्नयन और विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार देश में कुल 3866 पॉलिटेक्निक खोले गए तथा उनका राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 'पॉलिटेक्निकों का उप-मिशन' योजना के अंतर्गत यह मंत्रालय सरकारी व सरकारी सहायता-प्राप्त 500 पॉलिटेक्निकों को प्रयोगशालाओं, उपस्करों आदि अवसंरचना सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रति पॉलिटेक्निक को 2.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देता है। बिहार और झारखंड के बारे में इस योजना के अंतर्गत उन्नयन के लिए पहचान किए गए पॉलिटेक्निकों की संख्या क्रमश: 12 और 13 है। क्रमोन्नयन के लिए पहचान किए गए राज्य वार पॉलिटेक्निकों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

खोले गए पॉलिटेक्निकों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	संस्थानों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	560
3.	अरुणाचल प्रदेश	7
4.	असम	13
5.	बिहार	36
6.	चण्डीगढ़	4
7.	छत्तीसगढ़	61
8.	दादरा और नगर हवेली	1
9.	दमन और दीव	1
10.	दिल्ली	17
11.	गोवा	6

1	2	3
12.	गुजरात	136
13.	हरियाणा	214
14.	हिमाचल प्रदेश	40
15.	जम्मू और कश्मीर	30
16.	झारखंड	31
17.	कर्नाटक	330
18.	केरल	70
19.	मध्य प्रदेश	156
20.	महाराष्ट्र	499
21.	मणिपुर	1
22.	मेघालय	3
23.	मिजोरम	2
24.	ओडिशा	146
25.	पुदुचेरी	9
26.	पंजाब	163
27.	राजस्थान	224
28.	सिक्किम	2
29.	तमिलनाडु	493
30.	त्रिपुरा	5
31.	उत्तर प्रदेश	413
32.	उत्तराखंड	76
33.	पश्चिम बंगाल	116
	कुल	3866

विवरण-II

उन्नयन के लिए चयनित पॉलिटेक्निक

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	पॉलिटेक्निकों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	57
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	9
5.	बिहार	12
6.	चण्डीगढ़	2
7.	छत्तीसगढ़	12
8.	दादरा और नगर हवेली	1
9.	दमन और दीव	1
10.	गोवा	4
11.	गुजरात	19
12.	हरियाणा	12
13.	हिमाचल प्रदेश	9
14.	जम्मू और कश्मीर	6
15.	झारखण्ड	13
16.	कर्नाटक	36
17.	केरल	48
18.	मध्य प्रदेश	31
19.	महाराष्ट्र	30
20.	मणिपुर	1

1	2	3
21.	मेघालय	2
22.	नागालैण्ड	3
23.	ओडिशा	11
24.	पुदुचेरी	3
25.	पंजाब	17
26.	राजस्थान	21
27.	सिक्किम	2
28.	तमिलनाडु	21
29.	त्रिपुरा	2
30.	उत्तर प्रदेश	57
31.	उत्तराखंड	19
32.	पश्चिम बंगाल	37
	कुल	500

फलदार वृक्षों का रोपण

799. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन विभाग वनों में फलदार वृक्षों के रोपण को बढ़ावा दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो देश में लगाए गए फलदार वृक्षों का राज्य-वार प्रतिशत कितना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश के अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर राज्य वन विभाग एजेंसी (एस.एफ.डी.ए.), वन विभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफ.डी.ए.) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के एक विकेन्द्रित तंत्र के माध्यम से किया जाता है।

रोपण प्रजातियों का चयन जे.एफ.एम.सी. के सदस्यों द्वारा राज्य वन विभाग के परामर्श से उनकी आवश्यकताओं, पारिस्थितिकीय स्थितियों और अन्य स्थानीय कारकों के आधार पर किया जाता है। देशज वन प्रजातियों को, फलदार वृक्षों सहित बहु प्रयोगों वाले वृक्षों को महत्त्व देते हुए, वन क्षेत्रों में रोपण हेतु बढ़ावा दिया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लगाए जाने वाले फलदार वृक्षों की प्रतिशतता के बारे में कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए हैं क्योंकि इस बारे में निर्णय स्थानीय स्थितियों और क्षेत्र की माइक्रो योजना को ध्यान में रखते हुए जे. एफ.एम.सी. द्वारा लिया जाता है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

800. श्री एंटो एन्टोनी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' (आर.एम.एस.ए.) के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को उक्त अभियान के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार की सभी युवाओं को अच्छी गुणवत्ता, सुलभ और वहनीय माध्यमिक शिक्षा (कक्षा IX और X) उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के अंग के रूप में 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' (आर.एम.एस.ए.) मार्च 2009 में आरम्भ किया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 2013 में इसके संशोधन

के समय से ही आई.सी.टी. स्कूल, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण, माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजनों की समावेशी शिक्षा, और बालिका छात्रावासों के निर्माण की योजनाएं शामिल हैं जो सरकारी और सहायता-प्राप्त दोनों स्कूलों को कॅवर करते हुए उच्च माध्यमिक कक्षाओं तक फैला हुआ है।

(ग) और (घ) भारत सरकार को मध्य प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश से उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को शामिल करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में आर.एम. एस.ए. माध्यमिक स्कूलों (कक्षा IX और X) पर फोकस करता है।

[हिन्दी]

बढ़ता समुद्री-स्तर

801. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बढ़ते हुए समुद्री स्तर के परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय क्षेत्र के एक बड़े हिस्से के जलमग्न हो जाने की संभावना है जैसा कि 'जर्नल ऑफ थ्रेटन्ड टैक्सा' पत्रिका में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट ने गोदावरी-कृष्णा कच्छ वनस्पति वाले पारिस्थितिकीय क्षेत्र और सुंदरवन के बड़े हिस्से के जलमग्न होने की संभावना के बारे में चिंता उत्पन्न कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-योजना बनाई गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ग) जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल की पांचवीं आकलन रिपोर्ट (ए.आर. 5) में सूचित किया गया है कि वैश्विक औसत समुद्र स्तर केवल 0.19 मीटर तक बढ़ा है और वर्ष 1901 और 2010 के बीच वैश्विक औसत समुद्र स्तर की वृद्धि की मध्य दर 1.7 एम.एम./वर्ष थी। इसके अतिरिक्त, भारत के द्वितीय राष्ट्रीय संसूचन (2012) के अनुसार, भारतीय तटरेखा पर समुद्र तल की वृद्धि के रूझान 1.3 मि.मि./वर्ष की औसत तक अनुमानित है। यह रिपोर्ट यह भी सूचित करती है कि समुद्र स्तर में वृद्धि, तूफानी लहरों, ज्वार में उतारों-चढ़ावों, महातरंगों, सामान्य नदी मुख भूमि धसकन, तटीय अपरदन और तटरेखा के साथ-साथ नदी के जलप्रवाहों में गाद जमा होने सहित विभिन्न अन्य वास्तविक घटकों की पृष्ठभूमि में होती है।

जनरल ऑफ थ्रेटेन्ड टैक्सा में प्रकाशित अध्ययन 1 मीटर और 6 मीटर समुद्र तल वृद्धि के परिणामस्वरूप समुद्री जल के अनधिकार प्रवेश द्वारा भारत के जैव-भौगोलिक क्षेत्रों के जलमग्न होने की भविष्यवाणी करता है। इसमें 1 मीटर और 6 मीटर समुद्र स्तर वृद्धि परिप्रेक्ष्य के आधार पर गोदावरी कृष्णा कच्छ वनस्पति पारि-क्षेत्र और सुंदरवन सहित तटीय क्षेत्रों पर समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रभाव की घोषणा भी की गई है। तथापि, वे निष्कर्ष आई.पी.सी.सी. की ए.आर. 5 और भारत के द्वितीय राष्ट्रीय संसूचन में किए गए आकलन से मेल नहीं खाते हैं।

(घ) भारत सरकार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अवगत है और उनसे 30 जून, 2008 को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) शुरू की है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, जिसमें तटीय क्षेत्र प्रबंधन हेतु कार्यकलाप शामिल, सहित आठ राष्ट्रीय मिशन सम्मिलित हैं। युनाईटेड राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाईमेट चेंज को मई 2012 में प्रस्तुत किए गए भारत के द्वितीय राष्ट्रीय संसूचन के अंतर्गत समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण तटीय संवेदनशीलता के आकलन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए तटीय क्षेत्रों पर अध्ययन किए गए हैं। वर्ष 2011 में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना भी प्रकाशित की गई थी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने जलवायु परिवर्तन और तटरेखा में परिवर्तन, ज्वार और लहर आदि जैसे अन्य पैरामीटरों के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए देश के तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ जोखिम रेखा के मानचित्रण हेतु 'एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना' पर परियोजना शुरू की है।

[अनुवाद]

ब्याज-मुक्त ऋण

802. **श्री आर. ध्रुवनारायणः** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) ने एयरपोर्ट लाइन पर हुए खर्च का वित्तपोषण करने के लिए सरकार से ब्याज-मुक्त ऋण का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पासपोर्ट कार्यालयों में रिक्तियां

803. **श्री पी.के. बिजूः** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट सेवा-केंद्रों (पी.एस.के.) में कई पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पासपोर्ट सेवा केंद्र-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन रिक्तियों को शीघ्र भरने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रभावी कदम उठाने पर विचार किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) और (ख) आज की तारीख में, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (पासपोर्ट कार्यालयों) की स्वीकृत संवर्ग संख्या 2697 है। श्रेणी-वार रिक्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

पद	रिक्तियों की संख्या
पासपोर्ट अधिकारी	4
उप पासपोर्ट कार्यालय	11
सहायक पासपोर्ट अधिकारी	76
पासपोर्ट प्रदाता अधिकारी	50
सहायक	208
उच्च श्रेणी लिपिक	316
उच्च श्रेणी लिपिक (हिंदी)	04
अवर श्रेणी लिपिक	57
आशुलिपिक	09
हिंदी अनुवादक	10
कुल	745

(ग) और (घ) सरकार ने मौजूदा रिक्तियों को कर्मचारी चयन आयोग, फास्ट-ट्रैक पदोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति, जहां जो भी लागू हो, के माध्यम से भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में मंत्रालय ने पासपोर्ट अधिकारी, उप-पासपोर्ट अधिकारी तथा सहायक पासपोर्ट अधिकारी के स्तर पर प्रतिनियुक्ति द्वारा खाली पदों को उपयुक्त उम्मीदवारों से भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अवर श्रेणी लिपिकों के खाली पदों को भरे जाने की मांग पहले ही कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है। नियमित आधार पर रिक्तियों को भरे जाने में विलंब के कारण मंत्रालय ने पासपोर्ट कार्यालयों में अराजपत्रित रिक्त पदों पर 450 डाटा एंट्री ऑपरेटरों का चयन कर लिया है।

जी.यू.डी.आई. को अनुदान

804. **श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोशः** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गुजरात शहरी विकास संस्थान (जी.यू.डी.आई.) के निर्माण के लिए सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) से (ग) जी हां। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत क्षमता निर्माण निधि में से गुजरात शहरी विकास संस्थान (जी.यू.डी.आई.) की स्थापना की वित्त व्यवस्था के लिए सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्रदान किया था। तथापि, अंततः प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हुआ था।

केबल टी.वी. के वाणिज्यिक उपभोक्ता

805. **श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए प्रसारण और केबल टी.वी. से संबंधित शुल्क-मामलों पर एक परामर्श-पत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए शुल्क का मामला न्यायिक जांच के अधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या स्थिति है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 11.06.2014 को 'वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए प्रसारण और केबल टी.वी. सेवाओं के संबंध में प्रशुल्क संबंधी मुद्दे' नामक एक परामर्श-पत्र जारी करके वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए प्रशुल्क विनिर्धारित करने हेतु विभिन्न विकल्पों, टी.वी. सेवाएं प्रदान करने का तरीका, "वाणिज्यिक उपभोक्ताओं" की परिभाषा "वाणिज्यिक स्थापना" और 'दुकान' से संबंधित मुद्दे एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सदृश समूह में उप-वर्गीकरण करने से जुड़े मुद्दे पर सभी पणधारकों की टिप्पणी/विचार आमंत्रित किए हैं। ब्यौरे ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए प्रशुल्क का मुद्दा 2005 से ही न्यायिक जांच के अधीन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 19.10.2006 के अंतरिम आदेश के आधार पर ट्राई ने 21.11.2006 को दो प्रशुल्क संशोधन आदेश जारी किए जो सी.ए.एस. और गैर-सी.ए.एस. क्षेत्रों में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए लागू थे जिसे दूरसंचार विवाद निस्तारण और अपीलीय न्यायाधिकरण (टी.डी.एस.ए.टी.) के समक्ष चुनौती दी गई। माननीय न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 28.05.2010 के आदेशों द्वारा इन आदेशों को निरस्त कर दिया था। टी.डी.एस.ए.टी. के आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिनांक 16.04.2014 के आदेश द्वारा यह निदेश दिया कि आक्षेपित प्रशुल्क जो आज लागू है अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान, ट्राई इस मामले की आक्षेपित अधिनिर्णय में दिए गए निदेश के अनुसार नए सिरे से जांच करेगा और सभी पणधारकों की दलीलें सुनने के बाद प्रशुल्क का फिर से विनिर्धारण करेगा। तदनुसार, ट्राई ने इस संबंध में परामर्श-पत्र जारी किया है।

लघु स्तरीय खानें

806. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की लघु-स्तरीय खानों को पर्यावरणीय स्वीकृति देने संबंधी निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा प्रख्यापित नियमों की जांच करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ समन्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) 5 हेक्टेयर क्षेत्र तक की लघु खनिज खनन परियोजनाओं की पर्यावरण स्वीकृति के मामलों पर राज्य स्तर पर संबंधित राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है।

(ग) से (ङ) उच्चतम न्यायालय ने दीपिक कुमार आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य आदि शीर्षक से विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. वर्ष 2009 के 19628-16929 में 2011 के आई.ए. सं. 12-13 में दिनांक 27.02.2012 के अपने निर्णय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ आदेश दिया कि राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश इस मंत्रालय की मार्च 2010 की इसकी रिपोर्ट की सिफारिशों और खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए आदर्श (मॉडेल) दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अंतर्गत आवश्यक नियम तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

एल.टी.सी. घोटाला

807. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में किसी एल.टी.सी. घोटाले, जैसा कि मीडिया में सूचित किया गया है, के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त घोटाला किस प्रकार का है; और

(ग) चूककर्ता अधिकारियों/अतिविशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) को केन्द्र सरकार, इसके लोक उद्यमों (पी.एस.ई.) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लोक सेवकों द्वारा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) का लाभ लेने में अनियमितताओं एवं दुरुपयोग के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त से पत्र प्राप्त हुआ था जो मंत्रिमंडल सचिव को संबोधित था। इस मामले की जांच सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है। भारत सरकार कर्मचारियों की विभिन्न सेवा-अपेक्षाओं एवं उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए नीतियां एवं स्कीमें तैयार करती है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग एवं अन्य एजेंसियां इन नीतियों के समुचित कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार इनमें संशोधन भी किया जाता है। छुट्टी यात्रा रियायत के मामले में यदि कोई कपटपूर्ण दावा किया जाता है तो सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियमावली, 1988 के नियम 16 के अनुसार इन अनियमितताओं की जांच-पड़ताल की जाती है और कपटपूर्ण दावा करने के आरोप में सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की जाती है जिसमें सी.सी.एस. (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली), 1965 के नियम II में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति लगाई जा सकती है। दोषी पाए जाने पर सरकारी सेवक को अनुशासनिक कार्रवाई के दौरान पहले ही रोके गए एल.टी.सी. के समुच्चयों (सेट्स) के अलावा, अगले दो अथवा अधिक समुच्चयों (सेट्स) की अनुमति नहीं होगी।

वन-क्षेत्र

808. श्री के.सी. वेणुगोपाल:
श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सहित देश में प्रतिशत के रूप में (कुल भूमि का प्रतिशत) वनक्षेत्र का राज्य-वार अनुपात क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) नामक एक केन्द्र-प्रायोजित योजना को देश में कार्यान्वित किया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक राज्य-वार निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या हैं;

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों से क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2013 के अनुसार, केरल सहित देश में प्रतिशत के रूप में (कुल भूमि का प्रतिशत) वनक्षेत्र के अनुपात के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केरल सहित देश में अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों के पुनरुद्भव हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण (एस.एफ.डी.ए.), वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ.डी.ए.) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे.एफ.एम.सी.) के विकेन्द्रित कार्यतंत्र के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अनुमोदित क्षेत्रों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) एन.ए.पी. स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) चालू वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, तेलंगाना और गोवा को छोड़कर सभी राज्यों से एन.ए.पी. स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 13 राज्यों को पहली किस्त के रूप में 98.50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

भारत-वन स्थिति रिपोर्ट (आई.एस.एफ.आर.) - 2013 के अनुसार भारत में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में वन क्षेत्र

(वर्ग कि.मी. में क्षेत्र)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	कुल वन क्षेत्र	कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र की प्रतिशतता
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	275069	46116	16.77
अरूणाचल प्रदेश	83743	67321	80.39
असम	78438	27671	35.28
बिहार	94163	7291	7.74
छत्तीसगढ़	135191	55621	41.14
दिल्ली	1483	179.81	12.12
गोवा	3702	2219	59.94

1	2	3	4
गुजरात	196022	14653	7.48
हरियाणा	44212	1586	3.59
हिमाचल प्रदेश	55673	14683	26.37
जम्मू और कश्मीर	222236	22538	10.14
झारखंड	79714	23473	29.45
कर्नाटक	191791	36132	18.84
केरल	38863	17922	46.12
मध्य प्रदेश	308245	77522	25.15
महाराष्ट्र	307713	50632	16.45
मणिपुर	22327	16990	76.10
मेघालय	22429	17288	77.08
मिजोरम	21081	19054	90.38
नागालैंड	16579	13044	78.68
ओडिशा	155707	50347	32.33
पंजाब	50362	1772	3.52
राजस्थान	342239	16086	4.70
सिक्किम	7096	3358	47.32
तमिलनाडु	130058	23844	18.33
त्रिपुरा	10486	7865	75.01
उत्तर प्रदेश	240928	14349	5.96
उत्तराखंड	53483	24508	45.82
पश्चिम बंगाल	88752	16805	18.93
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8249	6711	81.36
चंडीगढ़	114	17.26	15.14
दादरा और नगर हवेली	491	213	43.38
दमन और दीव	112	9.27	8.28
लक्षद्वीप	32	27.05	84.56
पुदुचेरी	480	50.05	10.43
महायोग	3287263	697898	21.23

विवरण-II

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000-02 से 2014-15 तक अनुमोदित क्षेत्र

(हेक्टेयर में क्षेत्र)

क्रम.सं.	राज्य	वर्ष													
		2000-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	14-15 (30/6/2014 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	2000	21090	13040	7780	2690		13859	8182	4182	2341	5453	0	1605	
2.	बिहार	0	0	7750	2400	2165		9016	3675	3475	0	5647	2415	3885	1786
3.	छत्तीसगढ़	1950	15670	19869	2800	2225		40990	14706	8450	1177	8370	2934	5906	4699
4.	गोवा	0	0	1250	0	0		0	0	0	0	0		0	
5.	गुजरात	1500	12415	6600	4930	5000		32545	14620	4920	1760	11150	2000	2735	5284
6.	हरियाणा	9400	3405	7250	100	1050		8298	8260	5526	1100	3145	1519	3035	1900
7.	हिमाचल प्रदेश	2950	1520	20434	7474	0		10028	1222	1255	1646	2566	1450	908	
8.	जम्मू और कश्मीर	4580	28204	15055	0	0		7735	6370	3550	0	4857	4486	2260	
9.	झारखंड	0	5700	25400	7500	1250		31990	14680	9980	0	4815	0	3975	
10.	कर्नाटक	625	42770	6450	4790	2650		32905	3765	2200	0	9523	1880	3070	
11.	केरल	0	6600	5890	805	2955		10518	4118	1095	666	2947	1000	1620	
12.	मध्य प्रदेश	20300	32650	5700	14700	3170		28707	13367	6188	13000	10219	5125	5110	
13.	महाराष्ट्र	4003	17925	31580	8605	3175		41538	5182	7219	0	9854	2900	6850	6652
14.	ओडिशा	820	39636	6228	2313	6025		59140	7400	1745	0	7410	1975	4910	6535
15.	पंजाब	650	0	3300	900	3385		7687	1640	547	0	625	0	1347	
16.	राजस्थान	1250	12550	6800	2500	5090		1000	9500	6800	400	3300	1250	2325	
17.	तमिलनाडु	2500	21400	19577	7450	1340		6230	5670	4025	0	2984	1800	2094	
18.	उत्तर प्रदेश	7344	33615	19028	2000	1017		39104	18355	9664	3340	12435	4270	4890	8498
19.	उत्तराखंड	815	4122	18126	10346	5665		18867	3510	4065	5167	5058	2350	1241	1330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	पश्चिम बंगाल	0	9470	9286	3900	200		9984	4793	615	2815	2360	710	970	
	कुल (अन्य राज्य)	**60687**	**308742**	**248673**	**92193**	**49052**	**0**	**410141**	**149015**	**85501**	**33412**	**112718**	**38064**	**58736**	**36684**
21.	अरूणाचल प्रदेश	3846	11030	4600	0	1940		5705	1450	1750	3125	0	0	0	
22.	असम	0	0	19665	4350	2940		15660	6365	3625	0	0	0	3675	
23.	मणिपुर	0	11674	5600	600	500		12295	2950	1525	3599	4250	3970	2530	1835
24.	मेघालय	0	0	0	7400	0		8075	1970	800	4800	3930	3000	3000	
25.	मिजोरम	0	26170	600	0	0		16150	4500	2700	2370	2600	2500	3000	3135
26.	नागालैंड	4130	19000	2398	0	0		10640	3500	4050	2000	8000	2910	4000	2130
27.	सिक्किम	1600	11783	1000	0	0		6045	3350	2225	1549	3730	650	1095	1851
28.	त्रिपुरा	805	16400	0	2200	0		8350	335	1380	6271	6220	4435	4547	1796
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	**10381**	**96057**	**33863**	**14550**	**5380**	**0**	**82920**	**24420**	**18055**	**23714**	**28730**	**17465**	**21847**	**10747**
	कुल	71068	404799	282536	106743	54432	0	493061	173435	103556	57126	141448	55529	80583	47431

विवरण-III

विगत तीन वर्षों (2011-12 से 2013-2014) और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां

(करोड़ रु. में)

राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (30.06.2014 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	15.15	2.71	3.75	
बिहार	6.92	3.40	12.84	7.00
छत्तीसगढ़	24.74	13.33	21.38	10.00
गोवा	0.00	0.00	0.00	
गुजरात	27.00	14.30	11.68	10.50
हरियाणा	12.28	6.41	17.94	5.50
हिमाचल प्रदेश	3.50	3.62	2.61	
जम्मू और कश्मीर	6.89	3.37	8.11	
झारखंड	10.42	4.69	9.02	
कर्नाटक	12.92	6.81	9.26	
केरल	2.04	11.30	6.99	
मध्य प्रदेश	21.43	9.15	22.10	
महाराष्ट्र	28.51	28.87	32.33	17.50
ओडिशा	7.30	3.38	5.36	9.00
पंजाब	0.46	0.76	2.00	
राजस्थान	6.23	4.14	2.81	
तमिलनाडु	3.08	2.78	3.21	
उत्तर प्रदेश	26.23	15.27	20.15	12.00
उत्तराखंड	6.61	6.25	6.01	2.50

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	6.29	2.57	2.96	
कुल (अन्य राज्य)	**228.00**	**143.11**	**200.49**	**74.00**
अरूणाचल प्रदेश	0.00	1.66	0.00	
असम	7.95	1.47	2.99	
मणिपुर	12.74	9.46	12.12	4.00
मेघालय	4.31	9.10	4.50	
मिजोरम	13.44	8.78	11.94	7.50
नागालैंड	11.69	10.88	9.82	5.50
सिक्किम	11.18	5.42	3.77	3.00
त्रिपुरा	13.69	3.50	11.99	4.50
कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	**75.00**	**50.26**	**57.13**	**24.50**
महायोग	303.00	193.37	257.62	98.50

विवरण-IV

चालू वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव	प्रस्ताव अनुमोदित	30.06.2014 तक निधियां जारी की गईं
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	प्राप्त		
2.	बिहार	प्राप्त	अनुमोदित	7.00
3.	छत्तीसगढ़	प्राप्त	अनुमोदित	10.00
4.	तेलंगाना	प्राप्त नहीं		
5.	गुजरात	प्राप्त	अनुमोदित	10.50
6.	हरियाणा	प्राप्त	अनुमोदित	5.50

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	प्राप्त		
8.	जम्मू और कश्मीर	प्राप्त		
9.	झारखंड	प्राप्त	अनुमोदित	
10.	कर्नाटक	प्राप्त		
11.	केरल	प्राप्त		
12.	मध्य प्रदेश	प्राप्त	अनुमोदित	
13.	महाराष्ट्र	प्राप्त	अनुमोदित	17.50
14.	ओडिशा	प्राप्त	अनुमोदित	9.00
15.	पंजाब	प्राप्त	अनुमोदित	
16.	राजस्थान	प्राप्त		
17.	तमिलनाडु	प्राप्त		
18.	उत्तर प्रदेश	प्राप्त	अनुमोदित	12.00
19.	उत्तराखंड	प्राप्त	अनुमोदित	2.50
20.	पश्चिम बंगाल	प्राप्त		
	कुल (अन्य राज्य)			**74.00**
21.	अरूणाचल प्रदेश	प्राप्त		
22.	असम	प्राप्त		
23.	मणिपुर	प्राप्त	अनुमोदित	4.00
24.	मेघालय	प्राप्त		
25.	मिजोरम	प्राप्त	अनुमोदित	7.50
26.	नागालैंड	प्राप्त	अनुमोदित	5.50
27.	सिक्किम	प्राप्त	अनुमोदित	3.00
28.	त्रिपुरा	प्राप्त	अनुमोदित	4.50
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)			**24.50**
	महायोग			98.50

प्रसार भारती में भर्ती

809. श्री थुपस्तान छेवांग:
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी ए.वी.एस.एम.:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती के लिए एक भर्ती बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) प्रसार भारती में स्वीकृत पदों के मुकाबले रिक्त पड़े पदों की कुल संख्या कैडर-वार और जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड सहित राज्य-वार कितनी है;

(घ) क्या प्रसार भारती में अधिकांश प्रोन्नतियां तदर्थ आधार पर की जाती हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी प्रोन्नतियों को नियमित करने और प्रसार भारती में कार्य कर रहे कर्मचारियों के कॅरियर की संभावनाओं से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) प्रसार भारती भर्ती बोर्ड (पी.बी.आर.बी.) का अभी गठन नहीं किया गया है। पी.बी.आर.बी. की स्थापना से संबंधित मसौदा नियम अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया के अधीन हैं। नियमों को अंतिम रूप दिए जाने पर, पी.बी.आर.बी. के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों का सृजन किया जाएगा। इन पदों के सृजन होने और उन्हें भरे जाने के उपरांत पी.बी.आर.बी. का गठन किया जाएगा।

(ग) प्रसार भारती द्वारा सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1997-2002 के दौरान और वर्ष 2013 से डी.पी.सी. न किए जाने और मुकदमेबाजी के कारण नियमित पदों के प्रभावित होने के कारण पदोन्नति में ठहराव को कम करने के लिए प्रसार भारती में कुछ कार्यक्रम पदों को तदर्थ पदोन्नति दी गई थी।

(ङ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय नियमित पदोन्नतियों के लिए डी.पी.सी. किए जाने हेतु संघ लोक सेवा आयोग के साथ वार्ता कर रहा है। मंत्रालय ने भारतीय प्रसारण कार्यक्रम सेवा और भारतीय प्रसारण इंजीनियरिंग सेवा के संवर्ग समीक्षा के लिए सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव अग्रेषित करने हेतु प्रसार-भारती से अनुरोध भी किया है।

[हिन्दी]

जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन व कार्यवाहियां

810. श्री राजेश रंजन:
श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययनों और कार्यवाहियों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(ख) इसके अधिष्ठापन में विलंब के कारण, यदि कोई हैं, तो क्या हैं; और

(ग) उक्त संस्थान के कब तक स्थापित होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ग) भारत सरकार 12वीं योजना अवधि के दौरान जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय मुद्दों से संबंधित सभी कार्यकलापों और विश्लेषणात्मक अध्ययनों को समन्वित करने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के

अंतर्गत राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अध्ययन और कार्रवाई संस्थान स्थापित करने का विचार रखती है।

केन्द्रीय विद्यालयों का कार्य-निष्पादन

811. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार, देश में केन्द्रीय विद्यालयों के कार्य-निष्पादन की निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ शुरू की गई कार्य-प्रणाली सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्रीय विद्यालयों के कार्य-निष्पादन का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में कुछ केन्द्रीय विद्यालयों के खराब प्रदर्शन का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणाम का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय (के.वी.) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) नामक स्वायत्तशासी संगठन द्वारा अभिशासित होते हैं। अधिशासी मंडल (बी.ओ.जी.) देश में के.वी. के कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए शीर्ष निकाय है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार अधिशासी मंडल के अध्यक्ष हैं जिसमें शिक्षाविद, शिक्षा प्रशासक, और संसद सदस्य शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अधिशासी मंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। निगरानी के प्रभावी प्रबंधन के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता वाली चार स्थायी समितियां जैसे शिक्षा सलाहकार समिति, वित्त समिति, प्रशासन व स्थापना समिति और निर्माण समिति अधिशासी मंडल की सहायता करती हैं। के.वी.एस. अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अधिशासी मंडल को पूरे वर्ष के कार्य-निष्पादन और साथ ही अपनी अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों/गतिविधियों से अवगत कराता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालय द्वारा दर्ज कक्षा 10 और 12 का राज्य-वार निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय विद्यालयों के निष्पादन को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है एवं और अधिक सुधार के लिए आपेक्षित सहायता प्रदान की जाती है। जैसाकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 और 12 के लिए आयोजित परीक्षाओं में दर्शाया गया है महाराष्ट्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों सहित सभी केन्द्रीय विद्यालयों की उत्तीर्ण प्रतिशतता कुल मिलाकर बहुत अच्छी रही है। जब भी किसी भी केन्द्रीय विद्यालय का कार्यनिष्पादन क्षेत्र के औसत से कम होता है, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन इन कमियों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कक्षा-X और XII का के.वी.एस. द्वारा दर्ज क्षेत्र-वार कार्य निष्पादन

क्र.सं.	क्षेत्र	कक्षा-X				कक्षा-XII			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आगरा	*	99.45	99.88	99.97	*	93.82	93.6	97.88
2.	अहमदाबाद	99.68	99.48	99.86	99.67	90.48	91.93	90.9	95.83
3.	बंगलौर	99.8	99.91	100	100	95	95.53	97.92	99.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	भोपाल	99.61	99.74	99.91	99.44	91.83	92.58	93.32	96.82
5.	भुवनेश्वर	98.6	99.8	99.97	99.95	93.28	93.48	95.08	96.83
6.	चंडीगढ़	99.44	99.68	99.94	99.73	94.75	95.6	96.14	98.42
7.	चेन्नई	99.94	99.69	99.95	99.98	97.58	95.84	96.09	98.37
8.	देहरादून	99.2	99.6	99.7	99.47	94.15	97.2	96.16	98.47
9.	दिल्ली	99.15	99.55	99.91	99.86	95.54	95.43	97.21	98.27
10.	एर्नाकुलम	*	100	100	100	*	98.49	99.31	99.51
11.	गुड़गांव (सिरसा)	*	99.09	99.92	99.47	*	92.21	94.21	96.57
12.	गुवाहाटी	97.75	99.3	99.83	99.9	94.68	95.57	93.52	97.88
13.	हैदराबाद	99.51	99.86	100	19.72	95.71	97.43	97.23	98.24
14.	जबलपुर	99.1	98.91	99.87	99.49	88.75	91.99	91.2	96.22
15.	जयपुर	99.55	99.59	99.97	99.42	90.8	92.49	95.28	97.81
16	जम्मू	99.39	99.28	99.82	99.91	91.1	87.73	89.18	96.52
17.	कोलकाता	99.69	99.52	99.91	99.62	93.1	94.21	95.22	96.09
18.	के.वी.एस. (मुख्यालय)	94.75	99.66	100	100	91.38	98.18	100	96.34
19.	लखनऊ	98.61	99.32	99.84	99.18	93.92	93.02	93.13	96.6
20.	मुंबई	99.27	99.41	99.7	99.8	91.9	95.16	95.41	97.28
21.	पटना	98.76	99.68	99.74	98.79	92.68	95.98	90.53	95.11
22.	रायपुर	*	99.23	100	98.56	*	90.67	95.34	97.06
23.	रांची	*	99.55	99.92	99.51	*	92.47	94.48	94.55
24.	सिल्चर	97.54	99.23	99.93	99.94	92.09	94.76	93.3	96.6
25.	तिनसुकिया	*	98.94	100	99.62	*	91.2	95.28	96.14
26.	वाराणसी	*	99.54	99.94	99.26	*	92.43	92.08	97.53

*वर्ष 2010 और 2011 के उक्त कॉलमों में खाली स्थान हैं क्योंकि ये क्षेत्र अर्थात् आगरा, एर्नाकुलम, रायपुर, रांची, गुड़गांव (सिरसा), तिनसुकिया और वाराणसी उस समय अस्तित्व में नहीं थे।

[अनुवाद]

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

812. **प्रो. सौगत राय:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कलपाक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अधिष्ठापन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके अधिष्ठापन में विलंब के लिए क्या कारण हैं; और

(ग) देश में इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से परमाणु शक्ति उत्पादन में कितनी मदद होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) कलपाक्कम में निर्माणाधीन 500 मेगावाट-ई क्षमता वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी.एफ.बी.आर.) निर्माण और कमीशनिंग के प्रगत चरण पर है। इस रिएक्टर के सभी प्रमुख संघटकों का स्थापन संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। सहायक प्रणालियों जैसे कि जल प्रणाली, संवातन, वैद्युत और गैस प्रणालियों की कमीशनिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। कमीशनिंग के अगले चरण में माध्यमिक और प्राथमिक प्रणालियों में सोडियम के पूर्व तापन और भरण कार्य किए जाते हैं। 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार, इस परियोजना ने 97.6% समग्र वास्तविक प्रगति हासिल की है।

(ख) प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्रांतिकता के लिए अनुमोदित तारीख सितम्बर, 2014 है। तथापि, हमारे देश में पूर्ण रूप से स्वदेशी आधार पर तैयार किया गया अपनी किस्म का पहला रिएक्टर होने की वजह से, इसके सभी प्रमुख उपस्करों और उप-प्रणालियों के कड़े परीक्षण और उनकी क्षमता सिद्ध करने की आवश्यकता के मद्देनजर कुछ विलंब होने की संभावना है।

(ग) फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफ.बी.आर्ज), न केवल अपने ईंधन के लिए अपेक्षित खनन किए गए यूरेनियम द्वारा अपितु, अतिरिक्त प्लूटोनियम (नाभिकीय रिएक्टरों में उत्पादित की गई मानव निर्मित नाभिकीय ईंधन सामग्री) को उत्पादित करके देश की नाभिकीय विद्युत की उत्पादन क्षमता में कई गुणा वृद्धि करने में सहायक होते हैं, जो इन रिएक्टरों के पूरे जीवनकाल की ईंधन संबंधी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं, और अतिरिक्त फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में प्रारंभिक भरण के लिए ईंधन भी प्रदान कर सकते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कई शताब्दियों तक, भारत की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के एक बड़े हिस्से की पूर्ति के लिए, हमारे नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम के प्रचुर संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए एक प्रमुख पथ तैयार करते हैं।

कमलनाथन समिति

813. **श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी:**
श्रीमती बुत्ता रेणुका:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार के बीच कर्मचारियों/स्टॉफ के विभाजन के लिए कमलनाथन समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों के विभाजन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश सहित द्वारा दी गई सिफारिशें क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय सेवा से इतर सरकार के कर्मचारियों के लिए 29.03.2014 से श्री सी.आर. कमलनाथन की अध्यक्षता में

एक सलाहकार समिति गठित की है। आदेश की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आदेश

आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने एतद्वारा तत्काल प्रभाव से अखिल भारतीय सेवा से इतर राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए सलाहकार समिति गठित की है।

2. सलाहकार समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(i)	श्री सी.आर. कमलनाथन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) (ए.पी.:1965)	–	अध्यक्ष
(ii)	मौजूदा आन्ध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव	–	सदस्य
(iii)	श्री वी. नागी रेड्डी, आई.ए.एस. (ए.पी.:84)	–	सदस्य
(iv)	डॉ. पी.वी. रमेश, आई.ए.एस. (ए.पी.:85)	–	सदस्य
(v)	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – जो एस.आर. प्रभाग का प्रभार संभालते हों अथवा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके द्वारा नामित भारत सरकार के निदेशक/ उप सचिव के रैंक के अधिकारी	–	सदस्य
(vi)	ऐसा अधिकारी जो मौजूदा आन्ध्र प्रदेश राज्य में पुनर्गठन एकक का समन्वय कर रहा हो तथा राज्य सरकार के सचिव रैंक से नीचे का अधिकारी न हो	–	सदस्य सचिव

3. नियत दिवस को अथवा उसके बाद उत्तरवर्ती तेलंगाना एवं आन्ध्र प्रदेश के अधिकारी राज्यों के मुख्य सचिव सदस्य होंगे।

4. सलाहकार समिति के विचारार्थ - विषय निम्नानुसार होंगे:

(i) दो उत्तराधिकारी राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बीच आन्ध्र प्रदेश की विभिन्न सेवाओं के मौजूदा संवर्गों के कर्मचारियों का आबंटन/राज्य सरकार के कार्मिकों के विभाजन के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मानदंड की रूपरेखा प्रस्तुत करना;

(ii) संवर्ग पद-संख्या का निर्धारण करना और इसका राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न श्रेणियों में आगे उप-विभाजन करना अर्थात् सीधी भर्ती कोटा एवं पदोन्नति कोटा अनुसार; मौजूदा आन्ध्र प्रदेश राज्य से उत्पन्न होने वाले दो उत्तराधिकारी राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के लिए अनारक्षित, अ.पि.व., अनु. जा. एवं अनु.ज.जा.। इस संबंध में सलाहकार समिति की संस्तुति को अंतिम रूप केवल समिति के उपयुक्त अवधि के लिए राज्य सरकारों की वेबसाइट पर प्रस्तावित वास्तविक संवर्ग पद-संख्या सहित निर्धारण के इसके सिद्धांतों को निश्चित करने के पश्चात् ही दिया जाए, ताकि उन पर टिप्पणियों/प्रतिवेदन की जाने की अनुमति दी जा सके तथा समिति उन मुद्दों पर विचार करती है जो पणधारियों द्वारा उठाए जाएंगे। इस आधार पर एक बार संवर्ग पद-संख्या का निर्धारण कर दिए जाने पर आन्ध्र प्रदेश के अविभाजित राज्य में विभिन्न सेवाओं में कमी की तुलना में उनकी वर्तमान संवर्ग पद-संख्या को उत्तराधिकारी राज्यों के बीच यथानुपात वितरण कर दिया जाए ताकि कोई भी राज्य घाटे में न रहे।

(iii) तदनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों की विशिष्ट/व्यक्ति आबंटन/विभाजन की संस्तुति करने के लिए;

(iv) ऐसे आबंटन/वितरण से प्रभावित होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी (कर्मचारियों) द्वारा दिए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करना ताकि सभी के प्रति न्यायसंगत एवं उचित व्यवहार को सुनिश्चित किया जा सके तथा उपयुक्त संस्तुतियां, यदि कोई हो, की जा सके।

5. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जब कभी भी अपेक्षित होगा, समिति को कोई अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है।

(अर्चना वर्मा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्य।
2. मौजूदा आन्ध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
3. सचिव, डी.ओ.पी.टी., भारत सरकार - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
4. सचिव, गृह मंत्रालय
5. संयुक्त सचिव, पी.एम.ओ.
6. गार्ड फाइल

इम्फाल और मांडले के बीच बस-सेवा

814. श्री तारिक अनवरः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का मणिपुर में इम्फाल और सेंट्रल म्यांमार के मांडले के बीच एक साप्ताहिक अंतरदेशीय बस सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में समझौता-ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त बस-सेवा को कब तक पूर्ण रूप से प्रचालित किए जाने की संभावना है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) से (ङ) सरकार, म्यांमार में मणिपुर में इम्फाल से म्यांमार के मंडाले के बीच अंतरदेशीय बस सेवा शुरू करने के लिए म्यांमार सरकार से विचार-विमर्श कर रही है। इस संदर्भ में, बस सेवा पर समझौता ज्ञापन के प्रावधानों तथा प्रचालन के तौर-तरीकों से संबंधित प्रोतोकोल के मसौदा पर म्यांमार के साथ बातचीत की जा रही है।

पाकिस्तान में मंदिरों को नष्ट किया जाना

815. श्री कपिल मोरेश्वर पाटीलः
श्री राजन विचारेः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को कथित रूप से नष्ट किए जाने की खबरें आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पाकिस्तान में कितने हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) (विजय कुमार सिंह): (क) से (ङ) सरकार को

समय-समय पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, जिनमें हिंदू समुदाय भी शामिल है, के धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व की जगहों को अपवित्र किए जाने से संबंधित कृत्यों की रिपोर्टें मिली हैं। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को अपवित्र किए जाने/उनका अपमान किए जाने से संबंधित दो रिपोर्टें वर्ष 2012 में प्रमुखता से सामने आई थीं। वर्ष 2013 में ऐसी नौ घटनाओं की रिपोर्टें छपी थीं। वर्ष 2014 में अब तक पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को अपवित्र किए जाने से संबंधित 5 घटनाएं हुई हैं। पाकिस्तान में व्यापक हालात को ध्यान में रखते हुए ऐसी घटनाओं की सच्चाई, इनकी सटीक संख्या अथवा वास्तविक ब्यौरे का पता लगाना संभव नहीं हो पाया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न शिमला समझौते के तहत दोनों देशों के बीच एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देने संबंधी सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख है। फिर भी, समय-समय पर सरकार ने पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया है कि वह वर्ष 1974 में हस्ताक्षरित "धार्मिक स्थलों की यात्रा संबंधी प्रोतोकोल", जिसके तहत दोनों पक्षों का दायित्व है कि वे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का समुचित रख-रखाव करें तथा पवित्रता अक्षुण्ण रखें, के अंतर्गत उल्लिखित प्रतिबद्धताओं के अनुसार पाकिस्तान में स्थित पवित्र धार्मिक स्थलों की रक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करें। पाकिस्तान सरकार यह कहती रही है कि वह इस परिस्थिति से पूर्णत: वाकिफ है और वह सभी नागरिकों, विशेषत: अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण का ध्यान रखती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जरिए वित्तीय सहायता

816. श्री बी.वी. नाईक: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खादी और ग्रामाद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के खादी बोर्डों के जरिए प्रबंधित ऋण राज-सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुहैया कराए गए ऋण का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऋण के लिए लंबित आवेदनों का मामला-बार ब्यौरा क्या है और इनके लंबन के क्या कारण हैं;

(ग) लंबित आवेदनों को प्रक्रियाधीन करने/निपटाए जाने और लाभार्थियों को कब तक ऋण जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) लक्षित समूहों के बीच स्व-निर्भरता विकसित करने के लिए के.वी.आई.सी. द्वारा चालू विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): (क) वर्तमान में ऐसी कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है जिससे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराता है। तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार संपूर्ण देश में गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके स्वरोजगार सृजन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.), खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.) और जिला उद्योग केन्द्रों (डी.आई.सी.) के माध्यम से वर्ष 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नामक एक ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम कार्यान्वित करती आ रही है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग उक्त कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लाभार्थी आदि जैसे विशिष्ट श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए है। विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पी.एम.ई.पी.जी. के अंतर्गत कर्नाटक सहित राज्य-वार सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी संलग्न विवरण का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत ऋण के लिए लंबित आवेदनों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत लंबित आवेदनों की संख्या
2011-12	3492
2012-13	24835
2013-14	93384

लंबन के मुख्य कारण (1) बैंकों द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को पूरा न करना (2) बैंकों द्वारा पहले से चूककर्ता घोषित किए गए आवेदक (3) वर्ष के अन्तिम समय में आवेदनों को प्रस्तुत करना (4) बैंक शाखा विशेष में अपर्याप्त निधियां, होना आदि हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को पूरा करना अपेक्षित होता है और ऋण के संवितरण के लिए आवेदन की प्राप्ति से संपूर्ण प्रक्रिया, संवीक्षा, मूल्यांकन और संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृति के बाद 130 दिन में की जाती है। बैंकों द्वारा पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत ऋणों की समय पर शीघ्र स्वीकृति और उनके संवितरण के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय कार्यबल समिति और संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया की मॉनीटरिंग की जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम की मॉनीटरिंग के लिए जिले के संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय सलाहकार समिति भी गठित की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ऋण के समय पर संवितरण के लिए बैंक कर्मचारियों को संवेदनशील करने के लिए बैंकों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों के साथ भी मुद्दे को उठाया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए मॉनीटरिंग समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्रिया की आवधिक रूप से मॉनीटरिंग की जाती है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर की बैठक की जाती है।

(घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग पहले से ही उद्यमिता विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करता आ रहा है जो उन लाभार्थियों जिनको ऋण स्वीकृत किया गया है, के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के भाग के रूप में अनिवार्य है ताकि उनमें स्वतंत्र रूप से उद्यम प्रबंधन की सक्षमता विकसित हो सके।

विवरण

प्रयुक्त राज्य-वार मार्जिन मनी सब्सिडी और सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या

2011-12

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	जम्मू और कश्मीर	2983.42	1920
2.	हिमाचल प्रदेश	1152.51	809
3.	पंजाब	1756.94	899
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	39.98	38
5.	उत्तराखंड	1059.62	894
6.	हरियाणा	1353.79	786
7.	दिल्ली	189.69	195
8.	राजस्थान	3518.29	2075
9.	उत्तर प्रदेश	18599.43	5569
10.	बिहार	9873.73	4887
11.	सिक्किम	113.87	64
12.	अरूणाचल प्रदेश	431.63	375
13.	नागालैंड	1155.94	556
14.	मणिपुर	869.51	564
15.	मिजोरम	723.57	418
16.	त्रिपुरा	2539.45	1812
17.	मेघालय	1228.13	712
18.	असम	5544.99	5280
19.	पश्चिम बंगाल	5581.67	5806

1	2	3	4
20.	झारखंड	3486.33	2372
21.	ओडिशा	4194.51	2259
22.	छत्तीसगढ़	3306.12	1510
23.	मध्य प्रदेश	5419.41	1943
24.	गुजरात*	6147.35	1863
25.	महाराष्ट्र**	4548.95	2705
26.	आन्ध्र प्रदेश	5497.37	1672
27.	कर्नाटक	3872.13	1852
28.	गोवा	296.12	155
29.	लक्षद्वीप	10.52	12
30.	केरल	2928.85	1629
31.	तमिलनाडु	7164.15	3228
32.	पुदुचेरी	79.22	72
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	116.47	204
	कुल	105783.66	55135

*दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

2012-13

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	जम्मू और कश्मीर	3413.99	2036
2.	हिमाचल प्रदेश	1350.84	916
3.	पंजाब	1417.92	770
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	68.63	55
5.	उत्तराखंड	2043.16	1426
6.	हरियाणा	1511.38	927
7.	दिल्ली	133.52	161
8.	राजस्थान	6223.97	2623
9.	उत्तर प्रदेश	12968.42	4529
10.	बिहार	7669.08	3150
11.	सिक्किम	88.49	49
12.	अरूणाचल प्रदेश	296.50	261
13.	नागालैंड	1101.32	436
14.	मणिपुर	1098.49	660
15.	मिजोरम	545.82	517
16.	त्रिपुरा	2441.35	1604
17.	मेघालय	869.07	458
18.	असम	5801.15	7336
19.	पश्चिम बंगाल	7382.49	6632
20.	झारखंड	3423.46	2297
21.	ओडिशा	7518.67	3735
22.	छत्तीसगढ़	3714.39	1748
23.	मध्य प्रदेश	9097.43	3201
24.	गुजरात*	3304.67	1066
25.	महाराष्ट्र**	6794.14	3640
26.	आन्ध्र प्रदेश	5655.41	1968
27.	कर्नाटक	3580.73	1251
28.	गोवा	83.87	46

1	2	3	4
29.	लक्षद्वीप	0	0
30.	केरल	3343.35	1872
31.	तमिलनाडु	4916.28	2244
32.	पुदुचेरी	83.79	54
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	124.62	216
	कुल	108066.40	57884

*दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

2013-14

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	जम्मू और कश्मीर	3221.92	1849
2.	हिमाचल प्रदेश	1613.86	1112
3.	पंजाब	2472.08	942
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	59.11	55
5.	उत्तराखंड	2099.99	1236
6.	हरियाणा	2074.98	939
7.	दिल्ली	164.75	142
8.	राजस्थान	4056.87	1278
9.	उत्तर प्रदेश	15117.55	4358
10.	बिहार	7725.19	3121
11.	सिक्किम	108.09	66
12.	अरूणाचल प्रदेश	889.42	657
13.	नागालैंड	1125.76	419
14.	मणिपुर	1591.34	733
15.	मिजोरम	886.40	777
16.	त्रिपुरा	2227.40	1307
17.	मेघालय	571.46	414
18.	असम	7397.40	8279
19.	पश्चिम बंगाल	5596.67	3273
20.	झारखंड	4533.09	2612
21.	ओडिशा	4231.41	2222
22.	छत्तीसगढ़	1891.21	867
23.	मध्य प्रदेश	7981.76	2463
24.	गुजरात*	4401.80	914
25.	महाराष्ट्र**	4737.63	2116
26.	आन्ध्र प्रदेश	4610.54	1453
27.	कर्नाटक	7837.31	2760
28.	गोवा	89.64	42
29.	लक्षद्वीप	0	0
30.	केरल	2756.94	1505
31.	तमिलनाडु	5287.64	2269
32.	पुदुचेरी	43.17	43
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	172.59	237
	कुल	107574.97	50460

*दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

2014-15

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी @(रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या@
1	2	3	4
1.	जम्मू और कश्मीर	-	-
2.	हिमाचल प्रदेश	-	-
3.	पंजाब	120.89	67
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	10.67	10
5.	उत्तराखंड	-	-
6.	हरियाणा	-	-
7.	दिल्ली	-	-
8.	राजस्थान	-	-
9.	उत्तर प्रदेश	255.56	108
10.	बिहार	-	-
11.	सिक्किम	-	-
12.	अरूणाचल प्रदेश	-	-
13.	नागालैंड	-	-
14.	मणिपुर	-	-
15.	मिजोरम	-	-
16.	त्रिपुरा	-	-
17.	मेघालय	-	-
18.	असम	-	-
19.	पश्चिम बंगाल	-	-
20.	झारखंड	-	-
21.	ओडिशा	-	-
22.	छत्तीसगढ़	-	-
23.	मध्य प्रदेश	217.59	85
24.	गुजरात*	240.54	64
25.	महाराष्ट्र**	-	-
26.	आन्ध्र प्रदेश	-	-
27.	कर्नाटक	-	-
28.	गोवा	-	-
29.	लक्षद्वीप	-	-
30.	केरल	-	-
31.	तमिलनाडु	52.06	23
32.	पुदुचेरी	-	-
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-
	कुल	897.31	357

@30 जून, 2014 तक

*दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

[हिन्दी]

रक्षा परियोजनाओं को स्वीकृति

817. डॉ. वीरेन्द्र कुमार: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रक्षा परियोजनाओं में विलंब न हो, उन्हें शीघ्र पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) जी हां।

(ख) से (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावों पर विचार करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करती है, के प्रावधानों के अनुसार रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों से पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने के आवेदन पत्रों पर विचार करता है। रक्षा क्षेत्र के सभी प्रस्ताव, ई.आई.ई. अधिसूचना 2006 में श्रेणी 'क' में रखे गए हैं और उन पर केन्द्रीय सरकार के स्तर पर विचार किया जाता है। मंत्रालय ने ऐसी परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को त्वरित बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई.ए.सी.) गठित की है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय हब एयरपोर्ट

818. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर में विश्वस्तरीय मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट (एम.एम.आई.एच.ए.एन.) के विकास के लिए वन भूमि के बड़े हिस्से का विपथन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इनके लिए वनभूमि की स्वीकृति की अनुपालन-रिपोर्ट अग्रेषित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एम.एम.आई.एच.ए.एन. के कब तक चालू होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (घ) क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवेलप कम्पनी लिमिटेड (एम.आई.एच.ए.एन.) के पक्ष में मल्टीमॉडेल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत 9.17 हेक्टेयर और 10.36 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु दो प्रस्तावों को दिनांक 12.03.2013 को प्रावस्था-I अनुमोदन प्रदान किया गया।

राज्य वन विभाग के पक्ष में प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए अभिज्ञात जुडुपी जंगल भूमि के म्यूटेशन का ब्यौरा प्रदान किए बिना प्रावस्था-I अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई है। राज्य सरकार को इससे संबंधित पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 13.03.2013 और 08.07.2013 को अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। राज्य सरकार इसे संतोषजनक अनुपालन रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद, प्रावस्था-II अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्थानांतरण नीति

819. **श्री रामदास सी. तडस:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नियुक्त अध्यापकों की वर्तमान स्थानांतरण नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अध्यापकों को उनकी इच्छानुसार स्थानों पर पदस्थापित नहीं किए जाने से उनका कार्य प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानांतरण प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) वर्तमान स्थानान्तरण नीति की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्यालयों ने अपने शैक्षिक कार्य-निष्पादन में निरंतर सुधार दर्शाया है।

(ग) और (घ) शिक्षकों को हमेशा उनके इच्छित स्थान पर स्थानान्तरित करना प्रशासनिक तौर पर व्यवहार्य नहीं है। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थानान्तरण नीति में अन्य आधारों जैसे कार्यकाल, पति/पत्नी, कठिन क्षेत्र और चिकित्सा स्थिति इत्यादि के साथ इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण को अधिभार दिया जाता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थानान्तरण नीति से संबंधित सुझाव समय-दर-समय आमंत्रित किए जाते हैं और उन पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्राधिकारियों द्वारा उचित रूप से विचार किया जाता है। प्राप्त इनपुट्स के आधार पर और कर्मचारियों के साथ-साथ संगठन के हितों को ध्यान में रखते हुए जब कभी भी आवश्यकता होती है, स्थानान्तरण नीति में संशोधन किया जाता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अभिशासी मंडल द्वारा ऐसे अंतिम संशोधन को दिनांक 01.07.2014 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था। अद्यतन संशोधन स्कूलों में रिक्तियों के आधार पर एक ही क्षेत्र में स्थानान्तरण किए जाने तथा उनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार की अपेक्षा अधिक रिक्तियों वाले स्कूलों के आधार पर अनुरोध स्थानान्तरण पर विचार करने से संबंधित हैं।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

अध्यापकों (स्नातकोत्तर तक) एवं अन्य के लिए स्थानान्तरण दिशा-निर्देश

1. उद्देश्य

केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारियों में नौकरी के प्रति संतुष्टि को ईष्टतम स्तर तक बढ़ाने एवं संगठन की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सभी स्थलों पर अपने कर्मचारियों का समान वितरण करने के लिए प्रयासरत है। सभी कर्मचारियों को किसी भी समय भारत के किसी भी स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है तथा वांछित स्थल पर स्थानान्तरण का अधिकार के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता है। स्थानान्तरण करते समय सांगठनिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा कर्मचारी की समस्याओं एवं बाध्यताओं का महत्त्व गौण रहेगा।

2. परिभाषा

क्र.सं.	शर्तें	स्पष्टीकरण
1	2	3
1.	कार्यकाल	कार्यकाल केवल कठिन/अत्यधिक कठिन/पूवोत्तर राज्यों में स्थित केन्द्रों के संबंध में ही लागू होगा : प्रत्येक वर्ष 30 जून को कठिन/अत्यधिक कठिन/पूर्वोत्तर केन्द्रों के लिए 02 वर्ष की अवधि (दिनांक 21.12.2011 एवं दिनांक 03.10.2013 को संशोधित)
2.	कठिन/अत्यधिक कठिन केन्द्र	जैसा कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है। इन स्थलों की वर्तमान सूची इन दिशा-निर्देशों के होने के बाद प्रचालित होगी।
3.	शारीरिक नि:शक्त कर्मचारी	ऐसे कर्मचारी अन्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित दरों की अपेक्षा दोगुना दरों पर परिवहन भत्ता प्राप्त करते हैं।
4.	ए.पी.ए.आर.	वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट
5.	संगठन	केन्द्रीय विद्यालय संगठन अथवा इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कोई कार्यालय अथवा स्कूल।
6.	अवस्थिति	कोई केन्द्रीय विद्यालय अथवा किसी स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन का कोई अन्य कार्यालय।

1	2	3
7.	केन्द्र	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अधिसूचित विशिष्ट तीन अंक कोड वाला कोई शहर/नगर/महानगर/एक केन्द्र में एक से अधिक केन्द्रीय विद्यालय/कार्यालय स्थित हो सकते हैं।
8.	एम.डी.जी.	संलग्नक-I में अलग से परिभाषित।
9.	डी.एफ.पी.	वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार पिछले दो वर्षों में पति/पत्नी/स्वयं के पुत्र/स्वयं की पुत्री की मृत्यु होना।
10.	एल.टी.आर.	दिनांक 31 मार्च की स्थिति के अनुसार आगामी तीन वर्ष में सेवानिवृत्ति निश्चित होना।
11.	स्थानान्तरण गणनांक	खण्ड 10 के अनुसार स्थानान्तरण अनुरोध हेतु प्रासंगिक विभिन्न पहलुओं के लिए आबंटित बिन्दुओं का कुल योग।
12.	विस्थापन गणनांक	खण्ड 6 के अनुसार किसी केन्द्र से कर्मचारी के विस्थापन का निर्धारण करने वाले विभिन्न कारकों के लिए आबंटित बिन्दुओं का कुल योग।

3. प्रयोजनीयता

ये दिशा-निर्देश सभी श्रेणियों के अध्यापकों, पुस्तकाध्यक्षों, मुख्याध्यापकों, सहायकों तथा सभी समूह 'ग' कर्मचारियों के लिए लागू होंगे। स्थानान्तरण दिशा-निर्देशों के खण्ड 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 में निहित प्रासंगिक कारकों के लिए उपयुक्त अंक निर्धारण हेतु मानदण्डों एवं स्थानान्तरण आधार के लिए संचयी अंकों के प्रयोग मानदण्डों का निर्धारण किया गया है।

4. स्थानान्तरण के प्रकार

स्थानान्तरण को मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात् प्रशासनिक जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सेवा एवं प्रशासन की अनिवार्यता तथा जनहित में स्वयं किए जाते हैं और अनुरोध पर स्थानान्तरण, जो किसी कर्मचारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर किए जाते हैं।

5. कर्मचारियों का प्रशासनिक स्थानान्तरण

ऐसे स्थानान्तरण के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय संगठन सामान्यतः करेगा-

(क) किसी स्थान पर संस्वीकृत संख्या के अतिरिक्त तैनात स्टॉफ की संस्वीकृत रिक्तियों वाले स्थान पर परिनियोजना करना

(ख) कर्मचारियों की कठिन/अत्यधिक कठिन/पूर्वोत्तर केन्द्रों पर तैनाती करना

(ग) किसी जरूरतमंद कर्मचारी के अनुरोध को समायोजित करने के लिए किसी स्थान में कर्मचारी का विस्थापन करना

6. विस्थापन स्थानान्तरण के लिए किसी कर्मचारी के विस्थापन गणनांक की गणना हेतु कारण, बिन्दु एवं गणना (दिनांक 21.12.2011, 04.01.2013 एवं 20.02.2014 को संशोधित)

किसी कर्मचारी के विस्थापन गणनांक की गणना ऐसे उपयुक्त कारकों के लिए उपयुक्त अंक प्रदान करते हुए की जाती है जो निम्नानुसार विस्थापन के लिए महत्त्वपूर्ण समझे जाते हैं :

क्र. सं.	कारक	मौजूदा अंक (2013-14)	संशोधित अंक (2014-15)
1	2	3	4
1.	सम्पूर्ण वर्षों में दिनांक 31 मार्च (कठिन/अत्यधिक कठिन/पूर्वोत्तर केन्द्रों के लिए 30 जून) के अनुसार एक ही पद पर एक ही केन्द्र पर ठहराव	प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए + 2	
	स्पष्टीकरण किसी भी कारण से अनुपस्थिति अवधि की गणना भी इस प्रयोजनार्थ की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी केन्द्र 'X' से स्थानान्तरित किए जाने के बाद तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनुरोध आधार पर 'X' केन्द्र पर वापस लौटता है (कठिन/अत्यधिक कठिन/पूर्वोत्तर केन्द्रों के लिए दो वर्ष), तो केन्द्र 'X' पर ऐसे कर्मचारी का ठहराव स्थानान्तरित किए जाने से पूर्व केन्द्र 'X' पर कर्मचारी द्वारा व्यतीत वर्षों की संख्या के साथ ही कर्मचारी द्वारा 'X' केन्द्र पर वापस लौटने के बाद बिताए गए वर्षों को जोड़ा जाता है। तथापि, यदि कोई कर्मचारी तीन वर्ष की अवधि के बाद केन्द्र पर वापस लौटता है (कठिन/अत्यधिक कठिन/पूर्वोत्तर केन्द्रों के लिए दो वर्ष), तो उसके ठहराव की गणना नए सिरे से की जाएगी।		
2.	पिछले तीन वर्ष की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ग्रेडिंग	प्रत्येक औसत से नीचे के लिए +2	
3.	40 वर्ष से कम आयु के ऐसे कर्मचारी (प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मार्च की स्थिति के अनुसार) जिन्होंने कठिन/अत्यधिक कठिन/ पूर्वोत्तर केन्द्रों पर एक कार्यकाल पूरा नहीं किया है (किसी भी पद पर संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान)।	हां (Y) नहीं (N) हां के लिए 'Y' एवं नहीं के लिए 'N' लिखें	
4.	एल.टी.आर./डी.एफ.पी./एम.डी.जी. मामले	-50	-50
	स्पष्टीकरण यदि कोई कर्मचारी एक से अधिक शर्तों के लिए अर्हता प्राप्त करता है तो उसे अधिकतम केवल - 50 तक ही सीमित किया जएगा।		

1	2	3	4
5.	पति/पत्नी, यदि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी हैं और एक ही केन्द्र पर तैनात हैं	-20	-20
6.	शारीरिक तौर पर नि:शक्त कर्मचारी	-50	-50
7.	पति/पत्नी, यदि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी हैं और एक ही केन्द्र पर तैनात हैं	-15	-15
8.	महिला कर्मचारी जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन/सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की पत्नी नहीं है।	-10	-6
9.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उन कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त संघों के सदस्य जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों और/या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में जे.सी.एम. के सदस्य भी हैं।	-15	-15
10.	पुरस्कार विजेता कर्मचारी	-5	-5
	भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया राष्ट्रीय पुरस्कार	-2	-2
	केन्द्रीय विद्यालय संगठन का राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार		
	स्पष्टीकरण : यदि कर्मचारी ने दोनों पुरस्कार जीते हैं तो अधिकतम -5 अंकों की रियायत दी जाएगी।		
	विस्थापन गणनांक	सभी अंकों के कुल स्कोर	सभी अंकों के कुल स्कोर

7. प्रशासनिक स्थानान्तरण की पद्धति

खण्ड 5(क) के अन्तर्गत सरपकस स्टॉफ को हटाने के लिए किसी कर्मचारी विस्थापन गणनांक के घटते हुए क्रम में प्रशासनिक स्थानान्तरण किया जाएगा और ऐसे स्टॉफ का समायोजन स्पष्ट रिक्तियों पर किया जाएगा। खण्ड 5(ख) के अन्तर्गत प्रशासनिक स्थानान्तरण अपेक्षित सीमा तक कठिन/अत्यधिक कठिन/पूर्वोत्तर क्षेत्र/अन्य वांछित केन्द्रों की संभावित रिक्तियों को भरने के लिए किसी कर्मचारी के विस्थापन गणनांक के घटते हुए क्रम के अनुसार किया जाएगा। जहां तक खण्ड 5(ग) का संबंध है, किसी कर्मचारी द्वारा प्रेषित अनुरोध स्थानान्तरण फार्म में उल्लेखित वांचित केन्द्रों पर, जैसाकि खण्ड 11(क) में परिभाषित किया गया है, जरूरतमंद कर्मचारी के स्थानान्तरण हेतु, अधिकतम विस्थापन गणनांक वाले कर्मचारी, जो जरूरतमंद कर्मचारी द्वारा दर्शाए गए वरीयता क्रम के अनुसार डी, से निम्न न होने के अध्यधीन होगा, तो कोई भी रिक्ति न होने की स्थिति में विस्थापित किया जाएगा। तथापि, एक ही केन्द्र में अनुरोध स्थानान्तरण के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी केन्द्रीय विद्यालय में विकल्प का चुनाव कर सकता है परन्तु ऐसा स्थानान्तरण पर रिक्ति होने की स्थिति में ही विचार किया जाएगा और इससे कर्मचारी की केन्द्र वरीयता प्रभावित नहीं होगी और इन्हें जनहित में स्थानान्तरित/विस्थापित किया जा सकता है (दिनांक 21.12.2011 को संशोधित)। ऐसे तरीके से विस्थापित किए जाने वाले कर्मचारी के मामले में उस कर्मचारी को स्पष्ट रिक्ति को भरने के लिए कम

से कम असुविधाजनक स्थल पर तैनात किए जाने का प्रयास किया जाएगा। कर्मचारियों के विस्थापन गणनांक के एक समान होने की स्थिति में पुरुष कर्मचारी को विस्थापित किया जाएगा। यदि एक ही जेन्डर (महिला-महिला अथवा पुरुष-पुरुष) के मामले में विस्थापन गणनांक एक समान होता है तो वर्तमान पद पर वर्तमान केन्द्र में कार्यभार ग्रहण करने की पूर्व तारीख वाले कर्मचारी को विस्थापित किया जाएगा और यदि दो या दो से अधिक कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख भी एक ही हो सबसे युवा कर्मचारी का विस्थापन किया जाएगा।

(क) बशर्ते कि विस्थापन गणनांक के लिए नियत अंक डी1 का निर्धारण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जा सकता है, जिसके नीचे किसी कर्मचारी को किसी विशिष्ट वर्ष में खण्ड 5 (क) के अन्तर्गत के सिवाय विस्थापित नहीं किया जाएगा।

(ख) बशर्ते कि, कई कारकों को जोड़ा जा सकता है/हटाया जा सकता है तथा विभिन्न कारकों के लिए आबंटित अंकों को स्थानान्तरणों में होने वाले किसी असंतुलन को दुरस्त करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों की अधिसूचना स्थानान्तरण आवेदन आमंत्रित करने से पूर्व अग्रिम तौर पर जारी की जाएगी।

(ग) बशर्ते कि, उच्चतर विस्थापन गणनांक वाले कर्मचारी को उस स्थिति में बनाए रखा जा सकता है यदि उसकी सेवाएं सांगठनिक हित में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो। ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी से निरन्तर विस्थापन गणनांक वाले कर्मचारी को विस्थापित किया जा सकता है।

(घ) बशर्ते कि, किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों के समूह को विशेष परिस्थितियों अथवा ऐसी अन्य प्रशासनिक अनिवार्यताओं के कारण विस्थापन से छूट प्रदान की जा सकती है, यदि ऐसी छूट प्रदान किए जाने का औचित्य हो।

(ङ) एक कर्मचारी को एक स्थान से स्थानान्तरित किया जा सकता है, बशर्ते कि उसे रखा जाना स्थानान्तरण संगठन के हित के प्रतिकूल हो।

(च) इसके अतिरिक्त, बशर्ते एक कर्मचारी को उसके स्थानान्तरण की संख्या पर ध्यान दिए बिना प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर एक स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

8. 40 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों (वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार) जिन्होंने सेवा की सतत् अवधि में कठिन/बहुत कठिन/पूर्वोत्तर स्थानों पर एक वर्ष की कार्यावधि पूरी नहीं की है और जो इस समय ऐसे स्थानों पर तैनात हैं और वर्तमान पद में मौजूदा स्थान पर एक वर्ष रह चुका है, उन्हें केवल निर्धारित प्रपत्र में नियमित वार्षिक अनुरोध स्थानांतरण के तहत कठिन/बहुत कठिन/पूर्वोत्तर स्थानों पर उनके स्थानांतरण संख्या के समान क्रम में तैनात किया जा सकता है। (21/12/2011 को यथा-संशोधित) कर्मचारी, कठिन/बहुत कठिन/पूर्वोत्तर स्थान में तैनाती कराने का विकल्प दे सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, कार्यकलापों की यथा निर्धारित सूची के अनुसार पारदर्शी ढंग से उन्हें इस प्रकार स्थान पर नियुक्त करेगा। इस प्रकार के स्थानांतरण को यद्यपि अनुरोध के आधार पर होने पर भी उपर्युक्त खंड 5(ख) के अनुसार प्रशासनिक प्रकृति का माना जाएगा।

9. कर्मचारी का स्थानांतरण अनुरोध

स्थानांतरण के लिए संगत विचारित कारकों के लिए समुचित बिंदु देते हुए एक कर्मचारी की 'स्थानांतरण संख्या' के आधार पर स्थानांतरण अनुरोध को कार्यकलापों की निर्धारित सूची के अनुसार किया जाएगा। भर्ती की आरंभिक तैनाती पर सामान्यतया एक कर्मचारी को नियुक्ति आदेश के संदर्भ में स्थानांतरण के लिए अनुरोध का आवेदन करने से तीन वर्ष के लिए रोका जाता है। एक कर्मचारी एक अकादमिक वर्ष में दो बार स्थानांतरण अनुरोध करने का पात्र नहीं होगा।

पैरा 10: स्थानांतरण अनुरोध के लिए एक कर्मचारी के कारकों, बिंदुओं और स्थानांतरण संख्या का परिकलन (21.12.11, 04.01.2013 और को संशोधित)

क्र. सं.	कारक	मौजूदा बिंदु (2013-14)	संशोधित बिंदु (2014-15)
1	2	3	4
1.	31 मार्च की स्थिति के अनुसार एक स्थान पर सक्रिय ठहराव (30 मार्च की स्थिति के अनुसार कठिन/बहुत कठिन/पूर्वोत्तर स्थानों के लिए) 30 दिन या अधिक दिनों की सतत् अनुपस्थिति की अवधियों (कठिन/बहुत कठिन/ पूर्वोत्तर स्थानों) को नहीं गिना जाएगा।	प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए +2	प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए +2
2.	विगत तीन वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ग्रेडिंग। यदि, विगत तीन वर्ष के किसी वर्ष की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है अथवा अनुपलब्ध है तो संगत वर्ष (वर्षों) के लिए कोई बिंदु नहीं दिया जाएगा।	प्रत्येक वर्ष के लिए उत्कृष्ट ग्रेडिंग के लिए +2	प्रत्येक वर्ष के लिए उत्कृष्ट ग्रेडिंग के लिए +2
3.	पुरस्कार विजेता कर्मचारी:		
	भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार	+5	+5
	के.वी.एस. राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार	+2	+2
	स्पष्टीकरण : यदि किसी कर्मचारी ने दोनों पुरस्कार जीत लिए हैं तो उसे +5 अंकों की अधिकतम छूट प्रदान की जाएगी।		
4.	यदि पति-पत्नी अनुरोध किए गए स्थान पर अथवा 100 किलोमीटर के भीतर काम कर रहे हैं।	+20	+20
5.	यदि पति-पत्नी, अनुरोध किए गए स्थान पर सरकारी क्षेत्र में या 100 किलोमीटर के भीतर कार्य कर रहे हैं।	+15	+15
6.	डी.एफ.पी./एम.डी.जी./एल.टी.आर. मामले। यदि कोई कर्मचारी एक से अधिक आधार पर योग्य सिद्ध होता है तो बिंदुओं को केवल अधिकतम +50 तक सीमित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी कर्मचारी ने पहले ही इन अतिरिक्त बिंदुओं के आधार पर पहले ही स्थानांतरण के लिए एक अनुरोध कर दिया है तो पुनः बिंदु नहीं दिए जाएंगे।	+50	+50
7.	कठिन/पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टेशनों में कार्यकाल पूरा करना। अत्यधिक कठिन स्टेशनों में कार्यकाल पूरा करने के बिंदु केवल तब दिए जाएंगे जबकि कोई कर्मचारी कठिन/अत्यधिक	+55	+55

1	2	3	4
	कठिन/पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टेशन में कार्यकाल पूरा होने के तुरंत बाद स्थानांतरण के लिए आवेदन करता है। इस शीर्ष के तहत अधिकतम बिंदु +55/+60 ही होंगे।		
		+60	+60
8.	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी।	+40	+40
	इसके अतिरिक्त, यदि किसी कर्मचारी ने इन अतिरिक्त बिंदुओं के आधार पर पिछले वर्षों में पहले ही अनुरोध पर स्थानांतरण ले लिया है तो ये बिंदु उसी पद पर दोबारा नहीं दिए जाएंगे।		
9.	महिला कर्मचारी	+10	+10
	स्पष्टीकरण : उपर्युक्त क्रम संख्या 4 और 5 के तहत बिंदुओं के लिए पात्र महिला कर्मचारी बिंदुओं हेतु पात्र नहीं होंगी।	सभी बिंदुओं के कुल अंक	सभी बिंदुओं के कुल अंक
	स्थानांतरण काउंट		

11. अनुरोध स्थानांतरण की पद्धति

किसी पद के लिए, केवल अंतर स्थान स्थानांतरण के अतिरिक्त अनुरोध पर विचार किया जाएगा (21.2.2012 को संशोधित) और प्रतिस्पर्धी कर्मचारियों की खंड 10 के आधार पर परिकलित "स्थानांतरण संख्या" के आधार पर इन्हें ह्रासमान क्रम में समायोजित किया जाएगा। दो या अधिक कर्मचारियों के स्थानांतरण संख्या बराबर होने के मामले में एक अवस्थिति/स्थान के लिए प्रतियोगिता कर रहे कर्मचारी को सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। एक ही लैंगिक दो या अधिक कर्मचारियों के स्थानांतरण संख्या बराबर होने के मामले में वर्तमान स्थान पर पहले कार्यभार ग्रहण करने की तिथि वाले कर्मचारी को समायोजित किया जाएगा और यदि मौजूदा पद में कार्यग्रहण की तिथि भी एक जैसी समान होती है तो फिर अधिक उम्र वाले कर्मचारी को पहले समायोजित किया जाएगा। सभी स्थानांतरण अनुरोध के आवेदन पत्रों को के.वी.एस. वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा और इस प्रकार दर्शाए गए स्थानांतरणों की संख्या संगत वर्ष की 31 जुलाई तक वैद्य रहेगी तथा वैधता की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त या अन्य किसी कारण से उत्पन्न वाली रिक्तियों पर विचार किया जाएगा, जिनके लिए कोई नया आवेदन नहीं मांगे जाएंगे या उन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवदेन अपने आप ही 31 मार्च के बाद इसकी समाप्ति पर निष्फल हो जाएंगे।

(क) बशर्ते कि स्थानांतरण काउंट पर न्यूनतम अंक सी 1 का इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारण किया जा सकता है कि कोई कर्मचारी जिसका स्थानांतरण काउंट सी 1 अथवा अधिक के समान हो, उसे अपेक्षित स्टेशन में कोई स्पष्ट रिक्ति न होने की स्थिति में धारा 5(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी को प्रतिस्थापित करते हुए अपेक्षित स्टेशनों में से एक में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे मामले में उच्चतम प्रतिस्थापन काउंट वाला कर्मचारी डी 1 से कम न होने के अधीन जरूरतमंद कर्मचारी द्वारा निदेशित वरीयता क्रम में उसकी इच्छा के स्टेशनों के भीतर प्रतिस्थापन का पात्र होगा। यदि जरूरतमंद कर्मचारी द्वारा सूचित वरीयता क्रम में सभी ऐच्छिक स्टेशनों में कोई कर्मचारी समान पदधारी और डी 1 अथवा उसके अधिक प्रतिस्थापन काउंट वाला न हो तो ऐसे जरूरतमंद कर्मचारी के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है। (21.12.2011 को संशोधित)

(ख) बशर्ते कि, स्थानांतरण काउंट पर न्यूनतम अंक सी2 का वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारण किया जा सकता है जिससे क्रम अनुरोध पर किसी विशिष्ट वर्ष में विचार नहीं किया जाएगा। किसी कर्मचारी जिसका स्थानांतरण काउंट सी1 से कम परंतु सी2 से अधिक अथवा समान है, उस पर अपेक्षित स्थान/स्टेशनों में रिक्ति की मौजूदगी के अधीन विचार किया जाएगा।

(ग) बशर्ते कि, वर्ष दर वर्ष आधार पर स्थानांतरण में होने वाले किसी असंतुलन के सुधार के लिए अधिक कारकों को जोड़ा/हटाया जा सकता है, विभिन्न कारकों के लिए बिंदु आबंटित किए जा सकते हैं। परिवर्तनों को आवेदन आमंत्रित करने से काफी पहले अधिसूचित किया जाएगा।

(घ) इसके अतिरिक्त बशर्ते कि, अधिक स्थानांतरण संख्या वाले कर्मचारी पर तरजीह देते हुए कम स्थानांतरण वाले कर्मचारी के अनुरोध पर समायोजित किया जा सकता है, यदि इस प्रकार के कर्मचारी की सेवाएं संगठन के कार्यकुशल कार्यकरण या कर्मचारी को पेश आ रही ऐसी अन्य परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक है, जो ऐसे बिना बारी के अनुरोध पर विचार करने को औचित्यपूर्ण सिद्ध करता है।

12. स्थानांतरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 15(क)(3) मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों और साथ ही विद्यालयों में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण, तैनाती करने तथा कोई भी कार्य सौंपने के लिए आयुक्त के.वी.एस. को प्राधिकृत करता है। इसलिए, आयुक्त इन दिशा-निर्देशों के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग करने, विभिन्न धाराओं और परन्तुकों के अधीन स्थानांतरण करने, तथा/अथवा छूट प्रदान करने; तथा/अथवा विभिन्न धाराओं और परन्तुकों के अधीन निर्धारित कोई भी दूसरे कार्य करने के लिए सक्षम होगा। आयुक्त ऐसे प्राधिकारियों को किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा किसी भी विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए जो उचित समझी जाए ऐसी अवधि के लिए ऐसी और सीमाओं के साथ ऐसे प्राधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है। इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्ति आयुक्त द्वारा समाप्त की जा सकेगी जिनका विवेकाधिकार इस संबंध में अंतिम होगा।

13. दिशा-निर्देशों में छूट की शक्ति

इन दिशा-निर्देशों में किसी बात के होते हुए भी आयुक्त के.वी.एस. के अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी अथवा उपर्युक्त सभी प्रावधानों में छूट देकर किसी कर्मचारी का किसी स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी होगा।

14. दिशा-निर्देशों की व्याख्या

आयुक्त, के.वी.एस. उपर्युक्त प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी होगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो संपूर्ण के.वी.एस. के प्रभावी नियंत्रण तथा प्रशासन के प्रयोजन के लिए इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए समुचित एवं अत्यावश्यक समझे जाएं।

15. बाह्य प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा उपाय

कर्मचारी कोई बाहरी प्रभाव नहीं डालेंगे, यदि ऐसा प्रभाव किसी भी स्रोत से किसी कर्मचारी के समर्थन के निमित्त प्राप्त होता है तो यह माना जाएगा कि वह उस कर्मचारी द्वारा लाया गया है। ऐसे कर्मचारी के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित सेवा नियमों के अधीन ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई भी आरंभ की जाएगी।

चिकित्सकीय आधार पर स्थानांतरण के लिए वैध रूप में निर्धारित रोगों का प्रकार/रोग का प्रकार

1. कैंसर
2. पक्षाघात
3. गुर्दे की खराबी
4. हृदय धमनी रोग-नीचे यथा व्याख्यायित
5. थैलीसिमिया
6. पार्किन्संस रोग
7. मोटर-न्यूरॉन रोग

बीमारी की संक्षिप्त व्याख्या जिसे नीचे दिए गए के अनुसार स्थानांतरण के संबंध में स्थानांतरण के प्रयोजन से चिकित्सकीय आधार के रूप में मानी जाएगी। यहां संदर्भित चिकित्सकीय अर्थ वही होगा जो बटरवर्थ के चिकित्सा शब्दकोश में दिया गया है।

(i) कैंसर

यह घातक कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और फैलाव की मौजूदगी है। कैंसर की परिभाषा में ल्यूकोमिया, लिम्फोमस और हॉकिन्स का रोग शामिल है।

अपवर्जन

यह स्वस्थाने गैर-आक्रामक कर्कट रोग, आरंभिक घातक बदलावों को बताने वाली अवकेन्द्रित अहानिकारक गांठ/गांठों को अलग करता है और एच.आई.वी. संक्रमण या एड्स में मौजूद गांठ/गांठें, घातक मिलेनोमा को छोड़कर किसी त्वचा कैंसर से अलग रखे जाने हैं।

(ii) पक्षाघात

(सेरिब्रो-वस्क्यूलर एक्सीडेंट्स) (क) हेमरेज (सेरिब्रल), (ख) थ्रोमोबोसिस (सेरिब्रल), (ग) एम्बोलिज्म (सेरिब्रल) जैसे संवहन कारणों से मस्तिष्क के एक भाग का क्षय जिससे बीमारी के बाद तीन माह के लिए दो या दो से अधिक अंग शिथिल हो जाने पर स्थाई निःशक्तता हो जाती है।

अपवर्जन

(i) ट्रांजिएंट/इशामिक अपघात

(ii) निम्नलिखित से होने वाले अपघात जैसे लक्षण

(क) सिर की चोट

(ख) अबेसस, ट्रामेटिक हेमरेज तथा ट्यूमर जैसे इंट्राक्रेनियल स्थान घेरने वाले लेशन

(ग) क्षय रोग मेनिनजाइस्टिस, प्रोजनिक मेनिनजाइस्टिस तथा मेनिंगोकोकल मेनिनजाइस्टिस

(iii) गुर्दे की खराबी

दोनों गुर्दों की क्रोनिक अपरिवर्तनीय खराबी के कारण यह गुर्दे की विफलता का अंतिम चरण है। इसे ठीक प्रकार से प्रलेखित किया जाना चाहिए। अध्यापक को चल रहे नियमित हीमोडायलिसिस तथा अन्य संबंधित प्रयोगशाला जांचों तथा डॉक्टर के प्रमाण पत्र का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

(iv) हृदय धमनी रोग

1. परामर्शी हृदय रोग विशेषज्ञों की सलाह पर एक अथवा अधिक हृदय धमनियों अथवा वाल्व परिवर्तन/पुनर्निर्माण के लिए सर्जरी शामिल करने वाले मामलों पर वास्तविक ओपन हार्ट सर्जरी की तिथि से तीन वर्ष तक एम.डी.जी. मामलों के रूप में विचार किया जाएगा और इस अवधि के दौरान पात्र कार्मिक लाभ के हकदार होंगे।

2. गैर सर्जिकल तकनीकों के मामले उदाहरणत: धमनी प्रणाली के माध्यम से एन.जी.ओप्लास्टी। ऐसे मामलों पर प्रक्रिया की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए एम.डी.जी. मामलों के रूप में विचार किया जाएगा और इस अवधि के दौरान पात्र कार्मिक लाभ के हकदार होंगे।

(v) थैलीसिमिया

यह एक वंशागत विकार है और क्लीनिकल तथा विभिन्न प्रयोगशाला पैरामीटरों पर इसका पता चलता है। थैलीसिमिया का रोगी जो रक्तहीनता से पीड़ित होता है और उसे हीमोग्लोबिन स्तर बनाए रखने के लिए नियमित रक्त आदान पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा वह कीलेटिंग एजेंट तथा अन्य सहायक देखरेख पर होता है।

समावेशन :

(i) थैलीसिमिया मेजर - तीन महीने से कम अंतराल पर रक्त आदान/परिवर्तन का रिकॉर्ड। यह सभी चिकित्सा दस्तावेजों से समर्थित होना चाहिए। रिकॉर्ड के साथ रोगी/कीलेटन थैरेपी द्वारा अपेक्षित आवधिकता/रक्त आदान/परिवर्तन की अवधि शामिल होनी चाहिए।

अपवर्जन :

(क) रोगी को माइनर थैलेसिमिया हो सकता है। उसे एनीमिया निरंतर संक्रमण अथवा तनाव के कारण गम्भीर हो सकता है। एनीमिया पोषक कमियों अथवा अन्य संबंधित कारकों के कारण गम्भीर हो सकता है।

(ख) रक्त आदान आवश्यक नहीं तथा इन रोगियों के लिए कीलेटन थैरेपी की आवश्यकता नहीं है।

(vi)पार्किंसंस रोग

स्नायु प्रणाली का धीमे-धीमे बढ़ने वाला अपक्षयी रोग जिसके कारण कंपन, कठोरता, धीमापन तथा संतुलन में बाधा आ सकती है। स्नायु विशेषज्ञ द्वारा पुष्टि की जानी आवश्यक है।

समावेशन :

कम मांसल शक्ति वाले अनैच्छिक कंपित आवेग, भागों में न कि कार्य में हो और फिर जब टेक मिले; धड़ को आगे झुकाने और क्रंदन से तेज गति गुजरने की प्रवृत्ति के साथ, ज्ञानेन्द्रियां और मानसिक शक्तियां आघातित न रहें।

अपवर्जन :

(i) रोगी जो दवाईयों की सहायता से संतुलित है।

(ii) पांच वर्ष के दौरान पार्किंसंस रोग का पता लगना।

अपेक्षाएं :

रोग का पता लगने की तिथि, अस्पताल में भर्ती होने की सीमा, डिस्चार्ज सार के साथ उपचार की अवधि भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। रोग की प्रगति के संबंध में उल्लेख और स्नायु विशेषज्ञ द्वारा रोगी के आरंभ के सार की पुष्टि होनी चाहिए।

(vii) मोटर-न्यूरोन रोग

मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड के मोटर न्यूरोन सेल्स का धीरे-धीरे अपक्षय जिसके कारण अंगों में कमजोरी, अंगों में ऐंठन और बोलने तथा निगलने में परेशानी होती है।

स्नायु विशेषज्ञ द्वारा पुष्टि की जानी आवश्यक है।

समावेशन :

अंगों की खराबी, कमजोरी तथा स्फुरण की उपस्थिति के साथ अपरिवर्तनीय/बढ़ती मोटर न्यूरोन रोग जिसमें तेज झटके और अधिक दर्द होता है।

अपवर्जन:

अन्य कारकों जैसे संक्रमण, न्यूरोपैथी ट्रामेशन, ईडियोपैथिक, 2 से कम अंगों में मोटर न्यूरोन रोग के कारण मांसल में कमजोरी और मांसल शक्ति 3 ग्रेड से अधिक है। **अपेक्षाएं:** यह एम.आर.आई. ई.एम.जी. तथा नर्व कंडक्शन टेस्ट से विधिवत रूप से समर्थित होना चाहिए।

(viii) "50 प्रतिशत से अधिक मानसिक नि:शक्तता वाला कोई अन्य रोग जिसकी संबंधित क्षेत्रीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा विधिवत जांच और सिफारिश की गई हो, नवीनतम रिकॉर्ड/रिपोर्टों सहित (तीन माह के भीतर) (28.12.2012 को संशोधित)"

[अनुवाद]

मलिन बस्ती सुधार सूचकांक

820. **श्री निशिकांत दुबे:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में मलिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास और उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से एक मलिन बस्ती सुधार सूचकांक गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) और (ख) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने स्लमों के आवास एवं अवस्थापना में सुधार लाने की दृष्टि से स्लम जनांकिकी के आंकड़े आदि के विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा स्लम इंडेक्स के विकास के लिए कार्य-प्रणाली सुझाने हेतु समिति गठित की है। समिति की पहली बैठक जो कि दिनांक 27 मार्च, 2014 को आयोजित हुई थी, की तिथि से तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। समिति का कार्यकाल इसके अनुरोध पर अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना

821. **श्री अर्जुन लाल मीणा:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का, ऐसे क्षेत्रों जहां अनुसूचित जनजातियों की आबादी बहुलता में है, में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इन उद्यमों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का, राजस्थान जहां संगमरमर और खनिजों के प्रचुर भंडार के कारण विकास की अपार संभावनाएं हैं, में एम.एस.एम.ई. इकाइयों को उत्पाद शुल्क और अन्य करों में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यह रियायत कब तक दिए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): (क) और (ख) किसी उद्यम की स्थापना करना व्यक्तिगत प्रयास है। तथापि, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के बाहुल्य वाले क्षेत्रों सहित देश भर में एस.एम.ई. के संवर्धन और विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनके प्रयासों को बढ़ावा देता है। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की चौथी अखिल भारतीय गणना (2006-07) के अनुसार जनजातीय इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के प्रयोजनार्थ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के लिए वर्तमान छूट सीमा 1.50 करोड़ रु. है। पिछले वर्ष में 4.00 करोड़ रु. से कम के टर्नओवर वाली कोई भी इकाई उल्लिखित शुल्क से छूट के लिए पात्र है।

सेवा कर के संबंध में छूट की सीमा 10.00 लाख रु. है। उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के संदर्भ में छूट राजस्थान सहित पूरे देश में लागू है।

विवरण

जनजातीय इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा

.... के स्वामित्व वाले उद्यमों की सं.

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पंजीकृत क्षेत्र (हजार में)			अपंजीकृत क्षेत्र (लाख में		
		अनुसूचित जनजाति	कुल	अनु. जनजाति यूनिटों का % भाग	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनु. जनजाति यूनिटों का % भाग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जम्मू और कश्मीर	0.83	14.99	5.54	0.06	1.18	5.08
2.	हिमाचल प्रदेश	0.53	11.93	4.44	0.09	1.6	5.63
3.	पंजाब	0.65	48.11	1.35	0.05	9.66	0.52
4.	चंडीगढ़	0.01	1	1.00	0.01	0.28	3.57
5.	उत्तराखंड	0.84	23.76	3.54	0.1	2	5.00
6.	हरियाणा	0.41	33.15	1.24	0.07	4.87	1.44
7.	दिल्ली	0.05	3.75	1.33	0.07	1.75	4.00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	राजस्थान	1.45	54.89	2.64	0.61	9.14	6.67
9.	उत्तर प्रदेश	1.47	187.74	0.78	0.11	22.34	0.49
10.	बिहार	1.03	50.04	2.06	0.09	7.48	1.20
11.	सिक्किम	0.03	0.12	25.00	0.01	0.06	16.67
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.31	0.42	73.81	0.21	0.25	84.00
13.	नागालैंड	1.15	1.33	86.47	0.14	0.16	87.50
14.	मणिपुर	1.1	4.49	24.50	0.15	0.44	34.09
15.	मिजोरम	3.51	3.72	94.35	0.03	0.1	30.00
16.	त्रिपुरा	0.04	1.34	2.99	0.02	0.26	7.69
17.	मेघालय	2.81	3.01	93.36	0.42	0.47	89.36
18.	असम	1.42	19.86	7.15	0.28	2.14	13.08
19.	पश्चिम बंगाल	0.39	43.26	0.90	0.33	20.8	1.59
20.	झारखंड	0.73	18.19	4.01	0.67	4.25	15.76
21.	ओडिशा	0.46	19.6	2.35	1.59	9.77	16.27
22.	छत्तीसगढ़	3.52	22.77	15.46	0.53	2.78	19.06
23.	मध्य प्रदेश	7.02	107	6056	0.98	11.5	8.52
24.	गुजरात	3.47	229.83	1.51	2.1	13.03	16.12
25.	दमन और दीव	0	0.59	0.00	0	0.01	0.00
26.	दादरा और नगर हवेली	0.01	1.72	0.58	0	0.04	0.00
27.	महाराष्ट्र	1.5	86.59	1.73	0.41	14.45	2.84
28.	आंध्र प्रदेश	0.58	45.69	1.27	0.23	14.9	1.54
29.	कर्नाटक	5.82	136.19	4.27	0.52	11.12	4.68
30.	गोवा	0.05	2.62	1.91	0	0.56	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0	0.01	0.00
32.	केरल	1.18	150.19	0.79	0.06	12.94	0.46
33.	तमिलनाडु	2.46	233.88	1.05	0.34	18.21	1.87
34.	पुदुचेरी	0.02	1.45	1.38	0	0.13	0.00
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0.75	1.33	0	0.07	0.00
	सम्पूर्ण भारत	44.84	1563.97	2.87	10.3	198.74	5.18

स्रोत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की 2006-07 की चतुर्थ अखिल भारतीय जनगणना

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के पत्रों की पावती

822. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद-सदस्यों सहित अतिविशिष्ट व्यक्तियों के पत्राचार की मंत्रियों/मंत्रालयों/अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न कार्मिकों द्वारा पावती नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विद्यमान दिशा-निर्देश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार के बारे में प्राप्त ऐसे पत्रों की संख्या कितनी है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी परिणाम/निष्कर्ष क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रकार के पत्राचार पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए तथा 15 दिनों के भीतर पावती भेजी जानी चाहिए। साथ ही, आगामी 15 दिनों के भीतर उत्तर दिया जाना चाहिए। जिन मामलों में देरी होने की संभावना हो, उन मामलों में अंतिम उत्तर की संभावित तिथि का उल्लेख करते हुए एक अंतरिम उत्तर भेजा जाना चाहिए। भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति सहित में दिए गए अनुदेशों का पालन करे। इस विषय में कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ) इस विषय में कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

823. श्री अधीर रंजन चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारों से संबंध रखने वाले बच्चों को प्रवेश न दिए जाने/उनके प्रवेश न ले पाने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा, केन्द्रीय विद्यालयों में बी.पी.एल. परिवारों के बच्चों, विशेषत: बालिकाओं का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रहने वाले बच्चों का दाखिला, शिक्षा का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम, 2009 की धारा 2(त) के अनुसार विशिष्ट वर्ग के तहत शामिल है। आर.टी.आई. अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) ने कक्षा-I में अलाभान्वित समूहों (अ.जा./अ.ज.जा./बी.पी.एल./ओ.बी.सी. (गैर क्रीमी लेयर)/ई.डब्ल्यू.एस./विकलांग) से संबंधित बच्चों के लिए दाखिले हेतु 25% सीटें आरक्षित की हैं। इसके अलावा, बी.पी.एल. परिवारों, विशेषतया बालिकाओं के लिए एकल बालिका कोटे के तहत कक्षा-I में प्रति सेक्शन अधिकतम दो दाखिले और कक्षा-6 और आगे में प्रति कक्षा दो बच्चों के दाखिले का प्रावधान करके इनका दाखिला सुनिश्चित करने हेतु भी विभिन्न उपाय किए गए हैं।

आरक्षण नियमों का उल्लंघन

824. डॉ. थोकचोम मेन्या: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने उच्चतम न्यायालय का सरकारी नौकरियों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित करने के निर्णय का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने आरक्षण प्रदान करने में 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन किया है;

(ग) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए किसी कार्रवाई का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पदों में आरक्षण और सेवाओं के मामले देखता है। राज्य की सेवाएं संविधान की सूची-II अर्थात् 'राज्य सूची' के अंतर्गत आती हैं जो संबंधित राज्यों के सरकारों के क्षेत्राधिकार का विषय है।

विभिन्न राज्यों में आरक्षण के प्रतिशत का ब्यौरा इस विभाग में नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

जलवायु परिवर्तन संबंधी चर्चा

825. श्री एम.आई. शनवास: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महत्त्वपूर्ण हानि और क्षति (एल. एंड डी.) के मुद्दे पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते विकासशील और निर्धन देशों के विरुद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जी-77 देशों ने उक्त महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर ऐसे समझौते का बहिष्कार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जी-77 देशों की तुलना में भारत की क्या स्थिति है;

(ङ) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में देश की चिंताओं पर, विशेषत: औद्योगिकरण के कारण अमीर देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उच्च उत्सर्जन द्वारा होने वाले नुकसान पर हर्जाना बढ़ाने के मुद्दे पर कोई विशेष रुख अख्तियार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (घ) जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यू.एन.एफ. सी.सी.सी.) के पक्षकारों की वारसा में आयोजित हुई 19वीं बैठक में हानि और क्षति के मुद्दों पर चर्चा की गई थी। वार्ता के दौरान, कुछ मुद्दों पर विकसित देशों के दृष्टिकोण का विरोध करते हुए जी-77 देशों और चीन ने अनौपचारिक परामर्श दल की बैठक का बहिष्कार किया था। वार्ता के दौरान भारत का रुख जी-77 देशों और चीन के दृष्टिकोण के अनुरूप था।

वार्ता के फलस्वरूप सी.ओ.पी. 19 निर्णय 2/सी.पी. 19 द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़ी हानि और क्षति हेतु वारसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र की स्थापना हुई थी। इस निर्णय में विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से जुड़ी हानि और क्षति के निवारण के लिए वृद्धित कार्रवाई और तकनीकी, वित्तीय तथा क्षमता निर्माण सहयोग के भी प्रावधान किये गये हैं।

(ङ) और (च) जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में भारत की स्थिति, यू.एन.एफ.सी.सी.सी. और इसके क्योटो प्रोटोकॉल में यथा उल्लिखित पक्षकारों के समता और 'साझा किंतु भिन्न उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएं' के सिद्धांत के रूप में प्रकट हुई है। भारत और अन्य विकासशील देश भी लगातार यह कहते रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले न्यूनीकरण, अनुकूलन और हानि एवं क्षति की कार्रवाइयों में विकासशील देशों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने की कन्वेंशन के अंतर्गत की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को विकसित देशों को पूरा करना चाहिए।

इंडियन रेयर अर्थ्स

826. प्रो. के.वी. थॉमस: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा इंडियन रेयर अर्थ्स, उद्योग मंडल इकाई, केरल का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या समय-सीमा तय की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) उद्योग मंडल यूनिट अलूवा, केरल स्थित विरल मृदा प्रभाग में संयंत्र संबंधी सुविधाओं को संशोधित करके अद्यतन बनाया गया है और ये एकल अति विशुद्ध विरल मृदा, जिसमें साधारण और भारी विरल मृदा शामिल है, का उत्पादन करने के लिए ऑस्कॉम स्थित मोनाजाइट संसाधन संयंत्र से 5000 टन प्रतिवर्ष (टी.पी.ए.) मिश्रित विरल मृदा क्लोराइड (एम.आर.सी.एल.) को संसाधित करने हेतु 18.07.2013 को कमीशनिंग के लिए तैयार हो गई। तत्पश्चात्, संयंत्र के कमीशनन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, संसाधन प्रक्रिया का इष्टतम उपयोग करने के परिणामस्वरूप, संयंत्र के उत्पादन (थ्रू-पुट) में 10,000 टन प्रतिवर्ष मिश्रित विरल मृदा क्लोराइड की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही, संयंत्र के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

[हिन्दी]

आदर्श विद्यालय

827. श्री गणेश सिंह:

श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आदर्श विद्यालयों के स्थापन का क्या मापदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आदर्श विद्यालयों के स्थापन के लिए मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे विद्यालयों के स्थापन के लिए स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस हेतु स्थानों को चिन्हित करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) मॉडल स्कूल योजना में उत्कृष्टता के बैंचमार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर प्रति ब्लॉक एक स्कूल की दर से 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना करने का विचार है। योजना-कार्यान्वयन की दो पद्धतियां हैं, अर्थात् (i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों (ई.बी.बी.) में 3500 स्कूलों की स्थापना और (ii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पद्धति के तहत उन ब्लॉकों, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं में शेष 2500 स्कूलों की स्थापना करना।

(ख) योजना के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र संघटक के तहत मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना की सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत कोई भी स्कूल नहीं दिया गया।

(ग) से (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से स्थापित किए जाने वाले स्कूल शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में प्राथमिक रूप से ब्लॉक मुख्यालय में अवस्थित होंगे और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के तहत स्थापित किए जाने वाले स्कूल उन ब्लॉकों, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं, में अवस्थित होंगे। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों का विवरण www.htttp://ssamis.nic.in/EBB पर उपलब्ध है।

विवरण

मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	2012-13 के दौरान जारी राशि	2013-14 के दौरान जारी राशि	2014-15 के दौरान (30.06.2014 तक) जारी राशि
1	2	3	4	5
1.	मिजोरम	1.729	0.00	0.00
2.	छत्तीसगढ़	0.00	82.72	0.00
3.	तमिलनाडु	40.496	0.00	0.00
4.	मध्य प्रदेश	0.00	133.23	0.00
5.	बिहार	305.30	0.00	0.00
6.	पश्चिम बंगाल	18.57	0.00	96.34
7.	गुजरात	26.72	28.77	8.13
8.	उत्तर प्रदेश	220.587	0.00	51.05
9.	हरियाणा	5.60	48.34	0.00
10.	नागालैंड	22.89	0.00	0.00
11.	असम	8.35	0.00	0.00

1	2	3	4	5
12.	आंध्र प्रदेश	11.28	508.64	0.00
13.	महाराष्ट्र	20.65	0.00	0.00
14.	त्रिपुरा	0.00	10.01	0.00
	कुल	682.172	811.71	155.52

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी

828. योगी आदित्यनाथ: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी से भारत की सुरक्षा को खतरे की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत द्वारा राष्ट्र की संप्रभुता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा इसकी सीमाओं की रक्षा करने के लिए क्या कार्यनीति अपनाए जाने की संभावना है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) (विजय कुमार सिंह): (क) से (ग) सरकार, भारत के पड़ोस में होने वाले सभी महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमों एवं अफगानिस्तान के घटनाक्रम, जिसमें उस देश में अंतर-राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की उपस्थिति शामिल है, पर पैनी नजर रख रही है।

सरकार भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

[अनुवाद]

गैंडा

829. श्री राजेन गोहेन: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार, देश में गैंडे की राज्य और वन-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत दशक में प्राकृतिक रूप से मरे और शिकारियों द्वारा मारे गए गैंडों की वर्ष और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से असम में विद्यमान वन-जीवन संरक्षण तंत्र की समीक्षा करना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) देश में गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) गैंडे असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन राज्यों में गैंडों की संख्या निम्नवत् है:

राज्य का नाम	गैंडों की संख्या (गणना वर्ष)
असम	2505 (2012)
उत्तर प्रदेश	30
पश्चिम बंगाल	229 (2013)

(ख) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले दशक में प्राकृतिक मौत से मरे और अवैध शिकारियों द्वारा मारे गए गैंडों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत् है:

राज्य का नाम	मृत गैंडों की संख्या
असम	939 (2003 से 2012)
उत्तर प्रदेश	13
पश्चिम बंगाल	50

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस समय विशेष रूप से असम में मौजूदा वन्यजीव सुरक्षा तंत्र की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) सरकार ने गैंडों सहित वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत पूरे देश में महत्त्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व सृजित किए गए हैं। अधिकांश गैंडा पर्यावास, बाघ रिजर्वों-काजीरंगा बाघ रिजर्व, मानस बाघ रिजर्व, दुधवा बाघ रिजर्व और जलपाड़ा बाघ रिजर्व के भाग हैं।

(ii) चुनिंदा अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण की कार्रवाई पर केंद्रित करने के लिए 'वन्य जीवों का एकीकृत विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में "अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों और उनके पर्यावासों को बचाने के बहाली कार्यक्रम" का एक विशिष्ट घटक उपलब्ध कराया गया है। गैंडे भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक अभि-निर्धारित प्रजाति हैं।

(iii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उपबंधों के अंतर्गत गैंडों सहित वन्यजीवों को शिकार और वाणिज्यिक उपयोग के विरुद्ध विधिक सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।

(iv) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में अपराधियों के लिए कठोर दंड के प्रावधान के अतिरिक्त, वन्यजीव अपराध करने के लिए प्रयोग किए गए किसी भी उपष्कर, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने की भी व्यवस्था की गई है।

(v) संकटापन्न प्रजातियों सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने और उनके पर्यावासों में सुधार हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(vi) वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उनके विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को अधिकृत किया गया है।

(vii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से क्षेत्र-संरचना को सुदृढ़ बनाने तथा संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

(viii) वन्यजीवों के अवैध शिकार और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के कानून को लागू करने के लिए विभिन्न अधिकारियों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

(ix) राज्य वन एवं वन्यजीव विभागों के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

विद्यार्थियों का कार्य-निष्पादन

830. श्री राहुल कस्वां: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह एक तथ्य है कि पांचवीं और तीसरी कक्षा के 53 प्रतिशत विद्यार्थी क्रमशः दूसरी और पहली कक्षा की पुस्तकों को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा विद्यार्थियों के इस खराब कार्य-निष्पादन के लिए कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (ग) प्रथम नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाने वाली शिक्षा की वार्षिक स्थिति की रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.), में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) कक्षा III, V और VIII में बच्चों की अधिगम उपलब्धि से बहुत विस्तृत आवधिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण करती है। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा इन राष्ट्रीय शिक्षु उपलब्धि सर्वेक्षणों के तीन चक्र पूरे कर लिए गए हैं जो समग्र अधिगम स्तरों में सुधार दर्शाते हैं, हालांकि उपलब्धियां अभी भी कम ही हैं। निम्न-स्तरीय उपलब्धि के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता और स्कूल स्तर पर प्रतिकूल छात्र-शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.) शामिल हैं।

(घ) प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनेक पहलों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है, जिनमें वार्षिक सेवा-कालीन शिक्षक प्रशिक्षण, निःशुल्क और संशोधित पाठ्य-पुस्तकों का वितरण, बेहतर छात्र-शिक्षक अनुपात हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन केंद्रों के माध्यम से स्कूलों और शिक्षकों को शैक्षिक सहायता, सतत् और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली, उपयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री विकसित करने हेतु शिक्षक और स्कूल अनुदान आदि शामिल हैं।

प्रसार भारती में अवसंरचनात्मक समस्याएं

831. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (ए.वी.एस.एम.):** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तराखंड, पौढ़ी में आकाशवाणी केन्द्र के भवन और भूमि दयनीय स्थिति में हैं और क्या उनका समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त केन्द्र की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या स्टॉफ और संसाधनों की कमी के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि स्थानीय नगर-निकाय द्वारा प्लॉट के एक तरफ सीमेंट कंकरीट का रोड बना करके खाली भूमि पर अतिक्रमण शुरू किया गया था। इस मामले को स्थानीय प्रशासन के साथ उठाया गया था और अतिक्रमण को रोक दिया गया। अभी तक की स्थिति के अनुसार, पौढ़ी में आकाशवाणी की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

(ङ) प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया है कि आकाशवाणी, पौढ़ी कार्यशील है और संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। तथापि, स्टाफ की कमी के कारण 7 स्टाफ क्वार्टर खाली पड़े हैं।

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

832. **श्रीमती रमा देवी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन जिलों की पहचान के लिए क्या मानदंड/मानक अपनाए गए हैं;

(घ) शिक्षा के संबंध में इन जिलों को अन्य जिलों के समतुल्य लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को इस संबंध में क्या सफलता मिली है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेष समिति ने 374 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की पहचान की थी जहां उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) सन् 2001 की जनगणना आंकड़ों पर आधारित 12.4% के राष्ट्रीय औसत से कम था। उच्चतर शिक्षा में इन 374 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) वर्ष 2010 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 374 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में प्रत्येक एक मॉडल डिग्री कॉलेज (एम.डी.सी.) की स्थापना करने के वास्ते शुरू की गई थी। इस योजना को बाद में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना में समाहित कर दिया गया था।

(ङ) इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, इन जिलों में 109 मॉडल डिग्री कॉलेज संस्वीकृत हो गए हैं। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011-12 (अनंतिम) के अनुसार, देश में अब उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 20.4% तक बढ़ गया है।

विवरण

उच्चतर शिक्षा में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची

1. **अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**

अंडमान

निकोबार

2. **आंध्र प्रदेश**

आदिलाबाद

अनन्तपुर

पूर्वी गोदावरी

कुरनूल

महबूब नगर

मेडक

निजामाबाद

प्रकाशम

श्रीकाकुलम

विजनगरम

पश्चिमी गोदावरी

3. **अरूणाचल प्रदेश**

चांगलांग

दीवंगवेली

पूर्वी कार्मेग

लोहित

लोअर सुबनसिरी

तवांग

तीराप

अपर सियांग

अपर सुबनसिरी

पश्चिम कार्मेग

पश्चिम सियांग

4. **असम**

बोंगाईगांव

कछार

दारांग

धुबरी

गोलपाड़ा

हैलाकांडी

कार्बी अंगलूंग

करीमगंज

मारीगांव

नौगांव

सोनितपुर

तिनसुखिया

5. **बिहार**

अररिया

औरंगाबाद

बांका

बेगूसराय

दरभंगा

गोपालगंज

जमुई

कैमूर (भबुआ)

कटिहार

खगरिया

किशनगंज

लखीसराय

मधेपुरा

मधुबनी

नवादा

पश्चिमी चम्पारण

पूर्वी चम्पारण

पूर्णिया

सहरसा

समस्तीपुर

शिवहर

सीतामढ़ी

सीवान

सुपौल

वैशाली

6. **छत्तीसगढ़**

बस्तर

बिलासपुर

दंतेवाड़ा

धामतरी

दुर्ग

जांजगीर-चम्पा

जसपुर

कानकेर

कावर्धा

कोरिया

महासमुंद्र

रायगढ़

रायपुर

राजनंदगांव

सरगुजा

7. **दादरा और नगर हवेली**

दादरा और नगर हवेली

8. **दमन तथा दीव**

दमन दीव

9. **गुजरात**

अमरेली

बनासकंठा

भरूच

भावनगर

दोहाद

जामनगर

जूनागढ़

कच्छ

खेड़ा

मेहसाना

नर्मदा

पंचमहल

पाटन

पोरबन्दर

राजकोट
साबरकांठा
सूरत
सुरेन्द्रनगर
दाडांग
वलसाड

10. **हरियाणा**

फतेहाबाद
गुड़गांव
जींद
कैथल
करनाल
पानीपत
सिरसा

11. **हिमाचल प्रदेश**

चम्बा
कन्नौर (पु.)
लाहौल तथा स्पीति
सिरमौर

12. **जम्मू और कश्मीर**

अनन्तनाग
बड़गाम
बारामूला
डोडा
कारगिल
कठुआ
कुपवाड़ा
लेह (लद्दाख)
पुंछ
राजौरी
ऊधमपुर

13. **झारखण्ड**

चतरा
देवघर
दुमका
गरहवा
गिरडीह
गोड्डा
गुमला
कोहरमा
पाकुर
पलामू
पश्चिमी सिंहभूम
साहिबगंज

14. **कर्नाटक**

बगलकोट
बंगलौर ग्रामीण
बेलगाम
बेल्लारी
बीजापुर
चामराजनगर
चिकमंगलूर
चित्रदुर्ग
दक्षिण कन्नड
गडग
गुलबर्गा
हसन
हवेरी
कोडागु
कोलार
कोप्पल
मंध्या
रायचूर
तुमकुर
उदुपी (उडुपी)
उत्तर कन्नड

15. **केरल**

कासरगोड
मालापुरम
पलाक्कड
वेनाड

16. **लक्षद्वीप**

लक्षद्वीप

17. **मध्य प्रदेश**

बालाघाट
बरवानी
बेतूल
भिंड
छतरपुर
छिंदवाड़ा
दमोह
दतिया
देवास
धार
डिंडोरी
ईस्ट नीमच
गुना
हरदा
झाबुआ
कटनी
मांडला
मंदसौर
मुरैना
नरसिंहपुर
नीमच
पन्ना
रायसेन
राजगढ़
रतलाम
सागर
सतना
सिरोह
सिओनी
शहडोल
शाजापुर
शिओपुर
शिवपुरी
सिधी
टीकमगढ़
उज्जैन
उमरिया
विदिशा
वेस्ट नीमच

18. **महाराष्ट्र**

बुल्दाना
गडचिरोली
हिंगोली
जालना
रायगढ़
रत्नागिरी
सिद्धदुर्ग

19. **मेघालय**

ईस्ट गारो हिल्स
जैनतिया हिल्स
रीभोई
साउथ गारो हिल्स
वेस्ट खासी हिल्स

20. **मिजोरम**

चम्फाई
कोलासिब
लॉंगतलाई
लंगलई
मामित
सेहा
सरचिप

21. **नागालैण्ड**

मोन

22. **ओडिशा**

अंगुल
बालेगीर
बारगढ़
बौद्ध
देवगढ़
धेनकनाल
गजपति
गंजम
कालाहाण्डी
कंधामल
केन्दुझर
कोरापुट
मल्कानगिरि
नवरंगपुर
नयागढ़
नूपाड़ा

रायगाड़ा
सोनपुर

23. **पाण्डिचेरी**

थलम

24. **पंजाब**

अमृतसर
भटिंडा
फरीदकोट
फतेहगढ़ साहिब
फिरोजपुर
गुरुदासपुर
कपूरथला
मांसा
मोगा
मुक्तसर
नवांशहर
पटियाला
संगरूर

25. **राजस्थान**

अजमेर
अलवर
बांसवाड़ा
बारन
बाड़मेर
भरतपुर
भीलवाड़ा
बीकानेर
बून्दी
चित्तौड़गढ़
चुरु
दौसा
धौलपुर
डुंगरपुर
गंगानगर
हनुमानगढ़
जैसलमेर
जालोर
झालावाड
झुनझुनू
जोधपुर
करौली
नागौर
पाली
राजसामन्द
सवाई माधोपुर
सीकर
सिरोही
टॉक
उदयपुर

26. **सिक्किम**

पूर्व
उत्तर
दक्षिण
पश्चिम

27. **तमिलनाडु**

अरियालुर
कोयम्बटूर
कुडालूर
धर्मपुरी
डिण्डीगुल
इरोड
कांचीपुरम
कन्याकुमारी
करूर
मदुरई
नागापट्टीनम
पैरमबल्लूर
पुडुकोट्टई
रामानाथापुरम
सलेम
शिवगंगा
तंजावुर
दॉ नीलगिरीस
थणी
थिरूवल्लूर
थूवरूर
थूथुकुकडी
तिरूनेलवली
तिरूवन्नामलाई
वेल्लोर
वेलुपुरम
विरुद्धनगर

28. **त्रिपुरा**

थलाइ
उत्तर त्रिपुरा
दक्षिण त्रिपुरा
पश्चिम त्रिपुरा

29. **उत्तर प्रदेश**

बहरांइच
बलरामपुर
बांदा
बराबंकी
बरेली
बस्ती
बिजनौर
बदायू
बुलन्दशहर
चित्रकूट
टांडा
फर्रूखाबाद
फतेहपुर
गोंडा
हमीरपुर
हरदोई
हाथरस
ज्योतिबा फूले नगर
कन्नौज
कानपुर देहात
कौशाम्बी
खीरी
कुशीनगर
ललीतपुर
महाराजगंज
महोवा
मथुरा
मुरादाबाद
मुज्जफरनगर
पीलीभीत
रायबरेली
रामपुर
सहारनपुर
संत कबीर नगर
शहाजहांपुर
श्रावस्ती
सिद्धार्थ नगर
सीतापुर
सोनभद्र
सुलतानपुर
उन्नाव

30. **उत्तखंड**

बागेश्वर
चम्पावत

31. **पश्चिम बंगाल**

बंकुरा
बर्धमान
बीरभूम
दक्षिण दिनाजपुर
दार्जीलिंग
हावड़ा
हुगली
जलपाईगुड़ी
कूच बिहार
मालदा
मिदनापुर
मुर्शिदाबाद
नादिया
उत्तरी 24 परगना
पुरूलिया
दक्षिणी 24 परगना
उत्तर दिनाजपुर
कुल जिले 374

[अनुवाद]

दिल्ली में अवसंरचना सुधार

833. श्री सुल्तान अहमद: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में अवसंरचनात्मक सुधार करके इस शहर को एक विश्व-स्तरीय शहर बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर. एम.) के उप-मिशन शहरी अवस्थापना और शासन (यू. आई.जी.) के अंतर्गत शामिल मिशन शहरों में से एक है। सरकार द्वारा 03.12.2005 को अन्य बातों के साथ-साथ शहरी अवस्थापना/सेवा सुपुर्दगी तंत्र में दक्षता पर संकेन्द्रण सहित सुधार प्रेरित, तीव्र, चयनित शहरों के नियोजित विकास हेतु एक अग्रणी कार्यक्रम आरंभ किया गया था।

दिल्ली के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उप-मिशन यू.आई.जी. के अंतर्गत 6649.55 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत और 2327.34 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता (ए.सी.ए.) प्रतिबद्धता के साथ विभिन्न अनुमेय घटकों पर 23 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

[हिन्दी]

संसाधन केन्द्र

834. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों को रोजगार देने के लिए जिला मुख्यालयों में संसाधन केन्द्र खोलने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो देश के उन जिलों के जिले-वार नाम क्या हैं जहां संसाधन केन्द्र खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार को राजस्थान के जिले, विशेष से जोधपुर में, एक संसाधन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो रेल

835. श्री धर्मवीर: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले बड़े शहरों को मेट्रो रेल से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध मेट्रो ट्रैक के उपयोग करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त शहरों को कब तक मेट्रो रेल से जोड़े जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) शहरी परिवहन, शहरी विकास के साथ आंतरिक रूप से जुड़ा राज्य का विषय है। इस प्रकार, शहरी परिवहन प्रबंधन के लिए पहलें मुख्य रूप से राज्य द्वारा/शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) स्तर पर की जानी होती है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भावी मेट्रो परियोजनाओं के लिए उपलब्ध मेट्रो लाइनों का उपयोग परियोजना आदि के एलाइन्मेंट पर निर्भर करता है।

(ग) सरकार द्वारा मेट्रो परियोजनाओं की स्वीकृति/विस्तार परियोजना की व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विद्यालयों के लिए भूमि

836. श्री रविन्दर कुशवाहा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकास प्राधिकरणों, आवास विकास बोर्ड इत्यादि द्वारा शहरी क्षेत्रों में निजी शिक्षण संस्थानों को रियायती दरों पर भूमि इस शर्त पर दी गई है कि ये संस्थान गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों में गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी शिक्षण संस्थान विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में उक्त नियम की अवहेलना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन संस्थानों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (घ) भूमि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें शैक्षिक संस्थाओं को भूमि के आबंटन हेतु अपनी स्वयं की नीति अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास इस नीति के बारे में कोई केन्द्रीकृत डाटा उपलब्ध नहीं है जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं को रियायती दरों पर वास्तविक भूमि आवंटित करने और विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षित सीटों हेतु निर्धारित की गई शर्तों के संबंध में अपनाई जाती है।

[अनुवाद]

केबल ऑपरेटरों द्वारा समाचार प्रसारण

837. श्री शिवकुमार उदासि: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न केबल ऑपरेटर सरकार की आवश्यक अनुमति के बिना स्वयं ही समाचार का प्रसारण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 2(छ) में दिए गए आदेश के अनुसार कार्यक्रम की परिभाषा के अंतर्गत केबल ऑपरेटर अपने नेटवर्क पर 'कार्यक्रम' प्रसारित कर सकता है। 'कार्यक्रम' की परिभाषा निम्नलिखित है:

(i) फिल्मों, फीचरों, नाटकों, विज्ञापन और धारावाहिकों का प्रदर्शन।

(ii) कोई श्रव्य या दृश्य या श्रव्य-दृश्य सीधा अभिनय या प्रस्तुतिकरण, और 'कार्यक्रम सेवा' अभिव्यक्ति का आशय तद्नुसार होगा।

(ग) से (ङ) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में स्थानीय या स्थलीय टेलीविजन चैनलों के विनियमन के लिए ढांचे की व्यवस्था नहीं की गई है। इन चैनलों के लिए एक विनियामक तंत्र की व्यवस्था करने की दृष्टि से मंत्रालय ने 17.01.2013 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें मांगी हैं। ट्राई की सिफारिशें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित के संबंध में मांगी गई हैं :

- स्थानीय या स्थलीय चैनलों की परिभाषा और उनके संचालन का क्षेत्र।
- पंजीकरण प्राधिकारी और पंजीकरण तंत्र जिसमें पात्रता संबंधी अपेक्षाएं, शुल्क, निबंधन और शर्तें भी शामिल हैं।
- मॉनीटरिंग तंत्र।
- सुरक्षा अनुमति की अपेक्षा।
- स्थानीय चैनलों की डिजिटल संबोधनीय व्यवस्था आदि में प्रसारण।

आर.एम.एस.ए. की समीक्षा

838. श्री एम.बी. राजेश: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)' के कार्यान्वयन और उपलब्धि की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आर.एम.एस.ए. के कार्यान्वयन में बदलाव करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आर.एम.एस.ए. के अन्तर्गत केरल में उन्नयन किए गए विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या केरल में और अधिक विद्यालयों के उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) आर.एम.एस.ए. कार्यक्रम के तहत् शिक्षा के क्षेत्र और शिक्षा संबंधी क्षेत्र में विशेषज्ञ समूह जिसमें भारत सरकार और बाह्य सहायक भागीदार (विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग) के प्रतिनिधि होंगे दोनों के द्वारा वर्ष में दो बार संयुक्त समीक्षा मिशन करने का प्रावधान किया गया है। ऐसी अंतिम समीक्षा 13 से 27 जनवरी, 2014 तक की गई थी। इस संयुक्त समीक्षा मिशन के प्रमुख निष्कर्ष थे कि आर.एम.एस.ए. ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां योजना, मूल्यांकन, कार्यान्वयन और निगरानी, आर.एम.एस.ए. के प्रमुख लक्ष्य के रूप में शिक्षु उपलब्धि प्राप्त करना और इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष मूल्यांकन करना, गुणवत्ता सुधार उपायों और शिक्षु उपलब्धि के बीच मजबूत संबंध बनाने के प्रयास, विशेष रूप से वे उपाय जो प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार संबंधित हैं और सर्वशिक्षा अभियान के अनुरूप है तथा प्रत्येक बच्चे के उच्चतर प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर चाहे वह सरकारी अथवा निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में हो, 100% परिवर्तन सुनिश्चित करते हो, का पूर्व मूल्यांकन और कार्योत्तर मूल्यांकन का समग्र आउटक्रम ओरियेंटेशन आवश्यक है। रिपोर्टें http://mhrd.gov.in/rmsa-_jrmission पर उपलब्ध हैं।

(ख) हाल ही में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में माध्यमिक शिक्षा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं-स्कूलों में सूचना-संचार प्रौद्योगिकी, माध्यमिक स्तर पर नि:शक्तों हेतु समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.), व्यावसायिक शिक्षा और बालिका छात्रावास को शामिल किया गया है।

(ग) से (ङ) आर.एम.एस.ए. के तहत योजना के आरंभ से केरल में 112 स्कूल अनुमोदित किए गए हैं। 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 111 स्कूल कार्यात्मक थे। केरल में अभी स्कूलों के उन्नयन का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण

839. श्री हुकुम सिंह: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में वातावरणीय प्रदूषण फैलाने वाले शराब के कारखानों और कागज की मिलों द्वारा जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव और अन्य जहरीले पदार्थ छोड़ने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विद्यमान पर्यावरणीय कानूनों की निगरानी और उनका प्रवर्तन करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने प्रदूषित जल के कारण फैलने वाली बीमारियों की जांच के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) जी, हां। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पिछले दो वर्षों अर्थात् 2012 और 2013 के दौरान शराब के कारखानों द्वारा औद्योगिक बहि:स्राव छोड़ने के बारे में 18 जन-शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन 18 शिकायतों में से 5 शिकायतों को जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस.पी.सी.बी.) को अग्रेषित कर दिया है। 10 शिकायतों की जांच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दल द्वारा की गई थी जिनमें से 6 इकाइयों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निदेश जारी किए गए थे। अन्य 1 शिकायत के मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1) (ख) के अंतर्गत इकाई को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के निदेश देने हेतु कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निदेश जारी किए थे। उपलब्ध सूचना के आधार पर, 2 और शिकायतों के मामले में संबंधित को स्थिति रिपोर्ट भेजी गई थी। इन जन शिकायतों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पिछले दो वर्षों अर्थात् 2012 और 2013 के दौरान कागज मिलों से औद्योगिक बहि:स्राव छोड़ने के बारे में 17 जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ने इन 17 शिकायतों में से 12 शिकायतों को जांच करने और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अग्रेषित कर दिया है। अन्य 2 शिकायतों के मामले, में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहले ही आवश्यक कार्रवाई कर चुका है। अन्य 2 शिकायतों के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत संबंधित औद्योगिक इकाइयों को निदेश जारी किए हैं और 1 अन्य मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा (i) (ख) के अंतर्गत आवश्यक पर्यावरण नियंत्रण उपाय करने के लिए इकाई को निदेश देने हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निदेश जारी किए हैं। इन जन शिकायतों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जल संदूषण से बचने के लिए सरकार ने पर्यावरण में औद्योगिक बहि:स्राव सहित प्रदूषकों के बहि:स्राव को रोकने के उपाय किए हैं जिनमें लुगदी और कागज तथा शराब कारखानों के लिए बहि:स्राव और उत्सर्जन मानक बनाना शामिल है। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा विभिन्न तंत्रों नामत: सहमति तंत्र, पर्यावरण सुरक्षा हेतु कॉरपोरेट उत्तरदायित्व, आवधिक निरीक्षण आदि के माध्यम से ये पर्यावरणीय मानक लागू किए जाते हैं।

विवरण-I

पिछले दो वर्षों अर्थात् 2012 और 2013 के दौरान शराब के कारखानों से छोड़े जाने वाले औद्योगिक बहि:स्राव के बारे में प्राप्त जन-शिकायतों की राज्यवार सूची

राज्य	2012	2013	कुल
उत्तर प्रदेश	02	04	06
छत्तीसगढ़	01	00	01
पंजाब	01	00	01
तमिलनाडु	00	01	01
हरियाणा	00	01	01
महाराष्ट्र	00	02	02
राजस्थान	01	00	01
बिहार	01	00	01
कर्नाटक	01	00	01
मध्य प्रदेश	01	01	02
पश्चिम बंगाल	00	01	01
कुल	08	10	18

विवरण-II

पिछले दो वर्षों अर्थात् 2012 और 2013 के दौरान कागज-मिलों से छोड़े जाने वाले औद्योगिक बहि:स्राव के बारे में प्राप्त जन-शिकायतों की राज्यवार सूची

राज्य	2012	2013	कुल
उत्तर प्रदेश	02	01	03
उत्तराखण्ड	00	02	02
गुजरात	03	शून्य	03
तमिलनाडु	02	02	04
ओडिशा	शून्य	01	01
महाराष्ट्र	शून्य	02	02
आंध्र प्रदेश	शून्य	02	02
कुल	07	10	17

[अनुवाद]

ईरान पर प्रतिबंध

840. श्री असादुद्दीन ओवैसी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान थ्रेट रिडक्शन एंड सिरिया ह्यूमन राइट्स एक्ट, 2012 (आई.टी.आर.एस.एच.आर.ए.) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा ईरान पर आरोपित नए वाणिज्यिक प्रतिबंधों से ईरान से भारत को होने वाली तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए प्रतिबंधों से ईरान में चाबहार पत्तन को विकसित करने की भारत की योजना में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) तेल निर्यात के अंतराल को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं अथवा किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) से (ग) ईरान तथा "ई3+3" देशों (चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यू.के. तथा यू.एस.) के बीच वार्ता के अनुसरण में 24 नवंबर, 2013 को दोनों ओर से एक अंतरिम करार, जिसे "संयुक्त कार्य योजना" के नाम से जाना जाता है, निष्पन्न किया गया, जिसमें 20 जुलाई, 2014 तक इन देशों द्वारा ईरान के खिलाफ आगे कोई एकपक्षीय वित्तीय प्रतिबंध को अस्थायी तौर पर रोकने का प्रावधान है।

अत: सरकार ईरानी बंदरगाह चाहबहार के विकास में भारतीय भागीदारी को संवर्धित करने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि यह अफगानिस्तान, ईरान तथा मध्य एशियाई क्षेत्रों सहित समस्त क्षेत्र में भारत के आर्थिक हितों को संवर्धित करने में सहायता करेगा।

(घ) सरकार ऊर्जा सुरक्षा को संवर्धित करने हेतु सभी आवश्यक उपाय अपना रही है। भारतीय तेल कंपनियां, विशेष देश अथवा क्षेत्र पर से अपनी निर्भरता हटाने के लिए कच्चे तेल की खरीद बास्केट को विविधता प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

घरेलू केबल टी.वी. के लिए प्रशुल्क विनियमन

841. श्री दुष्यंत चौटाला: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि स्थानीय केबल टी.वी. ऑपरेटर सेट टॉप बॉक्स और मासिक सेवाओं के लिए घरेलू ग्राहकों से बहुत अधिक पैसा वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में अब तक कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डिजीटल टी.वी. घरेलू ग्राहकों के लिए सेट टॉप बॉक्स और अन्य उपकरण उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए नए प्रशुल्क आदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ट्राई सभी डी.टी.एच. ऑपरेटरों पर यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रख रहा है कि उनकी प्रशुल्क दरें ट्राई के निर्देशों के अनुसार हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लोगों को प्रशुल्क विनियमों इत्यादि की जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ग) केबल ऑपरेटरों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उपभोक्ताओं सहित सभी पणधारकों को लाभ प्रदान करने के लिए ट्राई ने 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा (पंचम) (डिजिटल संबोधनीय केबल टी.वी. प्रणाली) प्रशुल्क आदेश, 2013' नामक प्रशुल्क आदेश दिनांक 27.05.2013 जारी किया है जिसमें डी.ए.एस. के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए सेट टॉप बॉक्सों (एस.टी.बी.) की आपूर्ति और उनके अधिष्ठापन हेतु मानक प्रशुल्क पैकेजों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ट्राई ने 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेववा (षष्टम) (डायरेक्ट टु होम सेवाएं) प्रशुल्क आदेश दिनांक 27.05.2013 नामक प्रशुल्क आदेश' भी जारी किया है जिसमें डी.टी.एच. सेवाओं के उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता परिसर उपकरण (सी.पी.ई.) की आपूर्ति और उसके अधिष्ठापन हेतु मानक प्रशुल्क पैकेजों की व्यवस्था की गई है। इन प्रशुल्क आदेशों को सरल निबंधन और शर्तों पर उपयुक्त कीमत पर सेट टॉप बॉक्स/सी.पी.ई. उपलब्ध कराने और साथ ही सेवा प्रदाताओं के हितों को ध्यान में रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

(घ) दिशानिर्देशों, के अनुसार, डी.टी.एच. ऑपरेटर प्रत्येक तिमाही ट्राई के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली अपनी संपादन मॉनीटरिंग रिपोर्ट (पी.एम.आर.) के हिस्से के रूप में एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि वह ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों/निर्देशों/आदेशों एवं अपने लाइसेंस करार की सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करता है।

(ङ) ट्राई उपभोक्ताओं के बीच अन्य बातों के अलावा डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के लाभों और अन्य पहलुओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उपभोक्ता समर्थन समूहों के सहयोग से पूरे देश में उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम चला रहा है। ट्राई दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा उपभोक्ता जागृति/शिक्षा हेतु चलाए जाने वाले उसी पहलू से संबंधित वार्ता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों आदि में भी हिस्सा लेता रहता है। इसके अतिरिक्त, प्रशुल्क एवं सेट टॉप बॉक्सों से संबंधित जानकारी ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर "बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.)" शीर्षक के अंतर्गत भी आम लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध है।

नक्सल क्षेत्रों में वन संरक्षण

842. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए वन संरक्षण कानूनों में छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दी जाने वाली छूट की प्रकृति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) एकीकृत कार्य-योजना (आई.ए.पी.) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा अभिनिर्धारित वाम पंथी उग्रवाद से प्रभावित 60 जिलों में जनोपयोगी अवसंरचना के सृजन को गति प्रदान करने के लिए, केन्द्र सरकार ने, दिनांक 13 मई, 2011 के पत्र के माध्यम से सरकारी विभागों द्वारा इस मंत्रालय के दिनांक 13 मई, 2011 के उक्त पत्र में विनिर्दिष्ट महत्त्वपूर्ण जनोपयोगी अवसंरचना की 13 श्रेणियों का सृजन किए जाने के बाद, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत, वन भूमि के अपवर्तन के लिए अनुमोदन दिया था जो प्रत्येक मामले में, 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि के लिए था।

उक्त सामान्य अनुमोदन के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं की 13 श्रेणियां हैं, -विद्यालय, औषधालय/अस्पताल, विद्युत और दूरसंचार लाइनें, पेयजल परियोजनाएं, जल/वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विद्युत उप-केन्द्र, ग्रामीण सड़कें, संचार पोस्ट, गृह मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित संवेदनशील क्षेत्रों में थाने/चौकी/सीमा चौकी जैसी पुलिस संस्थाएं और भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर तार, टेलीफोन लाइनें और पेयजल आपूर्ति लाइनें बिछाना।

केन्द्र सरकार ने दिनांक 16 जून, 2011 के पत्र द्वारा उक्त सामान्य अनुमोदन के अनुरूप वन भूमि के अपवर्तन हेतु प्रतिपूरक वनीकरण किए जाने की शर्त से छूट दी है।

केन्द्र सरकार ने दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 के पत्र द्वारा उक्त सामान्य अनुमोदन को आई.ए.पी. स्कीम के कार्यान्वयन हेतु योजना आयोग द्वारा अभिनिर्धारित 22 अतिरिक्त जिलों में विस्तारित किया है।

केन्द्र सरकार ने 1 फरवरी, 2013 के पत्र द्वारा, उक्त सामान्य अनुमोदन को सभी श्रेणी की सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के उत्खनन हेतु विस्तारित किया है।

केन्द्र सरकार ने दिनांक 17 मई, 2013 के पत्र द्वारा उक्त सामान्य अनुमोदन को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित उन 35 जिलों के लिए विस्तारित किया है जो गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) की प्रतिपूर्ति की योजना के अंतर्गत चुने गए उन 106 जिलों में से हैं जिन्हें अब तक आई.ए.पी. स्कीम के कार्यान्वयन हेतु नहीं चुना गया है।

केन्द्र सरकार ने दिनांक 4 जुलाई, 2014 के पत्र के माध्यम से सरकारी विभागों द्वारा केन्द्र सरकार के 13 मई, 2011, 10 दिसम्बर, 2012 और 17 मई, 2013 के उक्त पत्रों में दिए गए ब्यौरे के अनुसार वाम पंथी उग्रवाद से प्रभावित 117 जिलों में दो लेन वाली सार्वजनिक सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि के अपवर्तन की उन परियोजनाओं, जो संरक्षित क्षेत्रों के भीतर स्थित नहीं हैं, के लिए **ऐसी परियोजनाओं में शामिल वन भूमि के क्षेत्रफल पर विचार किए बिना,** उक्त सामान्य अनुमोदन को विस्तारित किया है।

रिक्त पद

843. कुमारी शोभा कारान्दलाजे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवाओं (सी.एस.एस.) के अधिकारी स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत रिक्तियों, वर्ष 2013 के दौरान भरी हुई रिक्तियों की संख्या और वर्ष 2005 से अग्रेनीत की गई रिक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) नियमित आधार पर पदों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी हां, चयन सूची वर्ष, 2013 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) के अधिकारी स्तर के विभिन्न ग्रेडों के अंतर्गत रिक्तियों की स्थिति और पदोन्नत अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार चयन सूची वर्ष 2005 से 2012 तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) के अधिकारी स्तर के विभिन्न ग्रेडों में अग्रेनीत रिक्तियों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) फीडर ग्रेड में पात्र अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण पद नहीं भरे जा सके।

(घ) अधिकारियों को पदोन्नति करने के प्रस्ताव नियमित आधार पर आरम्भ किए जाते हैं और सभी पात्र अधिकारियों को पदोन्नत किया जाता है।

विवरण-I

चयन सूची वर्ष 2013 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) के अधिकारी स्तर के विभिन्न ग्रेडों के अंतर्गत रिक्तियों की स्थिति और भरी गई रिक्तियां

ग्रेड	रिक्तियां	भरी गई रिक्तियों की संख्या
प्रधान स्टाफ अधिकारी/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	55	9
प्रधान निजी सचिव	144	72
निजी सचिव	184*	शून्य

* अंतरिम

विवरण-II

चयन सूची वर्ष 2005 से 2012 तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी.एस.एस.एस.) के अधिकारी स्तर के विभिन्न ग्रेडों के अंतर्गत अग्रेनीत रिक्तियों की संख्या

वर्ष	प्रधान स्टाफ अधिकारी/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	प्रधान निजी सचिव	निजी सचिव
2005	0	6	*
2006	0	8	
2007	0	8	
2008	28	11	
2009	19	12	
2010	0	105	
2011	9	90	342
2012	22	78	**

* कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 2010 तक रोस्टर केन्द्रीकृत रूप से तैयार नहीं किए जाते थे, संबंधित मंत्रालय/विभाग पी.एस. ग्रेड की रिक्तियों का ब्यौरा रखते थे।

** चयन सूची वर्ष 2012 के लिए 297 रिक्तियां भरने के लिए विचार क्षेत्र जारी किया जा चुका है। चयन सूची वर्ष 2012 के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से रिक्तियां भरने के लिए 177 रिक्तियों की सूचना संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) को दी गई है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

844. श्री रामसिंह राठवा:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) खोलने का है और यदि हां, तो इन राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य इन विद्यालयों को खोलने में उदासीनता दर्शा रहे हैं और यदि हां, तो इन राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुमोदित के.जी.बी.वी. ने कार्य करना आरंभ कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (च) अधिकांशत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों से संबंध रखने वाले वंचित समूहों की बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के संवर्धन के लिए देश में 3602 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) चल रहे हैं। सात के.जी.बी.वी. बिहार, हरियाणा और पंजाब में भूमि की अनुपलब्धता और स्थानीय विवादों के कारण अभी संचालित होने बाकी हैं। केन्द्र सरकार स्थानीय मसलों के समाधान के लिए इन राज्यों के साथ निरंतर बातचीत कर रही है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्यों को आबंटित राशि के साथ भर्ती की गई बालिकाओं का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार संस्वीकृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संस्वीकृत के.जी.बी.वी. को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित राशि सहित भर्ती की गई बालिकाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	संचालनरत के.जी.बी.वी.	नामांकित बालिकाएं	आवंटित राशि (लाख रुपए में)			
				2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	743	83013	83557.77	60690.14	58933.80	53917.210
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	5105	1522.11	3484.13	1587.08	2421.825
3.	असम	57	3000	1604.86	1396.48	5154.78	5616.083
4.	बिहार	533	45939	24518.68	22012.94	20021.68	24389.047
5.	छत्तीसगढ़	93	9295	2652.52	2553.75	2597.25	4382.400
6.	दादरा और नगर हवेली	1	43	35.22	34.21	25.34	33.710
7.	गुजरात	89	6574	6036.30	4918.84	3028.93	4425.769
8.	हरियाण	32	1990	4187.29	4193.32	2049.09	548.013
9.	हिमाचल प्रदेश	10	467	139.50	137.95	151.40	262.350
10.	जम्मू और कश्मीर	99	4743	4927.33	5741.87	5713.79	7207.218
11.	झारखंड	203	19799	5933.89	6056.69	6010.61	9007.330
12.	कर्नाटक	71	8079	2418.82	4653.18	4687.68	5988.980
13.	मध्य प्रदेश	207	28604	15083.19	10427.41	10491.03	12897.601
14.	महाराष्ट्र	43	4240	2072.65	2397.19	1748.61	2527.986
15.	मणिपुर	11	1109	162.55	1698.25	483.01	509.40
16.	मेघालय	10	504	278.60	694.77	653.57	792.920
17.	मिजोरम	1	10	27.27	27.25	27.25	36.000
18.	नागालैंड	11	1024	1714.86	1965.74	1836.04	1475.580
19.	ओडिशा	182	18180	7191.06	8061.11	8713.77	9331.128

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	पंजाब	21	1462	2089.89	1782.03	844.37	837.810
21.	राजस्थान	200	18711	6284.55	5961.78	5655.80	8669.585
22.	सिक्किम	1	202	0.00	524.93	430.73	234.930
23.	तमिलनाडु	61	4507	1969.25	1543.21	1451.28	2492.025
24.	त्रिपुरा	9	800	373.92	204.36	210.36	297.670
25.	उत्तर प्रदेश	746	71953	43864.38	29164.29	22924.28	35315.120
26.	उत्तराखंड	28	1262	71657	543.87	411.46	609.630
27.	पश्चिम बंगाल	92	7020	3624.56	3068.75	2852.63	2806.241
	कुल योग	3602	347725	223187.59	183938.44	168695.62	197033.561

पृथ्वी विज्ञान की उपलब्धियां

845. श्री रवनीत सिंह: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार इसकी उपलब्धियों से संतुष्ट है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) इस मंत्रालय के पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ई.एस.एस.ओ.) के संस्थानों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान की गई प्रगति काफी महत्त्वपूर्ण रही है। कुछ प्रमुख उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त के बावजूद, इस मंत्रालय का ई.एस.एस.ओ. अनुसंधान एवं विकास प्रयासों से मौसम, जलवायु, समुद्र स्थिति तथा प्राकृतिक संकट (चक्रवात; सुनामी; भूकंप; विषम मौसम स्थितियों) में जानकारी आधारित सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

विवरण

(i) वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क और सेवाएं : विभिन्न प्रचालनात्मक पूर्वानुमान और परामर्शी सेवाओं के लिए वास्तविक समय प्रेक्षणात्मक मौसम और जलवायु डेटा के महत्त्व को देखते हुए, नेटवर्क में वृद्धि के जरिए पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में 1188 स्वचालित वर्षा मापी (ए.आर.जी.) और 554 स्वचालित मौसम स्टेशनों (ए.डब्ल्यू. एस.) के साथ अत्याधुनिक प्रेक्षण प्रणाली नेटवर्क चालू किया गया। कोलकाता, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नै और श्रीहरिकोटा में स्थापित किए गए पूर्ववर्ती 5-डी.डब्ल्यू. आर. नेटवर्कों के अतिरिक्त 13 डॉप्लर मौसम राडारों (डी. डब्ल्यू.आर.) को क्रमशः दिल्ली एयरपोर्ट, नई दिल्ली लोदी

रोड, नागपुर, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, पटियाला, अगरतला, मोहनबाड़ी, भोपाल, भुज और मुंबई में स्थापित किया गया है। विषम मौसमी परिघटना की उत्पत्ति, विकास/गति को नियमित रूप से डी.डब्ल्यू.आर. और उपलब्ध सभी प्रेक्षण प्रणालियों (ए.डब्ल्यू.एस., ए.आर.जी. एस., स्वचालित मौसम प्रेक्षण प्रणालियां-ए.डब्ल्यू.ओ.एस., उपग्रह से प्राप्त वेक्टरों, तापमान, नमी वाले क्षेत्रों आदि) के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है। प्रयोगात्मक आधार पर 117 शहरी केन्द्रों पर, विषम मौसम के पूर्वानुमान के लिए विशिष्ट पूर्वानुमान (3-6 घंटे) मौसम सेवा (गरज के साथ तूफान, भूमि के ऊपर बने दबावों/विक्षोभों के कारण भारी वर्षा) शुरू की गई है।

कृषि मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सेवा (ए.ए.एस.) का, जिला स्तर से कृषि जलवायु क्षेत्र स्तर (4-6 जिलों के समूह) तक विस्तार कर दिया गया है और इसका देश के 600 जिलों तक विस्तार कर दिया गया है। वर्तमान में, ए. ए.एस. सेवा के तहत विभिन्न देशी भाषाओं में लगभग 5 मिलियन किसान, फसल वैशिष्ट्य परामर्शी सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान, देश भारत के पूर्वी तट पर आए 3 उष्णप्रदेशीय चक्रवातों यथा फैलिन, हैलेन और लहर से प्रभावित हुआ। जानमाल का नुकसान कम करने के लिए इन विषम चक्रवातों के मार्ग, तीव्रता और भूदर्श का पूर्वानुमान पर्याप्त अग्रिम समय में दे दिया गया था ताकि संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारी समुचित आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यकलापों में सहायता प्रदान कर सकें। प्रायोगिक आधार पर 2013 के दौरान चक्रवातों के भूदर्श के साथ संबंधित उच्च तरंग अलर्टों के साथ तूफान महोर्मि और संबंधित अप्लावन के पूर्वानुमान भी उपलब्ध करवाए गए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुणे के लिए अगले 24 घंटे के लिए मौसम और वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान सेवा शुरू की गई। प्रादेशिक एकीकृत बहुसंकट पूर्व चेतावनी प्रणाली (राइम्स) के ढांचे के अंतर्गत, अगले 3 दिनों के लिए वर्षा पूर्वानुमान उपलब्ध करवाने के लिए 9 देशों के साथ डेटा आदान-प्रदान की व्यवस्था स्थापित की गई है। इन देशों में बांग्ला देश, भूटान, भारत, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं।

(ii) वायुमंडलीय प्रक्रियाएं, मॉडलिंग और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान : (क) विस्तारित अवधि के ऋतुकालिक समय पैमाने (16 दिनों से लेकर एक ऋतु तक) पर मानसून वर्षा के उन्नत पूर्वानुमान और (ख) लघु से मध्यम अवधि समय पैमाने (15 दिनों तक) पर तापमान, वर्षा और विषम मौसमी घटनाओं के उन्नत पूर्वानुमान देने के लिए अत्याधुनिक युग्मित समुद्र-वायुमंडलीय जलवायु मॉडल को निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय मानसून मिशन शुरू किया है ताकि ई.एस.एस.ओ.-आई.एम.डी. की प्रचालनात्मक सेवाओं के लिए पूर्वानुमान कौशल को परिमाणात्मक रूप से और उन्नत बनाया जा सके तथा लघु अवधि पूर्वानुमान सेवा शुरू की गई है।

उच्च कार्य निष्पादन कम्प्यूटिंग (एच.पी.सी.) प्रणालियों को चालू करने के बाद उन्नत पूर्वानुमान मॉडलों के सेटों के प्रचालनात्मक कार्यान्वयन से वैश्विक रूप से 22 किमी. ग्रिड और भारत/क्षेत्रीय/प्रमुख शहरी क्षेत्रों पर 9 किमी./3 किमी. ग्रिड पर पूर्वानुमान उत्पादों के उत्पादन के लिए सभी उपलब्ध वैश्विक उपग्रह विकिरण डेटा के सम्मिश्रण के जरिए मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाया गया है। जहां तक उष्णदेशीय चक्रवातों के मार्ग और भूदर्श पूर्वानुमानों का संबंध है, विगत 5-7 वर्षों के लिए अद्यतन वैश्विक/मेसो-स्केल पूर्वानुमान प्रणालियों के कार्य निष्पादन ने पूर्वानुमान कौशल में परिमाणात्मक रूप से लगभग 18% की बढ़ोतरी दिखाई है।

जलवायु परिवर्तनीयता और परिवर्तन से संबंधित विभिन्न विज्ञान मुद्दों पर ध्यान देने के लिए, ई.एस.एस.ओ.-आई. आई.टी.एम., पुणे के एक भाग के रूप में जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के लिए एक समर्पित केन्द्र की स्थापना की गई।

(iii) समुद्री प्रेक्षण : भारत के आस-पास के समुद्रों से वास्तविक समय डेटा प्राप्त करने के लिए समुद्री प्रेक्षण नेटवर्कों में वृद्धि की गई जिसमें 16 नौबंध ब्वॉयों सहित 10 सुनामी ब्वॉय, 194 आग्रो फ्लोट्स, 74 ड्रिफ्टर, 16 वेवराइडर ब्वॉयों आदि की तैनाती शामिल है। विभिन्न प्रकार के समुद्री प्रेक्षणों के अभिलेख और पुनः प्राप्ति के लिए एक उपयुक्त प्रणाली की स्थापना की गई है। विशेष रूप से, खुले समुद्रों के ऊपर चक्रवातों के पारगमन के दौरान नौबंध ब्वॉय डेटा सेट काफी उपयोगी पाए गए हैं। विभिन्न

प्रचालनात्मक समुद्री सूचना सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु उपग्रह डेटा की वास्तविक समय में सीधी प्राप्ति के लिए ई.एस.एस.ओ.-ई.कॉइस हैदराबाद में एक समर्पित ओशन सेट उपग्रह भू स्टेशन शुरू किया गया था।

(iv) समुद्र विज्ञान एवं सेवाएं : सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मत्स्य संभावित क्षेत्रों (पी.एफ. जेड.) की पहचान पर आधारित मात्स्यिकी परामर्शी सेवा की एक अद्वितीय प्रणाली को, टूना मात्स्यिकी को कवर करते हुए गहरा समुद्र मत्स्य उद्योग के लिए प्रचालनात्मक बना दिया गया है। संपूर्ण भारतीय तट के लिए परामर्शी सेवाओं को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिदिन हर छह घंटे पर अगले 5 दिनों के लिए समुद्र सतह तापमान, धारा, तरंग आदि के लिए समुद्र स्थिति पूर्वानुमान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। भारत के पांच प्रमुख प्रवाल पर्यावरण क्षेत्रों अर्थात अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी की द्विसाप्ताहिक स्थिति की जानकारी मुहैया कराने हेतु एक प्रवाल विरंजन चेतावनी तंत्र (सी.ए.बी.एस.) की स्थापना की गई है। सितंबर 2007 में स्थापित एक अत्याधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली जिसे अब एक क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता (आर.टी.एस.पी.) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, वह सभी हिन्द महासागर रिम देशों के लिए 1800 पूर्वानुमान बिन्दुओं पर परामर्शी सूचना उपलब्ध करवा रही है।

देश का तटीय सुभेद्यता सूचकांक (सी.बी.आई.) मानचित्र तैयार कर लिया गया है तथा सभी पणधारियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

(v) समुद्र सर्वेक्षण और खनिज संसाधन : जलतापीय सल्फाइड अन्वेषण कार्यक्रम के भाग के रूप में, समुद्री भू-भौतिकी डेटा प्राप्त करने के लिए मध्य हिन्द महासागर बेसिन में प्रति 30 दिनों की 7 जलयात्राएं की गई। ~65,000 वर्ग किमी (क्षेत्र), बहुबीम ईको साउंडर (एम.बी.ई.एस.) के सर्वेक्षण, ~17,000 वर्ग किमी के चुंबकीय सर्वेक्षण (लाइन) और ~9,115 वर्ग किमी (लाइन) गुरुत्व सर्वेक्षणों का उपयोग करते हुए अभी तक, मध्य भारतीय रिज (सी.आई.आर.) और दक्षिण पश्चिम भारतीय रिज (एस.डब्ल्यू.आर.आर.) में क्वांटम में डेटा एकत्रित किया गया है। भारत ने हिंद महासागर में बहुधात्विक सल्फाइडस के अन्वेषण के लिए विशेष रूप से चिन्हित जोनों के आवंटन के लिए जुलाई, 2013 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया।

संयुक्त राष्ट्र के समुद्र विधि कन्वेशन (यू.एन.सी.एल.ओ.एस.) के अनुच्छेद 76 के अनुसरण में भारत ने विस्तारित महाद्वीपीय शैल्फ के लिए दावा प्रस्तुत किया था।

(vi) भू विज्ञान : अरब सागर में गहरा समुद्र वेधन करने के लिए भारत के वैज्ञानिक प्रस्ताव को एकीकृत समुद्र वेधन कार्यक्रम (आई.ओ.डी.पी.) ने स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा वेधन कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया जाएगा। यह हिमालय के विकास और मानसून के आगमन की सूचना प्रदान करेगा।

(vii) समुद्र प्रौद्योगिकी : लक्षद्वीप समूह के मिनीकॉय और अगात्ती में क्रमशः मार्च 2011 और अगस्त 2011 के दौरान दो और एल.टी.टी.डी. संयंत्र चालू किए गए। अगाती, लक्षद्वीप द्वीप समूह में सजावटी मछलियों के प्रजनन और पालन-पोषण के लिए एक पूर्ण विकसित हैचरि ईकाई स्थापित की गई। हिंद महासागर में भारतीय खान स्थल पर सुदूर प्रचालित पनडुब्बीनुमा यंत्र (रोसब) का ~5300 मी. गहरे जल में परीक्षण किया गया जो कि सामुद्रिक संसाधनों के अन्वेषण में एक उपलब्धि है। एक सुदूर स्वचालित उपसमुद्र स्वस्थाने मृदा टेस्टर (रोसिस) का विकास किया गया और इसका मध्य हिंद महासागर बेसिन (सी.आई.ओ.बी.) में ~5400 मी. गहरे जल में परीक्षण किया गया।

(viii) भूकंप-वैज्ञानिक अनुसंधान : भ्रंशन की प्रक्रिया, भूकंप जनित जलाशयों की भौतिकी के साथ-साथ भूकंप जोखिम मूल्यांकन की बेहतर समझ के लिए, भिन्न-भिन्न गहराइयों पर इंट्रा-प्लेट भूकंपीय क्षेत्रों की प्रत्यक्ष तथा सतत मॉनीटरिंग के लिए कोयना-वर्ना क्षेत्र में गहरे बोरछिद्र वेधशाला स्थल पर अन्वेषण प्रारंभ किए गए। आठ उथले बोरछिद्रों का पहले ही वेधन कर लिया गया है और उनमें से दो में भूकंपमापी लगा दिए गए हैं। देश में तथा देश के आस-पास चौबीसों घण्टे, सातों दिन आधार पर भूकंपीय गतिविधियों की मॉनीटरिंग के लिए दो टेलीमीट्री क्लस्टरों सहित 82 क्षेत्र प्रेक्षणों सहित राष्ट्रीय भूकंप-वैज्ञानिक नेटवर्क को सफलतापूर्वक प्रचालित कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 1:10000 के पैमाने पर भूकंपीय जोखिम सूक्ष्मक्षेत्रीकरण पर एक प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है।

(ix) ध्रुवीय विज्ञान : भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए आर्कटिक परिषद में प्रेक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अग्रिम पंक्ति के अनुसंधान करने के लिए मार्च 2012 में तीसरे स्टेशन "भारती" को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया। सभी गुजरने वाले ध्रुवीय कक्षा उपग्रहों से डेटा प्राप्त करने के लिए अंटार्कटिका में भारती स्टेशन के निकट ही एक उपग्रह भू-प्राप्ति केन्द्र की स्थापना कर दी गई है।

(x) उच्च कार्य-निष्पादन कंप्यूटिंग प्रणाली : पूर्वानुमान मॉडलों के एक सुइट हेतु बड़े परिमाण वाले वैश्विक पैमाने के मौसम तथा जलवायु डेटा को संसाधित करने तथा सम्मिश्रित करने के लिए, अभिकलन सुविधाओं को पर्याप्त रूप से पेटाफ्लॉप पैमाने तक बढ़ा दिया गया है।

(xi) अनुसंधान, शिक्षा तथा आउटरीच : पृथ्वी प्रणाली विज्ञान तथा जलवायु में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए ई.एस.एस.ओ., आई,आई.टी.एम., पुणे में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु सुविधाओं से युक्त एक उन्नत प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई। विद्यार्थियों के प्रथम दल ने ई.एस.एस.ओ. की विभिन्न इकाइयों में प्रवेश लिया। 20 विद्यार्थियों के दूसरे तथा तीसरे बैच को एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर की चयन प्रक्रिया के माध्यम से अगस्त, 2012 तथा अगस्त, 2013 में शामिल किया गया।

यूनेस्को-आई.ओ.सी. के साथ करार के अंतर्गत ई.एस. एस.ओ.-इंकॉइस, हैदराबाद में प्रचालनात्मक समुद्रविज्ञान हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। पृथ्वी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे विभिन्न प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में ए.ओ.ई.एस. पीठों की स्थापना की गई है। आउटरीच कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, ई.एस. एस.ओ. ने सितम्बर, 2013 में पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड के आयोजन में सहायता प्रदान की।

(xii) समुद्री अनुसंधान जलयान : बहु-अनुशासनात्मक समुद्र-वैज्ञानिक डेटा प्राप्त करने; समुद्री निर्जीव संसाधनों का आकलन करने के लिए भू-भौतिकीय सर्वेक्षण करने; सजीव संसाधनों का आकलन करने के लिए अभियान मोड सर्वेक्षण करने; तटीय समुद्रों के जल की गुणवत्ता को मापने के लिए विभिन्न लक्षित गतिविधियां संचालित करने हेतु छह वैज्ञानिक अनुसंधान जलयानों के एक बेड़े को नियमित रूप से प्रचालित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

हिमनदों का पिघलना

846. श्री राजू शेट्टी: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमालयी हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन (इसरो) ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं; और

(घ) स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार, अधिकांश हिमालयी हिमनद खिसकने के दौर से गुजर रहे हैं जोकि एक विश्व-व्यापी घटना है। हिमनदों का खिसकना हिमनदों के आकार में परिवर्तन होने और अन्य विशिष्टताओं की प्राकृतिक चक्रीय प्रक्रिया का भाग है।

(ख) और (ग) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एस.ए.सी.) अहमदाबाद ने बर्फ और हिमनदों से संबंधित एक अध्ययन किया है और मई, 2010 में एक रिपोर्ट जारी करके इरो 'बर्फ और हिमनद अध्ययन' शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट से बर्फ के जमाव, पृथक्करण, हिमनद क्षेत्रों, बर्फ के स्रोतों, हिमनद क्षेत्रों में कमी आने और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में स्नो-लाइन की गति की पद्धतियों में भिन्नता का पता चलता है।

(घ) सरकार, भारत के विकास पथ की पारिस्थितिकीय

धरणीयता को बढ़ाने और देश के सभी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की समस्या के निराकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) कार्यान्वित कर रही है। एन.ए.पी.सी.सी. में, अन्य बातों के साथ-साथ, हिमालयी पारि-प्रणाली को सतत रूप से बनाए रखने के राष्ट्रीय मिशन, जिसका उद्देश्य हिमालयी हिमनदों के पर्यवेक्षण और निगरानी की पद्धति को सुदृढ़ बनाना है, सहित आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, देश में व्यापक हिमनद अनुसंधान करने के लिए वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून में हिमालयन ग्लेशियोलॉजी संबंधी एक अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षकों की कमी

847. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जमीनी स्थिति जानने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की समीक्षा की है/किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या लगभग 10 लाख प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की भर्ती पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (ङ) जी, हां। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.) की दिनांक 07.06.11, 06.06.12, 08.11.12 और 02.04.13 को आयोजित बैठकों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 की राज्य सरकारों तथा शैक्षिक विशेषज्ञों के साथ समीक्षा की गयी थी। दिनांक 06.06.12 को आयोजित बैठक के परिणामों में से एक के तहत शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम में किसी विद्यार्थी को पिछली कक्षा में न रोकने के संदर्भ में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) के कार्यान्वयन की जांच के लिए माननीय शिक्षा मंत्री, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया गया था। अधिदेश के अनुसार, उप-समिति ने राज्य सरकारों तथा अन्य पणधारियों के साथ परामर्श किया और अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले क्षेत्र-दौरे भी किए।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अब तक 19.84 लाख शिक्षकों की संस्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 15.06 लाख अध्यापकों की भर्ती की गयी है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर छात्र-अध्यापक अनुपात बढ़कर 1:28 हो गया है। अत: कुल मिलाकर कोई अभाव नहीं है तथा राज्य अध्यापक नियुक्ति को सुसंगत बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा) के तहत अध्यापकों की भर्ती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रवासी भारतीयों के लिए निधि

848. श्रीमती के. मरगथम: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के कल्याण के लिए एक पृथक निधि बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए निधियों को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) जी हां।

सरकार ने प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए मिशन स्तर पर भारतीय समुदाय कल्याण क्षेत्र की स्थापना की है।

(ख) भारतीय समुदाय कल्याण कोष का उद्देश्य अति अपेक्षित मामलों में मीन्स टेस्टड बेसिस पर निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराना है:

(i) हाउसहोल्ड/घरेलू क्षेत्रों में व्यथित प्रवासी भारतीय कामगारों तथा अकुशल कामगारों को आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना;

(ii) असहाय प्रवासी भारतीयों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना;

(iii) जहां आवश्यक हो प्रवासी भारतीयों को हवाई टिकटें प्रदान करना;

(iv) सुपात्र मामलों में प्रवासी भारतीयों को प्रारंभिक कानूनी सहायता प्रदान करना;

(v) ऐसे मामलों में जहां प्रायोजक करार अनुरूप सहायता करने के लिए इच्छुक न हो, या खर्च का वहन करने का इच्छुक न हो और परिवार लागत को वहन करने की क्षमता न रखता हो, मृतक प्रवासी भारतीय के पार्थिव शरीर को विमान द्वारा भारत भेजने अथवा स्थानीय शमशान घाट/कब्रिस्तान तक ले जाने का आकस्मिक खर्च वहन करना;

(vi) मेजबान देश में गैरकानूनी रूप से रुकने के लिए भारतीय नागरिकों के मामले में जुर्माने की अदायगी करना जहां कामगार प्रथम दृष्ट्या दोषी न हो;

(vii) जेल में/कारावास केन्द्रों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई हेतु छोटे अर्थदंड/जुर्माने का भुगतान करना।

भारतीय मिशनों द्वारा कॉन्सुलर सेवाओं पर अतिरिक्त चार्ज लगाकर फंड में बढ़ोतरी की गई है। मिशनों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान मिशनों द्वारा कुल एकत्र फंड राशि लगभग 300 करोड़ आई.एन.आर. थी।

(ग) और (घ) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय प्रति वर्ष भारतीय समुदाय कल्याण कोष को संस्थापनात्मक सहायता के रूप में 5 लाख रु. की राशि उपलब्ध कराता है। यह अंशदान प्रारंभ में 3 वर्ष की अवधि के लिए या उस अवधि के लिए जब फंड स्वत: सतत न हो जाएं, इसमें जो भी पहले हो।

एस.पी.ए. और आई.आई.आई.टी.डी. एंड एम. विद्यार्थियों को डिग्री

849. श्री प्रताप सिम्हा:
श्री नलीन कुमार कटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एस.पी.ए.) भोपाल, विजयवाड़ा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (आई.आई.आई.टी.डी. एंड एम.), कांचीपुरम के बहुत सारे छात्रों को डिग्रियां नहीं प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं को अकार्यशील घोषित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) जी, हां। सरकार को यह जानकारी है कि योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एस.पी.ए.), भोपाल, एस.पी.ए., विजयवाड़ा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (आई.आई.आई.टी. डी. एंड एम.), कांचीपुरम के छात्रों को डिग्रियां प्रदान नहीं की गई हैं।

(ख) और (ग) योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एस. पी.ए.), भोपाल और एस.पी.ए., विजयवाड़ा की स्थापना वर्ष 2008-2009 में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (आई.आई.आई.टी. डी. एंड एम.), कांचीपुरम की स्थापना 2007 में हुई थी। इन संस्थानों से वर्ष 2014 तक उत्तीर्ण 692 स्नातक छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जानी हैं। स्नातकों को डिग्री प्रदान करने के लिए संस्थान को संसद के अधिनियम के तहत

प्राधिकृत होना चाहिए या यू.जी.सी. द्वारा यू.जी.सी. अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत एक समवत विश्वविद्यालय घोषित होना चाहिए। मंत्रालय ने इन संस्थानों को संसद के अधिनियम के माध्यम से 'राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान' घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एस.पी.ए., भोपाल और एस.पी.ए., विजयवाड़ा को एस.पी.ए., दिल्ली का ऑफ कैम्पस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (आई.आई. आई.टी.डी. एंड एम.) को आई.आई.आई.टी., ग्वालियर का ऑफ कैम्पस घोषित किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि, जिन छात्रों ने इन संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों से प्रस्ताव

850. **श्री बदरुद्दीन अजमल:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से पर्यावरण और वन मंजूरी के लिए बड़ी संख्या में परियोजना प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य, परियोजना और स्थिति-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए मंजूरियों में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) लंबित परियोजनाओं की मंजूरियां कब तक मिलने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) पर्यावरण मंजूरी देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के 15 परियोजना प्रस्ताव और वन मंजूरी देने के लिए 14 परियोजना प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचारार्थ लंबित हैं। पर्यावरण और वन मंजूरी हेतु लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

पर्यावरण मंजूरी के परियोजना प्रस्तावों पर समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अनुसार विचार किया जाता है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विचार किए जाने के विभिन्न चरणों के लिए समय-सीमा दी गई है। जहां तक वन मंजूरी के प्रस्तावों का संबंध है, उन पर वर्ष 2014 में यथा संशोधित वन (संरक्षण) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार विचार किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वन मंजूरी के प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ) पर्यावरणीय मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, मंत्रालय ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं: (i) विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं पर विचार करने के लिए, विशेषज्ञ समितियों की नियमित और दीर्घावधिक बैठकें, (ii) लंबित परियोजनाओं की स्थिति की नियमित मॉनीटरिंग, (iii) पर्यावरण मंजूरी/विचारार्थ विषयों संबंधी आवेदनों का ऑन-लाइन प्रस्तुतीकरण, (iv) श्रेणी 'ख' की परियोजनाओं पर विचार करने के लिए 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणों का गठन और (v) श्रेणी 'ख' की परियोजनाओं को ख-1 और ख-2 श्रेणी वर्गीकृत करने हेतु दिशा-निर्देश आदि।

वन मंजूरी प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) वन भूमि में प्रोसेसिंग हेतु वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक सरलीकृत प्रपत्र निर्धारित किया गया है।

(ii) देहरादून, रांची, नागपुर और चेन्नै में चार और नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

(iii) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन मंजूरी के आवेदन प्रस्तुत करने और उनकी स्थिति का पता करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है।

विवरण-I

30 जून, 2014 की स्थिति के अनुसार पर्यावरण मंजूरी देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के विचाराधीन प्रस्तावों की राज्य-वार स्थिति

क्रम सं.	राज्य	पर्यावरण मंजूरी देने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या
1.	अरूणाचल प्रदेश	11
2.	असम	1
3.	मणिपुर	0
4.	मेघालय	0
5.	मिजोरम	0
6.	नागालैंड	0
7.	सिक्किम	1
8.	त्रिपुरा	2
	कुल	15

विवरण-II

30 जून, 2014 की स्थिति के अनुसार वन मंजूरी देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के विचाराधीन प्रस्तावों की राज्य-वार स्थिति

क्रम सं.	राज्य	पर्यावरण मंजूरी देने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	अरूणाचल प्रदेश	11
2.	असम	0
3.	मणिपुर	1
4.	मेघालय	0
5.	मिजोरम	2
6.	नागालैंड	0
7.	सिक्किम	0
8.	त्रिपुरा	0
	कुल	14

निजी क्षेत्र के साथ सहयोग

851. श्री जैदेव गल्ला: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने आधारभूत संरचना निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग के लिए प्रयास किए हैं, जिससे देश में शिक्षा संकेतकों में सुधार में मदद मिलेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) मॉडल स्कूल योजना में उत्कृष्टता के बैंचमार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर प्रति ब्लॉक एक स्कूल की दर से 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना करने का विचार है। योजना-कार्यान्वयन की दो पद्धतियां हैं, अर्थात् (i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों (ई.बी.बी.) में 3500 स्कूलों की स्थापना और (ii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पद्धति के तहत उन ब्लॉकों, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं में शेष 2500 स्कूलों की स्थापना करना। सार्वजनिक-निजी भागीदारी घटक के अंतर्गत मॉडल स्कूलों की स्थापना निजी संस्थाओं द्वारा डिजाइन बनाने, निर्माण, वित्तपोषण करने और परिचालन करने के आधार पर की जानी है। सरकारी सहायता कतिपय निष्पादन पैरामीटरों जिसका उद्देश्य उन्नत शिक्षा संकेतक हैं को पूरा करने के आधार पर दी जाएगी।

[हिन्दी]

पश्चिमी घाट की जैव-विविधता

852. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पश्चिमी घाट क्षेत्र की जैव-विविधता के संरक्षण के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के कौन-से हिस्सों को उक्त योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) उक्त उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी राशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने पश्चिमी घाट के जैवविविधता के संरक्षण हेतु कोई विशिष्ट कार्य योजना तैयार नहीं की है। तथापि, पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील जोनों के सीमांकन के लिए और इन पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील जोनों के प्रबंधन हेतु उपायों के लिए प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यू.जी.ई.ई.पी.) द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों की डॉ. के. कस्तूरीरंजन, तत्कालीन सदस्य (विज्ञान), योजना आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्य दल (एच.एल. डब्ल्यू.जी.) द्वारा जांच की गई थी। मंत्रालय ने टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए एस.ओ.सं. 733 (ई) दिनांक 10 मार्च 2014 द्वारा भारत के राजपत्र में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए प्रारूप अधिसूचना जारी की है। अब तक, मंत्रालय ने पश्चिमी घाटों में छ: पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील जोनों को भी अधिसूचित किया है जिनमें से तीन महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं। ये हैं:

(i) महाबलेश्वर पंचगनी, महाराष्ट्र

(ii) माथेरन, महाराष्ट्र

(iii) दहानु तालुका, महाराष्ट्र

[अनुवाद]

मेट्रो रेल परियोजनाएं

853. **मोहम्मद फैजल:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना सहित देश की विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है; और

(ख) कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना सहित विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं में निजी भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 के अनुसार केन्द्र सरकार विभिन्न पैरामीटरों का मूल्यांकन करने के पश्चात् या तो इक्विटी तथा अनुषंगी ऋण या परियोजना की पूंजी लागत के 20% की सीमा तक विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं को एकबारगी व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वी.जी.एफ.) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तदनुसार, भारत सरकार ने इक्विटी तथा अनुषंगी ऋण के रूप में दिल्ली, बंगलौर, चेन्नै, मुंबई, मुंबई मार्ग-3, जयपुर तथा कोच्चि में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए तथा एकबारगी व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के रूप में मुंबई मेट्रो मार्ग 1 और 2 तथा हैदराबाद में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

(ख) कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना का कार्यान्वयन बिना किसी निजी भागीदारी के भारत सरकार तथा केरल सरकार में 50:50 के संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है। विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं में निजी भागीदारी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) मुंबई मेट्रो मार्ग-1 (बरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर): इस परियोजना के लिए ग्राही मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड (एम.एम.ओ.पी.एल.) है। 11.40 मि.मी. (भूमोपरि) की

कुल लंबाई वाली इस परियोजना की कुल परियोजना लागत 2356.00 करोड़ रु. है। भारत सरकार का वी.जी.एफ. शेयर 471 करोड़ रु. है जो पहले ही जारी किया जा चुका है। परियोजना का प्रचालन दिनांक 08.06.2014 से प्रारंभ हो चुका है।

(ii) मुंबई मेट्रो मार्ग-2 (चारकोप-बांद्रा-मानखुर्द): इस परियोजना के लिए ग्राही मुंबई मेट्रो परिवहन (ट्रांसपोर्ट) प्राइवेट लिमिटेड (एम.एम.टी.पी.एल.) है। 31.871 कि.मी. (भूमोपरि) की कुल लंबाई वाली इस परियोजना की कुल परियोजना लागत 7660.00 करोड़ रु. है। भारत सरकार का वी.जी.एफ. शेयर 1532 करोड़ रु. है। अब तक वी.जी. एफ. का कोई भी शेयर जारी नहीं किया गया है।

(iii) हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना: इस परियोजना के लिए ग्राही एल. एंड टी. एम.आर.एच.एल. है। 72 कि. मी. की कुल लंबाई के साथ इस परियोजना की कुल परियोजना लागत 14.132 करोड़ रु. है। भारत सरकार का वी.जी.एफ. शेयर 1,458 करोड़ रु. है। अब तक वी.जी. एफ. का कोई भी शेयर जारी नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

लघु उद्यमियों के लिए योजनाएं

854. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान राज्य सहित देश के विभिन्न राज्यों में लघु उद्यमियों के लिए उनका अपना व्यापार शुरू करने या उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत, राज्य-वार, योजना-वार कुल कितने उद्यमी को कवर/लाभान्वित करने का लक्ष्य है; और

(घ) लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) के संवर्धन के लिए राजस्थान सहित अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.), क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सी.एल.सी.एस.एस.), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, विपणन विकास सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना आदि शामिल हैं। एम.एस.एम.ई. के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमश: 2,700.00 करोड़ रु., 2,835.00 करोड़ रु. , 2,977.00 करोड़ रु. और 3,327.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(ग) प्रमुख योजनाओं के तहत पिछले दो वर्षों की वास्तविक उपलब्धि निम्नलिखित है :

क्र.सं.	योजना का नाम	2012-13	2013-14
1	2	3	4
1.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)	57078 सहायता प्रदत्त इकाइयां 4,28,246 रोजगार सृजित	50460 सहायता प्रदत्त इकाइयां 3,68,343 रोजगार सृजित
2.	क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी.एल.सी.एस.एस.)	5714 लाभान्वित इकाइयां	6279 लाभान्वित इकाइयां
3.	क्रेडिट गारंटी योजना	2,88,537 अनुमोदित प्रस्ताव	3,48475 अनुमोदित प्रस्ताव

1	2	3	4
4.	कलस्टर विकास प्रोग्राम (सी.डी.पी.)	135 आई.आई.डी. गठित	1061 आई.आई.डी. गठित
5.	विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.)	216 लाभान्वित इकाइयां	131 लाभान्वित इकाइयां
6.	कौशल विकास कार्यक्रम	5,51,309 व्यक्ति प्रशिक्षित	6,07,253 व्यक्ति प्रशिक्षित
7.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	563 लाभान्वित इकाइयां	581 लाभान्वित इकाइयां

(घ) लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य महत्त्वपूर्ण उपाय निम्नोक्त हैं :

(i) मार्च, 2012 में एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने सार्वजनिक खरीद नीति अधिसूचित की है जिसमें केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद का वार्षिक लक्ष्य तय किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है ताकि उनके द्वारा तीन वर्षों की अवधि में की जाने वाली कुल वार्षिक खरीद में से न्यूनतम 20% खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा निर्मित उत्पादों और प्रदान की जाने वाली सेवाओं से करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

(ii) एम.एस.एम.ई. इकाई को उसके उच्चतर श्रेणी में विकसित होने के बाद तीन वर्षों के लिए कर-रहित लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है।

भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला

855. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान के हेरात राज्य में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर एक आतंकवादी हमला किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त हमले में जान और माल की कोई हानि हुई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मामले में अफगानिस्तान के परामर्श से कोई जांच कराई गई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं और आतंकी हमलों के मद्देनजर भारतीय वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) से (ङ) अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भारत के महाकोंसुलावास पर 23 मई, 2014 को आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। नौ घंटों की गोलाबारी के दौरान तीन आतंकवादियों को भारतीय दूतावास के सुरक्षा गार्डों और अफगान सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया गया था।

अफगान सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आक्रमण से संबंधित विस्तृत जांच अभी की जा रही है। उनकी प्रथमदृष्ट्या जांच से यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एल.ई.टी.) द्वारा इस आक्रमण की योजना बनाकर इसे अंजाम दिया गया था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने 25 जून, 2014 को एक वक्तव्य में सार्वजनिक रूप से कहा कि 23 मई, 2014 को हेरात में भारतीय कोंसुलावास पर आक्रमण के लिए एल.ई.टी. जिम्मेवार है।

इस घटना में किसी भारतीय पदाधिकारी की मृत्यु नहीं हुई, न ही कोई भारतीय पदाधिकारी घायल हुआ। इस गोलाबारी के दौरान पांच अफगान सुरक्षा कार्मिक घायल हो गए। इस आक्रमण में कोंसुलावास भवन को भारी क्षति पहुंची।

सरकार अफगानिस्तान में हमारे दूतावास और चार कोंसुलावासों में सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का नियमित रूप से उन्नयन करती रही है। ये उपाय हमेशा अफगान सुरक्षा एजेंसियों से गहन परामर्श करके और उनकी सहायता से किए जाते हैं।

संचार उपग्रह

856. श्री हंसराज गंगाराम अहीर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की ट्रांसपोंडर क्षमता को बढ़ाने के लिए दो संचार उपग्रहों - जीसैट-15 और जीसैट-16 के विकास के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त उपग्रहों को पूर्ण करने और छोड़ने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने जुलाई 17, 2013 को जीसैट-15 को अनुमोदित किया है। यह अपने साथ 24 के.यू.-बैंड ट्रांसपोंडर और एक गगन (जी.पी.एस. समर्थित भू संवर्धित नौवहन) नीतभार ले जाएगा। जीसैट-15 अंतरिक्षयान देश में वर्तमान डी.टी.एच. और वीसैट सेवाओं के संवर्धन एवं सहायता हेतु इन्सैट-3ए और इन्सैट-4बी अंतरिक्षयानों की के.यू.-बैंड क्षमता के लिए प्रतिस्थापन प्रदान करेगा। गगन नीतभार देश में नागर विमानन सेवाओं को लाभ पहुंचाते हुए जीवन की सुरक्षा (एस.ओ.एल.) संबंधी प्रचालनों के लिए कक्षीय अतिरिक्तता की आवश्यकता की पूर्ति करेगा।

जीसैट-16 को सरकार ने जुलाई 17, 2013 को अनुमोदन प्रदान किया है। यह अपने साथ सी-बैंड, के.यू. -बैंड और ऊपरी विस्तृत सी-बैंडों में 48 ट्रांसपोंडरों को ले जाएगा। जीसैट-16 अंतरिक्षयान इन्सैट-3ई अंतरिक्षयान के लिए प्रतिस्थापन प्रदान करेगा और सी-बैंड तथा ऊपरी विस्तृत सी-बैंड क्षमता का भी संवर्धन करेगा। देश में वर्तमान दूरसंचार, दूरदर्शन, वीसैट और अन्य उपग्रह आधारित सेवाओं के संवर्धन तथा सहायता के लिए इस अंतरिक्षयान का उपयोग किया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने जीसैट-15 अंतरिक्षयान परियोजना को साकार करने के लिए प्रमोचन सेवाओं और बीमा सहित रु. 622.50 करोड़ के विदेशी विनिमय के अवयव के साथ रु. 859.50 करोड़ की बजटीय सहायता का अनुमोदन किया है। सरकार ने जीसैट-16 अंतरिक्षयान परियोजना को साकार करने के लिए प्रमोचन सेवाओं और बीमा सहित रु. 628 करोड़ के विदेशी विनिमय के अवयव के साथ रु. 865. 50 करोड़ की बजटीय सहायता को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ङ) जी हां।

(च) जीसैट-15 को 2015 के मध्य में प्रमोचित करने का लक्ष्य है और जीसैट-16 का प्रमोचन 2014-15 के लिए निर्धारित है।

[अनुवाद]

बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय को निःशुल्क शिक्षा

857. श्री जोस के. मणि: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के पास देश में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.)/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले युवाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस उद्‌देश्य के लिए इग्नू द्वारा कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उनका, देश में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.)/अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा समझौता

858. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परमाणु ऊर्जा सृजन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार भारत-अमेरिका परमाणु ऊर्जा समझौता (आई.ए.ए.ई.ए.) के अंतर्गत किए गए वादों को पूरा करने जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के साथ कोई समझौता किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों के संवर्धन पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) वर्तमान में, देश में 20 रिएक्टरों की स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 4780 मेगावाट है। इनमें से, एक रिएक्टर नामतः राजस्थान परमाणु बिजलीघर -1 (100 मेगावाट) को विस्तारित अवधि के लिए बंद किया गया है और 10 रिएक्टर जिनकी क्षमता 4680 मेगावाट है, वाणिज्यिक रूप से प्रचालनरत हैं। इसके अतिरिक्त, कुडनकुलम, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, यूनिट-1 (1000 मेगावाट) को 22 अक्तूबर, 2013 को ग्रिड के साथ जोड़ा गया था, और 07 जून, 2014 को इस यूनिट को 1000 मेगावाट-ई की पूर्ण क्षमता पर प्रचालित करने के लिए, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ए.ई.आर.बी.) द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार उसकी विद्युत क्षमता में चरणवार वृद्धि की गई। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना यूनिट-2 और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी.एफ.बी.आर.) निर्माण और कमीशनिंग के प्रगत चरण में हैं।

चार रिएक्टर [काकरापार, गुजरात स्थित काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना-3 तथा 4 (2×700 मेगावाट); रावतभाटा, राजस्थान स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-7 तथा 8 (2×700 मेगावाट); और कलपाक्कम, तमिलनाडु स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी.एफ.बी.आर.) (500 मेगावाट)] निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के संबंध में भारत और अमरीकी सरकार के बीच 10 अक्तूबर, 2008 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार में, अमरीका के साथ असैन्य नाभिकीय सहकार को शामिल किया गया है। इस करार के अंतर्गत, अमरीकी तकनीकी सहकार के आधार पर नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का निर्माण मीठी विरदी, गुजरात और कोव्वाडा, आंध्र प्रदेश में किया जाना प्रस्तावित है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) ने छाया मीठी विरदी में स्थापित किए जाने वाले रिएक्टर के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी विवरण का आदान-प्रदान करने के लिए मैसर्स वैस्टिंगहाउस इलैक्ट्रिक कंपनी (डब्ल्यू.ई.सी.) के साथ एक प्रारंभिक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अमरीकी कंपनियों के बीच परियोजनाओं के विभिन्न कानूनी और तकनीकी वाणिज्यिक पहलुओं के संबंध में बातचीत जारी है।

(ग) भारत ने, असैन्य नाभिकीय सुविधाओं में सुरक्षोपायों को लागू करने के लिए सरकार और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के बीच किए गए करार के संबंध में 'अतिरिक्त नयाचार' का अनुसमर्थन करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच 15 मई, 2009 को 'अतिरिक्त नयाचार' पर हस्ताक्षर किए गए थे। अनुसमर्थन संबंधी प्रक्रिया के अनुसार, भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेज शीघ्र ही प्रस्तुत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत के लिए विशेष रूप से किया गया सुरक्षोपायों संबंधी करार, जिस पर 02 फरवरी, 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे, पहले से लागू है।

(घ) जी, हां।

(ङ) निर्माणाधीन रिएक्टरों के अतिरिक्त, कुल 17400 मेगावाट क्षमता वाले 19 नए नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों, का कार्य XIIवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए जाने की योजना है। इनमें स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर आधारित 700 मेगावाट क्षमता वाले आठ दाबित भारी पानी रिएक्टर (पी.एच.डब्ल्यू. आर्ज); 500 मेगावाट क्षमता वाले दो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफ.बी.आर.) और 300 मेगावाट क्षमता वाला एक प्रगत भारी पानी रिएक्टर (ए.एच.डब्ल्यू.आर.); और विदेशी तकनीकी सहकार के साथ स्थापित किए जाने वाले 1000 मेगावाट अथवा उससे अधिक क्षमता वाले आठ साधारण जल रिएक्टर (एल.डब्ल्यू.आर.) शामिल हैं। इन रिएक्टरों को XIIIवीं योजना/XIVवीं पंचवर्षीय योजना में क्रमिक रूप से पूरा किए जाने की आशा है। भविष्य में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों तथा इसके साथ-साथ विदेशी तकनीकी सहकार पर आधारित और अधिक रिएक्टरों को स्थापित किए जाने की भी योजना है।

[अनुवाद]

विद्यार्थियों को टैबलेट पर्सनल कम्प्यूटर

859. श्री एंटो एन्टोनी: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सहित राज्य सरकारों से उनके राज्यों में अनुदानित क्षेत्र में सभी विद्यार्थियों को टैबलेट पर्सनल कम्प्यूटर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, यह सूचित किया जाता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (एन.एम.ई.आई.सी.टी.) के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान को एक लो कॉस्ट एक्सेस डिवाइस (एल.सी.ए.डी.) के विकास वाली परियोजना निम्नलिखित डिलिवरेबल्स के साथ संस्वीकृत की गई थी:

(i) एक लाख लो कॉस्ट एक्सेस डिवाइस की अधिप्राप्ति और वितरण

(ii) लो कॉस्ट एक्सेस डिवाइस के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन

(iii) लो कॉस्ट एक्सेस डिवाइस का परीक्षण

तत्पश्चात्, इस परियोजना को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई को अंतरित कर दिया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई ने क्षेत्रीय परीक्षण और शिक्षक सशक्तिकरण के प्रयोजनार्थ 1,00,000 आकाश टेबलेट्स की अधिप्राप्ति की थी।

केबल टी.वी. का डिजिटलीकरण

860. श्री डी.के. सुरेश: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केबल टी.वी. के डिजिटलीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केबल टी.वी. के डिजिटलीकरण को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) डिजिटलीकरण का चरण-I और चरण-II नियत कार्यक्रमानुसार पूरा किया जा चुका है। चरण-I में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता मेट्रो नगरों का डिजिटलीकरण किया गया जबकि चेन्नै का डिजिटलीकरण कई कानूनी और प्रशासनिक कारणों से पूरा नहीं किया गया। चरण-II में 38 नगरों को शामिल किया गया है।

(ख) सरकार की 11.11.2011 की अधिसूचना के अनुसार तीसरे चरण का डिजिटलीकरण 30.09.2014 तक पूरा किया जाना है और अंतिम चौथा चरण 31 दिसंबर, 2014 तक पूरा किया जाना है।

(ग) चरण-III और चरण-IV के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन के तौर-तरीके को अंतिम रूप दिए जाने हेतु एक कृत्यक-बल गठित किया गया है। तीसरे और चौथे चरण में डिजिटलीकरण को पूरा करने के लिए लगभग 11 करोड़ सेट टॉप बॉक्सों की जरूरत है। डिजिटलीकरण के शेष चरणों हेतु मांग को पूरा करने के लिए सेट टॉप बॉक्सों (एस.टी.बी.) का स्वदेशीय विनिर्माण करने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मंत्रालय ने भारतीय सेट टॉप बॉक्सों के विनिर्माण से जुड़ी कठिनाइयों के मसले को अन्य मंत्रालयों के साथ उठाया है। दूरसंचार विभाग ने आदेश जारी करके इस बात की पुष्टि की है कि सेट टॉप बॉक्स दूरसंचार नेटवर्क का हिस्सा है।

[हिन्दी]

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा जासूसी कार्यक्रम

861. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संयुक्त राज्य जासूसी नेटवर्क कार्यक्रम प्रिज्म (पी.आर.आई.एस.एम.) के अंतर्गत आने वाले देशों में से एक था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह मामला संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के समक्ष द्विपक्षीय/अन्य मंचों पर उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) देश की संप्रभुता और सत्यनिष्ठा के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) और (ख) सरकार को अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा दूसरे देशों के इंटरनेट तथा टेलीफोन के डाटा प्राप्त करने के लिए की गई व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से संबंधित मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है। ये मीडिया रिपोर्टें अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य कर रही एक निजी कंपनी बूज एल्लान हेमिल्टन के एक कॉन्ट्रेक्टर श्री एडवर्ड स्नोडेन द्वारा लीक की गई सूचना पर आधारित थीं। श्री स्नोडेन ने एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कार्यक्रम प्रिज्म, जो इमेल, चैट, व्वायस एवं वीडियो कॉल्स, क्लाउड डाटा, सामाजिक मीडिया कार्यकलाप आदि तक पहुंच सहित इंटरनेट ट्रैफिक पर जासूसी करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है, के संबंध में गोपनीय (क्लासिफायड) सूचना मीडिया को लीक की। विदेश मंत्रालय के पास यह बताने के लिए कोई सूचना नहीं है कि क्या ऐसे अतिक्रमण निश्चित रूप से हुए हैं या नहीं और यदि हुए भी हैं तो कितने नागरिकों को इस प्रकार शिकार बनाया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने कहा है कि यदि ऐसा कोई भी अतिक्रमण वास्तव में प्राधिकृत किया गया है और ऐसा अतिक्रमण हुआ है तो यह अत्यंत आपत्तिजनक है। इस संबंध में अमरीकी सरकार के वरिष्ठ आधिकारिक स्तरों पर स्पष्ट रूप से चिन्ताएं व्यक्त की गई हैं। ऐसा करने में, भारत ने अमरीकी प्राधिकारियों से प्रेस रिपोर्टों में निहित सूचना पर एक स्पष्टीकरण की मांग की है।

(ङ) सरकार देश की संप्रभुता एवं समग्रता के साथ-साथ अपने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। सरकार इस मुद्दे पर अपनी चिन्ताओं को अमरीकी वार्ताकारों के साथ सीधे-सीधे तथा स्पष्ट रूप से उठाना जारी रखेगी।

[अनुवाद]

संकट-प्रबंधन उपाय

862. श्री आर. ध्रुवनारायणः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.) में संकट-प्रबंधन उपायों को कार्यान्वित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संकट-प्रबंधन उपायों को कार्यान्वित नहीं कर रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्वयं एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 द्वारा स्थापित और इसके तहत बनाए गए अपने अधिनियम और संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अभिशासित है। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि इसने "आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ" की स्थापना की है, जो विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति का निपटान करने के लिए अधिदेशित है।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

(पी.एम.ई.जी.पी.)

863. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी राशि खर्च की गई और चालू वित्तीय वर्ष के लिए क्या भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या निधियों के व्यपगत होने के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो केरल सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या वित्तीय संस्थान योजना के अंतर्गत ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए प्रबल आग्रह कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): (क) सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके देश में रोजगार सृजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के साथ बैंकों के माध्यम से 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नामक एक ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम को कार्यान्वित करती आ रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूपसे विकलांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी, सीमावर्ती क्षेत्रों आदि से संबंधित लाभार्थियों जैसी विशिष्ट श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इसकी शुरुआत से 2013-14 तक अनुमानित 24.02 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर कुल 2.73 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 5223.90 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी की सहायता दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई राज्यवार मार्जिन मनी सब्सिडी संलग्न विवरण-I में दर्शायी गई है। चालू वर्ष के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित राज्यवार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दर्शाये गए हैं।

(ग) और (घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग को मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि निर्मुक्त की जाती है जिसे राज्य स्तर पर कार्यनिष्पादन और पहले निर्मुक्त की गई धनराशि के उपयोग के आधार पर राज्य स्तर पर बैंकों को हस्तांतरित किया जाता

है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को एक बार निर्मुक्त की गई धनराशि वित्त वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है जो संभाव्य उद्यमियों से मांग पर आधारित होती है और बैंकों द्वारा स्वीकृति/संवितरण परियोजनाओं के मूल्यांकन और आर्थिक रूप से व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। स्कीम के कार्यान्वयन और वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्य की उपलब्धि की सतत समीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है अनुवर्ती, कार्रवाई की जाती है।

(ङ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 लाख रुपये ऋण संपार्श्विक मुक्त है। इस स्कीम के अन्तर्गत ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर जोर देने के बारे में वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-I

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग की गई राज्यवार मार्जिन मनी सब्सिडी

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15/
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	2983.42	3413.99	3221.92	0.00
2.	हिमाचल प्रदेश	1152.51	1350.84	1613.86	0.00
3.	पंजाब	1756.94	1417.92	2472.08	215.56
4.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	39.98	68.63	59.11	12.42
5.	उत्तराखण्ड	1059.62	2043.16	2099.99	44.95
6.	हरियाणा	1353.79	1511.38	2074.98	0.00
7.	दिल्ली	189.69	133.52	164.75	0.00
8.	राजस्थान	3518.29	6223.97	4056.87	0.00
9.	उत्तर प्रदेश	18599.43	12968.42	15117.55	308.61
10.	बिहार	9873.73	7669.08	7725.19	0.00
11.	सिक्किम	113.87	88.49	108.09	0.00
12.	अरुणाचल प्रदेश	431.63	296.50	889.42	0.00
13.	नागालैंड	1155.94	1101.32	1125.76	0.00
14.	मणिपुर	869.51	1098.49	1591.34	0.00

1	2	3	4	5	6
15.	मिजोरम	723.57	545.82	886.40	0.00
16.	त्रिपुरा	2539.45	2441.35	2227.40	0.00
17.	मेघालय	1228.13	869.07	571.46	0.00
18.	असम	5544.99	5801.15	7397.40	0.00
19.	पश्चिम बंगाल	5581.67	7382.49	5596.67	0.00
20.	झारखण्ड	3486.33	3423.46	4533.09	0.00
21.	ओडिशा	4194.51	7518.67	4231.41	0.00
22.	छत्तीसगढ़	3306.12	3714.39	1891.21	0.00
23.	मध्य प्रदेश	5419.41	9097.43	7981.76	217.15
24.	गुजरात*	6147.35	3304.67	4401.80	240.54
25.	महाराष्ट्र**	4548.95	6794.14	4737.63	0.00
26.	आंध्र प्रदेश	5497.37	5655.41	4640.54	0.00
27.	कर्नाटक	3872.13	3580.73	7837.31	0.00
28.	गोवा	296.12	83.87	69.64	0.00
29.	लक्षद्वीप	10.52	0.00	0.00	0.00
30.	केरल	2928.85	3343.35	2756.94	0.00
31.	तमिलनाडु	7164.15	4916.28	5287.64	52.06
32.	पुदुचेरी	79.22	83.79	43.17	0.00
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	116.47	124.62	172.59	0.00
	कुल	105783.66	108066.40	107554.97	1091.29

@ 24.07.2014 तक

* दमन और दीव सहित।

** दादरा और नगर हवेली सहित।

विवरण-II

वर्ष 2014-15 के लिए पी.एम.ई.जी.पी. के अन्तर्गत के.वी.आई.सी. द्वारा निर्धारित राज्यवार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रु. में)	सृजित किए जाने वाले रोजगार
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	2818	3368.84	22544
2.	हिमाचल प्रदेश	1619	1991.88	12952
3.	पंजाब	2526	2993.38	20208
4.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	262	405.40	2096
5.	उत्तराखण्ड	1801	2246.04	14408
6.	हरियाणा	2630	3101.28	21040
7.	दिल्ली	1038	1161.61	8304
8.	राजस्थान	5079	6662.38	40632
9.	उत्तर प्रदेश	12378	17073.57	99024
10.	बिहार	7648	11073.19	61184
11.	सिक्किम	526	638.59	4208
12.	अरुणाचल प्रदेश	1773	1926.51	14184
13.	नागालैंड	1514	1882.67	12112
14.	मणिपुर	1350	1750.20	10800
15.	मिजोरम	1017	1210.87	8136
16.	त्रिपुरा	923	1387.58	7384
17.	मेघालय	1133	1518.37	9064
18.	असम	5101	7238.82	40808
19.	पश्चिम बंगाल	4032	6017.77	32256
20.	झारखण्ड	4245	5887.94	33960

1	2	3	4	5
21.	ओडिशा	5253	7258.63	42024
22.	छत्तीसगढ़	3238	4520.12	25904
23.	मध्य प्रदेश	7736	10170.42	61888
24.	गुजरात*	4044	5150.22	32352
25.	महाराष्ट्र**	5920	7985.19	47360
26.	आंध्र प्रदेश	4296	6072.64	34368
27.	कर्नाटक	4215	5295.41	33720
28.	गोवा	429	633.60	3432
29.	लक्षद्वीप	620	1082.32	4960
30.	केरल	2093	2710.19	16744
31.	तमिलनाडु	4597	5839.78	36776
32.	पुदुचेरी	701	968.50	5608
33.	अंडमान और निकोबार	552	776.13	4416
	कुल	103107	138000.00	824856

* दमन और दीव सहित।

** दादरा और नगर हवेली सहित।

[हिन्दी]

पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र

864. श्री पी.पी. चौधरी: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के इर्द-गिर्द स्थित क्षेत्र सरकार द्वारा पर्यावरण-संवेदी क्षेत्रों के रूप में घोषित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त क्षेत्र के अंतर्गत इन अभयारण्यों और उद्यानों के आस-पास के क्षेत्र कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने के संबंध में राजस्थान सहित राज्य-सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यह अधिसूचना कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आठ राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास पारि-संवेदनशील जोनों की घोषणा करने हेतु अंतिम अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। ऐसी अधिसूचनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। अब तक राजस्थान राज्य से 27 प्रस्तावों सहित विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारि-संवेदनशील जोनों की घोषणा करने हेतु 416 प्रस्तावों की प्राप्ति हुई है। प्राप्त प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारि-संवेदनशील जोनों की घोषणा करना दीर्घावधिक प्रक्रिया है। इसमें राज्यों का परामर्श और इस उद्देश्य हेतु 60 दिन देते हुए प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के पश्चात् जनता से टिप्पणियां मांगना भी शामिल हैं। राजपत्र अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 513 (ई) दिनांक 28 जून, 2012 के अनुसार, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् उन प्रस्तावों हेतु जिनके लिए जनता से टिप्पणियां प्राप्त की गई हैं, पारि-संवेदनशील जोनों हेतु अंतिम अधिसूचनाओं को 545 दिनों की अवधि के अंदर जारी किया जाएगा। अंतिम अधिसूचना को जारी करने हेतु इस प्रकार की कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

विवरण-I

सुनिश्चित पारि-संवेदनशील जोन के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	प्रस्ताव	स्थिति	क्षेत्र
1.	सुल्तानपुर पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, हरियाणा	27.01.2010 को जारी की गयी अंतिम अधिसूचना	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 5 किमी तक क्षेत्र
2.	गिरनार पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, गुजरात	31.05.2012 को जारी की गयी अंतिम अधिसूचना	93.1758 वर्ग किमी
3.	नारायण सरोवर पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, गुजरात	31.05.2012 को जारी की गयी अंतिम अधिसूचना	225.88 वर्ग किमी
4.	पुरना पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, गुजरात	31.05.2012 को जारी की गयी अंतिम अधिसूचना	250.3649 वर्ग किमी
5.	वंसदा पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, गुजरात	31.05.2012 को जारी की गयी अंतिम अधिसूचना	76.5947 वर्ग किमी
6.	दल्मा पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, झारखंड	29.03.2012 को जारी की गयी अंतिम अधिसूचना	193.5077 वर्ग किमी
7.	बांदीपुर पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, कर्नाटक	04.10.2012 को जारी की गयी अंतिम अधिसूचना	479.18 वर्ग किमी
8.	मरीन राष्ट्रीय उद्यान और मरीन अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र, गुजरात	22.08.2013 को जारी की गयी अंतिम अधिसूचना	326.26 वर्ग किमी

विवरण-II

राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के आस-पास पारि-संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्राप्त प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	27
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
3.	अरूणाचल प्रदेश	12
4.	असम	20
5.	बिहार	13
6.	छत्तीसगढ़	14
7.	चंडीगढ़	2
8.	दादरा और नगर हवेली	1
9.	दमन और दीव	1
10.	दिल्ली	1
11.	गोवा	1
12.	गुजरात	12
13.	हरियाणा	10
14.	हिमाचल प्रदेश	31
15.	जम्मू और कश्मीर	16
16.	झारखंड	12
17.	कर्नाटक	18
18.	केरल	22
19.	लक्षद्वीप	1
20.	मध्य प्रदेश	35
21.	महाराष्ट्र	30
22.	मणिपुर	6
23.	मेघालय	3
24.	मिजोरम	2
25.	नागालैंड	1
26.	ओडिशा	13
27.	पंजाब	13
28.	पुदुचेरी	1
29.	राजस्थान	27
30.	सिक्किम	8
31.	तमिलनाडु	29
32.	त्रिपुरा	4
33.	उत्तर प्रदेश	9
34.	उत्तराखंड	शून्य
35.	पश्चिम बंगाल	15
	योग	416

[अनुवाद]

कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा

865. श्री पी.के. बिजू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान केरल सहित देश में जिन कॉलेजों ने स्वायत्त दर्जे के लिए आवेदन किया है, उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्त दर्जा प्रदान किए गए कॉलेजों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या केरल में कुछ कॉलेज स्वायत्त दर्जे का विरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी.सी.) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13, 2013-14 और वर्तमान वर्ष (2014-15) के दौरान (केरल सहित) देश में स्वायत्त दर्जे के लिए क्रमशः 55, 34, 111 और 7 कॉलेजों की कुल संख्या ने आवेदन किया है। उन कॉलेजों का जिन्होंने स्वायत्त दर्जे के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवेदन दिया था, का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13, 2013-14 और वर्तमान वर्ष (2014-15) के दौरान (केरल सहित) देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्रमशः कुल 42, 21, 32 और 32 कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है। उन कॉलेजों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है, का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय कॉलेज, तिरूवनंतपुरम और महाराजा कालेज एर्नाकुलम से स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के विरुद्ध विरोध की रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं। यह भी सूचित किया गया है कि- स्वायत्तता प्रदान करने से कॉलेज सोसायटी से अलग-थलग होगा। मेरिट को खतरे में डालेगी, और सामाजिक न्याय परिसरों में वातावरण को दूषित करेगी, स्वयं वित्त पोषित पाठ्यक्रमों इत्यादि को वैधता देगी, के आधारों पर स्वायत्तता प्रदान करने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। तथापि, केरल सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लिखा है कि वह स्वायत्त कालेज योजना का समर्थन करती है और इसको जारी रखने का अनुरोध किया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	2011-2012	2012-2013	2013-2014	चालू वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9	8	41	1
2.	असम	1	-	-	-
3.	बिहार	2	-	-	-
4.	छत्तीसगढ़	1	-	-	-
5.	गोवा	-	-	1	-
6.	गुजरात	-	-	8	-
7.	हरियाणा	2	1	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	1	-	-	-
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	2	-

1	2	3	4	5	6
10.	झारखंड	1	–	–	–
11.	कर्नाटक	2	–	25	–
12.	केरल	9	1	17	–
13.	मध्य प्रदेश	3	3	–	–
14.	महाराष्ट्र	2	3	1	1
15.	मणिपुर	1	–	–	–
16.	नागालैंड	–	–	1	–
17.	ओडिशा	1	1	–	–
18.	पुदुचेरी	–	–	–	–
19.	पंजाब	6	1	1	1
20.	राजस्थान	1	–	1	–
21.	तमिलनाडु	7	6	11	3
22.	उत्तर प्रदेश	–	1	2	1
23.	उत्तराखंड	4	3	–	–
24.	पश्चिम बंगाल	2	6	–	–
	कुल	55	34	111	7

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान यू.जी.सी. द्वारा विभिन्न कालेजों को प्रदान की गई स्वायत्तता

क्र.सं.	राज्य का नाम	2011-2012	2012-2013	2013-2014	चालू वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12	3	13	15
2.	असम	–	–	1	–
3.	गोवा	–	–	–	1
4.	गुजरात	–	1	1	1

1	2	3	4	5	6
5.	हरियाणा	–	–	1	–
6.	जम्मू और कश्मीर	–	–	1	–
7.	झारखंड	1	–	–	–
8.	कर्नाटक	–	2	–	–
9.	केरल	–	–	–	7
10.	मध्य प्रदेश	1	–	2	–
11.	महाराष्ट्र	4	2	2	1
12.	मणिपुर	–	–	1	–
13.	नागालैंड	–	–	1	1
14.	ओडिशा	2	–	1	1
15.	पुदुचेरी	–	–	1	1
16.	पंजाब	–	2	2	2
17.	राजस्थान	3	–	–	–
18.	तमिलनाडु	11	8	3	1
19.	उत्तर प्रदेश	4	1	1	–
20.	उत्तराखंड	2	1	–	–
21.	पश्चिम बंगाल	2	1	1	1
	कुल	42	21	32	32

कार्य-निष्पादन अनुदान

866. **श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत आवश्यक सभी नौ शर्तें गुजरात राज्य सरकार द्वारा पूरी की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात को कार्य-निष्पादन अनुदान जारी किया है/जारी किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) 2011-12 से प्रारंभ निष्पादन अनुदान चार वर्ष के लिए उन राज्यों के लिए उपलब्ध है, जो 13वें वित्त आयोग (एफ.-सी. XIII) द्वारा निर्धारित कुछ निश्चित निष्पादन आधारित शर्तों को पूरा करते हैं। तथापि, यदि कोई राज्य, किसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो वे निष्पादन अनुदान के पात्र नहीं रहते हैं। इस प्रकार किसी वर्ष विशेष में जब्त किए गए निष्पादन अनुदानों को पुनः वितरित कर दिया जाता है। इस प्रकार जब्त की गई कुल राशि के 50 प्रतिशत को सभी राज्यों (निष्पादन प्रवृत्त और गैर-निष्पादन प्रवृत्त दोनों ही) में एफ.-सी.-XIII रिपोर्ट में दर्शाए गए अंशों (शेयर) के अनुसार वितरित कर दिया जाता है। कुल जब्त किए निष्पादन अनुदान के शेष 50 प्रतिशत को केवल उन राज्यों में वितरित किया जाता है जो एफ.-सी. XIII रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी पात्रता के अनुपात में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हैं। गुजरात 2011-12 से 2013-14 के लिए निष्पादन अनुदान का पात्र नहीं था, क्योंकि इसने स्वतंत्र स्थानीय निकाय लोकपाल प्रक्रिया को सुचारू रखने के संबंध में 13वें वित्त आयोग (एफ.-सी. XIII) द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया था। तदनुसार, वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक, विशेष क्षेत्रों सहित पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) और वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक के शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के अपात्र राज्यों के निष्पादन अनुदान, के जब्त किए गए शेष अंश को, एफ.-सी.-XIII द्वारा निर्धारित अनुपातों में निष्पादन प्रवृत्त एवं गैर-निष्पादित प्रवृत्त राज्यों में वितरित कर दिया गया है। गुजरात राज्य को उपर्युक्त अवधि हेतु, पंचायती राज्य संस्थान (पी.आर.आई.) के लिए 57.43 करोड़ रु. विशेष क्षेत्रों के लिए 6.63 करोड़ रुपए और स्थानीय शहरी निकाय (यू.एल.बी.) के लिए 26.93 करोड़ रुपए का जब्त अनुदान जारी किया गया है।

'प्रदूषण स्तर'

867. श्री बी. श्रीरामुलुः क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रदूषण का स्तर चरमोत्कर्ष पर है;

(ख) यदि हां, तो शहर एवं राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन करवाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) देश में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (घ) देश में सल्फर डाईआक्साइड (एस.ओ.$_2$), नाईट्रोजन डाईऑक्साईड (एन.ओ.$_2$) और पी.एम.$_{10}$ (10 माईक्रॉन के बराबर अथवा कम आकार वाले पर्टिक्यूलेट मैटर) के विषय में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस.पी.सी.बी.)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (सी.पी.सी.) के सहयोग से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा राष्ट्रीय वायु मॉनीटरिंग कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अंतर्गत 27 राज्यों और 5 संघ शासित क्षेत्रों में 240 नगरों, शहरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में 573 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की नियमित मॉनीटरिंग की जाती है। इसके मद्देनजर, कोई अध्ययन अपेक्षित नहीं है।

सी.पी.सी.बी. द्वारा एन.ए.एम.पी. को समन्वित किया जाता है और एकत्र किए गए डाटा को वार्षिक आधार पर समेकित संकलित, संसाधित और प्रकाशित किया जाता है। डाटा के विश्लेषण के आधार पर, 95 नगरों और शहरों को नॉन, अटैनमेंट नगरों के रूप में अभिज्ञात किया गया है जहां एक अथवा एक से अधिक प्रदूषक का परिवेशी स्तर लगातार तीन वर्षों से अर्थात् 2008, 2009, 2010 हेतु मानकों से अधिक है जो संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सरकार ने देश में प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऑटो ईंधन नीति के अनुसार स्वच्छतर ईंधनों की आपूर्ति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु गैसीय ईंधन का उपयोग, सख्त स्रोत विशिष्ट उत्सर्जन मानक$_2$ स्रोत विशिष्ट उत्सर्जन मानकों का कड़ाई से अनुपालन, ताप विद्युत संयंत्रों में बेनिफिसिएटेड कोयला का उपयोग, जेनसेटों हेतु संशोधित मानकों का क्रियान्वयन 16 नगरों में नगर विशिष्ट कार्य योजना का क्रियान्वयन इत्यादि शामिल है।

विवरण

भारत में परिवेशी वायु गुणवत्ता के संबंध में नॉन-अटैन्मेंट नगर (2008-2010)

क्रम. सं.	राज्य संघ राज्यक्षेत्र	नगर प्रदेश	नगर	प्रदूषण के प्रमुख स्रोत	चिंताजनक प्रदूषक
1	2	3	4	5	6
		1	हैदराबाद	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		2	कुरनूल	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
		3	पल्लेचूरू	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
1	आंध्र प्रदेश	4	रामागुडम	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		5	विजयवाड़ा	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		6	विशाखापत्तनम	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		7	गोलाघाट	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
2	असम	8	गुवाहाटी	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		9	तेजपुर	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
3	बिहार	10	पटना	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
4	चंडीगढ़	11	चंडीगढ़	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		12	भिलाई	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
5	छत्तीसगढ़	13	कोरबा	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
		14	रायपुर	उद्योग, वाहन	एन.ओ.$_2$, पी.एम.$_{10}$
6	दिल्ली	15	दिल्ली	प्राकृतिक धूलकण वाहन, उद्योग	एन.ओ.$_2$, पी.एम.$_{10}$
		16	अहमदाबाद	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		17	अंकलेश्वर	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
		18	जामनगर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
7	गुजरात	19	राजकोट	वाहन, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
		20	सूरत	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		21	वड़ोधरा	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$

1	2	3	4	5	6
		22	वापी	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		23	फरीदाबाद	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
8	हरियाणा	24	हिसार	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		25	यमुनानगर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		26	बादद्दी	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
9	हिमाचल प्रदेश	27	दामतल	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
		28	परवानो	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
		29	पोन्टा साहिब	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
10	जम्मू और कश्मीर	30	जम्मू	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
		31	धनबाद	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		32	जमशेदपुर	वाहन, उद्योग	एन.ओ.$_{2}$, पी.एम.$_{10}$
11	झारखंड	33	झरिया	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
		34	रांची	वाहन, उद्योग,	पी.एम.$_{10}$
		35	सिंदरी	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
12	कर्नाटक	36	बंगलौर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		37	गुलबुर्ग	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
		38	हुबली-धरवाड	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
		39	भोपाल	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		40	देवास	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		41	ग्वालियर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		42	इंदौर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
13	मध्य प्रदेश	43	जबलपुर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		44	नगदा	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
		45	सागर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$

1	2	3	4	5	6
		46	सतना	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
		47	उज्जैन	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		48	अमरावती	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		49	औरंगाबाद	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		50	चंदरपुर	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
14	महाराष्ट्र	51	कोल्हापुर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		52	पुणे	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		53	मुंबई	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		54	नागपुर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		55	नासिक	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		56	नवी मुंबई	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		57	सोलापुर	वाहन, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
15	मेघालय	58	शिलांग	वाहन	पी.एम.$_{10}$
16	नागालैंड	59	दिमापुर	वाहन	पी.एम.$_{10}$
		60	अंगुल	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
		61	भुवनेश्वर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
17	ओडिशा	62	कटक	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		63	राउर केला	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
		64	तालचर	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
		65	गोविंदगढ़	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
		66	जालंधर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
18	पंजाब	67	खन्ना	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		68	लुधियाना	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
		69	नया नांगला	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		70	अलवर	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$

1	2	3	4	5	6
		71	जयपुर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
19	राजस्थान	72	जोधपुर	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
		73	कोटा	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
		74	उदयपुर	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
		75	कोयम्बतूर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
20	तमिलनाडु	76	सलेम	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		77	तूतीकोरिन	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		78	आगरा	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
21	उत्तर प्रदेश	79	इलाहाबाद	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		80	अनपारा	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
		81	फिरोजाबाद	उद्योग, वाहन	NO_2, PM_{10}
		82	गाजियाबाद	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		83	झांसी	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		84	कानपुर	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		85	खुर्जा	उद्योग, वाहन	पी.एम.$_{10}$
		86	लखनऊ	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
		87	मेरठ	वाहन, उद्योग	एन.ओ.$_2$,पी.एम.$_{10}$
		88	नोएडा	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	पी.एम.$_{10}$
		89	वाराणसी	वाहन, उद्योग	पी.एम.$_{10}$
22	उत्तराखंड	90	देहरादून	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	एन.ओ.$_2$,पी.एम.$_{10}$
		91	आसनसोल	वाहन, उद्योग	एन.ओ.$_2$,पी.एम.$_{10}$
		92	हल्दिया	उद्योग, वाहन	एन.ओ.$_2$
23	पश्चिम बंगाल	93	दुर्गापुर	उद्योग, वाहन	एन.ओ.$_2$,पी.एम.$_{10}$
		94	हावड़ा	वाहन, उद्योग	एन.ओ.$_2$,पी.एम.$_{10}$
		95	कोलकाता	वाहन, उद्योग, प्राकृतिक धूलकण	एन.ओ.$_2$,पी.एम.$_{10}$
	23 राज्य			**95 नगर (नॉन-अटैन्मेंट नगर)**	

विद्यालयों में जंक फूड पर प्रतिबंध

868. श्री राजीव सातवः
श्री धनंजय महाडीकः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में विद्यालयों की कैन्टीनों में अस्वास्थ्यकर या जंक फूड पर पाबंदी लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पहल के पीछे क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या सरकार ने विद्यालयों की कैंटीन में विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्ता का और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने हेतु कोई व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने विद्यालयों में बच्चों को गुणकारी भोजन प्रदान करने के लिए अन्य मंत्रालयों से इस मामले पर विचार किया है/किए जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि स्कूल की कैंटीनें स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स उपलब्ध कराएं और जंक फूड, कार्बोनेटेड और एअरेडिट ड्रिंक्स के स्थान पर स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स, ज्यूस और डेयरी उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएं। इसके अलावा, 'स्कूल शिक्षा' समवर्ती सूची का विषय होने के नाते संबद्ध राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह स्कूल-कैंटीनों में छात्रों को अच्छी गुणवत्ता और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाएं। स्कूलों में गुणवत्तायुक्त और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के दिशानिर्देश तैयार करने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.आई.) की केन्द्रीय सलाहकार समिति (सी.ए.सी.) की सहायता हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.09.2013 को एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। विशेषज्ञ समूह ने स्कूलों और उनके 50 मीटर के दायरे में एच.एफ.एस.एस. (अधिक वसा, लवण और शर्करायुक्त) आम खाद्य पदार्थों की उपलब्धता प्रतिबंधित/सीमित करने की सिफारिश की है।

शारीरिक दंड

869. श्री बैजयंत जे. पांडाः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी/सरकारी विद्यालयों में धड़ल्ले से शारीरिक दंड दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सरकार के संज्ञान में आया है कि ऐसे दंडों के लिए लिंग आधारित विभाजन है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या इस संबंध में विद्यालयों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) चूंकि, अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं इसलिए इस मंत्रालय में केंद्रीय स्तर पर शारीरिक दंड के ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते। फिर भी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) जिससे लगभग 15,000 स्कूल संबद्ध हैं, ने बताया है कि सी.बी.एस.ई. से संबद्ध स्कूलों में छात्रों को दंड देने की कुछ छुटपुट शिकायतें आई हैं। वर्ष 2014 के दौरान सी.बी.एस.ई. को शारीरिक दंड दिए जाने के संबंध में केवल दो शिकायतें मिली हैं।

(ग) सी.बी.एस.ई. से संबद्ध स्कूलों में लिंग आधारित ऐसा कोई भेदभाव नहीं देखा गया है।

(घ) और (ङ) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.), 2009 की धारा 17(1) के तहत शारीरिक दंड प्रतिबंधित है। अधिनियम की धारा 17(2) में व्यवस्था है कि उप-धारा (1) के उपबंधों का

उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उन पर लागू सेवा-नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सी.बी.एस.ई. ने स्पष्ट दिशा-निर्देश देते हुए प्रत्येक स्कूल में भयमुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता के संबंध में समय-समय पर अपने संबद्ध स्कूलों को परिपत्र भी जारी करती है।

शिक्षण संस्थानों का प्रत्यायन

870. **श्रीमती सुप्रिया सुले:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकार द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का प्रत्यायन अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कॉलेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू किए गए कुछ पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए एक प्रत्यायन प्रणाली शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के स्तर की जांच तथा इसे बनाए रखने के लिए अपनाई गई रूप-रेखा का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थान का अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन) विनियम, 2012 जो दिनांक 19 जनवरी, 2013 को अधिसूचित किया गया था, के अनुसार ऐसी एजेंसी या आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों या कार्यविधि के अनुसार, जैसा भी मामला हो दो या छह वर्ष के बैच पास करने के बाद, जो भी पहले हो, प्रत्येक उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, इन विनियमों के अनुसार ऐसे प्रत्येक उच्चतर शैक्षिक संस्थान जिसने अपनी स्थापना के छह वर्ष पूरे कर लिए हों या उसके दो बैच पास हो चुके हों, जो भी पहले हो, उसे इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह महीने के अंदर प्रत्यायन के लिए प्रत्यायन एजेंसी को आवेदन करना होगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 29 जनवरी, 2014 को ऐसे ही विनियमों को अधिसूचित किया था।

विनियमों के अनुसार, प्रत्यायन की प्रक्रिया निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है नामत: अकादमिक गुणवत्ता को प्रोन्नत करना; उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में विद्यार्थियों और अन्य स्टेकहोल्डरों को विकल्पों की जानकारी प्राप्त करने में समर्थ बनाना; उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को शैक्षिक स्तरों से संबंधित एक समान बैंच मार्किंग संदर्भ बिंदुओं द्वारा अपनी गुणवत्ता बढ़ाने में सुकर बनाना; उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की सीमापार एवं विदेशों का सहयोग प्राप्त करने में सुकर बनाना आदि। ये विनियम http://www.ugc.in/pdfnews/8541429 English, PDF पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.बी.ए.) पहले ही तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जा रहे तकनीकी कार्यक्रमों का प्रत्यायन कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को प्रत्यायन करने के उद्देश्य से मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी के रूप में मान्यता प्रदान की है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद कार्यक्रम का प्रत्यायन नहीं करती यह केवल संस्थान का प्रत्यायन करती है।

(ङ) उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के लिए मूल्यांकन और प्रत्यायन को अनिवार्य बनाने के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही प्रथम डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री और एम.फिल और पी.एच. डिग्री प्रदान करने के लिए निर्देशों के न्यूनतम स्तर निर्धारित किए हैं। इसने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता और मापदंडों के रखरखाव के लिए उपाय) विनियम, 2010 इन न्यूनतम अर्हताओं को विनिर्दिष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम-विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों में मापदंडों के रखरखाव के लिए क्रमश: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी

विश्वविद्यालयों में मापदंडों का रखरखाव) विनियम, 2003 बनाए हैं।

अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा की सुलभता और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान जारी करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि यह उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है जैसे उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय (यू.पी.ई.), उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज (सी.पी.ई.), विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.), विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना के सशक्तिकरण हेतु सहायता (ए.एस.आई.एस.टी.), कला और सामाजिक विज्ञान आदि के लिए अवसंरचना के सशक्तिकरण हेतु सहायता।

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आधारभूत सुविधाएं

871. श्री एन. क्रिष्टप्पा:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मलिन बस्तियों की बहुत बड़ी जनसंख्या स्वच्छ पेयजल, शौचालय, मल जल व्ययन निपटान आदि सहित आधारभूत सुविधाओं की प्राप्ति के बिना रहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मलिन बस्तियों में रह रहे परिवारों की शहर एवं राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या सहित आधारभूत सुविधाओं के बिना रह रहे परिवारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित निधि एवं निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का शहर, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) 'जनगणना 2011' के अनुसार स्लम क्षेत्रों में उपलब्ध मुख्य सुविधाएं निम्नानुसार हैं :

* 66 प्रतिशत परिवारों के घर के प्रांगण में ही शौचालय सुविधा है जबकि 34 प्रतिशत परिवारों के पास कोई शौचालय सुविधा नहीं है।

* 90 प्रतिशत से अधिक स्लम परिवार प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में बिजली का प्रयोग करते हैं।

* 74 प्रतिशत परिवार टोंटी वाले जल का 3 प्रतिशत कुएं के जल का 20.3 प्रतिशत हैंडपंप/नलकूप तथा 2.8 प्रतिशत पेयजल अन्य स्रोतों का प्रयोग करते हैं।

* 67 प्रतिशत स्लम परिवारों के घरों में स्नानघर है, 15 प्रतिशत के यहां बिना छत का स्नानघर है तथा 19 प्रतिशत स्लम परिवारों में स्नानघर नहीं है।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III, IV, और V में दिया गया है। जनगणना 2011 में स्लमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सुविधाओं से संबंधित सूचना प्रकाशित नहीं है।

(ग) वर्तमान में सरकार स्लम वासियों तथा शहरी गरीबों के लिए आधारभूत नागरिक तथा सामाजिक अवस्थापना के साथ आवास प्रदान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) का क्रियान्वयन कर रही है। स्कीम के अंतर्गत सरकार नगर के आकार के आधार पर ऊपरी लागत सीमा के साथ 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक की केन्द्रीय सहायता तथा पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों में नगरों के लिए 80 प्रतिशत सहायता प्रदान करती है। कुल 1,20,912 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें से 1,154 आवास बनाए जा चुके हैं। इस मंत्रालय ने 13 राज्यों से प्राप्त 35 स्लम मुक्त नगर कार्य योजनाओं (एस.एफ.सी.पी.ओ.ए.) में से 19 को स्वीकार कर लिया है।

सरकार ने मार्च, 2012 तक स्वीकृत कार्यों को पूरा करने

के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के घटक शहरी गरीब के लिए बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) तथा एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) की अवधि भी बढ़ा दी है। 14,42,187 स्वीकृत आवासों में से अब तक 8,15,786 आवास बनाए जा चुके हैं।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-VI में दिया गया है।

विवरण-I

शौचालय सुविधा की उपलब्धता के अनुसार स्लम परिवारों का वितरण-2011

(लाख रु. में)

क्षेत्र	कुल स्लम परिवार	भवन के अंदर शौचालय सुविधा वाले स्लम परिवारों की संख्या	भवन के अंदर शौचालय सुविधा रहित स्लम परिवारों की संख्या	भवन के अंदर कोई शौचालय नहीं — उपलब्ध स्रोत	
				सार्वजनिक शौचालय	खुला
स्लम	137.5	90.7 (66%)	46.7 (34%)	20.7	26.0

प्रकाश स्रोत सुविधा के अनुसार स्लम परिवारों का वितरण-2011

(लाख रु. में)

क्षेत्र	कुल स्लम परिवार	प्रकाश स्रोत सुविधा के अनुसार स्लम परिवारों का वितरण				
		बिजली	केरोसीन	सौर ऊर्जा	अन्य @	प्रकाश नहीं
स्लम	137.5	124.5	11.3	0.4	0.6	0.7
		(90.5%)	(6.2%)	(0.3%)	(0.4%)	(0.5%)

@: अन्य तेल एवं अन्य कोई दोनों शामिल

पेयजल के स्रोत के अनुसार स्लम परिवारों का वितरण-2011

(लाख रु. में)

क्षेत्र	कुल स्लम परिवार	पेयजल के स्रोत के अनुसार स्लम परिवारों का वितरण					
		नल			कुंआ		
		शोधित स्रोत से नल जल	अशोधित स्रोत से नल जल	हैंड पम्प एवं नल कूप/बोर होल	ढका हुआ कुंआ	खुला हुआ कुंआ	अन्य स्रोत@
स्लम	137.5	90.0	11.9	28.0 (20%)	1.0	3.1	3.7 (3%)

* : सांस्थानिक मकान को छोड़कर @: अन्य स्रोतों में वर्षा, नदी/नाला, टैंक/तालाब/झील एवं अन्य स्रोत शामिल।

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011 : स्लमों में आवासीय स्टॉक, सुविधाएं एवं परिसम्पत्तियां संबंधी तालिका।

नहाने की सुविधा की उपलब्धता के अनुसार स्लम परिवारों का वितरण-2011

(लाख रु. में)

क्षेत्र	कुल स्लम परिवार	नहाने की सुविधा की उपलब्धता के अनुसार स्लम परिवारों का वितरण		
		बाथरूम	छत रहित घेरा	बाथरूम नहीं
स्लम	137.5	91.5 (67%)	20.0 (15%)	26.0 (19%)

* : सांस्थानिक मकान को छोड़कर

स्रोतः भारत की जनगणना, 2011 : स्लमों में आवासीय स्टॉक, सुविधाएं एवं परिसम्पत्तियां संबंधी तालिका।

विवरण-II

भारत में शौचालय सुविधा की उपलब्धता के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्लम परिवार-2011

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्लमों में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या	भवन के अंदर शौचालय सुविधा वाले स्लम परिवारों की संख्या	भवन के अंदर शौचालय सुविधा रहित स्लम परिवारों की संख्या	भवन के अंदर कोई शौचालय नहीं — वैकल्पिक स्रोत	
				सार्वजनिक शौचालय	खुला
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	2,421,268	1,993,862	427,406	69,498	357,908
अरूणाचल प्रदेश	4,005	3,351	654	113	541
असम	48,122	41,593	6,529	1,468	5,061
बिहार	194,065	104,494	89,571	7,118	82,453
छत्तीसगढ़	395,297	192,393	202,904	38,278	164,626
गोवा	4,846	2,953	1,893	1,537	356
गुजरात	360,291	232,075	128,216	51,636	76,580
हरियाणा	325,997	260,675	65,322	8,878	56,444
हिमाचल प्रदेश	14,240	12,169	2,071	727	1,344
जम्मू और कश्मीर	96,990	85,539	11,451	2,630	8,821
झारखंड	79,200	41,731	37,469	4,297	33,172
कर्नाटक	728,277	461,029	267,248	85,387	181,861

1	2	3	4	5	6
केरल	54,849	51,123	3,726	1,895	1,831
मध्य प्रदेश	1,086,692	683,061	403,631	59,725	343,906
महाराष्ट्र	2,449,530	1,019,634	1,429,896	1,191,026	238,870
मेघालय	10,936	10,141	795	392	403
मिजोरम	16,240	16,120	120	41	79
नागालैंड	15,268	14,240	1,028	830	198
ओडिशा	350,306	168,666	181,640	12,315	169,325
पंजाब	296,482	262,906	33,576	2,488	31,088
राजस्थान	383,134	274,306	108,828	8,219	100,609
सिक्किम	8,612	7,840	772	544	228
तमिलनाडु	1,451,690	885,619	566,071	231,050	335,021
त्रिपुरा	33,830	32,259	1,571	891	680
उत्तर प्रदेश	992,728	769,145	223,583	37,311	186,272
उत्तराखंड	89,398	81,977	7,421	2,000	5,421
पश्चिम बंगाल	1,393,319	1,149,877	243,442	88,733	154,709
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3,053	2,017	1,036	610	426
चंडीगढ़	22,080	869	21,211	16,921	4,290
दिल्ली	383,609	192,171	191,438	143,589	47,849
पुदुचेरी	35,070	22,014	13,056	4,322	8,734
भारत	13,749,424	9,075,849	4,673,575	2,074,469	2,599,106

* : सांस्थानिक मकान को छोड़कर

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011 : स्लमों में आवासीय स्टॉक, सुविधाएं एवं परिसम्पत्तियां।

विवरण-III

भारत में बिजली के मुख्य स्रोत के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्लम परिवार-2011

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल परिवारों की संख्या	प्रकाश का मुख्य स्रोत				
		बिजली	केरोसीन	सौर ऊर्जा	अन्य तेल एवं कोई अन्य	प्रकाश नहीं
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2,421,268	2,338,497	64,248	8,032	4,517	5,974
अरूणाचल प्रदेश	4,005	3,468	525	1	–	11
असम	48,122	35,852	11,879	130	56	205
बिहार	194,065	106,957	84,405	464	1,533	706
छत्तीसगढ़	395,297	364,536	27,961	304	1,293	1,203
गोवा	4,846	4,715	119	5	2	5
गुजरात	360,291	330,597	21,997	470	2,113	5,114
हरियाणा	325,997	300,979	18,138	362	3,962	2,556
हिमाचल प्रदेश	14,240	13,598	582	17	34	9
जम्मू और कश्मीर	96,990	94,173	1,886	85	653	193
झारखंड	79,200	61,106	17,323	174	390	207
कर्नाटक	728,277	672,297	50,129	908	1,664	3,279
केरल	54,849	53,879	1,828	49	61	32
मध्य प्रदेश	1,086,692	975,872	101,570	1,273	4,264	3,713
महाराष्ट्र	2,449,530	2,296,617	127,794	2,871	8,010	14,238
मेघालय	10,936	10,392	488	3	32	21
मिजोरम	16,240	16,057	117	4	54	8
नागालैंड	15,268	15,001	208	17	24	18
ओडिशा	350,306	264,546	77,339	750	1,423	6,248
पंजाब	296,482	286,539	6,265	228	1,652	1,798

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	383,134	341,361	35,321	384	2,828	3,240
सिक्किम	8,612	8,518	61	-	1	32
तमिलनाडु	1,451,690	1,355,952	85,134	781	3,199	6,624
त्रिपुरा	33,830	31,028	2,478	147	55	122
उत्तर प्रदेश	992,728	774,259	198,115	2,858	10,974	6,522
उत्तराखंड	89,398	83,847	4,461	165	503	422
पश्चिम बंगाल	1,393,319	1,178,923	181,842	16,626	5,825	10,103
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3,053	2,993	52	-	3	5
चंडीगढ़	22,080	19,440	2,016	153	199	272
दिल्ली	383,609	373,160	8,682	280	974	513
पुदुचेरी	35,070	34,002	991	2	19	56
भारत	13,749,424	12,448,161	1,133,954	37,543	56,317	73,449

* : सांस्थानिक मकान को छोड़कर

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011 : स्लमों में आवासीय स्टॉक, सुविधाएं एवं परिसम्पत्तियां।

विवरण-IV

भारत में उनके द्वारा पेयजल के स्रोत एवं अवस्थिति के अनुसार वर्गीकृत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्लम परिवार-2011

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पेयजल के स्रोत के अनुसार परिवारों की संख्या						
	कुल परिवार	नल			कुंआ		अन्य
		शोधित स्रोत	अशोधित स्रोत	हैंड पम्प ट्यूबवेल, बोरहोल	ढका हुआ	खुला हुआ	सभी
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	2,421,268	1,883,817	150,341	261,637	10,417	47,244	67,812
अरूणाचल प्रदेश	4,005	444	1,494	1,861	12	38	156
असम	48,122	12,410	1,074	25,490	1,521	4,677	2,950

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	194,065	22,760	7,509	152,564	1,515	5,252	4,465
छत्तीसगढ़	395,297	168,218	72,374	127,204	3,891	19,432	4,178
गोवा	4,846	4,538	189	6	17	18	78
गुजरात	360,291	261,793	42,761	37,413	1,478	708	16,138
हरियाणा	325,997	208,355	30,227	72,908	1,558	932	12,017
हिमाचल प्रदेश	14,240	13,174	218	503	86	37	222
जम्मू और कश्मीर	96,990	61,904	26,350	5,080	567	139	2,950
झारखंड	79,200	17,134	4,631	39,013	2,531	14,319	1,572
कर्नाटक	728,277	491,339	117,819	75,900	4,903	15,130	23,186
केरल	54,849	29,185	2,601	1,273	7,742	13,619	429
मध्य प्रदेश	1,086,692	525,635	135,668	325,874	12,871	51,128	35,516
महाराष्ट्र	2,449,530	2,121,907	90,313	153,705	11,617	22,251	49,737
मेघालय	10,936	6,717	543	215	637	483	2,341
मिजोरम	16,240	9,189	1,707	377	460	289	4,218
नागालैंड	15,268	626	4,859	2,331	1,383	2,304	3,765
ओडिशा	350,306	122,649	19,897	137,272	15,335	46,841	8,312
पंजाब	296,482	179,047	27,849	85,062	377	258	3,889
राजस्थान	383,134	291,176	26,933	41,139	2,059	2,461	19,366
सिक्किम	8,612	6,170	1,808	6	24	-	604
तमिलनाडु	1,451,690	974,400	196,122	193,264	12,137	28,245	47,522
त्रिपुरा	33,830	16,372	3,555	12,527	203	732	441
उत्तर प्रदेश	992,728	383,273	67,573	518,549	3,602	3,772	15,959
उत्तराखंड	89,398	61,001	4,944	22,357	132	51	913
पश्चिम बंगाल	1,393,319	776,557	103,869	452,838	8,305	28,696	23,054

1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3,053	2,923	16	3	-	94	17
चंडीगढ़	22,080	16,019	4,544	1,121	81	7	308
दिल्ली	383,609	281,081	42,153	44,138	474	247	15,516
पुदुचेरी	35,070	31,959	2,487	406	12	136	70
भारत	13,749,424	8,981,772	1,192,428	2,792,036	105,947	309,540	367,701

* : सांस्थानिक मकान को छोड़कर

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011 : स्लमों में आवासीय स्टॉक, सुविधाएं एवं परिसम्पत्तियां।

विवरण-V

भारत में स्लम परिवारों के लिए स्नान सुविधा की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उपलब्धता-2011

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की कुल संख्या	परिसर के अंदर नहाने की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		
		हां		बाथरूम रहित
		बाथरूम	घेरा रहित छत	
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	2,421,268	1,977,621	215,012	228,635
अरूणाचल प्रदेश	4,005	1,707	613	1,685
असम	48,122	27,827	7,216	13,079
बिहार	194,065	58,008	52,124	83,933
छत्तीसगढ़	395,297	169,594	71,980	153,723
गोवा	4,846	4,223	331	292
गुजरात	360,291	211,566	59,052	89,673
हरियाणा	325,997	240,756	39,811	45,430
हिमाचल प्रदेश	14,240	12,318	494	1,428
जम्मू और कश्मीर	96,990	85,831	3,203	7,956

1	2	3	4	5
झारखंड	79,200	30,996	14,093	34,111
कर्नाटक	728,277	586,820	77,464	63,993
केरल	54,849	46,077	3,393	5,379
मध्य प्रदेश	1,086,692	633,129	240,671	212,892
महाराष्ट्र	2,449,530	1,840,075	398,292	211,163
मेघालय	10,936	7,555	525	2,856
मिजोरम	16,240	14,043	784	1,413
नागालैंड	15,268	12,206	2,225	837
ओडिशा	350,306	126,038	50,289	173,979
पंजाब	296,482	227,868	41,666	26,948
राजस्थान	383,134	252,417	68,917	61,800
सिक्किम	8,612	7,601	188	823
तमिलनाडु	1,451,690	941,329	193,266	317,095
त्रिपुरा	33,830	11,318	6,366	16,146
उत्तर प्रदेश	992,728	609,774	186,956	195,998
उत्तराखंड	89,398	71,334	8,086	9,978
पश्चिम बंगाल	1,393,319	730,700	197,994	464,625
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3,053	2,294	337	422
चंडीगढ़	22,080	1,730	4,204	16,146
दिल्ली	383,609	187,274	39,041	157,294
पुदुचेरी	35,070	23,582	5,131	6,357
भारत	13,749,424	9,153,611	1,989,724	2,606,089

* : सांस्थानिक मकान को छोड़कर

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011 : स्लमों में आवासीय स्टॉक, सुविधाएं एवं परिसम्पत्तियां।

विवरण-VI

बी.एस.यू.पी. : पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मित आवास इकाइयों की संख्या

राज्य नाम	शहर नाम	परियोजना की संख्या	केन्द्रीय अंश	स्वीकृत रिहायशी इकाई	जारी राशि (करोड़ रु. में) 2010-11 तक	2011-12	2012-13	2013-14	वर्तमान वर्ष	संचयी जारी	2010-11 तक	2011-12	2012-13	2013-14	वर्तमान वर्ष	संचयी पूर्ण	कब्जाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	12	318.81	24,423	265.68	50.28	2.85	-	-	318.81	21,187	1,626	207	231	-	23.251	14,341
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	8	366.20	31,525	271.81	12.25	-	-	-	284.06	10,976	5,674	355	-	-	17,005	10,478
आंध्र प्रदेश	तिरुपति	2	113.07	5,160	36.29	-	21.12	-	-	57.41	-	-	-	-	-	-	
उप योग	आंध्र प्रदेश	22	798.09	61,108	573.78	62.53	23.97	-	-	660.29	32,163	7,300	562	231	-	40,256	24,819
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	3	54.46	996	12.67	-	16.24	12.78	12.77	54.46	-	92	8	-	-	100	-
उप कुल	अरुणाचल प्रदेश	3	54.46	996	12.67	-	16.24	12.78	12.77	54.46	-	92	8	-	-	100	-
असम	गुवाहाटी	2	97.60	2,260	48.80	-	-	-	-	48.80	352	-	64	-	-	416	416
उपकुल	असम	2	97.60	2,260	48.80	-	-	-	-	48.80	352	-	64	-	-	416	416
बिहार	पटना	3	34.91	3,328	8.73	-	-	-	-	8.73	-	352	32	48	-	432	432
बिहार	बोधगया	3	34.91	3,328	8.73	-	-	-	-	8.73	-	352	32	48	-	432	432
चंडीगढ़	चंडीगढ़	4	444.93	25,728	227.23	147.05	-	4.74	0.00	379.02	2,112	10,624	-	-	-	12,736	9,959
उप योग	चंडीगढ़	4	444.93	25,728	227.23	147.05	-	4.74	0.00	379.02	2,112	10,624	-	-	-	12,736	9,959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
छत्तीसगढ़	रायपुर	9	307.74	17,826	143.00	–	35.08	19.55	0.00	197.63	–	–	6,624	440	–	7,064	3,045
उप कुल	छत्तीसगढ़	9	307.74	17,826	143.00	–	35.08	19.55	0.00	197.63	–	–	6,624	440	–	7,064	3,045
दिल्ली	दिल्ली कैंट	16	1,370.04	64,184	286.65	116.04	145.00	127.28	317.03	992.01	13,528	1,316	–	–	–	14,844	585
उप कुल	दिल्ली	16	1,370.04	64,184	286.65	116.04	145.00	127.28	317.03	992.01	13,528	1,316	–	–	–	14,844	585
गुजरात	अहमदाबाद	5	276.21	33,824	254.35	–	5.93	11.47	0.46	272.21	25,868	3,448	2,616	1,528	–	33,460	21,806
गुजरात	राजकोट	3	93.77	8,664	35.93	–	11.47	–	–	47.40	4,976	–	–	–	–	4,976	4,134
गुजरात	सूरत	12	332.48	46,856	260.35	21.08	11.41	27.98	7.07	327.88	27,460	6,948	5,858	3,330	–	43,596	34,322
गुजरात	वड़ोदरा	6	250.51	21,696	106.05	2.33	21.50	40.53	42.68	213.10	6,640	4,416	320	2,998	–	14,374	10,169
गुजरात	पोरबंदर	1	62.49	2,448	–	–	15.62	34.37	–	49.99	–	–	–	824	–	824	–
उप कुल	गुजरात	27	1,015.47	113,488	656.68	23.41	65.93	114.35	50.21	910.58	64,944	14,812	8,794	8,680	–	97,230	70,431
हरियाणा	फरीदाबाद	2	31.18	3,248	31.18	–	–	–	–	31.18	2,014	842	40	–	–	2,896	202
उपकुल	हरियाणा	2	31.18	3,248	31.18	–	–	–	–	31.18	2,014	842	40	–	–	2,896	202
हिमाचल प्रदेश	शिमला	1	11.21	384	2.80	2.80	–	–	0.00	5.61	–	–	40	136	–	176	–
उप कुल	हिमाचल प्रदेश	1	11.21	384	2.80	2.80	–	–	0.00	5.61	–	–	40	136	–	176	–
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	3	41.40	1,455	13.54	10.35	0.31	–	–	24.19	–	218	69	167	–	454	354
जम्मू और	श्रीनगर	2	93.05	5,222	23.26	–	4.92	–	–	28.18	–	138	–	70	–	208	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
कश्मीर																	
उप कुल	जम्मू और कश्मीर	5	134.44	6,677	36.80	10.35	5.23	–	–	52.38	–	356	69	237	–	662	354
झारखंड	धनबाद	1	16.33	1,090	4.08	–	–	–	–	4.08	–	–	–	26	–	26	26
झारखंड	रांची	6	200.60	8,928	50.15	–	–	–	–	50.15	–	–	–	568	–	568	568
उप योग	झारखंड	7	216.92	10,018	54.23	–	–	–	–	54.23	–	–	–	594	–	594	594
कर्नाटक	बैंगलोर	14	236.60	19,984	122.34	50.76	6.82	40.02	0.01	219.95	5,794	6,337	1,489	2,588	–	16,208	11,831
कर्नाटक	मैसूर	4	171,36	8,134	92.12	51.53	9.52	10.92	0.00	164.08	1,959	4,559	315	398	–	7,231	5,403
उपकुल	कर्नाटक	18	407.96	28,118	214.46	102.29	16.34	50.94	0.01	384.03	7,753	10,896	1,804	2,986	–	23,439	17,234
केरल	कोचि	3	67.83	10,390	50.30	–	–	13.06	0.00	63.35	4,178	1,653	1,189	477	–	7,497	7,497
केरल	तिरुव-नंतपुरम	4	165.73	13.187	75.07	7.46	32.97	10.01	19.58	136.08	4,542	1,695	423	1,128	–	7,788	7,075
उप कुल	केरल	7	233.56	23,577	125.37	7.46	32.97	14.06	19.58	199.44	8,720	3,348	1,612	1,605	–	15,285	14,572
मध्य प्रदेश	भोपाल	13	188.84	20,009	131.71	5.56	1.94	10.27	–	149.48	4,104	972	751	3,421	–	9,248	1,862
मध्य प्रदेश	इंदौर	3	75.03	8,017	35.30	19.41	7.38	0.93	–	63.03	816	2,524	1,341	302	630	5,613	637
मध्य प्रदेश	जबलपुर	4	43.69	7,556	10.92	7.75	7.75	6.76	–	33.19	–	497	811	596	–	1,904	35
मध्य प्रदेश	उज्जैन	1	13.26	1,320	9.95	–	1.99	–	–	11.94	–	168	75	69	–	312	236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
उप कुल	मध्य प्रदेश	21	320.83	36,902	187.89	32.73	19.06	17.96	–	257.64	4,920	4,161	2,978	4,388	630	17,077	2,770
महाराष्ट्र	नागपुर	11	182.67	6,246	100.02	–	–	25.90	3.12	129.04	56	70	–	554	–	680	352
महाराष्ट्र	नांदेड़-वागला	10	653.26	22,849	225.31	142.03	108.66	79.45	19.76	575.22	2,478	7,504	1,153	1,908	–	13,043	12,036
महाराष्ट्र	नासिक	6	103.98	11,200	61,08	15.08	1.70	1.77	–	79.62	2,333	2,087	332	260	–	5,012	820
महाराष्ट्र	नवी मुंबई	12	1,056.79	48.800	590.36	86.47	29.91	65.62	16.97	789.34	18,317	5,295	52	1,114	–	24,778	8,145
महाराष्ट्र	पूना	14	398.41	32.392	300.73	50.57	19.23	3.86	16.00	390.39	8,363	6,694	1,612	2,342	–	19.011	5,179
उप कुल	महाराष्ट्र	53	2,395.11	121.487	1,277.50	294.16	159.50	176.87	55.58	1963.61	31,547	21,650	3,149	6,178	–	62,524	26,532
मणिपुर	इम्फाल	1	43.91	1,250	10.98	21.96	–	10.98	–	43.91	–	–	70	730	–	800	800
उपकुल	मणिपुर	1	43.91	1,250	10.98	21.96	–	10.98	–	43.91	–	–	70	730	–	800	800
मेघालय	शिलांग	3	40.35	768	16.03	10.09	10.09	–	0.00	36.21	16	48	112	–	–	176	96
उप कुल	मेघालय	3	40.35	768	16.03	10.09	10.09	–	0.00	36.21	16	48	112	–	–	176	96
मिजोरम	आइजोल	3	79.73	1,096	27.26	12.80	12.80	6.94	0.00	59.80	65	31	–	640	–	736	626
उप कुल	मिजोरम	3	79.73	1,096	27.26	12.80	12.80	6.94	0.00	59.80	65	31	–	640	–	736	626
नागालैंड	कोहिमा	1	105.60	3,504	79.20	–	26.40	–	0.00	105.60	750	520	–	2,130	–	3,400	–
उप कुल	नागालैंड	1	105.60	3,504	79.20	–	26.40	–	0.00	105.60	750	520	–	2,130	–	3,400	–
ओडिशा	भुवनेश्वर	4	46.16	2,153	21,49	7.71	6.78	6.35	–	42.33	658	242	114	456	–	1,470	1,278
ओडिशा	पुरी	2	8.02	355	2.00	–	1.69	0.70	–	4.39	6	12	9	54	–	81	81
उप कुल	ओडिशा	6	54.18	2,508	23.49	7.71	8.47	7.05	–	46.72	664	254	123	510	–	1,551	1,359
पुदुचेरी	पॉन्डीचैरी	3	83.20	2,964	22.93	7.01	8.08	–	–	38.02	207	151	72	–	192	622	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
उप कुल	पुदुचेरी	3	83.20	2,964	22.93	7.01	8.08	–	–	38.02	207	151	72	–	192	622	168
पंजाब	अमृतसर	2	31.98	1,648	1.44	–	8.00	–	0.00	9.44	–	–	–	220	–	220	73
पंजाब	लुधियाना	1	33.27	4,832	24.95	–	8.32	–	0.00	33.27	140	860	544	656	–	2,200	–
उप कुल	पंजाब	3	66.25	6,480	26.39	–	16.31	–	0.00	42.71	140	860	544	876	–	2,420	73
राजस्थान	अजमेर	1	84.57	5,337	42.28	–	–	–	–	42.28	651	114	–	317	–	1,082	636
राजस्थान	जयपुर	2	88.11	5,814	22.03	–	–	57.58	0.00	79.61	–	–	–	–	–	–	–
उप कुल	राजस्थान	3	172.67	11,151	64.31	–	–	57.58	0.00	121.90	651	114	–	317	–	1,082	636
सिक्किम	गंगटोक	3	29.06	254	15.23	6.57	0.70	6.57	–	29.06	–	52	–	–	–	52	–
उप कुल	सिक्किम	3	29.06	254	15.23	6.57	0.70	6.57	–	29.06	–	52	–	–	–	52	–
तमिलनाडु	चेन्नई	23	598.02	37.491	306.56	57.30	97.44	135.92	0.01	597.23	3.500	11,801	2,210	1,130	18	18,659	18,559
तमिलनाडु	कोयंबटूर	17	265.62	28,887	115.29	22.47	31.31	55.35	–	224.41	4,934	1,941	1,869	2,614	55	11,413	11,413
तमिलनाडु	मदुरै	11	181.64	25,894	139.59	7.54	34.51	–	–	181.64	8,415	2,930	2,733	2,692	–	16,770	16,770
उप कुल	तमिलनाडु	51	1,045.28	92,272	561.45	87.31	163.26	191.27	0.01	1003.29	16,849	16,672	6,812	6,436	73	46,842	46,742
तेलंगाना	हैदराबाद	17	725.38	76.371	516.47	134.82	71.06	–	0.00	722.36	48.873	12.564	–	485	–	61.922	36,440
उप कुल	तेलंगाना	17	725.38	76.371	516.47	134.82	71.06	–	0.00	722.36	48.873	12.564	–	485	–	61.922	36,440
त्रिपुरा	अगरतला	1	13.96	256	13.96	–	–	–	–	13.96	256	–	–	–	–	256	256
उप कुल	त्रिपुरा	1	13.96	256	13.96	–	–	–	–	13.96	256	–	–	–	–	256	256
उत्तर प्रदेश	आगरा	10	227.12	13,977	143.90	45.65	–	21.03	0.00	210.57	1,991	5,148	–	1,451	–	8,590	6,827
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	5	21.50	1,490	15.45	5.32	–	–	0.00	20.77	504	262	296	78	–	1,140	929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
उत्तर प्रदेश	कानपुर	13	112.32	6,129	128.27	26.07	4.25	–	0.00	158.59	1,574	2,160	904	1,063	–	5,701	6,094
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	8	76.94	5,570	76.88	10.79	22.74	5.09	0.00	115.50	2,067	1,173	797	63	–	4,100	2,171
उत्तर प्रदेश	मथुरा	7	102.77	3,022	80.08	35.29	–	–	0.00	115.37	2,307	156	42	159	–	2,664	2,849
उत्तर प्रदेश	मेरठ	14	178.83	10,773	131.77	45.12	–	–	–	176.89	5,140	2,092	798	1,008	–	9,038	9,275
उत्तर प्रदेश	वाराणसी	10	79.74	4,846	56.28	15.74	–	–	0.00	72.02	487	1,197	408	231	–	2,323	4,774
उप कुल	उत्तर प्रदेश	67	799.23	45,807	632.63	183.98	26.99	26.12	0.00	869.72	14,070	12,188	3,245	4,053	–	33,556	32,919
उत्तराखंड	देहरादून	6	25.53	701	6.94	0.56	0.55	2.41	0.00	10.47	45	9	25	64	–	143	43
उत्तराखंड	हरिद्वार	1	2.90	96	1.45	0.72	–	0.72	–	2.90	–	–	–	–	–	–	–
उत्तराखंड	नैनीताल	1	7.43	200	1.86	–	1.86	–	3.71	7.43	–	–	72	–	–	72	–
उप कुल	उत्तराखंड	8	35.85	997	10.24	1.29	2.41	3.14	3.71	20.79	45	9	97	64	–	215	43
पश्चिम बंगाल	आसनसोल	13	311.22	25,011	118.20	60.00	32.12	21.88	23.62	255.83	5,764	3,173	1,118	1,662	16	11,733	11,569
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	96	1,615.91	126,178	540.16	229.00	247.63	228.64	9.89	1255.33	39.271	16,497	8,903	16,021	318	81,010	80,695
उप कुल	पश्चिम बंगाल	109	1,927.13	151,189	658.36	289.01	279.75	250.52	33.51	1511.15	45,035	19,670	10,021	17,683	334	92,743	92,264

आई.एच.एस.डी.पी. : गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्मित मकानों की संख्या सहित राज्य और शहर-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	वचनबद्ध ए.सी.ए.	स्वीकृत रिहायशी इकाईयां	जारी धनराशि (करोड़ रु. में)					जारी संचयी	पूर्ण रिहायशी इकाई					संचयी पूर्ण	कब्जाधीन रिहायशी इकाई
					2010-11 तक	2011-12	2012-13	2013-14	वर्तमान वर्ष		2010-11 तक	2011-12	2012-13	2013-14	वर्तमान वर्ष		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर	1	8.90	-	3.16	-	-	-	-	3.16	-	-	-	-	-	-	-
उप योग	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	8.90	-	3.16	-	-	-	-	3.16	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	अनकपल्ली	2	4.03	384	3.72	-	0.31	-	-	4.03	384	-	-	-	-	384	384
आंध्र प्रदेश	भीमपुटम	1	2.72	-	2.72	-	-	-	-	2.72	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	3	43.41	3,782	24.57	-	4.55	-	-	29.12	290	108	352	552	-	1,302	398
आंध्र प्रदेश	पुडापुरम	1	15.41	1,416	15.42	-	-	-	-	15.41	1,058	358	-	-	-	1,416	620
आंध्र प्रदेश	राजमुंदरी	2	53.92	5,855	31.67	-	22.26	-	-	53.92	2,623	1,403	32	366	-	4,424	1,441
आंध्र प्रदेश	रामचंद्रपुरम	1	5.84	720	4.61	-	1.23	-	-	5.84	496	176	-	48	-	720	672
आंध्र प्रदेश	समलकोटा	1	8.30	912	6.47	-	1.83	-	-	8.30	48	24	48	648	-	768	-
आंध्र प्रदेश	मछली पट्टनम	1	7.34	-	3.85	-	3.49	-	-	7.34	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आंध्र प्रदेश	बापतला	1	6.10	-	6.10	-	-	-	-	6.10	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	चिल्कारीपेट	1	12.00	-	12.00	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	गरज	2	40.33	2,432	28.14	-	-	8.23	-	36.37	760	208	8	320	-	1,296	
आंध्र प्रदेश	मरचेला	1	11.99	-	11.99	-	-	-	-	11.99	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	नरसेरापेट	1	15.68	-	15.68	-	-	-	-	15.68	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	पुन्नुर	1	10.62	-	5.52	-	5.10	-	-	10.62	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	रेपल्ले	1	4.65	-	4.65	-	-	0.00	-	4.65	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	सतीनपल्ली	1	11.14	-	11.14	-	-	-	-	11.14	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	तेनाली	1	4.13	-	3.22	-	0.91	-	-	4.13	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	विनुकोंडा	1	11.75	-	11.75	-	-	-	-	11.75	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	चिराला	1	2.78	-	2.82	-	-	-	-	2.82	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	ओंगोले	1	1.87	-	2.27	-	-	-	-	2.27	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	गुडूर	1	9.53	1,536	9.54	-	-	-	-	9.53	1,085	164	36	53	-	1,338	409
आंध्र प्रदेश	कवाली	2	4.00	-	4.68	-	-	-	-	4.68	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	कुडापाह	7	42.30	1,644	29.28	0.85	12.18	-	-	42.30	1,297	290	24	-	-	1,611	983
आंध्र प्रदेश	पोद्दुर	1	12.84	1,500	12.84	-	-	-	-	12.84	1,385	15	-	100	-	1,500	1,431
आंध्र प्रदेश	रॉयचोटी	1	9.57	1,013	5.67	-	3.90	-	-	9.57	782	97	5	19	-	903	580
आंध्र प्रदेश	अदोनी	1	3.80	-	2.97	-	0.83	-	-	3.80	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	कुर्नूल	2	31.83	2,112	24.89	-	6.94	-	-	31.83	1,754	-	57	103	-	1,914	637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आंध्र प्रदेश	धोने	1	0.89	–	0.90	–	–	–	–	0.89	–	–	–	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश	चितोर	1	2.99	–	3.38	–	–	–	–	3.38	–	–	–	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश	मदनापल्ले	1	3.43	–	3.43	–	–	–	–	3.43	–	–	–	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश	तिरुपति	1	37.18	4,056	37.75	–	–	–	–	37.75	528	–	–	–	–	528	124
उप योग	आंध्र प्रदेश	44	432.36	27,362	343.61	0.84	63.52	8.22	0.00	416.20	12,490	2,843	562	2,209	–	18,104	7,679
अरुणाचल प्रदेश	रोइंग	1	8.96	176	4.48	–	–	0.00	–	4.48	–	–	–	–	–	–	–
उप योग	अरुणाचल प्रदेश	1	8.96	176	4.48	–	–	0.00	–	4.48	–	–	–	–	–	–	–
असम	कोकराझार	1	13.73	1,301	6.87	–	–	–	–	6.87	–	–	–	–	13	13	–
असम	धुबरी	1	4.68	99	2.34	–	–	–	–	2.34	31	–	7	1	–	39	39
असम	सर्तबेरी	1	1.39	260	0.70	–	–	–	–	0.70	173	–	–	–	–	173	170
असम	पलासबेरी	1	1.76	108	0.88	–	0.70	–	–	1.58	55	–	–	–	–	55	55
असम	नलबाड़ी	1	2.52	201	1.26	–	1.01	–	–	2.27	135	1	12	2	–	150	150
असम	थियु	1	3.29	162	1.65	–	–	–	–	1.65	–	35	30	25	–	90	105
असम	मंगलदोई	1	3.30	949	1.65	–	–	–	–	1.65	–	–	–	–	–	–	–
असम	डिंग	1	2.57	790	1.28	–	–	–	–	1.28	–	–	66	6	–	72	72
असम	कानपुर टाउन	1	1.55	384	0.78	–	–	–	–	0.78	–	–	–	–	10	10	–
असम	लंका	1	2.28	409	1.14	–	–	–	–	1.14	184	–	–	–	–	184	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
असम	नौगांव	1	11.48	802	5.74	–	–	–	–	5.74	–	–	70	138	–	208	208
असम	तिनसुकिया	1	3.88	840	1.94	–	–	–	–	1.94	85	67	–	160	110	422	75
असम	गोलाघाट	1	3.08	839	1.54	–	–	–	1.23	2.77	59	141	10	–	–	210	75
असम	बोकाजन	1	8.61	1,010	4.30	–	–	–	–	4.30	–	–	56	259	–	315	315
असम	बदरपुर	1	1.11	56	0.55	–	–	–	–	0.55	11	3	–	–	–	14	14
असम	करीमगंज	1	4.99	458	2.50	–	2.00	–	–	4.49	102	188	–	–	–	290	290
उप योग	असम	16	70.22	8,668	35.11	–	3.71	–	1.23	40.05	835	435	251	591	133	2,245	1,752
बिहार	नरकरियागंज	1	2.92	300	1.46	–	–	–	–	1.46	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	बेलसंद	1	20.87	1,487	–	–	10.43	–	–	10.43	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	सुपौल	1	4.12	207	2.06	–	1.03	–	–	3.09	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	अरेरिआ	1	11.13	728	5.56	–	–	–	–	5.56	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	फारबिसगंज	1	9.02	870	–	4.51	–	–	–	4.51	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	जोगबनी	1	6.64	321	3.32	–	1.66	–	0.00	4.98	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	बहादुरगंज	1	3.63	294	1.82	–	1.82	–	–	3.63	–	170	–	–	–	170	–
बिहार	किशनगंज	2	21.36	1,807	4.37	6.31	4.37	0.00	–	15.05	405	117	–	–	–	522	–
बिहार	ठाकुरगंज	1	18.54	1,352	–	–	9.27	–	–	9.27	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	पुर्णिया	2	33.48	3,102	5.42	–	16.74	0.00	–	22.16	–	76	166	8	–	250	–
बिहार	मधेपुरा	2	16.43	1,095	8.22	–	1.61	–	–	9.83	–	–	105	63	7	175	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
बिहार	सहरसा	1	8.84	820	4.42	-	-	-	-	4.42	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	कांति	1	2.56	143	1.28	-	1.28	-	-	2.56	88	49	-	-	-	137	-
बिहार	मोतीपुर	1	4.29	520	2.14	-	2.14	-	-	4.29	310	120	15	5	-	450	-
बिहार	रोसरा	1	10.76	1,562	5.38	-	-	-	-	5.38	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	बेगूसराय	1	15.86	853	7.93	-	3.96	0.00	-	11.89	-	25	-	284	-	309	-
बिहार	भागलपुर	1	11.72	1,188	5.86	-	5.86	0.00	-	11.72	817	-	-	-	-	817	-
बिहार	मुंगेर	1	8.55	868	4.28	-	-	-	-	4.28	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	शेखपुरा	1	1.87	207	0.94	-	0.94	-	-	1.87	-	20	30	2	-	52	-
बिहार	बिहार	1	16.08	810	8.04	-	8.04	0.00	-	16.08	-	-	-	25	-	25	-
बिहार	बाढ़	2	26.10	1,654	-	7.71	5.34	-	-	13.05	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	मोकामा	1	34.25	1,950	-	-	17.13	-	-	17.13	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	नौबत पुर	1	22.21	1,500	-	-	11.11	0.00	-	11.11	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	आरा	1	15.06	754	7.53	-	3.77	0.00	-	11.30	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	औरंगाबाद	1	2.43	247	1.21	-	1.21	-	-	2.43	-	-	50	10	-	60	-
बिहार	नबीनगर	1	21.70	1,277	-	-	10.85	-	-	10.85	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	गया	1	19.18	1,747	-	-	9.59	-	-	9.59	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	जमुई	1	11.17	960	-	5.58	-	-	-	5.58	-	-	-	-	-	-	-
उप योग	बिहार	32	382.79	28,623	81.24	24.11	128.16	0.00	0.00	233.51	1,620	577	366	397	7	2,967	-
छत्तीसगढ़	रायगढ़	1	10.65	1,312	5.32	-	-	5.32	-	10.65	-	-	224	352	-	576	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	2	65.21	7,836	48.91	–	–	16.32	0.00	65.23	–	–	900	1,488	768	3,156	899
छत्तीसगढ़	कवर्धा	1	11.68	1,032	5.84	–	–	5.84	–	11.68	–	–	48	–	–	48	27
छत्तीसगढ़	डोंगरगांव	1	6.01	480	3.00	–	–	3.00	–	6.01	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	डोगरागंढ	1	1.91	200	1.43	–	–	0.48	–	1.91	–	–	93	7	–	100	94
छत्तीसगढ़	खैरागढ़	1	5.62	492	2.81	–	–	2.81	–	5.62	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	राजनन्दगांव	1	13.52	1,072	6.76	–	–	6.76	–	13.52	–	–	–	256	16	272	–
छत्तीसगढ़	बालोद	1	1.91	200	1.91	–	–	–	–	1.91	–	174	–	–	–	174	–
छत्तीसगढ़	बीमेतरा	1	1.91	200	1.91	–	–	–	–	1.91	–	–	100	96	–	196	–
छत्तीसगढ़	भिलाई	1	8.79	1,168	8.79	–	–	–	–	8.79	628	316	160	64	–	1,168	1,168
छत्तीसगढ़	दुर्ग	1	13.20	1,638	13.20	–	–	–	–	13.20	–	972	648	6	12	1,638	349
छत्तीसगढ़	जामुल	1	2.18	228	2.18	–	–	–	–	2.18	–	75	90	39	–	204	165
छत्तीसगढ़	कुम्हारी	1	2.46	320	2.46	–	–	–	–	2.46	–	–	320	–	–	320	318
छत्तीसगढ़	भानपुरी	1	1.92	210	1.92	–	–	–	–	1.92	–	–	–	192	–	192	–
छत्तीसगढ़	भाटापाड़ा	1	3.62	450	3.62	–	–	–	–	3.62	–	–	192	34	–	226	56
छत्तीसगढ़	खुर्द	1	1.74	204	1.74	–	–	–	–	1.74	–	–	–	102	–	102	–
छत्तीसगढ़	जगदलपुर	1	6.51	880	6.51	–	–	–	–	6.51	448	288	36	72	–	844	680
उप योग	छत्तीसगढ़	18	158.83	17,922	118.31	–	–	40.53	0.00	158.85	1,076	1,825	2,811	2,708	796	9,216	3,828
दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	2	3.34	144	1.67	–	–	–	–	1.67	–	–	–	–	–	–	–
उप योग	दादरा	2	3.34	144	1.67	–	–	–	–	1.67	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	और नगर हवेली																
दमन और दीव	दमन	1	0.58	16	0.29	–	–	–	–	0.29	14	–	–	–	–	14	14
उप योग	दमन और दीव	1	0.58	16	0.29	–	–	–	–	0.29	14	–	–	–	–	14	14
गुजरात	पाटन	1	2.31	240	4.57	–	–	–	–	4.57	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	कादी	1	8.62	664	4.31	–	–	4.31	–	8.62	–	–	–	440	–	440	–
गुजरात	उंझा	1	5.55	624	4.16	1.39	–	0.00	–	5.55	624	–	–	–	–	624	624
गुजरात	हिम्मतनगर	1	9.82	1,296	4.91	–	4.91	–	–	9.82	–	–	736	164	–	900	–
गुजरात	प्रतीज	1	3.45	449	1.72	–	–	1.72	0.00	3.45	105	40	69	8	173	395	–
गुजरात	देहगम	1	4.45	256	–	–	2.23	2.23	–	4.45	–	–	–	208	–	208	–
गुजरात	दनडुका	1	0.72	96	3.16	–	–	–	–	3.16	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	धनगर्दा	1	4.85	564	3.63	1.21	–	–	–	4.85	348	–	–	–	–	348	–
गुजरात	हल्वाद	1	9.82	828	4.91	–	–	–	–	4.91	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	लिम्बिडी	1	2.95	384	1.48	–	–	–	–	1.48	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	चोटिला	1	3.17	240	–	–	1.59	1.59	–	3.17	–	–	–	100	–	100	–
गुजरात	गोंडल	1	14.46	1,775	7.23	7.23	–	–	–	14.46	179	–	975	96	–	1,250	
गुजरात	जेतपुर	1	9.41	963	5.38	2.69	–	1.34	0.00	9.41	600	38	325	–	–	963	
गुजरात	मोरवी	1	15.53	1,008	–	–	7.76	–	–	7.76	–	–	–	–	–	–	–
गुजरात	उपलेटा	1	2.90	1,160	2.90	–	–	–	–	2.90	–	–	–	1,160	–	1,160	1,160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
गुजरात	राजकोट	2	7.84	1,118	6.00	-	-	1.83	-	7.84	288	48	84	254	-	674	674
गुजरात	जामनगर	1	6.73	608	-	-	3.37	3.37	-	6.73	-	-	-	208	-	208	-
गुजरात	कुटीयाना	1	15.78	1,088	-	-	7.89	-	-	7.89	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	चोरवड	1	7.92	512	-	-	3.96	-	-	3.96	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	कोदीनार	1	7.75	1,008	4.84	-	-	2.91	-	7.75	-	384	-	336	-	720	-
गुजरात	यूना	1	13.28	960	-	-	6.64	-	-	6.64	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	वेरावल	1	2.40	281	3.65	-	-	-	-	3.65	281	-	-	-	-	281	45
गुजरात	अमरेली	1	3.62	376	2.77	0.92	-	-	-	3.69	188	-	-	179	9	376	164
गुजरात	बगासरा	1	3.65	500	1.83	-	-	-	-	1.83	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	महुवा	1	6.16	464	-	-	3.08	3.08	-	6.16	-	-	-	96	200	296	-
गुजरात	आनंद	1	4.31	416	3.86	-	-	-	-	3.86	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	अनकलव	1	4.40	611	3.30	1.10	-	-	-	4.40	415	1	-	-	-	416	-
गुजरात	बोरियावई	1	3.28	224	4.10	-	-	-	-	4.10	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	पेटलेड	1	4.87	446	2.44	-	-	2.44	-	4.87	179	82	-	-	-	261	-
गुजरात	हलोल	1	3.05	272	-	-	1.53	-	-	1.53	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	कलोल	1	8.01	480	4.01	-	-	-	-	4.01	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	संतरामपुर	1	6.52	512	-	-	3.26	3.26	-	6.52	-	-	-	150	10	160	-
गुजरात	धोड	1	2.25	168	-	-	1.12	-	-	1.12	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	करजन	2	2.14	854	2.14	-	-	-	-	2.14	-	-	-	854	-	854	854
गुजरात	पादरा	1	7.16	784	3.58	-	-	-	-	3.58	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
गुजरात	वडोदरा	2	4.49	755	5.73	-	-	-	-	5.73	-	-	-	387	-	387	387
गुजरात	सोनगढ़	1	7.47	926	3.73	-	-	-	-	3.73	-	-	-	-	77	77	-
उप योग	गुजरात	40	231.07	23,910	100.32	14.54	47.33	28.07	0.00	190.26	3,207	593	2,189	4,640	469	11,098	3,908
हरियाणा	कालका	2	1.66	83	1.04	-	0.36	0.00	-	1.39	22	2	18	6	-	48	48
हरियाणा	पंचकुला	1	17.22	2,388	8.61	-	-	-	-	8.61	2,072	-	-	-	-	2,072	1,971
हरियाणा	पिंजौर	2	1.31	71	1.51	-	0.30	0.00	-	1.82	33	9	-	5	-	47	47
हरियाणा	अम्बाला	2	17.02	495	9.24	03.08	2.35	0.00	-	14.67	317	93	10	18	-	438	438
हरियाणा	अम्बाला सदर	2	14.00	423	6.85	2.28	2.44	-	-	11.57	148	102	26	33	-	309	309
हरियाणा	नारायणगढ़	2	9.86	611	4.32	1.44	2.05	-	-	7.81	235	-	122	23	4	384	380
हरियाणा	जगाधरी	2	23.56	968	9.40	9.40	2.38	-	-	21.18	108	398	300	79	-	885	885
हरियाणा	यमुनानगर	2	14.06	652	4.48	-	2.55	4.48	-	11.51	83	318	201	19	-	621	621
हरियाणा	लाडवा	1	2.85	200	1.42	-	-	1.42	-	2.85	-	121	63	9	-	193	193
हरियाणा	जींद	1	14.93	933	7.47	-	-	7.47	-	14.93	89	366	20	192	82	749	667
हरियाणा	हिसार	2	18.78	619	9.48	-	-	6.44	-	15.91	208	48	49	56	59	420	361
हरियाणा	भिवानी	1	23.14	1,679	17.35	5.78	-	-	-	23.14	1,286	72	265	47	9	1,679	1,670
हरियाणा	दादरी	1	9.69	605	7.27	2.42	-	-	-	9.69	280	154	131	22	18	605	587
हरियाणा	झज्जर	1	5.73	431	2.86	-	-	2.86	-	5.73	102	86	-	37	12	237	225
हरियाणा	रेवाड़ी	1	19.20	485	14.40	4.80	-	-	-	19.20	233	50	72	4	-	359	359
उप योग	हरियाणा	23	193.01	10,643	105.69	29.21	12.43	22.67	-	169.99	5,216	1,819	1,277	550	184	9,046	8,761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
हिमाचल प्रदेश	सरकाघाट	1	5.08	130	2.54	–	–	2.54	–	5.08	–	–	–	45	–	45	45
हिमाचल प्रदेश	सुंदरनगर	1	6.63	208	3.32	–	–	3.32	–	6.63	–	–	–	60	–	60	60
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	1	3.41	152	1.71	–	1.71	–	–	3.41	–	–	–	72	–	72	–
हिमाचल प्रदेश	बद्दी	1	8.91	480	4.45	–	–	–	–	4.45	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	नालागढ़	1	3.75	128	1.88	–	1.88	–	–	3.75	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	पवानो	1	8.22	192	4.11	–	4.11	–	–	8.22	–	–	32	160	–	192	36
हिमाचल प्रदेश	सोलन	1	6.16	336	3.08	–	–	–	–	3.08	–	–	–	–	–	–	–
उप योग	हिमाचल प्रदेश	7	42.17	1,626	21.09	–	7.69	5.86	–	34.64	–	–	32	337	–	369	141
जम्मू और कश्मीर	हंदवाड़ा	2	3.58	196	1.59	0.79	0.80	0.40	–	3.58	–	57	105	28	–	190	190
जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	1	2.29	226	0.92	0.92	–	0.46	–	2.29	–	70	73	14	–	157	157
जम्मू और कश्मीर	बांदीपुर	1	4.18	413	1.67	1.67	–	0.84	0.00	4.18	–	–	413	–	–	413	413
जम्मू और कश्मीर	बारामूला	2	9.92	672	4.28	–	2.72	1.36	–	8.36	–	196	–	184	–	380	380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
जम्मू और कश्मीर	हजन	2	1.40	71	0.63	0.29	-	0.14	0.34	1.40	-	10	61	-	-	71	71
जम्मू और कश्मीर	सोपोर	2	7.58	446	3.34	-	1.81	2.44	-	7.58	-	-	191	134	-	325	325
जम्मू और कश्मीर	समबल	2	3.59	207	1.58	0.84	-	0.42	0.00	2.84	-	117	90	-	-	207	207
जम्मू और कश्मीर	उड़ी	1	1.21	51	-	0.60	-	-	0.60	1.21	-	-	-	-	-	-	-
जम्मू और कश्मीर	गांदरबल	2	2.32	110	1.05	0.45	-	0.22	-	1.72	-	-	93	-	-	93	93
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	1	0.71	316	0.71	-	-	-	-	0.71	-	-	-	316	-	316	316
जम्मू और कश्मीर	बड़गाम	2	1.54	85	0.68	0.34	-	0.17	0.00	1.20	-	28	48	9	-	85	85
जम्मू और कश्मीर	मगम	2	2.18	140	0.95	0.57	0.38	0.28	-	2.18	-	80	46	14	-	140	140
जम्मू और कश्मीर	शुपियां	2	2.62	132	1.18	0.53	-	0.91	-	2.62	-	53	26	41	-	120	120
जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	1	3.08	53	1.54	1.54	-	-	-	3.08	-	-	51	2	-	53	53
जम्मू और कश्मीर	दुरु-विरांग	1	1.94	82	-	0.97	-	-	0.97	1.94	-	-	-	-	-	-	-
जम्मू और कश्मीर	कुकमबग	1	2.07	83	-	1.03	-	-	1.03	2.07	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
जम्मू और कश्मीर	कुलगाम	2	4.60	256	2.04	1.04	1.01	0.52	–	4.60	–	74	119	63	–	256	256
जम्मू और कश्मीर	मट्टन	2	1.01	44	0.46	0.18	–	0.37	–	1.01	–	–	35	6	–	41	41
जम्मू और कश्मीर	लेह	1	8.86	–	–	4.43	–	–	4.43	8.86	–	–	–	–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	बनिहाल	1	3.11	57	1.56	0.78	0.78	–	–	3.11	–	17	25	–	–	42	42
जम्मू और कश्मीर	बटोटे	1	3.02	114	1.51	0.75	0.75	–	–	3.02	–	24	–	67	–	91	91
जम्मू और कश्मीर	भद्रवाह	1	1.83	103	–	0.91	–	–	0.91	1.83	–	–	–	14	–	14	14
जम्मू और कश्मीर	चेन्नई	1	1.77	103	–	0.88	–	–	0.88	1.77	–	–	–	45	–	45	45
जम्मू और कश्मीर	रामनगर	2	3.91	187	2.14	–	0.38	1.39	0.00	3.91	–	–	50	34	–	84	84
जम्मू और कश्मीर	रियासी	2	3.65	223	2.05	–	0.45	0.45	0.70	3.65	–	–	–	191	–	191	191
जम्मू और कश्मीर	पंच	1	5.06	270	3.79	–	1.26	–	–	5.06	–	8	–	222	–	230	230
जम्मू और कश्मीर	नौरोरा	1	2.24	110	1.12	0.56	0.56	–	0.00	2.24	–	32	35	3	–	70	70
जम्मू और कश्मीर	राजौरी	1	2.49	140	–	1.25	–	–	–	1.25	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
जम्मू और कश्मीर	थानामंडी	1	3.07	94	2.30	–	0.77	–	–	3.07	–	16	36	37	–	89	89
जम्मू और कश्मीर	अमिया	1	2.08	124	–	1.04	–	–	–	1.04	–	–	–	31	–	31	31
जम्मू और कश्मीर	जम्मू छावनी	1	0.66	292	0.66	–	–	–	–	0.66	–	–	–	292	–	292	292
जम्मू और कश्मीर	खुर	1	3.43	313	1.71	0.86	0.86	–	–	3.43	–	1	131	99	–	231	231
जम्मू और कश्मीर	रामगढ़	1	1.05	50	0.52	0.26	0.26	–	–	1.05	–	21	8	–	–	29	29
जम्मू और कश्मीर	बसाहोली	1	3.34	592	2.51	–	0.84	–	0.00	3.34	–	138	41	70	–	249	249
जम्मू और कश्मीर	बिलावर	1	2.54	175	–	1.27	–	–	1.27	2.54	–	–	–	15	–	15	15
जम्मू और कश्मीर	पैरोल	1	4.84	1,001	2.42	1.21	–	1.21	–	4.84	–	–	–	380	–	380	380
उप योग	जम्मू और कश्मीर	49	112.75	7,531	44.91	25.97	13.62	11.58	11.14	107.22	–	942	1,677	2,311	–	4,930	4,930
झारखंड	डाल्टनगंज	1	12.39	969	6.19	–	–	–	–	6.19	–	–	–	395	1	396	–
झारखंड	चतरा	1	11.72	932	5.86	–	–	5.86	–	11.72	–	–	55	158	–	213	213
झारखंड	हजारीबाग	1	11.39	1,230	4.71	0.98	–	5.69	–	11.38	–	–	300	264	23	587	564
झारखंड	गिरिडीह	1	12.24	1,132	6.12	–	–	–	–	6.12	–	–	233	283	–	516	516
झारखंड	मिहिजाम	1	15.48	1,391	–	7.74	–	–	–	7.74	–	–	–	57	83	140	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
झारखंड	फुसरो	1	9.34	886	4.67	–	–	–	–	4.67	–	–	39	49	–	88	88
झारखंड	लोहरदगा	1	19.54	1,623	8.47	1.30	–	9.77	–	19.54	–	–	508	402	–	910	910
झारखंड	गुमला	1	15.58	1,292	7.79	–	–	–	–	7.79	–	–	–	50	57	107	50
झारखंड	चायबासा	1	7.51	736	3.17	0.59	–	–	–	3.76	–	–	150	226	–	376	100
झारखंड	सेराईकाला	1	16.15	1,353	8.07	–	–	–	–	8.07	–	–	–	8	27	35	8
उप योग	झारखंड	10	131.33	11,544	55.05	10.61	–	21.32	–	86.98	–	–	1,285	1,892	191	3,368	2,902
कर्नाटक	बेलगाम	1	1.67	138	1.67	–	–	–	–	1.67	127	6	–	5	–	138	138
कर्नाटक	सदुनायेम-लाकुट्टी	1	1.59	145	1.59	–	–	–	–	1.59	145	–	–	–	–	145	145
कर्नाटक	बागलकोट	1	4.78	240	2.39	2.39	–	–	–	4.78	–	200	–	40	–	240	240
कर्नाटक	चिंचोली	1	2.33	200	1.16	1.16	–	–	–	2.33	–	71	–	129	–	200	–
कर्नाटक	गुल्बर्गा	1	9.12	786	9.12	–	–	–	–	9.12	697	27	–	30	–	754	709
कर्नाटक	शाहपुर	1	2.44	207	2.44	–	–	–	–	2.44	175	32	–	–	–	207	207
कर्नाटक	बसवाकल्याण	1	1.68	170	1.68	–	–	–	–	1.68	140	30	–	–	–	170	170
कर्नाटक	भाल्की	1	2.03	150	2.03	–	–	–	–	2.03	35	115	–	–	–	150	150
कर्नाटक	सिंधनुर	1	12.04	1,005	6.02	6.02	–	–	–	12.04	–	828	–	97	10	935	925
कर्नाटक	कोप्पल	1	2.68	265	2.68	–	–	–	–	2.68	250	–	–	15	–	265	–
कर्नाटक	गदगबेटीगिरी	1	13.13	738	13.13	–	–	–	–	13.13	719	19	–	–	–	738	738
कर्नाटक	गजेंद्रगढ़	1	4.54	500	4.54	–	–	–	–	4.54	121	279	–	100	–	500	500
कर्नाटक	हुबली-	3	17.08	1,139	8.53	8.53	–	–	–	17.07	295	738	–	106	–	1,139	539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	धारवाड़																
कर्नाटक	बेलैरी	1	5.37	520	5.37	–	–	–	–	5.37	117	358	–	26	–	501	501
कर्नाटक	हिरयर	1	2.16	123	2.16	–	–	–	–	2.16	63	58	–	2	–	123	123
कर्नाटक	शिकारपुर	1	7.22	330	3.61	3.61	–	–	–	7.22	–	330	–	–	–	330	330
कर्नाटक	शिमोगा	1	13.17	600	6.58	6.58	–	–	–	13.17	–	600	–	–	–	600	600
कर्नाटक	कडुर	1	6.65	500	6.65	–	–	–	–	6.65	453	47	–	–	–	500	500
कर्नाटक	पवगढ़	1	11.62	508	5.81	5.81	–	–	–	11.62	–	506	–	2	–	508	508
कर्नाटक	सिरा	1	11.32	682	5.66	5.66	–	–	–	11.32	–	527	–	155	–	682	682
कर्नाटक	चिंतामणि	1	10.58	798	5.29	5.29	–	–	–	10.58	–	659	–	106	33	798	765
कर्नाटक	गौरीबिदनूर	1	1.44	–	0.72	0.72	–	–	–	1.44	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	मुबगल	1	6.36	600	3.18	3.18	–	–	–	6.36	222	349	–	–	19	590	491
कर्नाटक	सिडलघट	1	2.37	200	1.19	1.19	–	–	–	2.37	140	14	–	6	30	190	–
कर्नाटक	डी.ओ.डी. बालपुर	1	6.37	648	3.18	3.18	–	–	–	6.37	626	22	–	–	–	648	–
कर्नाटक	कनकपुरा	1	11.23	727	5.62	5.62	–	–	–	11.23	–	679	–	48	–	727	727
कर्नाटक	रामनगरम	1	16.54	1,800	8.27	8.27	–	–	–	16.54	471	285	–	965	2	1,723	1,307
कर्नाटक	मण्डया	1	7.92	558	3.96	–	–	3.17	–	7.13	–	154	–	203	19	376	357
कर्नाटक	नगमंगला	1	3.92	420	2.94	0.98	–	–	–	3.92	110	283	–	–	–	393	328
कर्नाटक	हसन	2	18.34	2,000	18.32	–	–	–	0.01	18.32	1,638	362	–	–	–	2,000	2,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
कर्नाटक	नजनगौड	1	4.90	540	3.67	1.22	–	–	–	4.90	221	304	–	15	–	540	364
उप योग	कर्नाटक	34	222.58	17,237	149.17	69.42	–	3.16	0.01	221.76	6,765	7,882	–	2,050	113	16,810	14,044
केरल	कन्हनगर	2	5.77	1,076	3.71	–	–	1.03	–	4.74	101	26	73	167	69	436	436
केरल	कासरगोड	1	1.02	174	0.77	0.26	–	–	–	1.02	103	10	15	1	1	130	130
केरल	केनर	1	1.56	301	0.78	–	–	0.39	–	1.17	134	7	7	134	–	282	282
केरल	कोथुपूरम्भ	1	0.66	43	0.66	–	–	–	–	0.66	40	–	3	–	–	43	43
केरल	मट्टन्नूर	2	5.78	748	3.42	–	–	1.89	–	5.31	55	308	150	25	5	543	543
केरल	पैयन्नर	1	2.30	314	1.15	–	–	–	–	1.15	18	50	26	11	–	105	105
केरल	तेलीपरम	1	1.95	242	1.46	0.49	–	–	–	1.95	100	37	8	4	–	149	149
केरल	थालास्सेरी	1	1.61	104	0.81	–	–	0.40	–	1.21	34	–	–	20	–	54	54
केरल	कलपेट	1	1.18	78	0.59	–	–	0.59	–	1.18	–	48	2	14	–	64	64
केरल	कोझीकोड	1	5.47	511	2.74	–	–	–	–	2.74	23	20	8	–	–	51	51
केरल	क्यूलेंडी	1	2.46	435	2.46	–	–	–	–	2.46	269	29	25	9	–	332	332
केरल	वदकर	1	0.61	62	0.30	–	–	0.15	–	0.46	–	19	14	2	–	35	35
केरल	मलप्पुरम	2	13.74	1,955	11.05	–	2.69	–	–	13.74	1,319	120	313	46	4	1,802	1,802
केरल	पेरिनथालमन	2	10.81	1,379	9.23	1.59	–	–	–	10.82	933	130	34	42	61	1,200	1,200
केरल	पोन्नानी	1	3.52	229	2.64	0.88	–	0.00	–	3.52	–	–	120	–	–	120	120
केरल	तिरूर	1	2.65	257	1.22	0.11	0.66	–	–	1.99	22	89	12	11	–	134	134
केरल	चितूर थथामंगलम	1	9.77	1,313	7.33	2.44	–	–	–	9.77	772	76	20	–	67	935	935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
केरल	ओट्टपल्लम	2	11.81	1,226	9.49	–	–	1.86	–	11.35	529	409	72	8	–	1,018	1,018
केरल	पालाक्कड़	1	16.10	2,001	8.05	–	–	–	–	8.05	433	58	12	8	21	532	532
केरल	शोरानूर	1	7.09	596	5.32	1.77	–	0.00	–	7.09	463	34	14	10	3	524	524
केरल	चलकुडी	1	2.65	534	1.32	–	0.66	–	–	1.99	77	227	35	34	–	373	373
केरल	चवक्कड	1	1.27	135	1.27	–	–	–	–	1.27	80	11	–	1	–	92	92
केरल	गुरुवायुर	1	1.35	123	0.68	–	–	–	0.54	1.22	39	–	13	8	–	60	60
केरल	इरंजकुड	2	3.39	545	2.13	–	–	–	1.01	3.14	114	135	41	25	–	315	315
केरल	कोडुन्गल्लुर	1	3.48	285	1.74	–	–	1.74	–	3.49	–	67	61	25	–	153	153
केरल	कुन्नमकुलम	1	1.43	206	1.07	0.36	–	–	–	1.43	131	11	2	4	–	148	148
केरल	त्रिशूर	1	3.14	246	1.57	–	–	–	–	1.57	–	–	–	–	–	–	–
केरल	अलुवा	1	0.43	90	0.21	0.21	–	–	–	0.43	–	66	8	12	–	86	86
केरल	अंगमाली	1	2.24	380	1.12	1.12	–	–	–	2.24	207	–	31	8	–	246	246
केरल	कोठामंगलम	1	1.47	192	0.73	–	–	–	–	0.73	141	12	3	1	–	157	157
केरल	मुवतपूजा	1	4.78	874	3.56	1.22	–	–	–	4.78	611	49	12	2	–	674	674
केरल	पारावुर	1	4.06	743	2.03	2.03	–	–	–	4.06	276	131	35	119	–	561	561
केरल	पेरेरूमबावूर	1	2.45	344	1.23	–	0.61	–	–	1.84	114	34	131	65	–	344	204
केरल	थोडूपूजा	1	3.12	420	1.56	–	–	1.25	–	2.81	115	18	32	26	–	191	191
केरल	चंगनशेरी	2	9.13	1,238	5.24	0.67	–	–	–	5.91	295	15	442	46	6	804	804
केरल	कोट्टायम	1	5.34	831	2.67	–	–	–	–	2.67	–	222	85	110	2	419	419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
केरल	आलाप्पुझा	1	8.03	950	4.02	–	–	2.01	–	6.02	495	53	24	32	6	610	610
केरल	चरथला	1	3.45	454	1.72	–	–	0.86	–	2.58	–	148	38	73	–	259	259
केरल	पथन-मथीट्टा	1	5.24	749	2.62	–	–	–	–	2.62	329	81	36	57	–	503	503
केरल	पाराबूर	2	4.40	762	4.40	–	–	–	–	4.40	467	40	20	16	–	543	543
केरल	पूनालेर	1	7.14	922	7.14	–	–	–	–	7.14	599	46	40	19	4	708	708
केरल	एंटीगल	1	1.25	201	1.25	–	–	–	–	1.25	129	6	–	–	–	135	135
केरल	नेदुमनगड	1	4.32	532	2.16	–	–	–	–	2.16	225	202	–	–	–	427	427
केरल	नयतिंकर	1	5.95	744	2.97	–	2.97	0.00	–	5.95	326	45	–	–	–	371	371
केरल	वर्कला	1	6.19	661	3.09	–	–	–	–	3.09	175	86	25	236	–	522	382
उप योग	केरल	53	201.60	26,205	130,70	13.14	7.60	12.18	1.55	165.17	10,293	3,175	2,042	1,431	249	17,190	16,910
मध्य प्रदेश	ग्वालियर	1	36.66	4.576	18.33	–	–	14.66	–	33.00	–	–	832	456	97	1,385	–
मध्य प्रदेश	सागर	1	6.11	480	3.05	–	1.53	0.92	–	5.50	–	–	–	–	360	360	–
मध्य प्रदेश	दमोह	1	1.69	104	0.85	–	0.42	–	0.00	1.27	12	20	–	–	–	32	–
मध्य प्रदेश	सतना	1	4.44	270	2.22	–	–	1.78	–	4.00	–	–	154	–	–	154	–
मध्य प्रदेश	रीवा	1	3.73	248	1.92	–	–	1.44	–	3.36	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	सिंगरौली	1	4.29	300	2.14	–	1.72	–	–	3.86	–	–	–	152	102	254	–
मध्य प्रदेश	दिकेन	1	2.36	124	–	1.18	–	0.94	–	2.12	–	–	–	100	–	100	–
मध्य प्रदेश	जिरन	1	2.31	126	–	1.16	–	0.92	–	2.08	–	–	–	78	–	78	–
मध्य प्रदेश	रतनगढ़	1	2.59	135	–	1.29	–	1.03	–	2.33	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
मध्य प्रदेश	सिंगोली	1	2.28	120	–	1.14	0.91	–	–	2.05	–	–	–	120	–	120	–
मध्य प्रदेश	मल्हारगढ़	1	2.55	144	–	–	1.27	–	–	1.27	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	मन्दसौर	1	7.28	500	3.64	–	–	2.91	–	6.55	–	–	–	104	–	104	–
मध्य प्रदेश	पिपलया मंडी	1	1.64	88	–	–	0.82	–	–	0.82	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	जावरा	1	1.74	167	0.87	0.43	–	–	–	1.30	100	–	–	–	–	100	–
मध्य प्रदेश	देवास	2	23.52	2,600	11.76	–	–	–	–	11.76	–	–	128	608	–	736	–
मध्य प्रदेश	पेटलावड	1	2.74	240	2.74	–	–	–	–	2.74	194	–	–	–	–	194	43
मध्य प्रदेश	बेटमा	1	2.44	96	1.22	0.61	–	0.37	–	2.19	–	48	16	32	–	96	–
मध्य प्रदेश	दीपालपुर	1	3.11	96	1.55	1.55	–	0.00	–	3.11	–	16	56	24	–	96	–
मध्य प्रदेश	रूजी गौतमपुरा	1	3.07	96	1.54	0.77	–	0.46	–	2.77	–	–	64	32	–	96	–
मध्य प्रदेश	खरगोन	1	2.85	200	1.43	–	–	1.14	–	2.57	–	–	40	144	–	184	–
मध्य प्रदेश	पंसेमल	1	2.28	128	1.14	–	0.57	0.34	–	2.05	16	20	92	–	–	128	30
मध्य प्रदेश	बुरहानपुर	1	9.65	833	4.82	–	–	–	–	4.82	12	58	50	70	28	218	–
मध्य प्रदेश	खंडवा	1	11.08	1,296	5.54	–	–	4.43	0.00	9.97	–	–	240	528	65	833	–
मध्य प्रदेश	जिरापुर	1	2.39	145	–	–	1.19	–	–	1.19	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	खुजनेर	1	1.88	100	0.94	0.94	–	–	–	1.88	52	4	34	6	–	96	–
मध्य प्रदेश	बसौदा	1	1.30	110	1.31	–	–	–	–	1.31	24	–	86	–	–	110	50
मध्य प्रदेश	कुरई	1	0.73	48	0.37	–	–	–	–	0.37	–	12	–	–	–	12	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
मध्य प्रदेश	लटेरी	1	0.35	–	0.35	–	–	–	–	0.35	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	सिरोंज	2	1.38	114	1.38	–	–	–	–	1.38	24	12	59	19	–	114	50
मध्य प्रदेश	विदिशा	1	1.41	217	0.71	0.35	–	0.21	–	1.27	34	2	181	–	–	217	147
मध्य प्रदेश	बैरसिया	1	1.35	160	0.68	–	–	–	–	0.68	–	8	–	–	–	8	–
मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	1	3.74	297	3.74	–	–	–	–	3.74	168	60	20	48	–	296	57
मध्य प्रदेश	इटारसी	1	2.77	153	1.38	–	–	1.11	–	2.49	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	मुरवाडा (कटनी)	1	22.91	2,182	11.45	–	5.73	3.44	–	20.62	399	–	271	130	200	1,000	18
मध्य प्रदेश	बेरेला	1	1.80	120	0.90	0.90	–	–	–	1.80	–	80	–	–	–	80	–
मध्य प्रदेश	कतांगी	1	1.99	160	1.00	–	–	–	–	1.00	–	–	22	–	–	22	–
मध्य प्रदेश	मझौली	1	1.72	140	0.86	–	0.43	–	–	1.29	–	60	24	6	–	90	–
मध्य प्रदेश	पाटन	1	1.81	120	0.91	–	–	–	–	0.91	–	–	11	2	–	13	–
मध्य प्रदेश	शाहपुरा	1	1.20	104	0.60	–	–	–	–	0.60	–	–	–	49	–	49	–
मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	1	6.70	651	3.35	–	–	2.68	0.00	6.03	60	40	144	10	–	254	52
मध्य प्रदेश	टेंडुखेंडा	1	3.68	256	–	–	1.84	0.00	–	1.84	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	अमरवाडा	1	3.82	274	–	1.91	–	–	–	1.91	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	चौरई	1	3.98	266	–	1.99	–	–	–	1.99	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	1	5.88	500	2.94	–	–	2.35	–	5.29	–	8	136	104	15	263	50
मध्य प्रदेश	हरई	1	1.98	139	0.99	–	–	–	–	0.99	–	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	मोहगांव	1	4.50	267	2.25	–	–	–	–	2.25	–	–	–	137	–	137	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
मध्य प्रदेश	पंधुरना	1	2.08	140	–	1.04	–	0.83	–	1.87	–	–	–	36	22	58	
मध्य प्रदेश	सौसर	1	5.39	461	2.70	–	–	2.16	–	4.85	–	–	–	237	7	244	82
उप योग	मध्य प्रदेश	50	227.14	20,091	103.56	15.26	16.43	44.12	0.00	179.38	1,095	448	2,660	3,232	896	8,331	579
महाराष्ट्र	नंदुरबार	1	15.22	1,176	–	–	7.61	7.61	–	15.22	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	धुले	2	35.36	2,166	14.76	–	–	10.30	–	25.06	150	474	–	334	–	958	276
महाराष्ट्र	डोंडाइका-वरवडे	4	54.14	3,796	25.89	–	14.54	13.70	–	54.14	1,290	722	–	888	–	2,900	1,442
महाराष्ट्र	एगीवरवडे	1	3.10	210	3.30	–	–	0.00	–	3.30	–	40	–	96	–	136	40
महाराष्ट्र	अमलनेर	1	7.72	462	3.86	3.86	–	–	–	7.72	70	80	162	150	–	462	–
महाराष्ट्र	चालीसगांव	1	23.60	1,392	–	–	11.80	–	–	11.80	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	चोपड़ा	2	20.83	1,134	8.61	–	6.11	–	–	14.72	138	27	159	–	–	324	324
महाराष्ट्र	एरनडोल	1	5.69	288	–	–	2.85	–	–	2.85	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	जलगांव	1	7.27	472	–	–	3.64	3.64	–	7.27	–	–	–	48	–	48	–
महाराष्ट्र	जमनेर	1	12.10	1,238	6.05	6.05	–	–	–	12.10	408	348	324	24	–	1,104	–
महाराष्ट्र	बुलढाणा	2	29.92	2,287	10.02	–	9.95	–	–	19.97	657	105	–	–	–	762	679
महाराष्ट्र	चिखली	1	22.64	1,924	–	–	11.32	–	–	11.32	–	–	–	27	–	27	–
महाराष्ट्र	डेलुगांव राजा	1	12.89	749	6.44	–	–	–	–	6.44	–	51	–	34	–	85	–
महाराष्ट्र	खामागंव	2	31.05	2,140	13.54	4.51	6.50	0.00	–	24.55	627	305	310	85	40	1,367	224
महाराष्ट्र	लोनार	2	24.75	1,306	5,79	–	6.59	5.79	–	18.16	–	–	126	–	–	126	–
महाराष्ट्र	मल्कापुर	1	3.47	207	1.74	–	1.74	–	0.00	3.47	26	–	72	–	–	98	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
महाराष्ट्र	मेहकर	1	28.57	1,584	–	–	–	14.29	–	14.29	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	सिंध खेड राजा	1	7.63	4.35	3.81	–	–	–	–	3.81	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	अकोला	3	47.95	3,334	23.97	–	–	–	–	23.97	–	–	–	329	–	329	290
महाराष्ट्र	बलपुर	1	24.12	1,652	–	–	12.06	–	–	12.06	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	मुर्तिजापुर	2	28.36	1,623	7.91	–	6.27	–	7.91	22.09	26	–	168	4	–	198	80
महाराष्ट्र	पतुर	1	8.81	572	–	–	4.40	–	–	4.40	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	तेलहरा	1	14.59	945	–	–	7.29	7.29	–	14.59	–	–	–	225	65	290	225
महाराष्ट्र	करंज	1	13.07	768	6.54	–	–	–	–	6.54	–	–	–	–	–	–	–
–																	
महाराष्ट्र	रिसोद	1	7.15	458	8.12	–	–	0.00	–	8.12	–	–	1	77	–	78	–
महाराष्ट्र	वाशिम	1	22.04	1,318	11.02	–	–	–	–	11.02	–	–	–	399	–	399	96
महाराष्ट्र	अचलपुर	2	34.70	2,130	7.87	–	9.48	17.35	–	34.70	–	–	166	616	–	782	326
महाराष्ट्र	अनजनगांव	1	14.28	816	7.14	–	–	–	–	7.14	–	35	–	–	–	35	–
महाराष्ट्र	चंदुर	2	15.67	1,332	7.83	–	7.83	–	0.00	15.67	–	226	325	144	305	1,000	210
महाराष्ट्र	सेनदुरजन	1	7.12	460	3.56	–	–	–	–	3.56	14	–	–	22	5	41	36
महाराष्ट्र	वारूद	1	4.21	253	3.00	–	–	1.20	0.00	4.21	147	55	7	23	–	232	232
महाराष्ट्र	अर्वी	1	5.73	329	2.87	–	–	–	–	2.87	60	59	12	15	–	146	83
महाराष्ट्र	देवली	1	5.02	370	2.51	–	–	–	–	2.51	35	–	77	–	–	112	74
महाराष्ट्र	हिंगनघट	1	3.83	369	5.59	–	–	0.00	–	5.59	105	52	33	–	–	190	122
महाराष्ट्र	पुलगांव	1	1.91	120	2.65	–	–	–	–	2.65	16	40	34	12	–	102	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
महाराष्ट्र	वर्धा	1	9.26	634	4.76	4.76	–	–	0.00	9.53	150	71	55	70	–	346	–
महाराष्ट्र	कलमेश्वर	1	2.87	201	1.43	–	–	–	–	1.43	–	53	7	7	–	67	57
महाराष्ट्र	कटोल	1	8.16	735	7.87	–	–	0.29	0.00	8.16	263	253	18	110	–	644	525
महाराष्ट्र	खप	1	1.76	176	0.88	–	0.88	–	–	1.76	72	–	–	–	104	176	–
महाराष्ट्र	मोहप	1	3.24	200	2.28	–	–	0.97	–	3.24	–	89	23	8	15	135	47
महाराष्ट्र	मोवड	1	5.02	378	–	–	2.51	2.51	–	5.02	–	–	127	70	–	197	–
महाराष्ट्र	नरकड	3	48.73	3,403	3.05	–	21.59	–	–	24.63	430	–	14	389	–	833	421
महाराष्ट्र	रामटेक	1	3.89	265	1.94	–	–	–	–	1.94	–	18	54	–	–	72	–
महाराष्ट्र	सवनेर	1	2.28	222	2.94	–	–	0.00	–	2.94	58	14	–	–	–	72	–
महाराष्ट्र	उमेद	1	4.10	276	2.48	–	–	–	–	2.48	–	72	–	20	–	92	92
महाराष्ट्र	भंडारा	2	40.73	2,524	8.53	–	13.22	5.77	0.00	27.51	201	235	77	380	133	1,026	201
महाराष्ट्र	पौनी	2	17.87	1,054	8.94	–	–	8.94	–	17.87	67	312	206	76	–	661	490
महाराष्ट्र	तुमसर	1	3.51	234	1.84	–	–	–	1.67	3.51	30	53	57	9	3	152	139
महाराष्ट्र	तिरोर	4	39.01	2,853	7.15	–	14.88	10.73	–	32.76	598	180	350	195	17	1,340	1,087
महाराष्ट्र	देसीगंज	1	7.73	504	3.87	–	3.87	–	–	7.73	70	177	103	56	–	406	406
महाराष्ट्र	चंद्रपुर	1	20.22	1,179	10.11	–	–	–	–	10.11	49	138	9	25	–	221	218
महाराष्ट्र	राजुर	1	10.87	777	5.65	–	–	5.22	–	10.87	–	–	119	420	(148)	391	383
महाराष्ट्र	दर्व	1	1.53	92	3.31	–	–	–	–	3.31	–	44	–	–	–	44	–
महाराष्ट्र	डिगराम	1	13.87	952	–	–	6.94	–	–	6.94	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	पंडाखटो	1	9.36	625	4.68	–	–	–	–	4.68	–	60	8	–	–	68	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
महाराष्ट्र	यवतमाल	1	14.40	972	9:31	-	-	0.00	-	9.31	-	14	20	176	-	210	34
महाराष्ट्र	मुदखेड़	1	11.92	810	5.96	-	-	-	-	5.96	-	90	36	24	-	150	-
महाराष्ट्र	उमरी	1	9.34	656	-	-	4.67	4.67	-	9.34	-	-	-	16	-	16	-
महाराष्ट्र	हिंगोली	2	36.37	2,877	20.96	-	-	-	-	20.96	-	-	-	38	-	38	-
महाराष्ट्र	पातुर	1	12.78	800	6.39	-	6.39	0.00	-	12.78	-	72	153	31	22	278	278
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	1	8.88	617	4.44	-	-	-	-	4.44	220	46	22	11	4	303	299
महाराष्ट्र	वेजपुर	1	18.96	1,212	9.48	-	-	-	-	9.48	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	मालेगांव	11	230.21	15,840	60.78	27.50	85.83	0.00	-	174.11	300	2,148	2,448	1,536	-	6,432	-
महाराष्ट्र	यवल	1	1.09	132	4.13	-	-	-	-	4.13	108	-	-	12	-	120	-
महाराष्ट्र	बारामती	1	2.31	259	2.31	-	-	-	-	2.31	-	-	200	-	59	259	197
महाराष्ट्र	अहमदनगर	2	15.06	852	-	-	7.52	4.06	-	11.59	-	-	-	-	48	48	-
महाराष्ट्र	देवलाली प्रवर	1	3.68	333	3.02	-	0.66	-	-	3.68	24	208	2	32	-	266	256
महाराष्ट्र	रहट	1	9.11	672	-	-	4.55	-	-	4.55	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	श्री रामपुर	1	14.33	1,798	7.16	-	-	-	-	7.16	-	81	75	-	-	156	-
महाराष्ट्र	अहमदपुर	1	2.04	81	-	-	1.02	1.02	-	2.04	-	-	-	16	-	16	-
महाराष्ट्र	लातूर	1	43.62	-	43.62	-	-	-	-	43.62	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	नलदुर्ग	1	13.76	1,206	6.89	-	-	-	-	6.89	112	178	12	-	-	302	-
महाराष्ट्र	तुलजपुर	1	13.21	920	-	-	6.60	-	-	6.60	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	सोलापुर	1	9.30	1,289	4.65	-	-	-	-	4.65	19	69	-	-	-	88	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
महाराष्ट्र	कराड़	1	1.33	152	0.67	–	0.67	–	–	1.33	–	24	–	50	–	74	–
महाराष्ट्र	फलटन	1	7.23	895	3.62	–	–	–	–	3.62	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	सतरा	1	22.19	1,473	–	–	11.09	11.09	–	22.19	–	–	–	288	–	288	–
महाराष्ट्र	वाई	1	4.53	342	2.26	–	–	2.26	–	4.53	–	–	–	144	–	144	–
महाराष्ट्र	सावंतवाड़ी	1	0.81	62	0.81	–	–	–	–	0.81	40	–	22	–	–	62	–
महाराष्ट्र	इचलकरंजी	1	20.19	1,488	10.10	–	–	10.10	–	20.19	–	–	–	–	180	180	–
महाराष्ट्र	कगल	1	16.67	1,002	–	–	8.32	8.32	–	16.64	–	–	216	124	–	340	216
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	2	11.65	761	25.30	–	–	–	0.00	25.29	702	59	–	–	–	761	761
महाराष्ट्र	अष्ट	2	24.34	2,206	12.73	–	5.82	5.82	–	24.37	1,104	91	20	89	–	1,304	1,275
महाराष्ट्र	सांग्लि	2	51.59	3,973	32.05	–	0.88	–	–	32.93	–	–	–	–	80	80	–
महाराष्ट्र	तसगांव	1	3.52	393	1.76	1.76	–	0.00	–	3.52	–	150	–	–	–	150	–
महाराष्ट्र	इस्लामपुर	1	5.06	503	2.53	2.53	–	0.00	–	5.06	108	–	–	120	–	228	108
महाराष्ट्र	विटा	1	6.10	396	–	–	3.05	3.05	–	6.10	–	–	–	–	24	24	–
उप योग	महाराष्ट्र	122	1,504.16	102,071	567.03	50.99	340.94	166.00	9.59	1,134.54	8,494	7,618	6,429	8,094	956	31,591	12,337
मणिपुर	बिष्णुपुर	1	4.73	375	2.36	2.36	–	–	–	4.73	–	–	70	30	59	159	159
मणिपुर	मोरियंग	1	8.33	663	4.16	4.16	–	–	–	8.33	–	–	656	–	7	663	663
मणिपुर	कचिंग खुन्नु	1	6.61	548	3.31	3.31	–	–	–	6.61	–	–	500	20	8	528	528
मणिपुर	थौबल	1	8.99	815	4.49	4.49	–	–	–	8.99	–	788	27	–	–	815	815
मणिपुर	जिरीबाम	1	3.38	288	1.69	1.69	–	0.00	–	3.38	–	44	244	–	–	288	288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
मणिपुर	मणिपुर	1	0.32	140	0.32	-	-	-	-	0.32	-	-	140	-	-	140	140
उप योग	मणिपुर	6	32.35	2,829	16.33	16.02	-	0.00	-	32.35	-	832	1,637	50	74	2,593	2,593
मेघालय	तूरा	1	8.97	456	4.48	-	-	4.48	0.00	8.97	-	48	-	-	-	48	48
मेघालय	विलियम-नगर	1	6.36	216	3.18	-	-	-	-	3.18	-	-	-	-	-	-	-
मेघालय	ननगोप	1	7.10	240	3.55	-	-	-	-	3.55	-	-	-	-	-	-	-
उप योग	मेघालय	3	22.43	912	11.21	-	-	4.48	0.00	15.70	-	48	-	-	-	48	48
मिजोरम	मामित	1	2.60	150	1.30	1.30	-	-	-	2.60	40	16	42	42	-	140	140
मिजोरम	कोलासिब	2	5.20	300	2.60	2.60	-	-	-	5.20	145	60	15	78	-	298	298
मिजोरम	चम्फई	2	6.72	450	3.36	3.36	-	-	-	6.72	44	104	164	138	-	450	450
मिजोरम	सरचिप	1	5.16	350	2.58	2.58	-	-	-	5.16	50	80	70	119	2	321	321
मिजोरम	लुंगलेई	1	6.21	500	3.11	3.11	-	-	-	6.21	48	150	76	191	3	468	468
मिजोरम	सहिया	1	3.90	200	1.95	1.95	-	-	-	3.90	20	63	17	100	-	200	200
उप योग	मिजोरम	8	29.78	1,950	14.89	14.89	-	-	-	29.78	347	473	384	668	5	1,877	1,877
नागालैंड	दीमापुर	1	40.70	2,496	29.32	-	-	-	-	29.32	480	-	-	-	250	730	240
नागालैंड	नागालैंड	1	0.60	265	0.60	-	-	-	-	0.60	-	-	-	265	-	265	265
उप योग	नागालैंड	2	41.30	2,761	29.92	-	-	-	-	29.92	480	-	-	265	250	995	505
ओडिशा	बारगढ़	1	7.57	732	3.80	-	-	3.77	-	7.57	138	244	15	101	-	498	498
ओडिशा	ब्रजराज नगर	1	2.34	177	1.17	0.59	0.59	-	-	2.34	33	-	43	83	-	159	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ओडिशा	झारसुगुदा	1	13.17	786	5.95	7.21	–	0.00	–	13.17	154	70	99	143	21	487	487
ओडिशा	कुचिंद	1	3.04	177	–	–	1.52	1.52	–	3.04	–	–	–	82	10	92	92
ओडिशा	सम्बलपुर	1	10.25	613	4.63	0.49	–	0.00	–	5.12	4	23	61	64	–	152	152
ओडिशा	बिरमितपुर	1	2.40	200	1.20	1.20	–	–	–	2.40	84	–	61	40	–	185	185
ओडिशा	राउरकेला	1	1.52	124	0.76	0.76	–	–	–	1.52	111	13	–	–	–	124	124
ओडिशा	जोड	1	3.05	174	–	–	1.52	–	–	1.52	–	–	–	6	1	7	6
ओडिशा	केंदुझार	1	4.43	261	6.73	0.71	–	–	–	7.45	33	35	57	73	–	198	198
ओडिशा	बारीपदा	1	7.75	474	3.50	0.38	3.88	–	–	7.75	24	47	24	118	–	213	213
ओडिशा	बालेश्वर	2	8.33	549	4.17	0.54	3.63	–	–	8.33	–	135	47	170	–	352	352
ओडिशा	भद्रक	2	6.01	404	2.81	0.19	1.68	0.00	–	4.68	51	–	9	122	9	191	191
ओडिशा	केंद्रपाड़ा	1	1.05	87	0.52	0.52	–	–	–	1.05	32	2	10	20	–	64	64
ओडिशा	जगतसिंहपुर	1	2.78	162	–	–	1.39	1.39	–	2.78	–	–	–	109	22	131	109
ओडिशा	कटक	1	9.45	456	4.72	–	–	–	–	4.72	–	–	–	–	–	–	–
ओडिशा	व्यासनगर	1	12.74	1,016	6.37	6.37	–	–	–	12.74	59	16	163	532	–	770	770
ओडिशा	जजपुर	1	3.70	295	1.85	1.85	–	–	–	3.70	182	64	13	25	–	284	284
ओडिशा	ढेंकनाल	1	7.55	608	5.61	–	–	1.94	0.00	7.55	230	72	28	69	1	400	400
ओडिशा	अंगुल	1	4.12	334	2.06	–	2.06	0.00	–	4.12	50	37	120	55	–	262	262
ओडिशा	तालचेर	1	2.02	155	1.01	–	–	1.01	–	2.02	40	37	11	54	–	142	142
ओडिशा	नयागढ़	1	3.07	226	1.53	–	–	1.53	0.00	3.07	55	10	8	28	–	101	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ओडिशा	जतनी	2	3.16	204	1.58	-	0.45	-	-	2.03	-	-	15	66	-	81	81
ओडिशा	खुर्दा	1	1.19	91	0.59	-	0.59	-	-	1.19	-	-	1	38	4	43	43
ओडिशा	ब्रह्मपुर	1	20.63	1,202	10.32	-	-	-	-	10.32	-	-	150	392	-	542	542
ओडिशा	परलेखमुदी	1	4.98	307	2.49	-	-	-	-	2.49	-	26	17	63	-	106	106
ओडिशा	फुलबनी	1	2.70	157	-	1.35	-	-	-	1.35	-	-	-	4	-	4	4
ओडिशा	बाउंडगढ़	1	2.51	149	-	-	1.25	-	-	1.25	-	-	-	-	5	5	1
ओडिशा	सोनपुर	1	15.69	934	7.85	-	7.85	-	-	15.69	85	221	144	261	-	711	711
ओडिशा	बालनगीर	1	5.57	324	2.53	0.26	2.79	-	-	5.57	171	114	5	29	-	319	319
ओडिशा	पटनगर	1	2.72	159	-	-	1.36	-	-	1.36	-	-	-	-	80	80	80
ओडिशा	खारियर रोड	1	3.14	305	1.57	-	1.57	-	-	3.14	229	-	16	33	-	278	278
ओडिशा	भवानीपटना	1	2.82	164	1.28	0.13	1.41	-	-	2.82	88	15	17	24	-	144	144
ओडिशा	नवरंगपुर	1	4.02	532	2.01	-	-	-	-	2.01	-	20	14	51	-	85	85
ओडिशा	जेयपुर	1	5.04	323	2.26	0.26	-	0.00	-	2.52	-	5	17	63	-	85	85
ओडिशा	मलकानगिरी	1	4.04	236	2.02	-	-	2.02	-	4.04	-	5	-	96	16	117	117
उप योग	ओडिशा	38	194.53	13,097	92.90	22.80	33.54	13.18	-	162.42	1,853	1,211	1,165	3,014	169	7,412	7,385
पुदुचेरी	करियाकल	1	5.48	432	2.74	-	-	-	-	2.74	-	-	-	72	-	72	-
उप योग	पुदुचेरी (यू.टी.)	1	5.48	432	2.74	-	-	-	-	2.74	-	-	-	72	-	72	-
पंजाब	बटाला	1	7.65	383	-	-	3.82	-	-	3.82	-	-	-	-	-	-	-
पंजाब	जालंधर	2	25.55	3,938	12.77	-	-	12.77	0.00	25.55	-	-	686	256	1,143	2,085	978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पंजाब	जलालाबाद	1	4.46	542	–	–	2.23	–	–	2.23	–	–	–	–	–	–	–
पंजाब	राजपुरा	1	8.22	720	4.11	–	4.11	0.00	–	8.22	–	–	16	92	–	108	17
उप योग	पंजाब	5	45.88	5,583	16.89	–	10.16	12.77	0.00	39.82	–	–	702	348	1,143	2,193	995
राजस्थान	अनूपगढ़	1	8.13	449	5.37	–	5.37	–	–	10.75	–	–	–	–	–	–	–
राजस्थान	सूरतगढ़	1	22.10	1,493	11.05	–	–	11.05	–	22.10	9	40	75	34	–	158	158
राजस्थान	भद्रा	1	24.25	1,332	12.12	–	–	12.12	–	24.25	–	–	–	158	–	158	158
राजस्थान	हनुमानगढ़	1	17.54	651	17.54	–	–	–	–	17.54	290	11	24	174	–	499	261
राजस्थान	पिलीबंगा	1	4.27	244	2.14	–	2.14	–	–	4.27	–	–	20	41	3	64	64
राजस्थान	रावतसर	1	18.51	1,398	9.26	–	–	9.26	–	18.51	–	46	174	81	13	314	314
राजस्थान	बीकानेर	2	24.55	1,216	13.61	–	–	–	–	13.61	–	7	4	5	4	20	20
राजस्थान	देशनोक	1	9.29	391	–	–	4.65	–	–	4.65	–	–	–	–	–	–	–
राजस्थान	सरदर्स	1	21.47	1,802	–	–	10.74	10.74	–	21.47	–	–	–	938	–	938	–
राजस्थान	सवाई माधोपुर	1	9.93	976	4.96	4.96	–	–	–	9.93	196	123	215	–	–	534	184
राजस्थान	सीकर	1	4.35	556	2.18	–	–	–	–	2.18	256	–	–	–	–	256	147
राजस्थान	बिलरा	1	9.35	574	4.68	–	–	–	–	4.68	–	37	–	4	–	41	41
राजस्थान	जोधपुर	3	44.18	3,088	19.33	–	2.75	6.07	–	28.16	17	57	187	121	22	404	404
राजस्थान	फलौदी	2	24.79	1,390	6.90	–	5.50	12.40	–	24.79	–	–	158	267	40	465	465
राजस्थान	पिपर	1	12.73	654	–	–	6.36	–	–	6.36	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
राजस्थान	जैसलमेर	2	34.51	2,539	17.26	–	6.32	10.94	0.00	34.51	–	12	25	14	51	102	102
राजस्थान	पोकरन	1	12.20	787	6.10	–	6.10	–	–	12.20	74	89	23	217	–	403	403
राजस्थान	बालोत्रा	1	5.47	447	5.47	–	–	–	–	5.47	238	31	33	145	–	447	447
राजस्थान	बाड़मेर	1	15.22	1,281	7.61	–	–	7.61	–	15.22	–	579	230	237	–	1,046	1,046
राजस्थान	भीनमाल	1	4.27	500	2.69	–	2.69	–	–	5.38	–	–	2	89	5	96	96
राजस्थान	झालोर	1	4.89	263	2.45	–	2.45	–	–	4.89	–	–	7	10	–	17	17
राजस्थान	सांचोर	1	5.31	390	2.66	–	–	–	–	2.66	–	–	8	25	–	33	33
राजस्थान	पिंडवारा	1	8.00	686	4.00	–	–	4.00	–	8.00	–	–	28	152	–	180	180
राजस्थान	सियोगंज	1	7.03	489	–	–	3.51	3.51	–	7.03	–	–	–	30	–	30	30
राजस्थान	बाली	1	2.64	523	1.32	–	1.32	–	–	2.64	47	50	79	5	8	189	189
राजस्थान	जैतरन	1	3.23	214	1.61	–	1.61	–	–	3.23	–	–	54	26	–	80	80
राजस्थान	पाली	1	17.64	2,722	17.64	–	–	–	–	17.64	558	349	183	339	–	1,429	629
राजस्थान	फलना	1	3.52	361	3.52	–	–	–	–	3.52	159	–	85	11	8	263	189
राजस्थान	रानी नगर	1	0.63	19	0.63	–	–	–	–	0.63	13	–	1	–	–	14	14
राजस्थान	सदरी	1	1.03	46	1.03	–	–	–	–	1.03	36	–	10	–	–	46	46
राजस्थान	सोजत	1	2.53	196	2.53	–	–	–	–	2.53	36	–	5	2	–	43	43
राजस्थान	सुमेरपुर	1	6.64	529	3.32	–	–	3.32	–	6.64	–	4	–	38	–	42	42
राजस्थान	तकतगढ़	1	9.25	635	4.63	–	–	4.63	–	9.25	–	13	–	55	5	73	73
राजस्थान	केकरी	1	12.77	871	6.38	–	–	6.38	–	12.77	–	–	–	209	–	209	–
राजस्थान	टौंक	2	9.54	520	6.55	–	–	–	–	6.55	120	16	–	–	–	136	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
राजस्थान	आसिंद	1	3.91	694	1.95	-	1.95	-	-	3.91	93	3	6	-	-	102	102
राजस्थान	भीलवाड़ा	1	15.10	1,704	15.10	-	-	-	-	15.10	1,381	19	104	-	-	1,504	1,476
राजस्थान	गंगापुर सिटी	1	2.46	161	1.23	-	1.23	-	0.00	2.46	-	-	16	17	-	33	33
राजस्थान	गुलाबपुरा	1	1.00	-	1.00	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	शाहपुरा	1	5.25	317	-	-	2.63	2.63	-	5.25	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	उदयपुर	1	16.07	1,737	8.03	-	-	8.03	0.00	16.07	-	-	38	545	-	583	111
राजस्थान	बांसवाड़ा	1	2.66	217	1.33	-	-	-	-	1.33	-	18	19	24	-	61	61
राजस्थान	छोटी सदरी	1	6.20	380	3.10	-	-	-	-	3.10	-	-	-	26	2	28	28
राजस्थान	चित्तौरगढ़	2	12.44	973	8.78	-	-	-	-	8.78	198	-	-	-	-	198	74
राजस्थान	निमबहेर	1	7.59	457	3.79	-	3.79	-	-	7.59	-	72	-	63	-	135	39
राजस्थान	प्रतापगढ़	1	7.20	711	5.40	-	1.80	-	-	7.20	165	-	93	-	-	258	258
राजस्थान	रावतभाटा	1	25.16	1,439	12.58	-	-	12.58	-	25.16	-	45	60	167	-	272	272
राजस्थान	कैथुन	1	3.45	327	1.73	-	-	1.73	-	3.45	-	-	8	5	23	36	36
राजस्थान	कोटा	3	32.52	1,947	16.09	-	14.24	-	-	30.33	-	-	700	247	4	951	656
राजस्थान	रामगंज मंडी	1	1.48	75	-	-	0.74	-	-	0.74	-	-	-	8	-	8	8
राजस्थान	संगुट	1	6.09	442	3.04	-	-	-	-	3.04	-	-	2	-	-	2	2
राजस्थान	अंता	1	3.78	322	-	-	5.81	-	-	5.81	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	बारां	1	7.37	407	7.37	-	-	-	-	7.37	-	12	96	72	6	186	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
राजस्थान	छाबड़ा	1	3.57	312	3.58	–	–	–	–	3.58	48	–	42	54	–	144	144
राजस्थान	मंगरोल	1	12.40	476	–	–	6.20	–	–	6.20	–	–	–	–	–	–	–
राजस्थान	भवानी मंडी	1	1.45	114	1.43	–	–	–	–	1.43	97	–	–	–	–	97	52
राजस्थान	झलर-पट्टन	1	3.16	413	1.58	–	–	–	–	1.58	11	25	8	44	–	88	70
उप योग	राजस्थान	66	602.08	43,857	303.65	4.96	99.90	126.99	–	535.50	4,042	1,658	2,822	4,699	194	13,415	9,483
सिक्किम	सिंगटम	1	17.92	39	8.96	–	8.96	–	–	17.92	–	–	–	39	–	39	39
उप योग	सिक्किम	1	17.92	39	8.96	–	8.96	–	–	17.92	–	–	–	39	–	39	39
तमिलनाडु	अरणि	1	1.36	139	1.36	–	–	–	–	1.36	110	14	2	11	2	139	139
तमिलनाडु	चेन्नई	1	3.43	1,443	3.43	–	–	–	–	3.43	1,443	–	–	–	–	1,443	1,443
तमिलनाडु	अच्चरा-पक्कम	1	1.80	186	1.80	–	–	–	–	1.80	159	24	–	3	–	186	186
तमिलनाडु	कांचीपुरम	1	3.42	299	2.56	0.83	–	–	–	3.40	77	21	128	67	–	293	293
तमिलनाडु	कुरूंगुझी	1	3.31	342	3.31	–	–	–	–	3.31	309	19	2	10	–	340	340
तमिलनाडु	मामल्लपुरम	1	2.05	320	2.05	–	–	–	–	2.05	314	4	–	2	–	320	320
तमिलनाडु	नंनदीवर-मगुडवंचरी	1	2.95	326	2.95	–	–	–	–	2.95	263	21	17	25	–	326	326
तमिलनाडु	श्रीपेरुमबुदुर	1	3.42	370	3.42	–	–	–	–	3.42	245	59	57	9	–	370	370
तमिलनाडु	तिरूकु-लाद्रम	1	2.31	276	2.31	–	–	–	–	2.31	200	57	2	5	–	264	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
तमिलनाडु	वलजबड	1	3.84	506	3.84	–	–	–	–	3.84	302	65	109	24	4	504	504
तमिलनाडु	रानीपेट	1	2.00	121	1.95	–	–	–	–	1.95	81	13	26	1	–	121	121
तमिलनाडु	तिरूपथुर	1	2.74	240	2.74	–	–	–	–	2.74	240	–	–	–	–	240	240
तमिलनाडु	वानीयंबादी	1	1.74	105	1.74	–	–	–	–	1.74	98	7	–	–	–	105	105
तमिलनाडु	वेल्लूर	1	6.76	513	–	–	3.38	3.38	–	6.76	–	–	–	17	–	17	16
तमिलनाडु	धर्मपुरी	1	2.13	433	2.13	–	–	–	–	2.13	433	–	–	–	–	433	433
तमिलनाडु	होसुर	1	9.27	608	–	–	4.64	4.64	–	9.27	–	–	–	53	3	56	56
तमिलनाडु	कृष्णागिरि	1	3.82	262	3.72	–	–	–	–	3.72	158	49	42	13	–	262	262
तमिलनाडु	तिरुवन्ना-मलाई	1	6.63	832	6.63	–	–	–	–	6.63	546	196	90	–	–	832	832
तमिलनाडु	विलुपुरम	1	6.57	502	4.93	1.60	–	–	–	6.52	90	273	132	7	–	502	502
तमिलनाडु	ईडाप्परी	1	3.62	225	3.53	–	–	–	–	3.53	176	22	10	17	–	225	225
तमिलनाडु	गंगवली	1	1.91	140	1.91	–	–	–	–	1.91	91	26	17	6	–	140	140
तमिलनाडु	करूपुर	1	1.12	148	1.12	–	–	–	–	1.12	114	22	–	12	–	148	148
तमिलनाडु	मेट्टूर	1	1.87	113	1.83	–	–	–	–	1.83	77	25	11	–	–	113	113
तमिलनाडु	पी.एन. पट्टी	1	1.15	153	1.15	–	–	–	–	1.15	99	14	40	–	–	153	153
तमिलनाडु	सालेम	1	10.87	1,006	7.75	–	3.12	–	–	10.87	310	143	420	121	2	996	996
तमिलनाडु	थेदवर	1	1.65	115	1.65	–	–	–	–	1.65	51	41	21	2	–	115	115
तमिलनाडु	विरागुर	1	2.63	231	2.63	–	–	–	–	2.63	128	81	22	–	–	231	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
तमिलनाडु	अल्म्पल्यम	1	1.56	149	1.51	–	–	–	–	1.51	81	27	41	–	–	149	149
तमिलनाडु	कुमर-पल्लयम	1	0.61	80	0.61	–	–	–	–	0.61	80	–	–	–	–	80	80
तमिलनाडु	मोहनुर	1	1.98	16.1	1.92	–	–	–	–	1.92	60	73	28	–	–	161	161
तमिलनाडु	नमक्कल	1	3.46	440	3.46	–	–	–	–	3.46	222	30	179	9	–	440	440
तमिलनाडु	आर. पुदुपटी	1	1.46	153	1.40	–	–	–	–	1.40	43	72	38	–	–	153	153
तमिलनाडु	रसिपुरम	1	2.37	136	–	–	1.18	1.18	–	2.37	–	–	1	48	10	59	59
तमिलनाडु	सिरापल्ली	1	1.54	121	1.54	–	–	–	–	1.54	38	32	51	–	–	121	121
तमिलनाडु	तिरुचेन्गोडे	1	6.86	422	6.86	–	–	–	–	6.86	292	51	66	13	–	422	422
तमिलनाडु	वेल्लुर	1	0.96	86	0.96	–	–	–	–	0.96	34	16	36	–	–	86	86
तमिलनाडु	अवलपुडरई	1	1.19	90	1.16	–	–	–	–	1.16	37	28	25	–	–	90	90
तमिलनाडु	धारापुरम	1	2.77	188	2.77	–	–	–	–	2.77	118	34	32	4	–	188	188
तमिलनाडु	इरोड	1	4.03	454	4.03	–	–	–	–	4.03	270	27	157	–	–	454	454
तमिलनाडु	गोबीचेट्टी-पल्यम	1	1.95	177	1.95	–	–	–	–	1.95	90	24	63	–	–	177	177
तमिलनाडु	कोडिमुदी	1	1.00	75	0.97	–	–	–	–	0.97	18	27	30	–	–	75	75
तमिलनाडु	कुगलपुर	1	0.93	65	0.93	–	–	–	–	0.93	45	20	–	–	–	65	65
तमिलनाडु	लखनपट्टी	1	1.02	131	1.02	–	–	–	–	1.02	56	31	44	–	–	131	131
तमिलनाडु	पी. मेट्टु-	1	0.89	78	0.86	–	–	–	–	0.86	35	35	8	–	–	78	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	पल्लयम																
तमिलनाडु	पल्लापल्यम	1	1.69	120	1.64	–	–	–	–	1.64	64	28	28	–	–	120	120
तमिलनाडु	सत्यमंगलम	1	2.81	260	2.81	–	–	–	–	2.81	260	–	–	–	–	260	260
तमिलनाडु	उथुकुली	1	0.80	61	0.77	–	–	–	–	0.77	12	28	21	–	–	61	61
तमिलनाडु	कुनूर	1	3.62	398	3.53	–	–	–	–	3.53	179	122	92	5	–	398	398
तमिलनाडु	उदगमंडलम	1	10.14	1,082	10.14	–	–	–	–	10.14	743	137	198	4	–	1,082	1,082
तमिलनाडु	मेत्तुपलायम	1	1.12	72	1.09	–	–	–	–	1.09	41	5	14	12	–	72	72
तमिलनाडु	पोल्लची	1	4.58	669	5.17	–	–	–	–	5.17	544	106	19	–	–	669	669
तमिलनाडु	तिरुपुर	1	15.83	2,060	15.83	–	–	–	–	15.83	1,072	988	–	–	–	2,060	2,060
तमिलनाडु	उडुमलई-पट्टी	1	2.16	160	2.16	–	–	–	–	2.16	109	31	17	3	–	160	160
तमिलनाडु	डिंडीगुल	1	7.45	590	6.98	–	–	–	–	6.98	329	177	65	19	–	590	590
तमिलनाडु	कोडाइक-नाल	2	13.78	967	13.42	–	–	–	–	13.42	577	110	93	122	10	912	912
तमिलनाडु	पलानी	1	11.11	874	–	–	5.56	5.56	–	11.11	–	–	–	82	27	109	109
तमिलनाडु	इनाम करूर	1	3.87	240	3.87	–	–	–	–	3.87	199	23	2	16	–	240	240
तमिलनाडु	करूर	1	2.53	185	2.46	–	–	–	–	2.46	151	7	15	12	–	185	185
तमिलनाडु	कुलीथल	1	5.34	306	–	–	2.67	2.67	–	5.34	–	–	–	53	17	70	70
तमिलनाडु	थनथोनी	1	3.17	200	3.17	–	–	–	–	3.17	144	14	17	25	–	200	200
तमिलनाडु	मन्नापरई	1	1.57	120	1.57	–	–	–	–	1.57	119	1	–	–	–	120	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
तमिलनाडु	थोरिवर	1	6.54	602	6.06	–	–	–	–	6.06	178	123	65	76	–	442	442
तमिलनाडु	तिरुचिरा-पल्ली	1	10.94	1,208	10.94	–	–	–	–	10.94	651	351	107	99	–	1,208	1,208
तमिलनाडु	पेराम्बलूर	1	4.98	580	4.98	–	–	–	–	4.98	293	131	43	42	6	515	515
तमिलनाडु	अरियालुर	1	6.04	378	4.53	1.51	–	–	–	6.04	88	74	42	79	8	291	291
तमिलनाडु	चिदम्बरम	1	3.34	392	3.34	–	–	–	–	3.34	167	78	41	53	6	345	345
तमिलनाडु	नागपट्टिनम	1	0.62	–	0.62	–	–	–	–	0.62	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	सिरकली	1	1.02	52	1.02	–	–	–	–	1.02	52	–	–	–	–	52	52
तमिलनाडु	मन्नारगुडी	1	1.19	69	1.19	–	–	–	–	1.19	69	–	–	–	–	69	69
तमिलनाडु	तिरुवरूर	1	4.99	560	5.03	–	–	–	–	5.03	121	60	45	66	–	292	292
तमिलनाडु	कंभकोणम	1	6.72	849	5.04	–	–	1.68	–	6.72	187	51	12	126	–	376	376
तमिलनाडु	पट्टुकोटई	1	8.76	940	8.67	–	–	0.09	0.00	8.76	330	144	87	379	–	940	719
तमिलनाडु	तंजावुर	1	9.78	1,180	6.89	–	–	2.90	–	9.78	218	208	144	78	17	665	665
तमिलनाडु	पुदुक्कोट्टई	1	8.65	625	9.80	–	–	–	–	9.80	237	113	91	147	–	588	588
तमिलनाडु	करईकुड्डी	1	3.21	195	3.21	–	–	–	–	3.21	101	83	7	4	–	195	195
तमिलनाडु	शिवगंगा	1	2.22	155	2.16	–	–	–	–	2.16	85	51	10	9	–	155	155
तमिलनाडु	मेलुर	1	6.39	502	6.39	–	–	–	–	6.39	312	87	18	43	5	465	465
तमिलनाडु	उसलमपट्टी	1	6.86	460	–	–	3.43	3.43	–	6.86	–	–	–	51	22	73	51
तमिलनाडु	बोदनिया-कुररम	1	3.52	326	3.52	–	–	–	–	3.52	235	75	15	1	–	326	326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
तमिलनाडु	छिनामनोर	1	10.48	950	–	–	5.24	5.24	–	10.48	–	–	–	121	15	136	136
तमिलनाडु	कंम्बम	1	3.86	325	3.86	–	–	–	–	3.86	237	59	20	9	–	325	325
तमिलनाडु	पेरियाकुलम	1	1.42	118	–	–	0.71	0.71	–	1.42	–	–	–	74	7	81	81
तमिलनाडु	थेनी अलीगरम	1	2.92	180	2.78	–	–	–	–	2.78	96	40	16	28	–	180	180
तमिलनाडु	अरुपुक्कोटई	1	15.30	879	7.65	7.65	–	–	–	15.30	130	374	232	111	–	847	847
तमिलनाडु	सत्तूर	1	4.57	341	–	–	2.28	2.28	–	4.57	–	–	–	115	–	115	115
तमिलनाडु	शिवकाशी	1	3.13	223	3.04	–	–	–	–	3.04	121	17	59	26	–	223	223
तमिलनाडु	विरुधुनगर	1	8.09	676	7.82	–	–	–	–	7.82	565	11	98	2	–	676	676
तमिलनाडु	परमखुडी	1	4.54	520	–	–	2.27	2.27	–	4.54	–	–	–	120	10	130	130
तमिलनाडु	रामनाथपुरम	1	3.99	277	3.77	–	–	–	–	3.77	132	64	55	26	–	277	277
तमिलनाडु	कोविलपट्टी	1	1.85	112	1.81	–	–	0.04	–	1.85	95	15	2	–	–	112	112
तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	1	15.58	2,003	15.28	–	–	–	–	15.28	1,696	202	85	20	–	2,003	2,0003
तमिलनाडु	नागरकोइल	1	2.66	214	2.57	–	–	–	–	2.57	184	3	27	–	–	214	214
तमिलनाडु	तुतीकोरिन	1	5.80	500	5.64	–	–	–	–	5.64	302	119	67	12	–	500	500
उप योग	तमिलनाडु	94	400.45	37,715	316.55	11.59	34.48	36.06	–	398.68	19,058	6,033	3,916	2,749	171	31,927	31,683
तेलंगाना	मरचेल	1	11.82	–	11.83	–	–	0.00	–	11.82	–	–	–	–	–	–	–
तेलंगाना	निर्मल	1	8.21	–	4.45	–	3.75	–	–	8.21	–	–	–	–	–	–	–
तेलंगाना	बोधन	1	4.60	–	3.75	–	0.85	–	–	4.60	–	–	–	–	–	–	–
तेलंगाना	निजामाबाद	1	7.55	1,020	5.66	–	1.89	–	–	7.55	848	55	3	–	–	906	790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
तेलंगाना	कारीमनगर	1	21.69	2,304	17.41	-	4.28	-	-	21.69	2,254	-	-	-	-	2,254	772
तेलंगाना	सिरसा	1	10.57	1,111	2.89	-	7.69	0.00	-	10.57	673	212	57	29	-	971	612
तेलंगाना	संगारेड्डी	1	3.96	480	3.41	-	-	0.55	-	3.96	161	79	-	-	-	240	24
तेलंगाना	सिद्धपेट	1	3.09	-	3.18	-	-	-	-	3.18	-	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना	जाहीरापेट	1	4.57	328	3.84	-	-	-	-	3.84	112	-	-	-	-	112	-
तेलंगाना	रिताना	1	10.20	-	10.21	-	-	-	-	10.20	-	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना	गड्वाल	2	7.84	513	5.34	-	2.50	0.00	-	7.84	513	-	-	-	-	513	513
तेलंगाना	महबूबनगर	2	17.26	525	13.64	-	3.63	-	-	17.26	525	-	-	-	-	525	525
तेलंगाना	नारायणपेट	1	10.07	-	10.07	-	-	-	-	10.07	-	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना	वर्नापर्थ	2	12.18	384	12.18	-	-	-	-	12.18	338	25	-	21	-	384	384
तेलंगाना	भुवनागिरी	1	8.64	-	8.63	-	-	0.00	0.00	8.64	-	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना	मिरयालखुर्द	2	17.79	986	14.75	-	3.04	-	-	17.79	586	92	42	167	-	887	643
तेलंगाना	नलगोंडा	2	12.53	401	11.17	-	1.36	0.00	-	12.53	378	23	-	-	-	401	401
तेलंगाना	सूर्यापेट	2	26.76	1,556	21.93	-	4.84	0.00	-	26.76	776	62	93	62	-	993	873
तेलंगाना	जनगांव	1	11.29	-	11.29	-	-	-	-	11.29	-	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना	खम्माम	1	9.17	1.118	4.29	-	4.88	0.00	-	9.17	699	62	35	54	-	850	184
तेलंगाना	कोटागुट्टम	1	7.50	938	7.50	-	-	-	-	7.50	400	23	11	41	-	475	203
तेलंगाना	पलवाचा	1	3.60	-	2.50	-	1.10	-	-	3.60	-	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना	येलन्दु	1	1.94	-	1.14	-	-	0.79	-	1.94	-	-	-	-	-	-	-
उप योग	तेलंगाना	29	232.82	11,664	191.06	-	39.79	1.34	-	232.18	8,263	633	241	374	-	9,511	5,924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
त्रिपुरा	रानीबाजार	1	9.93	651	9.93	-	-	-	-	9.93	343	148	136	24	-	651	651
त्रिपुरा	सोनमुर	1	7.11	820	7.11	-	-	-	-	7.11	127	245	448	-	-	820	820
त्रिपुरा	तेलीमुर	1	6.33	400	6.33	-	-	-	-	6.33	363	17	20	-	-	400	400
त्रिपुरा	बेलोनिया	1	7.67	499	7.67	-	-	-	-	7.67	70	152	180	97	-	499	499
त्रिपुरा	उदयपुर	1	7.00	745	3.50	-	2.80	0.70	-	7.00	-	101	135	331	7	574	574
उप योग	त्रिपुरा	5	38.05	3,115	34,55	-	2.80	0.70	-	38.05	903	663	919	452	7	2,944	2,944
उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	2	8.27	536	4.93	4.93	-	-	-	9.86	241	61	96	16	-	414	520
उत्तर प्रदेश	बनत	1	6.50	476	4.69	1.82	-	0.00	-	6.50	-	53	117	4	-	174	-
उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	1	2.09	146	-	3.08	-	-	-	3.08	-	-	25	110	-	135	146
उत्तर प्रदेश	अफलजगढ़	1	1.96	184	1.96	-	-	-	-	1.96	184	-	-	-	-	184	124
उत्तर प्रदेश	झलउ	2	4.79	506	2.63	1.95	-	-	-	4.58	193	83	30	102	-	408	492
उत्तर प्रदेश	नेथ्थुर	1	0.53	48	0.53	-	-	-	-	0.53	48	-	-	-	-	48	48
उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	1	0.87	48	0.43	-	-	0.43	-	0.87	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	सम्भल	1	3.60	199	1.80	1.80	-	0.00	-	3.60	-	-	-	-	-	-	127
उत्तर प्रदेश	ठाकुरद्वारा	2	18.89	1,056	9.45	1.85	-	-	7.60	18.89	-	120	282	-	-	402	505
उत्तर प्रदेश	उमरी कलां	1	5.11	306	2.55	2.55	-	-	-	5.11	-	-	-	-	-	-	262
उत्तर प्रदेश	रामपुर	2	10.06	618	5.03	3.68	-	0.00	-	8.71	-	-	-	-	-	-	300
उत्तर प्रदेश	अमरोहा	1	2.06	115	1.03	1.03	-	-	-	2.06	-	-	-	-	-	-	79
उत्तर प्रदेश	हसनपुर	1	0.53	36	0.27	0.27	-	-	-	0.53	-	-	36	-	-	36	-
उत्तर प्रदेश	जोया	1	0.61	42	0.31	0.31	-	-	-	0.61	-	-	42	-	-	42	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
उत्तर प्रदेश	हस्तिनापुर	2	16.28	840	10.90	3.83	–	–	–	14.73	320	160	20	37	63	600	712
उत्तर प्रदेश	खरखोदा	1	1.81	96	1.81	–	–	–	–	1.81	80	16	–	–	–	96	–
उत्तर प्रदेश	लवार	1	5.36	359	5.36	–	–	–	–	5.36	102	82	–	12	8	204	226
उत्तर प्रदेश	बरौत	1	2.29	160	1.50	1.34	–	–	–	2.84	–	16	–	–	–	16	–
उत्तर प्रदेश	दसना	1	2.78	204	2.78	–	–	–	–	2.78	120	24	–	–	–	144	–
उत्तर प्रदेश	फरीदनगर	1	5.02	288	5.02	–	–	–	–	5.02	144	–	4	–	–	148	–
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	1	14.00	1,236	14.00	–	–	–	–	14.00	802	–	–	–	–	802	1,085
उत्तर प्रदेश	अरथला	1	3.76	208	2.74	1.02	–	–	–	3.76	64	–	48	76	–	188	132
उत्तर प्रदेश	दादरी	2	13.88	853	8.11	5.77	–	–	–	13.88	258	–	–	–	–	258	370
उत्तर प्रदेश	डंकौर	1	0.37	36	0.50	–	–	–	–	0.50	36	–	–	–	–	36	36
उत्तर प्रदेश	जेवार	1	4.32	272	3.13	1.19	–	0.00	–	4.32	–	128	–	–	–	128	–
उत्तर प्रदेश	रबपुरा	1	0.64	72	0.64	–	–	–	–	0.64	72	–	–	–	–	72	72
उत्तर प्रदेश	बुगरसी	2	7.63	431	1.90	3.23	–	–	–	5.14	–	48	25	51	–	124	287
उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	1	14.85	750	742	–	–	7.42	–	14.85	–	92	128	20	–	240	220
उत्तर प्रदेश	छत्तरी	1	1.95	112	1.42	0.53	–	–	–	1.95	–	92	–	–	–	92	92
उत्तर प्रदेश	खानपुर	1	1.61	96	1.61	–	–	–	–	1.61	–	76	–	–	–	76	76
उत्तर प्रदेश	खुर्जा	1	4.32	119	–	2.16	–	–	2.16	4.32	–	–	–	70	–	70	90
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	3	17.52	977	15.00	9.40	–	–	–	24.40	56	250	168	503	–	977	594
उत्तर प्रदेश	छत्ता	1	0.96	48	0.96	–	–	–	–	0.96	48	–	–	–	–	48	–
उत्तर प्रदेश	गोकुल	1	1.76	88	1.76	–	–	–	–	1.76	88	–	–	–	–	88	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
उत्तर प्रदेश	कोसी कलां	1	5.45	384	2.73	2.73	-	-	-	5.45	-	-	-	76	-	76	-
उत्तर प्रदेश	महबन	1	1.03	72	0.77	0.26	-	-	-	1.03	-	-	-	72	-	72	-
उत्तर प्रदेश	नंदगांव	1	3.66	192	4.27	-	-	-	-	4.27	-	-	-	192	-	192	-
उत्तर प्रदेश	राया	1	0.95	48	0.95	-	-	-	-	0.95	48	-	-	-	-	48	-
उत्तर प्रदेश	वृन्दावन	1	3.90	276	2.92	0.97	-	-	-	3.90	-	-	-	252	-	252	-
उत्तर प्रदेश	अवगर	1	1.73	96	1.26	0.39	-	-	-	1.65	-	-	60	-	-	60	-
उत्तर प्रदेश	एटा	1	1.72	96	0.86	0.86	-	0.00	-	1.72	-	-	36	-	-	36	-
उत्तर प्रदेश	निधावली कलां	1	1.08	60	0.54	0.49	-	-	-	1.03	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	घिरौर	1	3.10	208	4.81	-	-	-	-	4.81	-	-	-	10	72	82	208
उत्तर प्रदेश	किशनी	1	7.08	439	6.53	-	-	-	-	6.53	-	-	-	30	47	77	439
उत्तर प्रदेश	उझैनी	1	0.98	128	0.98	-	-	-	-	0.98	88	8	-	-	-	96	-
उत्तर प्रदेश	नवाबगंज	2	3.46	208	1.73	0.43	-	-	-	2.16	-	-	32	-	-	32	-
उत्तर प्रदेश	नुरिया हुसैनपुर	1	13.42	885	7.88	7.88	-	-	-	15.76	-	272	146	14	-	432	438
उत्तर प्रदेश	सिंगई भिरोर	1	2.01	108	1.01	-	-	-	0.00	1.01	-	-	60	-	-	60	-
उत्तर प्रदेश	बिसवान	1	4.40	252	3.20	1.20	-	-	-	4.40	160	36	-	-	-	196	-
उत्तर प्रदेश	गोपमउ	1	2.53	144	1.26	-	-	-	-	1.26	-	-	-	96	-	96	-
उत्तर प्रदेश	संदिला	1	4.68	252	2.34	-	-	-	-	-	2.34	-	-	-	252	(180)72	-
उत्तर प्रदेश	नवाबगंज	1	2.39	144	2.39	-	-	-	-	2.39	-	60	12	72	-	144	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
उत्तर प्रदेश	उगु	1	2.03	120	2.03	–	–	–	–	2.03	–	120	–	–	–	120	–
उत्तर प्रदेश	उन्नाव	1	1.72	96	1.72	–	–	–	–	1.72	–	96	–	–	–	96	12
उत्तर प्रदेश	हैदराबाद	1	2.13	128	2.79	–	–	–	–	2.79	92	36	–	–	–	128	12
उत्तर प्रदेश	अकरमपुर	1	3.59	177	3.49	–	–	–	–	3.49	–	–	115	62	–	177	177
उत्तर प्रदेश	काकोरी	1	11.20	629	8.40	2.80	–	–	–	11.20	476	26	19	–	–	521	629
उत्तर प्रदेश	महोन	1	13.78	762	10.34	3.45	–	–	–	13.78	–	652	78	4	–	734	762
उत्तर प्रदेश	मलीहाबाद	1	2.68	148	2.01	0.67	–	–	–	2.68	9	123	–	–	–	132	148
उत्तर प्रदेश	बछरावन	1	7.02	284	3.51	–	–	–	–	3.51	–	50	70	–	–	120	180
उत्तर प्रदेश	लालगंज	1	3.24	150	3.15	–	–	–	–	3.15	–	60	40	–	–	100	150
उत्तर प्रदेश	परसादपुर	1	21.78	1,028	10.89	10.89	–	–	–	21.78	172	128	–	–	–	300	493
उत्तर प्रदेश	रायबरेली	4	40.43	1,483	25.85	7.43	–	0.00	–	33.28	100	365	426	1	–	892	1,329
उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद व फतेहगढ़	1	1.28	72	0.64	0.64	–	–	–	1.28	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	मोहम्मदाबाद	1	2.15	132	1.07	0.97	–	–	–	2.04	–	–	–	84	–	84	–
उत्तर प्रदेश	चिब्रमउ	2	14.80	888	9.40	5.40	–	–	–	14.80	–	–	–	444	–	444	250
उत्तर प्रदेश	सौरिख	1	1.74	108	2.35	–	–	0.00	–	2.35	–	–	–	108	–	108	36
उत्तर प्रदेश	जसवंतनगर	2	7.83	468	4.85	1.12	1.86	–	–	7.83	60	24	–	72	–	156	–
उत्तर प्रदेश	अचलदा	1	2.38	132	2.38	–	–	–	–	2.38	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	बाबरपुर अजितमल	1	2.45	168	3.24	–	–	–	–	3.24	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
उत्तर प्रदेश	बिधुन	1	8.81	564	9.98	–	–	–	–	9.98	–	–	–	168	–	168	–
उत्तर प्रदेश	दिव्यापुर	1	1.15	72	0.57	0.57	–	0.00	–	1.15	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	फफूद	1	0.98	60	0.98	–	–	–	–	0.98	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	भिखमपुर	1	0.81	48	0.81	–	–	–	–	0.81	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	अमरूद्ध	1	1.18	72	0.59	0.59	–	0.00	–	1.18	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	झिझंक	1	7.15	492	3.58	3.58	–	–	–	7.15	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	सिवली	1	2.15	132	1.07	1.07	–	–	–	2.15	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	सिकंदरा	1	3.42	204	1.71	1.71	–	–	–	3.42	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	रसोलाबद	1	3.59	216	1.79	–	1.79	–	–	3.59	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	डेरापुर	1	1.22	72	0.61	0.61	–	0.00	–	1.22	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	बिधुर	1	1.95	108	0.97	0.97	–	0.00	–	1.95	–	–	–	–	–	–	8
उत्तर प्रदेश	सिवरीपुर	1	2.26	132	1.13	1.13	–	–	–	2.26	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	कदौर	1	2.71	156	1.97	0.74	–	–	–	2.71	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	कालपी	1	2.10	120	1.53	0.57	–	–	–	2.10	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	उरई	1	4.50	288	3.26	1.24	–	–	–	4.50	–	–	72	–	–	72	–
उत्तर प्रदेश	पिच्चौर	1	2.57	144	1.28	1.28	–	0.00	–	2.57	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	पाली	1	2.50	144	1.25	1.25	–	0.00	–	2.50	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	कुरर	1	2.29	132	1.66	0.52	–	–	–	2.18	–	–	108	–	–	108	–
उत्तर प्रदेश	महोबा	1	1.69	84	0.85	0.78	–	–	–	1.63	–	72	–	–	–	72	–
उत्तर प्रदेश	बिसंदभुजग	1	1.78	96	0.89	0.89	–	–	–	1.78	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
उत्तर प्रदेश	नैरनी	1	1.35	72	0.68	0.68	–	–	–	1.35	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	मानिकपुर	1	2.45	144	1.23	1.23	–	0.00	–	2.45	–	–	–	144	–	144	–
उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	1	3.31	216	1.66	1.66	–	0.00	–	3.31	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	अंतू	1	8.10	470	4.99	4.99	–	–	–	9.99	136	184	–	–	–	320	470
उत्तर प्रदेश	बेला प्रतापगढ़	1	7.55	421	6.06	6.06	–	0.00	–	12.12	250	53	–	–	–	303	421
उत्तर प्रदेश	कुंडा	1	2.33	160	1.98	1.98	–	–	–	3.95	–	136	16	–	–	152	–
उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़ शहर	1	7.26	410	4.70	4.70	–	–	–	9.41	60	219	–	–	–	279	410
उत्तर प्रदेश	अझुआ	1	2.28	144	1.14	1.14	–	–	–	2.28	–	–	144	–	–	144	144
उत्तर प्रदेश	कोरान	1	2.98	192	1.62	1.62	–	0.00	–	3.24	–	–	98	94	–	192	–
उत्तर प्रदेश	लाल गोपालगंज	1	4.29	366	2.56	2.56	–	–	–	5.11	–	236	130	–	–	366	–
उत्तर प्रदेश	शंकरगढ़	1	5.93	407	2.97	2.97	–	0.00	–	5.93	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	रामनगर	1	1.72	96	0.86	0.86	–	–	–	1.72	–	–	96	–	–	96	–
उत्तर प्रदेश	बिकापुर	1	1.51	84	1.10	0.34	–	–	–	1.44	–	–	–	84	–	84	–
उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	2	37.59	1,590	21.71	–	–	–	12.65	34.36	299	288	157	–	–	744	1,567
उत्तर प्रदेश	गोसईगंज	1	1.30	72	0.65	0.59	–	–	–	1.24	56	8	–	–	–	64	64
उत्तर प्रदेश	असरफपुर-किच्चौचा	1	1.24	72	0.93	0.31	–	–	–	1.24	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	कोरीपुर	1	3.63	180	1.82	–	–	–	–	1.82	–	–	41	–	–	41	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
उत्तर प्रदेश	मुसफिरा	1	9.91	534	4.95	–	–	–	–	4.95	–	–	30	–	–	30	122
उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	1	2.08	116	1.04	–	1.04	–	–	2.08	25	50	2	–	–	77	81
उत्तर प्रदेश	सरलगंज	1	5.40	336	2.70	2.43	–	–	–	5.13	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	पंचपेर	1	0.77	48	0.56	0.21	–	–	–	0.77	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	उतरौल	1	1.21	60	0.88	0.28	–	–	–	1.16	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	बस्ती	1	2.06	114	2.26	0.75	–	–	–	3.01	–	81	–	–	25	106	114
उत्तर प्रदेश	हरिहरपुर	4	7.30	348	4.88	1.98	–	–	0.00	6.86	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	महाराजगंज	1	2.08	183	3.55	–	–	–	–	3.55	–	–	–	–	–	–	183
उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	2	9.49	651	13.71	2.77	–	0.00	–	16.48	305	81	27	–	10	423	659
उत्तर प्रदेश	पिपीगंज	1	3.32	350	5.65	–	–	–	–	5.65	–	–	36	4	–	40	350
उत्तर प्रदेश	संहजनवर	1	1.18	72	1.18	–	–	–	–	1.18	28	44	–	–	–	72	72
उत्तर प्रदेश	पडरौना	1	5.31	500	8.87	–	–	–	–	8.87	–	–	200	70	–	270	450
उत्तर प्रदेश	सेवरई	2	1.45	181	1.34	1.34	–	–	–	2.68	–	–	153	2	–	155	181
उत्तर प्रदेश	लार	1	11.46	1,090	14.02	–	–	–	–	14.02	–	728	134	164	3	1,029	1,029
उत्तर प्रदेश	अजमतघर	1	6.18	348	4.20	4.20	–	0.00	–	8.39	241	44	5	–	–	290	348
उत्तर प्रदेश	बिलरईगंज	1	1.24	111	–	1.26	–	–	–	1.26	–	–	–	–	–	–	111
उत्तर प्रदेश	मऊनाथ भंजन	1	8.27	374	5.37	–	–	–	–	5.37	–	–	–	–	–	–	374
उत्तर प्रदेश	बलिया	1	2.25	150	2.83	–	–	–	–	2.83	–	–	–	–	–	–	150
उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	1	5.42	304	3.74	–	–	–	–	3.74	–	–	48	–	–	48	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
उत्तर प्रदेश	सादात	1	0.61	36	0.30	0.30	–	–	–	0.61	–	–	36	–	–	36	–
उत्तर प्रदेश	चकिया	1	0.77	48	0.38	0.38	–	–	–	0.77	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	चंदौली	2	7.05	431	3.53	2.25	–	0.00	–	5.78	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	मुगलसराय	2	6.11	387	3.84	2.46	–	–	–	6.30	–	–	–	–	–	–	219
उत्तर प्रदेश	भदोही	1	5.73	360	2.86	2.86	–	0.00	–	5.73	–	–	48	48	–	96	–
उत्तर प्रदेश	चुनार	1	3.91	216	1.96	1.96	–	0.00	–	3.91	–	95	90	–	–	185	–
उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	2	20.22	1,307	15.29	15.29	–	0.00	–	30.59	–	728	78	11	–	817	1,033
उत्तर प्रदेश	डुडी	1	6.56	445	–	4.03	–	–	–	4.03	–	–	–	54	–	54	54
उत्तर प्रदेश	घोरवल	1	7.17	512	4.70	4.70	–	–	–	9.40	–	–	–	–	–	–	–
उप योग	उत्तर प्रदेश	159	686.92	40,570	474.41	198.97	4.69	7.86	22.42	708.35	5,461	6,404	3,864	3,685	48	19,462	20,875
उत्तराखंड	मसूरी	1	2.67	96	1.33	–	–	–	–	1.33	–	–	–	–	–	–	–
उत्तराखंड	विकासनगर	1	2.17	194	1.09	1.09	–	–	–	2.17	–	–	20	96	–	116	–
उत्तराखंड	पौड़ी	1	2.25	178	1.13	1.13	–	–	–	2.25	34	15	44	–	–	93	40
उत्तराखंड	श्रीनगर	1	0.66	53	0.33	0.33	–	–	–	0.66	19	–	7	–	–	26	19
उत्तराखंड	पिथौरागढ़	1	6.26	200	3.13	3.13	–	–	–	6.26	46	74	–	–	–	120	110
उत्तराखंड	अल्मोड़ा	1	4.22	217	2.11	–	–	–	–	2.11	–	–	28	–	–	28	–
उत्तराखंड	चम्पावत	1	2.15	73	1.07	–	1.07	–	–	2.15	–	–	34	–	–	34	–
उत्तराखंड	हल्द्वानी व काठगोदाम	2	12.46	923	6.23	–	–	–	–	6.23	–	–	103	36	–	139	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
उत्तराखंड	कलदुंगी	1	6.37	290	3.19	3.19	–	–	–	6.37	154	–	–	–	–	154	135
उत्तराखंड	लालकौन	1	2.40	100	1.20	0.60	–	–	–	1.80	–	–	–	–	–	–	–
उत्तराखंड	दिनेशपुर	1	6.99	387	3.50	–	–	–	–	3.50	15	62	–	–	–	77	40
उत्तराखंड	जसपुर	2	5.00	240	2.50	1.48	–	–	–	3.98	–	44	–	–	–	44	36
उत्तराखंड	काशीपुर	1	6.97	428	3.48	–	–	2.79	–	6.27	–	176	–	–	–	176	107
उत्तराखंड	किच्छा	1	3.42	159	1.71	0.85	–	–	–	2.56	9	41	–	–	–	50	30
उत्तराखंड	महुआ डबरा हरिपुरा	1	5.59	266	2.80	–	2.80	–	–	5.59	30	143	–	–	–	173	147
उत्तराखंड	महुआ खेरगंज	1	6.93	403	3.46	3.46	–	–	–	6.93	20	64	–	–	–	84	37
उत्तराखंड	लैंदाला	2	7.59	364	3.79	2.21	–	–	–	6.01	15	47	28	–	–	90	62
उत्तराखंड	मंगलौर	1	6.47	461	3.23	–	–	–	–	3.23	–	–	–	–	–	–	–
उप कुल	उत्तराखंड	21	90.57	5,032	45.28	17.47	3.87	2.79	–	69.41	342	666	264	132	–	1,404	763
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	1	15.18	890	7.59	–	–	7.59	–	15.18	122	73	109	54	44	402	402
पश्चिम बंगाल	कलिम्पोंग	1	9.59	567	4.79	4.79	–	–	–	9.59	127	257	114	36	4	538	538
पश्चिम बंगाल	कुर्सियांग	1	9.59	565	4.80	4.80	–	0.00	–	9.59	362	–	75	57	52	546	546
पश्चिम बंगाल	मिरिक	1	6.36	423	3.18	3.18	–	0.00	–	6.36	99	253	52	16	3	423	423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पश्चिम बंगाल	अलीपुर	1	5.92	420	4.44	1.48	–	–	–	5.92	418	2	–	–	–	420	420
पश्चिम बंगाल	धूपगुरी	1	7.31	509	7.31	–	–	–	–	7.31	504	5	–	–	–	509	509
पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	1	11.55	625	11.55	–	–	–	–	11.55	585	38	1	1	–	625	625
पश्चिम बंगाल	मॉल	1	4.86	465	4.86	–	–	–	–	4.86	463	2	–	–	–	465	465
पश्चिम बंगाल	सिलिगुड़ी	3	72.31	5,063	50.88	21.43	–	0.00	–	72.31	1,619	1,150	315	152	59	3,295	3,295
पश्चिम बंगाल	दिनहट	1	4.49	319	3.36	1.12	–	0.00	–	4.49	299	12	4	3	–	318	318
पश्चिम बंगाल	हल्दीबाड़ी	1	4.08	304	4.08	–	–	–	–	4.08	303	1	–	–	–	304	304
पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	2	11.86	952	9.30	–	–	2.55	–	11.86	498	–	–	–	–	498	498
पश्चिम बंगाल	मथभंग	2	8.65	583	5.49	–	3.17	–	–	8.65	241	23	166	130	14	574	574
पश्चिम बंगाल	मेखलीगंज	1	3.71	294	2.78	0.93	–	–	–	3.71	260	24	8	2	–	294	294
पश्चिम बंगाल	तुफानगंज	1	4.39	308	3.29	1.10	–	–	–	4.39	308	–	–	–	–	308	308
पश्चिम बंगाल	दालखोल	1	4.58	360	2.29	2.29	–	–	–	4.58	110	114	24	26	–	274	274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पश्चिम बंगाल	इस्लामपुर	1	4.77	370	3.58	1.19	-	-	-	4.77	253	56	6	23	-	338	338
पश्चिम बंगाल	कलीगंज	1	6.36	400	3.18	3.18	-	-	-	6.36	180	202	13	-	2	397	397
पश्चिम बंगाल	रायगंज	1	19.81	2,000	19.81	-	-	-	-	19.81	1,924	4	63	4	2	1,997	1,997
पश्चिम बंगाल	बालुरघाट	1	12.62	790	6.31	6.31	-	-	-	12.62	345	354	69	22	-	790	790
पश्चिम बंगाल	गंगारामपुर	2	16.07	1,152	12.41	3.67	-	0.00	-	16.07	649	291	79	37	11	1,067	1,067
पश्चिम बंगाल	अंग्रेजी बाजार	1	13.40	852	6.70	6.70	-	-	-	13.40	321	285	99	65	12	782	782
पश्चिम बंगाल	पुरानी मल्ध	1	8.63	550	4.31	4.31	-	-	-	8.63	257	-	266	24	-	547	547
पश्चिम बंगाल	बहरमपुर	1	2.04	168	1.02	-	1.02	-	-	2.04	-	16	32	32	-	80	64
पश्चिम बंगाल	बेलदंगा	1	4.94	362	2.47	2.47	-	-	-	4.94	134	199	27	-	1	361	361
पश्चिम बंगाल	जंगीपुर	2	13.37	994	9.35	4.02	-	-	-	13.37	744	140	95	8	-	987	987
पश्चिम बंगाल	जयगंज अजीमगंज	2	16.10	1,114	12.02	4.08	-	-	-	16.10	644	200	-	40	-	884	884
पश्चिम	कंडी	1	7.18	555	5.16	1.57	-	0.44	-	7.18	366	10	45	87	1	509	509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
बंगाल																	
पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	1	6.74	497	3.37	3.37	–	–	–	6.74	247	129	76	31	5	488	488
पश्चिम बंगाल	बोलपुर	1	7.02	573	7.02	–	–	–	–	7.02	517	17	39	–	–	573	573
पश्चिम बंगाल	दुवरजपुर	1	5.83	416	4.37	1.46	–	–	–	5.83	342	40	10	14	–	406	406
पश्चिम बंगाल	रामपुरहाट	1	8.71	603	4.35	–	4.35	–	–	8.71	52	140	99	120	19	430	430
पश्चिम बंगाल	सैंथिया	1	4.79	340	3.59	1.20	–	–	–	4.79	295	45	–	–	–	340	340
पश्चिम बंगाल	सूरी	1	11.58	728	5.79	–	–	–	–	5.79	–	42	99	25	–	166	166
पश्चिम बंगाल	बर्धमान	1	17.03	1,629	17.03	–	–	–	–	17.03	871	434	50	62	4	1,421	1,421
पश्चिम बंगाल	देनहट	1	5.14	390	5.14	–	–	–	–	5.14	379	10	1	–	–	390	390
पश्चिम बंगाल	गुसकर	1	6.80	450	3.40	3.40	–	–	–	6.80	112	145	98	83	–	438	438
पश्चिम बंगाल	कलना	1	10.69	1,060	10.69	–	–	–	–	10.69	1,026	30	3	–	–	1,059	1,059
पश्चिम बंगाल	कटवा	1	8.72	650	4.36	4.36	–	–	–	8.72	260	255	84	31	–	630	630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पश्चिम बंगाल	मेमरी	1	8.00	621	8.00	-	-	-	-	8.00	610	-	11	-	-	621	621
पश्चिम बंगाल	बीमगर	1	4.27	300	4.27	-	-	-	-	4.27	300	-	-	-	-	300	300
पश्चिम बंगाल	चकदाहा	2	18.55	1,327	15.35	3.19	-	0.00	-	18.55	885	389	42	10	1	1,327	1,327
पश्चिम बंगाल	कूपर्स कैंप	1	6.40	450	3.20	3.20	-	0.00	-	6.40	219	149	-	30	14	412	412
पश्चिम बंगाल	कृष्णानगर	1	9.22	640	4.61	4.61	-	0.00	-	9.22	208	102	110	139	7	566	566
पश्चिम बंगाल	नवादीप	1	7.25	735	3.63	-	-	3.63	-	7.25	149	34	5	134	18	340	340
पश्चिम बंगाल	रानाघाट	2	6.77	452	4.47	-	2.30	-	0.00	6.77	165	63	54	43	10	335	335
पश्चिम बंगाल	शांतिपुर	1	5.13	357	2.57	-	-	2.57	0.00	5.13	24	1	57	41	-	123	123
पश्चिम बंगाल	तहरपुर	1	4.97	390	3.73	1.24	-	-	-	4.97	374	10	1	4	1	390	390
पश्चिम	अशोकनगर कल्याणगढ़	1	11.76	848	8.82	-	2.94	-	-	11.76	548	-	270	22	-	840	840
पश्चिम बंगाल	बदुरई	1	7.41	516	7.41	-	-	-	-	7.41	422	-	1	39	-	462	462
पश्चिम बंगाल	बंगगांव	1	11.71	767	5.86	-	5.86	-	0.00	11.71	99	255	88	80	-	522	522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पश्चिम बंगाल	बसीरहट	1	11.35	1,069	11.35	–	–	–	–	11.35	764	213	83	5	–	1,065	1,065
पश्चिम बंगाल	गोवरदंग	1	5.57	500	5.57	–	–	–	–	5.57	475	25	–	–	–	500	500
पश्चिम बंगाल	हब्र	1	10.57	896	5.28	5.28	–	–	–	10.57	420	6	159	109	79	773	773
पश्चिम बंगाल	नरहटी	1	4.89	330	3.67	1.22	–	–	–	4.89	319	11	–	–	–	330	330
पश्चिम बंगाल	टकी	2	9.53	811	6.74	2.80	–	0.00	–	9.53	425	57	137	117	–	736	736
पश्चिम बंगाल	अरामबग	1	8.00	522	4.00	–	–	4.00	–	8.00	123	11	–	3	–	137	137
पश्चिम बंगाल	तरकेशवर	1	7.91	584	3.96	3.96	–	–	–	7.91	360	12	73	4	1	450	450
पश्चिम बंगाल	बांकुरा	1	4.92	415	2.46	2.46	–	0.00	–	4.92	126	69	88	96	5	384	384
पश्चिम बंगाल	बिष्णुपुर	1	5.02	364	2.51	–	–	2.51	–	5.02	48	10	–	54	26	138	138
पश्चिम बंगाल	सोनमुखी	1	2.72	200	2.04	0.68	–	–	–	2.72	172	23	5	–	–	200	200
पश्चिम बंगाल	झलंद	1	6.38	408	3.19	–	3.19	–	–	6.38	36	27	61	159	4	287	287
पश्चिम बंगाल	पुरलेई	1	6.18	611	3.09	–	3.09	–	0.00	6.18	152	45	19	26	–	242	242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर	1	6.32	400	3.16	–	3.16	–	–	6.32	100	–	147	138	15	400	400
पश्चिम बंगाल	चंद्रकोन	1	5.03	350	3.77	1.26	–	–	–	5.03	255	85	6	–	–	346	346
पश्चिम बंगाल	कोनटेई	1	9.50	636	6.87	2.12	–	0.51	–	9.50	394	146	12	55	10	617	617
पश्चिम बंगाल	इग्रा	1	4.78	332	3.58	1.19	–	–	–	4.78	268	48	13	3	–	332	332
पश्चिम बंगाल	घटल	1	3.69	352	3.69	–	–	–	–	3.69	125	83	30	76	13	327	327
पश्चिम बंगाल	हल्दिया	2	19.60	1,440	13.25	6.36	–	–	–	19.60	1,278	86	66	8	–	1,438	1,438
पश्चिम बंगाल	झारग्राम	2	10.19	850	6.85	3.35	–	0.00	–	10.19	443	273	21	39	4	780	780
पश्चिम बंगाल	खड्गपुर	3	10.22	810	10.22	–	–	–	–	10.22	256	95	75	75	18	519	519
पश्चिम बंगाल	खरड़	1	3.77	300	1.89	1.89	–	–	–	3.77	140	96	44	13	–	293	293
पश्चिम बंगाल	कशीरपई	1	3.69	300	1.84	1.84	–	–	–	3.69	171	97	22	2	–	292	292
पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	1	11.63	948	11.63	–	–	–	–	11.63	636	154	143	10	2	945	945
पश्चिम	रामजीवनपुर बंगाल	1	3.79	300	1.90	190	–	–	–	3.79	173	99	12	–	6	290	290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पश्चिम बंगाल	तामलुक	1	7.15	456	3.58	3.58	–	–	–	7.15	153	68	34	74	13	342	342
पश्चिम बंगाल	पंसकुरा	1	5.29	498	5.29	–	–	–	–	5.29	467	19	4	8	–	498	498
पश्चिम बंगाल	धूलिया	1	5.76	400	4.32	1.44	–	–	–	5.76	382	15	3	–	–	400	400
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	1	0.15	75	0.15	–	–	–	–	0.15	–	–	–	75	–	75	75
पश्चिम बंगाल	हीरा हार्बर	1	7.98	591	3.99	–	3.99	–	–	7.98	–	35	5	10	–	50	50
पश्चिम बंगाल	जॉय नगर माजिलपुर	1	3.22	225	1.61	16.1	–	–	–	3.22	66	79	5	60	4	214	214
उप कुल	पश्चिम बंगाल	95	709.02	52,666	498.79	147.57	33.07	23.80	–	703.23	28,966	7,988	4,127	2,946	484	44,511	44,495

विगत प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी निधियां और पूर्ण रिहायशी एककों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजनाओं की संख्या	केन्द्रीय अंश	स्वीकृत रिहायशी इकाईयां	जारी राशि (करोड़ रु. में)					पूर्ण रिहायशी यूनिट				
						2011-12	2012-13	2013-14	वर्तमान वर्ष	जारी केंद्रीय अंश	2011-12	2012-13	2013-14	वर्तमान वर्ष	संचयी पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	1	4.98	204	-	1.89	2.30	-	4.19	-	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	1	7.13	275			2.74		2.74	-	-	-	-	-
3.	आंध्र प्रदेश	कुर्नूल	1	2.77	90			1.05		1.05	-	-	-	-	-
4.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	2	45.32	1717	-	15.11	3.02	-	18.13	-	-	-	-	-
5.	अरुणाचल प्रदेश	बोमडिला	1	15.70	384					-	-	-	-	-	-
6.	अरुणाचल प्रदेश	दिरांग	1	12.29	320					-	-	-	-	-	-
7.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	1	38.73	576			12.91		12.91	-	-	-	-	-
8.	अरुणाचल प्रदेश	पॉलिन	1	10.68	256					-	-	-	-	-	-
9.	बिहार	पूर्णिया	1	67.22	2185					-	-	-	-	-	-
10.	बिहार	कटिहार	1	63.27	2038					-	-	-	-	-	-
11.	बिहार	दरभंगा	1	57.65	2190					-	-	-	-	-	-
12.	बिहार	पटना	3	55.26	2893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	बिहार	शैली	1	54.31	1970					-	-	-	-	-	-
14.	छत्तीसगढ़	कोरबा	1	8.79	320			1.92	1.53	3.45	-	-	-	-	-
15.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	3	44.02	1392	-	-	12.94	4.48	17.43	-	-	-	-	-
16.	छत्तीसगढ़	भिलाई	1	46.16	1600			10.20	2.11	12.31	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17.	छत्तीसगढ़	रायपुर	3	22.08	1001	–	2.03	0.41	6.18	8.62	–	–	–	–	–
18.	गुजरात	भुज	1	9.48	304			3.63		3.63	–	–	–	–	–
19.	गुजरात	दीसा	1	37.20	1456			14.31		14.31	–	–	–	–	–
20.	गुजरात	अहमदाबाद	3	71.61	3615	–	–	27.83	–	27.83	–	–	–	–	–
21.	गुजरात	राजकोट	1	7.42	252			2.97		2.97	–	–	–	–	–
22.	गुजरात	वडोदरा	3	82.45	3802	–	–	31.83	–	31.83	–	–	–	–	–
23.	गुजरात	भरूच	1	14.30	512			5.50		5.50	–	–	–	–	–
24.	हरियाणा	अम्बाला	1	44.87	200			17.95		17.95	–	–	–	–	–
25.	हरियाणा	यमुनानगर	1	43.09	0			17.24		17.24	–	–	–	–	–
26.	हरियाणा	सिरसा	1	67.22	2144			26.89		26.89	–	–	–	–	–
27.	हरियाणा	हांसी	1	5.55	192					–	–	–	–	–	–
28.	हरियाणा	हिसार	1	47.05	1508				18.10	18.10	–	–	–	–	–
29.	हरियाणा	रोहतक	2	142.52	3798	–	–	28.77	–	28.77	–	–	–	–	–
30.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1	27.62	300			9.21		9.21	–	–	–	–	–
31.	जम्मू और कश्मीर	लेह	1	17.81	369			6.26		6.26	–	–	–	–	–
32.	झारखंड	धनबाद	2	49.73	1983	–	–	–	19.07	19.07	–	–	–	–	–
33.	झारखंड	बोकारो	1	9.33	383				3.59	3.59	–	–	–	–	–
34.	झारखंड	रांची	1	38.08	1565				14.65	14.65	–	–	–	–	–
35.	झारखंड	जमशेदपुर	1	10.18	388				3.88	3.88	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36.	कर्नाटक	बेलगाम	2	57.60	1873	-	-	22.15	-	22.15	-	-	-	-	-
37.	कर्नाटक	गुल्बर्गा	3	89.10	3447	-	-	24.03	10.24	34.27	-	-	-	-	-
38.	कर्नाटक	हुबली धारवाड़	2	58.10	2128	-	-	22.82	-	22.82	-	-	-	-	-
39.	कर्नाटक	चित्रदुर्गा	1	48.55	1563			18.67		18.67	-	-	-	-	-
40.	कर्नाटक	डेवेंगर	2	66.15	2120	-	-	25.44	-	25.44	-	-	-	-	-
41.	कर्नाटक	तुमकुर	2	97.31	2766	-	-	38.17	-	38.17	-	-	-	-	-
42.	कर्नाटक	चिंतामणि	1	7.18	230					-	-	-	-	-	-
43.	कर्नाटक	कालर	1	26.55	851			10.21		10.21	-	-	-	-	-
44.	कर्नाटक	रोबर्टसोनपट	1	25.96	843			10.12		10.12	-	-	-	-	-
45.	कर्नाटक	बैंगलोर	6	173.14	6763	-	-	66.99	-	66.99	-	-	-	-	-
46.	कर्नाटक	मण्डया	1	41.83	1335				16.02	16.02	-	-	-	-	-
47.	कर्नाटक	मैसूर	4	72.48	2800	-	-	26.72	1.15	27.88	-	-	-	-	-
48.	कर्नाटक	चिकबालपुर	1	7.51	242				-	-	-	-	-	-	-
49.	केरल	कोचि	1	18.80	755				7.00	7.00	-	-	-	-	-
50.	केरल	कोल्लाम	1	11.21	265			-	4.48	4.48	-	-	-	-	-
51.	केरल	तिरुवनंतपुरम	1	34.73	1032	11.57		2.32		13.89	-	-	50	-	50
52.	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	1	8.44	267				3.20	3.20	-	-	-	-	-
53.	मध्य प्रदेश	नीमच	1	4.54	144				1.73	1.73	-	-	-	-	-
54.	मध्य प्रदेश	रतलाम	1	26.60	848				10.18	10.18	-	-	-	-	-
55.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	1	34.52	1098				13.18	13.18	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	1	25.26	934	8.42		1.69		10.11	–	–	–	–	–
57.	मध्य प्रदेश	सागर	1	22.54	780	5.01		4.01		9.02	–	–	–	–	–
58.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	1	32.74	1196			13.09		13.09	–	–	–	–	–
59.	मध्य प्रदेश	इंदौर	1	37.29	1463	12.43		2.49		14.92	–	–	–	–	–
60.	मध्य प्रदेश	भोपाल	1	33.64	1204		11.21	2.24		13.45	–	–	–	–	–
61.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	1	16.73	740	5.58		1.12		6.69	–	–	–	–	–
62.	मिजोरम	आइजोल	1	9.49	142		3.16	–		3.16	–	–	–	–	–
63.	नागालैंड	चुमकेदिमा	1	13.78	384					–	–	–	–	–	–
64.	नागालैंड	मेदजिफेमा	1	14.57	350					–	–	–	–	–	–
65.	नागालैंड	तेसमनिया	1	13.33	320					–	–	–	–	–	–
66.	ओडिशा	कटक	1	10.78	865		3.59	0.72		4.31	–	–	–	–	–
67.	ओडिशा	जाजपुर	1	31.18	990			8.15		8.15	–	–	–	–	–
68.	ओडिशा	भुवनेश्वर	4	83.80	3773	6.07	17.29	4.67	3.44	31.47	–	–	–	–	–
69.	ओडिशा	बरहमपुर	7	101.00	3646	–	–	18.69	19.76	38.45	–	–	–	–	–
70.	पंजाब	बटाला	1	4.95	238			–		–	–	–	–	–	–
71.	पंजाब	जालंधर	1	9.24	442			–		–	–	–	–	–	–
72.	राजस्थान	अजमेर	1	40.57	1448			16.23		16.23	–	–	–	–	–
73.	राजस्थान	अलवर	1	59.67	1544			23.87		23.87	–	–	–	–	–
74.	राजस्थान	बड़ी सर्द	1	4.38	135			1.64		1.64	–	–	–	–	–
75.	राजस्थान	बिगन	1	5.36	165			1.98	0.16	2.14	–	–	–	–	–
76.	राजस्थान	भरतपुर	1	6.49	220		1.44	1.15		2.60	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77.	राजस्थान	बीकानेर	2	27.80	1162	–	2.54	8.36	0.22	11.12	–	–	–	–	–
78.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	1	38.29	1187				14.43	14.43	–	–	–	–	–
79.	राजस्थान	छोटी सदरी	1	11.99	369			4.49		4.49	–	–	–	–	–
80.	राजस्थान	फतेहनगर	1	18.56	594				7.13	7.13	–	–	–	–	–
81.	राजस्थान	जयपुर	3	116.39	5260	9.20	14.90	4.82	28.09	57.00	–	–	1,104	–	1,104
82.	राजस्थान	जोधपुर	2	33.44	1216	–	–	2.15	10.16	12.30	–	–	–	–	–
83.	राजस्थान	कपसन	2	7.77	239	–	–	1.74	1.15	2.89	–	–	–	–	–
84.	राजस्थान	शहर	1	34.16	1528			13.66		13.66	–	–	–	–	–
85.	राजस्थान	निमबहर	1	19.73	614				7.46	7.46	–	–	–	–	–
86.	राजस्थान	प्रतापगढ़	1	25.41	792				9.61	9.61	–	–	–	–	–
87.	राजस्थान	उदयपुर	1	23.96	763				9.16	9.16	–	–	–	–	–
88.	तमिलनाडु	चेन्नई	2	47.97	1472	–	11.57	7.51	–	19.08	–	–	–	–	–
89.	तमिलनाडु	वेल्लूर	1	3.92	135				1.48	1.48	–	–	–	–	–
90.	तमिलनाडु	सालेम	1	5.97	235				2.30	2.30					
91.	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली	4	18.73	796	–	–	2.80	4.51	7.31	–	–	–	–	–
92.	तमिलनाडु	मदुरै	1	6.63	276				2.53	2.53	–	–	–	–	–
93.	तमिलनाडु	तिरूनेलवेली	2	2.53	111	–	–	–	0.95	0.95	–	–	–	–	–
94.	तमिलनाडु	टुटिकोरिन	1	16.21	593				6.15	6.15	–	–	–	–	–
95.	तेलंगाना	वारंगल	3	29.60	1176	–	–	5.36	6.00	11.36	–	–	–	–	–
96.	तेलंगाना	हैदराबाद	1	22.25	1198	7.42		1.48		8.90	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97.	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	1	5.73	184				2.20	2.20	–	–	–	–	–
98.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	1	12.45	485				4.79	4.79	–	–	–	–	–
99.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	1	7.79	96		1.73	1.39		3.12	–	–	–	–	–
100.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	1	26.19	1017				10.07	10.07	–	–	–	–	–
101.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	1	13.53	434				5.21	5.21	–	–	–	–	–
102.	उत्तर प्रदेश	आगरा	1	14.39	305			5.76		5.76	–	–	–	–	–
103.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	1	11.75	454				4.52	4.52	–	–	–	–	–
104.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	1	10.75	468			4.30		4.30	–	–	–	–	–
105.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	2	79.57	1423	–	9.89	21.94	–	31.83	–	–	–	–	–
106.	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	1	9.86	164			3.94		3.94	–	–	–	–	–
107.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	2	5.08	128	–	–	2.03	–	2.03	–	–	–	–	–
108.	उत्तराखंड	जोशीमठ	1	6.34	150				2.40	2.40	–	–	–	–	–
109.	उत्तराखंड	रूद्रप्रयाग	1	4.02	95				1.52	1.52	–	–	–	–	–
110.	उत्तराखंड	अगुस्तमुई	1	8.75	204				3.26	3.26	–	–	–	–	–
111.	उत्तराखंड	नैनीताल	1	3.99	96				1.54	1.54	–	–	–	–	–
112.	उत्तराखंड	बाजपुर	1	7.72	190				2.97	2.97	–	–	–	–	–
113.	पश्चिम बंगाल	कल्याणी	1	6.42	199			2.39	–	2.39	–	–	–	–	–
114.	पश्चिम बंगाल	भाटपारा	1	6.24	198			2.38		2.38	–	–	–	–	–
115.	पश्चिम बंगाल	चंदरनगोर	1	2.38	75					–	–	–	–	–	–
116.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	1	7.96	300				3.00	3.00	–	–	–	–	–

ए.एच.पी. : विगत प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी निधियां और पूर्ण रिहायशी एककों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजनाओं की संख्या	केन्द्रीय अंश	स्वीकृत रिहायशी इकाईयों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)					पूर्ण रिहायशी इकाई					कब्जाधीन रिहायशी इकाईयां
						2011-12	2012-13	2013-14	वर्तमान वर्ष	कुल	2011-12	2012-13	2013-14	वर्तमान वर्ष	कुल	
1.	राजस्थान	जयपुर	8	7.26	5776	2.25	-	-	-	2.25	-	-	3,320	-	3,320	965
2.	कर्नाटक	बंगलौर	3	2.49	992	-	0.83	-	-	0.83	-	-	-	96	96	-
3.	गुजरात	सूरत	1	6.36	848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	गुजरात	राजकोट	2	28.42	3790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	गुजरात	अहमदाबाद	4	68	9066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सकल योग	18	112.53	20472	2.25	0.83	-	-	3.08	-	-	3,320	96	3,416	965

पर्यावरण और वन स्वीकृति को अलग करना

872. **श्रीमती मौसम नूर:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यकरण में तेजी लाने हेतु पर्यावरण स्वीकृति को वन स्वीकृति से अलग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिवर्तित मानक क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी पण-धारकों से सलाह ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) नए मानकों को कब तक स्वीकृत और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ङ) राजमार्ग परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय स्वीकृतियों जिसमें वन भूमि का अपवर्तन शामिल था, को पूर्व में चरण-I वन स्वीकृति के साथ संबद्ध किया गया था। अब इसे राजमार्गों सहित रेखीय परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय और वन स्वीकृतियों को अलग करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, राजमार्ग परियोजनाओं का अब वन स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर वन भूमि के दोनों ओर वनेतर भूमि पर निष्पादन किया जा सकता है। वन भूमि में कार्य, वन स्वीकृति की मंजूरी के पश्चात् ही निष्पादित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भोजन की गुणवत्ता

873. **श्री ए.टी. नाना पाटील:**
डॉ. रामशंकर कठेरिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की मिलावटी या घटिया गुणवत्ता संबंधी दर्ज की गई घटनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देशभर में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्वच्छ और गुणवत्तापरक भोजन प्रदान करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों जैसे अक्षय-पात्र को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) मध्याह्न भोजन की घटिया गुणवत्ता के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार शिकायतें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे निम्नलिखित बिन्दुओं पर तत्काल कार्रवाई करें:

(i) विभिन्न स्तरों पर मध्याह्न भोजन योजना के लिए एक प्रभावी प्रबंध ढांचे की स्थापना।

(ii) बच्चों को भोजन परोसे जाने से पहले कम से कम एक शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन को चखा जाना।

(iii) स्कूलों में सामग्रियों का सुरक्षित भंडारण और आपूर्ति।

(iv) स्टेकहोल्डरों का क्षमता निर्माण।

(v) एगमार्क गुणवत्तापरक दालों और सामग्रियों का अधिप्रापण और स्कूलों में इनकी आपूर्ति।

(vi) मध्याह्न भोजन योजना के तहत पात्रताओं के बारे में जागरूकता।

(vii) जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति की बैठक का आयोजन।

(viii) डी.सी./उपायुक्त/सी.ई.ओ., जिला परिषद् की अध्यक्षता में जिला स्तर पर नियमित समीक्षा बैठक का आयोजन।

(ix) योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा।

(x) सी.एस.आई.आर./एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों का परीक्षण।

(xi) मॉनीटरिंग संस्थानों, संयुक्त समीक्षा मिशन इत्यादि की रिपोर्टों पर शीघ्र कार्रवाई।

(xii) आकस्मिक चिकित्सा योजनाएं।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्वयं सेवी संगठन/गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) को नियुक्त करने के लिए दिशा-निर्देश पहले ही सितंबर, 2010 में जारी कर दिए गए हैं। 8 राज्यों द्वारा चुनिंदा जिलों में इस समय मध्याह्न भोजन मुहैया कराने का कार्य अक्षयपात्र को सौंपा गया है।

विवरण

विगत तीन वर्ष 2011-2013 और चालू वर्ष 2014 के दौरान घटिया गुणवत्ता से संबंधित वर्ष और राज्य-वार शिकायतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	असम	1	-	-	-
2.	बिहार	1	2	5	1
3.	छत्तीसगढ़	-	-	1	1
4.	दिल्ली	3	2	1	2
5.	हरियाणा	2	1	1	1
6.	झारखण्ड	-	-	1	2
7.	कर्नाटक	-	1	1	-
8.	मध्य प्रदेश	1	2	-	-
9.	महाराष्ट्र	-	1	-	1
10.	ओडिशा	-	-	2	-
11.	राजस्थान	-	-	3	-
12.	तमिलनाडु	-	-	1	-

1	2	3	4	5	6
13.	उत्तर प्रदेश	1	3	1	3
14.	पश्चिम बंगाल	–	2	1	–
	कुल	9	14	18	11

[अनुवाद]

झुग्गी-झोंपड़ी मुक्त शहर

874. श्री राजीव प्रताप रूडी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में शहरों को झुग्गी-झोंपड़ी मुक्त बनाने के लिए चलाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में शहरों को झुग्गी-झोंपड़ी मुक्त बनाने के लिए कोई नई योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगले पांच वर्षों में झुग्गी-झोंपड़ी से मुक्त करने के लिए चुने गए शहरों की संख्या कितनी है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) से (ग) वर्तमान में सरकार स्लम वासियों तथा शहरी गरीबों के लिए आधारभूत नागरिक तथा सामाजिक अवस्थापना के साथ आवास प्रदान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) का क्रियान्वयन कर रही है। स्कीम के अंतर्गत सरकार नगर के आकार के आधार पर ऊपरी लागत सीमा के साथ 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक की केन्द्रीय सहायता तथा पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों में नगरों के लिए 80 प्रतिशत की सहायता प्रदान करती है। कुल 1,20,912 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें से 1,154 आवास बनाए जा चुके हैं। इस मंत्रालय ने 13 राज्यों से प्राप्त 35 स्लम मुक्त नगर कार्य योजनाओं (एस.एफ.सी.पी.ओ.ए.) में से 19 को स्वीकार कर लिया है।

सरकार ने मार्च, 2012 तक स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के घटक शहरी गरीब के लिए बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) तथा एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) की अवधि भी बढ़ा दी है। 14,42,187 स्वीकृत आवासों में से अब तक 8,15,786 आवास बनाए जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) 9 जून, 2014 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के संबोधन में सरकार ने "2022 तक सभी के लिए आवास" की घोषणा की है। वर्तमान में सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों, औद्योगिक संघों सहित विभिन्न अंशधारकों से परामर्श कर रही है।

संस्कृति विद्यालय

875. प्रो. सौगत राय: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संस्कृति विद्यालय, नई दिल्ली के लिए अनुदान स्वीकृत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या राज्य अनुदान प्राप्त करने के लिए संस्कृति विद्यालय को कोई विशेष दर्जा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि संस्कृति विद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को आवास सुविधा प्रदान कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) वर्ष 1995-96 से 2008-09 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय हेतु केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्कृति स्कूल को सहायता अनुदान दिया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर, प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने अधिदेश दिया है कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, 2009 का अनुपालन करते हुए सभी स्कूल कमजोर वर्गों और लाभ वंचित समूहों के 25% तक बच्चों को प्रवेश स्तर पर दाखिला दें। संस्कृति स्कूल इन दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

विवरण

केन्द्र सरकार से प्राप्त वर्ष-वार अनुदान

क्र.सं.	वर्ष	विवरण	राशि (लाखों में)
1.	1995-96	रक्षा मंत्रालय	500.00
2.	1995-96	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	200.00
3.	1996-97	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	300.00
4.	1996-97	वित्त मंत्रालय	300.00
5.	1999-2000	रेल मंत्रालय	10.00
6.	2000-2001	रेल मंत्रालय	10.00
7.	2004-2005	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)	300.00
8.	2004-2005	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)	250.00
9.	2006-2007	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)	50.00
10.	2007-208	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)	50.00
11.	2007-2008	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)	137.11
12.	2008-2009	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)	50.00
13.	2008-2009	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)	42.32
		आज की तारीख तक प्राप्त कुल अनुदान	2,199.43

[हिन्दी]

वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जांच

876. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सरकार में संयुक्त सचिव और ऊपर के स्तर सहित वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जांच प्रारंभ किए जाने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या उक्त स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है और कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) की इन मामलों में भूमिका नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सभी मामलों में निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है;

(घ) क्या बहुत सारे मामलों में, वर्तमान प्रणाली में दोषों के कारण, दोषी अधिकारी अदंडित छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार और अनियमितताएं बढ़ रही हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामलों की जांच की गई और कितने अधिकारी दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाई का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) संयुक्त सचिव और ऊपर के स्तर सहित सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जांच प्रारंभ करने की मौजूदा प्रक्रिया के ब्यौरे दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.), 1973 में निर्धारित है।

(ख) जी, हां। उक्त स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। तथापि, अधिकारियों के उक्त स्तर के विरुद्ध जांच राज्य पुलिस/सी.बी.आई./संघ शासित क्षेत्रों में भ्रष्टाचार विरोधी शाखाओं द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से संबंधित मंत्रालय/विभाग के सतर्कता प्राधिकारी की असहमति वाले मामलों को छोड़कर ऐसे मामलों की जांच/अन्वेषण में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) की कोई भूमिका नहीं होती है।

(ग) ऐसे सभी मामलों में संघ राज्यक्षेत्रों में अन्वेषण संबंधित राज्य/यू.टी. के अधिकार-क्षेत्र के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस/सी.बी.आई./भ्रष्टाचार विरोधी शाखाओं द्वारा की जाती है। सरकार उनके द्वारा की गई जांच में हस्तक्षेप नहीं करती है।

(घ) जी, नहीं। जांच अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने वाले प्रत्येक मामले में सक्षम न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट सौंपी जाती है तथा न्यायालय उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेने के पश्चात् या तो आरोप-पत्र जारी करवाता है अथवा मामले में समापन रिपोर्ट स्वीकार करता है। अतएव, मामले में निर्णय पूर्णतया न्यायिक संवीक्षा करने तथा कानून की विधिवत प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् सक्षम न्यायालयों द्वारा लिया जाता है।

(ङ) वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच राज्य पुलिस, सी.बी.आई., संघ राज्यक्षेत्रों में भ्रष्टाचार विरोधी शाखाओं द्वारा तथा अधिकार-क्षेत्र पर निर्भर करते हुए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में अन्य सतर्कता तंत्रों द्वारा की जाती है जिसके लिए कोई केन्द्रीयकृत आंकड़ों को नहीं रखा जाता है अथवा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक सी.बी.आई. का संबंध है, विधिवत प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् ही, इसने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2011, 2012, 2013 और वर्तमान वर्ष में 31.05.2014 तक संयुक्त सचिव और ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध 94 मामलों को दर्ज किया है। इन मामलों में वर्ष-वार ब्यौरे तथा वर्तमान स्थिति का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2011, 2012, 2013 तथा 2014 (31.05.2014 तक) के दौरान संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज मामले

वर्ष	संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की संख्या	कालम (2) में से, अन्वेषण से निपटाए गए मामलों की संख्या	कालम (2) में से, जांच के अधीन लंबित मामलों की संख्या	कालम (3) में से की गई कार्रवाई
2011	28	22	6	पिछले तीन वर्षों के दौरान जांच द्वारा निपटाए गए कुल 55 मामलों में से, 28 मामलों को विचारण के लिए भेजा गया है; 9 मामलों में आर.डी.ए. के लिए संस्तुति की गई; 17 मामले बंद कर दिए गए हैं तथा एक मामले में अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्रवाई की संस्तुति नहीं की गई थी।
2012	39	29	10	
2013	18	4	14	
2014 (31.05.2014 तक)	9	0	9	
कुल	94	55	39	

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा क्षमता

877. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:
श्री राजन विचारे:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2020 तक देश में 20 गीगावॉट की परमाणु ऊर्जा क्षमता की स्थापना की योजना को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार देश में किस प्रकार से परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने का है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम को, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों तथा इसके साथ-साथ विदेशी तकनीकी सहकार के

आधार पर नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को स्थापित करके आगे ले जाना प्रस्तावित है। XIIवीं पंचवर्षीय योजना में, कुल 17400 मेगावाट क्षमता वाले उन्नीस नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की योजना है, जिनमें स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर आधारित 700 मेगावाट क्षमता वाले आठ दाबित भारी पानी रिएक्टर; 500 मेगावाट क्षमता वाले दो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर; और 300 मेगावाट क्षमता वाला एक प्रगत भारी पानी रिएक्टर; और विदेशी तकनीकी सहकार पर आधारित 1000 मेगावाट तथा उससे अधिक क्षमता वाले आठ रिएक्टर शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से वित्तीय सहायता

878. श्री बी.वी. नाईक: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) से प्राप्त वित्तीय सहायता से किए गए विकासात्मक कार्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आवंटित एवं वितरित की गई राशि का राज्य-वार एवं संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.), भागीदार राज्य सरकार और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को जल आपूर्ति, सीवरेज, यातायात, सामाजिक एवं विद्युत क्षेत्र से संबंधित वास्तविक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना परियोजनाओं हेतु ऋण सहायता मुहैया कराता है। इन परियोजनाओं को निर्वाचक राज्य सरकार और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार एवं कार्यान्वित किया जाता है। एन.सी.आर.पी.बी. प्रत्यक्ष रूप से कोई विकास कार्य नहीं करता। पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भागीदार राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की गई विशेष परियोजना के लिए बोर्ड निधियों को आबंटित एवं जारी करता है। स्वीकृत/जारी ऋण का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) 41 परियोजनाएं जिनके लिए पिछले तीन वर्षों में ऋण स्वीकृत किया गया, समापन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा से जल आपूर्ति परियोजना को, एन.सी.आर.पी.बी. वित्तपोषण से वापिस ले लिया है।

विवरण-I

एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित वर्ष/राज्य-वार परियोजना

1. जल आपूर्ति क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	परियोजना का नाम
1	2	3	4
1.	राजस्थान	2011-12	कोटा राजस्थान में जल आपूर्ति का संवर्धन
		2013-14	अलवर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना
			तिजारा जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना

1	2	3	4
			राजगढ़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना बहरोड़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना भिवाड़ी जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना (पी.एच.ई.डी., राजस्थान)
2.	हरियाणा	2011-12	नलहार मेडीकल काजेज और नूह टाऊन के लिए जल आपूर्ति योजना। समालखा टाऊन, जिला पानीपत हेतु जल आपूर्ति योजना का बन्दोबस्त कराना। पटौदी और आसपास के सात गांवों सहित हैलीमंडी के पास वाले टाऊन में जल आपूर्ति संवर्धन। फरूख नगर टाऊन एवं गुड़गांव के पांच जिलों हेतु जल आपूर्ति का संवर्धन
3.	उत्तर प्रदेश	2013-14	देहरा (गाजियाबाद) इंटेक से पल्ला (ग्रेटर नोएडा) में डब्ल्यू.टी.पी. स्थल पर कच्चे पानी को पहुंचाना। डब्ल्यू.पी.टी. साइड से स्वच्छ जल को मुख्य जलाशय पहुंचाना। देहरा (गाजियाबाद) में प्राथमिक शोधन कार्य, पल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र और अन्य कार्य
2.	**सीवरेज क्षेत्र**		
1.	हरियाणा	2011-12	पटौदी, गुड़गांव जिले हेतु सीवरेज योजना तथा शोधन संयंत्र की व्यवस्था करना। मेवात जिले में पुन्हाना टाऊन हेतु सीवरेज योजना की व्यवस्था करना। नूह टाऊन, मेवात जिला हेतु सीवरेज स्कीम और शोधन संयंत्र की व्यवस्था करना। हथीन टाऊन, पलवल जिले के लिए सीवरेज योजना और शोधन संयंत्र की व्यवस्था करना। फरूख नगर टाऊन, गुड़गांव जिले हेतु सीवरेज योजना और शोधन संयंत्र की व्यवस्था करना।
2.	मध्य प्रदेश	2011-12	एस.ए.डी.ए. ग्वालियर हेतु सीवरेज योजना एवं शोधन संयंत्र की व्यवस्था करना।

1	2	3	4
3.	उत्तर प्रदेश	2013-14	इकोटैक-III, ग्रेटर नोएडा में 20 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र एवं पंपिंग स्टेशन का निर्माण।
			इकोटैक-II, ग्रेटर नोएडा में 15 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र एवं पंपिंग स्टेशन का निर्माण।
3.	**स्वच्छता क्षेत्र**		
1.	हरियाणा	2012-13	सोनीपत टाऊन, हरियाणा में बरसाती नाले का निर्माण।
4.	**अन्य क्षेत्र**		
1.	राजस्थान	2012-13	अलवर जिले में सोलर लालटेन रिचार्जिंग लालटेनों सहित सोलर बस आश्रय
2.	दिल्ली	2013-14	शाहदरा दक्षिणी जोन स्थित कड़कड़डूमा सांस्थानिक क्षेत्र में ई.डी.एम.सी. द्वारा बहुमंजिला कार्यालय भवन का निर्माण
5.	**परिवहन**		
1.	हरियाणा	2012-13	पानीपत जिले में एल/सी सं. 52-सी स्थिति दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर पानीपत-जटल रोड पर 2 लेन रोड ओवरब्रिज का निर्माण।
			एल/सी सं. 553 स्थिति दिल्ली-पलवल-मथुरा रेलवे लाइन पर होडल हसनपुर रोड पर 2 लेन रोड ओवरब्रिज का निर्माण।
			दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन एल/सी सं. 29 पर चीनी मिल के नजदीक सोनीपत-पुरखास रोड पर 2 लेन रोड ओवरब्रिज का निर्माण।
			हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी में बाईपास का निर्माण।
			हरियाणा के झज्जर जिले के छारा में बाईपास का निर्माण।
			हरियाणा के झज्जर जिले के सुबाना में बाईपास का निर्माण।
			कोसली, हरियाणा में बाईपास का निर्माण।
			0.000 कि.मी. से 37.700 कि.मी. तक गोहाना लाखन माजरा भिवानी रोड से जिला रोहतक बाउंडरी रोड तक सड़क को चौड़ा और मजबूत करना।

1	2	3	4
			11.600 कि.मी. से 74.74.000 कि.मी. यूपी बॉर्डर सोनीपत, गोहाना से जिला सोनीपत बाऊंडरी रोड तक सड़क को चौड़ा एवं मजबूत करना।
			गुड़गांव-चन्दूबादली-बहादुरगढ़ रोड को चौड़ा कर उसका उन्नयन करना।
			हरियाणा के झज्जर जिले बहादुरगढ़-झज्जर रोड को चौड़ा कर उसका उन्नयन करना।
			झज्जर जिले में छुछकवास बाईपास का निर्माण।
			झज्जर में छारा बाइपास (दक्षिणी छोर) का निर्माण।
		2013-14	सोनीपत गन्नौर रोड से सोनीपत गोहाना रोड तक सोनीपत बाईपास फेज-II का सुधार/निर्माण।
			रोहतक जिले में एनएच-10 से एनएच-71 तक दक्षिणी बाईपास में रोड का निर्माण।
			झज्जर/गुडगांव जिले में झज्जर, फरूख नगर, गुड़गांव के लिए चार लेन।
			हरियाणा राज्य के रोहतक/सोनीपत जिले में 0.00 कि.मी. से 11.078 कि.मी. तक सांघी-छछराना-मिरजापुर खेड़ी मदीना से जी.एल.एम.बी. तक सुधार।
			रेवाड़ी प्रभाग में 3 सड़कों/हैली मंडी से पहलावास रोड, कोसली-गुरयानी से पहलावास एनएच-71 और डहीना-जाटुसाना रोड का उन्नयन।

विवरण-II

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्वीकृत/जारी ऋण का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत/जारी ऋण (आंकड़े करोड़ रु. में)							
		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15 (जून, 2014 तक)	
		स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हरियाणा	384.99	449.12	678.87	335.73	478.81	353.44	मौजूदा वित्त	38.50
2.	उत्तर प्रदेश*	0	0	0	0	261.52	0	वर्ष के दौरान	29.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	राजस्थान	136.33	154.02	5.00	61.75	208.70	2.00	अब तक कोई	0
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार**	0	0	0	0	76.24	0	ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।	0
5.	विशेष क्षेत्र*** विकास प्राधिकरण, ग्वालियर	21.28	10.51	0	21.03	0	0		0
	कुल	542.60	613.65	683.87	418.51	1025.27	355.44		67.75

*उत्तर प्रदेश

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

***विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

[हिन्दी]

पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रवास

879. **डॉ. वीरेन्द्र कुमार :** क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दू परिवार पाकिस्तान से लगातार प्रवास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) से (ङ) सरकार, वैध वीजा पर भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिन्दुओं तथा अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य सदस्यों के धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान वापस नहीं लौटने की रिपोर्ट को समय-समय पर देखती है। उनकी ओर से वीजा विस्तार की अनुमति तथा दीर्घावधिक वीजा (एल.वी.टी.) के लिए आवदेन अनुमति प्रदान करने संबंधी अभ्यावेदन भी प्राप्त होते रहते हैं।

विदेशी सरकारों का उनके अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों सहित उनके सभी नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करना मुख्य जिम्मेदारी है। चूंकि पाकिस्तान के साथ "शिमला समझौता" में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में विशेष तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं करने का प्रावधान है, फिर भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समूहों के उत्पीड़न की रिपोर्ट के आधार पर, भारत सरकार ने इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वे इस परिस्थिति से पूरी तरह अवगत हैं तथा उन्होंने अपने सभी नागरिकों विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण का ध्यान रखा है।

[अनुवाद]

बी.आर.आई.एम.एस.टी.ओ.डब्ल्यू.ए.डी.

880. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई में बाढ़ के पानी की निकासी व्यवस्था के नवीकरण के लिए बी.आर.आई.एम.एस.टी.ओ.डब्ल्यू.ए.डी. परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने परियोजना की संशोधित लागत केन्द्र सरकार को भेज दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने 2007 में, मुंबई में वर्षा जल के अपवहन के सुधार के लिए ब्रिमस्टोवाड परियोजना हेतु 1200.53 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की थी।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार/ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एम.सी.जी.एम.) ने शहरी विकास मंत्रालय को वर्ष 2012 में परियोजना लागत के साथ एक संशोधित डी.पी.आर. भेजी थी, जिसकी जांच की गई थी और यह सूचित किया गया था कि संशोधित डी.पी.आर. को व्यावहारिक नहीं पाया गया है क्योंकि इसमें महत्त्वपूर्ण मुद्दों जैसे भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, उचित बजटिंग, परियोजना प्रबंधन आदि का कोई समाधान नहीं निकाला गया था।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहायता

881. श्री निशिकान्त दुबे: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विश्व बैंक सहित विदेशी वित्त प्राप्त कुछ प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य एवं परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक विदेशी संस्थानों से प्राप्त की गई निधि का परियोजना एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान झारखंड सहित विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार एवं परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ग) जी, हां। विदेशी संस्थानों से प्राप्त निधियों सहित देश में कार्यान्वयधीन इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में प्रस्तुत किए गए हैं।

(घ) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसी परियोजनाओं के लिए झारखंड सहित विभिन्न राज्य सरकारों को संघ सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में प्रस्तुत किए गए हैं।

विवरण-I

विदेशी संस्थानों से प्राप्त धनराशि से चलने वाली परियोजनाएं (प्रदूषण-नियंत्रण)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	निधियन का स्रोत	विदेशी संस्थान के अनुमोदन की तिथि	परियोजना को बंद करने की तिथि	विदेशी संस्थान से सहायता	वर्तमान स्थिति: वितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7
विश्व बैंक से वित्तीय सहायता (यू.एस. $ मिलियन)						
1.	एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना	आईडीए[#]	15.06.2010	31.03.2015	221.96	57.91

1	2	3	4	5	6	7
	2. औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन परियोजना हेतु क्षमता निर्माण	आई.डी.ए. आईबी. आर.डी.@	30.06.2010	30.09.2015	64.15	9.68
	3. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना	आई.डी.ए. आई.बी. आर.डी.	31.05.2011	31.12.2019	1,000.00	64.74
	4. हिमाचल प्रदेश : (दूसरी श्रृंखला अनन्य हरित वृद्धि और सतत विकास हेतु विकास नीति ऋण)	सीटीएफ&	16.05.2014	30.11.2014	100.00	0.00
	जापान अंतर राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण से वित्तीय सहायता (जे.आई.सी.ए.) (येन मिलियन)					
	1. गंगा कार्य योजना (उत्तर प्रदेश वाराणसी)	जे.आई.सी.ए. (आई.डी. पी.-164)	31.03.2005	28.07.2015	11,184.00	161.11
	2. यमुना कार्य योजना : (फेज-III)	जे.आई.सी.ए. (आई.डी.पी.-215)	17.02.2011	15.02.2022	32,571.00	185.44

\# अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.)

@ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.)

& स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि, विश्व बैंक

* वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जी.ई.एफ.)

विवरण-II

केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदत्त वित्तीय सहायता

(क) एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन (आई.सी.जेड.एम.) कार्यक्रम

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष	संघ सरकार द्वारा जारी निधि	विश्व बैंक से प्राप्त सहायता
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	2011-12	12.16	

1	2	3	4	5
		2012-13	7.25	
		2013-14	40.50	47.57
		2014-15 (जून के अंत तक)	0.00	
2.	ओडिशा	2011-12	0.86	
		2012-13	0.54	
		2013-14	10.48	10.01
		2014-15 (जून के अंत तक)	0.00	
3.	पश्चिम बंगाल	2011-12	3.20	
		2012-13	8.37	
		2013-14	18.90	23.83
		2014-15 (जून के अंत तक)	0.00	
(ख)	**विश्व बैंक : औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन परियोजना हेतु क्षमता निर्माण (सी.बी.आई.पी.एम.पी.)**			
1.	आंध्र प्रदेश	2011-12	5.39	2.77
		2012-13	11.82	6.85
		2013-14	0.00	4.76
		2014-15 (जून के अंत तक)	0.00	1.25
2.	पश्चिम बंगाल	2011-12	4.80	2.36
		2012-13	6.70	6.19
		2013-14	0.00	5.96
		2014-15 (जून के अंत तक)	0.00	0.81

1	2	3	4	5
(ग) विश्व बैंक : राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन कार्यक्रम (एन.जी.आर.बी.पी.)				
1.	उत्तराखंड	2011-12	0.00	0.00
		2012-13	1.55	0.79
		2013-14	5.27	0.41
		2014-15 (जून के अंत तक)	0.25	0.07
2.	उत्तर प्रदेश	2011-12	0.00	0.00
		2012-13	1.80	0.15
		2013-14	30.26	109.27
		2014-15	0.00	0.10
3.	बिहार	2011-12	0.00	0.00
		2012-13	0.60	0.00
		2013-14	46.76	33.72
		2014-15 (जून के अंत तक)	0.00	9.41
4.	झारखंड	2011-12	0.00	0.00
		2012-13	0.50	0.04
		2013-14	6.26	0.13
		2014-15 (जून के अंत तक)	0.00	0.10
5.	पश्चिम बंगाल	2011-12	0.00	0.00
		2012-13	0.60	0.23
		2013-14	16.72	0.31
		2014-15 (जून के अंत तक)	0.00	0.07

1	2	3	4	5
(घ) जे.आई.सी.ए. : गंगा कार्य योजना (उत्तर प्रदेश-वाराणसी)				
1.	उत्तर प्रदेश	2011-12	शून्य	
		2012-13	शून्य	
		2013-14	50.00	
		2014-15 (जून के अंत तक)	शून्य	
(ङ) जे.आई.सी.ए. : यमुना कार्य योजना (फेज-III)				
1.	दिल्ली	2011-12	शून्य	
		2012-13	शून्य	
		2013-14	5.00	
		2014-15 (जून के अंत तक)	शून्य	

पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी परियोजनाएं

882. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:
श्रीमती कमला पाटले:
श्री ओम बिरला:
मोहम्मद फैज़ल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों के सरकारी और निजी कोयला खनन तथा विकासात्मक संबंधी कई परियोजनाएं पर्यावरण तथा वन की स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि और इनके पूरा होने संबंधी विलम्ब को रोकने के लिए इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पर्यावरण और वन स्वीकृति देने के लिए कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के

राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) इस मंत्रालय में पर्यावरण और वन स्वीकृति की मंजूरी हेतु विचारार्थ विभिन्न क्षेत्रों के लंबित प्रस्तावों के राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विचार की विभिन्न प्रवस्थाओं के लिए समय-सीमा का प्रावधान है, के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। वन स्वीकृति की अपेक्षा वाले प्रस्तावों के संबंध में, वन (संरक्षण) नियम, 2003 वर्ष 2014 में यथा संशोधित जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वन स्वीकृति प्रस्तावों की प्रक्रिया हेतु समय-सीमा निर्धारित हैं, के प्रावधानों के अनुसार पर विचार किया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति की मंजूरी की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए, मंत्रालय ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें शामिल है: (i) विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के विचार हेतु विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की नियमित और लंबी अवधि की बैठकें (ii) लंबित परियोजनाओं की स्थिति की नियमित मॉनीटरिंग (iii) पर्यावरण स्वीकृति/विचारार्थ विषय की मंजूरी हेतु आवेदन की ऑन लाईन प्रस्तुती, (iv) वर्ग "ख" परियोजनाओं से निपटने के लिए 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणों (एस.ई.आई.ए.ए.) का गठन, (v) ख वर्ग परियोजनाओं के बी-1 एवं बी-2 वर्ग इत्यादि में वर्गीकरण हेतु दिशा निर्देश।

वन स्वीकृति प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) वन भूमि में प्रक्रिया हेतु वन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरल प्रपत्र निर्धारित किया गया है।

(ii) देहरादून, रांची, नागपुर और चैन्नई में चार और नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

(iii) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन स्वीकृति आवेदनों को भरने और स्थिति का पता लगाने हेतु ऑन लाईन पॉर्टल विकसित किया जा रहा है।

विवरण-I

30 जून, 2014 की स्थिति अनुसार वन स्वीकृति की मंजूरी हेतु विचार के अंतर्गत राज्य-वार परियोजना प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नाम	30 जून, 2014 की स्थिति अनुसार लंबित परियोजना प्रस्ताव की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	35
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	2
4.	असम	2
5.	बिहार	-
6.	चंडीगढ़	-
7.	छत्तीसगढ़	5
8.	दादरा और नगर हवेली	-
9.	दमन और दीव	-
10.	दिल्ली	1
11.	गोवा	-
12.	गुजरात	55
13.	हरियाणा	3
14.	हिमाचल प्रदेश	5
15.	जम्मू और कश्मीर	-
16.	झारखंड	16
17.	कर्नाटक	24
18.	केरल	6
19.	मध्य प्रदेश	24
20.	महाराष्ट्र	32

1	2	3
21.	मणिपुर	–
22.	मेघालय	–
23.	मिजोरम	–
24.	नागालैंड	–
25.	लक्षद्वीप	–
26.	पुदुचेरी	–
27.	ओडिशा	19
28.	पंजाब	8
29.	राजस्थान	7
30.	सिक्किम	1
31.	तमिलनाडु	21
32.	तेलंगाना	–
33.	त्रिपुरा	2
34.	उत्तराखंड	2
35.	उत्तर प्रदेश	14
36.	पश्चिम बंगाल	11
	कुल	298

विवरण-II

30 जून, 2014 की स्थिति अनुसार वन स्वीकृति की मंजूरी हेतु विचार के अंतर्गत राज्य-वार परियोजना प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नाम	30 जून, 2014 की स्थिति अनुसार लंबित परियोजना प्रस्ताव की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	9
4.	असम	1
5.	बिहार	–
6.	चंडीगढ़	1
7.	छत्तीसगढ़	2
8.	दादरा और नगर हवेली	–
9.	दमन और दीव	–
10.	दिल्ली	–
11.	गोवा	–
12.	गुजरात	12
13.	हरियाणा	–
14.	हिमाचल प्रदेश	4
15.	जम्मू और कश्मीर	–
16.	झारखंड	4
17.	कर्नाटक	3
18.	केरल	–
19.	मध्य प्रदेश	13
20.	महाराष्ट्र	3
21.	मणिपुर	1
22.	मेघालय	–
23.	मिजोरम	1
24.	नागालैंड	–
25.	लक्षद्वीप	–

1	2	3
26.	पुदुचेरी	-
27.	ओडिशा	10
28.	पंजाब	1
29.	राजस्थान	-
30.	सिक्किम	-
31.	तमिलनाडु	-
32.	तेलंगाना	-
33.	त्रिपुरा	-
34.	उत्तराखंड	7
35.	उत्तर प्रदेश	2
36.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	80

[हिन्दी]

पासपोर्ट कार्यालयों का आधुनिकीकरण

883. श्री अर्जुनलाल मीणा:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पी.एस.के.) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पी.एस.के.) के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी पी.एस.के. को कब तक आधुनिक बनाए जाने की संभावना है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त (विजय कुमार सिंह): (क) सरकार द्वारा पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली में व्यापक सुधार करने के लिए कार्यान्वित मिशन मोड परियोजना, पासपोर्ट सेवा परियोजना के भाग के रूप में संलग्न सूची विवरण के अनुसार देश भर में वर्तमान 37 पासपोर्ट कार्यालयों की विस्तारित शाखा के रूप में 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा संचालित किए गए हैं। मई 2010 से 30 जून 2014 तक प्रायोगिक पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की शुरुआत के बाद से नई प्रणाली के तहत 15329306 पासपोर्ट जारी किए गए हैं।

(ख) से (घ) (i) पासपोर्ट पोर्टल www.passportindia.gov.in वेबआधारित है अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी समय तथा कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकता है। नागरिक ऑनलाइन आवेदन करने तथा मुलाकात का समय लेने के लिए किसी अन्य की सहायता लेने अथवा स्वयं अप्वाइंटमेंट लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आवेदकों द्वारा पासपोर्ट पोर्टल पर लॉग ऑन करना व अपनी यूजर आई डी सृजित करना एवं पास वर्ड सृजित करना, ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना एवं प्रस्तुत करना अथवा ई-फार्म डाउनलोड करना तथा पोर्टल पर उसे भरना व अपलोड करना (आवेदक यदि इच्छुक हों तो समर्थन दस्तावेज स्कैन व अपलोड कर सकते हैं), डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग अथवा एस.बी.आई. चालान के माध्यम से पासपोर्ट शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद मुलाकात का समय लेने के लिए समय निर्धारित करना तथा अप्वाइंटमेंट स्लिप का प्रिंट आउट/चालान, मूल दस्तावेजों तथा प्रतिलिपियों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने के लिए संबंधित पासपोर्ट केन्द्र में जाना अपेक्षित है।

(ii) देश में, विशेष रूप से ग्रामीण दूरदराज के इलाकों में डिजिटल विभाजन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने मैसर्स सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (जिसे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रोन्नत किया है) के साथ मिलकर पूरे ग्रामीण दूरदराज के इलाकों में 1 लाख से अधिक सी.एस.सी. के विशाल

नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया है। सी.एस.ए.सी. सरकारी, निजी तथा सामाजिक क्षेत्रीय सेवाओं के लिए सुपुर्दगी स्थल हैं जो पासपोर्ट प्रपत्र भरने तथा अपलोड करने, लागू शुल्क का भुगतान करने तथा अधिकतम 100 रुपए के आंशिक प्रभार पर पासपोर्ट सेवा केन्द्र में यात्रा के लिए नियुक्ति का समय निर्धारित करने के कार्य को सुविधाजनक बनाते हैं। अप्वांटमेंट अनुसूची के अनुसार आवेदक आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पासपोर्ट सेवा केन्द्र में जाते हैं। सी.एस.सी. के माध्यम से सेवाएं सप्ताहान्त सहित पूरे सप्ताह के दौरान उपलब्ध होती हैं।

(iii) आवेदकों के लिए प्रतीक्षा के समय को न्यूनतम बनाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रणाली लागू की गई है। पासपोर्ट सेवा केन्द्र द्वारा कार्रवाई करने की क्षमता के अनुसार अपॉइंटमेंट आबंटित की जाती तथा यह इलेक्ट्रॉनिक पंक्ति प्रबंधन प्रणाली पर आधारित होती है। नई प्रणाली में पब्लिक डिलिंग की संख्या को 350 से बढ़ाकर 1610 कर दिया गया है तथा पब्लिक डिलिंग घंटों की संख्या को प्रतिदिन 4 घंटों से बढ़ाकर 7 घंटा कर दिया गया है।

(iv) आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण के सत्यापन के लिए भारतीय पुलिस तथा पासपोर्ट सुपुर्दगी की स्थिति का पता लगाने के लिए भारतीय डाक के साथ सम्पर्क सहित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन तथा सुचारू है। पासपोर्ट वेबसाइट अथवा एम पासपोर्ट सेवा के माध्यम से आवेदनों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नागरिकों को 17 भाषाओं में आपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए एक ईमेल आधारित हेल्पडेस्क तथा 24×7 नेशनल कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। पासपोर्ट का प्रेषण होते ही नागरिकों को एक एस.एम.एस. संदेश भेजा जाता है। सहायता के लिए कोई भी नि:शुल्क हेल्पलाइन 1800-258-1800 पर कॉल कर सकता है।

(v) पासपोर्ट सेवा केन्द्र में आवेदकों की व्यक्तिगत उपस्थिति से पासपोर्ट जारीकर्त्ता अधिकारियों को धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए फोटोग्राफ तथा उगलियों की छाप लेने में सहायता मिलती है। आवेदकों को बाद में अनावश्यक पत्राचार से बचने के लिए पासपोर्ट में की जाने वाली अपने व्यक्तिगत विवरण की प्रविष्ठियों को देखने तथा उसकी पुनर्पुष्टि करने का पूरा अवसर भी मिलता है।

(vi) आवेदन पंजीकरण संख्या प्राप्त नागरिकों को वाकइन सुविधा भी प्रदान की गई है ताकि वे तत्काल सेवाओं के लिए आवेदन कर सकें, पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके, उत्प्रवासन अनापत्ति के लिए आपेक्षित स्थिति को हटा सकें, पासपोर्ट में पति/पत्नी का नाम शामिल करा सकें तथा यदि पृष्ठ समाप्त हो चुके हैं तो नई पुस्तकें जारी करवा सकें। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक, 15 वर्ष से कम आयु वाले अवयस्क जिनके माता-पिता वैध पासपोर्ट धारक हैं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, केन्द्रीय/राज्य सरकारी कर्मचारियों तथा उनके पति/पत्नी, आश्रित अव्यस्क बच्चे, जिनके पास ए.आर.एन. हैं, को भी वाकइन सुविधा प्रदान की गई है।

(vii) प्रत्येक पासपोर्ट सेवा केन्द्र में सुविधाओं में आवेदकों द्वारा पासपोर्ट सेवाएं प्राप्त करने के लिए आरामदायक वातानुकूलित परिवेश में फोटोकापी, भोजन और पेज, सार्वजनिक फोन बूथ, बाल देख-रेख कक्ष तथा दूरदर्शन सुविधाएं शामिल हैं।

(viii) यह परियोजना अत्याधिक प्रौद्योगिक अवसंरचना द्वारा समर्थित है, जिससे संवर्धित सुरक्षा सहित समग्र पासपोर्ट सेवाएं प्रदान की जा सकती है, आवेदकों द्वारा सूचना छिपाने तथा संभावित डुप्लीकेशन के मामले प्रदर्शित करने के लिए एक जटिल दशमलव प्रणाली तैयार की गई है।

(ix) पासपोर्ट सेवा परियोजना में सरकार की अन्य ई-शासन पहल के साथ एकीकरण करने की सक्षमता है।

(x) इस परियोजना में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। पासपोर्ट सेवा परियोजना प्रणाली में निष्पादित किसी भी कार्य के संबंध में कर्मचारियों के साथ-साथ सेवा प्रदाता कार्मिकों के दायित्व बायोमेट्रिक्स लाग ईन, यूजर आई.डी. /पासवर्ड तथा डिजिटल हस्ताक्षर सहित तीन स्तरीय प्रमाणन के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने हैं।

(xi) पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्टों की अधिक मांग को पूरा करने के लिए समय-समय पर सप्ताहन्त पर पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में पासपोर्ट मेले आयोजित करते हैं। पासपोर्ट कार्यालय नागरिकों के साथ आमने-सामने बातचीत करके पासपोर्ट सेवा शिकायतों का निपटारा करने के लिए आवश्यकता के आधार पर पासपोर्ट अदालतें भी आयोजित करते हैं।

(xii) चूंकि व्यक्तिगत विवरण तथा आवेदकों के पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन पासपोर्ट जारी करने के लिए महत्त्वपूर्ण है इसलिए पासपोर्ट कार्यालय पुलिस सत्यापन रिपोर्टें शीघ्रता शीघ्र प्राप्त करने के लिए पुलिस के सम्पर्क में रहते हैं।

(xiii) पासपोर्ट सेवा केन्द्र के अधिकारियों के मानक दस्तावेज एवं प्रक्रियाओं की हस्त पुस्तिका सभी पासपोर्ट कार्यालयों को परिचालित की गई है ताकि वे पासपोर्ट आवेदनों पर शीघ्रता से कार्रवाई कर सके।

(xiv) उत्पादकता पर आधारित प्रोत्साहन योजना लागू की गई है जिसका उद्देश्य केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के अधिकारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि करना है।

विवरण

पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पी.एस.के. की संख्या	पी.एस.के. स्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति
2.	असम*	1	गुवाहाटी
3.	बिहार	1	पटना
4.	चंडीगढ़ संघ राज्य**	1	चंडीगढ़
5.	छत्तीसगढ़	1	रायपुर
6.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र***	3	हेरोल्ड हाउस, शालीमार प्लेस, भीकाजी कामा प्लेज
7.	गोवा	1	पणजी
8.	गुजरात	5	अहमदाबाद I एवं II, वडोदरा, राजकोट, सूरत
9.	हरियाणा	2	अंबाला, गुडगांव
10.	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला

1	2	3	4
11.	जम्मू और कश्मीर	2	जम्मू, श्रीनगर
12.	झारखंड	1	रांची
13.	कर्नाटक	4	बंगलौर I एवं II, हुबली, मंगलौर
14.	केरल	13	तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुर (ग्रामीण), कोल्लाम, कोचीन, अर्नाकुलम ग्रामीण, अल्पुजा, कोट्टयम, मल्लापुर, त्रिसुर, कोजीकोड I एवं II, कन्नूर I एवं II
15.	मध्य प्रदेश	1	भोपाल
16.	महाराष्ट्र	7	मुंबई I, II एवं III, पुणे, नागपुर, थाणे, नासिक
17.	ओडिशा	1	भुवनेश्वर
18.	पंजाब	5	अमृतसर, लुधियाना, जालंधर I एवं II, होशियारपुर
19.	राजस्थान	3	जयपुर, जोधपुर, सीकर
20.	तमिलनाडु	8	चेन्नै I, II एवं III, त्रिची, तंजावुर, मदुरै, तिरूनेलबेल्ली, कोयंबटूर
21.	तेलंगाना	4	हैदराबाद I, II, III निजामबाद
22.	उत्तर प्रदेश	6	लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद
23.	उत्तराखंड	1	देहरादून
24.	पश्चिम बंगाल@	2	कोलकाता, बहरामपुर
	कुल	77	

* क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गुवाहाटी के तहत पांच अन्य पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल हैं।

** क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़ के तहत पंजाब तथा हरियाणा के भाग शामिल हैं।

*** क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली के तहत हरियाणा के भाग शामिल हैं।

@क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोलकाता के तहत सिक्किम तथा त्रिपुरा शामिल हैं।

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्वी राज्यों को धन का आवंटन

884. डॉ. थोकचोम मेन्या: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्व के विभिन्न राज्यों को धन के आवंटन में भेदभाव किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर-पूर्व के राज्यों में धन के वितरण के लिए कोई मापदंड हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एन.एल.सी.पी.आर. स्कीम के तहत सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वरीयता सूची से प्रतिधारित की जाने वाली परियोजनाओं का निर्धारण एक फार्मूले के तहत किया जाता है जो इसके साम्यपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करता है। इस फार्मूले में पूर्वोत्तर के राज्यों की निम्नलिखित विशिष्टताओं की उपलब्ध अद्यतन सूचना की भारित औसत को ध्यान में रखा जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार एन.एल.सी.पी.आर. स्कीम के तहत अनुमोदित निधियों के साम्यपूर्ण वितरण के लिए मानक इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	विशिष्टताएं	संलग्न भार
1.	क्षेत्र	25
2.	जनसंख्या (जनगणना 2011)	25
3.	मानव विकास सूचकांक (2004-05)	15 (प्रतिलोम अनुपात में)
4.	प्रति 1000 वर्ग कि.मी. सड़क सघनता (2008)	7 (प्रतिलोम अनुपात में)
5.	जनगणना (2001) में बिजलीकृत गांवों का प्रतिशत (31.08.2010 को)	6 (प्रतिलोम अनुपात में)
6.	अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या (एलोपैथी) प्रति 1000 व्यक्ति (2009)	6 (प्रतिलोम अनुपात में)
7.	सुरक्षित पेय जल वाले घरों का प्रतिशत (जनगणना 2001)	6 (प्रतिलोम अनुपात में)
8.	एन.एल.सी.पी.आर. परियोजनाओं के पूर्ण होने की दर	10

एन.एलसी.पी.आर. स्कीम के तहत प्रतिधारण के लिए निधियों के साम्यपूर्ण आवंटन हेतु अपनाए गए मानकों के अनुसार निकाला गया वर्तमान प्रतिशत

राज्य	प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	13.06
असम	27.78
मणिपुर	9.98
मेघालय	10.76
मिजोरम	10.42
नागालैण्ड	10.18
सिक्किम	6.54
त्रिपुरा	11.28
कुल	100.00

मेट्रो रेल का विस्तार

885. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो की सेवाओं का दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद में मोहन नगर तक और वैशाली से इंदिरापुरम तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कर ली गई है और उसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डी.एम.आर.सी.)/केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है;.

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डी.एम.आर.सी. ने इसके लिए मृदा परीक्षण हेतु कोई अध्ययन शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो डी.पी.आर. को तैयार करने का कितना व्यय हुआ है और सरकार द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू): (क) उत्तर प्रदेश सरकार (यू.पी. सरकार) से दिलशाह गार्डन से गाजियाबाद नया बस अड्डा

वाया मोहन नगर तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) पर अपने अनुमोदन से अवगत कराते हुए एक पत्र प्राप्त हुआ। वैशाली से इन्दिरापुरम तक मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डी.एम.आर.सी.) ने यह सूचित किया है कि दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद नया बस अड्डा तक मेट्रो विस्तार हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कर ली गई है।

(ग) दिलशाद गार्डन से गाजियबाद नया बस अड्डा तक मेट्रो विस्तार का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(i) लम्बाई - 9.41 कि.मी. (एलीवेटिड कॉरिडोर)।

(ii) स्टेशनों की संख्या - 7

(iii) डी.पी.आर. के अनुसार पूरा करने की अनुमानित लागत 1770 करोड़ रुपए है।

(घ) डी.एम.आर.सी. ने सूचित किया है कि मृदा परीक्षण डी.पी.आर. के चरण पर ही कर लिया गया था।

(ङ) डी.एम.आर.सी. ने सूचित किया है कि दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद नया बस अड्डा तक कॉरिडोर की डी.पी.आर. तैयार करने में सर्विस टैक्स 70 लाख रुपए का व्यय हुआ है सर्विस टैक्स इसके अलावा है। भारत सरकार द्वारा मेट्रो परियोजनाओं की संस्वीकृति परियोजना की व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

तटीय क्षेत्रों में निर्माण

886. श्री एम.आई. शनवास:
मोहम्मद फैज़ल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न तटीय ज़ोनों से तटीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी तटीय क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों और नियमों का उल्लंघन कर रहे अवैध निर्माणों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ग) सी.आर.जेड अधिसूचना, 1991 के अधिक्रमण में वर्ष 2011 में तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड) अधिसूचना को अधिसूचित किया गया था। सी.आर.जेड अधिसूचना के प्रावधानों के क्रियान्वयन और प्रवर्त्तन के उद्देश्य से, केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (एन.सी.जेड.एम.ए.) और राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तरों पर तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (सी.जेड.एम.ए.) का गठन किया गया है। सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र सी.जेड.एम.ए. को विभिन्न उल्लंघनों अभिज्ञात करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 126, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 1, दमन व दीव में 84, गुजरात में 14, गोवा में 198, कर्नाटक में 69, केरल में 45, लक्षद्वीप में 2, महाराष्ट्र में 435, ओडिशा में 19, पुडुचेरी में 3 और पश्चिम बंगाल में 151 सहित 1147 मामलों को अभिज्ञात किया गया है। राज्य सी.जेड.एम.ए. और भारत सरकार द्वारा मामलों को दर्ज करने और अवैध निर्माणों को गिराने इत्यादि से युक्त कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

खनिज युक्त रेत का उत्खनन

887. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अंतर्गत खनिज भूमि के उत्खनन के लिए निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइसेंस को देने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग के समक्ष निजी क्षेत्र की तरफ से कुछ आवेदन विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने केरल के कोल्लम और अलपुज्जा जिलों के तटों जहां के रेत में निर्धारित खनिज मौजूद हैं, में निजी क्षेत्र को खनन अधिकार प्रदान करने की अपनी नीति में परिवर्तन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं। भारत सरकार का विचार, परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अधीन खनिज बालू के खनन के लिए निजी क्षेत्र को लाइसेंस प्रदान करने का नहीं है। तथापि, पुलिन बालू निक्षेपों में अन्य खनिजों के खनन के लिए, खान मंत्रालय (एम.ओ.एम.) द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खनिजों के बारे में रियायत प्रदान किए जाने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) की पूर्व सहमति मांगी जाती है। परमाणु ऊर्जा विभाग, अपने एक संघटक यूनिट परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (ए.एम.डी.) की सिफारिशों के आधार पर खान मंत्रालय को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करता है, और खान मंत्रालय की सिफारिश पर, संबंधित राज्य सरकारें पुलिस बालू निक्षेपों के खनन हेतु लाइसेंस जारी करती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर (ख) के मुद्देनज़र यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) खनन की अनुमति प्रदान करने के अधिकार राज्य सरकारों के पास होते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग, विहित खनिजों के खनन हेतु निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान करने के लिए नियमों के वर्तमान प्रावधानों में छूट देने के बारे में विचार नहीं कर रहा है।

(ङ) ऊपर (घ) के मद्देनज़र यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन

888. श्री गणेश सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दूसरी भाषाओं के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर सरकार द्वारा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार देश में संस्कृत को प्रोत्साहन देने तथा इसके प्रचार के लिए कोई नई योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के लिए कितना धन आवंटित किया जाना प्रस्तावित हैं; और

(ङ) उक्त योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) भारत सरकार अपने तीन सम विश्वविद्यालयों नामत: राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (आर.एस.के.एस.), नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (एस.एल.बी.एस.आर.एस.वी.), नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (आर.एस.वी.), तिरुपति और एक स्वायत्त संगठन, महर्षि सांदिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान (एम.एस.आर.वी.वी.पी.), उज्जैन के माध्यम से संस्कृत भाषा का संवर्धन कर रही है। आर.के.एस.के. और एम.एस.आर.वी.वी.पी. को भारत सरकार द्वारा सीधे वित्तपोषित किया जाता है जबकि, एस.एल.बी.एस.आर.एस.वी. और आर.एस.वी. का निधियन यू.जी.सी. द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, यू.जी.सी. राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को संस्कृत-शिक्षण और शोध के लिए भी निधि उपलब्ध कराता है। आर.एस.के.एस. देश में संस्कृत के संवर्धन हेतु विशेष योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिनमें आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता, शास्त्र चूड़ामणि योजना, संस्कृत अध्यापकों को वित्तीय सहायता, संस्कृत संवर्धन के लिए

गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को वित्तीय सहायता, जरूरतमंद परिस्थितियों में संस्कृत विद्वानों को सहायता, संस्कृत छात्रों को छात्रवृत्ति, संस्कृत में पुस्तकों का प्रकाशन आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त संस्कृत विद्वानों के लिए राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण-पत्र योजना भी है। वर्ष 2002 से 30-40 वर्ष आयु वर्ग की युवा प्रतिभाओं के लिए महर्षि बादरायण व्यास सम्मान भी शुरू किया गया है। वर्ष 2008 से, इस योजना का विस्तार अप्रवासी भारतीय या विदेशी नागरिक की संस्कृत क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मिलित करने हेतु किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश में भारतीय कामगारों की मृत्यु

889. श्री सुनील कुमार सिंह:
डॉ. ए. सम्पत:
श्री पी.के. बिजू:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों से भारतीय कामगारों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया समय लेने वाली और बहुत जटिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसे किसी मृत भारतीय कामगार की विधवाओं और परिवारों की तरफ से वैयक्तिक अनुरोध तथा शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार संबंधित देशों के साथ परामर्श से पूर्वोक्त प्रक्रिया को सरल बनाने का है और यदि हां, तो इस संबंध में कब तक प्रभावी कदम उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त (विजय कुमार सिंह): (क) विदेशों से भारतीय राष्ट्रिकों के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने की प्रक्रिया प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न है।

(ख) कुछ मामलों में संबंधित परिवार संबद्ध मिशनों तथा केन्द्रों को यह बताने में समय लेते हैं कि वे पार्थिव शरीर को भारत लाना चाहेंगे अथवा स्थानीय स्तर पर ही दाह-संस्कार करना चाहेंगे। चूंकि स्वाभाविक मृत्यु के मामलों में अनुचित विलंब नहीं होता है, परन्तु अस्वाभाविक मृत्यु के मामलों में छानबीन के लिए उन देशों की स्थानीय प्रक्रियाओं के कारण पार्थिव शरीर भारत वापस लाने में लंबा समय लगता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों से सुविधा/शिकायत विषयक 91 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ऐसे सभी अनुरोधों/शिकायतों को भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा त्वरित रूप से निपटाया गया तथा स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके प्रक्रिया को सरलीकृत करने पर कार्रवाई की गयी।

(ङ) सरकार, प्रक्रिया को शीघ्र निपटाने के लिए संबद्ध सरकारों के साथ सतत संपर्क में है।

नए प्राणी उद्यान

890. योगी आदित्यनाथ: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों की ओर से देश में नए प्राणी उद्यानों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने (जनवरी, 2010 से) देश में नए चिड़ियाघरों की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त किए थे :

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित चिड़ियाघर का नाम और इसकी अवस्थिति
1	2	3
1.	हरियाणा	सिरसा में नया चिड़ियाघर
2.	हरियाणा	मिनी चिड़ियाघर, झबुआ, रेवाड़ी, हरियाणा
3.	कर्नाटक	पश्चिमी घाट में बचाव केन्द्र
4.	कर्नाटक	सिरगुप्पा प्लेस के केंचाना गुड्डा पर्यटन स्थल पर हिरण उद्यान
5.	कर्नाटक	येनेपोगा विश्वविद्यालय में पशु खोपड़ियों और दांत का अनुसंधान संग्रहालय
6.	महाराष्ट्र	आरे मिल्क कॉलोनी, गोरेगांव, मुंबई में नया चिड़ियाघर
7.	महाराष्ट्र	यवतमाल में सर्प उद्यान
8.	महाराष्ट्र	थाणे में डॉल्फिनों की प्रदर्शनी हेतु विश्व स्तरीय एक्वारियम और सी वर्ल्ड ओसियानेरिम
9.	महाराष्ट्र	अमरावती जिले में रेप्टाईल पार्क
10.	ओडिशा	राउरकेला में बचाव केन्द्र
11.	ओडिशा	ब्लैक बक हेतु बचाव और पुनर्वास केन्द्र
12.	पुदुचेरी	पुदुचेरी मिनी चिड़ियाघर
13.	राजस्थान	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में साईबेरियन क्रेन्स के लिए सेमी-कैप्टिव एक्जिबिट सेन्टर
14.	सिक्किम	नागा में चिड़ियाघर और एम्फिबियन पार्क
15.	तमिलनाडु	तिरूचिरापल्ली के आरक्षित वन क्षेत्र में तितली उद्यान
16.	तमिलनाडु	उदयगिरि फोर्ट, कन्याकुमारी में लघु जैविक उद्यान
17.	तेलंगाना	हैदराबाद में रेप्टाईल बचाव केन्द्र
18.	तेलंगाना	कोथागुडा रिजर्व वन क्षेत्र में हैदराबाद पक्षी उद्यान
19.	उत्तर प्रदेश	कुकरेल, लखनऊ में जैवविविधता केन्द्र
20.	उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोयडा में ब्ल्यू प्लेनेट एक्वारियम
21.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी के समीप उत्तरी बंगाल वन्यजीव सफारी उद्यान

(ग) प्रस्तावित चिड़ियाघर पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित चिड़ियाघर का नाम और इसकी अवस्थिति	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	हरियाणा	सिरसा में नया चिड़ियाघर	स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया गया
2.	हरियाणा	मिनी चिड़ियाघर, झबुआ, रेवाड़ी, हरियाणा	विशेषज्ञों द्वारा औचित्य अध्ययन कराया गया था और प्रस्ताव को निरस्त किया गया था
3.	कर्नाटक	पश्चिमी घाट में बचाव केन्द्र	स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया गया
4.	कर्नाटक	सिरगुप्पा प्लेस के कचाना गुड्डा पर्यटन स्थल पर हिरण उद्यान	स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया गया
5.	महाराष्ट्र	येनेपोगा विश्वविद्यालय में पशु खोपड़ियों और दांत का अनुसंधान संग्रहालय	सी.जेड.ए. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है
6.	महाराष्ट्र	आरे मिल्क कॉलोनी, गोरेगांव, मुम्बई में नया चिड़ियाघर	औचित्य रिपोर्ट हेतु विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है।
7.	महाराष्ट्र	यवातमल में सर्प उद्यान	स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया गया
8.	महाराष्ट्र	थाणे में डॉल्फिनों की प्रदर्शनी हेतु विश्व स्तरीय एक्वारियम और सी वर्ल्ड ओसियानेरिम	पत्र सं. 20-1/2010-सी.जेड.ए. (एम)/2840 दिनांक 17/05/2013 द्वारा देश में डॉल्फिनेरियम की स्थापना नहीं करने हेतु परामर्शिका के अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया
9.	महाराष्ट्र	अमरावती जिले में रेप्टाईल पार्क	प्रस्ताव निरस्त किया गया था
10.	ओडिशा	राउरकेला में बचाव केन्द्र	स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया गया
11.	ओडिशा	ब्लैक बक हेतु बचाव और पुनर्वास केन्द्र	स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया गया
12.	पुदुचेरी	पुदुचेरी मिनी चिड़ियाघर	स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया गया
13.	राजस्थान	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में साईबेरियन क्रेन्स के लिए सेमी-कैप्टिव एक्जिबिट सेन्टर	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर केन्द्र की अनुमति न देने का निर्णय लिया था। तथापि, एन.बी.डब्ल्यू.एल. की अनुमति से राष्ट्रीय उद्यान (एन.पी.) के बाहर केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।
14.	सिक्किम	नागा में चिड़ियाघर और एम्फिबियन पार्क	प्रस्ताव निरस्त किया गया था

1	2	3	4
15.	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली के आरक्षित वन क्षेत्र में तितली उद्यान	स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया गया
16.	तमिलनाडु	उदयगिरि फोर्ट, कन्याकुमारी में लघु जैविक उद्यान	सी.जेड.ए. के विशेषज्ञों को औचित्य निर्धारण हेतु नियुक्त किया गया था। तमिलनाडु वन विभाग और सी.डब्ल्यू.एल.डब्ल्यू. को रिपोर्ट भेजी गई है। उत्तर प्रतीक्षित है।
17.	तेलंगाना	हैदराबाद में रेप्टाईल बचाव केन्द्र	स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया गया। तथापि, मुख्य वन्यजीव वार्डन, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना से औचित्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
18.	तेलंगाना	कोथागुडा रिजर्व वन क्षेत्र में हैदराबाद पक्षी उद्यान	प्रस्ताव निरस्त किया गया था
19.	उत्तर प्रदेश	कुकरेल, लखनऊ में जैवविविधता केन्द्र	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून का औचित्य अध्ययन करने का दायित्व सौंपा गया है।
20.	उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोयडा में ब्लयू प्लेनेट एक्वेरियम	स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया गया
21.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी के समीप उत्तरी बंगाल वन्यजीव सफारी उद्यान	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने पश्चिम बंगाल के 3 मौजूदा चिड़ियाघरों को बंद करने के अध्यधीन स्थापना हेतु प्रस्तावित को अनुमति देने का निर्णय लिया था। उत्तर प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी में पारेषण सुविधाओं का उन्नयन

891. श्री राजेन गोहेन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपूर्ण देश में आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों (एल.पी.टी.) की पारेषण क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या हां, तो गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ स्थित ट्रांसमीटरों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पारेषण में सुधार करने के लिए आकाशवाणी के रिकार्डिंग स्टूडियो में वर्तमान मशीनरी और उपकरणों को बदलने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) जी नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय आकाशवाणी (ए.आई.आर.) के मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ग) और (घ) जी हां। प्रसार भारती ने सूचित किया

है कि इस समय आकाशवाणी स्टेशनों के 98 स्टूडियों को डिजिटीकृत किया जा रहा है तथा 29 और स्टूडियों के डिजिटीकरण की स्कीम को भी 12वीं योजना में अनुमोदित कर दिया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

आकाशवाणी के डिजिटीकृत किए जा रहे स्टूडियो की सूची

क्र.सं.	केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	कडपा	आंध्र प्रदेश
2.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
3.	विजयवाडा	आंध्र प्रदेश
4.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
5.	ईटानगर	अरूणाचल प्रदेश
6.	पासीघाट	अरूणाचल प्रदेश
7.	तवांग	अरूणाचल प्रदेश
8.	डिब्रूगढ़	असम
9.	गुवाहाटी	असम
10.	कोकराझार	असम
11.	सिलचर	असम
12.	भागलपुर	बिहार
13.	दरभंगा	बिहार
14.	पटना	बिहार
15.	अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़
16.	जगदलपुर	छत्तीसगढ़
17.	रायपुर	छत्तीसगढ़
18.	दिल्ली (प्रसारण भवन)	दिल्ली
19.	दिल्ली (नया प्रसारण भवन)	दिल्ली
20.	दिल्ली (नेशनल चैनल)	दिल्ली
21.	पणजी	गोवा
22.	अहमदाबाद	गुजरात
23.	भुज	गुजरात
24.	राजकोट	गुजरात
25.	वडोदरा	गुजरात
26.	रोहतक	हरियाणा
27.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
28.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
29.	करगिल	जम्मू और कश्मीर
30.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
31.	जमशेदपुर	झारखण्ड
32.	रांची	झारखण्ड
33.	बंगलौर	कर्नाटक
34.	भद्रावती	कर्नाटक
35.	धारवाड़	कर्नाटक
36.	गुलबर्गा	कर्नाटक
37.	मंगलूर/उदीपी	कर्नाटक
38.	कोच्चि	केरल
39.	कोजीकोड (कालीकट)	केरल
40.	त्रिशूर	केरल
41.	तिरुवनंतपुरम	केरल
42.	भोपाल	मध्य प्रदेश
43.	छतरपुर	मध्य प्रदेश

1	2	3
44.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
45.	इंदौर	मध्य प्रदेश
46.	जबलपुर	मध्य प्रदेश
47.	रीवा	मध्य प्रदेश
48.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
49.	जलगांव	महाराष्ट्र
50.	मुंबई (विविध भारती सेवा)	महाराष्ट्र
51.	मुंबई (प्रसारण भवन)	महाराष्ट्र
52.	नागपुर	महाराष्ट्र
53.	परभणी	महाराष्ट्र
54.	पुणे	महाराष्ट्र
55.	रत्नागिरी	महाराष्ट्र
56.	सांगली	महाराष्ट्र
57.	इम्फाल	मणीपुर
58.	शिलांग	मेघालय
59.	तुरा	मेघालय
60.	आइजोल	मिजोरम
61.	कोहिमा	नागालैण्ड
62.	भवानीपटना	ओडिशा
63.	कटक	ओडिशा
64.	जैपोर	ओडिशा
65.	सम्बलपुर	ओडिशा
66.	जालंधर	पंजाब
67.	बीकानेर	राजस्थान
68.	जयपुर	राजस्थान

1	2	3
69.	जैसलमेर	राजस्थान
70.	जौधपुर	राजस्थान
71.	सूरतगढ़	राजस्थान
72.	उदयपुर	राजस्थान
73.	गंगटोक	सिक्किम
74.	चेन्नई	तमिलनाडु
75.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
76.	कोड्ईकनाल	तमिलनाडु
77.	मदुरै	तमिलनाडु
78.	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
79.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु
80.	तूतीकोरिन	तमिलनाडु
81.	अगरतला	त्रिपुरा
82.	चंडीगढ़	संघ राज्यक्षेत्र
83.	पुदुचेरी	संघ राज्य क्षेत्र (पुदुचेरी)
84.	कावारती	संघ राज्यक्षेत्र (लक्षद्वीप समूह)
85.	पोर्ट ब्लेयर	संघ राज्यक्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
86.	आगरा	उत्तर प्रदेश
87.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
88.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
89.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
90.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
91.	मथुरा	उत्तर प्रदेश
92.	नजीबाबाद	उत्तर प्रदेश

1	2	3
93.	रामपुर	उत्तर प्रदेश
94.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
95.	अल्मोड़ा	उत्तराखण्ड
96.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
97.	कर्सियांग	पश्चिम बंगाल
98.	सिलिगुड़ी	पश्चिम बंगाल

विवरण-II

12वीं योजना के तहत अनुमोदित डिजिटीकृत किए जा रहे आकाशवाणी स्टूडियो की सूची

क्र.सं.	अवस्थिति	राज्य
1	2	3
1.	आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश
2.	अहवा	गुजरात
3.	बालाघाट	मध्य प्रदेश
4.	बाड़मेर	राजस्थान
5.	बेलोनिया	त्रिपुरा
6.	भद्रवा	जम्मू और कश्मीर
7.	चुडाचांदपुर	मणिपुर
8.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश
9.	दिफू	असम
10.	गोधरा	गुजरात
11.	हाफलांग	असम
12.	हजारीबाग	झारखण्ड
13.	झालावाड़	राजस्थान
14.	कैलाशहर	त्रिपुरा
15.	क्योंझर	ओडिशा
16.	लुंगलेह	मिज़ोरम
17.	माउंट आबू	राजस्थान
18.	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल
19.	ओबरा	उत्तर प्रदेश
20.	ऊटकमंड	तमिलनाडु
21.	पूंछ	जम्मू और कश्मीर
22.	पूर्णिया	बिहार
23.	रायगढ़	छत्तीसगढ़
24.	सासाराम	बिहार
25.	शांतिनिकेतन	पश्चिम बंगाल
26.	सोरो	ओडिशा
27.	सूरत	गुजरात
28.	तेजू	अरूणाचल प्रदेश
29.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश

पेयजल की कमी

892. डॉ. एम. तंबिदुरैः क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न शहरों/शहरी क्षेत्रों में पेयजल की कमी के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन शहरों और शहरी क्षेत्रों को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने प्रस्तावित हैं?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) और (ख) "शहरी जल और स्वच्छता सैक्टर (2010-2011) में सेवा स्तर" हेतु एक

स्थिति रिपोर्ट मार्च, 2012 में शहरी विकास मंत्रालय (एम. ओ.यू.डी.) द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसके अनुसार औसत प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति 69.2 एल.पी.सी.डी. है जो 135 एल.पी.सी.डी. के सेवा स्तर मानदण्ड से कम है। जल आपूर्ति कनेक्शनों का औसत विस्तार 100% के मानदण्ड की तुलना में 50.2% है।

(ग) जल आपूर्ति राज्य का विषय है तथापि शहरी विकास मंत्रालय विभिन्न स्कीमों जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), पूर्वोत्तर के लिए 10% एकमुश्त स्कीम, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एन.ई.आर.यू.डी.पी.) और सैटेलाइट कस्बों/मिलियन प्लस शहरों के काउण्टर मैग्नेट्स के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.टी.) के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त जल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया करने में राज्य सरकारों/यू.एल.बी. के प्रयासों को अनुपूरित करता है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न नीतियां और परामर्शिकाएं जारी की जाती हैं।

[हिन्दी]

मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य

893. श्री ओम बिरला: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना के तहत किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बाघ अभयारण्य में बाघों के संरक्षण की कार्ययोजना क्या है; और

(घ) उक्त बाघ अभयारण्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितना धन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.04.2013 को अधिसूचित किया गया है। बाघों के स्व-स्थाने संरक्षण के लिए बाघ संरक्षण योजना पर आधारित, राज्य से रिजर्व विशिष्ट वार्षिक संचालन योजना के आधार पर बाघ परियोजना की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत निधियन सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

रेलवे की भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय

894. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर में रेलवे की भूमि पर अनेक केन्द्रीय विद्यालय (के.वी.) खोले जाने हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कौन से स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) प्रस्तावों की स्थिति क्या है; और

(घ) केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने हेतु स्थानों के चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (ग) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने सिविल क्षेत्र में रेल मंत्रालय द्वारा पहचान की गई रेलवे भूमि पर नए केन्द्रीय विद्यालय (के.वी.) खोलने के लिए 16 फरवरी, 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। सरकार ने भारतीय रेलवे द्वारा 04 मार्च, 2014 को यथा प्रायोजित केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) के पक्ष में अपेक्षित सीमा तक निःशुल्क भूमि अंतरण करने की शर्त पर (i) बंदेल, रेलवे कालोनी, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल (ii) अंगुल, जिला अंगुल, ओडिशा (iii) गोल्डन राक, एस.आर. तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु (iv) रेल कोच फैक्टरी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, और (v) झाझा, जिला जमुई, बिहार में 05 नए के.वी. खोलने के लिए संस्वीकृति जारी की है।

(घ) नए के.वी. खोलने के लिए भारतीय रेलवे सहित स्थानों का चयन और प्रस्ताव, प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। के.वी.एस. अपनी भूमि उपयुक्तता मानदंडों के अनुसार, ऐसे स्थानों को स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त, नए के.वी. खोलना, सरकार के आवश्यक अनुमोदनों और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में शोध कार्य

895. श्री धर्मवीर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी विश्वविद्यालयों की तुलना में भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध करने की सुविधाएं तथा क्षमता अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने संस्थाओं, विभागों तथा वैयक्तिक शोधार्थियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देकर शोध और रैंकिंग के मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान और विकास अवसंरचना को बढ़ाना एक सतत् प्रयास है। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में तीव्र परिवर्तनों, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति और वैश्वीकरण की प्रक्रिया से चुनौतियां आई हैं जिन्हें निरंतर अनुसंधान उन्नयन सुविधाओं की आवश्यकता है। विभिन्न विश्वविद्यालय ऐसी अवसंरचना के लिए भिन्न-भिन्न रूप से समर्थ हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्र सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार करने के लिए देश में शैक्षिक संस्थानों के अनुसंधान निष्पादन में सुधार करने हेतु प्रोफेसर के. विजय राघवन की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

(ङ) सरकार ने देश में अनुसंधान के उन्नयन और विकास के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। वैज्ञानिक क्षेत्रों में, इनमें वैज्ञानिक विभागों के उत्तरवर्ती योजना आबंटनों में निरन्तर वृद्धि, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना, उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना और शैक्षिक और राष्ट्रीय संस्थानों में उभरते हुए और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाओं का सृजन, नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियां शुरू करना, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास अवसंरचना को सशक्त करना, सार्वजनिक और निजी अनुसंधान और विकास भागीदारियों को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान और विकास ईकाइयों को मान्यता प्रदान करना और उद्योगों आदि के लिए उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना शामिल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रोफेसर एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक और अनुसंधान के कायाकल्प के लिए एक कार्यदल गठित किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के विभागों को अपने विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। इसने विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की हैं; उच्च अध्ययन केन्द्र (सी.ए.एस.)/ विभागीय विशेष सहायता (डी.एस.ए.) विभागीय अनुसंधान सहायता (डी.आर.एस./गैर एस.ए.पी. विभाग) उत्कृष्टता प्रभावी कॉलेज/स्वायत्त कॉलेजों को अवसंरचनात्मक अनुदान, लघु और मुख्य अनुसंधान परियोजनाएं, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रत्यासित कॉलेजों के लिए अवसंरचना, नेटवर्किंग संसाधन केन्द्र, डॉ. डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति, मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्ति, आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान आदि। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान कर रहा है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)/यू.जी.सी.सी.एस. आई.आर. नेट उत्तीर्ण कर ली है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपनी विभिन्न अनुसंधान परिषदों अर्थात् भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आई.आई.ए.एस.), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर.), भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद्, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और कला में अनुसंधान के लिए निधियन भी कर रहा है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान नवाचार और गुणवत्ता में सुधार करने पर भी फोकस करती है।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय जागरूकता

896. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधानः क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अधिकाधिक लोगों को जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लोगों को इस प्रकार से जोड़ने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है/बनाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) जी, हां। 'पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण (ईईएटी)', पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी जुटाने और विशेषकर समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य अनौपचारिक तंत्र में पर्यावरण शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से मंत्रालय की एक फ्लैगाशिप स्कीम है। वर्ष 1986 में शुरू किया गया राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (एन.ई.ए.सी.) इस स्कीम के अंतर्गत एक प्रमुख फ्लैगाशिप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर पणधारियों के व्यापक समूह के बीच पर्यावरणीय जागरूकता सृजित करना है।

(ख) और (ग) यह कार्यक्रम विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जोकि प्रति वर्ष अभिज्ञात किया जाता है। सभी गतिविधियां इसी विषय-वस्तु पर आधारित होती हैं। वर्ष 2014-15 की विषय-वस्तु 'मरुस्थलीकरण, भू-अवक्रमण' एवं सूखे का प्रतिरोध करना है। यह कार्यक्रम देशभर में 33 क्षेत्रीय संसाधन अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दो चरण घटक अर्थात् जागरूकता एवं कार्रवाई सहित विविध लक्ष्य समूह सम्मिलित हैं। यह एक सतत् कार्यक्रम है जिसके लिए समय-सीमा सहित वार्षिक कार्य योजना निरुपित की जाती है।

धन का उपयोग

897. श्री शिवकुमार उदासिः क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवंटित धनराशि का समुचित तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष आवंटित धन का 50 प्रतिशत से कम उपयोग करने वाले राज्यों की कर्नाटक सहित राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) धनराशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जानी प्रस्तावित है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैंय्या नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निधियां जारी करना वास्तविक प्रगति एवं पूर्व में जारी किस्तों के उपयोग पर आधारित है। राज्यवार स्कीम प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) निधियों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय/शहर स्तर पर वास्तविक एवं वित्तीय रिपोर्टों, आवधिक समीक्षा बैठकों एवं फील्ड निरीक्षणों के माध्यम से नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करता है।

विवरण

बी.एस.यू.पी. : पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों को आबंटित और उपयोग की गई धनराशि

(1 जुलाई, 2014 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	केन्द्रीय अंश का सात वर्षीय आबंटन	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	उपयोग किया गया केन्द्रीय अंश (करोड़ रु. में)					
				अब तक 2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	वर्तमान वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	810.64	798.09	573.78	62.53	23.97	-	-	660.29
3.	अरूणाचल प्रदेश	43.95	54.46	12.67	-	16.24	12.78	12.78	54.46
4.	असम	121.94	97.60	48.80	-	-	-	-	48.80
5.	बिहार*	53.54	34.91	78.19	-	-	-	-	78.19
6.	चंडीगढ़ (यू.टी.)	446.13	444.93	227.22	147.06	-	4.74	-	379.02
7.	छत्तीसगढ़	385.21	307.74	169.29	-	22.37	19.55	-	211.21
8.	दादर और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	दिल्ली	1,481.28	1,370.04	357.19	116.04	145.00	150.00	317.03	1,087.27
11.	गोवा	11.43	-	1.15	-	-	-	-	1.15
12.	गुजरात	1,015.56	1,015.47	656.68	23.41	65.93	114.34	50.21	910.58
13.	हरियाणा	57.31	31.18	31.18	-	-	-	-	31.18
14.	हिमाचल प्रदेश*	31.29	11.21	4.57	2.80	-	-	-	7.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	जम्मू और कश्मीर	140.18	134.44	36.80	10.35	5.23	–	–	52.38
16.	झारखंड	351.09	216.92	82.18	–	–	–	–	82.18
17.	कर्नाटक	407.97	407.96	214.46	102.29	16.34	50.95	–	384.03
18.	केरल	250.00	233.56	125.37	7.46	32.97	14.06	19.58	199.44
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	351.10	320.83	193.74	32.73	19.06	17.96	–	263.50
21.	महाराष्ट्र	3,372.56	2,395.11	1,436.07	313.41	118.08	176.60	38.88	2,083.04
22.	मणिपुर	43.91	43.91	10.98	21.96	–	10.98	–	43.91
23.	मेघालय	40.35	40.35	16.03	10.09	10.09	–	–	36.21
24.	मिज़ोरम	80.11	79.73	27.26	12.80	12.80	6.94	–	59.80
25.	नागालैण्ड	105.60	105.60	79.20	–	26.40	–	–	105.60
26.	ओडिशा	78.74	54.18	23.49	7.71	8.47	7.05	–	46.72
27.	पुदुचेरी	83.20	83.20	22.93	7.01	8.08	–	–	38.02
28.	पंजाब*	444.46	65.25	26.39	–	21.09	–	–	47.49
29.	राजस्थान*	383.46	172.67	85.47	–	–	46.18	–	131.64
30.	सिक्किम	29.06	29.06	15.23	6.57	0.70	6.57	–	29.06
31.	तमिलनाडु	1,107.80	1,045.28	562.05	87.31	163.26	191.27	–	1,003.89
32.	तेलंगाना	736.78	725.38	516.47	134.82	71.06	–	–	722.36
33.	त्रिपुरा	23.66	13.96	13.96	–	–	–	–	13.96
34.	उत्तर प्रदेश	1,165.22	799.23	639.51	183.98	26.99	26.12	–	876.60
35.	उत्तराखंड*	97.84	35.85	17.61	1.29	2.41	3.14	3.71	28.16
36.	पश्चिम बंगाल	2,126.98	1,927.13	711.46	289.01	294.99	250.51	33.53	1,579.49
कुल (बी.एस.यू.पी.)		16,356.35	13,095.2	7,017.38	1,580.61	1,111.53	1,109.73	475.73	11,294.98

*50 प्रतिशत आबंटन से कम प्राप्त राज्य बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड

आई.एच.एस.डी.पी. : पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों को आबंटित और उपयोग की गई धनराशि

(1 जुलाई, 2014 तक की स्थिति)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	केन्द्रीय अंश का सात वर्षीय आबंटन	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	उपयोग किया गया केन्द्रीय अंश (करोड़ रु. में)					
				2010-11 तक	2011-12	2012-13	2013-14	वर्तमान वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27.29	8.90	5.53	-	-	-	-	5.53
2.	आंध्र प्रदेश	496.96	432.36	378.43	1.82	40.59	8.23	-	429.07
3.	अरुणाचल प्रदेश	24.52	8.96	4.48	-	-	-	-	4.48
4.	असम	67.25	70.22	35.11	-	3.71	-	1.23	40.05
5.	बिहार*	168.07	380.79	81.24	24.11	128.16	-	-	233.51
6.	चंडीगढ (यू.टी.)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	158.83	158.83	118.31	-	-	40.53	-	158.85
8.	दादरा और नगर हवेली	20.56	3.34	1.67	-	-	-	-	1.67
9.	दमन और दीव	21.97	0.58	0.29	-	-	-	-	0.29
10.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	गोवा	35.79	-	-	-	0.70	-	-	0.70
12.	गुजरात	256.25	231.07	125.81	19.95	54.32	28.07	-	228.14
13.	हरियाणा	209.70	193.01	124.65	29.21	12.43	22.67	-	188.96
14.	हिमाचल प्रदेश*	37.07	42.17	24.39	-	7.59	5.86	-	37.94
15.	जम्मू और कश्मीर	117.34	112.75	44.91	26.75	13.62	11.58	11.14	108.00
16.	झारखंड	136.00	131.33	55.05	10.61	-	21.32	-	86.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	कर्नाटक	222.69	222.58	149.17	69.42	–	3.17	–	221.76
18.	केरल	198.83	201.60	130.70	13.14	7.60	12.18	1.55	165.17
19.	लक्षद्वीप	21.03	–	–	–	–	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	276.64	227.14	115.73	18.23	16.43	44.12	–	194.52
21.	महाराष्ट्र	1,130.60	1,504.16	674.53	52.14	260.89	165.99	9.58	1,163.14
22.	मणिपुर	32.35	32.35	16.33	16.02	–	–	–	32.35
23.	मेघालय	28.97	22.43	11.21	–	–	4.48	–	15.70
24.	मिज़ोरम	29.78	29.78	14.89	14.89	–	–	–	29.78
25.	नागालैंड	44.14	41.30	29.92	–	–	–	–	29.92
26.	ओडिशा	176.33	194.53	92.90	22.80	33.54	13.18	–	162.42
27.	पुदुचेरी	26.95	5.48	2.74	–	–	–	–	2.74
28.	पंजाब*	172.56	45.88	66.77	–	10.16	12.77	–	89.71
29.	राजस्थान*	424.56	602.08	312.69	4.96	90.87	126.99	–	535.50
30.	सिक्किम	20.90	17.92	8.96	–	8.96	–	–	17.92
31.	तमिलनाडु	349.38	400.45	316.55	11.59	34.48	36.06	–	398.68
32.	तेलंगाना	267.61	232.82	199.64	–	27.63	1.35	–	228.61
33.	त्रिपुरा	28.36	38.05	34.55	–	2.80	0.70	–	38.05
35.	उत्तर प्रदेश	854.41	686.92	484.25	198.97	4.69	7.86	22.42	718.18
34.	उत्तराखंड	63.58	90.57	45.25	14.47	7.55	2.79	–	73.09
36.	पश्चिम बंगाल	681.04	709.02	498.79	147.57	33.07	23.80	–	703.23
	सकल योग (आई.एच. एस.डी.पी.)	6,828.31	7,079.35	4,205.49	699.66	799.89	593.70	45.92	6,344.66

**50 प्रतिशत आबंटन से कम प्राप्त राज्य अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरूणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, पंजाब

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात

898. श्री एम.बी. राजेश: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सकल नामांकन अनुपात में व्यापक सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने हेतु कोई विशेष समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (ग) उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) (18-23 वर्षों के आयु समूह के लिए परिकलित) 2011-12 के दौरान 20.4 (अनंतिम), 2010-11 के दौरान 19.4 और 2009-10 के दौरान 15.0 (अनंतिम) रहा है।

(घ) और (ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य वर्ष 2017-18 तक देश का सकल नामांकन अनुपात 25:2 तक बढ़ाने और वर्ष 2020-21 तक 30 का लक्ष्य प्राप्त करने का है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च शिक्षण के कई नए विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पॉलिटेक्निक और अन्य संस्थाएं स्थापित की गई हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) नामक नई योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता के जरिए उच्चतर शिक्षा में समानता, सुलभता और उत्कृष्टता प्राप्त करना है।

[हिन्दी]

परमाणु रिएक्टरों की स्थापना

899. श्री हुकुम सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का फ्रांस की कंपनी एरेवा के सहयोग से परमाणु रिएक्टर बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन परमाणु रिएक्टरों को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2008 में किए गए अंतर्सरकारी करार के अनुसरण में, जैतापुर, महाराष्ट्र में 1650 मेगावाट क्षमता वाले अरेवाज़ विकासमूलक दाबित पानी रिएक्टरों के छः यूनिट, दो यूनिट प्रति चरण में स्थापित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) और अरेवा, फ्रांस के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में जैतापुर में प्रस्तावित रिएक्टरों के संबंध में, द्वि यूनिटों (जे.एन.पी.पी.-1 तथा 2) के पहले सैट की स्थापना के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अरेवा के बीच 'सामान्य रूपरेखा संबंधी करार' (वाणिज्यिक पक्षों को छोड़कर) तथा 'शीघ्र कार्य संबंधी करार' पर हस्ताक्षर किए गए। द्वि यूनिटों—जैतापुर नाभिकीय विद्युत परियोजना-1 तथा 2 (2×1650 मेगावाट) के पहले सैट की स्थापना का कार्य, XIIवीं पंचवर्षीय योजना में तकनीकी-वाणिज्यिक करारों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद आरंभ किए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत दिशा-निर्देश

900. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय निधियों के उपयोग हेतु कतिपय दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत जारी की गई निधियों को पूर्णत: उपयोग नहीं करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और उपयोग नहीं की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत कुछ राज्यों को जिनके नगर निकायों ने निर्धारित दिशा-निर्देशों को पूरा नहीं किया था को केन्द्रीय निधियां जारी की थीं और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने से और राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए सुधारों से संदर्भित किए बिना धन का व्यय करने से योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) जी हां। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यू.आई.जी.) के तहत दिशानिर्देशों में साथ ही साथ यह व्यवस्था की गई है कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 25% की प्रथम किश्त राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.)/पैरास्टेटल द्वारा करार ज्ञापन (एम.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर करने के बाद जारी की जाएगी। सहायता की शेष धनराशि उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर अनुदान (केन्द्रीय एवं राज्य) के 70% की सीमा तक संभवतया 3 किस्तों में जारी की जाएगी और करार ज्ञापन में यथा परिकल्पित राज्य एवं यू.एल.बी./पैरास्टेटल स्तर पर अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन हेतु सहमत लक्ष्यों की प्राप्ति के अध्यधीन होगी।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के दिशानिर्देशों में साथ ही साथ यह भी निर्धारित है कि केन्द्रीय अंश की 50% धनराशि राज्य अंश की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद राज्य नोडल एजेंसी के साथ करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद जारी की जाएगी। केन्द्रीय अंश का 50% अंश पूर्व में जारी (केन्द्रीय एवं राज्य अनुदान) के 70% हेतु नोडल एजेंसी द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर जारी किया जाएगा।

(ख) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. एवं यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत मिशन अवधि के दौरान उपयोग हेतु जारी कुल आबंटन एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न-I और विवरण-II में दिया गया है। ट्रांजिशन फेज के दौरान यू.आई.जी. एवं यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) की अतिरिक्त किश्तें जारी करना अनुदान के 70% (केन्द्रीय एवं राज्य) की सीमा तक उपयोग प्रमाणपत्र (यू.सी.) की प्राप्ति पर निर्भर है और एम.ओ.ए. में यथा परिकल्पित राज्य एवं यू.एल.बी./पैरास्टेटल स्तर पर अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन हेतु सहमत लक्ष्यों की प्राप्ति के अध्यधीन है। चूंकि राज्यों और शहरों ने समयसीमा के अनुसार सभी सुधार प्राप्त नहीं किए हैं इसलिए जारी की जाने वाली किश्तें रोक दी गईं, जिससे कार्य रुक गया और परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई, संविदात्मक दायित्व की समस्या और परियोजना कार्यान्वयन की खराब गुणवत्ता इत्यादि की समस्या सामने आई। सरकार ने दिनांक 01.12.2010 को शेष मिशन अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान किया कि यू.आई.जी. परियोजनाओं के मामले में जहां राज्यों/शहरों द्वारा सुधारों के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है वहां केन्द्रीय धनराशि की 10% धनराशि रोककर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की जा सकती है। राज्य शेष धनराशि को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के कोष का उपयोग कर सकते हैं और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा कर सकते हैं और सुधारों को पूरा किए जाने के बाद रोकी गई धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) इसी प्रकार यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर

राज्य में निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए दूसरी किश्त की धनराशि जारी करने के साथ सुधार कार्यान्वयन को अलग कर दिया। आगे यह भी निर्धारित किया गया कि यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत स्वीकृत निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए द्वितीय किश्त उन यू.एल.बी. को जारी की जाएगी जिन्होंने 6 अनिवार्य यू.एल.बी. स्तरीय सुधारों में से 4 पूर्ण कर लिया है जिसमें 60% की सीमा तक संपत्ति कवरेज और 70% एकत्रीकरण क्षमता हेतु संपत्तिकर से संबंधित दो सुधार और 70% की सीमा तक प्रयोक्ता प्रभार के माध्यम से प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) लागत की वसूली संबंधी सुधार प्राप्त किए हों और वे यू.एल.बी. जो विशिष्ट छूट मानकों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, इन राज्यों के पास उपलब्ध धनराशि से कार्य किया जा सकता है और धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी यदि दिनांक 31.03.2014 तक उपरोल्लिखित सीमा तक सुधार प्राप्त कर लिए जाते हैं।

(iii) स्वीकृत परियोजनाओं की समय से पूर्णता के लिए शिथिल सुधार शर्तों के बाद यू.आई.जी. एवं यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशियां जारी की गयी ताकि परियोजना के फायदे जनता तक पहुंचाए जाएं। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के शुरुआत से सुधार कार्यान्वयन प्रगति आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महत्त्वपूर्ण हैं जिन्होंने 80% से अधिक प्रगति प्राप्त की है। समग्र सुधार उपलब्धि 81% है जबकि राज्य स्तरीय सुधारों में 84% यू.एल.बी. स्तरीय सुधारों में 78% और वैकल्पिक सुधारों में 82% उपलब्धि है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. की शुरुआत से पहले शहर एवं राज्यों द्वारा समग्र सुधार कार्यान्वयन की उपलब्धि 9% थी। पिछले 8 वर्षों के दौरान यह 81% के स्तर तक पहुंच चुकी है। इसी प्रकार, राज्य स्तरीय, यू.एल.बी. स्तरीय एवं वैकल्पिक सुधारों का कार्यान्वयन बहुत ही प्रभावी तरीके से किया गया। तथापि, सरकार ने इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से करार ज्ञापन में की गई वचनबद्धता के अनुसार सुधारों को पूरा करने के बारे में पूछा है।

विवरण-I

यू.आई.जी. के अंतर्गत धनराशि का आबंटन और जारी किया जाना

(धन राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल आबंटन (मूल+अतिरिक्त)	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) प्रतिबद्धता	जारी ए.सी.ए.	शेष ए.सी.ए.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2,11,845.00	2,05,263.82	1,68,096.51	6,581.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	10,740.00	16,243.38	12,565.15	-5,503.38
3.	असम	27,320.00	28,449.64	24,813.27	-1,129.64
4.	बिहार	59,241.00	39,475.72	15,513.14	19,765.29
5.	चंडीगढ़	27,087.00	2,684.64	2,684.64	24,402.36
6.	छत्तीसगढ़	24,803.00	24,291.20	21,862.08	511.80

1	2	3	4	5	6
7.	दिल्ली	2,82,318.00	2,32,734.25	1,12,981.62	49,583.75
8.	गोवा	12,094.00	5,987.28	1,496.82	6,106.72
9.	गुजरात	2,57,881.00	2,46,054.21	2,12,591.01	11,826.79
10.	हरियाणा	32,332.00	34,954.51	31,459.05	-2,622.51
11.	हिमाचल प्रदेश	13,066.00	2,930.94	3,472.84	10,135.06
12.	जम्मू और कश्मीर	48,836.00	48,775.63	33,903.29	60.37
13.	झारखंड	94,120.00	49,936.43	29,646.43	44,183.57
14.	कर्नाटक	1,52,459.00	1,42,437.97	1,18,720.58	10,021.03
15.	केरल	67,476.00	62,964.49	24,337.63	4,511.51
16.	मध्य प्रदेश	1,32,850.00	1,16,793.93	95,583.90	16,056.07
17.	महाराष्ट्र	5,50,555.00	5,09,401.47	4,39,322.82	41,153.53
18.	मेघालय	15,668.00	19,616.15	13,300.85	-3,948.15
19.	मणिपुर	15,287.00	13,856.09	9,006.47	1,430.91
20.	मिज़ोरम	14,822.00	11,494.17	5,015.77	3,327.83
21.	नागालैंड	11,628.00	10,434.72	6,216.26	1,193.28
22.	ओडिशा	32,235.00	59,212.53	33,026.00	-26,977.53
23.	पुदुचेरी	20,680.00	16,272.00	10,502.00	4,408.00
24.	पंजाब	70,775.00	22,692.00	17,098.01	48,083.00
25.	राजस्थान	74,869.00	69,355.99	54,144.97	5,513.02
26.	सिक्किम	10,613.00	8,688.30	7,819.45	1,924.70
27.	तमिलनाडु	2,25,066.00	2,08,403.47	1,86,040.64	16,662.53
28.	त्रिपुरा	14,018.00	16,043.40	14,439.06	-2,025.40
29.	उत्तर प्रदेश	2,76,941.00	2,69,660.09	2,32,039.82	7,280.91
30.	उत्तराखंड	40,534.00	31,189.68	25,606.13	9,344.32
31.	पश्चिम बंगाल	3,21,840.00	2,39,214.94	1,48,617.91	82,625.06
	कुल	31,49,999,00	27,65,513.04	21,11,924.12	3,84,485.96

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्रराज्य	मिशन के लिए आबंटन	ए.सी.ए. प्रतिबद्धता	शेष ए.सी.ए. की प्रतिबद्धता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	49,031.00	1,96,796.80	-147765.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	746.00	3,542.38	-2796.382
3.	असम	10,129.00	18,704.95	-8575.952
4.	बिहार	25,478.00	20,891.13	4586.872
5.	चंडीगढ़	13,478.00	13,472.92	5.08
6.	गोवा	2,211.00	2,211.00	0
7.	गुजरात	35,182.00	34,441.12	740.88
8.	हरियाणा	19,559.00	16,108.65	3450.352
9.	हिमाचल प्रदेश	1,744.00	10,123.23	-8379.232
10.	जम्मू और कश्मीर	3,545.00	38,197.35	-34652.35
11.	झारखंड	11,452.00	10,291.48	1160.52
12.	कर्नाटक	44,314.00	54,598.86	-10284.856
13.	केरल	23,282.00	30,092.44	-6810.44
14.	मध्य प्रदेश	43,843.00	98,244.14	-54401.144
15.	महाराष्ट्र	66,476.00	2,19,555.10	-153079.096
16.	मणिपुर	1,260.00	5,649.30	-4389.3
17.	मेघालय	719.00	1,289.93	-570.934
18.	मिज़ोरम	824.00	1,399.54	-575.536
19.	नागालैंड	1,028.00	2,093.24	-1065.238
20.	ओडिशा	18,179.00	20,559.68	-2380.68
21.	पंजाब	22,660.00	30,849.16	-8189.16
22.	राजस्थान	40,143.00	48,790.82	-8647.816

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	120.00	3,593.54	-3473.538
24.	तमिलनाडु	70,597.00	70,618.38	-21.384
25.	त्रिपुरा	1,376.00	7,035.13	-5659.129
26.	उत्तर प्रदेश	94,792.00	92,644.12	2147.88
27.	उत्तराखंड	4,670.00	4,938.60	-26.6
28.	पश्चिम बंगाल	31,525.00	49,066.94	-17541.936
29.	दिल्ली	122.00	-	122
30.	पुदुचेरी	557.00	3,134.40	-2677.4
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	448.00	446.50	1.496
32.	चण्डीगढ़	-	-	0
33.	दादरा नगर हवेली	193.00	1,491.78	-11298.784
34.	लक्षद्वीप	104.00	-	104
35.	दमन और दीव	220.00	753.90	-533.896
	कुल	**6,39,997.00**	**11,11,626.50**	
	सरकार द्वारा अतिरिक्त आबंटन। तथापि राज्यवार कोई आबंटन नहीं।	5,00,000.00		
	योग	11,39,997.00		

[हिन्दी]

वन्य जीवों पर खनन का प्रभाव

901. श्रीमती रमा देवी:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन्य जीव पर्यावासों का खनन गतिविधियों के कारण विनाश हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप जंगलों और वन्य पशु पर्यावासों की क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए विद्यमान कानून क्या है;

(ग) क्या खनन कंपनियां उक्त प्रयोजनार्थ बनाए गए कानूनों का अनुपालन नहीं कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा चूककर्त्ता कंपनियों पर कंपनी-वार क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) चूंकि खनन गतिविधि में खनन क्षेत्रों में भूमि को खोदने का कार्य होता है, अत: जब एकत्रण, भंडारण एवं परिवहन के लिए ऐसे कार्यकलाप और आनुषंगिक अवसंरचना, वनों एवं वन्यजीव पर्यावासों में स्थित हो तो, इसमें क्षति होने की संभावना रहती है।

खनन गतिविधियों के कारण विध्वंस एवं क्षति का सामना करने वाले वन्यजीव पर्यावासों के विशिष्ट ब्यौरे को अभिलेखित किया जाता है तथा जब भी खनन के प्रस्तावों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति, वन स्वीकृति और सांविधिक अपेक्षा के अनुसार, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा उन पर विचार किया जाना अपेक्षित हो तो, मूल्यांकन करते समय आकलन किया जाता है।

सरकार ने वन और वन्यजीव पर्यावासों सहित खनन को विनियमित करने और खनन के पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) खनन गतिविधियां के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है। कोयला खनन सहित खनन परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां बनाई गई हैं, जो कि अन्य बातों के साथ खनन के वन्यजीव पर्यावासों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित सूचना मांगती हैं तथा इस संबंध में उपयुक्त शर्तें भी लगाती हैं।

(ii) यदि प्रस्तावित खनन वन क्षेत्र के भीतर स्थित हो तो, यह गतिविधि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्थापित वन सलाहकार समिति द्वारा मूल्यांकन किए जाने के अध्यधीन भी होती है।

(iii) यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के अंदर स्थित हो तो, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा अपनी स्थायी समिति के माध्यम से प्रस्ताव पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है।

(iv) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास सुरक्षा क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के आस-पास के पारिस्थितिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र को पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र (ई.एस.जेड.) के रूप में अधिसूचित करने की एक प्रणाली भी शुरू की है, जिसमें वन्यजीव पर्यावासों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों का और अधिक मूल्यांकन तथा विनियमन किया जा सकता है। ई.एस.जेड पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रदत्त अनुमोदनों में अनुबंधित शर्तों के अनुपालन की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी करते हैं, ताकि इन अनुमोदनों में अनुबंधित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

विगत तीन वर्षों के दौरान, वन स्वीकृति में अनुबंधित शर्तों के अनुपालन का आकलन करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वन क्षेत्रों में कुल 696 खनन परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया था। पाई गई महत्त्वपूर्ण कमियां/गैर-अनुपालन निम्नलिखित हैं:

(i) खनिज क्षेत्र का भूमि-उद्धार ठीक प्रकार से न करना;

(ii) आरक्षित वनों/संरक्षित वनों के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिज्ञात वनेतर क्षेत्र घोषित न करना;

(iii) पट्टे पर दिए गए खनन क्षेत्र के आस-पास सुरक्षित क्षेत्र का ठीक प्रकार से अनुरक्षण न करना;

(iv) चार फुट ऊंचे मजबूत सीमेंट कंकरीट वाले खंभों के प्रयोग द्वारा पट्टे पर दिए गए खनन क्षेत्र का धरती पर ठीक प्रकार से सीमांकन न करना;

(v) अधिभारित खत्तों की स्थिति में उचित ढंग से सुधार नहीं किया गया है;

अनुबंधित शर्तों की गैर-अनुपालना संबंधित राज्य सरकारों के ध्यान में लाई गई है, ताकि वे अनुबंधित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सकें।

[अनुवाद]

जल-मल व्ययन प्रणाली

902. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:
श्री नलीन कुमार कटील:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनगणना-2011 के अनुसार कर्नाटक में कितनी शहरी जनसंख्या को पाइप वाली जल-मल व्ययन प्रणाली सुलभ है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक को इस संबंध में प्रदान की गई सहायता की प्रकृति क्या है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक राज्य में पाइप वाली सीवर प्रणाली 53.31% शहरी परिवारों को सुलभ है।

(ख) राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने कर्नाटक को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत 21 सीवरेज परियोजनाओं के लिए 343.96 करोड़ रुपए धनराशि की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की है।

सर्व शिक्षा अभियान परियोजना

903. श्री रामसिंह राठवा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान मानदंडों में प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने संबंधी व्यय को सर्व शिक्षा अभियान बजट में शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है यदि संबंधित राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान परियोजनाएं प्रारंभ होने के समय छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान कर रही थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सभी राज्यों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को एस.एस.ए. बजट में शामिल किए जाने के लिए मानकों को परिवर्तित करने और व्यय को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (च) जी, हां। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर के लिए 150 रुपए प्रति सेट और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 250 रुपए प्रति सेट यूनिट लागत पर निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। तथापि, यदि पहले से ही पाठ्य-पुस्तकें राज्य के बजट से प्रदान की जा रही हों तो राज्य ही पाठ्य-पुस्तकें प्रदान करते रहेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निधिकरण के एक अनुपूरक स्रोत के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहले से किए जा रहे निवेश का प्रतिस्थापन नहीं करता।

[हिन्दी]

एम.डी.एम.एस. का प्रभाव

904. श्री राजू शेट्टी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना के परिणाम और प्रभाव के बारे में निर्णय करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों या सी.सी.टी.वी. कैमरों से निरीक्षण करने जैसा कोई तंत्र है जो छात्रों के स्वास्थ्य अर्थात् वजन, लम्बाई और अन्य महत्त्वपूर्ण मानकों की निगरानी करे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन एक नई पहल अर्थात्

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) शुरू किया है। स्कूल स्वास्थ्य घटक को आर.बी.एस.के. के अंतर्गत मिला दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य जन्मजात विकृतियों, कमियों, बीमारियों, अशक्तता सहित विकास में विलंब के लिए जन्म से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों का निरीक्षण और प्रबंधन करना है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं तथा घरों में जन्मे सभी नवजात बच्चों की जन्मजात विकृतियों की जांच क्रमशः स्वास्थ्य कार्मिकों तथा आशा केन्द्रों द्वारा, छः सप्ताह से छः वर्ष की आयु के बीच आंगनवाड़ी केन्द्रों में तथा छः वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित बच्चों की मोबाइल ब्लॉक स्वास्थ्य दलों द्वारा की जाती है। अभिज्ञात स्वास्थ्य दशाओं वाले बच्चों को आगे जांच के लिए समुचित सुविधा केन्द्रों में भेजा जाता है। इस संबंध में समुचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सभी स्तरों पर मध्याह्न भोजन योजना की अभिशासन अवसंरचना में शामिल किया जाता है। मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन की समीक्षा मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस.) के संयुक्त समीक्षा मिशन द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान की जाती है।

[अनुवाद]

सड़क निर्माण

905. **श्री बदरूद्दीन अजमल:** क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क निर्माण के लिए राज्य-वार कुल कितनी निधियां आवंटित और व्यय की गई है;

(ख) क्या सड़क निर्माण की गति बहुत धीमी चल रही है जिससे संपर्क स्थापित करने में अत्यधिक व्यवधान आ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) स्कीम और पूर्वोत्तर परिषद् (एन.ई.सी.) की स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है। एन.एल.सी.पी.आर. और एन.ई.सी. स्कीमों के तहत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सड़कों के निर्माण पर आबंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण II में दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क निर्माण के लिए आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपरोक्त (ख) के कुछ कारण इस प्रकार हैं :

(i) निधियां जारी होने और परियोजनाओं की संस्वीकृति के बीच समय अधिक लगना।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्रों का समय पर प्रस्तुत न किया जाना।

(iii) भूमि अधिग्रहण और वन संबंधी स्वीकृति से जुड़ी समस्याएं।

(iv) मौजूदा कानून और व्यवस्था आदि।

(v) उच्च वर्षा क्षेत्र होने के कारण सीमित कार्य मौसम।

(घ) एन.एल.सी.पी.आर. स्कीमों के तहत संस्वीकृत सड़क परियोजनाओं की स्कीमों को संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। परियोजनाओं की राज्य के नोडल अधिकारियों और मंत्रालय के अधिकारियों तथा स्वतंत्र गुणता निगरानीकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले क्षेत्र निरीक्षणों के माध्यम से समय-समय पर निगरानी की जाती है। मंत्रालय तिमाही परियोजना रिपोर्टों और समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजनाओं की नियमित निगरानी करता है। इसी प्रकार एन.ई.सी. सड़क परियोजनाओं की भौतिक और

वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए समीक्षा बैठकें भी आयोजित करता है।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए राज्यवार आवंटित निधियां और व्यय

(एन.एल.सी.पी.आर. के तहत)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत राशि	कुल निर्मुक्ति
1.	अरूणाचल प्रदेश	135.10	66.67
2.	असम	102.05	38.99
3.	मणिपुर	16.53	10.72
4.	मेघालय	62.19	25.50
5.	मिज़ोरम	7.81	2.75
6.	नागालैंड	117.69	90.85
7.	सिक्किम	0	0
8.	त्रिपुरा	0	0
	उप जोड़	441.37	235.48
	बी.टी.सी. पैकेज	68.54	35.97
	कुल	509.91	271.45

वर्ष 2012-13 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए राज्यवार आवंटित निधियां और व्यय

(एन.एल.सी.पी.आर. के तहत)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत राशि	कुल निर्मुक्ति
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	109.63	44.64
2.	असम	273.51	114.03
3.	मणिपुर	11.18	4.03
4.	मेघालय	15.70	5.65
5.	मिज़ोरम	11.44	4.12
6.	नागालैंड	40.98	14.75
7.	सिक्किम	71.18	25.62
8.	त्रिपुरा	52.99	24.75
	उप जोड़	586.61	237.59
	बी.टी.सी. पैकेज	20.00	8.89
	कुल	606.83	246.48

वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए राज्यवार आवंटित निधियां और व्यय

(एन.एल.सी.पी.आर. के तहत)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत राशि	कुल निर्मुक्ति
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	263.40	94.82
2.	असम	405.04	145.48
3.	मणिपुर	6.41	2.31
4.	मेघालय	4.68	0.76
5.	मिज़ोरम	0	0
6.	नागालैण्ड	41.46	14.92
7.	सिक्किम	5.03	1.81
8.	त्रिपुरा	24.89	8.96

1	2	3	4
	उप जोड़	750.91	269.06
	बी.टी.सी. पैकेज	0	0
	कुल	750.91	269.06

वर्ष 2014-15 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए राज्यवार आवंटित निधियां और व्यय

(एन.एल.सी.पी.आर. के तहत)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत राशि	कुल निर्मुक्ति
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	34.01	12.24
2.	असम	16.17	5.82
3.	मणिपुर	0	0
4.	मेघालय	35.30	6.35
5.	मिज़ोरम	0	0
6.	नागालैण्ड	0	0
7.	सिक्किम	0	0
8.	त्रिपुरा	0	0
	उप जोड़	85.48	24.41
	बी.टी.सी. पैकेज	0	0
	कुल	85.48	24.41

विवरण-II

पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जून, 2014 तक सड़क निर्माण के लिए जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	जारी की गई निधियां			
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (जून, 2014 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरूणाचल प्रदेश	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.	43.44	30.00	23.49	17.00
2.	असम	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.	40.50	66.35	41.02	0.00
3.	मणिपुर	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.	13.00	24.00	30.00	15.00
		बी.आर.ओ.	5.00	5.00	5.00	7.00
4.	मेघालय	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.	35.00	50.00	25.00	28.00
5.	मिज़ोरम	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.	44.50	47.00	25.27	13.31
		बी.आर.ओ.	0.00	0.31	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
6.	नागालैंड	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.	51.00	31.00	56.00	0.00
7.	त्रिपुरा	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.	39.00	30.00	71.58	31.00
8.	सिक्किम	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.	22.92	32.15	24.27	11.51
	कुल	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.	289.36	310.50	296.63	115.83
		बी.आर.ओ.	5.00	5.31	5.00	7.00
		कुल योग पी.डब्ल्यू.डी. और बी.आर.ओ.	294.36	315.81	301.63	122.82

विवरण-III

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मई, 2014 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से सड़क निर्माण के लिए आवंटित निधियां और किया गया व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्कीमें	विकास एवं अनुरक्षण							
		2011-12		2012-13		2013-14#		2014-15$	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1.	अरूणाचल प्रदेश	6.00	5.18	1.78	1.78	12.42	13.09	2.32	0.00
2.	असम	276.33	257.66	209.44	187.58	350.58	320.56	61.47	14.00
3.	मणिपुर	78.43	61.12	63.95	62.20	85.32	79.22	8.33	0.00
4.	मेघालय	140.34	125.88	74.16	82.86	64.76	48.04	12.53	3.22
5.	मिज़ोरम	64.42	66.82	120.93	75.99	34.95	24.97	6.89	0.00
6.	नागालैंड	72.40	72.80	30.39	46.83	55.29	56.56	16.14	1.20
7.	अरूणाचल पैकेज सहित एस.ए.आर.डी.पी.-एनई*	1,950.00	1,939.98	1,845.00	1,844.12	3,300.00	2,970.79	1,166.70	268.42
	कुल	2,587.92	2,529.44	2,345.65	2,301.36	3,903.32	3,513.23	1,274.38	286.84

*राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते हैं

#2013-14 के लिए अनंतिम

$मई, 2014 तक

[हिन्दी]

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

906. श्री हरिचन्द्र चव्हाण: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में ऐसे मामले एन.जी.टी. के पास वर्षों से लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु क्या कार्रवाई की गई है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की उद्देशिका, उद्देश्य एवं कारणों के अनुसार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना पर्यावरण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति को हुई क्षतियों हेतु राहत एवं क्षतिपूर्ति प्रदान करने और उनसे जुड़े या आनुषंगिक मामलों सहित वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं त्वरित निपटान हेतु की गई है;

(ख) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 14 के तहत :

(i) इस अधिकरण का अधिकार क्षेत्र उन सभी सिविल मामलों तक होगा जिनमें पर्यावरण (पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित) से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, और जहां यह प्रश्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अधिनियमन के कार्यान्वयन से उठा हो।

(ii) यह अधिकरण उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रश्नों से उठने वाले विवादों की सुनवाई करेगा और ऐसे विवादों का निपटारा करके उन पर आदेश पारित करेगा।

(iii) यह अधिकरण, धारा के तहत विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु प्राप्त किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि यह ऐसे विवादों के लिए प्रथम बार की गई कार्रवाई से उठे कारण की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर नहीं किया जाए।

"बशर्ते कि अधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाए कि आवेदक पर्याप्त कारणों से उक्त अवधि में आवेदन नहीं कर पाया, तो उसे अतिरिक्त अवधि जो कि साठ दिनों से अधिक न हो, के अंदर आवेदन भरने की अनुमति दी जाए।"

(ग) और (घ) राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना दिनांक 18.10.2010 को की गई थी और न्यायालय की शुरुआत दिनांक 04.07.2011 से हुई। वर्ष 2011 में, 168 मामले राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण (एन.ई.ए.ए.) से राष्ट्रीय हरित अधिकरण को हस्तांतरित किए गए थे। तत्पश्चात्, उत्तरवर्ती वर्षों में, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार कई मामले आए और उनका निपटान किया गया तथा वर्तमान में एन.जी.टी. की सभी पीठों अर्थात् नई दिल्ली की प्रधान पीठ, चैन्नै स्थित दक्षिण क्षेत्र पीठ, भोपाल स्थित केन्द्रीय क्षेत्र पीठ और पुणे स्थित पश्चिमी क्षेत्र पीठ में 2063 मामले लंबित हैं। अधिकतर पुराने मामले वे हैं जोकि एन.ई.ए.ए. तथा भारत के सभी उच्च न्यायालयों से हस्तांतरित किए गए हैं। तालिकाबद्ध विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है :

वर्ष	मामले शुरू किए गए (सभी पीठों में)	निपटान (सभी पीठों में)	सभी पीठों में लंबित
1	2	3	4
2011 (मामले एन.ई.ए.ए. से हस्तांतरित किए गए हैं)	168	163	5

1	2	3	4
2012	548	483	110
2013	3116	1585	1646
2014 31.03.2014 तक	909	492	2063

(ङ) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रयोग एवं प्रक्रिया) नियम, 2011 के नियम 18 के उपबंधों के अनुसार यथासंभव मामला दर्ज होने की तारीख से छह माह के भीतर, मामलों पर सुनवाई करके उन पर अंतिम निर्णय दे दिया जाता है।

मजदूरों के बच्चों को शिक्षा

907. श्री हंसराज गंगाराम अहीर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बढ़ते औद्योगिकीकरण को ध्यान में रखकर ऐसे मजदूरों के बच्चों, जो पलायन कर अन्य स्थानों पर चले जाते हैं को गुणवत्ता और समतामूलक शिक्षा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ऐसे स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापनार्थ कतिपय स्थानों की पहचान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार/स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी): (क) और (ख) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों के बच्चों हेतु गुणवत्तापरक समान शिक्षा प्रदान करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) कार्यक्रम के अंतर्गत देश के श्रमिकों/प्रवासी कामगारों के बच्चों सहित स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आस-पड़ोस में स्कूलों की व्यवस्था एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु सहायता प्रदान करती है, ताकि इन बच्चें को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने से पूर्व पूरक पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान की जा सके। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में प्रवासी श्रमिकों के बच्चों हेतु समयानुकूल छात्रावास स्थापित करने हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना मुख्यत: रक्षा कर्मियों सहित केन्द्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है न कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए।

[अनुवाद]

'गो एण्ड नो-गो' वन क्षेत्र

908. श्री जोस के. मणि: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वन भूमियों को 'गो' एण्ड 'नो-गो' क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वर्गीकरण ने देश में खनन को प्रभावित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (घ) कोयला खनन परियोजनाओं के लिए वन भूमि के अपवर्तन संबंधी विषयपरक निर्णय को सुकर बनाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय के सुझाव पर तालचेर, आई. बी. वेली, मंडीरायगढ़, सोहागपुर, वर्धा, सिंगरौली, उत्तरी कर्णपुरा, पश्चिमी बोकारो और हासदेव नामक नौ मुख्य कोयला क्षेत्रों में स्थित कोयला खंडों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने हेतु संयुक्त रूप से अध्ययन शुरू किया है :

(क) 30 प्रतिशत से अधिक घने वनावरण (जी.एफ.सी.) और 10 प्रतिशत से अधिक भारित वनावरण (डब्ल्यू.एफ.सी.) वाले अविखंडित वन भूदृश्यों को श्रेणी-क या 'नो-गो' का नाम दिया गया है।

(ख) 30 प्रतिशत से कम जी.एफ.सी. और 10 प्रतिशत से कम डब्ल्यू.एफ.सी. वाले विखण्डित भूदृश्यों को 'ख' श्रेणी या 'गो एरिया' का नाम दिया गया है।

कोयला खनन एवं अन्य विकास परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय एवं विकासात्मक मुद्दों पर विचार करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 3 फरवरी, 2011 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा गठित मंत्रियों के एक समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय लिया है कि कोयला खनन हेतु गो-नो-गो की अवधारणा समाप्त कर दी जानी चाहिए तथा कोयला खनन हेतु वन भूमि के अपवर्तन वाले प्रत्येक प्रस्ताव पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसकी उपयुक्तता के आधार पर कार्रवाई एवं विचार किया जाना चाहिए।

तदनुसार, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 30 अगस्त, 2012 को संबंधित राज्य सरकारों को सूचित किया कि वे मंत्रियों के समूह के उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में कोयला खनन परियोजनाओं के लिए वन भूमि के अपवर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने वाले प्रस्तावों पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कार्रवाई करें और मामला-दर-मामला तथा उपयुक्तता के आधार पर इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आगे आवश्यक कार्रवाई करने हेतु ये प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजें।

साक्षर भारत

909. श्री एंटो एन्टोनी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'साक्षर भारत मिशन' की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) मिशनांतर्गत इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों में जिलों के चयन हेतु क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकार का केरल राज्य के साक्षरता कार्यक्रम के समर्थन हेतु केरल को शामिल करने के लिए 'साक्षर भारत' के विद्यमान मानदंड को संशोधित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) दिनांक 08/09/2009 को आरंभ की गई केन्द्र प्रायोजित योजना, साक्षर भारत का लक्ष्य प्रौढ़ शिक्षा विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना और उसे सुदृढ़ करना है। इसमें 15+ आयु वर्ग में साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और सतत् शिक्षा सहित शिक्षण के किसी भी प्रकार को आवश्यक समझने वाले ऐसे प्रौढ़ व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प प्रदान करना शामिल है जो औपचारिक शिक्षा तक पहुंच के अवसर को गंवा चुके हैं और ऐसी शिक्षा प्राप्त करने की मानक आयु को पार कर चुके हैं। योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित समूहों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत 70 मिलियन प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल करते हुए XIIवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश की साक्षरता दर को 80% तक बढ़ाना और स्त्री-पुरुष अंतराल को 10 प्रतिशत प्वाइंट्स तक कम करना है।

(ख) 2001 की जनगणना के अनुसार 50% अथवा इससे कम प्रौढ़ महिला साक्षरता दर वाले जिले जिसमें किसी पूर्ववर्ती जिले में से बनाया गया नया जिला भी शामिल है, साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त वामपंथी उग्रवाद प्रभावी जिले, चाहे उनकी साक्षरता दर कुछ भी हो, कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के पात्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जाली प्रमाण-पत्र

910. श्री डी.के. सुरेश: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) के बच्चों हेतु विद्यालयों में प्रवेश के लिए आरक्षित 25% सीटों का कुछ अभिभावकों द्वारा जाली आय प्रमाण-पत्र देकर दुरुपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ई.डब्ल्यू.एस. बच्चों के लिए आरक्षित सीटों का दुरुपयोग न हो, उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (ग) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीटों पर दाखिले की कसौटी और प्रक्रियाएं संबंधित राज्यों के आर.टी.ई. नियमों में निर्धारित किए गए हैं। राज्य ने इस बारे में शिकायतों का समाधान करने के लिए स्थानीय शिकायत समाधान मंच भी अधिसूचित किए हैं।

भारत सरकार ने धारा 12(1)(ग) को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए उन राज्यों की बेहतर प्रणाली के प्रसारित तथा सम्मिलित किया है जिन्होंने पारदर्शी और स्पष्ट क्रियाविधि अपनाई हैं।

भारत-यू.एस. वार्ता

911. **श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रधानमंत्री और यू.एस. राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय चर्चाएं हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त वार्ता के दौरान यू.एस. आव्रजन सुधारों संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) और (ख) अमरीकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा ने नरेन्द्र मोदी को उनकी पार्टी की सफलता पर बधाई देने के लिए 16 मई, 2014 को फोन किया। अमरीकी राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि वे भारत-अमरीकी रणनीतिक भागीदारी की भावना को सफल बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के उत्सुक हैं; वे दोनों लोकतंत्रों के बीच गहरे और विस्तृत सहयोग का विस्तार जारी रखने पर सहमत हुए। अमरीकी राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री को परस्पर सहमत समय पर वाशिंगटन डी.सी. का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया।

(ग) और (घ) यह वार्तालाप टेलीफोन पर उस दिन हुआ, जिस दिन चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे और यह नव निर्वाचित प्रधानमंत्री को पदभार संभालने के पहले शिष्टाचारवश किया गया कॉल था। इसलिए विशिष्ट द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई थी।

विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी

912. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (ग) जी, हां; केरल सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना "स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" के तहत चालू वर्ष के लिए प्रस्ताव दिया था। भारत सरकार ने उस पर विचार किया था, परन्तु कुछ तथ्यात्मक कमियों के कारण उसका अनुमोदन नहीं किया गया।

[हिन्दी]

बाघ सुरक्षाबल

913. **श्री पी.पी. चौधरी:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वित्तीय और तकनीकी सहायता हेतु राज्यों से केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित और जारी की गई हैं;

(घ) क्या सरकार को पशु-मानव संघर्ष को रोकने के लिए जानवरों के लिए सुरक्षित गलियारे के विकास के लिए राजीव गांधी बायों-स्फीयर रिजर्व के गठन हेतु राजस्थान सरकार से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक (बांदीपुर बाघ रिजर्व), महाराष्ट्र (तदोबा-अंधेरी एवं पेंच बाघ रिजर्व) तथा ओडिशा (सिमिलीपाल बाघ रिजर्व) राज्यों में वर्तमान में बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 100 प्रतिशत सहायता सहित विशेष बाघ सुरक्षा बल सक्रिया है। महाराष्ट्र राज्य से मेलघाट, नवेगांव-नागजीरा और सह्याद्री बाघ रिजर्वों में विशेष बाघ सुरक्षा बल तैनात करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान बाघ परियोजना की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत उक्त उद्देश्य हेतु आबंटित एवं जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राजस्थान राज्य सरकार ने चम्बल नदी एवं इसकी सहायक नदियों के प्रवाह-क्षेत्रों को राजीव गांधी जैवमंडलीय रिजर्व के रूप में नामित करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राज्य द्वारा अतिरिक्त ब्यौरा प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

विवरण

विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान बाघ परियोजना, की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन करने, उन्हें शस्त्रों से लैस करने एवं उनकी तैनाती हेतु प्रदत्त निधियन सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	बाघ रिजर्व का नाम	राज्य	वर्ष							
			2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
			आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी
1.	पेंच	महाराष्ट्र	0.00	0.00	86.80115	86.80115	220.00	196.55	228.96	71.28
2.	तदोबा-अंधेरी	महाराष्ट्र	0.00	0.00	86.80115	86.80115	220.00	175.80	210.00	62.28
3.	बांदीपुर	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	477.9772	477.9772	0.00	0.00
4.	सिमिलीपाल	ओडिशा	300.00	240.00	0.00	0.00	250.00	200.00	250.00	94.98

[अनुवाद]

दुर्लभ प्रजातियों का विलुप्त होना

914. श्री दुष्यंत चौटालाः क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दुर्लभ वनस्पतियों और पशुओं की प्रजातियों, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वनस्पतियों और पशुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में वनस्पति जगत और जीव-जन्तु जगत को संरक्षित रखने और वन के अंतर्गत क्षेत्र के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी.एस.आई.) और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (जेड.एस.आई.), जिन्हें देश में क्रमशः पादप और पशु विविधता के सर्वेक्षण के लिए अधिदेशित किया गया है, दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों सहित देश के वनस्पतीय और प्राणिजातीय संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रलेखन करते रहे हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, संवहनी, पादपों (वेस्कुलर प्लांट्स) (एंजियोस्पर्मस्, जिमनोस्पर्मस्, पेटरिडोफाइट्स) की देश में अब तक दर्ज 19,156 प्रजातियों में से 1236 प्रजातियां विभिन्न संकटापन्न श्रेणियों जैसे कि अत्यधिक संकटापन्न, असुरक्षित आदि की हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ की रेड डेटा बुक के अनुसार, भारत में पशुओं की 57 प्रजातियों को विभिन्न श्रेणियों नामशः पक्षी (13 प्रजातियां), स्तनपायी (11 प्रजातियां), सरीसृप (6 प्रजातियां), मछली (5 प्रजातियां), उभयचर (19 प्रजातियां), मकड़ी (2 प्रजातियां) और प्रवाल (1 प्रजाति) में अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(ग) दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने पवित्र उपवनों, जिनमें प्राथमिक रूप से बाघ, गेंडा, हाथी आदि जैसे बड़े संकटापन्न प्राणीजात के पर्यावास शामिल हैं, जैसी अन्य पारंपरिक संरक्षण पद्धतियों के अतिरिक्त अंतःस्थाने संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, जैवमण्डल रिजर्वों, रामसर स्थलों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क स्थापित किए हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और जैव-विविधता अधिनियम, 2002 नामक संरक्षण अभिमुखी विधानों में वनों की सुरक्षा और दुर्लभ प्रजातियों सहित उनके घटकों तक पहुंच को विनियमित किया गया है। जैव-विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के उपबंधों के अंतर्गत, संरक्षण उपाय करने के लिए प्रजातियों की राज्य-वार पहचान की जाती है। इस संबंध में, मंत्रालय ने 14 राज्यों नामशः हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिज़ोरम, ओडिशा, मेघालय, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और त्रिपुरा के लिए पहले ही अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। वन्यजीव (सरंक्षण) अधिनियम, 1972, जिसे संशोधित करके और अधिक सख्त बनाया गया है, के उपबंधों के अंतर्गत वन्य पशुओं और पादपों की अनेक प्रजातियों को शिकार और वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। राज्य सरकारों से क्षेत्र संघटनों को सुदृढ़ बनाने तथा संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

बी.एस.आई. ने अनेक संकटापन्न पादपों के स्थान-बाह्य संरक्षण के लिए, अपने आचार्य जगदीश चन्द्र बोरा इंडियन बोटेनिक गार्डन, हावड़ा; बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, नोएडा और अपने क्षेत्रीय केन्द्रों के अन्य संबद्ध बोटेनिक गार्डनों में उनकी खेती शुरू की है और इस प्रकार यह देश के विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित संरक्षित क्षेत्रों में ऐसी प्रजातियों के अंतःस्थाने संरक्षण को संपूरित कर रहा है। इनके अलावा, विश्वविद्यालयों/संस्थानों से संबद्ध बोटेनिकल गार्डनों ने भी मंत्रालय की "एसिसटेन्स टु बोटेनिक गार्डन" स्कीम की सहायता से अनेक संकटापन्न पादपों का सफलतापूर्वक संरक्षण/संवर्धन किया है।

'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को वर्ष 2008-09 में संशोधित करके इसमें एक नए घटक नामशः 'अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने का बहाली कार्यक्रम' को शामिल किया गया है ताकि ऐसी प्रजातियों की सहायता करने के लिए विशेष उपाय किये जा सकें। वर्तमान में 16 प्रजातियों को बहाली हेतु अभिज्ञात किया गया है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टी.वी. चैनल

915. **श्री असादुद्दीन ओवैसी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य द्वारा चलाए जा रहे टी.वी. चैनलों को साझा करने के लिए तैयार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है या लिया जा रहा है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद से राज्य की सांस्कृतिक एवं आर्थिक पहचान को बनाए रखने के लिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दूरदर्शन के नए क्षेत्रीय केन्द्र का अंतरिम ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इस समय, दूरदर्शन विजयवाड़ा एक कार्यक्रम-निर्माण सुविधा केन्द्र (पी.जी.एफ.) है और एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में शाम 5 बजे से 7 बजे तक दो घंटों का स्थलीय प्रसारण (जिसमें 15 मिनट का तेलुगु समाचार बुलेटिन शामिल है) शुरू करने का प्रस्ताव है और शेष 22 घंटे का प्रसारण दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद से रिले किया जाएगा। इस संबंध में दूरदर्शन निदेशालय द्वारा संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

सी.सी.ई. की समीक्षा

916. **श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत सतत् और व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) के क्रियान्वयन के पश्चात् शिक्षाविदों का मत है कि बोर्ड परीक्षा खत्म होने के कारण छात्रों ने अध्ययन करना बंद कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई राज्यों ने भी शिकायत की है कि छात्र बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तथा अपने अध्ययन के बारे में गंभीर नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.) ने मध्यावधि मूल्यांकन के रूप में सी.सी.ई. के मूल्यांकन और क्रियान्वयन के लिए एक पैनल गठित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पैनल द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (ङ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के पिछली कक्षा में रोककर नहीं रखने से संबंधित प्रावधान की पुन: जांच करने के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर केन्द्र सरकार को लिखा जाता रहा है। अत: दिनांक 6 जून, 2012 को हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की अपनी 59वीं बैठक में आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 के बच्चों के पिछली कक्षा में न रोकने के संदर्भ में सतत् और व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) के कार्यान्वयन की जांच हेतु माननीय शिक्षा मंत्री, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित की। अधिदेश के अनुसार उप-समिति ने राज्य सरकारों और अन्य पणधारियों से परामर्श किया और अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले क्षेत्र दौरे भी किए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में वित्तीय कुप्रबंधन

917. **श्रीमती सुप्रिया सुले:**
श्री धनंजय महाडीक:
श्री राजीव सातव:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) में व्यापक पैमाने पर फैला वित्तीय कुप्रबंधन एवं वित्तीय मामलों में पारदर्शिता की कमी सरकार के संज्ञान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यू.जी.सी. ने ऐसे वित्तीय कुप्रबंधन को रोकने के लिए कोई तंत्र बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने सूचित किया है कि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जब कॉलेजों, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं थे, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सचिवालय द्वारा संस्वीकृत पत्र जारी किए गए और इन कॉलेजों को अनुदान भी जारी हुए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन मामलों की संपूर्ण जांच करने तथा ऐसे भूल-चूक कार्यों की जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र लिखा है जिनकी वजह से ऐसी संस्वीकृतियां एवं अनुदान जारी किए तथा ऐसी चूकों से बचने के लिए एक प्रभावी आंतरिक प्रणाली विकसित करने के लिए कहा है। तदुपरांत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों ने दो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई हैं तथा पुलिस जांच जारी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ की है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी. सी.) की लेखा-परीक्षा संबंधी प्रारूप निरीक्षण रिपोर्ट, महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय व्यय द्वारा आयोजित, में यू.जी. सी. के लंबित लेखा-परीक्षा पैरा, काफी समय से विश्वविद्यालयों द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने, यू.जी.सी. में मॉनीटरिंग की कमी एवं कमजोर आंतरिक प्रणाली इत्यादि के संबंध में काफी अनियमितताएं पाई गई हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लंबित लेखा-परीक्षा पैरा का उत्तर प्रस्तुत करने, अपेक्षित निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा ऐसे निरीक्षणों के परिणामों एवं व्यय की स्थिति के बारे में समय-समय पर आयोग के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि अनियमित संस्वीकृति एवं अनुदानों की संरक्षा के लिए इसके द्वारा अवरोधों एवं संतुलन की एक आंतरिक प्रणाली लागू की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक समेकित वित्त प्रभाग का गठन किया गया है जो अनुदान जारी करने संबंधी फाइलों की जांच करता है तथा कॉलेजों के प्रस्तावों की पुनरीक्षा करते हुए यह सत्यापित करता है कि लाभार्थी कॉलेज ऐसी संस्वीकृति के लिए पात्र हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लंबित लेखा-परीक्षा पैरा का उत्तर प्रस्तुत करने, अपेक्षित निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा ऐसे निरीक्षणों के परिणामों एवं व्यय की स्थिति के बारे में समय-समय पर आयोग के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है। आयोग ने दिनांक 13 जून, 2014 को आयोजित अपनी 501वीं बैठक में काफी संख्या में कई वर्षों के लंबित लेखा-परीक्षा पैरा पर चिंता व्यक्त की है तथा अपने सचिवालय को इन लंबित पैरा का शीघ्रता से उत्तर भेजने का निर्देश दिया है।

हरित भारत मिशन

918. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के घटते वनाच्छादन में सुधार करने और वृद्धि करने के लिए या नया भारत हरित मिशन की शुरुआत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अभी तक स्वीकृत और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) हरित भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए केरल सहित विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत संदर्शी योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है एवं इनके द्वारा की गई या की जाने वाली गतिविधियां/हस्तक्षेप का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार हरित भारत मिशन में कोई परिवर्तन करने या इस प्रयोजन के लिए कोई नया प्रयास करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) जी, हां।

(ख) हरित भारत मिशन का लक्ष्य 5 मिलियन हेक्टेयर, तक वन/वृक्ष आवरण बढ़ाने के साथ-साथ अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर में मौजूदा वन आवरण की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इस मिशन में हरा-भरा बनाने के समग्र दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया गया है और इसमें न केवल अकेले कार्बन पृथक्करण अपितु सह-लाभ के रूप में कार्बन पृथक्करण के साथ-साथ बहु पारि-प्रणाली सेवाओं, विशेषकर जैव-विविधता, जल, बायोमास इत्यादि पर बल दिया गया है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 12वीं योजना अवधि और 13वीं योजना अवधि के प्रथम वर्ष हेतु 13,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ इस मिशन को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में अनुमोदित किया है। इसमें काम्पा से 6000 करोड़ रुपए, एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. से 4000 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम से 600 करोड़ रुपए का अंतरण है। इस स्कीम हेतु योजना आयोग का परिव्यय 2000 करोड़ रुपए है और 13 में वित्त आयोग से परिव्यय 400 करोड़ रुपए होगा। इस अवधि के दौरान मिशन के अंतर्गत 2.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

मिशन के तैयारी चरण के अंतर्गत, हरित भारत मिशन के क्रियान्वयन संबंधी कार्यकलापों को समर्थ बनाने के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी की गई हैं। इन कार्यकलापों में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण, लैंड स्केपों का अभिज्ञान और ब्रीज प्लाल बनाना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2013-14 में जारी की गई निधियों और वित्तीय वर्ष 2011-12 में जारी की गई निधियों के उपयोग के ब्यौरे विवरण-I के रूप में दिए गए हैं। 6 राज्य सरकारों को केवल मार्च, 2014 में ही वित्तीय वर्ष 2013-14 में निधियां जारी की गई थीं जिसके उपयोग के ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) तैयारी चरण हेतु राज्यों को जारी आबंटन के आधार पर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब और ओडिशा राज्य की सरकारों से संबंधित योजनाएं प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकारों ने विभिन्न उपमिशनों और उनके अंतर्गत कार्यकलापों की श्रेणियों के अंतर्गत हस्तक्षेपों पर बल देते हुए संबंधित योजनाएं तैयार की हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण-I

हरित भारत मिशन के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी की गई निधियां और उनका उपयोग

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13	वित्तीय वर्ष 2013-14	उपयोग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	89.53	-	-	5.63

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	127.00	
3.	असम	130.00	–	–	125.00
4.	बिहार	–	–	225.00	
5.	छत्तीसगढ़	972.00	–	–	962.00
6.	गुजरात	133.80	–	–	114.81
7.	हरियाणा	357.00	–		201.08
8.	हिमाचल प्रदेश	126.50	–	–	109.35
9.	जम्मू और कश्मीर	64.00	–	–	22.82
10.	झारखंड	147.00	–	–	75.50
11.	कर्नाटक	267.45	–	–	232.86
12.	केरल	194.60	–	–	157.67
13.	मध्य प्रदेश	823.50	–	–	507.44
14.	महाराष्ट्र	405.77	–	–	361.55
15.	मणिपुर	40.50	–	–	40.50
16.	मेघालय	–	–	90.00	
17.	मिजोरम		–	224.00	
18.	नागालैंड	141.50	–	–	141.50
19.	ओडिशा	107.50	–	–	8.80
20.	पंजाब	125.50	–	–	122.27
21.	राजस्थान	275.25	–	–	50.00
22.	सिक्किम	–	–	300.00	
23.	तमिलनाडु	72.15	–	–	59.73
24.	त्रिपुरा	350.50	–	–	93.14
25.	उत्तर प्रदेश	119.50	–	–	74.25

1	2	3	4	5	6
26.	उत्तराखंड	51.00	–	–	11.00
27.	पश्चिम बंगाल	–	–	301.00	
	कुल	4994.55		1267.00	3476.90

मार्च, 2014 में ही वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु निधियां जारी की गई थीं। संबंधित राज्य सरकारों से निधियों के उपयोग प्रमाण अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य के नाम	गतिविधियों/हस्तक्षेपों के ब्यौरे
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	गतिविधियों में अवक्रमित खुल वन क्षेत्र में पारि-बहाली गैर-वन क्षेत्रों में ऊंची पैदावार वाले फल देने वाले पौधों का रोपण, रोपण क्षेत्र के आस-पास बाढ़ लगाना, खुली परती भूमि क्षेत्र में फार्म वानिकी और ग्रामीण भागों में एवेन्यू रोपण/पारस्परिक संगत मध्यस्थताओं के तहत, जैव-गैस हेतु स्कीमें, सोलर उपकरणों, एल. पी.जी. उन्नत स्टोर, बॉयोमास आधारित प्रणालियों आदि सहित वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
2.	छत्तीसगढ़	वानिकी क्षेत्र की गतिविधियां, वन क्षेत्र की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए है जिसमें रूट स्टॉक का पुन:रुदभव, छोटी इमारती लकड़ी की प्रजातियों का रोपण, अंतराल में रोपण करना, चरागाह विकास, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुन:रुदभव और विभिन्न शूट कटिंग है। प्रस्तावित कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी गतिविधियों में भागों के किनारे पौध रोपण, खुले राजस्व क्षेत्र में रोपण, स्कूल की चार दीवारी के इर्द-गिर्द को बढ़ावा देने के लिए और कृषि भूमि के मोड़ों पर पौध रोपण पारस्परिक संगत मध्यस्थाएं वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा में, जिनमें जैव-गैस के लिए स्कीमें, सोलर डिवाईस, एल.पी.सी. उन्नत स्टोर, जैवपिण्ड आधारित प्रणालियां आदि शामिल हैं।
3.	हिमाचल प्रदेश	वन आवरण की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए और पारि-प्रणाली सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों में आंशिक रूप से सघन वन क्षेत्र में अवक्रमण और रूट स्टॉक के रोपण के माध्यम से खुले वन क्षेत्र-वार उपचार करना, घास भूमि क्षेत्र की पुन:बहाली, स्थानांतरिक कृषि का पुनर्वास करना, झाड़ीदार भूमि, सीबकर्थोन को पुन:बहाल करना, कच्छ वनस्पतियों की पुन:बहाली, बीहड़ दुर्गम क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना, छोड़े हुए खनन क्षेत्र आदि को पुन:बहाल करना आजीविका के मुद्दों का निराकरण करने में

1	2	3
		उपायों में चटाई बनाना, टोकरी बनाना, कपड़े सीलना और बढ़ई आदि के काम शामिल हैं। पारस्परिक मध्यस्थता में रिटेन्शन वॉल, चेक डैम्स आदि के निर्माण जैसी प्राकृतिक संसाधन विकास गतिविधि मिशन के अंतर्गत स्कीमों का अन्य विभागों के साथ विलय प्रस्तावित किया गया है।
4.	कर्नाटक	यह मिशन संवेदनशील पहाड़ी ढलानों को अभिज्ञात करने के लिए ग्राम स्तर पर कार्य कलापों को समर्थन देगा और अनुकूल देशज प्रजाति के रोपण द्वारा समर्थित मृदा/जल संरक्षण उपायों के माध्यम से सुरक्षा कार्य करेगा। पारस्परिक मध्यस्थता के तहत यह जैव-गैस, सोलर डिवाइस, एल.पी.जी., उन्नत स्टोर, जैव-मास पर आधारित प्रणालियों आदि सहित वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर समुदायों के बीच ईंधन उपयोग की कार्यकुशलता में सुधार करेगा। समुदायों की आजीविका में वृद्धि करने के लिए यह योजना मूल्य संवर्धित उत्पादों, गैर-इमारती लकड़ी, वन उत्पाद और ईंधन लकड़ी, चारा और भोजन के रूप में जैव-मारू का प्रमाणन और बिक्री। इस योजना में ग्राम वन समितियों का पुनरुत्थान और नियमित गश्त लगाने के लिए वन सुरक्षा शिविरों का सृजन परिकल्पित किया गया है।
5.	केरल	आंशिक रूप से सघन वन में सुधार करके वन आवरण की गुणवत्ता में वृद्धि, अवक्रमित खुले वन की पारि-पुन:रुदभव से पारि-प्रणाली सेवाओं में सुधार करना और परती भूमि और ग्रामीण मार्गों, नहरों और तालाबों के मोड़ों के साथ-साथ कृषि भूमि पर कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी के माध्यम से नए वनावरण का सृजन। अभिज्ञात आजीविका मुद्दों के आधार पर विभिन्न सहायका कार्यकलाप प्रस्तावित किए गए हैं, अर्थात्, सौर ऊर्जा की बाढ़ लगाना, घरेलू सोलर प्रणालियों की शुरुआत करना और जैव-गैस, गैर-इमारती वन उत्पादों का वैज्ञानिक प्रबंधन और पवित्र उपवनों के संरक्षण हेतु प्रबंधन योजना। इसमें चेक बांधों का निर्माण अवनलिकाओं को बंद करना खंदकों की समोच्य रेखा प्रस्तुत करना और वनस्पतिक कन्टूर बंडिग के द्वारा भौम जल के स्तर में वृद्धि करना भी शामिल है।
6.	महाराष्ट्र	वन आवरण में वृद्धि करने, पारि-प्रणाली सेवाओं में सुधार करने और अवक्रमण के उत्प्रेरकों का निराकरण करने के लिए परिप्रेक्ष्य योजना में कार्यकलापों को शामिल किया गया है, अर्थात् बीज बोने और रोपण के जरिए पर्यावास स्थलों में सुधार करना, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुन:रुदभव द्वारा क्षेत्रों में सुधार करना और गहन मृदा की नमी का संरक्षण,

1	2	3
		जल छिद्रों का विकास और वन्यजीवों के लिए पृथक जल निकायों का विकास करना। भू-दृश्य पर अत्यधिक गंभीर प्रभाव डाल रहे गांवों को मानव-पशु भिडंत के कारण हुई हानि के लिए प्रतिपूर्ति के प्रारंभिक कार्यान्वयन के लिए चुना जाएगा, स्थानीय आबादी हेतु बेहतर प्रजाति के मवेशियों का प्रावधान करना, पेड़ों की कटाई को कम करने के लिए एल.पी.जी. और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रावधान करना और एम.एफ.जी. एकत्रण के लिए आय सृजित करने के कार्यकलाप करना।
7.	नागालैंड	वनावरण की गुणवत्ता में सुधार पारि-प्रणाली सेवाओं में सुधार करने के लिए सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनउत्पादन और अंतराल पौधरोपण हस्तक्षेपों संघटित पौधरोपण के माध्यम से और आर्थिक क्षेत्रों में वनावरण करना, समोच्च बांध बनाने, नालियों की मुहबंदी करने और जल संभरण साधनों के माध्यम से मृदा संरक्षण, खनिज क्षेत्रों का पुनरुद्धार करने के द्वारा वनावरण की गुणवत्ता में सुधार करना। राज्य और आर्थिक क्षेत्रों में वनावरण करने अन्य आय उत्पादन गतिविधियों जैसे कि पशुधन बढ़ाने और हथकरघा बुनाई, स्वच्छता में सुधार करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, अर्थात् एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान करने और उनके पुनर्भरण को बढ़ावा देने के द्वारा वन उत्पादों पर निर्भर लोगों की आजीविका में सुधार का प्रस्ताव भी रखा है।
8.	ओडिशा	कम सघन वन को सघन वन में परिवर्तित करने, मृदा एवं नमी संरक्षण सहित खुले वन क्षेत्र का उपचार करने, सहायता प्राप्त पुन-उत्पादन एवं मृदा और नमी संरक्षण सहित झाड़ीदार भूमि का उपचार करने, बंजरभूमि पर पौधरोपण करने, रास्ते पर पौधरोपण करने और फार्म वानिकी तथा कृषि वानिकी जैसी राज्य गतिविधियों के पांच भू-दृश्यों में जे.एफ.एम. दृष्टिकोण के माध्यम से वनावरण की गुणवत्ता में सुधार और अवक्रमित वनों, झाड़ीदार भूमियों पर 77500 हेक्टेयर पौधरोपण के वन/वृक्षावरण में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया है। खुले खनन क्षेत्रों के पुनरुद्धार और खनन खत्म हो चुके क्षेत्रों के उपचार का प्रस्ताव रखा गया है। नमभूमि पुनरुद्धार, समुद्री कच्छप का संरक्षण जैसी पारि-प्रणाली सेवा गतिविधियों में सुधार करना और गलियारा संपर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। स्वच्छतर प्रौद्योगिकी के अनुकूलन के लिए खाना पकाने वाले उन्नत ईंधन बचत उपकरणों, सौर ऊर्जा से रोशनी करने, बायोगैस संयंत्रों, कोयला एवं काष्ठ बेकेटिंग का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।
9.	पंजाब	वनावरण की गुणवत्ता में वृद्धि

1	2	3
		करने और कम सघन वन के 1871 हेक्टेयर में पारि-प्रणाली सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से पौधरोपण शुरू किया जाएगा तथा सीमित प्रकंद और खाली स्थानों सहित 9660 हेक्टेयर अवक्रमित खुले वन का पारि-पुरुद्वार एवं विरल झाड़झंखाड़ सहित 3742 हेक्टेयर के अत्यधिक खुले क्षेत्र का उपचार किया जाएगा। 1061 हेक्टेयर झाड़ीदार भूमि पर पारि-प्रणाली पुनरुद्धार तथा वनावरण में वृद्धि की जाएगी। वृक्षावरण में वृद्धि करने के लिए 2660 हेक्टेयर पर कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी शुरू की जाएगी तथा 8994 हेक्टेयर का उपचार किया जाएगा। क्रास कटिंग हस्तक्षेपों के बीच स्व-सहायता समूहों का गठन किया जाएगा और सामुदायिक विकास और आजीविका संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
10.	उत्तराखंड	इन कार्यकलापों में आंशिक रूप से सघन वन और खुले वन क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र का स्थानीय मूल्यांकन प्रजातियों से अंतरालों को भरकर उपचार करना। अवक्रमित खुले वन क्षेत्र की पारि-पुनबहाली के लिए 75,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अभिज्ञात किया गया है जिस पर सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुदभव, वन-वर्धन प्रचालनों, अग्नि प्रबंधन, स्थल विशिष्ट मृदा और नमी संरक्षण कार्य और जलवायु अनुकूल प्रजातियों का रोपण कार्य किया जाएगा। घास भूमियों की पुन:बहाली, उच्च तुंग पर्वतीय क्षेत्र स्थित घास स्थलों का संरक्षण प्रस्तावित किया गया है। जिसमें विनियमित चराई, औषधीय पौधों की खेती, झाड़ियों और घास की रुचिकर प्रजातियों की सुरक्षा और प्रबंधन पहले और एन.टी.एफ.सी. एकत्रण कर रहे समुदायों, 800 हेक्टेयर क्षेत्र में और उसके आस-पास पारि-पर्यटन पर आधारित समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका अवसरों का सृजन शामिल है। इस योजना में स्थानीय रूप से मौजूदा प्रजातियों के संरक्षण और प्रसार के माध्यम से लगभग 15000 हेक्टेयर क्षेत्र का लगभग 20% झाड़दार भूमि की पुन:बहाली द्वारा वनावरण में वृद्धि करना भी, सीबकथॉर्न कृषि के अंतर्गत 1000 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को वनावरण के अंतर्गत लाना परिकल्पित है। सामुदायिक आजीविका में वृद्धि करने के लिए स्वयं सहायता प्राप्त समूहों के लिए लघु कार्य सृजित कर रहे सूक्ष्म उपक्रमों को सहायता प्रदान की जाएगी और अंत में, पूरे राज्य में पवित्र उपवनों को अभिज्ञात करने का कार्य किया जाएगा और उनके संरक्षण हेतु स्थल विशिष्ट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

शहरीकरण

919. श्री बी. श्रीरामुलु:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री डी.के. सुरेश:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में द्रुत शहरीकरण हुआ है जिससे मौजूदा अवसंरचना पर दबाब पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश के हाल में शहरीकृत भागों में अवसंरचना विकसित करने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या मलिन बस्तियों में बढ़ता प्रदूषण यातायात में रुकावट आदि शहरी क्षेत्रों के लिए चिंता का मुख्य कारण है;

(घ) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं तथा शुरू किए गए कार्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) और (ख) वर्ष 2001-11 के दशक में शहरीकरण में वृद्धि हुई है जैसा कि संलग्न विवरण-I में राज्य-वार दिए गए जनगणना 2001 और 2011 पर आधारित आंकड़े से प्रदर्शित है। हाल ही में शहरीकृत क्षेत्रों का वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में कराई जाती है।

(ग) से (ङ) शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि बुनियादी शहरी सेवाओं पर दबाव डाल रही है। शहरी विकास राज्य का विषय है और शहरों पर दबाव कम करने के लिए राज्य सरकारी को कार्रवाई करनी पड़ती है। भारत सरकार स्कीमों के माध्यम से राज्यों की उनके प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में सुधार आधारित स्कीम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) को शुरू किया था। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित शहरी अवस्थापना और शासन घटक 65 चुनिंदा शहरों में शहरी अवस्थापना और परिवहन में सुधार की व्यवस्था करता है। छोटे तथा मझौले कस्बों की आवश्यकता को छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) कार्यक्रम द्वारा पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 10% एकमुश्त की स्कीम, ए.डी.बी. सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम और सात मेगा शहरों के आस-पास सेटेलाइट कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास संबंधी पायलट स्कीम के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरी अवस्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। केन्द्र सरकार ने व्यापक मोबिलिटी योजना (सी.एम.पी.) एवं अन्य यातायात एवं परिवहन अध्ययनों/सर्वेक्षण की तैयारी के लिए वित्तपोषण, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत द्रुत बस परिवहन प्रणाली (बी.आर.टी.एस.) एवं बसों का वित्त-पोषण, विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं की स्वीकृति एवं वित्त-पोषण आदि जैसे शहरों में यातायात समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उपाय भी किए हैं। मंत्रालय ने स्वच्छ एवं हरे-भरे पर्यावरण को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व बैंक, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जी.ई.एफ.) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से सुस्थिर शहरी परिवहन परियोजना (एस.यू.टी.पी.) भी शुरू की है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने भी कई कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनमें विभिन्न स्कीमों के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) और अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) के लिए किफायती आवास का प्रावधान शामिल है।

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्ताव मंजूर एवं जारी धनराशियों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, से XIII में दिया गया है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की अवधि 2005-2012 थी जिसे निर्माणाधीन परियोजनाओं और सुधारों को पूरा करने के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया। मिशन की अवधि 31.03.2014 को समाप्त हो चुकी है। इसलिए यू.आई.जी. और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत कोई नई परियोजना स्वीकृति के लिए पात्र नहीं है।

विवरण-I

कुल आबादी में शहरी आबादी का राज्य-वार प्रतिशत-2001-2011 जनगणना

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	कुल आबादी	कुल आबादी में शहरी आबादी	कुल आबादी	कुल आबादी में शहरी आबादी	कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत	
		2001		2011		2001	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	**1028737436**	**286119689**	**1210854977**	**377106125**	**27.8**	**31.1**
1.	जम्मू और कश्मीर	10143700	2516638	12541302	3433242	24.8	27.4
2.	हिमाचल प्रदेश	6077900	595581	6864602	688552	9.8	10.0
3.	पंजाब	24358999	8262511	27743338	10399146	33.9	37.5
4.	चंडीगढ़#	900635	808515	1055450	1026459	89.8	97.3
5.	उत्तराखंड	8489349	2179074	10086292	3049338	25.7	30.2
6.	हरियाणा	21144564	6115304	25351462	8842103	28.9	34.9
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली#	13850507	12905780	16787941	16368899	93.2	97.5
8.	राजस्थान	56507188	13214375	68548437	17048085	23.4	24.9
9.	उत्तर प्रदेश	166197921	34539582	199812341	44495063	20.8	22.3
10.	बिहार	82998509	8681800	104099452	11758016	10.5	11.3
11.	सिक्किम	540851	59870	610577	153578	11.1	25.2
12.	अरूणाचल प्रदेश	1097968	227881	1383727	317369	20.8	22.9
13.	नागालैंड	1990036	342787	1978502	570966	17.2	28.9
14.	मणिपुर	2293896	575968	2855794	834154	25.1	29.2
15.	मिज़ोरम	888573	441006	1097206	571771	49.6	52.1

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	त्रिपुरा	3199203	545750	3673917	961453	17.1	26.2
17.	मेघालय	2318822	454111	2966889	595450	19.6	20.1
18.	असम	26655528	3439240	31205576	4398542	12.9	14.1
19.	पश्चिम बंगाल	80176197	22427251	91276115	29093002	28.0	31.9
20.	झारखंड	26945829	5993741	32988134	7933061	22.2	24.0
21.	ओडिशा	36804660	5517238	41974218	7003656	15.0	16.7
22.	छत्तीसगढ़	20833803	4185747	25545198	5937237	20.1	23.2
23.	मध्य प्रदेश	60348023	15967145	72626809	20069405	26.5	27.6
24.	गुजरात	50671017	18930250	60439692	25745083	37.4	42.6
25.	दमन और दीव#	158204	57348	243247	182851	36.2	75.2
26.	दादरा और नगर हवेली#	220490	50463	343709	160595	22.9	46.7
27.	महाराष्ट्र	96878627	41100980	112374333	50818259	42.4	45.2
28.	आन्ध्र प्रदेश	76210007	20808940	84580777	28219075	27.3	33.4
29.	कर्नाटक	52850562	17961529	61095297	23625962	34.0	38.7
30.	गोवा	1347668	670577	1458545	906874	49.8	62.2
31.	लक्षद्वीप#	60650	26967	64473	50332	44.5	78.1
32.	केरल	31841374	8266925	33406061	15934926	26.0	47.7
33.	तमिलनाडु	62405679	27483998	72147030	34917440	44.0	48.4
34.	पुदुचेरी	974345	648619	1247953	852753	66.6	68.3
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	356152	116198	380581	143488	32.6	37.7

विवरण-II

शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी. और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं)

यू.आई.जी. परियोजनाएं

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष 2011-12

1	2	3	4	5
राज्य-आंध्र प्रदेश				
1.	विशाखापट्टनम	ग्रेटर विशाखापतनम नगर निगम (जी.वी.एम.सी.) के मध्य क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के छुटे क्षेत्रों में 24×7 पानी की आपूर्ति का कार्यान्वयन	4,174.50	1,043.63
2.	तिरुपति	तिरुपति नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	1,863.20	465.80
2.	उप-योग		6,037.70	1,509.43
	राज्य–गोवा			
1.	पणजी	पणजी के शहर के लिए विरासत संरक्षण	289.80	72.45
2.	पणजी	गोवा में पणजी शहर के नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पणजी शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति	5,697.48	1,424.37
2	**उप-योग**		**5,987.28**	**1,496.82**
	राज्य–गुजरात			
1.	पोरबंदर	पोरबंदर मिशन शहर के लिए भूमिगत जल निकासी (सीवरेज) परियोजना	8,944.52	2,236.13
1	**उप-योग**		**8,944.52**	**2,236.13**
	राज्य–हिमाचल प्रदेश			
1.	शिमला	गांव भरियाल, तहसील जिला शिमला में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के लिए सेनेटरी लैंडफिल साइट	840.50	210.13
1	**उप-योग**		**840.50**	**210.13**
	राज्य–जम्मू और कश्मीर			
1.	जम्मू	ग्रेटर जम्मू शहर के डिवीजन ए के चरण II के छुटे क्षेत्रों के लिए व्यापक सीवरेज योजना	1,828.83	457.20

1	2	3	4	5
1	**उप-योग**		1,828.83	457.20
	राज्य—कनार्टक			
1.	मैसूर	श्री चामाराजेंद्र प्राणि उद्यान में सतह और वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल प्रबंधन	264.00	237.60
1	**उप-योग**		**264.00**	**237.60**
	राज्य—महाराष्ट्र			
1.	ग्रेटर मुंबई	अंबरनाथ नगर परिषद् के लिए सीवरेज प्रणाली	3,829.56	957.38
1	**उप-योग**		**3,829.56**	**957.38**
	राज्य—मिज़ोरम			
1.	आइजोल	सुधार और शहरी सड़कों का चौड़ाकरण चरण-I	3,486.06	1393
2.	आइजोल	वैवाकान से मिज़ोरम विश्वविद्यालय तक सुधार और चौड़ाकरण	1,716.88	686.76
3.	आइजोल	शिमुई से मिज़ोरम विश्वविद्यालय तक आइजोल शहर के रिंग रोड का विकास	4,778.39	1,194.60
3	**उप-योग**		**9,981.32**	**3,275.79**
	राज्य—नागालैंड			
1.	कोहिमा	कोहिमा शहर चरण-I के लिए वर्षा जल निकास विकास योजना	3,623.49	2,355.26
1	**उप-योग**		**3,623.49**	**2,355.26**
	राज्य—उत्तराखंड			
1.	नैनीताल	राजभवन का पुर्नद्धार और संरक्षण	945.82	378.32
1	**उप-योग**		**945.82**	**378.32**
	राज्य—पश्चिम बंगाल			
1.	आसनसोल	दुर्गापुर में माया बाज़ार के रास्ते गैमन पुल से गांधी मोड़ (एन.एच.-2) तक सड़क का सुधार, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	3,890.90	972.72

1	2	3	4	5
2.	आसनसोल	आसनसोल में जुबली ढाबा से एस.सी.ओ.बी. गेट तक सड़क का सुधार, चौड़ा करके 4 लाइन बनाना और सुदृढ़ीकरण	2,158.31	863.31
3.	कोलकाता	कोलकाता में उलू बेरिया के लिए जलापूर्ति परियोजना फेज-II	4,367.38	1,746.97
4.	कोलकाता	भट्टपारा नगर पालिका के वार्ड संख्या 5-8 में घोस पारा रोड, कल्याणी राजमार्ग को जोड़ने वाली ए.पी. बनर्जी रोड पर रोड ओवर ब्रिज	452.55	113.13
5.	कोलकाता	कल्याणी रेलवे स्टेशन के समीप बस टर्मिनस	227.74	148.02
6.	कोलकाता	कोलकाता में अडिगंगा के आरंभिक बिन्दु पर ई.एम. बाईपास कन्केटर पर कमलगाजी इंटर सेक्शन पर 4 लेन फ्लाई ओवर	3,505.82	1,402.32
7.	कोलकाता	मध्य ग्राम, न्यू बैरकपुर और बरासत के नगर पालिका कस्बे के लिए ट्रांस नगर जलापूर्ति परियोजना	15,591.72	3,897.93
8.	कोलकाता	टीटागढ़ और खरदाह के नगर पालिका कस्बे के लिए ट्रांस नगरपालिका जलापूर्ति परियोजना	6,819.40	1,704.85
9.	कोलकाता	बुज बुज ट्रंक रोड पर जिंजरा बाजार और वाटानगर के बीच भूमोपरि सड़क का निर्माण	8,950.55	2,237.64
10.	कोलकाता	सोडपुर से एम.बी. रोड (फेज II) तक बैरकपुर-कल्याणी दमदम एक्सप्रेस रोड परियोजना	1,551.72	387.93
11.	कोलकाता	मध्यम ग्राम नगर पालिका, कोलकाता के लिए वर्षा जल निकासी प्रणाली	2,521.53	1,631.27
12.	कोलकाता	बरासत नगर पालिका कोलकाता के लिए एकीकृत वर्षा जल निकासी प्रणाली	2,991.92	1,944.75
12	**उप-योग**		**53,029.53**	**17,050.84**
26	**कुल योग**		**95,312.54**	**0,164.90**

1	2	3	4	5
		वित्त वर्ष 2012-13		
	राज्य–मध्य प्रदेश			
1.	उज्जैन	उज्जैन नगर निगम में ठोस कचरा प्रबंधन	2,871.10	717.78
1	**उप-योग**		**2,871.10**	**717.78**
	राज्य–महाराष्ट्र			
1.	नांदेड	सिडको, हडको क्षेत्र साउथ नांदेड सीवरेज एकत्रीणकरण प्रणाली	2,501.55	625.39
2.	नांदेड	जलआपूर्ति वितरण प्रणाली, हडको क्षेत्र साउथ नांदेड	1,758.70	439.68
2	**उप-योग**		**4,260.25**	**1,065.07**
3	**कुल योग**		**7,131.35**	**1.782.85**
		वित्त वर्ष 2013-14		
	राज्य–गुजरात			
1.	अहमदाबाद	जलापूर्ति प्रणाली का (स्काडा आधारित स्वचालन)	1,167.76	291.94
2.	अहमदाबाद	सीवरेज प्रणाली का (स्काडा आधारित) स्वचालन	970.80	242.70
3.	अहमदाबाद	अहमदाबाद शहर में जोधपुर वार्ड के लिए जलापूर्ति प्रणाली	1,243.32	310.83
4.	अहमदाबाद	अहमदाबाद शहर में नवरंगपुरा स्टेडियम और जुनावढज वार्ड के लिए जलापूर्ति प्रणाली	398.08	99.52
5.	अहमदाबाद	अहमदाबाद शहर के लिए जल का पुनःउपयोग और पुनःचक्र परियोजना–नरोल इंडस्ट्रीज के लिए 60 एम.एल.डी. त्रिस्तरीय शोधन संयंत्र मुहैया कराना	3,373.20	843.30
6.	राजकोट	राजकोट के लिए जलआपूर्ति बढ़ाना	3,648.33	912.68
7.	राजकोट	राजकोट के ठोस कचरा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण	2,086.27	521.57
8.	सूरत	सूरत के पूर्वी जोन की जलापूर्ति प्रणाली के लिए डब्ल्यू.पी.टी. ट्रांसमिशन लाईन और भंडारण जलाशय	2,456.87	614.22
9.	सूरत	सूरत के पूर्वी ड्रेनेज जोन के अंतर्गत करंज सीवरेज शोधन संयंत्र संवर्धन	2,861.50	715.38

1	2	3	4	5
10.	सूरत	सूरत नगर निगम के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जोन के लिए जलापूर्ति प्रणाली	4,747.34	1,186.83
11.	वडोदरा	वडोदरा शहर के लिए जलापूर्ति बढ़ाना	6,192.66	1,548.17
11	**उप-योग**		**29,146,13**	**7,286.54**
	राज्य-जम्मू और कश्मीर			
1.	श्रीनगर	ठोस कचरा प्रबंधन	8,277,56	2,069.40
1	**उप-योग**		**8,277,56**	**2,069.40**
	राज्य-झारखंड			
1.	रांची	जोन-I के लिए सीवरेज और वर्षा जल निकासी प्रणाली	24,180.73	6,045.18
1	**उप-योग**		**24,180.73**	**6,045.18**
	राज्य-कर्नाटक			
1.	बंगलौर	टी.के. हल्ली में मौजूदा कावेरी जलापूर्ति स्कीम (सी.डब्ल्यू.एस.एस.) के स्थान पर नया जल शोधन संयंत्र का निर्माण करना	3,594.68	898.67
2.	बंगलूरू	बंगलूरू जलापूर्ति प्रणाली की लेखा परीक्षा के लिए बल्क फ्लो मीटरिंग और निगरानी प्रणाली मुहैया कराना	1,217.84	304.46
3.	मैसूर	मैसूर सिटी में 27/7 जल आपूर्ति मुहैया कराना	17,119.98	4,279.99
4.	मैसूर	जे.एस.एस.-नन्जानगुड रोड जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	2,159.00	539.75
5.	मैसूर	हंसुर रोड और ओ.आर.आर. जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	1,214.60	303.65
6.	मैसूर	के.आर.एस. रोड और ओ.आर.आर. जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	786.06	196.52
7.	मैसूर	बंगलूरू मैसूर रोड और ओ.आर.आर. जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	1,170.12	292.53
7	**उप-योग**		**27,262.28**	**6,815.57**

1	2	3	4	5
	राज्य–मध्य प्रदेश			
1.	भोपाल	बी.आर.टी.एस. सप्लीमेंटरी डी.पी.आर., भोपाल	4,138.00	1,034.50
2.	भोपाल	कमला पार्क में केबल स्टे ब्रिज	1,367.00	341.75
3.	भोपाल	कोह-ए-फिज़ा क्रासिंग से खौगांव तक बड़ा तालाब के वी.आई.पी रोड के साथ में वॉकवे, साइकिल ट्रैक, सीट-आउट, पार्किंग और फूड जोन का विकास	823.56	205.89
4.	इंदौर	इंदौर में ए.बी. रोड पॉयलट बी.आर.टी. कॉरीडोर के लिए आई.टी.एस. विकास	2,858.50	714.63
4	**उप-योग**		**9,187.06**	**2,296.77**
	राज्य–महाराष्ट्र			
1.	नांदेड	नांदेड में अतिरिक्त नगर पालिका क्षेत्र में जल आपूर्ति स्कीम	1,478.00	369.50
2.	नांदेड	नांदेड में अतिरिक्त नगर पालिका के लिए सीवरेज स्कीम	6,114.37	1,528.59
3.	नासिक	नासिक जल आपूर्ति स्कीम (फेस II)	11,018.94	2,754.73
4.	पुणे	पी.एम.सी. के अंतर्गत पुणे नगर रोड के साथ वाले क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति प्रणाली का विस्तार	19,008.44	4,752.11
5.	पुणे	पी.एम.सी. के अंतर्गत वडगांव (बुडरक), पुणे में जल शोधन संयंत्र तथा रो वॉटर पंपिंग स्टेशन	5,903.51	1,475.88
6.	पुणे	पिंपरी-चिंचवाड सिटी के लिए निरंतर (24/7), दाबित जल आपूर्ति प्रणाली	7,158.64	1,789.66
7.	पुणे	पी.सी.एम.सी. के नवनिर्मित विकसित क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति स्कीम मुहैया कराना	2,074.86	518.71
8.	पुणे	पी.सी.एम.सी. के टाथवाडे क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति स्कीम मुहैया कराना	2,029.12	507.28
8	**उप-योग**		**54,785.86**	**13,696.46**

1	2	3	4	5
	राज्य–मणिपुर			
1.	इंफाल	मणिपुर सिटी के लिए एकीकृत जल आपूर्ति	8,077.67	2,019.41
1	**उप-योग**		**8,077.67**	**2,019.41**
	राज्य–नागालैण्ड			
1.	कोहिमा	राष्ट्रीय राजमार्ग-61 से नोर्थ फील्ड स्कूल तक सड़क के साथ रिटेनिंग दीवार का निर्माण	137.11	34.28
1	**उप-योग**		**137.11**	**34.28**
	राज्य–पंजाब			
1.	अमृतसर	बी.आर.टी.एस.-अमृतसर (31 कि.मी.)	24,777.00	6,194.25
2.	अमृतसर	दक्षिणोत्तर जोन के लिए सीवरेज नेटवर्क और सीवरेज शोधन संयंत्र मुहैया कराना	4,463.50	1,116.
3.	लुधियाना	लुधियाना में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा	4,892.50	1,223.13
3	**उप-योग**		**34,133.00**	**8,533.38**
	राज्य–तमिलनाडु			
1.	चेन्नई	चेन्नई सिटी में पल्लीकरनी के लिए व्यापक जल आपूर्ति स्कीम मुहैया कराना	1,287.35	321.84
2.	चेन्नई	चेन्नई सिटी में चिन्नासेक्कडु के लिए व्यापक जल आपूर्ति स्कीम मुहैया कराना	356.99	89.25
3.	चेन्नई	चेन्नई सिटी में पूझल, सुरापट्टु, पुथागरम और काथिरवेडू के लिए व्यापक जल आपूर्ति स्कीम मुहैया कराना	2,435.97	608.99
4.	चेन्नई	चेन्नई सिटी में वडोपेरूमवक्कम एवं थीयमवक्कम के लिए व्यापक जल आपूर्ति स्कीम मुहैया कराना	537.48	137.37
5.	चेन्नई	चेन्नई सिटी में इडयनचावडी, सदयनकुप्पम एवं कडपक्कम के लिए व्यापक जल आपूर्ति स्कीम मुहैया कराना	799.52	199.88
6.	चेन्नई	पालावक्कम में व्यापक जल आपूर्ति स्कीम मुहैया कराना	804.75	201.19

1	2	3	4	5
7.	चेन्नई	मुग्लीवक्कम में व्यापक जल आपूर्ति स्कीम मुहैया करना	1,016.31	254.08
8.	चेन्नई	मनाली चेन्नई में व्यापक जल आपूर्ति स्कीम मुहैया कराना	681.43	170.36
9.	चेन्नई	कोट्टिवक्कम में व्यापक जल आपूर्ति स्कीम मुहैया कराना	689.69	174.67
10.	चेन्नई	पेरूगुडी में व्यापक जल आपूर्ति स्कीम मुहैया कराना	871.48	217.87
11.	चेन्नई	थिरूवल्लूर में पूनामल्ले के लिए जल आपूर्ति स्कीम में सुधार	700.00	175.00
12.	चेन्नई	कांचीपुरम में अनगपुथूर के लिए जल आपूर्ति स्कीम में सुधार	474.80	118.70
13.	चेन्नई	चेन्नई सिटी में थिरूवोट्टीयूर में अन्नई शिवगामी नगर के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	265.85	66.46
14.	चेन्नई	सूरापट्टू में भूमिगत सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	1,154.96	288.74
15.	चेन्नई	मुग्लीवकम में भूमिगत सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	1,620.74	405.18
16.	चेन्नई	नोलांबूर में भूमिगत सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	859.81	214.95
17.	कोयंबटूर	कोयंबटूर नगर पालिका के जल आपूर्ति स्कीम में संशोधन एवं सुधार	22,583.12	5,645.78
17	**उप-योग**		**37,149.21**	**9,287.31**
	राज्य—पश्चिम बंगाल			
1.	कोलकाता	बरुईपुर नगर पालिका के लिए तूफानी जल निकासी परियोजना	2,240.61	560.15
2.	कोलकाता	रिशरा नगर पालिका के लिए तूफानी जल निकासी परियोजना	1,787.56	446.89
3.	कोलकाता	भद्रेश्वर नगरपालिका, कोलकाता जल आपूर्ति स्कीम	3,107.05	776.76
4.	कोलकाता	दमदम नगर पालिका के लिए तूफानी जल निकासी परियोजना	2,315.94	578.99
4	**उप-योग**		**9,451.16**	**2,362.79**
58	योग		2,41,787.76	60,447.09

छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष 2011-12

1	2	3	4	5	6
	राज्य-गोवा				
1.	सांखली	सड़क	1,447.00	1,179.31	1,179.31
2.	संग्वेम	सड़क	585.00	387.78	198.28
2	**उप-योग**		**2,032.00**	**1,567.09**	**1,377.59**
	राज्य-हिमाचल प्रदेश				
1.	सर्काघाट	जल आपूर्ति	3,964.36	3,171.49	1,585.74
1	**उप-योग**		**3,964.36**	**3,171.49**	**1,585.74**
	राज्य-मध्य प्रदेश				
1.	बेतूल	जल आपूर्ति	3,262.07	2,609.66	1,304.83
2.	छिंदवाड़ा	जल आपूर्ति	5,732.87	4,586.30	2,293.15
3.	चोराई	जल आपूर्ति	886.38	709.10	354.55
4.	देवास चरण-द्वितीय	जल आपूर्ति	3,975.00	3,180.00	1,590.00
5.	डोंगर परासिया	जल आपूर्ति	3,013.33	2,410.66	1,205.33
6.	खुरई	जल आपूर्ति	3,662.82	1,930.26	1,465.13
7.	मुलताई	जल आपूर्ति	1,929,60	1,543.68	771.84
8.	पंधुरना	जल आपूर्ति	4,611.62	3,689.30	2,577.52
9.	पिपरिया	जल आपूर्ति	2,408.11	1,926.49	1,926.49
10.	पिप्लानारायनवार	जल आपूर्ति	81.20	64.96	32.48
11.	सौसर	जल आपूर्ति	1,930.22	1,544.18	1,544.18
11	**उप-योग**		**31,493.22**	**25,194.58**	**15,065.50**

1	2	3	4	5	6
राज्य–पश्चिम बंगाल					
1.	बालुरघाट	जल आपूर्ति	4,160.24	3,328.19	1,664.10
2.	बिरनगर	जल आपूर्ति	977.25	981.80	390.90
3.	चन्द्रकोणा	जल आपूर्ति	1,557.29	1,245.83	622.92
4.	कूचबिहार	जल आपूर्ति	3,634.84	2,907.87	1,453.94
5.	एग्रा	जल आपूर्ति	1,496.78	1,197.42	598.71
6.	इंग्लिशबाजार	जल आपूर्ति	4,140.00	3,312.00	1,656.00
7.	रामजीबनपुर	जल आपूर्ति	1,101.03	880.82	440.41
8.	सैंथिया	जल आपूर्ति	1,299.62	1,039.70	519.85
8	**उप-योग**		**18,367.05**	**14,693.64**	**7,346.83**
22	**कुल**		**55,856.63**	**44,626.79**	**25,375.66**
		वित्त वर्ष 2012-13			
	राज्य–हरियाणा				
1.	अम्बाला	सीवरेज	3,728.00	2,982.40	1,491.20
1	**उप-योग**		**3,728.00**	**2,982.40**	**1,491.20**
	राज्य–हिमाचल प्रदेश				
1.	हमीरपुर	जल आपूर्ति	6,485.19	5,188.15	2,594.07
1	**उप-योग**		**6,485.19**	**5,188.15**	**2,594.07**
	राज्य–झारखण्ड				
1.	चाईबासा	जल आपूर्ति	3,217.80	2,574.24	1,287.12
1	**उप-योग**		**3,217.80**	**2,574.24**	**1,287.12**
	राज्य–जम्मू और कश्मीर				
1.	गंदेंबल	वर्षा जल निकास	1,827.24	1,644.52	1,170.00
2.	कुपवाड़ा	वर्षा जल निकास	746.79	672.11	630.00
2	**उप-योग**		**2,574.03**	**2,316.63**	**1,800.00**

1	2	3	4	5	6
	राज्य–महाराष्ट्र				
1.	कोटल	सड़क	2,468.30	1,974.64	987.32
2.	सवनेर	सड़क	2,646.06	2,116.85	1,058.43
3.	उपरेद	सड़क	1,527.92	1,222.34	611.17
3	**उप-योग**		**6,642.28**	**5,313.82**	**2,656.92**
	राज्य–मध्य प्रदेश				
1.	आस्था	सड़क	541.28	433.02	216.51
2.	अमरवारा	सड़क	424.16	339.33	169.66
3.	अमरवारा	जल आपूर्ति	1,609.30	1,287.44	643.72
4.	अमला	सड़क	477.66	382.13	191.06
5.	अनूपपुर	जल आपूर्ति	1,521.22	1,216.98	608.49
6.	अथनेर	सड़क	217.90	174.32	87.16
7.	बैकुंठपुर	जल आपूर्ति	732.75	586.20	293.10
8.	बरकुही	जल आपूर्ति	1,211.82	969.46	484.73
9.	बेगमगंज	जल आपूर्ति	1,392.22	1,113.78	556.89
10.	बीना	जल आपूर्ति	3,875.50	3,100.40	1,550.20
11.	बुदनी	सड़क	504.20	403.36	201.68
12.	चंदमेट	सड़क	321.30	257.04	128.52
13.	चित्रकूट	जल आपूर्ति	1,319.68	1,055.74	527.87
14.	चौरई	सड़क	189.17	151.34	75.67
15.	चुरहट	सड़क	232.10	185.68	92.84
16.	दमुआ	सड़क	652.52	522.02	261.01
17.	डोंगर परासिया	सड़क	1,098.03	878.42	439.21
18.	हरई	सड़क	177.27	141.82	70.91

1	2	3	4	5	6
19.	हिंडोरिया	जल आपूर्ति	1,138.34	910.67	455.34
20.	जुनारदेव	सड़क	345.96	276.77	138.38
21.	करेली	सड़क	444.47	355.58	177.79
22.	खिरकिया	जल आपूर्ति	1,225.70	980.56	490.28
23.	खुरई	सड़क	457.60	366.08	183.04
24.	महिदपुर	जल आपूर्ति	1,683.75	1,347.00	673.50
25.	मनवर	सड़क	475.15	380.12	190.06
26	मनवर	जल आपूर्ति	1,125.60	900.48	450.24
27.	मुलताई	सड़क	723.34	578.67	289.33
28.	नरसुल्लागंज	सड़क	365.39	292.31	146.16
29.	पंधुरना	सड़क	2,054.76	1,643.81	821.90
30.	पिपरिया	सड़क	385.46	308.37	154.18
31.	पिप्लानारायनवार	सड़क	408.09	326.47	163.23
32.	रेहटी	सड़क	211.60	169.28	84.64
33.	सबलगढ़	सड़क	459.10	367.28	183.64
34.	सतना	जल आपूर्ति	8,087.57	6,470.06	3,235.03
35.	सौसर	सड़क	2,332.73	1,866.18	933.09
36.	शाहगंज	जल आपूर्ति	436.45	349.16	174.58
37.	शामगढ़	जल आपूर्ति	2,374.00	1,899.20	949.60
38.	शमशाबाद	जल आपूर्ति	882.47	705.98	352.99
39.	शुजालपुर	सड़क	499.00	399.20	199.60
40.	सीधी	जल आपूर्ति	2,118.55	1,694.84	847.42
41.	टेंडुखेड़ा	जल आपूर्ति	1,028.64	822.91	411.46
42.	वारास्वनी	सड़क	810.96	648.77	324.38

1	2	3	4	5	6
43.	वारास्वनी	जल आपूर्ति	2,232.00	1785.60	892.80
43	**उप-योग**		**4,8804.76**	**39,043.83**	**19,521.89**
	राज्य-नागालैंड				
1.	मोन	सड़क	1,901.93	1,711.74	855.87
1	**उप-योग**		**1,901.93**	**1,711.74**	**855.87**
	राज्य-पश्चिम बंगाल				
1.	झारसुगुडा	जल आपूर्ति	3,196.11	2,556.89	1,278.44
1	**उप-योग**		**3,196.11**	**2,556.89**	**1,278.44**
	राज्य-तमिलनाडु				
1.	अट्टूर	जल आूपर्ति	458.97	367.18	367.18
2.	कम्बम	जल आपूर्ति	1,852.65	1,482.65	741.06
3.	धारापुरम	जल आपूर्ति	918.29	734.63	734.63
4.	कराईकुडी	जल आपूर्ति	1,391.83	1,113.46	1,113.46
5.	कयालपट्टीनम	जल आपूर्ति	2,967.00	2,373.60	2,373.60
6.	कोविलपट्टी	जल आपूर्ति	7,060.14	5,648.11	2,824.05
7.	नागरकोइल	सीवरेज	6,556.47	5,245.18	2,622.59
8.	तिरूचेंगोडे	जल आपूर्ति	603.55	482.84	482.84
9.	वंदवासी	जल आपूर्ति	930.63	744.50	744.25
9	**उप-योग**		**22,739.52**	**18,191.62**	**12,003.66**
	राज्य-उत्तर प्रदेश				
1.	रायबरेली	जल आपूर्ति	7,800.04	6,374.40	4,675.25
1	**उप-योग**		**7,800.04**	**6,374.40**	**4,675.25**
	राज्य-पश्चिम बंगाल				
1.	रायगंज	जल आपूर्ति	4,401.23	3,520.98	1,760.00

1	2	3	4	5	6
1	**उप-योग**		**4,401.23**	**3,520.98**	**1,760.00**
	राज्य-अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				
1.	जंगलीघाट	सड़क	558.13	446.50	223.25
1	**उप-योग**		**558.13**	**446.50**	**223.25**
65	**कुल**		**1,12,049.02**	**90,221.20**	**50,147.67**
		वित्त वर्ष 2013-14			
	राज्य-अरूणाचल प्रदेश				
1.	इंगकियोंग	मृदा क्षरण	963.00	866.70	433.35
2.	कोलोरिंग	सड़क	1,349.00	1,214.10	607.05
3.	रोइंग	सड़क	1,616.00	1,454.40	727.20
4.	दिरांग	सड़क	2,143.00	1,928.70	964.35
5.	आलो	मृदा क्षरण	880.22	792.20	396.10
6.	सेप्पा	मृदा क्षरण	615.52	553.97	276.98
7.	बसर	ठोस कचरा प्रबंधन	719.85	647.87	323.93
8.	बोमडिला	ठोस कचरा प्रबंधन	799.84	719.86	359.93
9.	दोइमुख	सड़क	906.97	816.27	408.14
9	**उप-योग**		**9,993.40**	**8,994.06**	**4,497.03**
	राज्य-छत्तीसगढ़				
1.	भिलाई-करोडा	जल आपूर्ति	9,962.11	7,969.69	3,984.84
2.	कोरबा	जल आपूर्ति	13.334.12	10,667.30	5,333.65
2	**उप-योग**		**23,296.23**	**18,636.98**	**9,318.49**
	राज्य-हिमाचल प्रदेश				
1.	धर्मशाला	जल आपूर्ति	2,973.89	2,379.11	1,189.56
2.	रेवाल्सर	सड़क	475.00	380.00	190.00

1	2	3	4	5	6
3.	धर्मशाला	सड़क	2,094.54	1,675.63	837.82
4.	रामपुर	जल आपूर्ति	1,914.14	1,531.31	765.66
5.	नगरोटा	जल आपूर्ति	1,101.00	880.80	440.40
6.	कांगड़ा	जल आपूर्ति	1,742.99	1,394.39	697.20
7.	मंडी	जल आपूर्ति	8,218.30	6,574.64	3,287.20
8.	मनाली	जल आपूर्ति	1,504.25	1,203.40	601.70
9.	कुल्लू	जल आपूर्ति	2,273.91	1,819.13	909.56
10.	नालागढ़	सीवरेज	1,636.50	1,309.20	654.60
11.	परवानो	जल आपूर्ति	727.19	581.75	290.88
12.	बद्दी	सीवरेज	3,334.34	2,667.47	1,333.74
12	**उप-योग**		**27,996.05**	**22,396.84**	**11,198.31**
	राज्य–जम्मू और कश्मीर				
1.	लेह	जल आपूर्ति	7,048.83	6,343.95	3,171.98
2.	लेह	सड़क	7,653.16	6,887.84	3,443.92
3.	लेह	ठोस कचरा प्रबंधन	1,094.27	984.84	492.42
4.	लेह	सीवरेज	5,939.00	4,245.10	2,672.55
4	**उप-योग**		**21,735.26**	**19,561.73**	**9,780.87**
	राज्य–कर्नाटक				
1.	हुक्केरी	जल आपूर्ति	2,301.73	1,841.38	920.69
2.	चिकोडी	जल आपूर्ति	3,303.85	2,643.08	1,321.54
3.	बन्नूर	जल आपूर्ति	1,736.12	1,388.90	694.45
4.	बेंतवाल	जल आपूर्ति	4,204.35	3,363.48	1,681.74
5.	रामदुर्ग	जल आपूर्ति	3,741.30	2,777.04	1,388.52
6.	कुरूमित्कल	सीवरेज	1,842.75	1,474.20	737.10

1	2	3	4	5	6
7.	सदल्गा	जल आपूर्ति	2,457.77	1,966.22	983.11
8.	सेदम	जल आपूर्ति	2,464.19	1,971.35	985.67
9.	डोडाबल्लापुरा	जल आपूर्ति	3,315.45	2,652.36	1,326.18
10.	श्रीरंगपट्टनम	जल आपूर्ति	2,071.09	1,656.87	828.43
11.	बिरुर	सीवरेज	2,131.82	1,705.46	852.73
12.	संकेश्वर	जल आपूर्ति	3,765.86	3,012.69	1,506.34
13.	तिर्थाहल्ली	जल आपूर्ति	829.81	663.85	331.92
14.	सदल्गा	सीवरेज	2,406.05	1,924.84	962.42
15.	येल्लापुरा	जल आपूर्ति	963.48	770.78	385.39
16.	तुमकुर	जल आपूर्ति	19,898.00	15,918.40	7,959.20
17.	कुन्दपुरा	सीवरेज	4,736.79	3,789.43	1,894.72
18.	मंदगोड	जल आपूर्ति	1,223.79	979.03	487.52
19.	मुद्देबिहार	सीवरेज	3,781.75	3,025.49	1,512.74
20.	कनकपुरा	सड़क	6,171.00	4,936.80	2,468.40
21.	रामदुर्ग	सड़क	3,765.37	3,012.30	1,506.15
21	**उप-योग**		**76,842.43**	**61,473.94**	**30,736.96**
	राज्य—पश्चिम बंगाल				
1.	मलापुरम	ठोस कचरा प्रबंधन	1,466.66	1,173.33	586.67
1	**उप-योग**		**1,466.66**	**1,173.33**	**586.67**
	राज्य—महाराष्ट्र				
1.	शिरपुर वरवाडे	जल आपूर्ति	3,077.77	2,462.22	1,231.11
2.	शिरमपुर	सीवरेज	4,936.29	3,949.03	1,974.52
3.	कोपरगांव	जल आपूर्ति	3,989.92	3,191.94	1,595.97
4.	गंगापुर	जल आपूर्ति	1,790.79	1,432.63	716.32

1	2	3	4	5	6
5.	मल्कापुर (कार्ड)	सीवरेज	4,091.47	3,273.18	1,636.59
6.	बारामती	सीवरेज	2,504.33	2,003.46	1,001.73
7.	कलमेश्वर	सीवरेज	2,076.74	1,661.39	830.69
8.	गोंदिया	सीवरेज	12571.77	10,057.42	5,028.71
9.	औरंगाबाद	सीवरेज	36568.89	29,255.11	14,627.56
10.	कटोल	सीवरेज	4261.00	3,408.80	1,704.40
11.	धुले	जल आपूर्ति	12412.00	9,929,60	4,964.80
12.	कोल्हापुर	जल आपूर्ति	42541.00	34,032.80	17,016.40
13.	राहत	जल आपूर्ति	1404.20	1,123,36	561.68
14.	पापी	जल आपूर्ति	6632.03	5,305.62	2,652.81
15.	श्रीगोंडा	जल आपूर्ति	4823.92	3,859.14	1,929.57
16.	इचलाकरंजी	सीवरेज	8260.20	6,608.16	3,304.10
16	**उप-योग**		**1,51,942.32**	**1,21,553.86**	**60,776.95**
	राज्य–मध्य प्रदेश				
1.	गुना	जल आपूर्ति	7,140.42	5,712.34	2,856.17
2.	राजगढ़	जल आपूर्ति	1,907.76	1,526.21	763.11
3.	अमरवाड़ा	ठोस कचरा प्रबंधन	128.80	103.04	51.52
4.	पोर्सा	ठोस कचरा प्रबंधन	236.47	189.18	94.59
5.	शिवपुरी	ठोस कचरा प्रबंधन	649.76	519.81	259.91
6.	बरकुही	सड़क	473.42	381.14	190.57
7.	राजपुर	सड़क	489.00	391.20	195.60
8.	करेली	जल आपूर्ति	3,550.77	2,840.62	1,420.31
9.	मंडलेश्वर	जल आपूर्ति	799.29	639.43	319.72
10.	सिवनी	जल आपूर्ति	4,735.80	3,788.64	1,894.32

1	2	3	4	5	6
11.	जिरन	जल आपूर्ति	549.92	439.94	219.97
12.	मल्हारगढ़	जल आपूर्ति	548.92	439.14	219.57
13.	पिपल्या मंडी	जल आपूर्ति	968.72	774.98	387.49
14.	जुनारदेव/जमाई	जल आपूर्ति	2,432.07	1,945,66	972.83
15.	रामपुरा	जल आपूर्ति	1,956.37	1,565.10	782.55
16.	सुवासरा	जल आपूर्ति	1,764.30	1,411.44	705.72
17.	भेदघाट	सड़क	603.40	482.72	241.36
18.	सिंगोली	सड़क	264.71	211.77	105.88
19.	लोधीखेड़ा	सड़क	417.33	333.86	166.93
20.	सोनकक्ष	सड़क	499.00	399.20	199.60
21.	मोहगांव	सड़क	462.18	369.74	184.87
22.	पिप्लरवा	सड़क	364.70	291.76	145.88
23.	न्यूटोंचिक्ली	सड़क	604.25	483.40	241.70
24.	चंदेरी	सड़क	614.85	491.88	245.94
25.	छिंदवाड़ा	सड़क	5,352.70	4,282,16	2,141.08
26.	देवास	सड़क	1,254.50	1,003.60	501.80
27.	मंडलेश्वर	सड़क	659.08	527.26	263.63
28.	कटनी	सड़क	4,567.00	3,653.60	1,826.80
29.	मंगलोई	सड़क	550.00	440.00	220.00
30.	कोलारस	सड़क	1,234.03	987.22	493.61
31.	पृथ्वीपुर	सड़क	504.80	403.84	201.92
32.	पिपल्या मंडी	सड़क	487.50	390.00	195.00
33.	चंदामेटा	जल आपूर्ति	1,432.20	1,145,76	572.83
34.	दमुआ	जल आपूर्ति	1,479.19	1,183.35	591.68

1	2	3	4	5	6
35.	लोधी खेड़ा	जल आपूर्ति	611.76	489.41	244.70
36.	न्यूटोंचिक्ली	जल आपूर्ति	1,055.90	844.72	422.36
37.	हराई	जल आपूर्ति	873.87	699.10	349.55
38.	मोहगांव	जल आपूर्ति	848.87	679.10	339.72
39.	दमोह चरण-II	जल आपूर्ति	3,715.95	2,972.76	1,486.38
40.	सबलगढ़	वर्षा जल निकास	980.94	784.75	392.38
41.	सिंगरौली	जल आपूर्ति	7,795.24	6,236.19	3,118.10
42.	कोलार	जल आपूर्ति	5,210.42	4,168.34	2,084.17
43.	छिन्दवाडा	जलाशय	382.87	306.30	153.15
44.	छिन्दवाडा	सड़क	2,736.76	2,189.41	1,094.70
45.	पिप्लानारायनवार	जल आपूर्ति	773.34	618.67	309.34
46.	बेहार	सड़क	405.61	324.49	162.24
47.	इसागढ़	सड़क	629.40	503.52	251.76
48.	लंझी	सड़क	815.88	652.70	326.35
49.	लखनदाव	सड़क	519.37	415.50	207.75
50.	शाहगंज	सड़क	477.96	382.37	191.18
51.	पंधुरना	सड़क	2,063.75	1,651.00	825.50
52.	चिचोली	सड़क	200.00	160.00	80.00
53.	भेसदेही	सड़क	483	386.40	193.20
54.	सलवास	जल आपूर्ति	1,397.40	1,117.92	558.96
55.	बड़ी	जल आपूर्ति	785.60	628.48	314.24
56.	सिरमौर	जल आपूर्ति	980.00	784.00	392.00
57.	कोटमा	जल आपूर्ति	1,799.58	1,439.66	719.83
58.	चचौरा-बिनागंज	सड़क	134.27	107.42	53.71

1	2	3	4	5	6
59.	अथनेर	जल आपूर्ति	1,309.90	1,047.92	523.96
60.	पिपल्रवा	जल आपूर्ति	964.22	771.38	385.69
61.	पाटन	सकड़	329.60	263.68	131.84
62.	लंझी	जल आपूर्ति	1,825.00	1,460.00	730.00
63.	मंगलोई	जल आपूर्ति	1,070.40	856.32	428.16
64.	दही	जल आपूर्ति	931.80	745.44	372.72
65.	बड़वाह	जल आपूर्ति	1,704.96	1,363.97	681.98
66.	नीमच	जल आपूर्ति	1,545.98	1,236.78	618.39
67.	बलदेवगढ़	जल आपूर्ति	1,264.80	1,011.84	505.92
68.	पोर्सा	जल आपूर्ति	959.25	767.40	383.70
69.	शाहपुरा	जल आपूर्ति	1,368.66	1,094.93	547.46
70.	मन्दसौर	जल आपूर्ति	5,636.37	4,509.10	2,254.55
7.	देवरी	जल आपूर्ति	2,301.68	1,841.34	920.67
72.	देवास	सीवरेज	14,062.53	11,250.02	5,625.01
73.	मण्डला	सड़क	133.22	106.58	13.29
74.	मलंजखंड	सड़क	829.43	663.54	331.77
75.	छिंदवाड़ा	सड़क	1,245.82	996.66	498.33
76.	बालाघाट	जल आपूर्ति	4,283.00	1,426.40	1,713.20
77.	हरई	सड़क	324.93	259.94	129.97
78.	न्यूटन चिक्ली	सड़क	163.30	130.64	65.32
79.	दमुआ	सड़क	611.30	489.04	244.52
80.	डोंगर परसिया	सड़क	1,206.37	965.10	482.55
80	**उप-योग**		**1,29,436.47**	**1,03,549.18**	**51,774.78**

1	2	3	4	5	6
	राज्य–नागालैण्ड				
1.	दीमापुर (तेंयीफे-I क्षेत्र)	सड़क	310.00	279.00	139.50
1	**उप-योग**		**310.00**	**279.00**	**139.50**
	राज्य–ओडिशा				
1.	कटक चरण-1	जल आपूर्ति	6,865.00	5,492.00	2,746.00
2.	चौदवार चरण-1	जल आपूर्ति	990.87	792.70	396.35
3.	राउरकेला	जल आपूर्ति	7,705.57	6,164.46	3,082.23
4.	बारीपदा	जल आपूर्ति	5,378.00	4,302.40	2,151.20
5.	संबलपुर चरण-II	जल आपूर्ति	3,881.49	3,105.19	1,552.60
5	**उप-योग**		**24,820.93**	**19,856.74**	**9,928.37**
	राज्य–राजस्थान				
1.	चिड़ावा चरण-1	सीवरेज	6,314.32	5,051.46	2,525.73
2.	लक्ष्मणगढ़	सीवरेज	6,963.55	5,570.84	2,785.42
3.	नवलगढ़ चरण-1	सीवरेज	8,211.28	6,569.02	3,284.51
4.	सूरतगढ़ चरण-1	सीवरेज	7,547.64	6,038.11	3,019.06
5.	निम्बाहेड़ा	सीवरेज	7,773.21	6,218.57	3,109.28
6.	जेतरन	सीवरेज	3,471.06	2,776.85	1,388.42
7.	भद्रा चरण-I	सीवरेज	8,932.70	7,146.16	3,573.08
8.	केकरी	जल आपूर्ति	941	752.80	376.40
9.	बड़ी सदरी	सीवरेज	2151.23	1,720.98	860.49
10.	रामगढ़ सेखावती	सीवरेज	4489.24	3,591.39	1,795.70
11.	फतेहनगर-सनावर-1	सीवरेज	3674.93	2,939.94	1,469.97
12.	कुशालगढ़	सीवरेज	4153.56	3,322.85	1,661.42
12	**उप-योग**		**64,623.72**	**51,698.98**	**25,849.49**

1	2	3	4	5	6
	राज्य–तमिलनाडु				
1.	मेत्तूर	सीवरेज	5,651.66	4,521.33	2,260.67
2.	तिरुपथूर	सीवरेज	7,682.91	6,146.33	3,073.17
3.	अरक्कोनम	सीवरेज	7,745.16	6,196.13	3,098.07
4.	लोलारपेट	सीवरेज	3,399.48	2,719.58	1,359.79
5.	चिदमब्रम	सीवरेज	5,738.37	4,590.70	2,295.35
6.	सत्तूर	सीवरेज	2,957.53	2,366.02	1,183.01
7.	पेरियाकुलम	सीवरेज	1,712.92	1,370.34	685.17
8.	केंगेम	जल आपूर्ति	1,423.71	1,138.97	569.49
9.	अरानी	जल आपूर्ति	3,228.05	2,582.44	1,291.22
10.	पेरियाकुलम	जल आपूर्ति	1,349.68	1,079.74	539.87
11.	तिरुवतीपुरम	जल आपूर्ति	1,121.41	897.13	448.57
12.	तिंदीवनम	जल आपूर्ति	4,506.91	3,605.53	1,802.77
13.	कोड्डयकनाल	जल आपूर्ति	4,223.00	3,378.40	1,689.20
13	**उप-योग**		**50,740.79**	**40,592.63**	**20,296.35**
	राज्य–उत्तर प्रदेश				
1.	अमेठी	जल आपूर्ति	999.68	799.74	399.87
2.	औरेया	जल आपूर्ति	4,120.87	3,296.70	1,648.35
3.	कासया	जल आपूर्ति	1,045.23	836.18	418.09
4.	रायबरेली	जल आपूर्ति	10,618.46	8,494.77	4,247.39
5.	सुल्तानपुर	जल आपूर्ति	3,369.29	2,695.43	1,347.72
6.	गाजियाबाद	जल आपूर्ति	7,383.14	5,906.51	2,953.26
7.	गोरखपुर भाग-II	जल आपूर्ति	4,830.90	3,864.72	1,932.36
7	**उप-योग**		**32,367.57**	**25,894.06**	**12,947.04**

1	2	3	4	5	6
	राज्य–उत्तराखण्ड				
1.	हल्दवानी	ठोस कचरा प्रबंधन	3,488.00	2,790.40	1,395.20
2.	ऋषिकेश	विरासत रखरखाव	1,765.60	1,412.48	706.24
3.	नंदप्रयाग	सड़क	95.55	76.44	38.22
4.	कर्णप्रयाग	सड़क	220.77	176.62	88.31
5.	रुद्रप्रयाग	सड़क	506.25	405.00	202.50
6.	मुनि की रेती	वर्षा जल निकास	94.01	75.21	37.60
7.	नरेन्द्रनगर	सड़क	485.04	388.03	194.02
8.	पुरोला	सड़क	420.02	336.02	168.00
9.	जोशीमठ	सड़क	730.88	584.70	292.35
10.	बारकोट	सड़क	510.76	408.60	204.30
11.	उत्तरकाशी	सड़क	454.30	363.44	181.72
12.	मंगलौर	जल आपूर्ति	3,587.00	2,869.60	1,434.80
13.	गोपेश्वर	सड़क	718.18	574.54	287.27
13	**उप-योग**		**13,076.36**	**10,461.09**	**5,230.54**
	राज्य–पश्चिम बंगाल				
1.	जयनगर-माजीपुर	जल आपूर्ति	1,866.28	1,493.02	746.51
2.	दुबराजपुर	जल आपूर्ति	2,316.75	1,853.40	926.70
3.	पंसकुरा	जल आपूर्ति	3,525.10	2,820.08	1,410.04
4.	कलना	जल आपूर्ति	2,793.66	2,234.93	1,117.47
5.	रानाघाट	जल आपूर्ति	6,402.91	5,122.33	2,561.17
6.	नबाद्वीप	जल आपूर्ति	7,851.68	6,281.34	3,140.67
6	**उप-योग**		**24,756.38**	**19,805.10**	**9,902.56**

विवरण-III

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत स्वीकृत बस वित्तपोषण स्कीम

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	शहर	कुल स्वीकृत बेड़ा	प्रापण स्थिति	सी.एस.एम.सी. में कुल अनुमोदित	ए.सी.ए. अनुमोदित	ए.सी.ए. जारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	1000	937	284	99.40	71.90
		तिरुपति	50	50	11	8.80	6.35
		विजयवाड़	240	240	65.6	32.80	28.83
		विशाखापट्नम	250	250	71	35.50	24.87
2.	अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	25	23	4.15	3.74	2.94
3.	असम	गुवाहाटी	200	182	52.55	47.29	32.16
4.	बिहार	बौद्धगया	25	0	6.75	5.40	2.70
		पटना	100	0	39.9	19.95	9.97
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	100	100	14.85	11.88	10.69
6.	दिल्ली	दिल्ली	1500	1500	765	267.75	217.91
		डी.एम.आर.सी. फीडर	228	75	20	7.00	6.23
7.	गोवा	पणजी	50	50	7.7	6.16	5.04
8.	गुजरात	अहमदाबाद	803	585	251.99	88.20	77.79
9.	हरियाणा	फरीदाबाद	150	150	54.6	27.30	24.57
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	75	75	6.75	6.08	5.47
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	75	75	13.2	11.88	9.49
		श्रीनगर	75	74	13.2	11.88	9.49
12.	झारखण्ड	धनबाद	100	50	14.3	7.15	3.57
		जमशेदपुर	50	50	5.5	2.75	1.37

1	2	3	4	5	6	7	8
		रांची	100	70	17.5	14.00	7.00
13.	कर्नाटक	बैंगलोर	1000	1000	341.43	119.50	106.07
		मैसूर	150	150	49.43	39.54	36.45
14.	केरल	कोचि	200	162	71	35.50	28.12
		त्रिवेंद्रम	150	150	53.4	42.72	34.20
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल	225	205	88.75	44.38	26.17
		इंदौर	175	94	59.75	29.88	15.57
		जबलपुर	119	119	31	15.50	7.75
		उज्जैन	90	89	14.2	11.36	9.46
		एम.एम.आर.-बेस्ट	1000	1000	284	99.40	57.85
		एम.एम.आर.-नवी मुंबई	150	150	40.5	14.18	13.50
		एम.एम.आर-थाणे	200	200	47.8	16.73	13.24
		एम.एम.आर.-मीराभयंदर	50	50	11	3.85	3.19
16.	महाराष्ट्र	एम.एम.आर. कल्याण डोम्बिविली	50	50	9	3.15	2.77
		नागपुर	240	240	63.6	31.80	21.58
		नांदेड	30	30	7.6	6.08	3.06
		पी.एम.पी.एम.एल.-पुणे				77.31	53.88
		पी.एम.पी.एम.एल-पिंपरी चिंचवाड़	650	639	233.43	39.39	17.28
		नासिक	100	100	22	11.00	8.35
17.	मणिपुर	इम्फाल	25	14	6.75	6.08	3.04
18.	मेघालय	शिलांग	120	100	16.4	14.76	13.28
19.	मिज़ोरम	आइजोल	25	14	3.25	2.93	1.46
20.	नागालैंड	कोहिमा	25	25	3	2.70	1.92
21.	ओडिशा	भुवनेश्वर	100		16.5	13.20	8.78

1 2	3	4	5	6	7	8
	पुरी	25	125	3.3	2.64	1.74
22. पंजाब	अमृतसर	150	40	33.3	16.55	8.33
	लुधियाना	200	40	65.2	32.60	29.34
23. राजस्थान	अजमेर	35	35	7.7	6.16	6.22
	जयपुर	400	400	142.82	71.41	64.87
24. सिक्किम	गंगटोक	25	25	3	2.70	2.02
25. तमिलनाडु	चेन्नई	1000	1000	295.92	103.57	77.96
	कोयंबटूर	300	300	88.78	44.39	26.37
	मदुरै	300	300	88.78	44.39	26.37
26. त्रिपुरा	अगरतला	75	53	16.28	14.65	12.43
27. उत्तर प्रदेश	आगरा	200	170	48.73	24.37	20.97
	इलाहाबाद	150	130	28.7	14.35	13.52
	कानपुर	304	270	65.25	32.63	31.92
	लखनऊ	300	260	75.05	37.52	31.92
	मथुरा	60	60	6	4.80	4.51
	मेरठ	150	120	31.33	15.67	13.45
	वाराणसी	146	130	27.17	13.58	14.01
28. संघ राज्यक्षेत्र	चंडीगढ़	100	100	54	34.20	25.38
	पुदुचेरी	50	40	16.15	12.92	7.96
29. उत्तराखंड	देहरादून	60	60	11.4	9.12	5.65
	हरिद्वार	60	60	12.9	10.32	6.24
	नैनीताल	25	25	2.88	2.30	1.63
30. पश्चिम बंगाल	आसनसोल	100	93	22	11.00	5.50
	कोलकाता	1200	1096	384	134.40	63.00
कुल		15485	14049	4723.97	2092.09	1546.72

विवरण-IV

2013-14 के दौरान स्वीकृत बसें (09/07/2014 को स्थिति)

(करोड़ रुपये में)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	राज्य	शहर	स्वीकृत बसों की संख्या	बसों की कुल अनुमानित लागत	भारत सरकार का शेयर	राज्य/ यू.एल.बी. शेयर	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाडा	90	39.25	19.63	19.62	क्रय आदेश
2.		विशाखापट्नम	105	45.8	22.9	22.9	जारी और
3.		तिरुपति	120	25.88	20.7	5.18	प्रथम किस्त
4.		कडप्पा	40	11.2	8.96	2.24	जारी की गई
5.		गुंटूर	60	16.8	13.44	3.36	
6.		चित्तोर	30	8.4	6.72	1.68	
7.		अनंतपुर	40	11.2	8.96	2.24	
8.	असम	गुवाहाटी	400	191	171.9	19.1	
9.	बिहार	पुर्णिया	61	15.74	12.59	3.14	क्रय आदेश
10.		दरभंगा	53	13.62	10.89	2.72	
11.		कटिहार	38	9.61	7.68	1.92	
12.		भागलपुर	55	14.85	11.88	2.97	
13.		बैरगानिया-शिवहर	51	13.61	10.88	2.72	
14.		पटना	60	34.9	17.45	17.45	
15.		बिहारशरीफ	60	12.5	10	2.5	
16.		माधेपुरा-सहरसा	50	13.35	10.68	2.67	
17.		औरंगाबाद-अरवल क्लस्टर	40	10.68	8.54	2.14	अभी प्राप्त

1	2	3	4	5	6	7	8
18.		सीवान	45	12.01	9.61	2.4	नहीं हुआ
19.		मुजफ्फरपुर	50	12.5	10	2.5	
20.		जहानाबाद-नवादा क्लस्टर	40	10.68	8.54	2.14	
21.		गया	40	10.63	8.5	2.13	
22.		मूंगेर	30	8.01	6.41	1.6	
23.		भाभुआ-सासाराम क्लस्टर	30	8.01	6.41	1.6	
24.		बेगूसराय	50	13.11	10.49	2.62	
25.		आरा	53	13.25	10.6	2.65	
26.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	400	161.1	80.55	80.55	क्रय आदेश जारी और प्रथम किस्त जारी की गई
27.	छत्तीसगढ़	एन.आर.डी.ए.	50	39	31.2	7.8	क्रय आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ
28.		धमतरी क्लस्टर	10	2.8	2.24	0.56	
29.		कांकेर क्लस्टर	10	2.8	2.24	0.56	
30.		अंबिकापुर क्लस्टर	35	9.8	7.84	1.96	
31.		जशपुरनगर क्लस्टर	5	1.12	0.9	0.22	
32.		चिरमिरी क्लस्टर	7	1.68	1.34	0.34	
33.		धामधा क्लस्टर	5	1.12	0.9	0.22	
34.		खैरागढ़ क्लस्टर	6	1.4	1.12	0.28	
35.		रायपुर क्लस्टर	60	20	16	4	
36.		राजनांदगांव क्लस्टर	20	5.6	4.48	1.12	
37.		रायगढ़ क्लस्टर	20	5.6	4.48	1.12	
38.		भिलाई दुर्ग क्लस्टर	110	36.11	28.89	7.22	
39.		जगदलपुर क्लस्टर	10	2.8	2.24	0.56	
40.		बिलासपुर क्लस्टर	50	13.95	11.14	2.81	
41.		कोरबा क्लस्टर	48	13.84	11.07	2.77	

1	2	3	4	5	6	7	8
42.		जांजगीर नैला क्लस्टर	10	2.8	2.24	0.56	
43.		मुहासमुंद क्लस्टर	9	2.73	2.18	0.55	
44.		कोंडागांव क्लस्टर	5	1.12	0.9	0.22	
45.		दंतेवाड़ा क्लस्टर	5	1.12	0.9	0.22	
46.		कवर्धा क्लस्टर	10	2.8	2.24	0.56	
47.		गोब्रानयापारा क्लस्टर	8	2.02	1.62	0.41	
48.		बालोदा बाजार क्लस्टर	8	2.02	1.62	0.4	
49.	गोवा	पणजी	125	38.38	31.06	7.76	
50.	हिमाचल प्रदेश	ऊन-अम्ब संतोखगढ़	40	11.5	10.3	1.1	क्रय आदेश जारी और प्रथम किस्त जारी की गई
51.		धर्मशाला कांगड़ा नगरोटा श्री चमुण्डाजी क्लस्टर	90	25.6	23.04	2.56	
52.		कुल्लू-मनाली क्लस्टर	30	8.6	7.74	0.86	
53.		नूरपुर-जास्सुर क्लस्टर	30	8.4	7.56	0.84	
54.		मंडी-सुंदर नगर जोगिंदर नगर क्लस्टर	100	28.4	25.56	2.84	
55.		नाहन पोंटा साहिब क्लस्टर	20	5.7	5.13	0.57	
56.		चंबा डलहौजी क्लस्टर	75	21.4	19.26	2.014	
57.		रामपुर रोहडू क्लस्टर	70	19.8	17.82	1.98	
58.		बैजनाथ-पालमपुर-जोगिंदर नगर क्लस्टर	80	23	20.7	2.3	
59.		नालागढ़-बद्दी-परवानू क्लस्टर	35	10	9	1	
60.		हमीरपुर-ज्वालामुखी क्लस्टर	90	25.6	23.04	2.56	
61.		बिलासपुर-घुमारवीं-सुंदर नगर क्लस्टर	50	14.2	12.78	1.42	
62.		शिमला-सोलन क्लस्टर	90	25.78	23.13	2.57	
63.	कर्नाटक	बैंगलोर	810	460	161	299	

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	कर्नाटक	मैसूर	125	60.06	48.04	12.02	क्रय आदेश जारी और प्रथम किस्त जारी की गइ
65.		हुबली धारवाड़	250	162.12	129.7	32.42	
66.		देवेंगर	50	14.85	11.88	2.97	
67.		कोलार और के.जी.एफ.	50	14.85	11.88	2.97	
68.		तुमकुर	40	11.88	9.5	2.38	
69.		बेलैरी	30	8.4	6.72	1.68	
70.		बीदर	20	5.6	4.48	1.12	
71.		बीजापुर	35	9.8	7.84	1.96	
72.		गुल्बर्गा	100	43.5	34.8	8.7	
73.		रायचूर	35	9.8	7.84	1.96	
74.		यादगिर	14	3.92	3.14	0.78	
75.		होसपेट	30	8.4	6.72	1.68	
76.		कोप्पल	20	5.6	4.48	1.12	
77.		सिंधनूर	20	5.6	4.48	1.12	
78.		गंगावती	25	7	5.6	1.4	
79.		बेलगाम	60	22.65	18.12	7.53	
80.		सिरसी	20	6.6	5.28	1.32	
81.		बेगालकोट	20	6.6	5.28	1.32	
82.		छिकोडी	20	6.6	5.28	1.32	
83.		कारवार	20	6.6	5.28	1.32	
84.		हारवरी	10	3.3	2.64	0.66	
85.		रानेबेचूर	20	6.6	5.28	1.32	
86.		मांडया	30	8.4	6.72	1.68	
87.		रामनगर	20	5.6	4.48	1.12	

1	2	3	4	5	6	7	8
88.		चित्रदुर्गा	30	8.91	7.12	1.79	
89.		सिमोग	65	18.85	15.08	3.77	
90.		भद्रावती	35	10.15	8.12	2.03	
91.		मंगलोर एवं उड्डपी	65	18.85	15.08	3.77	क्रय आदेश जारी लेकिन राज्य सरकार से बस एसोसिएशन की शिकायत पर टिप्पणियां प्रतिक्षित हैं।
92.		हसन	35	10.15	8.12	2.03	क्रय आदेश जारी और प्रथम किस्त जारी की गई
93.		क्लस्टर-I कोझिकोड, कलपेट्टा और मलप्पुरम	100	55	44	11	
94.		क्लस्टर-II कोट्टायम, थोडुपुझा और पथानामथीट्टा	85	40.5	32.4	8.1	
95.	केरल	क्लस्टर-III कन्नूर, कासरगोड	30	9	7.2	1.8	क्रय आदेश प्राप्त नहीं हुआ
96.		क्लस्टर-IV त्रिशूर और कलक्कड़	85	40.5	32.4	8.1	
97.		क्लस्टर-V कोल्लम और अलाप्पुझा	100	48	38.4	9.6	
98.	मध्य प्रदेश	इंदौर	170	59.45	29.73	29.73	
99.		जबलपुर	136	45.08	22.54	22.54	
100.		देवास	38	9.5	7.6	1.9	
101.		बुरहानपुर	30	8.4	6.72	1.68	

1	2	3	4	5	6	7	8
102.	मध्य प्रदेश	गुना	50	12.5	10	2.5	
103.		छिंदवाड़ा	60	16.8	13.44	3.36	
104.		सागर	40	11.2	8.96	2.24	
105.		कटनी	76	19	15.2	3.8	
106.	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	195	104.3	52.15	52.15	क्रय आदेश जारी और प्रथम किस्त जारी की गई
107.		सोलापुर	200	85.8	68.64	17.16	
108.		मीरा भायंदर	100	35.3	28.24	7.06	
109.		कल्याण डोम्बिविली	185	84.6	42.3	42.3	
110.		थाणे	230	121.5	60.75	60.75	
111.		पुणे	300	138.5	69.25	69.25	
112.		पी.सी.एम.सी.	200	92.05	46.03	46.03	
113.		वसई विरार	346	131.36	65.68	65.68	
114.		लातूर	60	27.5	22	5.5	
115.		पनवेल	140	40.46	32.36	8.09	
116.		कोल्हापुर	104	29.12	23.29	5.85	
117.		अमरावती	64	17.92	14.33	3.58	
118.	मेघालय	शिलांग	240	60	54	6	क्रय आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ
119.	ओडिशा	जोंयपोर-कोरापुट	40	10	8	2	
120.		कटक	100	27	21.6	5.4	
121.		बालासोर भद्रक	54	14.04	11.23	2.8	

1	2	3	4	5	6	7	8
122.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	50	20	16	4	क्रय आदेश जारी और प्रथम किस्त जारी की गई
123.	पंजाब	बटिंडा	20	3.1	2.49	0.62	क्रय आदेश जारी और प्रथम किस्त जारी की गइ
124.		पटियाला	60	14.45	11.56	2.89	क्रय आदेश अभी जारी नहीं किया
125.		अमृतसर	93	40.95	20.47	20.47	
126.		जालंधर	128	46.94	37.55	9.38	
127.	राजस्थान	जयपुर	286	124.5	62.25	62.25	क्रय आदेश जारी और
128.	सिक्किम	गंगटोक-नामची क्लस्टर	53	13.25	11.92	1.32	
129.	तमिलनाडु	चेन्नई	350	190	66.5	123.5	क्रय ओदश प्राप्त नहीं हुआ
130.	तेलंगाना	हैदराबाद	422	221.41	77.49	143.92	क्रय आदेश जारी और प्रथम किस्त जारी की गई
131.		महबूब नगर	30	8.4	6.72	1.68	
132.		खम्माम	30	8.4	6.72	1.68	
133.		करीम नगर	70	19.6	15.68	3.92	
134.	त्रिपुरा	अगरतला	100	25.5	22.95	2.55	
135.	उत्तराखंड	देहरादून-मसूरी	102	26.91	21.52	5.38	क्रय आदेश अभी जारी नहीं किया
136.		नैनीताल-हल्द्वानी-रामनगर	83	21.53	17.22	4.3	

1	2	3	4	5	6	7	8
137.		हरिद्वार-ऋषिकेश-रुड़की	80	20.36	16.28	4.07	
138.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	632	310.85	108.8	202.05	
139.		सिलिगुड़ी	80	22.88	18.3	4.57	
140.		जलपाईगुड़ी	60	20.83	16.66	4.16	क्रय आदेश जारी और फण्ड जारी किया गया
141.		आसनसोल	60	17.04	13.63	3.4	
142.		दुर्गापुर	42	11.92	9.54	2.38	
		योग	12000	4730.74	2937.54	1796.244	

कुशन के साथ 2000 बसें

विवरण-V

अनुषंगी अवस्थापना का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	शहर/एस.पी.वी.	अनुषंगी अवस्थापना	प्रस्तावित लागत	प्रतिबंधित परियोजना लागत	ए.सी.ए. अनुमोदित	जारी की जाने वाली प्रथम किश्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	डिपो, आई.टी.एस. एवं नियंत्रण केन्द्र का विकास	28.35	28.35	14.18	7.09
2.		विखाखापत्तनम	डिपो, आई.टी.एस. एवं नियंत्रण केन्द्र का विकास	13.39	13.39	6.7	3.35
3.		तिरुपति	डिपो, आई.टी.एस. एवं नियंत्रण केन्द्र का विकास	5.56	5.56	4.45	2.23
4.		कडप्पा	डिपो एवं आई.टी.एस. का विकास	7	7	5.6	2.8
5.		गुंटूर	डिपो एवं आई.टी.एस. का विकास	7	7	5.6	2.8

1	2	3	4	5	6	7	8
6.		चित्तोर	आई.टी.एस. का विकास	0.75	0.75	0.6	0.3
7.		अनंतपुर	आई.टी.एस. का विकास	1	1	0.8	0.4
8.	असम	गुवाहाटी	आई.टी.एस. एवं डिपो	22.31	20	18	9
9.	बिहार	पूर्णिया	आई.टी.एस. एवं डिपो	4.09	4.09	3.37	1.63
10.		दरभंगा	आई.टी.एस. एवं डिपो	3.32	3.32	1.86	0.93
11.		कटिहार	आई.टी.एस. एवं डिपो	2.63	2.63	2.1	1.05
12.		भागलपुर	आई.टी.एस. एवं डिपो	3.61	3.61	2.89	1.44
13.		बैरगानिया-शिवहर	आई.टी.एस. एवं डिपो	3.33	3.33	2.67	1.33
14.		पटना	डिपो सह टर्मिनल एवं आई.टी.एस. का विकास	4.73	4.73	2.36	1.18
15.		बिहारशरीफ	डिपो सह टर्मिनल एवं आई.टी.एस. का विकास	5	5	4	2
16.		माधेपुरा-सहरसा	टर्मिनल एवं डिपो और आई.टी.एस. का उन्नयन/विकास	3.86	3.86	3.09	1.55
17.		औरंगाबाद-अरवल	टर्मिनल एवं नए डिपो और आई.टी.एस. का उन्नयन	3.44	3.44	2.75	1.38
18.	बिहार	मुजफ्फरपुर	नए टर्मिनल एवं डिपो का विकास और आई.टी.एस.	4.7	4.7	3.76	1.88
19.		जहानाबाद-नवादा	डिपो सह टर्मिनल एवं आई.टी.एस. का विकास	3.37	3.37	2.7	1.35
20.		गया	नए टर्मिनल एवं डिपो का विकास और आई.टी.एस.	2.92	2.92	2.34	1.17
21.		मुंगेर	टर्मिनल एवं डिपो और आई.टी.एस. का उन्नयन/विकास	2.31	2.31	1.85	0.93
22.		भाभुआ-सासाराम	टर्मिनल एवं डिपो और आई.टी.एस. का उन्नयन/विकास	2.94	2.94	2.35	1.18

1	2	3	4	5	6	7	8
23.		बेगूसराय	नए टर्मिनल एवं डिपो का विकास और आई.टी.एस.	3.53	3.53	2.83	1.42
24.		आरा	नए टर्मिनल एवं डिपो का विकास और आई.टी.एस.	4.41	4.41	3.53	1.77
25.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	आई.टी.एस. एवं डिपो	15.96	15.96	7.98	3.99
26.	छत्तीसगढ़	धमतरी क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	0.81	0.81	0.65	0.325
27.		कांकेर क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	0.81	0.81	0.65	0.325
28.		अंबिकापुर क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	2.6	2.6	2.08	1.04
29.		जाशपुरनगर क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	0.43	0.43	0.34	0.17
30.		चिरमिरी क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	0.56	0.56	0.45	0.225
31.		धामधा क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	0.4	0.4	0.32	0.16
32.		खैरागढ़ क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	0.21	0.21	0.17	0.085
33.		रायपुर क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	4.13	4.13	2.07	1.035
34.		राजनांदगांव क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	1.65	1.65	1.32	0.66
35.		रायगढ़ क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	1.68	1.68	1.34	0.67
36.		भिलाई दुर्ग क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	14.37	14.37	11.5	5.75
37.		जगदलपुर क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	0.92	0.92	0.75	0.375
38.		बिलासपुर क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	3.48	3.48	2.78	1.39
39.		कोरबा क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	3.45	3.45	2.76	1.38
40.		जांजगीर नैला क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	0.91	0.91	0.73	0.365

1	2	3	4	5	6	7	8
41.		महासमुंद क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	0.4	0.4	0.32	0.16
42.		कोंडागांव क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	0.44	0.44	0.35	0.175
43.		दंतेवाड़ा क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	0.44	0.44	0.35	0.175
44.		कवर्धा क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	0.8	0.8	0.64	0.32
45.		गोब्रानयापारा क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	0.62	0.62	0.5	0.25
46.		बालोदा बाजार क्लस्टर	आई.टी.एस. एवं डिपो	1.34	1.34	1.07	0.535
47.	गोवा	पणजी	आई.टी.एस. एवं डिपो	5.26	5.26	4.2	2.1
48.	हिमाचल प्रदेश	ऊना-अम्ब संतोखगढ़	आई.टी.एस. एवं डिपो का विकास	3	3	2.7	1.35
49.		धर्मशाला कांगड़ा नगरोटा श्री चमुण्डाजी क्लस्टर	डिपो, टर्मिनल और आई.टी.एस. का विकास	6	6	5.4	2.7
50.		कुल्लू-मनाली क्लस्टर	डिपो, टर्मिनल और आई.टी.एस. का विकास	3	3	2.7	1.35
51.		नूरपुर-जासुसर क्लस्टर	डिपो और आई.टी.एस. का विकास	3	3	2.7	1.35
52.		मंडी-सुंदर नगर जोगिंदर नगर क्लस्टर	डिपो और आई.टी.एस. का विकास	6	6	5.4	2.7
53.		नाहन पोंटा साहिब क्लस्टर	डिपो और आई.टी.एस. का विकास	3	3	2.7	1.35
54.		चंबा डलहौजी	डिपो और आई.टी.एस. का विकास	6	6	5.4	2.7

1	2	3	4	5	6	7	8
		क्लस्टर					
55.	हिमाचल प्रदेश	रामपुर रोहडू क्लस्टर	डिपो और आई.टी.एस. का विकास	6	6	5.4	2.7
56.		बैजनाथ-पालमपुर-जोगिंदर नगर क्लस्टर	डिपो, टर्मिनल और आई.टी.एस. का विकास	6	6	5.4	2.7
57.		नालागढ़-बद्दी-परवानू क्लस्टर	डिपो और आई.टी.एम. का विकास	3	3	2.7	1.35
58.		हमीरपुर-ज्वालामुखी क्लस्टर	डिपो, टर्मिनल और आई.टी.एम. का विकास	6	6	5.4	2.7
59.		बिलासपुर-घुमारवीं-सुंदर नगर क्लस्टर	डिपो और आई.टी.एस. का विकास	6	6	5.4	2.7
60.		शिमला-सोलन क्लस्टर	डिपो, टर्मिनल और आई.टी.एस. का विकास	6	6	5.4	2.7
61.	कर्नाटक	बैंगलोर	छाल्लाघाट्टा, बंगलौर में संभागीय कार्यशाला	27.56	27.56	9.65	10.00
62.			माड़प्पनहल्ली	6.00	6.00	2.10	
63.			हुत्तनहल्ली	6.00	6.00	2.10	
64.			एम.एस. पाल्य	7.50	7.50	2.63	
65.			केनर	6.50	6.50	2.28	
66.			बैरथी	6.00	6.00	2.10	
67.			मण्डया	10.35	6.00	4.80	2.40
68.			रामनगरा	9.39	6.00	4.80	2.40
69.			देवेंगर	15.00	6.00	4.80	2.40

1	2	3	4	5	6	7	8
70.	कर्नाटक		शिमोगा	4.75	4.75	3.80	1.90
71.			भद्रावती	12.00	6.00	4.80	2.40
72.			चित्रदुर्गा	11.00	6.00	4.80	2.40
73.		के.एस.आर. टी.सी.	हसन	11.30	6.00	4.80	2.40
74.			कोलार	14.30	6.00	4.80	2.40
75.			कोलार गोल्ड फिल्ड (के.जी.एफ.)	11.30	6.00	4.80	2.40
76.			मंगलोर	11.30	6.00	4.80	2.40
77.			उडुपी	13.00	6.00	4.80	2.40
78.			तुमकुर	7.00	6.00	4.80	2.40
79.			मैसूर	9.80	6.00	4.80	2.40
80.			बेलगाम	15.00	6.00	4.80	2.40
81.			गूल्बर्गा	4.23	3.38	2.70	1.35
82.		एडब्ल्यूके आरटीसी	रायचूर	4.63	3.70	2.96	1.43
83.			बेलैरी	5.14	4.11	3.28	1.64
84.			बीजापुर	3.91	3.13	2.50	1.25
85.			आईटीएस और नियंत्रण केन्द्र	11.82	11.82	9.46	4.73
86.		एनईकेआरटीसी	आईटीएस और नियंत्रण केन्द्र	6.00	6.00	4.80	2.40
87.	केरल	क्लस्टर-I कोझिकोड़, कलपेट्टा और मलप्पुरम	डिपो का उन्नयन-कोझिकोड़	0.79	0.79	3.04	1.52
88.			डिपो का उन्नयन-कलपेट्टा और मलप्पुरम	0.75	0.75		
89.			आईटीएस एवं नियंत्रण केन्द्र	2.26	2.26		

1	2	3	4	5	6	7	8
90.	केरल		डिपो का उन्नयन-कोट्टायम	0.78	0.78	2.97	1.49
91.		क्लस्टर-II कोट्टायम, थोडुपुझा और पथानामथीट्टा	डिपो का उन्नयन-थोड़पुझा और कथानामथीट्टा	0.67	0.67		
92.				2.26	2.26		
93.			डिपो का उन्नयन-कन्नूर	1.56	6	4.8	2.4
94.		क्लस्टर-III कन्नूर, कासरगोड	डिपो का उन्नयन-कासरगोड	2.21			
95.			आईटीएस एवं नियंत्रण केन्द्र	2.26			
96.			डिपो का उन्नयन-त्रिशूर	0.67	0.67	2.68	1.34
97.		क्लस्टर-IV त्रिशूर और पलक्कड़	डिपो का उन्नयन-पलक्कड़	1.02	1.02		
98.			आईटीएस एवं नियंत्रण केन्द्र	2.26	2.26	2.82	1.41
99.			डिपो का उन्नयन-कोल्लम	0.56	0.67		
100.		क्लस्टर-V कोल्लम और अलाप्पुझा	डिपो का उन्नयन-अलाप्पुझा	0.71	1.02		
101.			आईटीएस एवं नियंत्रण केन्द्र	2.26	2.26		
102.	मध्य प्रदेश	इंदौर	टर्मिनल और आईटीएस का उन्नयन	11.14	11.14	5.57	2.79
103.		जबलपुर	टर्मिनल और आईटीएस का उन्नयन	9.58	9.58	4.79	2.4
104.		देवास	टर्मिनल और आईटीएस का उन्नयन	1.95	1.95	1.56	0.78
105.		बुरहानपुर	टर्मिनल का उन्नयन एवं नए डिपो का विकास और आईटीएस	3.16	3.16	2.53	1.27
106.		गुना	टर्मिनल और आईटीएस का उन्नयन	4.37	4.37	3.49	1.75

1	2	3	4	5	6	7	8
107.		छिंदवाड़ा	टर्मिनल का उन्नयन एवं नए डिपो का विकास और आईटीएस	4.34	4.34	3.47	1.74
108.		सागर	डिपो सह टर्मिनल एवं आईटीएस का विकास	3.75	3.75	3	1.5
109.		कटनी	डिपो सह टर्मिनल एवं आईटीएस का विकास	3.38	3.38	2.7	1.35
110.	महाराष्ट्र	नवी मुंबई	चांसोली में डिपो	19.75			
111.		नवी मुंबई	आईटीएमएस (आईटीएस अवस्थापना)	7.15	20	10	5
112.		सोलापुर	मुख्य डिपो (बुद्धवारपेठ) का विकास	5.58	6	2.97	1.49
113.		सोलापुर	सात रास्ता डिपो का विकास	4.37			
114.		सोलापुर	आईटीएस एवं नियंत्रण केन्द्र	2.26			
115.		मीरा भायंदर	डिपो का उन्नयन	5.61	6	4.8	2.4
116.		मीरा भायंदर	आईटीएस एवं नियंत्रण केन्द्र	5.39			
117.		कल्याण डोम्बिविली	डिपो का उन्नयन/विकास/टर्मिनल	32.11	20	10	5
118.		कल्याण डोम्बिविली	आईटीएस एवं नियंत्रण केन्द्र	6.44			
119.		थाणे	ओवाला में डिपो	30.5			
120.		थाणे	आईटीएस अवस्थापना	8.78	20	10	5
121.		पुणे	डिपो का उन्नयन/विकास/नया टर्मिनल, आईटीएस	12.16	12.16	6.08	3.04
122.		पीसीएमसी	डिपो का उन्नयन/विकास/नया टर्मिनल, आईटीएस	10.36	10.36	5.18	2.59
123.		वसई विरार	डिपो का उन्नयन/विकास/नया टर्मिनल, आईटीएस	35.86	35.86	17.93	8.97
124.		लातूर	डिपो का उन्नयन/विकास/नया टर्मिनल, आईटीएस	10.71	6	4.8	2.4

1	2	3	4	5	6	7	8
125.		पनवेल	डिपो का उन्नयन/विकास/नया टर्मिनल, आईटीएस	4.67	4.67	3.74	1.87
126.		कोल्हापुर	डिपो का उन्नयन/विकास/नया टर्मिनल, आईटीएस	7.08	7.08	5.66	2.83
127.		अमरावती	डिपो का उन्नयन/विकास/नया टर्मिनल, आईटीएस	4.26	4.26	3.41	1.71
128.	मेघालय	शिलांग	आईटीएस एवं डिपो	4.34	4.34	3.9	1.95
129.	ओडिशा	जोंयपोर-कोरापुट	आईटीएस एवं डिपो	4.66	4.66	3.72	1.86
130.		कटक	आईटीएस एवं डिपो	8.26	6	4.8	2.4
131.		बालासोर भद्रक	आईटीएस एवं डिपो	5.5	5.5	4.4	2.2
132.	पुदुचेरी	पुडुचेरी	नए डिपो का विकास, आईटीएस एवं नियंत्रण केन्द्र	6.36	6	3	1.5
133.	पंजाब	भटिंडा	आईटीएस एवं डिपो	8.66	6	4.8	2.4
134.		पटियाला	आईटीएस एवं डिपो	0.9	0.9	0.72	0.36
135.		जालंधर	आईटीएस एवं डिपो	3.96	3.96	3.17	1.59
136.	राजस्थान	जयपुर	मानसरोवर स्कीम (12,000 वर्गमीटर), जयपुर	14.81	6	3	1.5
137.			सीकर रोड (20000 वर्गमीटर)	25.93	6	3	1.5
138.	सिक्किम	गंगटोक	डिपो	3.18	3.18	2.86	1.43
			आईटीएस	2.85	2.85	2.57	1.29
139.	तमिलनाडु	चेन्नई	डिपो एवं आईटीएस का विकास	24.77	24.77	8.67	4.34
140.	तेलंगाना	हैदराबाद	डिपो, आईटीएस एवं नियंत्रण केन्द्र का विकास	56.07	56.07	19.62	9.81
141.		महबूब नगर	आईटीएस का विकास	0.75	0.75	0.6	0.3
142.		खम्माम	आईटीएस का विकास	0.75	0.75	0.6	0.3
143.		करीम नगर	आईटीएस एवं डिपो का विकास	4.95	4.95	3.96	1.98

1	2	3	4	5	6	7	8
144.	त्रिपुरा	अगरतला	आईटीएस एवं डिपो	8.26	6	5.4	2.7
145.	उत्तराखंड	देहरादून-मसूरी क्लस्टर	आईटीएस एवं डिपो	5.83	5.83	5.25	2.63
146.		नैनीताल हल्द्वानी-रामनगर क्लस्टर	आईटीएस एवं डिपो	4.6	4.6	4.14	2.07
147.		हरिद्वार ऋषिकेश-क्लस्टर	आईटीएस एवं डिपो	3.67	3.67	3.3	1.65
148.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	आईटीएस एवं डिपो	25.76	25.76	9.02	4.51
149.		आसनसोल	डिपो एवं आईटीएस	4.48	4.48	3.58	1.79
150.		दुर्गापुर	डिपो एवं आईटीएस	3.13	3.13	2.5	1.25
151.		सिलिगुड़ी	डिपो एवं आईटीएस	5.65	5.65	4.52	2.26
152.		जलपाईगुड़ी	डिपो एवं आईटीएस	2.22	2.22	1.77	0.88
			योग	1035.03	859.85	553.92	276.56

विवरण-VI

एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरी विकास कार्यक्रम (एन.ई.आर.यू.डी.) की सहायता

राज्य	2009-10		2012-13	
	2009-10 में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	जून, 2014 तक जारी कुल फण्ड (रुपय करोड़ में)	2012-13 में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	जून, 2014 तक जारी फण्ड (रुपये करोड़ में)*
1	2	3	4	5
नागालैंड	2	31.72	1	4.48
मिज़ोरम	1	20.81	2	22.04

1	2	3	4	5
मेघालय	1	13.17	1	1.29
सिक्किम	1	20.26	2	6.55
त्रिपुरा	1	14.04	1	16.30

नोट : 1. 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के बाद कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई

2. प्रतिपूर्ति अनुरोधों के आधार पर फण्ड जारी किया जाता है।

विवरण-VII

सात मेगा शहरों के आसपास सेटेलाइट नगरों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम

(लाख रुपये में)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		पास किए गए प्रस्तावों की संख्या	जारी किया गया फण्ड	पास किए गए प्रस्तावों की संख्या	जारी किया गया फण्ड	पास किए गए प्रस्तावों की संख्या	जारी किया गया फण्ड	पास किए गए प्रस्तावों की संख्या	जारी किया गया फण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	2001	-	2098.19	-	-
2.	गुजरात	-	-	-	-	-	707.89	-	1169.74
3.	हरियाणा	-	-	-	-	-	2783.20	-	-
4.	कर्नाटक	1	649.10	-	-	-	-	-	-
5.	महाराष्ट्र	1	1324.52	-	634	-	-	-	1324.52
6.	तमिलनाडु	3	1017.35	-	-	-	902.95	-	-
7.	उत्तर प्रदेश	1	7.32	-	365	-	410.64	-	-

नोट : यू.आई.डी.एस.एस.टी. स्कीम के अंतर्गत इसकी स्थापना के बाद से 17 परियोजनाओं के स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में है। योजना आयोग की सलाह पर जे.एन.एन.यू.आर.एम. के साथ इस स्कीम को विलय करने का निर्णय लिया गया है। फण्ड केवल चल रही परियोजनाओं के लिए जारी किया जाएगा और कोई नई परियोजना नहीं ली जाएगी।

विवरण-VIII

गत तीन वर्षों के दौरान 10% एकमुश्त स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना

क्र.सं.	राज्य का नाम	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		पास किए गए प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत फण्ड (लाख में)	जारी किया गया फण्ड* (लाख में)	पास किए गए प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत फण्ड (लाख में)	जारी किया गया फण्ड* (लाख में)	पास किए गए प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत फण्ड (लाख में)	जारी किया गया फण्ड* (लाख में)	पास किए गए प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत फण्ड (लाख में)	10.07.2014 की स्थिति के अनुसार जारी किया गया फण्ड* (लाख में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	5	3430.37	1228	6	7643.72	2071	3	5216.73	4503	0	0	5.69
2.	असम	1	1613.42	1554	4	2524.10	1988	3	3021.03	621	0	0	0.62
3.	मणिपुर	0	0	1728	0	0	0	0	0	384	0	0	0
4.	मेघालय	2	4781.44	800	0	0	251	0	0	1808	0	0	0
5.	मिज़ोरम	1	2497.00	2999	2	4656.77	3452	0	0	1577	0	0	0
6.	नागालैंड	2	3636.47	1940	0	0	1786	0	0	1197	0	0	2.94
7.	सिक्किम	2	4998.29	2566	0	0	2667	0	0	806	0	0	0
8.	त्रिपुरा	1	2429.29	3585	0	0	2330	1	2497.00	1586	0	0	0

* 10% एकमुश्त स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत फण्ड को परियोजना की प्रगति के आधार पर 3-4 किश्तों में जारी किया जाएगा। जारी किए गए फण्ड को दर्शाती विवरणी में उस विशेष वर्ग में स्वीकृत परियोजनाओं तथा चल रही परियोजनाओं के लिए जारी किया गया फण्ड शामिल है।

विवरण-IX

देश में निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजनाओं, उनकी मौजूदा स्थिति और उनके पूरा होने की समयावधि का परियोजना-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	राज्य	मेट्रो रेल परियोजनओं का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	मौजूदा स्थिति	पूर्णता की लक्षित तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.)	दिल्ली एम.आर.टी.एस फेज-III मुकुंदपुर-युमना विहार (गोकुलपुरी)	55.697		
		जनकपुरी पश्चिम-कालिंदीकुंज	33.494		
		केन्द्रीय सचिवालय-कश्मीरी गेट	9.37		
		जहांगीरपुरी-बादली	4.489		
		फरीदाबाद (हरियाणा) तक विस्तार	13.875	31.05.2014 की स्थिति के अनुसार सिविल कार्यों की प्रगति 47.64% और समग्र प्रगति 34.46% है	मार्च, 2016 तक चरणों में
		मुकुंदपुर का विस्तार-यमुना विहार कोरीडोर से शिव विहार	2.717		
		मुंडका से बहादुरगढ़ तक विस्तार	11.182		
		नजफगढ़ से जोड़न द्वारका से नजफगढ़ तक	4.295		
2.	कर्नाटक	बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना चरण-I	42.3	$	मार्च, 2015 के अंत तक
		बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना चरण-II	72.10	&	2019 के अंत तक
3.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो*	14.67	33.20%	दिसम्बर, 2017**
	राजस्थान	जयपुर मेट्रो रेल परियोजना चरण-I क	9.718	कार्य पूरा होने वाला है	2014 के अंत तक

1	2	3	4	5	6
		मानसरोवर से चांदपोल तक जयपुर मेट्रो रेल परियोजना चरण-I ख चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक	2.349	कार्य शुरू कर दिया गया है।	मार्च 2018 तक
4.	तमिलनाडु	चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना	45.046	चरण-I के लिए मेट्रो चलाने की प्रक्रिया जारी है। जून, 2014 में चरण-I के लिए अनुसंधान डिजाइन औरमानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.) परीक्षिण पूरा कर लिया गया है।	2015 और 2016 तक क्रमशः एलीवेटिड और भूमिगत
5.	केरल	कोच्ची मेट्रो	25.612	नीव का कार्य लगभग 45% पूरा हो गया है	2016 तक
7.	महाराष्ट्र	मुम्बई मेट्रो लाइन-2 (पीपीपी) चारकोप-बांद्रा-मंनकुर्द	31.87	–	@
		मुंबई मेट्रो लाइन-3 (भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार) कोलाबा-बांद्रा एसईईपीजेड	32.50	#	दिसम्बर, 2019
8.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना (पीपीपी)	72	कार्य निर्धारित समय सारणी के अनुसार तेजी से चल रहा है। एक डिपो का कार्य 93% और दूसरे डिपो का कार्य 80% तक प्रगति पर चल रहा है।	जून, 2017

$ 6.7 किमी. का पूर्वी अनुभाग और 10.3 किमी. का उत्तरी अनुभाग क्रमशः 20.10.2011 और 01.03.2014 को वाणिज्यिक प्रचालन हेतु शुरू हो गया है। 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार वास्तविक प्रगति 85% है। 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार वित्तीय प्रगति 83% है।

& प्राथमिक कार्य जैसे भू-अधिग्रहण, मृदा जांच, संरचनाओं का डिजायन आदि आरंभ किये जा चुके हैं। भू-तकनीकी सर्वेक्षण पूरे किये जा चुके हैं।

*परियोजना रेल मंत्रालय (एम.ओ.आर.) को स्थानांतरित कर दी गई है।

**सरेखन, भूमि की उपलब्धता और सामयिक निधि अंतिम रूप दिए जाने के अध्याधीन है।

@ परियोजना अभी आरंभ नहीं हुई है क्योंकि ग्राही, मुंबई मेट्रो ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एम.एम.टी.पी.एल.) ने पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ई.एफ.) द्वारा तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) की निर्धारित निकासी की महत्वपूर्ण शर्तों के कारण कार्य शुरू करने में असमर्थता व्यक्त की है।

ये वास्तविक कार्य 2015 की पहली तिमाही में आरंभ होना है।

विवरण-X

बीएसयूपी प्रत्येक विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिहायशी एककों के लिए प्रस्तावों की स्वीकृति, जारी निधियां, कार्य आरंभ और पूर्णता का ब्यौरा

(1 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	अनुमोदित परियोजना की संख्या	शामिल शहरों की संख्या	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयां	जारी निधियां (करोड़ रुपए में)						रिहायशी पककों के लिए कार्य आरंभ और कार्य पूर्ण						कब्जे वाले रिहायशी एकक
						2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	चालू वर्ष	योग	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	चालू वर्ष	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	अंडमान और निकोबाद द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	22	3	798.09	61,108	573.78	62.53	23.97	-	-	660.29	32,163	7,300	562	231	-	40,256	24,819
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	1	54.46	996	12.67	-	16.24	12.78	12.78	54.46	-	92	8	-	-	100	-
4.	असम	2	1	97.60	2,260	48.80	-	-	-	-	48.80	352	-	64	-	-	416	416
5.	बिहार	3	1	34.91	3,328	78.19	-	-	-	-	78.19	-	352	32	48	-	432	432
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	4	1	444.93	25,728	227.22	147.06	-	4.74	-	379.02	2,112	10,624	-	-	-	12,736	9,959
7.	छत्तीसगढ़	9	1	307.74	17,826	169.29	-	22.37	19.55	-	211.21	-	-	6,624	432	8	7,064	3,045
8.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	दिल्ली	16	1	1,370.04	64,184	357.19	116.04	145.00	150.00	317.03	1,085.27	13,528	1,316	–	–	–	14,844	585
11.	गोवा	–	–	–	–	1.15	–	–	–	–	1.15	–	–	–	–	–	–	–
12.	गुजरात	27	5	1,015.47	1,13,488	656.68	23.41	65.93	114.34	50.21	910.58	64.944	14,812	8,794	8,192	488	97,230	70,431
13.	हरियाणा	2	1	31.18	3,248	31.18	–	–	–	–	31.18	2,014	842	40	–	–	2,896	202
14.	हिमाचल प्रदेश	1	1	11.21	384	4.57	2.80	–	–	–	7.37	–	–	40	136	–	176	–
15.	जम्मू और कश्मीर	5	2	134.44	6,677	36.80	10.35	5.23	–	–	52.38	–	356	69	237	–	662	354
16.	झारखंड	7	2	216.92	10,018	82.18	–	–	–	–	82.18	–	–	–	594	–	594	594
17.	कर्नाटक	18	2	407.96	28,118	214.46	102.29	16.34	50.95	–	384.03	7,753	10,896	1,804	2,616	370	23,439	17,234
18.	केरल	7	2	233.56	23.577	125.37	7.46	32.97	14.06	19.58	199.44	8,720	3,348	1,612	1,496	109	15,285	14,572
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	21	4	320.83	36,902	193.74	32.73	19.06	17.96	–	263.50	4,920	4,161	2,978	2,720	2,298	17,077	2,770
21.	महाराष्ट्र	53	5	2,395.11	1,21,487	1,436.07	313.41	118.08	176.60	38.88	2,083.04	31,547	21,650	3,149	4,905	1,273	62,524	26,532
22.	मणिपुर	1	1	43.91	1,250	10.98	21.96	–	10.98	–	43.91	–	–	70	70	20	800	800
23.	मेघालय	3	1	40.35	768	16.03	10.09	10.09	–	–	36.21	16	48	112	–	–	176	96
24.	मिज़ोरम	3	1	79.73	1,096	27.26	12.80	12.80	6.94	–	59.80	65	31	–	530	110	736	626
25.	नागालैंड	1	1	105.60	3,504	79.20	–	26.40	–	–	105.60	750	520	–	930	1,200	3,400	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26.	ओडिशा	6	2	54.18	2,508	23.49	7.71	8.47	7.05	–	46.72	664	254	123	486	24	1,551	1,359
27.	पुदुचेरी	3	1	83.20	2,964	22.93	7.01	8.08	–	–	38.02	207	151	72	–	192	622	168
28.	पंजाब	3	2	65.25	6,480	26.39	–	21.09	–	–	47.49	140	860	544	784	92	2,420	73
29.	राजस्थान	3	2	172.67	11,151	85.47	–	–	46.18	–	131.64	651	114	–	317	–	1,082	636
30.	सिक्किम	3	1	29.06	254	15.23	6.57	0.70	6.57	–	29.06	–	52	–	–	–	52	–
31.	तमिलनाडु	51	3	1,045.28	92,272	562.05	87.31	163.26	191.27	–	1,003.89	16,849	16,672	6,812	6,433	76	46,842	46,742
32.	तेलंगाना	17	1	725.38	76.371	516.47	134.82	71.06	–	–	722.36	48,873	12,564	–	485	–	61,922	36,440
33.	त्रिपुरा	1	1	13.96	256	13.96	–	–	–	–	13.96	256	–	–	–	–	256	256
34.	उत्तर प्रदेश	67	7	799.23	45,807	639.51	183.98	26.99	26.12	–	876.60	14,070	12,188	3,245	4,053	–	33,556	32,919
35.	उत्तराखंड	8	3	35.85	997	17.61	1.29	2.41	3.14	3.71	28.16	45	9	97	64	–	215	43
36.	पश्चिम बंगाल	109	2	1,927.13	1,51,189	711.46	289.01	294.99	250.51	33.53	1,579.49	45,035	19,670	10,021	17,384	633	92,743	92,264
	कुल योग	479	62	13,095.24	9,16,196	7,017.38	1,580.61	1,111.53	1,109.73	475.73	11,294.98	2,95,674	1,38,882	46,872	53,783	6,893	5,42,104	3,84,367

विवरण XI

आईएचएसडीपी प्रत्येक विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिहायशी एककों के लिए प्रस्तावों की स्वीकृति, जारी निधियां, कार्य आरंभ और पूर्णता का ब्यौरा

(1 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अनुमोदित परियोजना का नाम	शामिल शहरों की संख्या	अतिरिक्त केन्द्रीय की संख्या	अनुमोदित रिहायशी सहायता	ईकाइयां	जारी निधियां (करोड़ रुपए में) रिहायशी पककों के लिए कार्य आरंभ और कार्य पूर्ण 2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग	कब्जे वाले रिहायशी 2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग	एकक
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	अंडमान और निकोबाद द्वीप समूह		1	1	8.90	–	5.53	–	–	–	–	5.53	–	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश		44	33	432.36	27,362	378.43	1.82	40.59	8.23	–	429.07	12,490	2,843	562	2,209	–	18,104	7,679
3.	अरुणाचल प्रदेश		1	1	8.96	176	4.48	–	–	–	–	4.48	–	–	–	–	–	–	–
4.	असम		16	16	70.22	8,668	35.11	–	3.71	–	1.23	40.05	835	435	251	591	133	2,245	1,752
5.	बिहार		32	28	380.79	28,623	81.24	24.11	128.16	–	–	233.51	1,620	577	366	397	7	2,967	–
6.	चंडीगढ़ (यूटी)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़		18	17	158.83	17,922	118.31	–	–	40.53	–	158.85	1,076	1,825	2,811	2,708	796	9,216	3,828
8.	दादरा और नगर हवेली		2	1	3.34	144	1.67	–	–	–	–	1.67	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.	दमन और दीव	1	1	0.58	16	0.29	–	–	–	–	0.29	14	–	–	–	–	14	14
10.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	गोवा	–	–	–	–	–	–	0.70	–	–	0.70	–	–	–	–	–	–	–
12.	गुजरात	40	37	231.07	23,910	125.81	19.95	54.32	28.07	–	228.14	3,207	593	2,189	4,640	469	11,098	3,908
13.	हरियाणा	23	15	193.01	10,643	124.65	29.21	12.43	22.67	–	188.96	5,216	1,819	1,277	550	184	9,046	8,761
14.	हिमाचल प्रदेश	7	7	42.17	1,626	24.39	–	7.69	5.86	–	37.94	–	–	32	337	–	369	141
15.	जम्मू और कश्मीर	49	36	112.75	7,531	44.91	26.75	13.62	11.58	11.14	108.00	–	942	1,677	2,311	–	4,930	4,930
16.	झारखंड	10	10	131.33	11,544	55.05	10.61	–	21.32	–	86.98	–	–	1,285	1,892	191	3,368	2,902
17.	कर्नाटक	34	32	222.58	17,237	149.17	69.42	–	3.17	–	221.76	6,765	7,882	–	2,050	113	16,810	14,044
18.	केरल	53	45	201.60	26,205	130.70	13.14	7.60	12.18	1.55	165.17	10,293	3,175	2,042	1,431	249	17,190	16,910
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	50	48	227.14	20,091	115.73	18.23	16.43	44.12	–	194.52	1,095	448	2,660	3,232	896	8,331	579
21.	महाराष्ट्र	122	87	1,504.16	1,02,071	674.53	52.14	260.89	165.99	9.58	1,163.14	8,494	7,618	6,429	8,094	956	31,591	12,337
22.	मणिपुर	6	6	32.35	2,829	16.33	16.02	–	–	–	32.35	–	832	1,637	50	74	2,593	2,593
23.	मेघालय	3	3	22.43	912	11.21	–	–	4.48	–	15.70	–	48	–	–	–	48	48
24.	मिजोरम	8	6	29.78	1,950	14.89	14.89	–	–	–	29.78	347	473	384	668	5	1,877	1,877
25.	नागालैंड	2	2	41.30	2,761	29.92	–	–	–	–	29.92	480	–	–	265	250	995	505
26.	ओडिशा	38	35	194.53	13,097	92.90	22.80	33.54	13.18	–	162.42	1,853	1,211	1,165	3,014	169	7,412	7,385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27.	पुदुचेरी	1	1	5.48	432	2.74	–	–	–	–	2.74	–	–	–	72	–	72	–
28.	पंजाब	5	4	45.88	5,583	66.77	–	10.16	12.77	–	89.71	–	–	702	348	1,143	2,193	995
29.	राजस्थान	66	57	602.08	43,857	312.69	4.96	90.87	126.99	–	535.50	4,042	1,658	2,822	4,699	194	13,415	9,483
30.	सिक्किम	1	1	17.92	39	8.96	–	8.96	–	–	17.92	–	–	–	39	–	39	39
31.	तमिलनाडु	94	93	400.45	37.715	316.55	11.59	34.48	36.06	–	398.68	19,058	6,033	3,916	2,749	171	31,927	31,683
32.	तेलंगाना	29	23	232.82	11,664	199.64	–	27.63	1.35	–	228.61	8,263	633	241	374	–	9,511	5,924
33.	त्रिपुरा	5	5	38.05	3,115	34.55	–	2.80	0.70	–	38.05	903	663	919	452	7	2,944	2,44
34.	उत्तर प्रदेश	159	136	686.92	40,570	484.25	198.97	4.69	7.86	22.42	718.18	5,461	6,404	3,864	3,685	48	19,462	20,875
35.	उत्तराखंड	21	18	90.57	5,032	45.28	17.47	7.55	2.79	–	73.09	342	666	264	132	–	1,404	763
36.	पश्चिम बंगाल	95	81	709.02	52,666	498.79	147.57	33.07	23.80	–	703.23	28.966	7,988	4,127	2,946	484	44,511	44,495
	कुल योग (आईएच एसडीपी)	1,036	886	7,079.35	5,25,991	4,205.49	699.66	799.89	593.70	45.92	6,344.66	####	54,766	41,622	49,935	6,539	2,73,682	2,07,394

विवरण-XII

आर.ए.वाई.: प्रत्येक विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिहायशी एककों के लिए प्रस्तावों की स्वीकृति, जारी निधियां, कार्य आरंभ और पूर्णता का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	अनुमोदित परियोजना की संख्या	शामिल शहरों की संख्या	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयां	जारी निधियां (करोड़ रुपए में)					रिहायशी पककों के लिए कार्य आरंभ और कार्य पूर्ण		
						2011-12	2012-13	2013-14	चालू वर्ष	योग	2013-14	चालू वर्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबाद द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	5	4	60.20	2.286	–	16.99	9.11	–	29.10	–	–	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	4	4	77.39	1,536	–	–	12.91	–	12.91	–	–	–
4.	असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
5.	बिहार	7	5	297.72	11,296	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़	8	4	121.04	4,313	–	2.03	25.46	14.31	41.80	–	–	–
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	गुजरात	10	6	222.46	9,941	–	–	86.06	–	85.06	–	–	–
13.	हरियाणा	7	6	350.29	7,842	–	–	90.84	18.10	108.94	–	–	–
14.	हिमाचल प्रदेश	1	1	27.62	300	–	–	9.21	–	9.21	–	–	–
15.	जम्मू और कश्मीर	1	1	17.81	369	–	–	6.26	–	6.26	–	–	–
16.	झारखंड	5	4	107.32	4,319	–	–	–	41.18	41.18	–	–	–
17.	कर्नाटक	27	13	771.46	26,961	–	–	265.34	27.41	292.74	–	–	–
18.	केरल	3	3	64.74	2,052	11.57	–	2.32	11.49	25.37	50	–	50
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	10	10	242.30	8,674	31.44	11.21	24.63	28.28	95.56	–	–	–
21.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	मिज़ोरम	1	1	9.49	142	–	3.16	–	–	3.16	–	–	–
25.	नागालैंड	3	3	41.68	1,054	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	ओडिशा	13	4	226.76	9,274	6.07	20.88	32.23	23.20	82.8	–	–	–
27.	पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	पंजाब	2	2	14.19	680	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	राजस्थान	21	16	473.96	17,236	9.20	18.88	80.09	87.57	195.74	1,104	–	1,104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	तमिलनाडु	12	7	101.97	3,618	–	11.57	10.31	17.92	39.80	–	–	–
32.	तेलंगाना	4	2	51.85	2,374	7.42	–	6.84	6.00	20.26	–	–	–
33.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34.	उत्तर प्रदेश	13	11	197.10	5,158	–	11.62	39.36	26.79	77.77	–	–	–
35.	उत्तराखंड	5	5	30.83	735	–	–	–	11.69	11.69	–	–	–
36.	पश्चिम बंगाल	4	4	23.01	772	–	–	4.76	3.00	7.76	–	–	–
	कुल योग	166	116	3,531.18	1,20,912	65.70	96.34	705.73	316.93	1,184.71	1,154	–	1,154

विवरण-XIII

आर.ए.वाई.: प्रत्येक विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिहायशी एककों के लिए प्रस्तावों की स्वीकृति, जारी निधियां, कार्य आरंभ और पूर्णता का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	अनुमोदित परियोजना की संख्या	शामिल शहरों की संख्या	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	अनुमोदित रिहायशी ईकाइयां	जारी निधियां (करोड़ रुपए में)					रिहायशी एककों के लिए कार्य आरंभ और कार्य पूर्ण					कब्जाधीन रिहायशी ईकाइयाँ
						2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग	
1.	राजस्थान	8	1	7.26	5776	2.25	–	–	–	2.25	–	–	3,320	–	3,320	965
2.	कर्नाटक	3	1	2.49	992	–	0.83	–	–	0.83	–	–	–	96	96	–
3.	गुजरात	7	3	102.78	13704	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल योग	18	5	112.53	20,472	2.25	0.83	–	–	3.08	–	–	3,320	96	3,416	965

राजीव ऋण योजना

920. **श्री जैदेव गल्ला:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव ऋण योजना (आर.आर.वाई.) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं एवं योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के क्या मानक हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों से आर.आर.वाई. हेतु उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो योजना की शुरुआत से इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित लाभार्थियों/वितरित ऋण का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से योजना के अंतर्गत संवितरित ऋण की सीमा को बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) राजावी ऋण योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है :

- राजीव ऋण योजना एक केन्द्र क्षेत्र योजना है।
- राजीव ऋण योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) और कम आय समूह (एलाआईजी) श्रेणियों को स्वीकृत ऋण पर शहरी क्षेत्रों में अपने आवास बनाने एवं मौजूदा आवास में विस्तार करने के लिए 5 प्रतिशत (500 आधार पाइंट) की ब्याज सब्सिडी मुहैया कराती है।
- ऋण की उच्च सीमा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 5 लाख और कम आय समूह के लिए 8 लाख है लेकिन ब्याज सब्सिडी ऋण राशि के प्रथम 5 लाख तक सीमित है।
- 12वीं योजना अवधि का लक्ष 1 मिलियन (अथवा 10 लाख) रिहायशी इकाई है। लाभार्थियों के चयन का मापदण्ड आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख है तथा कम आय समूह (एलआईजी) के लिए प्रति वर्ष 1 लाख से 2 लाख तक है।

(ख) और (ग) आज की स्थिति के अनुसार राजीव ऋण योजना के अंतर्गत कोई भी ऋण संवितरित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। स्कीम के अंतर्गत संवितरित ऋण की सीमा बढ़ाने के लिए किसी भी राज्य से कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत-पाक पारेषण लिंक

921. **श्री बैजयंत जे. पांडा:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित क्षमता वाली एक देश से दूसरे देश हेतु ग्रिड इंटर कनेक्शन विकसित करने के लिए अमृतसर और लाहौर के बीच पारेषण लिंक के निर्माण हेतु वार्ता चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस प्रयोजन हेतु समझौता ज्ञापन में शामिल किए जाने वाले प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पारेषण लिंक के कब तक कार्य किए जाने की संभावना है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) से (ग) भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच वाणिज्यिक स्तर पर विद्युत के आयात के लिए सीमा पार अंतर-संबंध स्थापित करने हेतु दोनों देशों में विचार-विमर्श जारी है।

मार्च, 2014 में नई दिल्ली में दोनों देशों के विशेषज्ञों के समूह की तीसरी बैठक में संयुक्त तकनीकी टीम (जेटीटी) और उप समूहों का गठन करने का निर्णय लिया गया है ताकि सीमा पार विद्युत अंतर संयोजन को अंतिम रूप दिया जा सके। समझौता ज्ञापन में किए जाने वाले

प्रावधान जेटीटी और इसके उपसमूहों के विचार-विमर्श के परिणाम पर निर्भर करेगा।

सीमा पार अंतर संयोजन का निर्माण, दोनों पक्षों की ओर से आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण होने की तिथि के लगभग 36 माह बाद होने की संभावना है।

जलवायु परिवर्तन

922. **श्री एन. क्रिष्टप्पा:** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन संबंधी चर्चा में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे मंचों/सम्मेलनों में इस मुद्दे पर हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस मामले पर क्या दृष्टिकोण अपनाया गया एवं क्या समझौते किए गए तथा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है;

(घ) क्या सरकार ने वैश्विक तापन से हुए जलवायु परिवर्तन एवं देश पर इसके दुष्प्रभाव पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) जी हां।

(ख) भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में सकारात्मक, रचनात्मक तथा भविष्योन्मुखी तरीके से इस कन्वेंशन के मूलभूत सिद्धांतों तथा इसके अनुवर्ती निर्णयों के आधार पर सक्रिय रूप से बहुपक्षीय बातचीत करता रहा है। पक्षों के विगत 3 सम्मेलन (सीओपी) डरबन (2011 में 17 सी.ओ.पी.), दोहा (2012 में 18 सी.ओ.पी.) तथा वारसा (2013 में 19 सीओपी) में आयोजित किए गए थे। सी.ओ.पी 17 में, डरबन प्लेटफॉर्म को, वर्ष 2020 तक उत्सर्जन कटौती को बढ़ाने के लिए इस कन्वेंशन के अंतर्गत बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं वाले अन्य कानूनी दस्तावेज पर बातचीत करने के लिए एक प्रोटाकॉल विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, वित्त तथा अनुकूलन के लिए संस्थागत क्रियाविधि का निर्माण किया गया था। बातचीत में सहूलियत हेतु डरबन प्लेटफॉर्म पर एक तदर्थ कार्य समूह (ए.डी.पी.) की स्थापना की गई। दोहा सम्मेलन में, बाली कार्य योजना में अभिकल्पिक बढ़ोतरी के कार्यों के संबंध में निर्णय लिए गए। वियना में हुए सम्मेलन में 2015 के करार पर संभावित निर्णय पर आगे बातचीत की गई। इस संबंध में एक निर्णय लिया गया जिसमें वर्ष 2015 की पहली तिमाही तक प्रस्तुत किए जाने वाले संभावित राष्ट्रीय अंशदानों के लिए घरेलू तैयारियाँ प्रारंभ करने अथवा तेजी लाने के लिए सभी पक्षों को आमंत्रित करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, आई.पी.आर. के मुद्दों तथा क्षमता निर्माण सहित इक्विटी, वित्त प्रौद्योगिकी अंतरण पर बातचीत की गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि, वर्ष 2015 के करार के संबंध में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए रुख पर एडीपी द्वारा यह बातचीत की जा सकती है कि इसे कन्वेंशन के मौजूदा सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही, भारत जी-77 तथा चीन, ब्रेसि (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत तथा चीन) तथा एल.एम.डी.सी. (एकसमान सोच वाले विकासशील देशों) के साथ मिलकर इन मुद्दों को बैठकों तथा सीओपी तथा यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के अन्य मंचों पर बहुत ही बारीकी से उठाता रहा है।

(घ) जी हां।

(ङ) मई, 2012 में यू.एन.एफ.सी.सी.सी. को प्रस्तुत किए गए भारत के द्वितीय नेशनल कम्यूनिकेशन (नेटकॉम) के तत्वावधान में किए गए अध्ययनों तथा वर्ष 2010 में किए गए "जलवायु परिवर्तन तथा भारत : 4 × 4 आकलन-2030 के लिए सेक्टोरल तथा क्षेत्रीय विश्लेषण" शीर्षक वाले वैज्ञानिक अध्ययन में संभावित जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के निहितार्थों तथा प्रभावों का आकलन किया है, जिनके आधार पर कृषि, जल, वनों, स्वास्थ्य, समुद्र सतह

वृद्धि, प्रतिकूल घटनाओं तथा आधारभूत ढांचे पर प्रतिकूल प्रभावों का आकलन किया गया है।

अनिवासी भारतीयों के बच्चों के लिए मेरिट कोटा

923. **श्रीमती मौसम नूर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाड़ी के देशों के भारतीय कामगारों के बच्चों, जो देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हेतु विशेष रूप से अलग से पांच प्रतिशत मेरिट कोटा निर्धारित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) ऐसे संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिसमें उक्त कोटे का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ग) क्या कम आय वाले कामगारों के बच्चों के लिए कोई निश्चित प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) शुल्क ऐसे छात्रों पर लागू हैं जिन्हें इस कोटा के अंतर्गत प्रवेश दिया गया है तथा योजना किस वर्ष शुरू की गई; और

(ङ) क्या उक्त कोटे को अन्य देशों में कार्य कर रहे भारतीयों के बच्चों पर भी लागू किया गया है/किए जाने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विनियम जारी किए हैं कि खाड़ी देशों में काम करने वाले उन भारतीय कामगारों के बच्चों जो भारत में उच्चतर शिक्षा पाना चाहते हों, के लिए 5 प्रतिशत अधिसंख्य कोटा (15 प्रतिशत अधिसंख्य सीटे विदेशी नागरिकों/पी.आई.ओ./एन.आर.आई. में से निर्धारित किया जाए। यह संस्थाओं में पर्याप्त अवसंरचना की उपलब्धता के अध्यधीन है। तथापि, उपर्युक्त प्रावधान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों, योजना और वास्तुकला स्कूलों तथ अन्य प्रमुख तकनीकी संस्थाओं पर लागू नहीं हैं जिनमें विदेशाी छात्रों/वी.आई.ओ./एन.आर.आई. का दाखिला विदेशी छात्रों के प्रत्यक्ष प्रवेश (डी.ए.एस.ए.) के माध्यम से किया जाता है। ऐसा कोई अधिसंख्य कोटा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) में नहीं है।

(ख) ऊपर विनिर्दिष्ट संस्थाओं को छोड़कर यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित सभी संस्थाएं खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए अधिसंख्य स्थानों हेतु विनियमों के अंतर्गत शामिल हैं।

(ग) और (घ) यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा जारी विनियमों के अनुसार खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के बच्चे प्रवासी नागरिकों के समान समझे जाते हैं और उन्हें अप्रवासी भारतीय शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, डी.ए.एस.ए. योजना के अंतर्गत प्रवेश चाहने वाले छात्रों के लिए अलग शुल्क विनियम लागू हैं।

(घ) मौजूदा प्रावधानों के अनुसार किसी भी देश के एन.आर.आई./वी.आई.ओ./विदेशी छात्र यू.जी.सी. और ए. आई.सी.टी.ई. द्वारा विभिन्न संस्थाओं में तथा डी.ए.एस.ए. योजना के अंतर्गत शामिल की गई संस्थाओं में प्रवेश ले सकते हैं।

बांग्लादेश भवन की स्थापना

924. **मोहम्मद फैजल:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में बांग्लादेश भवन की स्थापना के लिए बांग्लादेश को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य क्या हैं एवं इस प्रयोजन के लिए चिह्नित स्थान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों को भी ऐसी ही अनुमति देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई/की जाएगी?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय

कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान के लिए विश्व बैंक की सहायता

925. श्री राजीव प्रताप रूडी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) कार्यक्रम हेतु सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ किसी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है एवं किस दर से वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाएगा;

(ग) एस.एस.ए. के अंतर्गत आवंटित/आवंटित की जाने वाली निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामत: लाभ पाने वाले बच्चों की राज्य/वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी): (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) के साथ विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) 651.00 मिलियन (1006.2 मिलियन यू.एस. डालर के समकक्ष) की राशि के लिए दिनांक 29 मई, 2014 को एक वित्तीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। आई.डी.ए. ऋण दिनांक 27 अगस्त, 2014 से प्रभावी होगा और इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2017 होगी।

यह ऋण दो हिस्सों में उपलब्ध होगा, पहला हिस्सा एस.डी.आर. 544,400,000 के समतुल्य होगा और दूसरा हिस्सा एस.डी.आर. 106,600,000 के समतुल्य होगा। ऋण के दोनों हिस्सों से निकाली गई राशि के लिए क्रमश: 1.25% प्रतिवर्ष और 1.40% प्रतिवर्ष ब्याज देया होगा।

विश्व बैंक से वित्तपोषण एस.एस.ए. के अंतर्गत निधियों के केन्द्रीय भाग का हिस्सा होगा और एस.एस.ए. के लिए कुल केन्द्रीय वित्तपोषण का केवल 3.37% होगा। एस.एस.ए. के अंतर्गत राज्यों का वित्तपोषण केन्द्र राज्य शेयरिंग के अनुसार ही रहेगा अर्थात् सभी राज्यों के लिए 65:35 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 । चूंकि एस.एस.ए. सभी सरकारी स्कूलों को सहायता प्रदान करता है। अत: बच्चों को कार्यक्रम से लाभ होगा।

यौन उत्पीड़न के मामले

926. प्रो. सौगत राय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एच.आर.डी.) एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के अध्यक्ष के विरुद्ध एक मामले सहित मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले विभिन्न स्वायत्त निकायों में कथित यौन उत्पीड़न के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सामने आए प्रत्येक मामले में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या यौन उत्पीड़न के ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है/स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2013 में दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं : (i) एसोसिएट प्रोफेसर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (एस.एल.बी.एस.आर.एस.वी.), नई दिल्ली द्वारा विद्यापीठ के कुल सचिव के विरुद्ध प्राप्त शिकायत। इस मामले में मंत्रालय की शिकायत समिति ने 27 मार्च, 2014 को कुल सचिव को नोटिस जारी होने के 10 दिन के भीतर उत्तर प्राप्त करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कुल सचिव ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट

याचिका दायर की थी और न्यायालय ने प्रतिवादी को 3 जुलाई, 2014 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करने का निदेश दिया था। (ii) पूर्व संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) द्वारा अध्यक्ष एन.आई.ओ.एस. के विरुद्ध प्राप्त शिकायत। इस शिकायत पर मंत्रालय की शिकायत समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक शिकायत समिति गठित की है जिसका गठन विशाखा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में किया गया है। यह समिति मंत्रालय की महिला कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करती है। इसी प्रकार प्रत्येक स्वायत्त संस्था में भी उनकी संस्था की एक ऐसी समिति है।

[हिन्दी]

नदियों का संरक्षण

927. श्री रवनीत सिंह:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न नदियों के प्रदूषण स्तर का नदी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न सरकारों से उनके राज्यों में नदियों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो ओडिशा, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब सहित नदी का राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई एवं इस प्रयोजन के लिए आवंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा नदियों में प्रदूषण की रोकथाम और कमी करने के लिए संबंधित राज्यों के सहयोग से क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने बी.ओ.डी. (जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग) स्तरों, जो जैविक प्रदूषण का एक प्रमुख सूचक है, के आधार पर देश में विभिन्न नदियों के 150 प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की है। विभिन्न राज्यों में प्रदूषित नदी क्षेत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए हैं।

(ख) से (ङ) नदियों का संरक्षण, केन्द्र और राज्य सरकारों का सतत् और सामूहिक प्रयास है। यह मंत्रालय, केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत सहभागिता आधार पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) और एन.जी.आर.बी.ए. (राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण) कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न नदियों के अभिज्ञात क्षेत्रों में प्रदूषण का उपशमन करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। एन.आर.सी.पी. और एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदूषित नदियों के अभिज्ञात क्षेत्रों से लगे शहरों में विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों के लिए राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित राज्य सरकारों से समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं तथा उन्हें निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ-साथ इन कार्यक्रमों के अंतर्गत बजट आबंटनों की उपलब्धता के आधार पर विधिवत मूल्यांकन करने के बाद मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

वर्तमान में एन.आर.सी.पी. और एन.जी.आर.बी.ए. के अंतर्गत 10716.45 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से 21 राज्यों के 199 शहरों की 42 नदियाँ शामिल हैं। मार्च, 2014 के अंत तक, विभिन्न प्रदूषण उपशमन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को 5097.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और एन.आर.सी.पी. और एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रमों के अंतर्गत 1430 अनुमोदित स्कीमों में से 1193 स्कीमें पूर्ण कर ली गई है। इन दोनों कार्यक्रमसें के अंतर्गत अब तक 4957.98 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एम.एल.डी.) की मलजल शोधन क्षमता सृजित की है। एन.आर.सी.पी. और एन.जी.आर.बी.ए. के अंतर्गत परियोजनाओं की अनुमोदित लागत और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इसके अलावा, राज्य सरकारें, अपने स्वयं के बजटीय आबंटनों के अतिरिक्त, शहरी विकास मंत्रालय के जे.एन.एन.यू.आर.एम. (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन) ओर यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. (छोटे और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम) जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की अन्य स्कीमों के अंतर्गत भी विभिन्न नगरों में मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना करने सहित मलनिर्यास अवसंरचना के सृजन के लिए वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर रही है।

विवरण-I

प्रदूषित नदी क्षेत्रों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	नदी का नाम	प्रदूषित क्षेत्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	गोदावरी, कृष्णा, मंजीरा, मूसी, मनेर, नक्कावागू, पेन्नार, और तुंगभ्रदा	9
2.	असम	भरालू, बुरहाईडिहिंग, दीपार बिल और कलौंग	4
3.	चंडीगढ़	अटवा चोइ, पटियाला की राव और सुखना चोइ	3
4.	दिल्ली	यमुना	1
5.	गुजरात	अंबिका, अनस, अमलाखादी, भोगावो, बालेश्वर खादी, धादर, दमन गंगा, खारी, कावेरी, किम, कोलक, मिंधोला, माही, पानम, शेडी, साबरमती और तापी	19
6.	हरियाणा	घग्गर, गुड़गांव नहर, मरकंडा, पश्चिमी यमुना नहर और यमुना	5
7.	हिमाचल प्रदेश	व्यास, मरकंडा और सुखना	3
8.	मध्य प्रदेश	बेतवा, चंबल, क्षिप्रा, खान, कालीसोट, मंदाकिनी, टोन्स और नर्मदा	9
9.	महाराष्ट्र	भीमा, गोदावरी, मूला एवं मूथा, पवाना, पंचगंगा, पातालगंगा, इंद्रायनी, कोयना, कुंडालिका, कालू, कान्हन, कोलार, मिथी, तापी, गिर्ना, नीरा, वेनगंगा, वर्धा, कृष्णा, पूर्णा, नीरा, चन्द्रभागा, वेन्ना, उल्हास, रंगावलि और भत्सा	28
10.	पंजाब	सतलुज और घग्गर	2
11.	तमिलनाडु	अड्यार, कूवम, कावेरी, नोय्यल, वेगई, तंबीरापर्णी, भवानी और पलार	9
12.	उत्तर प्रदेश	यमुना, हिंडन, पश्चिमी काली आंशिक रूप से शामिल, काली नदी (पूर्वी), बागद, गंगा, गोमती, रामगंगा, सरयू और रिहंद	12
13.	कर्नाटक	भ्रदा, तुंग, तुंगभद्रा, लक्ष्मणतीर्थ, काली कृष्णा, हुंडरी, कुंडु, अर्कावटी और मलप्रभा	11

1	2	3	4
14.	मणिपुर	नंबुल	1
15.	राजस्थान	बांदी, बेरेच, जोजरी, चंबल और खेत्री	5
16.	उत्तराखंड	कोसी, ढेला एवं किच्छा और बाहल्ला	3
17.	झारखंड	सुबर्णरेखा और शंख	2
18.	केरल	करमाना, पुझक्कल और कदमब्यार	3
19.	त्रिपुरा	अगरतला नहर और हाओरा	2
20.	बिहार	सिकराना	1
21.	छत्तीसगढ़	अर्पा, सियोनाथ और महानदी	3
22.	मेघालय	खरखाला और उमट्रयू	2
23.	ओडिशा	कठजोडी, ब्राह्मणी, महानदी और कुआखाई	4
24.	पुदुचेरी	अरासलार	1
25.	पश्चिम बंगाल	दामोदर, गंगा और बराकर	3
26.	नागालैण्ड	धनसिरी	1
27.	सिक्किम	डिंकचू, तीस्ता, मने खोला और रानीचू	4
		कुल	150

विवरण-II

मार्च, 2014 तक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं की अनुमोदित लागत और जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	नदी का नाम	परियोजनाओं की अनुमोदित लागत	राज्य सरकारों को जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5
1,2.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	गोदावरी और मुसी	367.51	259.80

1	2	3	4	5
3.	बिहार	गंगा	1281.35	183.21
4.	झारखंड	दामोदर, गंगा और सुवर्णरेखा	103.74	10.72
5.	गुजरात	साबरमती, मिंधोला	364.09	131.76
6.	गोवा	मंडोवी	14.10	9.26
7.	कर्नाटक	भद्रा, तुंग-भद्रा, कावेरी, तुंग और पेन्नर	66.25	47.83
8.	महाराष्ट्र	कृष्णा, गोदावरी, तापी और पंचगंगा	192.60	151.21
9.	मध्य प्रदेश	बेतवा, ताप्ती, वेणगंगा, खान, नर्मदा, क्षिप्रा, बीहड़, चंबल और मंदाकिनी	115.38	79.00
10.	ओडिशा	ब्राहमिणी और महानदी	92.74	61.41
11.	पंजाब	सतलुज एवं व्यास और घग्गर	788.00	419.73
12.	राजस्थान	चंबल	150.96	41.12
13.	तमिलनाडु	कावेरी, अडयार, कूवम, वेन्नार, वेगई और तम्बरणी	915.93	623.65
14.	दिल्ली	यमुना	670.50	297.81
15.	हरियाणा	यमुना	523.50	279.81
16.	उत्तर प्रदेश	यमुना, गंगा, गोमती और रामगंगा	3012.35	1419.69
17.	उत्तराखंड	गंगा	337.52	109.55
18.	पश्चिम बंगाल	गंगा, दामोदर और महानंदा	1500.77	705.12
19.	केरल	पम्बा	18.45	2.78
20.	सिक्किम	रानी चू	181.09	105.41
21.	नागालैंड	डिफु और धनसिरि	82.80	4.50
	कुल		10716.45	5097.50

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

928. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:
श्री बी.वी. नाईक:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संबंधित प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत/रद्द किए गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वार लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान करने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कोई केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित नहीं करता है और साथ ही राज्य-वार आबंटन करने का कोई प्रावधान भी नहीं है। मंत्रालय कुछ केन्द्रीय स्कीमों यथा– अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान की खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) पुरस्कार योजना, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (एस.एस.टी.पी.) और पेटेंट सुगमीकरण प्रकोण्ठ (पी.एफ.सी.) के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करता है और उनसे प्रस्तावों की मांग करता है। विगत तीन वर्षों 2011-12, 2012-13, 2013-14 और चालू वर्ष 2014-15 के दौरान इंस्पायर पुरस्कार, एस.एस. टी.पी. एवं पी.एफ.सी. योजना संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) की इंस्पायर पुरस्कार योजना के अंतर्गत विज्ञान प्रोजेक्ट/मॉडल बनाने के लिए प्रत्येक 5000 रुपए के इंस्पायर पुरस्कार के लिए किसी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश के कक्षा 6 से कक्षा 10 वाले प्रत्येक मध्य एवं उच्च विद्यालय से दो विद्यार्थियों को चयनित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मेघा के आधार पर विद्यार्थियों का चयन विद्यालयों के प्रधानाध्यक/प्राधानाध्यापिका प्राचार्य को शामिल करके किया जाता है। बैंक द्वारा जारी इंस्पायर पुरस्कार अधिपत्र के रूप में पुस्कार की राशि सीधे बच्चों को भेज दी जाती है। पुरस्कार विजेता जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता (डी.एल.ई.पी.सी.) में भाग लेते हैं। जिले की उत्तम प्रविष्टि वाले 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों एवं परियोजना प्रतियोगिता (एस.एल.ई.पी.सी.) में भाग लेने के लिए किया जाता है। न्यूनतम 5 के अध्यधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की उत्तम 5 प्रतिशत प्रविष्टियों का चयन, राष्ट्रस्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता (एन.एल.ई.पी.सी.) में भाग लेने के लिए किया जाता है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है। सभी 29 राज्य/7 संघ क्षेत्र इस स्कीम में भाग ले रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं के आयोजन की संपूर्ण लागत का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। जिला एवं राज्य स्तरों पर प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए इंस्पायर प्रभारी राज्य नोडल अधिकारियों को धनराशि की रिलीज की जाती है।

(ii) डी.एस.टी. के राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (एस.एस.टी.पी.) के अंतर्गत सभी राज्यों के राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को वार्षिक मुख्य अनुदान सहायता प्रदान की गई है। राज्य एस एण्ड टी परिषदों को राज्यों में एस एण्ड टी कार्यकलाप संबंधी योजना, निगरानी और कार्यान्वयन के संबंध में सुकर बनाने के उद्देश्य से मुख्य सहायता प्रदान की गई है। ये मुख्य अनुदान सहायता आंशिक रूप से वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक जनशक्ति, यात्रा, कार्यालय से संबंधित व्यय और आधुनिक कार्यालय उपकरण आदि को कवर करती है।

(iii) डी.एस.टी. की पेटेंट सुगमीकरण प्रकोष्ठ (पी.एफ. सी.) स्कीम के अंतर्गत, राज्य स्तर पर पेटेंट, कॉपीराइट,

भौगोलिक सूचना आदि सहित बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) के संरक्षण के संबंध में जागरूकता पैदा करने और सहायता का विस्तार करने के लिए विभिन्न राज्यों में 26 पेटेंट सूचना केन्द्रों (पी.आई.सी.) को सहायता प्रदान की गई है। ये पेटेंट सूचना केन्द्र अपने संबंधित राज्यों के विश्वविद्यालयों में बौद्धिक संपदा प्रकोष्ठ (आई.पी.सी.यू.) भी सृजित कर रहे हैं। अभी तक राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 84 आई.पी.सी.यू. सृजित किए गए हैं।

राज्यों में गत तीन वर्षों (2011-12, 2012-13, 2013-14) और चालू वर्ष (2014-15, 10 जुलाई, 2014 तक) के दौरान पुरदत्त अनुदान सहायता का स्कीम-वार, वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

(लाख रु. में)

स्कीम का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	जोड़
इंस्पायर पुरस्कार*	15142.79 (243325)	12178.39 (219403)	11479.89 (201945)	983.81 (1448)	39784.88 (666121)
एस.एस.टी.पी.	1480.14	1696.85	1399.95	731.55	5308.49
पी.एफ.सी.	51.62	42.04	55.79	107.55	257.00
जोड़	16674.55	13917.28	12935.63	1822.91	45350.37

*कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सभी राज्यों के इंस्पायर पुरस्कार विजेताओं की संख्या दर्शाते हैं। राशि में डी.एल.ई.पी.सी., एस.एल.ई.पी.सी. और एन.एल.ई.पी.सी. पर किया गया व्यय भी शामिल है।

उपर्युक्त के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के अंतर्गत सांविधिक निकाय, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी.डी.बी.) ने कोच्चि में केरल प्रौद्योगिकी नवोन्मेष जोन स्थापित करने के लिए केरल सरकार से प्राप्त किया है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के द्वारा उसके मानदण्डों के अनुसार उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रस्ताव पर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त तीन स्कीमों के तहत कोई प्रस्ताव रद्द नहीं कियाा गया है।

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों की आवश्यकतानुसार, केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को यथा – समय प्राप्ति और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में मंजूर किया गया है। अत: प्रस्तावों के संबंध में किसी प्रकार की अनिर्णय की स्थिति का अनुमान नहीं है।

प्रशिक्षित शिक्षक

929. श्रीमती वे॰. मरगथम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के अनुसार मौजूदा छात्र शिक्षक अनुपात एवं अपेक्षित शिक्षकों की अतिरिक्त संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) आर.टी.ई. अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद अब तक नियुक्त शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है एवं राज्य-वार कितने पद खाली हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्य योजना बनाई जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (ङ) राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर किए गए विश्लेषण के अनुसार असम, बिहार, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.

ई.), जो नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन शैक्षिक प्राधिकरण है, द्वारा यथा निर्धारित शिक्षक अर्हता रखने वाले व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या नहीं है और शिक्षकों की मांग की तुलना में शिक्षक तैयार करने की क्षमता पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में न्यायालय में लंबित मामलों के कारण शिक्षकों की भरती में विलंब हुआ।

प्रारंभिक शिक्षा हेतु एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू.डी.आई.एस.ई.) 2013-14 (अनन्तिम) के अनुसार पूरे देश में सरकारी स्कूलों में शिष्य-शिक्षक अनुपात 1:26 है।

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर 19.84 लाख शिक्षकों की पुष्टि की गई है जिसकी तुलना में राज्यों/संघशासित प्रदेशों में 31.03.2014 तक 15.06 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। आर. टी.ई. अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के बाद, कुल 4. 76 लाख शिक्षकों के पद भरे गए हैं। सर्वशिक्षा अभियान के अधीन वित्तपोषित, शिक्षकों के राज्य-वार रिक्त पदों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित आधार पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) आयोजित करें जो एक अनिवार्य आवश्यकता है और न्यायालय में लंबित मामलों के समाधान का प्रयास करें ताकि शिक्षकों के रिक्त स्थान अतिशीघ्र भरे जा सकें।

विवरण

एस.एस.ए. के अंतर्गत वित्तपोषित राज्य-वार रिक्त शिक्षक पद

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एस.एस.ए. के अधीन वित्तपोषित शिक्षक पद जिन्हें राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा अभी भरा जाना है
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24
2.	आंध्र प्रदेश	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	925
4.	असम	11256
5.	बिहार	138475
6.	चंडीगढ़	200
7.	छत्तीसगढ़	3023
8.	दादरा और नगर हवेली	485
9.	दमन और दीव	2
10.	दिल्ली	670
11.	गोवा	0
12.	गुजरात	9937
13.	हरियाणा	34
14.	हिमाचल प्रदेश	458
15.	जम्मू और कश्मीर	1883
16.	झारखंड	42436
17.	कर्नाटक	4781
18.	केरल	0
19.	लक्षद्वीप	8
20.	मध्य प्रदेश	25883
21.	महाराष्ट्र	26674
22.	मणिपुर	0
23.	मेघालय	0
24.	मिजोरम	29
25.	नागालैंड	0
26.	ओडिशा	1917
27.	पुदुचेरी	5

1	2	3
28.	पंजाब	0
29.	राजस्थान	12875
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	0
32.	त्रिपुरा	982
33.	उत्तर प्रदेश	145416
34.	उत्तराखंड	3232
35.	पश्चिम बंगाल	46537
	कुल योग	478147

स्रोत: अप्रेजल
नोट: 2014-15

भ्रष्टाचार की शिकायतें

930. श्री निशिकांत दुबे: क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) को भारी संख्या में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शिकायतों की जांच करने के लिए सी.वी.सी. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सी.वी.सी. इन शिकायतों को समबद्ध तरीके से निपटाने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है:-

वर्ष	सामान्य शिकायतों की संख्या	पी.आई.ई.डी.पी.आई.* संकल्प के तहत शिकायतों की संख्या
2011	16929	901
2012	37039	804
2013	31432	698

(*पी.आई.ई.डी.पी.आई.-लोकहित प्रकटन तथा सूचना प्रदाता संरक्षण)

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की शिकायतों पर कार्रवाई संबंधी नीति के अनुसार सी.वी.सी. में प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। शिकायतों (जिनमें पी.आई.ई.डी.पी.आई. संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतें भी शामिल हैं) के प्राप्त होने के बाद उनकी जांच की जाती है और जहां कहीं आयोग द्वारा सतर्कता दृष्टिकोण/भ्रष्टाचार संबंधी विशिष्ट एवं सत्यापित किए जाने योग्य आरोप पाए जाते हैं वहां मामले की जांच करने तथा आयोग को जानकारी देने के लिए समुचित एजेंसी (अर्थात् सी.बी.आई. या संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी) के पास शिकायतें अग्रेषित की जाती हैं। सभी घटकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् प्रशासन सतर्कता संबंधी मामलों में तत्परता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग ने शिकायतों की जांच पूर्ण करने तथा आयोग के पास तत्संबंधी रिपोर्ट भेजने के लिए तीन महीने की अवधि तय की है।

सतर्कता आयोग, मासिक रिपोर्टों तथा वार्षिक रिपोर्टों के जरिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के कार्य निष्पादनों की निगरानी करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा आयोग को प्रस्तुत की गई ये रिपोर्टें न केवल संबंधित संगठन में सतर्कता क्रियाकलाप की मात्रा को दर्शाती है, बल्कि जिस तत्परता के साथ सतर्कता संबंधी मामलों पर कार्रवाई की जाती है तथा शिकायतों पर सुनवाई की जाती है और मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा प्रणाली में सुधार हेतु पहले की जाती हैं, उसे भी प्रतिबिम्बित करती है। इसके अतिरिक्त, संगठनों के मुख्य सतर्कता, अधिकारियों के साथ आयोग वार्षिक जोनल/सेक्टर स्तर की बैठकें भी आयोजित करता है, जहां मुख्य सतर्कता अधिकारियों के कार्य निष्पादन की

समीक्षा की जाती है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग इस अवसर का उपयोग मुख्य सतर्कता अधिकारियों को उन क्षेत्रों की जानकारी देने के लिए भी करता है। जहां सतर्कता प्रक्रिया के निर्बाध व कारगर ढंग से कार्यरत होना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा अधिक ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

दिल्ली मेट्रो में तकनीकी समस्याएं

931. **श्री राम मोहन नायडु किंजरापु:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो के ब्लू और वायलेट लाइनों पर बारम्बार तकनीकी समस्याओं से मेट्रो धीमी गति से चलती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या व्यस्ततम समय के दौरान मेट्रो स्टेशनों पर विशेषकर नोडल स्टेशनों पर बड़ी लंबी लाइन लगना आम बात हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़िया बार-बार खराब रहती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू): (क) जनवरी से जून, 2014 की अवधि में 2013 की सदृश्य अवैध की तुलना में ब्ल्यू लाइन में घटनाओं के कारण समयनिष्टा हानि में 24% की कमी तथा वॉयलेट लाइन में घटनाओं के कारण समयनिष्टा हानि में 68% की कमी आई है।

(ख) मेट्रो स्टेशन में तलाशी और सामान की जांच-परख के कारण लाइनें लगती हैं। इनकी नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। अधिक भीड़-भाड़ से निपटने के लिए 2013-14 की अवधि के दौरान 30 अतिरिक्त डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स तथा 39 एक्स-रे बैगेज स्केनर मशीनें अवस्थापित की गईं।

(ग) डी.एम.आर.सी. ने सूचित किया है कि जनवरी से जून 2014 की अवधि में 2013 की सदृश्य अवधि की तुलना में स्वचालित सीढ़ियां खराब होने की घटनाओं में 22% की कमी आई है। माह जून, 2014 में स्वचालित सीढ़ियों की विश्वसनीयता 99.92% रही है।

(घ) उपर्युक्त प्रत्येक घटना की डी.एम.आर.सी. द्वारा निगरानी, आकलन किया जाता है तथा ऐसी घटनाओं को रोकने/इनकी पुनरावृत्ति में कमी के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

चीनी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा

932. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में छोटे उद्योगों को चीन से आयातित उत्पादों से जबरदस्त चुनौती/प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने और उक्त चुनौतियों से जूझ रहे सूक्ष्म और छोटे उद्योगों की सहायता करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): (क) जी, हां। भारतीय लघु उद्योगों को चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है जो चीन से भारत के आयात में हुई उच्च वृद्धि से स्पष्ट है। भारत में मुख्य रूप से लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) द्वारा विनिर्मित 8 प्रमुख उत्पाद समूहों के संबंध में वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशक द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, 2010-11 से 2013-14 के दौरान बाकी सभी देशों की तुलना में चीन से उनका आयात अधिक उच्च दर से बढ़ा। चूंकि 2013-14 में इन 8 उत्पाद समूहों का चीन से भारत के कुल आयातों में 68 प्रतिशत का योगदान है, बहुत से भारतीय लघु उद्योगों को बाकी देशों की तुलना में चीन से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इन उत्पाद समूहों में एक ओर इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक्स, मैकेनिकल तथा मेटालर्जिकल उत्पाद हैं वहीं दूसरी ओर रसायन, ग्लास व सिरेमिक्स से संबंधित उत्पाद हैं।

(ख) से (घ) इस समस्या से निपटने और चीन तथा अन्य देशों से हो रहे आयातों के साथ प्रभावी ढंग से

प्रतिस्पर्धा करने में सूक्ष्म और लघु उद्योगों की मदद करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। इनमें से कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एन.एम.सी.पी.), क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, बाजार विकास सहायता योजना और अनुषंगीकरण के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम शामिल हैं। ये योजनाएं/कार्यक्रम एम.एस.एम.ई. के विकास में सहायता करते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाते हैं और परिणामस्वरूप इससे निर्यात बढ़ता है।

जिन आयातों से भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार को अनुचित रूप से प्रभावित करने की पुष्टि हो चुकी है, सरकार ऐसे आयातों को प्रतिबंधित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के तहत अनुमत्य एंटी-डंपिंग ड्यूटी भी लगाती है। सरकार अन्य देशों से आयातों में हो रही वृद्धि से घरेलू उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी भी लगाती है। इन प्रक्रियाओं को क्रमशः डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलायड ड्यूटीज (डी.जी.ए.डी.) और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेफगार्ड्स (डी.जी.एस.जी.) द्वारा संचालित किया जाता है।

[अनुवाद]

डिग्री कार्यक्रम की अवधि

933. **डॉ. थोकचोम मेन्या:**
श्री राजेश रंजन:
श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री कार्यक्रम की अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त डिग्री कार्यक्रम को लागू करने से पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) से अनुमोदन प्राप्त हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में यू.जी.सी. और विश्वविद्यालय के बीच समन्वय की कमी के कारण इस प्रकार के विवाद उभरे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो देश में शैक्षिक संस्थाओं के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया था कि इसके द्वारा वर्ष 2013-14 में चार वर्षीय अवर-स्नातक कार्यक्रम छात्रों को बहु निकास प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था जहां कोई छात्र दो वर्ष के डिप्लोमा के बाद, तीन वर्ष की अवर-स्नातक डिग्री के बाद और चार वर्ष की अवर-स्नातक (ऑनर्स) डिग्री के बाद बाहर जा सकता था।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक की उपाधि के नाम से अपने नए अवर स्नातक कार्यक्रम हेतु एक नई नाम पद्धति की मान्यता के लिए अनुमोदन हेतु दिनांक 5 अप्रैल, 2013 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र लिखा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 1 मई, 2013 के पत्र द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय को सूचित किया था कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित नाम पद्धति को नहीं बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियत की धारा 22 के तहत आयोग द्वारा पहले से निर्दिष्ट की गई डिग्रियों की सूची में से कोई भी उपयुक्त नाम पद्धति को अंगीकार कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने 20 जून, 2014 को यू.जी.सी. को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी किए थे कि राष्ट्रीय नीति द्वारा परिकल्पिक 10 + 2 + 3 पद्धति का सभी विश्वविद्यालयों द्वारा पालन किया जाए। चूंकि ये एफ.वाई.यू.पी. देश में चल रहे वर्तमान 3 वर्षीय कार्यक्रम से एक बड़ा विचलन था, यू.जी.सी. ने यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 12 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय को 22 जून, 2014 को निर्देश जारी किए जिसमें इस विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में सामान्य डिग्री कार्यक्रमों में 2014-15 के शैक्षिक सत्र में अवर स्नातक कार्यक्रम के लिए दाखिला केवल 3 वर्ष के लिए होगा,

जो एफ.वाई.यू.पी. को आरंभ करने से पहले प्रदान किया गया था। यू.जी.सी. ने यह भी सूचित किया है कि इसने 11 जुलाई, 2014 को देश में सभी विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 22 का पालन करने के लिए एक नोटिस जारी किया था।

विदेशी जेलों में बंद भारतीय

934. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि कई भारतीय नागरिक कोई अपराध किए बिना विदेशी जेलों में बंद पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या संबंधित देशों के भारतीय दूतावासों के पास ऐसे लोगों का ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का परामर्शी, कानूनी और वित्तीय सहायता देकर इनकी रिहायी सुनिश्चित करने में संबंधित देशों के साथ परामर्श कर प्रभावी कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) व्यथित भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए अनुरोधों/अपीलों पर विदेशों में स्थिति भारतीय मिशन/पोस्ट त्वरित कार्रवाई करते हैं। जैसे ही भारतीय मिशन/पोस्ट को भारतीय नागरिक के हिरासत/गिरफ्तारी में होने से संबंधी सूचना प्राप्त होती है तो मिशन तत्काल स्थानीय विदेशी कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों से संपर्क करते हैं ताकि हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक को कॉन्सुलर सहायता प्रदान की जाए और उसके भारतीय नागरिक होने की पुष्टि की जाए एवं उसके कल्याण संबंधी कदम उठाए जाए। कुछ देशों में जहां नि:स्वार्थ वकीलों की सेवाएं उपलब्ध हैं वहां मिशन भारतीय कैदियों को कानूनी सहायता मुहैया कराने के वास्ते उनकी मदद लेता है। भारत सरकार कुछ मामलों में उच्च प्रारंभिक कानूनी सहायता भी मुहैया करवाती है।

हमारे मिशनों द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं : केस के शीघ्र निपटान हेतु स्थानीय प्राधिकरणों को अनुरोध करना, सजा से छूट दिलवाना, कानूनी एवं अन्य मामलों में परामर्श देना, विदेशी जेलों में मानवोचित व्यवहार को सुनिश्चित करना, आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करवाना और जिन्हें छोड़ दिया गया है उनकी स्वदेश वापसी हेतु प्रावधान करना। कुछ देशों में हमारे मिशन स्थानीय सरकार को गिरफ्तार भारतीयों की मुआफी संबंधी अनुरोध करते हैं और भारतीय कैदियों के पारिवारिक सदस्यों से प्राप्त यदि कोई दया याचिका प्राप्त होती है तो मिशन उसे स्थानीय प्राधिकरणों को उक्त पर विचार करने के लिए आगे प्रेषित करते हैं।

[हिन्दी]

परमाणु संयंत्र स्थल पर विकिरण का रिसाव

935. **श्री सुनील कुमार सिंह:**
श्री छोटेलाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के किसी परमाणु संयंत्र में विकिरण अथवा अन्य प्रकार के रिसाव की घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आपात निकास हेतु पर्याप्त सड़क बनाने, इलाज हेतु सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने, कामगारों और स्थानीय लोगों को बीमा कवर देने इत्यादि मामले में ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए बनायी गयी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य

मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) देश में पिछले तीन वर्षों में किसी भी नाभिकीय विद्युत संयंत्र से पर्यावरण में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ए.ई.आर.बी.) द्वारा निर्धारित की गई प्राधिकृत सीमा से अधिक विकिरण का रिसाव होने की कोई घटना नहीं हुई है।

(ग) सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के पास ए.ई.आर. बी. द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित और जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित स्थल से परे होने वाली आपातस्थिति से निपटने की तैयारी संबंधी योजना है। इस आपातकालीन तैयारी योजना में, आपातस्थिति के दौरान कार्रवाई करने में शामिल संयंत्र के विभिन्न प्राधिकारियों और राज्य की एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। संदूषण के फैलाव के आधार पर, प्रभावित क्षेत्र में की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई जिसमें आश्रय प्रदान करना, आयोडीन गोलियों का वितरण, खाद्य सामग्री का नियंत्रण अथवा उस क्षेत्र को खाली कराना शामिल हो सकता है, की जाती है। इस योजना में क्षेत्र को खाली कराने के मार्ग भी निर्धारित होते हैं। योजना के वैधीकरण और इसमें किसी सुधार के उद्देश्य से आपातस्थिति से निपटने संबंधी ये अभ्यास भी नियमित अंतराल पर किए जाते हैं। सभी प्रकार की प्रशासनिक एवं प्रबंधन की व्यवस्था/पर्यवेक्षण राज्य सरकार के प्राधिकरणों द्वारा की जाती है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थलों के अस्पताल विकिरण से प्रभावित रोगियों को संभालने के लिए सुसज्जित हैं।

किसी नाभिकीय दुर्घटना के घटित होने की स्थिति में दिया जाने वाला मुआवजा, नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। सभी भारतीय नाभिकीय रिएक्टर स्थलों पर अत्यधिक कड़ी संरक्षा प्रणालियां और क्रियाविधियां मौजूद हैं। हमारे नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (एन.पी.पीज़) में किसी ऐसी अत्यधिक असंभाव्य दुर्घटना जिसमें आम जनता पर पड़ने वाले विकिरण के तीव्र प्रभाव की स्थिति में तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करना आवश्यक हो, की संभावना नहीं है।

यहां तक कि, फुकुशिमा-डायची दुर्घटना के मामले में भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन (अत्यन्त परंपरावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए) के संबंध में फरवरी, 2013 में जारी की गई रिपोर्ट यह दर्शाती है कि, "फुकुशिमा-डायची दुर्घटना के परिणामस्वरूप कर्मचारी विकिरण के पड़ने वाले किसी तीव्र प्रभाव से प्रभावित नहीं हुए हैं।" रिपोर्ट की गई सात कर्मचारियों की मौतों में से कोई भी मौत विकिरण के प्रभाव के कारण नहीं हुई है, और जनसामान्य पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव व्यावहारिक रूप से नगण्य है। इसी प्रकार, 'परमाण्विक विकिरण के प्रभाव' विषय पर 'संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक समिति' (यू.एन.एस.सी. ई.ए.आर.) के मई, 2013 में आयोजित 60वें सत्र के बाद जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति इस सत्र के निष्कर्ष की रिपोर्ट देती है :

'फुकुशिमा-डायची में हुई नाभिकीय दुर्घटना के बाद हुए विकिरण के प्रभाव के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य पर कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़े थे। भविष्य में इसके कारण आम जनता तथा कर्मचारियों की बड़ी संख्या पर स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।' इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि, 'कुल मिलाकर, जापान की जनसंख्या पर विकिरण का प्रभाव कम या बहुत कम था, जिसके परिणामस्वरूप उनमें आने वाले जीवन में स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी उसी अनुपात में कम होंगे।' इन दो महत्वपूर्ण रिपोर्टों की मदद से इस तथ्य को दोहराया जा सकेगा कि नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के कारण आम जनता द्वारा विकिरण के तीव्र प्रभावों का सामना किए जाने की गुंजाइश बहुत कम है।

परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी

936. श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री रवनीत सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य प्रमुख देशों की तुलना में देश में कुल बिजली उत्पादन में भारतीय परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) उन परमाणु संयंत्रों की संख्या कितनी है जो देश में कार्यरत हैं और उनकी बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी है एवं प्रत्येक संयंत्र कहां अवस्थित हैं; और

(ग) क्षमता और स्थान सहित निर्माणाधीन परमाणु संयंत्रों की संख्या कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) वर्ष 2013 में कुल बिजली उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग 3.5% था। कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान, नाभिकीय विद्युत उत्पादन करने वाले कुछ देशों में विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का हिस्सा निम्नानुसार है :

देश	वर्ष 2013 में नाभिकीय हिस्सा (%)
संयुक्त राज्य अमरीका	19.4
इंग्लैण्ड	18.3
रूसी परिसंघ	17.5
फ्रांस	73.3
कोरिया	27.6
जर्मनी	15.4
चीन	2.1

स्रोत : पी.आर.आई.एस. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.)

(ख) देश में 20 नाभिकीय विद्युत संयंत्र यूनिटों की कुल स्थापित क्षमता 4780 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, कुडनकुलम, तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र (के.एन.पी.पी.) के 1000 मेगावाट क्षमता के यूनिट-1 को 22 अक्तूबर, 2013 को ग्रिड के साथ जोड़ा गया।

इस संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है :

अवस्थिति एवं राज्य	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
	टी.ए.पी.एस.-1	160
तारापुर, महाराष्ट्र	टी.ए.पी.एस.-2	160
	टी.ए.पी.एस.-3	540
	टी.ए.पी.एस.-5	540
	आर.ए.पी.एस-1*	100*
रावत भाटा, राजस्थान	आर.ए.पी.एस-2	200
	आर.ए.पी.एस-3	220
	आर.ए.पी.एस-4	220
	आर.ए.पी.एस-5	220
	आर.ए.पी.एस-	220
कलपाक्कम,	एम.ए.पी.एस.-1	220
तमिलनाडु	एम.ए.पी.एस.-2	220
नरोरा, उत्तर प्रदेश	एन.ए.पी.एस.-1	220
	एन.ए.पी.एस.-2	220
काकारापार, गुजरात	के.ए.पी.एस.-1	220
	के.ए.पी.एस.-2	220
कैगा, कर्नाटक	कैगा-1	220
	कैगा-2	220
	कैगा-3	220
	कैगा-4	220

* *आर.ए.पी.एस. #1 (100 मेगावाट)* तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए अक्तूबर, 2004 से शटडाउन की अवस्था में है।

(ग) एक रिएक्टर, के.के.एन.पी.पी. यूनिट-2 (1000 मेगावाट) कमीशनिंग की अवस्था में है, और पांच अन्य रिएक्टर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है :

यूनिट	अवस्थिति एवं राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
के.ए.पी.एस.-3	काकरापार, गुजरात	700

1	2	3
के.ए.पी.एस.-4		700
आर.ए.पी.एस-7	रावतभाटा, राजस्थान	700
आर.ए.पी.एस-8		700
पी.एफ.बी.आर	कलपाक्कम, तमिलनाडु	500

के.ए.पी.एस. – काकरापार परमाणु बिजलीघर,
आर.ए.पी.एस – राजस्थान परमाणु बिजलीघर
पी.एफ.बी.आर – प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

[अनुवाद]

समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित करना

937. डॉ. एम. तंबिदुरै: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित करने हेतु परियोजना सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में स्थापित पानी का खारापन समाप्त करने वाले संयंत्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इनकी क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का देश में ऐसे और संयंत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित करने की लागत का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र और राज्यों के बीच लागत हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) जी हां। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.), पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ई.एस.एस.ओ.) ने समुद्री जल को पेयजल में बदलने के लिए निम्न तापमान वाली तापीय विलवणीकरण (एल.टी.टी.डी.) प्रौद्योगिकी पर आधारित विलवणीकरण संयंत्रों को स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित एवं प्रदर्शित किया है। एल.टी.टी.डी. एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सतह के ऊष्ण समुद्री जल को निम्न दाब पर तेजी से वाष्पित किया जाता है तथा वाष्प को ठण्डे गहरे समुद्री जल के साथ संघनित किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लिए प्रभावी और उपयुक्त पाई गई है।

(ख) देश में तीन एल.टी.टी.डी. संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किए जा चुके हैं, जिनमें संघ शासित लक्षद्वीप के कावारती, मिनिकॉय, और अगाती द्वीपसमूह प्रत्येक में लगाए गए एक-एक संयंत्र शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक एल.टी.टी.डी. संयंत्रों की क्षमता प्रतिदिन एक लाख लीटर पेयजल तैयार करने की है।

(ग) जी हां।

(घ) तूतीकोरिन तापीय विद्युत स्टेशन, तमिलनाडु में प्रतिदिन 2 मिलियन लीटर पेयजल (2 एम.एल.डी.) का उत्पादन करने की क्षमता वाले एक प्रोटोटाइम एल.टी.टी.डी. संयंत्र को स्थापित करने का कार्य शुरू किया जा चुका है। लक्षद्वीप प्रशासन ने ई.एस.एस.ओ.-एन.आई.ओ.टी. से बाकी बचे हुए छह द्वीपसमूहों में समान संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में ई.एस.एस.ओ.-एन.आई. ओ.टी. ने लक्षद्वीप प्रशासन को ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट भेज दी है।

(ङ) प्रति लीटर विलवणीकरण की लागत, इसमें उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी और विद्युत लागत पर निर्भर करेगी जो हर स्थान पर अलग-अलग होती है। एल. टी.टी.डी. प्रौद्योगिकी के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए लागत आकलन के अनुसार, द्वीप में स्थापित संयंत्रों के लिए प्रति लीटर विलवणीकृत पेयजल की प्रचालनात्मक लागत सरकार द्वारा पित किए गए संयंत्रों के लिए लगभग 61 पैसे है। लक्षद्वीप में स्थापित संयंत्रो के लिए पैसे पूर्ण रूप से केन्द्र द्वारा दिए गए है।

[हिन्दी]

स्ट्रीट वेंडर एक्ट

938. श्री ओम बिरला: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "दी स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) एक्ट" प्रभावी हो गया है।

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम में पथ विक्रेताओं हेतु उल्लेखनीय सुविधाओं का ब्यौरा क्या है,

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पथ विक्रेताओं को सुविधाएं प्रदान की हैं; और

(घ) उन राज्यों, जिन्होंने इस अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया है, यदि कोई हो, के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए प्रस्तावित कदम क्या हैं?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 में पथ विक्रेताओं के आवधिक सर्वेक्षण, मनमाने रूप से खाली कराने से संरक्षण और पुनः बसाना, विक्रेता प्रमाण पत्र जारी करना, माल को जब्त करने और पुनः दावा करने की प्रक्रिया, विवाद निपटान प्रक्रिया आदि का प्रावधान है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान को कार्यान्वित करने के लिए इसके अंतर्गत नियम एवं योजना बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने और उन्हें अधिसूचित करने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

त्वरित उद्भवन कार्यक्रम

939. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम देश में त्वरित उद्भवन कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम किस हद तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ओडिशा सहित देश के विभिन्न भागों में उक्त कार्यक्रम के तहत लाभान्वित हुए युवाओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या त्वरित उद्भवन के एन.एस.आई.सी. मॉडल को विश्व के किसी विकासशील देश ने अपनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): (क) से (ग) महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम लिमिटेड (एन. एस.आई.सी.) देश में त्वरित उद्भवन (इंक्यूबेशन) कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की त्वरित उद्भवन (इंक्यूबेशन) की मुख्य विशेषताएं हाथोंहाथ प्रशिक्षण और उद्यम विकास उपलब्ध करवाने के रूप में उद्यम निर्माण और एकीकृत सहायता के लिए कौशल प्राप्त करने हेतु प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को अवसर उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार सृजन और कौशल विकास की व्यवस्था करना है।

इस कार्यक्रम को कुछेक स्थानों पर प्रायोगिक आधार पर शुरू किय गया है जहां स्वरोजगार के लिए युवाओं के प्रशिक्षण के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा सहित देश के विभिन्न भागों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित युवाओं की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	लाभान्वित युवाओं की संख्या
2011-12	2900
2012-13	3984
2013-14	3502

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के त्वरित उद्भवन (इनक्यूबेशन) के मॉडल का विकासशील देशों द्वारा अच्छी तरह स्वीकार किया गया है। कई प्रतिनिधिमंडलों ने विगत वर्षों में केन्द्रों का दौरा किया और ऐसे केन्द्रों को अपने देश में स्थापित करने की इच्छा जाहिर की। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने इथोपिया तथा बरूण्डी में उद्भवन (इनक्यूबेशन) केन्द्रों को स्थापित किया है। रवांडा, बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, गाम्बिया, जिम्बाव्वे, गेबन, मिश्र तथा लिबिया में ऐसे केन्द्रों की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

भारी जल का उत्पादन

940. **श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का हजीरा में भारी जल के उत्पादन के लिए एक और इकाई लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि आबंटित की गई है; और

(घ) इस संयंत्र के कब तक उत्पादन शुरू करने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के एक संघटक यूनिट भारी पानी बोर्ड (एच.डब्ल्यू.बी.) ने, अपनी भारी पानी उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए अमोनिया हाइड्रोजन विनिमय प्रक्रिया पर आधारित, अपने मौजूदा भारी पानी संयंत्रों में से एक में भारी पानी के उत्पादन हेतु एक अतिरिक्त स्ट्रीम की स्थापना के लिए विकल्पों के तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन हेतु एक गतिविधि प्रारंभ की है। हजीरा स्थित भारी पानी संयंत्र को अमोनिया की मात्रा मैसर्स कृभको, हजीरा के संयंत्र से प्राप्त होती है। मैसर्स, कृभको, हजीरा से उनके द्वारा उस नए अमोनिया संयंत्र के लगाने की उनकी योजना के बारे में पुष्टि करने के लिए सम्पर्क किया गया है, जो हजीरा में भारी पानी उत्पादन के लिए अतिरिक्त स्ट्रीम हेतु फीड दे सके।

(ग) ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, निधि की आवश्यकता का विस्तार से विवरण दिया जाएगा।

(घ) परियोजना की संस्वीकृति के बाद इसके क्रियान्वयन में पांच वर्ष लगने की संभावना है।

[हिन्दी]

मानित विश्वविद्यालय

941. **श्री हुकुम सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए क्या नियम/मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने मानित विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विश्वविद्यालयों में छात्रों के उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्राप्त प्रस्तावों की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के खण्ड 4. 0 में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाती है। इसका ब्यौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जी, हां। संस्थानों को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने; संदेहास्पद गुणवत्ता वाली संस्थानों को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने पर प्रतिबंध लगाने तथा विश्वविद्यालय की अवधारणा के अनुरूप सम-विश्वविद्यालयों द्वारा लगातार प्रदान की जाने वाली उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता का अनुरक्षण करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से विनियमित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 अधिसूचित किए। वर्ष 2010 के विनियम

अधिसूचित किए जाने के बाद केवल एक ही संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 23.04.2007 की सार्वजनिक सूचना, दिनांक 07.06.2007 के पत्र एवं इसके बाद दिनांक 22.06.2011 के पत्र के माध्यम से सम-विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिए कि उनके द्वारा मूल प्रमाण-पत्रों को अपने पास न रखा जाए और विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम से नाम वापस लेने पर संपूर्ण फीस वापस लौटाई जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 को संशोधित भी किया है, जिनमें सम-विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों की प्रताड़ना पर रोक लगाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन संशोधित विनियमों के अनुसार सम-विश्वविद्यालयों को दाखिला प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व अनिवार्य तौर पर एक विवरणिका का प्रकाशन करना होगा, जिसमें शुल्क-संरचना, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदित सीटों की संख्या, अभ्यार्थियों की आयु-सीमा निर्धारण इत्यादि का उल्लेख होना चाहिए। इन विनियमों में सम-विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई है, जहां विद्यार्थियों को उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने का दावा करते हुए दाखिला लेने के लिए आकर्षित किया जाता है, जबकि उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत समाधान) विनियम, 2012 भी जारी किए गए हैं, जिनमें घोषित दाखिला नीति में विनिर्दिष्ट अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्था की तरफ से अनुमोदित शुल्क से अधिक राशि की मांग किए जाने सहित शिकायतों के समाधान का प्रावधान किया गया है। इन विनियमों में लोकपाल के माध्यम से शिकायतों के समाधान का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

झूठे विज्ञापन

942. श्री प्रताप सिम्हा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय ने देश में झूठे विज्ञापन के प्रचलन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ उपायों संबंधी उनके विचार जानने के लिए हाल ही में एक बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन कंपनियों की पहचान की है जो विज्ञापनों के जरिये प्रतिबंधित ब्रांडों को बढ़ावा देने के दोषी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे झूठे विज्ञापन को रोकने के लिए क्या विनियामक तंत्र लगाए जाने हैं ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) तंबाकू और मदिरा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उतारे गए उत्पादों से भिन्न तंबाकू और मदिरा उत्पादों के ज़ायज ब्रैंड विस्तार को परिभाषित करने का मुद्दा कुछ समय से मंत्रालय के विचाराधीन है।

सरकार द्वारा तंबाकू और मदिरा उत्पादों के प्रतिनिधि विज्ञापन (अप्रत्यक्ष विज्ञापन) से भिन्न ज़ायज ब्रैंड विस्तार (तंबाकू और मदिरा उत्पादों के नाम के साथ जुड़े ब्रैंड) पर टीवी विज्ञापनों के मुद्दे की जांच के लिए सचिवों की एक समिति गठित की थी। उपभोक्ता मामले विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, विधायी कार्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और राजस्व विभाग को एक नोट परिचालित किया गया था। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विचारों को शामिल करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

सचिवों की समिति ने 22.01.2013 को आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के विचारों पर विचार किया और निम्नलिखित सिफारिशें की :

1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय फरवरी, 2009 की अधिसूचना में शामिल शर्तों की एक माह के भीतर समीक्षा करें और इसे प्रचालित करने के संबंध में निर्णय लें और मंत्रिमंडल सचिवालय को सूचित करे।

2. यदि सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसी समझौते पर

पहुंचने में असमर्थ होते हैं तो मामले को विचारार्थ मंत्रियों की समिति के समक्ष फिर से लाया जाए।

3. तंबाकू तथा मदिरा दोनों उत्पादों के लिए ज़ायज ब्रैंड विस्तार पर विज्ञापन से संबंधित मुद्दे को एक साथ हल किया जाता रहेगा।

(ग) और (घ) निजी सेटैलाइट/केबल टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के प्रसारण को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। विज्ञापन संहिता के नियम 7(2) (viii) (क) में व्यवस्था की गई है कि ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जो सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, मदिरा, शराब, लिकर और अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन, बिक्री या उपभोग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे।

परन्तु, यदि कोई उत्पाद ऐसे किसी ब्रैंड नाम या लोगों का प्रयोग करता है जिसका प्रयोग सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, मदिरा, शराब, लिकर या नशीले पदार्थों के लिए किया जाता है तो उन्हें नीचे दी गई शर्तों के अंतर्गत केबल सेवा पर विज्ञापित किया जा सकता है :

(i) विज्ञापन के कथानक या दृश्यों में केवल उसी उत्पाद को दिखाया जाए जिसका विज्ञापन किया जा रहा है और प्रतिबंधित उत्पाद को किसी रूप या ढंग से प्रदर्शित न किया जाए।

(ii) विज्ञापन में प्रतिबंधित उत्पादों के लिए कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संदर्भ शामिल न हो।

(iii) विज्ञापन में प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार करने के लिए किसी अर्थभेद या सूक्ति को शामिल न किया जाए।

(iv) विज्ञापन में प्रतिबंधित उत्पादों से जुड़े किसी विशेष रंग और खाके या प्रस्तुतिकरण का उपयोग न किया जाए।

(v) विज्ञापन में ऐसी स्थितियों का उपयोग न किया जाए जो अन्य उत्पादों के विज्ञापन के समय प्रतिबंधित उत्पादों के प्रचार के लिए प्रतीकात्मक हो।

परंतु आगे यह कि–

(i) विज्ञापनदाता प्रस्तावित विज्ञापन की प्रति के साथ पंजीकृत चार्टरित लेखाकार की ओर से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि इसी नाम के सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, मदिरा, शराब, लिकर और अन्य नशीले पदार्थ ऐसी कई दुकानों में उपलब्ध हैं और उचित मात्रा में दिए जा रहे हैं, जहां इसी श्रेणी के अन्य उत्पाद उपलब्ध हैं और उनके ऐसे विज्ञापन पर प्रस्तावित व्यय उत्पाद के वास्तविक विक्रय आमद के अननुपाती नहीं होगा।

(ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ज़ायज ब्रैंड विस्तार के रूप में पाए गए सभी ऐसे विज्ञापनों को उनके प्रसारण या पुनर्प्रसारण से पहले केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन द्वारा पूर्वावलोकन किया जाएगा और अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त रूप में और पहले परंतुक के उपखंड (i) से (v) में शामिल प्रावधानों के अनुसार होने के लिए प्रमाणित किया जाएगा।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए टीवी चैनलों के खिलाफ की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। सरकार ने कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघनों को मंत्रालय की जानकारी में लाने के लिए निजी सैटेलाइट चैनलों द्वारा प्रसारित विषय-वस्तु की मॉनीटरिंग हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केन्द्र स्थापित किया है। उल्लंघनों के मामलों पर विचार करने और कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले सैटेलाइट टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की समुचित सिफारिशें करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति भी गठित की गई है। निजी टीवी चैनलों द्वारा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की शिकायतें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ए.एस.सी.आई.) जो विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों का उद्योग स्तरीय स्व-विनियामक निकाय है, को भी उनकी टिप्पणियों और कार्रवाई के लिए संदर्भित की जाती है।

विवरण-I

संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचार/टिप्पणियां

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने कहा है कि

ट्रेडमार्क, जो एक निजी अधिकार है, किसी विक्रेता को उसके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं और सेवाओं को अन्य निर्माता की वस्तुओं और सेवाओं से अलग करता है। उत्पाद की भिन्नता बाजार की पहुंच में सुधार लाती है। ट्रिप्स करार के अनुच्छेद 15.2 के अनुसार सामान और सेवाओं का स्वरूप जिसके लिए ट्रेडमार्क का आवेदन किया जाना है, किसी भी रूप में ट्रेडमार्क के पंजीकरण में रुकावट नहीं बन सकता। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में भी इसे विस्तार में बताया गया है। तथापि ट्रेडमार्क के पंजीकरण को किसी ऐसी कार्रवाई से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जोकि लोक स्वास्थ्य के गंभीर मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित है। ये दोनों अलग-अलग मामले हैं।

और उनको उसी प्रकार देखा जाना चाहिए।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि जैनुइन ब्रांड एक्टेंशन (तम्बाकू उत्पादों का ब्रांड शेयर करने वाला नाम) पर टीवी विज्ञापन, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापनों पर रोक एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और विपणन विनियमन) अधिनियम, 2003 (सी.ओ.टी.पी.ए. 2003) की धारा 6 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों का उल्लंघन है।

3. राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय)

राजस्व विभाग ने यह कहते हुए कोई टिप्पणी नहीं दी है कि सचिवों की समिति के नोट में राजस्व विभाग द्वारा लगाए जाने वाले कर से जुड़ा कोई ऐसा मुद्दा शामिल नहीं है।

4. उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले विभाग का यह मत है कि जैनुइन उत्पाद जो अल्कोहल और तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड नाम और लोगों से शेयर कर रहे हैं, के विज्ञापनों की अनुमति देने की कोई मुहिम अप्रत्यक्ष रूप से अल्कोहल और तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन देना होगा।

5. विधि कार्य विभाग

विधि कार्य विभाग से दिनांक 27.02.2009 की अधिसूचना वापस लेने के संबंध में सलाह ली गई है तथा उन्होंने यह कहा है कि चूंकि उक्त अधिसूचना को वापस लेने का मुद्दा, मामला भेजने वाले विभाग द्वारा उठाया गया है अतः इस पर कानून मंत्रालय के विधायी विभाग का मत भी ले लिया जाए।

विधायी विभाग का यह मत है कि यदि प्रशासनिक मंत्रालय उक्त अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय लेता है तो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 में केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमाबली, 2009 (27.02. 2009 की अधिसूचना) द्वारा रखे गए प्रावधानों को उपयुक्त संशोधनों सहित ऐसे नए संशोधित नियम जारी कम समाप्त करना होगा जिन्हें विधि कार्य विभाग के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उपयुक्त समझा जाए।

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान केबल टीवी नियम 1994 के नियम 7 (2) (viii) (क) के उल्लंघन में प्रसारित विज्ञापनों के संबंध में टीवी चैनलों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

क्र.सं.	विज्ञापन	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	"एन.डी.टी.वी. गुड टाइम्स" चैनल द्वारा ब्लैंडर्स प्राइड म्यूजिक सीडी नामक विज्ञापन के माध्यम से मदिरा उत्पाद का विज्ञापन।	चैनल को दिनांक 06.04.2010 को चेतावनी जारी की गई।
2.	"स्टार आनंदी" चैनल द्वारा ब्लेंडर्स प्राइड म्यूजिक सीडी नामक विज्ञापन के माध्यम से मदिरा उत्पाद का विज्ञापन	चैनल को दिनांक 06.04.2010 को चेतावनी जारी की गई।

1	2	3
3.	'हेवाड्र्स-5000 सोडा और किंगफिशर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर' के उत्पादों का विज्ञापन।	दिनांक 17.06.2010 को सभी चैनलों को निदेश जारी किए गए कि वे ऐसे उत्पादों के विज्ञापन प्रसारित करना बंद कर दें जो ऐसे ब्रांड या लोगों का प्रयोग करते हैं जो सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, मदिरा, एल्कोहल, लिकर या अन्य नशीले पदार्थों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।
4.	'मैकडोवेलस सोडा' के उत्पाद का विज्ञापन।	दिनांक 17.06.2010 को सभी चैनलों को निदेश जारी किए गए कि वे ऐसे उत्पादों के विज्ञापन प्रसारित करना बंद कर दें जो ऐसे ब्रांड या लोगों का प्रयोग करते हैं जो सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, मदिरा, एल्कोहल, लिकर या अन्य नशीले पदार्थों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।
5.	एफ.टी.वी. वोदका का विज्ञापन।	एफ.टी.वी. चैनल को दिनांक 17.01.2013 को सलाहपत्र जारी किया गया।
6.	"मैकडोवेलस नं. 1 प्लेटिनम सोडा" – द नं. 1 स्प्रिट ऑफ लीडरशिप का विज्ञापन।	भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् से दिनांक 22.07.2011 को अनुरोध किया गया था कि वे इन विज्ञापनों का प्रसारण बंद करने के लिए विज्ञापनदाताओं के साथ मामले को उठाएं। ए.एस.सी.आई. ने सूचित किया है कि शिकायत की पुष्टि हुई है। यह भी सूचित किया है कि दिनांक 25 जुलाई, 2011 से उक्त विज्ञापन सभी चैनलों से वापस ले लिया गया है।
7.	ईटी नाउ चैनल पर किंगफिशर बीयर का विज्ञापन।	चैनल को दिनांक 12.09.2012 को चेतावनी जारी की गई।
8.	स्टार क्रिकेट चैनल पर वीबी बेस्ट कोल्ड बीयर का विज्ञापन।	चैनल को दिनांक 12.09.2012 को चेतावनी जारी की गई।

फिल्म उत्पादन हेतु सुविधा

943. कुमारी शोभा कारान्दलाजे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय उद्योग और विदेशियों द्वारा फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए किसी फिल्म उत्पादन संवर्धन और सुविधा संबंधी समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(ख) क्या उक्त प्रणाली के तहत देश में पर्यटन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विदेशी फिल्म निर्माताओं से संभावित सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय फिल्म निर्माता को भी विदेशों में ऐसी सुविधाएं हासिल हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) भारत में फिल्म और पर्यटन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में फिल्म निर्माण के संवर्द्धन एवं सुविधाकरण पर एक अंतर-मंत्रालयीय समिति की स्थापना की है। यह समिति भारत में फीचर फिल्मों, लघु फिल्मों और टी.वी. कार्यक्रमों की शूटिंग हेतु विदेशी एवं घरेलू फिल्म निर्माताओं को अनुमति देने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक 'एकल-खिड़की' तंत्र के रूप में कार्य करती है। यह समिति भारत में फिल्म निर्माण और फिल्म शूटिंग के लिए एक सुविधा प्रदायक के रूप में कार्य करेगी।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस समय अनुसरित किए जा रहे वीज़ा मैनुअल और मानदंडों के अनुसार ज्यों ही मंत्रालय में फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होता है, शूटिंग कर्मी दल के सदस्यों और शूटिंग के स्थलों का पूर्ण ब्यौरा गृह मंत्रालय को सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्राप्त करने के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अंतिम अनुमति गृह मंत्रालय की अनापत्ति के आधार पर ही जारी की जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक बार अनुमति पत्र जारी कर दिए जाने के पश्चात् संबंधित प्रवासी भारतीय मिशन विदेशी कर्मीदल को वीज़ा जारी कर देते हैं।

(घ) चूंकि, फिल्म निर्माण का कार्य अधिकांशतः निजी नियंत्रण में है, इसलिए विदेशी में शूटिंग करने वाले भारतीय फिल्म निर्माताओं को हासिल ऐसी सुविधाओं की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अर्थशास्त्र एवं शांति संस्था की रिपोर्ट

944. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाणः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अर्थशास्त्र एवं शांति संस्था (आई.ई.पी.) की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व के 20 सबसे हिंसक देशों में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या हिंसा के मामलों को रोकने और इनसे निपटने में देश की अर्थव्यवस्था को भारी हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने की संभावना है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त (विजय कुमार सिंह): (क) और (ख) सरकार ने इस विषय पर मीडिया के एक वर्ग में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। यह रिपोर्ट आस्ट्रेलिया स्थित एक निजी संस्थान से निकली है और जिसकी शाखाएं न्यूयार्क और ऑक्सफोर्ड में हैं। सरकार के पास इस संस्थान से संबंधित कोई सूचना नहीं है। कोई भी दिए गए विचार अथवा निकाले गए निष्कर्ष उनके अपने हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं में रिक्तियां

945. श्री हंसराज गंगाराम अहीरः क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी संस्थाओं में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी

क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के पद

946. **श्री जोस के. मणि:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान (एस. एस.ए.) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृत शिक्षकों के पदों को भर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में केरल सहित राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) जी, हां। राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत संस्वीकृत शिक्षक-पद भरे जा चुके हैं।

(ग) और (घ) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एस.एस.ए. के तहत शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य पर जोर डाला है।

केरल राज्य मूल्यांकन और प्रत्यायन समिति का गठन

947. **श्री एंटो एन्टोनी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से केरल राज्य मूल्यांकन और प्रत्यायन समिति का गठन करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) केरल राज्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन समिति (के.एस.ए.ए.सी.) की विशेषज्ञ समिति की केरल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (के.एस.एच.ई.सी.) को प्रस्तुत दिनांक 11.02.2013 की रिपोर्ट की एक प्रति इस मंत्रालय में प्राप्त हुई थी।

(ख) रिपोर्ट की सिफारिशें हैं; (i) केरल राज्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन समिति को केरल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के अधीन लाना; (ii) प्रारंभ में मूल्यांकन एवं प्रत्यायन स्वैच्छिक हो किन्तु इसे राज्य सरकार के परामर्श से अनिवार्य बनाया जाए; और (iii) मूल्यांकन एवं प्रत्यायन पांच वर्ष के लिए मान्य हो। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाएं पूर्व मूल्यांकन की तिथि के समाप्त होने से एक वर्ष के अंदर पुनः प्रत्यायन के लिए आवेदन करना होगा।

केरल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट केरल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद को प्रस्तुत कर दी गई है। वर्तमान में, केन्द्रीय सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

पेड न्यूज़

948. **श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेड न्यूज़ के संबंध में नए नियमों को बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नियमों को कब तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के

राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ग) भारतीय प्रैस परिषद् (पी.सी.आई.) जोकि एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है एवं जिसकी स्थापना प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत देश में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और साथ ही, प्रैस के मध्य स्वविनियमन के सिद्धांतों को अंतर्विष्ट करने के लिए की गई थी, ने मीडिया द्वारा अनुपालनार्थ 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड' निरुपित किए हैं। इन मानदंडों में निर्धारित है कि समाचार को प्रिंटिंग अस्वीकार द्वारा विज्ञापनों से स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाना चाहिए। जहां तक समाचार का संबंध है, इसकी हमेशा एक साख सीमा होनी चाहिए और इसे ऐसी अक्षराकृति में रखा जाना चाहिए जिससे विज्ञापनों और इसके बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझा जा सके। परिषद ने दिशानिर्देशों का एक संग्रह भी निर्मित किया है जो वित्तीय पत्रकारिता और साथ ही चुनावों की रिपोर्टिंग पर लागू होंगे।

इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर पेड न्यूज की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए 'प्रेस एवं पुस्तकों का पंजीकरण और प्रकाशन विधेयक' में प्रावधानों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संबंध है, सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत निरुपित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करना अनिवार्य है।

तथापि, चुनाव सुधार का मुद्दा, जो अपनी संपूर्णता में हैं एवं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, चुनावी समय में पेड न्यूज से संबंधित मुद्दा शामिल है, को भी भारतीय विधि आयोग को इसकी सिफारिशों के लिए संप्रेषित किया गया है। विधि आयोग की सिफारिशों के प्राप्त होने पर इस मामले की आगे की जांच पणधारकों के परामर्श से की जाएगी।

एन.यू.एल.एम. का कार्यान्वयन

949. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के कार्यान्वयन के लिए नगरपालिकाओं और नगर निगमों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केरल सहित विभिन्न राज्यों में एन.यू.एल.एम. के कार्यान्वयन के लिए अब तक चयनित नगरपालिकाओं और नगर निगमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एन.यू.एल.एम. के कार्यान्वयन के लिए देश में सभी नगरपालिकाओं और नगर निगमों को चुने जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): (क) जी हां।

(ख) भारत की जनगणना 2011 और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अंतर्गत आने वाले शहरों/नगरों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां, इस संबंध में मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श करना प्रस्तावित है।

विवरण

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अंतर्गत आने वाले शहरों/नगरों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	शहर का नाम/ एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत शामिल कस्बे
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	32
2.	बिहार	42

1	2	3
3.	छत्तीसगढ़	28
4.	गोवा	2
5.	गुजरात	35
6.	हरियाणा	22
7.	हिमाचल प्रदेश	10
8.	जम्मू और कश्मीर	22
9.	झारखंड	28
10.	कर्नाटक	34
11.	केरल	14
12.	मध्य प्रदेश	54
13.	महाराष्ट्र	53
14.	ओडिशा	33
15.	पंजाब	25
16.	राजस्थान	40
17.	तमिलनाडु	40
18.	तेलंगाना	15
19.	उत्तर प्रदेश	82
20.	उत्तराखंड	16
21.	पश्चिम बंगाल	62
22.	अरुणाचल प्रदेश	16
23.	असम	25
24.	मणिपुर	9
25.	मेघालय	8
26.	मिज़ोरम	8
27.	नागालैंड	11
28.	सिक्किम	4
29.	त्रिपुरा	7
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
31.	चंडीगढ़	1
32.	दादरा और नगर हवेली	1
33.	दमन और दीव	2
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	3
35.	पुदुचेरी	5
	संपूर्ण भारत	790

[हिन्दी]

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु नए विनियम

950. श्री पी.पी. चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु नए विनियमों को लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे लाने की क्या आवश्यकता है;

(ग) इसे कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन विनियमों को तैयार करने के बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) की क्या भूमिकाएं हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (घ) इस समय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नए विनियम लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10

के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (1) में प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नए नियम अधिसूचित किए हैं :

"दिनांक 27 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 37-3 लीगल/ए.आई.सी.टी.ई./2012 द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन प्रदान करना)- विनियम-2012"।

अखिल भारतीय तकनीकी परिषद ने तकनीकी संस्थाओं के अनुमोदन हेतु इन विनियमों पर आधारित अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक 2012-13 और 2013-14 जारी की है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीदासन विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम ए.आई.सी.टी.ई. एवं अन्य के मामले में यह निर्णय दिया है कि हालांकि, विश्वविद्यालयों को तकनीकी शिक्षा में नए विभाग या पाठ्यक्रम और कार्यक्रम शुरू करने के लिए ए.आई.सी.टी.ई. के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है फिर भी, उनका दायित्व और कर्त्तव्य है कि तकनीकी शिक्षा का समन्वित और एकीकृत विकास एवं स्तर बनाए रखना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वे ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित स्तर और मानकों का पालन करें। ए.आई.सी.टी.ई. विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकता है जो ए.आई.सी.टी.ई. के संबंधित नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा, किसी भी विश्वविद्यालय के संबद्धन में तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम चला रही सभी संस्थाओं को ए.आई.सी.टी.ई. के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 25.04.2013 के आदेश में सी.ए. मैनजमेंट ऑफ प्राइवेट कॉलेज बनाम ए.आई.सी.टी.ई. एवं अन्य मामले में यह कहा कि ए.आई.सी.टी.ई. की भूमिका परामर्शी होनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी के संदर्भ में ए.आई.सी.टी.ई. ने वर्ष 2014-15 के लिए तकनीकी संस्थाओं के अनुमोदन हेतु सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया। इस बीच माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) सं. 7277/2014 में अपने दिनांक 9.05.2014 के आदेश में स्पष्ट किया कि वर्तमान सम्बद्ध तकनीकी कॉलेजों द्वारा एम.बी.ए./प्रबंधन पाठ्यक्रम सहित तकनीकी पाठ्यक्रम के संचालन और नए तकनीकी कॉलेजों, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धन दिया जाना है, को शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए तकनीकी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के संचालन हेतु ए. आई.सी.टी.ई. का पूर्वानुमोदन अनिवार्य और अधिदेशात्मक है। अतः ए.आई.सी.टी.ई. ने वर्ष 2013-14 की अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक में निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 10.5.2014 को वर्तमान के साथ-साथ नए तकनीकी संस्थानों को अनुमोदन के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की।

[अनुवाद]

कंप्यूटर शिक्षा

951. श्री दुष्यंत चौटाला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्राथमिक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को प्रारंभ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) मंत्रालय स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता देता है जिसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा देना है। अब तक 88236 स्कूलों को स्कूल योजना की आई.सी.टी. में सम्मिलित किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक होने पर विज्ञान और गणित, जिनमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण, अनुरक्षण और संसाधन सहायता का प्रापण शामिल किया जा सकता है, पर विशेष बल देने के साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर समर्थित अधिगम (सी.ए.एल.) के लिए प्रति जिले को प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम लागू करने के लिए नियमित स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण और सहायता दी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय शैक्षिक संस्थान और विश्वविद्यालय

952. **श्री असादुद्दीन ओवैसी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2013-14 में भारतीय शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारत की स्वयं अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) रैंकिंग की कई प्रणालियां है जो उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को प्रमुख अनुसंधान निर्देशक होने के नाते उन्हें रैंक प्रदान करने के लिए विभिन्न मूल्यों, सूचकांकों एवं पैरामीटरों का प्रयोग करती हैं। इनमें से कोई भी प्रणाली वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य नहीं है और प्राय: इनकी समीक्षा होती है। तथापि, टाइम्स हायर एज्युकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, 2013-14 के अनुसार, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की शीर्ष 400 संस्थानों में शामिल हैं। क्वाकुआरेली साइमंड्स (क्यूएस) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की और दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष 500 संस्थानों में शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों का प्रत्यायन करने वाली राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) प्रत्यायन की ग्रेड प्वाइंट एवरेज (जी.पी.ए.) स्कीम के आधार पर प्रत्यायन ग्रेड 'क', 'ख' और 'ग' प्रदान करती है।

आई.एल.सी.एस.एस.

953. **श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा लागू समेकित कम लागत स्वचछता (आई.एल.सी.एस.) स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को आई.एल.सी.एस. स्कीम के कार्यान्वयन में कदाचारों के संबंध में विभिन्न राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है;

(घ) क्या स्कीम के अंतर्गत स्वच्छता शौचालयों के विहित प्रति इकाई लागत में वृद्धि के लिए विभिन्न राज्यों ने सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): (क) आई.एल.सी.एस. स्कीम दिशानिर्देशों में संशोधित दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

(i) मानव द्वारा सेवित शुष्क शौचालयों का ट्विन पिट पोर फ्लश शौचालयों में परिवर्तन/निर्माण।

(ii) सभी कस्बों/शहरों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के परिवारों के लिए लागू स्कीम।

(iii) केन्द्र, राज्य तथा लाभार्थियों के बीच 75:15:10 के अनुपात में लागत बंटवारा। गैर-सरकारी संगठनों की सुविधा के लिए (केन्द्र व राज्य के साथ 5:1 का बंटवारा) लागत का 15% अतिरिक्त।

(iv) वैयक्तिक ट्विन पिट पोर फ्लश शौचालय की

लागत दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले राज्यों के लिए 25% अतिरिक्त लागत के साथ सहित 15,000 रु. है।

(v) 15% की अतिरिक्त लागत पर्यावरण अनुकूल/अभिनव प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने आई.एल.सी.एम. स्कीम का कार्यान्वयन नहीं करने/अनुपयुक्त कार्यान्वयन के कारण एफ.आई.आर. दर्ज करने के रूप में की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

पत्रकारों पर हमले

954. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री धनंजय महाडीक:
श्री राजीव सातव:

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्रकारों पर हमलों के अनेक मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार सूचित किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारों पर हमलों की बढ़ती घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के निष्कर्ष/सिफारिशें क्या हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने ऐसे मामलों के फास्ट ट्रेक हेतु पृथक विधान और पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए क्षतिपूर्ति प्रस्तावित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.), जो गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, ने जनवरी, 2014 से मासिक अपराध सांख्यिकी के माध्यम से 'मीडिया पर हमला' के अंतर्गत आंकड़े एकत्र करना आरंभ किया है। वर्ष 2014 के दौरान 'मीडिया व्यक्तियों पर हमला' के अंतर्गत पंजीकृत किए गए मामलों से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनन्तिम आंकड़े विवरण के रूप में संलग्न हैं। इससे पहले मीडिया पर हमले के संबंध में विशिष्ट आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते थे।

(ग) से (ङ) भारतीय प्रेस परिषद (पी.सी.आई.) ने सूचित किया है कि परिषद ने पत्रकारों की अपने कार्य के दौरान सुरक्षा के बड़े मुद्दों की जांच के लिए एक समिति गठित की है ताकि तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाया जा सके। सरकार को अभी तक भारतीय प्रेस परिषद द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारत सरकार वर्तमान में 'पत्रकार कल्याण स्कीम' नामक एक स्कीम चला रही है जिसके अंतर्गत श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिवार को तात्कालिक आधार पर एक बार के लिए अनुग्रह राहत प्रदान की जाती है।

विवरण

वर्ष 2014 के दौरान मीडिया व्यक्तियों पर हमले के अंतर्गत पंजीकृत किए गए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मामले (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	मीडिया कर्मियों पर हमला	माह तक के आंकड़े
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	मार्च
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	फरवरी
3.	असम		
4.	बिहार		

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़		
6.	गोवा		फरवरी
7.	गुजरात		
8.	हरियाणा		
9.	हिमाचल प्रदेश		
10.	जम्मू और कश्मीर		
11.	झारखंड		
12.	कर्नाटक		
13.	केरल	0	मार्च
14.	मध्य प्रदेश		
15.	महाराष्ट्र	2	मार्च
16.	मणिपुर	0	मार्च
17.	मेघालय	0	मार्च
18.	मिज़ोरम	0	मार्च
19.	नागालैंड	0	केवल फरवरी
20.	ओडिशा		
21.	पंजाब		
22.	राजस्थान		
23.	सिक्किम	0	मार्च
24.	तमिलनाडु	0	केवल मार्च
24.	त्रिपुरा	0	केवल मार्च
26.	उत्तर प्रदेश		
27.	उत्तराखंड		
28.	पश्चिम बंगाल		
	कुल (राज्य)	2	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	मार्च
30.	चंडीगढ़	0	अप्रैल
31.	दादरा और नगर हवेली	0	मार्च
32.	दमन और दीव		
33.	दिल्ली	0	फरवरी
34.	लक्षद्वीप	0	अप्रैल
35.	पुदुचेरी	0	मार्च
	कुल (संघ और राज्यक्षेत्र)	0	
	कुल (ऑल इंडिया)	2	

स्रोत : मासिक अपराध सांख्यिकी

नोट : 1. आंकड़े अनंतिम हैं

2. रिक्त का आशय है आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

वैश्विक तापन

955. श्री बी. श्रीरामुलु:
श्री बी.वी. नाईक:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक तापन मानव के अस्तित्व के लिए खतरा बन रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एक समयावधि में तापमान में औसत कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरण और मानव पर वैश्विक तापन/बढ़ते तापमान के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन करवाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा वैश्विक तापन द्वारा उत्पन्न खतरे का

समाधान करने के लिए क्या उपाए किए गए या किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतरसरकारी पैनल (आई.पी.सी.सी.) की मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार, मानव प्रणाली पर वैश्विक तापन का प्रभाव परिवर्तनशील मौसमी पद्धतियों के माध्यम से तथा जल, वायु, खाद्य गुणवत्ता और मात्रा, पारि-प्रणालियों, कृषि, अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से और वेक्टर-बॉर्न डिसीजेज की घटनाओं में वृद्धि के कारण होता है। नवीनतम रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि सशक्त उपशमन प्रयासों के अभाव में 21वीं सदी के अंत में वैश्विक सतही तापमान परिवर्तन के औद्योगिक-पूर्व काल की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है।

(ग) और (घ) भारत के चार जलवायु संवेदी क्षेत्रों नामशः हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के चार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, नामशः कृषि, जल, प्राकृतिक पारि-प्रणालियां एवं जैव-विविधता और स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्ययन कराया गया था और "जलवायु परिवर्तन एवं भारत 4 × 4 आकलन-2030 के दशक के लिए एक सेक्टोरल और क्षेत्रीय विश्लेषण" शीर्षक से वर्ष 2010 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस अध्ययन का आशय समग्र तापन, परिवर्तनशील जल उत्पादन सहित वृष्टिपात में वृद्धि, वनों के संघटन में परिवर्तन, नए क्षेत्रों में मलेरिया के फैलने और दीर्घावधि में इसके संक्रमण, जो मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, की चुनौतियों के बारे में जानकारी हासिल करना था।

(ङ) सरकार, दिनांक 30 जून, 2008 से राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) को कार्यान्वित कर रही है। एन.ए.पी.सी.सी. में सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, सतत पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-प्रणाली के अनुरक्षण, हरित भारत, दीर्घकालिक कृषि और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों के आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।

नए परमाणु रिएक्टर

956. श्री जैदेव गल्ला: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में पूर्णतः कार्यरत भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) के रिएक्टरों का संयंत्र-वार और इनकी क्षमता और उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार 12वीं योजना के दौरान 16 नए परमाणु रिएक्टरों को प्रारंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रिएक्टरों की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस संबंध में रिएक्टर/संयंत्र-वार वर्तमान स्थिति/प्रगति क्या है; और

(घ) इन सभी रिएक्टर द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 16 नए रिएक्टरों के संबंध में कार्य आरंभ किए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त, दो फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनि) द्वारा क्रियान्वित किया जाना है तथा एक प्रगत भारी पानी रिएक्टर (ए.एच.डब्ल्यू.आर.) की परिकल्पना की गई है। इनका ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) इन रिएक्टरों की अपने प्रारंभ की वास्तविक तारीख के आधार पर XIIIवीं/XIVवीं पंचवर्षीय योजना में प्रचालन शुरू करने की संभावना है।

विवरण-I

प्रचालनरत रिएक्टर

अवस्थिति एवं राज्य	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	2013-14 में उत्पादन मिलियन यूनिट (एमयूज़)$
1	2	3	4
	टी.ए.पी.एस.-1	160	1322
तारापुर, महाराष्ट्र	टी.ए.पी.एस.-2	160	806
	टी.ए.पी.एस.-3	540	3739
	टी.ए.पी.एस.-4	540	4017
	आर.ए.पी.एस-1 *	100	
रावत भाटा,	आर.ए.पी.एस-2	200	1688
राजस्थान	आर.ए.पी.एस-3	220	1946
	आर.ए.पी.एस-4	220	1771
	आर.ए.पी.एस-5	220	2041
	आर.ए.पी.एस-6	220	1787
कलपाक्कम,	एम.ए.पी.एस.-1	220	1354
तमिलनाडु	एम.ए.पी.एस.-2	220	761
नरौरा, उत्तर	एन.ए.पी.एस.-1	220	1490
प्रदेश	एन.ए.पी.एस.-2	220	1214
काकारापार,	के.ए.पी.एस.-1	220	1862
गुजरात	के.ए.पी.एस.-2	220	1891
कैगा, कर्नाटक	केजीएस-1	220	1587
	केजीएस-2	220	1740
	केजीएस-3	220	1758
	केजीएस-4	220	1454

* भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग के स्वामित्व में तथा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रचालित, अक्तूबर, 2004 से विस्तारित शटडाउन की अवस्था में

$ उत्पादन के आंकड़ों को निकटतम अंक तक पूर्णांकित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कुडनकुलम, तमिलनाडु में के.के.एन.पी.पी.-1 (1000 मेगावाट) को 22 अक्तूबर, 2013 को ग्रिड के साथ जोड़ा गया है, और यह तब से अनिश्चित तौर पर विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसने पहले ही 07 जून, 2014 को पूर्ण विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। इस यूनिट ने वर्ष 2013-14 में 1106 मिलियन यूनिट और वर्ष 2014-15 में जून, 2014 तक 1182 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया।

विवरण-II

एन.पी.सी.आई.एल./भाविनि/सरकार द्वारा XIIवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाओं की स्थिति

परियोजना	अवस्थिति	क्षमता (मेगावाट)	योजनागत एफ.पी.सी.*	योजनागत तरीके से पूर्णता का तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5	6
स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टर					
जी.एच.ए.वी.पी. 1 तथा 2	गोरखपुर, हरियाणा	2 × 700	जून, 2015	यूनिट-1: सितम्बर-20 यूनिट 2: मार्च-21	परियोजना को 20,594 करोड़ रुपए की वित्तीय संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है, पर्यावरणीय अनुमति

1	2	3	4	5	6
					प्राप्त कर ली गई है। लम्बे समय में प्राप्त होने वाले क्रांतिक उपस्करों के प्रापण की कार्रवाई शुरू करदी गई है। स्थल संबंधी आधारभूत संरचना से संबंधित कार्य शुरू किए गए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य (पहली बार कंकरीट डालना) वर्ष 2015 में शुरू किया जाएगा।
सी.एम.ए.पी.पी. 1 तथा 2	चुटका, मध्य प्रदेश	2 × 700	जून, 2015	यूनिट-1: दिसम्बर-20 यूनिट 2: जून-21	परियोजना-पूर्व कार्य (भूमि का अधिग्रहण, सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करना, स्थल संबंधी अन्वेषण) शुरू किए गए। सार्वजनिक सुनवाई का काम पूरा किया गया।
माही बांसवाड़ा, 1 तथा 2	माही बांसवाड़ा, राजस्थान	2 × 700	जून, 2016	यूनिट-1: दिसम्बर-21 यूनिट 2: जून-22	परियोजना-पूर्व कार्य (भूमि का अधिग्रहण, सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करना, स्थल संबंधी अन्वेषण) किए जा रहे हैं। पर्यावरणीय अनुमति के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ई.) संबंधी अध्ययन करने हेतु विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर.) अनुमोदित कर दिए गए हैं। अभी तक वित्तय संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।
कैगा 5 तथा 6	कैगा, कर्नाटक	2 × 700	दिसम्बर, 2016	यूनिट-5: जून-22 यूनिट 6: दिसम्बर-22	भूमि उपलब्ध है, अन्य परियोजना-पूर्व कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ स्थापित किए जाने वाले साधारण जल रिएक्टर					
के.के.एन.पी.पी. 3 तथा 4	कुडनकुलम, तमिलनाडु	2 × 1000	जून, 2014	यूनिट-3: मार्च-20 यूनिट 4: नवम्बर-20	परियोजना को 39,849 करोड़ रुपए की वित्तीय संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है, सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करली गई हैं। स्थल को तैयार कर दिया गया है। रूस के एटमस्ट्रॉय एक्सपोर्ट के साथ

1	2	3	4	5	6
					'सामान्य रूपरेखा संबंधी करार' पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
जे.एन.पी.पी. 1 तथा 2	जेतापुर, महाराष्ट्र	2 × 1650	अक्तूबर, 2015	यूनिट-1: अप्रैल-21 यूनिट 2: अप्रैल-22	भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, पर्यावरणीय तथा तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जेड.) संबंधी अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं, स्थल संबंधी आधारभूत संरचना तथा अन्वेषण कार्य शुरू किए गए। परियोजना संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के लिए मैसर्स अरेवा, फ्रांस के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।
कोव्वाडा, 1 तथा 2	कोव्वाडा, आंध्र प्रदेश	2 × 1500	जून, 2016	यूनिट-1: अक्तूबर-21 यूनिट 2: अक्तूबर-22	परियोजना-पूर्व कार्य (भूमि का अधिग्रहण, सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करना, स्थल संबंधी अन्वेषण) शुरू किए गए। परियोजना संबंधी प्रस्ताव को तैयार करने के लिए जी.ई. हिताची न्यूक्लियर एनर्जी (जी.ई.एच.) के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।
छाया मीठी विरदी 1 तथा 2	छाया मीठी विरदी, गुजरात	2 × 1100	जून, 2016	यूनिट-1: दिसम्बर-20 यूनिट 2: दिसम्बर-21	सार्वजनिक सुनवाई का काम पूरा कर लिया गया है। परियोजना-पूर्व कार्य (भूमि का अधिग्रहण, सांविधिक अनुमतियाँ प्राप्त करना, स्थल संबंधी अन्वेषण) शुरू किए गए। प्रौद्योगिकी संबंधी ब्यौरे को शेयर करने के लिए बैस्टिंगहाउस इलैक्ट्रिक कम्पनी (डब्ल्यू.ई.सी) के साथ प्रारंभिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना संबंधी प्रस्ताव को तैयार करने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
एफ.बी.आर. 1 तथा 2	कलपाक्कम	2×500	अभी निश्चित की जानी है	अभी निश्चित की जानी है	ब्यौरे वार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का कार्य हाथ में है।
ए.एच.डब्ल्यू.आर	अभी निश्चित की जानी है	1×300	अभी निश्चित की जानी है	अभी निश्चित की जानी है	नाभिकीय प्रणालियों के डिजाइन और विकास का कार्य पूरा किया गया। प्रमुख संरचनाओं/ प्रणालियों/ संघटकों (एस.एस.सीज.) की विस्तृत इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग परामर्श का काम सौंप दिया गया है। एस.एस.सीज. के 3डी सी.ए.डी. मॉडलिंग का डिजाइन, 2डी विन्यास आरेख और दबाव एवं भूकम्पीय विश्लेषण के लिए तकनीकी दस्तावेज और विनिर्देशों को तैयार करना जारी रहा। स्थल का चयन स्थायी स्थल चयन समिति के विचाराधीन है।

सीआरजैड-तटीय विनियमन क्षेत्र

ईआईए-पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

टीओआर-विचारार्थ विषय

प्रदूषणकारी उद्योग

957. **श्री बैजयंत जे. पांडा:**
श्री एन. क्रिष्टप्पा:
श्री नलीन कुमार कटील:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा अनुपालन हेतु पर्यावरणीय मानक (प्रदूषण मानक) निधारित/अधिसूचित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदूषण मानकों के उल्लंघन हेतु पहचान किए गए उद्योगों और इनके विरुद्ध क्षेत्र और राज्य-वार प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी मुख्य प्रदूषणकारी उद्योगों और ऊर्जा संयंत्रों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन और नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसी औद्योगिक इकाइयों का क्षेत्र और राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस संबंध में और औद्योगिक इकाइयों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (घ) सरकार ने 102 उद्योग विशिष्ट (बहि:स्राव : 45; उत्सर्जन 57) पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किये हैं। सभी उद्योगों के लिए इन पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करना तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रदूषण

नियंत्रण उपाय करना अपेक्षित है। श्रेणी-वार मानकों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने विद्युत संयंत्रों सहित 3266 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की (एच.पी.आई.) पहचान की है, जिनमें से 2328 उद्योग निर्धारित मानकों का अनुपालन कर रहे हैं, 571 उद्योग अनुपालन नहीं कर रहे हैं और 367 उद्योग बंद हो चुके हैं। श्रेणी-वार और राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(ङ) विगत 5 वर्षों (वर्ष 2010 से जून, 2014 तक) के दौरान, सी.पी.सी.बी. ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत 601 निदेश जारी किए हैं, जिनमें मानकों का अनुपालन करने के लिए दिये गए 497 निदेश और चूककर्ता उद्योगों को बंद करने के लिए दिये गए 104 निदेश शामिल हैं। इसके अलावा, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को क्रमश: जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 1(ख) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत 138 निदेश जारी किए गए थे, जिनमें से 118 निदेश मानकों का अनुपालन करने और 20 निदेश, उद्योगों को बंद करने के लिये थे।

विवरण-I

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार मानकों की सूची

क्र.सं.	उद्योग का नाम	मानदंड	
		बहिस्राव	उत्सर्जन
1	2	3	4
1.	एल्युमिनियम	×	✓
2.	एस्बेस्टॉस	×	✓
3.	बैगासे फायर बॉयलर्स	✓	✓
4.	बैटरी विनिर्माण कर रहे उद्योग	✓	✓
5.	बोहाईव हाई कोक ओवन	×	✓
6.	बॉइलर्स (ईंधन रूपी कृषि अपशिष्ट)	×	✓
7.	बॉइलर्स (लघु)	×	✓
8.	ईंट भट्टा	×	✓
9.	ब्रिक्वेट (कोयला)	×	✓
10.	बुलियन रिफाईनिंग	✓	×
11.	कैल्सियम कार्बाइड	×	✓
12.	कार्बन ब्लैक	×	✓
13.	कैश्यु बीज प्रसंस्करण	✓	✓
14.	कास्टिक सोडा	✓	✓
15.	सीमेंट	×	✓
16.	सेरेमिक्स	×	✓
17.	सी.ई.टी.पी.	✓	×
18.	कोयला खान	✓	✓
19.	कोयला वाशरी	✓	✓
20.	कॉफी प्रसंस्करण	✓	✓
21.	कोक ऑवन प्लान्टस	✓	✓
22.	साझा खतरनाक अपशिष्ट भस्मक	×	✓
23.	कम्पोसिट वूलन	✓	×
24.	कॉपर, लेड और जिंक स्मेल्टिंग	×	✓
25.	कॉटन टेक्सटाईल	✓	×
26.	कुपोला फर्नेसेस	×	✓
27.	डेयरी उद्योग	✓	×

1	2	3	4
28.	डाई एण्ड डाई उद्योग	✓	✓
29.	खाद्य तेल और वनस्पति	✓	×
30.	इलेक्ट्रोप्लेटिंग	✓	✓
31.	विद्युत संयंत्र के लिए 0.8 मेगावाट से अधिक के डीजल इंजन हेतु उत्सर्जन सीमाएं	×	✓
32.	जेनरेटर सेटों के लिए 800 किलोवाट तक के नए डीजल इंजन हेतु उत्सर्जन सीमाएं	×	✓
33.	19 किलोवाट तक के नए डी.जी. सेटों हेतु उत्सर्जन मानक	×	✓
34.	फरमेंटेशन (डिस्टीलेशन, माल्ट्री, ब्रवरी)	✓	×
35.	उर्वरक	✓	✓
36.	फ्लोर मिल्स, ग्रेन प्रोसेसिंग, पैडी प्रोसोसिंग, पल्स मेंकिंग/ ग्राइडिंग मिल	✓	✓
37.	खाद्य एवं फल प्रसंस्करण	✓	×
38.	संधानशाला	×	✓
39.	फर्नेसेस (रीहीटिंग)	×	✓
40.	गैस/नाप्था आधारित विद्युत संयंत्र	✓	✓
41.	ग्लास विनिर्माण	×	✓
42.	जिनिंग मिल में प्रदूषण नियंत्रण उपायों हेतु दिशानिर्देश	×	✓
43.	होटल उद्योग	✓	×
44.	अजैविक रसायन	✓	×
45.	कोक ओवन सहित एकीकृत लौक एवं इस्पात	✓	✓
46.	जूट प्रसंस्करण उद्योग	✓	×
47.	धर्म शोधनशाला	✓	×
48.	चूना पत्थर	×	✓
49.	मानवनिर्मित फाईबर	✓	✓
50.	प्राकृतिक रबर	✓	✓
51.	नाईट्रिक एसिड	×	✓
52.	घरेलू उपकरणों द्वारा उत्पन्न ध्वनि	×	✓
53.	डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेटों के लिए ध्वनि सीमाएं	×	✓
54.	पेट्रोल/केरोसीन से चलने वाले जेनरेटर सेटों के लिए ध्वनि सीमाएं	×	✓
55.	पटाखों के लिए ध्वनि मानक	×	✓
56.	तेल वेधन और गैस उत्खनन	✓	×
57.	तेल परिशोधनशाला	✓	✓
58.	जैविक रसायन	✓	✓
59.	पेंट	✓	×
60.	कीटनाशी	✓	✓
61.	पेट्रोरसायन	✓	✓
62.	भेषज्ञ	✓	✓
63.	प्लास्टर ऑफ पेरिस	×	✓
64.	स्नान करने के पानी के		

1	2	3	4
	लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड	✓	×
65.	लुग्दी और कागज (छोटा)	✓	×
66.	लुग्दी और कागज (बड़ा)	✓	✓
67.	रिफ्रेक्टरी उद्योग	✓	✓
68.	बूचड़ खाना, मांस, और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण	✓	×
69.	सोडा ऐश	✓	×
70.	सॉफ्ट कोक उद्योग	×	✓
71.	स्पांज लौह संयंत्र	✓	✓
72.	स्टार्च (मक्का)	✓	×
73.	स्टोन क्रशिंग	×	✓
74.	चीनी	✓	×
75.	सल्फ्युरिक एसिड	×	✓
76.	ताप विद्युत संयंत्र	✓	✓
77.	वाहनीय ध्वनि	×	✓
78.	तटीय जल समुद्री जल प्रपातों के जल गुणवत्ता मानक	✓	×
	कुल	45	57

कुल बहि:स्राव और उत्सर्जन

विवरण-II

उद्योगों (श्रेणी-वार) की 17 श्रेणियों की स्थिति (श्रेणी-वार)

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुपालन कर रहे	अनुपालन नहीं कर रहे	बंद	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	एलुमिनियम	6	1	3	10
2.	सीमेंट	251	51	21	323
3.	फ्लोर अलकली	26	2	2	30
4.	तांबा	4	1	1	6
5.	आसवनी	227	49	45	321
6.	डाइ और डी.एल.	123	4	11	138
7.	उर्वरक	77	5	17	99
8.	लौह और इस्पात	144	88	17	249
9.	तेल परिष्करणशाला	20	3	0	23

1	2	3	4	5	6
10.	कीटनाशी	77	4	13	94
11.	पेट्रोरसायन	32	5	3	40
12.	भेषज्ञ	544	52	66	662
13.	विद्युत संयंत्र	216	89	8	313
14.	लुग्दी और कागज	183	26	36	245
15.	चीनी	332	178	87	597
16.	चर्मशोधनशाला	60	12	37	109
17.	जस्ता	6	1	0	7
	कुल	2328	571	367	3266

विवरण-III

दिनांक 19.05.2014 की स्थिति के अनुसार उद्योगों की 17 श्रेणियों की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुपालन कर रहे	अनुपालन नहीं कर रहे	बंद	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	359	74	39	472
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	0	2
3.	असम	36	12	1	49
4.	बिहार	16	4	0	20
5.	छत्तीसगढ़	71	6	1	78
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0
7.	दमन और दीव	1	1	1	3
8.	दिल्ली	2	0	0	2
9.	गोवा	13	2	0	15
10.	गुजरात	302	7	8	317

1	2	3	4	5	6
11.	हरियाणा	119	6	16	141
12.	हिमाचल प्रदेश	14	0	3	17
13.	झारखंड	103	48	22	173
14.	जम्मू और कश्मीर	7	0	3	10
15.	कर्नाटक	175	30	26	231
16.	केरल	21	11	19	51
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	65	16	2	83
19.	महाराष्ट्र	317	145	58	520
20.	मेघालय	4	12	1	17
21.	मिजोरम	1	0	0	1
22.	नागालैंड	0	0	0	0
23.	ओडिशा	37	17	11	65
24.	पुदुचेरी	5	2	0	7
25.	पंजाब	57	12	18	87
26.	राजस्थान	69	31	18	118
27.	सिक्किम	3	1	0	4
28.	तमिलनाडु	165	19	5	189
29.	त्रिपुरा	10	1	6	17
30.	उत्तर प्रदेश	278	36	89	403
31.	उत्तराखंड	33	4	6	43
32.	पश्चिम बंगाल	43	74	14	131
	कुल	2328	571	367	3266

नोट : 02 राज्योंसंघ राज्यक्षेत्रों नामश: मणिपुर तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ तथा जम्मू और कश्मीर द्वारा दी गई सूचना 03 से अधिक वर्ष पुरानी है।

मेट्रो स्टेशनों को बंद करना

958. प्रो. सौगत राय: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्रियों को नई दिल्ली में महत्त्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों के बार-बार बंद होने का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मेट्रो यात्रियों को स्टेशन बंद होने संबंधी अग्रिम सूचना प्रदान करने हेतु किसी प्रणाली को आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डी.एम.आर.सी.) ने सूचित किया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान इसे निम्नलिखित मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े थे :

माह	मेट्रो स्टेशनों के बंद करने के अवसरों की संख्या	बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों का नाम	कारण
1	2	3	4
जुलाई 2013	01	साकेत	प्लेटफार्म क्षेत्र में जल रिसाव
दिसम्बर 2013	01	राजीव चौक, पटेल चौक, बाराखम्बा रोड	सुरक्षा
जनवरी 2014	04	पटेल चौक, केन्द्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, रेस कोर्स	सुरक्षा
फरवरी 2014	01	केन्द्रीय सचिवालय, उद्योग भवन	सुरक्षा
मार्च 2014	02	जोर बाग, आई.एन.ए.	सुरक्षा
अप्रैल 2014	02	तिलक नगर, सुभाष नगर, जनकपुरी पूर्व, टेगौर गार्डन, जोरबाग, आई.एन.ए. रेस कोर्स	सुरक्षा
जून 2014	01	पटेल चौक, केन्द्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, रेस कोर्स	सुरक्षा
कुल	12		

(ग) से (ङ) दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि यदि मेट्रो स्टेशन का बंद करना पूर्व नियोजित होता है एवं पहले से ज्ञात होता है तो मीडिया के माध्यम से एवं स्टेशनों पर पूर्व घोषण करके संदेश सम्प्रेषित किया जाता है। यदि अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अचानक बंद करना हो तो, स्टेशन एवं ट्रेन के भीतर घोषणा की जाती है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया को भी स्टेशन बंद होने का संदेश प्रसारित करने की सूचना दी जाती है। उपर्युक्त 12 मामलों में से 04 के बारे में पूर्व सूचना दे दी गई थी और 08 मामले अचानक बंद करने के थे।

शहरी क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार

959. श्री रामसिंह राठवा:
श्री नारणभाई काछादिया:
श्री पी.के. बिजू:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार

कुशल और अकुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु तैयार की गई स्कीमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य, वर्ष और स्कीम-वार इन स्कीमों के अंतर्गत राज्यों के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार शहरी बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार के न्यूनतम दिन सुनिश्चित करने के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु नई स्कीमें प्रारंभ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): (क) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित स्कीम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) का क्रियान्वयन कर रहा है जिसका सितम्बर, 2013 से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) में पुनर्गठन हो चुका है। इस का लक्ष्य शहरी गरीबों को स्व-सहायता समूहों में संघटित करने, शहरी गरीबों को स्वयं तथा मजदूरी आधारित रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण देने तथा ब्याज में सब्सिडी दर पर ऋण प्रदान कर स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है।

(ख) पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अंतर्गत राज्य-वार आबंटित निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अंतर्गत राज्य-वार लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर. वाई.)/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अंतर्गत आबंटित राज्यवार केन्द्रीय धनराशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4827.60	5638.61	8691.37	5573.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	259.97	259.97	322.89	716.53
3.	असम	3274.79	3413.28	4572.78	5375.77
4.	बिहार	3158.72	2280.22	3136.50	4518.44
5.	छत्तीसगढ़	1342.71	1349.54	1903.87	2201.69
6.	गोवा	115.29	135.94	221.07	91.94

1	2	3	4	5	6
7.	गुजरात	3843.37	4855.11	7060.81	10932.87
8.	हरियाणा	1597.70	1866.07	2816.29	3571.39
9.	हिमाचल प्रदेश	109.54	671.23	250.55	250.13
10.	जम्मू और कश्मीर	293.30	592.54	810.59	1449.95
11.	झारखंड	1627.99	1782.29	2360.75	3295.80
12.	कर्नाटक	4874.28	5058.16	6983.11	9484.48
13.	केरल	1376.53	2634.58	4075.71	1855.84
14.	मध्य प्रदेश	5719.08	4743.32	6299.80	7812.59
15.	महाराष्ट्र	10304.04	10271.98	15793.72	22814.89
16.	मणिपुर	799.30	799.30	854.80	1018.54
17.	मेघालय	469.49	469.49	625.69	799.26
18.	मिज़ोरम	358.74	435.41	582.82	1307.05
19.	नागालैंड	269.06	443.18	593.54	953.84
20.	ओडिशा	2083.28	1669.30	2403.62	2308.77
21.	पंजाब	2275.11	2688.07	3952.45	3846.35
22.	राजस्थान	4187.60	3953.39	5182.40	6532.15
23.	सिक्किम	44.84	116.63	156.76	276.91
24.	तमिलनाडु	6346.09	7480.88	11533.11	10730.45
25.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	5692.60
26.	त्रिपुरा	523.81	746.41	999.50	1261.65
27.	उत्तराखंड	583.96	625.97	900.35	962.76
28.	उत्तर प्रदेश	11119.01	9337.26	12524.57	15797.72
29.	पश्चिम बंगाल	5764.81	6290.54	9848.97	10474.41
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23.34	18.54	25.46	55.08

1	2	3	4	5	6
31.	चंडीगढ़	147.13	136.42	182.21	537.59
32.	दादरा और नगर हवेली	17.30	21.19	28.14	50.09
33.	दमन और दीव	12.23	23.84	32.16	34.80
34.	दिल्ली	350.00	500.00	3811.77	5353.04
35.	पुदुचेरी	150.00	150.00	207.67	342.12
	कुल	78250.01	81458.66	119745.80*	14828129*

*(1) इसमें वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बजटीय आबंटन तथा 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल अव्ययित शेष राशि।

**(2) इसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बजटीय आबंटन तथा 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध कुल अव्ययित शेष राशि।

विवरण-II

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर. वाई.)/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अंतर्गत राज्य वार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2011-12				2012-13			
		व्यक्तिगत/समूह माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या		कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये गये लाभार्थियों की संख्या		व्यक्तिगत/समूह माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या		कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये गये लाभार्थियों की संख्या	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7361	12946	17580	67664	9265	11737	38720	50567
2.	अरुणाचल प्रदेश	654	143	231	213	463	156	1496	252
3.	असम	7873	206	2890	1006	6250	190	20203	3903
4.	बिहार	5850	1449	14008	5170	5038	35	16282	58663
5.	छत्तीसगढ़	1923	4582	4600	10505	2515	4407	8468	16908
6.	गोवा	246	14	589	29	189	45	612	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	5979	9848	14363	43179	7823	3085	28673	40778
8.	हरियाणा	2250	2269	5400	2440	2961	2752	9572	4217
9.	हिमाचल प्रदेश	78	69	103	262	899	169	2904	485
10.	जम्मू और कश्मीर	392	88	983	1380	922	573	5979	1904
11.	झारखंड	2212	116	5328	438	3213	2690	10387	8733
12.	कर्नाटक	7267	12343	17386	26644	9123	8333	34489	45562
13.	केरल	2242	3920	5362	5040	3749	8003	12116	20011
14.	मध्य प्रदेश	8819	13580	21118	27586	8262	17603	28085	51269
15.	महाराष्ट्र	16624	13472	39770	56168	22301	33037	77087	60821
16.	मणिपुर	1768	0	707	1283	1431	0	4625	669
17.	मेघालय	935	0	413	0	581	34	1878	150
18.	मिज़ोरम	826	759	129	2755	857	554	2771	4913
19.	नागालैंड	601	905	53	864	91	321	2880	1350
20.	ओडिशा	3250	5939	7772	7364	3484	8594	11261	30389
21.	पंजाब	2463	59	5891	995	4698	13	15189	2502
22.	राजस्थान	6131	5947	14671	9131	8579	5629	27733	26485
23.	सिक्किम	105	106	7	908	204	73	661	112
24.	तमिलनाडु	8786	11141	21011	29656	11521	11282	41270	27570
25.	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	1314	433	462	1688	1258	458	4071	1659
27.	उत्तराखंड	909	725	2176	1890	983	694	3177	1520
28.	उत्तर प्रदेश	18638	5509	44612	31846	15805	10724	51090	11393
29.	पश्चिम बंगाल	8297	13411	19842	24870	10262	10750	36556	58116
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	54	65	96	0	43	45	140	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	चंडीगढ़	331	444	604	616	255	324	825	816
32.	दादरा और नगर हवेली	39	5	71	60	37	12	120	0
33.	दमन और दीव	27	0	50	0	149	0	480	0
34.	दिल्ली	525	316	6479	1230	727	415	2350	3807
35.	पुदुचेरी	231	534	243	760	263	254	850	215
	कुल	125000	121343	275000	363670	145000	142991	500000	535779

विवरण-III

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर. वाई.)/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के अंतर्गत राज्य वार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2013-14				2014-15			
		व्यक्तिगत/समूह माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या		कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये गये लाभार्थियों की संख्या		व्यक्तिगत/समूह माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या		कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये गये लाभार्थियों की संख्या	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11700	9275	29000	47171	2255	0	18800	742
2.	अरुणाचल प्रदेश	480	98	1000	229	290	0	2500	105
3.	असम	6100	0	15300	0	2175	0	18200	0
4.	बिहार	4235	0	10500	0	1828	0	15300	0
5.	छत्तीसगढ़	2615	4737	6400	14890	891	0	7500	0
6.	गोवा	275	164	740	680	37	0	300	0
7.	गुजरात	9550	2734	23550	42762	4424	0	36900	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हरियाणा	3750	1907	9400	21334	1445	0	12000	0
9.	हिमाचल प्रदेश	350	266	800	1236	101	0	850	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1125	771	2700	4579	587	0	4900	0
11.	झारखंड	3180	170	7900	1803	1334	0	11000	0
12.	कर्नाटक	9385	13576	23400	40338	3838	0	32000	0
13.	केरल	5385	6907	13700	9402	751	0	6300	0
14.	मध्य प्रदेश	8485	13147	21000	59109	3161	37	26400	6342
15.	महाराष्ट्र	21135	31656	52800	86223	9232	0	76900	0
16.	मणिपुर	1200	517	2800	683	412	0	3500	0
17.	मेघालय	750	6	2100	32	323	0	2700	
18.	मिज़ोरम	840	288	2000	2620	529	0	4400	0
19.	नागालैंड	840	440	1900	1845	386	81	3300	705
20.	ओडिशा	3305	4496	8000	32237	934	0	7800	0
21.	पंजाब	5350	76	13200	9603	1556	0	125000	0
22.	राजस्थान	6950	4910	17300	30598	2643	0	2200	0
23.	सिक्किम	240	27	500	1744	112	0	900	0
24.	तमिलनाडु	15245	19213	38500	121378	4342	0	36200	0
25.	तेलंगाना	0	0	0	0	2303	0	19200	0
26.	त्रिपुरा	1330	150	3300	503	511	0	4200	0
27.	उत्तराखंड	1225	1124	3000	4277	390	0	3300	0
28.	उत्तर प्रदेश	16725	8542	41900	100491	6392	0	53300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	पश्चिम बंगाल	13160	8434	33000	49160	4238	0	35400	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	65	49	400	0	22	0	200	0
31.	चंडीगढ़	310	294	600	1382	218	0	1800	0
32.	दादरा और नगर हवेली	70	0	100	0	20	0	200	0
33.	दमन और दीव	70	0	110	0	14	0	150	0
34.	दिल्ली	4250	132	12700	19198	2166	0	18000	983
35.	पुदुचेरी	325	94	700	0	138	0	1100	0
	कुल	160000	134160	400000	705507	60000	118	500000	8877

*केवल 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मई, 2014 माह तक अपनी एम.पी.आर. प्रस्तुत की हैं।

बाघ गणना विधि

960. **श्रीमती के. मरगथम:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाघों को गिनने के लिए विद्यमान खुर मार्क विधि के स्थान पर कोई अन्य वैज्ञानिक विधि लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई विधि को कब तक अपनाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) से (ग) वर्ष 2006 से देश स्तरीय बाघ आकलन, बाघ कार्य बल द्वारा यथासंस्तुत एक नई एवं परिष्कृत पद्धति से किया जा रहा है जो बाघों की स्थानीय मौजदूगी पर आधारित है और जिसमें सांख्यिकीय ढांचे में कैमरा ट्रैप्स का प्रयोग करके बाघों की मौजदूगी वाले वनों की सैम्पलिंग की जाती है। यह पद्धति खुर मार्क की गणना करने की पहले की पद्धति से तुलनीय नहीं है। इसके अलावा, कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघों की न्यूनतम संख्या का पता लगाने के लिए स्कैट नमूने का डी.एन.ए. विश्लेषण भी किया जाता है।

रुग्ण/बंद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

961. **श्री निशिकान्त दुबे:**
श्री पी. करुणाकरन:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की संख्या कितनी है और इस क्षेत्र

में कितने लोग रोजगाररत हैं और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में इनका कितना योगदान रहा;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान बड़ी संख्या में एम.एस.एम.ई. बंद/रुग्ण हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कारण बेरोजगार हुए कामगारों की संख्या कितनी है; और

(घ) इनके पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की संख्या और इस क्षेत्र में रोजगार संबंधी जानकारी समय-समय पर इस क्षेत्र की अखिल भारतीय गणना करके एकत्रित की जाती है। नवीनतम गणना (आधार संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ), जिसमें 2009 तक आंकड़े एकत्रित किए गए थे और परिणाम 2011-12 में प्रकाशित किए गए थे, और साथ ही चौथी गणना से बाहर रखे गए कार्यकलापों, जैसे थोक/खुदरा व्यापार, वैधानिक, शैक्षिक और सामाजिक सेवाएं, होटल व रेस्तरां, परिवहन तथा भंडारण व गोदाम (कोल्डस्टोरेज को छोड़कर) के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ.), सांख्यिकी व कार्यृम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) द्वारा आयोजित आर्थिक गणना 2005 से लिए गए आंकड़ों के अनुसार, एम.एस.एम.ई. की कुल संख्या और एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में कुल रोजगार क्रमशः 361.74 लाख और 805.24 लाख है।

सी.एस.ओ. एम.ओ.एस.पी.आई. द्वारा प्रकाशित सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) संबंधी आंकड़ों और (आधार संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ आयोजित) नवीनतम गणना (चौथी गणना), जिसमें 2009 तक आंकड़े एकत्रित किए गए थे और परिणाम 2011-12 में प्रकाशित किए गए थे, के अंतिम परिणामों के आधार पर सी.एस.ओ. एम.ओ.एस.पी.आई. द्वारा सुझाई गई संशोधित क्रियाविधि के अनुसार, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान जी.डी.पी. में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र का अनुमानित योगदान निम्नानुसार है :

कुल जी.डी.पी. में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र का अंश (%)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4
विनिर्माण क्षेत्र एम.एस.एम.ई.	7.39	7.37	7.04
सेवा क्षेत्र एम.एस.एम.ई.	29.30	30.70	30.50
कुल	36.69	37.97	37.54

(ख) और (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, देश में रुग्ण एम.एस.एम.ई. की संख्या से संबंधित मार्च 2011, 2012 और 2013 (अनंतिम) के अंत की स्थिति के अनुसार क्रमशः 92,258, 88,635 और 2,22,204 है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है। इससे बेरोजगार हुए कामगारों की संख्या के संबंध में जानकारी आर.बी.आई. द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ) वाणिज्यिक बैंकों सहित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा जीवनक्षम रुग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के पुनरुद्धार के लिए पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाता है। जो एम.एस.ई. को ऋण प्रदान करते हैं। रुग्ण एम.एस.ई. के पुनर्वास के लिए 1 नवंबर, 2012 को आर.बी.आई. द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों में, अन्य चीजों के साथ-साथ, निम्नलिखित का प्रावधान है :

1. रुग्णता की शुरुआती पहचान;
2. एक व्यवहार्यता अध्ययन जो संभावित जीवनक्षम रुग्ण एम.एस.ई. के लिए पुनर्वास पैकेज का आधार होगा।
3. एम.एस.ई. क्षेत्र के लिए अविवेकाधीन एकबारगी निपटान योजना।

विवरण-I

मार्च 2011 के अंत तक रुग्ण, लघु और मध्यम उद्यम की राज्यवार व्यवहार्यता स्थिति

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संभावित रूप से व्यवहार्य		अव्यवहार्य		व्यवहार्यता अभी निश्चित की जानी है		कुल रुग्ण इकाइयों		पोषणाधीन व्यवहार्य इकाइयों	
		इकाइयों	बकाया राशि	इकाइयों	बकाया राशि	इकाइयों	बकाया राशि	इकाइयों	बकाया राशि	इकाइयों	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जम्मू और कश्मीर	290	6.88	1150	34.22	339	8.08	1779	49.18	22	1.81
2.	हिमाचल प्रदेश	68	34.42	734	45.12	4	0.52	806	80.06	69	34.44
3.	पंजाब	198	32.86	1487	112.88	23	45.21	1708	190.95	175	21.76
4.	चंडीगढ़	1	11	148	24.29	2	0.12	151	35.41	1	11
5.	उत्तराखंड	112	1.9	256	28.38	0	0	368	30.28	5	0.07
6.	हरियाणा	29	20.43	433	22.92	5	0.65	467	44	28	14.29
7.	दिल्ली	107	35.75	3767	257.1	448	47.67	4332	362.52	100	33.97
8.	राजस्थान	195	8.23	1475	32.05	76	12.49	1746	52.77	61	0.32
9.	उत्तर प्रदेश	1292	101.01	3295	179.25	106	10	4693	290.25	525	64.76
10.	बिहार	473	9.2	4104	93.04	323	14.04	4900	116.28	449	8.68
11.	सिक्किम	0	0	21	2.56	0	0	21	2.56	0	0
12.	अरूणाचल प्रदेश	15	0.42	94	3.15	0	0	109	3.57	0	0
13.	नागालैण्ड	2	0.14	21	1.73	0	0	23	1.87	0	0
14.	मणिपुर	1	0.01	22	0.34	0	0	23	0.35	1	0.01
15.	मिज़ोरम	2	65.52	8	1.75	0	0	10	67.27	0	0
16.	त्रिपुरा	10	9.46	22	24.04	0	0	32	33.5	1	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मेघालय	4	52.9	282	7.37	0	0	286	60.27	0	0
18.	असम	35	79.72	461	41.96	11	3.38	507	125.06	3	0.35
19.	पश्चिम बंगाल	288	218.2	7985	1,512.67	90	46.67	8363	1,777.54	169	109.86
20.	झारखंड	222	27.55	1245	38.6908	16	12.7	1483	78.9408	76	14.82
21.	ओडिशा	291	24.58	4676	96.18	18	19	4985	139.76	182	18.83
22.	छत्तीसगढ़	47	3.46	970	36.36	38	2.3	1055	42.12	51	7.94
23.	मध्य प्रदेश	298	24.5	7631	155.85	245	21.11	8174	201.46	148	8.04
24.	गुजरात	579	105.72	3698	441.09	174	25.07	4451	571.88	556	69.47
25.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	महाराष्ट्र	787	174.5	5668	1,357.88	2528	182.19	8983	1,714.58	719	86.43
28.	आंध्र प्रदेश	2.76	121.75	10,765	427.29	350	258.53	11391	607.57	234	32.42
29.	कर्नाटक	534	141.29	5622	569.49	1032	98.47	7188	809.25	235	80.52
30.	गोवा	24	40.68	123	7.71	11	1.24	158	49.63	21	40.17
31.	केरल	382	58.05	4595	222.38	405	9.97	5382	290.4	293	43.57
32.	तमिलनाडु	739	240.8	6172	773.19	308	82.82	7219	1,096.81	697	97.3
33.	पुदुचेरी	2	0.48	1455	8.06	0	0	1457	8.54	0	0.48
34.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	8	0.25	0	0	8	0.25	0	0
	अखिल भारत योग	7303	1,673.41	78,393	6559.241	6562	702.23	92,258	8934.881	4823	801.23

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

विवरण-II

मार्च 2012 के अंत तक रुग्ण, लघु और मध्यम उद्यम की राज्यवार व्यवहार्यता स्थिति

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संभावित रूप से व्यवहार्य		अव्यवहार्य		व्यवहार्यता अभी निश्चित की जानी है		कुल रुग्ण इकाइयों		पोषणाधीन व्यवहार्य इकाइयों	
		इकाइयों	बकाया राशि	इकाइयों	बकाया राशि	इकाइयों	बकाया राशि	इकाइयों	बकाया राशि	इकाइयों	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जम्मू और कश्मीर	53	17.91	1209	81.71	2	2.34	1264	101.96	47	9.83
2.	हिमाचल प्रदेश	43	4.74	500	26.88	0	0	543	31.62	26	1.35
3.	पंजाब	212	414.7	1550	207.76	21	19.81	1783	642.27	167	12.63
4.	चंडीगढ़	0	0	72	41.6	0	0	72	41.6	0	0
5.	उत्तराखंड	78	6.44	234	18.24	2	1.15	314	25.83	19	0.04
6.	हरियाणा	132	682.24	2838	149.21	47	19.45	3017	850.9	32	4.51
7.	दिल्ली	108	653.8	1494	1,193.59	208	23.17	1810	1,870.56	119	44.97
8.	राजस्थान	137	444.45	4978	53.03	240	35.61	5355	533.09	213	7.8
9.	उत्तर प्रदेश	1713	186.29	3660	181.07	115	22.21	5488	389.57	1471	36.29
10.	बिहार	732	16.66	4979	180.05	34	0.65	5745	197.36	40	0.47
11.	सिक्किम	0	0	38	1.1	0	0	38	1.1	0	0
12.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	नागालैण्ड	0	0	7	2.78	1	0.37	8	3.15	0	0
14.	मणिपुर	45	0.54	98	1.13	0	0	143	1.67	0	0
15.	मिज़ोरम	0	0	38	61	0	0	38	61	0	0
16.	त्रिपुरा	0	0	12	5.09	0	0	12	5.09	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मेघालय	4	0.13	14	12.96	0	0	18	13.09	4	0.13
18.	असम	242	3.19	333	92.79	29	11.03	604	107.01	124	1
19.	पश्चिम बंगाल	997	874.7	8010	879.15	106	40.74	9113	1,794.59	862	107.65
20.	झारखंड	485	119.84	1672	58.35	59	6.56	2216	184.75	459	20.85
21.	ओडिशा	617	28.37	5296	147.92	19	12.91	5932	189.2	163	3.69
22.	छत्तीसगढ़	65	72.35	641	46.73	56	2.57	762	121.65	39	7.12
23.	मध्य प्रदेश	397	56.11	3228	331.96	136	55.44	3761	443.51	399	9.68
24.	गुजरात	421	1,059.94	5837	473	116	41.48	6374	1,574.42	349	52.79
25.	दमन और दीव	0	0	17	0.21	1	7.51	18	7.72	0	0
26.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
27.	महाराष्ट्र	500	1,153.75	6930	967.94	2850	195.84	10280	2,317.52	442	181.48
28.	आन्ध्र प्रदेश	410	630.14	3464	444.77	110	46.05	3984	1,120.96	112	103.61
29.	कर्नाटक	1652	340.45	3299	341.45	820	31.34	5771	713.24	1338	221.3
30.	गोवा	15	12.54	78	1.91	16	2.77	109	17.22	13	12.53
31.	केरल	447	39.49	4274	133.5	740	19.36	5461	192.35	56	27.02
32.	तमिलनाडु	1079	732.42	7011	1169.2	353	32.44	8443	1,934.06	273	524.1
33.	पुदुचेरी	20	0.11	130	6.21	0	0	150	6.32	1	0
34.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	8	0.26	0	0	8	0.26	0	0
	अखिल भारत योग	10604	7551.3	71,950	7,312.55	6081	630.8	88,635	15,494.64	6768	920.84

स्रोत : भारतीय रिवर्ज बैंक।

विवरण-III

मार्च 2013 के अंत तक रुग्ण, लघु और मध्यम उद्यम की राज्यवार व्यवहार्यता स्थिति

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संभावित रूप से व्यवहार्य		अव्यवहार्य		व्यवहार्यता अभी निश्चित की जानी है		कुल रुग्ण इकाइयों		पोषणाधीन व्यवहार्य इकाइयों	
		इकाइयों	बकाया राशि	इकाइयों	बकाया राशि	इकाइयों	बकाया राशि	इकाइयों	बकाया राशि	इकाइयों	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जम्मू और कश्मीर	53	12.05	1175	47.98	99	18.14	1327	78.17	11	1.78
2.	हिमाचल प्रदेश	86	72.38	1446	145.34	422	18.48	1954	236.2	13	69.45
3.	पंजाब	235	158.34	2663	450.78	849	156.35	3747	765.47	33	137.67
4.	चंडीगढ़	170	19.55	414	134.85	75	102.89	659	257.27	169	19.5
5.	उत्तराखंड	1059	44.74	932	45.25	2581	89.7	4572	179.69	116	5.68
6.	हरियाणा	102	87.28	1529	315.91	1720	64.91	3351	468.1	28	84.32
7.	दिल्ली	151	266.33	2023	634.28	671	146.77	2845	1,047.38	42	186.25
8.	राजस्थान	611	53.47	12908	128	6824	107.61	20,343	289.08	375	49.12
9.	उत्तर प्रदेश	1263	981.84	16,389	390.68	1452	198.33	19104	1,570.86	1072	851.52
10.	बिहार	369	180.51	4532	193.45	804	21.45	5705	395.41	222	170.67
11.	सिक्किम	7	0.36	56	3.73	0	0	63	4.09	3	0.12
12.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	49	2.24	26	5.8	75	8.04	0	0
13.	नागालैण्ड	0	0	107	5.81	40	5.32	147	11.13	0	0
14.	मणिपुर	4	0.01	143	1.68	1	0.01	148	1.7	0	0
15.	मिज़ोरम	0	0	152	3.36	7	2.08	159	5.44	0	0
16.	त्रिपुरा	9	0.04	5	0.08	2	0.03	16	0.15	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मेघालय	5	0.1	28	1.57	36	0.4	69	2.07	0	0
18.	असम	176	5.35	777	48.87	365	147.68	1318	201.9	150	4.26
19.	पश्चिम बंगाल	1003	329.93	8754	926.12	1760	376.01	11,517	1,632.06	219	290.18
20.	झारखंड	537	96.37	4284	88.3	210	16.8	5031	201.47	132	77.72
21.	ओडिशा	610	41.43	10,346	357.89	819	36.71	11,775	436.03	163	30.17
22.	छत्तीसगढ़	218	19.81	2663	66	121	3.89	3002	89.7	15	8.07
23.	मध्य प्रदेश	524	124.55	9726	333.95	1041	46.36	11291	504.86	97	113.61
24.	गुजरात	798	253.4	19000	529.7	817	53.46	20,615	836.56	212	188.34
25.	दमन और दीव	0	0	16	0.17	9	3.57	25	3.74	0	0
26.	दादरा और नगर हवेली	0	0	19	0.39	3	1.43	22	1.82	0	0
27.	महाराष्ट्र	1222	1,006.85	28,143	1,746.83	3023	384.22	32,388	3,137.91	473	809.5
28.	आन्ध्र प्रदेश	941	505.28	8080	621.94	3440	141.53	12,461	1,268.73	578	423.89
29.	कर्नाटक	1147	356.62	11,836	409.25	2862	173.96	15,845	939.84	180	172.5
30.	गोवा	33	5.93	134	23.11	27	1.59	194	30.63	22	5.75
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	केरल	555	35.83	6157	108.39	1998	66.44	8710	210.65	46	14.9
33.	तमिलनाडु	1345	787.95	18945	805.02	3178	221.5	23,468	1,814.47	378	573.61
34.	पुदुचेरी	39	0.66	113	6.88	38	0.14	190	7.68	2	0.01
34.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	0.67	37	0.68	22	0.24	68	1.59	7	0.67
	अखिल भारत योग	13,281	5,447.63	173,581	8,578.48	35,342	2613.8	222,204	16,639.89	4758	4,289.26

स्रोत : भारतीय रिर्जव बैंक

पर्यावरणीय परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता

962. **श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्य सरकार ने कुछ पर्यावरणीय और वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने सरकार को ऐसी सहायता प्रदान करने हेतु कोई शर्त निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) विश्व बैंक सहायता के प्रयोग हेतु सरकार द्वारा क्या रूपरेखा तैयार की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) और (ख) जी, हां। परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) विश्व बैंक द्वारा शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं। सरकार और ऋणदाता अभिकरण के बीच लोन/क्रेडिट करार में सामान्यतया लोन/क्रेडिट की शर्तों पर क्रियान्वित किए जाने वाला एक सहमत कार्रवाई कार्यक्रम शामिल होता है।

विवरण

संगत सहायता के उपयोग की स्थिति सहित परियोजना-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	निधीयन का स्रोत	विश्व बैंक के अनुमोदन की तिथि	परियोजना की समापन तिथि	विश्व बैंक से मांगी गई सहायता (मिलियन अमरीकी डॉलर)	वर्तमान स्थिति: संवितरित राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर)
1	2	3	4	5	6	7
जारी-परियोजनाएं						
1.	एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना	आईडीए#	15.06.2010	31.03.2015	221.96	57.91
2.	औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन परियोजना हेतु क्षमता निर्माण	आईडीए आईबीआरडी@	30.06.2010	30.09.2015	64.15	9.68
3.	अति सूक्ष्म और मध्यम उपक्रमों में वित्तीयन ऊर्जा दक्षता	जीईएफ*	27.05.2010	31.12.2014	11.30	3.67
4.	राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना	आईडीए आईबीआरडी	31.05.2011	31.12.2019	1,000.00	64.74

1	2	3	4	5	6	7
5.	जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार	आईडीए जीईएफ	17.05.2011	31.03.2018	15.36 8.14	3.01
6.	हिमाचल प्रदेश : (दूसरी श्रेणी) विशिष्ट हरित वृद्धि और सतत विकास के लिए विकास नीति ऋण	सीटीएफ&	16.05.2014	30.11.2014	100.00	0.00
7.	चिलर ऊर्जा दक्षता परियोजना	जीईएफ अन्य	30.06.2009	31.12.2014	7.30	1.49
तैयारी के विभिन्न चरणों के अंतर्गत पाइपलाइन परियोजनाएं						
1.	पारिप्रणाली सेवा सुधार परियोजना	जीईएफ	24.08.2011$		24.64	
2.	नवीनतम निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने हेतु आंशिक जोखिम गारंटी कार्यतंत्र	जीईएफ	24.08.2011$		35.00	
3.	जलवायु परिवर्तन प्रौद्योगिकी नवाचार हेतु नेटवर्क	जीईएफ	24.08.2011		10.00	
4.	भारत के अर्ध-शुष्क राज्यों में आजीविका अनुकूलन के लिए समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से जलवायु प्रतिस्कन्दन	जीईएफ	24.08.2011		25.00	

$ परियोजना को प्रस्तुत करने की तिथि; विश्व बैंक से सहायता के रूप में मांगी गई राशि में परियोजना के अंतिम आभिकल्प और आबंटन के आधार पर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)।

@ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)।

* वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)।

& स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष, विश्व बैंक।

[हिन्दी]

भूकंपीय कार्यकलापों संबंधी आंकड़े

963. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सभी कम तीव्रता वाले भूकंपीय कार्यकलापों से संबंधित आंकड़े संग्रहित कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन किए गए भूकंप जोनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों में अनेक पन-विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं, बांध और परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, ऐसे विभिन्न स्थानों पर भूकंपीय झटकों की निगरानी के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) जी हां। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन-भारत मौसम विज्ञान विभाग (ई.एस.एस.ओ. -आई.एम.डी.) राष्ट्रीय भूकंप वैज्ञानिक नेटवर्क के माध्यम से सतत् आधार पर भूकंप गतिविधि को मॉनीटर करता है।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने आई.एस. 1893:2002 के आधार पर भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र को तैयार किया है जो चार भूकंपीय जोनों को दर्शाता है अर्थात् जोन-II, जोन-III, जोन-IV और जोन-V जो सबसे ज्यादा संवेदनशील जोन है। इस भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र को नए अर्जित डेटा का उपयोग करते हुए आवधिक आधार पर अपडेट किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा रख-रखाव किए गए बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी) के अनुसार पूर्ण बड़े बांधों की राज्यवार सूची और राज्य सरकारों/प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उपलब्ध अतिरिक्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) भू-तकनीकी इंजीनयरिंग में वैश्विक प्रगति और बांधों के डिजाइन, अनुसंधान और निर्माण में हुए विकास को देखते हुए, भारत बांधों, परमाणु बिजली संयंत्रों और पन-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण सहित विकास परियोजनाओं के निष्पादन में सक्षम है, जो कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के जरिए भूकंपीय झटके सहन कर सकते है।

केन्द्रीय जल आयोग के बांध सुरक्षा संगठन की संस्तुतियों के अनुसार सरकार ने समय-समय पर महाराष्ट्र-जलाशयों जैसे कि कोयना और वरना; आंध्र प्रदेश के नार्गाजुन सागर और श्रीसेलम और भारतीय परमाणु ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड लों कीके परमाणु ऊर्जा स्थ (एनपीसीआईएल) भूकंपीय मॉनीटरिंग करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कदम उठाए हैं। विद्यमान बांध/रखाव के संबंध में भूकंप आने के-जलाशयों के सुरक्षित प्रचालन और रख/ बाद बांधों के निरीक्षण हेतु कुछ दिशा निर्देश भी बनाए गए हैं।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए सुरक्षा आवश्य (एन.पी. पी.) कताओं का ब्यौरा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) "द्वारा तैयार किए गए परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना में सुरक्षा प्रक्रिया पद्धति" और संबंधित "सुरक्षा दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट किया गया हैं, जिनका लगातार पुनरीक्षण किया जाता है।"

फुकुशिमात् की घटना के पश्चा (जापान), सरकार ने प्रचालन तथा निर्माणाधीन सभी भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा समीक्षा करने का निर्देश दिया है। तद्नुसार, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा बनाई गई समिति के साथ मिलकर भारतीय परमाणु ऊर्जा कॉरपोरेशन की टॉस्क फोर्स ने भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा समीक्षा की। इन समीक्षाओं से यह पता चलता है कि भारतीय रिएक्टर सुरक्षित है और इनके डिजाइन में पर्याप्त मार्जिन और विशेषताएं हैं जो कि विषम प्राकृति घटनाओं जैसे कि भूकंपों और सुनामियों को सहन कर सकती है।

विवरण

सीडब्यूसी द्वारा रख-रखाव किए गए पूर्ण बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी) में राज्यवार बड़े बांधों की संपूर्ण सूची और राज्य सरकारों/प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर उपलब्ध अतिरिक्त सूचना

राज्य-उत्तराखंड

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	इचारी	IV
2.	रामगंगा	IV
3.	मनेरी स्टेज	IV

1	2	3
4.	धौलीगंगा बांध	V
5.	टनकपुर बैराज	IV

राज्य-असम

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	खनडोंग	V
2.	उमरोन्ग बांध	V

राज्य-पंजाब

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	नंगल	IV
2.	मायली	IV
3.	ढोलबाहा	IV
4.	जनौरी	V
5.	धमसाल	IV
6.	चोहल	IV
7.	परच	IV
8.	सालेरन	IV
9.	मिर्जापुर	IV
10.	सिसवान	IV
11.	जैनती	IV
12.	पतियारी	IV
13.	थाना	IV

राज्य-केरल

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	पेरुवारीपल्लम	IV

राज्य-हरियाणा

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	कौशल्या बांध	IV

राज्य-गुजरात

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	पनैलिया	IV
2.	रेवानिया	IV
3.	लालपरी	IV
4.	वेरी	IV
5.	खम्बाला	IV
6.	विजारकी	IV
7.	अधिया	IV
8.	अलनसागर	IV
9.	हंस्ताल	IV
10.	मोल्दी	IV
11.	राजावडाला	IV
12.	चिमनाबाई झील	IV
13.	पनैली	IV
14.	आनंदपर	

1	2	3
15.	कुवाढ़वा	IV
16.	मोटा बंधरिया	IV
17.	फकीरवाडी	V
18.	धमैली	IV
19.	पिच्छवी	IV
20.	शाइनी	IV
21.	वांध	V
22.	लेर	V
23.	खरोड	IV
24.	लीलपुर-I	IV
25.	सनावा	V
26.	अम्बाला	V
27.	ममुआरा	V
28.	धनैती	V
29.	कल्याणपर	V
30.	खेनगर सागर	V
31.	शिहान	IV
32.	माच्छापारो	V
33.	माधापर-I	V
34.	वालावड	V
35.	झूरन	V
36.	राजाड़ा	V
37.	बाड़ी-पडवा	IV
38.	कोठारिया	IV
39.	रातिया	V
40.	विजयसागर	IV
41.	तारा-मंजल	V
42.	कपाड़धार	V
43.	कुआपड़धार	V
44.	कलारवंध	IV
45.	बांध-मांडवी	V
46.	भुज	V
47.	काडोली	V
48.	वनोथी	V
49.	रंगहोला	IV
50.	सिन्हन	IV
51.	वेदमती	IV
52.	भीमडाड़	IV
53.	ब्राह्मणी	IV
54.	घी	IV
55.	लिलपार-II	V
56.	लोटिया	V
57.	मौवाना	V
58.	अजि I	IV
59.	बादरगढ़ (शिव)	V
60.	छहसारा	V
61.	फुलरा	V
62.	सरगौला	V

1	2	3
63.	सासोई	IV
64.	शिवलाखा	V
65.	चोरवड़ाला	IV
66.	गजोढ़	V
67.	कालिया	V
68.	स्नानधारो	V
69.	सोलमाटिया	IV
70.	वेनगाढ़ी	V
71.	अधोचैनी	V
72.	बालाढ़धोर	V
73.	धंधहावडा	IV
74.	गोंडली	IV
75.	कनकावती	V
76.	खरुआ	V
77.	मोज	IV
78.	वेनू	IV
79.	कुंडढ़ाडा	IV
80.	विघोडी	V
81.	बालापर बुडाडरो	V
82.	बेला	V
83.	हताढी	V
84.	हीरन-I	IV
85.	जेतावाडा	V
86.	वामका	V

1	2	3
87.	गजनसर	V
88.	माच्छु-I	IV
89.	शेतरुंजी	IV
90.	देमी-I	IV
91.	ढोबहरिया	IV
92.	फुलजार-I	IV
93.	जड़ावास	V
94.	कोडोली/काडोली	V
95.	मेवासा	V
96.	फोट	V
97.	वायोर	V
98.	भीमरिया	IV
99.	धरुफैनिया	IV
100.	कोयाडैम	IV
101.	कंडोल टैंक	IV
102.	लिमडी भोगावगो-I	IV
103.	चांग	IV
104.	चावाडका	IV
105.	एकलिया	IV
106.	फराडी	V
107.	पीपराला	IV
108.	सापडा	IV
109.	शिवसागर	IV
110.	थोरिलिया मी टैंक	IV

1	2	3
111.	ऊमरी	IV
112.	वामका	V
113.	वादा-तारवाडा	V
114.	बारांदा	V
115.	भदर	IV
116.	बुरखान	V
117.	हसनपुर	IV
118.	कंजारा	IV
119.	रखाडी	V
120.	थोरली-लिमडी-भोगावो	IV
121.	वास्तावा	V
122.	बाघा पाधर	V
123.	भद्रा	V
124.	वास्तावा	V
125.	बालमडी	IV
126.	बंभहाका	V
127.	सुरखान	V
128.	देवलिया	V
129.	कोडियार	IV
130.	सापदा	IV
131.	शेतरुंजी खोडियार	IV
132.	वारतु-I	IV
133.	भागुडा	IV
134.	चिरोदा	IV

1	2	3
135.	करुदा-दाबहुंडा	V
136.	खारी	IV
137.	नानीबेर	V
138.	ओडारका	IV
139.	वारतु	IV
140.	धुनई	V
141.	जाडे	V
142.	कौरुन्दा	V
143.	खराडिया	V
144.	लोरिया	V
145.	सुवी	V
146.	भरापार	V
147.	निरुना	V
148.	रुद्रमाता	V
149.	वाछाप्पारी	IV
150.	विरानी	V
151.	दरसाडी	V
152.	गोडादिया	V
153.	लोढ़रानी	V
154.	नंदासार	V
155.	बीमीथिया-I	IV
156.	धारी	IV
157.	फतेहगढ़ (एम)	V
158.	रामगड़बो	IV

1	2	3
159.	वंथाली	IV
160.	अधोई-I	IV
161.	बुटा	V
162.	चंद्राभागा	IV
163.	जगाडी	IV
164.	कुनारिया	V
165.	मनकुवा	V
166.	मेवासा	IV
167.	सारियामति	IV
168.	सेंजल	IV
169.	मापर	V
170.	वनाला	IV
171.	बमनबोर	IV
172.	बेंदियाबेली	IV
173.	भद्रेश्वर	V
174.	चापरवाडी-I	IV
175.	चापरवाडी-लुनिवाव	IV
176.	जाम दादर	IV
177.	कालिन्दरी	IV
178.	खारी	IV
179.	कुंताला	IV
180.	मेसरिया-1	IV
181.	मोधुवंती टीआर	IV
182.	मोतीखरसोली	IV

1	2	3
183.	नानामत्रा	IV
184.	रतनपर	V
185.	सेंजल	IV
186.	वंसैली	IV
187.	अम्बराडी	IV
188.	आनंदपर	IV
189.	बामाथिया-2	IV
190.	दादर	IV
191.	देवधारी	IV
192.	जटावाढ़ा-II	V
193.	झनजेरी	IV
194.	खडकंबाली	IV
195.	खिलावाढ़ एम.आई	IV
196.	खोडारार	V
197.	रानीपत	V
198.	सोरती	IV
199.	सुरवनाला	IV
200.	थारावाड़ा	V
201.	थिकरियाला	IV
202.	अम्बाजल	IV
203.	नानाअंगिया	V
204.	बौखा	V
205.	चचका	IV
206.	धरेशी	V

1	2	3
207.	गोडची	IV
208.	गोकलाना	IV
209.	हालारा	V
210.	काकरी माहुदी	IV
211.	कसवाटी	V
212.	कोरीयानी	V
213.	मधुवंती	IV
214.	मंजल-रेलडिया	V
215.	मोर्चाबाना	V
216.	न्यारी-1	IV
217.	रूपन	IV
218.	रूपन एम.आई.	IV
219.	सावदी	IV
220.	स्वर्णनाला	IV
221.	अम्बाकुई	V
222.	अनीडा	IV
223.	भेखाडू	V
224.	डांगरा	IV
225.	देवसर	V
226.	फुल्जार II	IV
227.	गाढ़ापुथा	V
228.	केवाडी	V
229.	खोरना	IV
230.	मुलबावला	IV
231.	रावना	IV
232.	सरतनपर	IV
233.	जार	IV
234.	बंधारा	V
235.	गोयला	V
236.	इसार	V
237.	काकरवा	V
238.	भद्रेश्वर	V
239.	गढ़दा-रासाजी	V
240.	लाडोई	IV
241.	माच्छलीवाड़	IV
242.	फोफल I	IV
243.	उमरापर	V
244.	बंद्रा	V
245.	बंदेरिया	IV
246.	बेहमपुरा	IV
247.	भोदी	IV
248.	चापरवाडी (जे)	IV
249.	घुघरियाना	V
250.	हडमातिया	IV
251.	जगैडी	IV
252.	मच्छुन्दी	IV
253.	रजावल	IV
254.	रतनाल	V

1	2	3
255.	रावल II	IV
256.	सानोसारा	V
257.	सेराई	V
258.	शिनगोडा	IV
259.	वाइदे	IV
260.	वावोर	V
261.	वीरपुर	IV
262.	बेदी एम.आई	IV
263.	हस्तसानी	IV
264.	मोटा कंथरिया	IV
265.	मुवल	IV
266.	नारा	V
267.	नावाभेतली	V
268.	पंचावडा	IV
269.	संधारा	V
270.	सुवाग	IV
271.	थानागलोल	IV
272.	हीरना-II	IV
273.	जलीढ़ा	IV
274.	खारो	IV
275.	खोटदा	IV
276.	माथल	V
277.	मेसेरिया	IV
278.	सनाला	IV

1	2	3
279.	अम्लवाड़	IV
280.	बेराचिया	V
281.	भराड़	IV
282.	भुखी	V
283.	देदारानी	V
284.	फरेरा	IV
285.	घोडातड़	V
286.	ईश्वरिया	IV
287.	जनगाडिया	V
288.	जुनाचे	V
289.	लुड़वा	V
290.	मिट्टी	V
291.	मोहबनेस	IV
292.	नगरपिपलिया	IV
293.	तुरका	IV
294.	वडाली	IV
295.	वाडा-तारावाडा	V
296.	वाघवडारदा	IV
297.	डोन	V
298.	करमाल	IV
299.	लखहनका	IV
300.	रंगमति	IV
301.	वडालिया	IV
302.	जालू	V

1	2	3
303.	अधपुर	IV
304.	बंगावाड़ी	IV
305.	देवहारी	IV
306.	ढांध	IV
307.	हमीरपारा	IV
308.	इंगोराला	IV
309.	जडसा	V
310.	खाता	IV
311.	अबांनी-खोडियार	IV
312.	भगवानजीना मुवदा	IV
313.	भानमेर	IV
314.	दोमदा एम.आई	IV
315.	जेसर	IV
316.	कालूभर	IV
317.	मोटा-जिनजूदा	IV
318.	न्यारी II	IV
319.	पियोनी	V
320.	तोड़ा	IV
321.	वनकोल	IV
322.	अजी II	IV
323.	अरनी	IV
324.	कालाघोघा	V
325.	मेगल टीआर	V
326.	पिपारदी	V
327.	रामपरी	IV
328.	रानिगपर	IV
329.	सारकी	IV
330.	व्रजमी	V
331.	ढांगरा	IV
332.	धावड़ा	V
333.	कोटाड़िया	IV
334.	लाखापाधर	IV
335.	मामासी	IV
336.	रानाला	IV
337.	उमराला	IV
338.	ऊंद I	IV
339.	वेकारी	IV
340.	वेनु II	IV
341.	अजी III	IV
342.	देमी II	IV
343.	माच्छू II	IV
344.	मोटी-कोंडूल	IV
345.	सोड़ वादर	IV
346.	फतेहगढ़	V
347.	लालोई	IV
348.	मनारी	IV
349.	पंच देवदा	IV
350.	शेनी	IV

1	2	3
351.	सिंपु	IV
352.	वनसाल	IV
353.	कनकावती	IV
354.	मोतीसर	IV
355.	दाई (मिनीसर)	IV
356.	फाल्कू	IV
357.	गेवनशापीर	IV
358.	रेशमाड़ी गलोल	IV
359.	सानी	IV
360.	सोनमती	IV
361.	ऊबेन	IV
362.	वादाल	IV
363.	वाडिया	IV
364.	मेधा क्रीक टीआर	IV
365.	नोली	IV
366.	धोडाधरोई	IV
367.	मोटा-छैडा	IV
368.	रायदी	IV
369.	सोगथी	IV
370.	तापर	V
371.	लिम्बाली	IV
372.	थेबी	IV
373.	धरावाड	IV
374.	फाडनबेटी	IV
375.	लच्छादी	V
376.	लिमडी-भोगावो II	IV
377.	अधवाना	IV
378.	भरुड़िया	V
379.	भोगथ बंधारा	IV
380.	फलजार (केबी)	IV
381.	जुम्बुढ़ा-बंधारा	V
382.	त्रिवेनी त्रंगा	IV
383.	ऊंद II	IV
384.	वोदीसंग	IV
385.	मोरसल	IV
386.	अजी IV	IV
387.	बलियावाड़	IV
388.	चंद्रावादी	IV
389.	पटियाली	IV
390.	देमी III	IV
391.	ग्लाथ	IV
392.	खेदोई	IV
393.	खोडापीपर	V
394.	नानीभलसान	IV
395.	सिंधानी	IV
396.	वाड़ी	IV
397.	वरतु II	IV
398.	दबासंग	IV

1	2	3
399.	रूपावती	IV
400.	वेराडी 1	IV
401.	कबारका	IV
402.	साबुरी	IV
403.	भानदी	IV
404.	भद्रा II (भानदी)	V
405.	ढोंडो	IV
406.	गोवाना	IV
407.	जकाशिया	IV
408.	गधहकी	IV
409.	मुक्तेश्वर	IV
410.	प्रेमपारा	IV
411.	रासकावीर	IV
412.	करनुकी	IV
413.	राताढ़ा	IV
414.	रुपारेल	IV
415.	सोढावाधर	IV
416.	सुखपर	IV
417.	खोखहाला	IV
418.	मोहबनेस	IV
419.	ओरवाड़ा	IV
420.	रामपुरी	IV
421.	रावना	IV
422.	धिंगलवाड़ा	IV
423.	बाछाडिया	IV
424.	भेसानिया	IV
425.	बंतवाकरो	IV
426.	गोमा	V
427.	खलबार	IV
428.	मरसाल	IV
429.	मेवासा	IV
430.	मिनसार	IV
431.	मोटा गुजरिया	IV
432.	मुधन	IV
433.	साबुरी	IV
434.	शेरदी	IV
435.	सिमलेती	IV
436.	बेड टीआर	IV
437.	लांक	IV
438.	ओजत II	IV
439.	ओजत वेर (वंथाली)	IV
440.	शिनगोड़ा 1	IV
441.	सिलमेती	IV
442.	वेडीसंग	IV
443.	वईदाल	IV
444.	वीरपुर	IV

राज्य-महाराष्ट्र

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	आड	IV
2.	अचेलर	IV
3.	अधारे	IV
4.	अलुर	IV
5.	अम्बई	IV
6.	अम्बटखोल	IV
7.	अम्बी	IV
8.	अम्बोली	IV
9.	अनाला	IV
10.	अरली	IV
11.	अरसोली	IV
12.	असाने	IV
13.	असुरदे	IV
14.	अवाशी	IV
15.	भागलवाड़ी	IV
16.	बाणगंगा	IV
17.	बेरवाड़ी	IV
18.	बारकी	IV
19.	बेनी	IV
20.	बनीथुरा	IV
21.	बेंडवाड़ी	IV
22.	भारती	IV
23.	भोलावाली	IV
24.	बिल्लुर (ए)	IV
25.	बुबाली	IV
26.	चलाकेवाडी	IV
27.	चांदानी	IV
28.	चंदौली	IV
29.	चापाल	IV
30.	चंचाली	IV
31.	चिचंवाड	IV
32.	चिवारी-ओमरगा	IV
33.	चोलमुख	IV
34.	दहीफल	IV
35.	देवधर	IV
36.	देव धनौरा	IV
37.	देवाले	IV
38.	धौकी	IV
39.	धोम	IV
40.	धोम्बलकवाडी	IV
41.	दिग्गी	IV
42.	गढ़गाड़ी	IV
43.	गढ़नाडी	IV
44.	गवाने	IV
45.	गवासे	IV
46.	घाटकरवाडी	IV

1	2	3
47.	गोपालवाडी	IV
48.	गोरमाला	IV
49.	गोहाघर	IV
50.	हनगरगा	IV
51.	हारनगॉव	IV
52.	हरधकाले	IV
53.	हरनी	IV
54.	हतेघर	IV
55.	हिप्पारगा	IV
56.	होरती	IV
57.	इजोली	IV
58.	इनामबाडी	IV
59.	इरचवाडी	IV
60.	इतकल	IV
61.	जम्ब	IV
62.	जातेगांव	IV
63.	जुवाथी	IV
64.	कचुरली	IV
65.	काडावी	IV
66.	कड़वाई	IV
67.	कल्मबा	IV
68.	कलामबवाडी	IV
69.	कलवांडे	IV
70.	कम्था	IV
71.	कंदवन	IV
72.	कन्हेर	IV
73.	करनजीखेडा	IV
74.	कसारी	IV
75.	कसैली	IV
76.	कसमलवाडी	IV
77.	केलम्बा	IV
78.	केसरजावड़ा	IV
79.	खम्करवाडी	IV
80.	खंडेश्वर	IV
81.	खरसाई	IV
82.	खोपड	IV
83.	कोलाकेवाडी	IV
84.	कोलेगांव	IV
85.	कौंडे	IV
86.	कोंडीवली	IV
87.	कोरेगांव	IV
88.	खोरेगांवाडी	IV
89.	कोयना	IV
90.	कुडनुर	IV
91.	कुमाथे	IV
92.	कुंभवाडे	IV
93.	कुंडली	IV
94.	कुरनुर	IV

1	2	3
95.	लिंगवाने	IV
96.	लोअर टेरना (मखनी)	IV
97.	महाबलेश्वरवाडी एस.टी.	IV
98.	माहू	IV
99.	मालतवाडी	IV
100.	मालघर	IV
101.	मंडावे	IV
102.	मनौली	IV
103.	मसाला	IV
104.	मोराना (गुरेघर)	IV
105.	मोरावने	IV
106.	मोरडे	IV
107.	नागेवाडी	IV
108.	नाईगांव-2	IV
109.	नंदारी	IV
110.	नंदला	IV
111.	नंदवीपुरार	IV
112.	नंदवाल	IV
113.	नीरादेवघर	IV
114.	नितुर 1	IV
115.	नीव	IV
116.	ओटाव	IV
117.	पढ़साली	IV
118.	पाहुंचीबारी	IV
119.	पालासनिलगांव	IV
120.	पालेश्वर	IV
121.	पंचनदी	IV
122.	पंढेरी	IV
123.	पंहाले	IV
124.	पारुले	IV
125.	पाषाण	IV
126.	पेठसिघवी	IV
127.	फंसावाडी	IV
128.	पिंपलवाडी	IV
129.	पिंपर	IV
130.	पोहनर	IV
131.	राजेवाडी	IV
132.	रामगंगा	IV
133.	रणकाला	IV
134.	रनसाई	IV
135.	रोशनी	IV
136.	सकराहपा	IV
137.	सिंघवीकाटी	IV
138.	शेल्दी	IV
139.	शिल	IV
140.	शिंदे (पेठ)	IV
141.	शिराले	IV
142.	शिरावली	IV

1	2	3
143.	शिवदव	IV
144.	श्रीमंत	IV
145.	सिना कोलेगांव	IV
146.	सिरसादी	IV
147.	सौंधेघर	IV
148.	टंगर	IV
149.	ताराली	IV
150.	तारनडाले	IV
151.	तेलेवाडी	IV
152.	तेरना	IV
153.	थोसेघर	IV
154.	तिंतराज	IV
155.	तिवारे	IV
156.	तुलसी	IV
157.	उमारानी सं. 2	IV
158.	उमाते	IV
159.	ऊपरी वेतरना/अलबंडी	IV
160.	उरामोदी	IV
161.	उत्तरमंड	IV
162.	वेल	IV
163.	विनहेरे	IV
164.	वडजी	IV
165.	वैहगोलपाड़ा	IV
166.	वरना	IV
167.	वेतफल	IV
168.	येरमाला	IV
169.	येवतीमासोली	IV
170.	जापड़े	IV

राज्य–बिहार

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	खड्गपुर लेक	IV
2.	नागी	IV
3.	अमरीति	IV
4.	भदुआ	IV
5.	श्रीखंडी	IV
6.	चंदन	IV
7.	जलकुंड	IV
8.	मोरवे	IV
9.	सतघरवा (एन.एफ.)	IV
10.	कैलाश घाटी	IV
11.	नाकटी	IV
12.	बसकुंड	IV
13.	ऊपरी बदुआ (एन.एफ.)	IV
14.	बेलहरना	IV
15.	अंजान	IV
16.	ओरहनी	IV
17.	बिलाशी	IV

1	2	3
18.	ऊपरी कियुल	IV
19.	सिंधवरनी	IV
20.	वरनार	IV

राज्य : मणिपुर

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	खाऊपम	V
2.	सिंघदा	V
3.	खुगहा	V

राज्य : मेघालय

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	ऊमटरु मसनरी वाइर, देहल, बाइरनीहट	V
2.	उमैम कांक्रिट बांध (चरण-I), उमैम (बारापानी)	V
3.	उमैम-उमटरु कांक्रिट डैम (चरण-III), कायरेक्षमकुलाम	V
4.	उमैम-उमटरु कांक्रिट डैम (चरण-IV), नौंगख्यालम	V
5.	मावापलंग डैम, ग्रेटर शिलांग वाटर सप्लाई स्कीम	V
6.	मइनटुडु-लेशका कांक्रिट डैम (चरण-I) सुचैन	V
7.	प्रमुख पृथ्वी डैम नौंगमिहिर (चरण-III)	V

राज्य : त्रिपुरा

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	गुमती हाडड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना	V

राज्य : नागालैण्ड

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	डोयांग रॉकफिलह इमपरवियस डैम	V

राज्य : अरुणाचल प्रदेश

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	रंगानदी बांध	V

राज्य : हिमाचल प्रदेश

क्र.सं.	बांध का नाम	भूकंपीय जोन
1	2	3
1.	भाखड़ा बांध	IV
2.	पोंग बांध	V
3.	पंडोह बांध	V

विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

964. श्री ओम बिरला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में विश्वविद्यालयों को अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में विश्वविद्यालयों सहित विगत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार और विश्वविद्यालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में कोटा विश्वविद्यालय द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध में प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी): (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुदान प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के तहत फिट घोषित विश्वविद्यालयों को अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) वर्ष 11-12 और 12-13 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राजस्थान में विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों को प्रदान किए गए अनुदानों और वित्तीय सहायता का वर्ष-वार और विश्वविद्यालय वार ब्यौरा संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई यू.जी.सी. वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है और संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) यू.जी.सी. ने राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एन.एस.क्यू.एफ.) के तहत कॉलेज/विश्वविद्यालय शिक्षा के भाग के रूप में अपनी कौशल विकास आधारित उच्चतर शिक्षा योजना शुरू की है जो बहु निकास वाली व्यावसायिक बैचलर डिग्री (बी. वोकेशनल डिग्री) जैसे डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा के लिए मार्गदर्शन होगी। जैसाकि सूचना यू.जी.सी. की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/pdfnews/3852607 ListofApproved Notapprovedinstitution for BVoc.pdf पर उपलब्ध है, कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान ने योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु यू.जी.सी. को आवेदन किया था। कॉलेज/विश्वविद्यालय शिक्षा के भाग के रूप में तथापि, विश्वविद्यालय का प्रस्ताव यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

यू.जी.सी. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कैरियर उन्मुखी पाठ्यक्रम की योजना को भी कार्यान्वित करता है ताकि इन पाठ्यक्रमों के पूरे हो जाने के पश्चात् जो स्नातक पास हो गए हों, उनको लाभप्रद नियोजन हेतु ज्ञान, कौशल और उपयुक्तता को सुनिश्चित किया जा सके। यू.जी.सी. ने सूचित किया है कि कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान ने कैरियर उन्मुखी पाठ्यक्रम (सी.ओ.सी.) की योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सम-विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालयों को योजनागत और योजनेत्तर योजनाओं के तहत जारी किया गया अनुदान

(राशि लाख रु. में)

आंध्र प्रदेश

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	2011-12	2012-13
1	2	3	4
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	23457.48	24706.11
2.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	6632.44	8763.79
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3862.93	7356.42
4.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	2162.68	1905.10
5.	श्री सत्य साई उच्चतर शिक्षा संस्थान, अनंतपुर	275.92	318.89

1	2	3	4
6.	एएनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	58.22	11.13
7.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर	808.69	692.05
8.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	1644.81	1844.64
9.	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद	425.82	840.36
10.	ककाटिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	926.23	823.62
11.	उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद	1420.78	5375.72
12.	पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	173.91	194.37
13.	श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनंतपुर	286.83	1075.28
14.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	1260.32	1457.77
15.	श्री पद्मावती महिला व. विद्यालय, तिरुपति	480.81	525.71
16.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	4.49	6.66
17.	द्रविड़ विश्वविद्यालय	318.68	253.74
18.	जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, काकीनाडा	0.00	356.83
19.	जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अनंतपुर	16.8	58.17
20.	डॉ. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाडा	0.00	2.18
21.	कृष्णा विश्वविद्यालय मछलीपट्टनम	0.00	16.88
22.	योगी वेमना विश्वविद्यालय कडप्पा	394.2	142.99
23.	तेलंगाना विश्वविद्यालय निजामाबाद	150	14.58
24.	नेशनल एकेडमी आफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी	296.13	129.03
25.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, नलगोंडा	0.00	16.20
26.	दामोदराम संजीवय्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	0.00	16.25
27.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	21.05	0.00
28.	रायलसीमा विश्वविद्यालय	0.40	
29.	सातवाहन विश्वविद्यालय	250	0.00
	कुल	45329.62	56944.47

1	2	3	4
अरूणाचल प्रदेश			
1.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	3615.39	7158.24
	कुल	3615.39	7158.24
असम			
1.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	7950.36	6938.79
2.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	9116.81	10718.62
3.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	612.41	1468.87
4.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	747.53	1710.08
5.	असम कृषि विश्वविद्यालय	44.16	0.00
	कुल	18471.27	20836.36
बिहार			
1.	बिहार केन्दीय विश्वविद्यालय	0.40	2130.72
2.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	42.42	282.17
3.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	1624.69	451.33
4.	बी एन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा	181.68	168.03
5.	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	27.4	534.93
6.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	396.72	411.64
7.	एल.एन. मिथिया विश्वविद्यालय, दरभंगा	237.67	382.18
8.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	280.04	479.86
9.	राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर	0.00	525.00
10.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	371.28	213.03
11.	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	37.96	171.81
	कुल	3200.26	5750.70

1	2	3	4
छत्तीसगढ़			
1.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	9270.74	8790.57
2.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	99.3	284.94
3.	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	414.34	547.65
4.	हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर	538.55	265.65
	कुल	10322.93	9888.81
दिल्ली			
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय	164867.3	167929.78
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	23838.52	28342.35
3.	इग्नू	1.17	26.43
4.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	31888.09	25922.71
5.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	1886.82	2074.41
6.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा	1.59	2.90
7.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली	20.79	0.00
8.	श्री एलबीएस राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	2739.07	1970.82
9.	टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज	0.4	0.00
10.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	53.05	0.00
11.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	0.84	0.00
12.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द्वारका, नई दिल्ली	180.00	119.15
13.	भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली	0.00	13.45
14.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	161.44	327.06
	कुल	225639.08	226729.06

1	2	3	4
गुजरात			
1.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3014.02	3203.02
2.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	2919.4	2982.31
3.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	359.12	501.12
4.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	933.75	588.36
5.	एम.एस. बड़ौदा यूनिवर्सिटी, वडोदरा	1311.93	1105.51
6.	नॉर्थ गुजरात युनिवर्सिटी, पाटन	977.94	555.16
7.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर	889.6	1239.09
8.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	1095.15	848.40
9.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	1304.21	406.25
10.	धरामणीश देसाई विश्वविद्यालय, नंदेड	0.00	37.39
11.	कच्छ विश्वविद्यालय	0.00	4.01
12.	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बनासकांठा	864.63	185.25
	कुल	13669.75	11655.87
गोवा			
1.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	305.98	609.05
	कुल	305.98	609.05
हरियाणा			
1.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	4415.69	2579.28
2.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, गुड़गांव	2.45	0.00
3.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल	4.14	0.00
4.	सी.सी.एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	33.22	36.97
5.	गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	434.11	582.20
6.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	1799.3	2599.76

1	2	3	4
7.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक	1250.32	2780.59
8.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत	593.5	306.38
9.	चौ देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा	429.41	701.90
10.	दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	180.74	445.95
	कुल	9142.88	10033.03
हिमाचल प्रदेश			
1.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1006.75	2615.31
2.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	478.48	1680.93
3.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	0.00	38.53
4.	डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	0.00	34.29
5.	आईआईटी एडवांस स्टडीज, शिमला	158	58.13
	कुल	1643.23	4427.19
जम्मू और कश्मीर			
1.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1181.39	3089.86
2.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	116.77	950.78
3.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	6333.85	1520.13
4.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	5440.52	3272.82
5.	शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्यायोगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर	2.95	57.44
6.	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटरा	72.6	277.66
7.	बाबा गुलामशाह बादशाह विश्वविद्यालय	730.35	126.34
	कुल	13878.43	9295.05
झारखंड			
1.	झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी	4903.53	5096.07
2.	बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, मेसरा, रांची	123.58	596.81

1	2	3	4
3.	इंडियन माइंस स्कूल, धनबाद	77.87	269.95
4.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	352.52	708.94
5.	विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	26.15	419.46
6.	सिध्दू कान्हू विश्वविद्यालय दुमका	5.33	333.80
	कुल	5488.98	7425.03
कर्नाटक			
1.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	9629.48	2615.97
2.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1033.56	1075.11
3.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल	2.64	0.00
4.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	959.66	1309.19
5.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	201.73	645.20
6.	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी	18.3	299.82
7.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	1519.91	3483.68
8.	कुवेम्पु युनिवर्सिटी, शिमोगा	313.13	446.22
9.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर	643.41	563.27
10.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	3997.41	1261.91
11.	इंडियन नेशनल लॉ स्कूल, बंगलौर	746.25	153.18
12.	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली	0.00	56.25
13.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	17.02	16.99
14.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	12.15	28.18
15.	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय बीजापुर	35.74	400.20
16.	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगाम	30.95	85.73
17.	डेवेंगर विश्वविद्यालय, कर्नाटक	13.98	620.19
18.	राजीव गांधी स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	0.00	15.50

1	2	3	4
19.	तुमकुर विश्वविद्यालय, तुमकुर	0.00	39.93
20.	रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय, बेलगावी	0.00	56.25
21.	विजयनगर श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय	250.00	0.00
	कुल	19427.05	13145.77
केरल			
1.	केरल के केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2876.6	5401.04
2.	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझिकोड	767.9	1064.34
3.	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोची	344.81	627.43
4.	केरल विश्वविद्यालय, तिरुअनंतपुरम	539.77	1663.93
5.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	1351.34	1147.37
6.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर	5.8	2.43
7.	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर	679.68	493.86
8.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडे	151.36	600.88
9.	उन्नत लीगल स्टडीज के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	250	0.00
	कुल	6967.26	11001.28
मणिपुर			
1.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	9419.47	10043.29
	कुल	9419.47	10043.29
मध्य प्रदेश			
1.	डॉ. एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर	14465.90	5770.81
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक	9961.22	11090.38
3.	राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	114.69	0.00
4.	आदेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	434.37	318.88
5.	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	196.12	526.48

1	2	3	4
6.	एम.जी. ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	22.00	154.40
7.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	381.81	497.42
8.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	264.25	639.22
9.	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, भोपाल	632.90	347.95
10.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	141.57	562.65
11.	विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन	36.82	692.22
12.	जे.एन. कृषि विश्वविद्यालय भोपाल	3.00	0.00
13.	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	301.18	155.44
14.	माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय	0.40	0.00
	कुल	26955.42	20755.85
महाराष्ट्र			
1.	एमजीए हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा	4404.32	5699.12
2.	डेक्कन कॉलेज स्नातकोत्तर और शोध संस्थान, पुणे	289.35	82.81
3.	गोखले राजनीतिक अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे	401.49	155.17
4.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई	4477.48	7424.88
5.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भवन, पुणे	3.86	54.21
6.	भारती विद्यापीठ, पुणे	16.69	68.87
7.	रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय	30.00	0.00
8.	रासायनिक प्रौद्योगिकी, माटुंगा के संस्थान	1291.42	1260.07
9.	पद्मश्री डॉ. डी वाई पाटिल विद्यापीठ, मुबंई	0.92	0.00
10.	डीसीपीजी एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, पुणे	0.00	7.95
11.	एसजीअबी अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	1422.36	978.43
12.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई	1191.81	1310.47
13.	डॉ. बी.ए. मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	980.07	1565.58

1	2	3	4
14.	आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	1064.57	1300.24
15.	नॉर्थ महाराष्ट्र, जलगांव	743.00	847.73
16.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	1109.18	2891.70
17.	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई	662.8	492.68
18.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	914.89	1486.09
19.	एसआरटी मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड	853.23	792.60
20.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	6.11	240.06
21.	सोलापुर विश्वविद्यालय	0.00	250.00
22.	सेठ जी एस. चिकित्सा महाविद्यालय	1.49	0.00
	कुल	19865.04	26898.66
मेघालय			
1.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	16564.53	15486.23
	कुल	16564.53	15486.23
मिज़ोरम			
1.	मिज़ोरम विश्वविद्यालय, मिज़ोरम	8584.09	11963.82
	कुल	8584.09	11963.82
नागालैण्ड			
1.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	7258.83	5604.50
	कुल	7258.83	5604.50
ओडिशा			
1.	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3500	2533.58
2.	कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान	18.00	0.00
3.	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर	61.78	547.17
4.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	185.42	563.26

1	2	3	4
5.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ, पुरी	242.68	196.12
6.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	685.57	699.41
7.	उत्तर उड़ीसा विश्वविद्यालय, बारीपाडा	400.1	170.16
8.	फकीरमोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	11.13	159.70
9.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	0.80	25.09
10.	रविन्शॉ विश्वविद्यालय	16.74	529.79
	कुल	5122.22	5424.28
पंजाब			
1.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2500	3119.98
2.	थापर इंजीनियरी प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	152.71	299.91
3.	गुरुनानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर	3566.4	7061.92
4.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	17712.51	16067.32
5.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	82.96	370.88
6.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	1470.29	2267.73
7.	गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा तथा पशु और विज्ञान	74.48	84.63
8.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पटियाला	770.6	246.57
9.	बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	38.17	3.16
10.	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर	0.00	0.99
11.	राजकीय मेडिकल कॉलेज	1.91	0.00
	कुल	26368.12	29503.09
पुदुचेरी			
1.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	13507.19	15141.68
2.	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी मेडिकल एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च	1.79	
	कुल	13508.98	15141.68

1	2	3	4
राजस्थान			
1.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	10788.05	11046.91
2.	वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान)	1074.04	444.67
3.	जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं (राजस्थान)	195.43	196.75
4.	जेआरएन राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	20.98	42.02
5.	बी.आई.टी.एस., पिलानी	402.28	248.87
6.	कोटा मुक्त विश्वविद्यालय	49.66	98.30
7.	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	1110.27	1163.27
8.	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	78.96	321.64
9.	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	320.64	686.87
10.	राजस्थान विश्वविद्यालय, अजमेर	4870.31	2678.77
11.	बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर	48.08	0.00
12.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर	585.9	132.20
13.	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	0.00	50.90
	कुल	19544.60	17111.71
तमिलनाडु			
1.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	9800.40	10070.65
2.	अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होमसाइंस एंड हायर एजुकेशन	3708.76	4076.01
3.	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम	3870.54	4148.62
4.	श्री चंद्रशेखर सरस्वती विश्वविद्यालय, कांचीपुरम	11.00	7.00
5.	चेन्नई मेथेमेटिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई	0.00	95.80
6.	अलागप्पा विश्वविद्यालय, कराइकुरी	624.02	639.34
7.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर	599.32	1788.18
8.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	1207.86	1615.43

1	2	3	4
9.	भरतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	933.55	1763.20
10.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली	1566.24	1461.32
11.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	1346.00	1537.72
12.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	1241.03	2243.51
13.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल	233.59	471.99
14.	एम. सुंदरनाथ विश्वविद्यालय, तिरुनेलवली	830.58	1135.39
15.	तमिल विश्वविद्यालय, तंजावुर	18.20	325.41
16.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	12.92	320.71
17.	तिरूवल्लूवर विश्वविद्यालय, वेल्लोर	15.30	19.13
18.	पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम	303.82	468.14
19.	तमिलनाडु डा. एमजीआर मेडिकल, चेन्नई	7.41	22.18
20.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर लॉ विश्वविद्यालय	481.26	158.12
21.	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी	0.00	56.30
22.	अमृता विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	5.20	0.00
23.	वेल्स ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट, टेक्नालॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज	2.90	0.00
	कुल	26819.90	32424.51
त्रिपुरा			
1.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	4532.99	4393.68
	कुल	4532.99	4393.68
सिक्किम			
1.	सिक्किम विश्वविद्यालय	2000.00	5701.87
	कुल	2000.00	5701.87
उत्तर प्रदेश			
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	58989.72	78136.51

1	2	3	4
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	23121.79	20606.98
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	67889.28	85897.38
4.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	6153.52	7377.99
5.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	172.00	78.89
6.	दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा	2371.33	2524.54
7.	सेम हिग्गिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नॉलॉजी एंड साइंस	11.93	0.00
8.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	163.76	523.21
9.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	1220.15	1739.74
10.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	1096.53	1546.40
11.	डॉ. राम मनोहर लोहिया (अवध) विश्वविद्यालय, फैजाबाद	964.43	893.88
12.	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	1567.62	1585.73
13.	छत्रपति साहु महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	771.93	737.77
14.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	613.00	2288.19
15.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	191.63	337.95
16.	एम.जे.पी. रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	1040.63	891.19
17.	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	1661.98	1196.77
18.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वारावणी	558.58	982.33
19.	जे.आर. हेंडीकेप्ड विश्वविद्यालय, चित्रकूट	728.23	495.46
20.	चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय	0.40	4.10
21.	डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	0.00	90.00
22.	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय	0.00	250.00
23.	एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा	0.40	0.00
	कुल	169288.84	208185.01

1	2	3	4
उत्तराखंड			
1.	हेमन्ती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) विश्वविद्यालय श्रीनगर	15603.16	9556.80
2.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार	0.00	4043.79
3.	जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर	15.48	110.02
4.	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल	405.26	844.19
5.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	7.31	0.00
6.	दून विश्वविद्यालय देहरादून	2547.02	379.24
7.	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून	202.96	0.00
8.	उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार	0.00	56.25
	कुल	18578.23	14990.29
पश्चिम बंगाल			
1.	विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन	19920.63	15844.88
2.	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, हावड़ा	223.15	302.94
3.	बर्दवान विश्वविद्यालय	996.69	1034.75
4.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता	1977.47	3032.34
5.	जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	3955.41	1774.19
6.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	287.31	785.52
7.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, कोलकाता	536.56	664.74
8.	रबिंद्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	20.71	348.95
9.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	484.22	660.35
10.	बंगाल इंजीनियरी तथा विज्ञान विश्वविद्यालय, हावड़ा	323.71	745.59
11.	बिधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय, नादिया	0.00	8.19
12.	पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोलकाता	0.00	367.94
13.	पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बेलगाचिया	0.00	0.00
14.	पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विश्वविद्यालय, कोलकाता	787.60	229.85
15.	प्रेजिडेंसी विश्वविद्यालय	5.80	759.08
	कुल	29519.66	26559.31

[अनुवाद]

सार्क नेताओं का दौरा

965. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विभिन्न सार्क देशों के नेताओं ने भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके साथ की गई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी चर्चाओं के दौरान कोई निर्णय लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, बांग्लादेश संसद की स्पीकर शिरीन शार्मिन चौधरी, भूटान के प्रधान मंत्री शेरिंग टोब्गे, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुला यामीन, नेपाल के प्रधान मंत्री सुशील कोईराला, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवाज शरीफ तथा श्री लंका के राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे ने 26 मई, 2014 को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भारत की यात्रा की।

इस यात्रा के दौरान, सार्क नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रधान मंत्री से भी व्यक्तिगत रूप से शिष्टाचार मुलाकात की तथा द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

सीबीआई न्यायालयों में लंबित मामले

966. श्री प्रताप सिम्हा:
श्री नलीन कुमार कटील:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) न्यायालयों में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान न्याय और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जांच हेतु सीबीआई को सौंपे गए मामलों की संख्या कितनी है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) जी हां, 31.05.2014 तक की स्थिति के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत देशभर की विभिन्न सीबीआई अदालतों में 6562 मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अर्थात् 2011, 2012, 2013 और 31.05.2014 तक के सुनवाई के लिए लंबित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों का राज्य-वार एवं वर्ष-बार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

ऐसे मामलों का अदालतवार ब्यौरा सीबीआई द्वारा केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखा जाता है।

"अदालती मामले न्यायालयों द्वारा, निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निपटाए जाते हैं।"

(ग) सीबीआई ने पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अर्थात् 2011, 2012, 2013 और 31.05.2014 तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत 2220 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों का वर्षवार ब्यौरा जिनमें 31.05.2014 तक की स्थिति के अनुसार जांच पूरी की गई है और जो जांच के लिए लंबित है। संलग्न विवरण-II में दिया गया हैं।

(घ) सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से सीबीआई मामलों के लिए देश भर में 70

अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भारत सरकार ने ऐसे 22 और न्यायालयों को स्वीकृति दे दी है, जिनमें से 7 न्यायालयों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। अदालतों द्वारा मामलों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाता है और सरकार अदालतों की कानूनी कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करती है। तथापि, अपने कार्यों की सतत निगरानी/निरीक्षण के माध्यम से सी.बी.आई. शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है।

विवरण-I

राज्यवार सुनवाई के लिए लंबित (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामले)

	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	31.12.2011 तक की स्थिति के अनुसार	31.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार	31.12.2013 तक की स्थिति के अनुसार	31.12.2014 तक की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	28	32	34
2.	आंध्र प्रदेश	416	425	411	431
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	9	10	10
4.	असम	197	189	159	151
5.	बिहार	276	307	320	327
6.	चंडीगढ़	52	44	46	47
7.	छत्तीसगढ़	45	51	52	50
8.	दादरा और नगर हवेली	2	0	0	1
9.	दमन और दीव	6	1	5	6
10.	गोवा	46	47	66	60
11.	गुजरात	412	413	410	411
12.	हरियाणा	62	50	56	43
13.	हिमाचल प्रदेश	14	12	19	19
14.	जम्मू और कश्मीर	132	138	135	138

1	2	3	4	5	6
15.	झारखंड	450	442	414	400
16.	कर्नाटक	247	188	167	168
17.	केरल	183	188	200	203
18.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	195	209	212	192
20.	महाराष्ट्र	901	744	670	691
21.	मणिपुर	14	13	14	14
22.	मेघालय	8	8	10	10
23.	मिज़ोरम	4	8	7	7
24.	नागालैंड	5	5	6	6
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1135	966	809	765
26.	ओडिशा	237	242	242	235
27.	पुदुचेरी	21	28	36	36
28.	पंजाब	87	68	63	58
29.	राजस्थान	313	300	276	268
30.	सिक्किम	6	2	2	1
31.	तमिलनाडु	505	479	474	474
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	477	594	587	596
34.	उत्तराखंड	54	64	64	64
35.	पश्चिम बंगाल	664	661	653	646
	कुल	7178	6923	6617	6562

टिप्पणी : वर्ष के दौरान मामले निपटाए गए हैं तथा जोड़े भी गए हैं।

विवरण-II

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज किए गए तथा निपटाए गए मामले

वर्ष	सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों की संख्या	31.05.2014 की स्थिति के अनुसार कॉलम (2) में से जांच द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या	31.05.2014 की स्थिति के अनुसार कॉलम (2) में से जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या
2011	600	580	20
2012	703	618	85
2013	649	293	356
2014 (31.05.2014 तक)	268	21	447
कुल	2220	1512	708

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

967. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) की प्रमुख विशेषताएं और इसके लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ख) आर.यू.एस.ए. के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) आर.यू.एस.ए. को शुरू किए जाने के बाद से इसके अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आर.यू.एस.ए. के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं तथा इसमें क्या-क्या खामियां पाई गई हैं; और

(ङ) इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य संस्थाओं के अनुकूल निधियन हेतु प्रमुख साधन के रूप में परिकल्पित है ताकि सुलभता, समानता और गुणवत्ता के मुद्दों का समाधान साम्यापूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

आर.यू.एस.ए. के तहत सभी निधियन मानदंड पर आधारित हैं और भावी अनुदान निष्पादन पर आधारित हैं तथा परिणाम पर निर्भर है। आर.यू.एस.ए. के तहत कतिपय राज्यों और संस्थाओं द्वारा अकादमिक, प्रशासनिक और शासी सुधारों की प्रतिबद्धता, निधियन प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त है केन्द्र-राज्य निधियन, पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हेतु 90:10 के अनुपात में है और अन्य राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों हेतु 65:35 है इसके अलावा इस योजना का ब्यौरा mhrd.gov.in/rusa की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) आज की तारीख के अनुसार 23 राज्य एवं 04 संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) में सहभागी है, जबकि 05 अन्य राज्यों ने इस स्कीम में भाग लेने की इच्छा प्रकट की है।

(ग) आर.यू.एस.ए. के विभिन्न घटकों के तहत ये वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं : (i) विद्यमान स्वायत्त कॉलेजों के उन्नयन द्वारा विश्वविद्यालयों का सृजन (45 विश्वविद्यालय); (ii) किसी क्लस्टर में कॉलेजों के परिवर्तन द्वारा विश्वविद्यालयों का सृजन (35 विश्वविद्यालय); (iii) विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान (150 विश्वविद्यालय); (iv) नए मॉडल कॉलेजों की स्थापना (60 कॉलेज); (v) मॉडल डिग्री कॉलेजों के लिए विद्यमान डिग्री कॉलेजों का उन्नयन (54 कॉलेज); (vi) नए व्यावसायिक कॉलेज (40 कॉलेज); (vii) कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान (3500 कॉलेज); (viii) अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता सुधार (10 राज्य); (ix) समानता पहलें (20 राज्य); (x) संकाय भर्ती सहयोग (5000 पद); (xi) संकाय सुधार कार्यक्रम (20 राज्य); (xii) उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण (20 राज्य); (xiii) शैक्षिक प्रशासकों का नेतृत्व विकास (20 राज्य) (xiv) संस्थागत पुनर्संरचना और सुधार (20 राज्य); (xv) प्रबंधन सूचना प्रणाली (20 राज्य); और (xvi) क्षमता निर्माण और तैयारी, डाटा एकत्रण और योजना (20 राज्य)।

विभिन्न घटकों के तहत जारी निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा http://mhrd.gov.in/sites/upload और files/mhrd/files/StatusFunds-3103214 http://mhrd.gov.in/sitess/upload files/mhrd/files/FundsStatus-% वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(घ) जी, नहीं। चूंकि यह योजना हाल में ही (अक्तूबर, 2013) शुरू की गई हैं अत: इसका पुनरीक्षण नहीं हुआ है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम

968. श्री बैजयंत जे. पांडा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई.टी.ई.सी.) कार्यक्रम के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या भारत द्वारा अन्य देशों को दिए जाने वाले आई.टी.ई.सी. कार्यक्रमों के स्लॉटों की संख्या पिछले वर्षों में बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश को स्लॉटों के दिए गए प्रस्तावों और उनके द्वारा लिए गए स्लॉटों का संख्या का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान आई.टी.ई.सी. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई.टी.ई.सी.) कार्यक्रम भागीदार देशों के साथ क्षमता संवर्धन, कौशल विकास, तकनीकी हस्तांतरण और अनुभव आदान-प्रदान पर लक्षित है। यह विकासशील जगत के साथ भारत की विकास भागीदारी और सहयोग के महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण करता है।

(ख) जी हां। वर्षों से आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम के तहत दिए गए स्लॉटों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) पिछले वर्षों के दौरान आई.टी.ई.सी. भागीदार देशों को प्रदान किए गए स्लॉटों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	स्लॉटों की संख्या
2011-12	6161
2012-13	7655
2013-14	8115

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.टी.ई.सी. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आवंटित निधियां निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	आवंटन (करोड़ रुपए में)
2011-12	120.00
2012-13	120.00
2013-14	140.00

विदेशों में भारतीयों की परेशानियां

969. श्री एन. क्रिष्टप्पा: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों/भारतीय मूल के लोगों से उनकी समस्याओं/परेशानियों के संबंध में शिकायतें/याचिकाएं/ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय मिशनों को प्राप्त ऐसी शिकायतों/याचिकाओं/अभ्यावेदनों की देश-वार संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसी शिकायतें किस प्रकार की हैं तथा सरकार ने संबंधित देशों के साथ ऐसे मामले उठाने और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) से (ग) जी हां। भारतीय मिशनों/पोस्टों से प्राप्त जानकारी के आधार पर समस्याओं/कठिनाइयों का सामना कर रहे भारतीय मूल के नागरिकों/लोगों से भारतीय मिशनों/पोस्टों में प्राप्त ऐसे अभ्यावेदनों, ऐसी शिकायतों/याचिकाओं की संख्या का देशवार विवरण, जिन देशों में वे पिछले 3 वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान रह रहे हैं, अनुलग्नक 'क' पर दिया गया है। शिकायतों की प्रकृति तथा संबंधित देश के साथ इस प्रकार की शिकायतों के निवारण हेतु उठाए गए कदमों एसं इस विषय में प्राप्त की गई सफलता का ब्यौरा भी विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	देश	भारतीय मिशनों/पोस्टों से प्राप्त जानकारी के आधार पर समस्याओं/कठिनाइयों का सामना कर रहे भारतीय मूल के नागरिकों/लोगों से भारतीय मिशनों/पोस्टों में प्राप्त ऐसे अभ्यावेदनों, ऐसी शिकायतों/याचिकाओं की संख्या का देशवार विवरण, जिन देशों में वे पिछले 3 वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान रह रहे हैं, अनुलग्नक 'क' पर दिया गया है। शिकायतों की प्रकृति तथा संबंधित देश के साथ इस प्रकार की शिकायतों के निवारण हेतु उठाए गए कदमों एवं इस विषय में प्राप्त की गई सफलता का ब्यौरा।
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	मिशन के पास प्राप्त ऐसे कुछ भारतीय नागरिकों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो पासपोर्ट के बिना या वीजा की समाप्ति पर अफगानिस्तान में स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। जिन्होंने आकर्षक नौकरियों की चाहत में अफगानिस्तान आने के लिए कुछ बेईमान एजेन्टों द्वारा धोखा खाया और उसके बाद वे वहां फंस गये। जनवरी, 2011 से आज की तारीख तक दूतावास को कुल 608 व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं। सभी अभ्यावेदन आकर्षक नौकरियों की चाहत में अफगानिस्तान आने के उपरांत पासपोर्ट गुम हो जाने या वीजा समाप्त हो जाने से संबंधित थे। ऐसे भारतीय नागरिकों को मिशन द्वारा सभी प्रकार की सहायता दी गई है जिसमें वीजा

1	2	3
		समाप्ति उपरांत जुर्माने/दंड से छूट प्रदान करवाना, मिशन द्वारा उनकी वापसी का प्रबंध करना आदि हेतु अफगान प्राधिकरणों के साथ मामले को उठाना शामिल है, कई बार भारतीय समुदाय कल्याण कोष से प्राप्त फंड का इस्तेमाल भी इस परियोजनार्थ किया जाता है।
2.	अल्बानिया	मई, 2011 में अल्बानिया में एक कारखाने में काम कर रही 18 भारतीय महिला कामगारों पर, उनके नियोक्ता केन्द्र शिकपत्रे, बेरत, अल्बानिया द्वारा कंपनी में संविदात्मक दायित्वों का निवर्हन न करने का आरोप लगाया गया और उसके उपरांत नियोक्ता द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया। उनके अनुरोध के अनुरूप मिशन ने भारतीय समुदाय कल्याण कोष के फंड का इस्तेमाल करके और विदेश मंत्रालय तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के समन्वय से उनके भारत वापसी को सुकर बनाया। जून, 2014 में एक भारतीय नागरिक ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जोकि कुछ कार दुर्घटना विवाद को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा किए गए उत्पीड़न से जुड़ा था। हमने स्थानीय विदेश मंत्रालय के साथ मामले को उठाया है ताकि भारतीय नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। हवाई अड्डों पर भारतीय महिलाओं को साड़ी पहनने और सिखों को पगड़ी पहनने संबंधी उत्पीड़न के कुछ मामले मिशन के देखने में आए हैं, स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उन्हें उठाया गया है।
3.	बहरीन	भारतीय नागरिकों द्वारा बहरीन में दूतावार्स को रिपोर्ट की गई शिकायतें श्रम कानूनों के उल्लंघन को लेकर है जैसे : वेतन का भुगतान न करना, नियोक्ता द्वारा पासपोर्ट को जब्त करना आदि 2011 – 1158 2012 – 825 2013 – 838 2014 – 450 (09.07.2014 तक की स्थिति) बहरीन सरकार के पास ऐसी प्रशासनिक प्रणाली है जिसमें ऐसे उल्लंघनों से निपटा जा सके और शिकायतकर्ता को राहत प्रदान की जा सके। ऐसे मामले जिनका निपटारा मिशन द्वारा नहीं किया जा सका है उन्हें सूचीबद्ध पैनल वकीलों को कानूनी सहायतार्थ प्रेषित किया गया है।
4.	भूटान	पिछले 3 वर्षों के दौरान भूटान में स्थित इंडियन पोस्ट को भारतीय नागरिकों से कुल 25 अभ्यावेदन/याचिकाएं प्राप्त हुई हैं।

1	2	3
		2011 – 03 2012 – 11 2013 – 07 2014 – 04 (11.07.2014 तक की स्थिति) रॉयल गोर्वमेंट ऑफ भूटान के स्थानीय प्राधिकरणों के साथ और संबंधित कंपनियों के साथ इन याचिकाओं के शीघ्र निपटान हेतु मामले को उठाया गया है। परमिट संबंधी कुछ मुद्दें ऐसे थे जिन्हें भारतीय दूतावास थिम्पू भेजा गया था ताकि मामले को विदेश मंत्रालय रॉयल गोर्वमेंट ऑफ भूटान के साथ उठाया जा सकें।
5.	ब्रुनेई दारुसलाम	केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो कि एक स्थानीय कंपनी में काम करने वाले कुछ भारतीय कामगारों के समूह से संबंधित थी। उच्चायोग द्वारा कामगारों की पूर्ण संतुष्टि अनुसार स्थानीय श्रम विभाग की सहायता से मामले को पूर्णतया सुलझा लिया गया था।
6.	चीन	(i) **भारतीय पर्यटकों द्वारा की गई शिकायतें :** ऐसे कुछ मामले हैं जहां भारतीय नागरिक रह रहे हों या क्षेत्र का दौरा कर रहे हो, अपने पासपोर्ट के गुम हो जाने संबंधी सूचित किया हो। कॉन्सुलेट ने स्थानीय पुलिस के पास गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाने में उनकी सहायता की और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पासपोर्ट/आपातकालीन प्रमाणपत्र भी दिलवाये। (ii) **भारतीय नियोक्ताओं के साथ विवाद :** कुछ मामलों भारतीय कामगारों ने अपने नियोक्ताओं के खिलाफ वेतन का भुगतान न करने और पासपोर्ट वापस न लौटाने संबंधी शिकायत की है। ऐसे मामलों को कॉन्सुलेट के हस्तक्षेप करने पर सफलतापूर्वक सुलझा दिया गया। अप्रैल में से जुलाई, 2014 में एक भारतीय कंपनी के भारतीय कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ दी और कॉन्सुलेट में यह रिपोर्ट किया कि उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ये कामगार भारत वापस आना चाहते थे। मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया गया और उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। **दिसंबर, 2012 और जनवरी, 2013** कॉन्सुलेट ने 20 भारतीय नाविकों जो विदेश में भारतीय पोत प्रतिभा नर्मदा में फंसे हुए थे कि भी सहायता की और उन्हें निर्वाह भत्ते का भुगतान एवं उनके समक्ष आ रही समस्याओं का निपटान भी किया और उन्हें भारत वापस भेजा। (iii) **व्यापार संबंधी विवाद :** यह अधिकांशत: बकाया देय राशि के समायोजन से संबंधित है। कॉन्सुलेट ने ऐसे मामलों में सहायता संबंधी पहलें स्थानीय

1	2	3
		प्राधिकरणों की मदद से की है। **दिसंबर, 2011 में** दो भारतीय नागरिकों श्री दीपक बी. रहेजा मि. श्यान सुंदर अग्रवाल जिन्हें चीनी व्यापारियों द्वारा हिरासत में लिया गया था उन्हें कॉन्सुलेट की मदद से बाद में रिहा करवाया गया और पोस्ट द्वारा उन्हें कानूनी और वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाई गई।
7.	इक्वेटोरियल गिनी	कुछ भारतीय कामगार जिन्हें मैसर्स ईटीए स्टार द्वारा नियुक्त किया गया था जो शूम्बे अंगोला में एक सीमेंट संयंत्र के निर्माण में शामिल हैं यह शिकायत की कि परियोजना स्थल पर रहन-सहन संबंधी व्यवस्था काफी खराब है और उनके वीजा को बढ़ाया नहीं गया है, अमरीकन डॉलरों में समयोपरि भत्ता का भुगतान नहीं किया गया है अत: वे अप्रैल, 2012 में हड़ताल पर चले गए, इससे स्थानीय कानून इनफोर्समेंट प्राधिकरणों को कार्रवाई करनी पड़ी और 59 कामगारों को जेल में बंद कर दिया गया। लुआंडा हवाई अड्डे पर इमीग्रेशन में भी भारतीय नागरिकों के समक्ष आने वाली परेशानियां संबंधी शिकायतें कभी-कभी प्राप्त होती हैं जोकि वैध वीजा होने पर भी फेस करनी पड़ती है। भारतीय नागरिकों को वर्क वीजा देने में आ रही कठिनाइयों एवं इसमें देरी लगने संबंधी कुछ शिकायतें भी दूतावास को प्राप्त हुई हैं। शूम्बे सीमेंट संयत्र में भारतीय कामगारों द्वारा फेस की जाने वाली कठिनाइयों से अंगोला सरकार के उच्च स्तरों को अवगत कराया गया था। इसके अतिरिक्त कंपनी प्रबंधन के साथ भी मामले को दृढ़तापूर्वक उठाया गया है, राजदूत ने भूविज्ञान और खान एवं उद्योग मंत्री से भी मुलाकात की और विदेश मंत्रालय में संबंधित अधिकारियों के साथ भी मामलें को उठाया। उस समय माननीय विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने स्वयं अपने समकक्ष श्री जार्ज चिक्कोटी के साथ बात की और लंबित मुद्दों के समाधान के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। कामगारों के समक्ष पेश आ रही अधिकांश कठिनाइयों पर विचार विमर्श करके समाधान कर लिया गया। लुआंडा हवाई अड्डे पर भारतीय नागरिकों द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और वर्क वीजा जारी करने में होने वाली देरी आदि संबंधी तमाम समस्याओं का निपटान अंगोला सरकार के उपयुक्त स्तरों पर मामले को डिपलोमेटिकली उठाकर किया गया है। दूतावास भारतीय समुदाय के निरंतर संपर्क में है ताकि उनके समक्ष आ रही कठिनाइयों का पता लगाया जा सके और उनका उपचार किया जाए।
8.	इथियोपिया	इंथोपियनस द्वारा नियुक्त भारतीय कामगारों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें अनुबंध के अनुरूप बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है या उन्हें अनुबंध की शर्तों के बाहर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रोफेसरों से भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जैसे एक शिकायत महिला

1	2	3
		प्रोफेसर से प्राप्त हुई है जोकि, यौन उत्पीड़न को लेकर है, और एक शिकायत छात्र द्वारा एक पुरुष प्रोफेसर को जान से मारने की धमकी को लेकर है, अन्य शिकायतें गैर कानूनी रूप से सेवाओं को समाप्त करने से संबंधित है।
		इसके अलावा भारतीय मिशन नियमित रूप से भारतीय निवेशकों से अभ्यावेदन/याचिकाएं प्राप्त करते हैं जोकि स्थानीय प्राधिकरणों से असहयोग को लेकर होती है, सरकारी नीतियों के लगातार परिवर्तित होने, विदेशी मुद्रा को जारी करने में होने वाली देरी, विभिन्न सरकारी निकायों में सामंजस्य की कमी और फेडरल और क्षेत्रीय प्राधिकरणों के बीच सामंजस्य न होने आदि को लेकर होती है। उन्हें भारतीय नियोक्ताओं के विरुद्ध नियमित रूप से ये शिकायतें भी मिलती है कि वेतन का भुगतान नहीं किया या देर से किया गया या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जो भारतीय नियोक्ताओं, ठेकेदारों और उप ठेकेदारों, जाकि भारतीय लाइन्स ऑफ क्रेडिट पर सरकार के अध्याधीन परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं, के खिलाफ होती हैं।
		औसतन 10 ऐसी शिकायतें पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष प्राप्त हो रही है। इथोपियन नियोक्ता के विरुद्ध मिली शिकायत के मामले में स्थानीय विदेश कार्यालय का हस्तक्षेप अपेक्षित है। कई बार कंपनी भी सीधे संपर्क करती है और भारतीय कामगार को अवैध उत्पीड़न के विरुद्ध सहायता मुहैया करवाकर उसे व्यवस्थित करती है।
		भारतीय प्रोफेसरों के मामले में विदेश कार्यालय और शिक्षा मंत्रालय से हस्तक्षेप की अपेक्षा की गई है। यौन उत्पीड़न के मामले में विश्वविद्यालय ने एक जांच आयोग का गठन किया और महिला प्रोफेसर के प्रति सदभावना जाहिर की, प्रोफेसर को मिली धमकी वाले मामले में छात्र को गिरफ्तार किया गया और अदालत में भेजा गया।
		भारतीय प्रोफेसरों के मामले में विदेश कार्यालय और शिक्षा मंत्रालय से हस्तक्षेप की अपेक्षा की गई है। यौन उत्पीड़न के मामले में विश्वविद्यालय ने एक जांच आयोग का गठन किया और महिला प्रोफेसर के प्रति सदभावना जाहिर की, प्रोफेसर को मिली धमकी वाले मामले में छात्र को गिरफ्तार किया गया और अदालत में भेजा गया।
		भारतीय निवेशकों के मामले में पेश आ रही कठिनाइयों के समाधान के वास्ते संबंधित प्राधिकरणों व्यापार मंत्रालय, इथोपियन राजस्व एवं कस्टम प्राधिकरण, उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि के साथ मामले को उठाया गया और भारतीय निवेशकों/व्यापारियों की संतुष्टि के अनुरूप मामलों का निपटारा किया गया।
9.	फ्रांस	सिख समुदाय के पगड़ी संबंधी मुद्दे मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें सिख समुदाय द्वारा उठाया गया और पेरिस में मिशन के नोटिस में लाया गया है।

1	2	3
		इस मुद्दे को नियमित आधार पर भारत सरकार द्वारा फ्रांसिसी सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है, इसे भारतीय सरकार द्वारा हैड ऑफ स्टेट के साथ भी उठाया गया था।
10.	जॉर्जिया	डॉ. मिनास एशले, जो कि एक भारतीय नागरिक है और राजधानी यैरेवन में रहते हैं, द्वारा दिनांक 3.10.2013 को एक प्रतिवेदन दायर किया गया है जो कि उनके पराये पति के साथ वित्तीय मामलों संबंधी विवाद को लेकर है और उनकी जान के खतरे से संबंधित है। मिशन ने इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उपयुक्त कार्रवाई की और डॉ. मिनास एशले के केस को स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा पंजीकृत किया गया है।
		(ii) जॉर्जिया में मिशन को 25.11.2013 की स्थिति के अनुसार 77 भारतीय नागरिकों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह जिक्र है कि उन्हें वीजा/अस्थायी निवास प्रमाणपत्र समाप्ति संबंधी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वे समाप्ति पर अस्थायी निवास प्रमाणपत्र की तारीख को बढ़ाना चाहते हैं। ये भारतीय नागरिका देश के कृषि क्षेत्र में निवेशकर्ता भारतीय नागरिक हैं।
		(iii) मामले को तुरंत स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उठाया गया था और मिशन की कार्रवाई से विदेश मंत्रालय को तुरंत सूचित किया गया। अब स्थानीय प्राधिकरण उनकी समस्याओं का निपटान करते हैं यद्यपि अरमिनियन और जॉर्जियन प्राधिकरणों से लिखित रिसपॉस जिनमें उपरोक्त दोनों मामलों पर उपयुक्त कार्रवाई का उल्लेख हो, अभी लंबित हैं।
11.	गुयाना	2011 – शून्य
		2012 – शून्य
		2013 – 3 शिकायतें
		(i) दो कर्मचारियों के वेतन के भुगतान पर व्यापारी नियोक्ताओं के साथ विवाद और भारत के लिए वापसी।
		(ii) वेतन संबंधी मालिक के होटल कामगारों के साथ विवाद और वापस लौटने संबंधी किराये को भुगतान।
		(iii) एक कामगार का नियोक्ता के साथ वेतन संबंधी विवाद एवं अन्य शर्तें।
		2014 – कामगारों को उनका वेतन भुगतान नहीं किया गया और अन्य सेवा लाभों से मना किया गया।
		उपरोक्त सभी मामलों को संतोषजनक तरीके से स्थानीय सरकार को लिखकर, दोनों पक्षों को साथ लेकर सुलझाया गया।

1	2	3
12.	ईरान	पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नाविक/नाविक कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट की गई 123 शिकायतें/याचिकाएं ज्यादातर काम संबंधी ठेके या समझौते को लेकर हैं जिनमें वेतन का कम भुगतान करना, काम के स्थान पर उचित सुविधाओं की कमी आदि हैं। शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं : वर्ष संख्या 2011 22 2012 34 2013 57 2014 10 शिकायत प्राप्त होने पर दूतावास में मौखिक प्रयास के माध्यम से और ईरान के अधिकारियों के साथ निजी बैठकें करके मामले का निराकरण करने का प्रयास किया और इस केस को विदेश मंत्रालय को प्रेषित किया गया है।
13.	जॉर्डन	जॉर्डन में मजदूरों से प्राप्त शिकायतें; वेतन का अनियमित भुगतान, खराब चिकित्सा सुविधाएं, खराब आवास व्यवस्था, ओवरटाइम भत्ते को लेकर, निवास परमिट और भारत वापस लौटने में देरी, निवास परमिट के नवीकरण आदि से संबंधित हैं। ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है : 2011 – 01 2012 – 01 2013 – 11 2014 – 10 जैसे ही ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं इन मुद्दों को उपयुक्त रूप से संबंधित नियोक्ताओं के साथ-साथ स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उठाया जाता है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।
14.	केन्या	मिशन में प्राप्त शिकायतें/अभ्यावेदन सामान्यत: नियोक्ताओं द्वारा वेतन का भुगतान न करना, पासपोर्ट के गुम होने की स्थिति में तत्काल कॉन्सुलर सहायता, वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी आदि को लेकर होती है। मिशन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इन कठिनाइयों से निपटा जाता है। व्यथित भारतीय नागरिकों से संबंधी मुद्दों के मामले में इच्छुक वापस लौटने वालों के केस में भारतीय समुदाय कल्याण कोष से ऐसी वापसी को सुकर बनाने

1	2	3
		संबंधी सहायता ली जाती है। अब तक भारत वापस आए कामगारों का ब्यौरा दिया गया है।
15.	कोरिया (गणराज्य)	01 घरेलू हिंसा से संबंधित मामला मिशन ने कपल को कॉन्सुलिंग के वास्ते आमंत्रित किया और मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया।
16.	कुवैत	2011 – 2854 2012 – 3593 2013 – 2887 2014 – 1812 (30.06.2014 तक की स्थिति) शिकायतों की प्रकृति मुख्यत: वेतन का भुगतान न करना या अनियमित रूप से भुगतान करना, वेतन का कम भुगतान करना जैसाकि करार के अनुरूप न हो, मनमाने ढंग से वेतन में कटौती, पासपोर्ट को जब्त करना, अत्यधिक काम के घंटे, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न या अन्य किसी प्रकार का उत्पीड़न आदि हैं। शिकायतों/शोषण संबंधी मामलों को संबंधित कंपनियों/फर्मों, प्रायोजकों और स्थानीय सरकारी प्राधिकरणों के साथ कुवैत में तुरंत उठाया गया। कुवैत में यदि आवश्यक हो तो कामगारों को (पुरुष एवं महिला दोनों) मिशन की देखरेख में घरेलू श्रम कार्यालयों में बसाया जाता है। मिशन ने भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना की है ताकि भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा की जा सके और उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें : (i) 24 × 7 टोल फ्री टेलीफोन लाइनों की पूरे कुवैत में स्थापना करना जिनसे भारतीय कामगारों को उनकी शिकायतों, उत्प्रवास और अन्य मामलों से जुड़ी शिकायतों के निवारण संबंधी सूचना प्राप्त हो सकेगी (ii) हेल्पडेस्को की स्थापना जो भारतीय नागरिकों को सतत उत्प्रवास, रोजगार, कानूनी और अन्य मुद्दो पर दिशा निर्देश/मार्गदर्शन प्रदान करेंगे (iii) शिकायत डेस्क की स्थापना जहां लेबर संबंधी शिकायतें पंजीकृत होंगी और उनका निवारण संबंधी सेवाएं मुहैया करवाई जाएगी (iv) पुरुषों के लिए और व्यथित महिला कामगारों के लिए अलग-अलग आश्रय स्थलों की स्थापना जहां मुफ्त आवास, खाना, कपड़े और अन्य आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, इसके अतिरिक्त उनकी शिकायतों/समस्याओं का निवारण भी होगा और उनके स्वदेश वापस लौटने की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी और (v) कानूनी परामर्श क्लिनिक जहां शिक्षित कुवैती और भारतीय वकीलों द्वारा श्रम विवादों पर भारतीय नागरिकों को फ्री कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
17.	किर्गिजस्तान	2011 – शून्य 2012 – शून्य 2013 – 94 फ्रेशर भारतीय छात्र 2014 – पिछले वर्ष के दौरान मिशन को एक शिकायत

1	2	3
		प्राप्त हुई थी जोकि एक भारतीय मेडिकल छात्र जो अपनी एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई कर रहा था, को लूटने से संबंधित थी। दो मामलों में विश्वविद्यालय प्राधिकरणों ने मिशन को एप्रोच किया ताकि स्थानीय शरारती तत्त्वों द्वारा भारतीय छात्रों के उत्पीड़न और लूटपाट से जुड़े मामले को उठाया जा सकें किर्गिज़स्तान में सक्षम प्राधिकरण के साथ मिशन ने मामले को उठाया है और उस पर नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। कुछ छात्रों को के. एस.एम.ए. द्वारा आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश भी दिया है। (ii) मिशन ने किर्गिज़स्तान में किर्गिजन विदेश कार्यालय के साथ मामले को उठाया है और आंतरिक गृह मंत्री के साथ उच्च स्तर पर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की हैं ताकि मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाकर उसका निवारण किया जा सकें। इसके उपरांत विभिन्न बैठकें भारतीय छात्रों की ब्रीफिंग के साथ-साथ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और दूतावास के अधिकारियों के साथ, सुसंगत संस्थानों के साथ बैठकें भी आयोजित की गई हैं ताकि भारतीय छात्रों को उनके अधिकारों से अवगत कराया जा सकें तथा वे एक-दूसरे के टेलीफोन नंबर अपने पास रख सकें और वे स्वयं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हो पाएं।
18.	लेसोथो	वर्ष, 2012 के दौरान लेसोथो किंगडम में भारतीय नागरिकता वाले स्कूल अध्यापकों में इस बात का डर था कि उन्हें उनकी नौकरियों से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वे लेसोथो की नागरिकता ग्रहण किए बिना एक लंबी अवधि से वहां पर रह रहे थे और स्थानीय सरकार उन पर यह दबाव डाल रही थी कि वे या तो लेसोथो की नागरिकता प्राप्त करके देशीयकृत हो जाएं या स्वदेश वापस लौट जाएं। अध्यापकों ने अपना प्रतिवेदन दाखिल किया और मिशन ने लेसोथो सरकार के साथ मामले को उठाया कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय लेसोथो में बिताया है और शिक्षा का प्रचार करके उनके समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए सरकार द्वारा उन्हें देशीयकृत करना अनुचित होगा। (ii) वर्ष 2013 के दौरान भारतीय मूल की 2 नर्सों को केपटाउन में स्थानीय गृह विभाग द्वारा दो सप्ताह में भारत लौटने संबंधी कहा गया था, उन पर रोजगार वीजा स्टेट्स संबंधी चार्ज लगाया गया था। नर्सों ने केपटाउन में भारतीय कॉन्सुलेट जनरल से हस्तक्षेप करने संबंधी अनुरोध किया। (iii) वर्ष 2013 के दौरान भारतीय चालक दल के सदस्यों (13) जोकि डॉक लाइबेरिया फ्लैग पोत ई व्हेल पर कार्यरत थे, ने अपने वेतन/अन्य देय राशियों का भुगतान न करने संबंधी शिकायत हेतु भारतीय कॉन्सुलेट जनरल के पास एप्रोच किया।

1	2	3
		भारतीय उच्चायोग प्रिटोरिया ने अध्यापकों के मामलों में उनकी सेवाओं को बहाल रखने हेतु उपयुक्त डिपलोमेटिक चैनल के माध्यम से सौहार्दपूर्ण विचार विमर्श के लिए लेसोथो सरकार को लिखा था, हमारे पास कोई अनुवर्ती इनपुट नहीं हैं जिससे यह पता चले कि उन्हें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है बल्कि इस प्रकार का रिकॉर्ड मौजूद है कि उनमें से कुछ ने लेसोथो नागरिकता अपना ली है और अध्यापक के रूप में वहां कार्य करना जारी रखें हुए हैं। (ii) और (iii) सी.जी.आई., केपटाउन ने दोनों मामलों में हस्तक्षेप किया और सफलतापूर्वक मामले का निपटान किया।
19.	लीबिया	मिशन के पास पिछले 3 वर्षों के दौरान 36 मामले प्राप्त हुए थे। भारतीय नागरिक से प्राप्त किसी भी शिकायत के मामले में मिशन तत्काल मामले को नियोक्ता के साथ, विदेश मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के साथ उठाता है। जहां तक संभव हो कॉन्सुलर अधिकारी या राजदूत द्वारा नामित अन्य कोई अधिकारी कार्यस्थल पर व्यक्तिगत रूप में दौरा करता है ताकि प्रथम दृष्टतया मामले का पता लगाया जा सके। यदि अपेक्षित हो तो व्यथित भारतीय नागरिक को तत्काल सहायता मुहैया कराई जाती है। ऐसी सहायता भारतीय समुदाय कल्याण कोष से दी जाती है और उसमें भोजन, परिवहन, हवाई टिकट, मृत्यु संबंधी मामलों में पार्थिव शरीर को हवाई जहाज द्वारा स्वदेश लाना या कुछ अनुग्रह राशि उपलब्ध कराना शामिल है।
20.	मेडागास्कर	(i) हवाई अड्डे पर इमीग्रेशन के दौरान हुए उत्पीड़न का एक मामला प्रकाश में आया है। (ii) अन्य मामले मेडागास्कर छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित हैं। मिशन स्थानीय प्राधिकरणों के साथ मामले को उठा रहा है और तब से इमीग्रेशन स्तर पर उत्पीड़न की कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आई है और अन्य मामले में शिकायतकर्ता को मेडागास्कर छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई थी।
21.	मलेशिया	प्राप्त शिकायतों की प्रकृति सामान्यतः समय पर वेतन का भुगतान न करना, यात्रा दस्तावेजों को जब्त कर लेना, अनुबंध शर्तों का उल्लंघन, नियोक्ता द्वारा शारीरिक उत्पीड़न आदि हैं। कानूनी कामगारों के अतिरिक्त यहां भारतीय नागरिकों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो बिना उपयुक्त दस्तावेजों के मलेशिया में कार्यरत हैं। उन्होंने भी उच्चायोग के श्रम सैक्शन में सहायता हेतु एप्रोच किया है और अपनी स्वदेश वापसी हेतु सहायता मांगी है क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास कोई दस्तावेज नहीं हैं। वे भारतीय कामगार जिनके पास मलेशिया में काम के लिए उपयुक्त दस्तावेज नहीं है और उन्हें मलेशियन इमीग्रेशन प्राधिकरणों द्वारा मलेशिया

1	2	3
		में हिरासत कैम्पों में रखा गया है उनका ब्यौरा निम्नानुसार हैं : 2011 – 469 2012 – 495 2013 – 520 2014 – 1204 (जून तक की स्थिति) श्रम अनुभाग ने इन कामगारों की सहायता हिरासत केन्द्रों में जाकर की है और उनके दस्तावेजों को तैयार कराने का प्रबंध भी किया है तथा उनके भारत वापस लौटने संबंधी प्रक्रिया को भी सुकर बनाया है। श्रम अनुभाग व्यथित भारतीय महिला नागरिकों से जुड़े मुद्दों जिनमें महिला कामगारों द्वारा विदेशियों से विवाह करना शामिल हैं और उन्हें अपेक्षित सहायता की जरूरत है, पर भी विचार करता है। श्रम अनुराग लीगल ऐड सैल, मलेशिया की बार कॉउसिंल के साथ भी बैठकों का आयोजन करता है ताकि उन भारतीय नागरिकों को कानूनी परामर्श उपलब्ध करवाया जा सके जिन्हें मलेशिया में कानूनी प्रक्रिया हेतु कानूनी सहायता की आवश्यकता है।
22.	मालदीव	2011 – 199 2012 – 209 2013 – 311 2014 – (08.07.2014 तक) - 152 प्राप्त शिकायतें अधिकतर नियोक्ताओं द्वारा पासपोर्टों को अवैध रूप से अपने पास रखने और वर्क वीजा का नवीनीकरण न करने, वेतन का भुगतान न करने और दस्तकारी के काम में लगे हुए भारतीयों को डराने धमकाने से संबंधित हैं। माले स्थित भारतीय उच्चायोग भारतीय नागरिकों से जुड़े ऐसे मामलों को नियमित रूप से मालदीव की सरकार के साथ उठा रहा है और मालदीव में भारतीयों के हितों की सुरक्षा करने हेतु सभी संभव कदम उठाता है। उनकी श्रम, कॉन्सूलर और कल्याण संबंधी समस्याओं को नियोक्ताओं, श्रम प्राधिकरणों और अप्रवासन प्राधिकरणों के साथ निवारण हेतु उठाया जाता है। उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली कई समस्याओं और कठिनाइयों के निवारण में कार्य संविदा सहायता करती है इस दिशा में मालदीव के अप्रवासन प्राधिकरणों को राजी कर लिया गया है।
23.	नेपाल	प्राप्त शिकायतों में स्थानीय लोगों द्वारा उत्पीड़न के आरोपों से लेकर धोखाधड़ी, अपहरण, शारीरिक उत्पीड़न आदि के आरोप शामिल हैं।

1	2	3
		2011 – 8
		2012 – 6
		2013 – 7
		2014 – (08.07.2014 तक) - 8
		जब कभी इस मिशन को ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो मामले के शीघ्र समाधान हेतु उसे नेपाल सरकार के संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाया जाता है। इनमें से अधिकतर मामलों का समाधान कर दिया गया है।
24.	नीदरलैण्ड	2013 – 2
		2014 – 1
		(i) सुश्री प्रतिमा सिंह का उनके तत्काल वरिष्ठ द्वारा उत्पीड़न किया गया।
		(ii) श्री मो. मुस्तफा को सड़क पर रोश की एक घटना में पीटा गया जिसके लिए मामले को पुलिस के साथ फॉलोअप करने हेतु उन्होंने मिशन से सम्पर्क किया।
		(iii) सुश्री रुचिका द्वारा अपने पति के विरुद्ध घरेलू हिंसा और वित्तीय उपेक्षा के आरोप।
		(i) सुश्री प्रतिमा को उस देश कानूनों के अनुसार कानूनी परामर्श लेने हेतु एक वकील का नाम सुझाया गया।
		(ii) मिशन ने मामले को संबंधित पुलिस प्राधिकरणों के साथ उठाया।
		(iii) पति और पत्नी दोनों को सौहार्दपूर्ण रूप से रहने की सलाह दी गई।
25.	नाइजीरिया	2011 – 25
		2012 – 33
		2013 – 33
		2014 – 01
		शिकायतें बकाया राशि का भुगतान न करना, घरेलू विवाद, अपहरण, नियोक्ताओं द्वारा उत्पीड़न आदि जैसे कई मामलों से संबंधित थी। शिकायत प्राप्त होने पर समस्या के तुरंत समाधान की मांग करते हुए मामले को, नियोक्ताओं, स्थानीय प्राधिकरणों (अस्पतालों, पुलिस, आप्रवासन, राज्य सरकार या संघ सरकार) और भारतीय समुदाय के नेताओं जैसा भी अपेक्षित हो के साथ तुरंत उठाने हेतु भारतीय

1	2	3
		उच्चायोग, अबूजा और भारतीय उच्चायोग का कार्यालय, लागोस द्वारा सभी कोशिशें की जाती हैं।
26.	ओमान	सामान्यत: शिकायतें शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों से प्राप्त हुई थी जो कार्य की स्थितियों और रोजगार बकायों में कमियां जैसे वेतन, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं जैसे मामलों से संबंधित थीं। 2011 — 3022 2012 — 2437 2013 — 1781 2014 — (09.07.2014 तक) - 713 जब कभी दूतावास को परेशान करने के लिए मामले की रिपोर्ट की जाती है तो मामले को स्थानीय पुलिस (रोयल ओमान पुलिस) शिकायत के पास पंजीकृत कराने के लिए दूतावास के समुदायिक कल्याण विंग द्वारा सहायता की जाती है और साथ-साथ निवारण हेतु मिनिस्ट्री ऑफ मेनपावर को भी मामले संबंधी रिपोर्ट किया जाता है। मामले को मोखिक नोट के माध्यम से स्थानीय विदेश कार्यालय के साथ भी उठाया जाता है और यदि आवश्यक हो तो मामले के समाधान हेतु भारतीय कामगार के संबंधित प्रायोजक के साथ एक बैठक भी बुलाई जाती है। इन शिकायतों का नियमित रूप से नियोक्ता और स्थानीय सरकार, जहां आवश्यक हो के साथ अनुकरण किया जाता है और मिशन द्वारा कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है। जिसका परिणाम यह होता है कि सामान्य रूप से मामले को शिकायतकर्ता की संतुष्टी तक सुलझाने में सफलता मिलती है।
27.	पौलेण्ड	31 मार्चा, 2014 को श्री आशुतोष डोभल एक भारतीय नागरिक पर उस समय जातिगत हमला किया गया जब वे वॉरसा में एक मेट्रो से यात्रा कर रहे थे। श्री डोभल पिछले 10 महीनों से वर्क वीजा पर वॉरसा में रह रहे थे। मामले को कडाई से विरोध करते हुए रिपब्लिक ऑफ पौलेण्ड के विदेश मंत्रालय के नोटिस में लाया गया। उनके उत्तर की प्रतिक्षा है। हालांकि हाल ही के महीनों में, भारतीय नागरिकों पर जातिय हमलों के कुछ मामले हुए हैं जिन्हें दृढ़ता से स्थानीय विदेश मंत्रालय के साथ संबोधित किया गया है मिशन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनर्रावृत्ति होने से बचने के विचार से इन घटनाओं की उचित जांच पड़ताल करने का अनुरोध किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय नागरिकों की चिन्ताएं और परेशानियां, यदि कोई हो तो, उनका तुरंत हल और समाधान किया जाए, मिशन नियमित

1	2	3
		रूप से भारतीय नागरिकों के सम्पर्क में रहता है और उनसे बातचीत करता रहता है। मिशन ने व्यथित भारतीयों के लिए 24 × 7 हेल्पलाइन भी शुरू की है।
	सऊदी अरब	वैवाहिक जीवन में कलहः सम्पत्ति विवादों; धोखाधड़ी; सऊदी प्रायोजकों/प्राधिकरणों द्वारा क्षति पूर्ति मुआवजे/कानूनी बकायों का भुगतान करने में विलम्ब करना आदि की शिकायतें। सऊदी अरब से भागी हुई नौकरानियों और विभिन्न जेलों/निर्वासन केन्द्रों के कैदियों द्वारा भी मिशन सम्पर्क करता है।
		भारतीय कामगारों द्वारा संविदात्मक उल्लंघनों (वेतन और अन्य लाभों का भुगतान न करना या देरी से करना, भारत आने के लिए छुट्टी या निकास/पुनः प्रवेश परमिट देने से मना करना, संविदा के समाप्त होने के बाद भारत लौटने के लिए कामगारों को अंतिम निकास वीजा का प्रबंधन करने से मना करना आदि), और नियोक्ता की ओर से दुर्व्यवहार किया जाना, से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (30 जून, 2014 तक) के दौरान इस मिशन द्वारा भारतीय कामगारों से प्राप्त हुई कुल श्रम शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है :
		2011 – 2330
		2012 – 2781
		2013 – 2608
		2014 – (जून तक) - 1705
		श्रम शिकायत प्राप्त होने पर मिशन मामले को सऊदी प्रायोजक और, जब कभी आवश्यक हो, सऊदी सरकार के संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाते हैं। मिशन व्यथित भारतीय श्रमिकों की सहायता हेतु श्रमिक/सामान्य न्यायालयों और संबंधित कंपनियों का दौरा करने हेतु अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। भारतीय दूतावास, शिकायत दर्ज करने में भारतीय कामगारों की सहायता करने के लिए दैनिक आधार पर एक अरबी भाषा जानने वाले द्विभाषी की नियुक्ति भी करता है। इनमें से अधिकतर मामलों का निवारण संतोषजनक रूप से कर दिया गया है।
28.	जेद्दाह	2011 – 1326
		2012 – 1511
		2013 – 2585
		2014 – (30.06.2014 तक) - 1451

1	2	3
		सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों से, कम भुगतान करने के आधार पर शोषण और उत्पीड़न, वेतन का भुगतान न करना और वैध श्रमिक अधिकारों और लाभों जैसे निवास परमिटों को जारी न करना/नवीनीकरण न करना, समयोपरि भत्ता, साप्ताहिक छुट्टी देने से मना करना, कार्य के लम्बे घंटे, भारत आने के लिए निकास/पुनः प्रवेश परमिट प्रदान करने से मना करना, संविदा पूरी होने पर कामगार को रिफ्रेशमेंट (अंतिम निकास वीजा पर) के लिए देय छोड़ने की अनुमति देने से मना करना आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं। उनके नियोक्ताओं द्वारा घरेलू नौकरानियों को कारावास में रखना और उनका परित्याग करने की घटनाएं भी रिपोर्ट की गई हैं।
		इन शिकायतों के प्राप्त होने पर, कॉन्सूलेट पीड़ित को राहत प्रदान करने के लिए उसके कार्यक्षेत्र के भीतर उपलब्ध उचित और उपर्युक्त उपाय करता है। इनमें सऊदी प्रायोजकों (नियोक्ताओं) और भारत में भर्ती एजेन्सियों से सम्पर्क करना शामिल है। शिकायत की प्रकृति के आधार पर शिकायतकर्ता को काउन्सूलिंग प्रदान की जाती है और तदनुसार संबंधित श्रम कार्यालय/न्यायालय, पासपोर्ट और पुलिस प्राधिकरणो आदि को संदर्भित किया जाता है। इन कार्यालयों में कॉन्सूलेट, भारतीय शिकायतकर्ताओं को द्विभाषिए की सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रबंध करता है।
29.	सिंगापुर	(क) विगत तीन वर्षों में जुलाई, 2014 तक इस संबंध में उच्चायोग को भारतीय नागरिकों/भारतीय मूल के सिंगापुर नागरिकों से 1630 शिकायतें, याचिकाएं, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। (ख) वर्ष-वार ब्रेकअप निम्नलिखित है : (i) 2011 – 314 (ii) 2012 – 544 (iii) 2013 – 482 (iv) 2014 – 290 (09.07.2014 तक)
		ये शिकायतें/याचिकाएं श्रम विवादों, धोखाधड़ी/घोटालों से संबंधित होती हैं इसके साथ-साथ भारत में परिवार/पड़ोसियों के साथ सम्पत्ति विवादों के कारण भारत में उनके परिवारों और संबंधियों हेतु सुरक्षा की मांग करना आदि जैसे मामलों से भी संबंधित होती हैं। ऐसी शिकायतें/याचिकाएं/अभ्यावेदन प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप सिंगापुर से संबंधित मामलों को स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उठाया गया है और भारत से संबंधित मामलों को आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित जिला प्राधिकरणों को अग्रेषित कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं से कोई फीडबेक प्राप्त

1	2	3
		न होने के कारण इन मामलों में प्राप्त सफलता की डिग्री का आंकलन करना सम्भव नहीं है।
30.	स्लोवाक रिपब्लिक	रोजगार संविदा/करार का उल्लंघन जैसे छुट्टी/चिकित्सा अवकाश प्रदान करने से मना करना और अतिरिक्त घंटों के लिए मुआवजा न देना आदि से संबंधित एक शिकायत। दूतावास ने स्लोवक नियोक्ता से सम्पर्क किया और भारतीय कामगारों की समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता के लिए उस पर दवाब डाला। नियोक्ता और भारतीय कर्मचारियों के बीच मामले को सुलझा दिया गया है।
31.	स्पेन	भारतीय समुदाय ने स्पेन द्वारा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेटस (पीसीसी) की पहचान न करने पर असंतोष जताया है। दूतावास के प्रयासों से स्पेन के अधिकतर क्षेत्र अब भारतीय राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये पीसीसीज को स्वीकार कर रहे हैं हालांकि, लगभग 4 सिविल रजिस्ट्रीज/प्राधिकरण अब भी इन दस्तावेजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूतावास ने इन कार्यालयों को पुनः अनुदेश जारी करने के लिए स्पेनिश फोरन ऑफिस के साथ मामले का अनुकरण किया है ताकि वे भारत की राज्य सरकारों के द्वारा जारी किये गये पीसीसीज की स्वीकृति पर किये गये करार का पालन करें। यह आशा की जाती है कि स्पेन में सभी सिविल रजिस्ट्रीज उनके फोरन ऑफिस के अनुदेशों का पालन करेंगे और भारतीय समुदाय द्वारा पीसीसीज पर सामना की जाने वाली समस्या का समाधान हो जायेगा। स्पेन एक कठोर लोकतांत्रिक परंपराओं वाला देश है और विधि-नियम द्वारा शासित होता है। स्पेन में भारतीय समुदाय का बहुत सम्मान किया जाता है और इस प्रकार मिशन को स्पेन में भारतीय नागरिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों से उनके द्वारा सामना की जाने वाली किसी अन्य बड़ी समस्या या कठिनाई के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
32.	श्रीलंका	2011 – शून्य 2012 – 3 2013 – 4 2014 – शून्य जेफ्फना में भारतीय कामगारों के विदेशी नियोक्ताओं द्वारा बकाया वेतन का भुगतान न करना और छुट्टी न देना से संबंधित सात शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसमें स्थानीय मूल से श्रमिकों/रसोईयों के रूप में काम करने वाले 41 भारतीय नागरिक शामिल थे।

1	2	3
		मामले को उनके नियोक्ता के साथ उठाया गया सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा दिया गया। केन्डी 2014 – 01 (श्रीलंकाई नागरिक के साथ विवाहित एक भारतीय महिला द्वारा उसकी सम्पत्ति का अतिक्रमण करने और उसके पड़ोसी द्वारा हमला करने की एक शिकायत)। पोस्ट ने मामले को स्थानीय पुलिस के साथ उठाया और मामले को सौहार्दपूर्ण सुलझा दिया गया।
33.	सूडान	मिशन में वेतन न करने के कई मामले रिपोर्ट किये गये। श्रमिकों के मामले को स्थानीय नियोक्ता/विदेश कार्यालय, की सहायता से, जैसी भी स्थिति की मांग हो, के अनुसार सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाता है।
34.	तंजानिया	नियोक्ताओं द्वारा पासपोर्ट के अवरोधन और घरेलू समस्याओं सहित मुख्य रूप से अनुचित व्यवहार से संबंधित 62 समस्याएं। सुलह/समाधान और भारतीय नागरिकों के लिए राहत प्रदान करने हेतु मिशन ने इन मामलों को सी संबंधित पक्षों के साथ उठाया।
35.	तुर्कमेनिस्तान	सितम्बर, 2012 से 2013 के मध्य की अवधि तक के दौरान भारतीय नागरिकों हेतु वीजा के नवीनीकरण से संबंधित कुछ समस्याएं थीं। मामले को तुरन्त तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय के साथ-साथ तुर्कमेनिस्तान के स्टेट माइग्रेशन सर्विसेस के साथ उठाया गया (एसएमएसटी तुर्कमेनी वीजा/कार्य परमिट प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है)। बाद में समस्याओं को कम करने में सहायता करने हेतु दोनों देशों के बीच मई, 2013 में यहां पहली बार कॉन्सूलर परामर्श का आयोजन किया गया अब कोई समस्या नहीं है।
36.	संयुक्त अरब अमीरात	संयुक्त अरब अमीरात में स्थित मिशन को भारतीय नागरिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों से उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं/कठिनाई से संबंधित शिकायतें/याचिकाएं/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या की तुलना में यह नगण्य है। (ख) विगत तीन वर्षों में और वर्तमान वर्ष में दूतावास द्वारा प्राप्त की गई और समाधान की गई समस्याओं/शिकायतों की संख्या निम्नलिखित है : 2011 – 1481 2012 – 1045

1	2	3
		2013 – 910
		2015 – 709 (30 जून, 2014)
		बकायों का भुगतान न करने, पासपोर्ट न देने, कम वेतन देने आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने हेतु पहले कंपनी/प्रायोजक के साथ उठाया जाता है। यदि उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो मामले को संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उठाया जाता है। यदि आवश्यक हो तो कानूनी सहायता और काउन्सूलिंग भी प्रदान की जाती है।
		भारतीयों से प्राप्त दया याचिकाओं को स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के सहानुभूतिक विचार हेतु उन्हें अग्रेषित किया जाता है। उपरोक्त सभी मामलों में, प्राधिकरणों से प्राप्त उत्तरों से शिकायतकर्ताओं को भी तदनुसार सूचित किया जाता है। स्थानीय समस्या समाधान समिति बैठकों में भी इन मामलों को उठाया गया है।
37.	यूनाइटेटड किंगडम	लंदन
		2011 – 70
		2012 – 70
		2013 – 60
		2014 – 20 (10.07.2014 तक)
		विपत्तिग्रस्त भारतीय महिलाएं जो यूनाइटेड किंगडम के निवासी हैं से शिकायतें प्राप्त होती हैं। चोरी और सामुदायिक कल्याण मामलों के संबंध में अलग-अलग अनुरोध प्राप्त होते हैं।
		मिशन, मामलों को वैध और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने हेतु प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना के प्रावधानों के अनुसार, तत्परता से सभी संभव कदम उठाता है जिसमें, मामले को स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उठाना और विपत्तिग्रस्त भारतीय महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल है।
		बर्मिंघम
		2011 – 8
		2012 – 11
		2013 – 10

1	2	3
		(i) छात्रों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार, खराब समर्थन आदि का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी शिक्षा पूरी करने में उन्हें असफलता प्राप्त होती है और उनके माता-पिता द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में भुगतान की गई कड़ी मेहनत से कमाई गई काफी बड़ी रकम की हानि होती है, उचित अवधि के लिए उपयुक्त वीजा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। (ii) महिलाओं से पतियों और ससुराल वालों द्वारा दुर्व्यवहार करने की शिकायतें। (iii) आवेदक के वैध रूप से स्वामित्व वाली सम्पत्ति की सुरक्षा करने में भारतीय वैध प्रणाली की पुलिस और अन्य घटकों की असफलता से संबंधित शिकायतें। (iv) स्थानीय प्राधिकरणों जिसमें पुलिस और जेल शामिल हैं से शिकायत का त्वरित और पर्याप्त समाधान प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई जैसी विविध शिकायतें। (i) भारतीय कॉन्सूलावास, बर्मिंघम द्वारा मामले को यूनाइटेड किंगडम और भारत में उचित प्राधिकरणों के साथ उठाकर सहायता प्रदान की गई।
38.	संयुक्त राज्य अमेरिका	वाशिंगटन

वर्ष		विपत्तिग्रस्त महिलाएं		भारतीय छात्र
2011	–	6	–	01
2012	–	5	–	शून्य
2013	–	4	–	01
2014	–	4	–	शून्य

महिलाओं से प्रवासी पतियों द्वारा धोखाधड़ी के विवाहों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना के दिशा-निर्देशों और प्रावधानों के अनुसार उनके प्रवासी पतियों द्वारा-परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जहां तक भारतीय छात्रों से याचिकाओं का संबंध है, ये वर्ष 2011 में नोर्दन वर्जिनिया विश्वविद्यालय के पंजीकरण का विदड्रायल और वर्ष 2013 में विश्वविद्यालय के बंद होने से संबंधित थी। दोनों अवसरों पर दूतावास ने मामले को यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और डिपार्टमेंट ऑफ होललैण्ड सिक्योरिटी के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया। परिणामस्वरूप अधिकतर छात्रों को बिना उनके शैक्षणिक वर्ष की हानि हुए अन्य विश्वविद्यालय में सुचारु रूप से स्थानांतरित कर दिया गया।

1	2	3
		अटलान्टा
		2013 – एक मामला रिपोर्ट किया गया। डनलॉटन ब्रिज, पोर्ट ऑरेन्ज, फ्लोरिडा में श्री कवलजीत को गोली मारी गई। उन्हें अति नाजुक स्थिति में अस्पताल में दाखिल कराया गया और कई दिनों तक गहन चिकित्सा यूनिट (आई.सी.यू.) में रखा गया।
		मिशन ने इस मामले को संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाया।
		सेन फ्रांसिस्को
		(i) प्रवासी भारतीयों द्वारा पति/पत्नियों का परित्याग करने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या निम्नलिखित है :
		2010-11 – 3
		2011-12 – 3
		2012-13 – 10
		2013-14 – 3
		(ii) विगत तीन वर्षों में मृत्यु के मामलों में प्रलेखन आदि से संबंधित प्राप्त अनुरोध और प्रदान की गई सेवाओं की संख्या निम्नलिखित है :
		2011 – 129
		2012 – 172
		2013 – 155
		2014 – आज की तारीख तक – 67
		(i) मिशन द्वारा शिकायतकर्ता को मार्गदर्शन प्रदान किया गया है जिसमें ऐसे पीड़ितों की सहायता करने वाले उचित स्थानीय संगठनों के सम्पर्क ब्यौरे शामिल हैं। उनके प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना के अनुसार सहायता भी प्रदान की गई है।
		(ii) सेवा उसी दिन प्रदान की गई और यह भारतीय नागरिकों के लिए निःशुल्क है। कॉन्सूलेट नियमित आधार पर ओपन हाउस सत्रों का आयोजन भी करता है जहां लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बिना अपाईटमेंट लिये ही आ सकते हैं और अधिकारियों से मिल सकते हैं।
39.	वेनेजुएला	एक जहाज (एम.टी. अम्बा भवानी) अरुबा जल क्षेत्र, इस मिशन की समवर्ती मान्यता के अन्तर्गत एक द्वीप, में फंस गया। दूतावास को सूचित किया गया

1	2	3
		कि जहाज का परित्याग कर दिया गया है और वरुण शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चालक दल के सदस्यों को बकायों का भुगतान न करने के कारण जहाज पर ही रुकने के लिए बाध्य किया गया था।
		दूतावास ने एम.टी. अम्बा भवानी जहाज के भारतीय चालक दल के सदस्यों के देश प्रत्यावर्तन हेतु कानूनी कार्यवाही के माध्यम से सभी सम्भव सहायता प्रदान की। मिशन में बकायों का भुगतान करने और चालक दल के सदस्यों का देश प्रत्यावर्तन करने हेतु जहाजरानी मंत्रालय और शीप कंपनी के स्वामी से भी सम्पर्क किया गया। अरुबा के न्यायालय ने मैं. वरुण शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को वेतन का भुगतान करने और जहाज के पूरे चालक दल को बदलने का आदेश दिया। तदनुसार उनके द्वारा अप्रैल, 2014 के अंत एक एम.टी. अम्बा भवानी पर सवार चालक दल के वेतन का भुगतान किया गया और चालक दल का देश प्रत्यावर्तन करने का भी प्रबंध किया गया।
40.	वियतनाम	जून, 2013 में 19 भारतीय कामगार जो श्री विनोद कुमार द्वारा वियतडच प्लाई लिमिटेड, वियतनाम, जो श्री अजय भगत नामक एक भारतीय के स्वामित्व वाली एक प्लाईवुड कंपनी है, में काम करने के लिये लाये गये थे, ने उनके वेतन का भुगतान न करने और उनकी फैक्टरी में भारतीय भोजन की अनुउपलब्धता के बारे में भारतीय मिशन के पास शिकायत दर्ज की। दूतावास ने सौहार्दपूर्ण तरीके से मामले को निपटाने का प्रयास किया।
		हालांकि, कामगार भारत लौटने को इच्छुक थे। दूतावास ने उनके रहने और भारत लौटने के लिए प्रबंध किये। उनके वीजा का एक्सटेन्शन कराने और उनके भारत लौटने तक उनके लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए प्रवासी समुदाय कल्याण कोष से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई।
		(ii) सितम्बर, 2013 में श्री विनोद कुमार ने वियत डच कंपनी द्वारा उसके वेतन का भुगतान न करने के संबंध में शिकायत करने हेतु दूतावास से सम्पर्क किया। दूतावास ने हस्ताक्षेप किया और वियत डच प्लाई कंपनी को श्री विनोद कुमार के वेतन बकायों का भुगतान करने के लिए कहा। कंपनी ने भुगतान कर दिया जिसके बाद श्री विनोद कुमार भारत लौट गये।
41.	यमन	(i) नर्सों (ii) अकुशल कामगार भारतीय एजेंटों द्वारा भारत से अच्छे वेतन का आश्वासन देकर भर्ती की जाती हैं किन्तु पहुंचने पर कम भुगतान किया जाता है और संविदा को बदल दिया जाता है जैसे उन्हें "विजिट" वीजा पर लाया गया हो। मिशन ने मामले को यमन के स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उठाया है।

1	2	3

वर्ष		शिकायतों की संख्या
2010	–	19
2011	–	10
2012	–	17
2013	–	6

ये शिकायतें मुख्य रूप से, उन शर्तों और अनुबंधों जिनके अंतर्गत उनकी भर्ती की गई और पहुंचने पर उन्हें बदल दिया गया, से संबंधित होती हैं। शिकायतों की प्रकृति के आधार पर मिशन इन मामलों को यमन स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उठाता है।

मीडिया और मनोरंजन उद्योग का विकास

970. कुमारी शोभा कारान्दलाजे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में देश में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के व्यवसाय में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) क्या हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उद्योग का वार्षिक कारोबार का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उद्योगों के व्यवसाय में वृद्धि होने में डिजीटलीकरण की क्या भूमिका है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) फिक्की-के.पी.एम.जी. भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन (एम.ऐंडई) उद्योग रिपोर्ट, 2014 के अनुसार हाल ही के वर्षों में देश में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष	2011	2012	2013	2014 (अनुमानित)
व्यापार (टर्न ओवर) (बिलियन रुपए में)	728	821	918	1039

(ग) डिजिटीकरण से उपभोक्ताओं को आवर्धित लाभ होने, अंशदाता आधार में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के लिए एक नई विकास रूपरेखा के लिए मार्ग प्रशस्त होने की आशा है जिसके फलस्वरूप आवर्धित राजस्व अर्जन संभव हो सकेगा।

फिक्की-के.पी.एम.जी. रिपोर्ट, 2014 के अनुसार डिजिटीकरण की चरणबद्ध प्रगति इस उद्योग के विकास और सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारण रही है, जिसके द्वारा मुख्य संसूचकों विशेष रूप से टीवी और फिल्म के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन संभव हो सका है।

टीवी सिगनल प्रसारण के डिजिटीकरण के सफलतापूर्वक संपन्न होने के फलस्वरूप ऐनलॉग प्रसारण पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा और इससे मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर मूल्य और लाभ में वृद्धि होने का कार्य भी हो सकेगा। अनुमान है कि परिवहन शुल्क में और कमी और ए.आर.पी.यू. का विकास होगा जिससे लाभदेयता में वृद्धि होगी।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि फिल्म उद्योग में भी डिजिटीकरण से उद्योग के लिए बेहतर मुद्रीकरण हो सका

है। भारत के सिनेमा के पर्दों के पहले से ही लगभग 95 प्रतिशत डिजिटीकृत होने के साथ ही उत्तरोत्तर रूप से राष्ट्रव्यापी डिजिटल रिलीजों से नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं।

[हिन्दी]

नि:शक्त बच्चों हेतु व्यावसायिक शिक्षा

971. **श्री हंसराज गंगाराम अहीर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को उचित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त प्रयोजन हेतु और उन्हें रोजगार प्राप्त करने के सक्षम बनाने के लिए जिला स्तर पर संस्थानों की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण" तथा "माध्यमिक स्तर पर नि:शक्तों हेतु समावेशी शिक्षा" की योजना में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। केन्द्र प्रायोजित योजना माध्यमिक स्तर पर नि:शक्तों हेतु समावेशी शिक्षा का लक्ष्य कक्षा (IX से XII) तक सामान्य शिक्षा प्रणाली में नि:शक्त छात्रों को शैक्षिक अवसर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। योजना के तहत छात्रों के अनुकूल घटक, जिनमें सहायक सुविधाएं और उपकरण, अधिगम सामग्री, परिवहन सुविधाएं, छात्रावास सुविधाएं, छात्रवृत्ति, पुस्तकें, वर्दियां, सहायक उपकरण, सहायक स्टॉफ इत्यादि की व्यवस्था, अध्यापक-प्रशिक्षण, कमरों का निर्माण और उन्हें संसाधनों से सुसज्जित करना इत्यादि शामिल हैं, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। माध्यमिक स्तर पर नि:शक्तों हेतु समावेशी शिक्षा योजना के समनुरूप "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण" की योजना, विशेष ध्यान दिए जाने योग्य समूहों के बच्चों जिनमें व्यावसायिक शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे शामिल हैं, उपयुक्त उपायों के माध्यम से जिनमें सहायक सेवाएं उदाहरण के रूप में विशेष सहायता एवं उपकरण, आसान पहुंच के लिए स्कूलों से वास्तुशिल्पीय बाधा हटाने, शिक्षु उन्मुखीकरण/उन्हें संवेदनशील बनाने, व्यावसायिक पेशा चुनते समय विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षुओं की विविध आवश्यकताएं पूरी करने इत्यादि सहित उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित व सुनिश्चित करती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस समय में जिला स्तर पर व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वी.आर.सी.) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अभी देश में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत नि:शक्तों हेतु 21 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं। व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र 15-50 वर्ष की आयुवर्ग के नि:शक्तजनों को व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है।

[अनुवाद]

भारतीयों के लिए विधिक सहायता

972. **श्री एंटो एन्टोनी:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों में कानूनी मामलों में फंसे भारतीयों को विधिक सहायता देने के लिए केरल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनके मामलों के त्वरित निपटान के लिए कौन-कौन से प्रावधान किए जाने की संभावना है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): (क) सरकार को 31 दिसम्बर,

2011 को, अनिवासी भारतीय केरलवासी कार्य (नोर्का) विभाग, केरल सरकार से विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों में कोषों की स्थापना करने से संबंधित एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि वे उन विधियों को जरूरतमंद अनिवासी केरलवासियों को कानूनी सहायता प्रदान करने में खर्च कर सकें।

(ख) अनिवासी भारतीय केरलवासी कार्य (नोर्का) विभाग, केरल सरकार के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप, सरकार ने उन्हें परामर्श दिया कि इस कोष के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता पर किए जाने वाले खर्च को केवल अनिवासी केरलवासियों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि इसे प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो ऐसी सहायता का पात्र है के लिए उपलब्ध कराया गया है।

(ग) बाद में, खाड़ी देशों में रहने वाले अनिवासी केरलवासियों को कानूनी सहायता, परामर्श और प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने हेतु केरल सरकार ने, वर्ष 2014 में अपनी स्वयं की योजना, प्रवासी कानूनी सहायता सेल को मंजूरी दी। यह योजना विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों में केरल सरकार के कोषों की परिकल्पना करने पर विचार नहीं करती। उपरोक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली मेट्रो की लागत में वृद्धि

973. **श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो के चरण-III की लागत बढ़ने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. (डी.एम.आर.सी.) ने सूचित किया है कि इसके द्वारा हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के चरण-III का मध्यावधिक मूल्यांकन किया गया था। उन परिवर्तनों को ध्यान में रखने के बाद जो परियोजना के कुछ भाग के भूमिगत होने, विनिमय दर परिवर्तन आदि के कारण हुए हैं, 41,078.78 करोड़ रुपए (फरीदाबाद विस्तार के अलावा राज्य करों को छोड़कर) की अनुमोदित पूर्णता लागत के मुकाबले अनुमानित पूर्णता लागत 41,184.87 करोड़ रुपए (फरीदाबाद विस्तार के अलावा राज्य करों को छोड़कर) है अर्थात् इसमें केवल 0.26% वृद्धि हुई है।

(ग) इस संबंध में डी.एम.आर.सी. से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा

974. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा (एस.पी.क्यू.ई.एम.) उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों से, विशेषकर केरल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत केरल सहित राज्य सरकारों को धनराशि जारी नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) से (घ) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा-योजना (एस.पी.क्यू.ई.एम.) के अंतर्गत केरल सहित विभिन्न राज्य सरकारों से बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले हैं। गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी की गई निधि सहित प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्राप्त प्रस्ताव और जारी की गई धनराशि

राज्य	2012-13		2013-14	
	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	राज्यों को जारी निधि (लाख रुपए में)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	राज्यों को जारी निधि (लाख रुपए में)
असम	139	349.85	–	
छत्तीसगढ़	253	721.79	50	529.33
केरल	1462	776.88	–	7117.9
मध्य प्रदेश	1596	2104.4	1490	1912.02
महाराष्ट्र	89	168.44	20	210.7
राजस्थान	209	392.66	–	335.21
उत्तराखंड	165	493.44	127	460.71
उत्तर प्रदेश	11251	12987	6335	7351.5
त्रिपुरा	129	199.41	129	288.72
आंध्र प्रदेश	–	–	40	48.96
हरियाणा	–		7	18.36
बिहार	80	55.54	–	–

[हिन्दी]

विद्यालयों में संस्कृत

975. श्री पी.पी. चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के विद्यालयों में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार देशभर में सभी सरकारी/निजी विद्यालयों में दसवीं तक संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एन.सी.एफ.)-2005 में स्पष्ट है कि संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषा (एम.आई.एल.) के रूप में पढ़ाया जाना जारी रखा जाए। एन.सी.एफ. 2005 के आधार पर एन.सी.ई.आर.टी. ने संस्कृत शिक्षण-अधिगम-पाठ्यक्रम और कक्षा VI से XII के लिए भी पाठ्यसामग्री तैयार की है। पाठ्यसामग्री के अतिरिक्त छात्रों, शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अनेक पूरक पाठमालाएं भी तैयार की हैं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने VI-XII कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकें तथा कक्षा IX के लिए सहायक शिक्षक मैनुअल, संसाधन मैनुअल और ऑडियो कैसेट (ध्वनि मुद्रिका) जैसी सहायक सामग्री तैयार की हैं। बोर्ड ने संस्कृत-शिक्षण के लिए शिक्षकों के अनुकूल अभिव्यक्तिशील दृष्टिकोण अपनाने हेतु देशभर में लगभग 50 शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम और संगोष्ठियां भी आयोजित की थीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों के मुख्य सचिवों और शिक्षा सचिवों को देशभर के स्कूलों में संस्कृत सप्ताह के आयोजन के संबंध में पत्र लिखा है। सी.बी.एस.ई. ने संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने सम्बद्ध स्कूलों को इस वर्ष 7-13 अगस्त तक विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करते हुए संस्कृत सप्ताह मानने के लिए कहा है।

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशों में कामगारों की स्थिति

976. श्री असादुद्दीन ओवैसी: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रवासी भारतीय कामगारों के कतर में पहुंचने पर उनके पासपोर्ट की जब्ती और लंबे कार्य घंटों जैसी कठिन परिस्थितियों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वहां मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने या उन्हें भारत वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाड़ी देशों से मुक्त कराए गए कामगारों की संख्या कितनी है और इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) (विजय कुमार सिंह): (क) कतर सरकार में प्रचलित विनियमन, उत्प्रवासी कामगारों के प्रायोजकों/नियोक्ताओं द्वारा उनके पासपोर्ट ज़ब्त करने की अनुमति नहीं देते। हालांकि, नियोक्ताओं/प्रायोजकों द्वारा पासपोर्ट जब्त करने के दृष्टांत समय-समय पर सरकार के नोटिस में आए हैं। लम्बे कार्य घंटों की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकतर मामले घरेलू कामगारों से संबंधित हैं जो, पूर्वनिर्धारित सरकारी प्रक्रिया जैसे, समुचित रोजगार संविदा या पंजीकृत भर्ती एजेंटों के माध्यम से भर्ती, से गुजरे बिना ही कतर आते हैं।

(ख) कतर स्थित भारतीय दूतावास में एक पूर्ण विकसित श्रमिक एवं समुदाय कल्याण विंग है। दूतावास में प्राप्त सभी शिकायतों को, कतर सरकार में संबंधित प्राधिकरणों जिसमें विदेश, श्रमिक और आंतरिक मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ सर्च एंड फोलोअप और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग शामिल हैं, के साथ उचित रूप से उठाया जाता है। भारतीय उत्प्रवासी कामगारों की शिकायतों का समाधान करने और व्यथित व्यक्तियों के निर्विघ्न देश-प्रत्यावर्तन को सुगम बनाने हेतु, जब कभी भी ऐसे अनुरोध किए जाते हैं, कतर सरकार सहकारी और सहायक रही है।

(ग) विगत तीन वर्षों में खाड़ी देशों से भारत लौटने वाले कामगारों की संख्या संबंधित भारतीय दूतावासों द्वारा 1,51,862 (इनमें से 1,40,000 निताकत को लागू करने के कारण सऊदी अरब से संबंधित हैं) सूचित की गई है।

भारत सरकार सदैव ही, खाड़ी में रहने वाले भारतीय कामगारों की समस्याओं की ओर संवेदनशील रही है। खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के कल्याण हेतु की जाने वाली कोशिशों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) जब कभी आवश्यक हो, ऐसे कामगारों के नियमितीकरण या देश-प्रत्यावर्तन को सुगम बनाने हेतु भारतीय मिशन मेजबान देशों में संबंधित प्राधिकरणों के साथ सहयोग करते हैं। वे कान्सूलर सेवाएं भी प्रदान करते हैं और जिनके पास पासपोर्ट नहीं हैं, उनकी नागरिकता सुनिश्चित करने के पश्चात् उन्हें आपातकालीन प्रमाण-पत्र जारी करते हैं। ऐसे उत्प्रवासियों के निर्विघ्न देश-प्रत्यावर्तन हेतु यह मंत्रालय राज्य सरकारों, भारतीय मिशनों, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय आदि के साथ सहयोग करता है।

(ii) यदि आवश्यक हो तो मिशन, स्थानीय भारतीय समुदायों के साथ सहयोग करके या भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आई.सी.डब्ल्यू.एफ.), जो उत्प्रवासियों

के यथा-स्थान कल्याण हेतु सभी भारतीय मिशनों में स्थापित किया गया है के माध्यम से आश्रय, परिवहन और आवास आदि प्रदान करता है जिसमें भोजन और आवास/भत्ता जैसे व्यथित भारतीय पुरुष और महिला कामगारों हेतु अलग-अलग आश्रय स्थल प्रदान करना, भारत लौटने हेतु भारत सरकार की ओर से हवाई टिकटें प्रदान करना, पार्थिव शरीर को ले जाना, प्रारंभिक कानूनी सहायता और आपातकालीन चिकित्सा सहायता, कामगारों के मुख्य आवास स्थानों पर जागरूकता कैम्पों का आयोजन करना, शामिल हैं।

शहरी आवास

977. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री राजीव प्रताप रूडी:
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:
श्री रामदास सी. तडस:
योगी आदित्यनाथ:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में रह रहे, विशेषकर मध्यम और निम्न आय वाले लोगों के लिए सस्ते आवास का विकास करने हेतु बैंकों और आवास वित्त निगमों से ऋण प्राप्त करने सहित देश में रियल एस्टेट विकासकर्ताओं के समक्ष आ रही बाधाओं का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में सस्ते शहरी आवास का विकास करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी की संभावना तलाशने तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उच्च/मध्य/निम्न आय समूहों की आवश्यकताओं को शामिल करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों हेतु शहरी आवास की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और भविष्य के अनुमानों का ब्यौरा क्या है तथा इसे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2007 में सार्वजनिक निजी भागीदारी की रूपरेखा दी गई है। इस मंत्रालय की भागीदारी में किफायती आवास हेतु इस स्कीम में सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर किफायती आवास स्थापित करने के लिए प्रत्येक आवास को 75,000 रु. का प्रोत्साहन देता है। तथापि, किफायती आवास के विकास को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) के रूप में देखने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) 'आवास' और 'कालोनाइजेशन' राज्य का विषय होने से समाज के विभिन्न घटकों हेतु शहरी आवास की आवश्यकता संबंधी सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, इस मंत्रालय ने शहरी आवास की कमी का मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी दल का गठन किया है जिसने वर्ष 2012 में 18.78 मिलियन आवासों की कमी सूचित की है। यह मंत्रालय 2022 तक सबके लिए आवास हेतु नई योजना के लिए परामर्श भी कर रहा है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. को बदलना

978. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री धनंजय महाडीक:
श्री राजीव सातव:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के घटकों के रूप में शुरू किए गए शहरी गरीबों हेतु मौलिक सुविधा (बी.एस.यू.पी.) कार्यक्रम और समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत संस्वीकृत और पूरी की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का शहरों की आधुनिक परिकल्पना के आधार पर जे.एन.एन.यू.आर.एम. के स्थान पर नया मिशन शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप क्या उद्देश्य प्राप्त किए जाने की अपेक्षा है?

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): (क) से (ग) 14,42,187 रिहायशी इकाईयों (डी.यू.) के निर्माण के लिए 1515 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं जिनमें से 8,15,786 रिहायशी इकाईयां पूरी कर ली गई हैं।

आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार प्रगति का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलंब के कुछ महत्वपूर्ण कारणों में लागत में वृद्धि स्लमवासियों का परियोजना के स्व-स्थाने विकास को अपनाने में अनिच्छुक होना और बाधारहित मुक्त भूमि की उपलब्धता है। भारत सरकार ने स्वीकृत लागत पर परियोजना में अपना अंशदान करना बंद कर दिया है। राज्यों को, परियोजनाएं पूर्ण करने के लिए लागत वृद्धि, यदि कोई है, तो वहन करने का परामर्श दिया गया है। भारत सरकार ने चल रही परियाजनाओं को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2015 तक मिशन अवधि भी बढ़ाई है।

(घ) और (ङ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशानिर्देशों के अनुसार, बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत आवासीय परियोजनाएं 31 मार्च, 2012 तक स्वीकृत की गई हैं।

मार्च, 2012 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अवधि 31 मार्च, 2015 तक बढ़ाई गई है। इस प्रकार जे.एन.एन.यू.आर.एम. की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है। निर्माणाधीन परियोजनाएं ही पूरी की जा रही हैं।

सरकार समाज के विभिन्न वर्गों को आवास मुहैया कराने हेतु एक नई स्कीम तैयार कर रही है। स्कीम की रूप रेखा तैयार की जा रही है।

विवरण

बी.एस.यू.पी. : स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा तथा रिहायशी इकाईयों की पूर्णता की स्थिति

(1 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	शामिल शहरों की संख्या	अनुमोदित परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश	जारी ए.सी.ए.	रिहायशी इकाईयों की स्थिति				अभी शुरू की जानी है
							अनुमोदित	पूर्ण	निर्माणाधीन	कब्जाधीन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	22	3	1,679.04	798.09	660.29	61,108	40,256	10,940	24,819	9,912
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	1	60.94	54.46	54.46	996	100	896	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	असम	2	1	108.44	97.60	48.80	2,260	416	1,844	416	–
5.	बिहार	3	1	77.89	34.91	78.19	3,328	432	48	432	2,848
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	4	1	1,033.03	444.93	379.02	25,728	12,736	4,960	9,959	8,032
7.	छत्तीसगढ़	9	1	392.10	307.74	211.21	17,826	7,064	7,994	3,045	2,768
8.	दादरा और नगर हेवली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	दिल्ली	16	1	3,015.15	1,370.04	1,085.27	64,184	14.844	45,860	585	3,480
11.	गोवा	–	–	–	–	1.15	–	–	–	–	–
12.	गुजरात	27	5	2,067.09	2,015.47	910.58	1,13,488	97,230	15,194	70,431	1,064
13.	हरियाणा	2	1	64.23	31.18	31.18	3,248	2,896	–	202	352
14.	हिमाचल प्रदेश	1	1	14.01	11.21	7.37	384	176	176	'	32
15.	जम्मू और कश्मीर	5	2	162.39	134.44	52.38	6,677	662	815	354	5,200
16.	झारखंड	7	2	297.87	216.92	82.18	10,018	594	1,923	594	7,501
17.	कर्नाटक	18	2	843.68	407.96	384.03	28,118	23,439	3,308	17,234	1,371
18.	केरल	7	2	343.67	233.56	199.44	23,577	15,285	3,433	14,572	4,859
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	21	4	663.86	320.83	263.50	36,902	17,077	11,158	2,770	8,667
21.	महाराष्ट्र	53	5	4,993.36	2,395.11	2,083.04	1,21,487	62,524	26,909	26,532	32,054
22.	मणिपुर	1	1	51.23	43.91	43.91	1,250	800	450	800	–
23.	मेघालय	3	1	51.74	40.35	36.21	768	176	472	96	120
24.	मिज़ोरम	3	1	91.02	79.73	59.80	1,096	736	360	626	–
25.	नागालैंड	1	1	133.08	105.60	105.60	3,504	3,400	104	–	–
26.	ओडिशा	6	2	74.62	54.18	46.72	2,508	1,551	304	1,359	653
27.	पुदुचेरी	3	1	135.98	83.20	38.02	2,964	622	704	168	1,638
28.	पंजाब	3	2	130.63	65.25	47.49	6,480	2,420	2,410	73	1,650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	राजस्थान	3	2	289.21	172.67	131.64	11,151	1,082	5,520	636	4,549
30.	सिक्किम	3	1	33.58	29.06	29.06	254	52	132	-	70
31.	तमिलनाडु	51	3	2,334.28	1,045.28	1,003,89	92,272	46,842	36,818	46,742	8,612
32.	तेलंगाना	17	1	1,731.78	725.38	722.36	76,371	61,922	14,449	36,440-	
33.	त्रिपुरा	1	1	16.73	13.96	13.96	256	256	-	256	-
34.	उत्तर प्रदेश	67	7	1,640.29	799.23	876.60	45,807	33,556	10,912	32,919	1,339
35.	उत्तराखंड	8	3	46.54	35.85	28.16	997	215	388	43	394
36.	पश्चिम बंगाल	109	2	3,925.97	1,927.13	1,579.49	1,51,189	92,743	22,035	92,264	36,411
	कुल	479	62	26503.42	13095.24	11294.98	9,16,196	5,42,104	2,30,516	3,84,367	1,43,576

विवरण

आई.एच.एस.डी.पी. : स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा तथा रिहायशी इकाईयों की पूर्णता की स्थिति

(1 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	शामिल शहरों की संख्या	अनुमोदित परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश	जारी ए.सी.ए.	रिहायशी इकाईयों की स्थिति				अभी शुरू की जानी है
							अनुमोदित	पूर्ण	निर्माणाधीन	कब्जाधीन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	9.88	8.90	5.53	-	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	44	33	674.10	432.36	429.07	27,362	18,104	8,586	7,679	672
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	9.95	8.96	4.48	176	-	176	-	-
4.	असम	16	16	84.99	70.22	40.05	8,668	2,245	1,725	1,752	4,698
5.	बिहार	32	28	757.89	380.79	233.51	28,623	2,967	22,886	-	2,770
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	छत्तीसगढ़	18	17	225.60	158.83	158.85	17,922	9,216	5,894	3,828	2,812
8.	दादरा और नगर हेवली	2	1	5.74	3.34	1.67	144	-	80	-	64
9.	दमन और दीव	1	1	0.69	0.58	0.29	16	14	-	14	2
10.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	गोवा	-	-	-	-	0.70	-	-	-	-	-
12.	गुजरात	40	37	385.71	231.07	228.14	23,910	11,098	12,140	3,908	672
13.	हरियाणा	23	15	255.43	193.01	188.96	10,643	9,046	1,135	8,761	462
14.	हिमाचल प्रदेश	7	7	63.29	42.17	37.94	1,626	369	1,257	141	-
15.	जम्मू और कश्मीर	49	36	145.49	112.75	108.00	7,531	4,930	1,433	4,930	1,168
16.	झारखंड	10	10	217.93	131.33	86.98	11,544	3,368	3,246	2,902	4,930
17.	कर्नाटक	34	32	410.30	222.58	221.76	17,237	16,810	415	14,044	12
18.	केरल	53	45	273.32	201.60	165.17	26,205	17,190	2,577	16,910	6,438
19.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	मध्य प्रदेश	50	48	330.66	227.14	194.52	20,091	8,331	6,332	579	5,428
21.	महाराष्ट्र	122	87	2,417.98	1,504.16	1,163.14	1,02,071	31,591	22,234	12,337	48,246
22.	मणिपुर	6	6	43.38	32.35	32.35	2,829	2,593	236	2,593	-
23.	मेघालय	3	3	41.48	22.43	15.70	912	48	808	48	56
24.	मिज़ोरम	8	6	39.27	29.78	29.78	1,950	1,877	73	1,877	-
25.	नागालैंड	2	2	71.86	41.30	29.92	2,761	995	1,766	505	-
26.	ओडिशा	38	35	289.50	194.43	162.42	13,097	7,412	3,352	7,385	2,333
27.	पुदुचेरी	1	1	17.03	5.48	2.74	432	72	144	-	216
28.	पंजाब	5	4	87.11	45.88	89.71	5,583	2,193	1,537	995	1,853
29.	राजस्थान	66	57	990.95	602.08	535.50	43,857	13,415	23,886	9,483	6,556
30.	सिक्किम	1	1	19.91	17.92	17.92	39	39	-	39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	तमिलनाडु	94	93	566.11	400.45	398.68	37,715	31,927	5,287	31,683	501
32.	तेलंगाना	29	23	308.79	232.82	228.61	11,664	9,511	2,129	5,924	24
33.	त्रिपुरा	5	5	43.64	38.05	38.05	3,115	2,944	171	2,944	-
34.	उत्तर प्रदेश	159	136	1,082.91	686.92	718.18	40,570	19,462	17,081	20,875	4,027
35.	उत्तराखंड	21	18	161.28	90.57	73.09	5,032	1,404	2,180	763	1,448
36.	पश्चिम बंगाल	95	81	944.36	709.02	703.23	52,666	44,511	4,260	44,495	3,895
	कुल (आईएच. एस.डी.पी.):	1036	886	10976.53	7079.35	6344.66	5,25,991	2,73,682	1,53,026	2,07,394	99,283

फ्लाई ऐश का उपयोग

979. **श्री जैदेव गल्ला:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिवर्ष देश में उत्पादित फ्लाई ऐश की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार औसत अनुमानित मात्रा क्या है;

(ख) क्या देश में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का बहुत कम मात्रा में निर्माण प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कम मात्रा में उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने निर्माण उद्योग में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का अधिकतम उपयोग करने पर विशेष जोर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए/किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2012-13 के दौरान औसत फ्लाई ऐश उत्पादन 163.6 मिलियन टन था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 2012-13 के दौरान, फ्लाई ऐश का अधिकतम उपयोग, जो उपयोग की गई कुल फ्लाई ऐश का 58.15% है, निर्माण प्रयोजन अर्थात् सीमेंट, सड़कों और फ्लाई ओवरों, ईंटों और टाइलों के लिए तथा कंक्रीट में सीमेंट के आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में जल विद्युत क्षेत्र में किया गया था।

(घ) और (ङ) वर्ष 2003 और 2009 में यथासंशोधित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की फ्लाई ऐश उपयोग अधिसूचना 1999 के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए ईंटों, ब्लॉकों अथवा टाइलों के विनिर्माताओं, सड़क निर्माण अभिकरणों, लोक निर्माण विभाग आदि को पॉन्ड ऐश निशुल्क उपलब्ध करना अपेक्षित है। फ्लाई ऐश अथवा क्ले फ्लाई ऐश, ईंटों, ब्लॉकों और टाइलों की विनिर्माता इकाइयों को अन्य प्रयोक्ताओं के मुकाबले प्राथमिकता के आधार पर कम से कम 25% ड्राई फ्लाई ऐश निशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र से एक सौ किलोमीटर के भीतर निर्माण में लगे प्रत्येक निर्माण अभिकरण के लिए निर्माण हेतु फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का उपयोग करना अपेक्षित है। इन

अभिकरणों के लिए अपने निविदा दस्तावेजों और विनिर्देशनों की अनुसूची आदि में फ्लाई ऐश अथवा फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का उपयोग निर्धारित करना भी अपेक्षित है। निर्माण कार्यकलापों के लिए निधियां प्रदान करने वाले सभी वित्तीय संस्थानों और अभिकरणों के लिए अपने ऋण अथवा अनुदान दस्तावेज में इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की शर्त शामिल करना अपेक्षित है।

विवरण

वर्ष 2012-13 में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उत्पन्न औसत फ्लाई ऐश

क्र.सं.	राज्य का नाम	औसत फ्लाई ऐश उत्पन्न (मिलियन टन)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19.681
2.	बिहार	4.563
3.	छत्तीसगढ़	18.816
4.	दिल्ली	1.440
5.	गुजरात	8.024
6.	हरियाणा	6.589
7.	झारखंड	7.0198
8.	कर्नाटक	3.404
9.	मध्य प्रदेश	12.153
10.	महाराष्ट्र	13.911
11.	ओडिशा	11.696
12.	पंजाब	3.358
13.	राजस्थान	5.589
14.	तमिलनाडु	6.876
15.	उत्तर प्रदेश	22.247
16.	पश्चिम बंगाल	18.414

शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टॉफ की कमी

980. श्री दुष्यंत चौटाला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नव-स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन.आई.टी.) में शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टॉफ की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन संस्थानों में संस्थान-वार विद्यमान रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त स्टॉफ की कमी को पूरा करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी): (क) और (ख) नए आई.आई.टी. और एन.आई.टी. में संकाय और गैर-संकाय रिक्तियों की संस्थानवार स्थिति नीचे दी गई है :

क्र.सं.	संस्थान का नाम	रिक्तियां	
		संकाय	गैर-संकाय
1	2	3	4
आई.आई.टी. में रिक्तियां			
1.	आई.आई.टी., हैदराबाद	0	103
2.	आई.आई.टी, रोपड़	0	0
3.	आई.आई.टी, गांधीनगर	0	3
4.	आई.आई.टी, भुवनेश्वर	0	2
5.	आई.आई.टी, जोधपुर	19	44
6.	आई.आई.टी, पटना	0	2
7.	आई.आई.टी, इंदौर	0	0

1	2	3	4
8.	आई.आई.टी, मंडी	0	25
एन.आई.टी. में रिक्तियां			
9.	एन.आई.टी. अरुणाचल प्रदेश	7	1
10.	एन.आई.टी. दिल्ली	46	38
11.	एन.आई.टी. गोवा	14	20
12.	एन.आई.टी. मणिपुर	26	28
13.	एन.आई.टी. मेघालय	23	8
14.	एन.आई.टी. मिजोरम	24	12
15.	एन.आई.टी. नागालैंड	11	6
16.	एन.आई.टी. पुदुचेरी	21	28
17.	एन.आई.टी. सिक्किम	38	21
18.	एन.आई.टी. उत्तराखण्ड	0	11

(ग) रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना सतत् प्रक्रिया है और संस्थान संकाय रिक्तियों के लिए उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को आकर्षित करने हेतु कई पहलें कर रहे हैं। इन उपायों में वर्ष भर के लिए ओपन विज्ञापन, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चयन समिति की बैठकें आयोजित करना, संभावी अभ्यर्थियों तक पहुंच हेतु पूर्व छात्रों, वैज्ञानिकों और संकाय को निमंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन, उत्कृष्ट युवा संकाय पुरस्कार आदि शामिल हैं। आई.आई.टी. संकाय को परामर्शदाता की भूमिका अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और व्यावसायिक विकास भत्ते के अतिरिक्त अनुसंधान हेतु प्रारंभिक वित्तीय सहायता के रूप में 5.00 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। आई.आई.टी. द्वारा प्रवासी भारतीयों और पी.आई.ओ. को भी नियमित संकाय की भांति उन्हीं निबंधन और शर्तों पर स्थायी संकाय पदों पर नियुक्त किया जाता है।

एन.आई.टी. के संबंध में इन कमियों को पूरा करने के लिए संस्थाएं अनुबंधित और संकाय स्टॉफ को लगाने के साथ-साथ शिक्षण का ऑनलाईन मोड भी उपयोग में ला रही है। तथापि, गुणवत्तापरक संकाय को आकर्षित करने के लिए अब एन.आई.टी. के संकाय को आई.आई.टी. के संकाय के समतुल्य वेतन दिया जा रहा है।

विदेशी संकाय और आई.आई.टी. और एन.आई.टी. में आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने विदेशी संकाय के रोजगार वीजा को 25,000 यू.एस. डॉलर से कम कर 14000 यू.एस. डॉलर कर दिया है।

भारत निर्माण जन सूचना अभियान

981. **प्रो. सौगत राय:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत निर्माण जन सूचना अभियान नामक एक मीडिया प्रसार रणनीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस अभियान पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किए गए मुद्रित/दृश्य मीडिया विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है और इन पर एजेंसी-वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) इस परिकल्पना की वर्तमान स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) जी, हां। 'भारत निर्माण' शीर्षक के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों को शामिल करके एक एकीकृत विज्ञापन अभियान सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'विकास संचार के माध्यम से लोगों का सशक्तिकरण (अवधारणा और प्रचार)- डीएवीपी' नामक योजना उप-स्कीम के अंतर्गत मीडिया आउटरीच रणनीति के हिस्से के रूप में चलाया गया था।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष प्रत्येक के दौरान इस अभियान पर खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रु. में)

वर्ष	खर्च की गई राशि
2011-12	87.78
2012-13	103.02
2013-14	188.88
2014-15	32.23

(ग) ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) वर्तमान में 'भारत निर्माण' छतरी के अंतर्गत कोई अभियान चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

वर्ष 2011-12 से 2014-15 (दिनांक 30.06.2014 तक) के दौरान दिए गए प्रिंट/दृश्य मीडिया विज्ञापन

(करोड़ रु. में)

वर्ष	प्रिंट मीडिया		श्रव्य-दृश्य प्रतिबद्धता	
	समाचारपत्रों की संख्या	खर्च की गई राशि	टीवी चैनलों की संख्या	खर्च की गई राशि
2011-12	5715	27.07	139	34.13
2012-13	6323	39.49	142	27.08
2013-14	6444	48.90	135	96.19
2014-15*	-	-	-	-

*अभी तक कोई अभियान शुरू नहीं किया गया है।

एफ.टी.आई.आई. का स्तरोन्नयन

982. श्री रामसिंह राठवा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान (एफ.टी.आई.आई.) का स्तरोन्नयन करने का विचार है;

(ख) क्या हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): (क) जी, हां। फिल्म और टेलीविजन संस्थान के उन्नयन हेतु एक योजनागत स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ख) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के उन्नयन हेतु योजनागत स्कीम में अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन तथा मौजूदा अवसंरचना के उन्नयन की परिकल्पना है ताकि संस्थान की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसमें नए मुख्य थिएटर, क्लास रूम थिएटर, रिहाइशी आवास, आर्ट वर्कशॉप, स्टूडियो फ्लोर्स का निर्माण-कार्य तथा संस्थान के विभिन्न विभागों के लिए आधुनिक उपस्करों का अधिग्रहण शामिल है। 12वीं योजना के अंतर्गत कुल 80 करोड़ रु. के परिव्यय को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) "फिल्म क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना विकास कार्यक्रम" नामक 12वीं योजनागत स्कीम को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2014-15 के लिए 25 करोड़ रु. की राशि उद्दिष्ट की गई है।

जवाहर नवोदय विद्यालय

983. श्री निशिकान्त दुबे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने जवाहर नवोदय विद्यालयों (जे.एन.वी.) की स्थापना करने का अनुमोदन है;

(ख) वर्तमान में देश में इनमें से राज्य-वार कितने जे.एन.वी. चल रहे हैं;

(ग) क्या कई जे.एन.वी. अवसंरचना और विद्यार्थियों की अनुमोदित संख्या के बिना चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेष जे.एन.वी. के लिए अनुमोदन प्रदान करने में विलंब होने के कारण क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, सरकार ने मणिपुर में उखरूल और सेनापति जिलों में दो जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय (जे.एन.वी.) मंजूर किए हैं। ये दोनों जे.एन.वी. कार्यात्मक हैं।

(ग) से (ङ) इस समय सरकार द्वारा अनुमोदित 598 में 588 जे.एन.वी. कार्यात्मक हैं। प्रत्येक जे.एन.वी. जब पूरी तरह से कार्यात्मक होता है तो कक्षा VI से XII तक, प्रत्येक कक्षा में 40-40 बच्चों के दो सैक्शनों के साथ 560 छात्रों का दाखिला करता है। तथापि, इस संख्या को दो चरणों अर्थात् चरण 'क' और चरण 'ख' में निर्माण पूरा होने के साथ धीरे-धीरे प्राप्त किया जाता है। आरंभ में यह स्कूल कक्षा-VI के एक सैक्शन के सीमित दाखिले के साथ एक अस्थायी भवन से कार्य करना शुरू करता है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष एक कक्षा जोड़ी जाती है। 67 जे.एन.वी. अभी भी अस्थायी आवास से चल रहे हैं और इन स्कूलों की 16080 छात्रों की लक्षित क्षमता के मुकाबले में कुल नामांकन 10807 छात्र हैं।

अस्थायी भवनों या चरण 'ख' पूरा होने की प्रतीक्षा में कार्यरत 162 जे.एन.वी. के राज्य वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। निधियों की उपलब्धता की शर्त पर नए जे.एन.वी. की स्थापना और चरणबद्ध तरीके से स्थायी भवनों को पूरा करना, एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

जवाहर नवोदय विद्यालय की सूची जहां या तो निर्माण कार्य प्रगति पर है या आरंभ नहीं हुआ है

क्र.सं.	राज्य का नाम	जे.एन.वी. की संख्या
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	10
2.	छत्तीसगढ़	8
3.	ओडिशा	20
4.	पंजाब	6
5.	हिमाचल प्रदेश	4
6.	जम्मू और कश्मीर	8
7.	आंध्र प्रदेश	1
8.	तेलंगाना	1
9.	कर्नाटक	1
10.	केरल	1
11.	हरियाणा	2
12.	राजस्थान	1
13.	उत्तर प्रदेश	12
14.	उत्तराखंड	5
15.	बिहार	10
16.	झारखण्ड	4
17.	पश्चिम बंगाल	13
18.	महाराष्ट्र	5
19.	गुजरात	6
20.	अरुणाचल प्रदेश	10
21.	असम	8
22.	मेघालय	5

1	2	3
23.	मणिपुर	5
24.	मिज़ारम	6
25.	नागालैंड	9
26.	सिक्किम	1
	कुल	162

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के संबंध में जागरूकता

984. श्रीमती रमा देवी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट और अन्य मीडिया के माध्यमों से भ्रष्टाचार और तथाकथित भ्रष्ट अधिकारियों से संबंधित सूचना को सार्वजनिक किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध विद्यमान प्रावधानों से अवगत कराने और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचारों के बारे में उन्हें सावधान करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार को अब तक कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, वर्तमान में अपनी वेबसाईट पर मासिक निष्पादन रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें आयोग के क्रिया-कलाप का ब्यौरा होता है, जिसमें उन अधिकारियों की सूची भी होती है जिनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति और साथ ही मुख्य शास्ति की कार्रवाई आरंभ करने के लिए आयोग द्वारा सुझाव दिया गया होता है, इसके अतिरिक्त मासिक रिपोर्ट में उन अधिकारियों की सूची भी शामिल होती है, जिन पर आयोग के परामर्श से दंड/बड़ी शास्ति अधिरोपित की गई होती है।

इसके अतिरिक्त, सी.बी.आई. द्वारा सूचित विभाग/संगठन वार अधिकारियों के नामों सहित भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 4 माह से अभियोजन की स्वीकृति के लिए लंबित मामलों की सूची, आयोग की वेबसाइट पर डाली जाती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय में आम जनता को रिश्वत न देने और किसी भी पदाधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग के विषय में सतर्कता अधिकारी को सूचित करने की सलाहयुक्त डिस्पले पैनल मुख्य स्थानों पर लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने और भ्रष्टाचार/भ्रष्ट लोक सेवकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में नियमित विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। न्यायालयों द्वारा लोक सेवकों की दोषसिद्धि का व्यापक प्रचार किया जाता है।

हर वर्ष केन्द्र सरकार के सभी विभागों में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" का आयोजन किया जाता है। सभी लोक सेवक शपथ ग्रहण करते हैं कि वे सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता लाने और जीवन के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए निरंतर चेष्टा करते रहेंगे।

सिविल सोसाईटी एवं सामान्यत: नागरिकों को इस लड़ाई में सरकार के साथ प्रभावी एवं अति सक्रिय भूमिका अवश्य ही निभानी चाहिए, "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" का प्रयोग लोगों को "लोकहित प्रकटन एवं सूचना प्रदाता संरक्षण संकल्प, 2004" का अवलम्बन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, जिसके तहत शिकायतकर्त्ता "सूचना प्रदाता" के रूप में सीधे केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। लोगों से सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने के लिए आगे आने और इस संकल्प का लाभ उठाने के लिए आवाहन किया जाता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं* को संबंधित लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 101/16/14]

(2) कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं* को संबंधित लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 102/16/14]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, रुड़की के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, रुड़की के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, रुड़की के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 103/16/14]

(3) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 104/16/14]

(5) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर

---

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को 13.3.2013 को सभा पटल पर रखा गया।

@ वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को 8.5.2013 को सभा पटल पर रखा गया।

रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 105/16/14]

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 106/16/14]

(9) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 107/16/14]

(11)(एक) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 108/16/14]

(13) (एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 109/16/14]

(15) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 110/16/14]

(17) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 111/16/14]

(19) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मंडल, आगरा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 112/16/14]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): मैं जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 402 (अ) जो 4 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में, उसमें उल्लिखित, विलुप्तप्राय पादप और जंतुओं की प्रजातियों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 113/16/14]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 जुलाई, 2014 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 14 जुलाई, 2014 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, डॉ. जितेन्द्र सिंह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के मुद्दे पर एक वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यू.पी.एस.सी. सिविल सर्विस की परीक्षा को लेकर सरकार विद्यार्थियों की चिंता पूरी गंभीरता, पूरी सहानुभूति और पूरी संवेदनशीलता के साथ कर रही है। ...*(व्यवधान)* हम कतई नहीं चाहेंगे कि भाषा के कारण या किसी अन्य कारण से किसी भी विद्यार्थी वर्ग से पक्षपात अथवा अन्याय हो।...*(व्यवधान)* इस विषय का अध्ययन करने के लिए और इस पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीमित गठित की गई थी 12 मार्च, 2014 में, वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पहले...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप पहले स्टेटमेंट सुन लें, बाद में इस पर चर्चा मांग लेना।

...*(व्यवधान)*

डॉ. जितेन्द्र सिंह: लेकिन उस समिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हमने लिखित रूप में उस समिति को यह निर्देश दिया है कि बिना और विलम्ब किए हुए ...*(व्यवधान)*

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। [*देखिए* संख्या एल. टी. 114/16/14]

माननीय अध्यक्ष: आप अपना स्टेटमेंट ले कर दें।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: तुरंत इस रिपोर्ट को उपलब्ध कराए, ताकि उसका संज्ञान लेकर आगे की रूपरेखा तय की जा सके। अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से इन विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अनावश्यक तौरपर अपने आपको किसी शारीरिक तौर पर अथवा मानसिक क्लेश में न डालें। ...*(व्यवधान)* क्योंकि सरकार पहले ही इस विषय को बड़ी गंभीरता से ले रही है।

माननीय अध्यक्ष: आप अपना स्टेटमेंट ले कर दें।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आपने इस विषय पर चर्चा मांगी है, मिल जाएगी।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: पहले मेरी बात सुन लें। पप्पू यादव जी, आप अपनी सीट पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आपका कॉलिंग अटेंशन हो या अन्य नियम के तहत हो।

...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूं)**:** इस पर चर्चा की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको चर्चा से वंचित नहीं किया जा रहा है। जिस विधा में भी आप चाहें चर्चा के लिए मना नहीं किया है। उनका वक्तव्य टेबल हो गया है, आप अपनी चर्चा में उस विषय को उठा सकते हैं, आपको चांस मिलेगा।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना)**:** अध्यक्ष महोदय, जब संसद सदस्यों ने यह मामला कल गंभीरता से उठाया था और आपको निवेदन किया कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए और आपने मना नहीं किया है तो हमारी आपत्ति यह है कि जब मुद्दा उठाया गया है तो सरकार को संसद सदस्यों की बात स्टेटमेंट देने से पहले सुननी चाहिए, जिस पर हस्ताक्षर भी नहीं हैं। किस आधार पर इसे एडमिट किया गया, जब पहले ही सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है। जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक पहले इन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, उसके बाद जवाब आये।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप बात सुनना चाहते हैं कि एक मिनट मेरी बात समझ तो लो। इसे दो बार, तीन बार उठाया जा चुका है, यह मामला उठ चुका है और जीरो-आवर में भी उठा है। मैंने आपको यह भी कहा है कि किसी विधा में भी और अभी भी इसे उठाने के लिए मना नहीं है। अगर मिनिस्टर स्टेटमेंट देना चाहे तो स्टेटमेंट देने से हम रोक नहीं सकते हैं। बाद में आप चर्चा उठाएं तो उस पर चर्चा हो सकती है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 15 और 17 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 15 और 17 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अनुसरण

में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि एक वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

(तीन) **कॉयर बोर्ड**

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कॉयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कॉयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य, ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि कॉयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कॉयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य, ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निर्वाचित करें।",

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे

इस समय, श्री राजेश रंजन, श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 12.09 बजे

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा मद संख्या 9 पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 2, दिनांक 16.07.2014 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन करने वाले विध ेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गहलोत: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.09½ बजे

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अध्यादेश, 2014 के बारे में विवरण**

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, मद संख्या 10

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): अध्यक्ष जी, मैं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 1) की प्रख्यापना द्वारा तत्काल विधान के लिए कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप चर्चा नहीं चाहते हैं, इसलिए हल्ला कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज विचार करूंगी। आपको चर्चा दे देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं मना नहीं कर रही हूं। आपको आज या कल चर्चा दे देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज थोड़ा काम हो जाने दो, आपको चर्चा दे दूंगी। मैंने कहा है कि आपको चर्चा दे देंगे, आप अपनी सीट पर वापिस जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप चर्चा नहीं चाहते हैं, केवल हल्ला चाहते हैं, तो हल्ला करो।

मिस्टर अहलुवालिया जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी मिल कर तय कीजिए, मैं चर्चा दे दूंगी। जैसा बी.ए.सी. में तय हुआ है, वैसे ही करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया (दार्जिलिंग)**:** अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र दार्जिलिंग, जो सारे विश्व में चाय के लिए और पर्यटन के लिए जाना जाता है लेकिन आज कल दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी का इलाका चाय बगान के मजदूरों की अकाल मृत्यु के कारण जाना जा रहा है, भुखमरी से वहां लोग मर रहे हैं।

अपराह्न 12.11 बजे

इस समय, श्री राजेश रंजन, श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

वहां रेड बैंक ग्रुप के तीन चाय गार्डन रेड बैंक टी स्टेट डूअर्स, सुरेंद्र नगर टी स्टेट और धरनीपुर टी स्टेट वर्ष 2013 से बंद पड़े हैं। करीब 2200 कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। वहां पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बगान बंद होने के कारण लोगों के पास रोजगार नहीं है। लोग परेशान हैं और काम करने के लिए दूर-दूर तक जाते हैं। काम करने के लिए उनके शरीर में ताकत भी नहीं है, क्योंकि के कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण और टीबी की बीमारी के कारण उनकी

** सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 115/15/14 ।

मृत्यु हो रही है। बंगाल सरकार उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रही है। वहां अविलम्ब केन्द्रीय सरकार की तरफ से हाई पॉवर डेलिगेशन भेजना चाहिए जो वहां जाकर इसका मुआयना करे। यहां चाय बगानों के मजदूरों से चिट फंड में पैसे लिए गए, वह पैसा भी वापिस नहीं किया गया। हर तरह से उनका दुरुपयोग किया गया। मेरा कहना है कि हाई पॉवर टीम जाए और मुआयना करके एक फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए तथा इन चाय बगानों को खोलने का बंदोबस्त किया जाए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको श्री अहलुवालिया द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करता हूं।

श्री ओम बिरला (कोटा): अध्यक्ष जी, रणथम्भौर बाघ परियोजना के अंदर बाघों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। कोटा राजस्थान में मुकुंदरा हिल टाइगर प्रोजेक्ट, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, राजस्थान के कोटा के अंदर बहुत लम्बा क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार ने उसे बनाया है और वहां अभी भी बड़ी संख्या में वन्य जीव रहते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि देश में जिन-जिन क्षेत्रों में बाघों की अधिक संख्या हो गई है, कोटा के मुकुंदरा हिल टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर उन बाघों को शिफ्ट किया जाए, ताकि राजस्थान का कोटा क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र की दृष्टि से विकसित हो सके।

माननीय अध्यक्ष जी, यह हम सबके लिए चिंता का विषय है कि बाघों का एरिया छोटा पड़ने के कारण रोज बाघ आबादी वाले क्षेत्र में चले जाते हैं जिससे गंभीर घटना होने की चिंता रहती है। इसलिए ऐसे तमाम क्षेत्रों को जिन क्षेत्रों के अंदर बाघों की संख्या अधिक हो गई है और जिनमी शिफ्टिंग की जा सकती है, उसके लिए केन्द्र सरकार को एक योजना बनानी चाहिए जिससे बाघों के कारण होने वाली घटनाओं को रोका जा सके।

[अनुवाद]

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बारगढ़): माननीय अध्यक्ष, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस सभा में यह मेरा पहला भाषण है। सर्वप्रथम, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री और अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा।

महोदया, ओडिशा अपने मंदिरों, विशेषत: भुवनेश्वर हेतु प्रसिद्ध है। इसे भारत के, 'मंदिर शहर' के रूप में जाना जाता है। किसी समय यहां एक हजार, मंदिर थे, परन्तु अब यह कुछ सौ तक सीमित है, जोकि बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। विशेष रूप से वर्षा के मौसम में अधिकतर मंदिर जलमग्न हो जाते हैं और केवल इन स्मारकों बल्कि पर्यटकों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं।

महोदया, आपके माध्यम से, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन स्मारकों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि हमारे देश कि इस समृद्ध विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके।

अपराह्न 12.16 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य जिन्हें, आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे यदि इन मामलों को, सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची रख दें। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

(एक) महाराष्ट्र के गड़चिरोली जिले में अन्य पिछड़े वर्गों को अनिवार्य 19 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): सरकार ने देश के पिछड़े वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत महाराष्ट्र राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के लिए 19 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य के ही आदिवासी एवं नक्सलवाद से

*सभा पटल पर रखे माने गए।

बुरी तरह से प्रभावित गड़चिरोली जिले में ओ.बी.सी. के लिए केल 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, जो उचित नहीं है।

महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित जिले गड़चिरोली में ओ.बी.सी. के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले ओ.बी.सी. के लोगों के कल्याण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब उनको मिलने वाली सुविधाओं से उन्हें वंचित न किया जाए।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र राज्य के लिए ओ.बी.सी. हेतु निर्धारित 19 प्रतिशत आरक्षण को नक्सल प्रभावित गड़चिरोली जिले में भी उसी के अनुरूप लागू किया जाए, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के अधिकांश लोग आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त करके राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

(दो) **बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और अरवल जिलों में सड़क निर्माण कार्य पुनः शुरू करने के लिए एल. डब्ल्यू.ई. चरण-II योजना के अंतर्गत निधि जारी किए जाने की आवश्यकता**

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): मैं सरकार का ध्यान एल.डब्ल्यू.ई. फेस-2 योजना की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। गृह मंत्रालय ने देश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों को चिन्हित कर इस योजना के अंतर्गत इन जिलों में सड़कों के निर्माण का बीड़ा उठाया है। यह योजना वर्तमान में वित्त मंत्रालय के अधीन एक्सपेंडीचर फाइनेंस कमेटी के द्वारा अनुमोदित है। इस योजना के संबंध में भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा योजना का प्रारूप भी वित्त मंत्रालय को भेजा जा चुका है।

बिहार राज्य के औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, अरवल आदि जिलों का चयन इस योजना में किया गया है, किन्तु वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के अभाव में इन जिलों में सड़कों के निर्माण का कार्य बाधित हो रहा है।

मेरी सरकार से मांग है कि वित्त मंत्रालय की एक्सपेंडीचर फाइनेंस कमेटी से अनुमोदित इस योजना के लिए अविलंब धन आवंटित करते हुए योजना के द्वितीय चरण का काम प्रारंभ कराया जाए जिससे उग्रवाद प्रभावित इन जिलों में सड़कों के निर्माण का अवरुद्ध कार्य पुनः प्रारंभ हो सके एवं उग्रवाद की समस्या के निदान हेतु उपयोगी एवं प्रभावी कदम उठाया जा सके।

(तीन) **भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड में सहभागी राज्यों से चक्रानुक्रम आधार पर सदस्यों की नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता**

श्री चांद नाथ (अलवर): राजस्थान राज्य का रावी व्यास के आधिक्य जल में 52.60 प्रतिशत हिस्सा है एवं बी.बी.एम.बी. में राजस्थान कैडर के अधिकारी को कभी भी सदस्य नियुक्त नहीं किया गया।

राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय 'जल संसाधन मंत्रालय' को निवेदन किया है कि प्रचलित इस अतर्कसंगत एवं अनुचित परिपाटी को बदलने की जरूरत है। बी.बी.एम.बी. में सदस्यों की नियुक्ति सहभागी राज्यों से रोटेशन के आधार पर होनी चाहिए।

जनलेखा समिति के सदस्यों को आश्वासन दिया कि पदधारी सचिव (हरियाणा कैडर) के अक्टूबर, 2011 में सेवानिवृत्ति के पश्चात् राजस्थान के अधिकारी की नियुक्ति सचिव पद पर की जावेगी। परन्तु इस आश्वासन को नकारते हुए हरियाणा के अधिकारियों की सेवाएं जारी रखीं। यदि किसी कारण से सदस्य सिंचाई राजस्थान से नियुक्ति किया जाना अभी संभव नहीं हो तो सचिव बी.बी.एम.बी. पद पर राजस्थान से तुरंत नियुक्ति की जाये।

(चार) **मध्य प्रदेश के जबलपुर में तारामंडल के साथ-साथ विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मेरा लोक सभा क्षेत्र जबलपुर पूर्वी मध्य प्रदेश का संभागीय मुख्यालय है। यहां रक्षा उत्पादन की पांच बड़ी इकाइयां स्थित हैं। वहीं भारतीय थलसेना का बड़ा ट्रेनिंग सेंटर स्थित है जिसमें सिग्नल्स रेजिमेंट, जी.आर.सी. एवं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। यहां रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सालय, कृषि विश्वविद्यालय एवं मेडिकल विश्वविद्यालय जैसा उच्च शिक्षा संस्थान भी स्थित है।

पर्यटन के बड़े केन्द्र के रूप में जबलपुर उभर रहा है। इन सभी के बाद भी जबलपुर जिसकी पहचान कभी शिक्षा के बड़े केन्द्र के रूप में थी लेकिन वर्तमान में यहां

बच्चों और युवा पीढ़ी को अपेक्षित बौद्धिक व व्यावहारिक रूप से विज्ञान के प्रति जागरूक बनाने हेतु कोई विश्वस्तरीय संस्थान नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा देश के विभिन्न भागों में साइंस सेंटर की स्थापना का कार्य किया जाता है। इस साइंस सेंटर के साथ तारामंडल की स्थापना हो तो उपयोगिता और बढ़ जाती है। इसकी स्थापना के लिए जबलपुर सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। मध्य प्रदेश में केवल एक ही साइंस सेंटर है जो भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर में मध्य प्रदेश सरकार का सहयोग भी प्राप्त होगा। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जबलपुर में साइंस सेंटर की स्थापना के संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(पांच) **बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता**

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के पूसा बाजार के निकट राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 3 दिसम्बर, 1970 में की गई थी, इससे पूर्व इस स्थापन पर इम्पीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान जोकि 1903 में ब्रिटिश काल में विद्यमान था जिसका भवन सन् 1938 में बिहार में आए भयंकर भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, उसी वर्ष इस संस्थान को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया जिसे पूसा कैम्पस/भारतीय कृषि अनुसंधान के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। मिथिलांचल में स्थित इस संस्थान को पुन: स्थापित करना था, परन्तु केन्द्र सरकार की उपेक्षा के कारण ऐसा न हो सका। केवल कृषि विश्वविद्यालय का ही निर्माण किया गया। मिथिलांचल ने जो महत्त्वपूर्ण संस्थान खोया उसकी पूर्ति एक कृषि विश्वविद्यालय से नहीं की जा सकती है, बिहार के किसान भी नए शोध एवं तकनीकी को अपनाना चाहते हैं।

अत: आवश्यक है कि पूसा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, जिससे नई तकनीक/शोध अतिरिक्त संसाधनों का लाभ बिहार को प्राप्त हो सके।

(छह) **दक्षिण गुजरात में डाक सेवाओं के कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए सूरत के डाकघरों में सभी टिकट पदों को भरे जाने की आवश्यकता**

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): मैं माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि सूरत शहर आज 326.515 स्कवायर किलोमीटर में फैला हुआ 11.5 प्रतिशत की निरंतर विकास दर के साथ हीरा, जरी और टैक्सटाइल उद्योग के साथ 50 लाख की आबादी वाला शहर है। सूरत का डाकघर रेल आरक्षण में पहले क्रम और सोने के सिक्के की बिक्री में दूसरे क्रम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। इसके अलावा साउथ गुजरात 25 प्रतिशत राजस्व डाक विभाग को दे रहा है।

सूरत शहर की लड़खड़ाती डाक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डाकघरों में रिक्त पदों को भरना आवश्यक है जिसके लिए मेरी मान्यवर मंत्री जी से गुजारिश है कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए ताकि डाक विभाग की सभी व्यवस्थाओं का लाभ नागरिकों को मिल सके एवं वर्तमान रेल बजट में भी रेलवे टिकटों को भी पोस्ट ऑफिस से बिकने की जो व्यवस्था केन्द्र सरकार ने लागू की है उसका भी लाभ नागरिकों को मिले।

मैंने 5 जुलाई 2012 को माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से दक्षिण गुजरात में सूरत को नया पोस्टल रीजन बनाने के बारे में मांग की थी क्योंकि छोटे-छोटे निर्णयों के लिए भी बड़ौदा ऑफिस के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है जिसके कारण समय एवं पैसों का व्यय हो रहा है। साथ ही उसके कारण से सेवाएं प्रभावित होती हैं। गुजरात सरकार ने 2 नये जिले नर्मदा और तापी का निर्माण किया है। उनके 2 नये डिवीजन बनाकर स्वतंत्र क्षमता को शत प्रतिशत उपयोग में लाकर आम जनता को सहूलियत दी जाये।

मेरी मान्यवर मंत्री महोदय से गुजारिश है कि इन बातों पर तुरंत विचार करके पूरी दक्षिण गुजरात को डाक विभाग की सेवाओं में सुधार लाकर आम जनता की सालों की मांगों को संतुष्ट किया जाए।

(सात) **राजस्थान के उदयपुर मंडल मुख्यालय में एक पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर तथा उदयपुर संभाग जनजाति

बहुलता वाला क्षेत्र है। संभाग की कुल आबादी में लगभग 70 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या है। उदयपुर संभाग के अंतर्गत कुल 6 राजस्व जिले आते हैं जिनके नाम हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चितौड़गढ़, राजसमन्द और उदयपुर। उदयपुर संभाग के अधिकतर लोग रोजी-रोटी कमाने खाड़ी दशों में जाते हैं। इन देशों में जाने के लिए लोगों को पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। उदयपुर संभाग मुख्यालय पर पासपोर्ट कार्यालय नहीं होने की वजह से लोगों को जोधपुर जाना पड़ता है जो काफी दूरी पर है। संभाग के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए काफी धन भी खर्च करना पड़ता है। उदयपुर संभाग से सालाना 55 से 60 हजार लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए जोधपुर जाते हैं। अत: उदयपुर संभाग मुख्यालय पर पासपोर्ट कार्यालय खुल जाये तो संभाग के लोगों को जोधपुर तक नहीं जाना पड़ेगा। लोगों के समय और धन की बचत होगी। निवेदन है कि उदयपुर संभाग मुख्यालय पर पासपोर्ट कार्यालय खोलने की कृपा करावें।

(आठ) **मध्य प्रदेश के सतना में आई.आई.टी. या आई.आई.एम. के साथ-साथ केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोले जाने और राज्य में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का उन्नयन करके उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता**

श्री गणेश सिंह (सतना): मेरा लोकसभा क्षेत्र सतना जो कि मध्य प्रदेश में है, यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 तथा इलाहाबाद से मुंबई रेल मार्ग निकलते हैं। मेरा जिला औद्योगिक एवं कृषि प्रधान जिला है, लेकिन केन्द्र सरकार के उच्च शिक्षा से यह पूरा क्षेत्र वंचित है। केन्द्र सरकार ने अभी हाल ही में देश के सभी राज्यों में आई.आई.टी. एवं आई.आई.एम. संस्थान खोले जाने का निर्णय लिया है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में इन दोनों में से कोई एक संस्थान खोला जाये। इसके साथ-साथ केन्द्रीय कृषि अनुसंधान एवं रिसर्च सेंटर की स्थापना लंबे समय से इस क्षेत्र की मांग रही है। हमारे क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन विशेष रूप से खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके खोज एवं रिसर्च के लिए खनिज मंत्रालय का कोई न कोई बड़ा अनुसंधान केन्द्र खोला जाए। साथ ही चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये। मेरा क्षेत्र विन्ध्य क्षेत्र है, जो कि अत्यन्त पिछड़ा हुआ है और सतना विन्ध्य का प्रवेश द्वार है।

(नौ) **भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता**

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): विश्व की सबसे बड़ी बोली भोजपुरी लगभग 70 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 16 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखंड में इसका प्रयोग व्यापक है। नेपाल के तराई क्षेत्र, मारिशस, फिजी, ट्रिनिडाड, थाईलैण्ड, हॉलैण्ड, मलेशिया तथा सिंगापुर सहित 27 देशों में भी इसका व्यापक आधार है। ऋग्वेद में महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रयुक्त 'भोज' शब्द जिससे भोजपुरी बनी, का उल्लेख तो है ही, महाभारत सहित विभिन्न धर्म-ग्रंथों होते हुए मालवा के राजा भोज, उज्जैन के भोज, गुर्जर प्रतिहार भोज, काशी तथा डुगरांव के भोज राजाओं का इतिहास भोजपुरी की व्यापकता, विशालता और प्राचीनता का गवाह है।

संत साहित्यकारों गुरु गोरखनाथ जी, चौरंगीनाथ जी, योगीराज भर्तृहरि, कबीरदास, कमलदास, धरमदास, धरनीदास, पलटूदास, भीखा साहेब जैसे सैकड़ों संत साहित्यकारों, विचारकों और चिन्तकों ने अपनी लोक कथाओं, गीतों, लोकगाथाओं और लोकोक्तियों से भोजपुरी को पीढ़ी दर पीढ़ी एक कंठ से दूसरे कंठ तक पहुंचाया। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, डॉ. भगवतशरण उपाध्याय और चतुरी चाचा जैसे रचनाकारों ने भोजपुरी गद्य साहित्य को नयी ऊंचाईयां प्रदान कीं।

जैसा कि विदित है भारतीय संविधान के मूल रूप में 14 भाषाएं ही आठवीं सूची में थीं। बाद में इसमें संशोधन कर सिन्धी, कोंकणी, नेपाली, मैनपुरी, मैथिली, डोंगरी, संथाली और बोडो को भी शामिल कर लिया गया। भोजपुरी संस्कृति इन सभी भाषाओं का आदर करते हुए यह जानना चाहती है कि जिस वजह से इन बोलियों को इस सूची में शामिल किया गया उनमें से क्या कोई एक भी तत्व ऐसा है जिसे भोजपुरी पूरी न करता हो। स्वाधीनता आंदोलन में भोजपुरिया क्षेत्र के राजा और रचनाकार सभी अंग्रेजों को भगाने के लिए कृतसंकल्प थे। वीर कुंवर सिंह, शहीद बंधू सिंह, चित्तू पाण्डेय, मंगल पाण्डेय जहां अपने पराक्रम से तो फिरंगियां, चरखवा, बरोहिया आदि भोजपुरी साहित्यकार अपनी रचनाओं में देशप्रेम की लो जला रहे थे।

1942 की क्रांति में समूचा भोजपुरी क्षेत्र उद्वेलित था। चौरीचौरा और बलिया की घटनाओं से अंग्रेज शासन कुपित थे, मगर अब तो हम आजाद हैं, हमारी अपनी सरकार है, यद्यपि गृह मंत्रालय ने भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी किया है, फिर भोजपुरी के साथ यह अन्याय क्यों?

हम 16 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझते हुए भोजपुरी को तत्काल आठवीं सूची में शामिल किया जाये।

(दस) गाड़ी सं. 22481/22482 (जोधपुर-दिल्ली) को प्रतिदिन चलाए जाने और इसे उत्तराखंड में हरिद्वार तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल कस्वां (चुरू): मेरे संसदीय क्षेत्र को जोड़ने वाली गाड़ी संख्या 22481/22482 जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला वाया तरनगढ़ सप्ताह में दो दिन चलने वाली सुपरफास्ट गाड़ी को प्रतिदिन चलाते हुए इसके हरिद्वार तक विस्तार की मांग काफी समय से की जा रही है, इस रेल बजट में मेरे क्षेत्र के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस गाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण रेल गाड़ी है, आमान परिवर्तन से पूर्व जोधपुर से दिल्ली चलने वाली इस गाड़ी को उत्तर रेलवे की सबसे अच्छी गाड़ी होने का गौरव प्राप्त था, लेकिन आमान-परिवर्तन के कारण यह गाड़ी काफी समय तक बंद रही। अब इसे सप्ताह में दो ही दिन चलाया जा रहा है, जनता की मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए इसे प्रतिदिन चलाते हुए इसका विस्तार हरिद्वार तक किया जाए।

(ग्यारह) केरल के हितों की रक्षा हेतु पश्चिमी घाटों के संबंध में प्रो. माधव गाडगिल और डॉ. के. कस्तूरीरंगन की रिपोर्टों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. आई. शनवास (वयनाड): मीडिया में प्रकाशित हुईं विभिन्न रिपोर्टों से यह पता चला है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पश्चिम घाटों के संबंध में माधव गाडगिल और कस्तूरीरंगन द्वारा तैयार प्रतिवेदनों के संबंध में शीघ्र कोई निर्णय लेने जा रहा है। यदि ये रिपोर्ट सही है तो मेरा यह सुझाव है कि विशेष रूप से हजारों निर्धन और सीमांत किसानों और उनकी आजीविका को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर एक तरफा निर्णय लेता स्वयं ही लोकतंत्र के सहभागी स्वरूप के खिलाफ है। मैं वयनाड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसका एक काफी बड़ा भू-भाग पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है और मैं हाई रेंज क्षेत्र में रहने वाले किसानों और लोगों के हितों की रक्षा के लिए खड़ा हुआ हूं जो लगातार सरकार द्वारा माधव गाडगिल और कस्तूरीरंगन रिपोर्टों को भविष्य में लागू किए जाने के कारण अपनी आजीविका खोने के भय में जी रहे हैं। सभी इस बात को जानते हैं कि कृषि विरोधी और जन विरोधी दृष्टिकोण होने के कारण केरल के सांसद और विधायक माधव गाडगिल रिपोर्ट को अस्वीकार कर चुके हैं तत्पश्चात् सप्रंग सरकार ने कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया। केरल सरकार ने डॉ. ओमन वी ओमन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से ई.एस.ए. के निर्धारण सहित विभिन्न मुद्दों पर राज्य से जुड़े सरोकारों का उल्लेख किया। अतः, मेरा यह सुझाव है कि केरल राज्य की जनांकिकीय विभिन्नताओं के कारण केरल की मांगों को एक विशेष मामले के रूप में देखा जाए और केरल के विशेष मामले को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लिया जाए। पश्चिमी घाटों के लोगों के भय और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।

(बारह) केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों/परंपरागत समुदायों की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

प्रो. के.वी. थॉमस (एर्नाकुलम): भारत सरकार ने तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के खतरों और भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण समुद्र के बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तटीय क्षेत्रों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा और सतत् रूप से उनके विकास को बढ़ावा देकर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना जारी की थी।

परन्तु, सी.आर.जेड अधिसूचना के कार्यान्वयन के दौरान केरल के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले पारंपरिक मछुआरा समुदाय

के सामने कुछ कठिनाइयां आईं जिसके परिणामस्वरूप व्यापक जन आक्रोश पैदा हुआ। निम्नलिखित मुद्दों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(क) समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरा/पारंपरिक समुदाय अपने लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। मछुआरा समुदाय सहित पारंपरिक रूप से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर समुद्र के किनारे 'गैर विकास क्षेत्र' और अन्तर्देशीय जल निकायों सहित सी.आर.जेड-III में आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ख) सी.आर.जेड क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु सीमित क्षेत्र होता है। अत:, इन परिवारों के सदस्य, सी.आर.जेड-III के 'गैर विकास क्षेत्रों' में परिवार के अधिकार हिस्से के रूप में कानूनी रूप से प्राप्त भूमि पर आवासीय इकाइयों का निर्माण नहीं कर पाते। सी.आर.जेड क्षेत्र में भूखंड खरीदने वाले पारंपरिक/मछुआरा समुदाय मौजूदा प्रावधानों के अनुसार आवास का निर्माण नहीं कर पाते। यह पारंपरिक/मछुआरा समुदाय की एक अनिवार्य आवश्यकता है, सी.आर.जेड-II और सी.आर.जेड-III क्षेत्र में यह अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) धान के खेतों/पोक्काली खेतों/जल (एक्वा) फार्मों के किनारे न्यूनतम 5 मीटर का स्थान छोड़कर आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए।

(घ) 10 मी. से कम चौड़ाई वाली छोटी जलधाराओं के किनारों को सी.आर.जेड से बाहर रखा जाना चाहिए।

(ङ) समुद्री ज्वार से प्रभावित जल निकायों के किनारों पर जनसंख्या के दवाब को देखते हुए अन्तर्देशीय जल निकायों के किनारों पर सी.आर.जेड-III के 'गैर विकास क्षेत्र' को 100 मीटर की मौजूदा उच्च ज्वार क्षेत्र (भूमि की तरफ) की रेखा को कम करके 50 मीटर किया जाना चाहिए। वर्तमान में आद्र भूमि (संरक्षण और प्रबंधक नियम) 2010 के अंतर्गत केवल 50 मी. क्षेत्र को ही गैर निर्माण क्षेत्र घोषित किया गया है।

(च) मौजूदा कुर्सी क्षेत्र में वृद्धि किए बिना अथवा आवासीय इकाइयों के मामले में 100 $मी.^2$ क्षेत्र तक सी.आर.जेड-III के एन.जी.जेड. में पुन:निर्माण की अनुमति प्रदान करने के लिए मौजूदा कुर्सी क्षेत्र मौजूदा एफ.एस.आई. और मौजूदा सघनता में वृद्धि किए बिना सी.आर.जेड-III के एन.डी.जेड में पुन:निर्माण की अनुमति देने वाले प्रावधान में संशोधन किया जाना चाहिए। इससे मछुआरों/स्थानीय समुदायों को रहने के लिए एक बेहतर स्थान पर छोटी झोंपड़ियों और आवासीय इकाइयों का पुन:निर्माण करने में सहायता मिलेगी।

(छ) वर्तमान में, उच्च ज्वार रेखा (एच.टी.एल.) से केवल 50 मी. की दूरी के बाद बैकवाटर द्वीप में निर्माण करना संभव है। पारंपरिक/मछुआरा समुदाय के लिए इसमें संशोधन करके यह प्रावधान किया जाए कि भूमि की तरफ मौजूदा अधिकृत ढांचों अथवा स्वीकृत सड़कों के पास आवासीय इकाइयों की अनुमति है।

(ज) झींगा मछली को छीलने, मात्स्यिकी आधारित लघु गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों/छोटी दुकानों और आटा मिलों जैसी आजीविका गतिविधियों हेतु सी.आर.जेड-I, सी.आर.जेड.-III, एन.डी.जेड और सी.आर.जेड-IV के अतिरिक्त सी.आर.जेड. क्षेत्र में भवनों के निर्माण की अनुमति दी जा सकती है।

(झ) सी.आर.जेड-III क्षेत्र में राजीव मलिन बस्ती विकास परियोजना जैसी सरकारी परियोजनाओं के अंतर्गत समुद्र के एच.टी.एल. से 100 मीटर का स्थान छोड़कर 3-4 मंजिल के आवासीय भवनों की अनुमति दी जानी चाहिए।

(तेरह) सफेद, लाल और काले किस्म के सी-ककम्बर्स को पकड़ने पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री ए. अनवर राजा (रामनाथपुरम): मछली पकड़ना, तमिलनाडु के मछुआरों का पारंपरिक पेशा है जिनका जीवन अब तंगहाली की मार से प्रभावित हो गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 62 दुर्लभ समुद्री-प्रजातियों सहित परंपरागत रूप से तथा अधिकांश लोगों द्वारा पकड़ी जाने वाली सी-कुकम्बर मछली पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक मादा सी-ककम्बर एक वर्ष में एक बाद में 10 लाख अंडे देती है। यह कोई विलुप्त प्रजाति नहीं है। विश्व के किसी भी देश द्वारा इस प्रकार का अव्यावहारिक प्रतिबंध नहीं लगाया है। तमिलनाडु के गरीब मछुआरों को आकस्मिक रूप से मछली पकड़ने के लिए भी गैर-जमानती

अपराधों के तहत बुक किया जा रहा है, जबकि, पड़ोसी देशों के मछुआरों द्वारा ऐसा चोरी छिपे किया जा रहा है। इसलिए, मेरा सरकार से निवेदन है कि सफेद, लाल और काली किस्म के सी-ककम्बर्स को पकड़ने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया जाए जोकि हमारी परंपरागत औषध प्रणाली का हिस्सा है।

(चौदह) **पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में बैंकिंग और ए.टी.एम. सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता**

श्री सुल्तान अहमद (उलुबेरिया): पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में, विशेषत: उलुबेरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों का विस्तार और फैलाव बहुत कम है। इस क्षेत्र के आर्थिक उन्नयन के लिए, किसानों और अन्य लोगों को जो छोटे व्यापार जैसे जरी, आभूषण, स्वसहायता समूह और अन्य पेशों में लगे हैं, को सस्ते दर पर वित्त उपलब्ध कराने के लिए इस ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग अवसंरचना का प्रसार आवश्यक है। हावड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र, विशेषत श्यामपुर I एवं II और उदयनारायणपुर, अम्टा I एवं II ब्लॉक, में ए.टी.एम. की सुविधा बहुत कम है। इस क्षेत्र में ए.टी.एम. की स्थापना करना आवश्यक है। उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के सभी बैंकिंग सुविधा रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं और ए.टी.एम. सुविधाएं प्रदान करें।

(पन्द्रह) **ओडिशा के बरहामपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गंजम तट पर आयोडीनयुक्त नमक की गुणवत्ता और अच्छा उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता**

डॉ. सिद्धांत महापाला (बरहामपुर): बरहामपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गंजम तट पर लगभग 20,000 नमक उत्पादकों ने नमक का उत्पादन करना छोड़ दिया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन और खारेपन में कमी के कारण नमक की गुणवत्ता और उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो रही है। नहरी पानी से समुद्र के पानी के खारापन में कमी आती है और वह प्रदूषित होता है। इससे किसानों को वर्षों पुराना नमक उत्पादन का कार्य छोड़ना पड़ता है और वे आजीविका की खोज में अन्य राज्यों में प्रवास करते हैं।

आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार करने हेतु नमक उत्पादकों को आधुनिक बनाना होगा। केन्द्रीय नमक बोर्ड और केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन शोध संस्थान, भावनगर को यह कार्य सौंपा जा सकता है। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आयोडीनयुक्त नमक की खेती, उत्पादन और मूल्य वर्द्धन के साथ एक व्यापक कार्य योजना की गंभीरतापूर्वक शुरुआत की जाए।

(सोलह) **ओडिशा में पुरी और पारादीप के बीच चलने वाली सीधी रेलगाड़ियों की बारंबारता बढ़ाये जाने की आवश्यकता**

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): पारादीप पत्तन, जो देश के बड़े समुद्री पत्तनों में से एक है, ओडिशा के जगतसिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है, और इस निर्वाचन क्षेत्र में तीन जिलों जैसे – पुरी, कटक और जगतसिंहपुर के हिस्सा आते हैं। जिस दिन से पारादीप पत्तन को एक प्रमुख पत्तन घोषित किया गया, उसी दिन से आस-पास का क्षेत्र एक औद्योगिक केन्द्र बन गया है। समय के साथ इस क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक संस्थान स्थापित हुए हैं जिससे पास के क्षेत्रों और राज्यों से कुशल और अकुशल श्रमिक आकर्षित हुए हैं। पुरी जिले से, मेरे स्व्यं के निर्वाचन क्षेत्र के लोग जो पारादीप पत्तन और पारादीप के अन्य कंपनियों उद्योगों में कार्यरत हैं, को पुरी से पारादीप में उनके अपने कार्य स्थलों पर आने-जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ, यहां तीर्थ स्थान और पर्यटन के महत्व के कारण पारादीप और इसके पास के क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग पुरी का बार-बार दौरा करते हैं। चूंकि जगतसिंहपुर और पुरी के अधिकांश लोग अपने गंतव्य स्थान पर आराम से और समय से पहुंचने के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, अत: समय के साथ रेलगाड़ी से आने-जाने की प्राथमिकता कई गुना बढ़ गई है। परन्तु, यह चिंता का विषय है कि केवल एक मात्र सीधी रेलगाड़ी, जो पारादीप से पुरी के बीच चलती है, शाम के समय पारादीप से चलती है और वही रेलगाड़ी पुरी से चलकर अगले दिन सुबह पारादीप पहुंचती है, जिससे विशेष रूप से पारादीप से पुरी तक रोज जाने वाले यात्रियों को कठिनाइयां होती है। इसीलिए, मैं माननीय रेलमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दोनों तरह से रोज आने-जाने वाले यात्रियों की कठिनाइयों का समाधान करने

के लिए दैनिक आधार पर पुरी और पारादीप के बीच सीधी रेलगाड़ियों की बारंबारता में वृद्धि की जाए।

(सत्रह) महाराष्ट्र के परभणी जिले में सभी पात्र किसानों को मुआवज़े का समुचित वितरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी): महाराष्ट्र के परभणी जिले के किसानों तथा जिलों के आसपास रहने वाले किसानों को हाल ही में दिये जाने वाले मुआवजे संबंधी वितरण व्यवस्था में अनियमितता पायी गयी है। कुछ ही किसानों को मुआवजा दिया गया है, छोटे किसान मुआवजा प्राप्त करने से वंचित किये गये हैं जिससे किसानों द्वारा आत्महत्यायें की जा रही हैं। केन्द्र किसानों को दिये गये मुआवजे की वितरण सारणी की विस्तृत जांच करने हेतु आदेश जारी करें तथा जो किसान अब तक मुआवजा प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं उन्हें मुआवजा देने की व्यवस्था स्थापित की जाये, जिससे जिले के किसान जीवन यापन कर सकें।

(अठारह) असम में विदेशियों के मुद्दे का समुचित और स्थायी समाधान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): मैं सरकार का ध्यान असम में 'डी' मतदाताओं के मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आई.एम.डी.टी. अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के बाद से असम में 'डी' मतदाताओं की समस्या उभर आई है जोकि पहले कभी नहीं थी। मैं विदेशियों को निरुद्ध करने और उनके वापिस भेजने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। साथ ही, मैं संबंधित व्यक्ति की नागरिकता से जुड़े हुए दस्तावेजों की समुचित जांच किए बिना असम के भारतीय नागरिकों की बड़ी संख्या के मामलों को विदेशियों से संबंधित न्यायाधिकरण के पास भेजे जाने का समर्थन नहीं कर सकता। मैं एक उदाहरण देता हूं, 2007-2010 के दौरान ग्वालपाड़ा, असम के विदेशियों से संबंधित न्यायाधिकरण ने कथित विदेशियों ("डी" मतदाताओं) के 1004 मामलों का निपटारा किया है। जिनमें से 945 अर्थात् 94% मामले संबंधित न्यायाधिकरण द्वारा आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में दिये गए और शेष 6% मामलों को उनकी लापरवाही अथवा कानूनी प्रणाली के बारे में उनकी अज्ञानता के कारण अवैध प्रवासी घोषित किया गया। साथ ही इसी मुद्दे पर एक राजनीतिक दल सत्ता में आया और 10 वर्ष तक राज्य में सरकार चलाई। लेकिन 1985-1990 के दौरान वे केवल 6724 लोगों की पहचान कर सके और केवल 521 लोगों को ही वापिस भेज पाये और 1996-2000 की दूसरी अवधि के दौरान वे केवल 902 लोगों की पहचान कर पाये और मात्र 102 लोगों को वापिस भेज पाये जोकि स्वाभाविक रूप से दर्शाता है कि असम में विदेशियों का मुद्दा तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि कुछ आधारहीन दुष्प्रचार से स्थिति अधिक जटिल तथा विषम बन गई है।

सरकार को इसका एक उचित और स्थायी समाधान खोजना चाहिए ताकि वास्तविक भारतीय नागरिक उत्पीड़न का शिकार न बनें।

(उन्नीस) केरल के कोल्लम जिले में पारीपल्ली में ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): 500 बिस्तर वाले और 1000 से अधिक बहिरंग रोगियों वाले ई.एस.आई. कॉरपोरेशन अस्पताल पारीपल्ली को ई.एस.आई. मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया था। यह घोषणा की गई थी कि एम.बी.बी.एस. के पहले बैच हेतु प्रवेश शैक्षिक वर्ष 2014-15 में शुरू होंगे। परन्तु इस कॉलेज को शुरू करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अस्पताल के व्यापक विकास हेतु मेडिकल कॉलेज को शुरू करना आवश्यक है। शिक्षण संकाय और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कमी इसमें मुख्य बाधा है।

इसलिए, मैं सरकार से आवश्यक मानव शक्ति और अवसंरचना उपलब्ध करा कर कॉलेज को शुरू करने हेतु तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.17 बजे

सामान्य बजट (2014-15)–सामान्य चर्चा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2011-12

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा मद संख्या 12 और 13 पर एक साथ चर्चा आरंभ करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 13, 21, 24, 31 और 100 के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांगों के नाम	सभा की (स्वीकृति) के लिए प्रस्तुत मांगों की राशि	
1	2	3	4
		राजस्व (रु.)	पूंजी (रु.)
13	डाक विभाग	400,03,82,246	-
21	रक्षा पेंशन	35,68,81,46,182	-
24	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	56,7,90,83,321	-
31	विदेश मंत्रालय	-	7,23,26,294
100	लक्षद्वीप	1,43,67,211	-
	कुल	45,38,19,78,960	7,23,26,294

माननीय अध्यक्ष: श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने इस सरकार के पहले बजट पर चर्चा करने के लिए मुझे मौका दिया। यह बजट एन.डी.ए. सरकार और अरुण जेटली जी का पहला बजट है। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। किसी भी वित्त मंत्री का कार्य आसान नहीं होता। सभी को खुश रखना और देश की आर्थिक प्रगति को सही रास्ता दिखाने का काम आसान नहीं होता। लेकिन पिछले एक वर्ष से हम सुन रहे थे कि यह बी.जे.पी. सरकार चमत्कार लाएगी। किसी तरीके से महंगाई को कम किया जाएगा, बड़े-बड़े परिवर्तन लाए जाएंगे और हमने इस एक वर्ष की समयावधि में नारों का एक भंडार सुना – अच्छे दिन आने वाले हैं या अच्छे दिन आ चुके हैं। ...*(व्यवधान)* पॉवर्टी एलीविएशन नहीं लेकिन पॉवर्टी एलीमिनेशन पर हम ध्यान देंगे। सबका साथ, सबका विकास। एक भारत, श्रेष्ठ भारत। हर हाथ को हुनर और इन नारों से लोगों की आशाएं बढ़ीं लेकिन इस बजट ने लोगों की आशाओं को चूर-चूर करके छोड़ दिया।

बजट केवल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता। बजट एक विज़न स्टेटमेंट भी होता है खासकर पहला बजट कि पांच साल में देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी? जन-जन की आशा और अभिलाषा इस बजट के साथ जुड़ी हुई होती है चाहे वह गरीब व्यक्ति हो चाहे वह किसान हो चाहे वह नौजवान हो, चाहे वह एक बुनकर हो या देश का हर इंसान हो। एक शिल्पकारक के रूप में जिस तरह से एक शिल्पकार एक मूर्त पत्थर में संजीवनी बूटी की तरह एक नयी जान फूंक देता है, या एक आत्मा निर्णय लेती है कि हृदय किस दिशा में धड़केगा? यह बजट का दायित्व होता है। इस बजट में हमें कोई दिशा नहीं दिखी, कोई मानचित्र नहीं दिखा। भाजपा हर बार कहती है कि हम पूरे बहुमत में आए हैं। पूरे बहुमत में आए हैं, जो वास्तविकता है। देश की जो आशा और अभिलाषा है कि साहसिक कदम लिए जाएंगे, जनकल्याणकारी कदम लिए जाएंगे। इस बजट को देखें, लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि स्टेडी स्टेट में देश की आर्थिक प्रगति सात से आठ प्रतिशत घरेलू उत्पादन की दर तक सीमित रहेगी। यू.पी.ए. ने दस साल के कार्यकाल में से पांच वर्ष में नौ प्रतिशत घरेलू उत्पादन की दर पर प्रगति दिलाई जिसके आधार पर देश आगे बढ़ पाया। उसी आधार पर 11वीं पंचवर्षीय योजना को देखें तो आठ प्रतिशत घरेलू उत्पादन की दर में वृद्धि आई जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। महंगाई का सामना कैसे किया जाएगा, कोई विश्लेषण नहीं, टैक्स जी.डी.पी. रेश्यो को कैसे बढ़ाएंगे, कोई विश्लेषण नहीं, सामाजिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को बढ़ोत्तरी कैसे दी जाएगी, कोई विश्लेषण नहीं। वित्त मंत्री जी ने जरूर इस बजट में विश्व की आर्थिक स्थिति का सही जायजा लिया है, इराक क्राइसिस से तेल के दाम पर प्रैशर बढ़ेगा। महंगाई का मुद्दा है, सूखे की आशंका है, इमर्जिंग इकोनॉमी आसपास के क्षेत्र में स्लो डाउन महसूस कर रही है। देश की आर्थिक शक्ति यूनाइटेड स्टेट्स भी हैड विन्स का सामना कर रही है। विश्व की स्थिति मजबूत नहीं है लेकिन पिछले दो साल से ज्यादा मजबूत आज बन चुकी है। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने माना कि यू.पी.ए. सरकार का बजट सही रास्ते पर चल रहा था और उसे पूर्ण रूप से उन्होंने अपनाया, इस बात का मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

ऐसा कहा जाता है कि अनुकरण करना चाटुकारिता का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है और हम इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं। हमारे राजस्व लक्ष्यों को स्वीकार किया गया है और यह बढ़कर लगभग 18 प्रतिशत हो गया है। इस वर्ष हमारे 4.6 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की रूपरेखा अगले वर्ष हेतु 4.1 प्रतिशत उससे अगले वर्ष 3.6 प्रतिशत और अंततः तीन प्रतिशत को भी स्वीकार किया गया है। राजस्व घाटे के संबंध में 2.9 प्रतिशत के हमारे लक्ष्य को स्वीकार किया गया है। *[हिन्दी]* केवल यही नहीं केवल यू.पी.ए. सरकार की जितनी योजनाएं थीं, उन सभी योजनाओं को स्वीकृत करके इस बजट ने सम्मिलित किया है, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। कई महीने पूर्व हम नारा सुन रहे थे कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो लेकिन इस पहले बजट स्टेटमेंट में भारत के लिए एन.डी.ए. सरकार ने एक कांग्रेस युक्त बजट प्रस्तुत किया है। पिछले कई दिनों से संसद में सुन रहे हैं, एक शब्द का बहुत उपयोग किया जा रहा है, विरासत। यू.पी.ए. ने देश को महंगाई दी, यू.पी.ए. ने देश को भ्रष्टाचार दिया, शायद मेरे सहभागी और दोस्त भूल गए हैं कि वे अब विपक्ष में नहीं बैठे हैं बल्कि सत्ता पक्ष में बैठे हैं। देश को आगे चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका रुख सकारात्मक रहता है। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि उनके सहभागी भी उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। हम यह आदत नहीं रख सकते, जैसा कि मेरे दोस्त गौरव गोगोई ने तीन दिन पहले कहा था कि वाहन चालक ड्राइवर सीट पर बैठा हो तो वह ड्राइवर रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी चलाए लेकिन खुदा न करे कि कोई हादसा हो जाए। देश को आगे चलाना होगा, देश को आगे बढ़ाना होगा, गरीब का उत्थान कराना होगा। अब रही विरासत की बात, इसके लिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वर्ष 2004 में जब हम पहली बार सरकार में आए तो देश का घरेलू उत्पादन जी.डी.पी. 500 बिलियन डॉलर था। आज दस साल बाद देश का जी.डी.पी. दो ट्रिलियन डॉलर है, यू.पी.ए. की कल्याणकारी योजनाओं के तहत भारत आज विश्व की तीसरी शक्ति बन गया है। घरेलू उत्पादन की दर को हम देखें, एन.डी.ए. की सरकार के समय में छह साल में जी.डी.पी. ग्रोथ रेट 5.7 प्रतिशत रही है। हमारे दस साल के कार्यकाल में डेकेडल ग्रोथ

रेट 7.7 प्रतिशत रही, जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसी जी.डी.पी. ग्रोथ रेट के आधार पर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा, इसी जी.डी.पी. ग्रोथ रेट के आधार पर अधोसंरचना में राशि डलवाई, इसी ग्रोथ रेट के आधार पर पिछले तीन सालों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 150 प्रतिशत वृद्धि बजट के आबंटन में हुई और इसी जी.डी.पी. ग्रोथ रेट के आधार पर जो हमारी सोच है, एक फेडरलिज्म के आधार पर राज्यों को भी मिलना चाहिए। *[अनुवाद]* राज्यों को केन्द्रीय आवंटन बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रु. हो गया है यह राज्यों पर कोई उपकार नहीं है। परन्तु, हमारा यह मानना है कि राज्यों को यह धनराशि देना सरकार का दायित्व है। *[हिन्दी]* अगर हम किसी भी सरकार का मूल्यांकन करें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि गरीबों का उत्थान हो पाया है या नहीं और यू.पी.ए. के कार्यकाल में चाहे आप रंगराजन पैनल को देखें, तेंदुलकर पैनल को देखें, दोनों सहमत हैं कि करीब-करीब साढ़े नौ करोड़ लोगों को यू.पी.ए. की सरकार ने गरीबी की रेखा के ऊपर उभारा है। यह देश टापू की तरह प्रगति नहीं कर पायेगा। अगर हम इस देश में असली प्रगति चाहते हैं तो वह प्रगति एक समुद्र के रूप को धारण करके ही हो पायेगी।

महोदया, यदि हम पावर जनरेशन के क्षेत्र को देखें तो 2004 में हमारे देश में 1 लाख 13 हजार मेगावाट की क्षमता थी। आज दस साल बाद 2 लाख 44 हजार मेगावाट की क्षमता हमारे देश में है, जो दो गुना हो चुकी है। पिछले दो साल में अकेले बीस-बीस हजार मेगावाट हमने एड किया है।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो वाजपेयी जी की एक बहुत महत्वकांक्षी योजना थी और उसे यू.पी.ए. सरकार ने बढ़ोत्तरी दी और दस साल के अंदर 3 लाख 90 हजार किलोमीटर प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना पूरे देश में बनी।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहां किसानों का विकास, किसानों की प्रगति होना अनिवार्य है। कृषि के क्षेत्र में कृषि की दर में 2004 में हमें विरासत में क्या मिला, माइनस 3.1 परसैन्ट कृषि की विकास की दर मिली और इस साल जब आप सरकार में आए हैं, कृषि की विकास की दर जो यू.पी.ए. की सरकार आपके लिए छोड़कर गई, वह 4.7 प्रतिशत कृषि की दर में विकास हुआ। अगर हम उत्पादन को देखें, अनाजों का उत्पादन 265 मिलियन टन हुआ, जो इस देश का कीर्तिमान है। ऑयल सीड्स का उत्पादन 32 मिलियन टन, दाल का उत्पादन, जिसका हम आयात करते हैं, आपके समय में 11 मिलियन टन होता था, इस साल 20 मिलियन टन का उत्पादन करके एक कीर्तिमान बनाकर हमने आपको दिया है। यू.पी.ए. सरकार की प्रगति और विकास की असली विरासत एक समुद्र की तरह देश को आगे ले जाने की है।

अब मैं विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा। आज देश के सामने सबसे अहम मुद्दा महंगाई का है। हमें इस बजट में महंगाई का कोई जिक्र देखने को नहीं मिला। देश के प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा की थी और मैं उन्हें कोट करना चाहता हूं – "हमने महंगाई को दूर करने का वायदा किया है और हम इस पर प्रामाणिकता से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह इसलिए नहीं कि केवल चुनावी वायदा था, इसलिए करना है, यह हमारी सोच है कि गरीब के घर में शाम को चूल्हा जलना चाहिए। गरीब के बेटे आंसू पीकर सो जाएं, इस स्थिति में बदलाव आना चाहिए। उत्तरदायित्व है कि हिन्दुस्तान का कोई गरीब भूखा न रहे।"

महोदया, असलियत क्या है, रेल के भाड़े में चंद दिनों में ही 14 प्रतिशत वृद्धि इस सरकार ने करके दी और वह भी संसद के बाहर। जब रेल बजट आने वाला था। सन् 2012 में जब हमारे सहभागी दिनेश त्रिवेदी जी ने भाड़ा बढ़ाने का एक निर्णय लिया था, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी की आलोचना की थी कि संसद के बाहर यह कदम क्यों उठाया गया है। आपने सरकार में आने के चंद दिनों में ही वही कदम उठाया है और संसद के बाहर इसकी अवहेलना है। पैट्रोल और डीज़ल के दाम दो बार बढ़ाए गए हैं। कहा जाता है कि हम क्या करें, यह तो यू.पी.ए. की नीति रही है, यह तो यू.पी.ए. की विरासत है। क्या आप सरकार में आए हैं, हमारी हर नीति को प्रामाणिकता से स्वीकार करने के लिए, क्या इसलिए जनता ने वह निर्णय लिया। अगर आप कहते हैं कि आप जो भी निर्णय लेते हैं, उसको हम प्रमाणिकता से स्वीकार करेंगे तो प्रश्न यह है कि गैस की प्राइसिंग के मुद्दे पर तो आपने अंकुश लगा दिया, लेकिन पैट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ाने

पर आपने अंकुश नहीं लगाया। चीनी का दाम दो रुपये बढ़ चुका है, प्याज़ का दाम 14 रुपये से 40 रुपये प्रति किलो बढ़ चुका है, आलू का दाम 27 रुपये प्रति किलो, टमाटर का दाम 60 रुपये प्रति किलो, भिंडी का दाम 40 रुपये प्रति किलो बढ़ चुका है। मंडी में सब्ज़ी इतनी महंगी नहीं है।...*(व्यवधान)* अब आप थोड़ा सुनने की आदत रखिए ...*(व्यवधान)* हमने भी दस साल सुना था।...*(व्यवधान)* मंडी में सब्ज़ी इतनी महंगी नहीं है, जितनी गली के नुक्कड़ पर है।...*(व्यवधान)* मंडी और घर के बीच सब्ज़ियों के दामों में दो-तीन गुना का फर्क है।...*(व्यवधान)* मैं यह बात नहीं मानता।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य आप ऐसा न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियाः अध्यक्ष महोदया, रियर व्यू ड्राइविंग के लिए बहुत उत्सुकता है। ...*(व्यवधान)* सूखे की आशंका को देखकर जमाखोरों ने अभी से खेल शुरू कर दिया है। इनसे निपटने के लिए सरकार की क्या सोच है? अपने मैनिफैस्टों में इन्होंने लिखा था कि हम स्पेशल स्क्वाड्स बनाएंगे। जमाखारों और ब्लैमार्केटर्स को अरेस्ट करेंगे। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कितने जमाखोरों और ब्लैकमार्केटर्स को अरेस्ट किया गया है?

अध्यक्ष महोदया, सच्चाई यह है कि प्याज़ का एक उदाहरण हम ले लें तो पूरे देश के प्याज़ को 12 से 15 होलसेलर्स का कार्टेल कंट्रोल करते हैं। जिनको तोड़ने की जिम्मेदारी इस सरकार की होनी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी ने खाद्य सुरक्षा योजना को तीन महीने के अंदर लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये योजना सोनिया गांधी जी और यू.पी.ए. सरकार की थी, ताकि इस देश में कोई भी असहाय या गरीब व्यक्ति भूखा न सो पाए। खाद्य मंत्री के कान्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि महंगाई की तो महज़ शुरुआत है। जुलाई से दिसंबर महंगाई का सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है। इसलिए दिसंबर तक ये दाम बढ़ते जाएंगे। अगर हम एक लक्ष्य और एक ध्यान बजट में दें कि कौन सी वस्तुएं सस्ती हो चुकी हैं – पैट्रोकैमिकल्स, यर्न, कंप्यूटर, सॉफ्ट ड्रिंक, टी.वी. और कौन-सी वस्तुएं महंगी हो चुकी हैं – आम आदमी की भाजी, दाल और आम आदमी की चीनी। इस बजट में लोग चाहते थे कि आय की एग्ज़ेम्शन लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो जाए। लेकिन वित्त मंत्री जी ने ढाई लाख तक बढ़ाया है। 50 हज़ार एग्ज़ेम्शन लिमिट बढ़ाया है। इससे लाभ जरूर मिला है कि हर गृहस्थी को 416 रुपये प्रति माह की बचत हो पाई है। लेकिन जहां हर परिवार को 416 रुपये प्रति माह की बचत हो पाई है, वहीं महंगाई के आधार पर 1200 रुपये प्रतिमाह का भार हर परिवार का बढ़ चुका है तो जो आपने एक हाथ से दिया, उसका तीन गुना ज्यादा दूसरे हाथ से आपने ले लिया। ...*(व्यवधान)* प्राइस स्टैबलाइजेशन फंड के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का आबंटन दिया गया है। जब हमें मालूम है कि किसी भी एक बड़े शहर के एक भी एग्रो मार्केट, कृषि के मार्केट को हम लें, तो ए.पी.एम.सी. के जरिये कम से कम हजार करोड़ के ट्रांजैक्शंस होते हैं, यह तो समुद्र में मात्र एक बूंद के समान है। वित्त मंत्री जी ने बयान दिया था कि देश की जनता को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एफ.सी.आई. के गोडाउन में हमारे पास पर्याप्त अनाज है। जी हां, गेहूं का स्टॉक 34 मिलियन टन है, चावल का स्टॉक 28 मिलियन टन है और यही यू.पी.ए. की विरासत इस सरकार के लिए है।

महोदया, हमें इस बात की खुशी है कि जी.एस.टी. की घोषणा की गयी, मगर कोई समय सीमा तय नहीं हुई है। इस बात की भी हमें बड़ी खुशी है कि जी.एस.टी. पर वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के विरोधाभास की पूरी समाप्ति कर दी है। वर्ष 2004 में जी.एस.टी. का सिलसिला शुरू हुआ था और सुशील मोदी जी, बिहार के उपमुख्यमंत्री इसके पूरे समर्थन में थे, पर दस साल आपने विरोध किया। जबकि हम मानते हैं कि जी.एस.टी. और डी.टी.सी. इस देश की इस समय की आवाज है। एक सिंगल मार्केट तय करना, डूइंग बिजनेस इन इंडिया को आसान करवाना, नो टैक्स ऑन टैक्स की नीति लाना, यह आज समय की पुकार है। इंश्योरेंस के सेक्टर में आपने एफ.डी.आई. बढ़ाया 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक। हमारे पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने एन.डी.ए. के नेताओं के साथ सहमति बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सहमति बन नहीं पायी। नरेंद्र मोदी जी ने दिसम्बर, 2000 में ट्वीट किया था, जब हम इंश्योरेंस में एफ.डी.आई. 49 प्रतिशत तक लाना चाहते थे। मैं उन्हें कोट कर रहा हूं – भारत को कांग्रेस पार्टी विदेशियों को बेच

रही है, हमें इसका पुरजोर विरोध करना होगा।

महोदया, अब आप देखिये कि कैसे रंग बदलते हैं? रेलवे के मामले में बड़ी-बड़ी अच्छी घोषणाएं की गयीं कि फूड कोर्ट स्थापित किया जायेगा, पैकेज्ड फूड दिया जायेगा, वाई-फाई दिया जायेगा, ऑफिस इन ट्रेन दिया जायेगा। क्या हम यह जानते हैं, क्या हमें यह आभास है कि रेल पर जो व्यक्ति यात्रा करता है, दो करोड़ तीस लाख हमारी जनता, उसमें से एक करोड़ 80 लाख लोग गरीब की श्रेणी में आते हैं, उन्हें पैकेज्ड फूड से क्या लेना-देना, ब्रांडेड वाई-फाई से क्या लेना देना, ऑफिस से क्या लेना देना? बुलेट ट्रेन की घोषणा की गयी, 60 हजार करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना और केवल 100 करोड़ रुपये का आबंटन बजट के अंदर। यह कैसी योजना है, इसकी इकोनॉमिक फिजिबल्टी है या नहीं, अन्तिम क्षेत्र में जब यह क्रियान्वयन होगा, भाड़ा कम से कम 8 से 10 हजार रुपये प्रति टिकट होगा, वह व्यक्ति प्लेन से जाये या ट्रेन से जाये। जबकि वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रामाणिकता और मांग है ट्रैक माडर्नाइजेशन और सेफ्टी के लिए। इतने प्रस्ताव लंबित हैं और उन प्रस्तावों के साथ आपने एक और प्रस्ताव जोड़ दिया।

महोदया, कृषि के क्षेत्र में बजट के आबंटन में वृद्धि नहीं की गयी है। आज सूखे की आशंका है। यू.पी.ए. सरकार ने रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी, जो विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी रोजगार की योजना आज बन चुकी है। उसके बजट के आबंटन में केवल 500 करोड़ रुपये अधिक दिया गया।...*(व्यवधान)* साहसी कदम की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

महोदया, साहसी कदम उठाने की जरूरत है। साहसी कदम जैसे कि यू.पी.ए. के समय में किसानों की ऋण माफी योजना, 72 हजार करोड़ रुपये की ऋण माफी योजना यू.पी.ए. सरकार ने किसानों के लिए बनाकर दी थी। ...*(व्यवधान)* कृषि की साख की बात की गयी। ...*(व्यवधान)* गणेश सिंह जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। ...*(व्यवधान)* घोटाला हुआ आपकी मध्य प्रदेश की सरकार के अफसरों के द्वारा, यह भी मैं आपको बता दूं ...*(व्यवधान)* मेरा मुंह मत खुलवाइयेगा, नहीं तो उसके ऊपर भी मैं शुरू हो जाऊंगा कि किस तरीके से आपके यहां नेता और अफसरों ने पैसा बनाया है रोजगार गारंटी योजना के आधार पर।...*(व्यवधान)* गलत मस्टर रोल बनाए हैं, वहां के नेता और मंत्री करोड़पति बन चुके हैं। आपके सांसदों को वहां रोज़गार गारंटी योजना के नाम पर वहां लिखा गया है, मेरा मुंह मत खुलवाइएगा कृपा करके।...*(व्यवधान)* आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं, मैं जानता हूं।

कृषि के क्षेत्र में कृषि के साथ की बढ़ोत्तरी का कदम वित्त मंत्री जी ने उठाया है जो सराहनीय है। 7 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8 लाख करोड़ रुपये किया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं इसकी शुरुआत यू.पी.ए. सरकार ने की थी जब 2010 में 3 लाख करोड़ कृषि का साथ था और चार साल के अंदर हमने उसे 150 प्रतिशत नहीं, 300 प्रतिशत बढ़ाकर 7 लाख करोड़ बनाकर हमारे देश के किसानों को दिया।

मैनुफैक्चरिंग सैक्टर की वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। मैनुफैक्चरिंग सैक्टर के आधार पर रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो पाते हैं। मैनुफैक्चरिंग सैक्टर चाहता था, कॉर्पोरेट जगत चाहता था कि रैट्रोस्पैक्टिव टैक्सेशन के विषय पर वित्त मंत्री जी अपना निर्णय लें पर उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी सोच नहीं रखी जाएगी अपवादस्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर, जहां रैट्रोस्पैक्टिव टैक्सेशन पर यह निर्णय इस सरकार ने लिया, वहीं दूसरी तरफ डैट इनवैस्टर्स के लिए होल्डिंग पीरियड 12 महीने से 36 महीने तक बढ़ाया गया और जो निवेशकारी अपना डैट फंड 1 अप्रैल, 2014 के बाद डिसइनवैस्ट करेगा, उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30 प्रतिशत पर देना पड़ेगा और लॉग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में अब वह आएगा तो उसे 10 प्रतिशत टैक्स नहीं, 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा जो एक तरीके से दूसरे तरीके का रिट्रोस्पैक्टिव टैक्स हो गया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दो-तीन साल पहले निवेश किया था, उसे यह मालूम नहीं था कि वे नियम बदले जाएंगे। मैं वित्त मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस नियम को बदला जाए और रिट्रॉस्पैक्टिव टैक्स इस क्षेत्र में न लाया जाए।

अध्यक्ष महोदया, बहुत दिनों से हम 'मिनिमम गवर्नमैंट, मैक्सिमम गवर्नैन्स' का नारा सुन रहे हैं। ...*(व्यवधान)* गलत बिल्कुल भी नहीं है। *[अनुवाद]* यह आवश्यक नहीं है कि एक सरकार दूसरे का अनुसरण करें। शासन चलाने के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है। उस क्षमता का निर्माण

करना होता है और उस क्षमता का निर्माण करने के लिए आपको बहुत से संसाधन लगाने पड़ेंगे। *[हिन्दी]* कई दिनों से हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा सुन रहे थे कि काला धन मिटाना होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधान मंत्री जी ने कहा कि भारत का एक पर्सैप्शन दुनिया में बन पड़ा है, हमारी पहचान बन गई है। 'स्कैम इंडिया' की। ज़रूर इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। तो आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब ....* तो क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसका उत्तर उनको देना होगा, क्योंकि अगर हम अपना घर साफ न रखें तो फिर देश कैसे साफ हो पाएगा? ...*(व्यवधान)* यह वास्तविकता है, इस वास्तविकता से आप हट नहीं पाएंगे।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, कई योजनाओं की घोषणा इस बजट में की गई। आज देश को आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन्स की ज़रूरत है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़। मैं देख लूंगी क्या बोला है। प्लीज़, कोई एलीगेशन नहीं, प्लीज़।

...*(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: महोदया, इस सरकार का नारा था 'सबका साथ, सबका विकास।' ...*(व्यवधान)* भारत एक गुलदस्ता है जिसकी महक निकलती है क्योंकि इसकी अनेकता में एकता का मुद्दा होता है। ...*(व्यवधान)* लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए इस बजट में केवल 61 शब्दों का प्रयोग किया गया और केवल सौ करोड़ रुपये का आबंटन किया गया क्या यह अन्याय नहीं है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदया, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: किस नियम के अंतर्गत? उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं इस बात की जांच करूंगी कि उन्होंने कोई आरोप लगाया है अथवा नहीं। ...*(व्यवधान)*

...*(व्यवधान)*

* अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: महोदया, यदि हम लक्ष्य की पूर्ति की बात करें।...*(व्यवधान)* सरकार के कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित हुए हैं।...*(व्यवधान)* विनिवेश में इन्होंने 65 हजार करोड़ रुपये का टारगेट रखा है...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: किस रूल के तहत है? आप रूल बताइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठ जाइए, वह बोल रहे हैं। क्या आप सभी एक ही रूल पर बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, 15वां संस्करण, 2014 के पृष्ठ 134 पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप संबंधी प्रक्रिया के संबंध में नियम 353 में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है। "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सकें।" ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप सभी क्यों बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: हमारे माननीय सदस्य श्री गिरिराज जी का नाम लेने को लेकर कोई अन्तिम सूचना नहीं दी गई...*(व्यवधान)* चूंकि, कोई अग्रिम सूचना नहीं दी गई थी अत:, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्हें यह वक्तव्य वापस लेना होगा। उन्हें तुरंत यह वक्तव्य वापस लेना होगा क्योंकि इस संबंध में कोई अग्रिम सूचना नहीं दी गई थी...*(व्यवधान)* महोदया, मैं इस विषय पर आपका आदेश चाहता हूं। *[हिन्दी]* इस पर आपका मन्तव्य चाहिए। इस पर आपका नियमन होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मेरा इतना ही कहना है, जहां तक मैंने सुना है, उन्होंने कोई एलीगेशन नहीं लगाया है।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: इसको कार्यवाही से बाहर करना चाहिए और यह प्रोसीडिंग में नहीं जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप लोग मेरी बात सुनिए। यदि किसी ने कुछ बोला है तो सुनने की ताकत भी रखिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मुझे बोलने दीजिए या आप यहां बैठ कर रूलिंग दे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, मुझे पूरे रूल को पढ़ने दिया जाए।...*(व्यवधान)* महोदया, इस तरह से हाउस नहीं चल पाएगा।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, आप पढ़िए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: रंजीता जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, मेरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* मेरा वाक्य कम्पलीट होने दीजिए। ...*(व्यवधान)* देश सुन रहा है, मेरी बात जा रही है, आप मेरा वाक्य कम्पलीट होने दीजिए, उसके बाद आपका जो भी नियमन होगा, उसे हम स्वीकार करेंगे।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, आप बोलिए।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: "परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता।"

महोदया, यह पूरी तरह से एक आरोप है। यह वर्तमान सांसद के विरुद्ध एक आरोप है और इसे वापस किया जाना चाहिए तथा माननीय सदस्य को तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मेरा इतना ही कहना है, मैं भी सुन रही थी, कोई एलीगेशन नहीं लगाया गया है ...*(व्यवधान)* आप लोग तालियां मत बजाइए। यदि किसी बात का उल्लेख किया गया है तो मैं तुरंत इसको देखूंगी और उसके बाद उसे निकाल दूंगी।

...*(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, अब मैं लक्ष्य की पूर्ति की चर्चा करना चाहूंगा। सरकर ने कई महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आय स्रोत के क्षेत्र में 65 हजार करोड़ रुपये विनिवेश के क्षेत्र से, जो कि 145 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सर्विस टैक्स की वृद्धि 31 प्रतिशत, टैक्स रेवेन्यू की वृद्धि 18 प्रतिशत, कस्टम ड्यूटी की वृद्धि 17 प्रतिशत जो पिछले वर्ष केवल 6 प्रतिशत थी और इसके आधार पर फिस्कल डेफिसिटी आने वाले वर्ष में 4.1 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

माननीय अध्यक्ष: आप सभी से एक और निवेदन है कि जहां तक संभव हो, हम किसी का नाम लेने से बचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बात को सब लोग ध्यान में रखें।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, दो या तीन कारण हैं जिसके कारण यह संभव नहीं हो पाएगा।

महोदया, किसी भी देश की वित्तीय स्थिति टैक्स बॉयन्सी के आधार पर चलती है। भारत की टैक्स बॉयन्सी वर्तमान

में, जब जी.डी.पी. एक प्रतिशत से बढ़ती है तब टैक्स रेवेन्यू एक प्रतिशत से कम बढ़ता है। इस बजट में जो अजम्पसंस रखी गयी हैं, उसमें रखा गया है कि टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ 18% होगा लेकिन जी.डी.पी. ग्रोथ नॉमिनल 13.5% होगी। यह जो एक गैप है, इसे हम ब्रीच नहीं कर पाएंगे। यह रेट निवेश के आधार पर होता है। यह निवेश या तो पब्लिक इंवेस्टमेंट के आधार पर होता है या प्राइवेट इंवेस्टमेंट के आधार पर होता है। पब्लिक इंवेस्टमेंट के क्षेत्र में दो लाख पचास हजार करोड़ रुपये का टारगेट रखा है ताकि हम इंवेस्टमेंट साइकिल को बढ़ा पाएं। पर पिछले वर्ष दो लाख साठ हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ था, मतलब दस हजार करोड़ रुपये ज्यादा और तब 5% का ग्रोथ टारगेट हम लोग मीट कर पाए थे। प्राइवेट सेक्टर को केवल आठ महीने मिले हैं और ज्यादा करके डी.पी.आर. और फिजिबिलिटी ही इस समय में हो पाएंगे। अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इंवेस्टमेंट में बढ़ोत्तरी नहीं होगी तो हम जी.डी.पी. ग्रोथ रेट का वह टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे। इसके परिणामस्वरूप एक लो-ग्रोथ का वातावरण होगा। शॉर्टफॉल में रेवेन्यूज और सब्सिडी बढ़ेगी क्योंकि सूखे की भी आशंका है और सब्सिडी बढ़नी चाहिए। फिस्कल डेफिसिट 5% से कम नहीं रह पाएगा और महंगाई का मुद्दा भी हमारे गरीबों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदया, आपके द्वारा हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर जनहित का कोई भी प्रस्ताव यह सरकार ले कर आएगी तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई भी जनविरोधी नीति या जनता के ऊपर कठिनाई लाने का कोई प्रस्ताव यह सरकार लाएगी तो उसका पुरज़ोर विरोध, इस प्रजातंत्र के मंदिर में, यू.पी.ए. और कांग्रेस पार्टी करेगी।

आज भारत का हर इंसान चाहता है कि भारत की प्रगति और विकास में यह अपना योगदान दे पाए। हमारी संभावनाएं अपार हैं। भारत की क्षमता है कि एक नक्षत्र के रूप में हम लोग उभर सकते हैं लेकिन यह देश एक टापू की तरह प्रगति नहीं कर पाएगा, एक समुद्र की तरह प्रगति करना होगा जिसमें हर व्यक्ति को लगे कि उसका भी एक योगदान है।

माननीय अध्यक्ष: ज्योतिरादित्य जी, प्लीज़, मैं आपको बीच में थोड़ा टोक रही हूं। आधे घंटे से अधिक, उस से भी करीब-करीब ज्यादा समय आपका हो गया है। अभी आपकी पार्टी के और भी सदस्य हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: महोदया, मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

सपनों को पिरोना आसान होता है, आशाओं को जगाना आसान होता है, मगर उसे साकार करना मुश्किल होता है। यह इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। *[अनुवाद]* नेतृत्व असंभव को संभव बनाने वाली कला है परन्तु, राजनैतिक व्यवस्था का प्रबंधन किसी भी स्थिति को संभव बनाने की कला है।

[हिन्दी]

हज़ारों ख्वाहिशें ऐसीं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले

बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले।

[अनुवाद]

श्री जयंत सिन्हा (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदया, बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपका धन्यवाद। मैं स्वयं को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। और बजट पर अपने विचार रखने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु मैं हमारे कुशल प्रधान मंत्री, हमारे वित्त मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री का आभारी हूं। मुझे राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं हजारीबाग की जनता और देश की जनता का भी बहुत आभारी हूं। इस संबंध में मेरा यह मानना है कि अर्थव्यवस्था और देश की जनता को एक नई दिशा और नई आशा प्रदान करने में यह बजट एक ऐतिहासिक बजट है।

विपक्ष के माननीय सदस्य ने यह कहा है कि यह बजट दिशाहीन है, इसमें आर्थिक दर्शन का अभाव है और मैं यह कहना चाहता हूं कि संसदीय प्रक्रिया और अर्थशास्त्र के बारे में उनकी समझ, उनके द्वारा संसद में आर्थिक दर्शन पर दिए गए दोनों ही वक्तव्यों से परिलक्षित होती है। इस बजट को प्रस्तुत करते समय हमारे सामने काफी विषम आर्थिक परिस्थितियां थीं। हमने 45 दिन के अंदर बजट पेश किया है। बजट में कुछ ऐसी कठिन आर्थिक चुनौतियों का ध्यान रखना पड़ा जिनका हमें विश्लेषण करना पड़ा और

उनका पूर्णत: समाधान करना पड़ा। हमें प्रतिवर्ष 8 से 10 प्रतिशत की सतत् विकास दर तक पहुंचने के लिए भी अर्थव्यवस्था को तैयार करना होगा। देश की जनता की यही आवश्यकता, और मांग है और हमें जनता के लिए यह करना होगा। हमें हमारे व्यवसायियों और भारत और पूरे विश्व में निवेशकों की चिंताओं पर भी ध्यान देना है।

हमें इस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों और कारोबारी समुदाय से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह समझें कि हमने बजट में कोई टी-20 गेम खोलने का प्रयास नहीं किया है। यह कोई टी-20 गेम नहीं है। शायद विपक्ष के माननीय सदस्य ऐसा सोचते होंगे कि हमें कुछ समय पहले जो समस्याएं विरासत में मिली हैं हम उन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस तरह कार्य नहीं होता। अर्थव्यवस्था एक युद्ध पोत के समान है। यह एक युद्ध विमान वाहक के समान है। हमें विरासत में मिली चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करेंगे में काफी समय लगेगा। यह कोई टी-20 मैच नहीं है। यह एक दिवसीय मैच भी नहीं है। यह पांच दिवसीय टैस्ट मैच के समान है और अभी खेल की शुरुआत हुई है; मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हम इस टैस्ट मैच में केवल पहले दिन मध्याह्न भोजन से पहले का मैच खेल रहे हैं और हमने अभी तक काफी अच्छा कार्य किया है।

इस संदर्भ में स्मरण रखने योग्य एक अन्य अति महत्वपूर्ण बात यह है कि राजकोषीय वर्ष का एक तिहाई समय बीत चुका है। बजट में जो अधिकांश आवंटन आप देख रहे हैं वह इस तथ्य को ध्यान में रखकर किए गए है कि वर्ष का एक तिहाई समय बीत चुका है। सरकारी मशीनरी को सुचारु रूप से कार्य करने में समय लगेगा और इसलिए, इन अधिकांश प्रस्तावों के लिए यह एक विवेकपूर्ण और तर्कसंगत आवंटन है।

विपक्ष के माननीय सदस्य ने अनेक तथ्य प्रस्तुत किए। आंकड़ों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ वह व्यक्त कर सकते हैं वह काफी रोचक है परन्तु जो कुछ वह छिपा रहे हैं वह भी महत्वपूर्ण है। अत:, अपने भाषण में उन्होंने इस सभा में हमसे तथा माननीय सदस्यों से क्या छिपाया है? उन्होंने यहां यह तथ्य छिपाया है कि 2004 में राज्य सरकार से उन्हें विरासत में एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था सौंपी। बदले में उन्होंने अब हमें क्या दिया है? सत्ता छोड़ते समय उन्होंने भारत के लोगों के लिए क्या छोड़ा है? उन्होंने इन तथ्यों को पेश नहीं किया है। उन्होंने आज तक ऐसी अर्थव्यवस्था सौंपी है जो कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक घटिया प्रदर्शन कर रही है। स.घ.उ. वृद्धि दर घटकर पांच प्रतिशत से नीचे चली गई है जो कि 25 वर्षों में सबसे घटिया प्रदर्शन है; लगातार दो वर्ष विकास दर पांच प्रतिशत से कम रही है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो कि युवा जनसंख्या की दृष्टि से लाभ की स्थिति में हैं के लिए इस प्रकार की विकास दर एक कलंक के समान है। मेरा यह कहना है कि उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह शर्म की बात है कि उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मुद्रा स्फिति की बात की उन्होंने महंगाई की बात की तथा मूल्यों की चर्चा की। क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पिछले पांच वर्षों से उपभोक्ता मुद्रा स्फिति जो कि हमारे जनसंख्या के सर्वाधिक संवेदनशील वर्ग को प्रभावित करती है वह प्रतिवर्ष आठ से दस प्रतिशत की दर पर स्थिर बनी हुई है और जो विश्व की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह वस्तुत: शर्म की बात है। विपक्ष के माननीय सदस्य द्वारा इन तथ्यों को पेश करते समय हम किन बातों की चर्चा कर रहे हैं? उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुद्रास्फिति से हमारी जनसंख्या के सर्वाधिक संवेदनशील लोग पीड़ित हो रहे हैं, उन्होंने समावेश की बात की, फिर भी उन्होंने भारत की जनता के लिए यह सब किया है। मैं इससे वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूं कि अपने आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में उन्होंने क्या किया है और विशेषकर स्थिर महंगाई के कारण, महंगाई जो पिछले पांच सालों से चली आ रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि आप महंगाई के प्रभावों को देखें, तो साल की परती अवधि, जुलाई से सितम्बर, जब दो फसलों के बीच समय होता है, उस समय फलों और सब्जियों के मामले में क्या हुआ? यह वह समय है जब हमें इस प्रकार के मूल्य प्रभाव देखने को मिलते हैं जोकि भारत के लोगों के लिए पूर्णत: असहनीय होते हैं। हमने ऐसी स्थिति देखी है जब प्याज का भाव 80 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो तक था। दूसरी तरफ जैसा कि हमने इन मूल्य वृद्धि का प्रबंधन किया है, हमने आक्रामक और निर्णायक कार्रवाइयों की श्रृंखला के द्वारा इन मूल्यों को 25 रुपए से 30 रुपए किलो तक रखा है, अच्छे

दिनों का यही मतलब है। यही निर्णायक कार्रवाही है जिसकी अर्थव्यवस्था में जरूरत है। यही उन्होंने हमें दिया है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जो भी उन्होंने किया है उसे वह किस प्रकार किसी भी तरह के गर्व और स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी का हम प्रबंध कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, हमें यह भी जानना होगा कि अपनी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के संदर्भ में संप्रग ने क्या किया है। हम ऐसी स्थिति में आ खड़े हुए थे जहां वास्तविक ब्याज दर नकारात्मक थी। लोगों के बीच भारत में निवेश करने और अपने पैसे को बैंकों के पास रखने का भरोसा नहीं था। घरेलू बचत दरें 33 प्रतिशत से गिरकर 30 प्रतिशत हो गई थीं। लोग अपनी बचत को सोने के माध्यम से सुरक्षित रख रहे थे। सोने का आयात बढ़ने से चालू खाता घाटा 4.7 हो गया और डॉलर की कीमत 68 रु., 70 रु. हो गई। लोगों का भारत में विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था और इसके परिणामस्वरूप हमें विश्वास के संकट का सामना करना पड़ा, भारत की जनता के बीच ऐसा संकट जिसमें उन्होंने निवेश से मुंह मोड़ लिया, घरेलू और विदेशी व्यापार दोनों में ही ऐसा संकट जिसमें उन्होंने भारत में निवेश से किनारा कर लिया।

विश्वास के उस संकट के कारण, विपक्ष के माननीय सदस्य आज उस जगह बैठे हैं, यही कारण है कि आप की संख्या इतनी रह गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि भारत के लोगों को आपके आर्थिक प्रबंधन में विश्वास नहीं रहा। अध्यक्ष महोदया, इसी को हम इस बजट के द्वारा लौटा लाए हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

मैंने घरेलू और विदेशी व्यवसायियों से बात की है, और मैंने घरेलू और विदेशी निवेशकों से बात की है; और मैं आपको बता सकता हूं कि इस बजट में हमारा पहला और प्राथमिक उद्देश्य काफी दर तक हासिल हो गया है और वह है भारत सरकार और भारत सरकार के आर्थिक प्रबंधन में पुनः भरोसा पैदा करना है। हमने उसे हासिल कर लिया है।

माननीय अध्यक्ष: श्री जयंत सिन्हा, आप अपनी बात भोजनावकाश के बाद जारी रख सकते हैं।

अब, सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.0½ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(**श्री अर्जुन चरण सेटी** *पीठासीन हुए*)

सामान्य बजट (2014-15) सामान्य चर्चा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें – (सामान्य), 2011-12 - *जारी*

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री जयंत सिन्हा सामान्य बजट पर चर्चा जारी रखें।

श्री जयंत सिन्हा (हजारीबाग): सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात भोजनावकाश से पहले जहां छोड़ा था वहीं से ही शुरू करूंगा।

मेरी इच्छा है कि विपक्ष के माननीय सदस्य यहां होते क्योंकि उन्होंने हमारे विरुद्ध कतिपय आरोप लगाए हैं और अब मैं पूर्ण उत्तर देना चाहता हूं और बजट की रूपरेखा भी प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसे बजट में विशेष रूप से दो बिन्दुओं पर शामिल किया गया है। पहला रोजागर है और दूसरा निवेश चक्र है। ये दोनों ही अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक और अनिवार्य हैं।

विपक्ष के माननीय सदस्य ने बिना किसी आर्थिक दर्शन के हम पर आरोप लगाए हैं।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा है कि हमारी कोई आर्थिक विचाराधारा नहीं है। मैं उन्हें पूरी तरह से आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी एक विचारधारा है, जो उनकी विचारधारा से बिल्कुल अलग है। उनकी विचारधारा क्या है? जैसा कि हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि उनकी विचारधारा है –

माइन्डलेस पॉपुलिज्म, क्योंकि इन्होंने मनरेगा की बात की है। आज जिन विशेषज्ञों ने मनरेगा की जांच की है, वे आपको बताएंगे कि जो लिकेज मनरेगा से हो रहा है, जो फार्म लोन वेभर इन लोगों ने किया है, इन लोगों की जो माइन्डलेस पॉपुलिज्म है उससे फिलहाल डेफिसिट बढ़ गई है और इसके द्वारा जो 40 प्रतिशत लिकेज हो रही है, उसे हम लोग माइन्डलेस पॉपुलिज्म कह सकते हैं। हम लोग इसे और क्या कह सकते हैं? वे विचारधारा की बातें करते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं कि हमारी कोई विचारधारा नहीं है।

इसका एक और प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। इनके अविचारित लोकलुभावनावाद का एक और दुखद उदाहरण, वह क्या है? इन्होंने बहुत बोल कर, इसके बहुत भव्य तरीके से घोषणा कर के इन लोगों ने 'आधार' की बात की। इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की है। इनके पास पांच साल का समय था, पर 'आधार' का क्या हुआ? न उसका बिल पास हुआ और न ही उसका इम्पलिमैंटेशन हुआ। यह उनकी कौन-सी गेम चेंजिंग योजना थी? यह तो माइन्डलेस पॉपुलिज्म था जिसका इम्पलिमैंटेशन तक नहीं हुआ है। हम लोगों की जो विचारधारा है, मैं उसका संक्षेप में विवरण देना चाहता हूं। हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। हमारी जो विचारधारा है, आपका जो समाजवादी सांख्यिकीविद् विश्व दृष्टिकोण है, कांग्रेस, यू.पी.ए. सरकार की जो समाजवादी सांख्यिकीविद् विश्वदृष्टिकोण है, आज के जमाने में यह इतिहास के कूड़ेखाने में है। जिसको डस्टबीन ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। *[अनुवाद]* यह इतिहास के गर्व में है कि आपने, अपनी एन.ए.सी. के द्वारा, भारत में पूरी तरह लागू किया और उसे हम पर थोप दिया। यह आपका विश्वदृष्टिकोण और दर्शन है।

[हिन्दी]

हमारी क्या विचारधारा है? मैं आपको संक्षेप में समझाना चाहता हूं। हमारी विचारधारा है कि हम जनता को साधन दें। हम जनता को साधन देंगे, खोखले अधिकार नहीं देंगे। इन साधनों के द्वारा आप अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, अपना विकास करिएगा, अपनी संपत्ति बढ़ाइएगा, अपने परिवार को समृद्ध बनाइएगा, हम हमारी विचारधारा है। अगर, आप इस बजट को देखेंगे तो बजट से आपको एकदम स्पष्ट नजर आएगा कि हम लोगों ने इसमें इस विचारधारा का पूरी तरह से इम्पलिमैंटेशन किया है। क्योंकि *[अनुवाद]* सभापति महोदय, हम उपभोग से बढ़ी महंगाई, और कृषि ऋण माफी जैसे अविचारित लोकलुभावनावाद, को छोड़कर निवेश-प्रेरित विकास की ओर गए हैं। जिससे सिर्फ मुद्रास्फिति को ही बढ़ावा मिला है, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, हमने सालाना 8-10 प्रतिशत की स्थिर महंगाई को देखा है, जिससे निपटना आसान नहीं है। आप आर्थिक विशेषज्ञों से बात कीजिए। वे आपको यही बताएंगे उस उपभोग से बढ़ी महंगाई के स्थान पर, हम अपने लोगों की, अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता का निर्माण करने जा रहे हैं और हम निवेश के बल पर विकास करने जा रहे हैं और यही बजट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, और अब मैं उसकी कुछ विशेषताएं बताने वाला हूं।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के लोग खैरात नहीं चाहते हैं और उन्होंने इस चुनाव में यह दिखा भी दिया है। भारत के लोग रोजगार चाहते हैं, भारत के लोग ऐसे खोखले अधिकार नहीं चाहते जिनका कोई मतलब नहीं हो, भारत के लोग सुदृढ़ अवसर चाहते हैं ताकि वे अपना जीवन सह-सुधार सकें, भारत के लोग गरीब बने नहीं रहना चाहते; भारत के लोग समृद्ध होने और गरिमापूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। हमने इस बजट में यही करने का प्रयास किया है।

मैं इस बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख करूंगा जिन्हें मैं कुछ विस्तार से बताना चाहता हूं। इसका पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू वृहद् आर्थिक स्थिरता है जिसे हमने इस बजट के माध्यम से हासिल करने का प्रयत्न किया है। दूसरा रोजगार और अर्थव्यवस्था का विकास है। पहले मैं वृहद् आर्थिक स्थिरता के बारे में बोलूंगा।

[हिन्दी]

अगर आपकी नींव की ईंट हिल रही है, अगर आपकी नींव ही स्थायी नहीं है तो आप निर्माण क्या करेंगे। अगर आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन नहीं हुआ तब इकोनॉमी कहीं नहीं जा सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन हमने किस प्रकार किया। आपका जो माइंडलैस पौपुलिज़्म था, उसमें जो सब्सिडीज़ थीं, *[अनुवाद]* वे जी.डी.पी. के 2.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। यह अनुत्पादक थी; यह उपभोग से प्रेरित थी; और इससे उत्पादन क्षमता

में सुधार नहीं हो रहा था। अर्थव्यवस्था में पूंजीगत खर्चे तेजी से कम हुए हैं। रक्षा खर्च तेजी से कम हुआ है। राजसहायताओं के परिणामस्वरूप, राजकोषीय घाटे बढ़ गए थे। अब, आपने राजकोषीय घाटों को कैसे नियंत्रित किया, खर्च कम कर ऐसा किया ना कि विकास के द्वारा? राजकोषीय सदृढ़ीकरण रूपरेखा, जिसे हमारे माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है, जैसा कि रेटिंग एजेंसियों ने आकलन किया है कि यह पिछले दो वर्षों में संप्रग द्वारा प्रस्तुत बजट से यह कहीं बेहतर है। यह राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की गुणवत्ता है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम कह चुके हैं कि जी.डी.पी. के प्रतिशत के तौर पर हम राजकोषीय घाटे को 4.1 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत और 3 प्रतिशत लाएंगे और यही निवेशकों और व्यवसायियों को पुन: आश्वस्त करता है कि हम अच्छे से चीजों को देख रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि वृहद् आर्थिक स्थिरीकरण एक महत्वपूर्ण मामला है, वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम एक नये मौद्रिक नीति ढांचे पर आर.बी.ई. के साथ मिलकर कार्य करेंगे जोकि मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं पर बेहतर रूप से कार्य करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं का सामना कर रहे हैं जो कि 8 से 10 प्रतिशत की अर्थव्यवस्था में निहित हैं। इसलिए, मुझे विश्वास है, आपने बजट में इस वक्तव्य पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वक्तव्य है। एक बार फिर से मैं सभी माननीय सदस्यों से बजट के वक्तव्य पर ध्यान देने का अनुरोध करता है जिसमें लिखा है कि हम एक नये मौद्रिक नीति ढांचे पर और वृहद् आर्थिक स्थिरीकरण के लिए काम करेंगे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

अभी, विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने बजट के गणित के बारे में पूछा है। उन्होंने हमारे द्वारा प्रस्तावित 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे की संख्या के बारे में पूछा है। यदि उन्होंने इस संख्या का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया होता और यह स्पष्ट है कि उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की है, क्योंकि अपने भाषण के हिस्से के तौर पर जो उन्होंने कहा वह वास्तव में, संसदीय नयाचार का निरादर है, संख्या दी गई है जिसमें हम लोग उसे देख सकें।

संप्रग की बजट की अंकगणित और राजग की बजट अंकगणित में क्या अन्तर है? जैसा कि मैंने पहले बतलाया था, इसमें अन्तर है – वृहद आर्थिक स्थिरीकरण और अर्थव्यवस्था में विश्वास की बहाली। हम अपने देश में भारी मात्रा में एफ.आई.आई. पूंजी का अन्त:प्रवाह पहले ही देख चुके हैं क्योंकि इस सरकार के आर्थिक प्रबंधन में लोगों को विश्वास है। हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आश्चर्यजनक रुचि देखी है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, क्योंकि मैंने विदेशी निवेशकों से बात की है और उन्होंने कहा है कि इस अर्थव्यवस्था में और अधिक धन लगाने के लिए वे प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि वे देखते हैं कि इस समय विश्व में निवेश के बड़े अवसरों में से यह एक अवसर है। अत:, मूलभूत अन्तर, परिसम्पत्ति बिक्री और पूंजी प्रवाह के कारण है जिसे हम घरेलू निवेशकों और विदेशी निवेशकों दोनों से देख सकते हैं। हम देखेंगे कि विकास की दर 5.4 प्रतिशत से 5.9 प्रतिशत तक बढ़ रही है, जैसा कि बजट में बताया गया है; न कि पांच प्रतिशत से कम का विकास जैसा कि हमने अब तक देखा है। यह परिसम्पत्ति की बिक्री के साथ-साथ हुआ विकास है–जोकि बजट में दर्शाया गया है–जिससे हमें उच्च गुणवत्ता के राजकोषीय समेकन में सहायता मिलेगी।

मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि आंकड़ों को देखें और अन्तर को समझें। यह वह विकास है; यह वह परिसम्पत्ति बिक्री है जिससे हमें राजकोषीय समेकन संख्याओं को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैं आज आपको बता सकता हूं कि यदि आप निवेश करने वाले बैंकों से बात करते हैं, यदि आप व्यापारी लोगों से बात करते हैं तो वे आपको बतलाएंगे कि उनके पास निवेश में रुचि रखने वाले लोगों के फोन आ रहे हैं। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि संप्रग के कार्यकाल में, निजी क्षेत्रों का निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 13 प्रतिशत से गिरकर 9 प्रतिशत हो गया था क्योंकि आपके आर्थिक प्रबंधन में कोई विश्वास नहीं था।

अब, हम वृहद् आर्थिक स्थिरीकरण से नौकरियों के बारे में बात करते हैं।

[हिन्दी] आदरणीय सदस्यों को मालूम ही है कि जब भी हम अपने क्षेत्र में जाते हैं और जनता के साथ बातचीत करते हैं तो वे दो मुद्दों के बारे में हमेशा बात करते हैं। अभी मैं हजारीबाग से लौटा हूं। जब मैं हजारीबाग गया, तो वहां की जनता ने मेरे पास आकर कहा कि आप लोगों

ने तो महंगाई में कमाल कर दिया। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि प्याज का भाव जो 80-100 रुपये थ, वह आज 25-30 रुपये में है। लोग इसके लिए हमें बधाई देकर कह रहे थे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इन सबको संभाला है। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और राम विलास पासवान जी, सब लोग इसमें लगे रहे। महंगाई पर हम जो काबू लाये, उससे लोग बहुत प्रसन्न हैं। साथ-साथ सब लोग कहते हैं कि आप रोजगार दिलवाइये, नौकरी दिलवाइये। हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, वे बेकार हो रहे हैं। इसलिए मैं इस बजट से आप लोगों का ध्यान रोजगार और जॉब्स पर देना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने इस बजट में रोजगार के लिए बहुत ही अहम, अच्छे मुद्दे और अच्छी योजनाएं लाए हैं।

पहली बात तो मैं हाउसिंग के बारे में जिक्र करूंगा। आपको मालूम है कि इस समय हाउसिंग पर जो इंटरस्ट है, उस पर आपको डेढ़ लाख रुपये की राहत मिलती है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कई सालों के बाद इसे बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये से दो लाख रुपये कर दी है, इससे हाउसिंग को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, एनकरेजमैंट मिलेगा तथा और अधिक घर बनेंगे। आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन बहुत जॉब्स इंटेंसिव है। इसमें जॉब्स होंगे। इसमें इकोनॉमी की मल्टीप्लायर रिफ्लेक्ट होगी। मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इसे इस तरीके से बढ़ाया।

दूसरी बात टूरिज्म है। आपको मालूम है कि टूरिज्म लेबर इंटेंसिव है। टूरिज्म में हॉस्पिटेलिटी होती है, गाइड्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है। हम लोगों ने टूरिज्म पर बहुत ध्यान दिया है। पांच टूरिज्म सर्किट्स होंगी। आपको इलैक्ट्रॉनिक वीजा 13 एयरपोर्ट्स पर मिलेगा। यह क्यों नहीं यू.पी.ए सरकार कर सकती थी? हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोग ध्यान देते हैं, हम जनता के हित में काम करते हैं। टूरिज्म पर हम लोगों ने ध्यान दिया। फिर मैनुफैक्चरिंग-मैनुफैक्चरिंग पर जैसे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा, यह भी बहुत लेबर इंटेंसिव है। आप इस समय इलैक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग को देखिये। हम लोग सब चाइना से ला रहे हैं। हमारे सब इलैक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहे टीवी हो, कम्प्यूटर हो या स्मार्ट फोन हो, यह सब चीन से आ रहा है। हमारा 100 बिलियन डालर्स का इम्पोर्ट है, जो हमारे ऑयल बिल के मुकाबले का हो गया है। हम इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैनुफैक्चरिंग में यू.पी.ए. ने क्या किया? कुछ नहीं किया। हम लोग मैनुफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यह लेबर इंटेंसिव है। इससे कारखाने खुलेंगे, एसईजेड्स बनेंगे, इन्वेस्टमैंट एलाउंस दिया जायेगा। इलैक्ट्रॉनिक्स का जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, उसे ठीक किया गया है, इन्वेस्टमैंट एलाउंस दिया गया है। ये सब जो मेजर्स हैं, इसके द्वारा मैनुफैक्चरिंग का विकास होगा, जॉब्स आयेंगे और इसके द्वारा हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, उसे इससे बहुत लाभ मिलेगा।

तीसरा अहम मुद्दा शहरों का है। शायद आप लोगों ने इस पर फिर ध्यान न दिया हो। हमारे ऑपोजिशन के जो आदरणीय सदस्य हैं, उनको मैं कहूंगा कि आप जरा ध्यान दें। चाहे हम लोग चुनावी अभियान के दौरान, चाहे प्रेजीडैंट एड्रैस में, चाहे बजट में हमने लगातार एक बात का जिक्र किया है कि हम लोग 100 स्मार्ट सिटीज का निर्माण करेंगे। स्मार्ट सिटीज में क्या होगा? स्मार्ट सिटीज में बहुत कुछ होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट होगा, डिजिटाइजेशन होगा, ड्रिंकिंग वाटर एंड सेनीटेशन होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स वगैरह होंगे। ये सब बहुत जॉब क्रिएटिंग है। इन सबके द्वारा रोजगार होगा। इसलिए 7 हजार करोड़ रुपये जो स्मार्ट सिटीज के लिए दिये गये हैं, इसके द्वारा भी बहुत रोजगार मिलेगा। इस कारण मुझे बिल्कुल विश्वास और भरोसा है कि अभी तक जो जॉबलैस ग्रोथ हुई है, यू.पी.ए. सरकार की दस साल की जो जॉबलैस ग्रोथ हुई हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ती चली जायेगी। खासकर आप लोग देखिये, हम लोगों की विरासत की बात हो रही थी। हर साल 1 करोड़ लोग हिन्दुस्तान में जॉब्स ढूंढते हैं। लेकिन पिछले 5-10 *[अनुवाद]* सालों में ये जॉब्स ग्रोथ हुआ ही नहीं है। आप सोचिए भारत में कितनी नौकरियों के बैक लॉग उत्पन्न हुए? जब आपके पास 10 मिलियन से 12 मिलियन लोग नौकरियों की खोज कर रहे हैं और संभवत: एक या दो मिलियन लोगों को पिछले 5 या 10 वर्षों में नौकरियां मिली होंगी, जबकि 50 मिलियन से 100 मिलियन लोगों को नौकरियां नहीं मिलीं। हममें से सभी, जो अपने शहरों या गांवों में जाते हैं, को इसके बारे में पता है। *[हिन्दी]* सब जगह जाइये, बेचारे बेकार लड़के आपको मिलेंगे, जिनके पास नौकरी नहीं है। जो आपके पास आकर बोलते हैं कि सर, निवेदन करता हूं कि नौकरी लगा दीजिए। यह बैकलॉग है,

यही तो विरासत है जिसे हमें संभालना पड़ रहा है। आप लोगों ने जॉब्स क्रिएट नहीं किये। अब इतने सारे लोग हैं, जिनके लिए पहले हमको जॉब्स ढूंढ़ना है और आगे जाकर हमें और जॉब्स क्रिएट करना है तब आप सोचिए कि जॉब्स की कितनी बड़ी चैलेंज है, क्या चुनौती है, जो आप लोगों ने हमें इस प्रकार से सौंपी है।

वित्त मंत्री जी ने पूरे तरीके से अपने बजट भाषण में इसका विवरण दिया है कि कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग, तथा स्मार्ट सिटीज़ जिसका मैंने जिक्र किया, वहां से जॉब्स तो आएंगे, पर साथ-साथ खेती-बाड़ी में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हमारे आदणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये योजना थी। आज के समय अगर आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के पास जाइए, तो वे बताएंगे और मैं कह रहा था कि हमारी विचारधारा क्या है? हमने अधिकार नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा साधन दिया है। अधिकार नहीं, साधन दिया। उसके द्वारा क्या हुआ? *[अनुवाद]* आज के समय में यदि आप विशेषज्ञों से पूछिए, तो वे कहेंगे कि यदि कोई एक उपाय है जिसने भारत में ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाया है वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) है। *[हिन्दी]* क्योंकि हमने हर गांव को शहर से जोड़ दिया है जिसके द्वारा मंडी तक हमारे किसान अपने उत्पादन को पहुंचा सकते हैं। यदि कोई बीमार है, तो वह सीधे अस्पताल पहुंच सकता है। सभापति महोदय, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसान भाइयों-बहनों के लिए एक क्रांति लाने वाली है क्योंकि हर खेत में इस योजना के द्वारा हम लोग पानी लाने की कोशिश करेंगे। अगर हर खेत में पानी आएगा, मैं तो हज़ारीबाग संसदीय क्षेत्र से हूं। जहां के 80 प्रतिशत खेतों में सिंचाई की सुविधा नहीं है, वे सिर्फ रेन-फेड हैं। सिर्फ बरसात के माध्यम से उन खेतों को पानी मिलता है। यदि हम लोग हर खेत में हरियाली लाएंगे, हर खेत में पानी लाएंगे, तो हम एक नहीं तीन फसल काटेंगे। इन तीन फसलों के कारण हमारे किसान भाइयों-बहनों को आमदनी बढ़ेगी, रोज़गार प्राप्त होगा और खाने-पीने का जो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उससे महंगाई भी कम होगी। इसे कहते हैं विकास। इसे कहते हैं साधन देना। माइनलेस पापुलिज्म नहीं। पर रिसोर्सेज़ और अपॉरचुनिटीज़ देना। इसके कारण, जैसा कि मैंने कहा, बहुत रोज़गार बढ़ेगा और साथ-साथ, कितनी सोच के साथ, कितने ध्यान से हम लोगों ने इस सिंचाई योजना का निर्माण किया है क्योंकि इसके साथ-साथ हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय योजना भी उसके साथ जोड़ी है। उसमें सेपरेट फीडर होगा, जिससे जो किसान हैं, उनको बिजली मिलेगी और वे सिंचाई कर पाएंगे। यह इसके साथ क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि गुजरात में, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, गुजरात में हम सेपरेट फीडर रखें और सब नदियों को बांधकर सिंचाई करवाएं, तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ, जो गुजरात में एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो रहा है, जहां पूरे देश में दो, तीन और चार प्रतिशत एग्रीकल्चरल ग्रोथ होता है, आदरणीय सदस्यों, वहां गुजरात में एग्रीकल्चरल ग्रोथ 10 वर्षों से 10 प्रतिशत है। इस तरीके से हम लोगों को साधन दे रहे हैं। दूसरा प्रमुख बिन्दु, मैंने कहा मैं रोज़गार और इंवेस्टमेंट सायकल पर बोलूंगा। *[अनुवाद]* जैसा कि मैंने कहा इस समय इंवेस्टमेंट सायकल सकल घरेलू उत्पाद के 13 प्रतिशत से गिरकर 9 प्रतिशत तक हो गया है क्योंकि निवेशकों और व्यापारियों का सप्रंग सरकार में और देश के आर्थिक प्रबंधन में विश्वास नहीं रह गया। अब, हमें निवेश चक्र को चलते रहने देना है और यदि बजट को देखेंगे, तब आप पायेंगे कि यहां उपायों का एक पैकेज है जिससे निजी क्षेत्र में निवेश होता रहेगा।

हम ऐसा कैसे करेंगे? सबसे पहले, आई.टी./वी.पी.ओ. उद्योग में, दूरसंचार उद्योग में, विनिर्माण उद्योग में और बीमा उद्योग में, जहां निवेश है, विकास को आगे बढ़ाने के लिए कई उपाय हैं। परन्तु साथ ही, हम उद्यमिता और नवोन्मेषी कंपनियों के विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जहां अधिकांश नौकरियां उत्पन्न होती हैं। मैं इसके बोर में भी बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि हम उद्यमिता और नवोन्मेषी कंपनियों के विकास को बढ़ावा देने जा रहे हैं। परन्तु, सबसे पहले, जब हम निवेश के बारे में बात करते हैं, हमें बजट में दिये गए उपाय के बारे में बात करनी चाहिए, जो सही रूप में नवोन्मेषी है और वह भू-सम्पदा निवेश न्यास (आर.ई.आइ.टी.एस.) है। अब, आर.ई.आई.टी.एस. को विश्व भर में भू-सम्पदा और अवसंरचना में निवेश को प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इनमें से सर्वोत्तम मॉडलों पर विचार करें जो सिंगापुर और थाईलैण्ड जैसे अन्य एशियाई देशों

में हैं। यदि हम इन सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाते हैं, तब मुझे विश्वास है कि हमें अरबों-अरबों डॉलर का अवसंरचना में अन्तर्वाह प्राप्त होगा, और इससे वास्तव में, हम अवसंरचना में निवेश प्रेरित कर पायेंगे। यह निजी निवेश चक्र के चलते रहने के लिए एक अभूतपूर्व और एक बहुत ही नवोन्मेषी विचार है।

माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान उद्यम पूंजी की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं भी एक उद्यम पूंजीवादी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजट में प्रस्तुत की गयी फंड आइडिया की 10,000 करोड़ रुपये की निधि की प्रशंसा उद्योग के सभी लोगों और अन्य सभी द्वारा की गयी है जिससे भारत में उद्यमिता, नवोन्मेष और रोजगार निर्माण में भारी अन्तर आयेगा।

विचार यह है कि सरकार फंड ऑफ फंड संरचना में 10,000 करोड़ रुपये देगी, यदि सरकार स्थिर निवेशक के रूप में वास्तव में कार्य करती है यदि चीज में सरकार को करने की सिफारिश करूंगा, तब इससे केवल 10,000 करोड़ रुपये का ही निवेश नहीं होगा, बल्कि 40,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा क्योंकि सरकार एक स्थिर निवेशक होगी और यह इन फंडों का केवल 25 प्रतिशत होगा। यदि सरकार एक स्थिर निवेशक है और फंडों का 25 प्रतिशत देगी, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कई निवेशक निवेश करने आयेंगे, विश्व और भारत की लिमिटेड कंपनियां भी निवेश करने आयेंगी। वे भी इन उद्यम पूंजी फंडों में पूंजी निवेश करेंगी और 10,000 करोड़ रुपये के बदले उद्यम पूंजी में 40,000 करोड़ रुपये आयेंगे, जो भारत के लिए सचमुच अभूतपूर्व होगा। यह एक असाधारण नवोन्मेष है।

जहां तक पूंजी बाजारों का सवाल है, माननीय वित्त मंत्री ने जो कुछ प्रस्तुत किया है, वह भी लीक से हटकर है। हमने कहा है कि केवल एक समान के.वाई.सी. होगा, जो बहु-वित्तीय खातों के बीच अन्तर्संचालनीय होगा। यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पूंजी बाजार बाधा-रहित वातावरण में संचालित हों। हमने कहा है कि सभी वित्तीय उत्पादों हेतु केवल एक डीमैट खाता होना ताकि आप एक ही पर्दे पर अपने सम्पूर्ण वित्तीय हिसाब-किताब को देख सकें। यह भी, वास्तव में, अभूतपूर्व है, जो आज विद्यमान नहीं है। एक व्यापारी और एक निवेशक होने के नाते, मैं आपको यह तथ्य बतला सकता हूं कि भारतीय कंपनियों हेतु आई.एफ.आर.एस. का पालन करना हम अनिवार्य करने जा रहे हैं, जो एक असाधारण रूप से महत्वपूर्ण कदम है जो हमें वैश्विक नयाचारों वैश्विक प्रथाओं से हमें जोड़ेगा और निवेशकों को पुनः आश्वस्त करेगा और विशेष रूप से देश के बाहर के लोगों को पुनः आश्वस्त करेगा ताकि वे भारत में विश्वास के साथ निवेश कर सकें। इससे आगे प्रेरणा मिलेगी और हमारा निवेश चक्र चलता रहेगा।

निवेश चक्र पर अंतिम बात हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि यदि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को समुचित रूप से पूंजी नहीं दी जाती हैं, यदि वे वेसल-तीन पूंजीकरण के मानदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं और उनमें शेयर का आधार नहीं है, वे उधार नहीं दे सकते, वे अपना कार्य चालू नहीं रख सकते और उनमें वित्तीय अन्तर्वेशन नहीं हो सकता। तथ्य है कि हमने बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए एक रूपरेखा बनायी है जो असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। मुझे माननीय वित्त मंत्री को यह कदम उठाने के लिए अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि निवेश को जारी रखने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, हमने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अवसंरचना के लिए ऋण देने की अनुमति दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह सतत् आधार पर विभेदीकृत बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करेगा। हम ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहते हैं, जैसा कि संप्रग ने प्रस्तुत किया था, जब संप्रग के कार्यकाल के दौरान, 10 वर्ष के सम्पूर्ण शासन में, एक भी बैंकिंग लाइसेंस नहीं प्रदान की गई। दूसरे शब्दों में, हमने एक रूपरेखा बनाई है जिसके तहत आप सतत् आधार पर विभेदीकृत बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

हमने कहा है कि हम ऋण वसूली अधिकरण भी बनाएंगे, जिससे गैर-निस्पादक आस्तियों की समस्या से निपटना संभव होगा जोकि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बाधा उत्पन्न कर रही हैं।

ये सभी बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं। वे तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र के निवेश हासिल करने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वे सभी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

अंत में, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि उन्हें आत्म-निरीक्षण की आवश्यकता है।

[हिन्दी] कबीर जी का एक बहुत उम्दा दोहा है:

[हिन्दी]

"बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोय।

जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।।"

आप लोग सोचिए, आप लोगों ने विरासत में हमें क्या दिया। बुरे तो आप लोग हैं, तो आप लोगों ने हमें विरासत में यह सब दिया और हमें संभालना पड़ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है, जैसा हमारे आदणीय प्रधान मंत्री ने कहा है, यह जो बजट है, यह हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए एक संजीवनी है। एक संजीवनी है क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार से यह आर्थिक व्यवस्था छोड़ी, हमारे संघर्ष से हमारी मेहनत से, हमारी नीतियों से इस संजीवनी के द्वारा अच्छे दिन आ गए हैं।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा इस महीने की 10 तारीख को प्रस्तुत किए गए सामान्य बजट 2014-15 का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम, हमारा दल इस बजट का समर्थन करता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने इस बजट का समर्थन करते हुए अपने वक्तव्य में कहा है, वर्ष 2014-15 का संघीय बजट भारत की नई सरकार द्वारा विकास के कार्य को पुन: आरंभ करने और देश की वृहत-आर्थिक स्थिति में सुधार करने की चुनौती की सामना करने के कार्य के प्रति इसकी गंभीरता को दर्शाता है। यह एक बहुत ही उत्तरदायीपूर्ण दस्तावेज है जिसने वित्तीय बुद्धिमत्ता को सबसे आगे रखा है और साथ ही इसने नई सरकार से की गई ऊंची आकांशाओं का भी समाधान किया है। यह सकारात्मकता के साथ एक भविष्योन्मुखी कार्यवादी है। बजट सही मायनों में समस्याओं को सुलझाना और सामने उपस्थित मुद्दों का समाधान शुरू कर दिया है।"

महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में क्या कहा है? पहला, जो कुछ भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है, वह उसे पूरा होते देखना चाहते हैं। उसी दिशा में, उन्होंने अपना बजट भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने परिवर्तन हेतु निर्णायक वोट दिया है। पिछले दस सालों से, संप्रग I और संप्रग II सरकारें कतिपय कार्यक्रमों को लागू करने में असफल रही हैं जो इस देश में मूल्य वृद्धि और महंगाई को नियंत्रित करते। उसके लिए, भारत के लोगों ने बिना दिये परिवर्तन के लिए वोट दिया है। भारत तरक्की करना चाहता है। इसी कारण नई सरकार कुछ नये कार्यक्रम चलाना चाहती है जो इस देश के विकास में सहायता कर सकें। पूर्ववर्ती सरकार क्यों सफल नहीं हुई? वे निर्णय लेने में सुस्त थे जिसके परिणामस्वरूप अवसर हाथ से निकल गए। देश अब बेरोजगारी, अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं, अवसंरचना की कमी और उदासीन सरकार की स्थिति को और झेलने के लिए तैयार नहीं है। हमें किसी प्रकार के रोजगार के अवसर चाहिए। लोग काम करने को तैयार हैं। क्या पिछली सरकार ने अवसर प्रदान किए? वे कह सकते हैं कि उन्होंने इतने सारे कार्यक्रम शुरू किए। वास्तव में, वे कार्यक्रमों को लागू करने में सफल नहीं हो पाये। यही कारण है कि लोगों ने उनको वोट नहीं दिया और उन्होंने राज्य सरकार को वोट किया।

हमारे माननीय वित्त मंत्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में, वह तत्काल कोई जादू नहीं कर सकते। इसीलिए, उन्होंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई को नीचे लाने और विकास दर में वृद्धि लाने में कुछ और समय लगेगा। वर्ष 2010 में, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 9 प्रतिशत थी। अब, विकास दर में भारी बदलाव आया है और यह 4.5 प्रतिशत तक नीचे आ गई है। वह विकास दर को अर्थक्षम कैसे बनाएंगे? उसके लिए उन्होंने कतिपय कार्यक्रमों की परिकल्पना की है। अकेले बजट से समस्या नहीं सुलझ सकती। उन्होंने कहा है कि 7-8 प्रतिशत की सतत् विकास दर के लिए तीन से चार वर्ष लगेंगे। उन्होंने कहा है कि वह ऐसा तत्काल नहीं कर सकते। उनका कहना है कि इसमें तीन से चार वर्ष लगेंगे। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत की उनकी इस स्वीकारोक्ति हेतु हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा है कि राजकोषीय घाटे के संदर्भ में उनकी रूपरेखा वर्ष 2015-16 हेतु 3.5 प्रतिशत और 2016-17 हेतु 3 प्रतिशत है।

मैं सभा को उनके द्वारा इस बजट में किए गए आवंटनों के बारे में बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम, उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि राजस्व प्राप्तियां 11,89,763 करोड़ रुपए हैं। उन्हें मिलने वाली कुल प्राप्तियां 17,94,892 करोड़ रुपए हैं। उसमें, गैर-योजना खर्च ही 12,19,892 करोड़ रुपये है। उन्होंने योजना खर्च 5,75,5000 करोड़ रुपये की राशि दी है। बजट में कुल खर्च 17,94,892 करोड़ रुपये है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के 'वास्तविक' के आधार पर योजना खर्च 26.9 प्रतिशत बढ़ा है। परन्तु, मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि हम पिछले सभी वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करें तो क्या यह व्यवहाय है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह 26.9 प्रतिशत को हासिल करने वाले हैं। यदि हम पिछले बजट की बात करें, तो बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमान कम हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम वर्ष 2013-14 में योजना खर्च की बात करें, तो यह 5,55,322 करोड़ रुपये था। परन्तु जब संशोधित अनुमान दिए गए थे, तो यह 4,75,532 करोड़ रुपये था। वह कम हुआ था। उनके अनुमान, 'वास्तविक आंकड़ों' पर आधारित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अनुमान के उसी आंकड़े को 'वास्तविकता आंकड़ों' के स्तर तक बनाए रखने वाले है। यदि वह इसे बनाए रखने वाले हैं, तो यह प्रशंसनीय है। ज्यादातर मामलों में, बजट अनुमानों में जो कुछ भी दर्शाया जाता है, वह संशोधित अनुमानों के समय कम हो जाता है। इसलिए, हमारी आर्थिक सक्रियता को बनाए रखने के लिए, योजना व्यय को अनुरक्षित रखा जाए और केवल तभी हम किसी तरह की सम्पत्तियों का निर्माण कर सकते हैं।

भाजपा के हमारे मित्र ने वृहत स्थिरता और कॉरपोरेट औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के बारे में भी हर बात बताई है। उन्होंने आम आदमी का कभी जरा भी उल्लेख नहीं किया है। मुझे उसका खेद है। हमारे मंत्री जी ने आम आदमी के किए बहुत से कार्यक्रमों का उल्लेख किया है। आम आदमी से जुड़े कार्यक्रमों का जिक्र करने के बजाय उन्होंने वृहत आर्थिक स्थिरता अधिक निवेश कराने तथा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने कराने इत्यादि के बारे में अधिक कहा है। वह उन अन्य बातों का उल्लेख करना भूल गए जो हमारे देश के आम आदमी के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के बारे में कहा है। वह इसे वर्ष 2015-16 में 3.6 प्रतिशत और 2016-17 में घटाकर तीन प्रतिशत तक कम करने वाले हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने समुचित समय पर घाटे को कम करने की पहल की है।

उन्होंने कृषि क्षेत्र के बारे में और इसके लिए किए जा रहे आवंटन के बारे में उल्लेख किया है। उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले 8 लाख रुपए के कृषि ऋण के बारे में कहा है। यह एक अच्छा सुझाव है। ऋण प्रदान कर उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छा कार्य किया है। यद्यपि कृषि के लिए उन्होंने बहुत से कार्यक्रमों के बारे में कहा है, फिर भी वे पर्याप्त नहीं हैं। कृषि क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों में हमने संसद में कृषि के बारे में कई बार चर्चा की है। यह एक उपेक्षित क्षेत्र है। यह एक मरणासन्न क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र का पुनरूद्धार करने का यह सर्वथा उपयुक्त समय है जब हमें कृषि क्षेत्र का पुनरुद्धार करना हो, तो हम न केवल अधिक निवेश करें बल्कि हमें किसानों को अधिक प्रोत्साहन भी देने होंगे। तभी हमारी अर्थव्यवस्था बचेगी। हमारा देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। हम उस पर निर्भर हैं। हमें भोजन चाहिए। खाद्य महंगाई जारी है। इसलिए, हमें लागत की वास्तविक कीमत के आधार पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना होगा। यह ऐसी सर्वाधिक आवश्यक मुद्दा है जिसका समाधान कृषि के संबंध में इस सरकार को करना है। विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन हेतु वह प्रोत्साहन दे सकते हैं परन्तु कृषि अधिक महत्वपूर्ण है। हम आग्रह करते हैं कि मंत्रीजी को कृषि क्षेत्र हेतु अधिक आबंटन करने का प्रयास करना चाहिए।

गंगा की सफाई से संबंधित गंगा कार्यक्रम में, यह एक अच्छी परियोजना है। उन्होंने गंगा की सफाई के लिए 2,037 करोड़ रुपये से अधिक का आबंटन किया है। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। उन्होंने नदियों को जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेतु 100 करोड़ रुपये प्रदान किया है। उन्होंने नदियों को जोड़ने हेतु डी.पी.आर. के लिए 100 करोड़ रुपये दिया है। हम जानते हैं कि राजग सरकार ने पहले ही वाजपेयी शासन के दौरान नदियों को जोड़ने हेतु विचार-विमर्श किया था। आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता

नहीं है। आपको उस योजना को कार्यान्वित करने हेतु अधिक निधि आबंटित करना था। इसके साथ ही, आपने एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन हेतु 2,037 करोड़ रुपये प्रदान किया है। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसे लागू किया जाना है क्योंकि यह देश के लिए अच्छा है। आपने केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में घाटों के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये प्रदान किया है। तथापि, आप केवल गंगा के बारे में ही सोच रहे हैं। अन्य नदियों के बारे में क्या होगा? कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी इत्यादि का क्या होगा?

जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी, उस समय, मैंने आपसे अन्य नदियों की सफाई की गतिविधियों पर भी विचार करने का आग्रह किया था, परन्तु, आपने इस बजट में उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। भारत में कई पवित्र नदियां हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश इस समय प्रदूषित हैं। कावेरी, कृष्णा, नर्मदा सभी इस समय प्रदूषित हैं। इसीलिए, मैं मंत्री महोदय से न केवल गंगा बल्कि अन्य नदियों के लिए भी निधि, कम से कम एक सांकेतिक धनराशि, आबंटित करने हेतु निवेदन करता हूं। आपने कई योजनाओं हेतु, प्रत्येक के लिए, 100 करोड़ रुपये पहले ही आबंटित कर दिया है। आपको स्पष्ट करना था कि यह आरंभिक धन है और आपने वादा किया कि योजना के बनने के बाद आप अधिक धन आबंटित करेंगे। मैं इस कदम की प्रशंसा करता हूं। परन्तु, यदि आपने इसी तरह और इसी भाव के साथ अन्य नदियों के लिए भी धन आबंटित किया होता तो मैं और अधिक प्रशंसा करता। कृपया इस पर विचार करें और देखें कि समय के साथ अन्य नदियों की भी सफाई की जाए।

राज्यों की बात करें तो 'बजट : एक सिंहावलोकन' के पृष्ठ संख्या 3 पर, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18 प्रतिशत दिया है, राज्यों को योजनागत सहायता 15 प्रतिशत और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को गैर-योजनागत सहायता 3 प्रतिशत दिया गया है। यह कुल मिलाकर 36 प्रतिशत होता है। आप राज्यों के विभिन्न स्रोतों से अधिक धनराशि एकत्र कर रहे हैं; परन्तु राज्य सरकारें करारोपण और राजस्व एकत्रित करने की स्थिति में नहीं हैं। इसीलिए, मैं वित्त मंत्री से नम्र निवेदन करता हूं कि सुनिश्चित करें कि राज्यों को अधिक हिस्सा मिले। मंत्री जी ने बताया कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 14वें वित्त आयोग ने कुछ प्रारंभिक प्रतिवेदन दिया है जिसका वे इसका अध्ययन करेंगे। इस पर काफी विवाद है। हमारी माननीय मुख्य मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री जी को एवं वर्तमान प्रधानमंत्री जी को भी यह निवेदन करते हुए एक पत्र लिखा था कि अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए तमिलनाडु को अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए। मेरा यही आग्रह है।

कई स्थानों पर, छूट दी जाती है और कई क्षेत्रों में माननीय वित्त मंत्री द्वारा कर नहीं लगाया जाता है। मंत्री जी ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अधिक कर आरोपित करने और लोगों से अधिक कर लेने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के पास धन रहने दो। उन्होंने ऐसा 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में अपने हाल के भाषण में कहा था। समाचार पत्र ने मंत्री को उद्धृत करते हुए लिखा था, "वित्त मंत्री, जिन्होंने पिछले सप्ताह अपना बजट पेश किया था, कहते हैं कि वे कर चुकाने वालों के हाथ में अधिक धन रखना चाहते हैं ताकि उनकी बचत अधिक हो और अधिक खर्च करें।" वे एक ही समय अधिक बचत और अधिक खर्च कैसे कर सकते हैं? यदि वे खर्च कर रहे हैं, तो यह उनकी बचत से ही आ रहा है। आप लोगों के हाथों में जो धन आप दे रहे हैं, वे इस धन को कैसे खर्च करेंगे? क्या वे इस धन को अपने परिवारों के हित में ठीक से खर्च करेंगे?

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह धन अच्छी प्रकार खर्च हो, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री कई कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। इसमें से एक योजना गरीब कन्याओं को उनके विवाह हेतु 4 ग्राम सोना और 50,000 रुपये तक की विवाह सहायता प्रदान करता है। तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्डधारकों को खाद्य सुरक्षा हेतु 20 किग्रा. चावल निःशुल्क दिया जाता है। खुले बाजार में कीमत को नियंत्रित करने के लिए 20 रुपये प्रति किग्रा. की दर से भी चावल दिया जाता है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की समृद्धि के लिए, दुधारू गायें और बकरियां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। मिक्सी, ग्राइंडर, विद्युत पंखा निःशुल्क दिए जाते हैं। छात्रों को निःशुल्क लेपटॉप, कम्प्यूटरों, पुस्तकों, साइकिलों, यूनीफार्म, जूतों और शैक्षिक

उपकरणों के साथ नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है। केवल धन की बचत करने से मदद नहीं मिलेगी। आपको देखना होगा कि क्या बचाया हुआ धन खर्च होता है, और लाभभोगियों के हित में उचित प्रकार से खर्च होता है?

आपका विचार है कि धन लोगों के हाथ में ही रहना चाहिए। परन्तु, निर्मित वस्तुओं को खरीदकर उचित रूप से इसे लोगों द्वारा खर्च करना होगा जिसके परिणामस्वरूप उद्योगों का विकास हो। उसके लिए, आप तमिलनाडु के मॉडल का अनुसरण कर सकते हैं। वे क्या कर रहे हैं? धन खर्च कर रहे हैं और उद्योगों से उत्पादों को खरीद रहे हैं और सीधे लोगों को दे रहे हैं, जहां विशेष रूप से महिलाएं खुश होंगी। अन्यथा, पुरुष बचत का दुरूपयोग करेंगे। इसकी क्या गारंटी है कि आप उसको अच्छे कार्यों हेतु खर्च करेंगे? और औद्योगिक उत्पादन हेतु बचत का उपयोग करेंगे? आपने कहा कि आप रोजगार के अवसर देना चाहते हैं और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए, आप छूट दे रहे हैं। इसीलिए, मैं तमिलनाडु के मॉडल का अनुसरण करने के लिए आपको सलाह दे रहा हूं, जहां उद्योगों द्वारा जो कुछ भी उत्पादित होता है, आप उसे खरीदते हैं और लोगों को सीधे लाभ पहुंचाते हैं। यही तमिलनाडु मॉडल है। मैं इसी चीज का सुझाव दे रहा हूं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में, हमें अच्छी तरह याद है कि जब भाजपा विपक्ष में थी, हमारी पार्टी और वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध किया था। आपने अपने भाषण में कहा कि आप रक्षा में और विनिर्माण कंपनियों में भी 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रहे हैं। इसके साथ ही, आपने कहा था कि आप उन्हें अपने उत्पादों को खुदरा बाजार में बेचने की अनुमति दे रहे हैं। अत:, जो कोई भी यहां अपना माल उत्पादित कर रहा है, आप उसे उन्हें खुले बाजार में बेचने की अनुमति दे रहे हैं, जो खुदरा व्यापार बन जायेगा, जिसका आपने उस समय विरोध किया था। जब खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी तो आप सभी ने उसका विरोध किया था। अब, आप अप्रत्यक्ष रूप से, इसे ला रहे हैं। सबसे पहले, आप उद्योग में 49 प्रतिशत निवेश की अनुमति प्रदान कर रहे हैं। जब वे अपना सामान उत्पादित कर लेते हैं तो आप उन्हें उसे खुले बाजार में बेचने की भी अनुमति दे रहे हैं। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार पत्र लिखा था और इसका विरोध भी किया था। अब आपको खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अवश्य अनुमति देनी चाहिए। आप उद्योगों में निवेश की अनुमति दीजिए। वह अलग मुद्दा है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। रक्षा के मामले में भी, आपने कहा था कि बाहर से हथियार खरीदने के बजाय, सरकार उन्हें यहीं उत्पादित करने की अनुमति दे सकती है। यह अच्छा सुझाव है। उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन साथ ही, आपको इन चीजों को खुदरा बाजार में बेचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

आपने 100 स्मार्ट शहर बसाने की बात कही है। हम उस कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। हमारी मुख्यमंत्री ने कहा है, "हम 100 स्मार्ट शहर बसाने के कार्यक्रम का स्वागत करते हैं।" बड़े राज्यों में सबसे तीव्र शहरीकरण की दर वाले तमिलनाडु के पोन्नेरी को स्मार्ट शहर के तौर पर विकसित किए जाने वाले शहरों में शामिल करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए मैं कहूंगा कि यहां स्वाभाविक रूप से स्मार्ट शहरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। हम कार्यक्रम के विवरणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बजट में स्मार्ट शहरों हेतु हमारे देय हिस्से के रूप में 7060 करोड़ रुपए तथा शहरीकरण हेतु 50,000 करोड़ रुपये के पूर्ण वित्तपोषण प्रावधान की आशा करते हैं। यह एक अच्छा कदम है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने उसका स्वागत किया है।

आपने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे का भी उल्लेख किया है। आपने इसे चेन्नई से पोन्नेरी और आंध्र प्रदेश तथा बेंगलुरु तक बनाया है। इसी तरह से यह आगे जा रहा है। लेकिन हम चेन्नई शहर में केवल आंशिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों को उपेक्षित रखा गया है। तमिलनाडु की सरकार ने पहले ही मदुरै से थूथुकुड़ी गलियारे पर काम शुरू कर दिया है। यही कारण है कि मैं आपसे इस गलियारे का विस्तार चेन्नई से लेकर तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से तक करने का अनुरोध कर रहा हूं, जिससे पूरे राज्य को लाभ होगा। ऐसा ही अनुरोध तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने किया है और उन्होंने केन्द्र को एक पत्र भी लिखा है।

माननीय गृह मंत्री यहां हैं और मैं कतिपय मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूं क्योंकि हम इस सत्र में गृह मंत्रालय

के संबंध में चर्चा नहीं करेंगे। हम जल संसाधन और सड़क परिवहन जैसे कतिपय विभागों पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन गृह मंत्रालय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। आपने गृह मंत्रालय के लिए कितना आबंटन किया है? यदि आप आबंटन को देखें, तो यह मात्र 8,922 करोड़ रुपए है। क्या यह गृह मंत्रालय के लिए पर्याप्त है? गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहां हैं। मैं श्री राजनाथ सिंह से अनुरोध करता हूं कि वे और अधिक आवंटन तथा धनराशि के लिए माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा हेतु पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है। गृह मंत्री का मुख्य कर्तव्य इस देश के नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करनी है। यही उनका मुख्य कर्तव्य है। वह, कम या ज्यादा, एक 'राजा' हैं। पुराने समय में राजा जो भी कुछ करते रहे हैं, गृह मंत्री को वही अब करना है - कि उनको इस देश के नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करनी है।...*(व्यवधान)* यही कारण है कि उनका नाम 'राज' नाथ सिंह है। वह 'राजा' हैं।...*(व्यवधान)* आंतरिक सुरक्षा के उद्देश्य हेतु क्या वह धनराशि पर्याप्त है?...*(व्यवधान)* हमें पुलिस का आधुनिकीकरण करना है; माननीय मंत्री ने भी उसके बारे में कहा है, यह अच्छा है। उसके लिए, आपने राज्यों के लिये 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आपने बजट में इसकी घोषणा की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह पर्याप्त है? राज्य सरकारों को 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकारों के पास कोष की कमी है। वे कानून और व्यवस्था की स्थिति संभाल रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में अभी तक पुरानी प्रणाली प्रचलन में है।

यदि आप भारत में हो रहे अपराधों के संबंध में आंकड़ों को देखें, तो आप पायेंगे कि 2012 तक अपराधों की कुल संख्या 20,87,188 है। देश में अपराधों के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। यह 2012 तक का आंकड़ा दिया गया है। यदि आप वर्तमान आंकड़े देखें, तो यह ज्यादा हो सकता है। इसलिए, आप अपराधों को कैसे नियंत्रित करेंगे? यदि हम देश भर में पुलिस बलों को आधुनिक नहीं बनाएंगे, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है।

आपको राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा क्योंकि 'कानून और व्यवस्था' का विषय राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन है। 'रक्षा' केन्द्र के पास है और आप स्वयं ही खुद के लिए आवंटन कर रहे हैं। श्री अरूण जेटली ने 2013 में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में एक प्रेस वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था : "केन्द्र सरकार को राज्यों पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए?" आपको राज्यों पर भरोसा करना होगा। उन्होंने यह भी कहा : "क्या यह संदेह करने का कोई कारण है कि भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? इतनी सारी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। हमने मुंबई की घटना देखी है, उसके बाद दुष्कर्म की बहुत सी घटनाएं भारत में हो रही हैं। लेकिन हम यहां घटना घटने के बाद चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि उस लड़की 'निर्भया' की मृत्यु हो गई; बाद में हमने 'निर्भया कोष' बनाया; हम चीजों पर चर्चा बाद में करते हैं। हम अधिक कोष का आवंटन क्यों नहीं कर सकते और उन्हें राज्य सरकारों को पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए क्यों नहीं देते ताकि किसी घटना के होने से पहले ही, शुरुआत में ही अपराधों पर काबू पाया जा सके। इसीलिए हम अनुरोध कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री और गृह मंत्री दोनों से ही इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने और इस उद्देश्य हेतु अधिक कोष आवंटित करने का अनुरोध कर रहा हूं।

आंतरिक सुरक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। बाह्य सुरक्षा भी महत्त्वपूर्ण है, लेकिन रक्षा मंत्रालय उसका ध्यान रख रहा है। लेकिन जब लाखों अपराध हो रहे हों तो आप कैसे उन्हें काबू कर सकते हैं? क्या यह हमारा प्राथमिक कर्त्तव्य नहीं है कि हम इस देश के नागरिक के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। आधुनिकीकरण के उद्देश्य के लिए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या 3000 करोड़ रुपए की यह धनराशि पर्याप्त है? इससे कुछ नहीं होगा।

लेकिन वित्त मंत्री का इरादा अच्छा है और मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन साथ ही आपको और अधिक कोष जुटाने और इसे राज्य सरकारों को देने तथा यह देखने के लिए कि कोई तरीका खोजना होगा कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। इसी की मैं आशा करता हूं।

मेरे मित्र पहले ही कह चुके हैं कि सरकार भू-सम्पदा कारोबार और सड़क क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है। जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है कि मैं वाजपेयी सरकार में भूतल परिवहन मंत्री था। हमने सड़क परियोजनाओं के बारे में चर्चा की थी। उस समय, लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू होगी। हमने केन्द्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा की कि उद्योगों को कैसे बचाया जाए। उस समय सीमेंट और इस्पात उद्योग में निराशा छाई थी। हम यह देखना चाहते थे कि इन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि वे विकास कर सकें। श्री वाजपेयी ने एक साहसिक कदम उठाया और देश भर में चार लेन की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को लागू किया। मैं उस समय मंत्री था और मैं माननीय वाजपेयी को बेंगलुरु ले गया तथा उन्होंने 2 जनवरी, 1999 को इसकी आधारशिला रखी। इस तरह से हमने इस कार्यक्रम को लागू किया। अब, आपने उस मंत्रालय हेतु काफी कोष दिया है, मैं इसकी सराहना करता हूं।

पानी की समस्या की बात करें, तो हम देश भर में पेयजल की समस्या का सामना कर रहे हैं; अब मानसून भी कमजोर होने वाला है; इसकी भविष्यवाणी पहले ही की गई थी। यह उचित समय है कि केन्द्रीय सरकार को पेयजल की इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। हमें सुरक्षित पेयजल भी देना होगा। लोग पीने का पानी, भोजन और कपड़े के बारे में पूछ रहे हैं। ये मूलभूत चीजें हैं जिसे सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए। इसके लिए सरकार ने 3,600 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, परन्तु, इसके साथ ही मैं उम्मीद करता था कि इस कार्य के लिए और अधिक आबंटित किया जाएगा।

आम आदमी को बार-बार मूल्य वृद्धि और महंगाई से बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक मूल्य स्थिरता निधि का गठन किया है। इसी तरह, केन्द्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक मूल्य स्थिरता निधि के गठन का प्रस्ताव किया है। हम इस पहल का स्वागत करते हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से बिजली की कमी से जूझ रहे हैं और उसके लिए हमें अधिक धनराशि की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है। विद्युत उत्पादन इकाइयों की स्थापना में कोयला की उपलब्धता जैसे कई मुद्दे शामिल हैं।...*(व्यवधान)* कुंडनकुलम संयंत्र कार्य करने लगेगा। जब केरल में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जानी थी तो केरल के लोगों ने इसका विरोध किया था। यह तमिलनाडु में आ गई है और हम अपने जोखिम पर बिजली पैदा कर रहे हैं परन्तु हम कुंडनकुलम से पर्याप्त बिजली प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं। केन्द्र सरकार अन्य क्षेत्रों की तुलना में कुंडनकुलम को बिजली का अधिकांश हिस्सा देने के लिए आगे आए। सरकार को शर्त लगानी चाहिए और ऐसे राज्यों को बिजली का हिस्सा नहीं देना चाहिए जिन्होंने अपने राज्यों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का विरोध किया था। केवल उन्हीं राज्यों को विद्युत में हिस्सा दिया जाना चाहिए जिनके पास परमाणु संयंत्र हैं। इसके बाद ही अन्य राज्य अपने राज्यों में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आगे आयेंगे। ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक राज्य की कीमत पर अन्य राज्य लाभ उठाएं। एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए कि जिसके पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसे ही बिजली का हिस्सा मिलना चाहिए न कि अन्य राज्यों को।

हम वित्त मंत्री द्वारा बजट में कई कार्यक्रमों की घोषणा करने के लिए निर्भीक कदम उठाने की सराहना करते हैं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा, यह कोई जादू नहीं है और इससे लाभ प्राप्त करने में समय लगेगा। मंत्री जी ने हमारे आर्थिक प्रणाली में कमियों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। हम इन कमियों के समाधान में और देश को आगे ले जाने के लिए मंत्री जी के प्रयास में उनके साथ हैं। हमारी माननीय मुख्य मंत्री अम्मा ने इस बजट का स्वागत किया है और हम भी इसका स्वागत करते हैं। यह बजट हमारे देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

अपराह्न 2.53 बजे

कार्य मंत्रणा समिति
दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री एम. वैंकैय्या नायडू की ओर से, कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.54 बजे

सामान्य बजट — (2014-15) सामान्य चर्चा

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2011-12 — जारी

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): माननीय सभापति, महोदय, मेरे हाथ में दो दस्तावेज हैं, 'बजट अनुमान' और 'बजट-एक सिंहावलोकन'। एक मेरे बाएं हाथ में है और दूसरा मेरे दाएं हाथ में है। एक इस वर्ष श्री पी. चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया और दूसरा इसी वर्ष श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज है। इन दोनों दस्तावेजों का आकार और रंग इस प्रकार है कि यदि मैं इन दस्तावेजों को एक हाथ से दूसरे हाथ में घुमाता हूं तो कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि कौन श्री जेटली द्वारा पेश किया गया और कौन-सा श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि यद्यपि विषय-वस्तु के मामले में भी दोनों काफी समान हैं फिर भी, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

महोदय, मैं, सबसे पहले, श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत 'बजट - एक सिंहावलोकन' को लूंगा। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इस बजट में राजस्व प्राप्ति 11,89,763 करोड़ रुपये का है। पूंजी प्राप्तियां 6,05,129 करोड़ रुपये का है और कुल 17,94,892 करोड़ रुपये होता है। इसे योजना परिव्यय और गैर-योजना परिव्यय में विभाजित करना है। योजना परिव्यय क्या है? यह नई परियोजनाओं, नई योजनाओं और नवोन्मेष विचारों के लिए, जिन्हें वास्तव में कार्यान्वित करना है, 5,75,000 करोड़ रुपये है। इसे बजट के योजना परिव्यय भाग के रूप में जाना जाता है। तब, गैर-योजना परिव्यय क्या है? इसका अर्थ है कि हमें विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों के लिए संस्थापना और प्रतिष्ठान के दैनन्दिन व्यय को पूरा करने के लिए किया जाने वाला परिव्यय। गैर-योजना व्यय 1,21,9,892 करोड़ रुपये है। अतः राजस्व प्राप्तियां और व्यय समान है। सरकार की कुछ नकद प्राप्ति 13,64,524 करोड़ रुपये है। अतः, ऐसा पता चला है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या राजकोषीय घाटे को 4.1 प्रतिशत पर नियंत्रित करना उनके लिए चुनौती भरा कार्य है या नहीं? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वे किस तरह से इसे लागू करने जा रहे हैं जब राजस्व घाटा भी सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत होगा।

अपने एक भाषण में वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि 2013-14 का वास्तविक व्यय किसी प्रकार से अधिक है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि 2013-14 हेतु उनके बजट अनुमानों में वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक व्यय का कहीं उल्लेख नहीं है। यहां वास्तविक व्यय 2012-13 का है; बजट अनुमान 2013-14 के हैं; और संशोधित अनुमान 2014-15 का है। लेकिन आपको कहीं न कहीं 2013-14 हेतु अपने वास्तविक व्यय का उल्लेख करना चाहिए। यदि आपको समय मिले तो मैं इस विषय पर स्पष्टीकरण चाहूंगा।

महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी, पूर्वी क्षेत्र - पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा और असम-क्षेत्रीय असंतुलन से पीड़ित है। अब झारखंड भी इसमें सम्मिलित हो गया है। हमारे आकलन के अनुसार, पश्चिम बंगाल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्षेत्रीय असंतुलन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे हमारी कुछ मांगें जो मैं बजट पर बोलते समय उनके समक्ष रखूंगा, पर विचार करें।

सबसे पहले, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार 34 वर्षों के लंबे समय तक शासन कर रही थी वह कम्यूनिस्ट पार्टी की थी। उन्होंने 34 वर्षों के लंबे समय तक शासन किया और वहां क्या हालत थी, आपकी

जानकारी के लिए मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। यह सर्वज्ञात है कि, वाम मोर्चे की सरकार ने पश्चिम बंगाल को 2 लाख करोड़ रुपए के भारी ऋण के बोझ के तले दबाकर छोड़ दिया था। 34 सालों से हम 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के जाल में फंसे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

यह भी सर्वज्ञात है कि वित्त आयोग ने यह बताया है कि पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल पूरी तरह से ऋणग्रस्त हैं और उन्हें राजकोषीय संकट से तत्काल बचाया जाना चाहिये। केरल और पंजाब राज्यों के लिये ऋण और जी.एस.डी.पी. अनुपात क्रमशः 27.86 प्रतिशत और 29.91 प्रतिशत है, जबकि पश्चिम बंगाल के मामले में यह आंकड़ा विस्मित कर देने वाला अर्थात 38 प्रतिशत है।

महोदय, बजट एक ऐसा अवसर है जब भारत के राज्य और स्वयं राष्ट्र भी यह अपेक्षा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार ऋणग्रस्त राज्यों में, ऋण की वास्तविक समस्या का कम से कम पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब जैसे राज्यों में समाधान करेगी। पश्चिम बंगाल में, लगभग नौ करोड़ लोग बकाया ऋण को माफ किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बहुत ही स्पष्ट अपील है जो हम कर रहे हैं। हमने संप्रग सरकार के शासनकाल के दौरान भी यह अपील की थी। उन्होंने न तो इसके बारे में चिन्ता की और न ही कोई महत्व दिया। हम तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री से भी मिले थे, परंतु हमें कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। इस सरकार से हमारी अपील है कि उन्हें यह ऋण माफ करना चाहिए। यह एक सकारात्मक मांग है जिसे हम आज उठा रहे हैं।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने कतिपय प्रस्ताव किये हैं जिनमें से प्रत्येक 100 करोड़ रुपए का है, जो 28 योजनाओं के लिए है जैसे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के लिए 100 करोड़ रुपए हैं, सरकार ने मदरसों के उन्नयन हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं; जनजातीय कल्याण आदि हेतु 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। डॉ तम्बिदुरई ने कुछ सुझाव दिए थे और कुछ विचार भी रखे थे तथा सरकार से तमिलनाडु में चलाई जा रही कतिपय विशेष योजनाओं के संबंध में सुश्री जयललिता का अनुसरण करने का आग्रह किया था। हमारी राज्य सरकार द्वारा कन्याश्री प्रकल्प नामक एक योजना शुरू की गई है और हमारी माननीय मुख्य मंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने इस परियोजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है तथा इस परियोजना की प्रशंसा न केवल बंगाल के सभी वर्गों द्वारा की गई है, बल्कि किसी भी राजनीतिक दल ने बालिकाओं के लाभ हेतु बनी इस परियोजना की आलोचना नहीं की है। हम सरकार से पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री से परामर्श लेने और कन्याश्री प्रकल्प से कुछ बिन्दु प्राप्त करने का अनुरोध करते हैं जिसके माध्यम से केन्द्र द्वारा बालिकाओं के लाभ हेतु घोषित कार्यक्रम को भी अक्षरशः लागू किया जा सके।

अपराह्न 3.03 बजे

(**प्रो. के.वी. थॉमस** *पीठासीन हुए)*

महोदय, सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा सृजित करने के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु हम एक अन्य प्रतिमा स्वामी विवेकानन्द के लिए क्यों नहीं सृजित कर सकते हैं? भारत में, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी भी बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन गए थे जोकि स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित किया गया था। वे वहां बेलूर मठ के वर्तमान अध्यक्ष, स्वामी आत्मस्थानंद महाराज का आशीर्वाद लेने गए थे। चुनाव अभियान के दौरान भी भाजपा ने स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमाओं, चित्रों और मूर्तियों का स्मरण किया था। श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए प्रेस वक्तव्य के अनुरूप यहां तक सुना गया है कि एक बार उन्हें बेलूर मठ के अध्यक्ष द्वारा दाढ़ी रखने और उसे न काटने की सलाह दी थी, यद्यपि मुझे उनके द्वारा सलाह नहीं दी गई है, मैं काफी पहले से स्वयं ही दाढ़ी रखता हूं, तब से उन्होंने कभी अपनी दाढ़ी नहीं काटी है। मेजें थपथपाने से ऐसा लगता है कि सभा का प्रत्येक सदस्य इस विचार की सराहना करते हैं और इसलिए मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कोलकाता नगर में भी स्वामी विवेकानन्द की एक प्रतिमा लगाई जाए।

मेरा दूसरा बिंदु एफ.डी.आई. का है। अरुण जी, भाजपा को राष्ट्रीय सोच, राष्ट्रीय मूल्यों और राष्ट्रीय भावनाओं वाले दल के रूप में जाना जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि

कैसे भाजपा ने अपने-आपको पूर्ण एफ.डी.आई. वाले दल में परिवर्तित कर लिया है। क्या यह भाजपा के दर्शन का पूरी तरह से परिवर्तन होने या उससे हटने के संकेत हैं? मैं यह जानने या सीखने का इच्छुक हूं। यहां इसके 49 प्रतिशत करने का उल्लेख है। वे हमारे रक्षा क्षेत्र में सेंध लगाने आ रहे हैं। हमें डर है कि यदि विदेशी समूह हमारे रक्षा क्षेत्र में आ जाते हैं और, यदि वे ऐसा कर पाते हैं, तो क्या इस निर्णय से हमारे देश को लाभ होगा? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): वह बोफोर्स का रास्ता बताना चाहते हैं दादा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: मैं आपको वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में देखना चाहता था। आपको वह नहीं बनाया गया। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूं? यह दुर्भाग्यपूर्ण है...*(व्यवधान)*

इसी तरह से हमने बीमा क्षेत्र में भी एफ.डी.आई. का विरोध किया है। हम आपसे एफ.डी.आई. के इस 49 प्रतिशत भाग को वापिस लेने का अनुरोध करते हैं, जैसा कि डॉ. तम्बिदुरई भी अनुरोध कर रहे थे। मुझे अभी तक याद है - और श्री जेटली आप जानते हैं - कि हम तृणमूल कांग्रेस वाले केन्द्र में मंत्री थे, मैं भी मंत्री था और हम टी.एम.सी. मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र का कारण था कि एफ.डी.आई. को खुदरा बाजारों में शुरू किया जा रहा था। इस तथ्य के बावजूद हम संप्रग के साथ थे, हम संप्रग सरकार से बाहर आ गए, आपने समाज के व्यापारी वर्ग का पूरा समर्थन किया था। आपने इस पर भी समर्थन दिया था कि एफ.डी.आई. को हमारे खुदरा बाजारों पर छा जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो, अब आपका रुख क्या है? यदि ऐसा किया जाता है और इसे बीमा क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र में आने दिया जाता है तो क्या आप खुदरा क्षेत्र में भी एफ.डी.आई. के निर्णय का स्वागत करेंगे? आपको सभा में यह स्पष्ट करना होगा कि क्या आप हमारे देश के खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. के पक्ष में हैं अथवा नहीं।

मैं कुछ हद तक यह कहना चाहता हूं कि भारत में काले धन की एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। यह बहुत ही उत्साहजनक था कि जब यह सरकार आगे आई और घोषणा की कि विदेशों में मौजूदा काले धन को वापिस लाने के लिए वह सभी सकारात्मक उपाय करेंगे। लेकिन इस बजट भाषण में, बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से, काले धन की भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इस संबंध में मौन क्यों हैं? सारा देश काले धन के इस मुद्दे के बारे में जानने को उत्सुक है। हम आशा कर रहे थे कि सरकार काले धन के बारे में अपनी सोच, विचारों और नीतियों की घोषणा करेगी।

आपने नमामि गंगे नामक एक मिशन की घोषणा की है। विभिन्न भागों से दूसरी नदियों के बारे में भी मांगें उठ रही होंगी। आपने सुधारों, नवीनीकरण और सौन्दर्यीकरण के बारे में कहा है। आपने केदारनाथ, कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद और दिल्ली के नामों का भी उल्लेख किया है। मैं आपसे कोलकाता को भी इसमें शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

एक कहावत भी है - 'सब तीर्थ बार-बार, गंगासागर एक बार।' रवीन्द्र नाथ टैगोर का अंतिम संस्कार कोलकाता में गंगा नदी के तट पर किया गया था। स्वामी विवेकानन्द का अंतिम संस्कार भी गंगा नदी के तट पर किया गया था और आप जानते हैं कि मात्र 39 वर्ष की आयु में ही उनका देहान्त हो गया था। यह इतिहास है। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव का भी अंतिम संस्कार कोलकाता में गंगा नदी के तट पर किया गया था। सभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोलकाता में पैदा हुए थे जहां से मैं निर्वाचित हुआ हूं। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गंगा परियोजना के इस विकास, सौन्दर्यीकरण और नवीनीकरण में कोलकाता को भी सम्मिलित किया जाए।

यह सरकार जूट उद्योग के बारे में मौन क्यों है? जूट और प्लास्टिक उद्योगों के बीच लड़ाई सी हो रही है। जूट उद्योग में इस देश के दो करोड़ से भी ज्यादा लोग लगे हुए हैं लेकिन इसमें जूट उद्योग का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह, चाय भी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से अधिक ध्यान देकर हमारी बात सुनने का अनुरोध करता हूं। मैं मात्र आग्रह कर

रहा हूं। चाय उद्योग भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दार्जीलिंग चाय को विश्व प्रसिद्ध चाय और विश्व में सर्वोत्तम चाय के रूप में जानी जाती है। लेकिन दार्जीलिंग चाय का निर्यात कम हो रहा है। अब विश्व में हमारा पहला स्थान नहीं रहा। दूसरे देशों ने हमें पीछे छोड़ दिया है। इसलिए चाय क्षेत्र को संपूर्ण सुरक्षा देनी होगी। हम जूट की रायल्टी में अधिक हिस्सेदारी की मांग करते हैं। कृपया प्लास्टिक उद्योग के पीछे मत भागिए। हम कोयले के मामले में भी अधिक राजस्व की मांग कर रहे हैं। आप आठ टेक्सटाइल मेगा कलस्टरों की स्थापना करने जा रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में एक टेक्सटाइल मेगा कलस्टर स्थापित करें क्योंकि पश्चिम बंगाल वस्त्र क्षेत्र का केन्द्र है और यहां वस्त्र क्षेत्र में कई भौगोलिक संकेत उत्पाद हैं। अत:, हम महसूस करते हैं कि यह पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक त्रासदी और एक क्रूर परिहास है। हमें उम्मीद है और हमारे बुनकरों को उम्मीद है कि इन आठ टेक्सटाइल मेगा कलस्टरों में पश्चिम बंगाल को भी रखा जायेगा।

मैं अब अन्य परियोजनाओं पर आता हूं। आपने भारत के 35 करोड़ ग्रामीण युवकों के लिए 100 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। यदि इसे बांटा जाता है तो केवल 2 रुपये प्रति युवक आबंटित होगा। इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है? यदि मैं 2013-14 और 2014-15 के बजट की तुलना करता हूं, तो आंकड़े इस प्रकार हैं। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2013-14 में यह 79,451 करोड़ रुपये था और 2014-15 में यह 83,000 करोड़ रुपये है; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु 2013-14 में बजट आबंटन 33,000 करोड़ रुपये था, 2014-15 में यह 34,000 करोड़ है; ग्रामीण विकास हेतु यह 74,000 करोड़ रुपये था और अब यह 78,000 करोड़ रुपये है। महिला और बाल विकास हेतु यह 20,000 करोड़ रुपये था और अब यह 21,000 करोड़ रुपये है; कृषि और सहकारिता हेतु यह 19,000 करोड़ रुपये था, अब यह 22,000 करोड़ रुपये है; पेयजल और स्वच्छता हेतु यह 15,000 करोड़ रुपये था, अब यह 15,000 करोड़ रुपये है, यह उतना ही है; पर्यावरण हेतु यह 2,000 करोड़ रुपये था, अब भी यह 2,000 करोड़ रुपये है। अत:, पिछले वर्ष के बजटीय प्रस्तावों की तुलना में, इस वर्ष भी बजट आबंटन समान है। मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि मूल्यवृद्धि और बेरोजगारी आसमान छू रहे हैं। हम इसे कैसे नियंत्रित करेंगे?

इस संबंध में, मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहूंगा। हमारे बचपन के दिनों में, हम सड़क पर आंदोलन करके यह मांग करते थे कि आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिया जाये, जो हम अब नहीं पाते हैं। महोदय, मैं आपको बताऊंगा कि राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करनी चाहिये।...*(व्यवधान)* वास्तव में, तमिलनाडु ऐसा कर रहा है। मेरा प्रस्ताव है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाये। आपके 'आर्थिक सर्वेक्षण' में, पृष्ठ 138 पर उल्लेख किया है कि इस वर्ष खाद्यान्नों और तिलहनों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। मेरा प्रस्ताव है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाए जिससे गरीबी का बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया जा सकेगा।

ये कौन सी वस्तुएं हैं? वे हैं - एक : चावल; दो, गेहूं; तीन, दालें; चार, चीनी; पांच, किरोसीन तेल; छह, मक्का; सात, बाजरा; आठ, मूंगफली; नौ, तीसी और सरसों; दस, कपास; ग्यारह, चाय; बारह, नमक और दूध। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यहां एक नई घोषणा हो सकती है कि इन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हो क्योंकि, अरुण जी, अभी भी, मेरे विचार का समर्थन करते हैं कि हमारे देश में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और डाक प्रणाली बहुत अधिक जिम्मेदारी और कार्यकुशलता से अपना दायित्व निभा रहे हैं। अत:, यदि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ठीक से उपयोग करें तो यह अत्यंत लाभप्रद प्रणाली सिद्ध होगी जो आम जनता को स्वीकार्य भी होगी और वे वास्तव में, इस प्रणाली से बहुत लाभान्वित होंगे। मैं आपकी ओर से एक सकारात्मक उत्तर चाहता हूं। मैं समझता हूं कि विपक्ष की ओर से यह एक सकारात्मक सुझाव है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही बजट की नकारात्मक आलोचना ही करते हैं बल्कि जहां तक बजट का संबंध है, हम आपको कुछ विचार भी देते हैं। इस बजट में कुछ जनोन्मुख विचार भी होने चाहिये। आप कुछ पूर्वोदाहरण भी दीजिए कि आप भूख से पीड़ित लोगों के लिए हमसे कुछ प्रस्ताव ले रहे हैं। मैं विभिन्न

अवसरों पर हमेशा यह कहता हूं कि हमारे देश में भूख से पीड़ित लोग अभी भी भूख से संघर्ष कर रहे हैं। वे इसका मुकाबला करने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं अत: उन्हें कैसे लाभ मिलेगा।

सरकार न्यूनतम मजदूरी दर पर 100 दिन का रोजगार दे रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे एक वर्ष में कम से कम 200 दिन तक बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि, गरीब लोगों को फायदा मिले। तत्पश्चात, धीरे-धीरे बेरोजगार, नवयुवकों और नवयुवतियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सकारात्मक तरीके ढूंढें जिससे उन्हें वास्तव में लाभ हो। अत:, यह भी एक सकारात्मक निवेदन है जिस पर आप विचार कर सकते हैं। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब भी कोई जनानुकूल निर्णय लिये जाते हैं, तृणमूल कांग्रेस, सरकार को अपना समर्थन देगी। हम आपके इन निर्णयों, जिससे गरीब लोगों को हमेशा आश्रय, संरक्षण और काम मिलेगा, के लिए आपका साथ देंगे। हमारी नेता ने यह सिद्ध कर दिया है कि राज्य द्वारा कैसे गरीब जनता के अनुकूल निर्णय लिया जा सकता है। डॉ. तंबिदुरै ने कुछ जनानुकूल निर्णयों के बारे में बताया था, जिसे चेन्नई में लिया गया है। अब उनके पास 37 संसद सदस्य हैं और पश्चिम बंगाल में 42 में से 34 संसद सदस्य हमारे पास हैं।

मेरे विचार से मैं कोई अच्छी सलाह न देकर एक निवेदन कर रहा हूं जिस पर विचार किया जाये। यदि सरकार कोई ऐसा निर्णय लेती है जो हमें जन विरोधी लगता है तो, हमें मंत्रालय से त्यागपत्र देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यह केवल तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, जिसके छह मंत्रियों ने, सरकार द्वारा रसोई गैस के मूल्यों को बढ़ाए जाने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लागू करने, उर्वरकों पर से राजसहायता हटाने पर त्यागपत्र देकर सरकार से बाहर आ गए। हम इन्हीं विचारों और दर्शन के साथ आगे बढ़ते हैं।

10 वर्षों के लम्बे समय के बाद, एक नई सरकार ने कार्यभार संभाला है। हमें प्रत्येक कदम पर सरकार की आलोचना या उस पर दोषारोपण नहीं करना है, बल्कि आप अच्छे कार्यों के साथ जहां भी जायेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। परन्तु हम सरकार के किसी ऐसे निर्णय का समर्थन नहीं करेंगे जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा है या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए है।

मेरा विचार है कि मेरे द्वारा उठाए गए मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा। हम पश्चिम बंगाल से संबंधित मामलों को कई अवसरों पर स्पष्ट रूप से उठाते रहे हैं। हम इस विषय को प्रत्येक सरकार के साथ संप्रग सरकार से राजग सरकार तक उठाते रहे हैं। संप्रग सरकार ने कोई बात नहीं सुनी और कोई कदम भी नहीं उठाया। मुझे उम्मीद है कि यह सरकार कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी और पश्चिम बंगाल सरकार के कर्ज को माफ करेगी, जो वामपंथी सरकार के 34 साल के कुशासन के कारण कर्ज में डूबी हुई है।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यों, चूंकि मेरे पास सामान्य बजट पर बोलने वाले वक्ताओं की एक लम्बी सूची है, अत: एक सुझाव है - जो सदस्य अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। इसे भी कार्यवाही का एक भाग माना जायेगा।

अब श्री महताब।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं इस सभा में आपके समक्ष बजट (सामान्य) 2014-15 पर सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। बीते दिन हम सभी ने वित्त मंत्री के बात भाषण को तल्लीन होकर सुना था। अपने बलबूते बहुमत हासिल करने के बाद, सत्ताधारी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ने अपने पहले दो नीतिगत वक्तव्यों - रेल बजट और केन्द्रीय बजट - में स्पष्ट रूप से अपने विचारधारा को दक्षिण की तरफ से संशोधित करते हुए शुरुआत की है। इसकी अपेक्षा थी। इसने सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र की अभूतपूर्व भूमिका को पुर्नपरिभाषित किया, राज्यों को व्यय करने की शक्ति के अंतरण द्वारा सरकार के व्यय में कमी, पहले से ही हासिये पर आए योजना आयोग के महत्व में और कमी को पुनर्परिभाषित किया है। मैं वित्त मंत्री जी को अपने बजट भाषण की शुरुआत में यह स्वीकार करने की वे स्पष्टवादी और ईमानदार हैं के लिए प्रशंसा करता हूं।

भारत के लोगों ने परिवर्तन के लिए मतदान किया है। तथापि, जन संसाधनों का प्रयोग करके वह परिवर्तन रातों-रात नहीं हो सकता। यह स्पष्टवादिता महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य है। यहां, उन्होंने अपने बजट को सुधार कार्यक्रम के रूप

में नहीं माना है, बल्कि इसे निरन्तरता और परिवर्तन के क्षेत्रों के रूप में देखा है। 2014-15 के लिए राजस्व और राजकोषीय घाटे की आकांक्षाएं अपरिवर्तित रही हैं। यह सरकार पिछले प्रशासन की निरन्तरता में केन्द्रीय सरकार के संसाधनों को राजस्व व्यय को मुख्यत: वित्तपोषण करने के लिए उपयोग करेगी। वित्त मंत्री ने बिल्कुल सही रूप से बताते हुए शुरुआत की है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है और वृहद आर्थिक स्थिरीकरण एवं भविष्य की ठोस कार्यवाही के लिए अवश्य एक कार्यक्रम होना चाहिए।

इस सरकार को न केवल एक ऐसी वित्तीय अव्यवस्था मिली है जो मुद्रा स्फीति, महंगाई के भार से जूझती अर्थव्यवस्था, कम सकल घरेलू उत्पाद का विकास और निवेश तथा विनिर्माण में मंदी के साथ-साथ अपर्याप्त अवसंरचना भी से ग्रस्त है। सामान्य रूप में, इस सरकार ने एक ऐसा बजट पेश किया है, जो कांग्रेस सरकार की नीतियों की निरन्तरता की गारंटी देता है और सामाजिक क्षेत्र को पहुंचने वाले काम से कोई तीव्र परिवर्तन या वापसी नहीं है। किसी तरह, राजकोषीय समेकन और राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत पर रखने की चुनौती का उल्लेख है। परन्तु, इसे कैसे करना है, इसे स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया है। मैं गिन रहा था 253 पैराग्राफ का बजट भाषण असामान्य रूप से एक लंबा भाषण है। वित्त मंत्री ने कहा था, "इस सरकार के गठन के 45 दिन के अंदर प्रस्तुत किए गए पहले बजट से यह आशा करना उचित नहीं होगा कि सब कुछ किया जा सके अथवा किया जाना चाहिए। वह बिल्कुल ठीक हैं। बजट केवल नीति दस्तावेज नहीं है और न ही इसे उस सरकार का अंतिम बजट माना जा सकता है जो पांच वर्ष सत्ता में रहने वाली हो। लेकिन प्रश्न यही है। क्या सरकार को इसके कोर क्षेत्रों हेतु 45 दिनों से अधिक समय की आवश्यकता है? कोर क्षेत्र कौन से हैं? राजस्व और व्यय तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विश्वसनीयता है।"

महोदय, अपने पहले भाषण में, वित्त मंत्री ने सरकारी उपक्रमों के विनिवेश से 43,425 करोड़ रुपये का मामूली लक्ष्य रखा है और बेकार की राजसहायताओं को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए थोड़ा काम किया है। केन्द्र सरकार की कुल राजसहायता की राशि 2,51,658 करोड़ रुपये है, जोकि 2013-14 के संशोधित अनुमान से 5,150 करोड़ रुपये ज्यादा है। बीमा और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एफ.डी.आई. की सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया जाना सतर्कतापूर्ण कदम है। बाद में जब विधेयक इस सभा के समक्ष रखा जाएगा तब हम बीमा में एफ.डी.आई. बढ़ाने के संबंध में चर्चा करेंगे और मेरा इस पर अलग सोचना है। परंतु रक्षा के संबंध में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप इसे 49 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या आपको विदेशी कंपनियों से तकनीकी जानकारी भी मिलेगी? जब तक उन्हें 51 प्रतिशत और उससे ज्यादा हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, वे भारत में क्यों आएंगे? वे हथियार उत्पादन कंपनियां दूसरे देशों में चली गई हैं क्योंकि वहां उन्हें उन कंपनियों का स्वामित्व मिल गया है। परंतु यहां, यदि आप उन्हें 49 प्रतिशत हिस्सेदारी देते हैं, तो मुझे संदेह है कि क्या वे इस देश में आएंगी अथवा नहीं।

बजट को लेकर की जा रही तरह-तरह की आशाओं को देखते हुए व्यक्तिगत आयकर छूट थोड़ा निराश करने वाली हैं। लेकिन क्या हमें उस नई सरकार से आशा नहीं करनी चाहिए जिसे अपनी सत्ता को लेकर शंकाएं नहीं हैं? यह पहले के बजटों से अलग नहीं दिखता। यदि यह बजट भविष्य में होने वाले कुछ अधिक कठोर की भूमिका की तरह है, तो यह स्वीकार्य है क्योंकि वित्त मंत्री ने संक्षिपत रूप से सभी कमजोर क्षेत्रों को स्वीकार किया है।

बजट में कोई नई विशेषताएं नहीं हैं और इसमें एक समृद्ध भारत हेतु एक सुस्पष्ट तथा त्वरित रूपरेखा नहीं है। आशा है कि अगले बजट में, जोकि लगभग छह महीने बाद आएगा, सरकार कांग्रेस के प्रोटो-टाइप तरीके और उसकी छाया से दूर होगी और उसके पास कहने के लिए कुछ अपना होगा। इस बीच में, यदि अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से चलती है और बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं तो अगले बजट में कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तथापि, बजट का बारीकी से अध्ययन करने से पांच बड़े सुधारों की जानकारी प्राप्त होती है, जिनकी यह सरकार योजना बना रही है।

यह बजट ईंधन राजसहायता, योजना स्कीमों में सुधारों और विनिवेश पर जोर की तरफ संकेत करता है। इस बजट में मार्च, 2015 से पहले डीजल की कीमतों को विनियंत्रित किए जाने का प्रस्ताव है। निर्देशित और चिह्नित मूल्यों के बीच के अंतर को तब तक पूरी तरह से समाप्त करने का

लक्ष्य है। बजट यह भी दर्शाता है कि प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष राजसहायता प्राप्त 12 एल.पी.जी. सिलेन्डरों के मौजूदा कोटे को अधिक 'व्यावहारिक' बनाया जाएगा। इसमें यह उल्लेख नहीं है कि नई सीमा क्या होगी अथवा निर्णय कब लिया जाएगा।

आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने वाली राजसहायताओं हेतु प्रत्यक्ष व्यय अंतरण के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। बजट में कहा गया है कि जब एल.पी.जी. सिलेन्डरों हेतु डी.बी.टी. को 291 जिलों में कार्यान्वित कर दिया जाएगा तो इसके दायरे में 7 करोड़ ग्राहक होंगे। क्या हमें नहीं मालूम कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां ग्राहकों को तेल और पेट्रोलियम उत्पाद बेचकर मुनाफा कमा रही है जोकि इस अवधारणा के विपरीत है कि वे नुकसान पर तेल बेच रही हैं? यदि इस लाभ को खुदरा ग्राहकों को दिया जाता तो वर्ष 2007 से 2012 के बीच पांच वर्षों में यह राशि अनुमानत: 50,000 करोड़ रुपये होती। यह निष्कर्ष महालेखा परीक्षक और नियंत्रक ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के संबंध में अपनी नवीनतम रिपोर्ट में दिया है। मुझे आशा है कि जब लोक लेखा समिति का गठन किया जाएगा, तो वे इस मुद्दे को उठाएंगे।

अब, आधार की बात करें, तो मुझे कहना है कि पिछली लोक सभा की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने तत्कालीन सरकार से यू.आई.डी. योजना पर पुनर्विचार और इसकी समीक्षा करने तथा एक नया कानून लाने का अनुरोध किया था। यह प्रतिवेदन 11 दिसम्बर, 2011 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। संप्रग सरकार संसद में कभी भी नया विधेयक लेकर नहीं आई। सरकार ने किसी को भी यह नहीं बताया कि वे सिफारिशों को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। विधेयक, जैसा कि संप्रग द्वारा तैयार किया गया था, वह चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके पारित होने से, जितनी समस्याओं का समाधान होता उससे अधिक यह समस्या पैदा करता। संप्रग ने एक कार्यकारी आदेश के द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.) का गठन किया। इसमें अंतर्निहित कमियां थीं। जब वित्त मंत्री ने यू.आई.डी. के बारे में बतलाया है मुझे आशा है कि यह सरकार उन गलतियों को करने से बचेगी जो संप्रग ने इस अत्यंत प्रशंसनीय योजना के कार्यान्वियन में की थी।

बजट में, वित्त मंत्री ने वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) के बारे में बतलाया है। जी.एस.टी. को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने से पूर्व, इस सरकार को प्रारूप विधेयक में कई खामियों को अवश्य दूर करना चाहिए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में जो विश्वास में कमी विद्यमान है उसे दूर करना होगा। परन्तु, मुझे आश्चर्य तब होता है जब सी.बी.ई.सी. की प्रमुख बिल्कुल खुलेआम कहती हैं कि जी.एस.टी. के बारे में वित्त मंत्रालय ने उनसे परामर्श नहीं किया है। जी.एस.टी. का उद्देश्य देश में लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एकमात्र कर लाना है। यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर, जो सभी सी.बी.ई.सी. द्वारा प्रशासित होते हैं, का स्थान लेगा। इसके प्रमुख से इस पर परामर्श क्यों नहीं किया गया? पिछले महीने की 14 तारीख को मीडिया में इसका जिक्र आया था। क्या इसका समाधान कर लिया गया है?

काले धन पर आते हैं, मैं कहूंगा कि काले धन की जांच करने के लिए विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) का गठन करना, संभवत: इस सरकार का पहला निर्णय था। स्विट्जरलैण्ड के अधिकारियों ने कहा है कि वे अवैध खाताधारकों के नामों का खुलासा करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि वह इसका ब्यौरा प्राप्त करने के लिए स्विटजरलैंड सरकार को पत्र लिखेंगे। एक महीना पहले ही बीत चुका है। संप्रग सरकार ने जर्मनी और अन्य सरकारों के अपने यहां अवैध खातों की सूची प्रदान करने की पेशकश की अनदेखी की थी। आप इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या काले धन को उजागर करना आपकी प्राथमिकता सूची में नहीं है? इस सरकार ने कहा था कि यह 'काला धन' वापस लायेगी। जिस संख्या का दावा किया गया था वह बहुत ज्यादा थी। भारतीय करदाताओं के नाम का पता लगाना और उन्हें अदालत में लाने के प्रयास को जारी रखने का अच्छा कारण है। परन्तु, क्या यह कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है? यह एक सतत प्रशासनिक कठिनाई नहीं है। काले धन को रोकने के लिए सरकार को जो सबसे बड़ा कदम उठाना चाहिए वह यह है कि, भारत में काले धन को लाना और कठिन बना दे। कर अपवंचक अंत में हमेशा यही चाहते हैं कि जहां से धन प्राप्त हुआ था उसी अर्थव्यवस्था में कार्य करने के लिए धन को डाला जाय। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इसे विदेशी तिजोरी में हमेशा के लिए नहीं रखना है। पार्टीसिपेटरी नोट्स या पी-नोट्स,

जैसा कि हमेशा कहा गया है, जिसे विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीदा-बेचा जाता है, अवश्य पारदर्शी बनाना चाहिए। प्रकटीकरण मानदंड को और बाध्यकारी बनाना चाहिए। ऐसा करके, भारतीय विनियामकों द्वारा एक संदेश जायेगा कि उन्हें पता है कि अधिक विदेशी विनिमय का लेनदेन करने वाले कौन झूठ बोलते हैं और इससे काले धन को स्वतंत्रतापूर्वक श्वेत धन में बदलने की क्षमता समाप्त होगी। एक बार बिना परिणाम के काले धन को भारतीय अर्थव्यवस्था में वापस लाने का रास्ता बन्द हो जायेगा, तो देश में काले धन को प्रोत्साहन मिलना बंद हो जाएगा। यह कम आकर्षक हो जायेगा। इस ढंग से आप काले धन पर वास्तविक चोट कर पायेंगे।

महोदय, इस नई सरकार के पहले बजट से उम्मीदें पिछले वर्षों से अलग हैं। हमें बतलाया गया था कि यह सरकार संघ में शक्तिशाली राज्यों में विश्वास करती है। सरकार मानती है कि यदि राज्य शक्तिशाली होंगे तो केन्द्र भी शक्तिशाली होगा। यह संघवाद की भावना को पुनर्परिभाषित और अधिक मजबूत करेगा। राज्य सरकारों के मुखियाओं का सहयोग और विश्वास प्राप्त किया जायेगा। मुझसे पूर्व के, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के दो वक्ता, इस सदन में अपने मुख्यमंत्रियों के विचार व्यक्त कर चुके हैं। मैं पुन: दोहराता हूं कि राज्य सरकार के मुखियाओं का सहयोग और विश्वास प्राप्त होगा। इससे संस्थागत तंत्र की स्थापना होगी और केन्द्र तथा राज्यों के बीच संचार की परम्परा पुनर्जीवित होगी। यही वह विचार है जिसे इस नई सरकार ने दिया है।

विकास का एक मॉडल प्रारंभ करने के प्रयास, जिसमें राज्यों को अधिक भागीदारी प्राप्त होगी, में माननीय वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों के आवंटन को सही रूप में दो गुना कर दिया है। यह लगभग दो गुना है। पिछले वित्तीय वर्ष में, केन्द्र सरकार ने अनुदानों और ऋणों के माध्यम से राज्य सरकारों को 2.12 ट्रिलियन रुपये दिए थे, इस बार यह आंकड़ा 4 ट्रिलियन रुपये से कुछ अधिक है। इस वर्ष केन्द्रीय सहायता में 1.11 ट्रिलियन रुपए से 3.2 ट्रिलियन रुपए की भारी वृद्धि की गई है। हम इस आवंटन का स्वागत करते हैं। यह बढ़ाई गई राशि उन 3.82 ट्रिलियन रुपयों के अतिरिक्त होगी जोकि राज्यों को केन्द्रीय कर और प्रशुल्क के हिस्से के रूप में प्राप्त होगी, जोकि पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में लगभग 64,000 करोड़ रुपए अधिक है।

हम सभी प्रकार के वित्तपोषण को राज्यों के माध्यम से प्रदान किए जाने के इस सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। पहले कुछ केन्द्रीय आवंटन सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों को प्राप्त होता था, जिससे राज्य सरकार केन्द्रीय सहायता से दूर हो जाती थी। इस प्रणाली में परिवर्तन की लम्बे समय से मांग हो रही थी और यह इसी बजट में प्रभावी हो जायेगी। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने भारत के संघीय ढांचे को कम आंका था। अब, इसे ठीक किया गया है। इस तरह से यह सुधार राज्य सरकार के तंत्र को और अधिक उत्तरदायी बनायेगा और सामान्य ढांचा बहाल हो जायेगा।

यद्यपि माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किये जाने वाले दिन बाजार भ्रमित था लेकिन दिन खत्म होते-होते आम धारणा बन गई थी कि यह बजट कार्य करने में सक्षम होगा। पूर्ववर्ती प्रभाव से लगने वाले कर को समाप्त करने से निस्संदेह बाजार को गति मिली है। शंका यह है कि पुराने कानून कायम रहेंगे लेकिन कोई नया प्रावधान नैमित्तिक आधार पर लागू नहीं किया जायेगा।

14,745 करोड़ रुपए के कर को छोड़ने से कर का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं होगा। उत्पाद शुल्क प्राप्ति पिछले वर्ष के 1.7 प्रतिशत की तुलना में 15.4 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। 2013-14 में केन्द्रीय सरकार ने करदाताओं को काफी अधिक कर राजस्व लगभग 5.73 लाख करोड़ रुपए की भारी राशि विभिन्न छूटों, रियायतों और कमी करने के कारण गंवाया था। पिछले वर्ष की तुलना में यह लगभग 6,689 करोड़ रुपए अधिक है।

पिछले सात वर्ष के दौरान राजस्व हानि के आंकड़ों की तुलना दर्शाती है कि वर्ष 2006-07 में लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपये से लगभग 138 प्रतिशत अधिक हो गया था।

वित्त मंत्री ने निगमित निकायों को दिए गए 76,116 करोड़ रु. के प्रत्यक्ष कर में छूट के बारे में भी बताया है। इस बजट में अधिमानी करदाताओं को 7,000 करोड़ रुपए की अन्य कर माफी प्राप्त हुई है। लेकिन जब हम यह गणना करते हैं कि आम आदमी के हिस्से में कितना धन आएगा, तो यह जानकर आश्चर्य होगा कि वैयक्तिक

आयकर में छूट सीमा को 50,000 रुपए तक करने के कारण आप अधिकतम 5,150 रुपए बचा पाएंगे जोकि 60 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को 2.5 लाख रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपए होगा...*(व्यवधान)*

श्री निशिकान्त दुबेः निवेश।...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताबः मैं निवेश के बारे में नहीं बता रहा हूं। यह आपका विषय है और आप इससे निपटेंगे।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने 28 योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा की है जिसमें से प्रत्येक 100 करोड़ रुपए की है। शिक्षा के क्षेत्र में, पांच नये आई.आई.टी. और पांच नये आई.आई.एम. समेत कई घोषणाएं की गई हैं। ओडिशा को भी एक आई.आई.एम. मिलने जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं।

इस बजट में बीमा और रक्षा क्षेत्र में एफ.डी.आई. सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं।

महोदय, देश और सरकार के समक्ष तीन चुनौतियां हैं, और हम आशा करते हैं कि वित्त मंत्री उन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करेंगे - खासकर उन तीन चुनौतियों का और वे चुनौतियां भोजन, अवसंरचना और रोजगार हैं। जिस देश की खाद्य कीमतें अधिक होती हैं वो देश तरक्की नहीं कर सकता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में पिछले आठ वर्षों से खाद्य मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत से अधिक है। क्या इस सरकार ने उन खाद्यों का उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ किया है जिनकी मांग बनी रहती है? चुनौती यही है। मुझे नहीं मालूम कि हम कृषि संबंधी अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। 2012 से प्रोटीन एजेण्डा अस्तित्व में है। इस मिशन का गठन किया गया था। मिशन मोड के रूप में दालों का उत्पादन बढ़ाया जाना था। क्या कोई समीक्षा की गई है? आज, चारा और अधिक महंगा हो गया है। क्या चारे की कीमतों को स्थिर रखने के लिए कुछ किया जा रहा है?

अवसंरचना के संबंध में, वास्तव में, कुछ अच्छे कदम विचाराधीन हैं और मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन नौकरियों के बारे में क्या हो रहा है? कौशल के बारे में बात हो रही है। इसके लिए विशेष रूप से एक विभाग बनाया गया है परंतु यही अन्तिम नहीं होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न यह है कि रोजगार कौन देता है? क्या देश में ऐसा अनुकूल वातावरण है जिसमें सभी कुशल मानव शक्ति को समाहित करने के लिए अधिक रोजगार का सृजन किया जाए।

जो लोग रोजगार प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए एक सुरक्षा कवच होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापतिः कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताबः महोदय, राजस्थान सरकार ने कुछ विशेष प्रयास किये हैं। रोजगारों का संरक्षण यहां पहले से ही मौजूद है और ऐसा देश भर में किए जाने की आवश्यकता है, और नये रोजगारों का समाधान नये प्रावधानों द्वारा किया जाए। चीन ने पिछले 25 वर्षों में इसी तरह से प्रगति की है। एक बहुत मूलभूत मुद्दा बजट द्वारा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है जिसमें बाजार एक मात्र समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए सरकारी हस्तक्षेप और लघु तथा मध्यम उद्यमों के सहयोग की आवश्यकता है।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट का आंकलन राजकोषीय स्थिति के प्रबंधन में इसकी सक्षमता के साथ-साथ अच्छे दिन के राजनीतिक वायदे द्वारा किया जाएगा। विभिन्न राज्यों द्वारा वास्तव में मांगें प्रस्तुत की जाएंगी। मैंने अपने राज्य की कोई मांग नहीं रखी है। शायद हमारी मांग अभी तक लंबित है, जिसे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात के समय रखा था; और वित्त मंत्री तथा अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। हम बहुत ही समर्थनकारी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

महोदय, इस बजट में वस्त्र संबंधी क्षेत्रों की घोषणा की गई है। ओडिशा के वस्त्र क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध हैं। वस्त्रों हेतु एक क्षेत्र की ओडिशा में आवश्यकता है। 2000 सालों से, यह ओडिशा का वस्त्र क्षेत्र ही है जिसने विश्वभर में कलिंग को प्रसिद्ध किया है। इस मांग के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट की सक्षमता इसके राजनीतिक दृष्टिकोण को परिणाम में बदलने में है जो इस सरकार की सफलता को परिभाषित करेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री कोडिकुन्नील सुरेश** (मावेलीक्करा): मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री ने सभा में अपना बजट पेश करने के दौरान कम से कम एक बार केरल को याद किया है जबकि, रेल बजट पेश करने के दौरान माननीय रेल मंत्री को ध्यान ही नहीं आया कि केरल नाम का कोई राज्य है।

मैं इस अवसर का उपयोग माननीय वित्त मंत्री को बधाई देने के लिए करूंगा जिन्होंने बजट को, दि हिन्दू समाचार पत्र के अनुसार, "परिवर्तन की अपेक्षा अधिक निरंतरता" के रूप में प्रस्तुत किया है। विपक्ष में रहने के दौरान आपने हमेशा संप्रग सरकार और इसकी राजकोषीय नीति की आलोचना की है, जबकि सत्ता प्राप्ति के बाद आपको लगा कि संप्रग की वित्तीय नीति सही है। यही कारण है कि आपका बजट संप्रग के बजट की ही निरन्तरता है। हमें पता है कि संप्रग की वित्तीय नीति सही थी, और यह हमेशा समाज के गरीबों और दबे-कुचले लोगों पर केन्द्रित थी और वह भी सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में थी। परन्तु जब माननीय वित्त मंत्री ने अपना बजट 2014-15 पेश किया, वे गरीबों को भूल गए और अपने सभी उद्योगपति और व्यापारी मित्रों को याद किया। ऐसा मुख्य क्षेत्रों जैसे रक्षा प्रचार माध्यम; बीमा इत्यादि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की घोषणा में अति उत्साह में देखा गया। बजट ने सिद्ध कर दिया है कि चुनाव के दौरान राजग की गरीबोनुकूल और युवानुकूल घोषणाएं केवल झूठे वायदे हैं और सत्ता में आने के बाद लागू करने के लिए नहीं हैं।

जबकि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, सरकार ने देश में युवाओं के लिए एक नए मंत्रालय "कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले और खेल मंत्रालय" की बहुत धूम-धाम से घोषणा की। बजट में वह मंत्रालय कहां है? बजट में निधि आबंटन के बिना किसी उल्लेख के मंत्रालय सरकार में क्या करने जा रही है? केवल पूर्ववर्ती युवा मामले और खेल मंत्रालय ही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता कहां चला गया? यदि इसका उत्तर यह है कि धन दूसरे विभागों के पास है, तो मंत्रालय का नाम रखकर देश के युवाओं को क्यों धोखा दिया जा रहा है? युवा मामले और खेल मंत्रालय की योजनाएं भी वही हैं जो संप्रग के समय में थीं। एक नया प्रवेशक युवा नेता कार्यक्रम है। नए योजना को सम्मिलित करने के बाद भी, आबंटन, सरकार के कुल योजना परिव्यय का केवल 0.28% है। यदि आप गैर योजना को भी लेते हैं, तो यह युवा मामले और खेल के लिए केवल 0.098% है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को काफी उम्मीदें दी हैं और उन्हें सपने भी संजोये रखने के लिए सिखाया है और अंत में, युवाओं का सपना ही केवल बचता है और सरकार के कार्य से कोई समर्थन नहीं मिलता है। अपने चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कौशल विकास, नियोजनीयता इत्यादि के बारे में बात की थी। परन्तु, उसके लिए बजट और योजनाएं कहां हैं? जो कुछ भी हो, वह संप्रग सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अधिक रोजगार उत्पन्न होगा, परन्तु ऐसा नहीं होगा। यदि हम व्यापारिक समाचार पत्रों के समाचारों पर विश्वास करें, व्यापारिक प्रमुखों द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपने कार्यबल को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिक प्रौद्योगिकी के साथ आयेगा और इसीलिए वास्तव में रोजगार में कोई वृद्धि नहीं होगी। केवल एम.एस.एम.ई. से अधिक रोजगार उत्पन्न होगा और लोगों की क्षमता बढ़ाने में उस क्षेत्र के लिए बढ़ा हुआ परिव्यय कहां है?

सरकार ने आयकर में बड़े सुधार का वायदा किया है और मध्यम वर्ग के मत को प्राप्त किया है। परन्तु, वास्तव में, उन्हें क्या दिया गया है? 50,000 रुपये का एक छोटा सा निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 49% तक वृद्धि की गयी है, परन्तु सरकार द्वारा नियंत्रण जिसका अर्थ है कि लाइसेंस राज विद्यमान है। कृषि में सुधार हेतु कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है और किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कोई व्यापक घोषणा नहीं है।

मेरे सहयोगियों ने बजट में कई मुद्दों का उल्लेख किया है जिसको दुहराने का साहस मैं नहीं करूंगा। क्या मैं राष्ट्रीय बजट में केरल के लोगों की घबड़ाहट और निराशा का उल्लेख कर सकता हूं? केरल के लिए एक मात्र घोषणा केरल में एक नए आई.आई.टी. की स्थापना करने की है। उस घोषणा के अलावा केरल के वर्तमान संस्थानों और योजनाओं जैसे-एफ.ए.सी.टी., कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉयर बोर्ड, रबड़ बोर्ड, मसाला बोर्ड, एम.पी.ई.डी.ए. और काजू निर्यात परिषद को बजटीय आबंटन की घोषणाएं हैं।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

रा.ज.ग. सरकार ने केरल के लोगों की आशाओं पर पानी फेर दिया है। हमने कभी भी केन्द्र सरकार द्वारा इतना अधिक हाशिये पर लाना महसूस नहीं किया। हम भी भारत के ही अंग हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए कि हम विदेशी नहीं हैं।

दशकों से, केरल काजू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक काजू बोर्ड की स्थापना की मांग कर रहा है। केरल में कोल्लम भारत में काजू उद्योग का केन्द्र है। भारत की काजू फैक्ट्रियों में से आधे से अधिक कोल्लम और पड़ोसी जिलों में स्थित हैं। मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि काजू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काजू बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा करें, जिसका मुख्यालय केरल के कोल्लम में हो।

बजट ने पांच पर्यटक क्षेत्रों की घोषणा में केरल को दरकिनार कर दिया है। केरल भारत में पर्यटन में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला प्रमुख राज्य है। केरल को बिना सम्मिलित किए, यह सरकार कौन सा पर्यटन का विकास करने जा रही है? केरल का बैकवाटर, साबरी माला और गुरुवपुर के मंदिर, मन्नार और केरल के वन्य जीव अभयारण्य विश्व के पर्यटक मानचित्र पर सबसे अधिक इच्छित पर्यटन स्थल हैं, हो सकता है कि यह वर्तमान केन्द्र सरकार के लिए न हो। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पर्यटन में केरल के महत्त्व पर विचार करें और साबरीमाला तथा गुरुवपुर के मंदिरों के साथ पर्यटक क्षेत्र में अल्लाप्पुसा और कुट्टानाद के बैकवाटर को सम्मिलित करें।

समय के अभाव के कारण मैं कुट्टानाद क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दु:खद दुर्दशा की स्थिति की व्याख्या नहीं करूंगा, जिसे आपने भी संसदीय समिति के सभापति के रूप में अपने दौरे के दौरान देखा होगा। संप्रग सरकार ने 2008 में कुट्टानाद पैकेज की घोषणा की थी और 2010 में जाकर उसे कार्यान्वित करना प्रारंभ किया। आरंभिक परियोजना लागत 1860 करोड़ रुपये था, और उसमें से लगभग 1000 करोड़ रुपये कृषि और संबंधित योजनाओं के लिए रख लिया गया। सिंचाई कार्यक्रमों के तहत निर्माण क्रियाकलापों जैसे पदशेखरम के बाहरी बांध, थन्नेमुक्कोम बांध और थोट्टापल्ली उत्प्लव मार्ग की मरम्मत और आधुनिकीकरण, ए.सी. नहर का रखरखाव, ओनाट्टुकरा क्षेत्र के सिंचाई कार्यकलाप बजटीय समर्थन के अभाव के कारण आरंभ नहीं हुई। निर्माण सामग्रियों के दाम बढ़ गए हैं और इसीलिए, विद्यमान बजट से कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। इसीलिए, मेरा निवेदन है कि कुट्टनाद पैकेज के तहत निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजटीय सहायता आवंटित की जाये।

कुट्टानाद समुद्र स्तर से नीचे है और इस क्षेत्र के लोग जलमग्न क्षेत्रों में रहते हैं। वे छोटे द्वीप जैसे स्थानों पर रहते हैं और इसीलिए यात्रा के लिए हमेशा छोटी देशी नावों का सहारा लेते हैं। बरसात के मौसम में उनका जीवन अधिक खतरनाक हो जाता है। सड़कों और पुलों, नाव के लिए घाटों और बेहतर नौका सेवा की अनुपलब्धता के कारण बूढ़े लोगों, बच्चों, महिलाओं और बीमार लोगों को यात्रा करने में विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुट्टानाद के लोगों ने बार-बार केन्द्र और राज्य सरकारों से अनुरोध किया और उन्हें कुट्टानाद पैकेज मिला। परन्तु घोषित पैकेज में दीर्घकालीन आधार पर कुट्टानाद के अवसंरचना विकास पर विचार नहीं किया गया है। इसीलिए, मेरा अनुरोध है कि सड़क, पुलों और नाव घाटों के निर्माण जैसे क्षेत्र के अवसंरचना विकास हेतु कुट्टानाद को 500 करोड़ रुपये आबंटित किए जाएं।

धान की खेती और अन्त:देशीय मछली पालन, कुट्टानाद के लोगों का मुख्य सहारा है। सरकार ने कृषकों से धान खरीदने के लिए एक योजना शुरू की है। परन्तु, दुर्भाग्य से, देर से धन जारी होने के कारण किसानों को अपने उत्पादों का समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। कभी-कभी किसानों को छह से नौ महीने की देरी से पैसा दिया जाता है। गरीब किसान साहूकारों पर निर्भर हो जाते हैं और कृषि के बाद कर्ज में डूब जाते हैं। किसानों की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार प्रत्येक मौसम के दौरान केन्द्रीय हिस्से की खरीद मूल्य को पहले ही जारी करे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को धान खरीदने के लिए एक परिक्रामी कोष की स्थापना करने का निदेश दिया जाना चाहिए, ताकि किसानों को धान का मूल्य खरीदते समय ही दिया जा सके। धान का खरीद मूल्य 19 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 20 रुपये किया जाये। माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के उत्तर में आवश्यक घोषणाएं किया जाए।

सरकार ने गंगा नदी के पुनरुद्धार और सफाई के लिए एक वृहद योजना की घोषणा की है। गंगा का पुनरुद्धार

और नदी विकास विभाग सरकार की एक अति सराहनीय पहल है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु, कृपया आप इस बात पर ध्यान दें कि कई और अन्य नदियां भी हैं जो विरासत और संस्कृति तथा पूजा स्थलों से जुड़ी हैं और जिनके पुनरुद्धार और सफाई की आवश्यकता है। केरल की पंपा नदी साबरीमाला मंदिर से जुड़ी है, जहां प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं। पंपा नदी को नदी विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाए और पंपा कार्य योजना को लागू किया जाए। बजट में आवश्यक घोषणा की जाए।

शैक्षिक ऋणों से लाखों गरीब छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। लाखों नवयुवक ऋण लेकर अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं, परन्तु अपने जमीन और मकानों को गिरवी रखने के कगार पर होने के कारण अपने ऋण को चुकाने में बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं और वे आत्महत्या करने के कगार पर हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सहायता करे। मेरा निवेदन है कि सरकार छात्रों को रोजगार प्राप्त करने तक शैक्षिक ऋणों पर ब्याज को माफ करे और कृषि ऋणों के समान शिक्षा ऋणों पर ब्याज की दर को कम करे।

माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 16 पत्तनों को विकसित किया जायेगा। यह एक बहुत बड़ी पहल है और इसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं। परन्तु इसमें केरल कहां है? यहां एक बहुत लम्बा तटीय क्षेत्र है जिसका विस्तार पूवर से कसारगोड तक है। विझिंजम विमानपत्तन केरल के लोगों का सपना है। एक बार जब इसका निर्माण हो जायेगा, तब यह विश्व के मुख्य पत्तनों में से एक होगा और भारत में भारी मात्रा में विदेशी निवेश आकर्षित करेगा। एक प्राकृतिक पत्तन के रूप में, यह बहुत सस्ता है और आधार पोत पत्तन तक आ सकते हैं जिससे हमें विदेशी मुद्रा के रूप में भारी लाभ अर्जित करने में मदद मिलेगी। अब, केरल सरकार परियोजना को शुरू करने की योजना के साथ तैयार है और कई स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। परन्तु, हमें यह बताते हुए बहुत दु:ख है कि बजट घोषणा में विझिंजम पत्तन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मेरा निवेदन है कि विजिंझम पत्तन को बजट में शामिल किया जाए और केरल को ओणम उपहार के रूप में इसकी घोषणा की जाए।

एम्स केरल का अन्य सपना है। जब श्री नरेन्द्र मोदी जी ने केरल में चुनाव अभियान किया था तो विशेष तौर पर तिरुवनंतपुरम के दौरे के दौरान एम्स पर लोगों की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। परन्तु, जब उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया तो केरल को किनारे कर दिया। केरल के लोग आपके वादे पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, महोदय? कृपया अपना वादा निभाइये और अपने एम्स स्थापित करने की योजना में केरल को भी शामिल करें।

सरकार द्वारा 100 स्मार्ट सिटी के विकास की घोषणा स्वागतयोग्य कदम है। मेरे पास एक निवेदन है जिस पर सरकार को विचार करना है। लोक सभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और क्षेत्र के पिछड़ेपन के आधार पर है। मैं भी देश के अनुसूचित जाति की जनसंख्या हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से हूं। इसलिए, जब 100 स्मार्ट शहरों की स्थापना करनी है तो कृपया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के मापदण्ड पर विचार करें और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से भी एक नगर क्षेत्र को शामिल करें। कृपया इस मामले में मुझे एक लालची या कथित पक्षपाती समझें। परन्तु, मुझे उन लोगों के लिए कार्य करना है जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं।

संप्रग सरकार ने सवर्ण वर्गों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक आयोग स्थापित किया है और वह प्रतिवेदन अब सरकार के पास है। सिंगु आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जाए और सवर्ण वर्गों के विकास के लिए एक निगम की घोषणा बजट में की जाए।

बजट में अनुसूचित जाति योजना के लिए 50,548 करोड़ रुपये और टी.एस.पी. के लिए 32,387 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गयी है जो बजट में निर्धारित कुल योजना राशि का क्रमश: 8.79% और 5.63% है। देश में एस.सी./एस.टी. की कुल जनसंख्या को देखते हुए यह आवंटन बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि संसाधनों के वितरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुसार आवंटन किया जाए। एस.सी. योजना और टी.एस.पी. के तहत निर्धारित निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और कदम उठाने चाहिए जिसके लिए एक अधिनियम बनाया जाए ताकि जो लोग एस.सी./एस.टी. निधियों का दुरूपयोग करें उन्हें दण्ड दिया जा सके।

होम्योपैथी, भारत में, विशेषत: केरल में, सबसे पसंदीदा चिकित्सा प्रणाली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 'आयुष' विभाग की पहल का धन्यवाद। केरल में, चंगानसरी के कुरिची में आयुष के तहत एक होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्र है, जो होम्योपैथी अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मेरा निवेदन है कि होम्योपैथी में शिक्षा और शोध की शुरुआत करने के लिए होम्योपैथी के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान के स्तर के इस शोध केन्द्र का उन्नयन किया जाए। इसे बजट में समाविष्ट किया जाए।

जैसा कि मैंने पहले विस्तृत रूप में बताया था, कोल्लम और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गोवा और महाराष्ट्र के कई जिलों के कर्मकारों की जीविका में से काजू क्षेत्र एक मुख्य आधार है। लाखों श्रमिक काजू उद्योग में संलग्न हैं। चूंकि सभी इकाइयां पंजीकृत नहीं हैं अत: इस उद्योग के श्रमिकों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। संगठित काजू क्षेत्र के उन कर्मकारों को ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. योजना का लाभ मिलता है। केरल राज्य ने काजू श्रमिक कल्याण बोर्ड की शुरुआत की है। जबकि, अन्य राज्यों के काजू श्रमिक और असंगठित काजू क्षेत्र तथा अपंजीकृत कंपनियों के उन श्रमिकों को अपने कल्याण हेतु कोई योजना नहीं है। उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक काजू कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभा के समक्ष प्रस्तुत सुझावों पर विचार करें।

***श्री एम. उदयकुमार** (डिण्डीगुल): मैं तमिलनाडु राज्य के डिण्डीगुल निर्वाचन क्षेत्र से अपनी परम आदरणीया तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डॉ. पुरच्ची थलैवी अम्मा जी (जे. जयललिता) के आशीर्वाद से निर्वाचित हुआ हूं, जिन्होंने अपना जीवन केवल तमिल लोगों के विकास के लिए समर्पित कर दिया है, जो कि उनके नारे "मक्कालुकहा नान, मक्कालाल नान" अर्थात् "मैं लोगों के लिए हूं और मैं लोगों के द्वारा हूं।" उनका दर्शन है–"शांति, विकास और उन्नति।" भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारी परम आदरणीया तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डॉ. पुरच्ची थलैवी अम्मा जी (जे. जयललिता) का यह कहते हुए अनुसरण करते हैं "सबका साथ, सबका विकास।"

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम समय था जब माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई को इस सम्मानित सभा में वर्ष 2014-15 का बजट पेश किया था।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से बतलाया था कि "वे आम जनता पर बोझ नहीं डालना चाहते।" दूसरी ओर उन्होंने कहा कि यह एक विजन वक्तव्य है जो अवसंरचना, विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास की पुनर्स्थापना पर केन्द्रित है।

यह एक दिशात्मक बजट है। उन्होंने शिक्षा और लड़कियों की नीतियों पर बल दिया जो काफी समय पूर्व हमारी परम आदरणीया तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डॉ. पुरच्ची थलैवी अम्मा जी (जे. जयललिता) द्वारा प्रारंभ किया गया था - "दोट्टिन कुजादै दित्तम, महलिर पदुकप्पु दित्तम" इत्यादि (क्रेडल चाइल्ड स्कीम, महिला सुरक्षा)।

केन्द्र सरकार को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और हमें धन से सहायता करनी चाहिए :

1. पलानी और कोडाईकनाल के बीच रोप कार की शुरुआत करना स्वागत योग्य है।

2. कोयम्बटूर से डिण्डीगुल तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को नादम, कोट्टमपट्टी, सिंगमपुनरि, तिरूपत्तुर, कराईकुडी होते हुए ई.सी.आर. तक बढ़ाया जा सकता है।

3. डिण्डीगुल, एक घनी आबादी वाला शहर होने के कारण स्मार्ट शहर बनाने के लिए एक आदर्श स्थान है। कृपया, इस पर ध्यान दिया जाए।

4. एक औद्योगिक शहर होने के कारण, डिण्डीगुल में एक विमानपत्तन होना चाहिए।

5. पहाड़ियों की रानी होने के कारण, कोडाइकन्नाल में पर्यटन केन्द्र के विकास के साथ एक हेलीपैड होना चाहिए।

6. भगवान मुरुगा (कार्तिक/सुब्रमणियन) का मंदिर स्थित होने के कारण, पलानी में एक विशेष पर्यटन केन्द्र बनाया जाना चाहिए।

7. पिछले 2 वर्षों से हमारे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में वर्षा नहीं हुई है, जिससे केन्द्र और निजी क्षेत्र इन क्षेत्रों की सहायता करने के लिए कुछ उद्योग खोलें।

माननीय वित्त मंत्री ने विभिन्न वस्तुओं के लिए सीमा शुल्कों के साथ संशोधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की घोषणा की है। तम्बाकू और अल्कोहल पर कर में वृद्धि कर दी गई है क्योंकि वे हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। आवश्यक वस्तुओं और दैनन्दिन की वस्तुओं पर कर काफी कम कर दिया गया है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि माननीय वित्त मंत्री ने भारत के सभी क्षेत्रों के लोगों पर ध्यान दिया है और सभी को प्रसन्न, स्वस्थ और प्रगतिशील रखने के लिए एक पूर्ण बजट तैयार किया है।

अंत में, अपनी अध्यक्षा तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरच्ची थलैवी अम्मा जी (जे. जयललिता) का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इस स्थिति में लाया।

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव (शिरूर): आदरणीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केन्द्रीय बजट पर अपनी पार्टी शिव सेना और पार्टी के नेता, श्री उद्धवजी ठाकरे की ओर से मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए यह अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

इस सरकार को दी गई भारी बहुमत निश्चित रूप से उच्च मुद्रास्फीति, खाद्य सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि, और भारत के विकास को पुनर्जीवन प्रदान करने के पृष्ठभूमि में है। वर्षों का निस्तेज विकास, छूटे अवसरों और क्षमता के अपूर्ण दोहन के बाद अंत में, भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके लोगों को वह रूपरेखा प्राप्त हुई है जिससे इस देश का सही रूप से बदलाव हो सकता है।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी उम्मीद करना बुद्धिमानी नहीं होगी कि पहले बजट में ही हर चीज की जा सकती है या अवश्य की जानी चाहिए क्योंकि इस सरकार को केवल 45 दिन हुए हैं, और उन्होंने निर्भीक रूप से, चालू वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को 4.1 प्रतिशत तक लाने की चुनौती को स्वीकार किया है।

इस बजट में जिन उपायों की घोषणा की गई है, वह अगले तीन से चार वर्षों के भीतर सात से आठ प्रतिशत या ऊपर के सतत विकास की ओर यात्रा की केवल शुरुआत है।

आज, भारत के लोग बेरोजगारी, अपर्याप्त मूलभूत सुविधाएं, अवसंरचना के अभाव और दयनीय शासन सहने के मन:स्थिति में नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि यह बजट कृषि, विनिर्माण, रक्षा, रोजगार निर्माण, बीमा और आवास जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में विश्वास करता है।

माननीय वित्त मंत्री ने लगभग सामाजिक क्षेत्रों की सभी चुनौतियों जैसे–अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, विकलांगों का सशक्तीकरण, नेत्रहीनों को प्रोत्साहन देना, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, सभी के लिए शिक्षा और कुपोषण की समस्या इत्यादि को कवर किया है।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र में सुझाये गये सुधारों जैसे–कृषि विश्वविद्याल, कृषि ऋण, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष, गोदामों में सुधार और भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन के प्रस्ताव सराहनीय हैं। हम इनके शीघ्र कार्यान्वयन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं।

सरकार द्वारा फाइलों की त्वरित स्वीकृति, 24×7 ई-व्यापार प्लेटफार्म, निवेश और स्वीकृति से संबंधित सूचना के लिए प्रस्तावित एकल-खिड़की अवधारणा प्रशंसनीय है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा लघु और मध्यम उद्यम पर विशेष बल देने से निश्चित रूप से विकास बढ़ेगा।

सार्वजनिक-निजी-सहभागिता बाजार में भारत की सफलता की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है। हमने विमानपत्तन देखे हैं; हमने बन्दरगाह और राजमार्ग देखे हैं जो इस योजना के अंतर्गत विगत काल में सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं। अब, नौ नए विमानपत्तन और 16 बन्दरगाह, जिनकी इस बजट में घोषणा की गई थी, चरणबद्ध तरीके से

संचालित किए जायेंगे। औद्योगिक गलियारों की आपूर्ति शृंखला को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे का निर्माण तत्काल शुरू किया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए। खनन क्षेत्र में रायल्टी दरों में संशोधन की आवश्यकता है और वर्तमान गतिरोध को दूर करने का उपाय तुरंत ढूंढा जाना चाहिए।

हालांकि, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान कुछ सुझावों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उनमें से विशेष आर्थिक क्षेत्र का पुनरुद्धार सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। पिछली सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की औपचारिक घोषणा के बाद भी हम निवेश आकर्षित करने में असफल रहे। विशेष रूप से, वर्ष 2005 में न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश वितरण कर लागू करने के बाद, कोई भी बड़ा निवेश नहीं हुआ है। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। हम विशेष आर्थिक क्षेत्र के अस्तित्व के अपने उद्देश्य को नहीं भूल सकते। "हमें अपने मालों का निर्यात करना चाहिए न कि करों का।" लगता है कि इस बात को पिछली सरकार द्वारा न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश वितरण कर की शुरुआत करते समय भुला दिया गया था। अब इस नई सरकार और विशेषत: वित्त मंत्री का उत्तरदायित्व है कि इसे उलट दिया जाए।

विगत काल में, भारत की क्रमिक सरकारों ने साफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा दिया है। इसने अच्छा परिणाम दिया है। अब, समय आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग को भी वैसा ही बढ़ावा दिया जाए क्योंकि चीन, कोरिया और थाईलैण्ड जैसे अधिकांश राष्ट्रों ने इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग के आधार पर ही प्रगति की है और उनकी अर्थव्यवस्था इसी विशेष उद्योग, जिसमें वे दक्ष हैं, के कारण विकसित हुई है। हमें अपने प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की परिकल्पना को आगे बढ़ाना है जिन्होंने भारत में अच्छी और सस्ती गुणवत्ता वाले मोबाइल हैंडसेट के निर्माण के बारे में उल्लेख किया है। चीन से प्रतिस्पर्द्धा करने की हमारी परिकल्पना तब तक कार्यान्वित नहीं हो सकती, जब तक इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क में आवश्यक छूट और अन्य सांविधिक लाभ नहीं दिए जाते। मेरा सुझाव है कि इस उद्योग को लाभ प्रदान करने और इस क्षेत्र में विकास को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए एक नीति के कार्यान्वयन की संभावनाओं पर चर्चा की जाये।

अन्य महत्त्वपूर्ण सुझाव, जो मैं यहां देना चाहता हूं यह है कि माननीय वित्त मंत्री को शहरी नवीकरणीय मिशन, जो वर्तमान में केवल शहरों के लिए ही लागू है, के लाभ के विस्तार पर भी विचार करना चाहिए। इसी प्रकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को ग्रामीण भारत के विकसित हो रहे महत्त्वपूर्ण हिस्सों को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, लगभग 15,000 से 25,000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को अपनी सफाई, जल निकास, अपशिष्ट जल प्रबंधन में सुधार करने और आंतरिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण करने की आवश्यकता है। वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इन मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए गांवों और ग्राम पंचायतों की सहायता करने वाली कोई योजना नहीं है। अब, निधियों के अभाव के कारण अधिकतर ग्राम पंचायतें इन क्रियाकलापों को स्वयं करने में सक्षम नहीं हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस वर्ष के बजट में आवंटित निधि 14,000 करोड़ रुपये और इसके आस-पास है। यह बिल्कुल अपर्याप्त है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इस योजना के तहत पूरे भारत में बनाये जाने वाले सड़कों की संख्या उम्मीद से काफी अधिक है।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है, जिससे अधिकांश किसान समुदाय अप्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे इन दोनों वस्तुओं के दाम गिर जायेंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि इन दो वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करके किसानों के हित की सुरक्षा की जाए।

अंतिम बात, जो मैं यहां कहना चाहता हूं, वह है कि प्रत्येक संसद सदस्य के पास उपलब्ध एम.पी.एल.ए.डी. निधि 5 करोड़ रुपये है। पिछले पांच वर्षों से यह उतना ही है। स्थानीय क्षेत्र विकास क्रियाकलापों हेतु अधिक वित्त की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, अधिकतर मामलों में निर्वाचन क्षेत्र का आकार और निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है। उदाहरणस्वरूप, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, 1200 से अधिक गांव, नगर निगम के दो ब्लाक 26 लाख की जनसंख्या के साथ 6000 किमी से अधिक क्षेत्र में फैला

हुआ है। इस मामूली धनराशि से अर्थपूर्ण विकास कार्यकलाप नहीं किए जा सकते। इसलिए, मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इस धनराशि को न्यूनतम 10 से 12 करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर विचार करें। सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उपर्युक्त सुझावों पर विचार करें और सामान्य बजट में उसे शामिल करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनाकापल्ली): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली जी द्वारा पेश किए गए केन्द्रीय बजट 2014-15 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, लम्बे समय के बाद, देश को पूर्ण बहुमत के साथ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी जी मिले हैं। अभी हाल तक, यहां गठबंधन की सरकार थी जो दब्बू और कमजोर थी। मोदी जी एक सक्रिय और सक्षम जन-नेता हैं। मुझे विश्वास है कि उनके योग्य नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति बनेगा। मैं इस अवसर का उपयोग तेलुगू देशम पार्टी के संस्थापक, स्वर्गीय एन.टी. रामा राव जी, के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए करता हूं। वे तेलुगू लोगों के गौरव थे। उन्होंने तेलुगू लोगों में आत्मसम्मान की भावना का समर्थन किया था। वे महापुरुष थे। उनसे प्रेरणा लेकर, हम आंध्र प्रदेश राज्य के साथ-साथ तेलंगाना राज्य में आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे।

आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात, आंध्र प्रदेश के लोगों ने मेरे नेता श्री नारा चन्द्रबाबू नायडू में अपना विश्वास व्यक्त किया है और उन्हें राज्य में शासन करने के लिए जनादेश दिया है। लोगों ने उन्हें राज्य के आर्थिक विकास के बारे में उनकी दूरदर्शिता के लिए चुना है। वे एक योग्य प्रशासक और एक सक्षम मुख्यमंत्री हैं। विभाजन के पश्चात, राज्य को शुरू से बनाना है। लोगों ने अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए श्री चन्द्रबाबू नायडू को सत्ता प्रदान की है। उनके योग्य नेतृत्व में, नया आंध्र प्रदेश राज्य पुनः नयी ऊंचाइयों तक जायेगा। मैं उनके नेतृत्व में सेवा करने को सौभाग्य मानता हूं।

आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात, आंध्र और तेलंगाना दोनों राज्य गंभीर रूप से बिजली की कमी, बेरोजगारी, पानी की समस्या और अवसंरचना के अभाव का सामना कर रहे हैं। पांच वर्षों की अवधि के दौरान, मुझे विश्वास है कि, श्री मोदी जी दोनों राज्यों की सहायता करेंगे। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भाजपा ने भी बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से तीन राज्य बनाए हैं। यह निर्बाध रूप से सम्पन्न हुआ था। परन्तु, जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था, तब कई आंदोलन हुए थे और लोगों में भ्रम उत्पन्न हुआ था जिसे हम भूल नहीं सकते। विभाजन के मामले में आंध्र प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय किया है। यही कारण है कि उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 173 निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी जमानत जब्त हो गई। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। यह सब आंध्र प्रदेश के लोगों के रोष को दर्शाता है। अतः, श्रीमती सोनिया जी द्वारा लिए गए निर्णय के लिए धन्यवाद।

अब, मैं आंध्र प्रदेश राज्य में एम्स की स्थापना करने के सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं। वहां एक आई.आई.टी. की भी स्थापना की जानी है। परन्तु, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार राज्य में किसी आई.आई.एम. की स्थापना करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं वित्त मंत्री जी से वाद-विवाद का उत्तर देते समय विशाखापटनम जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र अनाकापल्ली में एक आई.आई.एम. की भी स्थापना की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक विकासोन्मुखी बजट है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ अवसंरचना, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और पत्तनों के विकास पर बल दिया गया है। कर-दाताओं को कुछ रियायतें देने के साथ-साथ स्मार्ट सिटीज के लिए 7060 करोड़ रुपये का आवंटन करना देश के विकास हेतु एक उचित निर्णय है।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं वित्त मंत्री जी से येलमनचिली, अनाकापल्ली अथवा नरसीपटनम जैसे टू-टियर अथवा थ्री-टियर शहरों का चयन करने का अनुरोध करता हूं।

मैं, मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये

प्रदान करने के लिए भी वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जो कि संप्रग सरकार द्वारा किए गए आवंटन से अधिक है। संप्रग सरकार के दस वर्षों के शासन के दौरान अर्थव्यवस्था ठप हो गई, रुपये की कीमत काफी गिर गई, सरकारी ऋण बढ़कर तीन गुना हो गया तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई जिससे आम आदमी का जीवन दयनीय हो गया।

अपराह्न 4.01 बजे

(श्री कोनाकल्ला नारायण राव *पीठासीन हुए*)

मुझे यह जानकर कुछ निराशा हुई है कि आंध्र प्रदेश राज्य के बजट घाटे को पूरा करने के लिए केवल 1,140 करोड़ रुपये के नाममात्र के अनुदान का उल्लेख किया गया है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू चाहते थे कि केंद्र विशेष अनुदान देकर राजस्व घाटे के अंतर को पूरा करें। मैं वित्त मंत्री जी से इस समस्या का सही मायने में समाधान करने का अनुरोध करता हूं। चूंकि राज्य का विभाजन भारत सरकार द्वारा किया गया है अतः, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों के साथ एक समान न्याय करने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ सहयोग करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है।

मैं, कृष्णापटनम इंडस्ट्रियल स्टार सिटी के लिए निधियां स्वीकृत करने हेतु वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। मैं विशाखापटनम और चेन्नई के बीच एक औद्योगिक गलियारे की व्यवस्था करने हेतु भी वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इसका विस्तार श्रीकाकुलम तक करें क्योंकि विजयनगरम और श्रीकाकुलम बहुत पिछड़े जिले हैं। मैं काकीनाडा पत्तन के विकास हेतु निधियां प्रदान करने के लिए भी वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। मैं, हिन्दुपुर में एक राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अकादमी की स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री जी का आभारी हूं।

कर स्लैब में वृद्धि करके लोगों को करों में कुछ लाभ प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जी राजकोषीय घाटे की समस्या का निवारण करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक बड़ी धनराशि है परन्तु, इसका एक बड़ा भाग ब्याज लागत और राजसहायता है। अभी राजसहायता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रश्न यह है कि हम राजसहायता में किस प्रकार कमी ला सकते हैं और ये कितनी अनुत्पादक हैं। वित्त मंत्री जी ने यह वादा किया है कि वह खाद्य और ईंधन की राजसहायता पर अधिक ध्यान देकर इस स्थिति में सुधार करेंगे। मैं इस पहल का स्वागत करता हूं।

मैं वित्त मंत्री जी द्वारा किए गए इस वादे का स्वागत करता हूं कि वह एफ.सी.आई. और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करके खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करेंगे। मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी के अनुसार वर्ष 2014 में सूखा पड़ेगा। प्रश्न यह है कि क्या वह ऐसा कर सकेंगे। अभी तक मानसून सामान्य से 43 प्रतिशत कम है। मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कर सकेंगे।

मनरेगा से जुड़े इस मुद्दे के बारे में कि हम लोगों को बहुत कम कार्य करने के लिए पारिश्रमिक देकर रोजगार की गारंटी कैसे दे सकते हैं, इस पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहते हुए इस समस्या का निवारण किया गया है कि कृषि से जुड़ी अधिक उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करने हेतु धनराशि कम की जाएगी। मैं इसका स्वागत करता हूं।

वित्त मंत्री जी ने एकल खिड़की सीमा शुल्क स्वीकृति का भी वादा किया है जिससे आयातकों की विनियामक संबंधी बाधाएं कम होंगी। मैं, अग्रिम आदेशों और निपटान हेतु निर्दिष्ट समितियों सहित बेहतर कर निर्धारण हेतु वित्त मंत्री की पहल का भी स्वागत करता हूं।

मैं प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए 500 करोड़ रुपये व्यय करने की वित्त मंत्री की पहल का स्वागत करता हूं। पांच आई.आई.टी. और पांच आई.आई.एम. की स्थापना करने के लिए 500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। मैं अपने राज्य आंध्र प्रदेश में एक आई.आई.टी. और एक एम्स जैसा एक संस्थान को स्वीकृत करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से कम से कम पूरक बजट में, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किए गए वादे के अनुसार एक आई.आई.एम. की भी स्थापना करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मैं कर याचिका प्रक्रिया को सरल बनाने की पहल का स्वागत करता हूं जो कि एक अच्छा कदम है। यह भी

अच्छी बात है कि उन्होंने एकल विंडो स्वीकृति व्यवस्था की स्थापना करने की बात की है। 31 दिसम्बर तक एक एकल सरकारी पोर्टल की व्यवस्था करने की भी योजना है और यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप वहां सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर सकते हैं तथा आनलाइन शुल्क भी अदा कर सकते हैं।

मैं छोटी कंपनियों के लिए दिवालियापन कानून लागू करने का स्वागत करता हूं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ये कंपनियां कम समय में अपना व्यवसाय समाप्त कर सकती हैं। मैं अन्तरदेशीय और तटीय पोत-परिवहन को बढ़ावा देने हेतु एक पोत-परिवहन नीति की पहल का स्वागत करता हूं। इसका प्रयोजन व्यवसाय के दौरान आने वाली बाधाओं को कम करना है और ये सभी अच्छे कदम हैं। वित्त मंत्री इस वर्ष 43,000 करोड़ रुपये तथा 15,000 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि का विनिवेश करना चाहते हैं जिससे राजकोषीय घाटे को कम करने में सहायता मिलेगी।

विभाजन किए जाने के कारण राज्य की सभी प्रमुख आर्थिक परिसंपत्तियां इससे छिन गई हैं; विरासत में भारी देयताएं प्राप्त हुई हैं; और राज्य के पास ऋण तक चुकाने के लिए संसाधन नहीं बचे हैं। अत:, मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि 15 वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था को अतिआवश्यक राहत प्रदान करने हेतु आंध्र प्रदेश को एक विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में घोषित किया जाए।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 94 के अनुसार, केन्द्र सरकार राज्य में औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन प्रस्ताव सहित समुचित राजकोषीय उपाय करेगी। मैं वित्त मंत्री से राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए 15 वर्षों की अवधि हेतु औद्योगिक निवेश के लिए कर प्रोत्साहन और रियायत देने संबंधी आदेश जारी करने का अनुरोध करता हूं।

मैं वित्त मंत्री से इस वर्ष के बजट में विशेष विकास पैकेज के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की घोषणा करने का भी अनुरोध करता हूं। मैं वित्त मंत्री से 10,900 करोड़ रुपए की ऋण की राशि को अनुदान के रूप में परिवर्तित करने का भी अनुरोध करता हूं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने किसानों के ऋणों को माफ करने का वादा किया है। मैं वित्त मंत्री और आर.बी.आई. से इस वादे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अनुदान देकर इस मामले में हमारी मदद करने का अनुरोध करता हूं।

आज के संघीय भारत में, शेष आंध्र प्रदेश ही बिना राजधानी वाला एक मात्र राज्य है। हमें राजधानी का निर्माण करने के लिए भारी मात्रा में धनराशि की आवश्यकता है, और हम उसका निर्माण करने के लिए सरकार से उदारतापूर्वक अनुदान देने का अनुरोध करते हैं।

मैं मंत्री से एक विशेष पैकेज – 15 सालों के लिए कर से छूट – और अन्य लाभों को उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं, जिनका आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 में उल्लेख किया गया है। इस संबंध में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर जल्द कार्यवाही के लिए पहले ही आप से मिल चुके हैं।

पोलावरम परियोजना के संबंध में, आपने इस बजट में मात्र 250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह शेष आंध्र प्रदेश के लिए एक बहुउद्देशीय और बहुत ही उपयोगी परियोजना है। इसलिए, इस परियोजना को अगले पांच वर्षों में पूरा करने के लिए मैं आपसे इसका बजट 2,500 करोड़ तक बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

अंत में, मैं श्री पाटिल से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े हैं। इस लोकसभा में 374 नव-निर्वाचित सांसद हैं और वर्तमान में एम.पी.लैड निधि मात्र 5 करोड़ रुपए हैं। मैं पहली बार निर्वाचित सांसदों की ओर से... आपसे इस आावंटन को, सभी पहली बार निर्वाचित लोक सभा सदस्यों को प्रोत्साहन के संकेत के तौर पर कम से कम आपके कार्यकाल में 5 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ करने का अनुरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं आम बजट, 2014 का समर्थन करता हूं और मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूब नगर): महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम, मैं वित्त मंत्री अरुण कुमार जेटली और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को राजग सरकार का पहला बजट भाषण प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। इसमें मुख्यत:

वेतनभोगी वर्ग; कृषि और उद्योग विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने पर था। मैं, टी.आर.एस. दल की ओर से, उन्हें उनके प्रयासों में पूर्ण सफलता की शुभकामना देता हूं।

भारतीय संघ के एक नये राज्य के नाते तेलंगाना को वित्तीय और राजकोषीय उपायों के रूप में और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई तथा सामाजिक क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सहायता की बहुत आशाएं थीं। तथापि, वस्तुतः हमारे राज्य हेतु कुछ भी नहीं है। यहां तक कि जिन मुद्दों को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में सम्मिलित किया गया था उनमें से बागवानी विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी मुद्दे को बजट में शामिल नहीं किया गया है। यह समझ में नहीं आता कि मेरे राज्य तेलंगाना के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया गया है। इस बजट में सड़क एवं संरचना में सुधार करने, रेल डिब्बा कारखाने, इस्पात संयंत्र, विद्युत संयंत्र, जनजातीय विश्वविद्यालय और कर प्रोत्साहनों जैसी अनिवार्य परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है और न ही तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई विशेष पैकेज घोषित किया गया है जोकि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 85 प्रतिशत और जनसंख्या का 75 प्रतिशत है। हमने प्रधानमंत्री के समक्ष कई मुद्दे भी उठाए थे, लेकिन उनके लिए किसी केन्द्रीय सहायता का कोई उल्लेख नहीं है।

महोदय, हमने माननीय प्रधानमंत्री से तेलंगाना को 'विशेष श्रेणी' का दर्जा देने का अनुरोध किया था। राज्य के विभाजन के पश्चात, तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश को 'विशेष श्रेणी' राज्य घोषित करने के उद्देश्य से उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

तेलंगाना के आठ पिछड़े जिलों को पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान मिलना चाहिए।

प्राणाहिता-चेवेल्ला परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। इस परियोजना से तेलंगाना के सूखा-प्रभावित जिलों में 16 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि की सिंचाई होगी। इसलिए, इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 94(1) के अंतर्गत तेलंगाना के औद्योगीकरण हेतु प्रोत्साहन एक प्रतिबद्धता है। ये प्रोत्साहन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को दिए गए प्रोत्साहनों जैसे ही होना चाहिए।

आपको पता है कि तेलंगाना में बिजली की कमी है। हमने तेलंगाना में 4,000 मेगावाट क्षमता के एक विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार ने वादा किया है कि तेलंगाना में 4,000 मेगावाट क्षमता वाले बिजली संयंत्र की स्थापना एन.टी.पी.सी. द्वारा की जाएगी। कोयला आपूर्ति की व्यवस्था सहित इस परियोजना के कार्यान्वयन को शुरू किया जाए।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, "शेष आंध्र प्रदेश राज्य हेतु एक अलग उच्च न्यायालय होगा।" इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य हेतु उच्च न्यायालय बनाने के लिए तत्काल कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

हैदराबाद शहर को एक प्रमुख विकास केन्द्र और एक वैश्विक शहर के रूप में विकसित किया जाना है। इसे मलिन-बस्तियों से मुक्त बनाना है और यहां अपेक्षित शहरी अवसंरचना बनानी है। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त कर शहर हेतु एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

अब, मैं भूसी नदी के बारे में बात करूंगा। हर किसी ने गंगा नदी का जीर्णोद्धार करने के लिए आवंटित की गई राशि के बारे में बात की है। तेलंगाना में कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी और भूसी जैसी भी बहुत सी नदियां हैं। गुजरात सरकार ने साबरमती रिवरफ्रंट का सौन्दर्यीकरण किया है। इसी तरह, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा 923 करोड़ रुपये की लागत से भूसी नदी संरक्षण योजना की मंजूरी दी जाए।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत तेलंगाना में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का वादा किया गया है। तेलंगाना की सरकार इसके लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएगी।

अन्य मांगें तेलंगाना में सड़कों और राजमार्गों के विकास, बय्याराम, खम्माम में सेल के इस्पात संयंत्र की स्थापना; तेलंगाना में रेल परियोजनाओं, और वन भूमि के मुद्दों से संबंधित हैं। हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष इन मांगों को रखा है। हमें सच में यह लगता था कि इन मांगों में से कुछ तो जरूर बजट में शामिल की जाएंगी। लेकिन उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया और तेलंगाना को दिया गया।

हमारे मित्र और सहयोगी, श्री श्रीनिवास जी, जिन्होंने

अभी-अभी सीमान्ध्र की ओर से बोला है, ने आपका कई बार धन्यवाद किया। उन्होंने जितनीबार आपका धन्यवाद किया, मैं गिन रहा था; उन्होंने लगभग सात से आठ बार आपका धन्यवाद किया। तथापि, हम आपको एक भी कारण के लिए धन्यवाद नहीं दे सकते क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हमें इस बजट में ऐसी एक भी चीज प्राप्त नहीं हुई।

फाइनेंस मिनिस्टर जी को मालूम है। वे इसका हिस्सा थे और बिना उनकी सहायता के हमें तेलंगाना नहीं मिला होता। उन्होंने भी तेलंगाना प्राप्त करने में सहायता की थी। आपने, उस विशेष दिन, जब राज्य सभा में विधेयक था, बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी, हमें बने केवल डेढ़ महीना हुआ है।

जैसे बच्चों को फैरेक्स और सीरियल देते हैं, पोषक देते हैं, वैसे अभी आपसे थोड़ा धन पोषक मांगते हैं।

इस तरह कहने के लिए काफी कुछ है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर आपने पैसा दिया। आपने आवास योजना के लिए 8.000 करोड़ रुपए दिये हैं; आपने जल संभरण के लिए 2,100 करोड़ रुपये दिये हैं; आपने राष्ट्रीय पेय जल मिशन हेजु 3,600 करोड़ रुपये दिया है; और आपने एम्स जैसे चार नए संस्थानों की स्थापना के बारे में भी बात की है। परन्तु, तेलंगाना को एम्स जैसा कोई संस्थान नहीं प्राप्त हुआ है। जब हमने इस प्रश्न के बारे में पूछा था, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हैदराबाद में आपके लिए अच्छी सुविधाएं हैं और कहा कि सीमांध्र लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। वास्तव में, सीमांध्र में ऐसे कई शहर हैं जहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम, काकीनाडा और विजयवाड़ा इत्यादि में हैं।

इसी तरह, आपने 5 नए आई.आई.टी. दिये हैं। आपने हमारे राज्य के लिए एक भी आई.आई.टी. नहीं दिया है।

माननीय सभापतिः कृपया समाप्त करें।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डीः महोदय, हम मूल्य स्थिरीकरण कोष का स्वागत करते हैं जो किसानों के लाभ के लिए स्थापित हुआ है। आपने अच्छी गोदाम सुविधाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये दिये हैं। रक्षा के लिए 2,29,000 करोड़ रुपये आबंटित हुए हैं और राज्य पुलिस सुधारों के लिए आपके पास 3,000 करोड़ रुपये हैं। मेरा विचार है कि इसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

आपने नदियों को जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये दिये हैं। मैं 1999 से 2004 तक राजग में था। श्री सुरेश प्रभु को नदियों को जोड़ने का विशेष कार्य दिया गया था और नदियों को जोड़ने में काफी धन व्यय किया गया था। उस समय, एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के बजाय, मेरा विचार है कि इसे कार्यान्वित करने के लिए निधि आबंटित की जानी चाहिए, क्योंकि नदियों को जोड़ने से बंजर भूमि की सिंचाई करने में सहायता मिलेगी।

महोदय, आपने कर में छूट की सीमा 2,50,000 रुपये तक बढ़ा दी है। प्रत्येक व्यक्ति सोच रहा था कि कर में छूट की सीमा बढ़ाकर 5,00,000 रुपये तक कर दी जायेगी। मुझे आशा है कि आप इसे बढ़ाने पर पुनर्विचार करेंगे।

जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि 60 वर्षों के संघर्ष के पश्चात्, हमने यह नया राज्य प्राप्त किया है। इस राज्य के लिए लगभग 1200 लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है। तेलंगाना का पुनर्निर्माण करना हमारा कर्तव्य है। तेलंगाना राज्य कई वर्षों से उपेक्षित था। हमारी सभी नदियां, हमारे रोजगार के अवसर और अन्य चीजों को हमारे राज्य से छीन लिया गया है। अब, हमें पहले दिन से शुरू करना है। इसीलिए, मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि तेलंगाना पर विशेष ध्यान दिया जाये और चूंकि, आप तेलंगाना के निर्माण में शामिल रहे हैं, अतः, आप तेलंगाना को अधिक बजट देने में भी शामिल रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): माननीय सभापति, चुनाव के बाद नई सरकार इस देश की समस्या को हल करने के लिए निर्णायक भूमिका लेगी, ऐसे वादे देश के समक्ष रखे गए थे। लोगों के अंदर उम्मीदें भी थीं। यह बात सच है कि सरकार की तरफ माननीय सदस्य और मंत्री जी भी कह रहे हैं कि सिर्फ 45 दिन हुए हैं, पूरी समस्या का आकलन करके निर्णय निकालकर समाधान सोचा नहीं जा सकता है। आप तो सरकार में आने वाले ही थे

लेकिन सरकार के आने तक रास्ता कैसे तय करना है इसका रोड मैप आपके पास था। सरकार बनाने के बाद सरकार कैसे चलाएंगे, उसका रोड मैप आपके पास नहीं था, ऐसा मैं नहीं मानता हूं।

यहां जब कांग्रेस के पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि लोगों ने डिसाइसिवली जब यह डिसाइड किया कि उन्हें बदलाव चाहिए और आपने भी ऐसे वायदे किये। आपके भाषण के पहले पैरा को छोड़कर इस बजट से ऐसा लगता है कि आपका कांटिन्युटी के पक्ष में डीप कमिटमैन्ट है। पिछले दो-ढाई दशक से इस देश में जो अर्थ नीति चल रही है, फिस्कल पालिसी चल रही है, यहां तक कि पिछली सरकार ने जो इंटरिम बजट रखा, उनके जो टारगेट्स थे, उनकी जो स्कीम्स थीं, जैसे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आपने उन तमाम चीजों को भी वैसा ही रखने की कोशिश की है। इससे हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसा ही समझते हैं कि यह आसन का बदलाव हुआ है, लेकिन नीतिगत परिवर्तन इतना आसान नहीं है। आपके इस बजट का जो फलसफा है, उससे भी यह स्पष्ट होता है। आपके लिए टैक्स जी.डी.पी. रेश्यो को बदलने का मौका था। हमारे देश में और अधिकतर जो विकसित और विकासशील देश हैं, उनके अनुसार आप वह हमारे देश में भी कर सकते थे। लेकिन उस तरफ आप नहीं गये।

अभी प्रधान मंत्री जी जब ब्राजील से ब्रिक्स सम्मेलन से कुछ उपलब्धि लेकर लौटेंगे तो यह समझा जायेगा कि हमारे लिए जो ऐसे देश हैं, जिनके साथ हम एक साथ चलने की शपथ लेते हैं, वहां क्या स्थिति है। जो रेवेन्यू फोरगॉन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारा पूरा प्लान का साइज और बड़े लोगों को जो टैक्स की छूट है, वह भी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, जो कांग्रेस की सरकार के समय और यू.पी.ए.-2 के समय में थी, उसी के अनुसार आपने भी उसे बरकरार रखा है। यह पिछले साल का आकलन है। लेकिन अगले साल के बारे में भी आपने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा कि कारपोरेट को जो टैक्स की छूट है, उसे आप कहां तक कम करेंगे। जब आप जनसाधारण के लिए, गांव के लिए, गरीब जनता के लिए, पिछड़े वर्ग के विकास के लिए संसाधन की कमी की बात कहते हैं तो संसाधन कहां से जुटाये जा सकते थे और कहां लीकेज हो रहे हैं, उसे जो आपको एड्रैस करना था, मैं आपका ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, हमारी जी.डी.पी. का पांच प्रतिशत टैक्स फोरगॉन है, वह आपने छोड़ दिया और रिबेट्स और कंसेशंस की और कितने किस्म की स्कीम्स हैं, तरीके हैं, उन्हें आप इस बार भी कन्टिन्यू करना चाह रहे हैं। जब आपको गवर्नेन्स की तरफ ध्यान देना था, सरकार बनाने के समय आपने कहा था कि हम गवर्नेन्स के ऊपर जोर देंगे। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद हम देखते हैं कि गवर्नेन्स के बजाय आप गवर्नर्स के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि कहां कितने गवर्नर्स बदले जाएं और किनको आप वृद्धावास योजना में भेजें।

महोदय, काले धन के बारे में बहुत भाषण हुए। सिर्फ योगगुरु के भाषण ही नहीं, बहुत से आंकड़े भी बताये गये। लेकिन इस बजट में भी आप पिछली सरकार के जैसा ही कार्य कर रहे हैं। काले धन को निकालना...(व्यवधान) एक जैसा है, सिर्फ हाथ और कमल निशानी में फर्क है, पालिसी में बता रहे हैं कि आपने कोई फर्क नहीं रखा। काला धन जहां से उत्पन्न होता है, जहां यह उगाया जाता है, उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ आपको ध्यान देने के बारे में कह रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): आप नाम भी बता दीजिए।

श्री मोहम्मद सलीमः मालूम नहीं हैं, एक सदस्य का नाम लेकर तो आपने बवाल मचा दिया था, फिर मैं क्यों नाम बोलूं। काले धन वाले सिर्फ उधर हैं या इधर हैं, ऐसी बात नहीं है, ये पूरे देश में हैं, विदेश में भी भेजे गये हैं और आपके पास यह लिस्ट है और शेष आप मंगवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि बजट में आप सब कुछ कह सकते थे, मैं ऐसा दावा भी नहीं करता हूं। लेकिन काला धन जहां से पैदा होता है और जहां चलता है, हमारे देश में पैरेलल इकोनोमी है। आप आज जब इंफ्लेशन, महंगाई और होर्डिंग की बात कर रहे हैं, डीहोर्डिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें भी काले धन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं उसे एडजस्ट करने के बारे में कह रहा हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास योजना है, उसे आप लागू कीजिए। यह आपकी

जिम्मेदारी है। आपकी सरकार वचनबद्ध है। मैं आपकी सरकार की वचनबद्धता को दोहरा रहा हूं। इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। आपने उसके बजाय फिस्कल कंसोलिडेशन की बात कही है। वही टारगेट 4.1 नहीं, अगले तीन साल का भी जो टारगेट है, वहीं पर आपने ध्यान दिया। वह ज्यादातर फाइनेंस कैपिटल के निर्देशित रास्ते से है। आपकी सरकार का जो खर्च है, एक्पेंडिचर है, उसको कम करके और उसका मतलब है कि सीधे-सीधे जो इंतजार कर रहे थे कि सरकार आने के बाद सरकार से कुछ मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिला। अगर आजादी के 60-65 सालों तक नहीं मिला, अब मिलने वाला है, तो उनके प्रति उचित नहीं हो रहा है। अगर आप एक्सपेंडिचर को कम करते हैं और उसमें आपके सामने जो चुनौती है, इस देश के सामने जो चुनौती है जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, जो आर्थिक मंदी चल रही है, उस चुनौती को अगर आप स्वीकार करते हैं तो उसके लिए जो रास्ते आपको निकालने थे, जो इनोवेटिव तरीके अपनाने थे, उसके बारे में आप ज्यादा मेहन के रास्ते पर नहीं गए, बल्कि शॉर्टकट अपनाया है। पुराने ढांचे को ही आपने रखने की कोशिश की है। आप कहते हैं कि हमारा रेवन्यु 16 प्रतिशत होगा। कहां से होगा? ज्यादातर आंकड़े आपके इंट्रिम बजट के हैं, उन्हीं को आपने रखा है। आप जी.डी.पी. की कितनी ग्रोथ करना चाहते हैं? अगर रियल जी.डी.पी. ग्रोथ 5 पर्सेंट होती है और आपने टैक्स में अगर फेरबदल नहीं किया, सामान्यतः वह 14 हजार 776 करोड़ रुपये है। जिसमें अगर 5 पर्सेंट रियल टर्म में जी.डी.पी. ग्रोथ होता है तो 16 पर्सेंट में कैसे हो सकता है। हम चिदम्बरम जी से सुनते आए हैं कि टैक्स बॉयन्स होंगे, बहुत ज्यादा कलैक्शंस होंगे। पिछले दो साल के रैवन्यु कलेक्शन के आंकड़े देखें, और आप खुद कह रहे हैं कि इतने ज्यादा मैजिकल डिवेप्लमेंट नहीं होंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर की स्थिति है, जो हमारे उद्योगों की स्थिति है, जो आर्थिक मंदी की स्थिति है, उसमें आप 16 प्रतिशत कहां से ले आएंगे? आपने जो आंकड़े रखे हैं, मैं उसी पर कह रहा हूं। 13.4 प्रतिशत की जो नॉमिनल जी.डी.पी. ग्रोथ की प्रोजेक्शन है, उसमें मैं नहीं समझता हूं कि आपने रैवन्यु कलैक्शन का जो टारगेट रखा है, वह पूरा होने वाला है। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि एक बार हारने के बाद दो बार शर्म आएगी। हमने पिछली सरकार के जमाने में देखा है, एन.डी.ए. के जमाने में देखा है, दशकों से हम देख रहे हैं कि जो सरकारी आंकड़े रखे जाते हैं, सामाजिक क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ग्रामीण उद्योग के लिए, बाद में उसमें कटौती कर के आप अपने फिस्कल डिसिप्लेन को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। जो आंकड़े आप आज दे रहे हैं, जो स्कीम आप घोषित कर रहे हैं, वहां भी वह सरकार अंत तक खर्च करेगी, ऐसा हमें दिखता नहीं है। आपने चुनावों में तो घोषणा की थी कि सबके साथ, सबका विकास। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि सबके पर्स, विकसित के पास। जो रिच है, सुपर रिच है, उनके पास जाने का इंतजाम हो रहा है। गरीबों से लेकर अमीरों को देने का रास्ता, जिसको पिछली सरकार ने अपनाया और जिससे उनको सजा भी मिली, आप उस रास्ते से हटते हुए काम करें। जिन्होंने आपको समर्थन दिया और जिन्होंने समर्थन नहीं भी दिया, वे लोग यह चाह रहे थे कि एक परिवर्तन हो। परिवर्तन का मतलब है कि आप एक नई दिशा की ओर, नई ऊर्जा ले कर, नए जोश के साथ नए तरीके अपनाएंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ऐसा न कर के आपने चुनावों में लोगों के सामने जो वायदे रखे थे, उनको पूरा करने के बजाय आप पुराने घिसे-पिटे रास्ते पर ही चले। जिसके कारण चाहे वह मनरेगा हो, चाहे कृषि के विकास का सवाल हो, चाहे वह शिड्युल कास्ट्स, शिड्युल ट्राइब्स या अल्पसंख्यकों के विकास का मामला हो। ...(व्यवधान) मैं देख रहा हूं कि सरकार कह रही है कि हमने 1 हजार करोड़ रुपये बढ़ा कर 33 हजार करोड़ से 34 हजार करोड़ रुपये कर दिए। पिछले साल जिन लोगों ने काम किया, मनरेगा में 5 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। आप जो पुरानी सरकार का बोझ कह रहे हैं, तो 33 हजार करोड़ प्लस 5 हजार करोड़ 38 हजार करोड़ रुपये का बजट हो गया। तो इस बार 34 हजार करोड़ करके आप क्या कर रहे हैं? इस बार तो अगर इन्फ्लेशन को दिमाग में न भी रखें तो 43 हजार करोड़ रुपए रखने चाहिए थे, सिर्फ पिछले स्तर को बनाये रखने के लिए। सरकार यह कह रही है कि हमने एक हजार करोड़ रुपए बढ़ा दिए, लेकिन रियल टर्म में वह घट गया। इसी तरह से एस.टी. और एस.टी. के लिए प्लानिंग कमीशन की जो गाइडलाइंस थी, पॉपुलेशन के तहत प्रपोर्शनेटली एलोकेशन, उसमें भी कमी आयी है। शेड्यूल कास्ट के लिए 47 हजार करोड़ रुपए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 14 हजार करोड़ रुपए

रखे हैं। सरकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के विकास की बात कर रही है, प्लानिंग कमीशन की गाइड लाइन्स सरकार कैसे मानेगी क्योकि अभी तक तो प्लानिंग कमीशन ही वास्तविकता में देखने को नहीं मिल रहा है। इसी तरह से अल्पसंख्यक के बारे में कहना चाहूंगा कि सरकार एक सौ करोड़ मदरसा माडर्नाइजेशन, नाम और स्कूल, स्किल डेवलपमेंट के नाम से कर रही है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: सलीम जी, कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम: प्लान बजट का 0.7 परसेंट, इंटायर माइनेरिटीज डेवलपमेंट के लिए प्लान बजट का 0.7 परसेंट वाज एलोकेटेड। इससे सरकार की मंशा पता चलती है।...(व्यवधान) मदरसा के बाहर भी मुसलमानों को आप देखें कि...(व्यवधान) मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न स्किल, मॉडर्न इंडिया के मॉडर्न सिटीजन की तरह उसे तैयार करने के लिए क्या करना होगा? मैं समझता हूं कि उस दिशा में आप कदम उठायेंगे।

***श्री गणेश सिंह** (सतना): मैं अपने विचार आम बजट 2014-15 में रखते हुये माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पूर्णत: समर्थन करता हूं तथा उनकी सराहना करते हुये कहना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार ने जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से बाहर कर दिया था, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, आय से अधिक व्यय हो रहा था, रुपये का दाम निरंतर नीचे गिर रहा था, विकास की गति अत्यंत धीमी हो गई थी, रोजगार के सारे अवसर समाप्त हो रहे थे, महंगाई नियंत्रण से बाहर हो गई थी।

ऐसे कठिन और विपरीत समय में इतना अच्छा बजट प्रस्तुत कर, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा चुनाव के समय कही गई सारी बातों को बजट में शामिल कर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने का जो अभिनव प्रयोग किया है, इसके लिए माननीय वित्तमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाये कम है।

पिछले 10 वर्षों के बाद यह देखने को मिला है, जब देशवासी बजट की खुली आलोचना नहीं कर पाये और न ही अर्थशास्त्रियों ने बड़ा कटाक्ष किया। यह बजट अर्थव्यवस्था के सुधार तथा विकास पर आधारित है। यह बजट मात्र 8 माह के लिये है, इससे श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की भावी रणनीति का पूरा खुलासा होता दिखाई दे रहा है।

देश की विकास दर यू.पी.ए. की गलत नीतियों के कारण 4.7 प्रतिशत तक जा चुकी है। जबकि अब इसे बढ़ाकर 8 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। चालू वित्तीय घाटा को 2 प्रतिशत पर रखना होगा, सरकारी खर्च कम करने होंगे।

देश में 3.80 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। इस बजट से हर किसी को राहत दी गई है, टैक्स देने वाले लोगों में भारी उत्साह है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मध्यम एवं छोटे उद्योगों को बढ़ाने, बिजली उत्पादन में जो लोग पैसा लगायेंगे, उन्हें टैक्स में रियायत दी जायेगी।

एक्साइज ड्यूटी कम की जायेगी, इससे देश में उत्पादन बढ़ेगा।

बैंक अभी मात्र 58 प्रतिशत लोगों तक पहुंच पाये हैं, इन्हें 90 से 100 प्रतिशत लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी।

सामाजिक क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं, उन्हें और बढ़ाया जायेगा।

बचत को बढ़ावा देने के लिए छूट 1.50 लाख कर दी गई।

हाउसिंग लोन की ब्याज दर कम की जायेगी, ताकि मकानों के दाम सस्ते हो सकें। ब्लैक मनी लाने के लिए एस.आई.टी. का गठन कर दिया गया, जो यू.पी.ए. सरकार 4 साल से टाल रही थी।

बजट में स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की गई है, मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना और रीवा की दूरी 50 किलोमीटर है, मैहर 35 किलोमीटर है, अमरपाटन 30 किलोमीटर है, इसी बीच एक नये स्मार्ट शहर के निर्माण की मांग करता हूं।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पेयजल एवं स्वच्छता के तहत जो ऐसे 20 हजार बसावटों को सामुदायिक जल सुदृढ़ीकरण संयंत्रों को लगाकर जो शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाना है, उसके तहत मेरे जिले सतना के कई ऐसे गांव हैं, जहां आर्सेनिक, फ्लोराइड होने के कारण पानी विषैला हो गया है। उन बसावटों को चिन्हित कर योजना में शामिल किया जाये।

जिले के 500 आबादी वाले हर गांव को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ा जाये।

जिले में 100 बिस्तरों वाला मात्र एक जिला अस्पताल है, जबकि उसे 400 बिस्तरों वाला बनाया जाना आवश्यक है, और नये अस्पताल भवन बनाने की जरूरत है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जिला बहुत पीछे है, केन्द्र सरकार ने देश में 5-5 आई.आई.टी. तथा आई.आई. एम. खोलने का निर्णय लिया है। हमारे क्षेत्र में भी इन दोनों में से एक संस्था का निर्माण कराया जाये।

शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए सतना नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन तथा शहर के मध्य बने नाले के सौंदर्यकरण हेतु नये प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी जाये। इसी तरह नगर पालिका मैहर में पेयजल एवं सीवर लाइन तथा नगर पंचायत क्षेत्र चित्रकूट, जैतवारा, कोठी, नागौद, उचेहरा, रामपुर बाघेलान, अमरपाटन एवं रामनगर में पेयजल एवं सीवर लाइन की समस्या के समाधान हेतु आई.डी.आई.एस.एम.टी. योजना में शामिल किया जाये।

सतना नगर में फ्लाई ओवर, जैतवरा में बाई पास फ्लाई ओवर, मैहर में रिंग रोड, अमरपाटन में बाई पास रोड के निर्माण कार्य हेतु शहरी विकास मंत्रालय अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृति दिलाई जाये।

जिले के अंदर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवास विहीन परिवारों की संख्या है, सबको पक्का मकान देने की योजना में शामिल किया जाये। कृषि के क्षेत्र में जिले के अंदर एक कृषि अनुसंधान केन्द्र कृषि महाविद्यालय के साथ खोले जाने की लम्बे समय से मांग है, जिसे पूरा किया जाये।

मेरे जिले में बरगी बांधी की दांये तट नहर से सिंचाई प्रस्तावित है, किंतु इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की 2010 से मैं मांग कर रहा हूं। राज्य सरकार ने भी अपना प्रस्ताव भेजा है, केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में लगभग 4000 करोड़ की योजना विचाराधीन है, उसकी स्वीकृति कराई जाये।

जिले में नये रोजगार के सृजन हेतु फूड प्रोसेसिंग पार्क एवं लघु एवं सीमांत उद्योगों की स्थापना हेतु नये पार्क का निर्माण कराया जाये, ताकि स्थानीय पूंजी निवेश को बढ़ावा मिल सके तथा नये रोजगार पैदा किये जा सकें।

हमारा जिला एक औद्योगिक जिला है, सतना शहर में एक हवाई अड्डा राज्य सरकार का है, जिसकी लंबाई कम है, उससे अभी वेन्चुरा कम्पनी की हवाई सेवाएं राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, लेकिन एक नये हवाई अड्डे के निर्माण की आवश्यकता है।

केन्द्रीय सड़क निधि से सतना से सेमरिया, सिरमौर, जवा, शंकरगढ़, इलाहाबाद के लिए नई सड़क का निर्माण कराया जाये तथा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये।

जल संसाधन विभाग से नदियों को जोड़ने एवं गंगा नदी के संरक्षण हेतु 'नमामि गंगे' परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, उसमें हमारे क्षेत्र की मंदाकिनी नदी को शामिल किया जाये, क्योंकि यह नदी चित्रकूट में है, जहां भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष बिताये थे। करोड़ों लोग इस पवित्र नदी में स्नान करने आते हैं।

जिले में मैं ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन कराता रहता हूं। बजट में नया खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है, उसी से संबंधित एक खेल महाविद्यालय एवं खेल प्राधिकरण की स्थापना सतना में किये जाने की मांग करता हूं।

***श्री हरिनरायन राजभर** (घोसी): मा. नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मा. अरूण जेटली द्वारा एक विकसित भारत, एक सुन्दर भारत के निर्माण के लिए आम बजट 2014 में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूं। खास करके गरीब व्यक्तियों, युवाओं, मध्यवर्गीय समाज एवं रोजगार को ध्यान में रखकर एक अच्छा बजट पेश किया गया है। मैं यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल सबसे पिछड़ा

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

क्षेत्र है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का अभाव है। मा. नरेन्द्र मोदी जी को पूर्वांचल से प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर सम्पूर्ण पूर्वांचल वासी अपने आप को गौरवांवित महसूस कर रहे हैं तथा विकास की आस लगाए हुए हैं, जिसके क्रम में वित्त मंत्री जी द्वारा पूर्वांचल में एक नया एम्स प्रस्तावित किया गया है। मैं मा. मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूर्वांचल के एक तरफ वाराणसी में बी.एच.यू. तथा दूसरी तरफ गोरखपुर में बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, वहीं पूर्वांचल के मध्य में स्थित मऊ जनपद सहित आस-पास के जनपदों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। इसलिए नये एम्स की स्थापना पूर्वांचल के मऊ जनपद में करायी जाये, जिससे कि पूर्वांचल सहित अन्य प्रदेश के भी लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकें।

आपके द्वारा बुनकरों के लिए व्यापार संग्रहालय एवं सहायता, प्रशिक्षण केन्द्र के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे बुनकरों में अपार प्रसन्नता है। मेरे क्षेत्र जनपद मऊ में सबसे अधिक बुनकरों की आबादी है, जो हस्तकरघा व्यवसाय में लगे हैं, किंतु पिछली सरकारों द्वारा इनके हित में कोई ठोस कदम न उठाने से रोजगार/व्यापार में गिरावट आई है। मैं चाहूंगा कि मऊ में व्यापार संग्रहालय एवं प्रशिक्षण सहायता केन्द्र स्थापित किया जाए एवं इनके द्वारा तैयार वस्तुओं को सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाये, जिससे बुनकरों को रोजगार एवं व्यापार में बढ़ावा मिल सके एवं इन्हें उचित मात्रा में अतिरिक्त विद्युत की व्यवस्था भी की जाये।

मा. वित्त मंत्री जी रोजगार बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है। वहीं हमारे क्षेत्र में तीन कॉटन मिलें बंद कर दी गई हैं, जिससे रोजगार के अवसर तो बंद हुए ही हैं, बल्कि मिल में कार्य कर रहे कर्मचारियों के परिवार भी भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि उक्त जनपद मऊ व गाजीपुर में बंद पड़ी तीनों कॉटन मिलों का आधुनिकीकरण कर पुन: चालू कराने की आवश्यकता है, जिससे रोजगार सृजन हो सके।

बजट में सड़क परिवहन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की स्वीकृति व विस्तार पर बल दिया गया है। जिसके क्रम में आग्रह है कि हमारे संसदीय क्षेत्र से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29 जो वाराणसी, सारनाथ, गाजीपुर-मऊ होकर गोरखपुर तक जाता है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें 2-3 फीट तक गड्ढे हो गये हैं, और जिस पर आवागमन दूभर हो गया है। इसे बजट में स्वीकृति देकर चौड़ीकरण कर निर्माण करने की आवश्यकता है। जिससे वाराणसी, सारनाथ व गोरखपुर, कुशीनगर बौद्धस्थल से काशी तक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

आजादी के बाद आज तक हमारे संसदीय क्षेत्र के मऊ शहर से सटे हरकेशपुरा, हनुमानघाट के सामने तमसा नदी के पार लगभग दर्जनों गांवों के लोग आज भी शहर में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए आवागमन का साधन एक मात्र नाव है, जिससे आये दिन नाव दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गंभीर मरीज अस्पताल जाने से पहले ही नाव के इंतजार में दम तोड़ देते हैं। इसलिए मऊ शहर के तमसा नदी पर हनुमान घाट के सामने एक पुल निर्माण की अति आवश्यकता है।

सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं। मेरा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा है। जहां शिक्षण संस्थान स्थापना के लिए राजकीय महिला विधि विश्वविद्यालय, पॉलीटैक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तथा बुनकर प्रशिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र का विकास हो सके।

सरकार की सबसे महत्त्वपूर्ण योजना गंगा सहित अन्य नदियों के प्रदूषित जल को निर्मल व अविरल बनाने के लिए 'नमामि गंगे' योजना शुरू की गयी है। मेरे क्षेत्र से होकर बहने वाली तमसा नदी में अवैध पशु वधशाला (कसाईखाना) का जैविक कचरा, गंदा खून एवं मल-मूत्र गिरने से प्रदूषित हो चुकी है तथा तमसा नदी आगे चलकर बलिया जनपद में मां गंगा में मिल जाती है एवं गंगा नदी का अविरल जल भी प्रदूषित हो रहा है। इस नदी के किनारे अनेकों मंदिर व स्नानघाट हैं, किंतु प्रदूषित जल होने से आचमन व स्नान करना भी दूभर हो गया है। आग्रह है कि तमसा नदी के किनारे अवैध पशु वधशाला को बंद कराकर साफ-सफाई व घाटों का निर्माण कराने की आवश्यकता है।

बजट में सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है, जिससे भविष्य में मांग के सापेक्ष विद्युत व्यवस्था

की जा सके। जिसके क्रम में मैं आग्रह करूंगा कि मेरा क्षेत्र जो चारों तरफ नदियों से घिरा है, ऐसे स्थान पर नदी के किनारे एक बड़ी क्षमता वाला विद्युत उत्पादन संयंत्र गृह की स्थापना करने से पूर्वांचल में वितरण व्यवस्था हेतु पर्याप्त विद्युत उत्पादन किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली (तिरुपति): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वास्तव में, यह खुशी की बात है कि पीठासीन सभापति महोदय और मैं सहपाठी थे और अच्छे मित्र भी हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी की एक बहुत संतुलित बजट पेश करने के लिए सराहना और प्रशंसा करता हूं, जो सही समय पर, सही कार्य के लिए, सही व्यक्ति हैं। मैं प्रत्येक विषय पर टिप्पणी करने के लिए उतना सक्षम नहीं हूं; परन्तु, बजट का जो विषय मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मेरे राज्य, मेरे विचार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, उस पर मुझे टिप्पणी करनी चाहिए।

आपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए कुछ उपाय किये हैं। उनमें से कुछ बहुत ही सफल हैं। उदाहरणार्थ, 'श्री सिटी' विशेष आर्थिक क्षेत्र बहुत सफल है। यह चेन्नई के बहुत समीप स्थित है। वहां क्या हो रहा है? वे स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए बिल्कुल ही विचार नहीं कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना का विचार वृद्धि और विकास में संतुलन स्थापित करना है। अत:, हम सरकार से पुरजोर निवेदन करते हैं कि एक ऐसी नीति और विनिर्माण प्रणाली बनायी जाए जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र को सरकार से भूमि और अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे स्थानीय लोगों को, कम से कम उनके लिए जो उसके योग्य हैं, नौकरी देने के लिए विचार करें। वर्तमान में, यह चेन्नई शहर के बहुत समीप स्थित है, परन्तु यहां तक कि एक या दो पदों हेतु भी स्थानीय लोगों को नहीं लिया जाता। इसीलिए, मेरा सरकार से निवेदन है कि एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जहां स्थानीय शिक्षित लोगों पर भी पदों के लिए विचार किया जाए।

जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान में, अधिकांश गांवों में साक्षरता की दर बढ़ने के कारण इंजीनियर और एम.बी.ए. धारक पर्याप्त संख्या में बढ़ गए हैं। परन्तु, हम उन्हें उनकी शिक्षा के अनुपात में उचित रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। चूंकि सरकार सभी लोगों को सभी नौकरियां नहीं दे सकती, अत: इस प्रकार के छोटे-छोटे उपायों से ग्रामीण लोगों की समस्या निश्चित रूप से कम होगी।

दूसरी बात, आपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में उल्लेख किया है। मैंने तीन वर्षों तक कम से कम तीन जिलों के जिलाधीश के रूप में कार्य किया है। वे इस कार्य को कर रहे हैं परन्तु बहुत ही गड़बड़ तरीके से कर रहे हैं। वे अधिकांशत: क्षेत्रों में हरितकरण और वृक्षारोपण कर रहे हैं। वे आस-पास के गांवों में सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में, कोई ठोस कार्य नहीं कर रहे हैं। इसीलिए, भारत सरकार को इसी प्रकार कुछ उपाय करने चाहिए या एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसके अंतर्गत वे वास्तव में, आस-पास के गांवों में योगदान दें। उदाहरण के लिए, सड़क निर्माण, स्वच्छता, पेयजल और यहां तक कि आवास जैसे उपाय भी सरकार कर सकती है। इसीलिए, एक बार फिर, मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इन उपायों पर विचार करे ताकि औद्योगिक घराने, जो इस समय सरकारी भूमि लेकर फल-फूल रहे हैं, वे भी समाज के विकास में योगदान दे सकें।

मेरे विचार से ग्रामीण रोजगार के लिए आपने जिन बातों पर बल दिया है, वे निश्चित रूप से अपर्याप्त हैं। जैसा कि मैं उल्लेख कर रहा था, हमारी साक्षरता दर में वृद्धि के कारण लगभग सभी गांवों में और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में इंजीनियर और एम.बी.ए. डिग्री धारक बहुत अधिक हैं, परन्तु हम उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोग इसमें सबसे अधिक प्रभावित हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है, क्योंकि माता-पिता किसी तरह अपने बच्चों को शिक्षा तो दिला देते हैं, परन्तु अपने बच्चों को नौकरी की खोज में, शहरों में भेजने पर और पैसे खर्च करने में वे समर्थ नहीं हैं। अत:, वे गांवों में ही रहने के लिए बाध्य हैं। एक या दो वर्षों के बाद, उनकी शिक्षा अप्रासंगिक हो जाती है। अत:, मेरा सरकार से विशेषत: वित्त मंत्री से निवेदन है कि गांवों से संबंधित और अधिक औद्योगिक पार्कों, पर्यटक पार्कों पर विचार करें, जहां लोगों को रोजगार मिल सके, उनकी शिक्षा का उपयोग हो सके। अन्यथा, वे कोई छोटा-मोटा कार्य नहीं कर पाते और साथ ही कोई बड़ा काम उन्हें मिलता नहीं

है। इस प्रकार, वे बीच में ही पिसते रह जाते हैं। सरकार को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए।

100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, निश्चित रूप से, अपर्याप्त है। जहां, हमारे जैसे लोग, एक दिन भी भूखा या आधा दिन भी भूखा नहीं रह सकते, वहां हम इस '100 दिनों' के रोजगार के बारे में पिछले 20-30 वर्षों से बात कर रहे हैं। हम गरीब लोगों के लिए केवल एक तिहाई भोजन की ही बात करते हैं, यह किसी भी प्रकार पर्याप्त नहीं है और इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः, कम से कम गांवों में, जिसे चाहिए, उसे पूरे वर्ष रोजगार दिया जाना चाहिए।

मेरे पास विशेष रूप से, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उप-योजना के बारे में कुछ और भी बातें हैं। व्यवहार में, यह लगभग 30 वर्षों से है। योजना आयोग यदा-कदा अपनी टिप्पणी देता रहा है। परन्तु, वास्तव में, यह भ्रामक है, इस उप-योजना में सभी प्रकार की चीजें डाल दी जा रही हैं। मैं यहां पर, एक या दो बातें बताना चाहूंगा।

राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के लिए, 457 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, मुश्किल से किसी व्यक्ति के पास जमीन है, जबकि फसल बीमा हेतु इतने अधिक धन की आवश्यकता है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु, 328 करोड़ रुपये दिया गया है। खाद्य सुरक्षा क्या केवल कमजोर वर्गों के लिए ही है या अन्य सभी के लिए। यदि यह पूरे देश के लिए है तो मैं नहीं समझता कि इसे इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि, हर बार, हम कहते हैं कि कमजोर वर्गों के लिए 50,000 करोड़ रुपया दिया गया है, परन्तु कुछ भी नहीं हो रहा है; और यह अन्तराल बढ़ रहा है। अतः, यदि सरकार इस अन्तराल को समाप्त करना चाहती है तो, निश्चित रूप से, इस पहलू पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के लिए 2420 करोड़ रुपये दिये गये हैं, परन्तु, आप इस समय किसी भी गांव में जाइए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुछ बसावटों को छोड़कर, मेरे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी कोई बसावट नहीं है जहां पर्याप्त पेयजल हो; और मैं पूरे देश के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संबंध में भी ऐसी ही बात है। इन सभी में, जैसा मैंने कहा, वैसी ही बात है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के नाम पर सिंचाई, बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं की अधिकांश धनराशि को दूसरे कार्यों में लगाया जा रहा है। मैं यहां पर पुरजोर निवेदन करता हूं कि हम अपना दिमाग लगायें और ऐसी चीजों पर धन का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए; इसका लाभ सीधे लोगों को मिलना चाहिए; तभी वे आगे बढ़ सकते हैं।

स्वतंत्रता के 65 वर्षों के पश्चात्, मैं यहां दो सुझाव देना चाहूंगा, एक, इन लोगों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरी में आरक्षण के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए और दूसरा, आगामी वर्षों में, प्राथमिकता के आधार पर कृषि योग्य भूमिओं का उनमें वितरण करें, ताकि उनके पास पर्याप्त सम्पत्ति हो जाए और वे सदैव के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहें।

महोदय, मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि मैंने पर्यटन आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है। हमारे जैसे देश के लिए, जहां पर्याप्त संख्या में पर्यटक स्थल हैं, पांच पर्यटन केन्द्र बहुत कम हैं। चूंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलता है और पर्यटन में प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से भाग ले सकता है – एक अनपढ़ व्यक्ति भी भाग ले सकता है और एक पांच सितारा होटल भी भाग ले सकता है – मेरा निवेदन है कि कम से कम, प्रत्येक राज्य में एक केन्द्र हो और आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य, जहां कई पर्यटन स्थल हैं, में ऐसे अधिक केन्द्र होने चाहिए। अतः, माननीय मंत्री जी इस पर कृपया विचार करें। इसी प्रकार, धार्मिक केन्द्रों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

हम सभी को बहुत खुशी है कि गंगा के लिए, काफी धनराशि आबंटित हुई है, परन्तु, कई स्थानीय नदियां सूख रही हैं और उनमें गाद भर रहा है। उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां तक कि पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। इसीलिए, जब नदियों को जोड़ने पर पहले से ही विचार किया जा रहा है तो आगामी वर्षों में, स्थानीय नदियों में से गाद निकालने पर भी विचार किया जाए।

महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने नेता, श्री जगनमोहन रेड्डी और मेरे सभा के नेता, पांच बार सांसद चुने जा चुके, श्री राजमोहन रेड्डी गारू, को भी मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इन्हीं कुछ टिप्पणियों के साथ, मेरी पार्टी इस बजट का पूर्ण समर्थन करती है।

श्री चिराग पासवान (जमुई): महोदय, लोक जन शक्ति पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राम विलास पासवान जी की ओर से सामान्य बजट 2014-15 पर बोलने का मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

महोदय, 10 जुलाई को यह आम बजट पेश हुआ। इस पर काफी चर्चा हुई। इसकी तारीफ भी हुई तो टीका-टिप्पणी भी हुई। पर तमाम जानकारों की राय को एक तरफ रखते हुए, मैं आम जनता की इस विषय में क्या राय है, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। तमाम सदस्यों की तरह पिछले शनिवार-रविवार अपने क्षेत्र में गया, मैं जमुई लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैंने जमुई के लोगों से इस बजट के बारे में उनकी राय जानी। यकीन मानिए, हर एक व्यक्ति की यही राय थी कि न सिर्फ वह इस बजट से संतुष्ट हैं, बल्कि खुश हैं। यही राय पूरे बिहार की और पूरे देश की है। जहां-जहां मैं गया हूं, लोगों की यही राय मिली। जैसा कि पिछले दिनों हमारे सम्मानित वित्त मंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विकास यात्रा शुरू हो गयी है। इस बार खास बात यह है कि इस विकास यात्रा में कोई वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष की बात नहीं की गयी है, पूरे देश की बात की गयी है। इसमें नमामि गंगा योजना है, तो मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की भी बात है। इसमें युवाओं का जिक्र है तो महिलाओं का भी रिप्रजेंनटेशन है। बुजुर्गों की भी बात की गयी है, तो इसमें किसानों की भी बात की गयी है। मुझे खुशी है कि एक बहुत ही संतुलित बजट इस बार की सरकार ने पेश किया है। एक बहुत ईमानदार अप्रोच है। यह सिर्फ एक एनुअल फाइनैंशियल स्टेटमेंट ही नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट ऑफ इनटेनशन है, जिसमें हमारी आगे की योजना क्या है? जो हमने विकास के वायदे किए हैं, उसको हम किस तरह से पूरा करना चाहते हैं, वह इस बजट में दर्शाया गया है।

सभापति जी, मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वह बहुत ही पिछड़ा प्रदेश माना जाता है। खास तौर पर मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वह उस पिछड़े प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है। हमें हर स्तर पर विकास की जरूरत है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वहां लोग मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं। आज भी उनके लिए सड़क, बिजली, पानी, पक्के मकान और स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बड़ी जरूरतें हैं। हमें हर स्तर पर इसको देखना होगा। हम जब विकास की बात करते हैं तो हम सिर्फ रोजगार की बात करते हैं। अगर आपको रोजगार दे दिया जाएगा, रोजगार के अवसर मुहैया हो जाएंगे तो विकास आ जाएगा। लेकिन आप रोजगार के लिए काबिल कैसे होंगे, जब तक आपके पास शिक्षा संस्थान नहीं होंगे, आपके पास पढ़ाई के लिए ऑपर्च्यूनिटिज ही नहीं होंगी। बहुत जरूरी है अच्छे शिक्षा संस्थानों का भी खुलना। व्यक्ति पढ़ाई के काबिल बने, इसकी देखरेख होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही कुपोषण का शिकार हो जाए तो वह कैसे अच्छी पढ़ाई की कल्पना करेगा, कैसे वह एक अच्छे रोजगार की कल्पना करेगा? वे मैलन्यूट्रिशन का शिकार न हों, इसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत जरूरी हैं। जब बच्चा गर्भ में हो तो मां एक सेफ डिलिवरी कर पाए, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। उस दौरान मां का भी पोषण ढंग से हो, हमें उस चीज का भी ख्याल रखना है। इसीलिए, मैं बार-बार कहता हूं कि यह एक संतुलित बजट है। यह इसलिए संतुलित है कि हर स्तर पर आप इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तौर पर देखें, रोजगार से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर सभी पहलू पर ध्यान दिया गया है।

हम लोग लगातार महिला सशक्तीकरण की बात करते रहते हैं, पर यह बहुत जरूरी है कि महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ सबसे पहले महिलाओं को सेंस ऑफ सिक्यूरिटी मिले।

भले ही मैं आज आम बजट पर बोल रहा हूं, पर जिस तरीके से रेल मंत्री जी ने रेलवे में वूमेन आर.पी. एफ. का प्रस्ताव सामने रखा है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। कहीं से शुरुआत तो हो रही है। हम लोग सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन बातों को सामने ला भी रहे हैं।

जैसा कि मैंने कहा कि एक मल्टीडायरेक्शनल डेवलपमेंट की, एक चहुंमुखी विकास की जरूरत है। इसमें सिर्फ जॉब अपॉरच्यूनिटी से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें हर स्तर पर देखना है। हमें किसानों को भी देखना है, हमें युवाओं को भी देखना है, महिलाओं को भी देखना है और बुजुर्गों को भी देखना है। ये तमाम प्रावधान इस बजट में किए गए हैं।

सभापति जी, मैं युवा हूं और युवाओं की बात करता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जिस प्रदेश से आता हूं, उस प्रदेश से युवाओं का लगातार पलायन होता रहा है। वे दूसरे प्रदेशों में जाते रहे हैं, दूसरे देशों में रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए जाते रहे हैं। मुझे यह देखकर तकलीफ होती है कि क्यों किसी दूसरे प्रदेश का लड़का शिक्षा के लिए बिहार में नहीं आता? क्यों किसी दूसरे प्रदेश का लड़का बिहार में रोजगार के लिए नहीं जाता? हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है।

महोदय, मुझे खुशी है कि इस बजट में युवाओं पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो अक्सर हमारी सोच कहीं-न-कहीं रोजगार और शिक्षा पर आकर रुक जाती है। पर, जिस तरीके से हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस बार खेल-कूद को भी मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच सामने रखी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। बहुत-से हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश में ही नहीं, विदेश में भारत को ख्याति दिलायी है। बहुत-से ऐसे खिलाड़ी पार्लियामेन्टैरियन्स के तौर पर हमारी संसद में भी मौजूद हैं। खेल-कूद को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा बजट है जो आई.आई.टी., आई.आई.एम. के साथ-साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव लेकर आया है, खेल-कूद को भी प्रोत्साहन देता है। साथ में, युवा होने के नाते मैं वित्त मंत्री जी के सामने एक छोटा-सा सुझाव भी रखना चाहूंगा। मैं उन से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से वूमेन कमीशन है या एस.सी./एस.टी. कमीशन है, उसी प्रकार एक युवा आयोग का भी गठन किया जाए, जो युवाओं को देखें। युवाओं को उनकी काबलियत के अनुसार रोजगार मिले। जब तक उन्हें रोजगार नहीं दे सकते, उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिले। केन्द्र एक अलग-से बजट निर्धारित करे जो सिर्फ युवाओं के विकास के लिए इस्तेमाल कियास जाए। यह एक छोटा-सा सुझाव है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी इस पर जरूर विचार करें।

सभापति जी, आज हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जहां महंगाई हमारी कमाई पर हावी न हो। इस चर्चा के दौरान विरासत की भी बहुत बातें हुईं कि हम ने आपको विरासत में यह छोड़ा, हमने आपको विरासत में वह दिया, हम यह-यह काम करके गए। पर, हकीकत यह है कि यू.पी.ए. की सरकार के दौरान ही एक ऐसा वक्त था जब हमारी महंगाई दर दस प्रतिशत से ऊपर थी और हमारी विकास दर पांच प्रतिशत से कम। हमें एक ऐसी व्यवस्था का गठन करना होगा जहां हमें इस समीकरण को उलटना होगा। जहां पर हमारी विकास दर दस प्रतिशत से ऊपर हो और हमारी महंगाई दर पांच प्रतिशत से कम आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बजट उस दिशा में एक मजबूत कदम के तौर पर साबित होगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अक्सर एक लाइन का उपयोग किया करते थे। वे कहते थे - जिस विचार का समय आ गया हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम रुकावटों के बावजूद जिस तरीके से "अबकी बार, मोदी सरकार" का सपना पूरा हुआ है, मैं वही लाइन दोहराता हूं - मोदी जी एक विचार थे, जिसका समय आ गया है - वह विचार है - सबसे पहले विकास।

महोदय, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जिस पिछड़े प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, इस सरकार के सहयोग से आगामी वर्षों में न मेरा क्षेत्र पिछड़ा रहेगा, न मेरा प्रदेश पिछड़ा रहेगा, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है।

अन्त में यहां पर बैठे तमाम सदस्यों के द्वारा, जो देश की 125 करोड़ जनता ने एक विकसित भारत की कल्पना की है, मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि उस दिशा में यह आम बजट एक पहले मजबूत कदम के तौर पर साबित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी का सदस्य इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री तारिक अनवर (कटिहार): सभापति जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस आम बजट पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया।

यह बजट सत्ता परिवर्तन के बाद आया है। अच्छे दिन आने वाले हैं...*(व्यवधान)* क्या हो गया? क्या हुआ? इसका मतलब है कि नहीं आने वाले हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका): एक भी वार ये बर्दाश्त नहीं कर पाये। पहले वार में ही धराशायी हो गये। ...*(व्यवधान)*

श्री तारिक अनवर: मैं तो कह रहा हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसा मैं कह रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, यह मात्र नारा नहीं है, बल्कि लोगों को ऐसा विश्वास था कि ये एक दृष्टि है और आने वाले समय में सही मायनों में हमारे अच्छे दिन आएंगे। लोगों ने, खासकर युवकों ने और उनमें भी नौजवानों ने, पहली बार जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया था, बड़े उत्साह के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया।

भाजपा के चुनावी घोषणा-पत्र में भी पार्टी की दृष्टि की स्पष्ट अभिव्यक्ति की गई थी, जिसमें विकास का आधार, बुनियादी ढांचे का विस्तार, 100 नये शहर, उच्च गति का रेलवे नेटवर्क, नदियों को जोड़ना, हर घर को बिजली और 2022 तक हर परिवार को घर जैसी उत्साहवर्धक घोषणाएं की गई थीं, वायदे किये गये थे। चुनावों के दौरान भाजपा ने एक आधुनिक भारत की अपेक्षा भी जगाई थी। लोगों ने ऐसा महसूस भी किया था कि उनके कार्यकाल में एक नये भारत का जन्म होगा, पर इस दृष्टि पर आधारित नये कार्यक्रम की जगह हमें एक साधारण बजट दिया गया है। कोई प्रभावी घोषणाएं इसमें नहीं दिखाई पड़ती हैं। इस बजट में हमारा मुंह मीठा करने के लिए कुछ टुकड़े जरूर दिये गये हैं, जो कुछ देर के लिए भूख को शांत कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए भूख नहीं मिटा सकता।

लोक सभा चुनावों में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद देश को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से, अरुण जेटली जी से यह काफी अपेक्षा थी कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा। देश की आर्थिक नीतियों को एक नई दिशा देने के बजाय प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को कड़वी गोली खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कैसा इन्साफ है कि भाजपा के लोग मीठी गोली खायें और जनता कड़वी गोली खाये। महंगाई की मार से पहले ही आम आदमी परेशान था। उसके लिए परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल था और उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। रेल का भाड़ा बढ़ा दिया गया, यात्री भाड़ा बढ़ा, माल ढुलाई बढ़ी, डीजल-पैट्रोल आदि सभी चीजों की कीमतें बढ़ती चली गईं। जाहिर है कि आम आदमी पर आर्थिक बोझ और ज्यादा बढ़ता चला गया और उसके लिए जीना मुश्किल हो गया। अच्छे दिन तो आए हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आए हैं, कुछ समूहों के लिए आए हैं। इसमें शुरुआत हुयी है, उद्योग जगत की, कंपनी क्षेत्र और विदेशी निवेश करने वालों के लिए अच्छे दिन जरूर आ गए हैं, इस बजट से ऐसा दिखता है। अलबत्ता आम आदमी को नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के पहले आम बजट में सिर्फ उम्मीदें दिखायी पड़ी हैं। अच्छे दिनों के लिए उसे काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। बजट में सिर्फ सपना दिखाया गया है और सपनों के सौदागर की तरह सिर्फ सपने को बेचने की कोशिश की गयी है।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री अरूण जेटली जी द्वारा जो बजट पेश किया है, उसके बारे में एक अर्थशास्त्री श्री एन.सी. सक्सेना हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मैं आपकी इजाजत से उन्हें कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसमें तमाम नई योजनाओं का सिर्फ जिक्र किया गया है, लेकिन इन योजनाओं को पूरा करने का रोड मैप का क्या होगा और इसके लिए धन कहां से आयेगा, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तकरीबन 200 से 250 योजनाएं पहले से चल रही हैं और नयी सरकार ने भी अपने बजट भाषण में तकरीबन इतनी ही नयी योजनाओं की घोषणा की है। इस तरह योजनाओं की संख्या बढ़कर 400 से 500 हो गयी है, जबकि राजस्व बढ़ाने के नये उपायों का कोई उल्लेख नही किया गया है। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कोट किया कि जब वित्त मंत्री अपना बजट पेश कर रहे थे तो उनको उन तमाम चीजों को बताने की जरूरत थी क्योंकि बजट सरकार का आगे आने वाले समय में उसका क्या रोड मैप होगा, क्या उसकी नीति रहेगी, किस तरह से अर्थव्यवस्था को वह ठीक ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उन तमाम चीजों पर रोशनी डालने का एक जरिया होता है। जिस प्रकार से यह

बजट लाया गया, उससे ऐसा लगता है कि यह बजट अरूण जेटली जी के द्वारा शायद नहीं बनाया गया है, बल्कि नौकरशाहों के द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने ड्राइंग रूम में बैठकर इसे डिजाइन किया और इसे पेश किया गया। मैं समझता हूं कि समय का अभाव हो सकता है। मैं अरूण जेटली जी की कठिनाई को समझता हूं कि शायद समय की कमी रही होगी, जिसकी वजह से उनको देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बजट में कहीं भी कोई नयापन, कोई ऐसी बात जिससे यह लगे कि इससे गरीबों का कुछ भला होगा, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का भला होगा, इस देश के अन्दर रहने वाले दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक के लिए कुछ इसमें बात कही जा रही हो, कहीं भी उसका जिक्र उस ढंग से नहीं किया गया है। हम कह सकते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए इस बजट में उनकी तरफ रोशनी डाली गयी है, लेकिन हकीकत में उनको नजरंदाज किया गया है।

सरकार ने युवकों के रोजगार के लिए स्किल इंडिया अभियान की घोषणा की है, लेकिन इन पर कितना अमल हो पाएगा, यह किसी को नहीं पता। सरकार ने वर्ष 2019 तक साफ-स्वच्छ भारत का लक्ष्य रखा है, जो व्यावहारिक नहीं लगता है। इसी तरह वर्ष 2022 तक सभी को घर मुहैय्या कराने की बात कही गयी है, यह भी बड़ी हद तक व्यवहारिक नजर नहीं आता है। अकेले मुंबई में पचपन फीसदी लोग स्लम में रहते हैं, आखिर उन्हें किस तरह घर दिया जाएगा? बेहतर होता कि सरकार एक कमरे वाले अथवा तीन सौ से चार सौ वर्गफुट वाले घरों के निर्माण के लिए नयी हाउसिंग स्कीम्स की घोषणा करती। ...*(व्यवधान)*

मैं अंत में इतना ही कहूंगा, समय का अभाव है, आप बार-बार आदेश दे रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात शीघ्र समाप्त करता हूं। यह जो बजट है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि लोगों की जो आशायें थीं, लोगों की जो उम्मीदें थीं, जिस उम्मीद के साथ लोगों ने इस सरकार को लाने का काम किया था, उसको नजरंदाज किया गया। उनकी भावनाओं का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया गया। आने वाले समय में किस प्रकार से इस देश की जो समस्या है, मूल रूप से गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार उनका कैसे उन्मूलन होगा, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

मैं इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 5:00 बजे

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनंतपुरम): सभापति महोदय, क्या मंत्री जी वापस आ रहे हैं? क्या हम जान सकते हैं?

माननीय सभापति: वे आ रहे हैं। आप आगे बढ़िए।

डॉ. शशि थरूर: मैं अपने माननीय सहयोगियों के साथ वित्त मंत्री के बजट भाषण, मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, जो सबसे लंबा बजट भाषण है, पर उन्हें बधाई देते हुए शामिल होना चाहूंगा। वास्तव में, मेरे प्रिय मित्र श्री सुदीप बंधोपाध्याय वास्तव में गलत थे, जब उन्होंने दोनों भाषणों की तुलना की और कहा कि श्री चिदम्बरम जी का भाषण और अरूण जेटली जी का भाषण समान रूप से लंबा था। श्री जेटली जी लगभग ढाई घंटे में 16,473 शब्द बोले थे, जबकि, श्री चिदम्बरम जी ने एक घंटे से भी कम समय में 6,581 शब्द बोले थे।...*(व्यवधान)* अत:, यहां परिणाम वास्तविक महंगाई का है - 6,000 से 16,000। परन्तु, चूंकि मंत्री जी के लिए यह एक कमरतोड़ कार्य रहा है, अत: हमें सहानुभूतिशील होना चाहिए।

संप्रग द्वारा प्रस्तुत बजटों पर, पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से अपने मित्र श्री जेटली जी के विचार को सुनने के बाद, मुझे यह मानता हूं कि मैं, उनके अपने बजट में "बड़े, सख्त मतों" के अभाव के कारण थोड़ा निराश हूं, इसी वाक्यांश को उन्होंने संप्रग के विरुद्ध अक्सर प्रयोग किया है। पिछले दशक में, राजग, संप्रग द्वारा प्रस्तुत बजटों की आलोचक रही है। हम यह समझ सकते हैं कि यदि वे हमारे जगह होते तो वे बजट में क्या करते, इसका उन्हें अच्छे से आभास है। लीक से कुछ हटकर किए जाने वाले सुधार, कुछ मामलों में संप्रग की नीतियों से मूलभूत अन्तर और नि:संदेह, प्रधानमंत्री मोदी की कुछ कड़वी गोलियां। हमें ऐसा कुछ नहीं मिला।

उसके स्थान पर, हमें 29 परियोजनाएं मिलीं, जिनमें से प्रत्येक को, बालीवुड बाक्स आफिस हिट की भांति 100 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। कोई भी बजट, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को दी जाने वाली 100 करोड़ रुपये की

फुटकर धोबी की सूची नहीं हो सकती। हम समझते हैं कि ये सिर्फ इस वर्ष के लिए किए गए प्रारंभिक आबंटन हैं, न कि, इन परियोजनाओं के लिए की जाने वाली पूरी धनराशि। परन्तु यहां इन कार्यक्रमों के पीछे एक यकीन, एक स्पष्ट नीति और दिशा होनी चाहिए। क्या वह इसमें है? 100 करोड़ रुपये के ये आबंटन वास्तव में इस संबंध में सरकार की विचारधारा के बारे में वास्तविक सवाल खड़ा करते हैं। इस सब का वांछित परिणाम क्या है? प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये देने से उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो सकती है? उदाहरण के लिए जैसा कि डॉ. तंबिदुरै ने उल्लेख किया था, महिला सुरक्षा के लिए महज 100 करोड़ रुपये का आबंटन अर्थहीन है, यदि कानून और व्यवस्था जैसे मूलभूत संप्रभु कार्यों के लिए पर्याप्त परिव्यय नहीं है। माननीय जंयत सिन्हा जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था एक युद्ध पोत की तरह होती है। परन्तु, यह स्पष्ट है कि यह पोत अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। परन्तु, बहरहाल श्री जेटली के विपक्ष में रहने के दौरान उनकी अपनी प्राथमिकताएं भी जिन्हें ध्यान में रखते हुए मैं व्यापक परिदृश्य की बात करना चाहता हूं।

बजट के बारे में ऐसे कौन से महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हमें जानकारी की आवश्यकता है? सबसे पहले, यह सरकार अभी नई है, तो क्या इसके पास कोई व्यापक दृष्टिकोण है? क्या यह स्पष्ट है कि इसे किस प्रकार लागू किया जाएगा? दूसरी बात क्या अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का सही से पता लगाया जा चुका है और क्या इन समस्याओं का हल निकालने के लिए कोई नुस्खा मौजूद है? तीसरी बात, इस बजट से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा? चौथी बात यह है कि क्या विपक्ष में रहते हुए इस समय की सत्ताधारी पार्टी द्वारा दिए गए वक्तव्यों से पैदा हुई जनाकांक्षाओं पर यह बजट खरा उतरता है? मुझे यह कहते हुए खेद है कि इन प्रश्नों के साथ बजट का विश्लेषण करते हुए यहां निराशा के लिए गंभीर आधार मौजूद है।

इस बजट से आम आदमी की क्या आशाएं हैं? अपने व्यक्तिगत स्तर पर सभी लोग अपनी आय में वृद्धि और जीवन यापन के खर्चों में कमी चाहते हैं और वृहद स्तर पर ऐसी नीतियां चाहते हैं जिनसे विकास और रोजगार के अवसर पैदा हों, मूल्यों में कमी आए, और प्रत्येक भारतीय का भविष्य बेहतर हो। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है जो सक्षम हो, प्रतिस्पर्धी हो और साथ ही बढ़ती असमानताओं के दौर में मानवीय मूल्यों पर भी आधारित हो। हमें इस बजट में यह सब देखने को नहीं मिलता है। वस्तुतः, संप्रग सरकार के 2012 के बजट पर राज्य सभा में अपने भाषण में श्री जेटली ने यह कहा था कि, मैं उनके भाषण के एक वाक्य को उद्धत करता हूं "बजट से आर्थिक कार्यकलापों के दायरे और उनकी मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए।" यह एक अच्छा मानदंड है। परन्तु, उनका स्वयं का बजट इन बातों पर खरा नहीं उतरता। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार की रूपरेखा क्या है? यदि आप किसी अर्थशास्त्री से पूछेंगे तो वर्तमान में किसी भी बजट को पांच मुद्दों पर ध्यान देना होता है अर्थात राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, यानि सरकारी घाटे और ऋण बोझ को कम करना, विनिर्माण को बढ़ावा देकर रोजगार का सृजन, निवेश को मजबूती प्रदान करने के लिए बचत में वृद्धि करना, मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धि) नियंत्रण तथा घरेलू और विदेशी दोनों स्तर पर निवेशकों में विश्वास को बढ़ावा देना ताकि हम विकास दर में और सुधार कर सकें। अतः आप इस सूची में नीतियां, ऊर्जा नीतियां, मानव संसाधन विकास प्रोत्साहन, बैंकिंग और पेंशन से जुड़े कुछ सहायक बिंदु जोड़ सकते हैं जैसा कि कुछ सदस्यों ने आज किया है। हमारे पास विस्तार से प्रत्येक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है। परन्तु, वित्त मंत्री ने ऐसा किया है परन्तु उन्होंने पूरी तरह से किसी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया।

हम विनिर्माण क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं। भाजपा के एक माननीय सदस्य ने संप्रग सरकार पर आरोप लगाया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए भारत को ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जिनसे विनिर्माण लागत में कमी आए, सस्ती ब्याज दरें उपलब्ध हों, अवसंरचना में सुधार हो, बेहतर व्यापार सुविधाएं उपलब्ध हों विद्युत की दरों में कमी आए आदि। स.घ.उ. विकास दर में कमी आने का एक मुख्य कारण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कमी आना है। परन्तु, इस सरकार के बजट में, विनिर्माण में सुधार संबंधी कुछ संगत नीतियों की बात तो रहने ही दीजिए बल्कि इनमें से किसी नीति पर ध्यान तक नहीं दिया गया है। आप केवल यह घोषणा करके कि और अधिक फैक्ट्रियां खोली जाएंगी, विनिर्माण क्षेत्र को विकसित नहीं कर सकते। इन सभी नीतियों को तैयार करने की आवश्यकता होती है। वे बजट से गायब हैं।

एक ऐसी सरकार, जिसने कथित रूप से संप्रग सरकार के अनिर्णयन की काफी लंबे समय तक निंदा की हो, ने इनमें से किसी या हमारे देश की अन्य राजकोषीय प्राथमिकताओं के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उदाहरण के लिए, वर्षों तक संप्रग सरकार की कर नीतियों की बुराई करने के बाद माननीय वित्त मंत्री ने लंबित प्रत्यक्ष कर संहिता को लागू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके बजाय, उन्होंने व्यय प्रबंधन आयोग, भूतलक्षी कराधान के संबंध में सी.बी.डी.टी. की एक उच्च स्तरीय समिति, कराधान के संबंध में उद्योग के साथ संपर्क करने के लिए एक अन्य समिति, एम.एस.एम.ई. की जांच करने के लिए एक चौथी समिति आदि जैसी अनेक समितियों की घोषणा की है। यह कार्य एक ऐसी पार्टी ने किया है जिसने नियमित आधार पर संप्रग सरकार पर किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के समूह को शक्तियां प्रदान करने का आरोप लगाया है।

अब मैं व्यय प्रबंधन आयोग का उल्लेख करना चाहता हूं जिसको लेकर वे सभी काफी उत्साहित हैं। हमने वस्तुत: यह बात पहले भी सुनी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान भी श्री के.पी. गीताकृष्णन की अध्यक्षता में एक व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया था। 36 विषयों को सम्मिलित करके तैयार की गई उसकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। हमेशा की तरह कोई भी आयोग कार्य नहीं करने का एक बहाना बन जाता है। अत:, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि राजग सरकार को सुचारु रूप से अपना कार्य करने के लिए और कितने अवसर चाहिए।

मुद्रास्फीति कम करने के लिए किन्हीं विशेष उपायों की घोषणा नहीं की गई। मूल्य वृद्धि गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग पर एक निकृष्ट कोटि का कर है और यह मुद्दा आम आदमी को सबसे अधिक प्रभावित करता है परन्तु, महंगाई के कारण जनाक्रोष के बल पर सत्ता में आई पार्टी के पास महंगाई रोकने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं। हकीकत में, ईंधन पर दी जाने वाली राजसहायता में लगभग 22,000 करोड़ रुपयों की कटौती से निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने जा रही है, जिससे अन्य जरूरी वस्तुओं पर एक क्रमिक प्रभाव पड़ेगा। यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि सबके लिए महंगाई में वृद्धि होगी। हमें कम से कम यह उम्मीद थी कि वित्त मंत्री यह कहेंगे कि वह ब्याज दर संबंधी नीतियों का प्रबंधन जो महंगाई कम करने में राजकोषीय प्रयास में मददगार रहा है, में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रोत्साहित करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। परन्तु उन्होंने इसका समाधान भी नहीं किया।

तथाकथित "नव मध्यम-वर्ग", जिसके बारे में हमने भाजपा से सुना है, पर ध्यान देने में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर बस मामूली सा ही ध्यान दिया गया है। लेकिन, महत्त्वाकांक्षी युवा भारतीयों हेतु ऐसा कोई भी संकेत नहीं है कि उन 12 मिलियन युवा लोगों के लिए रोजगार कहां से आयेंगे जो हर साल हमारे देश के रोजगार बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

अब मैं संक्षेप में (और हो सकता आपको अच्छा न लगे) वृहत्-आर्थिक परिदृश्य के बारे में बात करूंगा क्योंकि कुछ ऐसी वास्तविक चिंताएं हैं कि वित्त मंत्री किस प्रकार अपने बजट से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण करेंगे। संप्रग पर 4. 6 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा घोषित करने के लिए आंकड़ों का हेर-फेर का आरोप लगाने के पश्चात्, राजग बजट ने अब उन आंकड़ों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि यह इसे कम करके 4.1 प्रतिशत तक कैसे लाएंगे, एक ऐसा लक्ष्य जिसे इसने बिना नुक्ताचीनी के प्रमाणित किया है। वास्तव में, वित्त मंत्री ने अपनी घाटे की गणनाओं को राजस्व में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित रखा है, जो कि हमारे जीवन के धीमी विकास अवधि वाले इस वर्ष में ठीक प्रतीत नहीं होता है। बजट के कुछ आंकड़ों में विश्वसनीयता का अभाव है। कर राजस्व का अनुमान जी.डी.पी. से कहीं ऊपर लगाया गया है। यह देखते हुए कि जी.डी.पी. में मामूली वृद्धि 13 से 14 प्रतिशत से ज्यादा होने की संभावना नहीं है, यह विश्वसनीयता को नकारता है (महंगाई 9 प्रतिशत के साथ में वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि 5 प्रतिशत)। इससे इसलिए भी विश्वसनीयता कम होती है क्योंकि इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में वार्षिक घाटा पहले ही 45 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है। पिछले वर्ष सीमा शुल्क राजस्वों में मात्र 6 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने के बावजूद, सरकार ने बजट में सीमा शुल्क राजस्व के लिए इस वर्ष 15 प्रतिशत की ऊंची वृद्धि का प्रावधान किया है। ऐसा किस आधार पर किया है?

रूपरेखा दर्शाती है कि सरकार को गैर-कर राजस्वों से 99,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है। यदि सरकारी सम्पत्तियों को नहीं बेचा जा रहा है तो वह कहां से आ रहा है? फिर भी, माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में 'विनिवेश' शब्द का उल्लेख तक नहीं किया है। तब भी, इस वर्ष विनिवेश से 2013-14 में प्राप्त लाभ 25,000 करोड़ रुपयों से बढ़कर 2014-15 में 63,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जोकि श्री चिदम्बरम के अंतरिम बजट से कहीं अधिक है। मुझे लगता है कि इस वाद-विवाद के उत्तर में वित्त मंत्री को स्पष्ट रूप से यह बताने की आवश्यकता है कि विनिवेश के संबंध में वह क्या करेंगे। वह राष्ट्रीय सम्पत्ति का कितना हिस्सा बेचने की योजना बना रहे हैं?

वास्तव में, यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज को उद्धृत करूं : "इस बजट में घाटे को कम करने के लिए राजस्व और व्यय उपायों का कोई विवरण नहीं दिया गया है, जिससे भविष्य में घाटे के लक्ष्यों की पूर्ति की संभावनाओं का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य श्री जयंत सिन्हा हमें बता सकते हैं : कि विदेशी निवेशक मूडीज की राय को सुनेंगे अथवा मोदी की राय को?"

फिर भी, तस्वीर के दूसरे पहलू की तरफ, अब हम आम आदमी के दृष्टिकोण से करों की बात करते हैं। विपक्ष के नेता के रूप में, अरुण जेटली जी ने मांग की थी कि आयकर छूट सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए, जिसे अब वह वित्त मंत्री रहते हुए पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस तथ्य ने भी देश भर की जनता को निराश किया है कि छूट सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ाने का वादा कर भाजपा ने छूट सीमा को मात्र 25 प्रतिशत बढ़ाकर 2 लाख रुपए से 2.50 लाख रुपए तक कर दिया है। इस तरह, हमें दोनों तरह से नुकसान हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि वृहत् आर्थिक क्षेत्र के संबंध में जिस पर वित्त मंत्री, मुझे भरोसा है बाद में जानकारी देंगे; और औसत करदाता के रूप में, जैसा कि मेरे साथी ने उल्लेख किया है, उसे प्रति माह मात्र 416 रुपए की बचत होगी जोकि आज के समय में चार लोगों के एक परिवार के लिए टमाटर, प्याज, चीनी और दूध की बढ़ी हुई कीमतों के लिए भी काफी नहीं है। इसी तरह, देश के कर को जी.डी.पी. के अनुपात में बढ़ाने के लिए कोई भी व्यापक रूपरेखा नहीं है जोकि 17 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है और देश के कर ढांचे में प्रगतिशीलता की कमी को दूर करने के लिए कोई उपाय इसमें नहीं है जो हमारे कुल कर राजस्व के दो-तिहाई हिस्से तक अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर है।

जैसा कि मैंने राजस्व बढ़ाने अथवा कर संग्रहण दक्षता के बारे में विस्तार से बताया था, स्पष्ट उपायों के अभाव में, राजग सरकार राजकोषीय घाटे का प्रबंधन कैसे करेगी? क्या इससे विकासात्मक व्यय में अनिवार्यत: कटौती नहीं होगी?

सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बड़े हिस्से में सतत स्फीति रही है जिससे ब्याज दरें बढ़ रही हैं और इसके कारण निवेश, उपभोग और रोजगार सृजन में कमी आई है। अत:, स्पष्ट रूप से ऋण अवश्य कम करना चाहिए या इसे पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। हम माननीय वित्त मंत्री के उस कथन से सहमत हैं, जो अपने भाषण में कहा था कि "हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए कर्ज की विरासत नहीं छोड़ सकते।" फिर भी, इस वर्ष, बजट में, भारत सरकार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खर्च करेगी, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उधार लेगी - इस सरकार द्वारा प्रति घंटे लगभग 69 करोड़ रुपये उधार लिया जायेगा - और पिछले वर्ष की तुलना में राजसहायता पर अधिक व्यय करेगी। वे कर्ज को कैसे समाप्त करने जा रहे हैं?

बजट में इन राजसहायताओं को युक्तिसंगत बनाने की योजनाओं; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है; और निवेशक वर्ग द्वारा अपेक्षित पूर्वव्यापी कर संशोधन को निरस्त नहीं किया गया। वास्तव में, 'आर्थिक सर्वेक्षण', जिसे बजट से एक दिन पूर्व वित्त मंत्री द्वारा स्वयं हमें प्रस्तुत किया गया था, में प्रत्यक्ष करों को दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के स्तर तक कम करने, राजसहायता प्राप्त वस्तुओं के बजाय वास्तविक शक्ति, खाद्यांकन और नकद अंतरण के साथ एक राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.ए.) अधिनियम पर विचार किया गया है। परन्तु, श्री जेटली ने इन सभी सुधारों को टाल दिया है।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बी.एस.ई. सेंसेक्स में लगातार पांचवें दिन गिरावट जारी रही है, जिसके दौरान,

ब्लू चिप इंडेक्स 1000 बिन्दु नीचे गिरा है। इस प्रकार, जबकि 100 करोड़ रुपये का दिया जाना 'प्रत्येक के लिए कुछ' बजट जैसा दिखने वाला बनता है, परन्तु स्टॉक मार्केट की प्रतिक्रिया से सिद्ध होता है कि यह वास्तव में 'किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं' वाला बजट है।

कृषि, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा देश वास्तव में, अच्छा कर रहा है, राजग सरकार के बजट में एक ऐसे वर्ष में जब किसान मानसून की कमी के कारण कठिनाई में आने की स्थिति में हैं, ऐसे में उसकी उपेक्षा किया जाना दुखद है। हां, ग्रामीण युवा उद्यमशीलता योजना बनाई गई है, जो कि एक अच्छा विचार है, परन्तु, एक ऐसे देश में, जहां हमारी 67 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है और 65 प्रतिशत युवा हैं, क्या वहां 100 करोड़ रुपये से वास्तव में कुछ खास होगा। इस प्रकार के समय में, आप उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं?

मैं, गरीब लोगों की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, पेंशन की समस्या का समाधान करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति हैं, जो 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन पर जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसमें कोई खास वृद्धि नहीं देखी है। हमने जीवन और स्वास्थ्य बीमा के लिए कर्मचारियों के अंशदान संबंधी किसी प्रस्ताव को नहीं देखा है जो कि भविष्य निधि जैसा अनिवार्य बनाया गया हो। परन्तु, आसानी से होने वाले इन कार्यों को नकार दिया गया है। इसके अलावा, सरकार के पास बुलेट ट्रेन जैसे वृहद्, महंगे, अव्यावहारिक विचार - राजग के गलत पथ पर जाने का उत्कृष्ट उदाहरण - जिनमें स्वप्न और वास्तविकता में अंतर है।

आप यह कह सकते हैं कि आप सस्ते आवास और 100 स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, परन्तु उनके निर्माण के लिए भूमि कहां उपलब्ध है?

जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है कि राजग ने संप्रग की कई नीतियों को अपनाया है, जिसकी पहले इसने आलोचना की थी और बाधा उत्पन्न की थी। परन्तु वस्तु और सेवा कर को उनके द्वारा अपनाने पर हमें बहुत खुशी हुई और जिसका उन्होंने विरोध किया था - उनकी राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया था - हम एक बार फिर राज्यों को एक विशिष्ट समय सीमा या विशेष आश्वासन के अभाव के बारे में चिंतित हैं।

विभिन्न योजनाओं, जिनके बारे में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, वास्तव में उनके नाम में परिवर्तन किया गया है, जो एक बार पुनः यह दर्शाता है कि यह स्थिति में परिवर्तन करने वाला बजट न होकर केवल नाम में परिवर्तन करने वाला बजट है।

सभापति महोदय, काफी कुछ कहना बाकी है, परन्तु, मैं सिर्फ अंतिम दो शब्दों में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि महिलाओं को इस बजट से बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि, हमें उनकी सुरक्षा की समस्याओं, उनकी शिक्षा, उन्हें आबंटित धन में संतुलन बनाने में विफलता के बारे में कुछ चिंता है। यहां तक कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराधों में 26 प्रतिशत वृद्धि हुई है परन्तु, महिलाओं हेतु बजट आबंटन में दो प्रतिशत भी वृद्धि नहीं हुई है।

अब, मैं समाप्त करता हूं। चूंकि वित्त मंत्री जी ने बजट भाषणों में अक्सर दिये जाने वाले किसी दोहे के बारे में नहीं कहा है, अतः मैंने सोचा कि मैं उन्हें इस कहानी को सटीक बनाते हुए दो दोहा सुनाऊं। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से पहला दोहा यह है।

[हिन्दी]

"कहां तो तय था, उजाला हर घर के लिए,

कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।"

[अनुवाद]

"प्रत्येक घर में उजाला करने का वादा किया था लेकिन आज शहर में एक भी दीपक नहीं जलता है।" सभापति महोदय, परन्तु, हम इस ओर के लोग आश्चर्यचकित नहीं हैं। आखिर, अमर गालिब ने कहा था कि,

[हिन्दी]

"तेरे वादे पर जिये हम, तो ये जान छूट जाना,

कि खुशी से मर न जाते, अगर ऐतबार होता।"

[अनुवाद]

"मुझे पता था कि आपका वादा झूठा है परन्तु मैंने आपके वादे पर ही जिंदगी गुजार दी। यदि मैंने विश्वास किया होता कि यह सही है, तो क्या मैं खुशी से नहीं मर जाता?"

सभापति महोदय, मुझे उम्मीद है कि राजग सरकार हमें खुशी से मरने में सहायता करेगी, बजाय इसके कि हम झूठी आशा में जिएं।

***श्री अनिल शिरोले** (पुणे): मैं सामान्य बजट के संबंध में निम्नलिखित सुझाव देना चाहूंगा।

31 मार्च, 1989 तक कर-निर्धारिति को लेखा वर्ष के चयन करने का विकल्प था। लेखा वर्ष में संगति के साथ, सभी कर निर्धारितियों के लिए पिछले वर्ष और कर निर्धारण वर्ष की अवधारणा व्यर्थ हो गई है।

व्यापार हानि को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी. क्रेडिट) को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने की अनुमति होनी चाहिए।

देर से भुगतान करने पर ब्याज की अदायगी देय तिथि से की जानी चाहिए न कि कटौती की तिथि से। इसके अतिरिक्त, यह ब्याज, अंग्रेजी शब्दकोष के अनुसार महीने की परिभाषा के आधार पर लिया जाना चाहिए न कि कैलेण्डर माह की अवधारणा पर।

संबंधित पूर्व वर्ष के दौरान और कर निर्धारण वर्ष की 31 मई तक भरी गई सभी आयकर विवरणी के लिए कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात जुर्माना 500 रुपये प्रतिमाह होना चाहिए।

व्यक्तिगत कर दाताओं के लिए आधारभूत छूट की सीमा और सभी मौद्रिक सीमाओं को एक सूचकांक के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए लागत स्फीति सूचकांक जैसा एक अलग सूचकांक प्रकाशित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए - आज आधारभूत छूट की सीमा 2,00,000 रुपये है। इसके लिए सूचकांक 100 होना चाहिए। अगले वर्ष, यदि सूचक 1.20 है, तो आधारभूत छूट सीमा 2,40,000 तक बढ़ जानी चाहिए।

इसी प्रकार, धारा 80 ग के तहत कटौती की सीमा व्यक्तियों के लिए आधार वर्ष हेतु 100 सूचकांक के साथ 1,00,000 रुपये है तो जब सूचकांक 120 हो तो इसे 1,20,000 रुपये हो जाना चाहिए।

न्यास (जैसे - तिरुपति या शिरडी) जिनकी अत्यधिक आय हो, उन्हें अपनी सम्पत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को सरकार को अनिवार्य रूप से अवसंरचना विकास की परियोजनाओं हेतु एक नाममात्र की ब्याज दर जैसे 1% पर उधार देना चाहिए या न्यासों को कुछ निश्चित सीमा के ऊपर एक नाममात्र की दर पर कर अदा करना चाहिए।

सरकार द्वारा स्वीकृत कंपनियों को अवसंरचना विकास हेतु दान दी गई धनराशि को बिना किसी सीमा के, आय से भारित कटौती दी जानी चाहिए। वोडाफोन मामले के संदर्भ में पूर्वव्यापी संशोधन से दूर रहना चाहिए।

भारतीयों के विदेशों में रखे अघोषित धन को लाने के लिए स्वैच्छिक घोषणा योजना लागू की जानी चाहिए। इस योजना को लागू करने के बाद, यदि भारतीय का कोई ऐसा अघोषित धन विदेशों में पाया जाता है तो उसे अतिरिक्त दण्ड और अभियोजन सहित जब्त किया जाना चाहिए।

जैसे ही आकलन पूरा होता है, आकलन करने वाले अधिकारी को वापिस की जाने वाली धनराशि तत्काल ई-ट्रांसफर के द्वारा करदाता के बैंक खाते में जमा करनी चाहिए। एक दिन से अधिक की देरी पर करदाता के खाते में 12% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, कुछ दिनों से बाहर से ज्यादा सदन के अंदर अच्छे दिनों की चर्चा हो रही है। बाहर के लोगों को अच्छे दिन का अहसास हो रहा है और सदन के अंदर के लोगों को अच्छे दिन आ रहे हैं, आये हैं, उसकी चिन्ता हो रही है।

सभापति महोदय, स्वाभाविक है कि 10 वर्षों से कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का परिवर्तन, ऐसी क्रांति

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आ सकती है। श्री अरुण जेटली जी ने बजट रखा और बजट के बारे में मेरे सहयोगी मित्रों में से कोई इंस्टीट्यूट को कोट कर रहे थे, कोई अखबारों में छपी बातों को कोट कर रहे थे।

(डॉ. एम. तंबिदुरै *पीठासीन हुए***)**

अपराह्न 5.18 बजे

मैं भी, कुछ अखबारों ने जो लिखा है, कुछ एडिटोरियल्स हैं, कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनके बारे में भी बताना चाहूंगा। एक अखबार ने लिखा है – "मोदी मैजिक, अच्छे दिनों की आहट" **...(व्यवधान)** और एक अखबार ने लिखा- "जेटली ने दागे गोल पर गोल।" वैसे जेटली जी क्रिकेट वाले हैं, सिक्सर पे सिक्सर। और किसी ने लिखा है कि "कर-मुक्त किया", तो किसी ने कहा "वित्त मंत्री ने आपके लिए धन की व्यवस्था की" किसी ने लिखा "करदाताओं हेतु खुशखबरी" सभापति महोदय, किसी ने लिखा, *[अनुवाद]* "अवसंरचना हेतु बड़ा प्रोत्साहन और उद्योगों के लिए खुशखबरी।" हां, श्री थरूर, आप ठीक कहते हैं। इसमें जो भी लिखा है वह इस प्रकार है : "ये केवल शुरुआती कदम और दिशाएं हैं।" एक प्रमुख समाचार पत्र लिखता है: "पटरी पर वापिस, लेकिन अभी मीलों जाना है।" *[हिन्दी]* ये सब जो अखबारों ने लिखा है, या जो जनता ने महसूस किया है, मैं समझ सकता हूं चिन्ता भी मैं मानता हूं, लेकिन उसके ऊपर आने के पहले कुछ एक्सपर्ट इकोनोमिस्ट्स हैं, उनकी भी राय बताना चाहता हूं। *[अनुवाद]* एक अर्थशास्त्री कहते हैं : "यह एक व्यावहारिक और सही प्रकार से संतुलित बजट है।" दूसरे कहते हैं : "यह ऐसा बजट है जिसमें विचार और भावना दोनों हैं।" सरकार में आक्रामकता है, मजबूती है, लेकिन इस सरकार में संवेदनशीलता भी है। एक अर्थशास्त्री ने कहा :

> "साकार अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है।"

श्री थरूर जो भी वाद-विवाद और चर्चा कर रहे थे, वह पश्चिमी अर्थव्यवस्था और पश्चिमी निवेशकों का उल्लेख कर रहे थे। उन्होंने कहा, वह श्री जेटली से कुछ पश्चवर्ती प्रभाव वाले कर सुधार संशोधनों की उम्मीद कर रहे थे। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। मैं वित्त मंत्री को भी सुझाव देना चाहता हूं कि वह विपक्ष में बैठे हैं और वह वोडाफोन, आदेश, निर्णय की बात कर रहे हैं जोकि उनकी सरकार, उनके वित्त मंत्री द्वारा किए गए हैं और वह कहते हैं कि उन्हें मोदी सरकार से उस गड़बड़ को ठीक करने की उम्मीद थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास हिला दिया है। *[हिन्दी]* मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, धीरे-धीरे आपके बगल में जो बैठे हैं, उनमें भी यह स्पिरिट आ जाएगी। ...*(व्यवधान)* किसी ने लिखा है – *[अनुवाद]* अग्रिम आदेश की सीमा बढ़ाई जिससे अनिश्चितता खत्म होगी। किसी ने लिखा है – बजट में कृषि अवसंरचना, विमानन, ऊर्जा क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। *[हिन्दी]* मैं इन सब डिटेल्स में नहीं जाता हूं, लेकिन यह बात सही है और स्वाभाविक है कि चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो या हमारा मित्र पक्ष हो या आम आदमी हो, जनता हो, उनको लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं और इसीलिए उसी के साथ में आता है "यह दिल मांगे मोर।" हमारे मित्र जो कह रहे थे, उनको भी एक आशा जगी है कि यह सरकार कुछ कर सकती है। यह सरकार कुछ कर सकती है। यही कारण है कि अपनी उम्मीदों को व्यक्त करना शुरू कर दिया है। मैं आपसे कहूंगा कि आपकी आशा, आकांक्षा और अपेक्षा बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी और फिर पप्पू भाई भी थरूर जी जैसा भाषण देने लगेंगे।...*(व्यवधान)* पप्पू भाई, आपको घर नहीं मिला, क्या इसीलिए टोक रहे हो? ...*(व्यवधान)* क्या यह अच्छे दिन नहीं हैं? सम्पूर्ण बजट क्या कहता है? यह कहता है कि कर आतंकवाद का शासन खत्म हो गया है, करानुकुल शासन बस शुरू ही हुआ है। *[हिन्दी]* क्या लगाया था गए दस सालों में? मेरे साथ बात करो, हमारा कोई आदमी आएगा, उसके साथ चर्चा करो, नहीं तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का सामना करो, मुकाबला करो। क्या स्थिति थी? क्या सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर कर आतंकवाद करने के लिए होती है? आज चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे? एफ.आई.आई. क्यों पैसा डालेगी, एफ.डी.आई. क्यों पैसा डालेगी? जरा पीछे मुड़कर देखो। यह चिन्ता आपकी है और हमारी भी है, लेकिन जो हो गया, हो गया, रोज उसके बारे में रो कर क्या करेंगे।...*(व्यवधान)* यह जो सरकार आई है वह टैक्स फ्रेंडली रिजीम वाली आई है, अस्थिरता की जगह स्थिरता लाई है। एडवांस में आपको बता दिया जाएगा कि टैक्सेशन की यह स्थिति होगी, एडवांस में आने वाले

दस साल बाद वर्ष 2022 का भारत कैसा होगा और हम कैसे हरेक व्यक्ति को घर देंगे। यह बजट उसकी दिशा देने वाला है। स्थिरता भी है और भविष्यता भी है। मैं अपने मित्र को कहूंगा कि अहंकार को थोड़े दिन बाजू पर रखो और आत्ममंथन, आत्मचिंतन करो। अब आप डबल डिजिट में आ गए हैं, आधी सेंचुरी भी न पूरी करने के पश्चात्, जब मोदी जी शपथ ले रहे हैं, उसी दिन रात को टी. वी. चैनल पर टीका करने की शुरुआत होती है। इसे अहंकार कहते हैं, और कुछ नहीं कहते हैं।...*(व्यवधान)* तो मैं पालिसी पैरालिसिस की बात कर रहा था, जिसके कारण आप 44 पर आ गए।...*(व्यवधान)* आप हमें क्यों यह बता रहे हैं, आप जनता से जाकर कहो। हमने तो जनता से सिर्फ यह कहा था - "अब की बार मोदी सरकार", लेकिन लोगों ने ई.वी.एम. का बटन दबाकर जवाब दिया, "बार-बार मोदी सरकार।"...*(व्यवधान)* बात तो सही है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति यह है कि मां हो या पिता जी हों, दादा जी हों या दादी जी हों, भविष्य के लिए बच्चों और पोतों के लिए बचाकर जाते हैं। उनके लिए बचत करने का काम करते हैं। हमारी संस्कृति में तो यहां तक है कि हमारे घरों में आप देखिए कि छोटा बच्चा, दो-तीन साल का होता है तो उसे गुल्लक लाकर दी जाती है और रोज उसमें एक रुपया, दो रुपया डालकर बच्चे में बचत करने की आदत डाली जाती है। इसलिए बचाना हमारी संस्कृति है। हम विरासत में लोगों को बचत देकर जाते हैं। अपने बच्चों और परिवार के भविष्य को बचत देकर जाते हैं।...*(व्यवधान)* हरेक की अपनी-अपनी संस्कृति है, लेकिन हमारी संस्कृति है अपनी संस्तति के लिए बचाना।

सभापति जी, मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। मुम्बई में पारसी कम्युनिटी है, काफी कम तादाद में ये लोग हैं। एक सीनियर सिटीजन जो पारसी था, रोज ऑटो रिक्शा में जाता था, 81 साल की उम्र हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने के बाद जब उनकी विल खोली गई तो वह अपने परिवार के लिए 2 करोड़ 81 लाख रुपये के शेयर छोड़ गए थे। यह हमारी संस्कृति है। लेकिन आपने हमें क्या दिया, आप दूसरे देशों की बात करते हैं, दस साल राज करने के बाद भी कर्जा-कर्जा ही छोड़ कर गए हैं। हमारी बचत दर क्या है? यह 37 प्रतिशत तक गई थी। लेकिन अभी यह 30 प्रतिशत पर आ गई है। कोई इंट्रोस्पेक्शन करेगा, क्यों हुआ यह 33 प्रतिशत सेविंग रेट? इसके अलावा 30 प्रतिशत फिसकल डेफिसिट हमें विरासत में मिला है। इसके अलावा विरासत में हमें महंगाई मिली है, सब्सिडी का बोझ मिला है, पालिसी पैरालिसिस। हमें विरासत में मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जीरो। विरासत में मिले लाखों करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट, जो एक के बाद एक घोषित तो पिछली सरकार करती गई, लेकिन सब कागजों पर ही अटके हुए हैं। इसके अलावा हमें विरासत में पावर क्राइसिज मिला है। हमें विरासत में मिला है माइनिंग नाम की चीज ही अस्तित्व में नहीं रही है। हमें यह भी विरासत में मिला है कि कोई इंवेस्टर या निवेशक यहां आकर पूंजी लगाने को तैयार नहीं है। *[अनुवाद]* मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह पता लगाएं कि विभिन्न बैंक खातों में कितना धन बेकार पड़ा है। पी.एस.यू. निजी कॉरपोरेट्स और निजी निवेशक भी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं कर रहे हैं। *[हिन्दी]* सरकार पर भरोसा नहीं है, भरोसा उठ गया और पैसा अगर कैश आइडिल रह जाएगा, यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह फरवरी 2014 में पिछली सरकार द्वारा इसी सदन में रखे गए इकॉनोमिक सर्वे में बताया गया है। उसमें लिखा है - लोग सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने को तैयार नहीं हैं।

रियल इस्टेट में पैसा जा रहा है, गोल्ड में पैसा जा रहा है। हमें अपना इकोनॉमिक सिस्टम करेक्ट करना पड़ेगा। छोटे निवेशकों में फिर से विश्वास पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड में पैसा लगाते हैं तो यह कोई फ्रूटफुल इंवेस्टमेंट नहीं है। इसी तरह रियल इस्टेट में पैसा जाता है तो वह भी रियल इंवेस्टमेंट नहीं है।

मैं मानता हूं कि आप निराश हैं, हताश हैं और मायूस हैं, लेकिन महंगाई के लिए आंसू बहा रहे हैं। मैं भी देख रहा था उनके आंसू। मैंने थोड़ा प्रयत्न किया समझने का कि क्या वास्तव में ये महंगाई के लिए आंसू बहा रहे हैं, फिर देखा तो पता चला कि ये तो मगरमच्छ के आंसू थे। हम मानते हैं कि यह हमारी तरफ से निर्णयात्मक गलती है। हमें पता नहीं था कि इतनी बुरी हालत इन्होंने अर्थव्यवस्था की कर रखी होगी। मैं दो तीन उदाहरण दूंगा। पिछले सप्ताह ही जब मैं हवाई जहाज से दिल्ली से मुंबई जा रहा था, पी.एस.यू. बैंक के सी.एम.डी. मेरे पास बैठे

थे। उससे चर्चा हुई तो मुझे धक्का लगा। उन्होंने कहा कि मार्च महीने के अंत में जबर्दस्ती करके एडवांस टैक्स के नाम पर 3 हजार करोड़ रुपये भरने के लिए फोन आए। इसे अप्रैल में वापिस किया गया। मैं चार्टेड एकाउंटेंट हूं और एकाउंटेंट जगलरी क्लाइंट के लिए कभी-कभी करते हैं, कभी-कभी विंडो-ड्रेसिंग करते हैं लेकिन देश की जनता के साथ में आप जगलरी करते हो? दूसरा उदाहरण देता हूं। एक तेल पी.एस.यू. को कम्प्लसरी प्रैसराइज करके कहा गया कि टैक्स एडवांस में भरो, क्योंकि 31 मार्च 2014 का जो फाइनेंस स्टेटमेंट जाएगा, हम चुनाव में जा रहे हैं ताकि हम लोगों के सामने एक गलत पिक्चर रख सकें। उस पी.एस.यू. को उस अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से ऋण लेना पड़ा, जिसे उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जगलरी किस प्रकार की करते हैं। पांच फरवरी 2014 को रेलवे का बजट रेलवे बोर्ड लिखता है, दस हजार करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट्स सैंक्शन करता है, दस हजार करोड़ रुपये डैबिट साइड पर खर्च कर देता है, तो क्रैडिट साइड में 14 टका किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखकर डैबिट-क्रैडिट बैलेंस की जाती है। वे रेलवे मंत्रालय जाते हैं तो पांच फरवरी को यह सब बराबर करके नये प्रोजैक्ट्स घोषित कर दिये जाते हैं और 11 फरवरी, 2014 को मेरे देश का प्रधानमंत्री उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है कि अभी कोई किराया वृद्धि करने की जरूरत नहीं है। क्या इस प्रकार से हम देश चलाएंगे? क्या लोक सभा के चुनाव जीतने के लिए देश के साथ गद्दारी करेंगे? इसे संसद के सामने रखा जाता है, संसद का अपमान किया जाता है। चुनाव आयोग ने टाइम-टेबल डिक्लेयर नहीं किया था, इसके लिए लिखा कि एक मई तक पोस्टपोन। एक मई को वापस गये तो रेल मंत्री ने कह दिया कि 16 मई तक के लिए स्थगित क्योंकि 16 मई को काउंटिंग होगी और 16 मई को जब बेड़ागर्क हो गया तो लिखा दिया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित। अब अरुण जेटली जी से सवाल पूछते हो, यह क्या हमने किया था? 10 हजार करोड़ रुपये खर्च कर डाले, क्या इस प्रकार से सरकार चलाएंगे, इस प्रकार से देश के लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ करेंगे? मित्रो, मुझे मंजूर है, चिंता वाजिब है क्योंकि तिजोरी खाली है। मैं मानता हूं कि "कौशल, निर्माण और रूपान्तर" ...*(व्यवधान)* यह हमारे पास दृष्टि है, हमने कहा कि "कौशल, निर्माण और रूपान्तर" देखने के लिए दृष्टि चाहिए। अब इनकी दृष्टि देखो। वोट ऑन एकाउंट फरवरी 2014, मैंने यह दस्तावेज लाइब्रेरी से प्राप्त किया है। सुदीप जी आप बता रहे थे, जो फरवरी 2014 में रखा गया, उसमें लिखा है कि "बचत की दर 30.1 प्रतिशत है और निवेश पिछले पांच, दस वर्षों में सबसे कम हो गया है।" यह मैंने पेश नहीं किया है यह माननीय चिदम्बरम जी ने पेश किया है। उसमें लिखा है "जी.डी.पी. विकास दर कम होकर 4.4 प्रतिशत रह गई है।" मैं एकाउंट की जगलरी जानता हूं, मैंने पी.एच.डी. फाइनेंस में की है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे दूसरी पी.एच.डी. करनी पड़ेगी। आप देखो कि इन्होंने किस प्रकार से जगलरी की है। फिसकल डेफिसिट कम किया है, यानी क्या किया, संसद में रखा कि मैं पचास हजार करोड़ रुपया खर्च करूंगा, लेकिन खर्च 30 हजार करोड़ रुपए किए। मैं इसे पढ़ रहा हूं। मैं इसे आपको दे सकता हूं। आप गरीबों की जो चिंता कर रहे थे, झुग्गी-झोपड़ी वालों की, महिलाओं की, वह आपको बता रहा हूं कि चिदम्बरम जी कितनी चिंता करते थे।

[अनुवाद]

महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत केन्द्र सरकार का वास्तविक खर्च बुरी तरह से कम होकर वर्ष 2011-12 में 64,263 करोड़ रुपए से घटकर 2012-13 में 50,187 करोड़ रुपए रह गया। मैं आगे का भी पढ़ता हूं।

विचलित करने वाली बात कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग-दो सरकार द्वारा मनरेगा की उपेक्षा है। आपने टी.वी. पर विज्ञापन दिए थे और चार महीने टी.वी. पर चलता था कि मनरेगा, मनरेगा, मनरेगा। पिछले तीन वर्षों में, महत्त्वपूर्ण योजनाओं हेतु कोष को स्थिर रखा गया है। 2011-12 में यह 29,213 करोड़ रुपए, 2012-13 में 30,274 करोड़ रुपए और 2013-14 में 33,000 करोड़ रुपए था।

अब मैं बाल कल्याण योजनाओं की बात करता हूं। वर्ष 2013-14 में साढ़े छह परसेंट कम कर दी गई।...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात भी करूंगा, इतनी क्या जल्दी है, अभी आपको दस साल उधर बैठना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में कुल आवंटन को घटाकर 3,530 करोड़ रुपए से घटाकर 3,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कांग्रेस की यू.पी.

ए. सरकार की आमदनी अट्ठनी थी और खर्चा रुपया था। इस कारण हमें यह स्थिति विरासत में मिली है। लेकिन हम इससे बाहर आने वाले हैं।

महोदय, अगर हम एक-एक बात करें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। यदि किसी देश को ऐसी स्थिति से बाहर आना है, तो उसका पहला ध्यान अवसंरचना पर होना चाहिए। महोदय, बुलेट ट्रेन कोई शब्द नहीं है। बुलेट ट्रेन मोदी सरकार की संकल्पना है। बुलेट ट्रेन की तरह इकोनोमी को आगे ले जाना चाहते हैं। सपना देखने की हिम्मत हमारे में है। सपना देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए और लोगों ने हमें यह सपना पूरा करने के लिए बहुत सामर्थ्य दिया है। मैं मानता हूं कि यहां बहुत चर्चा हो रही थी कि डिफेंस में एफ.डी.आई.। मुझे समझ नहीं आता है कि जब कभी हम कोई बात करते हैं तो क्या वह हमारी समझ में आती है। यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन यहां मत करो। हमारा सैनिक सीमा पर लड़ेगा लेकिन उसकी बंदूक में जो गोली होगी वह अमरीका से, फ्रांस से या जर्मनी से हम इम्पोर्ट करेंगे। अगर मैं जर्मनी से या जापान से या फ्रांस से लाता हूं तो उसका क्या मतलब है? फिर 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. हो गया कि नहीं हो गया? और यह इसे 100 प्रतिशत ही मात्र किसी विदेशी द्वारा नहीं बनाया जाता बल्कि इसका नियंत्रण और सब वहीं रहता है। उसके बदले में अगर हमारे अरुण जेटली जी या नरेन्द्र मोदी जी यह संकल्पना रखते हैं कि आज मैं 49 प्रतिशत और चार साल के बाद मैं 25 प्रतिशत करूंगा और दस साल के बाद पूरा डिफेंस प्रोडक्शन हिन्दुस्तान की कंपनियां बनाएंगी। मैं यह नहीं समझ सकता हूं कि मेरे यहां का इंजीनियर नासा में जाकर काम करता है, मेरे यहां मुंबई में विकरोली में गोदरेज कंपनी है। वहां पर अमरीका की नासा का माल बनता है। डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स, आइटम्स बनते हैं। गोदरेज अमरीका के नासा के लिए बना सकती है लेकिन यह गोदरेज हिन्दुस्तान के लिए नहीं बना सकती। यह आपकी अर्थनीति है। ...*(व्यवधान)* ऐसी अर्थ नीति हमें नहीं चाहिए और हमें नहीं हिन्दुस्तान की जनता ने कहा कि यह आपने जिस तरह का माहौल बनाकर रखा है, ...*(व्यवधान)*

हमने फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट के लिए रिफॉर्म्स रखे हैं। मेरे मित्र, जयंत सिन्हा ने कहा कि हमें अधिक निवेशक चाहिए, चाहे यह बड़े अथवा छोटे निवेशक हों। किसान विकास पत्र क्या है? किसान विकास पत्र हम सब जानते हैं कि अपने गांव में अपने क्षेत्र में छोटी इंकम ग्रुप की महिलाएं अपने पति से छुपाकर कुछ बचत करती हैं और बचत यानी कहां इंवेस्टमेंट करना है, आज अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं तो अरुण जेटली जी ने, गांव के लिए छोटी इंकम ग्रुप के लोगों के लिए किसान विकास पत्र का रास्ता बताया। मैं उनका स्वागत करता हूं। आज मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतने सारे इंसेंटिव्स डिक्लेअर किये। 10 साल से, 12 साल से हिन्दुस्तान के लोग चिंता करते हैं कि पैन से लेकर प्यानो, पहनने वाली चप्पलों से लेकर हेअर क्रीम तक हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। मेरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर ट्रेडर बन गया है। इस स्थिति में अगर मोदी सरकार परिवर्तन लाती है तो इसमें गलत क्या है?

इसी प्रकार के जो सुझाव दिये हैं, मैं इसके बारे में सिर्फ उल्लेख करूंगा और डिफेंस के बारे में एक और बिन्दु कहना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधान मंत्री जी ने दूसरे देशों के लिए पांच सैटेलाइट छोड़े। अगर मेरा 'इसरो' जर्मनी से लेकर दूसरे देशों के लिए बना सकता है तो फिर यहां पर अगर फॉरेन के कोई पार्टनर लेकर वे क्यों नहीं बना सकते?

मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। बी.जे.पी. का समय है। मैं वित्त मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा कि आपने स्मॉल इंवेस्टर को अनेक रियायतें दी हैं लेकिन आज मुझे लगता है कि यह ऐसा बजट है जिसे जुलाई में पारित किया जा रहा है। हमें टैक्स रिटर्न 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2014 तक भरने पड़ते हैं। आपने जो डैफ्ट फंड वाला यानी बहुत अच्छा कदम उठाया। क्योंकि उस साधन का मध्यस्थता शुल्क हेतु दुरुपयोग किया गया था। अच्छा कदम है लेकिन 1 अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो पीरिएड है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा स्पष्टीकरण दे देंगे तो छोटे निवेशकों को एक अच्छा पॉजीटिव मैसेज जाएगा। इसी तरह से रियल एस्टेट में कुछ नयी स्कीम लेकर आए हैं। मैं इसे शुरुआत समझता हूं।

मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और होम वर्क करके क्योंकि मुझे एक ही बात की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना है। हमने एक सिस्टम बना रखा है कि ब्लैक मनी या स्विस बैंक एकाउंट जो हम बोलते हैं, आज

तक हम मॉडेस्ट जस्ट रूट बोलते थे। मॉडेस्ट जस्ट रूट क्या है? मॉडेस्ट जस्ट रूट और कुछ नहीं बल्कि नियामक से बचने का और नियामक प्रणाली से बचने का तरीका है। यहां तक टैक्स बचाने के लिए हमारे लोग ही वहां कंपनियां खोलते हैं। यह रिट्ज अगर मैं सिंगापुर में खोलूंगा तो मुझे सिर्फ 12 प्रतिशत टैक्स भरना पड़ेगा। जहां तक विश्वास निर्माण करने की बात है, मैं एक ही बात कहकर समाप्त करूंगा कि हां, हमारी आंखों में भविष्य के स्वर्णिम स्वप्न हैं। हमें नया भारत बनाना है। हमारी आंखों में अटल जी की कविता है, भविष्य के स्वर्णिम स्वप्न हैं किंतु हम निद्रा में नहीं हैं, हमें वर्तमान की चुनौती स्वीकार है। वर्ष 2022 में जब हिन्दुस्तान अपनी आजादी का 75वां वर्ष मना रहा होगा तो विश्व में डेवलप्ड इंडिया होगा और पहले पांच देशों में हमारा देश होगा, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं।

[अनुवाद]

***श्री देवुसिंह चौहान** (खेड़ा): सभापति महोदय, मैं राजग सरकार के आम बजट पर अपने विचार रख रहा हूं और इस बजट का पूरे दिल से समर्थन करता हूं। संप्रग सरकार के पिछले 10 वर्षों के दौरान जी.डी.पी. बहुत कम थी और पिछले दो वर्षों के दौरान यह मात्र 4.5% और 407% थी।

संप्रग सरकार के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत ही कम था। जिसके कारण भारत में बहुत बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं।

सरकार को राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर जी. एस.टी. को लागू करना चाहिए।

रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खरीद की गई है। लगभग 70% का आयात किया गया है और पूरे विश्व में हम सबसे बड़े आयातक हैं। अतः हमने इसे रक्षा क्षेत्र में 26% से बढ़ाकर 49% प्रतिशत किया है।

पर्यटन हेतु आवंटन को बढ़ाना चाहिए।

राजग सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को बहुत कुशलता के साथ लागू करना चाहिए।

इस बजट में मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ाना चाहिए जो देश में ज्यादा रोजगार देंगे।

सीमा शुल्क बहुत कम हैं और करदाताओं को, विशेषकर इस देश के आयकर दाताओं को अधिक राहत दी जाए।

सरकार द्वारा घोषित की गई नई राहत के बाद बचत अधिक होनी चाहिए, हालांकि संप्रग सरकार के पिछले 10 वर्षों के दौरान यह बहुत कम थी।

सरकार इस तरह की एक नीति बनाकर गरीबों की सहायता करने का प्रयास कर रही है जोकि गरीबों के हित की नीति भी है।

यह बजट वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और यही कारण है कि मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री ए. अनवर राजा (रामनाथपुरम): माननीय सभापति, मैं वर्ष 2014-15 के केंद्रीय आम बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, यह मेरा पहला भाषण है अतः मैं आशा करता हूं कि सभापति महोदय मुझ पर कृपा करेंगे।

सर्वप्रथम, मैं अपनी आदरणीय नेता, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री, क्रांतिकारी नेता 'अम्मा' का मुझे लोक सभा का सदस्य बनवाने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके बाद मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी नेता पर ध्यान दिया और मुझे वोट दिया।

सामान्य तौर पर मैं आम बजट का समर्थन व्यक्त करता हूं। मैं बजट का स्वागत और सराहना करने में अपनी नेता अम्मा का अनुसरण करूंगा। वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत किया मैं उससे प्रभावित हुआ। मुझे तिरूवल्लुवर की निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियां याद आईं :

इयात्रलुम इतालुम फताहथलुम कात्था

वागुथलुम वल्ला अरासु

इस दोहे का सार 'अर्थक्षम संसाधनों का सृजन करना, राजस्व अर्जित करना, उन्हें सुरक्षित रखना और उन्हें विवेकानुसार व्यय करने में सरकार की सामर्थ्य' है। तमिलनाडु

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की हमारी प्रगतिशील मुख्यमंत्री, माननीय अम्मा एक सफल प्रशासन बनने के लिए का पालन करती हैं।

महोदय, मैं इस सभा में नया हूं। मैं सभा की कार्यवाही को बड़े ध्यान से देखता हूं। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि बेकार के मुद्दों पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अव्यवस्था फैलाई जाती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि एक पुराना दल ऐसा करता है। पूर्व में, भाजपा और विपक्ष में अन्य दलों ने केवल मुद्दों पर आधारित विरोध किए। इस दौरान 2जी, राष्ट्रमंडल खेल, कोयला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, हेलीकॉप्टर डील इत्यादि घोटाले होते रहे। विपक्ष की आवाज भ्रष्टाचार के विरुद्ध और उसे सामने लाने के लिए उठती रही।

इस वर्ष का केंद्रीय बजट भविष्योन्मुखी बजट है। यह अनेकों को अनेक तरीकों से संतुष्ट करता है। यह उत्तरदायित्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि इसमें वित्तीय अनुशासन का पालन किया गया है। मैं तमिलनाडु को ध्यान में रखकर कई योजनाओं की घोषणा करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम और चेन्नई में मद्रास मेडिकल कॉलेज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग की घोषणा की गई है। इनका हमारी माननीय मुख्य मंत्री अम्मा द्वारा पहले ही प्रस्ताव किया गया था। अत:, मैं सरकार का पुनः धन्यवाद करता हूं। थुथुकुड़ी में आउटर हार्बर प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट के प्रस्ताव वास्तव में स्वागत योग्य हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इनको शीघ्र पूरा करने हेतु धनराशि आबंटित और जारी करे। रेल बजट की तरह सामान्य बजट में विदेशी और निजी क्षेत्र की भागीदारी का पुनः संकेत दिया गया है।

हमारी माननीय मुख्यमंत्री अम्मा ने इस बारे में सचेत किया था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से खुदरा व्यापार में लाखों लोगों की दुर्दशा होगी। हमारी अम्मा का विचार है कि खुदरा व्यापार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत केंद्र ने पुनरुद्धार कार्य आबंटन के मामले में प्रशंसनीय कार्य किया है। एम.जी.एन.आर.ई. जी.एस. के अंतर्गत पुनरुद्धार कार्य आबंटन के मामले में केंद्र ने प्रशंसनीय कार्य किया है। इसके बाद, कार्यों को कृषि प्रचालनों से जोड़ा जाएगा और यह कदम स्वागत योग्य है। मुझे यह कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में हमारी अम्मा के मूल्यवान सुझावों को स्वीकार किया है।

जैसा कि बजट में प्रस्ताव है, केंद्र सरकार तमिलनाडु में कांचीपुरम और वेलनक जैसे कतिपय विरासत कस्बों को नया रूप देगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह श्रीरंगम को भी इसमें सम्मिलित करें जो कि तमिलनाडु के मध्य में है। हमारी मुख्यमंत्री, अम्मा जो कि तमिलनाडु के दिल में हैं उन्होंने भी हमारे प्रधानमंत्री से इस पर विचार करने के लिए कहा है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि यह सरकार हमारी माननीय अम्मा जैसे कुशल प्रशासकों से मिलने वाले अच्छे सुझावों का स्वागत करती है।

इस बजट की सबसे सराहनीय और प्रमुख विशेषता भारत की नदियों को आपस में जोड़ने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना है। ग्रामीण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने हेतु भारत की नदियों को आपस में जोड़ना बहुत आवश्यक है। काफी पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग की पहली सरकार के कार्यक्रम में हमारी क्रांतिकारी नेता अम्मा ने इस कार्य को करने पर जोर दिया था। मेरे विचार से यदि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं जिसकी हमारे देश को अत्यंत आवश्यकता है तो उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।

हमारे देश की लगभग 70% जनता ग्रामीण-कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली अधिकांश जनता ग्रामीण भारत में रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास को बढ़ावा देना समय की मांग है। यह ग्रामीण भारत में बेरोजगारी और गरीबी जैसी अनेक समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकती है।

वृक्षों की कटाई और पारिस्थितिकी में परिवर्तन से भूजल क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसका एकमात्र समाधान हमारे देश की बारहमासी नदियों को आपस में जोड़ना है। हमारी नदियों के अपशिष्टों का महासागरों में प्रवाह बड़ी चिंता का विषय है। यदि सभी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो हम गरीबी मिटा सकते हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि निर्वाचन आयोग की तरह संवैधानिक निकाय के रूप में एक स्वायत्तशासी नदी

प्राधिकरण स्थापित किया जाए। यह हमारे देश की नदियों अर्थात् राष्ट्रीय आस्तियों के इष्टतम उपयोग के लिए आवश्यक है। दिन-प्रतिदिन हम विभिन्न राज्यों के बीच जल बंटवारे संबंधी विवाद होता देखते हैं। कावेरी जल विवाद काफी समय से लंबित है। यदि सभी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो सभी संबद्ध राज्यों की अपनी-अपनी समस्याओं का समाधान उनकी संतुष्टि के अनुरूप हो सकता है।

मैं आशा करता हूं कि श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश की सभी नदियों को आपस में जोड़ने वाली इस परियोजना को सभी परियोजनाओं में सर्वोपरि परियोजना के रूप में लेगी और गरीब लोगों के जीवन में सुधार करेगी।

इतने वर्षों से कांग्रेस गरीबी दूर करने के वादे करती रही है। परन्तु उसने किसी की परवाह नहीं की। हमने कर्ज के जाल में फंसे लाखों किसानों को भूख से मरते देखा है। यहां तक कि संप्रग सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना का भी कुछ पता नहीं।

यहां, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि अम्मा के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार पारिवारिक राशन कार्ड रखने वाले सभी गरीब लोगों को मुफ्त चावल उपलब्ध कराती है। गरीबी के विरुद्ध संघर्ष में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए तमिलनाडु सरकार प्रति वर्ष 4000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करती है। गरीबी उन्मूलन के लिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस योजना को पूरे भारत में लागू किया जाए। तब तक केंद्र तमिलनाडु में इस योजना पर व्यय की गई इतनी ही धनराशि प्रदान करे।

महोदय, इस सभा के सामूहिक अंत:करण की अपील करता हूं। यह हमारे अपने मछुआरों की दु:खद कहानी है। यह मुद्दा मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है क्योंकि यह मेरे तटीय क्षेत्रों में स्थित है और इसमें तटीय क्षेत्र के पांच जिले सम्मिलित हैं। ये सभी भारतीय नागरिक हैं। तटवर्ती तमिलनाडु के इन सभी मछुआरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोगों पर निर्ममतापूर्वक हमले किए गए हैं। कई बार हमारे मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियों और उनकी नौकाओं को छीन लिया गया है। हमारे मछुआरों को गिरफ्तार करना और उन्हें हिरासत में लेना जारी है और केवल दृढ़प्रतिज्ञ कार्रवाई से ही इस प्रकार के गलत कार्य पर रोक लगेगी।

हमारी सरकार तमिल मछुआरों को बचाने के लिए दृढ़ क्यों नहीं है? क्या ये भारतीय नागरिक नहीं हैं? श्रीलंका की उग्र गतिविधियों को रोकने के लिए कोई निश्चित कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। हमारे गरीब मछुआरों द्वारा मत्स्यन के अपने पारंपरिक पेशे को चलाने हेतु सुरक्षा उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार कोई रुचि क्यों नहीं दिखाती है? इसका क्या कारण है? तमिलनाडु के हमारे तटवर्ती क्षेत्रों के इन सभी गरीब मछुआरों को हमारे अपने रक्षा बलों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हमारे वित्त मंत्री जो कि रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने रक्षा हेतु आबंटन में वृद्धि की है। हम जानते हैं कि बढ़ी हुई राशि हमारे हितों और हमारे भारतीय नागरिकों की रक्षा करने के लिए है।

महोदय, यहां तक कि कानून के रखवाले और उन्हें लागू करने वाली एजेंसियां भी हमारे मछुआरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। जाल फैलाते समय यह पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि किस प्रकार की मछली पकड़ी जाएगी, परन्तु गलती से भी क्युकुंबर के जाल में आ जाने पर गरीब मछुआरों को कड़ा दंड दिया जाता है और केवल क्युकुंबर को पकड़ने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से ही इस स्थिति से बचा जा सकता है।

हमारे मछुआरों पर श्रीलंका द्वारा बार-बार यह झूठा आरोप लगाया जाना कि वे दोनों देशों की समुद्री सीमा रेखा का उल्लंघन करते हैं, एक गंभीर बात है। खुले समुद्र में इस प्रकार के कभी-कभार होने वाले भटकाव आम बात है परंतु श्रीलंका अपनी सभी सीमाएं लांघ जाता है। हम उसे मित्र देश कहते हैं। मेरा मानना है कि केवल कच्चाथीवू को वापस लेने से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। हमारी अम्मा अपने मछुआरों के पूरी तरह से साथ हैं। वह कच्चाथीवू और भारतीय मछुआरों के अधिकार वापस लेने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। भारत सरकार को अंतर-देशीय समझौतों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। शिमला समझौते का क्या हुआ? राजीव-जयवर्धने समझौते का क्या हुआ? पूर्व के श्रीलंका समझौतों का क्या हुआ? क्या दोनों तरफ सभी तमिल सुरक्षापूर्वक रह रहे हैं? कच्चाथीवू को सौंपे जाने को संसदीय स्वीकृति नहीं मिली है। अत:, हमें इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

हमारी नेता अम्मा ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी उच्चतम न्यायालय में दाखिल शपथ-पत्र से अवगत नहीं होंगे जिसमें यह दावा किया गया है कि हमारे मछुआरे कच्चाथीवू के निकट मछली पकड़ने नहीं जा सकते। अतः, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह कच्चाथीवू को वापस लें और इस समस्या को हमेशा के लिए हल कर दें।

हमारी नौसेना को हमारी समुद्री सीमा-रेखा और भारतीय मछुआरों की रक्षा करनी चाहिए तथा रक्षा के बढ़े हुए बजटीय आबंटन का इस प्रयोजनार्थ बेहतर तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए।

इसके साथ, मैं बजट के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

माननीय सभापतिः माननीय सदस्यों, अब शाम के 6 बजने वाले हैं। यदि सभा उचित समझती है तो हम सभा का समय एक घंटा और बढ़ा सकते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय 'शून्य काल' का क्या होगा?

माननीय सभापतिः सामान्य बजट पर यह वाद-विवाद सायं 7.00 बजे तक चलेगा। उसके बाद, हम 'शून्य काल' आरंभ करेंगे। इसलिए, सभा का समय सायं 7.00 बजे तक बढ़ाया जाता है।

अनेक माननीय सदस्यः जी हां, महोदय।

माननीय सभापतिः अगले वक्ता श्री बी.एस. येदियुरप्पा हैं।

[हिन्दी]

***डॉ. वीरेन्द्र कुमार** (टीकमगढ़): आम बजट विकासोन्मुखी है, यह बजट विकास के रास्ते खोलेगा। इसमें युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिये प्रावधान किये गये हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले मेन्यूफैक्चिरंग व इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बढ़ावा देने के अलावा यह बजट वित्तीय बजट को मजबूती प्रदान करेगा। सबको स्वास्थ्य लाभ देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बजट में स्पष्ट दिखायी दे रही है। चार नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने, मुफ्त दवाओं और निदान सेवाओं को प्राथमिकता देने की बात बजट में कही गयी है। बजट में 12 और सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। दंत चिकित्सा से जुड़े उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जायेगा। राज्यों में 15 आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा स्वागतयोग्य कदम है। इन सभी प्रयत्नों से चिकित्सा क्षेत्र में सुधार होगा तथा डॉक्टरों की कमी की समस्या भी कुछ हद तक दूर हो सकेगी। सरकार देश के पांच लाख भूमिहीन किसानों को सस्ते दरों पर कर्ज मुहैया करायेगी। झारखंड एवं आसाम में दो कृषि अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना तथा आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय, तेलंगाना और हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा एवं किसान विकास पत्र फिर से प्रारंभ किये जाने वाले कदमों से कृषि क्षेत्र को काफी बल मिलेगा।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को महत्त्व देते हुए सबसे पहले बालिकाओं के स्कूल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की गई है। स्कूलों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना प्रभावी साबित होगी तथा लड़कियां बीच में पढ़ाई न छोड़ें, इसके लिए बालिकाओं के सभी स्कूलों में पेयजल एवं शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। सरकारी सड़क परिहवन में महिलाओं की सुरक्षा योजना शुरू की जायेगी। शहरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे।

बजट में आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। रक्षा एवं गृह मंत्रालय के बजट में खासी बढ़ोतरी की गई है। उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार ने शहीदों के संबंध में युद्ध और पुलिस स्मारक बनाने की घोषणा की, जिससे उन सैनिकों के परिजनों में गर्व का भाव जागृत हुआ है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

अनुसूचित जाति योजना के लिए 50548 करोड़ रुपये तथा जनजातीय उपयोजना के लिए 32387 करोड़ रुपये के प्रावधान से समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों को

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से बराबरी पर लाने में मदद मिलेगी।

आवासहीनों, विशेषकर युवाओं को अपने घर के लिए प्रोत्साहित करने हेतु गृह ऋणों पर विस्तारित अतिरिक्त कर प्रोत्साहन योजना को प्रभावी बनाने से तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के सहारे निम्न लागत के सस्ते मकानों संबंधी मिशन गठित होने से आवास कमी की समस्या काफी सीमा तक हल करने में मदद मिलेगी। इंकम टैक्स में भी छूट के लिए उठाये गये कदमों की सभी वर्गों के द्वारा सराहना की जा रही है।

बजट काफी सराहनीय है, फिर भी कुछ विशेष कदम उन क्षेत्रों के विकास के लिए उठाने की आवश्यकता है, जो दौड़ में अभी बहुत पीछे हैं। मध्य प्रदेश का बुन्देलखण्ड आज विशेष संरक्षण चाहता है। बुन्देलखंड पैकेज से शुरुआत हुई है, किंतु जल आवर्धन सिंचाई की बड़ी योजनाएं अभी टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पन्ना में बनाने की आवश्यकता है। नदियों को आपस में जोड़ने की योजना एन.डी.ए. सरकार के समय बनायी गयी थी, उसमें टीकमगढ़, छतरपुर की केन एवं बेतवा नदियों को प्रथम चरण में जोड़ा जाना था। वह कार्य अब प्राथमिकता से किया जाना चाहिये। इस योजना से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के कई जिले लाभांवित होंगे। सिंचाई के साथ पेयजल समस्या का निदान एवं रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। टीकमगढ़, छतरपुर संसदीय क्षेत्र में कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं मिनोरा फार्म पर काफी कृषि भूमि उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने भी केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था। अत: केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय संसदीय क्षेत्र में खोला जाना चाहिये तथा कृषि पर आधारित उद्योग अथवा खाद कारखाना खोलने की योजना आवश्यक है।

छतरपुर में एन.टी.पी.सी. खोले जाने का कार्य आरंभ हो गया है। यहां के पहाड़ों में पाये जाने वाले पत्थरों में लोहे की मात्रा बहुत अधिक है। अत: स्टील कारखाना छतरपुर में खोला जाना चाहिये। स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया ने भी मध्य प्रदेश शासन के साथ इन्वेस्टर्स मीट में इस संबंध में हस्ताक्षर भी किये थे। बिजली उपलब्ध होने से स्टील कारखाना खोलना आसान हो जायेगा।

बुन्देलखण्ड में पर्यटन की अपार संभावनायें हैं। ओरछा, खजुराहो जैसे प्रसिद्ध पर्यटक एवं धार्मिक स्थल यहां हैं। महाराजा छत्रसाल के शौर्य से जुड़ी अनेक स्थलियां एवं पुरातत्व से जुड़े अनेक स्थान यहां हैं। कुन्डेश्वर, ओरछा, मऊ, सहानियां, खजुराहो, जटाशंकर, बल्देवगढ़ का किला का एक पर्यटक सर्किल बनाकर 3-4 दिनों का टूर बनाया जा सकता है। देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक एवं धार्मिक जन यहां आते हैं। सड़कों का विस्तार पर्यटन सुविधाओं में वृद्धि एवं खजुराहो के एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विस्तार एवं ओरछा में हवाई सुविधाओं के प्रारंभ होने से पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि तथा राजस्व आय में वृद्धि होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

अंत में विकासवादी बजट लाने के लिए मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली का धन्यवाद करते हुए बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: अगले वक्ता श्री बी.एस. येदियुरप्पा हैं।

श्री बी.एस. येदियुरप्पा (शिमोगा): माननीय सभापति और माननीय सदस्य : वर्ष 2014 के चुनाव में भारत की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। वह केवल सत्ताधारी दल को ही नहीं अपितु जिस तरह से अर्थव्यवस्था चलाई जा रही थी उसमें भी बदलाव चाहती थी। श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत नया बजट उन सकारात्मक परिवर्तनों के अनेक संकेत देता है जो श्री मोदी की सरकार लाना चाहती है।

सायं 6.00 बजे

निश्चित रूप से जनता में काफी उत्सुकता थी और इस बजट में प्राथमिकताओं और रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित करके इष्टतम स्तर तक उनकी उत्सुकता का निवारण करने का प्रयास किया गया है। हम सब जानते हैं कि बजट प्रस्तुत करना एक दिन का कार्य नहीं है। बल्कि यह अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकार की दूरदृष्टि के अनुसार कार्य पूरे करने का प्रयास है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए बजट बनाना किसी भी स्तर पर कठिन कार्य था।

वित्त मंत्री ने उपलब्ध संसाधनों के इर्द-गिर्द बुद्धिमत्तापूर्ण विकल्प चुने हैं और राजकोषीय घाटा कम करने तथा

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा से रूपरेखा तैयार की है। यद्यपि हम आशा करते हैं कि वह राजकोषीय घाटे को कम करने तथा सरकारी व्यय घटाने के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करें तथापि यह अति चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है। अवसंरचना को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने का उनका प्रयास काफी श्रमसाध्य प्रतीत होता है और उन्हें अपने पहले बजट में आम आदमी के हित की सही ढंग से रक्षा की है।

अब, मैं बजट प्रावधानों और प्रस्तावों पर अपनी राय व्यक्त करूंगा। यह सरकार सिर्फ सात सप्ताहों से सत्ता में है और कोई भी सरकार सात सप्ताह के समय में ऐसी अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए थोड़ा कार्य ही कर सकती है जो कि बहुत कमजोर स्थिति में हो। पिछले कई बजटों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मरणासन्न बना दिया बजाय इसके कि स्थिति की गंभीरता का पता लगाकर उसमें सुधार किया जाए। यह पहला बजट पर्याप्त रूप से स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देने वाला है। अतः, इस बजट को हमारे देश के अधिकांश क्षेत्रों से इस वजह से व्यापक स्वीकृति मिली है क्योंकि इसमें उन मूलभूत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रथमत: मैं वित्त मंत्री को रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो भारत के रक्षा बजट पर बोझ को कम करेगा। भारत विश्व का नौवां शीर्ष देश है जो रक्षा क्षेत्र पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.3 प्रतिशत व्यय करता है, यह प्रयास लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को देखते हुए चिरप्रतीक्षित था। वाणिज्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण विदेशी कंपनियों और ऐसे क्षेत्र को आवश्यक निश्चितता प्रदान करेगा जो देश में रोजगार सृजन करने और वाणिज्य में इजाफा करने का वादा करता है।

मैं समझता हूं कि यह बजट सड़क, बांध, विमानपत्तन-पर्यटन और नदी संपर्क पर बल देकर इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में भी ध्यान देने में सफल रहा है।

माननीय सदस्यगण, यद्यपि हम इन प्रस्तावों के परिणामों को शीघ्र नहीं देख सकते लेकिन दूरगामी रूप से ये प्रस्ताव बड़े पैमाने पर लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की कायिक निधि का देश में लघु और मंझोले उद्योगों के विकास पर दूरगामी प्रभाव डालेगी।

मुझे अपने राज्य में लगातार पांच बजट प्रस्तुत करने का अनुभव है और मैं इस देश का प्रथम वित्त मंत्री भी था जिसने वर्ष 2011 के दौरन कर्नाटक में छठवें आम बजट के साथ-साथ एक पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया और मैं विनम्रता के साथ कृषि क्षेत्र पर विशेष रूप से अधिक ध्यान देने हेतु आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

चूंकि 'कृषि' किसी बजट का प्रमुख क्षेत्र होता है, मैं वित्त मंत्री को पिछले बजट में 7 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 8 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण नियत करने हेतु प्रशंसा करता हूं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस देश में 50 प्रतिशत से अधिक किसान बुरी तरह ऋण जाल में फंसे हैं। यह एक अच्छा प्रस्ताव है और एकमात्र चिंता यह है कि बैंकों को इस लक्ष्य को पूरा करने में तैयार किया जाना चाहिए। मैं इस तथ्य को ध्यान में रखकर यह सुझाव दे रहा हूं कि बैंक विशेषकर राष्ट्रीय बैंक किसानों को ऋण देने में अनिच्छुक होते हैं।

इस प्रस्ताव का पालन करने का बैंकों को कठोर निर्देश देने से किसानों को बड़े स्तर पर फायदा होगा। इससे देश के खाद्यान्न उत्पादन में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी जो कई वर्षों में 215 मिलियन टन पर स्थिर हो गया है। महोदय यद्यपि मैं जानता हूं कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रति किसानों का योगदान 21 प्रतिशत है और किसी को यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि यह इस देश के 125 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी तरह कृषि ढांचे में कृषि क्षेत्र ऐसे लाखों लोगों को आजीविका कमाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जो विकास की किरण से वंचित हैं।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी भारत की लगभग 72 प्रतिशत आबादी रहती है और उनमें से अधिकांश लोग गरीब हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग अपने जीवनयापन हेतु वर्षा सिंचित कृषि और क्षरणशील वनों पर निर्भर रहते हैं।

कृषि क्षेत्र में विकास होने से बहुत हद तक ग्रामीण गरीबी में कमी आई है। तथापि कृषि विकास के चरण में चिंता का प्रमुख विषय बन गया है। हमारा बजट कृषि उत्पादन को बढ़ाकर गरीबी में कमी लाने को शीर्ष प्राथमिकता देता है। मौजूदा राजसहायता आधारित शासन प्रणाली को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है जो बहुत समय तक टिकाऊ नहीं है। हमें अधिक उत्पादकता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विविधता से भरे कृषि क्षेत्र के लिए एक ठोस बुनियाद का निर्माण करने की आवश्यकता है। यदि कृषि क्षेत्र में अत्यधिक आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहक पैकेज प्रदान किया जाए तो मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि भारतीय किसान देश के लिए भरपूर खाद्य, फल और सब्जी पैदा कर सकता है। भारत निश्चित रूप से कृषि उत्पादों का बहुत बड़े निर्यातक के रूप में उभर सकता है। हमें कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। जब चीन जैसा देश जो 50 वर्ष पहले केवल 30 से 40 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करता था, आज 400 मिलियन टन को पार कर चुका है तो भारत पूरे वर्ष अनुकूल कृषि जलवायु स्थितियों के साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और जल से चीन की खाद्यान्न उत्पादन क्षमता को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता।

महोदय, किसानों के लिए सही और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने हेतु एक विशेष किसान टेलीविजन चैनल की शुरुआत एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे सभी भाषाओं में शुरू किया जाना चाहिए। कृषि विभागों को किसानों की आवश्यकता पर ध्यान देने हेतु संवेदनशील और सक्रिय होने की आवश्यकता है।

महोदय, कर्नाटक मसाला, सुपारी, नारियल, तंबाकू और अन्य उत्पादों का बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता होने के कारण वहां के किसानों को उनके उत्पादों को सुनिश्चित मूल्य प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य मंत्री के रूप में मेरे कार्य काल के दौरान मैंने इन वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट होने पर बाजार हस्तक्षेप हेतु एक मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन किया था। महोदय, मैं इन कायिक निधि के लिए केन्द्रीय धनराशि आवंटित करने हेतु अपने राज्य के किसानों की ओर से मांग करता हूं जो विशेष वस्तुओं और उत्पादों से संबंधित है। इससे नारियल उत्पादकों जो कृषक समुदाय का एक बड़ा वर्ग है, की रक्षा करने में दूरगामी सकारात्मक प्रभाव दिखेगा।

महोदय, खराब मानसून होने की स्थिति में कृषि भूमि हेतु "सुनिश्चित सिंचाई" के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान एक स्वागत योग्य कदम है। कृषि उत्पादों की रक्षा हेतु "भंडारण क्षमता में वृद्धि" हेतु 5000 करोड़ रुपए और "100 सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं" की स्थापना हेतु 560 करोड़ रु. का आवंटन प्रशंसा योग्य है। लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया कि "कृषि एक ऐसा कार्यकलाप है जो हमारे राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग छठे हिस्से का योगदान करता है और हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा जीवनयापन हेतु इस पर निर्भर है," मैं उनसे इसकी समीक्षा कर उपरोक्त आवंटित धनराशि में वृद्धि करने का अनुरोध करूंगा।

विनिर्दिष्ट खाद्य प्रसंस्करण तथा पैकिंग मशीनरी में उत्पाद शुल्क में कटौती कर इसे दस प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत किए जाने से घरेलू उत्पादन में वृद्धि, खाद्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर निश्चित रूप से रोक लगेगी और इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

चूंकि यह पहला बजट है इसलिए सरकार कृषि क्षेत्र पर ढीला दृष्टिकोण अपना सकती है लेकिन मैं वित्त मंत्री से विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि वे आने वाले वर्षों में पृथक "संघ कृषि बजट" प्रस्तुत करने की आवश्यकता का विश्लेषण करें।

बजट की उल्लेखनीय विशेषता विद्युत क्षेत्र हेतु आवंटन और प्रोत्साहन है। किसी भी देश का विकास ऊर्जा क्षेत्र और विद्युत पर निर्भर करता है। विकसित देश इस क्षेत्र के बेहतर उदारहण हैं। कोई देश जहां बेहतर विद्युत आपूर्ति है वहां खाद्यान्नों और वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा और इसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। विद्युत परियोजनाओं हेतु कर में छूट और विद्युत एककों हेतु सुनिश्चित कोयला आपूर्ति जो मार्च, 2015 के पहले शुरू होगा और इससे देश में विद्युत उत्पादन में कालांतर में वृद्धि होगी। इससे अधर में लटकी अनेक विद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने में भी मदद मिलेगी। सरकार अधिक निवेश करने और नाभिकीय विद्युत क्षेत्र में देश की क्षमता का पता करके यह विचार कर सकती है।

मैं सरकार को दो क्षेत्रों पर बधाई देना चाहता हूं। एक है कृषि और शिक्षा क्षेत्र के लिए अधिक धनराशि प्रदान

करना। विशेषकर बेटी बजाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा। आपको याद होगा कि किस तरह बी.पी.एल. परिवारों के लिए बालिका शिक्षा पर इसी तरह की योजना "भाग्यलक्ष्मी" विशेषकर कर्नाटक की ग्रामीण महिलाओं के लिए अभी भी सर्वाधिक लोकप्रिय है। स्कूली बच्चियों की उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से इतर नि:शुल्क साइकिल योजना की अनेक लोगों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत हद तक बीच में स्कूल छोड़ देने की घटना में कमी आई है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे बालिका शिक्षा और उनके अधिक विकास हेतु और अधिक धनराशि प्रदान करें।

बुनियादी ढांचा से जुड़े क्षेत्र को प्रोत्साहन देना भी एक अच्छा प्रस्ताव है। लगभग 8500 किलोमीटर का राजमार्ग विकास और स्मार्ट सिटी पिछली बजट के 7000 किलोमीटर की तुलना में इस संबंध में एक अच्छी शुरुआत है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा मुझे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अबुल कलाम की 'पूरा' की अवधारणा अर्थात् "ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी सुविधाओं का प्रावधान" की याद दिलाती है। लेकिन एक बड़ी चुनौती पुराने शहरों को स्मार्ट बनाना है। यह सिर्फ आपके सुशासक सुधारों से ही हो सकता है। स्मार्ट सिटी संकल्पना के लिए कर्नाटक को किए गए आबंटन हेतु मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कर्नाटक को इस बजट से अधिक मिलता क्योंकि मेरे राज्य के लोगों ने हमारी पार्टी के नेतृत्व में अपना पूर्ण विश्वास दिखाया है। कृपया अनुपूरक समावेशन में राज्य हेतु अधिक आवंटन करें।

व्यक्ति विशेष हेतु प्रदान की गयी कर छूट एक स्वागत योग्य कदम है। जब सरकार एक वृहद आर्थिक स्थिति का सामना कर रही है। 50,000 रुपए की मूल छूट सीमा में वृद्धि से सभी करदाताओं को फायदा होगा। 1 लाख रुपए से 1.5 लाख के मूल बचत प्रावधान में वृद्धि से परिवारों को दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करने तथा अर्थव्यवस्था में समग्र बचत वृद्धि करने जैसे दो उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी जो पिछले पांच वर्षों के दौरान तेजी से गिरा है। 1.5 लाख से 2 लाख के बीच स्वयं रहने वाले मकानों हेतु आवास ऋण ब्याज पर कटौती में वृद्धि आवासीय और बैंकिंग क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा और अर्ध-कुशल और अकुशल कामगारों हेतु बाजार में नौकरियों के अवसर में वृद्धि करेगा।

यह ढर्रे से हटकर बजट है जिसमें रीयल एस्टेट और बुनियादी ढांचे पर प्रमुख ध्यान दिया जाता है। शुरुआत में, आर.ई.आई.टी. को एक 'पास थ्रू' दर्जा प्रदान किए जाने से इस क्षेत्र में भारी निवेश आएगा जो समय की आवश्यकता है। 7060 करोड़ रुपए का आवंटन यह दर्शाता है कि बुनियादी ढांचा विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है जो प्राय: रीयल एस्टेट की मांग से परस्पर जुड़ा है। सस्ते आवास हेतु 4000 करोड़ रुपए के आवंटन जैसी विभिन्न अन्य मौखिक प्रोत्साहन वर्ष 2022 तक सभी के लिए यह प्रदान करने के सरकार के विजन का समर्थन करता है।

महोदय, इस समय राज्यों से संबंधित केन्द्र प्रायोजित अनेक योजनाएं हैं जिसमें स्पष्टता का अभाव है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे एक ऐसे ढांचे के साथ सामने आएं जहां केन्द्र और राज्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन की संयुक्त रूप से समीक्षा करे ताकि लाभार्थी अवसर न चूकें।

चूंकि ऐसे मुश्किल समय में बढ़ा हुआ सरकारी व्यय आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, यह राजकोषीय घाटे में वृद्धि के रूप में एक चुनौती भी बन जाता है। मैं बजट के राजकोषीय समेकन रूपरेखा का स्वागत करता हूं जिसका लक्ष्य भारत के राजकोषीय घाटे को कम कर वर्ष 2014-15 में 4.8 प्रतिशत, वर्ष 2015 में 4.2 प्रतिशत, वर्ष 2016 में 3.6 प्रतिशत और वर्ष 2017 में 3 प्रतिशत करना है। इसका पालन करने के लिए सरकार को ब्याज और राजसहायता पर अपने व्यय को कम करना है और इन दोनों पर व्यय हमारे कुल व्यय का लगभग 40 प्रतिशत बैठता है। इसलिए राजसहायता पर अंकुश लगाना, प्रशासन पर कम अनुपात में व्यय करना और इस तरह के व्यय पर सीमा को न बढ़ाकर सीमा निर्धारित करना अपरिहार्य है।

मैं इस महान देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'कम सरकार और अधिक सुशासन' के वादे में अपना पूर्ण विश्वास दिखाया है जिससे सही मायने में संप्रग-1 और संप्रग-2 सरकारों के दुखद शासनकाल की समाप्ति हुई।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण श्री अरुण जेटली जी को शुभकामना देते हुए समाप्त करता

हूं जिन्होंने आशाओं को वास्तविकता तथा इस अलोकलुभावन और बेहतर बजट के प्रभावी कार्यान्वयन में परिणत किया जो पूर्व सरकार की तुष्टिकरण और वोट बैंक बजट से अलग है।

[हिन्दी]

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला): सभापति महोदय, मैंने अरुण जेटली जी के बजट भाषण को सुना है और उसके मुख्य अंश को पढ़ा भी है। यह पढ़कर और सुनकर मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि मुझे यह बजट एक अलग बजट न लग कर, यू.पी.ए.-3 का बजट लगता है। जो भी बातें इस बजट में कही गयी हैं, जिन आर्थिक नीतियों का वर्णन किया गया है, जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं, वे सिर्फ यू.पी.ए.-1 की या यू.पी.ए.-2 की जो नीतियां हैं, उन्हें ही आगे ले जाया गया है। उस से कुछ भी भिन्न नहीं है। ये वही नीतियां हैं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, हमारे चिदम्बरम जी और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी लाए थे। उन नीतियों को ही बढ़ावा दिया गया है। बी.जे.पी. सरकार सत्ता में आई है, उसको जितना बहुमत मिला है, वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आई है। जो चुनाव के मुख्य मुद्दे बनाये गये थे, उनमें महंगाई थी, भ्रष्टाचार था, कालाधन था, बेरोजगारी थी। इन मुद्दों पर यह सरकार बनी है। भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाया जायेगा, इसका इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। महंगाई तो आप जानते हैं कि कैसे इस सरकार के आने के साथ ही उसमें बढ़ावा होना शुरू हुआ है। इसके साथ ही जो कालाधन है, उस पर भी कोई ठोस रास्ता या कोई ठोस इन्तजाम कि उसको कैसे वापस लाया जायेगा, उसका कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। जो कालेधन के नोटोरियस रूट्स हैं, मारीशस रूट द्वारा जो कालाधन आता है और जो एफ.डी.आई. के थ्रू कालाधन आता है, उसको कैसे चैक किया जायेगा, उस पर भी कोई ठोस प्रावधान बजट में नहीं है।

मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि 'सब का साथ, सब का विकास' यह नारा सुनने में बहुत अच्छा लगता था। आज भी अच्छा लगता है और बी.जे.पी. वाले हमारे दोस्त इस पर खुश भी हो सकते हैं। जहां तक साथ का सवाल है, देश के लोगों ने हमेशा विकास में योगदान दिया है। अगर गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं तो उसके पीछे किसान हैं, परन्तु किसानों के उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। जो कर्ज उनके सिर पर चढ़ा हुआ है, उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है कि कैसे वह कर्ज उनके सिर से उतारा जायेगा। एम.एस.पी. जितना कम बढ़ाया गया है, वह एक मजाक है। जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बात कही गई थी कि हम जब सरकार में आएंगे तो उसको मानेंगे और उसको इंडैक्स से जोड़ेंगे, जो उनकी लागत मूल्य से उनका विक्रय मूल्य होगा, उसके बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। देश में जो सूखे की आशंका है, उसको देखते हुए जो फसल का बीमा होना चाहिए, उसके बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया गया है।

अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं कि बाजार सामान से भरे पड़े हैं तो उसके पीछे हमारे मजदूरों का योगदान है, परन्तु हमारे मजदूरों के लिए, जो असंगठित क्षेत्र में हमारे 90 परसेंट से ज्यादा मजदूर हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा, उनके लिए बीमा, उनके लिए नौकरी की सुरक्षा और पेंशन आदि की सुरक्षा का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है, उसका कोई जिक्र तक नहीं किया गया है।

देश की जो बहुत बड़ी आबादी है, वह काफी हद तक मैल न्यूट्रीशन का शिकार है। देश के 42 परसेंट बच्चे गम्भीर कुपोषण का शिकार हैं और 60 परसेंट बच्चे कुंठित हैं। दिमागी तौर पर वे कुंठित हैं, जिनके लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने दो साल पहले 'नेशनल शेम' का वर्ड यूज किया था। स्थिति अब भी वही है, उसमें कोई सुधार नहीं आया है। जो कुपोषण है, वह कोख से लेकर कब्र तक आदमी का पीछा नहीं छोड़ता है और जब तक बहुत बड़ा फंड, हमारे बजट का बड़ा हिस्सा हमारे देश के बच्चों के लिए, उनकी बुनियादी शिक्षा के लिए, बुनियादी सेहत के लिए नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी बजट देश की दशा सुधारने में, लोगों की जो हालत है, उसे सुधारने में वह कारगर साबित नहीं होगा।

जहां तक प्राइमरी और सैकेण्डरी एजुकेशन का सवाल है, इसके लिए बहुत कम बजट दिया गया है। हायर एजुकेशन का तकरीबन प्राइवेटीकरण हो चुका है, निजीकरण हो चुका है, वहां बहुत लूट है, शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। बड़े-बड़े पोलीटीशियंस द्वारा ये संस्थाएं चलाई जा रही हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है और उनकी कोई रैगुलेटरी

बॉडी नहीं है, जो वहां हो रही इस लूट को खत्म कर सके और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा सके। उसके लिए कोई बात बजट में नहीं कही गई है।

इसी तरह जो प्राइमरी सेहत है और जो सैकेण्डरी सेहत है, जो सैकेण्डरी हैल्थ है, उसके बारे में कोई जिक्र तक नहीं है। सिर्फ बड़ी-बड़ी संस्थाओं की बात कही गई है, एम्स की बात की गई है, आई.आई.एम्स. की बात की गई है, आई.आई.टीज. की बात की गई है, बुलेट ट्रेन की बात की गई है, बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं, पर इस देश के करीब 90 परसेंट लोगों को जो बुनियादी सहूलियात चाहिएं, जिंदगी में जो बुनियादी सुधार चाहिए, उनके बारे में कोई जिक्र इस बजट में विशेष रूप से नहीं किया गया है, न ही कोई एलोकेशन किया गया है। मुल्क की जो 125 करोड़ की आबादी है, यह सब सहारन अफ्रीका के 16 मुल्कों से ज्यादा है और जो हमारा ह्यूमन डैवलपमेंट इंडैक्स है, जो जेंडर डैवलपमेंट इंडैक्स है, जो हंर इंडैक्स है, यह बंगलादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी नीचे है। जब तक हम इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे और उन वर्गों के लिए नीतियां नहीं बनायेंगे, जिनको हम देश कहते हैं, देश की बहुसंख्यक जनता जिसमें आती है, तब तक मैं समझता हूं कि कोई भी बजट कोई भी विकास का मॉडल फेल समझा जाएगा।

मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज से पांच साल बाद जब इसका आकलन होगा, लेखा-जोखा होगा, वह इस बात से नहीं होगा कि हमारे देश के कितने लोग फोर्ब्स की लिस्ट में गए हैं, कितने लोग ट्रिलियन क्लब में ऐड हुए हैं, इस बात से लेखा-जोखा होगा कि हमारे देश का जो हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स है, वह कितना नीचे गया है, जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, वह कितना ऊपर गया है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वह कितना ऊपर गया है, इस बात से उसका लेखा-जोखा होगा, न कि उस बात से लेखा-जोखा होगा कि किसकी पूंजी कितनी बढ़ी है, कितने लोग ट्रिलियन क्लब में गये हैं, कितने लोग फोर्ब्स लिस्ट में आये हैं, इस बात से लेखा-जोखा नहीं होगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल-ऊधम सिंह नगर): महोदय, आपका धन्यवाद।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे आज ऐसा लगा कि पार्टी से ऊपर उठकर भी काफी लोगों ने बजट की प्रशंसा की है। जिसने थोड़ी-बहुत अगर कमियां भी निकालीं तो शुरू में यही कहा कि वी एप्रीशिएट इट, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। मैं सोचता हूं कि पिछले पांच-सात वर्षों से मैं बजट को सुन रहा हूं, यह पहला अवसर है जब इतने लोगों ने बजट का सम्मान किया, उसका आदर किया और उसके प्रति सब लोगों ने सद्भाव दिखाया।

महोदय, बजट की गहराईयों पर मेरे अनेक साथियों ने, पहले जयंत जी ने, किरीट जी ने और अभी-अभी येदियुरप्पा जी ने बजट की बहुत सारी विशेषताओं पर अपने बयान दिए हैं और अन्य साथियों ने भी दिए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह बजट निश्चित रूप से अपने आप में परिपूर्ण है। एक प्रकार का शायद बहुत वर्षों बाद ऐसा बजट दिखा होगा कि जिसका सबसे कम विरोध रहा होगा।

मैं पिछले पांच-सात दिन से मीडिया को देख रहा था, यहां माननीय सदस्यों को भी सुन रहा था। एक बात मैं विशेषकर जो अंग्रेजी माध्यम के पत्र रहते हैं, उनमें एक बात देख रहा था कि इसमें कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है। अर्थात् इसमें कोई क्रान्तिकारी बात नहीं है। अब उनको यह नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो शासन में आने से पहले ही यू.पी.ए. पर बुलेट चला दी, वह अपने आपमें बड़ा रिवोल्यूशनरी था, लेकिन उन लोगों ने शायद इस ओर ध्यान नहीं दिया और बहुत से लोगों ने कहा कि यह रिवोल्यूशनरी नहीं है। मैं इस बारे में इतना कह सकता हूं कि बजट को गहराई से सुनने-पढ़ने और पुनः-पुनः देखने के बाद कि यह रिवोल्यूशनरी नहीं हो सकता, यह बात सही है क्योंकि हम कोई रिवोल्यूशनरी काम करने के लिए यहां नहीं आये हैं। हम सब लोगों को देश को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना है।

इस बजट में जो काम किया है, वह यह कि इससे पहले के जितने बजट थे, वे सभी बजट बेकार थे। अर्थात् उनको देखकर ऐसा लगता था कि वे केवल सुस्ती और अकर्मण्यता दिखाते हैं। ऐसा लगता था कि उस बजट के बाद शायद सब कुछ सो गया है, सारी अर्थव्यवस्था सो

गयी है, सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है। मैं सोचता हूं कि हमारे आदरणीय जेटली जी के बजट में एक इवोल्यूशनरी बजट जो आगे के अभ्युदय का बजट है, जो आगे को उत्क्रान्ति का बजट है, ऐसा बजट प्रस्तुत किया है और मैं सोचता हूं कि यह अपने आपमें एक बहुत बड़ी चीज है। सुप्तावस्था से आगे बढ़कर हम धीरे-धीरे आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उस दिशा में यह बजट है, इसलिए मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

मान्यवर, मुझे लगता है कि हमारे वित्त मंत्री जी बहुत विद्वान हैं। विद्वानों के बारे में शेक्सपियर ने एक जगह कहा है कि जितना तुम अपने पास दिखाते हो, उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। निश्चित रूप से जो कुछ भी उन्होंने बजट में दिखाया है, मैं आप सब माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप गहराई में जाएंगे तो उन्होंने जितना बजट में दिखाया है उससे ज्यादा अच्छी बातें हैं। अगले वाक्य में शेक्सपीयर कहते हैं - आप जितना जानते हैं, उससे कम बोलें। वैसे ही अरुण जी कम बोलते हैं। वे नपा-तुला बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि शायद वे जितना अधिक बोल सकते थे उससे भी कम बोल कर उन्होंने दिखाया है कि एक गुरु गंभीर, एक धैर्यवान और समझदार व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ बजट है।

मैं बजट के सारे विषयों पर नहीं बोलना चाहता हूं। अगर, मैं सभी विषयों पर बोलूंगा तो अधिक समय लगेगा। बजट में गरीबों से ले कर अमीर तक के लिए बात कही गई है। मैंने विनोबा जी द्वारा लिखी गई बातों को कहीं पढ़ा था। विनोबा जी कहते हैं कि आपकी योजना ऐसी होनी चाहिए, जो दरिद्र नारायण से लेकर श्रीमद नारायण, बद्रीनारायण तक के लिए होनी चाहिए अर्थात् व्यस्टि से लेकर परमेष्टि तक के लिए होनी चाहिए। ऐसा विनोबा जी ने एक जगह कहा है। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बजट में गरीबों से लेकर अमीरों तक सबके लिए कहीं न कहीं कुछ सुविधा है। हो सकता है, कुछ कम दिया गया होगा, लेकिन सबके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिया गया है। इसलिए यह बजट सर्वस्पर्शी है और सबको छूने वाला बजट है। गरीबों के लिए इसमें बहुत-सी चीजें हैं।

सभापति महोदय, समय कम है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2019 तक सारे घरों में स्वच्छता और शौचालय की व्यवस्था करने का लक्ष्य है। यह केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि होने वाला काम है। यह काम आपने बजट में करके दिखाया है। इसी प्रकार आपने वर्ष 2022 तक सबको घर देने की योजना के बारे में कहा है। हम ऐसे काम करते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की थी। वह आज भी सफल है। मैं हिन्दुस्तान के जिस कोने में भी जाता हूं, वहां सब लोग अटल जी को याद करते हैं कि उन्होंने ऐसी योजना दी है। हम ऐसी योजना बनाते हैं जो सचमुच हो। पिछली सरकार की तरह ऐसी योजना नहीं बनाते कि योजना बना दी लेकिन पता लगा कि सारा पैसा घोटालों में चला गया और काम अधूरे रह गए। मेरे पास मनरेगा के पूरे आंकड़े हैं, लेकिन मैं उन पर नहीं जाऊंगा। वर्ष 2010-11 से, यह घटते जा रहे हैं। हम ऐसा काम नहीं करते हैं।

बजट में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 37 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रखे गए हैं। मनरेगा के लिए 34 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रखे गए हैं। स्मार्ट सिटी के लिए 7 हजार करोड़ से ज्यादा रखे गए हैं। जैसे, मैंने कहा दरिद्र नारायण से बद्रीनारायण तक के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। नमामि गंगे, इसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ तक की चिन्ता की गई है। यह एक प्रकार का सम्पूर्ण बजट है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बहुत बढ़िया योजना आई है। इसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन के लिए दस साल तक की टैक्स छूट देने, बुलेट ट्रेन, कृषि में 8 लाख करोड़ रुपए की योजना हो, विनिवेश के लिए 63 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे इस बजट को एक प्रकार से परिपूर्ण बजट कह सकते हैं - पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिस्यते।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस समय सूखा पड़ा है। मेरे यहां पेयजल की बहुत कठिनाई है। इसी वर्ष मेरे क्षेत्र में जमरानी बांध, सारे प्रदेश और देश के हित में यमुना में किमाऊ बांध स्वीकार करने का कष्ट करें। रेल मंत्रालय के पास साधन नहीं हैं इसलिए सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण

किच्छा-सितारगंज-टनकपुर-बागेश्वर जो सीमा से मिलती है, इस रेल लाइन को आप नेशनल प्रोजैक्ट के रूप में लेने की कृपा करेंगे तो पूरे देश का भला होगा। आप रक्षा मंत्री भी हैं। उस दिशा में लाभ होगा। इसी प्रकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज दिया गया था। यू.पी.ए. सरकार ने उसे हिमाचल और उत्तराखंड में खत्म कर दिया। इसे पुन: जीवित करने का कष्ट करेंगे। मेरे क्षेत्र नैनीताल और उधमसिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्गों की दुर्दशा है। उसके लिए विशेष व्यवस्था करने की कृपा करेंगे। इसी प्रकार नैनीताल क्षेत्र में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। वहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय और सड़कों पर फ्लाई ओवर की योजना बनवाने का कष्ट करेंगे। उत्तराखंड आपदा से पीड़ित है। आप सब जानते हैं कि वहां पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। अभी इस साल अधिक बारिश नहीं आई, पिछले साल जैसी बारिश होती है, तो अनेक शहर डूब जायेंगे। मेरा निवेदन है कि केन्द्र इस योजना को अपने हाथ में ले। वहां तटबंध बनाने और पुनर्वास योजना के बारे में देखने का कष्ट करें।

एक विशेष निवेदन है कि हिमाचल विशेषकर उत्तराखंड में हम पर्यावरण की बहुत रक्षा करते हैं। पर्यावरण के कारण विकास कार्य नहीं हो पाते, इसलिए दो हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष ग्रीन बोनस के रूप में आप देने की कृपा करें।

आपने स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में तय किया है। कृपया उत्तराखंड में पलायन रोकने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुक्तेश्वर, पिथौरागढ़ और गैरसेण जैसी जगहों पर स्मार्ट सिटी बनाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से बजट (2014-15) का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

भारत के लोगों ने राजग और नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व को स्पष्ट बहुमत दिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया है? भारत के लोग बेरोजगारी, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी ढांचे के अभाव, मूल्य वृद्धि, बिजली की कमी और खराब शासन से भी परेशान थे।

कई बार मैं सोचता हूं कि यह देश भारत में सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं। इस देश के तीनों ओर अनेक तट, जल संसाधन हैं और बहुत सारी समुद्री खाद्य पदार्थ हैं। हमें इनसे कच्चा तेल प्राप्त हो रहा है। हमें इनसे प्राकृतिक गैस प्राप्त हो रहा है। हम इसे परिवहन सुविधाओं के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास हिमालय, गिरनार, संध्याद्री आदि जैसे शीर्ष पहाड़ भी हैं। हमारे पास अनेक वन संसाधन भी हैं। हमारे पास कोयला, लौह अयस्क और कई अन्य खनिज भी हैं। हमारी आबादी विश्व में दूसरे नंबर पर है।

कई बार मैं इस देश की तुलना सिंगापुर और मलेशिया जैसे पड़ोसी देशों से करता हूं जिसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं। लेकिन वे विकसित देश हैं और दुर्भाग्यवश भारत कई वर्षों से विकासशील देश है। कभी-कभी याद आता है कि 1885 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आजादी के लिए एक कांग्रेस का गठन हुआ। जब हमने 1947 में आजादी पाई तो गांधी जी ने बताया था कि इस कांग्रेस को डिजाल्व करो, नहीं तो यह बदनाम हो जाएगी। कांग्रेस बदनाम हुई। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने बताया कि कांग्रेस मुक्त इंडिया बनाना है। अगले साल मुक्ति का दिन भी आने वाला है। इतने साल सत्ता में बैठने के बाद इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद जाते-जाते उन्होंने देश का बुरा हाल कर दिया। छोटे-छोटे देश आगे जा रहे हैं, डैवलप हो गए हैं, इसकी थोड़ी सी भी शर्म सत्ताधारी को कभी नहीं लगी। यह देश का दुर्भाग्य है।

अनेक वर्षों के बाद भारत के लोग इस बजट पर ध्यान दे रहे हैं। समाज के सभी वर्गों के लोगों को इस बजट से लाभ होने की संभावना है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठने की उम्मीद रख सकते हैं और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले, मध्यमवर्गीय लोग अपनी आय बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। यह बजट अपने आप में एक अनूठा दस्तावेज है जो हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग के हित का ध्यान रख सकता है। सीमित संसाधनों के भीतर माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में विकास योजनाओं का प्रस्ताव रखने का प्रयास किया है।

उदाहरणार्थ, उन्होंने अनेक क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और सार्वजनिक और निजी भागीदारी का प्रस्ताव किया है। हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी

क्यों नहीं आरम्भ कर सकते? यह एक अनोखी पहल है जिसका प्रस्ताव बजट में किया गया है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने रेल बजट के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी का यह मामला उठाया है। वे इसका प्रतिरोध कर रहे थे लेकिन हमारे रेल मंत्री ने बताया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रचालनात्मक क्षेत्र में लागू नहीं हो सकते थे लेकिन फिर भी वे इस बात पर बल दे रहे थे। विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां सृजित होती हैं। हम विनिर्माण क्षेत्र में कतिपय सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्यों नहीं कर सकते? रक्षा उपकरण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु एक प्रस्ताव रखा गया है। हम इस समय विदेशों से रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं। यदि रक्षा उपकरणों की खरीद पर 26 प्रतिशत की सीमा है तो इससे निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में मदद मिलेगी, दूसरी बात एक प्रावधान यह है कि रक्षा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र में स्वदेशी उद्यमियां 49 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

सरकार चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय वित्त मंत्री ने इस प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में, माननीय वित्त मंत्री जी ने 14000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि प्रदान की है। यह बहुत ही सफल योजना है जिसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रधान मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। यह परियोजना अभी भी चल रही है और अच्छी खासी धनराशि इस शीर्ष के अंतर्गत प्रदान की गई है। साठ से सत्तर फीसदी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कार्य प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पूरा हुआ है और इन पांच वर्षों में शेष सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। सिंचाई हेतु 1000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना के अंतर्गत आवंटित की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के अधिकांश भाग मानसून पर निर्भर हैं। आज हमारे किसान मानसून की ओर देख रहे हैं क्योंकि अनेक क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई है और इसलिए 1000 करोड़ रुपए की राशि सुनिश्चित सिंचाई हेतु अलग से रखी गई है।

इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान पर चर्चा करें तो हमारे वित्त मंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया है कि वर्ष 2019 तक पूरे देश में एक संपूर्ण स्वच्छता लागू होगी।

जैसा कि मैंने पहले कहा है यह एक अनूठा बजट है और मैं बजट का समर्थन करता हूं।

डॉ. रविन्द्र बाबू (अमलापुरम): सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका आभारी हूं।

सर्वप्रथम मैं श्री नरेन्द्र मोदी को निर्वाचित होने के लिए बधाई देता हूं। अमेरिका में राष्ट्रपतीय चुनाव की तरह पहली बार भारत में पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद लोगों ने श्री नरेन्द्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कद को देखते हुए मतदान किया है। यद्यपि यह राष्ट्रपतीय चुनाव नहीं है। हम जानते थे कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिये मतदान कर रहे थे और वे अनूठे अंदाज में चुने गए। उनके चुनाव जीतने पर लोगों में बहुत उम्मीदें थीं और खुशी है। मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर पूरे देश में उत्सव का माहौल बन गया था।

श्री चन्द्र बाबू नायडू जैसे व्यक्ति के नेतृत्व वाली तेलगूदेशम पार्टी का हिस्सा होने के कारण मैं बहुत ही गौरवान्वित हूं कि मैं पहली बार इस महान सभा के लिए चुना गया। मैं श्री मोदी और श्री चन्द्रबाबू नायडू से संबद्ध रहते हुए मैं खुशी महसूस कर रहा हूं।

महोदय, देश में इस तरह के उत्सव के माहौल से यह स्वाभाविक है कि महत्त्वपूर्ण रेल और आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। *[हिन्दी]* जहां प्यार ज्यादा होता है, वहां गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। जैसा रेलवे बजट आया है वैसा जनरल बजट आया है, *[अनुवाद]* लोग पूर्व सरकार के कारनामों को भूलकर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। जब रसोई गैस की मार भारत पर पड़ी और जब उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण का भारत पर आघात हुआ तो हम शिशु मृत्यु दर और गरीबी रेखा से नीचे की आबादी जैसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक संकेतकों और अनेक आर्थिक मामलों में उप-सहारा अफ्रीकी देशों से नीचे चले गए। लगभग 66 करोड़ आबादी खुले में शौच करती है, जबकि 90 करोड़ आबादी भारत में मोबाइल फोनों का उपयोग कर रहे हैं। पूर्व सरकार भी खामीपूर्ण आर्थिक नीति के कारण भारत में इस तरह की विडंबनापूर्ण आर्थिक नीति मौजूद है। इस सरकार ने उन मुश्किलों को दूर करने और

ठीक करने में यथासंभव प्रयास किया है जो आर्थिक और वित्तीय तंत्र में विद्यमान हो चुका है।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को अच्छी शुरुआत करने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया हमें रेल मंत्री जी से भी काफी उम्मीद थी जब उन्होंने रेल बजट प्रस्तुत किया और वित्त मंत्री से भी उम्मीदें हैं। चूंकि आंध्र प्रदेश को दो राज्यों में बांट दिया गया है, श्री चन्द्रबाबू नायडू को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में हैदराबाद को लाने का श्रेय जाता है इसके परिणामस्वरूप भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान्यता मिली है। इसी कारणवश बिल क्लिंटन ने हैदराबाद का दौरा किया। भारत को हैदराबाद के कारण यह दर्जा प्राप्त हुआ है। अब श्री नायडू बिना किसी राज्य कार्यालय और राजधानी के इधर-उधर भटक रहे हैं। वे वृक्ष के नीचे अपने कार्यालय का कार्य कर रहे हैं। यह वास्तव में आंध्र प्रदेश में हो रहा है। हम अपने राज्य के लिए काफी बजटीय सहायता चाहते हैं। कम से कम अनुपूरक बजट के माध्यम से ही सही मैं चाहता हूं कि हमें जितना वायदा किया है उससे अधिक धनराशि हमें प्रदान की जाये।

दूसरी बात यह है कि मैं श्री बालयोगी की जन्म स्थली का रहने वाला हूं। वे सर्वाधिक सम्मानित अध्यक्ष रहे थे। वह स्थान तेल और गैस उत्पादन का केन्द्र है। जब मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वापस जाता हूं वे लोग मुझसे सदैव एक ही प्रश्न पूछते हैं। *[हिन्दी]* इस जगह से जब आयल और गैस जाता है, तो हमारे पास नहीं आता है। हमारे पास डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं होता है। हमारे यहां सड़क नहीं है, हमारे यहां पीने का पानी नहीं है, यहां जॉब नहीं है, ये गैस वगैरह कहां जाती है, ये क्रूड वगैरह कहां जाता है?

[अनुवाद]

हम अत्यधिक विकास कार्यों के लिए काफी धनराशि चाहते हैं और इसी कारण लोगों की आकांक्षायें बहुत अधिक हैं। लेकिन जले पर नमक छिड़कते हुए दुर्भाग्यवश गैस संयंत्र में आग लग गई थी और लोग हताहत हो गये थे। लगभग 40 लोग मारे गये। बीस लोग घटना स्थल पर ही मारे गए और 20 लोगों की मृत्यु बाद में हुई। इस दुखद क्षण में हमें सामान्य बजट में वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से काफी उम्मीदें थीं। मैं सरकार से ईमानदारी से अनुरोध करूंगा कि वे आंध्र प्रदेश को अधिक धनराशि प्रदान की जाये जोकि विभाजन के कारण अनाथ हो गया है। हमें एक राजधानी का निर्माण करना है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने अपने दल के चुनाव प्रचार और विभाजन के समय यह वायदा किया था कि हैदराबाद के स्थान पर दिल्ली जैसी राजधानी बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने नरसापुरम में चुनाव प्रचार के समय कोटापल्ली-नरसापुर रेल लाइन का भी वायदा किया था। हम इस रेल लाइन की मांग करते रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री रेल मंत्री से मिले और एक अनुरोध किया। लेकिन हमें इस रेल बजट में कुछ भी नहीं मिला है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस सामान्य बजट और अनुपूरक अनुदानों की मांगों में भी कुछ सहायता प्रदान करें। आंध्र प्रदेश राज्य केन्द्र की ओर देख रहा है क्योंकि हम अनाथ की तरह महसूस करते हैं। किसी भी माता-पिता को किसी विकलांग बच्चे के प्रति सहानुभूति होगी। जब भी कोई विकलांग बच्चा पैदा होता है तो माता-पिता सदैव विकलांग बच्चे की देखभाल पहले करते हैं तथा इसके बाद ही स्वस्थ बच्चे पर ध्यान देते हैं। तेलंगाना सहित अन्य राज्य धनवान हैं जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, हम उम्मीद करते हैं और अनुरोध करते हैं कि वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी अधिक बजटीय सहायता और अधिक धनराशि प्रदान करें।

श्री ए. अरुणमणिदेवन (कुड्डालोर): माननीय सभापति, मुझे सामान्य बजट पर बोलने के लिए यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं तमिलों की महान नेता पुराची थैलवी, माननीय मुख्य मंत्री को तहे दिल से सादर अभिवादन करता हूं जो तमिलनाडु के लोगों के हितों की रक्षा में बिना रुके, बिना थके काम कर रही हैं। मैं तमिलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए अम्मा के समक्ष नतमस्तक हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का तहेदिल से आभारी हूं जिन्होंने मुझे लोक सभा के लिए चुना है।

जहां तक बजट का संबंध है मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर लाने के लिए यह एक सुनियोजित बजट है। माननीय मुख्य मंत्री अम्मा ने 10 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत किए जाने के साथ ही इस बजट का स्वागत किया है।

हमें पूरी उम्मीद है कि नई सरकार अर्थव्यवस्था में आठ प्रतिशत की वांछित विकास दर प्राप्त कर लेगी और पूर्व सत्र के दौरान संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में घोषित कई योजनाओं को भी इस बजट में सावधानीपूर्वक शामिल किया गया है।

अम्मा ने ठीक ही कहा कि केन्द्र सरकार मनरेगा योजना के अंतर्गत परिसंपत्ति सृजन और कृषि कार्यों को शामिल करने के प्रस्ताव पर सहमत हो गई है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। लवणीयता और प्लोटएड प्रदूषकों द्वारा प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए चालू बजट में 3600 करोड़ रुपए नियत किया गया है। मैं इस बात पर बल देता हूं कि तमिलनाडु के तटीय जिलों के लवणीय जल से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार को अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। मैं मद्रास चिकित्सा महाविद्यालय में राष्ट्रीय जल विज्ञान केन्द्र स्थापित करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री अम्मा के सुझावों को स्वीकार करने पर आपका आभार व्यक्त करता हूं।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कांचीपुरम और वेलमकन्नी को विरासत पर्यटक केन्द्रों की सूची में शामिल कर लिया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं। तिरुपति की तरह श्रीरंगम भी लाखों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। मैं अनुरोध करता हूं कि श्रीरंगम को भारत के पर्यटक मानचित्र में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए। सामान्य बजट का स्वागत करते हुए माननीय अम्मा ने देश के विरासत शहरों की सूची में श्रीरंगम को शामिल करने की इच्छा व्यक्त की है।

मैं आयकर की छूट सीमा को 2-5 लाख तक बढ़ाने और बचत हेतु कर छूट सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने के लिए केन्द्र सरकार की पहल का भी स्वागत करता हूं। इससे मध्यमवर्गीय और वेतनभोगी वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी।

सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु आवश्यक उपस्करों के लिए रियायत की घोषणा की है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने की भी प्रशंसा करता हूं।

पूर्व सरकार के शासन के दौरान कावेरी नदी जल बंटवारा, मल्लापेरियार बांध और कैचथिवु जैसे मुद्दे का कोई समाधान नहीं था। माननीय अम्मा इन सभी मामलों में तमिलनाडु को न्याय दिलाने हेतु लगातार प्रयास किया और माननीय उच्चतम न्यायालय तक गई। कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्व संप्रग सरकार ने ...* पर ध्यान दिया और तमिलनाडु के प्रति उदासीन रवैया दिखाया। पूर्व संप्रग सरकार ने तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों और भावनाओं को कोई महत्त्व नहीं दिया।...*

जब थेनी चक्रवात ने तमिलनाडु में तबाही मचाई तो राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की लेकिन दुर्भाग्यवश तत्कालीन सरकार ने 500 करोड़ रुपए की तुच्छ राशि ही प्रदान की। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे बिना किसी पक्षपातपूर्ण रवैये के तमिलनाडु की न्यायोचित मांग पर ध्यान दें।

मैं ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार को तमिल मछुआरों; श्रीलंका में रह रहे नस्लीय तमिलों और कैचथिवु मामले से संबंधित मुद्दे का सही समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए।

मैं अपने कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण मामले को भी उठाना चाहता हूं। कुड्डालोर और चेन्नै के बीच अंतर्देशीय जल परिवहन सेवा का उद्घाटन करने के अलावा मशहूर कुड्डालोर पत्तन का पुनर्विकास समय से करने की आवश्यकता है। सुनामी, भारी बाढ़ और थेनी चक्रवात का अंतिम परिणाम समुद्र द्वारा मृदा अपरदन है। मेरे कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तटीय क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित है। भू-क्षेत्रफल समुद्री तरंगों के लगातार अपरदन से घटा है और देश के मानचित्र में भी बदलाव आया है।

तटीय क्षेत्र में रहने वाले अनेक लोगों के घर बर्बाद हो गए। मुझे यह कहना चाहिए कि पिछले शनिवार को भी एक मछुआरे का घर समुद्र के विशाल तरंगों से तहस-नहस हो गया। केवल आप ही इन लोगों की रक्षा कर सकते हैं। सरकार को मछुआरों और अन्य लोगों के जीवन की युद्ध-स्तर पर रक्षा करनी चाहिए जिनके घर-बार तटीय क्षेत्र में स्थित हैं।

*अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

काजू की खेती मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होती है। काजू की खेती पनरूटी, नेवेली, कुटीजीप्पडी और अन्य क्षेत्रों में होती है। थेनी चक्रवात के दौरान, तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री के समय पर प्रयासों के कारण काजू उत्पादकों के आजीविका की रक्षा की गई। काजू उत्पादकों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काजू निर्यात क्षेत्र स्थापित करें।

नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। संप्रग सरकार ने निजी पक्षों को 5 प्रतिशत एन.एल.सी. के शेयरों को बेचने का प्रयास किया और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में व्याप्त अनिश्चितताओं के कारण माननीय मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया था कि तमिलनाडु राज्य सरकार से एच.एल.जी. के 5 प्रतिशत शेयरों को खरीदा और इससे एन.एल.सी. में अनिश्चितता खत्म हुई।

एन.एल.सी. में लगातार खनन कार्यों और विस्फोट के कारण इस क्षेत्र के आसपास के गांवों में बोरवेल और अन्य जल स्रोत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से एन.एल.सी. से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इन गांवों को अपनाना चाहिए और एन.एल.सी. के लाभ के एक हिस्से को इन गांवों से संबंधित विकास कार्यों पर व्यय करना चाहिए।

मैं सरकार के ध्यान में एन.एल.सी. और भूमि दाताओं के बीच के मामले को लाना चाहता हूं। एन.एल.सी. द्वारा रोजगार और मुआवजा भूमिदाताओं को प्रदान किया जाना चाहिए। एन.एल.सी. और ठेका श्रमिकों के बीच के विवादों को भी सुलझाया जाना चाहिए।

सायं 7.00 बजे

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप एन. एल.सी. के सभी ठेके श्रमिकों को स्थायी कर्मचारी बना दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त एन.एल.सी. ने दुकानों का निर्माण किया है और उसे निजी पक्षों को किराए पर दिया। 18000 ऐसी दुकानें हैं। बिना उचित परामर्श के 1 जुलाई, 2014 को एन.एल.सी. प्रशासन ने इन दुकानों के किराए में चौगुनी वृद्धि कर दी है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे एन.एल.सी. टाउनशिप में दुकानों के किराए को घटाने के लिए उनके साथ बात करें।

कुड्डालोर सिपकॉट क्षेत्र में और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों के आस-पास अनेक उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इन सभी उद्योगों का नियमित निरीक्षण होना चाहिए क्योंकि वे आस पास के क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि प्रदूषण संबंधी पहलू की जांच की जानी चाहिए और इन उद्योगों और इनके उत्सर्जी पदार्थों की नियमित निगरानी के द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए।

विक्रनंडी और कुंबाकोनम के बीच चार लेन वाली सड़कों के निर्माण से संबंधित कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए।

ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी की ओर से मैं माननीय वित्त मंत्री जी का उनकी दूरदर्शिता और सुविचारित पहल के लिए स्वागत और प्रशंसा करता हूं।

मैं एक बार फिर तमिलनाडु के मुख्य मंत्री पुराची थैलवी को आम बजट पर चर्चा में बोलने के लिए मुझे अनुमति प्रदान करने हेतु धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापतिः डॉ. उदित राज, आप अपना भाषण कल शुरू करें।

माननीय सभापतिः श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान उपस्थित नहीं।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): माननीय सभापति महोदय, इस महान सभा में बोलने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यहां स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे अपने दैनिक समय का अधिकांश हिस्सा यहां बिताते हैं। इसलिए छात्रों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विद्यालयों की जिम्मेदारी होगी।

कल्याण के एक विद्यालय में हुई हाल की दुखद दुर्घटना इस मामले में वहां व्याप्त अराजक स्थिति को बयां करती है। पांच वर्ष के के.जी. छात्र घर से टिफिन लाया और भोजनावकाश के दौरान खाना खाया। उसने उलटी करनी शुरू

कर दी और रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय ने केवल माता-पिता को सूचित किया और बिना किसी परिचारक के कक्षा के बाहर बेंच पर सुला दिया।

छात्रा की माता को विद्यालय पहुंचने में थोड़ा समय लगा। छात्र को अस्पताल ले जाने के दौरान न तो किसी स्कूल स्टॉफ को उनके साथ भेजा गया और न ही उसके लिए कोई वाहन दिया गया है। अस्पताल पहुंचने पर छात्र को मृत घोषित कर दिया गया। यदि विद्यालय ने डॉक्टर को समय पर बुलाया होता और यदि ऐसी आपात स्थिति में प्रक्रिया हेतु स्वास्थ्य संबंधी मानदंड विहित किया गया होता तो इस मृत्यु को टाला जा सकता था। छात्रों को त्वरित और समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचाने हेतु मैं सुझाव दूंगा कि स्कूलों को निकट के किसी डॉक्टर या अस्पताल के साथ समझौता करने की आवश्यकता है जहां बीमार छात्र को शीघ्र चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सके।

माननीय सभापतिः यह राज्य का विषय है। आपको यहां इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं है।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि ये मानदंड अविलंब पूरे देश में विहित किए जाते हैं। शैक्षणिक संस्थानों को भी इस बारे में संवेदनशील होने की आवश्यकता है। शिक्षकों को बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. रामशंकर कठेरिया (आगरा): सभापति जी, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आगरा से लगा हुआ हाथरस जिला है और उसमें सिकंद्राराव है जिसमें कल रात्रि एक दलित महिला के साथ चार लोगों ने बलात्कार किया तथा आग लगाकर उसकी हत्या कर दी गयी।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के गांव जसवंत नगर में उसकी शादी एक साल पहले हुई थी और सिकंद्राराव के एक विशेष समुदाय के चार युवक उसके पास गये और यह कहकर कि तुम्हारी मां बीमार है उसे लेकर आये। उस लड़की को यह कह कर कि तुम्हारी मां बीमार है, उसे लेकर आए तथा चार दिन तक उसे कहीं पर रखा। जब जांच पड़ता हुई तो कल रात्री को जला कर उसकी हत्या कर दी। अस्पताल में उसने तीन युवकों के नाम लिए, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस प्रकार की घटना बदायूं के अंदर हो चुकी है और मामला शांत नहीं हुआ है। ये दूसरी घटना इस प्रकार की घटित हुई। वहां पूरी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कई जिलों के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हाई-वे जाम किए गए हैं, थाना फूंक दिया गया है। जनता की मांग है कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। मेरी सरकार से मांग है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी वहां भेजी जाए, जिससे कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके तथा इस प्रकार की घटना दोबारा न घट सके। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय, मैं बहुत ही लोक महत्त्व के अति महत्वपूर्ण मामले को शून्य प्रहर में उठाना चाहता हूं। मैं बिहार से आता हूं और नालंदा मेरा संसदीय क्षेत्र है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कुछ पहाड़ी इलाका राजगीर और गिरियक है। हम लोग जब संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों की एक ही मांग रहती है कि पीने के पानी की किल्लत है। पहाड़ी इलाके में ढाई सौ से पांच सौ फीट नीचे पानी मिलता है। ऐसी स्थिति में छोटे परिवार के लोग बोरिंग नहीं करा पाते हैं और चापाकल नहीं लगा पाते हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरे संसदीय क्षेत्र के हर पंचायत क्षेत्र में दस से पन्द्रह चापाकल डीप बोरिंग दी जाए। जिससे गरीब लोगों को पीने का पानी मिल सके।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, मैं आपके माध्यम से झारखंड प्रदेश नेशनल हाई-वे की जो सड़क है, चार लेन निर्माण के बाद भारत सरकार की गाइड लाइन है कि वहां प्रत्येक सौ किलोमीटर पर एक ट्रोमा सेंटर खोलने की योजना बनाई गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से नेशनल हाई-वे ऑथोरिटी को याद दिलाते हुए करीब-करीब तीन-चार बार मिल कर कहा, लेकिन झारखंड से हो कर 12 नेशनल हाई-वे गुजरता है। यह राज्य पर्वतीय दुर्गम आदिवासी बहुल क्षेत्र है परन्तु राज्य में, खास कर मेरे क्षेत्र गिरीडीह और

धनबाद तथा गिरिडीह से गुजरने वाले नेशनल हाई-वे पर ट्रोमा सेंटर नहीं बनाया गया है। मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब नेशनल हाई-वे खास कर वहां भारत सरकार के जो पदाधिकारी बैठे हैं, चार लेन के पश्चात् अभी तक ट्रोमा सेंटर का निर्माण क्यों नहीं किया गया। आपसे आग्रह है कि इस बारे में निर्देश दिए जाएं ताकि जब सड़क दुर्घटना हो तो राहगीरों को जल्दी राहत मिल सके।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में उनके सहयोगी श्री पुरुषोत्तम मथुरादास द्वारा सन् 1918 में राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय मधुबनी कला-सला नामक बहुत ही महत्वाकांक्षी संस्था की स्थापना वृहत रूप में किया गया था। जिसमें बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ लगभग 700 बुनकरों द्वारा रेशम की बुनाई, स्वेटर बुनाई, मधु उत्पादन, गौ पालन, तेल उत्पादन, धान, कुटाई, साबुन उत्पादन एवं सूत कटाई जैसे अनेकों कार्य होते थे। यहां के निर्मित उत्पादकों का निर्यात देश के विभिन्न हिस्सों एवं सरकारी संस्थानों में किया जाता था। विशेष कर यहां से निर्मित रेशम वस्त्र बहुत ही प्रसिद्ध एवं उच्च कोटि का होता था। इस संस्था से पूर्व में भारत के महान विभूति प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं भू-दान आंदोलन के जनक श्री विनोबा भावे जी भी जुड़े रहे हैं। आज भी उक्त संस्था में खादी ग्रामोद्योग के सभापति होने के नाते डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी के नाम पर उसमें कुछ जमीन रजिस्ट्र्ड है। यह संस्था लगभग 20 एकड़ में फैली हुई है। ऐतिहासिक होने के साथ-साथ भारतीय प्राचीन संस्कृति का भी द्योतक है। परंतु, दुर्भाग्यवश पिछले कई दशक से यह महत्वाकांक्षी एवं बहुआयामी संस्था कच्चे माल एवं आर्थिक तंगी से जूझ रही है। इससे जुड़े लोग भुखमरी की स्थिति से गुजर रहे हैं। इसका भवन भी काफी जर्जर हो चुका है। इस संस्था में आने-जाने के लिए आज भी कोई पक्की सड़क नहीं है और न ही विद्युतीकरण हुआ है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि उक्त मधुबनी कला-सला संस्था को गांधी सर्किट से जोड़ते हुए एक कार्य योजना बनवा कर पुनर्निमाण हेतु विशेष पैकेज दिया जाए या वहां भागलपुर की तर्ज पर बुनकर मेगा कलस्टर की स्थापना हो जिससे यह संस्था अपना गौरव प्राप्त कर सके तथा इस क्षेत्र के लोगों के स्वरोजगार के साथ-साथ पर्यटन का भी केन्द्र बन सके।

[अनुवाद]

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली): माननीय सभापति, मैं सरकार का ध्यान तमिलनाडु हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए प्रतिमाह 65,140 कि. ली. केरोसीन आवंटित करने की आवश्यकता पर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मार्च, 2010 तक 65140 किलोलीटर केरोसीन की पात्रता की तुलना में प्रतिमाह 59,780 किलोलीटर केरोसीन आवंटित किया जाता रहा है। सार्वजनिक वितरण के लिए पात्रता के अनुसार आवश्यक केरोसीन की पूरी मात्रा आबंटित करने के बजाए पूर्व संप्रग सरकार ने अपने संप्रग साझेदार, डी.एम.के. के गलत मार्गदर्शन में इसे घटाती रही।

अब तमिलनाडु को केवल 29,060 किलोलीटर केरोसीन प्रतिमाह मिलता है। तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री पुराची थैलेवी अम्मा ने तमिलनाडु को मूलत: 65,140 किलोलीटर केरोसीन प्रतिमाह आबंटित करने की मांग करते हुए 3 जून, 2014 को माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था। माननीय अम्मा ने भी 11 जुलाई, 2014 को इस संबंध में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा।

केन्द्र को यह भी बताया गया कि केरोसीन आवंटन में 29,060 किलोलीटर की कटौती पूर्व संप्रग सरकार द्वारा किसी राज्य को की गई सबसे बड़ी कटौती थी।

तथापि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 1 जुलाई, 2014 के अपने आदेश में तमिलनाडु को प्रतिमाह 29,060 किलोलीटर केरोसीन ही आवंटित किया है जो पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान किए गए आवंटन के अनुरूप ही है।

तमिलनाडु में केरोसीन मुख्यत: समाज के दबे-कुचले वर्गों द्वारा खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। राज्य के दक्षिणी भाग के पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे लोगों को खाना बनाने, रोशनी आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों हेतु अधिक केरोसीन की आवश्यकता होती है।

इन तथ्यों के मद्देनजर मैं सरकार से अपील करता हूं कि हमारे साथ न्याय करें और माननीय मुख्य मंत्री अम्मा के अनुसार तमिलनाडु को शीघ्र प्रतिमाह 65,140 किलोलीटर केरोसीन आवंटित करें।

[हिन्दी]

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज): माननीय सभापति, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान नेशनल हाईवे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर कमर्शियल वाहनों के अलावा निजी वाहनों से भी टैक्स वसूला जाता है। इस कारण तमाम टोल टैक्स पर मारपीट भी हो चुकी है। निजी वाहनों में कभी केवल ड्राइवर गाड़ी लेकर चला जाता है कभी हो सकता है उसके पास पैसे न हों लेकिन फिर भी वसूला जाता है। यह गलत तरीका है। यह किस तरह से हो रहा है इस सवाल को लेकर पूरे देश में लोग परेशान हैं। कहीं-कहीं नेशनल हाईवे की स्थिति यह है कि मानक को पूरा नहीं कर रहा है, अधिनिर्मित है या निर्माण कार्य चालू है उसके बावजूद भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि लखनऊ से आगरा तक नेशनल हाईवे खुदा हुआ है, बना नहीं है लेकिन जगह-जगह पर टोल प्लाजा बनाकर टोल टैक्स निजी और कमर्शियल वाहनों से वसूला जा रहा है। इसी तरह लखनऊ से सीतापुर रोड पर मात्र 20 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा बनाकर टैक्स वसूला जा रहा है जबकि रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि प्राइवेट, निजी वाहनों पर टोल टैक्स न वसूला जाए और केवल कमर्शियल वाहनों से वसूला जाए क्योंकि वे पैसा कमाते हैं। निजी वाहनों में तो लोग अपने निजी कामों से जाते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस संबंध में नियम बदलें और निजी वाहनों से टोल टैक्स वसूलना बंद करें।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): माननीय सभापति, झारखंड राज्य में सराएकेला खसवां जिले में बहुद्देशीय स्वर्णरेखा परियोजना का निर्माण हुए 20-25 वर्ष हो गए हैं परंतु डैम से कोई भी जनकल्याणकारी काम नहीं हो रहा है। यह कहा गया था कि इस डैम से बिजली का उत्पादन होगा, किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा मिलेगी, पीने का पानी मिलेगा लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला है। सैकड़ों गांव उजड़ गए लेकिन अभी तक लोगों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हुई, न नए रेट से जमीन का मुआवजा मिला है और न ही नौकरी मिली है। विस्थापित परिवार के लोग बराबर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसकी शीघ्र जांच कराई जाए। लोगों की बकाया राशि का भुगतान हो, किसानों की जो भी थोड़ी बहुत जमीन बची है, उसमें वे सिंचाई करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, वहां के लिए लिफ्ट इरीगेशन की सुविधा दी जाए। विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था हो, बिजली, पानी की सुविधा दी जाए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): माननीय सभापति, बिहार के मिथलांचल में एन.एच. 104 और 105 दोनों सड़कों की हालत जर्जर है। इसके अलावा 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107 सड़कें भी हैं, इनका नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जिस समय मैं माननीय अटल जी की सरकार में मंत्री था उस समय इन सड़कों को अनुमति दी गई थी। सड़क 104 और 105 की हालत बहुत खराब है। यह नहीं पता चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, कब गाड़ी उलट जाए पता ही नहीं चलता। इस तरह कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ठेकेदार ने काम लिया हुआ है लेकिन तीन साल से काम नहीं कर रहा है। उस ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाए, उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जाए, उसकी सिक्योरिटी जब्त की जाए। मेरी मांग है कि प्रिवेंशन ऑफ डेमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट के तहत उस ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसी से जुड़ा एक और विषय है कि उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला पटना में गांधी सेतु और सिमरिया में राजेंद्र सेतु दो पुल बने हैं, इनकी हालत जर्जर है। दोनों पर भारी वाहनों का चलना मना कर दिया गया है। दक्षिण बिहार से बालू, सड़क या मकान बनाने के मैटीरियल लोहा, सीमेंट आदि जाते हैं। बड़े ट्रकों का जाना मना कर दिया गया है इसलिए उत्तर बिहार में निर्माण कार्यों के लिए हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि सड़क और मकान नहीं बन पा रहे हैं। हम 2001 से आवाज उठाते रहे लेकिन वैकल्पिक पुल नहीं बनाया गया। मेरी मांग है कि गंगा पर

दूसरा पुल बनाया जाए, राजेंद्र पुल के बगल में पुल बनाया जाए। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच जो व्यवधान आया है उसे शीघ्र समाप्त किया जाए।

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे लोक महत्त्व के इस मुद्दे को उठाने के लिए अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

रेलवे के कुछ मानमाने फैसले के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चार लाख से अधिक लोगों की आजीविका बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। "बाघजतीन एक्सप्रेस" नामक एक रेलगाड़ी मेरे चुनाव क्षेत्र, बालासोर जो ओडिशा के उत्तरी भाग में पड़ता है तथा निकटतम महानगर कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर है, से चलती है। यह गाड़ी 15 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी जिसके तीन मूलभूत उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह था कि किसान, व्यापारी और मछुआरे, जो मेरे चुनाव क्षेत्र के हों, वहां पैदा होने वाले फलों और सब्जियों को कोलकाता के निकटतम बाजार में पहुंचा सकें। दूसरा उद्देश्य यह था कि यह गाड़ी सुबह 6 बजे चले और लोग इससे कोलकाता की यात्रा कर पाएंगे और अपना सामान बेचकर तथा वे वस्तुयें, जो कोलकाता में सस्ती बिकती हैं, को खरीदकर वापस घर आ सकेंगे। तीसरा उद्देश्य था कि उन्हें 250 किलोमीटर की दूरी के लिए मात्र 50 रुपये का किराया देना पड़ेगा। इन्हीं तीन उद्देश्यों के साथ यह गाड़ी शुरू की गई थी।

दुर्भाग्यवश, 4 जुलाई को रेलवे ने हावड़ा से एक स्टेशन पहले अर्थात संतरागाही तक ही इस गाड़ी को चलाने का निर्णय ले लिया। इस निर्णय का निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ यह है कि लोगों को वहीं उतरना पड़ता है और गन्तव्य तक जाने के लिए 100 रुपये और खर्च करने पड़ते हैं और वे अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोगों के पास अपना कार्य पूरा करने तथा शाम को लौटने का समय नहीं बचता और उन्हें होटल आदि में रुकना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में उनकी कुल कमाई 300 या 400 रुपये प्रतिदिन से ज्यादा नहीं होती है। होटल में ठहरने के लिए वे पैसे कहां से लाएंगे? पुनः, उन्हें संतरागाही से कोलकाता तक जाने के लिए भी कुछ रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

इसलिए महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए। अन्यथा इस निर्णय को किसान, गरीब, व्यापारी और मछुआरा विरोधी समझा जाएगा और चार लाख से अधिक लोग जो इस ट्रेन से यात्रा करते हैं, सीधे तौर पर प्रभावित होंगे और उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री भीमराव बी. पाटील (जहीराबाद): माननीय सभापति महोदय, मुझे इस महति सभा में बोलने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस सभा को अच्छी तरह से यह ज्ञात है कि देश में केन्द्रीय विद्यालय अच्छी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटक से तेलंगाना के जहीराबाद क्षेत्र में बसे हैं।

वर्तमान में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। अभिभावक अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में दाखिल करने के लिये बाध हो जाते हैं जो अधिक शुल्क वसूल करते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय न होने के कारण लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिये काफी परेशानी उठा रहे हैं। गरीब माता-पिता, विशेषकर अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने में असमर्थ हैं जो बहुत अधिक शुल्क लेते हैं।

सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जाये ताकि स्थानीय लोगों की आवश्यकतानुसार विद्यालय सुलभ हो सकें। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जहीराबाद में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना समय की मांग है। यदि केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना होती है तो गरीब लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पायेंगे। यह भारत सरकार के समक्ष लंबे समय से लम्बित मांग है। इसलिए, इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है।

[हिन्दी]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली): सभापति

महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मूल्यवान समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अत्यंत संक्षेप में उत्तर प्रदेश की एक समस्या को आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आज जो हालात हैं, पूरे उत्तर भारत में स्वाभाविक है कि वर्षा कम हुई है तो थोड़ी सूखे की परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत दयनीय हालत है। मैं चंदौली संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वहां बिजली का जो रोस्टर है, जब आदमी के जागने का समय हो रहा है तो सुबह साढ़े पांच बजे से नौ बजे तक बिजली दी जा रही है। दोपहर में दो से छह बजे तक बिजली दी जा रही है और रात में बिजली गायब रहती है। उसमें भी आठ घंटे बिजली देने में भी दो घंटे-तीन घंटे बिजली दी जा रही है। नहरें चल नहीं पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि गंगा का जो कैच एरिया है, चाहे हमारे उस इलाके में नारायणपुर लिफ्ट कैनाल हो या भूपोली हो, उसके कैच एरिया में पानी नहीं है। वैसे बनारस के हिस्से में नहरें आती हैं, शारदा सहायक में पानी नहीं, उसके पेटे में सब है। उत्तर प्रदेश में बिजली भी कम नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो कठिनाई है, वह मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि आज किसानों ने बड़ी मुश्किलों से नर्सरी लगाई है, लेकिन वह नर्सरी सूख रही है। मेरा संसदीय क्षेत्र चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है, यह धान के उत्पादन का बड़ा केन्द्र है। लेकिन आज वहां किसान नर्सरी भी बचा नहीं पा रहे हैं। महोदय, यह सब कुछ उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सपा की जो सत्तारूढ़ सरकार है, वह भाजपा-राजग गठबंधन की 80 में से 73 सीटों की जीत पचा नहीं पा रही है। इस नाते वह आम नागरिकों और किसानों से बदला ले रही है कि तुमने भाजपा-राजग को जिताया है, उसका मजा चखो। वह सरकार नागरिकों से बदला ले रही है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और किसानों को राहत दे।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): सभापति महोदय, भारत में असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए जो केंद्रीय कानून हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये कानून जम्मू-कश्मीर में कतई लागू नहीं हैं। इस कारण वहां का जो भी पहाड़ी मजदूर है या खच्चर चलाने वाला व्यक्ति है, वह नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। यह अत्यंत गंभीर सवाल है। वहां पर शिवखौड़ी नाम की एक जगह है, जहां पर खच्चर चलते हैं। पूरे देश में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितने भी वाहन चलते हैं, उनमें से एक साल में किसी को भी 30 हजार रुपये का टैक्स नहीं लगता है। जब कि वहां खच्चर पर एक साल में 30 हजार रुपये टैक्स लगता है। वहां पर मजदूर दस दिन से अनशन पर हैं। दूसरा, वहां पर कोल माइंस हैं। वहां वेज का कोई सवाल नहीं है। तीसरा, अगर कोई निराश्रित है, विधवा है, आपको सुन कर आश्चर्य लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई विधवा पेंशन मांगने जाएगी तो कहेंगे कि एक के मर जाने के बाद आपका नाम लिखा जाएगा। वहां सत्ताधारी पार्टी के लोग या रसूखदार लोग होते हैं, उन्हीं की सिफारिश पर नाम लिखे जाते हैं। मनरेगा की स्थिति यह है कि मनरेगा में भी आपको तब नाम मिलेगा, जब वहां का कोई जनप्रतिनिधि आपकी सिफारिश कर देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई मजदूर किसी जाति-धर्म और पार्टी से ऊपर होता है। देश की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो कानून हैं, वहां उनकी मॉनिट्रिंग नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से सदन से और सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने भी केंद्रीय कानून हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। कम से कम ऐसे मामले जो अमानवीय हैं, उन पर सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। इन श्रम कानूनों को धारा-370 से बाहर किया जाए।

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ के यार्ड समपार संख्या 337 के बदले ऊपरी व निचला पुल रेल बजट - 2009-10 में स्वीकृत किया गया है। जिसका रेलवे के डिटेल एस्टीमेट को पी.डब्ल्यू.डी. रायपुर द्वारा 11.02.2014 को मंजूर कर लिया गया है। रिवाईज्ड प्लान, रेलवे एवं पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा स्वीकृति उपरांत निविदा बुलाई गई। निविदा स्वीकृत होने के बाद ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य प्रारंभ होने के करीब एक सप्ताह बाद ही रेलवे द्वारा लैंड-लीजिंग की आपत्ति लगा कर कार्य बंद करा दिया गया है। राज्य शासन से रेलवे द्वारा लैंड-लीजिंग के लिए करीब 29 करोड़ की मांग की जा रही है। इतनी बड़ी राशि राज्य शासन जुटा नहीं पा रहा है। रेलवे ने इसकी मांग की है।

माननीय, मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूं कि रेल

के इस कार्य को या तो रेल विभाग कराए या फिर राज्य सरकार को इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र दे कर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाए। यह सबसे व्यस्ततम मार्ग है। कोरबा और रायगढ़, ये दोनों व्यस्ततम मार्ग होने के नाते, पॉवर हब जिला होने के नाते और औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते बहुत ही आवश्यक हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करती हूं कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र पाली की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की बांड़ी नदी व नेहडा बांध लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। वर्तमान में स्थिति बद से बदत्तर होती जा रही है। पीने के लिए भू-जल खराब हो चुका है। पानी के किनारे बसने वाले पशु-पक्षी भी नगण्य के बराबर दिखते हैं। यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में भी निरंतर गिरावट देखी जा सकती है। पाली जिले के किसानों की जमीन बंजर होती जा रही है। यदि उस जमीन पर कुछ उग भी जाता है तो उसकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न किस्म की होती है, जिसे बाजार भाव में बेचा जाना संभव नहीं होता है।

राज्य पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहां विचरण करने वाले पशुओं में बांझपन, प्रतिरोधक क्षमता व उत्पादन क्षमता में कमी आदि दर्ज की गयी है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण करने के अनेकों उपायों पर विचार किया जा चुका है, जो काफी नहीं रहे हैं। इस समस्या का निदान जीरो एल.डी. का प्लांट स्थापित करने से किया जा सकता है, लेकिन उसकी लागत बहुत अधिक है। राज्य सरकार और औद्योगिक ईकाइयां इसे वहन करने में असक्षम हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक बजट जारी करने के बाद ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा एक विशेषज्ञों की टीम को राजस्थान के पाली जिले में भेजा जाए ताकि पाली जिले की इस गंभीर समस्या को दूर करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जा सके।

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई): महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसा कि ज्ञात हो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हर वर्ष हर प्रदेश में छात्रवृत्ति स्टूडेंट्स को प्रदान की जाती है।

महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र हरदोई के अंतर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक, हरदोई में वर्ष 2013-14 में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं की संख्या 163 ओ.बीसी., 71 एस.सी., 96 जनरल कैटेगरी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्षों के छात्र-छात्राएं संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

महोदय, इनको वर्ष 2013-14 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि 10,590 रुपए वार्षिक राज्य सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं के खातों में ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने थे।

महोदय, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, हरदोई द्वारा संस्था के समस्त छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन प्रणाली द्वारा आवेदन विद्यालय संस्था के अंतर्गत कराया गया था, जिसमें प्रधानाचार्य व संबंधित लिपिक द्वारा ऑनलाइन कराये गए आवेदन में प्रतिपूर्ति धनराशि रुपए 10,590 के स्थान पर 200 रुपए ही आवेदन में अंकित कराए गए, जो नितांत विसंगतिपूर्ण और पूर्णतया गलत है।

महोदय, छात्र-छात्राओं के खातों में समय पर शुल्क, प्रतिपूर्ति धनराशि न पहुंचने पर छात्र-छात्राओं द्वारा मामला प्रकाश में लाया गया। संस्था के प्रधानाचार्य को छात्र-छात्राओं द्वारा दिनांक 25.06.2014 व 03.07.2014 को शुल्क, प्रतिपूर्ति धनराशि प्रेषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके क्रम में प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 25.06.2014 और 03.07.2014 को जिला समाज कल्याण अधिकारी हरदोई को कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखा गया।

महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह की त्रुटियां अनेक पॉलीटेक्निक और बी.एड. कॉलेजेज में पायी गयी हैं, जिसके तहत कम से कम साढ़े तीन से चार लाख छात्र प्रभावित होते हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही मार्मिक, मजदूर से जुड़ा हुआ मामला उठाना चाहती हूं। कल ही माननीय

सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया और मेरे ख्याल से यह हमारे लिए, सदन के लिए, सदन की गरिमा के लिए बहुत ही दुखद बात है कि यह सदन लोकतंत्र की सबसे बड़ी महापंचायत है। 6 महीने पहले एक घटना घटती है, जिसका बारे में कल सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया कि यह कैसा देश है, जहां मजदूरों के हाथ काट दिये जाते हैं। मेरे ख्याल से यह हमारे सदन के लिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के लिए शर्म की बात है कि 6 महीने पहले वर्ष 2013 में दिसम्बर को ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश में यह घटना घटती है। ओडिशा के कालाहांडी में, जहां पर दो प्रवासी मजदूर दियालु और नीलांबर मांझी को कुछ उधार की वजह से ईंट भट्टा के मालिकों द्वारा उनका उधार नहीं चुकाने के क्रम में उनसे हाथ या पैर काट देने की बात कही जाती है। वे उनसे दुहाई देते हैं कि 10 साल तक हम लगातार बंधुआ मजदूर बनकर आपके लिए काम करेंगे, लेकिन बशर्ते कि आप हमारे हाथ या पैर न काटें। क्योंकि हम गरीब और मजदूरों के पास सिवाय हाथ और पैर के कुछ नहीं होता है। यह सिर्फ दयालु और नीलांबर मांझी की बात नहीं है, मेरे ख्याल से बिहार से खासकर ऐसे बहुत सारे मजदूर जाते हैं, हरियाणा में, दिल्ली में, ओडिशा में और असम में, दूर-दूर जाकर अपनी गरीबी को कम करने के लिए दो रुपये कमाकर अपने घर पहुंचाने का काम करते हैं। मेरे ख्याल से जो यह घटना घटी, उन्होंने आग्रह किया और वे बार-बार रिपीट करते रहे कि हम दस साल तक आपका काम कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पैर कटवाएंगे या हाथ, तो उनको कहना पड़ा कि पैर से हम चलते हैं, इसलिए हमारे हाथ काट दीजिए। बहुत शर्म आती है यह कहने में कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां सिक मानसिकता के लोग रहते हैं। उन्होंने उनके हाथ काट दिये और उनके खून से तिलक करके वे गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह के देश में रहते हैं। ऐसी घटना किसी आदिम देश में भी नहीं होती थी। मजदूरों को जानवरों की तरह बसों में ठूंसा जाता है। उन पर अत्याचार किये जाते हैं। मेनका जी यहां बैठी हैं, मैं उनको जरूर कहूंगी कि *पैट एनिमल्स और* जानवरों से उनको बहुत प्यार है, वे उनके लिए लड़ती हैं। मैं कहूंगी कि मेरे ख्याल से जानवरों से भी बदतर व्यवहार यह है क्योंकि जानवर जब भूखा होता है तब अटैक करता है। हमारी सभ्यता, मनुष्य की सभ्यता कहां तक जा रही है जो आज हम इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि आज हाथ और पैर मांग रहे हैं, मेरे ख्याल से कल खाने के लिए उनका गोश्त मांगेंगे। मैं कहूंगी कि यह बहुत गंभीर मामला है, इसको गंभीर चिन्तन का मामला मानते हुए इस सदन द्वारा ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि ऐसी सिक मानसिकता के लोगों को आगे से इस तरह का काम करने की हिम्मत नहीं पड़े।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति जी, यह विषय मैं अनेक बार पहले भी इस सदन में उठा चुका हूं, परन्तु मुझे उम्मीद है कि नई दृष्टि की नई सरकार आने के बाद शायद यह समस्या हल हो जाए।

महोदय, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 45 लाख से भी ज्यादा वादों में से लगभग एक चौथाई वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। खंडपीठों तथा जजों की कम संख्या के परिणामस्वरूप जिस गति से उच्च न्यायालयों में इन वादों का निपटान हो पा रहा है, उससे इन वादों को निपटाने में सौ साल से भी अधिक का समय लगेगा। महोदय, एक पुरानी कहावत है कि दर से प्राप्त न्याय न्याय न मिलने के बराबर है। वाद के निर्णय में इतना विलंब किसी भी प्रकार से वादी के हित में नहीं है। इसके कारण से न्याय व्यवस्था से आम आदमी का विश्वास खत्म होता है तथा यह सस्ता, सुलभ तथा शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की सरकार की नीति के भी विरुद्ध है। वर्षों तक वकीलों की फीस देने तथा इलाहाबाद आने-जाने तथा ठहरने-खाने का इंतजाम करने में ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के वादियों के खेत और मकान तक बिक जाते हैं।

महोदय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ मेरठ में स्थापित करने की मांग निरंतर उठाई जाती रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। मैं केवल मेरठ की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार की पीठ स्थापित की जाएं ताकि सामान्य जन को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। इसके लिए केन्द्र सरकार अपने स्तर पर पहल करे। मुझे उम्मीद है कि यह समस्या अवश्य हल होगी।

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपके माध्यम से मैं भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से एक ऐसे स्थान को जो विश्वप्रसिद्ध स्थान है, राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में शामिल करने की मांग करना चाहता हूं। खजुराहो जो विश्व प्रसिद्ध स्थान है, वहां से सतना, अमरकंटक से कान्हा तक के रूट को राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया जाए। मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, वह सतना है जहां चित्रकूट बहुत ही पवित्र स्थान है जहां भगवान श्रीराम ने साढ़े 11 वर्ष का वनवास का समय बिताया था। वहीं पर गुप्त गोदावरी, पवित्र मंदाकिनी नदी, सती अनुसुईया, हनुमान धारा जैसे पवित्र धार्मिक स्थल हैं। लाखों लोगों का वहां आना-जाना होता है। इसी तरह मैहर में मां शारदा का पवित्र मंदिर है जहां बाबा अलाउद्दीन खां ने साधना कर शास्त्रीय संगीत सीखकर दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। मैं चाहता हूं कि इस पूरे क्षेत्र को राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया जाये। खजुराहो से पन्ना का राष्ट्रीय उद्यान, भगवान जुगुल किशोर जी का मंदिर, सतना में प्राचीन वेंकटेश मंदिर, भरहुत में बौद्ध कालीन, रीवा में बौद्ध तीर्थ देउर कोठार, गोविन्दगढ़, मांद जंगल में सफेद शेर का विश्व प्रसिद्ध चिड़ियाघर, वि.वि. के अवशेष, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बाणसागर बांध का विहंगम दृश्य, अमरकंटक हिल स्टेशन तथा नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से कान्हा तक के इस रूट को राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया जाए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में वर्ष 2003 में वाजपेयी सरकार के जमाने में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 18 रोड के वर्क को सैंक्शन दे कर 20 करोड़ रुपये दिया गया था। पिछले दस साल में छह वर्क कम्पलीट हुआ, छह वर्क आज भी चल रहा है और छह वर्क को ड्रॉप कर दिया गया। उसके पश्चात् पी.एम.जी.एस.वाई. में काम करने के लिए जुलाई 2009 में ए.पी.डब्ल्यू.डी. को नोडल डिपार्टमेंट तथा सेक्रेटरी ए.पी.डब्ल्यू.डी. को नोडल अफसर बनाया गया था ताकि नया रोड पी.एम.जी.एस.वाई. में लाया और सैंक्शन कराया जा सके। लेकिन कोई काम नहीं हुआ।

आदरणीय उप-राज्यपाल महोदय ने दिसम्बर, 2013 में ए.पी.डब्ल्यू.डी. को आदेश दिया था कि प्रपोजल पूरा करके मंत्रालय में भेजे और काम कराए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भारत के विभिन्न प्रांतों में पी.एम.जी.एस.वाई. की प्रगति पर दस से ग्यारह स्टेज में काम चल रहा है, जबकि अंडमान-निकोबार प्राइमरी स्टेज पर ही खड़ा है।

मैं आदरणीय भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि पिछले दस साल में पी.एम.जी.एस.वाई. में जो बैकलॉग रह गया था, उसे पूरा करने के लिए अंडमान-निकोबार प्रशासन को आदेश करे और पिछले दस साल के बैकलॉग का जो प्रस्ताव आएगा, उसको मंजूरी दे तथा उसके लिए धन उपलब्ध करवाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: सभा कल दिनांक 17 जुलाई, 2014, को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.41 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा गुरुवार, 17 जुलाई, 2014/26 आषाढ़, 1936 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	121
	श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव	
2.	श्रीमती सुप्रिया सुले	122
	डॉ. रामशंकर कठेरिया	
3.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	123
	श्री राजू शेट्टी	
4.	श्री बी. श्रीरामुलु	124
5.	श्री जैदेव गल्ला	125
	श्री रवनीत सिंह	
6.	श्री दुष्यंत चौटाला	126
	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	
7.	श्री बैजयंत जे. पांडा	127
8.	श्री एन. क्रिष्टप्पा	128
9.	श्रीमती पूनमबेन माडम	129
10.	श्री पी.पी. चौधरी	130
11.	श्रीमती मौसम नूर	131
	श्री डी.के. सुरेश	
12.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	132
13.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	133
	श्री प्रताप सिम्हा	
14.	श्री सी.आर. पाटील	134
15.	श्री ए.टी. नाना पाटील	135
	श्री असादुद्दीन ओवैसी	
16.	श्री जगदम्बिका पाल	136
	श्री रत्न लाल कटारिया	
17.	मोहम्मद फैज़ल	137
18.	श्री राजीव प्रताप रूडी	138
19.	श्री भर्तृहरि महताब	139
20.	श्री धनंजय महाडीक	140
	श्री राजीव सातव	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव	847, 900, 916, 953
2.	श्री हंसराज गंगाराम अहीर	780, 856, 907, 945, 971
3.	श्रीसुल्तान अहमद	833
4.	श्री बदरुद्दीन अजमल	793, 850, 905
5.	श्री एंटो एन्टोनी	80, 859, 909, 947, 972
6.	श्री तारिक अनवर	814
7.	श्री बी. श्रीरामुलु	779, 867, 919, 955

1	2	3
8.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	847, 916, 953, 977
9.	श्री पी.के. बिजू	792, 803, 865, 889, 959
10.	श्री ओम बिरला	791, 882, 893, 938, 964
11.	श्री हरिभाई चौधरी	822
12.	श्री पी.पी. चौधरी	864, 913, 950, 975
13.	श्री दुष्यंत चौटाला	841, 951, 980
14.	श्री अशोक शंकरराव चव्हाण	818, 880, 928, 977
15.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	797, 855, 906, 944
16.	श्री थुपस्तान छेवांग	809
17.	श्री राम टहल चौधरी	789, 901
18.	श्री अधीर रंजन चौधरी	823
19.	श्रीमती रमा देवी	832, 901, 984
20.	श्री धर्मवीर	835, 895
21.	श्री आर. ध्रुवनारायण	802, 862, 911, 948, 973
22.	श्री निशिकांत दुबे	820, 881, 930, 961, 983

1	2	3
23.	मोहम्मद फैज़ल	853, 882, 886, 924
24.	श्री जैदेव गल्ला	851, 920, 956, 979
25.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	794, 852, 932, 963
26.	श्री राजेन गोहेन	829, 891
27.	श्री प्रतापराव जाधव	787, 822
28.	श्री संजय हरिभाऊ जाधव	811, 919
29.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	804, 866, 940
30.	श्री नारणभाई काछादिया	790, 808, 959
31.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	843, 902, 943, 970
32.	श्री पी. करुणाकरन	961
33.	श्री राहुल कस्वां	830
34.	श्री नलीन कुमार कटील	788, 849, 902, 957, 966
35.	डॉ. रामशंकर कठेरिया	873
36.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	778, 799, 858, 871, 936
37.	श्री चन्द्रकांत खैरे	844, 876
38.	श्री राममोहन नायडू किंजरापु	807, 871, 882, 931, 962

1	2	3
39.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	863, 912, 949, 974
40.	श्री एन. क्रिष्टप्पा	871, 922, 957, 969
41.	श्री रविन्दर कुशवाहा	836
42.	श्री छोटेलाल	935
43.	श्री धनंजय महाडीक	868, 917, 954, 978
44.	श्री भर्तृहरि महताब	927
45.	मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी	809, 831
46.	श्री जोस के. मणि	775, 779, 875, 908, 946
47.	श्रीमती के. मरगथम	785, 848, 929, 960
48.	श्री अर्जुन लाल मीणा	821, 883
49.	डॉ. थोकचोम मेन्या	824, 884, 933
50.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	842, 918, 967
51.	श्री बी.वी. नाईक	816, 878, 928, 955
52.	श्रीमती मौसम नूर	872, 923
53.	श्री असादुद्दीन ओवैसी	840, 952, 976, 915
54.	श्रीमती कमला पाटले	775, 782, 882

1	2	3
55.	श्री जगदम्बिका पाल	927
56.	श्री बैजयंत जे. पांडा	869, 921, 957, 968
57.	श्री देवजी एम. पटेल	795, 854
58.	श्री ए.टी. नाना पाटील	871, 873
59.	श्री सी.आर. पाटील	779
60.	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	815, 877
61.	श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	776, 805, 896, 939, 965
62.	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	806, 887, 918, 934
63.	श्री राजन विचारे	815, 877
64.	श्री एम.बी. राजेश	838, 883, 898
65.	श्री राजेश रंजन	810, 933
66.	श्रीमती रंजीत रंजन	810, 933
67.	श्री रामसिंह राठवा	783, 844, 903, 959, 982
68.	श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी	796, 813, 827, 883, 894
69.	श्रीमती बुत्ता रेणुका	813
70.	प्रो. सौगत राय	812, 875, 926, 958, 981
71.	श्री राजीव प्रताप रूडी	874, 925, 977

1	2	3
72.	डॉ. ए. सम्पत	792, 889
73.	श्री राजीव सातव	868, 917, 954, 978
74.	श्री एम.आई. शनवास	825, 886
75.	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	834
76.	श्री राजू शेट्टी	846, 904
77.	श्री प्रताप सिम्हा	777, 849, 942, 966
78.	श्री गणेश सिंह	827, 888
79.	श्री राकेश सिंह	784
80.	श्री दुष्यंत सिंह	914
81.	श्री हुकुम सिंह	839, 899, 941
82.	श्री रवनीत सिंह	845, 927, 936
83.	श्री सुनील कुमार सिंह	781, 889, 935

1	2	3
84.	श्रीमती सुप्रिया सुले	870, 917, 954, 978
85.	श्री डी.के. सुरेश	860, 910, 919
86.	श्री रामदास सी. तडस	819, 977
87.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	783, 801, 861
88.	डॉ. एम. तंबिदुरै	786, 892, 937
89.	प्रो. के.वी. थॉमस	826
90.	श्री शिवकुमार उदासि	837, 897
91.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	789, 808
92.	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	817, 879
93.	श्री ओम प्रकाश यादव	798, 885
94.	योगी आदित्यनाथ	828, 890, 977

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	128
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	:	127
पृथ्वी विज्ञान	:	138
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	:	121, 126, 132, 133, 134, 137, 140
विदेश	:	135
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
मानव संसाधन विकास	:	123, 124, 129, 131, 136
सूचना और प्रसारण	:	122, 139
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	125
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
अंतरिक्ष	:	
शहरी विकास	:	130

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	792, 793, 812, 826, 858, 877, 887, 899, 935, 936, 940, 956
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	:	884, 905
पृथ्वी विज्ञान	:	845, 922, 937, 963
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	:	778, 780, 784, 786, 791, 799, 801, 806, 808, 810, 817, 818, 825, 829, 839, 842, 846, 850, 852, 864, 867, 872, 881, 882, 886, 890, 893, 896, 901, 906,

		908, 913, 914, 918, 927, 955, 957, 960, 962, 979
विदेश	:	797, 803, 814, 815, 828, 840, 855, 861, 879, 883, 889, 911, 921, 924, 944, 965, 968
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	787, 789, 804, 820, 871, 874, 897, 920, 938, 949, 953, 959, 977, 978
मानव संसाधन विकास	:	777, 779, 781, 785, 790, 794, 795, 798, 800, 811, 819, 823, 827, 830, 832, 834, 836, 838, 844, 847, 849, 851, 857, 859, 862, 865, 868, 869, 870, 873, 888, 894, 895, 898, 903, 904, 907, 909, 910, 912, 916, 917, 923, 925, 926, 929, 933, 941, 946, 947, 950, 951, 952, 964, 967, 971, 974, 975, 980, 983
सूचना और प्रसारण	:	775, 805, 809, 831, 837, 841, 860, 891, 915, 942, 943, 948, 954, 970, 981, 982
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	816, 821, 854, 863, 932, 939, 961
प्रवासी भारतीय कार्य	:	848, 934, 969, 972, 976
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	782, 788, 796, 807, 813, 822, 824, 843, 875, 876, 930, 966, 984
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	776, 783, 928, 945
अंतरिक्ष	:	856
शहरी विकास	:	802, 833, 835, 853, 866, 878, 880, 885, 892, 900, 902, 919, 931, 958, 973

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।